MPPSC 2026

सहायक प्राध्यापक

पेपर – II

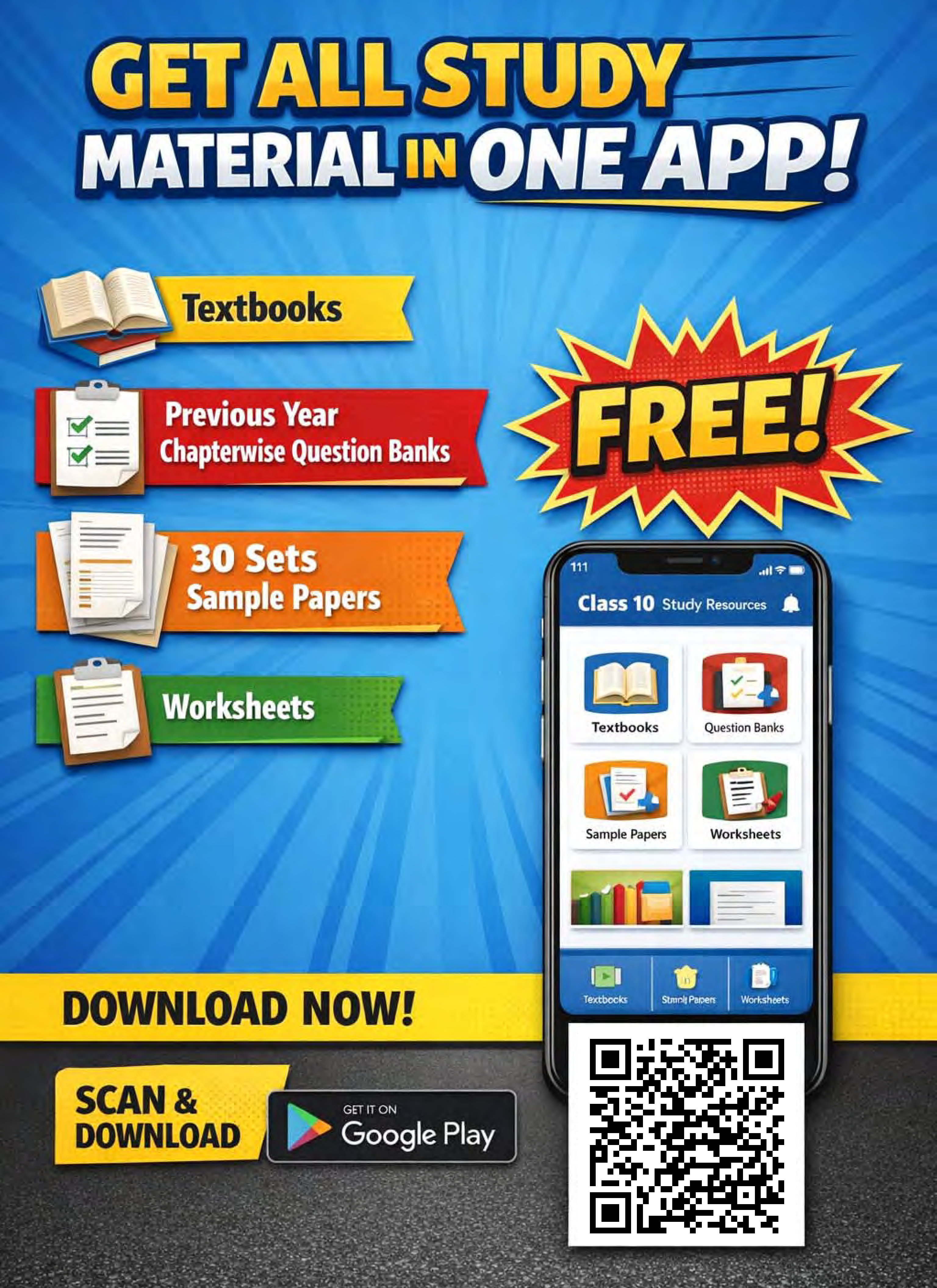
विधि

LAW

अध्यायवार MCQs

Nodia

Scan QR for Demo PDF



GET ALL STUDY MATERIAL IN ONE APP!
Textbooks
Previous Year Chapterwise Question Banks
30 Sets Sample Papers
Worksheets
FREE!
Class 10 Study Resources
Textbooks
Question Banks
Sample Papers
Worksheets
DOWNLOAD NOW!
SCAN & DOWNLOAD
GET IT ON Google Play

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
2026

सहायक प्राध्यापक

पेपर – II

विधि

अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक
आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार

NODIA

MPPSC सहायक प्राध्यापक विधि
Edition May 2026
Published by :NODIA
An Imprint of NODIA EDITIONS LLP

MRP ₹620.00

available at amazon

This book is available on amazon and flipkart only and not available in market.

NODIA EDITIONS LLP
125, Sector 6, Vidyadhar Nagar, Jaipur 302039
Phone :+91 9001005245
email : mail@nodia.in

विषय-सूची

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2026
द्वितीय प्रश्न–पत्र
पाठ्यक्रम – विधि

इकाई : 1 भारत की संवैधानिक विधि

- भारतीय संवैधानिक इतिहास, उद्देशिका, नागरिकता, संविधान की प्रकृति।
- मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य।
- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ एवं राज्य विधायी संबंध।
- आपात उपबंध, संविधान संशोधन, रिट क्षेत्राधिकार।
- संवैधानिक सभा की बहस (राज भाषा, धार्मिक स्वतंत्रता, गौवध निषेध, समान नागरिक संहिता)।

इकाई : 2 विधिक सिद्धांत (विधि शास्त्र)

- भारतीय प्राचीन विधि शास्त्र (न्याय शास्त्र, न्याय दर्शन)।
- विधि की प्रकृति एवं स्त्रोत, विधि एवं नैतिकता।
- विधि शास्त्र की शाखाएं प्राकृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, विश्लेषणात्मक, यथार्थवादी।
- विधिक अवधारणायें – अधिकार, कर्तव्य, स्वामित्व, कब्जा, विधिक व्यक्तित्व।
- दण्ड के सिद्धांत।

इकाई : 3 लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार

- लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति, स्त्रोत एवं नागरिक विधि से संबंध।
- संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सुरक्षा परिषद्, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, संधिया, अंतर्राष्ट्रीय समूह– G-7, G -20, ब्रीक्स (BRICS), सार्क (SAARC) की भूमिका ।
- प्रत्यार्पण, आश्रय, राष्ट्रीयता, शरणार्थी, राज्य की मान्यता।
- मानव अधिकार–अवधारणा, भारत में क्रियान्वयन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग।
- सीमान्त समूह–महिला, बच्चे, वृद्ध, शरणार्थी, अल्पसंख्यकों का संरक्षण।

इकाई : 4 संविदा विधि एवं वाणिज्यिक विधि

- संविदा विधि, सामान्य सिद्धांत, आवश्यक तत्व, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, अवयस्क द्वारा संविदा।
- संविदा को दूषित करने वाले तत्व–झूठ, कपट, मिथ्या व्यपदेशन, असम्यक प्रभाव, संविदा की विफलता, संविदा भंग के उपचार।
- साझेदारी अधिनियम–प्रकृति, आवश्यक तत्व, पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व।
- माल विक्रय अधिनियम, परक्राम्य लिखित अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002
- कंपनी विधि–आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, शक्ति बाह्यता का सिद्धांत, लिफ्टींग द कर्टन का सिद्धांत, कंपनी का परिसमापन।

इकाई : 5 दुष्कृति विधि

- अपकृत्य की प्रकृति, परिभाषा, आवश्यक तत्व
- अपकृत्य पूर्ण दायित्व के साधारण सिद्धांत, प्रतिनिधिक दायित्व, कठोर दायित्व, पूर्ण दायित्व, लोक सेवको द्वारा अपकृत्य के संबंध में दायित्व ।
- अपकृत्य के विरुद्ध साधारण बचाव, दुरस्थ क्षति ।

- विनिर्दिष्ट अपकृत्य–उपेक्षा, अंषदायी उपेक्षा, अपदूषण, मानहानि।
- उपभोक्ता संरक्षण विधि।

इकाई : 6 अपराध विधि

- अपराध की परिभाषा, आवश्यक तत्व, साधारण अपवाद, दण्ड के प्रकार।
- सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य, अपराध का प्रयत्न, दुष्प्रेरण, आपराधिक षडयंत्र।
- चोरी, रिष्टी, लूट, डकैती, हत्या, आपराधिक मानव वध, मानहानि।
- मानव शरीर एवं सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध एवं प्राइवेट प्रतिरक्षा।
- महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति के विरुद्ध अपराध।

इकाई : 7 श्रम विधि

- मजदूरी संहिता 2019 के तहत कुशल, अकुशल एवं अन्य श्रमिकों को वेतन, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी की ग्यारंटी के प्रावधान।
- व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्य परिस्थिति संहिता 2020 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के प्रावधान।
- औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत मजदूरों को शीघ्र न्यायदान का प्रावधान।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारियों के लिए प्रतिकर का प्रावधान।

इकाई : 8 प्रशासनिक विधि

- प्रशासनिक विधि की प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्व।
- नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत।
- प्रशासनिक विवेक एवं इसका नियंत्रण।
- प्रत्यायोजित विधायन।
- लोकपाल एवं लोकायुक्त।

इकाई : 9 पर्यावरण विधि

- पर्यावरण तथा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, प्रकार।
- भारत में पर्यावरण प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण विधियाँ।
- पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परम्पराएँ।
- भारत में वन एवं वन्य जीवन संरक्षण विधि।
- वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण समस्याएँ एवं पोषणीय विकास।

इकाई : 10 मध्यप्रदेश की प्रमुख विधियाँ

- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973
- मध्यप्रदेश सिविल सर्विस (आचरण) नियम, 1965
- मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 तथा संशोधन।
- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010
- मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021

****

अध्याय 01
भारत की संवैधानिक विधि

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है और राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है?
   (A) संप्रभु
   (B) गणतंत्र
   (C) समाजवादी
   (D) लोकतांत्रिक

2. भारतीय संविधान के अंतर्गत, नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किस निकाय में निहित है?
   (A) संसद
   (B) उच्चतम न्यायालय
   (C) भारत के राष्ट्रपति
   (D) राज्य विधानमंडल

3. भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
   (A) यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
   (B) यह सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है।
   (C) यह पूर्णतः कठोर और अपरिवर्तनीय दस्तावेज़ है।
   (D) यह एकात्मक झुकाव वाली संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है।

4. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
   (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
   (B) कनाडा
   (C) यूनाइटेड किंगडम
   (D) आयरलैंड

5. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है?
   (A) समानता का अधिकार
   (B) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
   (C) संपत्ति का अधिकार
   (D) शोषण के विरुद्ध अधिकार

6. संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है?
   (A) अनुच्छेद 31C
   (B) अनुच्छेद 51A
   (C) अनुच्छेद 21A
   (D) अनुच्छेद 15

7. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
   अभिकथन (A): भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
   कारण (R): राष्ट्रपति अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है।
   (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
   (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) A सही है लेकिन R गलत है।
   (D) A गलत है लेकिन R सही है।

8. संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के विश्रांतिकाल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है?
   (A) अनुच्छेद 123
   (B) अनुच्छेद 213
   (C) अनुच्छेद 143
   (D) अनुच्छेद 72

9. उस रिट की पहचान कीजिए जो किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जा सकती है जिसने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया है।
   (A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
   (B) परमादेश
   (C) उत्प्रेषण
   (D) अधिकार पृच्छा

10. भारतीय संविधान की विशेषताओं और उनके स्रोतों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
    सूची I:
    (P) मौलिक अधिकार,
    (Q) संसदीय सरकार,
    (R) नीति निर्देशक तत्व,
    (S) संघीय ढांचा।
    सूची II:
    (1) आयरिश संविधान,
    (2) ब्रिटिश संविधान,
    (3) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान,
    (4) भारत शासन अधिनियम, 1935।
    (A) P-3, Q-2, R-1, S-4

(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

11. संविधान सभा की बहसों के दौरान, निम्नलिखित में से किसने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का पुरजोर समर्थन किया था?
(A) टी.टी. कृष्णमाचारी
(B) बी.आर. अंबेडकर
(C) जवाहरलाल नेहरु
(D) आर.वी. धुलेकर

12. संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था?
(A) सोवियत संघ
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) फ्रांस
(D) कनाडा

13. मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे आत्यंतिक हैं और उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
2. वे न्यायोचित हैं और न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।
3. उन्हें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त अधिकारों के।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

14. राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को विधि बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है?
(A) अनुच्छेद 248
(B) अनुच्छेद 250
(C) अनुच्छेद 252
(D) अनुच्छेद 249

15. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना
(B) भारत में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना
(C) नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना
(D) न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को परिभाषित करना

16. धन विधेयक केवल निम्नलिखित में से किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है?
(A) राज्यसभा
(B) लोकसभा
(C) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
(D) किसी भी सदन में

17. समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत उल्लेखित है?
(A) मौलिक अधिकार
(B) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(C) प्रस्तावना
(D) मौलिक कर्तव्य

18. भारतीय संवैधानिक इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. 'उद्देश्य प्रस्ताव' को अपनाना
2. संविधान सभा की प्रथम बैठक
3. प्रारूप समिति की नियुक्ति
4. सदस्यों द्वारा संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 2, 1, 4

19. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता के परित्याग का तरीका नहीं है?
(A) स्वैच्छिक त्याग
(B) पर्यवसान (समाप्ति)
(C) किसी विदेशी राष्ट्र में सार्वजनिक पद धारण करना
(D) वंचन (वंचित किया जाना)

20. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारतीय संविधान को प्रायः 'अर्ध-संघीय' प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है।
कारण (R): संविधान में सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां हैं, जैसे केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

21. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
(A) परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार
(B) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(C) मूल क्षेत्राधिकार
(D) रिट क्षेत्राधिकार

22. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए?
(A) संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(B) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता
(C) न्याय, स्वतंत्रता, समानता
(D) संघीय, एकता, बंधुत्व

23. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति का सही वर्णन करता है?
(A) वे न्यायालयों में विधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं।
(B) वे राज्य पर नैतिक दायित्व हैं, नागरिकों पर नहीं।
(C) न्यायालयों द्वारा विधियों को असंवैधानिक घोषित करने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है।
(D) वे नागरिकों पर गैर-न्यायोचित नैतिक दायित्व हैं।

24. संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(A) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

25. अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए?
(A) 14 दिन
(B) दो माह
(C) एक माह
(D) छह माह

26. भारतीय संविधान के प्रावधानों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) अनुच्छेद 14,
(Q) अनुच्छेद 17,
(R) अनुच्छेद 21A,
(S) अनुच्छेद 32।
सूची II:
(1) अस्पृश्यता का अंत,
(2) संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
(3) विधि के समक्ष समानता,
(4) शिक्षा का अधिकार।
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

27. भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा कहाँ से ली गई है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(B) यूनाइटेड किंगडम का संविधान
(C) ऑस्ट्रेलिया का संविधान
(D) जापान का संविधान

28. धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में संविधान सभा में हुई चर्चा मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और किसके बीच संतुलन बनाने पर केंद्रित थी?
(A) किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का राज्य का अंतर्निहित अधिकार।
(B) धर्म की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति।
(C) धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग।
(D) धर्म को समस्त सार्वजनिक जीवन से पूर्णतः पृथक करना।

29. संघ की कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद सम्मिलित होती है।
2. भारत के महान्यायवादी को भी संघ की कार्यपालिका का भाग माना जाता है।
3. राष्ट्रपति को सदैव मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

30. संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है?
(A) अनुच्छेद 13
(B) अनुच्छेद 32
(C) अनुच्छेद 226
(D) अनुच्छेद 368

31. कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह:
(A) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
(B) सरकार की नीतियों की आलोचना करता है।
(C) निरंतर सात वर्षों से अधिक समय तक विदेश में रहता है।
(D) किसी विदेशी नागरिक से विवाह करता है।

32. 'बुनियादी संरचना' का सिद्धांत, जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित किया गया था?
(A) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(B) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(C) मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
(D) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

33. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत है?
(A) समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना।
(B) ग्राम पंचायतों का गठन करना।
(C) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देना।
(D) पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

34. भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
(A) केवल राज्यसभा में
(B) केवल लोकसभा में
(C) संसद के किसी भी सदन में
(D) संसद के संयुक्त सत्र में

35. रिट 'परमादेश' का शाब्दिक अर्थ है:
(A) 'सशरीर प्रस्तुत करना'
(B) 'किस अधिकार से'
(C) 'हम आदेश देते हैं'
(D) 'प्रमाणित होना'

36. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
कारण (R): नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

37. संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है?
(A) तीसरी अनुसूची
(B) पांचवीं अनुसूची
(C) चौथी अनुसूची
(D) छठी अनुसूची

38. गोहत्या निषेध पर संविधान सभा में बहस को मुख्य रूप से किस विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया था?
(A) बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावना।
(B) आर्थिक उपयोगिता और कृषि सुधार।
(C) पशु अधिकार और अहिंसा।
(D) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता।

39. गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस पर लागू होता है?
(A) केवल धन विधेयक
(B) केवल संविधान संशोधन विधेयक
(C) धन विधेयक और साधारण विधेयक दोनों
(D) केवल साधारण विधेयक

40. संविधान सभा की समितियों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) संघ शक्ति,
(Q) प्रांतीय संविधान,
(R) संचालन,
(S) मौलिक अधिकार उप-समिति।
सूची II:
(1) डॉ. राजेंद्र प्रसाद,
(2) सरदार पटेल,
(3) जवाहरलाल नेहरु,
(4) जे.बी. कृपलानी।
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

41. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है?
(A) प्रणाली में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिकाओं की उपस्थिति
(B) निर्वाचित विधायिका के भीतर बहुमत दल का शासन
(C) कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण
(D) विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व

42. भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. उनमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता होनी चाहिए।
3. उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

43. कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी?
(A) अनुच्छेद 139
(B) अनुच्छेद 140
(C) अनुच्छेद 142

(D) अनुच्छेद 141

44. भारत शासन अधिनियम, 1919 को किस नाम से भी जाना जाता था?
(A) मॉर्ले-मिंटो सुधार
(B) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(C) साइमन कमीशन रिपोर्ट
(D) रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड

45. भारत में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) राष्ट्रपति
(B) संबंधित राज्य विधानमंडल
(C) संसद
(D) उच्चतम न्यायालय

46. संविधान के निम्नलिखित भागों को दस्तावेज़ में उनके आने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. संघ और उसका राज्यक्षेत्र
2. मौलिक कर्तव्य
3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व
4. नागरिकता
(A) 1, 4, 3, 2
(B) 4, 1, 3, 2
(C) 1, 4, 2, 3
(D) 4, 1, 2, 3

47. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "बंधुत्व" की अवधारणा का उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
(A) व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
(B) संघ में लोगों की पूर्ण संप्रभुता
(C) सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय की गारंटी
(D) भारत में सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

48. निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं?
(A) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
(B) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार
(C) भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में निर्बाध संचरण का अधिकार
(D) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार

49. लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?
(A) 21 वर्ष
(B) 25 वर्ष
(C) 30 वर्ष
(D) 35 वर्ष

50. 'पुलिस', 'सार्वजनिक स्वास्थ्य' और 'कृषि' जैसे विधायी विषय सातवीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आते हैं?
(A) राज्य सूची
(B) संघ सूची
(C) समवर्ती सूची
(D) अवशिष्ट सूची

51. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए और यह जारी होने की तिथि से कितनी अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यदि इसे अनुमोदित नहीं किया जाता है?
(A) एक माह
(B) तीन माह
(C) दो माह
(D) छह माह

52. 'उद्देश्य प्रस्ताव', जिसने संविधान की दार्शनिक आधारशिला रखी थी, संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
(A) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(C) सरदार वल्लभभाई पटेल
(D) जवाहरलाल नेहरु

53. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता।
(B) केंद्र के निर्देश का अनुपालन करने में राज्य सरकार की विफलता।
(C) राज्य में कुशासन या भ्रष्टाचार।
(D) राज्य सरकार का विधानसभा में बहुमत खोना।

54. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत का उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' है।
कारण (R): इसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है और इसकी कार्यवाहियाँ साक्ष्य के रुप में सुरक्षित रखी जाती हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

55. संविधान सभा की बहसों में, समान नागरिक संहिता के संबंध में विवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु किसके साथ इसका संभावित टकराव था?
(A) राज्य की आर्थिक नीतियां।
(B) देश का संघीय ढांचा।

(C) समानता का अधिकार।
(D) धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ)।

56. संविधान में 'मौलिक कर्तव्यों' का प्रावधान किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 40वां संशोधन अधिनियम
(C) 44वां संशोधन अधिनियम
(D) 52वां संशोधन अधिनियम

57. निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
(A) वित्त आयोग
(B) निर्वाचन आयोग
(C) नीति आयोग
(D) संघ लोक सेवा आयोग

58. संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है?
(A) भाग XI
(B) भाग X
(C) भाग XII
(D) भाग XIII

59. रिट 'अधिकार पृच्छा' किसके लिए जारी की जा सकती है?
(A) किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना विधिक कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना
(B) किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना
(C) अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को मुक्त करना
(D) सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना

60. संवैधानिक संशोधनों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) प्रथम संशोधन 1951,
(Q) 44वां संशोधन 1978,
(R) 61वां संशोधन 1989,
(S) 73वां संशोधन 1992।
सूची II:
(1) मतदान की आयु कम की गई,
(2) पंचायती राज,
(3) नौवीं अनुसूची,
(4) संपत्ति का अधिकार हटाया गया।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

61. भारतीय संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें निहित हैं?
(A) भाग I, अनुच्छेद 1-4
(B) भाग III, अनुच्छेद 12-35
(C) भाग II, अनुच्छेद 5-11
(D) भाग IV, अनुच्छेद 36-51

62. भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है।
2. यह राज्य विधानमंडलों में विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ निहित करता है।
3. यह एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

63. मौलिक अधिकारों के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित शब्द 'राज्य' में सम्मिलित हैं:
(A) उपर्युक्त सभी।
(B) भारत की सरकार और संसद।
(C) प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल।
(D) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी।

64. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था?
(A) ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना
(B) समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना
(C) सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना
(D) गायों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना

65. भारत के राष्ट्रपति को 'संविधान के अतिक्रमण' के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की कार्यवाही किसके द्वारा प्रारंभ की जा सकती है?
(A) उच्चतम न्यायालय
(B) संसद के किसी भी सदन द्वारा
(C) प्रधानमंत्री
(D) केवल लोकसभा

66. किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
(A) विधानसभा
(B) राज्यपाल
(C) मुख्यमंत्री
(D) विधान परिषद

67. संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 72
(C) अनुच्छेद 361
(D) अनुच्छेद 53

68. संविधान सभा की बहसों में हिंदी को एकमात्र राजभाषा के रूप में तत्काल लागू करने के विरुद्ध प्राथमिक तर्क क्या था?
(A) इसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा का अभाव।
(B) प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इसे अपनाने में कठिनाई।
(C) आधुनिक वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी को वरीयता।
(D) गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से तीव्र विरोध।

69. किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) संसद
(B) राज्य विधानमंडल
(C) राष्ट्रपति
(D) राज्यपाल

70. 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया था क्योंकि:
(A) इसने भारत के विभाजन का समर्थन किया था।
(B) इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
(C) इसने प्रांतीय स्वायत्तता को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था।
(D) इसकी नियुक्ति निर्धारित समय से दो वर्ष पूर्व की गई थी।

71. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।
कारण (R): प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत किया गया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

72. संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?
(A) 550
(B) 530
(C) 545
(D) 552

73. 'भारत की आकस्मिकता निधि' किसके अधिकार में रखी गई है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) वित्त मंत्री
(C) राष्ट्रपति
(D) संसद

74. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?
(A) उच्चतम न्यायालय
(B) निर्वाचन आयोग
(C) संसद
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

75. निम्नलिखित रिटों को उस सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें उनका उपयोग किसी अवैध सरकारी कार्रवाई को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है, निरुद्ध किए जाने से लेकर अंतिम अवैध आदेश को रद्द करने तक:
1. उत्प्रेषण
2. बंदी प्रत्यक्षीकरण
3. प्रतिषेध
4. परमादेश।
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 4, 1
(D) 4, 2, 1, 3

76. अनुच्छेदों और उनके प्रावधानों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) अनुच्छेद 280: वित्त आयोग
(B) अनुच्छेद 312: प्रशासनिक न्यायाधिकरण
(C) अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग
(D) अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

77. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था?
(A) 24वां संशोधन
(B) 44वां संशोधन
(C) 42वां संशोधन
(D) प्रथम संशोधन

78. भारत के संविधान के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विशिष्ट आधार नहीं है जिस पर राज्य धार्मिक स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है?
(A) लोक व्यवस्था
(B) सदाचार
(C) स्वास्थ्य
(D) राष्ट्रीय सुरक्षा

79. स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किसके समावेश की सिफारिश से था?

(A) मौलिक कर्तव्य
(B) मौलिक अधिकार
(C) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(D) पंचायती राज

80. संवैधानिक प्रावधानों और उनके संबंधित अनुच्छेदों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) आपातकाल (युद्ध)
(Q) राष्ट्रपति शासन
(R) वित्तीय आपातकाल
(S) संशोधन।
सूची II:
(1) अनुच्छेद 368
(2) अनुच्छेद 360
(3) अनुच्छेद 356
(4) अनुच्छेद 352।
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

81. किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(C) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) राज्य के मुख्यमंत्री

82. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है?
(A) सातवीं अनुसूची
(B) छठी अनुसूची
(C) आठवीं अनुसूची
(D) नौवीं अनुसूची

83. भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?
(A) केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा
(B) केवल उच्च न्यायालयों द्वारा
(C) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा
(D) देश के सभी न्यायालयों द्वारा

84. संविधान सभा में, समान नागरिक संहिता के विचार पर बहस हुई और अंततः इसे नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में रखा गया क्योंकि:
(A) इसके तत्काल कार्यान्वयन पर पूर्ण सहमति थी।
(B) इसे नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अत्यंत क्रांतिकारी माना गया था।
(C) सभा का उद्देश्य इसे विधिक रूप से प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार बनाना था।
(D) इसे वांछनीय माना गया था किंतु इसे लागू करने के लिए समय उपयुक्त नहीं था।

85. भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान करता है।
2. 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से नागरिक है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो।
3. संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

86. निम्नलिखित में से कौन सी संघीय संविधान की विशेषता नहीं है?
(A) शक्तियों का विभाजन
(B) एकल नागरिकता
(C) लिखित संविधान
(D) संविधान की सर्वोच्चता

87. "प्राण और दैहिक स्वतंत्रता" के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है?
(A) अनुच्छेद 19
(B) अनुच्छेद 20
(C) अनुच्छेद 22
(D) अनुच्छेद 21

88. राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
(A) भारत के उपराष्ट्रपति
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) प्रधानमंत्री
(D) लोकसभा अध्यक्ष

89. संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में मिलते हैं?
(A) भाग XV
(B) भाग XVI
(C) भाग XVII
(D) भाग XVIII

90. भारत शासन अधिनियम, 1935 ने किसका प्रावधान किया था?
(A) एक संघीय न्यायालय की स्थापना
(B) केंद्र में द्वैध शासन
(C) मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ
(D) इंडियन काउंसिल का उन्मूलन

91. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
कारण (R): यह प्रावधान 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था ताकि अकेले प्रधानमंत्री द्वारा आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

92. रिट 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' किसके लिए उपलब्ध है?
(A) किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने का निर्देश देना।
(B) किसी व्यक्ति को अवैध निरोध से मुक्त करने के उद्देश्य से।
(C) अधिकार क्षेत्र के बिना लिए गए निर्णय को रद्द करना।
(D) सार्वजनिक पद धारण करने की वैधता की जांच करना।

93. नौवीं अनुसूची को संविधान में क्यों सम्मिलित किया गया था?
(A) भारत की राजभाषाओं को निर्दिष्ट करने के लिए।
(B) जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करने के लिए।
(C) कुछ अधिनियमों और विनियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए।
(D) राज्यसभा में सीटों का आवंटन करने के लिए।

94. संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति क्या है?
(A) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का एक-चौथाई।
(B) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का आधा।
(C) पचास सदस्य या कुल संख्या का दसवां भाग, जो भी कम हो।
(D) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग।

95. गोहत्या निषेध की बहसों के संदर्भ में, समर्थकों ने प्रायः किस नीति निर्देशक तत्व का संदर्भ दिया?
(A) अनुच्छेद 48
(B) अनुच्छेद 44
(C) अनुच्छेद 47
(D) अनुच्छेद 50

96. भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है?
(A) भारत शासन अधिनियम, 1935
(B) उद्देश्य प्रस्ताव, 1946
(C) नेहरू रिपोर्ट, 1928
(D) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

97. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है?
(A) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना
(B) सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना
(C) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना
(D) वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना

98. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं?
(A) 65 वर्ष
(B) 60 वर्ष
(C) 62 वर्ष
(D) 70 वर्ष

99. धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
(B) कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है।
(C) राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
(D) राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं किंतु इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते।

100. विधिक सिद्धांतों और उनके अर्थों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) बुनियादी संरचना,
(Q) सार और तत्व,
(R) पृथक्करणीयता,
(S) छद्म विधान।
सूची II:
(1) केवल अमान्य भाग को ही हटाया जाता है,
(2) जो प्रत्यक्ष रूप से वर्जित है उसे अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता,
(3) मौलिक विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता,
(4) विधि की वास्तविक प्रकृति उसकी सूची निर्धारित करती है।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

101. भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. डॉ. जाकिर हुसैन,
2. डॉ. एस. राधाकृष्णन,
3. डॉ. राजेंद्र प्रसाद,
4. वी.वी. गिरि।
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 2, 3, 1, 4

(C) 3, 1, 2, 4
(D) 2, 1, 4, 3

102. 'न्यायिक सक्रियता' शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है?
(A) विधायी और कार्यकारी कार्यों की समीक्षा करने की न्यायालयों की शक्ति।
(B) लोकहित को लागू करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका।
(C) न्यायपालिका के उच्च स्तरों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया।
(D) सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर न्यायिक मिसालों की बाध्यकारी प्रकृति।

103. भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है।
2. वह पुनर्चुनाव के लिए पात्र नहीं है।
3. उसे राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जो बहुमत से पारित हो और लोकसभा उससे सहमत हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

104. भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में 'आर्थिक न्याय' का प्रावधान किसमें किया गया है?
(A) प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(B) प्रस्तावना और मौलिक अधिकार
(C) मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(D) प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व

105. भारतीय संविधान के अंतर्गत, अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद
(D) संघ लोक सेवा आयोग

106. रिट 'प्रतिषेध' एक उच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी की जाती है?
(A) एक अधीनस्थ न्यायालय को उस मामले में कार्यवाही रोकने के लिए जहाँ उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
(B) एक सार्वजनिक अधिकारी को अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए।
(C) सरकार को अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए।
(D) एक व्यक्ति को जिसने अवैध रूप से सार्वजनिक पद ग्रहण किया है।

107. आपातकालीन प्रावधानों के प्रारूपण के लिए 'म्यूनिख-पुत्श' प्रेरणा संविधान सभा में चर्चा की गई एक चेतावनीपूर्ण घटना थी, जो किसके खतरों को उजागर करती थी?
(A) राज्यों पर केंद्र सरकार द्वारा संघीय अतिक्रमण।
(B) मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायिक दुर्बलता।
(C) नागरिकों के लिए विशिष्ट मौलिक कर्तव्यों का अभाव।
(D) वह सुगमता जिससे लोकतांत्रिक संविधान को नष्ट किया जा सकता है।

108. भारतीय संविधान स्वरूप में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सी एकात्मक विशेषता नहीं है?
(A) एकल संविधान
(B) स्वतंत्र न्यायपालिका
(C) केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
(D) अखिल भारतीय सेवाएँ

109. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है।
कारण (R): इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

110. संविधान का कौन सा भाग संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है?
(A) भाग XVIII
(B) भाग XIX
(C) भाग XXI
(D) भाग XX

111. भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
(A) एम.एन. रॉय
(B) महात्मा गांधी
(C) जवाहरलाल नेहरु
(D) 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

112. दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है?
(A) अनुच्छेद 20(1)
(B) अनुच्छेद 20(2)
(C) अनुच्छेद 20(3)
(D) अनुच्छेद 22

113. संसदीय और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का उत्तरदायित्व किस पर है?
(A) निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर
(B) भारत निर्वाचन आयोग
(C) राज्य सरकार
(D) संबंधित स्थानीय निकाय

114. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व उदार-बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है?
(A) कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।
(B) नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध लगाना।
(C) कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
(D) सभी बच्चों को छह वर्ष की आयु पूर्ण करने तक पूर्व-प्राथमिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।

115. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
(A) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के राज्यपाल।
(B) केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(C) संसद द्वारा प्रस्तुत संबोधन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति।
(D) उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम।

116. संसद की विधायी शक्ति में समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाना सम्मिलित है। समवर्ती विषय पर केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच टकराव की स्थिति में:
(A) राज्य विधि प्रभावी होती है।
(B) पूर्व में पारित विधि प्रभावी होती है।
(C) उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है कि कौन सी विधि प्रभावी होनी चाहिए।
(D) केंद्रीय विधि प्रभावी होती है।

117. राजभाषा पर संविधान सभा की बहसों के दौरान, 'मुंशी-अय्यंगार फॉर्मूला' एक समझौता था जिसने:
(A) हिंदी को तत्काल एकमात्र राजभाषा बना दिया।
(B) संस्कृत को राजभाषा के रूप में अपनाया।
(C) अंग्रेजी को 15 वर्ष की अवधि के लिए सह-राजभाषा के रूप में बनाए रखा।
(D) राज्यों को अपनी राजभाषा के रूप में किसी भी भाषा को चुनने की स्वतंत्रता दी।

118. कौन सा कथन मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध का सही वर्णन करता है?
(A) नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ हैं।
(B) वे एक-दूसरे के पूरक हैं।
(C) मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं।
(D) दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है।

119. संसद के किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह:
(A) बिना अनुमति के सदन से अनुपस्थित रहता है।
(B) सार्वजनिक रूप से सरकार की नीतियों की आलोचना करता है।
(C) किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है।
(D) स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।

120. उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक वादों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) मेनका गांधी
(Q) इंदिरा साहनी
(R) एस.आर. बोम्मई
(S) विशाखा।
सूची II:
(1) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा-निर्देश
(2) अनुच्छेद 356 का विस्तार
(3) अनुच्छेद 21 का विस्तार
(4) ओबीसी के लिए आरक्षण।
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

121. 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा प्रदान किया?
(A) एक अधीनस्थ विधायी निकाय
(B) वायसराय के लिए एक परामर्शदात्री निकाय
(C) एक पूर्णतः संप्रभु निकाय
(D) एक प्रांतीय विधानसभा

122. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत, संविधान के प्रारंभ पर, वह व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास था, नागरिक था यदि:
(A) उपर्युक्त सभी शर्तें पूर्ण होती थीं।
(B) वह भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था।
(C) उसके माता-पिता में से कोई भी भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था।
(D) वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच वर्षों तक भारत के राज्यक्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो।

123. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान भारत को एक 'संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' घोषित करता है।
2. प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है।
3. प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) 1, 2 और 3
(D) केवल 1 और 3

124. मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. "संगम या संघ बनाने" का मौलिक अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
2. भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों
(D) न तो 1 और न ही 2

125. राज्यपाल की क्षमादान, दंडादेश के निलंबन आदि प्रदान करने की शक्ति कैसी शक्ति है?
(A) विधायी शक्ति
(B) न्यायिक शक्ति
(C) कार्यपालिका शक्ति
(D) विवेकाधीन शक्ति

126. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है?
(A) अधीनस्थ न्यायालयों से अपील सुनना।
(B) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना।
(C) अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज का अधीक्षण करना।
(D) राज्यपाल को परामर्शदात्री राय देना।

127. संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 77
(B) अनुच्छेद 74
(C) अनुच्छेद 75
(D) अनुच्छेद 78

128. "विधायी अवशिष्ट शक्ति" का क्या अर्थ है?
(A) राज्य सूची पर विधि बनाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति।
(B) उन विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति जो तीनों में से किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं हैं।
(C) अध्यादेशों के माध्यम से विधि बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
(D) विधियों की व्याख्या करने की न्यायपालिका की शक्ति।

129. 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया?
(A) नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग।
(B) अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार।
(C) मौलिक कर्तव्यों का एक भाग।
(D) बिना किसी विधिक आधार वाला एक संवैधानिक अधिकार।

130. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. 73वां संशोधन
2. 42वां संशोधन
3. प्रथम संशोधन
4. 61वां संशोधन।

(A) 3, 2, 4, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 4, 2, 1
(D) 2, 3, 1, 4

131. धार्मिक स्वतंत्रता पर संविधान सभा की बहस के दौरान के.एम. मुंशी जैसे सदस्यों का मुख्य तर्क यह था कि राज्य के पास क्या शक्ति होनी चाहिए?
(A) संपूर्ण भारतीय राज्यक्षेत्र में सभी धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिषेध लगाना।
(B) भारत की संचित निधि का उपयोग करके धार्मिक संस्थानों को वित्तपोषित करना।
(C) समाज कल्याण के हित में धार्मिक प्रथाओं में सुधार करना।
(D) एक केंद्रीय आयोग के माध्यम से धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों की नियुक्ति करना।

132. 'पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान किसमें निहित है?
(A) मौलिक अधिकार
(B) प्रस्तावना
(C) मौलिक कर्तव्य
(D) राज्य के नीति निर्देशक तत्व

133. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है।
कारण (R): ऐसे व्यक्ति को अपनी नियुक्ति के छह माह के भीतर संसद के किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना चाहिए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

134. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है?
(A) लिखित संविधान

(B) आपातकालीन प्रावधान
(C) शक्तियों का विभाजन
(D) स्वतंत्र न्यायपालिका

135. 'जनहित याचिका' की अवधारणा कहाँ से प्रारंभ हुई?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) भारत
(C) ऑस्ट्रेलिया
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका

136. निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है?
(A) लोकसभा अध्यक्ष
(B) राष्ट्रपति
(C) राज्यसभा के सभापति
(D) प्रधानमंत्री

137. 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों को किसके प्रारंभ के लिए जाना जाता है?
(A) प्रांतीय स्वायत्तता
(B) प्रांतों में द्वैध शासन
(C) मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल
(D) एक द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका

138. अपने 'रिट क्षेत्राधिकार' का प्रयोग करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस पक्ष में उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है?
(A) उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक नहीं है; यह एक पक्ष में संकुचित है।
(B) यह अधिकारों की अधिक विस्तृत श्रृंखला के लिए रिट जारी कर सकता है।
(C) यह संपूर्ण भारत में किसी भी प्राधिकारी के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है।
(D) यह सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है।

139. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) संसद
(D) भारत के राष्ट्रपति

140. संवैधानिक अनुसूचियों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) पहली अनुसूची
(Q) आठवीं अनुसूची
(R) दसवीं अनुसूची
(S) बारहवीं अनुसूची।
सूची II
(1) अयोग्यता (दलबदल)
(2) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र
(3) नगर पालिकाएं
(4) भाषाएं।
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

141. संविधान सभा में गोहत्या पर बहस में किन दो दृष्टिकोणों के बीच संघर्ष देखा गया?
(A) आर्थिक उपयोगिता बनाम पशु अधिकार
(B) संघीय शक्ति बनाम राज्य शक्ति
(C) धार्मिक भावना बनाम व्यक्तिगत खान-पान के विकल्प
(D) आधुनिक कृषि बनाम पारंपरिक प्रथाएँ

142. भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कैसी है?
(A) पूर्णतः कठोर
(B) पूर्णतः लचीली
(C) पूर्णतः संसद के विवेक पर
(D) अंशतः कठोर और अंशतः लचीली

143. प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
(A) यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है।
(B) इसे संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था।
(C) यह उस स्रोत को इंगित करती है जिससे संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है।
(D) यह उन उद्देश्यों को निर्दिष्ट करती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है।

144. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, यह किसके अंतर्गत है:
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 32
(C) अनुच्छेद 19
(D) अनुच्छेद 21

145. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी परिस्थिति में सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है।
2. देशीयकरण द्वारा नागरिकता उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो दस वर्षों से भारत में रह रहा हो।
3. भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है जिसने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता प्रदर्शित की हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

146. भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है?
(A) राज्यों का संघ
(B) संघीय राज्य
(C) अर्ध-संघीय राज्य
(D) एकात्मक राज्य

147. निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है?
(A) बैंकिंग
(B) पुलिस
(C) वन
(D) संचार

148. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में कौन सी शक्तियां सम्मिलित हैं?
(A) केवल क्षमा और लघुकरण।
(B) उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उलटना।
(C) केवल सैन्य न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के मामलों में क्षमादान देना।
(D) क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण।

149. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं?
(A) भारत की आकस्मिकता निधि
(B) भारत के लोक खाते
(C) भारत की संचित निधि
(D) सरकार का वार्षिक बजट

150. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहती है?
(A) आपातकाल की समाप्ति के एक वर्ष पश्चात तक।
(B) आपातकाल की समाप्ति के छह माह पश्चात तक।
(C) आपातकाल की समाप्ति के तीन माह पश्चात तक।
(D) अनिश्चित काल के लिए, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त न कर दिया जाए।

151. अनुच्छेद 14 में वाक्यांश 'विधि के समक्ष समानता' ________ मूल का है, जबकि वाक्यांश 'विधियों का समान संरक्षण' ________ मूल का है।
(A) अमेरिकी, ब्रिटिश
(B) फ्रांसीसी, जर्मन
(C) जर्मन, फ्रांसीसी
(D) ब्रिटिश, अमेरिकी

152. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा?
(A) अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार)
(B) अनुच्छेद 31A (संपदाओं के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति)
(C) अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता)
(D) अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियों को बढ़ावा देना)

153. किसी विधेयक को 'धन विधेयक' माना जाता है यदि इसमें किससे संबंधित प्रावधान हों?
(A) दंड संहिता के अंतर्गत किसी आपराधिक अपराध की परिभाषा।
(B) नए राज्य का निर्माण या राज्य की सीमाओं का परिवर्तन।
(C) किसी विशिष्ट कर का अधिरोपण, उत्सादन या विनियमन।
(D) भारतीय राज्यक्षेत्र के भीतर नागरिकता विधियों में संशोधन।

154. राष्ट्रपति का महाभियोग कैसी प्रक्रिया है?
(A) अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया
(B) न्यायिक प्रक्रिया
(C) कार्यपालिका प्रक्रिया
(D) विधायी प्रक्रिया

155. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत में संघ-राज्य विधायी संबंध संघ के पक्ष में झुके हुए हैं।
कारण (R): समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रभावी होती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

156. भारत शासन अधिनियम, 1935 में निहित 'अनुदेशों के साधन' को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सम्मिलित किया गया है?
(A) मौलिक अधिकार
(B) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(C) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
(D) भारत सरकार के कार्यों का संचालन

157. संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति देता है?
(A) अनुच्छेद 225
(B) अनुच्छेद 226
(C) अनुच्छेद 227
(D) अनुच्छेद 228

158. संविधान सभा ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर निर्णय किस प्रकार लिए?

(A) बहुमत से
(B) दो-तिहाई बहुमत से
(C) "एक व्यक्ति, एक मत" की पद्धति से
(D) सर्वसम्मति से

159. संविधान सभा की राजभाषा पर बहसों के संदर्भ में, 'राष्ट्रभाषा' के स्थान पर 'राजभाषा' शब्द को यह दर्शाने के लिए प्राथमिकता दी गई थी कि हिंदी ________ की भाषा थी और आवश्यक रूप से ________ की भाषा नहीं थी।
(A) प्रशासन; राष्ट्र
(B) अभिजात वर्ग; जनता
(C) उत्तर भारत; दक्षिण भारत
(D) संघ; राज्यों

160. रिट के प्रकारों और उन अधिकारियों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए जिनके विरुद्ध वे जारी किए जाते हैं।
सूची I:
(P) बंदी प्रत्यक्षीकरण,
(Q) परमादेश,
(R) उत्प्रेषण,
(S) अधिकार पृच्छा।
सूची II:
(1) एक अधीनस्थ न्यायालय
(2) सार्वजनिक पद हड़पने वाला व्यक्ति
(3) निरुद्ध करने वाला प्राधिकारी
(4) एक सार्वजनिक अधिकारी या निकाय।
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

161. भारत के संविधान का 52वां संशोधन किसके लिए सर्वाधिक जाना जाता है?
(A) गोवा को राज्य का दर्जा देना
(B) दलबदल विरोधी कानून पेश करना
(C) मतदान की आयु घटाकर 18 करना
(D) कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करना

162. वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है?
(A) 11
(B) 9
(C) 10
(D) 12

163. नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए प्रस्ताव केवल किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है?
(A) लोकसभा
(B) दोनों सदनों की संयुक्त समिति
(C) राज्यसभा
(D) भारत के राष्ट्रपति

164. किसी राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है।
2. वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
3. राज्य की कार्यपालिका शक्ति उनमें निहित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

165. राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है?
(A) अनुच्छेद 129
(B) अनुच्छेद 136
(C) अनुच्छेद 143
(D) अनुच्छेद 145

166. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात एक संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो:
(A) अपनी अनुमति दे सकते हैं।
(B) अपनी अनुमति देंगे।
(C) अपनी अनुमति रोक सकते हैं।
(D) विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।

167. संविधान सभा की बहसों के दौरान, गोहत्या पर प्रतिषेध का सर्वाधिक मुखर विरोध उन सदस्यों की ओर से आया जिन्होंने तर्क दिया कि इससे किसका उल्लंघन होगा:
(A) कसाईयों और विभिन्न पशु व्यापारियों के आर्थिक अधिकार।
(B) राज्यों की संघीय शक्तियाँ और प्रशासनिक स्वायत्तता।
(C) एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों और आधार।
(D) गैर-हिंदू समुदायों की खान-पान की आदतें और अधिकार।

168. 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे। यह किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था?
(A) स्वर्ण सिंह समिति
(B) के.एम. मुंशी समिति
(C) जेवीपी समिति
(D) सरकारिया आयोग

169. संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह के अंतराल की अनुमति है?

(A) तीन माह
(B) एक वर्ष
(C) छह माह
(D) चार माह

170. निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं?
(A) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
(B) विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)
(C) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
(D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)

171. बालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 97वां संशोधन अधिनियम
(D) 86वां संशोधन अधिनियम

172. भारत की संसद की विधायी सक्षमता में संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए और किसके लिए विधि बनाना सम्मिलित है?
(A) केवल भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक।
(B) विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति।
(C) केवल भारतीय राज्यक्षेत्रीय सागर।
(D) भारतीय उपमहाद्वीप।

173. 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के विपरीत 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' की अवधारणा को किस वाद के निर्णय के पश्चात भारतीय विधिक प्रणाली में महत्व प्राप्त हुआ?
(A) ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(B) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(C) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
(D) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

174. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
कारण (R): कोई मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, वह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

175. अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में संविधान सभा में ऐतिहासिक बहसों ने निम्नलिखित में से किसे स्वीकार किया?
(A) विलय पत्र की शर्तें।
(B) क्षेत्र की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान।
(C) राज्य की रणनीतिक स्थिति।
(D) क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

176. भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के संदर्भ में 'राज्य' की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्र।
(B) भारतीय संघ की एक घटक इकाई जैसा कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है।
(C) कोई भी स्वशासी प्रशासनिक प्रभाग।
(D) एक विशिष्ट भाषाई पहचान वाला क्षेत्र।

177. भारत के संविधान की प्रस्तावना किसको न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करती है?
(A) सभी व्यक्तियों को
(B) भारत के सभी नागरिकों को
(C) भारत के सभी निवासियों को
(D) सभी व्यक्तियों और निगमित निकायों को

178. भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक निर्णयों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. केशवानंद भारती
2. ए.के. गोपालन
3. मेनका गांधी
4. गोलकनाथ।
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 4, 2, 1, 3

179. स्व-अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात "किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा", किसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है:
(A) अनुच्छेद 22
(B) अनुच्छेद 21
(C) अनुच्छेद 20(3)
(D) अनुच्छेद 19(1)(d)

180. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित हैं?
(A) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का विस्तार।
(B) वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन।
(C) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना।
(D) स्थानीय स्वशासन की स्थापना।

181. किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) राष्ट्रपति
(B) विधानसभा अध्यक्ष
(C) राज्यपाल
(D) विधानसभा में बहुमत दल

182. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य के विषय पर विधि बनाने की संसद की शक्ति किसके अंतर्गत प्रदान की गई है?
(A) अनुच्छेद 249
(B) अनुच्छेद 250
(C) अनुच्छेद 252
(D) अनुच्छेद 253

183. अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है?
(A) संपूर्ण भारतीय संघ की वित्तीय स्थिरता को संकट।
(B) भारत की साख और वित्तीय स्थिति को संकट।
(C) राज्यक्षेत्र के किसी विशिष्ट भाग की स्थिरता को संकट।
(D) राज्य सरकार की अपने वित्त का प्रबंधन करने में विफलता।

184. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश के संविधान से अपनाई गई है?
(A) आयरलैंड
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) यूनाइटेड किंगडम
(D) ऑस्ट्रेलिया

185. संविधान सभा में किसने तर्क दिया था कि नीति निर्देशक तत्वों को विधिक रूप से प्रवर्तनीय बनाए बिना संविधान में सम्मिलित करना "किसी ऐसे बैंक के चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति होने पर ही संभव है"?
(A) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(B) टी.टी. कृष्णमाचारी
(C) के.टी. शाह
(D) जवाहरलाल नेहरू

186. 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या प्रस्तावित किया था?
(A) दुर्बल केंद्र के साथ त्रि-स्तरीय संघीय संरचना।
(B) भारत का दो अधिराज्यों में विभाजन।
(C) संविधान सभा के चुनावों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
(D) एक अंतरिम सरकार को तत्काल सत्ता हस्तांतरण।

187. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की तुलना में विस्तार में ____________ है।
(A) संकुचित
(B) बिल्कुल समान
(C) अधीनस्थ
(D) व्यापक

188. किसी राज्य की विधान परिषद के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं होता है।
(B) भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है।
(C) इसके एक-तिहाई सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
(D) इसके सृजन या उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा प्रस्ताव और संसद द्वारा विधि की आवश्यकता होती है।

189. उच्चतम न्यायालय के 'परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार' का तात्पर्य है कि:
(A) उच्चतम न्यायालय विशिष्ट विधि बनाने पर संसद को सलाह दे सकता है।
(B) उच्चतम न्यायालय प्रक्रियात्मक मामलों पर अधीनस्थ न्यायालयों को सलाह दे सकता है।
(C) राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर न्यायालय की राय मांग सकते हैं।
(D) सभी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री राय मानने के लिए बाध्य हैं।

190. भारतीय संविधान के भागों और उनके विषयों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) भाग IV-A
(Q) भाग IX
(R) भाग IX-A
(S) भाग XVI
सूची II:
(1) नगर पालिकाएं,
(2) पंचायतें
(3) निर्वाचन
(4) मौलिक कर्तव्य।
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

191. भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
(A) यह संरचना में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है।
(B) यह पूर्णतः संघीय है।
(C) यह पूर्णतः एकात्मक है।
(D) यह राज्यों का एक परिसंघ है।

192. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने का अधिकार।
2. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।

3. विधि के समक्ष समानता का अधिकार।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 3

193. 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने किसको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया?

(A) नगर पालिकाओं को
(B) सहकारी समितियों को
(C) निजी शिक्षण संस्थानों को
(D) न्यायाधिकरणों को

194. संविधान सभा में समान नागरिक संहिता पर बहस किसको बढ़ावा देने की इच्छा से दृढ़ता से प्रभावित थी?

(A) राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय
(B) धार्मिक एकरूपता
(C) पाश्चात्य विधिक सिद्धांत
(D) व्यक्तिगत विधियों का उत्सादन

195. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।

अभिकथन (A): लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

कारण (R): अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख और उसका मुख्य प्रवक्ता होता है।

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

196. बड़ी संख्या में 'अध्यादेश' जारी करने की शक्ति किस स्वतंत्रता पूर्व अधिनियम की एक विवादास्पद विशेषता थी, जिस प्रथा को संविधान के निर्माताओं ने सीमित करने का प्रयास किया था?

(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(B) भारत शासन अधिनियम, 1909
(C) भारत शासन अधिनियम, 1919
(D) भारत शासन अधिनियम, 1935

197. मौलिक अधिकारों के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 13(3) में 'विधि' शब्द में सम्मिलित हैं:

(A) अध्यादेश और उप-विधि
(B) नियम और विनियम
(C) उपर्युक्त सभी
(D) विधि का बल रखने वाली अधिसूचनाएं और रुढ़ियां

198. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांत के रूप में वर्गीकृत नहीं है?

(A) सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना।
(B) गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिषेध लगाना।
(C) निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना।
(D) पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करना।

199. राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?

(A) 2
(B) 10
(C) 15
(D) 12

200. वित्तीय मामलों में संघ और राज्यों के बीच संबंध किसमें निर्धारित किए गए हैं?

(A) संविधान के भाग XII में
(B) संविधान के भाग XI में
(C) संविधान के भाग XIII में
(D) संविधान के भाग XIV में

201. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए वैध आधार नहीं है?

(A) युद्ध
(B) बाह्य आक्रमण
(C) आंतरिक अशांति
(D) सशस्त्र विद्रोह

202. संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया था?

(A) 9 दिसंबर 1946
(B) 26 जनवरी 1950
(C) 15 अगस्त 1947
(D) 26 नवंबर 1949

203. संविधान के अंतर्गत किसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है?

(A) भारत के किसी भी नागरिक को, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश द्वारा।
(B) भारत के किसी भी नागरिक को, संसद के एक विशिष्ट अधिनियम के माध्यम से।
(C) जन्म से भारत के नागरिक को, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों।
(D) पंजीकृत या देशीयकृत नागरिक को, कपट या निष्ठाहीनता के कारण।

204. भारतीय संसदीय प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है?

(A) शक्तियों का पृथक्करण
(B) विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच शक्तियों का संलयन

(C) न्यायिक सर्वोच्चता
(D) अध्यक्षीय सरकार

205. 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने किस रूप में वर्णित किया है?
(A) 'संविधान का अंतःकरण'
(B) 'संविधान की आधारशिला'
(C) 'संविधान का हृदय और आत्मा'
(D) 'संविधान का सबसे आवश्यक भाग'

206. निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है?
(A) मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना।
(B) सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करना।
(C) संसद सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करना।
(D) वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाना।

207. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसे संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति को
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश को
(C) प्रधानमंत्री को
(D) संसद को

208. भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है?
(A) राज्यसभा में सीटों का आवंटन
(B) मान्यता प्राप्त राजभाषाओं की सूची
(C) दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान
(D) अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण

209. अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है यदि वह किसमें परिवर्तन करना चाहता है:
(A) मौलिक अधिकार
(B) सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
(C) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(D) नागरिकता प्रावधान

210. संविधान सभा की बहसों के दौरान, गोहत्या निषेध को मौलिक अधिकारों के स्थान पर नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित करने का तर्क किस पर आधारित था?
(A) यह विश्वास कि यह अधिकारों के स्थान पर एक आर्थिक मुद्दा था।
(B) बहस के दोनों पक्षों के मध्य एक राजनीतिक समझौता।
(C) ऐसे अधिकार के लिए संवैधानिक मिसाल का पूर्ण अभाव।
(D) इसे मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने में कथित कठिनाई।

211. मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) उन्हें 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
(B) वे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं।
(C) वे रिट के माध्यम से विधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं।
(D) वे नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों का स्मरण कराने का कार्य करते हैं।

212. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): किसी राज्य के राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित रखने की शक्ति होती है।
कारण (R): राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

213. संघ सूची में वे विषय सम्मिलित हैं जिन पर:
(A) केवल राज्य विधानमंडल विधि बना सकते हैं।
(B) संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं।
(C) केवल संसद विधि बना सकती है।
(D) केवल राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं।

214. रिट 'उत्प्रेषण' किसके लिए जारी की जाती है?
(A) किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना।
(B) एक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करना जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो।
(C) एक अधीनस्थ न्यायालय को मामले की कार्यवाही करने से रोकना।
(D) सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना।

215. लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाई गई थी?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) फ्रांस
(C) भारत
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका

216. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में 'परिसंघ' शब्द का प्रयोग किया गया है।
2. भारतीय संविधान दोहरी शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है।
3. भारत का संविधान देश की सर्वोच्च विधि है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

217. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, संसद का एक अधिनियम है जिसे किसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है:
(A) अनुच्छेद 19(1)(a)
(B) अनुच्छेद 21
(C) अनुच्छेद 21A
(D) अनुच्छेद 45

218. भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
(A) सर बी.एन. राव
(B) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(C) के.एम. मुंशी
(D) टी.टी. कृष्णमाचारी

219. संघ लोक सेवा आयोग की संरचना और इसके सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधान किसके अंतर्गत मिलते हैं:
(A) संविधान के भाग XI में
(B) संविधान के भाग XII में
(C) संविधान के भाग XV में
(D) संविधान के भाग XIV में

220. सरकार के स्वरूपों और उनकी अनिवार्य विशेषताओं के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) अध्यक्षीय,
(Q) संसदीय
(R) संघीय
(S) एकात्मक।
सूची II:
(1) शक्तियों का विभाजन
(2) शक्तियों का केंद्रीकरण
(3) शक्तियों का पृथक्करण
(4) सामूहिक उत्तरदायित्व।
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

221. किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष से अधिक के लिए तभी बढ़ाया जा सकता है जब:
(A) राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी हो।
(B) निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि आम चुनाव नहीं कराए जा सकते।
(C) या तो (A) या (B)।
(D) राज्य विधानमंडल इस आशय का प्रस्ताव पारित करे।

222. न्यायिक समीक्षा की प्रणाली कहाँ अस्तित्व में है?
(A) केवल भारत में
(B) केवल यूनाइटेड किंगडम में
(C) केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में
(D) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में

223. वाक्यांश 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ है:
(A) विधि सक्षम विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारित की गई है।
(B) विधि न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए।
(C) विधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।
(D) कार्यान्वयन से पूर्व विधि को न्यायपालिका द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

224. निम्नलिखित में से कौन सा वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध का आधार नहीं है?
(A) मानहानि
(B) सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना
(C) लोक व्यवस्था
(D) न्यायालय की अवमानना

225. संविधान सभा में धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में बहस का एक मुख्य बिंदु 'प्रचार' खंड था। इसके समावेश का पुरज़ोर समर्थन किसने किया था, यह तर्क देते हुए कि यह ईसाई धर्म के लिए आवश्यक है?
(A) के.एम. मुंशी
(B) एच.सी. मुखर्जी
(C) अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर
(D) सरदार पटेल

226. 26 जनवरी 1950 को भारत की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
(A) एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
(B) एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
(C) एक संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
(D) भारत का एक गणराज्य

227. किसकी उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है?
(A) राष्ट्रपति शासन
(B) वित्तीय आपातकाल
(C) राष्ट्रीय आपातकाल
(D) उपर्युक्त में से कोई भी

228. निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है किंतु राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है?
(A) निगम कर
(B) कृषि आय पर कर
(C) रेलवे किराए और माल ढुलाई पर कर

(D) विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क

229. दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) राष्ट्रपति
(B) उच्चतम न्यायालय
(C) संसद
(D) संबंधित राज्य विधानमंडल

230. संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था?
(A) 26 जनवरी, 1950
(B) 26 नवंबर, 1949
(C) 15 अगस्त, 1947
(D) 9 दिसंबर, 1946

231. 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है?
(A) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता।
(B) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना।
(C) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रारंभ।
(D) वस्तु एवं सेवा कर।

232. निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान्येतर निकाय है?
(A) नीति आयोग
(B) वित्त आयोग
(C) निर्वाचन आयोग
(D) अंतर-राज्य परिषद

233. सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर, उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत एक प्रावधान है:
(A) स्वतंत्रता का अधिकार
(B) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(C) समानता का अधिकार
(D) सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार

234. संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. इसे केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है।
2. इसके लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
3. राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

235. समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा की बहसों से स्पष्ट होता है कि नीति निर्देशक तत्वों में इसे सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या था:
(A) सभा द्वारा इस मुद्दे को स्थायी और अंतिम रूप से टालना।
(B) कार्यान्वयन के किसी वास्तविक आशय के बिना एक प्रतीकात्मक संकेत।
(C) इस उपाय का विरोध करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को दी गई रियायत।
(D) भविष्य की संसदों के लिए उपयुक्त समय पर विधि बनाने का एक निर्देश।

236. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): निवारक निरोध भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो बिना मुकदमे के निरुद्ध रखने की अनुमति देती है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 22 प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है जिनका अनुपालन निवारक निरोध के मामलों में किया जाना चाहिए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

237. संविधान सभा की प्रारुप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी?
(A) पांच
(B) छह
(C) सात
(D) आठ

238. यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा अध्यक्ष
(C) वरिष्ठतम राज्यपाल
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

239. वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्रमशः लगभग कितनी है?
(A) 100, 61, 52
(B) 97, 66, 47
(C) 105, 59, 55
(D) 99, 62, 50

240. संविधान सभा में भूमिकाओं और समर्थकों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) जवाहरलाल नेहरू,

(Q) डॉ. बी.आर. अंबेडकर,
(R) सरदार पटेल,
(S) आर.वी. धुलेकर।
सूची II:
(1) प्रारुप समिति के अध्यक्ष
(2) 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया
(3) हिंदी के प्रबल समर्थक
(4) प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

241. 24वें संविधान संशोधन अधिनियम का क्या महत्व है?
(A) इसने पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया।
(B) इसने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया।
(C) इसने बुनियादी संरचना सिद्धांत की अवधारणा पेश की।
(D) इसने संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी।

242. प्रस्तावना में 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' का विचार कहाँ से लिया गया है?
(A) फ्रांसीसी क्रांति
(B) अमेरिकी क्रांति
(C) रूसी क्रांति
(D) गौरवशाली क्रांति

243. संपत्ति के अधिकार को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था?
(A) इंदिरा गांधी
(B) राजीव गांधी
(C) मोरारजी देसाई
(D) जवाहरलाल नेहरू

244. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे?
(A) के.वी.के. सुंदरम
(B) एस.पी. सेन वर्मा
(C) टी.एन. शेषन
(D) सुकुमार सेन

245. "वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना" एक है:
(A) भाग III के अंतर्गत गारंटीकृत विशिष्ट मौलिक अधिकार।
(B) अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व।
(C) नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों।
(D) अनुच्छेद 51A के अंतर्गत सूचीबद्ध नागरिकों का मौलिक कर्तव्य।

246. 'अविश्वास प्रस्ताव' का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परोक्ष रूप से उल्लेखित है?
(A) अनुच्छेद 75
(B) इसका उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों में है।
(C) अनुच्छेद 78
(D) अनुच्छेद 105

247. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है?
(A) 60 वर्ष
(B) 65 वर्ष
(C) 58 वर्ष
(D) 62 वर्ष

248. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों की चर्चा किसके अंतर्गत की गई है:
(A) अनुच्छेद 268 से 293
(B) अनुच्छेद 264 से 270
(C) अनुच्छेद 272 से 285
(D) अनुच्छेद 294 से 300

249. अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(A) सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
(B) सभी मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित हो जाता है।
(C) अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता है।
(D) मौलिक अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

250. संविधान सभा की बहसों से स्पष्ट होता है कि निर्माताओं ने मुख्य रूप से सरकार की संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया:
(A) इसने विधायिका के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की।
(B) यह वह प्रणाली थी जिससे वे ब्रिटिश शासन के कारण सर्वाधिक परिचित थे।
(C) इसे अध्यक्षीय प्रणाली की तुलना में अधिक स्थिर माना गया था।
(D) विविधतापूर्ण देश में इसे लागू करना सुगम था।

251. 'न्यायालय की अवमानना' का प्रावधान किस मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है?
(A) समानता का अधिकार
(B) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार
(C) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
(D) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार

252. 1991 का 69वां संविधान संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने:
(A) गोवा को राज्य का दर्जा दिया।
(B) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किया।
(C) आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया।

(D) मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी।

253. निम्नलिखित में से किस समिति/आयोग ने केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार किया?
(A) सरकारिया आयोग
(B) पुंछी आयोग
(C) उपर्युक्त सभी
(D) राजमन्नार समिति

254. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): उच्चतम न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।
कारण (R): भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, और इसके साथ असंगत कोई भी विधि शून्य है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

255. उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार किस पर नहीं है?
(A) संविधान-पूर्व किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद।
(B) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।
(C) दो या दो अधिक राज्यों के बीच विवाद।
(D) भारत सरकार और किसी संघ राज्यक्षेत्र के बीच विवाद।

256. भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं:
(A) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
(B) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य।
(C) संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
(D) संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य।

257. संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की रक्षा करता है?
(A) अनुच्छेद 19
(B) अनुच्छेद 21
(C) अनुच्छेद 25
(D) अनुच्छेद 29

258. संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है:
(A) अनुच्छेद 280
(B) अनुच्छेद 270
(C) अनुच्छेद 275
(D) अनुच्छेद 282

259. आपातकालीन शक्तियों पर संविधान सभा की बहसों के दौरान उठाई गई एक प्रमुख चिंता उनके दुरुपयोग की संभावना थी ताकि:
(A) न्यायपालिका के प्राधिकार को निर्बल किया जा सके।
(B) देश के आर्थिक ढांचे को दुर्बल किया जा सके।
(C) राजनीतिक असहमति और विपक्ष का दमन किया जा सके।
(D) राष्ट्रवाद के ऊपर क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके।

260. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है।
2. संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है।
3. संविधान संशोधन विधेयक एक गैर-सरकारी सदस्य विधेयक हो सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

261. भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी:
(A) आठवां संशोधन
(B) नौवां संशोधन
(C) प्रथम संशोधन
(D) बयालीसवां संशोधन

262. 'लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समानता' के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 16
(C) अनुच्छेद 15
(D) अनुच्छेद 17

263. निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 'पवित्र अधिशेष' के रूप में वर्णित किया?
(A) बी.आर. अंबेडकर
(B) आइवर जेनिंग्स
(C) के.सी. ह्वेयर
(D) टी.टी. कृष्णमाचारी

264. मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह:
(A) न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।
(B) न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
(C) संसद द्वारा समीक्षा के अधीन है।
(D) एक विशेष समिति द्वारा समीक्षा के अधीन है।

265. लोकसभा के विघटन की स्थिति में, लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक:
(A) व्यपगत नहीं होता है।

(B) संयुक्त बैठक के लिए भेजा जाता है।
(C) व्यपगत हो जाता है।
(D) नवनिर्मित लोकसभा को वापस भेज दिया जाता है।

266. भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) संसद
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) विधि आयोग

267. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, किसी राज्य में लगाया गया राष्ट्रपति शासन संसदीय अनुमोदन के बिना कितनी अवधि तक वैध रहता है?
(A) एक माह
(B) तीन माह
(C) छह माह
(D) दो माह

268. भारतीय संविधान में संघवाद का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है?
(A) ऑस्ट्रेलिया
(B) कनाडा
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) स्विट्ज़रलैंड

269. भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है?
(A) संसद
(B) राष्ट्रपति
(C) उच्चतम न्यायालय
(D) भारत की जनता

270. संविधान सभा में धर्म की स्वतंत्रता पर बहस ने व्यक्ति के अधिकारों और किसके अधिकारों के बीच तनाव को उजागर किया?
(A) राज्य
(B) बहुसंख्यक
(C) न्यायपालिका
(D) धार्मिक समुदाय या समूह

271. किसने कहा था, "प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली है"?
(A) के.एम. मुंशी
(B) जवाहरलाल नेहरू
(C) बी.आर. अंबेडकर
(D) ठाकुरदास भार्गव

272. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 'अस्पृश्यता' का अंत किया गया है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध किया गया है?
(A) अनुच्छेद 15
(B) अनुच्छेद 17
(C) अनुच्छेद 16
(D) अनुच्छेद 18

273. संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या था:
(A) नागरिकों को राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय बनाना।
(B) अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना।
(C) राष्ट्रविरोधी नागरिकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के लिए आधार प्रदान करना।
(D) राज्य की शक्ति को सुदृढ़ करना।

274. वार्षिक बजट, जिसे संविधान में 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है?
(A) अनुच्छेद 112
(B) अनुच्छेद 110
(C) अनुच्छेद 265
(D) अनुच्छेद 266

275. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है।
कारण (R): संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विधि नहीं बन सकता।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

276. किसी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है:
(A) किसी भी समय जब वह उचित समझे।
(B) केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से।
(C) केवल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर।
(D) केवल तभी जब राज्य विधानसभा सत्र में न हो।

277. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत प्रदान की गई है:
(A) अनुच्छेद 13
(B) अनुच्छेद 226
(C) अनुच्छेद 32
(D) अनुच्छेद 136

278. भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था:

(A) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(B) कैबिनेट मिशन योजना, 1946
(C) भारत शासन अधिनियम, 1935
(D) साइमन कमीशन की अनुशंसाएँ

279. भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
(A) विदेशी से विवाह करने पर नागरिक की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।
(B) सरकार सामान्य विधिक अपराधों के लिए नागरिकता समाप्त कर सकती है।
(C) जन्म से प्राप्त नागरिकता को राज्य द्वारा किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
(D) स्वेच्छा से अन्य नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिक की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।

280. प्रस्तावना के शब्दों और उनके निहितार्थों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I:
(P) संप्रभु
(Q) समाजवादी
(R) पंथनिरपेक्ष
(S) लोकतांत्रिक।
सूची II:
(1) राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है
(2) कोई राजकीय धर्म नहीं
(3) बाह्य नियंत्रण से मुक्त
(4) मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

281. सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था?
(A) 42वां संशोधन
(B) 44वां संशोधन
(C) 97वां संशोधन
(D) 101वां संशोधन

282. भारतीय संघीय व्यवस्था में विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित की गई हैं:
(A) केंद्रीय संसद में
(B) राज्यों में
(C) राष्ट्रपति में
(D) उच्चतम न्यायालय में

283. रिट 'अधिकार पृच्छा' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति की मुक्ति सुनिश्चित करना।
(B) सार्वजनिक प्राधिकारी को उसके विधिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करना।
(C) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करना।
(D) सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हड़पने से रोकना।

284. अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा को संसद द्वारा किस बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए:
(A) साधारण बहुमत।
(B) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का विशेष बहुमत।
(C) सदन की कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत।
(D) सर्वसम्मत मतदान।

285. समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा की बहस संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है?
(A) अनुच्छेद 40
(B) अनुच्छेद 48
(C) अनुच्छेद 44
(D) अनुच्छेद 51

286. किस अधिनियम ने सर्वप्रथम प्रांतों में 'द्वैध शासन' प्रणाली प्रारंभ की?
(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(B) भारत शासन अधिनियम, 1935
(C) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(D) भारत शासन अधिनियम, 1919

287. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?
(A) दोहरी नागरिकता
(B) सरकार का संसदीय स्वरूप
(C) एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा
(D) स्वतंत्र न्यायपालिका

288. निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अंबेडकर ने संविधान के 'हृदय और आत्मा' के रूप में वर्णित किया था?
(A) समानता का अधिकार
(B) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(C) स्वतंत्रता का अधिकार
(D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

289. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सम्मिलित होते हैं:
(A) संसद के सभी सदस्य।
(B) संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
(C) संसद के सभी सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य।
(D) केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य।

290. संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के

लिए वापस भेज सकते हैं।
2. एक संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
3. संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

291. किसी भी राज्य से राज्यक्षेत्र पृथक करके नया राज्य बनाने की संसद की शक्ति किसमें दी गई है:
(A) अनुच्छेद 2
(B) अनुच्छेद 4
(C) अनुच्छेद 3
(D) अनुच्छेद 5

292. संविधान की 'बुनियादी संरचना' के सिद्धांत को सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से किस वाद में व्यक्त किया गया था:
(A) गोलकनाथ वाद
(B) मिनर्वा मिल्स वाद
(C) एस.आर. बोम्मई वाद
(D) केशवानंद भारती वाद

293. निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है?
(A) समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना।
(B) निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना।
(C) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
(D) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना।

294. भारत के महान्यायवादी किसके प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं:
(A) प्रधानमंत्री
(B) राष्ट्रपति
(C) संसद
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

295. अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार में किसका प्रवर्तन सम्मिलित है:
(A) भारतीय संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत मौलिक अधिकार।
(B) संपूर्ण राष्ट्र के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
(C) केंद्रीय संसद द्वारा प्रदत्त विशिष्ट वैधानिक अधिकार।
(D) मौलिक अधिकार और कोई अन्य विधिक अधिकार।

296. संघीय ढांचा अपनाने के संविधान सभा के निर्णय पर किसका प्रभाव था:
(A) भारत का विशाल आकार और विविधता।
(B) ब्रिटिश संसदीय मॉडल।
(C) अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली।
(D) सुदृढ़ केंद्र सरकार की आवश्यकता।

297. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन—अभिकथन (A) और कारण (R) सम्मिलित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत में सरकार का संसदीय स्वरुप है।
कारण (R): मंत्रिपरिषद सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

298. जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी हो, तो लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है:
(A) एक बार में एक वर्ष।
(B) एक बार में छह माह।
(C) एक बार में दो वर्ष।
(D) आपातकाल हटने तक अनिश्चित काल के लिए।

299. 'न्यायिक समीक्षा' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) कनाडा
(C) ऑस्ट्रेलिया
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका

300. संविधान सभा में 'राजभाषा' पर बहस को अंततः एक समझौते के माध्यम से सुलझाया गया जिसे किस नाम से जाना जाता है:
(A) नेहरु फॉर्मूला
(B) मुंशी-अय्यंगार फॉर्मूला
(C) पटेल फॉर्मूला
(D) अंबेडकर फॉर्मूला

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) गणतंत्र
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'गणतंत्र' शब्द दर्शाता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं, बल्कि निर्वाचित होगा। इसका अर्थ है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी व्यक्ति के बजाय जनता में निहित है। देश का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यह सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति और सार्वजनिक कार्यालयों के सबके लिए खुले होने का प्रतीक है।

2. (A) संसद
अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। संविधान केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 को नागरिक बने थे। भविष्य में नागरिकता के अर्जन, समाप्ति और संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय संसद के पास है। इसी शक्ति के प्रयोग से नागरिकता अधिनियम 1955 निर्मित हुआ।

3. (C) यह पूर्णतः कठोर और अपरिवर्तनीय दस्तावेज़ है।
भारतीय संविधान न तो पूर्णतः कठोर है और न ही लचीला, बल्कि यह दोनों का समन्वय है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया इसे समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील बनाती है। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से, जबकि कुछ विशेष बहुमत से बदले जाते हैं। इसे एक जीवंत दस्तावेज़ माना जाता है जो राष्ट्र की प्रगति के साथ निरंतर विकसित होता रहता है।

4. (D) आयरलैंड
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थान दिया गया है। ये शासन के वे मौलिक निर्देश हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इनका मुख्य लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखना है जहाँ नागरिकों के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हों।

5. (C) संपत्ति का अधिकार
संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में अनुच्छेद 19 और 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में यह भाग 12 के अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत केवल एक विधिक अधिकार के रूप में सुरक्षित है। अब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।

6. (B) अनुच्छेद 51A
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का विवरण भाग 4-A के अनुच्छेद 51-A में मिलता है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, जिसे 2002 के 86वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति नैतिक उत्तरदायित्वों का बोध कराते हैं और अनुशासित नागरिक समाज बनाने में सहायक हैं।

7. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जहाँ वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ निर्वाचित मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। इस प्रकार कारण, अभिकथन की तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करता है।

8. (A) अनुच्छेद 123
अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को उस समय अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति देता है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में न हो। यह शक्ति तब प्रयुक्त होती है जब तत्काल कार्रवाई अनिवार्य हो। इन अध्यादेशों का प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान होता है। संसद का सत्र पुनः प्रारंभ होने के छह सप्ताह के भीतर इनका सदन द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है।

9. (C) उत्प्रेषण
उत्प्रेषण रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसका उपयोग तब होता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इस रिट से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के दोषपूर्ण आदेश को रद्द कर देता है। यह न्यायिक त्रुटियों को सुधारने का प्रभावी संवैधानिक माध्यम है।

10. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
भारतीय संविधान के प्रावधान विभिन्न वैश्विक स्रोतों से प्रेरित हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय स्वरूप ब्रिटिश परंपरा से और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। संघीय ढांचा और प्रशासनिक विवरण मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए हैं। इन सभी का मिश्रण भारतीय संविधान को एक विस्तृत, संतुलित और आधुनिक विधिक दस्तावेज़ बनाता है।

11. (D) आर.वी. धुलेकर
संविधान सभा में आर.वी. धुलेकर ने देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषाई एकता का प्रतीक माना। सभा में गहन विमर्श के पश्चात मुंशी-अय्यंगार सूत्र

अपनाया गया। इसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, जबकि अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए आधिकारिक कार्यों हेतु जारी रखने का निर्णय लिया गया।

12. (B) संयुक्त राज्य अमेरिका
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। भारत की प्रस्तावना पर जवाहरलाल नेहरु द्वारा प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' का गहरा प्रभाव है। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों, दर्शन और मौलिक मूल्यों को संक्षिप्त रुप में व्यक्त करती है। यह संविधान के लक्ष्यों और अधिकार के स्रोत को स्पष्ट करती है। यह भारतीय लोकतंत्र के मूल आधारों को परिभाषित करने वाला प्रवेश द्वार है।

13. (B) केवल 2 और 3
मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं; राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में इन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये अधिकार न्यायोचित हैं, जिससे इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे न्यायालय जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है। यह व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्र की संप्रभुता में संतुलन बनाती है।

14. (D) अनुच्छेद 249
अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह शक्ति देता है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने हेतु अधिकृत करे। यह प्रावधान भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करता है। ऐसी विधि एक वर्ष तक प्रभावी रहती है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर देशव्यापी कानून बनाने में सहायक है।

15. (A) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। ये तत्व एक वास्तविक कल्याणकारी राज्य के निर्माण के लिए आवश्यक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समाज के निर्बल वर्गों के उत्थान और संसाधनों के समान वितरण पर बल देते हैं। ये सामाजिक न्याय के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

16. (B) लोकसभा
धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य है। अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित इन विधेयकों पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और सुझाव दे सकती है। अंतिम निर्णय लोकसभा पर निर्भर है कि वह सुझाव माने या न माने। यह व्यवस्था विधायी प्रक्रिया में वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

17. (B) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
समान नागरिक संहिता का प्रावधान भाग 4 के अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल है। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह समस्त भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करे। इसका उद्देश्य विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाना है। चूंकि यह निर्देशक तत्व है, अतः यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

18. (A) 2, 1, 3, 4
भारतीय संविधान निर्माण का ऐतिहासिक क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरु ने 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई। अंततः 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर अंतिम हस्ताक्षर किए। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक सुदृढ़ता को दर्शाती है।

19. (C) किसी विदेशी राष्ट्र में सार्वजनिक पद धारण करना
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्ति के तीन तरीके हैं: स्वैच्छिक त्याग, पर्यवसान और वंचन। यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। केंद्र सरकार कपट या निष्ठाहीनता के आधार पर नागरिकता से वंचित कर सकती है। विदेशी राष्ट्र में पद धारण करना स्वतः नागरिकता समाप्ति का आधार नहीं है जब तक नागरिकता न ली जाए।

20. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। शक्तियों के विभाजन के बावजूद केंद्र के पास राज्यपालों की नियुक्ति और आपातकालीन प्रावधान जैसी शक्तियाँ हैं। यह संरचना राष्ट्रीय अखंडता के लिए केंद्र को सुदृढ़ स्थिति प्रदान करती है। अभिकथन सही है और कारण स्पष्ट करता है कि एकात्मक लक्षण किस प्रकार संघीय ढांचे को संतुलित और प्रभावित करते हैं।

21. (C) मूल क्षेत्राधिकार
केंद्र और राज्यों या विभिन्न राज्यों के बीच विधिक विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में है। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत यह एक विशिष्ट शक्ति है, जिसका अर्थ है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रारंभ होती है। यह प्रावधान भारतीय संघीय ढांचे की स्थिरता और संवैधानिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायपालिका को उत्तरदायी बनाता है।

22. (B) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द का उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक असमानता मिटाना है। पंथनिरपेक्ष शब्द स्पष्ट करता है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। अखंडता शब्द राष्ट्र की एकता को भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर सुदृढ़ करने के लिए सम्मिलित किया गया।

23. (D) वे नागरिकों पर गैर-न्यायोचित नैतिक दायित्व हैं।
मौलिक कर्तव्य नागरिकों के नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व हैं जिनका पालन राष्ट्र की प्रगति हेतु आवश्यक है। ये कर्तव्य गैर-न्यायोचित हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधे न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता, जब तक विशिष्ट कानून न हो। ये कर्तव्य अधिकारों के साथ उत्तरदायित्वों के जुड़ाव को रेखांकित करते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति और साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान जागृत करना है।

24. (A) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति का मुख्य कार्य नए संविधान का मसौदा तैयार करना था। डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रावधान निर्मित किए। उन्हें 'भारतीय संविधान का जनक' माना जाता है क्योंकि उन्होंने संवैधानिक सिद्धांतों के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई।

25. (C) एक माह
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात इसे एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि संसद विशेष बहुमत से इसका अनुमोदन नहीं करती, तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है। 44वें संशोधन द्वारा यह अवधि दो माह से घटाकर एक माह की गई ताकि दुरुपयोग रोका जा सके। एक बार अनुमोदित होने पर यह छह माह तक जारी रहता है।

26. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
संविधान के विभिन्न अनुच्छेद नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता स्थापित करता है। अनुच्छेद 17 सामाजिक न्याय हेतु अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 21-A को 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिसे डॉ. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था क्योंकि यह अधिकारों का वास्तविक संरक्षण करता है।

27. (D) जापान का संविधान
भारतीय संविधान में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अवधारणा जापान के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि कार्यकारी कार्रवाई को विधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। न्यायिक व्याख्याओं ने इसमें न्यायसंगतता और तार्किकता के तत्वों को भी सम्मिलित किया है।

28. (B) धर्म की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति।
संविधान सभा में धार्मिक स्वतंत्रता पर हुई बहस में धर्म से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने की राज्य की शक्ति पर चर्चा हुई। सभा का उद्देश्य ऐसा संतुलन बनाना था जहाँ धर्म पालन स्वतंत्र हो, परंतु सामाजिक सुधार हेतु राज्य को हस्तक्षेप का अधिकार मिले। यह सुनिश्चित किया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता सामाजिक प्रगति या राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष संरचना के मार्ग में बाधक न बने।

29. (D) 1, 2 और 3
संघ की कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद शामिल होती है। इसके साथ ही भारत के महान्यायवादी भी इसका हिस्सा माने जाते हैं क्योंकि वे सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं, इसलिए सभी कथन सही हैं।

30. (D) अनुच्छेद 368
अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान राष्ट्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित हो सके। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, संसद इस शक्ति से संविधान की 'बुनियादी संरचना' को नष्ट नहीं कर सकती। संशोधन के लिए विशेष बहुमत और कुछ मामलों में आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, जो इसकी गंभीरता दर्शाती है।

31. (A) स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
अनुच्छेद 9 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत एकल नागरिकता के सिद्धांत का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक समय में दो देशों का नागरिक नहीं रह सकता। यह प्रावधान राष्ट्रीय निष्ठा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है। नागरिकता परित्याग के पश्चात व्यक्ति समस्त नागरिक अधिकारों से वंचित हो जाता है।

32. (B) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
उच्चतम न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती वाद में 'बुनियादी संरचना' के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यायालय के अनुसार, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु इसकी मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकती। इसमें लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और शक्तियों का पृथक्करण जैसे तत्व सम्मिलित हैं। यह सिद्धांत संसद की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगाता है और संविधान की सर्वोच्चता तथा गरिमा को सुरक्षित रखता है।

33. (B) ग्राम पंचायतों का गठन करना।
अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत है जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। महात्मा गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित किए गए, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। यह लोकतंत्र की जड़ों को सुदृढ़ करने

और ग्रामीण स्वशासन को प्रभावी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम था।

34. (A) केवल राज्यसभा में
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि वे इसके पदेन सभापति होते हैं। प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए और फिर लोकसभा की सहमति अनिवार्य है। इस प्रक्रिया से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यह व्यवस्था उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा और विधायी उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु की गई है।

35. (C) 'हम आदेश देते हैं'
परमादेश का अर्थ 'हम आदेश देते हैं' है। यह न्यायिक रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी या सरकार को जारी की जाती है। इसका उद्देश्य अधिकारी को उसके विधिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु बाध्य करना है। यह रिट तब जारी नहीं होती जब कर्तव्य विवेकाधीन हो या वह निजी व्यक्ति के विरुद्ध हो। यह प्रशासनिक जवाबदेही और कानून का शासन सुनिश्चित करने का माध्यम है।

36. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, अर्थात इनके कार्यान्वयन हेतु विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि, ये सिद्धांत शासन में मूलभूत माने गए हैं और राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इनका ध्यान रखे। अभिकथन और कारण तथ्यात्मक रूप से सही हैं, परंतु कारण यह स्पष्ट नहीं करता कि वे अप्रवर्तनीय क्यों हैं। ये तत्व सामाजिक-आर्थिक न्याय के लक्ष्यों पर आधारित हैं।

37. (C) चौथी अनुसूची
चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जाता है, जो संघीय व्यवस्था के प्रतिनिधि स्वरूप को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बड़े राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व मिले और छोटे क्षेत्रों की आवाज़ भी सुनी जाए। नए राज्यों के गठन पर इस अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

38. (B) आर्थिक उपयोगिता और कृषि सुधार।
संविधान सभा में गोहत्या निषेध पर हुई बहस में इसे आर्थिक उपयोगिता के रूप में प्रस्तुत किया गया। तर्क दिया गया कि मवेशी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य हैं। अतः अनुच्छेद 48 के अंतर्गत इसे नीति निर्देशक तत्वों में स्थान मिला। यह प्रावधान आधुनिक वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन पर बल देने के साथ-साथ दुधारू पशुओं के संरक्षण और नस्ल सुधार का निर्देश देता है।

39. (D) केवल साधारण विधेयक
संसद के सदनों में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यह प्रावधान केवल साधारण विधेयकों पर लागू होता है। धन विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है, अतः संयुक्त बैठक में सामान्यतः लोकसभा का पक्ष ही प्रभावी और निर्णायक रहता है।

40. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
संविधान निर्माण हेतु गठित समितियों के नेतृत्व में विभिन्न नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु थे। सरदार पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, जो सभा की कार्यप्रणाली देखते थे। जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप-समिति के अध्यक्ष थे। इन समितियों के समन्वित प्रयासों से ही संविधान का विस्तृत और व्यापक प्रारूप तैयार हुआ।

41. (C) कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण
भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच पूर्ण पृथक्करण नहीं, बल्कि निकट समन्वय होता है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण अध्यक्षीय प्रणाली (जैसे अमेरिका) में पाया जाता है। भारत में न्यायपालिका को अन्य अंगों से स्वतंत्र रखकर लोकतांत्रिक संतुलन बनाया गया है।

42. (D) 1, 2 और 3
महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस पद हेतु उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता आवश्यक है। उसे संसद के सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का नहीं। वह भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है।

43. (D) अनुच्छेद 141
अनुच्छेद 141 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून समस्त भारत के न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। यह प्रावधान न्यायिक एकरूपता और कानून की निश्चितता सुनिश्चित करता है। अधीनस्थ न्यायालयों को इन निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। यह भारतीय विधिक प्रणाली में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को देश की सर्वोच्च कानूनी संस्था और संविधान का अंतिम व्याख्याकार बनाती है।

44. (B) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसने प्रांतों में 'द्वैध शासन' और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। इसके माध्यम से भारत में

उत्तरदायी सरकार की दिशा में प्रथम औपचारिक कदम उठाया गया। हालांकि, भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसे अपर्याप्त माना क्योंकि वास्तविक सत्ता अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के पास थी। यह अधिनियम भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुआ।

45. (C) संसद
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। इसके लिए राज्य विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं है, यद्यपि राष्ट्रपति विचार मांगते हैं। संसद साधारण बहुमत से यह प्रक्रिया पूर्ण कर सकती है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को प्रशासनिक आवश्यकताओं और भाषाई आधार पर आंतरिक मानचित्र को पुनर्गठित करने की सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है।

46. (A) 1, 4, 3, 2
भारतीय संविधान के भाग तार्किक क्रम में व्यवस्थित हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्यक्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता का विवरण देता है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 4-A में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। यह संरचना राष्ट्र के भौगोलिक विस्तार से प्रारंभ होकर नागरिकों के अधिकारों और नैतिक उत्तरदायित्वों की ओर बढ़ती है।

47. (A) व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
प्रस्तावना में 'बंधुत्व' का अर्थ भाईचारे की उस भावना से है जो सभी भारतीयों में साझा पहचान विकसित करे। इसका उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा का सम्मान और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित रखना है। यह शब्द समाज की विभाजनकारी प्रवृत्तियों को दूर कर समावेशी राष्ट्र निर्माण पर बल देता है। 42वें संशोधन द्वारा इसमें 'अखंडता' शब्द जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय एकता अनिवार्य है।

48. (B) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार
44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 अपराधों हेतु दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, जिसमें दोहरे दंड से मुक्ति शामिल है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संकट के समय भी राज्य किसी व्यक्ति के जीवन और मौलिक विधिक सुरक्षा के साथ मनमानी नहीं कर सकता। अन्य अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

49. (B) 25 वर्ष
लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ पूर्ण करनी चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। आयु की यह सीमा सुनिश्चित करती है कि विधायी प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्तियों के पास पर्याप्त परिपक्वता हो। यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए एक मूलभूत योग्यता मापदंड है जो शासन में अनुभव को महत्व देता है।

50. (A) राज्य सूची
सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों के पास है। यह संघीय ढांचे के अंतर्गत राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। सामान्य समय में राज्यों को अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यह विकेंद्रीकृत शासन और सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने का आधार है।

51. (C) दो माह
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि साधारण बहुमत से अनुमोदन नहीं होता, तो घोषणा निष्प्रभावी हो जाती है। एक बार अनुमोदित होने पर यह तब तक जारी रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे वापस न लें। इसके लिए बार-बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है।

52. (D) जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव ने संविधान निर्माण हेतु न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक सिद्धांतों का खाका तैयार किया। इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसने स्पष्ट किया कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा जहाँ शक्ति का अंतिम स्रोत देश की जनता होगी।

53. (C) राज्य में कुशासन या भ्रष्टाचार।
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाना संभव न हो। केवल कुशासन या भ्रष्टाचार इसका संवैधानिक आधार नहीं है, जैसा उच्चतम न्यायालय ने एस.आर. बोम्मई वाद में स्पष्ट किया। संवैधानिक तंत्र की विफलता ही इसका वैध आधार है। यह शक्ति संघीय संतुलन बनाए रखने हेतु अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग की जानी चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से।

54. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एक 'अभिलेख न्यायालय' है। इसकी कार्यवाहियाँ और निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और भविष्य में मिसालों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसके पास अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की विशेष शक्ति है। यह न्यायालय की गरिमा और आदेशों की प्रभावशीलता हेतु आवश्यक है। कारण, अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह अभिलेख न्यायालय के लक्षणों को स्पष्ट करता है।

55. (D) धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ)।
समान नागरिक संहिता पर बहस के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के साथ टकराव सबसे जटिल मुद्दा था। अल्पसंख्यकों ने तर्क दिया कि विवाह और उत्तराधिकार जैसे निजी मामले उनके धार्मिक विश्वास का अंग हैं। दूसरी ओर, समर्थकों ने राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता हेतु एक समान कानून पर बल दिया। इस विवाद के कारण ही इसे मौलिक अधिकार के बजाय नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया।

56. (A) 42वां संशोधन अधिनियम
मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भाग 4-A और अनुच्छेद 51-A जोड़े गए। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिसने अधिकारों के साथ उत्तरदायित्वों के ज्ञान पर बल दिया। यह भारतीय संविधान की संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों को स्थापित किया। इनका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति नागरिकों में नैतिक चेतना जागृत करना है।

57. (C) नीति आयोग
नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। इसकी स्थापना 2015 में सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग के स्थान पर की गई। यह एक 'थिंक-टैंक' के रूप में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं जिनकी संरचना और शक्तियों का स्पष्ट विवरण संविधान में दिया गया है।

58. (A) भाग XI
संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों का विवरण है। यह स्पष्ट करता है कि संसद संपूर्ण भारत हेतु और राज्य विधानमंडल अपने क्षेत्र हेतु कानून बना सकते हैं। यह शक्तियों के वितरण की योजना को परिभाषित करता है, जहाँ संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के माध्यम से विधायी क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है। यह संघीय संरचना में शक्तियों को संतुलित करता है।

59. (D) सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करना
अधिकार पृच्छा रिट का उपयोग यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रुप से आसीन न हो। न्यायालय संबंधित व्यक्ति से पूछता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण कर रहा है। यदि दावा अवैध पाया जाता है, तो उसे पद छोड़ने का आदेश दिया जाता है। यह रिट केवल स्थायी प्रकृति के सार्वजनिक कार्यालयों के लिए है, निजी पदों के लिए नहीं।

60. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
संविधान संशोधनों ने भारतीय राज्यव्यवस्था को प्रभावित किया है। प्रथम संशोधन ने नौवीं अनुसूची जोड़ी। 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया। 61वें संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देकर ग्रामीण स्वशासन सुदृढ़ किया। ये सभी संशोधन राष्ट्र के लोकतांत्रिक विकास के महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं जो सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं।

61. (C) भाग II, अनुच्छेद 5-11
संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान हैं। ये अनुच्छेद मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 को नागरिकता प्राप्त करने की परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं। इसमें विभाजन के समय पाकिस्तान से आने वाले लोगों और विदेश में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों का ध्यान रखा गया है। अनुच्छेद 11 संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है।

62. (A) केवल 1 and 3
भारतीय संविधान केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और एक स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है। यह व्यवस्था पूरे देश के लिए कानून की समान व्याख्या सुनिश्चित करती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां राज्य विधानमंडलों के बजाय केंद्रीय संसद में निहित हैं, जो इसे एकात्मक झुकाव वाला संघीय राज्य बनाता है। यह संरचना राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और विशेष परिस्थितियों में केंद्र को त्वरित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।

63. (A) उपर्युक्त सभी।
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' शब्द को व्यापक रुप से परिभाषित किया गया है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें और वैधानिक निकाय जैसे एलआईसी और ओएनजीसी भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। यह विस्तृत परिभाषा सुनिश्चित करती है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से हो सके।

64. (B) समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39-A को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह सुनिश्चित करे कि आर्थिक अक्षमता के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे। इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध करना राज्य का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। यह सामाजिक न्याय के आदर्श को विधिक धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और मानवीय कदम है।

65. (B) संसद के किसी भी सदन द्वारा
अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 'संविधान के अतिक्रमण' के आधार पर चलाई जाती है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। इसके लिए एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। इसे दोनों सदनों द्वारा अलग-

अलग विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जो सर्वोच्च पद की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

66. (A) विधानसभा
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद तब तक ही पद पर रहती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का मूल आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका हमेशा जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहे और उनकी इच्छा का सम्मान करे।

67. (C) अनुच्छेद 361
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके पद की शक्तियों के प्रयोग हेतु किए गए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से संरक्षण देता है। कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। नागरिक कार्यवाही हेतु दो महीने पूर्व सूचना अनिवार्य है। यह व्यवस्था संवैधानिक प्रमुखों को बिना किसी दबाव के गरिमामय दायित्वों के निर्वहन हेतु दी गई है।

68. (D) गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों से तीव्र विरोध।
संविधान सभा में हिंदी को तत्काल राजभाषा बनाने का विरोध मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों से हुआ। प्रतिनिधियों को भय था कि हिंदी का प्रभुत्व उनकी क्षेत्रीय भाषाओं और रोजगार को प्रभावित करेगा। इस गतिरोध को दूर करने के लिए मुंशी-अय्यंगार सूत्र लाया गया। इसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने और अंग्रेजी को अंतरिम रूप से जारी रखने का मार्ग प्रशस्त किया। यह निर्णय राष्ट्रीय एकता हेतु एक आवश्यक समझौता था।

69. (C) राष्ट्रपति
पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से इन क्षेत्रों की सीमाओं को बदल सकते हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन विशेष सुरक्षा उपायों के अधीन होता है ताकि जनजातीय आबादी की विशिष्ट संस्कृति और हितों की रक्षा हो सके। यह प्रावधान केंद्र सरकार को पिछड़े क्षेत्रों के विकास और संरक्षण हेतु प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान करता है।

70. (B) इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
1927 में नियुक्त साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि इसके सभी सात सदस्य ब्रिटिश थे। भारतीयों का मानना था कि उनके देश के संवैधानिक भविष्य का निर्णय लेने हेतु आयोग में उनका प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। "साइमन वापस जाओ" के नारों के साथ देशव्यापी विरोध हुआ। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक संगठित किया और नेहरु रिपोर्ट जैसी वैकल्पिक संवैधानिक मांगों का आधार तैयार किया।

71. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। हालांकि, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है क्योंकि संविधान में 'प्रेस' शब्द का प्रयोग इस विशिष्ट अनुच्छेद में नहीं हुआ है। अतः विकल्प C सही उत्तर है।

72. (A) 550
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या अब 550 है। पूर्व में यह 552 थी, जिसमें दो सदस्य आंग्ल-भारतीय समुदाय से मनोनीत होते थे। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा मनोनयन के इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। यह संख्या विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर उचित जन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आधार है।

73. (C) राष्ट्रपति
भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार में है। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करना है जिनके लिए संसद की तत्काल अनुमति संभव न हो। राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव इसका प्रबंधन करते हैं। इस निधि से किए गए व्यय को बाद में संसद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। यह व्यवस्था संकट के समय प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाने में सहायक है।

74. (A) उच्चतम न्यायालय
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय करने की अंतिम शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 71 के अनुसार, न्यायालय का निर्णय इस विषय में अंतिम होता है। यदि न्यायालय किसी निर्वाचन को शून्य घोषित करता है, तो भी उस व्यक्ति द्वारा पद पर रहते हुए किए गए पूर्व कार्य वैध रहते हैं। यह प्रावधान चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और गरिमा बनाए रखने हेतु सर्वोच्च अधिकार देता है।

75. (A) 2, 4, 3, 1
रिटों का क्रम अधिकारों की रक्षा की दिशा में तार्किक रूप से बढ़ता है। 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' अवैध हिरासत से मुक्ति हेतु है। 'परमादेश' अधिकारी को विधिक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। 'प्रतिषेध' अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। 'उत्प्रेषण' के माध्यम से निचले न्यायालय के अवैध आदेश को पूर्णतः रद्द किया जाता है। ये सभी रिट नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करती हैं।

76. (B) अनुच्छेद 312: प्रशासनिक न्यायाधिकरण
अनुच्छेद 312 का संबंध 'अखिल भारतीय सेवाओं' के सृजन से है। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का प्रावधान 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323-A में जोड़ा गया था। अन्य युग्म सही हैं: अनुच्छेद 280 वित्त आयोग हेतु, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग हेतु और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हेतु है। संवैधानिक अनुच्छेदों का सही मिलान प्रशासनिक व्यवस्था की समझ के लिए अनिवार्य है।

77. (C) 42वां संशोधन
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 के 42वें संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है। इसके माध्यम से 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए। यह संशोधन संवैधानिक लक्ष्यों को अधिक स्पष्ट और समावेशी बनाने हेतु किया गया। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें बुनियादी संरचना को प्रभावित किए बिना संशोधन संभव है।

78. (D) राष्ट्रीय सुरक्षा
अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही, सामाजिक कल्याण और सुधार हेतु भी धार्मिक प्रथाओं को विनियमित किया जा सकता है। 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता प्रतिबंधित करने के विशिष्ट आधार के रूप में नहीं है। यह व्यक्तिगत विश्वास और सार्वजनिक नैतिकता में संतुलन बनाता है।

79. (A) मौलिक कर्तव्य
स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पर विचार हेतु किया गया। समिति ने तर्क दिया कि नागरिकों को अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए। इसी की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा भाग 4-A और दस मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यद्यपि समिति ने उल्लंघन पर दंड का सुझाव दिया था, परंतु संसद ने उसे स्वीकार नहीं किया। ये कर्तव्य राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करते हैं।

80. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
संविधान में संकटकालीन स्थितियों हेतु विशिष्ट अनुच्छेद निर्धारित हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होती है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय स्थिरता संकट में होने पर अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। संविधान संशोधन की संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 में निहित है। ये अनुच्छेद शासन प्रणाली को संकट में निर्देशित करते हैं।

81. (B) संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
अनुच्छेद 159 के अनुसार, राज्यपाल को पद ग्रहण से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु शपथ प्रक्रिया स्थानीय न्यायिक प्रमुख द्वारा संपन्न होती है। यह संवैधानिक परंपरा राज्य के कार्यकारी प्रमुख की संविधान के प्रति निष्ठा को सुदृढ़ करती है। शपथ में राज्यपाल संविधान के संरक्षण और लोक कल्याण का संकल्प लेते हैं, जो उनके उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

82. (A) सातवीं अनुसूची
सातवीं अनुसूची भारतीय संघवाद का आधार है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह व्यवस्था अधिकार क्षेत्र के विवादों को कम करने और प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने हेतु की गई है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं। यह संविधान की संघीय प्रकृति को सुदृढ़ करती है और शासन के विभिन्न स्तरों में तालमेल बनाती है।

83. (C) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा
भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) दोनों के पास है। वे कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकते हैं। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान के रक्षक के रूप में स्थापित करती है और शासन के अंगों पर नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

84. (D) इसे वांछनीय माना गया था किंतु इसे लागू करने के लिए समय उपयुक्त नहीं था।
संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय एकता हेतु महत्वपूर्ण माना गया। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और विभाजन के तनाव के कारण इसे तत्काल अनिवार्य बनाना उचित नहीं समझा गया। अतः इसे भविष्य के लक्ष्य के रूप में अनुच्छेद 44 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया। उद्देश्य यह था कि जब राष्ट्र में उपयुक्त वातावरण और आम सहमति तैयार हो, तब संसद इसे प्रभावी रूप से लागू करे।

85. (A) केवल 1 and 3
भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि नागरिक केवल भारत के नागरिक हैं। नागरिकता नियमों हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। जन्म से नागरिकता प्राप्त करने हेतु केवल भारत में जन्म लेना पर्याप्त नहीं है; 1987 और 2004 के संशोधनों के बाद माता-पिता की नागरिकता की शर्तें अनिवार्य की गई हैं। अतः केवल भारत में जन्म लेना ही नागरिकता की पूर्ण गारंटी नहीं है।

86. (B) एकल नागरिकता
एकल नागरिकता संघीय संविधान की अनिवार्य विशेषता नहीं, बल्कि एकात्मक लक्षण है। पूर्ण संघीय देशों में अक्सर दोहरी नागरिकता होती है। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता संघीय प्रणाली के मूल आधार हैं। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु संघीय ढांचा होते

हुए भी एकल नागरिकता को अपनाया। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक एक ही देश के प्रति अटूट निष्ठा रखें।

87. (D) अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो घोषित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा। न्यायालय ने इसकी व्यापक व्याख्या की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और निजता का अधिकार सम्मिलित है। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। यह राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्ति की मौलिक सुरक्षा का सुदृढ़ आधार स्तंभ है।

88. (A) भारत के उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, वह स्वतः राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। सभापति के रूप में उन्हें मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु मत बराबर होने पर वे निर्णायक मत दे सकते हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। यह पद विधायी व्यवस्था में निरंतरता सुनिश्चित करता है।

89. (C) भाग XVII
संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की राजभाषा और न्यायपालिका की भाषा से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343 स्पष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसमें प्रशासनिक कार्यों हेतु अंग्रेजी के प्रयोग की भी व्यवस्था की गई थी। यह भाग क्षेत्रीय भाषाओं के विकास और संचार हेतु निर्देशों का भी उल्लेख करता है। यह भाषाई विविधता और प्रशासनिक आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करता है।

90. (A) एक संघीय न्यायालय की स्थापना
भारत शासन अधिनियम 1935 ने दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। इसका मुख्य कार्य केंद्र और प्रांतों के विवादों का निपटारा करना था। यही न्यायालय बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय का आधार बना। अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में स्वायत्तता की भी शुरुआत की। यह वर्तमान संविधान के अधिकांश प्रशासनिक ढांचे का मुख्य स्रोत है और भारतीय विधिक इतिहास का मील का पत्थर है।

91. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पूर्व में राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल लगा सकते थे। इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की 'लिखित' अनुशंसा पर ही आपातकाल घोषित करेंगे। यह प्रावधान निर्णय प्रक्रिया में सामूहिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। कारण स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत सत्ता के दुरुपयोग को रोकने हेतु यह विधिक सुरक्षा अनिवार्य है।

92. (B) किसी व्यक्ति को अवैध निरोध से मुक्त करने के उद्देश्य से।
बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ 'शरीर को प्रस्तुत करना' है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने समक्ष पेश करने का आदेश देता है। यदि निरोध का विधिक आधार नहीं मिलता, तो न्यायालय व्यक्ति को तत्काल मुक्त कर देता है। यह रिट अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी हो सकती है। यह मनमानी गिरफ्तारी को रोकता है।

93. (C) कुछ अधिनियमों और विनियमों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाने के लिए।
नौवीं अनुसूची को 1951 के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चुनौतियों से सुरक्षा प्रदान करना था। इसमें शामिल कानूनों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता था कि वे संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। हालांकि, आई.आर. कोएल्हो वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1973 के बाद के कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

94. (D) सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग।
गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जो सदन की कार्यवाही संचालित करने हेतु अनिवार्य है। अनुच्छेद 100 के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा हेतु गणपूर्ति सदन की कुल संख्या का दसवां भाग है। इसमें पीठासीन अधिकारी भी सम्मिलित होता है। यदि सदन में इस संख्या से कम सदस्य हों, तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सदन स्थगित कर दे। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विधायी कार्य उचित प्रतिनिधित्व के साथ संपन्न हों।

95. (A) अनुच्छेद 48
संविधान सभा में गोहत्या निषेध हेतु अनुच्छेद 48 का संदर्भ दिया गया। यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार संगठित करे। इसमें विशेष रूप से दुधारू और वाहक मवेशियों की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने के निर्देश हैं। इसी आधार पर इसे आर्थिक और कृषि सुधार के लक्ष्यों के साथ जोड़कर नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है।

96. (B) उद्देश्य प्रस्ताव, 1946
भारतीय संविधान की प्रस्तावना 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव ने संप्रभुता, न्याय और स्वतंत्रता के लक्ष्यों को रेखांकित किया। सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। प्रस्तावना न केवल दार्शनिक आधार स्पष्ट करती है, बल्कि यह उस शक्ति के स्रोत—जनता—की भी घोषणा करती है जिससे संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है।

97. (B) सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना
अनुच्छेद 51-A के ग्यारह मौलिक कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, संप्रभुता की सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना शामिल है। 'सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना' वर्तमान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण विधिक और संवैधानिक अधिकार है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने इसे कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया था, परंतु अंतिम सूची में इसे स्थान नहीं मिला। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व सिखाते हैं।

98. (A) 65 वर्ष
अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहता है। न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। उन्हें केवल संसद द्वारा पारित महाभियोग के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति की यह आयु सीमा सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों के पास पर्याप्त अनुभव हो और वे निष्पक्ष रुप से कार्य कर सकें।

99. (C) राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं। वह इसे न तो अस्वीकार कर सकती है और न ही स्वतंत्र रुप से संशोधित। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर इसे लोकसभा को लौटाना होता है। यह लोकसभा पर निर्भर है कि वह राज्यसभा की सिफारिशें माने या न माने। यदि 14 दिनों में इसे वापस नहीं किया जाता, तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यह वित्तीय सर्वोच्चता का प्रतीक है।

100. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय विधिक प्रणाली विभिन्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। बुनियादी संरचना का अर्थ है कि मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता। सार और तत्व का सिद्धांत कानून की वास्तविक प्रकृति निर्धारित करता है। पृथक्करणीयता का अर्थ है कि केवल असंवैधानिक भाग ही हटाया जाएगा। छद्म विधान का सिद्धांत अप्रत्यक्ष उल्लंघन को रोकता है। ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि विधायी शक्तियां संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही प्रयुक्त हों।

101. (A) 3, 2, 1, 4
भारत के राष्ट्रपतियों का कालक्रम संवैधानिक इतिहास की क्रमिक यात्रा है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे (1950-1962)। उनके पश्चात डॉ. एस. राधाकृष्णन (1962-1967) और फिर डॉ. जाकिर हुसैन (1967-1969) ने पद संभाला। डॉ. हुसैन की मृत्यु के बाद वी.वी. गिरि (1969-1974) निर्वाचित हुए। यह क्रम भारतीय गणतंत्र के प्रारंभिक दशकों में नेतृत्व के परिवर्तन और संवैधानिक परंपराओं के सुदृढ़ीकरण की महत्वपूर्ण अवधि को प्रदर्शित करता है।

102. (B) लोकहित को लागू करने में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका।
न्यायिक सक्रियता वह अवधारणा है जहाँ न्यायपालिका समाज में न्याय और लोकहित सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय भूमिका निभाती है। इसका प्रयोग जनहित याचिकाओं के माध्यम से होता है जहाँ न्यायालय कार्यपालिका को कर्तव्यों के पालन हेतु निर्देश देता है। यह तब महत्वपूर्ण है जब शासन के अन्य अंग निष्क्रिय हों। हालांकि, इसे 'न्यायिक अतिक्रमण' से बचाने हेतु न्यायिक संयम की भी आवश्यकता होती है ताकि शक्तियों का उचित संतुलन बना रहे।

103. (B) केवल 1 and 3
भारत का उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपराष्ट्रपति पुनर्चुनाव हेतु पूर्णतः पात्र है और वह कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। उन्हें हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होती है, जहाँ प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यह व्यवस्था उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके दायित्वों के प्रति जवाबदेह और पद के प्रति सुरक्षित बनाती है।

104. (A) प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व
'आर्थिक न्याय' का संकल्प प्रस्तावना में उल्लेखित है, जिसका लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है। इसे नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से व्यावहारिक रूप दिया गया है। अनुच्छेद 38 और 39 जैसे प्रावधान राज्य को आय की विषमता घटाने और संसाधनों के समान वितरण का निर्देश देते हैं। जहाँ मौलिक अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता देते हैं, वहीं आर्थिक न्याय का संकल्प समाज के वंचित वर्गों के वास्तविक सशक्तिकरण और कल्याण पर बल देता है।

105. (C) राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद
अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनिवार्य है, तो संसद ऐसी सेवा स्थापित कर सकती है। यह राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है जो संघीय ढांचे में राज्यों के हितों के संरक्षण की भूमिका को दर्शाती है। यह शक्ति केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि न्यायिक सेवाओं के सृजन हेतु भी उपयोग की जा सकती है।

106. (A) एक अधीनस्थ न्यायालय को उस मामले में कार्यवाही रोकने के लिए जहाँ उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निचली अदालत को जारी की जाती है। इसका अर्थ 'मना करना' है। यह तब जारी होती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने विधिक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन करता है। यह रिट सक्रिय कार्यवाही के दौरान उसे तत्काल रोकने हेतु प्रयुक्त होती है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को होने से पहले रोकना और न्यायालयों के भीतर न्यायिक अनुशासन बनाए रखना है।

107. (D) वह सुगमता जिससे लोकतांत्रिक संविधान को नष्ट किया जा सकता है।
संविधान सभा में 'म्यूनिख-पुत्श' की चर्चा हिटलर के उदय के संदर्भ में हुई, जिसने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर लोकतांत्रिक संविधान को नष्ट किया था। इस घटना ने भारतीय संविधान निर्माताओं को सचेत किया कि आपातकालीन प्रावधान निरंकुशता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसी भय के कारण उन्होंने आपातकाल लगाने हेतु कड़ी संसदीय जांच और समय सीमा निर्धारित की। यह उदाहरण लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के प्रति उनकी गहरी चिंता दर्शाता है।

108. (B) स्वतंत्र न्यायपालिका
स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है। संघीय ढांचे में न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के विवादों का निपटारा करती है। इसके विपरीत, एकल संविधान, राज्यपालों की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक प्रवृत्तियाँ हैं क्योंकि ये केंद्र को राज्यों पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती हैं। भारत का संविधान इन दोनों विशेषताओं का संगम है जिसे 'सहकारी संघवाद' कहा जाता है। यह राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता का संतुलन है।

109. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राज्यसभा संसद का उच्च सदन और स्थायी निकाय है क्योंकि इसका कभी पूर्ण विघटन नहीं होता। इसकी निरंतरता हेतु यह व्यवस्था है कि इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। रिक्त पदों हेतु पुनः चुनाव या मनोनयन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश में हमेशा एक कार्यरत विधायी सदन उपलब्ध रहे। अतः कारण, अभिकथन की सटीक व्याख्या करता है कि क्यों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।

110. (D) भाग XX
संविधान के भाग 20 में केवल अनुच्छेद 368 सम्मिलित है, जो संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह भाग संविधान को गतिशील बनाता है ताकि यह बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढल सके। इसमें संशोधन के विभिन्न तरीकों—साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन—का उल्लेख है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संविधान न तो अत्यधिक लचीला हो और न ही इतना कठोर कि वह अप्रासंगिक हो जाए।

111. (A) एम.एन. रॉय
भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। बाद में 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बनाया। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' में इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। संविधान सभा का वास्तविक गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। एम.एन. रॉय का यह विचार भारत के आत्म-निर्णय के अधिकार और लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम था।

112. (B) अनुच्छेद 20(2)
अनुच्छेद 20(2) 'दोहरे दंड से मुक्ति' का मौलिक सिद्धांत स्थापित करता है। यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध हेतु एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हालांकि, यह सुरक्षा केवल न्यायिक न्यायालय के समक्ष होने वाली कार्यवाहियों पर लागू होती है। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को इस सुरक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है।

113. (B) भारत निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आयोग संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों हेतु मतदाता सूची के अधीक्षण और नियंत्रण का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करना आयोग का कर्तव्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। यह चुनावी लोकतंत्र की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु अनिवार्य और बुनियादी प्रशासनिक प्रक्रिया है।

114. (A) कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना।
अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार संगठित करने का निर्देश उदार-बौद्धिक सिद्धांतों का अंग है। यह राज्य को वैज्ञानिक प्रगति अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है ताकि उत्पादन सुधरे। कुटीर उद्योग या नशाबंदी गांधीवादी सिद्धांतों में आते हैं। उदार-बौद्धिक तत्व संविधान की आधुनिकता और प्रगतिशील विधिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जो राष्ट्र को वैश्विक मानकों की ओर ले जाने का लक्ष्य रखते हैं।

115. (C) संसद द्वारा प्रस्तुत संबोधन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। न्यायाधीश को केवल 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजना आवश्यक है। राष्ट्रपति के अंतिम आदेश के बाद ही पदमुक्ति होती है। यह न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु एक सुदृढ़ संवैधानिक सुरक्षा उपाय है।

116. (D) केंद्रीय विधि प्रभावी होती है।
अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में विरोध होता है, तो केंद्रीय विधि प्रभावी मानी जाती है। राज्य की विधि उस सीमा तक शून्य होगी जहाँ तक वह केंद्रीय विधि के विरुद्ध है। हालांकि, यदि राज्य विधि को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो, तो वह उस राज्य में प्रभावी रह सकती है। यह प्रावधान संघीय ढांचे में कानूनी एकरूपता और केंद्र की वरीयता सुनिश्चित करता है।

117. (C) अंग्रेजी को 15 वर्ष की अवधि के लिए सह-राजभाषा के रूप में बनाए रखा।
मुंशी-अय्यंगार सूत्र राजभाषा विवाद का समाधान था। इसके तहत हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया, परंतु गैर-हिंदी भाषी राज्यों की चिंताओं हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षों तक आधिकारिक कार्यों हेतु जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसने भाषाई आधार पर संभावित विभाजन को टालने और क्रमिक भाषाई परिवर्तन सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई। यह राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन का सफल संवैधानिक प्रतीक है।

118. (B) वे एक-दूसरे के पूरक हैं।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक-आर्थिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोनों मिलकर संविधान की अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। एक कल्याणकारी राज्य हेतु इन दोनों में सूक्ष्म संतुलन अनिवार्य है ताकि नागरिकों का सर्वांगीण विकास और सामाजिक समानता सुनिश्चित हो सके।

119. (D) स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दलबदल पर अयोग्यता तब होती है जब कोई सदस्य स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ता है जिसके टिकट पर वह चुना गया था। यदि कोई सदस्य दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, तो भी वह अयोग्य हो सकता है। यह कानून राजनीतिक स्थिरता और व्यक्तिगत लाभ हेतु दल बदलने की अनैतिक प्रथा रोकने हेतु बनाया गया था। अयोग्यता का अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है।

120. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों ने भारतीय कानून की दिशा बदली है। मेनका गांधी वाद ने अनुच्छेद 21 के दायरे में विदेश यात्रा को जोड़ा। इंदिरा साहनी वाद ने अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण और 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा दी। एस.आर. बोम्मई वाद ने राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने के निर्देश दिए। विशाखा वाद ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए। ये निर्णय न्यायिक सक्रियता के जीवंत उदाहरण हैं।

121. (C) एक पूर्णतः संप्रभु निकाय
1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया। वह ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को बदलने या रद्द करने हेतु स्वतंत्र थी। सभा को संविधान निर्माण के साथ अंतरिम विधायिका के रूप में कार्य करने का भी अधिकार मिला। इसने सभा को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त कर भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र निर्माण का सर्वोच्च अधिकार प्रदान किया। यह स्वतंत्रता के वास्तविक कार्यान्वयन का प्रतीक था।

122. (A) उपर्युक्त सभी शर्तें पूर्ण होती थीं।
अनुच्छेद 5 के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को नागरिकता हेतु तीन वैकल्पिक शर्तें थीं। यदि व्यक्ति भारत में जन्मा था, या उसके माता-पिता में से कोई भारत में जन्मा था, या वह संविधान लागू होने से पांच वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा था, तो उसे नागरिक माना गया। बशर्ते उसका मुख्य अधिवास भारत में ही हो। यह प्रावधान विभाजन के पश्चात नागरिकता की प्रक्रिया को सरल और समावेशी बनाने हेतु किया गया था।

123. (C) 1, 2 और 3
प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। केशवानंद भारती वाद के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। हालांकि, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसके आधार पर सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह केवल संविधान की व्याख्या और उसके मूल आदर्शों को समझने हेतु मार्गदर्शक प्रकाश का कार्य करती है।

124. (A) केवल 1
अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार है, परंतु यह निरपेक्ष नहीं है। राज्य संप्रभुता, अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। केवल संघ बनाने का अधिकार ही मौलिक है; संघ को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकारों में नहीं आता। ये प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं कि समूहों की स्वतंत्रता राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक मर्यादा के विरुद्ध न हो।

125. (C) कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान देने या दंड कम करने की शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का हिस्सा है। यद्यपि इसका प्रभाव न्यायिक दंड पर पड़ता है, परंतु यह विवेकाधीन कार्य नहीं है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। वे मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि सुधारना या मानवीय आधार पर दंड में राहत प्रदान करना है, जो न्याय के हित में है।

126. (D) राज्यपाल को परामर्शदात्री राय देना।
उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति है, परंतु उच्च न्यायालयों के पास राज्यपाल को परामर्श देने का ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालयों के कार्यों में अपील सुनना, रिट जारी करना और अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करना सम्मिलित है। राज्यपाल विधिक मामलों में राज्य के महाधिवक्ता से सलाह लेते हैं। यह व्यवस्था न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट कार्य विभाजन को बनाए रखती है।

127. (A) अनुच्छेद 77
अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों के संचालन को विनियमित करता है। यह स्पष्ट करता है कि सभी कार्यकारी कार्रवाइयां औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर की जाएंगी। राष्ट्रपति

मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन हेतु नियम बनाते हैं। यह अनुच्छेद शासन की प्रशासनिक संरचना को व्यवस्थित करता है और सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका की कार्यवाही विधिक रूप से मान्य हो। यह केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली में स्पष्टता और उत्तरदायित्व स्थापित करने का संवैधानिक आधार है।

128. (B) उन विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति जो तीनों में से किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं हैं।
विधायी अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य उन विषयों से है जिनका उल्लेख सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं है। अनुच्छेद 248 के अनुसार, इन अघोषित विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल केंद्रीय संसद को प्राप्त है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के एकात्मक झुकाव को दर्शाता है, जहाँ भविष्य के नए और जटिल विषयों पर नियंत्रण केंद्र को सौंपा गया है। कई अन्य संघीय देशों में ये शक्तियाँ राज्यों के पास सुरक्षित होती हैं।

129. (B) अनुच्छेद 300-A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार।
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300-A के तहत विधिक अधिकार बनाया गया। अब कोई व्यक्ति संपत्ति उल्लंघन पर सीधे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। हालांकि, राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून बनाकर ही वंचित कर सकता है, मनमानी कार्यकारी कार्रवाई से नहीं। यह परिवर्तन आर्थिक न्याय और भूमि सुधारों को सुगम बनाने हेतु किया गया था।

130. (A) 3, 2, 4, 1
संवैधानिक संशोधनों का क्रम भारत की विधिक विकास यात्रा दर्शाता है। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ, जिसने भूमि सुधारों को संरक्षण दिया। 42वां संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान हुआ, जिसे 'लघु संविधान' कहते हैं। 61वां संशोधन 1989 में आया जिसने मतदान की आयु घटाई। अंततः 1992 में 73वां संशोधन पारित हुआ जिसने पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया। यह क्रम दर्शाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समय के साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार किया है।

131. (C) समाज कल्याण के हित में धार्मिक प्रथाओं में सुधार करना।
धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस के दौरान के.एम. मुंशी ने तर्क दिया कि राज्य के पास धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। उनका मानना था कि समाज सुधार के मार्ग में पुरानी धार्मिक प्रथाओं को बाधक नहीं बनने देना चाहिए। अनुच्छेद 25(2) में इसी विचार को सम्मिलित किया गया है, जो राज्य को सामाजिक कल्याण हेतु हिंदू धार्मिक संस्थानों को सभी वर्गों के लिए खोलने और सुधारवादी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

132. (D) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
अनुच्छेद 39(d) के अंतर्गत समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। यह सिद्धांत सामाजिक-आर्थिक समानता और लैंगिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश है। यद्यपि ये तत्व अदालतों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु संसद ने 'समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976' जैसे कानून बनाए हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर भेदभाव न हो और श्रम की गरिमा सुरक्षित रहे।

133. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना भी छह महीने तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि में उसे लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। यदि वह सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अंततः विधायिका के प्रति जवाबदेह रहे। कारण स्पष्ट करता है कि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक नियंत्रण और उत्तरदायित्व का आधार है।

134. (B) आपातकालीन प्रावधान
आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, संघीय नहीं। जब आपातकाल लगाया जाता है, तो संघीय ढांचा स्वतः एकात्मक प्रणाली में बदल जाता है और केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय शासन के आवश्यक अंग हैं जो राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रीय संकट के समय एकता बनाए रखने हेतु केंद्र को राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप की अनुमति प्रदान करती हैं।

135. (D) संयुक्त राज्य अमेरिका
जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा का उदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारत में इसे 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा विकसित किया गया। इसने 'लोकस स्टैंडाई' के नियम को उदार बनाया, जिससे कोई भी व्यक्ति दूसरों के अधिकारों हेतु न्यायालय जा सकता है। यह भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता और निर्धनों तक न्याय की पहुँच का प्रमुख साधन है। इसने सामाजिक न्याय की दिशा में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है।

136. (A) लोकसभा अध्यक्ष
अनुच्छेद 108 के अंतर्गत साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने हेतु बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और फिर राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा के सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि वे संसद के सदस्य नहीं होते। यह व्यवस्था विधायी प्रक्रियाओं में सुचारू समन्वय और लोकसभा के व्यापक प्रतिनिधित्व को वरीयता देने के लिए की गई है।

137. (C) मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल
1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों की सबसे विवादास्पद विशेषता मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल थी। लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा जाता है। इस प्रावधान ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीज बोए, जिसका

उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। इसने अंततः देश के भविष्य के राजनीतिक विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। यह ब्रिटिश 'फूट डालो और राज करो' की नीति का ज्वलंत प्रमाण था जिसने सामाजिक सद्भाव को प्रभावित किया।

138. (A) उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार व्यापक नहीं है यह एक पक्ष में संकुचित है।
रिट क्षेत्राधिकार के मामले में उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) की तुलना में अधिक व्यापक शक्तियां रखते हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ विधिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु भी रिट जारी कर सकते हैं। हालांकि, उच्चतम न्यायालय की शक्ति पूरे देश पर लागू होती है, जबकि उच्च न्यायालय की शक्ति केवल संबंधित राज्य तक सीमित होती है।

139. (D) भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 324 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। उनकी स्वतंत्रता हेतु उन्हें केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह संवैधानिक व्यवस्था निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता को सुरक्षित रखती है, जो स्वतंत्र चुनावों के लिए अनिवार्य है। यह लोकतांत्रिक जड़ों को सुदृढ़ करता है।

140. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
संविधान की अनुसूचियाँ शासन के अंगों का विवरण देती हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नाम हैं। आठवीं अनुसूची 22 राजभाषाओं की सूची प्रदान करती है। दसवीं अनुसूची दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। बारहवीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करती है। इन अनुसूचियों का ज्ञान भारतीय प्रशासनिक ढांचे और शक्तियों के विकेंद्रीकरण की गहराई को समझने में सहायक है। यह संवैधानिक स्पष्टता को बढ़ाता है।

141. (C) धार्मिक भावना बनाम व्यक्तिगत खान-पान के विकल्प
गोहत्या पर बहस ने धार्मिक भावनाओं और व्यक्तिगत खान-पान के अधिकारों के बीच तनाव पैदा किया। एक पक्ष ने इसे आस्था का मुद्दा माना, वहीं दूसरे ने इसे स्वतंत्रता पर अतिक्रमण देखा। इस वैचारिक संघर्ष के कारण सभा ने इसे मौलिक अधिकार के बजाय आर्थिक और कृषि निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 48) के रूप में स्वीकार कर बीच का मार्ग निकाला। यह निर्णय धार्मिक संवेदनशीलता और आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का एक व्यावहारिक प्रयास था।

142. (D) अंशतः कठोर और अंशतः लचीली
भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकारों जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों हेतु विशेष बहुमत आवश्यक है। संघीय ढांचे हेतु विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संविधान समय के साथ विकसित हो, परंतु बुनियादी मूल्यों के साथ मनमानी न हो। यह संवैधानिक स्थिरता और परिवर्तनशीलता के बीच एक श्रेष्ठ संतुलन स्थापित करता है।

143. (A) यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है।
प्रस्तावना स्वयं विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है और न ही उन पर कोई प्रतिबंध लगाती है। यह केवल उन उद्देश्यों और दर्शन को दर्शाती है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, यह संविधान की व्याख्या में महत्वपूर्ण उपकरण है परंतु न्यायालय में स्वतंत्र रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना निर्माताओं के विचारों को समझने की कुंजी है जो राष्ट्र के मौलिक मूल्यों और नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं को परिभाषित करती है।

144. (B) अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिसे डॉ. अंबेडकर ने संविधान की 'आत्मा' कहा था। यह नागरिकों को शक्ति देता है कि अधिकारों के उल्लंघन पर वे सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकें। न्यायालय इनकी रक्षा हेतु पांच प्रकार की रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद अधिकारों को केवल घोषणा न रखकर उन्हें वास्तविक और प्रभावी बनाता है। यह नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा की सर्वोच्च गारंटी प्रदान करने वाला मौलिक अधिकार है।

145. (A) केवल 3
नागरिकता समाप्त करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, परंतु जन्म से प्राप्त नागरिकता मनमाने ढंग से नहीं छीनी जा सकती। वंचन की शक्ति मुख्य रूप से पंजीकृत या देशीयकृत नागरिकों पर लागू होती है जिन्होंने कपट किया हो। देशीयकरण हेतु भारत में रहने की अवधि सामान्यतः 12 वर्ष है, न कि 10 वर्ष। अतः केवल तीसरा कथन विधिक रूप से सत्य है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संविधान के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

146. (A) राज्यों का संघ
अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि 'भारत राज्यों का संघ होगा'। यहाँ 'संघ' शब्द दर्शाता है कि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह भारत की अविभाज्य एकता और अखंडता को रेखांकित करता है। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, यह शब्द भौगोलिक और राजनीतिक सुदृढ़ता हेतु चुना गया था ताकि देश की संप्रभुता और केंद्र की सर्वोच्चता के साथ क्षेत्रीय अस्तित्व सुरक्षित रहे।

147. (C) वन
समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 'वन' मूल रूप से राज्य सूची का विषय था, जिसे 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। बैंकिंग और संचार संघ सूची के विषय हैं, जबकि पुलिस राज्य सूची में है। वनों को समवर्ती सूची में शामिल करने का उद्देश्य

पर्यावरण संरक्षण हेतु देशव्यापी एक समान नीति और केंद्र का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना था। यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की राष्ट्रीय आवश्यकता को दर्शाता है।

148. (D) क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण।
अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दंड कम करने या समाप्त करने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। 'क्षमा' दंड पूर्णतः समाप्त करती है। 'लघुकरण' दंड का स्वरूप बदलता है। 'परिहार' दंड की अवधि घटाता है। 'विराम' विशेष परिस्थितियों में दंड कम करता है और 'प्रविलंबन' मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाता है। यह शक्ति न्यायिक त्रुटि सुधारने और मानवीय आधार पर राहत देने का अंतिम संवैधानिक साधन है। यह न्याय प्रणाली में दया और औचित्य का समावेश करती है।

149. (C) भारत की संचित निधि
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इन पर संसद में चर्चा हो सकती है, परंतु मतदान नहीं। यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है ताकि न्यायाधीशों को आर्थिक लाभ हेतु विधायिका पर निर्भर न रहना पड़े। उनके वेतन में कार्यकाल के दौरान वित्तीय आपातकाल के अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति में कमी नहीं की जा सकती। यह पद की गरिमा और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने का अनिवार्य उपाय है।

150. (B) आपातकाल की समाप्ति के छह माह पश्चात तक।
अनुच्छेद 250 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि, संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधियां आपातकाल समाप्त होने के छह माह पश्चात स्वतः निष्प्रभावी हो जाती हैं। यह प्रावधान केवल संकटकाल में प्रशासनिक एकरूपता और केंद्र के नियंत्रण हेतु है। इसका उद्देश्य राज्यों की विधायी शक्तियों को स्थायी रूप से छीनना नहीं, बल्कि अस्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और समन्वय सुनिश्चित करना है।

151. (D) ब्रिटिश, अमेरिकी
अनुच्छेद 14 में दो अवधारणाएं हैं। 'विधि के समक्ष समानता' ब्रिटिश मूल की है, जो मानती है कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। 'विधियों का समान संरक्षण' अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो सकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार हो। ये दोनों मिलकर न्याय के उस सिद्धांत को पूर्ण करते हैं जहाँ भेदभाव रहित समानता और तार्किक वर्गीकरण दोनों का स्थान है। यह विधिक न्याय की आधारशिला है।

152. (A) अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार)
86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21-A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। यह संशोधन शिक्षा को व्यक्तिगत नागरिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। इसी को प्रभावी बनाने हेतु 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' पारित हुआ। यह भारत के भविष्य निर्माण में मील का पत्थर है जो सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक बुनियादी संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

153. (C) किसी विशिष्ट कर का अधिरोपण, उत्सादन या विनियमन।
अनुच्छेद 110 के अनुसार, विधेयक 'धन विधेयक' तब है जब उसमें कर लगाने, हटाने, ऋण लेने या संचित निधि से धन निकालने जैसे मामले हों। संचित निधि पर व्यय भारित घोषित करना भी इसमें सम्मिलित है। केवल जुर्माने से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं होते। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह वित्तीय मामलों में लोकसभा की सर्वोच्चता और करदाता के धन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने की व्यवस्था है।

154. (A) अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया
राष्ट्रपति का महाभियोग 'अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया' है क्योंकि इसमें संसद के सदन जांच निकाय के रूप में कार्य करते हैं। एक सदन आरोप लगाता है और दूसरा उनकी जांच करता है। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का विधिक अधिकार है। यह केवल विधायी कार्य नहीं है, बल्कि इसमें न्यायिक तत्व सम्मिलित हैं। अंतिम निर्णय संसद के विशेष बहुमत द्वारा लिया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख केवल न्यायसंगत आधारों पर ही पदमुक्त हो।

155. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विधायी शक्तियों का वितरण केंद्र की मजबूती दर्शाता है। अनुच्छेद 254 के अनुसार, समवर्ती सूची पर केंद्रीय और राज्य कानून में विरोध होने पर केंद्रीय कानून सर्वोपरि होता है। यह प्रावधान संघीय व्यवस्था में कानूनी स्थिरता और एकरूपता सुनिश्चित करता है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह वह तंत्र है जो विधायी संघर्ष में केंद्र के प्रभुत्व और निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति को विधिक आधार प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है।

156. (B) राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भारत शासन अधिनियम 1935 के 'अनुदेशों के साधन' ही 1950 के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में भाग 4 में शामिल किए गए। ये तत्व कार्यपालिका और विधायिका हेतु मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। डॉ. अंबेडकर के अनुसार, ये शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों को दर्शाते हैं जिन्हें लोक कल्याण हेतु राज्य को अपनाना चाहिए। यद्यपि ये प्रवर्तनीय नहीं हैं, परंतु ये देश के प्रशासन में आधारभूत माने गए हैं और सामाजिक-आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

157. (C) अनुच्छेद 227
अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की व्यापक शक्ति देता है। इसके तहत न्यायालय रिपोर्ट मांग सकता है और कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर सकता है। यह शक्ति केवल अपीलीय नहीं, बल्कि प्रशासनिक भी है। यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतें कानून के शासन और न्यायिक अनुशासन के अनुरूप कार्य करें।

यह न्यायिक व्यवस्था में एकरूपता और गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उच्च न्यायालय का एक प्रभावी पर्यवेक्षी उपकरण है।

158. (D) सर्वसम्मति से
संविधान सभा की विशेषता यह थी कि अधिकांश निर्णय बहुमत के बजाय सर्वसम्मति और समझौते के सिद्धांत पर लिए गए। निर्माताओं का मानना था कि विविधतापूर्ण राष्ट्र हेतु ऐसा दस्तावेज़ होना चाहिए जिसे सभी समुदायों की व्यापक स्वीकृति मिले। विवादित मुद्दों पर तब तक विमर्श किया जाता था जब तक सभी सहमत न हो जाएं। इस पद्धति ने भारतीय संविधान को उच्च नैतिक अधिकार और दीर्घकालिक स्थिरता दी है। यह लोकतांत्रिक समावेशिता और परस्पर सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण है।

159. (A) प्रशासन; राष्ट्र
संविधान सभा में 'राजभाषा' शब्द को प्राथमिकता दी गई क्योंकि इसका अर्थ है वह भाषा जिसका उपयोग केवल प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु किया जाएगा। इसे 'राष्ट्रभाषा' के रूप में नहीं थोपा गया ताकि गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों की भाषाई स्वायत्तता सुरक्षित रहे। यह भाषाई विविधता का सम्मान करने और प्रशासनिक कार्यक्षमता बनाए रखने के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता था। यह निर्णय दर्शाता है कि भारतीय संघवाद भाषाई विविधता को बाधा नहीं, बल्कि राष्ट्र की विशिष्ट पहचान मानता है।

160. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न रिटों का उपयोग विशिष्ट प्राधिकारियों के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा हेतु होता है। 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' अवैध हिरासत के विरुद्ध है। 'परमादेश' विधिक कर्तव्य निर्वहन हेतु आदेश है। 'उत्प्रेषण' गलत न्यायिक निर्णयों को रद्द करने हेतु है। 'अधिकार पृच्छा' सार्वजनिक पद पर अवैध दावे के विरुद्ध है। यह न्यायिक प्रणाली प्रशासनिक जवाबदेही और कानून का शासन सुनिश्चित करने का सशक्त आधार है। ये रिट नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध प्रभावी रक्षा कवच प्रदान करती हैं।

161. (B) दलबदल विरोधी कानून पेश करना
52वां संशोधन 1985 राजनीति में स्थिरता लाने हेतु 'दलबदल विरोधी कानून' हेतु जाना जाता है। इसने दसवीं अनुसूची जोड़ी, जिसके तहत निर्वाचित सदस्यों को दल बदलने पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। इसका लक्ष्य अनैतिक राजनीति पर अंकुश लगाना और जनादेश का सम्मान करना था। अयोग्यता पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जनता के विश्वास को बनाए रखने और सरकारों के बार-बार गिरने की समस्या को रोकने में सहायक है।

162. (A) 11
वर्तमान में अनुच्छेद 51-A के अंतर्गत कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वें संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां कर्तव्य 2002 के 86वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया, जो अभिभावकों को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर देने का निर्देश देता है। ये कर्तव्य नागरिकों में देशभक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। ये नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनके सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्वों का निरंतर बोध कराते हैं।

163. (C) राज्यसभा
अनुच्छेद 312 के अनुसार, नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की प्रक्रिया केवल राज्यसभा द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए राज्यसभा को दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है कि राष्ट्रहित में ऐसी सेवा का गठन आवश्यक है। इसके पश्चात ही संसद कानून बनाकर नई सेवा स्थापित कर सकती है। यह राज्यसभा की विशेष शक्ति है जो संघीय व्यवस्था में राज्यों के हितों और प्रशासनिक एकरूपता को संतुलित करती है। यह राज्यों के प्रतिनिधित्व वाले सदन की वरीयता को दर्शाता है।

164. (D) 1, 2 और 3
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 154 के अनुसार, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हुए संवैधानिक व्यवस्था की देखरेख करते हैं। उनका पद संघीय ढांचे में राज्य के कार्यकारी प्रमुख और केंद्र के प्रतिनिधि की दोहरी भूमिका को संतुलित करता है।

165. (C) अनुच्छेद 143
अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है। यदि सार्वजनिक महत्व का कोई विधिक प्रश्न उत्पन्न हो, तो वे न्यायालय की राय मांग सकते हैं। न्यायालय राय दे सकता है, परंतु राष्ट्रपति उसे मानने हेतु विधिक रूप से बाध्य नहीं हैं। यह परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जटिल संवैधानिक मुद्दों पर सरकार को स्पष्टता देने और संभावित विधिक विवादों को टालने में सहायक है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग और संवैधानिक मार्गदर्शन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है।

166. (B) अपनी अनुमति देंगे।
24वें संशोधन 1971 के पश्चात यह अनिवार्य है कि जब संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष आता है, तो वे उस पर अपनी अनुमति 'देंगे'। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते और न ही उन्हें पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यह व्यवस्था संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को सुरक्षित करने और प्रक्रिया में विलंब रोकने हेतु की गई है। यह संशोधन प्रक्रिया की सर्वोच्चता और राष्ट्रीय इच्छा के विधिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

167. (D) गैर-हिंदू समुदायों की खान-पान की आदतें और अधिकार।
गोहत्या निषेध पर बहस में अल्पसंख्यकों ने तर्क दिया कि भोजन के विकल्प व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग हैं और धार्मिक आधार पर इन पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्हें चिंता थी कि इससे विशिष्ट समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। इस विरोध के कारण ही संविधान सभा ने इसे अनिवार्य मौलिक

अधिकार के बजाय एक निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 48) के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय विविध सांस्कृतिक पहचानों और आर्थिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

168. (A) स्वर्ण सिंह समिति
42वें संशोधन के अधिकांश प्रावधान स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर आधारित थे। इस समिति का गठन आपातकाल के दौरान संविधान की समीक्षा और उसे बदलती जरूरतों के अनुरूप ढालने हेतु किया गया था। समिति ने भारतीय राज्य के समाजवादी और पंथनिरपेक्ष चरित्र को स्पष्ट करने और नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित करने पर बल दिया। यद्यपि यह संशोधन व्यापक चर्चा का विषय रहा, परंतु इसने संविधान के दार्शनिक विस्तार और राज्य के सामाजिक-आर्थिक उत्तरदायित्वों को एक नई और सुदृढ़ दिशा प्रदान की।

169. (C) छह माह
अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि संसद को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी अनिवार्य है। यह समय सीमा सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण निरंतर बना रहे और राष्ट्रीय समस्याओं पर नियमित चर्चा हो सके। यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को बनाए रखने का एक मूलभूत संवैधानिक तंत्र है, जो शासन में जन प्रतिनिधियों की निरंतर भागीदारी और विधायी सक्रियता सुनिश्चित करता है।

170. (A) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई छह स्वतंत्रताएं। इसमें भाषण, सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों (नागरिकों और विदेशियों) को उपलब्ध हैं। यह विभेद राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में केवल नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के निर्धारण में नागरिकों का प्राथमिक अधिकार सुरक्षित रहे।

171. (D) 86वां संशोधन अधिनियम
2002 के 86वें संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51-A(k) के रूप में जोड़ा गया। यह अभिभावकों पर जिम्मेदारी डालता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह संशोधन शिक्षा को एक त्रिकोणीय अधिकार बनाता है: राज्य का कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य और निर्देशक तत्व। यह भारत में साक्षरता के लक्ष्य हेतु सशक्त संवैधानिक पहल है। यह सामाजिक उत्थान और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में नागरिकों के उत्तरदायित्व को विधिक रूप से रेखांकित करता है।

172. (B) विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति।
अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद के पास 'राज्यक्षेत्रातीत विधान' बनाने की शक्ति है। इसका अर्थ है कि संसद के कानून न केवल भारत में, बल्कि विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। यह शक्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा और नागरिकों के आचरण को विनियमित करने हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य विधानमंडलों के पास ऐसी शक्ति नहीं होती। यह संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत के व्यापक विधिक अधिकार क्षेत्र और वैश्विक उत्तरदायित्व को पुष्ट करता है।

173. (C) मेनका गांधी बनाम भारत संघ
1978 के मेनका गांधी वाद में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की क्रांतिकारी व्याख्या की। न्यायालय के अनुसार, जीवन की स्वतंत्रता छीनने वाली विधि न केवल स्थापित प्रक्रिया से हो, बल्कि वह प्रक्रिया न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी होनी चाहिए। इस निर्णय ने 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' को भारतीय कानून का अभिन्न अंग बनाया। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण में न्यायपालिका की शक्ति को सुदृढ़ किया। यह न्यायिक व्याख्या सुनिश्चित करती है कि राज्य की कोई भी कार्यवाही मनमानी न होकर तार्किक और मानवीय हो।

174. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली का मूल स्तंभ है। इसका अर्थ है कि पूरी सरकार एक इकाई के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा का मंत्री वास्तव में लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता क्योंकि मतदान का अधिकार केवल उसी सदन के सदस्यों को होता है जिसके वे सदस्य हैं। यद्यपि दोनों कथन सत्य हैं, परंतु मतदान का अधिकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता। यह केवल सदन की कार्यप्रणाली का नियम है। उत्तरदायित्व का अर्थ सरकार का विधायी विश्वास है।

175. (A) विलय पत्र की शर्तें।
अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे पर हुई बहसें 'विलय पत्र' की अद्वितीय शर्तों पर आधारित थीं। राजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र ने रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अतिरिक्त विषयों पर राज्य की स्वायत्तता स्वीकार की थी। सभा ने इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में स्वीकार किया ताकि सामान्य स्थिति होने तक संबंधों को प्रबंधित किया जा सके। यह ऐतिहासिक परिस्थितियों और विलय की शर्तों का संवैधानिक सम्मान था। यह प्रावधान जटिल राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा था।

176. (B) भारतीय संघ की एक घटक इकाई जैसा कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है।
'राज्य' उन विशिष्ट राजनैतिक और प्रशासनिक इकाइयों को संदर्भित करता है जो भारतीय संघ का निर्माण करती हैं। इनका विवरण संविधान की प्रथम अनुसूची में है। संघीय व्यवस्था में इन राज्यों के पास अपनी विधायी और वित्तीय शक्तियां होती हैं

जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान की जाती हैं। वे केंद्र के अधीनस्थ नहीं, बल्कि स्वायत्त संवैधानिक इकाइयां हैं। यह संरचना भारत की विविधता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संतुलित करती है। यह प्रशासन की सुगमता और स्थानीय विकास हेतु शक्तियों के विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण विधिक ढांचा है।

177. (B) भारत के सभी नागरिकों को
प्रस्तावना 'हम भारत के लोग' के संकल्प के साथ प्रारंभ होती है और नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का वादा करती है। यद्यपि कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, परंतु प्रस्तावना के व्यापक लक्ष्य और राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से नागरिकों हेतु परिकल्पित हैं। यह नागरिकों में बंधुत्व बढ़ाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने का प्रयास करती है। यह दस्तावेज भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति राज्य की मूलभूत प्रतिबद्धताओं और साझा राष्ट्रीय उद्देश्यों का एक पवित्र घोषणापत्र है।

178. (A) 2, 4, 1, 3
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्रम विधिक विकास दर्शाता है। सर्वप्रथम 1950 में ए.के. गोपालन वाद आया। इसके पश्चात 1967 में गोलकनाथ वाद हुआ जिसमें संशोधन शक्ति सीमित की गई। 1973 में केशवानंद भारती निर्णय ने 'बुनियादी संरचना' का सिद्धांत दिया। अंततः 1978 में मेनका गांधी वाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नई व्यापकता दी। यह कालानुक्रमिक यात्रा न्यायपालिका की बढ़ती सक्रियता और सुरक्षात्मक भूमिका को स्पष्ट करती है। यह दर्शाता है कि कैसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा समय के साथ विस्तृत हुआ है।

179. (C) अनुच्छेद 20(3)
अनुच्छेद 20(3) अभियुक्त को 'स्व-अभिशंसन' के विरुद्ध सुरक्षा देता है। यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अधिकार केवल आपराधिक कार्यवाहियों में उपलब्ध है। इसमें मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य हेतु दबाव डालना शामिल है। अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर देना इसका उल्लंघन नहीं माना जाता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जांच के दौरान आरोपी पर अत्याचार न हो। यह निष्पक्ष जांच और अभियुक्त के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का विधिक आधार है।

180. (D) स्थानीय स्वशासन की स्थापना।
73वें और 74वें संशोधन भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में क्रांतिकारी कदम थे। इनके माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और त्रि-स्तरीय प्रणाली अनिवार्य की गई। इन संशोधनों ने नियमित चुनाव, आरक्षण और राज्य वित्त आयोगों का प्रावधान किया। इसने लोकतंत्र को ग्राम स्तर तक पहुँचाकर नागरिक सहभागिता सशक्त बनाई। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाए, जो वास्तविक लोकतंत्र और सहभागी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

181. (C) राज्यपाल
अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और शासन के बारे में राज्यपाल को सूचित करने हेतु संवैधानिक रूप से उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था संसदीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करती है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की कार्यपालिका हमेशा जनता के निर्वाचित सदन के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

182. (B) अनुच्छेद 250
अनुच्छेद 250 संसद को असाधारण अधिकार देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सके। सामान्यतः यह अधिकार राज्यों के पास होता है, परंतु आपातकाल में केंद्र की सर्वोच्चता हेतु यह व्यवस्था है। संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून आपातकाल समाप्त होने के छह माह बाद प्रभावी नहीं रहता। यह प्रावधान राष्ट्रीय संकट में पूरे देश की विधायी शक्ति को एक सूत्र में बांधता है। यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध या संकट के समय राष्ट्र की समस्त शक्तियाँ समन्वित होकर कार्य करें।

183. (D) राज्य सरकार की अपने वित्त का प्रबंधन करने में विफलता।
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का आधार भारत की 'वित्तीय स्थिरता' या 'साख' को उत्पन्न गंभीर खतरा है। केवल राज्य सरकार की सामान्य वित्तीय विफलता इसका आधार नहीं है जब तक वह राष्ट्रीय स्थिरता हेतु खतरा न बने। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय अनुशासन के निर्देश दे सकता है और वेतन में कटौती की जा सकती है। यह प्रावधान राष्ट्र के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु केंद्र को सर्वोच्च वित्तीय नियंत्रण प्रदान करता है ताकि देश की साख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी रहे।

184. (A) आयरलैंड
राष्ट्रपति के निर्वाचन की विशिष्ट पद्धति आयरलैंड से ली गई है। इसमें 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' और 'एकल संक्रमणीय मत' प्रणाली का उपयोग होता है। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। यह पद्धति सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का व्यापक प्रतिनिधि हो। यह गुप्त और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया पद की गरिमा और संघीय निष्पक्षता बनाए रखने हेतु उपयुक्त है। यह व्यवस्था निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष के पद को दलीय राजनीति से ऊपर रखने और राष्ट्र की एकता का प्रतीक बनाने हेतु अनिवार्य है।

185. (C) के.टी. शाह
के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को "ऐसे बैंक चेक के समान बताया जिसका भुगतान संसाधनों की अनुमति पर निर्भर है।" उनका तर्क था कि चूंकि ये प्रवर्तनीय नहीं हैं, अतः राज्य आर्थिक सीमाओं का बहाना बनाकर इन्हें टाल सकता है। उनका मानना था कि इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की तरह

कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए था। हालांकि, निर्माताओं ने व्यावहारिक सीमाओं के कारण इन्हें केवल नैतिक और राजनीतिक निर्देशों के रूप में स्वीकार किया। यह आलोचना इन तत्वों के प्रवर्तन की चुनौती और उनकी नैतिक शक्ति के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है।

186. (A) एक दुर्बल केंद्र के साथ त्रि-स्तरीय संघीय संरचना।
1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत हेतु एक जटिल संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया, जिसमें केंद्र के पास केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार होने थे। अन्य सभी शक्तियाँ प्रांतों के पास रहनी थीं। प्रांतों को समूहों में विभाजित करने का सुझाव था, जिससे उन्हें अपना संविधान बनाने की अनुमति मिलती। इसका उद्देश्य मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करना था। हालांकि, मतभेदों के कारण अंततः विभाजन हुआ। यह योजना भारतीय एकता को बनाए रखने का अंतिम किंतु विफल ब्रिटिश प्रयास था जिसने भविष्य की राजनीतिक दिशा तय की।

187. (D) व्यापक
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है। उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों हेतु रिट जारी कर सकता है। इसके विपरीत, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ किसी भी अन्य विधिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु भी रिट जारी कर सकता है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय का प्रभाव पूरे देश पर है, परंतु उच्च न्यायालय का दायरा केवल संबंधित राज्य तक सीमित है। यह शक्ति उच्च न्यायालय को स्थानीय स्तर पर न्याय और मौलिक अधिकारों का एक सुलभ और प्रभावी रक्षक बनाती है।

188. (B) भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है।
भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है; वर्तमान में केवल छह राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। अनुच्छेद 169 संसद को परिषद के सृजन या समाप्ति की शक्ति देता है, यदि विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। विधान परिषद स्थायी सदन है जिसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसकी सदस्य संख्या विधानसभा की एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती। यह व्यवस्था बड़े राज्यों में विधायी कार्यों के पुनर्विचार और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व हेतु एक वैकल्पिक सदन के रूप में कार्य करती है।

189. (C) राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर न्यायालय की राय मांग सकते हैं।
अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे सार्वजनिक महत्व के कानूनी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगें। न्यायालय राय देने हेतु बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति भी उसे स्वीकारने हेतु बाध्य नहीं हैं। यह प्रक्रिया जटिल संवैधानिक विवादों को सुलझाने और सरकार को कानूनी स्पष्टता देने में सहायक है। यह उच्चतम न्यायालय की एक विशेष सलाहकार शक्ति है जो कार्यपालिका को विधिक मार्ग दिखाने और संभावित संवैधानिक संकटों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

190. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
संविधान के भाग विशिष्ट क्षेत्रों को प्रशासित करते हैं। भाग 4-A में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। भाग 9 पंचायतों की स्थापना और ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है। भाग 9-A नगर पालिकाओं के कामकाज को विनियमित करता है। भाग 15 निर्वाचन आयोग और चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख करता है। इन भागों का सही मिलान भारतीय शासन व्यवस्था की त्रि-स्तरीय संरचना और लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व को स्पष्ट करता है। यह संरचना राष्ट्र के विधायी, प्रशासनिक और चुनावी ढांचे को संवैधानिक सुरक्षा और दिशा प्रदान करती है।

191. (A) यह संरचना में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है।
भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' कहा जाता है। इसकी संरचना संघीय है क्योंकि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। हालांकि, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपालों की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। यह व्यवस्था राष्ट्र की विविधता और अखंडता में संतुलन हेतु की गई है, जहाँ सामान्य समय में संघीय ढांचा प्रभावी रहता है परंतु संकट में केंद्र सर्वोपरि हो जाता है। यह अनूठी प्रणाली सुनिश्चित करती है कि देश की एकता पर कोई आंच न आए और राज्यों को उनकी आवश्यक स्वायत्तता भी प्राप्त रहे।

192. (A) केवल 1 and 2
भारतीय संविधान में कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों हेतु परिकल्पित हैं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) सार्वभौमिक हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। यह अंतर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु किया गया है। यह व्यवस्था स्पष्ट करती है कि जहाँ जीवन और समानता के अधिकार सार्वभौमिक मानवीय मूल्य हैं, वहीं राजनीतिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकता की विशिष्ट जिम्मेदारी और अधिकार है।

193. (B) सहकारी समितियों को बढ़ावा देना
97वें संशोधन 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसने अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियां' बनाने को मौलिक अधिकार बनाया और नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B जोड़ा। इसके अतिरिक्त, नया भाग 9-B शामिल किया गया जो समितियों के पारदर्शी और लोकतांत्रिक प्रबंधन हेतु नियम निर्धारित करता है। यह कदम स्थानीय आर्थिक सशक्तिकरण और सहकारिता की भावना को विधिक मान्यता देने हेतु महत्वपूर्ण था। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

194. (A) राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय
समान नागरिक संहिता पर चर्चा राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय के लक्ष्यों पर आधारित थी। समर्थकों का तर्क था कि अलग व्यक्तिगत कानून एकीकरण में बाधक हैं और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण होते हैं। एक समान कानून बनाकर सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को समानता का अधिकार देने की इच्छा प्रबल थी। हालांकि, अल्पसंख्यक अधिकारों और

धार्मिक संवेदनशीलता के कारण इसे तत्काल लागू करने के बजाय निर्देशक तत्वों में रखा गया। यह प्रावधान सामाजिक सुधार और विधिक एकरूपता के बीच संतुलन साधने का एक निरंतर चलने वाला संवैधानिक प्रयास है।

195. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत गरिमापूर्ण है और उनके वेतन-भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होकर संचित निधि पर भारित होते हैं। यह व्यवस्था उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। अध्यक्ष सदन का मुख्य रक्षक होता है जो व्यवस्था बनाए रखता है। यद्यपि दोनों कथन सही हैं, परंतु अध्यक्ष का प्रवक्ता होना उनके वेतन निर्धारण की विधिक प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। वेतन का संचित निधि पर भारित होना उनकी स्वायत्तता का प्रतीक है ताकि वे बिना किसी बाहरी दबाव के अपने दायित्व निभा सकें।

196. (D) भारत शासन अधिनियम, 1935
भारत शासन अधिनियम 1935 में कार्यकारी प्रमुखों को व्यापक अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त थीं। यह विवादास्पद विशेषता थी क्योंकि यह विधायिका के बिना कानून बनाने का अधिकार देती थी। संविधान निर्माताओं ने इस प्रथा को सीमित करते हुए अनुच्छेद 123 और 213 के तहत अध्यादेशों को केवल अस्थायी और आपातकालीन परिस्थितियों तक सीमित किया, जिसमें विधायी अनुमोदन अनिवार्य है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आपातकालीन स्थिति में शासन न रुके, परंतु कानून निर्माण की अंतिम शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सुरक्षित रहे।

197. (C) उपर्युक्त सभी
अनुच्छेद 13(3) में 'विधि' की परिभाषा व्यापक है। इसमें अधिनियमों के साथ राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश, कार्यकारी नियम, विनियम और अधिसूचनाएं शामिल हैं। कानून का बल रखने वाली कोई भी रूढ़ि या प्रथा भी इसके दायरे में आती है। यदि इनमें से कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह प्रावधान विधि के शासन को सुदृढ़ करता है और सुनिश्चित करता है कि राज्य की कोई भी कार्यवाही संविधान की मूल भावना और नागरिकों के अधिकारों के प्रतिकूल न हो।

198. (B) गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू तथा वाहक मवेशियों के वध पर प्रतिषेध लगाना।
अनुच्छेद 48 के अंतर्गत गोहत्या पर प्रतिषेध मुख्य रूप से गांधीवादी और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है, समाजवादी नहीं। समाजवादी सिद्धांत सामाजिक-आर्थिक समानता और श्रमिकों के हितों की रक्षा पर केंद्रित होते हैं। निर्धनों को विधिक सहायता और पर्यावरण रक्षा समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। गोहत्या निषेध का लक्ष्य ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान है जिसे गांधीवादी श्रेणी में रखा जाता है। यह प्रावधान वैज्ञानिक पशुपालन और नस्ल सुधार के माध्यम से ग्रामीण भारत के आर्थिक उत्थान का निर्देश देता है।

199. (D) 12
अनुच्छेद 80 के अनुसार, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिष्ठित विद्वान, जो चुनाव प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते, अपनी विशेषज्ञता से विधायी चर्चाओं में योगदान दे सकें। इन सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता। यह व्यवस्था उच्च सदन को बौद्धिक गहराई प्रदान करती है और राष्ट्र की विविध प्रतिभाओं को विधायी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष स्थान सुनिश्चित करती है।

200. (A) संविधान के भाग XII में
संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300 तक केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों, संविदा और वाद का विवरण है। यह भाग राजस्व वितरण, सहायता अनुदान और वित्त आयोग के गठन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को विनियमित करता है। यह संघीय ढांचे में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और केंद्र के संसाधनों के न्यायपूर्ण बंटवारे के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश का राजकोषीय प्रबंधन संवैधानिक नियमों के अनुरूप हो और केंद्र तथा राज्यों के बीच आर्थिक उत्तरदायित्वों का स्पष्ट सीमांकन बना रहे।

201. (C) आंतरिक अशांति
मूल संविधान में 'आंतरिक अशांति' राष्ट्रीय आपातकाल का आधार था। इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया गया। वर्तमान में आपातकाल केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। यह परिवर्तन सुनिश्चित करता है कि केवल राजनीतिक विरोध या नागरिक अशांति के आधार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन न किया जा सके। यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र को निरंकुशता से बचाने और आपातकालीन प्रावधानों को अधिक तार्किक एवं सुरक्षित बनाने की दिशा में था।

202. (A) 9 दिसंबर 1946
संविधान सभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कांस्टीट्यूशन हॉल में आयोजित हुआ। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम अध्यक्ष चुने गए। इस सत्र ने भारतीय संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा की नींव रखी। यह तिथि औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज और लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ने का पहला औपचारिक संवैधानिक कदम थी। यह स्वतंत्र भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में एक अत्यंत गौरवशाली और महत्वपूर्ण क्षण था।

203. (D) पंजीकृत या देशीयकृत नागरिक को, कपट या निष्ठाहीनता के कारण।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार वंचन द्वारा नागरिकता समाप्ति केवल उन पर लागू होती है जिन्होंने पंजीकरण या देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त की है। यदि उन्होंने कपट किया हो या संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, तो सरकार उनकी नागरिकता छीन सकती है। जन्म से नागरिक को साधारणतः

इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक निष्ठा सुनिश्चित करने का विधिक साधन है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नागरिकता के अधिकार का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या धोखे के लिए न किया जा सके।

204. (B) विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच शक्तियों का संलयन
भारतीय संसदीय प्रणाली का आधार विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और शक्तियों का संलयन है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के भी सदस्य होते हैं। कार्यपालिका अपनी शक्तियों हेतु विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यह अध्यक्षीय प्रणाली के विपरीत है जहाँ शक्तियों का कड़ा पृथक्करण होता है। भारत में केवल न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ताकि वह संविधान के रक्षक के रूप में निष्पक्षता से कार्य कर सके। यह समन्वय शासन में निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

205. (C) 'संविधान का हृदय और आत्मा'
डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था क्योंकि इसके बिना अन्य मौलिक अधिकार अर्थहीन हैं। यह अनुच्छेद नागरिकों को अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का मार्ग देता है। उनका मानना था कि अधिकारों की केवल घोषणा पर्याप्त नहीं है, उन्हें लागू कराने हेतु सशक्त विधिक उपचार अनिवार्य है। यह प्रावधान न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का वास्तविक गारंटीकर्ता और रक्षक बनाता है। यह नागरिकों को राज्य की शक्तियों के विरुद्ध अंतिम और सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

206. (D) वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखवाना।
अनुच्छेद 112 के अनुसार, राष्ट्रपति का दायित्व है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) संसद के समक्ष रखवाएं। उनकी पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता। यद्यपि उनकी कई कार्यकारी शक्तियां हैं, परंतु वे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते और न ही मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यह वित्तीय नियंत्रण में राष्ट्रपति की औपचारिक संवैधानिक भूमिका को दर्शाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकारी व्यय और कर लगाने की प्रक्रिया पर संसद का पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण बना रहे।

207. (A) भारत के राष्ट्रपति को
अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद छोड़ने हेतु राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देता है। चूंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अतः इस्तीफा भी उन्हीं को सौंपा जाता है। यह संवैधानिक प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पद का त्याग विधिक रूप से दर्ज हो। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति आयु से पूर्व किसी भी समय इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यह उनके पद की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की उच्च स्वायत्तता को बनाए रखते हुए पदमुक्ति का एक स्पष्ट विधिक मार्ग प्रदान करती है।

208. (B) मान्यता प्राप्त राजभाषाओं की सूची
संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाई विविधता को संवैधानिक मान्यता देती है। इसमें वर्तमान में 22 राजभाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, बाद में विभिन्न संशोधनों द्वारा अन्य को जोड़ा गया। इस अनुसूची का उद्देश्य इन भाषाओं के विकास को बढ़ावा देना और उन्हें सरकारी परीक्षाओं तथा आधिकारिक कार्यों में उपयोग हेतु विधिक आधार प्रदान करना है। यह सांस्कृतिक अखंडता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह राज्यों की भाषाई पहचान को सुरक्षित रखता है और राष्ट्र की बहुभाषी प्रकृति को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है।

209. (B) सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची
अनुच्छेद 368 के अनुसार, संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों हेतु विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। सातवीं अनुसूची की सूचियों में बदलाव केंद्र-राज्य शक्तियों के वितरण को प्रभावित करता है, इसलिए इसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि केंद्र एकपक्षीय ढंग से संघीय संतुलन न बिगाड़ सके। यह प्रणाली भारतीय संघवाद को सुदृढ़ बनाती है और राज्यों को अपनी विधायी स्वायत्तता की रक्षा करने का एक प्रभावी संवैधानिक अवसर और अधिकार प्रदान करती है।

210. (A) यह विश्वास कि यह अधिकारों के स्थान पर एक आर्थिक मुद्दा था।
संविधान सभा में गोहत्या निषेध को मौलिक अधिकारों में शामिल न करने का तर्क इसे आर्थिक और कृषि विकास के दृष्टिकोण से देखना था। निर्माताओं ने महसूस किया कि मवेशियों का संरक्षण वैज्ञानिक पशुपालन हेतु आवश्यक है। इसी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इसे अनुच्छेद 48 के तहत निर्देशक तत्वों में रखा गया। यह निर्णय धार्मिक भावनाओं और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच व्यावहारिक संतुलन बनाने हेतु लिया गया था। यह दृष्टिकोण कृषि प्रधान भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और पशुधन की गुणवत्ता सुधारने पर केंद्रित था।

211. (C) वे रिट के माध्यम से विधिक रूप से प्रवर्तनीय हैं।
मौलिक कर्तव्यों के बारे में यह कथन गलत है कि वे रिट के माध्यम से प्रवर्तनीय हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत, इनके उल्लंघन पर सीधे विधिक कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक विशिष्ट कानून न बना हो। ये कर्तव्य नागरिकों हेतु नैतिक मार्गदर्शक हैं जो राष्ट्र के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी परिभाषित करते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, इनका उपयोग कानूनों की संवैधानिकता की जांच हेतु व्याख्यात्मक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। ये अधिकार और कर्तव्य के बीच एक आवश्यक संतुलन बनाकर एक अनुशासित समाज का निर्माण करते हैं।

212. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राज्यपाल के पास शक्ति है कि वे राज्य विधानसभा का विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकें। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का कानून राष्ट्रीय हितों या संघीय ढांचे के प्रतिकूल न हो। राष्ट्रपति

की अनुमति हेतु विधेयक भेजना केंद्र द्वारा राज्यों पर विधिक पर्यवेक्षण का साधन है। अतः कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह राज्यपाल की दोहरी भूमिका स्पष्ट करता है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता बनाए रखने और विधायी एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

213. (C) केवल संसद विधि बना सकती है।
संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर देशव्यापी एकरूपता आवश्यक है। अनुच्छेद 246 के अनुसार, इन विषयों (जैसे रक्षा, रेलवे, बैंकिंग) पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल संसद के पास है। राज्य विधानमंडलों को इन पर हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय अखंडता और सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचे हेतु अनिवार्य है। यह केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के नीति निर्माण की शक्ति देती है ताकि राष्ट्र के हितों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संचालित किया जा सके।

214. (B) एक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द करना जिसने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो।
उत्प्रेषण रिट एक सुधारात्मक रिट है जिसे उच्च न्यायालय निचली अदालत के विरुद्ध जारी करता है। इसका उद्देश्य अधिकार क्षेत्र के अभाव या कानूनी त्रुटि के आधार पर दिए गए किसी निर्णय को पूर्णतः रद्द करना है। प्रतिषेध के विपरीत, उत्प्रेषण का प्रयोग निर्णय दिए जाने के बाद उसे सुधारने हेतु होता है। यह न्यायिक प्रणाली में त्रुटियों को दूर कर न्याय की शुद्धता और कानून का शासन सुनिश्चित करने का साधन है। यह सुनिश्चित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी विधिक सीमाओं के भीतर ही न्याय प्रदान करें।

215. (D) संयुक्त राज्य अमेरिका
लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। यह दस्तावेज़ सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट परिभाषित करने का क्रांतिकारी प्रयास था। भारत ने भी इसी मॉडल को अपनाते हुए एक विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया। लिखित संविधान कानून के शासन को सुदृढ़ करता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार की शक्तियां संविधान के प्रावधानों से ही प्राप्त हों। यह विधिक निश्चितता प्रदान करता है और शासन के अंगों के बीच शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रस्तुत करता है।

216. (B) केवल 2 and 3
भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है, न कि 'परिसंघ'। यह दोहरी शासन व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता प्रदान करता है जिसके सामने सरकार के अंग जवाबदेह हैं। 'संघ' शब्द स्पष्ट करता है कि किसी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। लिखित संविधान और शक्तियों का विभाजन इसकी संघीय प्रकृति को प्रमाणित करते हैं जो राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता का संतुलन है। यह संरचना विविध समुदायों को एक सूत्र में पिरोने और राष्ट्र की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से निर्मित है।

217. (C) अनुच्छेद 21A
'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' अनुच्छेद 21-A को प्रभावी बनाने हेतु अधिनियमित है। यह अनुच्छेद 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा मिले। यह न केवल साक्षरता बढ़ाने का साधन है, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के लक्ष्यों हेतु बुनियादी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। यह वंचित वर्गों के बच्चों को मुख्यधारा में लाने और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

218. (A) सर बी.एन. राव
सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वे एक प्रख्यात विधिवेत्ता थे जिन्होंने विभिन्न संविधानों का अध्ययन कर प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में प्रारूप समिति की सहायता की। उनके योगदान ने संविधान के दार्शनिक और विधिक ढांचे को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने में मुख्य भूमिका निभाई। उनकी विशेषज्ञता ने भारतीय संविधान को वैश्विक विधिक मानकों के अनुरूप बनाया। उन्होंने बिना किसी राजनीतिक पद के, पर्दे के पीछे रहकर भारतीय लोकतंत्र की नींव रखने में अतुलनीय सेवा प्रदान की, जो अत्यंत सराहनीय है।

219. (D) संविधान के भाग XIV में
संविधान के भाग 14 (अनुच्छेद 308-323) में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का विवरण है। इसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य आयोगों की संरचना, नियुक्ति और कार्यों का उल्लेख है। यह भाग सुनिश्चित करता है कि नियुक्तियाँ योग्यता के आधार पर हों और आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करें। यह सरकारी मशीनरी में निष्पक्षता, दक्षता और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति हेतु आवश्यक सुरक्षा कवच है। यह प्रशासनिक सुदृढ़ता और लोक सेवा की शुचिता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था है।

220. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
शासन प्रणालियों की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। अध्यक्षीय प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व पर चलती है। संघीय व्यवस्था की शर्त केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। एकात्मक प्रणाली में सभी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। इन विशेषताओं का मिलान यह समझने में मदद करता है कि राष्ट्र अपनी परिस्थितियों के अनुसार शासन का स्वरूप कैसे चुनते हैं। यह संवैधानिक संरचना और लोकतांत्रिक प्रशासन के विभिन्न मॉडलों के कार्यान्वयन को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

221. (C) या तो (A) या (B)
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को एक वर्ष के बाद जारी रखने हेतु दो शर्तें अनिवार्य हैं। या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होना चाहिए, अथवा निर्वाचन आयोग को प्रमाणित करना होगा कि चुनाव कराना संभव नहीं है। ये प्रतिबंध सुनिश्चित

करते हैं कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग न हो और यथाशीघ्र निर्वाचित सरकार की बहाली हो सके। यह संघीय मर्यादा बनाए रखने और राज्यों की लोकतांत्रिक स्वायत्तता की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो मनमानी कार्रवाइयों पर विधिक अंकुश लगाता है।

222. (D) भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में
न्यायिक समीक्षा की प्रणाली भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की प्रमुख विशेषता है। अमेरिका में यह अवधारणा मार्बरी बनाम मैडिसन वाद से उत्पन्न हुई, जबकि भारत में इसे प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। यह शक्ति न्यायालयों को कानूनों की संवैधानिकता की जांच का अधिकार देती है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, जहाँ न्यायालय संसद के कानूनों को अवैध घोषित नहीं कर सकते। यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान के सर्वोच्च प्रहरी के रूप में स्थापित करती है और कानून का शासन सुनिश्चित करती है।

223. (A) विधि सक्षम विधायिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारित की गई है।
'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का अर्थ है कि यदि स्वतंत्रता छीनने वाला कानून सक्षम विधायिका द्वारा उचित प्रक्रिया से बना है, तो वह वैध है। इसमें न्यायालय प्रक्रियात्मक शुद्धता की जांच करता है। मेनका गांधी वाद के बाद न्यायालय ने इसे 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' के समकक्ष बनाया, जिसका अर्थ है कि कानून न केवल विधिक, बल्कि न्यायपूर्ण और तार्किक भी होना चाहिए। यह व्याख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कार्यपालिका और विधायिका की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करने में न्यायपालिका की भूमिका को अत्यंत सशक्त बनाती है।

224. (B) सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना
अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था और मानहानि जैसे आधारों पर ही प्रतिबंध लग सकते हैं। 'सामाजिक सुधार' अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने का विधिक आधार नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सामाजिक सुधार हेतु राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अभिव्यक्ति के मामले में यह सुनिश्चित है कि विचारों का आदान-प्रदान स्वतंत्र रहे और केवल अनिवार्य सार्वजनिक हितों हेतु ही उस पर रोक लगे। यह लोकतांत्रिक बहस और स्वस्थ लोकमत के निर्माण हेतु एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा है।

225. (B) एच.सी. मुखर्जी
संविधान सभा में 'प्रचार' शब्द शामिल करने पर ईसाई प्रतिनिधि एच.सी. मुखर्जी ने इसका समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि सिद्धांतों को दूसरों तक पहुँचाना धर्म का अभिन्न अंग है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार है। यद्यपि कई सदस्यों को धर्मांतरण का भय था, पर सभा ने अंततः इस शब्द को स्वीकार किया। यह निर्णय भारत की धार्मिक बहुलता और सहिष्णुता के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता दर्शाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास को साझा करने और शांतिपूर्ण ढंग से उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता हो।

226. (A) एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' की थी। 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द तब प्रस्तावना में नहीं थे; उन्हें 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल प्रस्तावना उस संकल्प को दर्शाती थी जहाँ सत्ता जनता में हो, देश का प्रमुख निर्वाचित हो और वह बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। यह स्थिति स्वतंत्र भारत की नई राजनीतिक पहचान की आधारशिला थी जिसने वैश्विक मंच पर भारत को एक गौरवशाली लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और नागरिकों को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया।

227. (C) राष्ट्रीय आपातकाल
अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष हेतु बढ़ा सकती है। आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह माह से अधिक जारी नहीं रह सकता। यह प्रावधान संकट के समय राजनीतिक निरंतरता बनाए रखने हेतु किया गया है ताकि राष्ट्र का ध्यान सुरक्षा और स्थिरता पर रहे। अन्य प्रकार के आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की ऐसी शक्ति नहीं है। यह व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक शून्यता को रोकने और संवैधानिक सुचारुता बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

228. (D) विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क
अनुच्छेद 268 के अंतर्गत कुछ कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, परंतु उन्हें राज्यों द्वारा एकत्र और उपयोग किया जाता है। विनिमय पत्रों और चेकों पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क इसी श्रेणी में आता है। यह राजस्व बंटवारे की अनूठी व्यवस्था है जो राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और प्रशासनिक सुगमता हेतु बनाई गई है। यह संघीय ढांचे में वित्तीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक उत्तरदायित्वों को संतुलित करता है और राज्यों को स्थानीय स्तर पर राजस्व प्रबंधन की सुविधा देता है।

229. (C) संसद
अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह दो या अधिक राज्यों हेतु एक ही साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सके। उदाहरणार्थ, पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। यह प्रावधान प्रशासनिक सुगमता और न्यायिक संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु किया गया है। राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के पास ऐसी विधायी शक्ति नहीं है; इसके लिए संसद का अधिनियम अनिवार्य है। यह व्यवस्था छोटे राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च स्तरीय न्यायिक संरचना को सुलभ और आर्थिक रूप से वहनीय बनाने में सहायक होती है।

230. (B) 26 नवंबर, 1949
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसीलिए इस दिन को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, परंतु अंगीकरण की यह तिथि संविधान निर्माण प्रक्रिया की पूर्णता का प्रतीक है। प्रस्तावना

में भी इसी विशिष्ट तिथि का उल्लेख है। यह दिन उन महान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर है जिसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया।

231. (D) वस्तु एवं सेवा कर।
101वां संशोधन 2016 अप्रत्यक्ष कर ढांचे में सबसे बड़ा सुधार है, जिससे 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) लागू हुआ। इसने केंद्र और राज्यों के विभिन्न करों को समाप्त कर 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा साकार की। इसने संविधान में जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित नए प्रावधान जोड़े। इसका उद्देश्य व्यापारिक बाधाएं दूर करना और साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना है। यह सहकारी संघवाद का एक आधुनिक उदाहरण है जहाँ केंद्र और राज्य मिलकर राजस्व नीतियों का निर्धारण करते हैं और आर्थिक विकास की गति बढ़ाते हैं।

232. (A) नीति आयोग
नीति आयोग एक संविधान्येतर निकाय है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई है। इसके विपरीत, वित्त आयोग (280), निर्वाचन आयोग (324) और अंतर-राज्य परिषद (263) स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं जिनकी शक्तियों का स्रोत सीधे संविधान है। नीति आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री थिंक-टैंक का है जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह योजना आयोग का स्थान लेकर राज्यों की अधिक भागीदारी और रणनीतिक योजना निर्माण के माध्यम से राष्ट्र के विकास को एक नई और गतिशील दिशा प्रदान करता है।

233. (C) समानता का अधिकार
अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत 'समानता के अधिकार' का अंग है। यह राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता के अतिरिक्त कोई भी उपाधि देने से रोकता है। इसका उद्देश्य समाज में कृत्रिम भेदभाव और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को समाप्त करना है ताकि सभी नागरिकों को समान दर्जा मिले। भारत रत्न जैसे पुरस्कार 'सम्मान' हैं, अतः वे इस निषेध में नहीं आते। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नागरिक केवल अपनी योग्यता और सेवा से पहचान बनाएं, न कि किसी वंशानुगत या औपनिवेशिक अलंकरण से। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को पुष्ट करता है।

234. (A) केवल 2
संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं है। इसे प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। 24वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने हेतु बाध्य हैं और वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें गतिरोध पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अतः केवल दूसरा कथन ही विधिक रूप से सही है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान में कोई भी परिवर्तन पूर्ण विधायी सहमति और व्यापक विमर्श के पश्चात ही किया जा सके।

235. (D) भविष्य की संसदों के लिए उपयुक्त समय पर विधि बनाने का एक निर्देश।
संविधान सभा में समान नागरिक संहिता को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने का उद्देश्य इसे एक निरंतर विधायी लक्ष्य बनाए रखना था। निर्माताओं को यह स्पष्ट था कि राष्ट्र की एकता हेतु साझा कानून आवश्यक है, परंतु वे इसे संवेदनशील परिस्थितियों में थोपना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसे भविष्य की संसदों के विवेक पर छोड़ दिया कि वे उपयुक्त समय और सामाजिक सहमति विकसित होने पर इसे लागू करें। यह निर्माताओं के दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतीक था जो सामाजिक सुधारों को क्रमिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनाने में विश्वास रखते थे।

236. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
निवारक निरोध एक अनूठी विशेषता है जो अपराध रोकने हेतु बिना मुकदमे के हिरासत की अनुमति देती है। अनुच्छेद 22 सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जैसे सलाहकार बोर्ड की राय और आधारों की सूचना देना। यद्यपि दोनों कथन सत्य हैं, पर सुरक्षा उपाय निरोध की अनुमति का कारण नहीं हैं। निरोध की अनुमति राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु है, जबकि अनुच्छेद 22 के प्रावधान दमनकारी शक्ति पर अंकुश लगाने का साधन हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जहाँ सुरक्षा महत्वपूर्ण है, वहीं नागरिक की स्वतंत्रता के साथ पूर्णतः मनमानी न की जा सके।

237. (C) सात
संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल सात सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और डॉ. अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। समिति ने विभिन्न स्रोतों का अध्ययन कर विस्तृत मसौदा तैयार किया जिसे व्यापक बहस के बाद अपनाया गया। इन सात विद्वानों के परिश्रम ने ही आधुनिक भारत की कानूनी नींव रखी। उनके द्वारा तैयार किए गए मसौदे ने ही भारतीय संविधान को उसकी व्यापकता, स्पष्टता और दार्शनिक गहराई प्रदान की, जिसने देश को एक स्थिर लोकतांत्रिक संरचना दी। यह समिति संविधान निर्माण प्रक्रिया की वास्तविक इंजन और बौद्धिक शक्ति थी।

238. (D) भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश यह जिम्मेदारी संभालते हैं। 1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला ने इस प्रावधान के तहत अपनी सेवाएं दी थीं। यह व्यवस्था राष्ट्र के सर्वोच्च कार्यकारी पद पर निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में संवैधानिक प्रमुख का उत्तरदायित्व सुचारू रूप से संचालित होता रहे और शासन में शून्यता न आए।

239. (A) 100, 61, 52
वर्तमान में संघ सूची में लगभग 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। मूलतः यह संख्या

97, 66 और 47 थी। विषयों की यह बदलती संख्या प्रशासनिक आवश्यकताओं और केंद्र-राज्य संबंधों के विकास को दर्शाती है। संघ सूची का व्यापक होना राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों पर केंद्र के मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता को सिद्ध करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि रक्षा, संचार और आर्थिक स्थिरता जैसे क्षेत्रों में पूरे देश के लिए एक ही प्रभावी नीति और विधिक ढांचा बना रहे जो राष्ट्र की अखंडता हेतु आवश्यक है।

240. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। डॉ. अंबेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में मसौदा तैयार किया। सरदार पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व कर रियासतों के एकीकरण पर कार्य किया। आर.वी. धुलेकर हिंदी को राजभाषा बनाने के मुखर समर्थक थे। इन सभी के समन्वित प्रयासों से एक संतुलित संविधान का निर्माण संभव हुआ। विभिन्न वैचारिक दृष्टिकोणों के इस संगम ने ही भारतीय लोकतंत्र को एक ऐसी नींव प्रदान की जो दशकों के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद स्थिर और प्रेरणादायक बनी हुई है।

241. (B) इसने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया।
24वां संशोधन 1971 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने गोलकनाथ वाद के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। इसने स्पष्ट किया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन की पूर्ण शक्ति है। साथ ही, इसने अनिवार्य किया कि राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति 'देंगे', जिससे उनकी वीटो की संभावना समाप्त हो गई। इसने विधायी सर्वोच्चता को पुष्ट किया और संशोधन प्रक्रिया को निश्चित बनाया। यह संशोधन संसद की उन शक्तियों को पुनः स्थापित करने की दिशा में था जो सामाजिक परिवर्तन हेतु आवश्यक मानी गई थीं।

242. (A) फ्रांसीसी क्रांति
प्रस्तावना में निहित 'स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व' के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति के प्रसिद्ध नारों से प्रेरित हैं। ये शब्द समाज के निर्माण के संकल्प हैं जहाँ व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि हो। इन आदर्शों को प्रस्तावना में शामिल करना दर्शाता है कि भारतीय गणतंत्र वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा के सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। ये मूल्य केवल राजनीतिक अधिकार नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और मानवीय सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला हैं जो प्रत्येक भारतीय को समान अवसर और गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

243. (C) मोरारजी देसाई
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हटाया गया था। 1978 के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को निरस्त कर दिया गया। इसका उद्देश्य भूमि सुधारों को सुगम बनाना और आर्थिक न्याय के मार्ग की बाधाओं को दूर करना था। इसके बाद संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार (300-A) बन गया। यह परिवर्तन भारतीय राज्य की समाजवादी दिशा और लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं में बदलाव का प्रतीक था जिसने संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और लोक कल्याण को व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर वरीयता दी।

244. (D) सुकुमार सेन
सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उनके नेतृत्व में ही भारत ने 1951-52 और 1957 के पहले दो ऐतिहासिक आम चुनावों का सफल आयोजन किया। उस समय विशाल और निरक्षर आबादी हेतु चुनाव कराना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने ही चुनावी प्रक्रियाओं और चुनाव चिन्हों के वितरण की नींव रखी। उनके उत्कृष्ट प्रबंधन ने भारतीय लोकतंत्र की सफलता और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को विश्व स्तर पर स्थापित किया। उनकी दूरदर्शिता और निष्पक्षता ने भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की उस परंपरा को जन्म दिया जो आज भी लोकतंत्र का आधार स्तंभ है।

245. (C) नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों।
पर्यावरण की रक्षा का प्रावधान संविधान के दो हिस्सों में है। 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48-A को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, जो राज्य को पर्यावरण रक्षा का निर्देश देता है। साथ ही, अनुच्छेद 51-A(g) के तहत इसे नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। यह दोहरा उल्लेख पर्यावरण संरक्षण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है, जहाँ यह केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नागरिक का भी उत्तरदायित्व है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों और वन्यजीवों का संरक्षण एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प बने जो भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य हेतु अनिवार्य है।

246. (B) इसका उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों में है।
'अविश्वास प्रस्ताव' शब्द का प्रत्यक्ष उल्लेख संविधान में नहीं है। अनुच्छेद 75(3) केवल यह कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसे लागू करने की प्रक्रिया 'लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों' के नियम 198 में दी गई है। इसके अनुसार, यदि सदन सरकार में विश्वास की कमी महसूस करता है, तो प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटाया जा सकता है। यह संसदीय लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली उपकरण है जो कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करता है और सरकार को निरंतर जवाबदेह बनाए रखता है।

247. (D) 62 वर्ष
अनुच्छेद 217 के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु यह 65 वर्ष है। पूर्व में यह 60 वर्ष थी, जिसे 15वें संशोधन 1963 द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे उन न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते जहाँ वे स्थायी न्यायाधीश रहे हों। यह व्यवस्था न्यायिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सेवानिवृत्ति के पश्चात पद की गरिमा बनाए रखने हेतु की गई है। यह उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक आवश्यक विधिक अंग है।

248. (A) अनुच्छेद 268 से 293
भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का ढांचा है। यह करों के अधिरोपण, वितरण और सहायता अनुदान के नियमों को स्पष्ट करता है। इसमें वित्त आयोग की भूमिका का भी उल्लेख है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे में वित्तीय संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और राज्यों की आर्थिक स्थिरता हेतु बनाई गई है। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्राप्त करें और राजस्व का बंटवारा किसी भी प्रकार के राजनीतिक भेदभाव से मुक्त होकर संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हो।

249. (C) अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित करने की शक्ति है। हालांकि, 44वें संशोधन (1978) के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। यह सुनिश्चित करता है कि संकट के समय भी व्यक्ति की विधिक सुरक्षा और जीवन का अधिकार सुरक्षित रहे। यह नागरिक स्वतंत्रता की अंतिम रक्षा रेखा है। यह व्यवस्था राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाती है और आपातकाल के दौरान भी मानवीय गरिमा तथा बुनियादी कानूनी अधिकारों के हनन को रोकने का एक सुदृढ़ विधिक कवच प्रदान करती है।

250. (A) इसने विधायिका के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की।
डॉ. अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि अध्यक्षीय प्रणाली 'स्थिरता' दे सकती है, परंतु संसदीय प्रणाली अधिक 'जवाबदेही' सुनिश्चित करती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र हेतु यह आवश्यक था कि सरकार हर दिन संसद और जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। इसके अतिरिक्त, भारतीय नेता ब्रिटिश शासन के दौरान इस प्रणाली का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। अतः जवाबदेही को स्थिरता पर वरीयता देते हुए संसदीय लोकतंत्र चुना गया। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका हमेशा जन प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण में रहे और उसकी नीतियां जनहित के अनुकूल हों।

251. (D) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत 'न्यायालय की अवमानना' अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की गरिमा और आदेशों की प्रभावशीलता सुरक्षित रखना है। यदि किसी भाषण से न्याय प्रशासन में बाधा आती है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कानून के शासन को नष्ट करने हेतु न हो। यह संतुलन अनिवार्य है ताकि जहाँ नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिले, वहीं न्याय प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था की साख और मर्यादा भी किसी भी प्रकार के निराधार हमलों से सुरक्षित बनी रहे।

252. (B) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किया।
69वें संशोधन 1991 के माध्यम से दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' (NCTD) नामित किया गया और वहां विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद का प्रावधान हुआ। इसने अनुच्छेद 239-AA और 239-AB जोड़े। यद्यपि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना रहा, पर वहां के निवासियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय शासन में भागीदारी मिली। यह केंद्र के नियंत्रण और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के बीच अनूठा समन्वय है। यह व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी की विशिष्ट आवश्यकताओं और वहां की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच एक संतुलित प्रशासनिक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

253. (C) उपर्युक्त सभी
केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु समय-समय पर महत्वपूर्ण समितियां गठित की गईं। तमिलनाडु सरकार ने 1969 में राजमन्नार समिति बनाई। केंद्र ने 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया, जिसने संघीय संतुलन पर रिपोर्ट दी। 2007 में पुंछी आयोग बनाया गया। इन समितियों ने राज्यपाल की भूमिका और वित्तीय संसाधनों के वितरण जैसे जटिल मुद्दों पर अनुशंसाएँ दीं। ये सिफारिशें भारतीय संघवाद को अधिक सहयोगात्मक और गतिशील बनाने की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध हुई हैं, जिससे राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र की एकता के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिली है।

254. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में 'संवैधानिक सर्वोच्चता' का सिद्धांत है। अनुच्छेद 13 के अनुसार, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून शून्य होगा। इसी व्यवस्था हेतु उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई है। न्यायालय जांच करता है कि संसद के कार्य संविधान के दायरे में हैं या नहीं। अतः कारण सही व्याख्या करता है कि क्यों न्यायालय के पास कानून को अवैध घोषित करने का अंतिम अधिकार है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी विधायी या कार्यकारी निकाय संविधान से ऊपर न जा सके और कानून का शासन तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अखंडता अक्षुण्ण रहे।

255. (A) संविधान-पूर्व किसी संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद।
अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल क्षेत्राधिकार केवल उन विवादों तक सीमित है जो भारत सरकार और राज्यों के बीच होते हैं। हालांकि, संविधान के लागू होने से पहले की गई संधियों या समझौतों से उत्पन्न विवादों को इस क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय की राय मांग सकते हैं, लेकिन ये सीधे मुकदमे के रूप में नहीं आते। यह व्यवस्था ऐतिहासिक दायित्वों और संधियों के संदर्भ में राज्य की संप्रभुता और विधिक निरंतरता को संतुलित करने हेतु की गई है ताकि पुराने विवाद वर्तमान न्यायिक प्रणाली के सुचारु संचालन में बाधक न बनें।

256. (B) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य।
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) शामिल होते हैं। इसमें

राज्य विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। यह व्यवस्था इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव पूर्णतः संघीय विधायी संस्थाओं द्वारा हो, जो उनके मुख्य कार्यक्षेत्र यानी संसद के उच्च सदन की गरिमा और संचालन के अनुकूल हो।

257. (B) अनुच्छेद 21
उच्चतम न्यायालय ने कई वादों में स्पष्ट किया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' का अंग है। न्यायालय के अनुसार, निजता और गरिमा के अधिकार में यह स्वतंत्रता शामिल है कि वयस्क व्यक्ति जीवनसाथी का निर्णय स्वयं ले। यह अधिकार बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। अनुच्छेद 21 की यह व्यापक व्याख्या व्यक्तिगत स्वायत्तता और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को विधिक आधार देती है। यह अधिकार समाज के उन पुरातन और दमनकारी बंधनों के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है जो उसके मौलिक चयन और खुशहाली के मार्ग में बाधक होते हैं।

258. (A) अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक पांच वर्ष में 'वित्त आयोग' का गठन करते हैं। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण हेतु सिफारिशें करना है। यह संघीय राजस्व के आवंटन हेतु सिद्धांत निर्धारित करता है और सहायता अनुदान के उपायों का सुझाव देता है। वित्त आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में राजकोषीय संतुलन सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्था भारतीय संघीय ढांचे में आर्थिक न्याय और संसाधनों के वैज्ञानिक एवं न्यायपूर्ण बंटवारे का आधार है, जिससे राज्यों को उनके विकास कार्यों हेतु पर्याप्त और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

259. (C) राजनीतिक असहमति और विपक्ष का दमन किया जा सके।
संविधान सभा में एच.वी. कामथ और कुंजरू जैसे सदस्यों ने चिंता व्यक्त की थी कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने हेतु किया जा सकता है। उन्हें भय था कि 'आंतरिक अशांति' जैसे शब्दों का सहारा लेकर मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं और तानाशाही स्थापित हो सकती है। 1975 के अनुभवों ने इन चिंताओं को सही साबित किया, जिसके कारण 44वें संशोधन द्वारा कड़े सुरक्षा उपाय जोड़े गए। यह ऐतिहासिक विमर्श दर्शाता है कि हमारे निर्माता आपातकालीन प्रावधानों की आवश्यकता और उनके संभावित दुरुपयोग के बीच के सूक्ष्म खतरे के प्रति प्रारंभ से ही अत्यंत सचेत और गंभीर थे।

260. (B) केवल 1 and 3
संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं है। हालांकि, इसे प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित करना अनिवार्य है। 24वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति देने हेतु संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। यह प्रक्रिया संशोधन की गंभीरता और विधायी स्वायत्तता को पुष्ट करती है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान की मूल भावना में कोई भी परिवर्तन दलीय प्राथमिकताओं के बजाय एक व्यापक राष्ट्रीय विधायी सहमति और गहन संसदीय विमर्श के पश्चात ही संभव हो सके।

261. (C) प्रथम संशोधन
नौवीं अनुसूची को 1951 के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेहरू सरकार ने महसूस किया कि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा और संपत्ति के अधिकार की चुनौतियों से बचाना आवश्यक है। इसमें शामिल कानूनों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता था कि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। यह सामाजिक-आर्थिक समानता हेतु उठाया गया रणनीतिक कदम था। यह अनुसूची भारत में जमींदारी उन्मूलन और कृषि सुधारों को विधिक सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य साधन बनी, जिससे करोड़ों भूमिहीन किसानों को लाभ पहुँचा और राष्ट्र के सामाजिक ढांचे में एक क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो सका।

262. (B) अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह स्पष्ट करता है कि राज्य के अधीन नियुक्ति में जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हालांकि, अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय और योग्यता आधारित प्रशासन में संतुलन बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सेवाओं में समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो, जिससे एक समावेशी प्रशासनिक तंत्र का निर्माण हो सके जो वास्तव में राष्ट्र की विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो।

263. (D) टी.टी. कृष्णमाचारी
टी.टी. कृष्णमाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों के गैर-प्रवर्तनीय स्वभाव के कारण उन्हें 'पवित्र अधिशेष' या 'भावनाओं का कूड़ादान' कहा था। उनका मानना था कि विधिक बल के बिना ये सरकारों हेतु केवल अच्छे विचारों की सूची मात्र हैं। उनके अनुसार, कानूनी अनिवार्यता के बिना ये शासन में कोई वास्तविक बदलाव लाने में अक्षम हो सकते थे। हालांकि, समय के साथ ये तत्व शासन हेतु महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं। न्यायालयों ने भी कानूनों की व्याख्या करते समय इन तत्वों को आधार बनाया है, जिससे स्पष्ट होता है कि विधिक प्रवर्तनीयता न होने के बावजूद इनकी संवैधानिक महत्ता और प्रभावशीलता अत्यंत गहरी है।

264. (A) न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है।
अनुच्छेद 74(2) के अनुसार, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय में नहीं हो सकती। यह प्रावधान कार्यकारी गोपनीयता और राष्ट्रपति-मंत्री संवाद की सुरक्षा हेतु है। हालांकि, एस.आर. बोम्मई वाद में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि 'सलाह' की जांच नहीं हो सकती, पर वह 'सामग्री' जिस पर सलाह आधारित है, न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकती है। यह व्यवस्था कार्यकारी विशेषाधिकार

और न्यायिक उत्तरदायित्व में संतुलन बनाती है ताकि जहाँ सरकारी गोपनीयता बनी रहे, वहीं असंवैधानिक या मनमाने आधारों पर लिए गए निर्णयों को रोका जा सके।

265. (C) व्यपगत हो जाता है।
अनुच्छेद 107 के अनुसार, लोकसभा के विघटन पर वे प्रत्येक विधेयक व्यपगत या समाप्त हो जाते हैं जो लोकसभा में लंबित हों या जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया हो पर राज्यसभा में लंबित हो। इसका उद्देश्य यह है कि नवनिर्मित लोकसभा अपने विधायी एजेंडे के साथ नए सिरे से कार्य करे। हालांकि, राज्यसभा में लंबित विधेयक (लोकसभा द्वारा पारित न किए गए) व्यपगत नहीं होते। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि विधायी प्रक्रिया में एक स्पष्ट विराम और नवीनता बनी रहे, जिससे जनता का नया जनादेश विधायी प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो सके।

266. (A) संसद
अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद के पास है। संसद कानून बनाकर समय-समय पर यह संख्या बढ़ा सकती है। मूल संविधान में केवल आठ न्यायाधीश थे, जिसे कार्यभार देखते हुए कई बार बढ़ाया गया। वर्तमान में यह संख्या 34 है। यह शक्ति संसद को न्यायपालिका के प्रशासनिक ढांचे पर नियंत्रण देती है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका के पास देश की विशाल विधिक आवश्यकताओं और लंबित मामलों के समाधान हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों, जो त्वरित न्याय की दिशा में एक अनिवार्य विधायी उत्तरदायित्व है।

267. (D) दो माह
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के पश्चात, इसे दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। यदि संसद साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन नहीं करती, तो घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल हेतु यह सीमा एक माह है। एक बार अनुमोदित होने पर यह छह माह प्रभावी रहता है और अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ सकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि किसी राज्य में लोकतांत्रिक सरकार का निलंबन केवल अनिवार्य स्थितियों में ही हो और उस पर संसद का निरंतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण बना रहे।

268. (B) कनाडा
भारतीय संविधान में एक 'मजबूत केंद्र' वाला संघीय विचार कनाडा से लिया गया है। अमेरिकी मॉडल के विपरीत, जहाँ राज्यों के पास अधिक स्वायत्तता है, भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां और राज्यों पर अधिक नियंत्रण (जैसे राज्यपालों की नियुक्ति) प्रदान किया गया है। भारत 'राज्यों का संघ' है जो अखंडता हेतु उपयुक्त है। यह प्रेरणा संघीय शासन के उन पहलुओं को अपनाने में सहायक रही जो राष्ट्र की एकता और क्षेत्रीय विविधता में प्रभावी समन्वय स्थापित करते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार संकट के समय राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने में पूर्णतः सक्षम और विधिक रूप से सशक्त बनी रहे।

269. (C) उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और रक्षक है। न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वह संविधान के प्रावधानों का सही अर्थ स्पष्ट करे और असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर दे। न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि शासन के सभी अंग अपनी सीमाओं में कार्य करें। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की अखंडता सुरक्षित रखने का आधार स्तंभ है। यह लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है, जो सुनिश्चित करता है कि बहुमत की सरकार भी संविधान के बुनियादी मूल्यों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके।

270. (D) धार्मिक समुदाय या समूह
धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस ने व्यक्ति के विश्वास और समुदायों के संगठित अधिकारों के बीच तनाव को उजागर किया। मुख्य मुद्दा था कि क्या यह स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार है या इसमें समुदायों को संस्थाएं चलाने का अधिकार भी शामिल है। अंततः अनुच्छेद 25 (व्यक्तिगत) और अनुच्छेद 26 (सामूहिक प्रबंधन) के माध्यम से संतुलन स्थापित किया गया। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जहाँ व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार मिले, वहीं धार्मिक समूहों को भी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रबंधित करने और सामाजिक-शैक्षणिक योगदान देने की पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो।

271. (A) के.एम. मुंशी
के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को "हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली" कहा था। जैसे जन्मकुंडली भविष्य का संकेत देती है, प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति और महान उद्देश्यों का सार प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्र के लक्ष्यों का संक्षिप्त विवरण है। यह शब्द प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित करता है जो पूरे संविधान के दर्शन को प्रतिबिंबित करने वाला शक्तिशाली मार्गदर्शक दस्तावेज है। यह न केवल शासन के स्वरूप को स्पष्ट करता है, बल्कि नागरिकों के प्रति राज्य की उन शाश्वत प्रतिबद्धताओं को भी लिपिबद्ध करता है जो हमारे लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति और पहचान हैं।

272. (B) अनुच्छेद 17
अनुच्छेद 17 'अस्पृश्यता' को पूर्णतः समाप्त करने की घोषणा करने वाला क्रांतिकारी प्रावधान है। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है और इससे उत्पन्न अक्षमता को लागू करना दंडनीय अपराध होगा। यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। इस हेतु संसद ने 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955' पारित किया। यह अनुच्छेद न केवल एक विधिक निषेध है, बल्कि यह सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने और एक समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण नैतिक और मानवीय उद्घोषणा है।

273. (B) अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन स्थापित करना।
मौलिक कर्तव्यों का दर्शन यह है कि लोकतंत्र में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नागरिकों को बोध होना चाहिए कि अधिकारों के साथ राष्ट्र के प्रति उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। कर्तव्यों का समावेश नागरिकों को राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहने और एकता-अखंडता हेतु समर्पित होने को प्रेरित करता है। यह अधिकारों के उपभोग को सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ संतुलित कर जिम्मेदार नागरिक समाज बनाता है। यह व्यवस्था स्पष्ट करती है कि एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण केवल अधिकारों की मांग से नहीं, बल्कि साझा कर्तव्यों के प्रति समर्पण और निष्ठा से ही संभव है।

274. (A) अनुच्छेद 112
अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति का दायित्व है कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु संसद के समक्ष 'वार्षिक वित्तीय विवरण' रखवाएं। संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस विवरण में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का ब्यौरा होता है। यह विधायी प्रक्रिया वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और अनिवार्य बनाती है कि जनता के धन का व्यय संसद की स्वीकृति के बिना न हो। यह शासन के वित्तीय उत्तरदायित्व का मूल आधार है, जो सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका राजकोषीय प्रबंधन में पूर्णतः अनुशासित रहे और प्रत्येक पैसे का हिसाब निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को दे।

275. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनुच्छेद 79 के अनुसार, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है। यद्यपि राष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु वह संसद का अनिवार्य अंग है क्योंकि कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो जाए। राष्ट्रपति का यह हस्ताक्षर ही राष्ट्र की कार्यकारी सहमति का प्रतीक है। अतः कारण अभिकथन की सही व्याख्या प्रदान करता है। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में विधायी विमर्श और कार्यकारी संपुष्टि का एक सुदृढ़ तालमेल बना रहे, जो संसदीय लोकतंत्र के सुचारु संचालन हेतु अनिवार्य और आधारभूत है।

276. (D) केवल तभी जब राज्य विधानसभा सत्र में न हो।
अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, परंतु इसका प्रयोग केवल तभी संभव है जब विधानमंडल सत्र में न हो। यदि तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो वे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं जिसका प्रभाव अधिनियम के समान होता है। सत्र पुनः शुरु होने के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदन अनिवार्य है। यह असाधारण शक्ति केवल विधायी शून्यता में प्रयोग होनी चाहिए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आपातकालीन स्थितियों में राज्य का शासन न रुके, परंतु कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति अंततः निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पास ही बनी रहे।

277. (C) अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है। न्यायालय इनकी रक्षा हेतु पांच प्रकार की रिट जारी करने हेतु सशक्त है। यह अनुच्छेद स्वयं में मौलिक अधिकार है, जो इसे संविधान का 'सुरक्षा कवच' बनाता है। इसके बिना अन्य अधिकार केवल कागजी घोषणाएं रह जाते। यह न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का अंतिम प्रहरी बनाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि शक्तिशाली राज्य भी किसी भी स्थिति में नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का मनमाना हनन न कर सके और न्याय की पहुँच प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ बनी रहे।

278. (B) कैबिनेट मिशन योजना, 1946
संविधान सभा का गठन 1946 की 'कैबिनेट मिशन योजना' के आधार पर हुआ। योजना ने सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव दिया, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य किया। इसने जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया और विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया। यद्यपि इसने अखंड भारत हेतु प्रयास किया था, परंतु अंततः यही सभा स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने का आधार बनी। इसने एक ऐसी संस्थागत संरचना प्रस्तुत की जिसने अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को एक ठोस और व्यवस्थित रूप प्रदान करने में सफलता प्राप्त की।

279. (D) स्वेच्छा से अन्य नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिक की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है।
भारतीय संविधान 'एकल नागरिकता' के सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 9 के अनुसार, जैसे ही कोई नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करता है, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। यह प्रावधान राष्ट्रीय निष्ठा और विधिक स्पष्टता हेतु आवश्यक है। केवल आलोचना या विदेश में विवाह नागरिकता छीनने का आधार नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों की निष्ठा और विधिक दायित्व केवल एक ही राष्ट्र के प्रति हों, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अनिवार्य संवैधानिक और विधिक आवश्यकता है।

280. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
प्रस्तावना के शब्द भारतीय राज्य की प्रकृति स्पष्ट करते हैं। 'संप्रभु' का अर्थ है भारत बाह्य नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। 'समाजवादी' मिश्रित अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय पर बल देता है। 'पंथनिरपेक्ष' यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। 'गणराज्य' का तात्पर्य है कि राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा। यह मिलान संवैधानिक दर्शन का सार प्रस्तुत करता है। ये शब्द केवल शब्दावली नहीं हैं, बल्कि ये उस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे को परिभाषित करते हैं जिसका निर्माण करने के लिए हमारा संविधान और संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र निरंतर प्रयासरत और प्रतिबद्ध है।

281. (C) 97वां संशोधन
2011 के 97वें संशोधन ने सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने हेतु इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया। इसने अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा, जिससे नागरिकों को

समितियां गठित करने का स्पष्ट अधिकार मिला। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43-B जोड़कर राज्य को इन्हें बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। यह परिवर्तन आर्थिक लोकतंत्र और स्थानीय सहकारिता को विधिक मान्यता देने हेतु क्रांतिकारी कदम था। यह व्यवस्था ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटे उत्पादकों और उपभोक्ताओं को संगठित होकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु एक मजबूत संवैधानिक आधार और सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

282. (A) केंद्रीय संसद में
अनुच्छेद 248 के अनुसार, 'विधायी अवशिष्ट शक्तियाँ' केंद्रीय संसद में निहित हैं। इसका तात्पर्य उन विषयों से है जिनका उल्लेख सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची में नहीं किया गया है। इन नए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल संसद के पास है। यह व्यवस्था भारत के 'सशक्त केंद्र' वाले संघीय ढांचे को पुष्ट करती है। अमेरिका जैसे देशों में ये शक्तियाँ राज्यों के पास होती हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि तकनीक या समाज में भविष्य में आने वाले किसी भी नवीन और जटिल विधायी विषय पर निर्णय लेने की सर्वोच्च और एक समान शक्ति केंद्र के पास ही सुरक्षित रहे।

283. (D) सार्वजनिक पद को अवैध रूप से हड़पने से रोकना।
'अधिकार पृच्छा' रिट का अर्थ 'किस अधिकार से' है। यह न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होती है जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन है। न्यायालय पद धारण करने के अधिकार की वैधता की जांच करता है। यदि दावा अवैध पाया जाता है, तो उसे पद से हटा दिया जाता है। यह रिट केवल स्थायी विधिक या संवैधानिक पदों हेतु जारी हो सकती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक कार्यालयों की शुचिता बनी रहे और कोई भी व्यक्ति बिना उचित विधिक योग्यता या प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पदों का लाभ न ले सके, जो सुशासन का आधार है।

284. (B) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई का विशेष बहुमत।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के अनुमोदन हेतु 44वें संशोधन के बाद विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य है। पूर्व में यह साधारण बहुमत से होता था, पर दुरुपयोग रोकने हेतु इसे कठोर बनाया गया। एक बार अनुमोदित होने पर आपातकाल छह माह तक जारी रहता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग केवल तभी संभव हो जब संसद में इसके प्रति एक व्यापक और अत्यंत सुदृढ़ विधायी सहमति उपलब्ध हो।

285. (C) अनुच्छेद 44
समान नागरिक संहिता (UCC) का संदर्भ अनुच्छेद 44 में निहित है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह समस्त भारत में नागरिकों हेतु एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करे। इसका लक्ष्य विवाह और उत्तराधिकार जैसे निजी मामलों में सभी धर्मों हेतु एक ही कानून बनाना है। सभा में भाषाई और धार्मिक विविधताओं के कारण इसे भविष्यगामी निर्देशक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया था। यह प्रावधान सामाजिक सुधार, लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक संवैधानिक संकल्प है, जिसे प्राप्त करने का उत्तरदायित्व समय के साथ विकसित होने वाली सामाजिक सहमति पर छोड़ दिया गया है।

286. (D) भारत शासन अधिनियम, 1919
भारत शासन अधिनियम 1919 ने पहली बार प्रांतों में 'द्वैध शासन' प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके तहत विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' भागों में बांटा गया था। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी परिषद से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचित मंत्रियों के माध्यम से होता था जो विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। यह प्रयोग उत्तरदायी सरकार की दिशा में एक प्रारंभिक और सीमित कदम था। इसने भारतीयों को विधायी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया, जिसने बाद में 1935 के अधिनियम के तहत पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन का मार्ग प्रशस्त किया।

287. (A) दोहरी नागरिकता
'दोहरी नागरिकता' भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है; भारत 'एकल नागरिकता' के सिद्धांत का पालन करता है। संघीय देशों में अक्सर केंद्र और राज्य की अलग नागरिकता होती है, पर भारत ने राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने हेतु पूरे देश हेतु केवल एक नागरिकता का प्रावधान किया है। संसदीय स्वरूप, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय ढांचा वास्तविक विशेषताएं हैं। एकल नागरिकता यह सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी राज्य के निवासी हों, समान रूप से केवल भारत माता के प्रति ही निष्ठा रखें। यह भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद एक सुदृढ़ राष्ट्रीय पहचान को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।

288. (B) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' को संविधान के 'हृदय और आत्मा' के रूप में वर्णित किया था। उनका मानना था कि अधिकारों की घोषणा व्यर्थ है यदि उन्हें लागू कराने हेतु प्रभावी विधिक तंत्र न हो। अनुच्छेद 32 नागरिकों को शक्ति देता है कि अधिकारों के हनन पर वे सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकें। यह न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का वास्तविक रक्षक बनाता है। यह अनुच्छेद स्वयं में एक मौलिक अधिकार है जो यह गारंटी देता है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अन्य सभी अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य को न्यायसंगत ढंग से जवाबदेह ठहराया जा सके।

289. (B) संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा दिल्ली-पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्यों को इस चुनाव में भाग लेने का

अधिकार नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र और उसके घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संघीय संवैधानिक प्रमुख हो। यह प्रक्रिया राष्ट्राध्यक्ष के पद को दलीय राजनीति से ऊपर रखकर उसे समस्त भारतीय जनता और राज्यों की सामूहिक इच्छा का प्रतीक और राष्ट्र का सर्वोच्च संरक्षक बनाती है।

290. (A) केवल 2
संविधान संशोधन विधेयक संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने हेतु बाध्य हैं और उसे पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकते। इसमें गतिरोध पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अतः केवल दूसरा कथन विधिक रूप से सही है जो संशोधन प्रक्रिया की स्वायत्तता को रेखांकित करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संविधान का स्वरूप स्थिर बना रहे और उसमें कोई भी परिवर्तन केवल तभी हो जब देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक बड़ा बहुमत और विभिन्न राजनीतिक धाराएं उस पर पूरी तरह सहमत हों।

291. (C) अनुच्छेद 3
अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वह किसी राज्यक्षेत्र को अलग कर या राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सके। संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने या सीमाओं में परिवर्तन करने में सक्षम है। यह प्रावधान भारतीय संघ की 'अविनाशी संघ' होने की प्रकृति को पुष्ट करता है। यद्यपि राज्य विधानसभा से विचार मांगे जाते हैं, पर संसद उनकी राय मानने हेतु बाध्य नहीं है। यह केंद्र सरकार को प्रशासनिक कुशलता और भाषाई या क्षेत्रीय मांगों के आधार पर देश के आंतरिक राजनीतिक मानचित्र को पुनर्गठित करने की आवश्यक और प्रभावी संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है।

292. (D) केशवानंद भारती वाद
उच्चतम न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती वाद में 'बुनियादी संरचना' के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संशोधन की व्यापक शक्ति है, पर वह संविधान के उन मौलिक लक्षणों को नष्ट नहीं कर सकती जो इसकी पहचान हैं। इस सिद्धांत ने संसदीय सर्वोच्चता और संवैधानिक मर्यादा में स्थायी संतुलन स्थापित किया। इसने लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और शक्तियों के पृथक्करण जैसे मूल स्तंभों को विधायी मनमानी से सुरक्षा प्रदान की। यह निर्णय भारतीय संविधान के इतिहास में न्यायपालिका की सबसे दूरगामी और महत्वपूर्ण व्याख्या मानी जाती है जिसने संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखा।

293. (C) ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।
अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना एक प्रमुख गांधीवादी विचारधारा का प्रतीक है। गांधीजी ग्रामीण आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। इसके विपरीत, समान नागरिक संहिता उदार-बौद्धिक सिद्धांत है और निःशुल्क विधिक सहायता समाजवादी उद्देश्यों से प्रेरित है। गांधीवादी सिद्धांत विकेंद्रीकृत और मानवीय विकास मॉडल पर बल देते हैं जो संविधान की आत्मा में समाहित है। ये प्रावधान न केवल आर्थिक उन्नति का मार्ग दिखाते हैं, बल्कि ग्रामीण भारत के सामाजिक ताने-बाने को सुदृढ़ करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

294. (B) राष्ट्रपति
महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' पद पर रहता है। राष्ट्रपति उसे किसी भी समय पदमुक्त कर सकते हैं। महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है। चूंकि वे सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार हैं, अतः परंपरा यह है कि जब सरकार त्यागपत्र देती है, तो महान्यायवादी भी इस्तीफा सौंप देते हैं। यह पद सुनिश्चित करता है कि सरकार को विधिक मामलों में उच्च स्तरीय परामर्श प्राप्त हो, परंतु इसकी अवधि और अस्तित्व पूरी तरह से राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से कार्यकारी नेतृत्व के विश्वास पर निर्भर करता है।

295. (D) मौलिक अधिकार और कोई अन्य विधिक अधिकार।
अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से व्यापक है। उच्च न्यायालय न केवल 'मौलिक अधिकारों' के उल्लंघन पर, बल्कि 'किसी अन्य उद्देश्य' यानी विधिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु भी रिट जारी कर सकते हैं। यह व्यापक शक्ति उच्च न्यायालयों को राज्य के भीतर न्याय का शक्तिशाली केंद्र बनाती है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक केवल संवैधानिक हनन ही नहीं, बल्कि वैधानिक अन्याय के विरुद्ध भी त्वरित विधिक उपचार प्राप्त कर सकें। यह व्यवस्था नागरिकों को उनके स्थानीय परिवेश में राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध एक सुलभ और अत्यंत प्रभावी संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है।

296. (A) भारत का विशाल आकार और विविधता।
भारत हेतु संघीय ढांचा अपनाने का प्राथमिक कारण देश का विशाल भौगोलिक विस्तार और अत्यधिक भाषाई, सांस्कृतिक विविधता थी। निर्माताओं का मानना था कि इतने बड़े राष्ट्र का शासन केवल एक केंद्र से प्रभावी ढंग से नहीं चलाया जा सकता। संघीय व्यवस्था ने स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय अखंडता के बीच आदर्श संतुलन प्रदान किया। शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करता है कि विकास देश के हर कोने तक पहुँचे। यह संरचना विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने और राष्ट्रीय स्तर पर एकता बनाए रखने हेतु एक अपरिहार्य और अत्यंत सोच-समझकर तैयार की गई संवैधानिक आवश्यकता और प्रशासनिक अनिवार्यता थी।

297. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में संसदीय शासन स्वरूप की बुनियादी पहचान कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सरकार तब तक ही अस्तित्व में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत ही संसदीय लोकतंत्र का आधार है। अतः कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका

की प्रत्येक नीति और निर्णय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के निरंतर पर्यवेक्षण, चर्चा और समर्थन पर आधारित हो, जो लोकतांत्रिक शासन की वास्तविक पहचान है।

298. (A) एक बार में एक वर्ष।
अनुच्छेद 83(2) के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। यह विस्तार एक बार में अधिकतम 'एक वर्ष' हेतु हो सकता है, जिसे कितनी भी बार दोहराया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह माह से अधिक नहीं हो सकता। यह व्यवस्था संकट के समय प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने हेतु की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय देश का ध्यान और संसाधन चुनावी प्रक्रिया के बजाय सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित रहें, जबकि लोकतांत्रिक निरंतरता भी एक विधिक सीमा के भीतर सुरक्षित बनी रहे।

299. (D) संयुक्त राज्य अमेरिका
भारत में 'न्यायिक समीक्षा' की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और न्यायिक परंपरा से प्रेरित है। यद्यपि संविधान में यह शब्द स्पष्ट उल्लेखित नहीं है, पर अनुच्छेद 13, 32 और 226 न्यायपालिका को यह शक्ति देते हैं कि वह कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सके। यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने और शासन के अंगों को उनकी सीमाओं में रखने का अधिकार देती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का शासन सुनिश्चित करने का मुख्य आधार है, जिससे विधायिका या कार्यपालिका का कोई भी असंवैधानिक निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक परीक्षण के माध्यम से शून्य घोषित किया जा सकता है।

300. (B) मुंशी-अय्यंगार फॉर्मूला
संविधान सभा में राजभाषा विवाद को 'मुंशी-अय्यंगार सूत्र' द्वारा सुलझाया गया। के.एम. मुंशी और गोपालस्वामी अय्यंगार द्वारा प्रस्तावित इस समझौते ने हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ राजभाषा स्वीकार किया, पर गैर-हिंदी भाषियों हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षों तक जारी रखने का प्रावधान किया। यह सूत्र राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय भाषाई संवेदनशीलता के बीच ऐतिहासिक समझौता था। इसने भाषाई संघर्ष को टालकर एक ऐसा मध्यम मार्ग निकाला जिसने प्रशासनिक कार्यक्षमता और सांस्कृतिक सम्मान दोनों को एक साथ संवैधानिक मान्यता प्रदान की। यह भारतीय लोकतंत्र के 'समझौते और सर्वसम्मति' के सिद्धांत का एक श्रेष्ठ विधिक उदाहरण है।

अध्याय 02

विधिक सिद्धांत (विधि शास्त्र)

1. प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा 'न्याय शास्त्र' को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
   (A) तत्वमीमांसा पर केंद्रित एक दार्शनिक प्रणाली
   (B) न्याय के क्षेत्र में प्रयुक्त तर्क का तार्किक विज्ञान
   (C) शासन कला और राज्यकला पर एक ग्रंथ
   (D) धार्मिक भजनों और अनुष्ठानों का एक संग्रह

2. 'न्याय दर्शन' के अनुसार, सही ज्ञान (प्रमा) प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य क्या है?
   (A) दुखों से मुक्ति (अपवर्ग) प्राप्त करना
   (B) वाद-विवाद और तर्क जीतना
   (C) सांसारिक शक्ति और समृद्धि प्राप्त करना
   (D) राजा के लिए कानूनों को संहिताबद्ध करना

3. कानून के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   कथन I: रुढ़ि (प्रथा) कानून का एक स्रोत है जो लंबे समय से चले आ रहे अभ्यास और समुदाय द्वारा मान्यता से अपना अधिकार प्राप्त करती है।
   कथन II: एक न्यायिक पूर्वनिर्णय कानून का बाध्यकारी स्रोत तभी बनता है जब वह किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है।
   (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
   (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
   (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
   (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

4. अधिकांश कानूनी प्रणालियों में निम्नलिखित में से किसे कानून का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है?
   (A) औपचारिक रूप से अधिनियमित विधायन
   (B) बाध्यकारी न्यायिक पूर्वनिर्णय
   (C) स्थापित सामुदायिक रुढ़ि (प्रथा)
   (D) कानूनी विशेषज्ञों के व्यावसायिक मत

5. विधिशास्त्र की कौन सी विचारधारा 'वोक्सगेइस्ट' या 'लोक-चेतना' के विचार से सबसे निकटता से जुड़ी है?
   (A) विश्लेषणात्मक विचारधारा
   (B) समाजशास्त्रीय विचारधारा
   (C) ऐतिहासिक विचारधारा
   (D) यथार्थवादी विचारधारा

6. यह सिद्धांत कि कानून अनिवार्य रूप से 'संप्रभु का आदेश' है, किस विधिशास्त्री का मुख्य सिद्धांत है?
   (A) रोस्को पाउंड
   (B) जॉन ऑस्टिन
   (C) हंस केल्सन
   (D) सैविनी

7. एच.एल.ए. हार्ट द्वारा अपने कानूनी सिद्धांत में किया गया एक प्रमुख अंतर किसके बीच है?
   (A) सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार
   (B) कानून जैसा है और कानून जैसा होना चाहिए
   (C) सामान्य और विशिष्ट आदेश
   (D) प्राथमिक और माध्यमिक नियम

8. 'सामाजिक अभियांत्रिकी' की अवधारणा किस समाजशास्त्रीय विधिशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई थी?
   (A) रोस्को पाउंड
   (B) लियोन डुगुइट
   (C) यूजेन एर्लिच
   (D) रुडोल्फ वॉन इहरिंग

9. विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
   (A) यह कानून पर जोर देती है जैसा कि वह वास्तव में अभ्यास में लाया और लागू किया जाता है।
   (B) यह कानून को आकार देने में न्यायाधीशों की भूमिका पर केंद्रित है।
   (C) यह वैधानिक नियमों को अदालती फैसलों का एकमात्र निर्धारक मानती है।
   (D) यह सुझाव देती है कि कानून वह है जो अधिकारी विवादों के संदर्भ में करते हैं।

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
    अभिकथन (A): जॉन ऑस्टिन के कानून के सिद्धांत की अक्सर संवैधानिक कानून की व्याख्या करने में असमर्थता के लिए आलोचना की जाती है, जो संप्रभु की शक्ति को सीमित करता है।
    कारण (R): ऑस्टिन कानून को एक संप्रभु द्वारा जारी आदेश के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका आदतन पालन किया जाता है और वह स्वयं किसी समान श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता की आदत में नहीं होता है।
    (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
    (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

11. होफेल्डियन विश्लेषण के अनुसार, 'अधिकार' का विधिक सहसंबंधी क्या है?
(A) स्वतंत्रता
(B) शक्ति
(C) उन्मुक्ति
(D) कर्तव्य

12. सूची I के विधिशास्त्री को सूची II की उनकी प्रमुख अवधारणा से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विधिशास्त्री)
P. एच.एल.ए. हार्ट
Q. हंस केल्सन
R. जॉन ऑस्टिन
S. सैविनी
सूची II: (प्रमुख अवधारणा)
1. संप्रभु का आदेश
2. वोक्सगेइस्ट (लोक-चेतना)
3. ग्रुण्डनॉर्म (मूल मानक)
4. प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का मिलन
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

13. कब्जे (पजेशन) का वह तत्व जो किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण को संदर्भित करता है, क्या कहलाता है?
(A) एनिमस पोसिडेन्डी
(B) विधि सम्मत कब्जा
(C) कॉर्पस पोसिशनिस
(D) तथ्यतः नियंत्रण

14. विधिक व्यक्तित्व का 'कल्पना सिद्धांत' मुख्य रूप से यह मानता है कि एक निगम का व्यक्तित्व है:
(A) राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्राकृतिक गुण
(B) अपने सदस्यों से स्वतंत्र एक वास्तविक इकाई
(C) सदस्यों की सामूहिक इच्छा का परिणाम
(D) राज्य सत्ता द्वारा निर्मित एक विधिक कल्पना

15. दंड के निवारक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है?
(A) उदाहरण पेश करके संभावित अपराधियों को हतोत्साहित करना
(B) अपराध के पीड़ित को क्षतिपूर्ति देना
(C) अपराधी को अक्षम करके भविष्य में अपराध करने से रोकना
(D) अपराधी के चरित्र में सुधार करना

16. कानून और नैतिकता के बीच संबंधों के संदर्भ में, प्रसिद्ध हार्ट-फुलर बहस किस पर केंद्रित थी?
(A) आधुनिक कानूनी प्रणालियों में रुढ़ि की भूमिका
(B) एक अधिनायकवादी शासन द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता
(C) पूर्वनिर्णय पर विधायन की श्रेष्ठता
(D) कानून का आर्थिक विश्लेषण

17. निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्र के प्रति 'प्राकृतिक कानून' दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन है?
(A) कानून केवल वही है जो विधायिका द्वारा अधिनियमित किया जाता है।
(B) कानून को एक उच्चतर, सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए।
(C) कानून सामाजिक सामंजस्य प्राप्त करने का एक साधन है।
(D) कानून वह है जो न्यायाधीश विशिष्ट मामलों में निर्धारित करते हैं।

18. सर हेनरी मेन का अपने ऐतिहासिक विधिशास्त्र में प्रसिद्ध अवलोकन समाजों की कौन सी प्रगति है?
(A) हैसियत से संविदा की ओर
(B) अराजकता से व्यवस्था की ओर
(C) रुढ़ि से विधायन की ओर
(D) नैतिकता से कानून की ओर

19. 'न्याय दर्शन' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. यह हिंदू दर्शन के छह आस्तिक दर्शनों में से एक है।
II. यह मुख्य रुप से वैध ज्ञान के स्रोतों (प्रमाणों) पर केंद्रित है।
III. यह सत्य की खोज में तर्क और विवेक को खारिज करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

20. एक न्यायाधीश जो निरंतर सामाजिक रूप से वांछनीय परिणाम निर्धारित करके और फिर उसका समर्थन करने के लिए कानूनी नियम खोजकर मामलों का फैसला करता है, वह किस विचारधारा के अनुरुप कार्य कर रहा है?
(A) विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद
(B) ऐतिहासिक विधिशास्त्र
(C) कानून का शुद्ध सिद्धांत
(D) समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र

21. केल्सन के कानून के शुद्ध सिद्धांत में, प्रत्येक मानक की वैधता एक उच्च मानक से प्राप्त होती है, जिसका समापन किसमें होता है?
(A) संप्रभु की इच्छा
(B) मान्यता का नियम
(C) ग्रुण्डनॉर्म या मूल मानक

(D) वोक्सगेइस्ट (लोक-चेतना)

22. होफेल्ड की योजना में 'शक्ति' का विधिक विलोम क्या है?
(A) दायित्व
(B) अशक्तता
(C) उन्मुक्ति
(D) कर्तव्य

23. दंड का सुधारात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धारणा पर आधारित है?
(A) दंड को सामाजिक प्रतिशोध के एक रूप में कार्य करना चाहिए।
(B) सख्त दंड अपराध रोकथाम का प्राथमिक तरीका है।
(C) न्याय को पीड़ित की वित्तीय क्षतिपूर्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
(D) अपराधी सामाजिक परिस्थितियों की उपज हैं जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।

24. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है?
(A) रोस्को पाउंड - सामाजिक एकजुटता
(B) जॉन ऑस्टिन - आदेश के रूप में कानून
(C) सैविनी - वोक्सगेइस्ट
(D) एच.एल.ए. हार्ट - मान्यता का नियम

25. विधिशास्त्र में उनके प्राथमिक योगदान के आधार पर निम्नलिखित विधिशास्त्रियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. सेंट थॉमस एक्विनास
2. जॉन ऑस्टिन
3. एच.एल.ए. हार्ट
4. सिसरो

सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 4, 1, 2, 3
(B) 1, 4, 2, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 2, 3, 1, 4

26. निम्नलिखित में से कौन सा न्याय दर्शन द्वारा स्वीकार किया गया 'प्रमाण' नहीं है?
(A) अर्थापत्ति
(B) प्रत्यक्ष
(C) अनुमान
(D) शब्द

27. यह विचार कि "एक अन्यायपूर्ण कानून कोई कानून नहीं है", किस विचारधारा की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है?
(A) विश्लेषणात्मक विचारधारा
(B) यथार्थवादी विचारधारा
(C) ऐतिहासिक विचारधारा
(D) प्राकृतिक कानून विचारधारा

28. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार, कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता।
कारण (R): यह विचारधारा मानती है कि कानून लोगों की रुढ़ियों, परंपराओं और लोक-चेतना (वोक्सगेइस्ट) से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

29. लियोन डुगुइट का 'सामाजिक एकजुटता' का सिद्धांत क्या सुझाव देता है?
(A) कानून राज्य की शक्ति और बल प्रयोग का परिणाम है।
(B) कानून लोगों की मौलिक भावना पर आधारित है।
(C) कानून का उद्देश्य सामाजिक अन्योन्याश्रितता को बढ़ावा देना है।
(D) कानून केवल न्यायिक परिणामों का एक पूर्वानुमान है।

30. 'एनिमस पोसिडेन्डी' शब्द का तात्पर्य क्या है?
(A) किसी वस्तु का भौतिक नियंत्रण
(B) किसी वस्तु को रखने का कानूनी अधिकार
(C) कब्जे का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण
(D) किसी वस्तु को अनन्य रूप से रखने और नियंत्रित करने का आशय

31. दंड के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसकी अक्सर दूसरों को डराने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित करने की संभावना के लिए आलोचना की जाती है?
(A) निवारक सिद्धांत
(B) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(C) सुधारात्मक सिद्धांत
(D) निरोधात्मक सिद्धांत

32. गियरके द्वारा समर्थित निगम व्यक्तित्व का "यथार्थवादी सिद्धांत" यह मानता है कि एक निगम:
(A) कानून द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक इकाई है।
(B) एक वास्तविक सामाजिक और मानसिक अस्तित्व रखता है।
(C) केवल सदस्यों के लिए एक कोष्ठक है।
(D) अपना व्यक्तित्व राज्य के अनुदान से प्राप्त करता है।

33. कानून और नैतिकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: कानूनी प्रत्यक्षवाद वैध कानून की पहचान करने के उद्देश्य से कानून और नैतिकता के बीच सख्त पृथक्करण पर जोर देता है।
कथन II: प्राकृतिक कानून सिद्धांत तर्क देता है कि कानून की वैधता आवश्यक रूप से इसकी नैतिक विषय-वस्तु से जुड़ी है।

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

34. यूजेन एर्लिच की 'जीवंत कानून' की अवधारणा का तात्पर्य क्या है?
(A) अनौपचारिक मानक जो प्रभावी रूप से सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं।
(B) अधिनियमों और संहिताओं में पाए जाने वाले औपचारिक कानूनी नियम।
(C) दार्शनिक आदर्श जिन्हें कानूनी विकास का मार्गदर्शन करना चाहिए।
(D) कानूनी रूढ़ियों का ऐतिहासिक विकास।

35. विधिक व्यक्तित्व का 'रियायत सिद्धांत' विधिशास्त्र की किस व्यापक विचारधारा के साथ सबसे अधिक संरेखित है?
(A) समाजशास्त्रीय विचारधारा
(B) प्राकृतिक कानून विचारधारा
(C) विश्लेषणात्मक विचारधारा
(D) ऐतिहासिक विचारधारा

36. निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्टिन के 'संप्रभु' की विशेषता नहीं है?
(A) संप्रभु एक निश्चित मानव श्रेष्ठ होना चाहिए।
(B) समाज के बड़े हिस्से को संप्रभु के प्रति आज्ञाकारिता की आदत होनी चाहिए।
(C) संप्रभु किसी अन्य श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता की आदत में नहीं होता है।
(D) संप्रभु की शक्ति संविधान या उच्च कानून द्वारा सीमित होनी चाहिए।

37. ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के पास वस्तु रखने का कानूनी अधिकार है लेकिन उस पर भौतिक नियंत्रण नहीं है, क्या कहलाती है?
(A) मध्यवर्ती कब्जा
(B) अमूर्त कब्जा
(C) आन्वयिक कब्जा
(D) प्रतिकूल कब्जा

38. दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत किस वाक्यांश द्वारा सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया गया है?
(A) "दंड को अपराध के अनुरूप होने दें।"
(B) "आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत।"
(C) "अपराधी को सुधारने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए नहीं।"
(D) "दंड के डर से अपराध को रोकना।"

39. विधिशास्त्र के संदर्भ में, 'धर्म' को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में समझा जाता है?
(A) आधुनिक अधिनियमों के बराबर संहिताबद्ध कानूनों का एक सख्त समुच्चय।
(B) राजा का राजनीतिक अधिकार।
(C) तार्किक अनुमान की एक प्रणाली।
(D) कर्तव्य, नैतिकता, कानून और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को शामिल करने वाली एक बहुआयामी अवधारणा।

40. सूची I में विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत को सूची II में उसके मुख्य प्रस्तावक या विचार से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (सिद्धांत)
P. कल्पना सिद्धांत
Q. यथार्थवादी सिद्धांत
R. ब्रैकेट सिद्धांत
S. रियायत सिद्धांत
सूची II: (प्रस्तावक/विचार)
1. गियरके
2. इहरिंग
3. सैविनी
4. राज्य का अनुदान
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

41. विधिशास्त्र की कौन सी विचारधारा किसी कानून के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने में सबसे अधिक रुचि रखेगी, जैसे कि पारिवारिक संरचनाओं पर तलाक के कानूनों का प्रभाव?
(A) विश्लेषणात्मक विचारधारा
(B) ऐतिहासिक विचारधारा
(C) समाजशास्त्रीय विचारधारा
(D) कानून का शुद्ध सिद्धांत

42. एच.एल.ए. हार्ट का "मान्यता का नियम" किस उद्देश्य को पूरा करता है?
(A) कानूनी प्रणाली के भीतर वैध कानूनों की पहचान करने के मानदंड निर्दिष्ट करना।
(B) विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करना।
(C) कानूनी नियमों को बदलने के लिए एक तंत्र प्रदान करना।
(D) व्यक्तियों पर कार्य करने या कार्य करने से बचने के लिए कर्तव्य अधिरोपित करना।

43. जेरोम फ्रैंक जैसे अमेरिकी यथार्थवादियों के अनुसार, कानून में अनिश्चितता का एक बड़ा स्रोत कहाँ से आता है?
(A) वैधानिक भाषा की अस्पष्टता से।
(B) कानूनी सिद्धांतों में तार्किक विसंगतियों से।
(C) विदेशी कानूनी प्रणालियों के प्रभाव से।
(D) विचारण न्यायालयों में तथ्य-अन्वेषण की अंतर्निहित अनिश्चितता से।

44. कानूनी अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. 'सर्वबंधी अधिकार' संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार है।

II. 'व्यक्तिबंधी अधिकार' किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार है।

III. प्रतिष्ठा का अधिकार व्यक्तिबंधी अधिकार का एक उदाहरण है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

45. दंड का निरोधात्मक सिद्धांत किसके माध्यम से कार्य करता है?

(A) अपराधी को अक्षम करना, उदाहरण के लिए, कारावास के माध्यम से।
(B) अपराधी को सुधारने का अवसर देना।
(C) दूसरों को रोकने के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शन करना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि अपराधी अपने अपराध के लिए दंड भुगते।

46. होफेल्ड की योजना में 'दायित्व' का विधिक सहसंबंधी क्या है?

(A) उन्मुक्ति
(B) अशक्तता
(C) शक्ति
(D) अधिकार

47. हार्ट-डेवलिन बहस का केंद्रीय तर्क किसके बारे में था?

(A) क्या कानून को निजी नैतिकता लागू करनी चाहिए।
(B) निगमों की कानूनी स्थिति।
(C) लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका।
(D) अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत।

48. एक कानूनी प्रणाली जो न्यायाधीश द्वारा निर्मित कानून या 'स्टेयर डेसिसिस' पर अत्यधिक निर्भर करती है, मुख्य रूप से कानून के किस स्रोत का उपयोग कर रही है?

(A) विधायन
(B) पूर्वनिर्णय
(C) रूढ़ि
(D) समझौता

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:

अभिकथन (A): विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा को अक्सर 'औपचारिकतावाद के विरुद्ध विद्रोह' के रूप में वर्णित किया जाता है।

कारण (R): यथार्थवादियों ने तर्क दिया कि औपचारिक कानूनी नियम न्यायिक निर्णयों के प्राथमिक निर्धारक नहीं हैं, जो अक्सर अन्य कारकों से प्रभावित होते हैं।

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

50. स्वामित्व जो कुछ सीमाओं या शर्तों के अधीन है, क्या कहलाता है?

(A) मूर्त स्वामित्व
(B) निहित स्वामित्व
(C) सीमित स्वामित्व
(D) पूर्ण स्वामित्व

51. प्राकृतिक कानून सिद्धांत, विशेष रूप से अपने शास्त्रीय रूप में, क्या मानकर चलता है?

(A) संपूर्ण कानून उस संस्कृति के सापेक्ष है जिसमें वह विकसित होता है।
(B) राज्य सभी कानूनी अधिकार का अंतिम स्रोत है।
(C) मानवीय तर्क न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज कर सकता है।
(D) कानून का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है।

52. न्याय दर्शन में, 'अनुमान' में किसके द्वारा तर्क की प्रक्रिया शामिल है?

(A) एक प्रत्यक्ष संकेत (लिंग) से एक अप्रत्यक्ष वस्तु (साध्य) तक।
(B) प्रत्यक्ष संवेदी अनुभव से ज्ञान तक।
(C) एक विश्वसनीय प्राधिकारी के प्रमाण से विश्वास तक।
(D) किसी वस्तु की अनुपस्थिति से उसके अस्तित्व न होने के ज्ञान तक।

53. निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से किसे स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी विचारधारा का अग्रणी माना जाता है?

(A) जेरोम फ्रैंक
(B) कार्ल लेवेलिन
(C) अल्फ रॉस
(D) जॉन चिपमैन ग्रे

54. इहरिंग द्वारा प्रस्तावित कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का 'ब्रैकेट सिद्धांत' या 'प्रतीकवादी सिद्धांत' निगम को किस रूप में देखता है?

(A) अपनी इच्छा के साथ एक वास्तविक व्यक्ति।
(B) सुविधा के लिए बनाई गई एक कानूनी कल्पना।
(C) संप्रभु राज्य द्वारा दी गई एक रियायत।
(D) सदस्यों को एक इकाई के रूप में मानने के लिए एक प्रक्रियात्मक युक्ति।

55. दंड का कौन सा सिद्धांत मृत्युदंड को यह तर्क देकर उचित ठहराएगा कि यह अपराधी को समाज को पुनः हानि पहुँचाने से स्थायी रूप से रोकता है?

(A) सुधारात्मक सिद्धांत

(B) अपने शुद्धतम रूप में प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(C) निरोधात्मक सिद्धांत
(D) विशिष्ट निवारण के लिए निवारक सिद्धांत

56. निम्नलिखित में से सही जोड़े की पहचान कीजिए:
(A) केल्सन - सामाजिक अभियांत्रिकी
(B) एर्लिच - जीवंत कानून
(C) डुगुइट - कानून का शुद्ध सिद्धांत
(D) पाउंड - सामाजिक एकजुटता

57. 'तथ्यतः कब्जे' और 'विधि सम्मत कब्जे' के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) तथ्यतः कब्जा हमेशा अवैध होता है।
(B) तथ्यतः कब्जे के लिए स्वामित्व के आशय की आवश्यकता होती है, जबकि विधि सम्मत कब्जे के लिए नहीं।
(C) विधि सम्मत कब्जा केवल भूमि को संदर्भित करता है, जबकि तथ्यतः कब्जा चल संपत्ति को।
(D) कानूनी कब्जा भौतिक नियंत्रण से स्वतंत्र होता है।

58. एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार, एक 'पूर्व-कानूनी' समाज वह है जिसमें केवल दायित्व के प्राथमिक नियम होते हैं। ऐसे समाज का प्रमुख दोष क्या है?
(A) अक्षमता
(B) अत्याचार
(C) अराजकता
(D) ठहराव

59. होफेल्ड की प्रणाली में 'विधिक सहसंबंधी' की अवधारणा का अर्थ है कि:
(A) प्रत्येक कानूनी अवधारणा का एक विपरीत होता है।
(B) कानूनी अधिकार केवल दो विशिष्ट व्यक्तियों के बीच मौजूद हो सकते हैं।
(C) कानूनी अवधारणाएँ स्वतंत्र हैं और एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
(D) एक पक्ष का कानूनी लाभ दूसरे पक्ष के कानूनी भार को दर्शाता है।

60. प्रमुख सिद्धांतों के रूप में उनके ऐतिहासिक उद्भव के आधार पर विधिशास्त्र की निम्नलिखित विचारधाराओं को व्यवस्थित कीजिए:
1. समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र
2. विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद
3. प्राकृतिक कानून सिद्धांत (शास्त्रीय)
4. ऐतिहासिक विधिशास्त्र

सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 3, 2, 4, 1
(B) 3, 4, 2, 1
(C) 2, 3, 4, 1
(D) 4, 3, 2, 1

61. जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा 'शास्ति' का रूप नहीं है?
(A) चोरी के लिए कारावास
(B) यातायात उल्लंघन के लिए जुर्माना
(C) अच्छी नागरिकता के लिए पुरस्कार
(D) ऋण न चुकाने पर संपत्ति की जब्ती

62. 'लेक्स एटरना' (शाश्वत कानून), 'लेक्स नेचुरलिस' (प्राकृतिक कानून) और 'लेक्स हुमाना' (मानवीय कानून) किसके विधिशास्त्र के प्रमुख वर्गीकरण हैं?
(A) अरस्तू
(B) सेंट थॉमस एक्विनास
(C) जॉन लॉक
(D) लोन फुलर

63. अमेरिकी यथार्थवादी आंदोलन का प्राथमिक ध्यान किस पर था?
(A) कानूनी नियमों की ऐतिहासिक उत्पत्ति पर।
(B) कानूनी मानकों की तार्किक संरचना और शुद्धता पर।
(C) न्यायाधीशों के व्यवहार और कानून के व्यावहारिक संचालन पर।
(D) 'लोक-चेतना' के साथ कानून के संरेखण पर।

64. स्वामित्व की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. स्वामित्व अधिकारों का एक समुच्चय है जिसमें संपत्ति रखने, उपयोग करने और निस्तारण का अधिकार शामिल है।
II. स्वामित्व हमेशा पूर्ण होता है और किसी भी सीमा के अधीन नहीं हो सकता।
III. मूर्त स्वामित्व भौतिक वस्तुओं से संबंधित है, जबकि अमूर्त स्वामित्व अमूर्त अधिकारों से संबंधित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) I और III सही हैं।
(C) II और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

65. एक निगम को 'विधिक व्यक्ति' माना जाता है क्योंकि:
(A) यह मनुष्यों से निर्मित है।
(B) इसका विश्व में भौतिक अस्तित्व है।
(C) यह संपत्ति का स्वामी हो सकता है और अपने नाम से वाद ला सकता है या उस पर वाद लाया जा सकता है।
(D) इसमें नैतिक और एथिकल कर्तव्य होते हैं।

66. वह सिद्धांत कि कानून का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख सुनिश्चित करना है, क्या कहलाता है?
(A) निरपेक्ष आदेश
(B) उपयोगिता का सिद्धांत
(C) सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत
(D) सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत

67. एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक नियम का एक उदाहरण है?
(A) चोरी को रोकने वाला नियम।
(B) चालकों को लाल बत्ती पर रुकने के लिए निर्देशित करने वाला नियम।
(C) करों के भुगतान की अनिवार्यता वाला नियम।
(D) एक संवैधानिक प्रावधान जो बताता है कि कानून कैसे पारित किया जाए।

68. यह विचार कि "कानून वह है जो न्यायाधीश कहते हैं" किस विचारधारा का एक विशिष्ट नारा है?
(A) यथार्थवादी विचारधारा
(B) प्राकृतिक कानून
(C) ऐतिहासिक विचारधारा
(D) विश्लेषणात्मक विचारधारा

69. होफेल्ड के विश्लेषण में 'अधिकार' का विधिक विलोम क्या है?
(A) कर्तव्य
(B) विशेषाधिकार
(C) अधिकार-विहीनता
(D) शक्ति

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सैविनी अपने समय में जर्मन कानून के संहिताकरण के विरोधी थे।
कारण (R): उनका मानना था कि किसी राष्ट्र का कानून, उसकी भाषा की तरह, स्वाभाविक रूप से विकसित होता है और संहिताकरण इसके प्राकृतिक विकास को बाधित कर देगा।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

71. न्यायिक निर्णय में 'ओबिटर डिक्टा' किसे संदर्भित करता है?
(A) न्यायालय का अंतिम निर्णय या आदेश।
(B) मामले में कानून का बाध्यकारी सिद्धांत या नियम।
(C) मामले के तथ्यों का सारांश।
(D) न्यायाधीश द्वारा 'प्रसंगवश' की गई टिप्पणियां जो निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हैं।

72. सूची I के विधिशास्त्री को सूची II की उस विचारधारा से सुमेलित कीजिए जिससे वे सबसे अधिक जुड़े हुए हैं:
सूची I: (विधिशास्त्री)
P. लोन फुलर
Q. कार्ल लेवेलिन
R. हेनरी मेन
S. जेरेमी बेंथम
सूची II: (विचारधारा)
1. ऐतिहासिक विचारधारा
2. विश्लेषणात्मक विचारधारा
3. प्राकृतिक कानून विचारधारा (आधुनिक)
4. यथार्थवादी विचारधारा
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

73. 'कानून की आंतरिक नैतिकता', जिसमें स्पष्टता, निरंतरता और भविष्यलक्ष्यता जैसे सिद्धांत शामिल हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी?
(A) एच.एल.ए. हार्ट
(B) जॉन फिनिस
(C) लोन एल. फुलर
(D) रोनाल्ड डवर्किन

74. दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की मुख्य आलोचनाओं में से एक यह है कि:
(A) यह दंड की मात्रा के लिए स्पष्ट मापदंड प्रदान करने में विफल रहता है।
(B) यह अपराधी के कल्याण पर अत्यधिक केंद्रित है।
(C) यह पीड़ित को हुई हानि पर विचार नहीं करता है।
(D) यह समाज पर दंड के निवारक प्रभाव की उपेक्षा करता है।

75. एक अजन्मे बच्चे की कानूनी स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन क्या है?
(A) जन्म तक कोई कानूनी स्थिति या अधिकार नहीं होना।
(B) उत्तराधिकार या क्षति के दावों के लिए एक आकस्मिक विधिक व्यक्तित्व होना।
(C) एक वयस्क के समस्त अधिकारों के साथ एक पूर्ण विधिक व्यक्ति होना।
(D) माता-पिता की संपत्ति होना।

76. न्याय दर्शन में, ज्ञान के स्रोत के रूप में 'शब्द' का तात्पर्य क्या है?
(A) तार्किक निगमन की प्रक्रिया।
(B) प्रत्यक्ष धारणा से प्राप्त ज्ञान।
(C) किसी विश्वसनीय स्रोत (आप्त) से विश्वसनीय प्रमाण।
(D) तुलना के माध्यम से प्राप्त ज्ञान।

77. एनिमस डोमिनी, किसी संपत्ति को स्वामी के रूप में रखने का आशय, किसे स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है?
(A) मध्यवर्ती कब्जा
(B) पट्टाधृति किरायेदारी
(C) प्रतिकूल कब्जा
(D) उपनिधान

78. कौन सा कथन कानूनी प्रत्यक्षवाद की स्थिति को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

(A) कानून की वैधता उसकी नैतिक शुद्धता पर निर्भर करती है।
(B) कानून और नैतिकता समान अवधारणाएं हैं।
(C) कानून का अस्तित्व एक तथ्य है; उसकी योग्यता या अवगुण का प्रश्न पृथक है।
(D) सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत सभी कानूनी प्रणालियों का आधार बनते हैं।

79. रोस्को पाउंड के 'विधिक स्वयंसिद्ध' को किस रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है?
(A) पूर्ण नैतिक आदेश।
(B) संप्रभु के आदेश।
(C) एक सभ्य समाज के बारे में सामान्य धारणाएँ जिस पर कानून आधारित है।
(D) किसी राष्ट्र की ऐतिहासिक रुढ़ियाँ।

80. यथार्थवाद की अमेरिकी और स्कैंडिनेवियाई विचारधाराओं के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) अमेरिकी यथार्थवाद न्यायिक व्यवहार पर केंद्रित है, जबकि स्कैंडिनेवियाई यथार्थवाद अधिक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक है।
(B) अमेरिकी यथार्थवाद मार्क्सवाद पर आधारित है, जबकि स्कैंडिनेवियाई यथार्थवाद नहीं है।
(C) अमेरिकी यथार्थवाद अधिनियमों की भूमिका को खारिज करता है, जबकि स्कैंडिनेवियाई यथार्थवाद इसे स्वीकार करता है।
(D) दोनों विचारधाराओं के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है।

81. निम्नलिखित में से कौन सा लोन फुलर के 'कानून की आंतरिक नैतिकता' के आठ सिद्धांतों में से एक नहीं है?
(A) कानून भविष्यलक्षी होने चाहिए, पूर्वव्यापी नहीं।
(B) कानून प्रकाशित और ज्ञात होने चाहिए।
(C) कानून बहुमत की इच्छा को प्रतिबिंबित करने चाहिए।
(D) कानून एक-दूसरे के साथ सुसंगत होने चाहिए।

82. विधिक व्यक्तित्व का 'रियायत सिद्धांत' बताता है कि एक निगम:
(A) समाज में एक वास्तविक इकाई के रूप में विद्यमान है।
(B) कानून द्वारा निर्मित एक कल्पना है।
(C) अपने सदस्यों के लिए एक कोष्ठक है।
(D) केवल राज्य से अनुदान या रियायत के माध्यम से व्यक्तित्व प्राप्त करता है।

83. दो पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा निर्मित अधिकार, जैसे कि लेनदार का देनदार से धनराशि प्राप्त करने का अधिकार, क्या है?
(A) व्यक्तिबंधी अधिकार
(B) सर्वबंधी अधिकार
(C) मौलिक अधिकार
(D) प्राकृतिक अधिकार

84. विधिशास्त्री और उनकी अवधारणा के गलत जोड़े की पहचान कीजिए:
(A) सैविनी - हैसियत से संविदा की ओर
(B) एच.एल.ए. हार्ट - प्राथमिक और माध्यमिक नियम
(C) जॉन ऑस्टिन - संप्रभु एक असमादेशित समादेशक के रूप में
(D) केल्सन - ग्रुण्डनॉर्म

85. विधिशास्त्रीय चिंतन में प्रमुखता से विकसित होने के क्रम में निम्नलिखित अवधारणाओं को व्यवस्थित कीजिए:
1. प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का मिलन (हार्ट)
2. संप्रभु का आदेश (ऑस्टिन)
3. लेक्स नेचुरलिस (एक्विनास)
4. वोक्सगेइस्ट (सैविनी)

सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 3, 4, 2, 1
(B) 3, 2, 4, 1
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 3, 2, 1

86. दंड का कौन सा सिद्धांत अपराधियों के लिए परिवीक्षा, सामुदायिक सेवा और शैक्षिक कार्यक्रमों के उपयोग का समर्थन करेगा?
(A) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(B) सुधारात्मक सिद्धांत
(C) निवारक सिद्धांत
(D) निरोधात्मक सिद्धांत

87. न्याय तर्कशास्त्र में, एक तर्कदोष को क्या कहा जाता है?
(A) प्रमाण
(B) अनुमान
(C) अपवर्ग
(D) हेत्वाभास

88. कानून के स्रोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. अधिकांश आधुनिक राज्यों में विधायन को कानून का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है।
II. न्यायिक पूर्वनिर्णय सामान्य कानून प्रणालियों में कानून का एक प्रमुख स्रोत हैं लेकिन नागरिक कानून प्रणालियों में नहीं।
III. रुढ़ि को कानून के वैध स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राचीन, उचित और निश्चित होना चाहिए।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

89. वह अधिकार जो कानून द्वारा निर्मित और मान्यता प्राप्त है और जो एक कानूनी कर्तव्य के अनुरूप है, क्या है?

(A) नैतिक अधिकार
(B) प्राकृतिक अधिकार
(C) कानूनी अधिकार
(D) अपूर्ण अधिकार

90. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): हंस केल्सन का 'कानून का शुद्ध सिद्धांत' कानून के अध्ययन से समाजशास्त्र, राजनीति और नैतिकता जैसे सभी गैर-कानूनी तत्वों को बाहर करने का प्रयास करता है।
कारण (R): केल्सन कानून का एक विज्ञान निर्मित करना चाहते थे, जो पूर्णतः कानूनी मानकों के पदानुक्रम और संबंधों पर केंद्रित हो।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

91. किसी अधिकार का स्वामित्व, जैसे कॉपीराइट या पेटेंट, किसका उदाहरण है?
(A) मूर्त स्वामित्व
(B) निहित स्वामित्व
(C) अमूर्त स्वामित्व
(D) आकस्मिक स्वामित्व

92. सूक्ति 'एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन्स सिट रिया' आपराधिक दायित्व में किस तत्व के महत्व को दर्शाती है?
(A) भौतिक कार्य
(B) हानिकारक परिणाम
(C) पीड़ित की उपस्थिति
(D) दोषी मन या आशय

93. वह दर्शन कि कानून का कार्य समाज में प्रतिस्पर्धी 'हितों' को संतुलित करना है, किसके लिए एक केंद्रीय विषय था?
(A) जॉन ऑस्टिन
(B) हंस केल्सन
(C) रोस्को पाउंड
(D) सैविनी

94. स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी अल्फ रॉस ने 'वैध कानून' को किस रूप में परिभाषित किया?
(A) मानकों का एक समूह जो नैतिक रूप से न्यायपूर्ण है।
(B) संप्रभु शक्ति के आदेश।
(C) लोगों की ऐतिहासिक रुढ़ियाँ।
(D) मानकों का वह समूह जिसका न्यायाधीशों द्वारा प्रभावी रूप से पालन किया जाता है क्योंकि वे सामाजिक रूप से बाध्यकारी अनुभव किए जाते हैं।

95. कब्जे के संदर्भ में, 'मध्यवर्ती कब्जे' का क्या अर्थ है?
(A) किसी एजेंट या सेवक के माध्यम से प्राप्त कब्जा।
(B) कब्जा जो विधि विरुद्ध है।
(C) भौतिक नियंत्रण के बिना किसी वस्तु को रखने का आशय।
(D) एक अमूर्त वस्तु का कब्जा।

96. "अदालतें वास्तव में क्या करेंगी, इसके पूर्वानुमान, और कुछ भी आडंबरपूर्ण नहीं, कानून से मेरा यही तात्पर्य है" यह कथन किसके द्वारा दिया गया था?
(A) रोस्को पाउंड
(B) ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर
(C) जॉन ऑस्टिन
(D) एच.एल.ए. हार्ट

97. एक 'अपूर्ण अधिकार' वह अधिकार है जो:
(A) संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध है।
(B) कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन कानूनी कार्यवाही के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं है।
(C) एक पूर्ण कर्तव्य के अनुरुप है।
(D) पूर्ण है और इसे सीमित नहीं किया जा सकता है।

98. कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का 'ब्रैकेट सिद्धांत' मुख्य रूप से किससे जुड़ा है?
(A) सैविनी
(B) गियरके
(C) इहरिंग
(D) सालमंड

99. निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कानून और नैतिकता के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) कानून और नैतिकता पूर्णतः पृथक हैं और उन्हें एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करना चाहिए।
(B) कानून हमेशा एक एकल, सार्वभौमिक नैतिक संहिता पर आधारित होना चाहिए।
(C) कानून और नैतिकता दोनों सामाजिक घटनाएं हैं जो एक-दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करती हैं।
(D) नैतिकता कानून के अध्ययन के लिए अप्रासंगिक है, जो राज्य की शक्ति से संबंधित है।

100. सूची I में विधिक अवधारणा को सूची II में उसके विवरण से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विधिक अवधारणा)
P. सर्वबंधी अधिकार
Q. विनिश्चय-आधार (रेश्यो डेसिडेन्डी)
R. एनिमस पोसिडेन्डी
S. ओबिटर डिक्टम
सूची II: (विवरण)
1. कब्जा करने का आशय
2. प्रसंगवश दिया गया एक न्यायिक कथन
3. संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्रवर्तनीय अधिकार
4. न्यायिक निर्णय का बाध्यकारी कारण

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

101. न्याय दर्शन में 'अपवर्ग' की अवधारणा का तात्पर्य क्या है?
(A) न्यायवाक्य का पहला आधार।
(B) एक तार्किक दोष।
(C) संवेदी वस्तुओं की धारणा।
(D) जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति।

102. लोन फुलर के अनुसार, एक कानूनी प्रणाली जो गुप्त, पूर्वव्यापी और विरोधाभासी कानूनों की विशेषता रखती है, किस आधार पर विफल हो जाती है?
(A) अपनी प्रक्रियात्मक 'आंतरिक नैतिकता' के अभाव के कारण।
(B) जनता के बीच अपनी अलोकप्रियता के कारण।
(C) अपनी आर्थिक अक्षमता के कारण।
(D) अपनी संप्रभु आदेश संरचना के कारण।

103. 'वोक्सगेइस्ट', सैविनी के सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा, का अनुवाद क्या है?
(A) राज्य का कानून
(B) लोक-चेतना
(C) संप्रभु का आदेश
(D) मूल मानक

104. दंड के निवारक सिद्धांत की मुख्य आलोचनाओं में से कौन सी एक है?
(A) यह अत्यधिक मानवीय है और न्याय के लिए जनता की इच्छा को पूरा नहीं करता है।
(B) यह अपराध के अनुपात में अत्यधिक कठोर दंड की ओर ले जा सकता है।
(C) यह व्यक्तिगत अपराधी की आवश्यकताओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है।
(D) यह अपराध के पीड़ित की पूर्णतः उपेक्षा करता है।

105. एक कानूनी अधिकार तब 'निहित' हो जाता है जब:
(A) यह भविष्य की शर्त के पूरा होने पर निर्भर होता है।
(B) यह एक पूर्ण और वर्तमान अधिकार है, जो किसी आकस्मिकता के अधीन नहीं है।
(C) यह केवल एक विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है।
(D) यह एक ऐसा अधिकार है जो कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है।

106. 'कानून जिसे उचित रूप से कहा जाता है' और 'कानून जिसे अनुचित रूप से कहा जाता है' के बीच अंतर किसके द्वारा किया गया था?
(A) एच.एल.ए. हार्ट
(B) हंस केल्सन
(C) जॉन ऑस्टिन
(D) थॉमस एक्विनास

107. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा कानून को एक सामाजिक घटना और सामाजिक नियंत्रण के उपकरण के रूप में देखती है।
कारण (R): इस विचारधारा के विधिशास्त्री समाज पर कानून के प्रभाव और कानून पर समाज के प्रभाव का अध्ययन करते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

108. एक निगम का विधिक व्यक्तित्व उसे अधिकार और कर्तव्य धारण करने की अनुमति देता है। यह किस विधिक सिद्धांत का अनुप्रयोग है?
(A) कल्पना सिद्धांत
(B) यथार्थवादी सिद्धांत
(C) रियायत सिद्धांत
(D) उपरोक्त सभी सिद्धांत इस घटना की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं।

109. होफेल्ड की योजना में 'उन्मुक्ति' का विधिक सहसंबंधी क्या है?
(A) दायित्व
(B) अशक्तता
(C) शक्ति
(D) अधिकार-विहीनता

110. विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. इसे प्रत्यक्षवादी विचारधारा के रूप में भी जाना जाता है।
II. यह मुख्य रूप से कानून 'जैसा है' से संबंधित है न कि कानून 'जैसा होना चाहिए' से।
III. इसके प्रमुख प्रस्तावकों में सैविनी और हेनरी मेन शामिल हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

111. एक उपनिहिती द्वारा धारण किया गया कब्जा, जैसे कि एक व्यक्ति जिसने पुस्तकालय से पुस्तक उधार ली है, किसका उदाहरण है?
(A) स्वामित्व
(B) प्रतिकूल कब्जा
(C) कब्जे के बिना अभिरक्षा

(D) स्वामित्व के बिना वैध कब्जा

112. 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक कानून का आधुनिक पुनरुद्धार, जिसका नेतृत्व लोन फुलर और जॉन फिनिस जैसे विचारकों ने किया था, काफी हद तक किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी?
(A) ऐतिहासिक विचारधारा के सिद्धांत।
(B) कानूनी प्रत्यक्षवाद का प्रभुत्व।
(C) यथार्थवादी आंदोलन के सिद्धांत।
(D) प्राचीन रोमन कानून का प्रभाव।

113. यह विचार कि कानून 'सामाजिक एकजुटता' और अन्योन्याश्रितता प्राप्त करने का एक साधन है, किसके कार्य का केंद्र है?
(A) रोस्को पाउंड
(B) यूज़ेन एर्लिच
(C) लियोन डुगुइट
(D) मैक्स वेबर

114. कानून के स्रोतों के रूप में 'रूढ़ि' और 'पूर्वनिर्णय' के बीच एक मुख्य अंतर क्या है?
(A) रूढ़ि लिखित होती है, जबकि पूर्वनिर्णय अलिखित होता है।
(B) रूढ़ि जन सामान्य के अभ्यास से उत्पन्न होती है, जबकि पूर्वनिर्णय न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न होता है।
(C) रूढ़ि एक आधुनिक स्रोत है, जबकि पूर्वनिर्णय एक प्राचीन स्रोत है।
(D) रूढ़ि केवल आपराधिक कानून में मान्य है, जबकि पूर्वनिर्णय नागरिक कानून पर लागू होता है।

115. एक व्यक्ति अपनी घड़ी मरम्मत की दुकान पर छोड़ देता है। घड़ी मरम्मत करने वाले के पास क्या है?
(A) घड़ी का तात्कालिक कब्जा
(B) घड़ी का स्वामित्व
(C) घड़ी का मध्यवर्ती कब्जा
(D) घड़ी में कोई कानूनी हित नहीं

116. दंड का वह सिद्धांत जो प्रायश्चित और नैतिक आनुपातिकता पर केंद्रित है, वह कौन सा है?
(A) निवारक सिद्धांत
(B) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(C) निरोधात्मक सिद्धांत
(D) सुधारात्मक सिद्धांत

117. पशुओं की कानूनी स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है?
(A) उन्हें मौलिक अधिकारों के साथ विधिक व्यक्ति माना जाता है।
(B) उन्हें कल्याणकारी अधिनियमों द्वारा संरक्षित विधिक वस्तुओं के रूप में माना जाता है।
(C) उनकी कानूनी स्थिति अल्पवयस्क बच्चों के समान है।
(D) वे अपने नाम से वाद ला सकते हैं और उन पर वाद लाया जा सकता है।

118. केल्सन के सिद्धांत में 'ग्रुण्डनॉर्म' क्या है?
(A) एक लिखित संवैधानिक दस्तावेज।
(B) प्रथम विधि-दाता का आदेश।
(C) संपूर्ण प्रणाली को वैधता प्रदान करने वाला एक अ-विध्यात्मक मानक।
(D) लोगों की सामूहिक अंतरात्मा।

119. एक 'आकस्मिक अधिकार' वह अधिकार है जो:
(A) पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है और बिना शर्त है।
(B) एक निर्दिष्ट शर्त के पूर्ण होने पर ही अस्तित्व में आएगा।
(C) कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
(D) एक निगम द्वारा धारित है।

120. विधिशास्त्र की निम्नलिखित ऐतिहासिक बहसों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. हार्ट-फुलर बहस
2. संहिताकरण पर ऑस्टिन-सैविनी असहमति
3. हार्ट-डेवलिन बहस
सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 2, 1, 3
(B) 1, 2, 3
(C) 2, 3, 1
(D) 3, 2, 1

121. "कानून मानवीय आचरण को नियमों के शासन के अधीन करने का प्रयास है।" यह परिभाषा किसके विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाती है?
(A) जॉन ऑस्टिन
(B) कार्ल मार्क्स
(C) लोन एल. फुलर
(D) ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर

122. कानून का कौन सा स्रोत एक संप्रभु विधायी निकाय द्वारा औपचारिक अधिनियमन से अपनी वैधता प्राप्त करता है?
(A) रूढ़ि
(B) पूर्वनिर्णय
(C) विधायन
(D) व्यावसायिक मत

123. विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरी?
(A) समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र और सामाजिक तथ्यों पर उसका ध्यान।
(B) प्राकृतिक कानून विचारधारा का तर्कवाद और विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रत्यक्षवाद।
(C) न्यायिक व्यवहार पर यथार्थवादी आंदोलन का ध्यान।
(D) कानून का आर्थिक विश्लेषण।

124. 'विधिक व्यक्तित्व' शब्द का तात्पर्य क्या है?

(A) एक अधिवक्ता का चरित्र और प्रतिष्ठा।
(B) कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों का विषय होने की क्षमता।
(C) एक न्यायाधीश को दिए गए मानव जैसे गुण।
(D) एक निगम के सदस्यों की सामूहिक इच्छा।

125. निवारक सिद्धांत के अंतर्गत मृत्युदंड को अक्सर किस आधार पर उचित ठहराया जाता है?
(A) विशिष्ट निवारण
(B) सामान्य निवारण
(C) सुधार
(D) प्रतिशोध

126. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: विश्लेषणात्मक विचारधारा कानून के ऐतिहासिक विकास से संबंधित है।
कथन II: ऐतिहासिक विचारधारा का मानना है कि कानून संप्रभु का आदेश है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

127. यह अवधारणा कि प्रत्येक कानूनी अधिकार का एक संबंधित कर्तव्य होता है, किसका एक मौलिक सिद्धांत है?
(A) सामान्य रूप से विधिशास्त्र का
(B) केवल यथार्थवादी विचारधारा का
(C) केवल प्राकृतिक कानून विचारधारा का
(D) केवल प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र का

128. सूची I के दंड के सिद्धांत को सूची II में उसके प्राथमिक उद्देश्य के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (सिद्धांत)
P. निवारक
Q. प्रतिशोधात्मक
R. सुधारात्मक
S. निरोधात्मक
सूची II: (उद्देश्य)
1. अपराधी का पुनर्वास
2. अपराधी को अक्षम करना
3. समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना
4. अपराध के लिए आनुपातिक प्रतिशोध
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

129. यह विचार कि कुछ अधिकार मनुष्यों में अंतर्निहित हैं और राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं, किसका मूल विश्वास है?
(A) कानूनी प्रत्यक्षवाद
(B) यथार्थवादी विचारधारा
(C) प्राकृतिक कानून विचारधारा
(D) ऐतिहासिक विचारधारा

130. होफेल्ड के विश्लेषण में 'दायित्व' का विधिक विलोम क्या है?
(A) उन्मुक्ति
(B) शक्ति
(C) अशक्तता
(D) अधिकार

131. 'न्याय शास्त्र' में, न्याय की अवधारणा किसके साथ गहन रूप से जुड़ी हुई है?
(A) राजा की पूर्ण शक्ति।
(B) धर्म के सिद्धांतों और तार्किक तर्क।
(C) राज्य की आर्थिक समृद्धि।
(D) उस समय प्रचलित सामाजिक रुढ़ियाँ।

132. निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है?
(A) अभिसमय (कन्वेंशन)
(B) जनमत के रूप में नैतिकता
(C) पूर्वनिर्णय
(D) साम्या

133. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): प्राथमिक और माध्यमिक नियमों के मिलन के रूप में एच.एल.ए. हार्ट की कानून की अवधारणा ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत की तुलना में अधिक जटिल प्रतिरूप प्रदान करती है।
कारण (R): हार्ट का प्रतिरूप शक्ति प्रदान करने वाले नियमों के अस्तित्व और कानूनी अधिकार की निरंतरता की व्याख्या करता है, जिसके साथ ऑस्टिन का सिद्धांत सामंजस्य नहीं बिठा पाता।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

134. रोस्को पाउंड के अनुसार, जिन 'हितों' को कानून द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत, सार्वजनिक और किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है?
(A) राजनीतिक हित
(B) आर्थिक हित
(C) सामाजिक हित
(D) नैतिक हित

135. एक चोर का कब्जा जिसने एक रत्न चुराया है, किसका उदाहरण है?
(A) वैध कब्जा
(B) विधि सम्मत कब्जा
(C) कानूनी अधिकार के बिना तथ्यतः कब्जा

(D) मध्यवर्ती कब्जा

136. विधिक व्यक्तित्व का "उद्देश्य सिद्धांत", जो यह मानता है कि व्यक्तित्व उन संस्थाओं को दिया जाता है जो एक विशिष्ट कानूनी उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, सबसे अधिक किससे जुड़ा है?
(A) ब्रिंज़ और बेकर
(B) सैविनी
(C) गियरके
(D) इहरिंग

137. दंड का कौन सा सिद्धांत यह तर्क देगा कि कारावास उचित है क्योंकि यह अपराधी को जनता के विरुद्ध और अपराध करने से भौतिक रूप से रोकता है?
(A) प्रतिशोधात्मक
(B) निवारक
(C) सुधारात्मक
(D) निरोधात्मक

138. कानून और नैतिकता के प्रत्यक्षवादी पृथक्करण का अर्थ क्या है?
(A) एक कानून को वैध होने के लिए नैतिक होना आवश्यक है।
(B) एक अनैतिक कानून वैध कानून नहीं हो सकता।
(C) कानून की वैधता का प्रश्न उसकी नैतिकता के प्रश्न से भिन्न है।
(D) कानून निर्माताओं को कानून बनाते समय नैतिकता पर विचार नहीं करना चाहिए।

139. सर हेनरी मेन के विधिशास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. वे ऐतिहासिक विचारधारा के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे।
II. उन्होंने प्रसिद्ध रूप से प्रगतिशील समाजों के विकास को 'हैसियत' से 'संविदा' तक रेखांकित किया।
III. उन्होंने तर्क दिया कि समाज को आधुनिक बनाने के लिए कानून को तीव्रता से संहिताबद्ध किया जाना चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

140. निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 'सर्वबंधी अधिकार' का एक उदाहरण है?
(A) एक मकान मालिक का किरायेदार से किराया वसूलने का अधिकार।
(B) एक व्यक्ति का अपनी भूमिगत संपत्ति पर सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार।
(C) एक विक्रेता का खरीदार से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार।
(D) एक कर्मचारी का नियोक्ता से वेतन प्राप्त करने का अधिकार।

141. विधिशास्त्र की वह विचारधारा जो कानून को 'अदालतें वास्तव में क्या करेंगी, इसके पूर्वानुमान' के रूप में परिभाषित करती है, वह कौन सी है?
(A) विश्लेषणात्मक विचारधारा
(B) समाजशास्त्रीय विचारधारा
(C) यथार्थवादी विचारधारा
(D) ऐतिहासिक विचारधारा

142. वह अधिकार जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन कानूनी कार्रवाई द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, जैसे कि परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित ऋण, क्या कहलाता है?
(A) एक पूर्ण अधिकार
(B) एक अपूर्ण अधिकार
(C) एक आकस्मिक अधिकार
(D) एक निहित अधिकार

143. विधिक संबंधों का 'होफेल्डियन' विश्लेषण किसके लिए विकसित किया गया था?
(A) कानून की एक नई प्रणाली निर्मित करने के लिए।
(B) कानूनी अवधारणाओं के लिए एक सटीक और विश्लेषणात्मक शब्दावली प्रदान करने के लिए।
(C) प्राकृतिक कानून के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए।
(D) यथार्थवादी न्यायाधीशों के निर्णयों को उचित ठहराने के लिए।

144. 'विनिश्चय-आधार' को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया गया है?
(A) मामले के सारभूत तथ्य।
(B) न्यायाधीश द्वारा दिया गया कानून का कोई भी वक्तव्य।
(C) न्यायालय का अंतिम आदेश।
(D) वह कानूनी सिद्धांत या नियम जिस पर न्यायिक निर्णय आधारित होता है।

145. एनिमस पोसिडेन्डी और कॉर्पस पोसिशनिस किसके दो आवश्यक तत्व हैं?
(A) स्वामित्व
(B) कब्जा
(C) विधिक व्यक्तित्व
(D) एक कानूनी अधिकार

146. रुडोल्फ वॉन इहरिंग को कानून के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है?
(A) साध्य के एक साधन और हितों के संघर्ष के परिणाम के रूप में।
(B) मानकों के शुद्ध विज्ञान के रूप में।
(C) लोक-चेतना के रूप में।
(D) संप्रभु के आदेश के रूप में।

147. प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र में, न्याय का एक प्रमुख सिद्धांत 'प्रमाण' है, जो क्या हैं?
(A) राजा के कर्तव्य।
(B) दंड के प्रकार।
(C) ज्ञान के वैध साधन या स्रोत।
(D) समाज के सामाजिक वर्ग।

148. कौन सा कथन कानून की प्रकृति का गलत वर्णन करता है?
(A) कानून नियमों का एक समुच्चय है।
(B) कानून राज्य द्वारा निर्मित और लागू किया जाता है।
(C) कानून हमेशा स्थिर रहता है और कभी परिवर्तित नहीं होता है।
(D) कानून समाज में व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करता है।

149. स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी, अपने अमेरिकी समकक्षों के विपरीत, किसमें अधिक रुचि रखते थे?
(A) विचारण न्यायालयों के दैनिक संचालन में।
(B) कानूनी शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या और उनके पीछे के मनोविज्ञान में।
(C) विधायी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली राजनीतिक पैरवी में।
(D) न्यायिक परिणामों के सांख्यिकीय विश्लेषण में।

150. सूची I के विधिशास्त्री को सूची II की उनके द्वारा लिखित पुस्तक से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विधिशास्त्री)
P. एच.एल.ए. हार्ट
Q. जॉन ऑस्टिन
R. हंस केल्सन
S. रोस्को पाउंड
सूची II: (पुस्तक)
1. द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटर्मिन्ड
2. द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ
3. इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ लॉ
4. प्योर थ्योरी ऑफ लॉ
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

151. एक 'कानूनी अधिकार' का सबसे अच्छा वर्णन क्या है?
(A) एक नैतिक दावा जो किसी के पास होना चाहिए।
(B) कानून के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक हित।
(C) एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता जिसका कोई संबंधित कर्तव्य नहीं है।
(D) कुछ करने की भौतिक शक्ति।

152. निम्नलिखित में से कौन सी विधिक व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है?
(A) संपत्ति रखने की क्षमता।
(B) अनुबंध करने की क्षमता।
(C) भौतिक शरीर का होना।
(D) वाद लाने और वाद का प्रतिवाद करने की क्षमता।

153. एक न्यायाधीश जो अन्य संभावित अपराधियों को 'संदेश' देने के लिए एक अपराधी को दीर्घ कारावास की सजा सुनाता है, वह मुख्य रूप से दंड के किस सिद्धांत को लागू कर रहा है?
(A) प्रतिशोधात्मक
(B) सुधारात्मक
(C) सामान्य निवारण
(D) अक्षमता

154. नैतिकता को लागू करने पर प्रोफेसर हार्ट और लॉर्ड डेवलिन के बीच बहस किसके द्वारा आरंभ हुई थी?
(A) गर्भपात का वैधीकरण।
(B) समलैंगिकता और वेश्यावृत्ति पर वल्फेंडेन समिति की रिपोर्ट।
(C) नूर्नबर्ग परीक्षण और नाजी कानून।
(D) मृत्युदंड का मुद्दा।

155. सैविनी के अनुसार, कानून आंतरिक रूप से किसी राष्ट्र की भाषा, संस्कृति और चरित्र से जुड़ा होता है। यह दृष्टिकोण कानून को क्या बनाता है?
(A) राष्ट्र-विशिष्ट और विकासवादी।
(B) तर्कसंगत प्रारूप और विधायन का परिणाम।
(C) सार्वभौमिक और कालातीत।
(D) वर्ग उत्पीड़न का एक साधन।

156. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): केल्सन के कानून के शुद्ध सिद्धांत में, 'ग्रुण्डनॉर्म' एक सकारात्मक कानूनी मानक नहीं है, बल्कि एक अनुभवातीत-तार्किक धारणा है।
कारण (R): 'ग्रुण्डनॉर्म' की वैधता को स्वयं कानूनी विज्ञान द्वारा निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है; कानूनी प्रणाली को वैध माने जाने के लिए इसे मान लिया जाना चाहिए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

157. निम्नलिखित में से कौन सा एक कानूनी कर्तव्य है?
(A) संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करने का नैतिक दायित्व।
(B) विनम्र होने की सामाजिक अपेक्षा।
(C) आयकर भुगतान करने की कानूनी अनिवार्यता।
(D) प्रतिदिन व्यायाम करने का व्यक्तिगत संकल्प।

158. 'होफेल्डियन' अवधारणा में 'शक्ति' का तात्पर्य क्या है?
(A) स्वयं के या दूसरों के कानूनी संबंधों को परिवर्तित करने की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त क्षमता।
(B) किसी को वश में करने की भौतिक क्षमता।
(C) सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होने का अधिकार।
(D) राज्य का राजनीतिक अधिकार।

159. एक प्रमुख समस्या जिसे एच.एल.ए. हार्ट के 'माध्यमिक नियम' हल करने के लिए हैं, वह केवल प्राथमिक नियमों वाली प्रणाली की 'स्थिर' प्रकृति है। कौन सा माध्यमिक नियम इसे संबोधित करता है?
(A) मान्यता का नियम
(B) परिवर्तन के नियम
(C) न्यायनिर्णयन के नियम
(D) दायित्व के नियम

160. विधिशास्त्र की कौन सी विचारधारा यह तर्क दे सकती है कि एक अधिनियम तब तक 'कानून' नहीं है जब तक कि किसी अदालत द्वारा उसकी व्याख्या और उसे लागू न किया गया हो?
(A) विश्लेषणात्मक विचारधारा
(B) यथार्थवादी विचारधारा का चरम पक्ष
(C) ऐतिहासिक विचारधारा
(D) प्राकृतिक कानून विचारधारा

161. 'निहित स्वामित्व' वह स्वामित्व है जो:
(A) भविष्य की घटना पर निर्भर है।
(B) पूर्ण और बिना शर्त है।
(C) एक विशिष्ट अवधि तक सीमित है।
(D) लाभार्थी के लिए एक न्यासी द्वारा धारित है।

162. निम्नलिखित विधिशास्त्रियों और उनके प्रमुख विचारों पर विचार कीजिए:
I. रोस्को पाउंड - सामाजिक अभियांत्रिकी
II. जॉन ऑस्टिन - संप्रभु का आदेश
III. हंस केल्सन - जीवंत कानून
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

163. 'सकारात्मक नैतिकता' और 'उचित रूप से कहे जाने वाले कानून' के बीच का अंतर किसके सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है?
(A) सेंट थॉमस एक्विनास
(B) जॉन ऑस्टिन
(C) लोन फुलर
(D) रोस्को पाउंड

164. दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) अपराधी को पीड़ा पहुँचाना।
(B) जनता को अपराध करने से रोकना।
(C) अपराधी को एक कानून मानने वाले नागरिक के रूप में पुनर्वासित करना।
(D) पीड़ित को उसके नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति देना।

165. जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए और उस व्यक्ति की ओर से कोई वस्तु रखता है, तो उसके कब्जे को किस रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) प्रतिकूल
(B) मध्यवर्ती
(C) आन्वयिक
(D) अमूर्त

166. विधिशास्त्र में न्याय दर्शन का एक प्रमुख योगदान किसका विस्तृत विश्लेषण है?
(A) संप्रभुता की प्रकृति का।
(B) विवादों में वैध ज्ञान के स्रोतों और तार्किक तर्क का।
(C) संपत्ति के अधिकारों का ऐतिहासिक विकास।
(D) कानूनी नियमों का आर्थिक आधार।

167. कानून के स्रोत के रूप में रुढ़ि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) रुढ़ि के मान्य होने के लिए, इसे वैधानिक कानून के स्पष्ट विरोधाभास में होना चाहिए।
(B) एक मान्य रुढ़ि निश्चित, सुसंगत और प्राचीन होनी चाहिए।
(C) सभी रुढ़ियों को, उनकी प्रकृति की परवाह किए बिना, स्वतः कानून माना जाता है।
(D) आधुनिक राज्यों में कानून के स्रोत के रूप में रुढ़ि विधायन से अधिक महत्वपूर्ण है।

168. यह विचार कि कानून मानकों के एक पदानुक्रम से बना है, जिसमें प्रत्येक मानक एक उच्च मानक से अपनी वैधता प्राप्त करता है, किसका केंद्रीय विषय है?
(A) जॉन ऑस्टिन का आदेश सिद्धांत
(B) हंस केल्सन का कानून का शुद्ध सिद्धांत
(C) सैविनी का ऐतिहासिक सिद्धांत
(D) रोस्को पाउंड का समाजशास्त्रीय सिद्धांत

169. विधिशास्त्र में सर हेनरी मेन का योगदान किस विचारधारा के अंतर्गत आता है?
(A) ऐतिहासिक
(B) विश्लेषणात्मक
(C) समाजशास्त्रीय
(D) यथार्थवादी

170. निम्नलिखित में से कौन सी विधिक अवधारणा सीधे तौर पर संपत्ति से संबंधित नहीं है?
(A) स्वामित्व
(B) कब्जा
(C) कर्तव्य

(D) स्वत्व

171. कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का 'कल्पना सिद्धांत', जिसका श्रेय अक्सर सैविनी को दिया जाता है, यह मानता है कि मनुष्यों के अलावा अन्य संस्थाओं का विधिक व्यक्तित्व क्या है?
(A) एक वास्तविक और मूर्त तथ्य।
(B) कानून का एक कृत्रिम निर्माण।
(C) दैवीय शक्ति से प्राप्त अनुदान।
(D) सामाजिक एकजुटता का परिणाम।

172. दंड का वह सिद्धांत जो अतीत की ओर देखता है और स्वयं अपराध पर केंद्रित है, वह कौन सा है?
(A) प्रतिशोधात्मक
(B) निवारक
(C) सुधारात्मक
(D) निरोधात्मक

173. कानून की प्रकृति पर 'हार्ट-फुलर बहस' किन घटनाओं से उत्पन्न कानूनी और नैतिक प्रश्नों का प्रत्यक्ष परिणाम थी?
(A) अमेरिकी नागरिक युद्ध
(B) फ्रांसीसी क्रांति
(C) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाजी अधिकारियों के परीक्षण
(D) सोवियत संघ का पतन

174. कौन सी अवधारणा एच.एल.ए. हार्ट के कानून के सिद्धांत का भाग नहीं है?
(A) मान्यता का नियम
(B) प्राथमिक नियम
(C) माध्यमिक नियम
(D) ग्रुण्डनॉर्म

175. सूची I के विधिक शब्द को सूची II में उसके उपयुक्त अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (शब्द)
P. व्यक्तिबंधी अधिकार
Q. हैसियत (स्टेटस)
R. कर्तव्य
S. स्वतंत्रता
सूची II: (अर्थ)
1. एक अनिवार्य कार्य; अधिकार का विधिक सहसंबंधी।
2. किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति, जो उनके अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है।
3. किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार।
4. दूसरों के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने का विशेषाधिकार; कर्तव्य की अनुपस्थिति।
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

176. यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार, कानून मुख्य रूप से क्या है?
(A) पुस्तकों में अमूर्त नियमों का एक समूह।
(B) न्यायिक निर्णय लेने का परिणाम।
(C) तर्क और नैतिकता का अवतार।
(D) ऐतिहासिक विकास का परिणाम।

177. निम्नलिखित में से कौन अमूर्त कब्जे का एक उदाहरण है?
(A) एक घर का कब्जा।
(B) एक कार का कब्जा।
(C) फर्नीचर के एक टुकड़े का कब्जा।
(D) दूसरे की भूमि पर मार्गाधिकार का कब्जा।

178. कथन "कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है; यह अनुभव रहा है" किस विधिशास्त्री के दर्शन को दर्शाता है?
(A) ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर
(B) जॉन ऑस्टिन
(C) हंस केल्सन
(D) थॉमस एक्विनास

179. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा विधायन के माध्यम से जानबूझकर किए गए कानूनी सुधार की आलोचना करती है।
कारण (R): सैविनी जैसे प्रस्तावकों ने तर्क दिया कि कानून को लोगों की रुढ़ियों और चेतना से स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए, न कि कृत्रिम रूप से अधिरोपित किया जाना चाहिए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

180. किसी संस्था की अधिकारों और कर्तव्यों को धारण करने में सक्षम होने की कानूनी मान्यता के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है?
(A) विधिक क्षमता
(B) विधिक व्यक्तित्व
(C) विधिक स्थिति
(D) विधिक अधिकार

181. होफेल्डियन योजना में, यदि X के पास अधिकार है कि Y उसे 100 रुपये दे, तो Y के पास क्या है?
(A) शक्ति
(B) अशक्तता
(C) कर्तव्य
(D) दायित्व

182. दंड का कौन सा सिद्धांत अक्सर सबसे मानवीय माना जाता है लेकिन कट्टर अपराधियों के साथ अप्रभावी होने के लिए जिसकी आलोचना की जाती है?
(A) प्रतिशोधात्मक
(B) निवारक
(C) निरोधात्मक
(D) सुधारात्मक

183. कानून का वह स्रोत जो 'स्टेयर डेसिसिस' के सिद्धांत पर आधारित है, वह कौन सा है?
(A) न्यायिक पूर्वनिर्णय
(B) विधायन
(C) रुढ़ि
(D) समझौता

184. गौतम का 'न्याय दर्शन' किसके लिए एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है?
(A) राजनीतिक प्रशासन
(B) सैन्य रणनीति
(C) तर्कशास्त्र और ज्ञानमीमांसा
(D) आर्थिक नीति

185. 'कानून' और 'नैतिकता' के बीच एक मुख्य अंतर क्या है?
(A) कानून राज्य द्वारा लागू शास्तियों द्वारा समर्थित है, जबकि नैतिकता प्रायः सामाजिक दबाव द्वारा लागू की जाती है।
(B) कानून हमेशा न्यायपूर्ण होता है, जबकि नैतिकता व्यक्तिपरक हो सकती है।
(C) नैतिकता सार्वभौमिक है, जबकि कानून किसी राष्ट्र विशेष के लिए होता है।
(D) कानून तर्क पर आधारित है, जबकि नैतिकता भावना पर आधारित है।

186. एक प्रमुख अमेरिकी यथार्थवादी कार्ल लेवेलिन ने किसके बीच अंतर पर बल दिया?
(A) 'कागजी नियम' और 'वास्तविक नियम'।
(B) 'कानून' और 'नैतिकता'।
(C) 'अधिकार' और 'कर्तव्य'।
(D) 'प्राथमिक' और 'माध्यमिक' नियम।

187. 'स्वामित्व' की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है?
(A) किसी वस्तु का भौतिक नियंत्रण।
(B) किसी वस्तु पर अधिकारों का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त समूह।
(C) किसी संपत्ति का अस्थायी उपयोग।
(D) संपत्ति को बिना कब्जे में लिए उपयोग करने का अधिकार।

188. निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का मान्यता प्राप्त सिद्धांत नहीं है?
(A) कल्पना सिद्धांत
(B) यथार्थवादी सिद्धांत
(C) अपरिहार्यता सिद्धांत
(D) ब्रैकेट सिद्धांत

189. विधिशास्त्र की विचारधाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. विश्लेषणात्मक विचारधारा मुख्य रूप से 'कानून जैसा है' से संबंधित है।
II. प्राकृतिक कानून विचारधारा का मानना है कि कानून को कुछ नैतिक सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए।
III. समाजशास्त्रीय विचारधारा समाज के भीतर कानून के कार्य और प्रभाव की जांच करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

190. जब दंड समाज की प्रतिशोध की भावना को संतुष्ट करने और अपराधी को उनके अपराध के लिए दंडित करने के लिए दिया जाता है, तो यह किस पर आधारित होता है?
(A) निवारक सिद्धांत
(B) निरोधात्मक सिद्धांत
(C) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(D) सुधारात्मक सिद्धांत

191. हार्ट के 'मान्यता के नियम' का प्राथमिक उद्देश्य किस दोष को दूर करना है?
(A) अनिश्चितता
(B) नियमों की स्थिर प्रकृति
(C) अक्षमता
(D) अनैतिकता

192. यूजेन एर्लिच की 'जीवंत कानून' की अवधारणा किस विचारधारा से सबसे निकटता से जुड़ी है?
(A) विश्लेषणात्मक
(B) ऐतिहासिक
(C) समाजशास्त्रीय
(D) यथार्थवादी

193. एक किराए के अपार्टमेंट में एक किरायेदार का कब्जा किसका उदाहरण है?
(A) विधि सम्मत और तथ्यतः कब्जा
(B) स्वामित्व
(C) प्रतिकूल कब्जा
(D) कब्जे के बिना स्वामित्व

194. निम्नलिखित में से कौन होफेल्ड के विश्लेषण में विधिक विलोम के जोड़े की सही पहचान करता है?
(A) अधिकार - कर्तव्य

(B) शक्ति - दायित्व
(C) उन्मुक्ति - अशक्तता
(D) अधिकार - अधिकार-विहीनता

195. कानून का 'आदेश सिद्धांत' सबसे प्रसिद्ध रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है?
(A) जॉन ऑस्टिन
(B) हंस केल्सन
(C) एच.एल.ए. हार्ट
(D) लोन फुलर

196. प्राचीन भारतीय चिंतन में 'धर्म' का मूल विचार आधुनिक पश्चिमी 'कानून' की अवधारणा से व्यापक है क्योंकि इसमें क्या शामिल है?
(A) केवल राजा के आदेश।
(B) केवल संपत्ति से संबंधित नियम।
(C) नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का एक समग्र समुच्चय।
(D) केवल न्यायालयों के लिए प्रक्रियात्मक नियम।

197. वह कानून जो किसी कार्य को किए जाने के पश्चात उसे आपराधिक घोषित करता है, क्या कहलाता है?
(A) भविष्यलक्षी कानून
(B) कार्योत्तर कानून
(C) घोषणात्मक कानून
(D) अनुज्ञात्मक कानून

198. 'ग्रुण्डनॉर्म' या 'मूल मानक' किसके द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत का आधार है?
(A) जॉन ऑस्टिन
(B) रोस्को पाउंड
(C) हंस केल्सन
(D) जेरेमी बेंथम

199. "प्रगतिशील समाजों का आंदोलन अब तक हैसियत से संविदा की ओर रहा है।" यह कथन किसका है?
(A) सैविनी
(B) सर हेनरी मेन
(C) कार्ल मार्क्स
(D) यूजेन एर्लिच

200. सूची I के विधिशास्त्री को सूची II में उनके केंद्रीय विचार से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विधिशास्त्री)
P. रोस्को पाउंड
Q. लियोन डुगुइट
R. यूजेन एर्लिच
S. रुडोल्फ वॉन इहरिंग
सूची II: (केंद्रीय विचार)
1. हितों के संघर्ष के परिणाम के रूप में कानून
2. सामाजिक एकजुटता
3. जीवंत कानून
4. सामाजिक अभियांत्रिकी
(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

201. निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत की वैध आलोचना नहीं है?
(A) यह अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने में विफल रहता है।
(B) यह संवैधानिक कानून की बाध्यकारी शक्ति की व्याख्या नहीं कर सकता।
(C) यह वसीयत बनाने की शक्ति जैसी कानून-प्रदान करने वाली शक्तियों को मान्यता नहीं देता है।
(D) कानून के प्राथमिक स्रोत के रूप में विधायन की इसकी पहचान।

202. एक 'कानूनी अधिकार' एक ऐसा हित है जिसे न केवल मान्यता प्राप्त है बल्कि:
(A) कानूनी प्रणाली द्वारा संरक्षित भी है
(B) समाज द्वारा नैतिक रूप से अनुमोदित भी है
(C) सभी देशों में सार्वभौमिक रूप से लागू भी है
(D) विधायन द्वारा अपरिवर्तनीय भी है

203. एक मृत व्यक्ति की कानूनी स्थिति क्या है?
(A) वे सभी उद्देश्यों के लिए एक विधिक व्यक्ति बने रहते हैं।
(B) वे अभी भी अपने नाम पर संपत्ति के स्वामी हो सकते हैं।
(C) उनका कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं होता और उनके अधिकार या कर्तव्य नहीं हो सकते।
(D) उनका प्रतिनिधित्व उनकी संपदा द्वारा किया जाता है, जो एक विधिक व्यक्ति है।

204. 'एकमात्र स्वामित्व' और 'सह-स्वामित्व' के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रकार।
(B) स्वामित्व की अवधि।
(C) संपत्ति का स्थान।
(D) संपत्ति के स्वामियों की संख्या।

205. वाक्यांश "आंख के बदले आंख" दंड के किस सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) सुधारात्मक
(B) निवारक
(C) प्रतिशोधात्मक (लेक्स टेलियोनिस)
(D) निरोधात्मक

206. 'न्याय दर्शन' की केंद्रीय जांच क्या है?
(A) सही ज्ञान (प्रमाण) की शर्तें और स्रोत।
(B) अंतिम वास्तविकता (ब्रह्म) की प्रकृति।
(C) आदर्श राज्य की संरचना।
(D) वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या।

207. लोन फुलर के प्रक्रियात्मक प्रकृतिवाद के अनुसार, एक कानून में 'आंतरिक नैतिकता' होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उनका एक सिद्धांत है?
(A) कानून को बहुमत के मत से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
(B) कानून धार्मिक सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए।
(C) कानून स्पष्ट रूप से बोधगम्य होना चाहिए।
(D) कानून को आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देना चाहिए।

208. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): अमेरिकी यथार्थवादी आंदोलन इस विचार के प्रति संशय में था कि कानूनी नियम मामले के परिणामों को निर्धारित करने वाले प्राथमिक कारक हैं।
कारण (R): जेरोम फ्रैंक जैसे यथार्थवादियों ने न्यायाधीशों को प्रभावित करने वाले पूर्वाग्रहों, व्यक्तित्वों और अन्य गैर-कानूनी कारकों को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

209. 'सामाजिक हितों' को संतुलित करने की अवधारणा किसकी विशेषता है?
(A) पाउंड का समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र
(B) केल्सन का कानून का शुद्ध सिद्धांत
(C) ऑस्टिन का विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद
(D) सैविनी का ऐतिहासिक विधिशास्त्र

210. होफेल्डियन संदर्भ में, 'अधिकार-विहीनता' का विधिक सहसंबंधी क्या है?
(A) स्वतंत्रता (या विशेषाधिकार)
(B) कर्तव्य
(C) अधिकार
(D) शक्ति

211. दंड का कौन सा सिद्धांत समाज की रक्षा के लिए एक आदतन अपराधी के लिए आजीवन कारावास को उचित ठहराएगा, चाहे उनके अंतिम अपराध की गंभीरता कुछ भी हो?
(A) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(B) निरोधात्मक सिद्धांत
(C) विशिष्ट निवारण
(D) सुधारात्मक सिद्धांत

212. कानून का वह स्रोत जो 'स्टेयर डेसिसिस' के सिद्धांत पर आधारित है, वह कौन सा है?
(A) न्यायिक पूर्वनिर्णय
(B) विधायन
(C) रुढ़ि
(D) साम्या

213. स्वामित्व और कब्जे के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) स्वामित्व एक अधिकार के रूप में है बनाम कब्जा एक तथ्य के रूप में।
(B) कब्जा स्वामित्व की तुलना में श्रेष्ठ अधिकार है।
(C) केवल नागरिक ही स्वामित्व रख सकते हैं, जबकि कब्जा कोई भी रख सकता है।
(D) स्वामित्व चल संपत्ति से संबंधित है, और कब्जा अचल संपत्ति से।

214. गियरके द्वारा समर्थित कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का 'यथार्थवादी सिद्धांत' क्या सुझाव देता है?
(A) निगम का अपने सदस्यों से पृथक एक वास्तविक, जैविक अस्तित्व है।
(B) निगम एक शुद्ध विधिक कल्पना है।
(C) निगम कानूनी उद्देश्यों के लिए केवल एक प्रक्रियात्मक ब्रैकेट है।
(D) निगम केवल राज्य की रियायत के कारण विद्यमान है।

215. कानून और नैतिकता के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. ऑस्टिन जैसे प्रत्यक्षवादी विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए दोनों के बीच स्पष्ट पृथक्करण का तर्क देते हैं।
II. प्राकृतिक कानून सिद्धांतकारों का तर्क है कि एक अन्यायपूर्ण कानून सच्चा कानून नहीं है।
III. हार्ट-डेवलिन बहस इस बारे में थी कि क्या कानून को एक विशेष सार्वजनिक नैतिकता लागू करनी चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

216. 'साध्य के साधन के रूप में कानून' की अवधारणा किस विधिशास्त्री के लिए एक केंद्रीय विषय थी, जिन्होंने कानून को मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक उपकरण के रूप में देखा?
(A) सैविनी
(B) रुडोल्फ वॉन इहरिंग
(C) हंस केल्सन
(D) जॉन ऑस्टिन

217. एच.एल.ए. हार्ट के सिद्धांत में 'न्यायनिर्णयन का माध्यमिक नियम' किस दोष को दूर करने का कार्य करता है?
(A) अनिश्चितता
(B) स्थिर चरित्र
(C) अक्षमता
(D) अनैतिकता

218. विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा को किस नाम से भी जाना जाता है?
(A) प्रत्यक्षवादी विचारधारा

(B) ऐतिहासिक विचारधारा
(C) समाजशास्त्रीय विचारधारा
(D) प्राकृतिक कानून विचारधारा

219. अपने स्वामी की ओर से माल रखने वाले सेवक का कब्जा सामान्यतः क्या माना जाता है?
(A) मध्यवर्ती कब्जा
(B) प्रतिकूल कब्जा
(C) स्वामित्व
(D) अभिरक्षा, न कि कानूनी कब्जा

220. वह सिद्धांत कि दंड को हुई हानि और अपराधी के दोष के अनुपात में होना चाहिए, किसके केंद्र में है?
(A) सुधारात्मक सिद्धांत
(B) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(C) निरोधात्मक सिद्धांत
(D) सामान्य निवारक सिद्धांत

221. कौन सी कानूनी अवधारणा कानून के अंतर्गत अधिकारों और कर्तव्यों का धारक होने की क्षमता के रूप में परिभाषित की गई है?
(A) मेन्स रिया
(B) स्टेयर डेसिसिस
(C) विधिक व्यक्तित्व
(D) ओबिटर डिक्टा

222. सूची I के विधिशास्त्री को सूची II के उनके प्रसिद्ध वाक्यांश या अवधारणा से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विधिशास्त्री)
P. ओ.डब्ल्यू. होम्स, जूनियर
Q. हेनरी मेन
R. रोस्को पाउंड
S. जॉन ऑस्टिन
सूची II: (वाक्यांश/अवधारणा)
1. संप्रभु के आदेश के रूप में कानून
2. अदालतें क्या करेंगी इसके पूर्वानुमान
3. सामाजिक अभियांत्रिकी
4. हैसियत से संविदा की ओर
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-3, S-1
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

223. होफेल्डियन प्रणाली में 'उन्मुक्ति' का विधिक विलोम क्या है?
(A) दायित्व
(B) अशक्तता
(C) शक्ति
(D) अधिकार-विहीनता

224. संहिताकरण के विरुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा का एक प्रमुख तर्क क्या है?
(A) समस्त कानूनों को लिखना अत्यंत कठिन है।
(B) यह समय से पूर्व कानून के स्वाभाविक विकास को बाधित कर देता है।
(C) यह न्यायाधीशों को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।
(D) यह केस कानून की तुलना में कम प्रभावी है।

225. कानून का "दुष्ट व्यक्ति" सिद्धांत, जो कानून को किसी ऐसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखने का सुझाव देता है जिसे केवल अपने कार्यों के परिणामों की चिंता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
(A) न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर
(B) एच.एल.ए. हार्ट
(C) रोस्को पाउंड
(D) लोन फुलर

226. न्याय दर्शन में 'प्रत्यक्ष' किसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान को संदर्भित करता है?
(A) अनुमान
(B) उपमान
(C) साक्षात इंद्रिय बोध
(D) शब्द

227. रुढ़ि को कानून के वैध स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त क्या है?
(A) आधुनिक अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप होना।
(B) सार्वजनिक नीति या वैधानिक कानून के विपरीत न होना।
(C) किसी पवित्र ग्रंथ में लिपिबद्ध होना।
(D) विश्व की बहुसंख्यक जनसंख्या द्वारा अभ्यास किया जाना।

228. 'कानूनी अधिकार' और 'स्वतंत्रता' के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) अधिकार दूसरे व्यक्ति पर संबंधित कर्तव्य अधिरोपित करता है, जबकि स्वतंत्रता नहीं।
(B) स्वतंत्रता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है।
(C) अधिकार न्यायालयों द्वारा निर्मित होता है, जबकि स्वतंत्रता विधायन द्वारा।
(D) अधिकार संपत्ति से संबंधित है, जबकि स्वतंत्रता व्यक्तिगत कार्य से।

229. यह विचार कि एक निगम मात्र एक नाम या "कोष्ठक" है जिसका उपयोग व्यक्तियों के समूह के साथ सुचारु रूप से व्यवहार करने के लिए किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है?
(A) कल्पना सिद्धांत
(B) यथार्थवादी सिद्धांत
(C) रियायत सिद्धांत
(D) ब्रैकेट सिद्धांत

230. अपराधी को शिक्षित और पुनर्वासित करने के उद्देश्य से दिया जाने वाला दंड किस पर आधारित है?

(A) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(B) निवारक सिद्धांत
(C) सुधारात्मक सिद्धांत
(D) अक्षमता सिद्धांत

231. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): कानूनी प्रत्यक्षवादियों के लिए, कानून और नैतिकता के बीच कोई अनिवार्य संबंध नहीं है।
कारण (R): प्रत्यक्षवादियों का मानना है कि एक कानून कानूनी रूप से वैध हो सकता है भले ही उसे नैतिक रूप से त्रुटिपूर्ण माना जाए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

232. 'आकस्मिक स्वामित्व' किस प्रकार का स्वामित्व है?
(A) पूर्ण और बिना शर्त है।
(B) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा किया जाता है।
(C) केवल एक निर्दिष्ट भविष्य की घटना के घटित होने पर प्रभावी होता है।
(D) एक लाभार्थी की ओर से न्यासी द्वारा धारित किया जाता है।

233. 'कानून के शुद्ध सिद्धांत' को 'शुद्ध' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कानून के विज्ञान को किससे पृथक करने का प्रयास करता है?
(A) न्यायिक पूर्वनिर्णय
(B) विधायन
(C) समाजशास्त्र, नैतिकता और राजनीति जैसे सभी गैर-कानूनी तत्वों से
(D) रूढ़िगत अभ्यास

234. कानूनी रूप से 'कर्तव्य' का मुख्य कार्य क्या है?
(A) कार्य की स्वतंत्रता प्रदान करना।
(B) कानूनी संबंधों को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करना।
(C) कार्य करने या कार्य करने से विरत रहने का दायित्व अधिरोपित करना।
(D) सामान्य नियम से छूट प्रदान करना।

235. विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(A) कानूनी नियमों की तार्किक निरंतरता।
(B) कानून की ऐतिहासिक उत्पत्ति।
(C) क्रियाशील कानून और समाज के साथ उसके संबंध।
(D) कानून के अंतर्निहित सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत।

236. 'कब्जे' की विधिक अवधारणा के लिए क्या आवश्यक है?
(A) किसी वस्तु पर मात्र भौतिक नियंत्रण।
(B) किसी वस्तु को रखने का मात्र आशय।
(C) भौतिक नियंत्रण (कॉर्पस) और कब्जा करने का आशय (एनिमस) दोनों।
(D) स्वामित्व सिद्ध करने वाला एक कानूनी दस्तावेज।

237. कौन सा कथन प्राकृतिक कानून विचारधारा के दृष्टिकोण का सटीक प्रतिनिधित्व करता है?
(A) कानून केवल वही है जो विधायिका कहती है।
(B) मानव निर्मित कानून को न्याय और तर्क के उच्च सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
(C) कानून सत्तारुढ़ वर्ग के लिए सत्ता बनाए रखने का एक उपकरण है।
(D) कानून के अध्ययन को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि न्यायाधीश वास्तव में क्या करते हैं।

238. निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए:
I. कॉर्पस पोसिशनिस (भौतिक नियंत्रण)
II. एनिमस पोसिडेन्डी (कब्जा करने का आशय)
III. एक कानूनी स्वत्व या विलेख
कानूनी कब्जा स्थापित करने के लिए उपरोक्त में से कौन सा अनिवार्य है?
(A) केवल I और III
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

239. 'लेक्स टेलियोनिस' या प्रतिशोध का कानून किस दंड के सिद्धांत से जुड़ी एक अवधारणा है?
(A) सुधारात्मक
(B) निरोधात्मक
(C) प्रतिशोधात्मक
(D) निवारक

240. हिंदू मंदिर में मूर्ति की कानूनी स्थिति क्या है?
(A) संपत्ति का स्वामित्व धारण करने में सक्षम एक विधिक व्यक्ति।
(B) बिना किसी कानूनी स्थिति वाला पाषाण खंड।
(C) पुजारी की निजी संपत्ति।
(D) सरकार की सार्वजनिक संपत्ति।

241. विधिशास्त्र के संदर्भ में, 'कानून के स्रोत' का तात्पर्य क्या है?
(A) वे ऐतिहासिक पुस्तकें जहाँ कानून प्रथम बार लिखे गए थे।
(B) वे मूल जिनसे कानून अपनी कानूनी शक्ति और वैधता प्राप्त करते हैं।
(C) वे भवन जहाँ विधायी निकाय मिलते हैं।
(D) वे अधिवक्ता जो न्यायालय में मामलों पर तर्क करते हैं।

242. 'वोक्सगेइस्ट' सिद्धांत का मुख्य तर्क यह है कि कानून:

(A) किसी राष्ट्र के लोगों की भावना और चेतना से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।
(B) तर्कसंगत विधायी कार्रवाई का परिणाम है।
(C) सार्वभौमिक है और सर्वत्र एक समान होना चाहिए।
(D) सामाजिक अभियांत्रिकी का एक साधन है।

243. विधिशास्त्र की 'यथार्थवादी विचारधारा' मुख्य रूप से किस देश के कानूनी और बौद्धिक वातावरण की देन है?
(A) जर्मनी
(B) फ्रांस
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) इंग्लैंड

244. वह अधिकार जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध है, क्या कहलाता है?
(A) व्यक्तिबंधी अधिकार
(B) सर्वबंधी अधिकार
(C) अपूर्ण अधिकार
(D) आकस्मिक अधिकार

245. सूची I में विधिशास्त्र की विचारधारा को सूची II में उसके मुख्य विषय से सुमेलित कीजिए:
सूची I: (विचारधारा)
P. विश्लेषणात्मक विचारधारा
Q. ऐतिहासिक विचारधारा
R. समाजशास्त्रीय विचारधारा
S. प्राकृतिक कानून विचारधारा
सूची II: (विषय)
1. कानून और नैतिकता परस्पर सम्बद्ध हैं
2. आदेश के रूप में कानून
3. कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता
4. एक सामाजिक घटना के रूप में कानून
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

246. अपराध के लिए आवश्यक मानसिक तत्व या "दोषी मन" के लिए प्रयुक्त कानूनी शब्द क्या है?
(A) मेन्स रिया
(B) एक्टस रियस
(C) स्टेयर डेसिसिस
(D) विनिश्चय-आधार

247. दंड के निवारक सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) अपराधी को सुधारना।
(B) पीड़ित की ओर से प्रतिशोध लेना।
(C) दंड का भय उत्पन्न करके अपराध को रोकना।
(D) अपराधी को अक्षम करना।

248. 'प्राथमिक नियमों' और 'माध्यमिक नियमों' के बीच अंतर किसका प्रमुख योगदान था?
(A) जॉन ऑस्टिन
(B) एच.एल.ए. हार्ट
(C) हंस केल्सन
(D) सैविनी

249. कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का 'ब्रैकेट सिद्धांत', जो निगम को उसके सदस्यों के अधिकारों के प्रतीक के रूप में देखता है, किससे सम्बद्ध है?
(A) सैविनी
(B) गियरके
(C) इहरिंग
(D) केल्सन

250. कौन सा विधिशास्त्री प्रसिद्ध रूप से 'सामाजिक अभियांत्रिकी' की अवधारणा से सम्बद्ध है?
(A) रोस्को पाउंड
(B) लियोन डुगुइट
(C) यूज़ेन एर्लिच
(D) हेनरी मेन

251. कानूनी चिंतन में प्राचीन कानूनी प्रणालियों का एक प्रमुख योगदान किस पर बल देना है?
(A) आचरण के मार्गदर्शन के रूप में 'धर्म' की समग्र अवधारणा।
(B) कानून और नैतिकता का पूर्ण पृथक्करण।
(C) कानून विशुद्ध रूप से संप्रभु राजा के आदेश के रूप में।
(D) कानूनी कार्यवाही में तर्क को अस्वीकार करना।

252. आज पारित एक कानून जो कल किए गए कानूनी कार्य को दंडित करता है, किसका उदाहरण है?
(A) एक पूर्वव्यापी कानून
(B) एक प्रक्रियात्मक कानून
(C) एक सारभूत कानून
(D) एक भविष्यलक्षी कानून

253. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): रोस्को पाउंड के अनुसार, कानून का कार्य 'सामाजिक अभियांत्रिकी' है।
कारण (R): उनका मानना था कि कानून का उपयोग समाज में प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए ताकि न्यूनतम संघर्ष के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

254. एक किरायेदार का 'कब्जा' एक निश्चित सीमा तक स्वामी के विरुद्ध भी कानूनी रूप से संरक्षित है। यह क्या दर्शाता है?
(A) कब्जा स्वामित्व के समान है।
(B) कब्जा अपने आप में एक अधिकार है।
(C) कब्जा एक अस्थायी और दुर्बल कानूनी अवधारणा है।
(D) कब्जा बिना किसी कानूनी परिणाम वाली मात्र एक तथ्यात्मक स्थिति है।

255. होफेल्ड की योजना में 'शक्ति' का विधिक विलोम क्या है?
(A) अशक्तता
(B) दायित्व
(C) उन्मुक्ति
(D) कर्तव्य

256. दंड का कौन सा सिद्धांत अपराधी और समाज के भविष्य के आचरण पर सर्वाधिक केंद्रित है?
(A) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(B) निवारक सिद्धांत
(C) प्रायश्चित सिद्धांत
(D) दिव्य प्रतिशोध सिद्धांत

257. विधिक व्यक्तित्व का 'रियायत सिद्धांत' यह मानता है कि विधिक व्यक्ति के रूप में एक निगम की स्थिति किससे प्राप्त होती है?
(A) एक सामाजिक समूह के रूप में इसकी अंतर्निहित प्रकृति से।
(B) इसके सदस्यों की सामूहिक इच्छा से।
(C) प्राकृतिक कानून सिद्धांतों से।
(D) राज्य से अनुदान या रियायत से।

258. कानून के स्रोतों के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए:
(A) विधायन सक्षम प्राधिकारी द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया है।
(B) पूर्वनिर्णय न्यायालय के उस निर्णय को संदर्भित करता है जो भविष्य के समान मामलों में बाध्यकारी होता है।
(C) रुढ़ि कानून का एक स्रोत है जो संप्रभु की इच्छा से उदित होता है।
(D) पक्षों के बीच समझौता विशिष्ट कानूनी अधिकार और कर्तव्य निर्मित कर सकता है।

259. प्राकृतिक कानून विचारधारा का एक केंद्रीय सिद्धांत किसमें विश्वास है?
(A) राज्य का पूर्ण अधिकार।
(B) तर्क या नैतिकता पर आधारित एक उच्चतर कानून।
(C) कानूनी संस्थाओं की विकासवादी प्रकृति।
(D) न्यायिक व्यवहार के अध्ययन की पूर्वानुमान क्षमता।

260. विधिशास्त्र की कौन सी विचारधारा यह कहने की सर्वाधिक संभावना रखती है, "कानून वह है जो अधिकारी विवादों के संदर्भ में करते हैं"?
(A) यथार्थवादी विचारधारा
(B) प्राकृतिक कानून विचारधारा
(C) विश्लेषणात्मक विचारधारा
(D) ऐतिहासिक विचारधारा

261. विधिक व्यक्तित्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
I. केवल मनुष्य ही विधिक व्यक्ति हो सकते हैं।
II. एक निगम को विधिक व्यक्ति माना जाता है।
III. विधिक व्यक्तित्व का अर्थ है अधिकारों और कर्तव्यों के लिए क्षमता धारण करना।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

262. कानून के आधार के रूप में 'सामाजिक एकजुटता' का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
(A) लियोन डुगुइट
(B) रोस्को पाउंड
(C) यूज़ेन एर्लिच
(D) हंस केल्सन

263. कब्जे के भौतिक तत्व को 'कॉर्पस पोसिशनिस' कहा जाता है, जबकि मानसिक तत्व को क्या कहा जाता है?
(A) एनिमस डोमिनी
(B) एनिमस पोसिडेन्डी
(C) विनिश्चय-आधार
(D) विधि सम्मत

264. दंड का वह उद्देश्य जिसमें अपराधी को उनके गलत कार्य के लिए दंडित किया जाता है, किसका वर्णन करता है?
(A) सुधारात्मक सिद्धांत
(B) निरोधात्मक सिद्धांत
(C) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(D) निवारक सिद्धांत

265. सूची I की अवधारणा को सूची II के विधिशास्त्री के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. वोक्सगेइस्ट
Q. मान्यता का नियम
R. सामाजिक अभियांत्रिकी
S. ग्रुण्डनॉर्म
सूची II: (विधिशास्त्री)
1. एच.एल.ए. हार्ट
2. रोस्को पाउंड
3. सैविनी
4. हंस केल्सन
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4

(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

266. वह अधिकार जिसका अस्तित्व एक अनिश्चित भविष्य की घटना के घटित होने पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है?
(A) निहित अधिकार
(B) आकस्मिक अधिकार
(C) अमूर्त अधिकार
(D) पूर्ण अधिकार

267. हार्ट-डेवलिन बहस मुख्य रूप से किसके कानूनी प्रवर्तन से संबंधित थी?
(A) आर्थिक नीतियां
(B) राजनीतिक विचारधाराएं
(C) नैतिकता
(D) अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

268. वह विधिशास्त्री जिसने प्रसिद्ध रूप से 'कानून जैसा है' और 'कानून जैसा होना चाहिए' के बीच अंतर किया था, वह कौन था?
(A) जॉन ऑस्टिन
(B) थॉमस एक्विनास
(C) लोन फुलर
(D) रोनाल्ड डवर्किन

269. सैविनी के नेतृत्व में विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा किसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी?
(A) सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून और संहिताकरण का विचार।
(B) कानून के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन।
(C) कानून बनाने में न्यायाधीशों की भूमिका।
(D) संप्रभु का अधिकार।

270. केल्सन के सिद्धांत में, समग्र रूप से कानूनी व्यवस्था की प्रभावशीलता ग्रुण्डनॉर्म की वैधता के लिए एक आवश्यक शर्त है। यह किसका सिद्धांत है?
(A) प्रभावशीलता
(B) शुद्धता
(C) नैतिकता
(D) संप्रभुता

271. यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार, कानूनी विवाद में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है?
(A) अधिनियम की सटीक शब्दावली।
(B) न्यायाधीश का निर्णय।
(C) ऐतिहासिक पूर्वनिर्णय।
(D) मामले की नैतिक शुद्धता।

272. 'व्यक्तिबंधी अधिकार' वह अधिकार है जो किसके विरुद्ध उपलब्ध है?
(A) संपूर्ण विश्व।
(B) एक विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह।
(C) केवल राज्य।
(D) विशेष रूप से कोई नहीं।

273. विधिक व्यक्तित्व का 'कल्पना सिद्धांत' सबसे निकटता से किससे जुड़ा है?
(A) गियरके
(B) सैविनी
(C) इहरिंग
(D) डुगुइट

274. दंड के निरोधात्मक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) अपराधी को सुधारना।
(B) अपराधी को अपराध दोहराने से भौतिक रूप से अक्षम करना।
(C) अपराध का प्रतिशोध लेना।
(D) अपराधी को पश्चाताप कराना।

275. निम्नलिखित विधिशास्त्रीय विचारकों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. जॉन ऑस्टिन
2. एच.एल.ए. हार्ट
3. थॉमस एक्विनास
4. सैविनी
सही क्रम का चयन कीजिए:
(A) 3, 4, 1, 2
(B) 3, 1, 4, 2
(C) 1, 3, 4, 2
(D) 4, 3, 1, 2

276. न्याय ज्ञानमीमांसा में, 'उपमान' किसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान का स्रोत है?
(A) तुलना या सादृश्य
(B) धारणा (प्रत्यक्ष)
(C) अनुमान
(D) शब्द

277. विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण कानून के किस प्रकार के स्रोत का उदाहरण है?
(A) रुढ़ि
(B) पूर्वनिर्णय
(C) साम्या
(D) संवैधानिक कानून

278. विधिशास्त्र की कौन सी विचारधारा मानती है कि कानून नियमों का एक समुच्चय नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली एक सामाजिक संस्था है?
(A) विश्लेषणात्मक विचारधारा
(B) समाजशास्त्रीय विचारधारा
(C) ऐतिहासिक विचारधारा

(D) प्राकृतिक कानून विचारधारा

279. खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले का कब्जा किसके अतिरिक्त अन्य सबके विरुद्ध मान्य है?
(A) पुलिस
(B) राज्य
(C) वास्तविक स्वामी
(D) कोई अन्य व्यक्ति जो इसका दावा करता है

280. एक कानूनी 'कर्तव्य' किसका विधिक सहसंबंधी है?
(A) स्वतंत्रता
(B) शक्ति
(C) उन्मुक्ति
(D) अधिकार

281. दंड का वह सिद्धांत जो अपराध को एक रोग और अपराधी को उपचार योग्य रोगी के रूप में देखता है, वह कौन सा है?
(A) सुधारात्मक सिद्धांत
(B) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
(C) निवारक सिद्धांत
(D) निरोधात्मक सिद्धांत

282. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है।
कारण (R): कानून निगमों और मूर्तियों जैसी गैर-मानव संस्थाओं को व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है और प्रदान करता है, जिससे वे अधिकार और कर्तव्य धारण करने में सक्षम होती हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

283. कथन "कानून स्थिर होना चाहिए, और फिर भी यह स्थिर नहीं रह सकता" उस अंतर्निहित तनाव को दर्शाता है जिसे विधिशास्त्र की कौन सी विचारधारा संबोधित करना चाहती है?
(A) समाजशास्त्रीय
(B) विश्लेषणात्मक
(C) ऐतिहासिक
(D) प्राकृतिक कानून

284. 'स्वामित्व' का 'कब्जे' से वही संबंध है जो:
(A) अधिकार का तथ्य से है।
(B) तथ्य का अधिकार से है।
(C) अधिकार का कर्तव्य से है।
(D) शक्ति का दायित्व से है।

285. ऐतिहासिक विचारधारा की एक प्रमुख आलोचना क्या है?
(A) न्यायिक निर्णय लेने पर अत्यधिक बल देना।
(B) कानूनी सुधार के प्रति निराशावादी होने की प्रवृत्ति।
(C) कानून और नैतिकता का पूर्ण पृथक्करण।
(D) जटिल तार्किक संरचना।

286. सूची I के विधिशास्त्री को सूची II के उस देश से सुमेलित कीजिए जिससे वे मुख्य रूप से सम्बद्ध हैं:
सूची I: (विधिशास्त्री)
P. सैविनी
Q. जॉन ऑस्टिन
R. कार्ल लेवेलिन
S. लियोन डुगुइट
सूची II: (देश)
1. इंग्लैंड
2. फ्रांस
3. जर्मनी
4. यूएसए
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

287. निम्नलिखित में से कौन सी एक 'कानूनी अधिकार' की विशेषता नहीं है?
(A) यह एक व्यक्ति (अधिकार धारक) में निहित होता है।
(B) यह एक व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध होता है जिसका संबंधित कर्तव्य है।
(C) इसमें विषय-वस्तु (कार्य या प्रविरति) होती है।
(D) इसे संपूर्ण समुदाय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

288. निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र की विचारधारा नहीं बल्कि एक कानूनी अवधारणा का उदाहरण है?
(A) यथार्थवादी
(B) समाजशास्त्रीय
(C) कब्जा
(D) प्राकृतिक

289. मृत्युदंड को मुख्य रूप से किन दो सिद्धांतों द्वारा उचित ठहराया जा सकता है?
(A) निरोधात्मक और सुधारात्मक
(B) प्रतिशोधात्मक और निवारक
(C) सुधारात्मक और निरोधात्मक
(D) निवारक और पुनर्स्थापनात्मक

290. केल्सन के सिद्धांत में 'ग्रुण्डनॉर्म' क्या है?
(A) तथ्यात्मक परिकल्पना
(B) नैतिक सिद्धांत
(C) तार्किक धारणा
(D) लिखित नियम

291. यथार्थवादी विचारधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

I. यह 'क्रियाशील कानून' के स्थान पर 'पुस्तकों में कानून' पर ध्यान केंद्रित करती है।

II. यह न्यायाधीश के व्यक्तित्व और पूर्वाग्रहों की भूमिका पर बल देती है।

III. ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर को इस विचारधारा का अग्रदूत माना जाता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(A) I और II सही हैं।
(B) II और III सही हैं।
(C) I और III सही हैं।
(D) I, II और III सही हैं।

292. पड़ोसी के खेत से होकर जाने का अधिकार किसका उदाहरण है?

(A) अमूर्त अधिकार (सुखाचार)
(B) मूर्त स्वामित्व
(C) निहित स्वामित्व
(D) आकस्मिक स्वामित्व

293. प्रत्यक्षवादियों द्वारा अक्सर 'कानून' और 'नैतिकता' के बीच मुख्य अंतर किसकी उपस्थिति के रूप में पहचाना जाता है?

(A) संगठित शास्ति
(B) सामाजिक अनुमोदन
(C) ऐतिहासिक वंशावली
(D) तर्कसंगत औचित्य

294. कानूनी सूक्ति "Ubi jus ibi remedium" (जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है) किसके महत्व को रेखांकित करती है?

(A) दंड
(B) कानूनी अधिकारों की प्रवर्तनीयता
(C) शक्तियों का पृथक्करण
(D) विधायिका की सर्वोच्चता

295. निम्नलिखित में से कौन कानून का स्रोत नहीं है?

(A) जनमत सर्वेक्षण
(B) विधायन
(C) पूर्वनिर्णय
(D) रूढ़ि

296. 'न्याय' दर्शन की एक प्रमुख विशेषता जो इसे विधिशास्त्र के लिए प्रासंगिक बनाती है, वह कौन सी है?

(A) तर्क और वाद-विवाद की इसकी प्रणाली।
(B) सौंदर्यशास्त्र का सिद्धांत।
(C) आत्मा का तत्वमीमांसा सिद्धांत।
(D) वनस्पतियों और जीवों का वर्गीकरण।

297. यह विचार कि कानून को एक उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए और वह साध्य का एक साधन है, किसके सोद्देश्यवादी दृष्टिकोण से जुड़ा है?

(A) सैविनी
(B) केल्सन
(C) रुडोल्फ वॉन इहरिंग
(D) ऑस्टिन

298. यदि एक नया कानून पारित किया जाता है जो वाद दायर करने की समय सीमा को कम कर देता है, और यह वर्तमान दावों पर लागू होता है, तो इसे किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है?

(A) पूर्वव्यापी होने के नाते
(B) भविष्यलक्षी होने के नाते
(C) अक्षम होने के नाते
(D) अनिश्चित होने के नाते

299. दंड का वह सिद्धांत जो अपराधी को पश्चाताप कराने और पीड़ा के माध्यम से अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने पर केंद्रित है, क्या कहलाता है?

(A) सुधारात्मक सिद्धांत
(B) निरोधात्मक सिद्धांत
(C) निवारक सिद्धांत
(D) प्रायश्चित सिद्धांत

300. कंपनी की कानूनी इकाई उसके शेयरधारकों से पृथक होती है। इसे किस रुप में जाना जाता है?

(A) ब्रैकेट सिद्धांत
(B) कॉर्पोरेट आवरण की अवधारणा
(C) सामाजिक एकजुटता
(D) मान्यता का नियम

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) न्याय के क्षेत्र में प्रयुक्त तर्क का तार्किक विज्ञान
प्राचीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत न्याय शास्त्र को तर्क एवं तर्कशक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी स्थापना महर्षि गौतम ने की थी। यह मुख्य रूप से सत्य के अन्वेषण तथा यथार्थ ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया पर केंद्रित है। विधिक संदर्भ में, यह तर्कपूर्ण विवेचन के माध्यम से यथार्थ सत्य तक पहुँचने का सुदृढ़ आधार प्रदान करता है तथा न्याय प्राप्ति हेतु एक व्यवस्थित दार्शनिक ढांचा निर्मित करता है।

2. (A) दुखों से मुक्ति (अपवर्ग) प्राप्त करना
न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाणों के माध्यम से प्राप्त यथार्थ ज्ञान का परम उद्देश्य दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, जिसे 'अपवर्ग' या मोक्ष कहा जाता है। जब मनुष्य को पदार्थों का सही तत्वज्ञान प्राप्त होता है, तब मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। इसके परिणामस्वरूप राग-द्वेष और दोषों का अंत होता है, जो अंततः जन्म-मृत्यु के चक्र एवं सांसारिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह आध्यात्मिक चेतना का आधार है।

3. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
रुढ़ि कानून का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो समाज में दीर्घकालिक निरंतर अभ्यास एवं सामुदायिक स्वीकृति से अपनी वैधता प्राप्त करती है। इसे समय की कसौटी पर खरा उतरना अनिवार्य है। दूसरी ओर, न्यायिक पूर्वनिर्णय उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए वे निर्णय हैं, जो भविष्य के समान मामलों हेतु अनिवार्य दिशानिर्देश बन जाते हैं। जब कोई अभिलेख न्यायालय किसी विधिक सिद्धांत को घोषित करता है, तो वह अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी होता है।

4. (D) कानूनी विशेषज्ञों के व्यावसायिक मत
आधुनिक विधिक प्रणालियों में विधान, न्यायिक पूर्वनिर्णय और स्थापित रुढ़ियाँ कानून के प्राथमिक स्रोतों में सम्मिलित हैं। विधान विधायिका द्वारा निर्मित औपचारिक नियम हैं, जबकि पूर्वनिर्णय न्यायिक निर्णय होते हैं। इसके विपरीत, विधिक विशेषज्ञों या न्यायविदों के व्यावसायिक मत केवल व्याख्यात्मक या सहायक महत्व रखते हैं। ये मत न्यायालयों हेतु बाध्यकारी नहीं होते, बल्कि केवल जटिल कानूनी मुद्दों को समझने अथवा कानून के क्रमिक विकास में विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक होते हैं।

5. (C) ऐतिहासिक विचारधारा
विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा मुख्य रूप से फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी के लोक-चेतना या 'वोक्सगेइस्ट' के विचार पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार, कानून का निर्माण कृत्रिम रुप से नहीं किया जाता, बल्कि यह राष्ट्र की विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और इतिहास के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। कानून लोगों की सामूहिक चेतना का जीवंत प्रतिबिंब है। जैसे भाषा का स्वतः विकास होता है, वैसे ही कानून भी समाज के साथ निरंतर एवं जैविक रूप से बढ़ता है।

6. (B) जॉन ऑस्टिन
जॉन ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद का जनक स्वीकार किया जाता है, जिन्होंने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार, कानून एक निश्चित मानव श्रेष्ठ द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी किया गया निर्देश है। इस आदेश का अनुपालन न करने पर शास्ति या दंड का प्रावधान होता है। यह सिद्धांत कानून को नैतिकता से पूर्णतः पृथक करता है और संप्रभु की शक्ति को कानूनी बाध्यता का एकमात्र एवं अंतिम आधार स्वीकार करता है।

7. (D) प्राथमिक और माध्यमिक नियम
एच.एल.ए. हार्ट ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ' में प्राथमिक और माध्यमिक नियमों के मध्य स्पष्ट भेद स्थापित किया है। प्राथमिक नियम व्यक्तियों पर विधिक कर्तव्य अधिरोपित करते हैं और उनके व्यवहार को विनियमित करते हैं। माध्यमिक नियम वे होते हैं जो प्राथमिक नियमों को पहचानने, उन्हें संशोधित करने अथवा विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। हार्ट के अनुसार, इन दोनों प्रकार के नियमों का संयोजन ही आधुनिक कानूनी प्रणाली का आधार है।

8. (A) रोस्को पाउंड
रोस्को पाउंड ने विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत 'सामाजिक अभियांत्रिकी' की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने कानून को समाज में परस्पर विरोधी हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का एक सशक्त उपकरण माना। पाउंड के अनुसार, एक कुशल अभियंता की भाँति कानून निर्माता को भी समाज के व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सामाजिक हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य न्यूनतम घर्षण एवं अपव्यय के साथ समाज की अधिकतम आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूर्ण करना है।

9. (C) यह वैधानिक नियमों को अदालती फैसलों का एकमात्र निर्धारक मानती है।
यथार्थवादी विचारधारा कानून के व्यावहारिक एवं वास्तविक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विचारधारा इस विचार को पूर्णतः खारिज करती है कि केवल वैधानिक नियम ही अदालती फैसलों के एकमात्र निर्धारक होते हैं। इसके विपरीत, यह तर्क देती है कि न्यायाधीशों के व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक पूर्वाग्रह और मनोवैज्ञानिक कारक निर्णयों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानून वह नहीं है जो केवल पुस्तकों में अंकित है, बल्कि वह है जो अदालतें व्यवहार में करती हैं।

10. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत संवैधानिक कानून की व्याख्या करने में प्रायः विफल रहता है, क्योंकि संविधान संप्रभु की शक्तियों पर विधिक सीमाएं आरोपित करता है। ऑस्टिन के अनुसार, संप्रभु वह है जो किसी अन्य के प्रति आज्ञाकारिता की आदत में नहीं होता। चूंकि आधुनिक लोकतंत्रों में संप्रभु की शक्तियां संविधान द्वारा नियंत्रित एवं मर्यादित होती हैं, इसलिए ऑस्टिन की असीमित संप्रभुता की अवधारणा वहां पूर्णतः लागू नहीं होती। यह उनके कठोर आदेशात्मक सिद्धांत की सीमा है।

11. (D) कर्तव्य
वेस्ले न्यूकॉम्ब होफेल्ड द्वारा प्रस्तुत विधिक विश्लेषण में अधिकारों और कर्तव्यों के मध्य एक अविभाज्य संबंध बताया गया है। उनके अनुसार, यदि एक व्यक्ति के पास कोई विधिक अधिकार है, तो दूसरे व्यक्ति पर उसके अनुरूप एक विधिक कर्तव्य अनिवार्य रूप से उत्पन्न होता है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, जिन्हें विधिक सहसंबंधी कहा जाता है। बिना किसी संबंधित कर्तव्य के विधिक अधिकार की कल्पना करना कानूनी रूप से असंभव एवं निरर्थक प्रतीत होता है।

12. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
एच.एल.ए. हार्ट ने प्राथमिक एवं माध्यमिक नियमों के समन्वय को विधि का केंद्र माना। हंस केल्सन ने 'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक की अवधारणा दी, जो विधिक व्यवस्था को वैधता प्रदान करता है। जॉन ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु के आदेश एवं शास्ति के रूप में परिभाषित किया। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी ने ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत 'वोक्सगेइस्ट' पर बल दिया, जिसके अनुसार कानून का उद्भव समाज की सामूहिक अंतरात्मा से स्वाभाविक रूप से होता है।

13. (C) कॉर्पस पोसिशनिस
कब्जे के दो अनिवार्य तत्वों में से भौतिक नियंत्रण को 'कॉर्पस पोसिशनिस' कहा जाता है। इसका तात्पर्य किसी वस्तु पर व्यक्ति का वास्तविक एवं प्रभावी नियंत्रण होना है। यह भौतिक संबंध व्यक्ति को उस वस्तु का उपयोग करने तथा दूसरों को उसके हस्तक्षेप से रोकने की शक्ति प्रदान करता है। कब्जे की पूर्णता हेतु कॉर्पस के साथ-साथ 'एनिमस' या धारण करने का मानसिक आशय भी आवश्यक है। यह तत्व किसी व्यक्ति के वस्तु के साथ प्रत्यक्ष संबंध को परिभाषित करता है।

14. (D) राज्य सत्ता द्वारा निर्मित एक विधिक कल्पना
विधिक व्यक्तित्व का 'कल्पना सिद्धांत' यह स्वीकार करता है कि किसी निगम या संस्था का अपना कोई वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होता। इसे केवल कानून की प्रक्रिया और राज्य की शक्ति द्वारा एक व्यक्ति माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, विधिक व्यक्तित्व एक कृत्रिम निर्माण है जिसे केवल विधिक कार्यों को सुगम बनाने हेतु कल्पित किया गया है। यह विचार स्पष्ट करता है कि निगमों को केवल कानून की दृष्टि में ही अधिकार प्राप्त होते हैं, उनका कोई जैविक अस्तित्व नहीं है।

15. (A) उदाहरण पेश करके संभावित अपराधियों को हतोत्साहित करना
दंड के निवारक सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य समाज में अपराधों की रोकथाम करना है। यह सिद्धांत अपराधियों को कठोर दंड प्रदान कर संभावित अपराधियों के मन में भय उत्पन्न करने पर बल देता है। इसका आधार यह है कि दंड एक सार्वजनिक उदाहरण के रूप में कार्य करना चाहिए, ताकि अन्य लोग भविष्य में वैसा ही अपराध करने का साहस न कर सकें। यह सिद्धांत व्यक्ति विशेष के सुधार की अपेक्षा संपूर्ण समाज को अपराध से दूर रखने को प्राथमिकता देता है।

16. (B) एक अधिनायकवादी शासन द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता
प्रसिद्ध हार्ट-फुलर बहस कानून एवं नैतिकता के मध्य अंतर्संबंधों पर केंद्रित थी, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के संदर्भ में। एच.एल.ए. हार्ट ने प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कानून और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किया। इसके विपरीत, लोन फुलर ने तर्क दिया कि कानून की वैधता उसकी आंतरिक नैतिकता पर निर्भर करती है। यह बहस आधुनिक विधिशास्त्र में कानूनी वैधता और नैतिक मूल्यों के संघर्ष को समझने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

17. (B) कानून को एक उच्चतर, सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए।
प्राकृतिक कानून विचारधारा विधिशास्त्र का वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि मानवीय कानून को एक उच्चतर, सार्वभौमिक और कालातीत नैतिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार, न्याय और तर्क के सिद्धांत प्रकृति में ही अंतर्निहित हैं और मानवीय कानून तभी वैध होते हैं जब वे इन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि कानून केवल राज्य की शक्ति नहीं, बल्कि सत्य और नैतिकता की अभिव्यक्ति होना चाहिए।

18. (A) हैसियत से संविदा की ओर
सर हेनरी मेन ने ऐतिहासिक विधिशास्त्र के माध्यम से प्रगतिशील समाजों के विकास का विश्लेषण किया। उनका प्रसिद्ध निष्कर्ष है कि समाज का विकास 'हैसियत' से 'संविदा' की ओर हुआ है। प्राचीन समाजों में व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य उनके परिवार या जन्मजात स्थिति से निर्धारित होते थे। आधुनिक समाजों में, यह व्यवस्था स्वतंत्र व्यक्तियों के मध्य होने वाले स्वैच्छिक समझौतों या अनुबंधों में परिवर्तित हो गई है। यह परिवर्तन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधिक स्वायत्तता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

19. (A) I और II सही हैं।
न्याय दर्शन हिंदू दर्शन की छह प्रमुख आस्तिक प्रणालियों में से एक है, जिसकी स्थापना महर्षि गौतम ने की थी। यह दर्शन मुख्य रूप से ज्ञानमीमांसा और तर्कशास्त्र पर केंद्रित है, जहाँ यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के चार स्रोतों या प्रमाणों का सविस्तार वर्णन किया गया है। यह सत्य की खोज में तर्क और विवेक को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। यद्यपि यह वेदों के अधिकार को

स्वीकार करता है, तथापि यह तर्कपूर्ण विवेचन को किसी भी निष्कर्ष का अनिवार्य आधार बनाता है।

20. (D) समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र
एक न्यायाधीश जो विधिक नियमों के स्थान पर सामाजिक रूप से वांछनीय परिणामों को प्राथमिकता देता है, वह समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के सिद्धांतों का अनुसरण कर रहा है। यह विचारधारा कानून को सामाजिक परिवर्तन एवं संतुलन का एक सशक्त साधन मानती है। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि कानून का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और संघर्षों को न्यूनतम करना होना चाहिए। विधिक औपचारिकता की तुलना में सामाजिक वास्तविकता और जनहित को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है।

21. (C) ग्रुण्डनॉर्म या मूल मानक
हंस केल्सन के कानून के शुद्ध सिद्धांत में मानकों का एक पदानुक्रम होता है, जहाँ प्रत्येक नियम अपनी शक्ति एक उच्च नियम से प्राप्त करता है। इस संपूर्ण संरचना का आधार 'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक है। यह एक कल्पित पूर्वधारणा है जो संपूर्ण कानूनी प्रणाली की विधिक वैधता सुनिश्चित करती है। केल्सन ने कानून को समाजशास्त्र और नैतिकता से मुक्त कर एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने का प्रयास किया, जिसमें ग्रुण्डनॉर्म सर्वोच्च विधिक स्रोत के रूप में कार्य करता है।

22. (B) अशक्तता
होफेल्डियन विश्लेषण के अनुसार, शक्ति का विधिक विलोम 'अशक्तता' है। शक्ति का अर्थ है दूसरे के कानूनी संबंधों को परिवर्तित करने की विधिक क्षमता। इसके विपरीत, अशक्तता का अर्थ है ऐसी किसी भी विधिक क्षमता का अभाव होना। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कानूनी परिणाम को उत्पन्न करने की विधिक शक्ति नहीं है, तो वह उस संदर्भ में अशक्त माना जाता है। यह वर्गीकरण कानूनी अधिकारों और क्षमताओं की सूक्ष्म एवं सटीक समझ विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है।

23. (D) अपराधी सामाजिक परिस्थितियों की उपज हैं जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।
दंड का सुधारात्मक सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, बल्कि वे प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की उपज होते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य अपराधी को दंडित करने के स्थान पर उसे एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में पुनर्वासित करना है। इसमें कारावास को सुधार गृह के रूप में देखा जाता है जहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अपराधी के चरित्र में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है ताकि वह समाज में पुनः सम्मिलित हो सके।

24. (A) रोस्को पाउंड - सामाजिक एकजुटता
रोस्को पाउंड मुख्य रूप से 'सामाजिक अभियांत्रिकी' की अवधारणा से संबद्ध हैं, न कि सामाजिक एकजुटता से। सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत फ्रांसीसी विधिशास्त्री लियोन डुगुइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिन्होंने कानून को सामाजिक अन्योन्याश्रितता को सुदृढ़ करने वाला साधन माना। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं, जैसे जॉन ऑस्टिन का आदेश का सिद्धांत, सैविनी की लोक-चेतना और एच.एल.ए. हार्ट का मान्यता का नियम। यह विधिशास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं और उनके प्रमुख प्रस्तावकों के योगदान को स्पष्ट करता है।

25. (A) 4, 1, 2, 3
विधिक सिद्धांतों के ऐतिहासिक विकास में सिसरो प्राचीन रोमन काल के महत्वपूर्ण प्राकृतिक कानून विचारक थे। इसके पश्चात, मध्यकाल में सेंट थॉमस एक्विनास ने कानून का धार्मिक एवं तर्कसंगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद की नींव रखी और कानून को संप्रभु का आदेश बताया। अंततः, 20वीं शताब्दी में एच.एल.ए. हार्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक नियमों के माध्यम से कानून की आधुनिक एवं परिष्कृत व्याख्या प्रस्तुत की, जो वर्तमान में भी अत्यंत प्रभावी है।

26. (A) अर्थापत्ति
न्याय दर्शन ने ज्ञान प्राप्ति के चार वैध स्रोतों को मान्यता प्रदान की है, जिन्हें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द कहा जाता है। प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव है, जबकि अनुमान तार्किक निष्कर्ष पर आधारित होता है। उपमान तुलना के माध्यम से ज्ञान प्रदान करता है और शब्द विश्वसनीय व्यक्तियों का प्रमाण है। 'अर्थापत्ति' को मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में प्रमाण माना गया है, किंतु न्याय दर्शन ने इसे स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

27. (B) कानून को एक उच्चतर, सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए।
यह प्रसिद्ध विचार कि "एक अन्यायपूर्ण कानून वास्तव में कानून नहीं है", प्राकृतिक कानून विचारधारा की एक मौलिक मान्यता है। इस सिद्धांत के अनुसार, कानून की वैधता केवल राज्य की शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी नैतिक एवं न्यायसंगत विषय-वस्तु से निर्धारित होती है। यदि कोई अधिनियम न्याय और विवेक के सार्वभौमिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, तो वह अपनी कानूनी बाध्यता खो देता है। सेंट ऑगस्टीन और एक्विनास जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया था।

28. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के अनुसार, कानून किसी विधायिका द्वारा अचानक निर्मित नहीं किया जाता, बल्कि यह समाज में पूर्व से ही विद्यमान होता है जिसे केवल खोजा जाता है। यह विचारधारा मानती है कि कानून लोगों की सामूहिक अंतरात्मा, रुढ़ियों और वोक्सगेइस्ट से क्रमिक रूप से विकसित होता है। कानून का मूल स्रोत राष्ट्र की संस्कृति और परंपराएं हैं। अतः, कानून को कृत्रिम रूप से लागू करने के स्थान पर उसे समाज के ऐतिहासिक विकास के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए।

29. (C) कानून का उद्देश्य सामाजिक अन्योन्याश्रितता को बढ़ावा देना है।
लियोन डुगुइट का सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि आधुनिक समाज के सदस्य अपनी

आवश्यकताओं हेतु परस्पर निर्भर हैं। उनके अनुसार, कानून का प्राथमिक कार्य इस सामाजिक अन्योन्याश्रितता को सुदृढ़ करना और सामाजिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने राज्य की संप्रभुता के पारंपरिक विचार को अस्वीकार किया और तर्क दिया कि कानून की वैधता केवल तभी है जब वह सामाजिक एकजुटता के उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र का आधार स्तंभ है।

30. (D) किसी वस्तु को अनन्य रूप से रखने और नियंत्रित करने का आशय
'एनिमस पोसिडेन्डी' कब्जे का एक अनिवार्य मानसिक तत्व है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को अनन्य रूप से अपने पास रखने तथा उसे नियंत्रित करने का दृढ़ इरादा। यह केवल वस्तु को भौतिक रूप से धारण करना नहीं है, बल्कि दूसरों को उस वस्तु के उपयोग से वर्जित करने का एक मानसिक संकल्प है। विधिक कब्जा स्थापित करने हेतु भौतिक नियंत्रण के साथ इस इरादे का होना अनिवार्य है। यह तत्व कब्जे को मात्र अभिरक्षा से पृथक करता है और विधिक अधिकार प्रदान करता है।

31. (A) निवारक सिद्धांत
दंड के निवारक सिद्धांत की प्रायः इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह समाज में भय व्याप्त करने हेतु कभी-कभी निर्दोष व्यक्तियों को दंडित करने अथवा अत्यधिक कठोर दंड देने का जोखिम उत्पन्न करता है। चूंकि इसका मुख्य केंद्र दूसरों को रोकना है, इसलिए यह अपराधी के मानवाधिकारों और आनुपातिक न्याय की उपेक्षा कर सकता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को केवल एक माध्यम के रूप में उपयोग करता है, जिससे न्याय के नैतिक आधार के दुर्बल होने की संभावना बनी रहती है।

32. (B) एक वास्तविक सामाजिक और मानसिक अस्तित्व रखता है।
गियरके द्वारा समर्थित विधिक व्यक्तित्व का 'यथार्थवादी सिद्धांत' यह मानता है कि एक निगम या समूह केवल कानून की कल्पना नहीं है, बल्कि उसका अपना एक वास्तविक सामाजिक एवं सामूहिक अस्तित्व होता है। निगम की अपनी एक पृथक इच्छा और चेतना होती है जो उसके सदस्यों की व्यक्तिगत इच्छाओं से भिन्न है। यह सिद्धांत निगम को एक जैविक इकाई के रूप में देखता है जो समाज में स्वाभाविक रूप से कार्य करती है, न कि केवल राज्य द्वारा प्रदत्त किसी अनुदान से।

33. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
कानूनी प्रत्यक्षवाद इस बात पर बल देता है कि कानून की वैधता उसकी स्रोत-आधारित पहचान से निर्धारित होती है, न कि उसकी नैतिक गुणवत्ता से। यह कानून और नैतिकता के मध्य एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचता है। इसके विपरीत, प्राकृतिक कानून सिद्धांत तर्क देता है कि कानून और नैतिकता अविभाज्य हैं और एक कानून तभी पूर्ण रूप से वैध है जब वह नैतिक सिद्धांतों पर आधारित हो। ये दोनों दृष्टिकोण आधुनिक विधिशास्त्र में कानून की प्रकृति को समझने के दो विपरीत ध्रुव हैं।

34. (A) अनौपचारिक मानक जो प्रभावी रूप से सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं।
यूजेन एर्लिच की 'जीवंत कानून' की अवधारणा उन अनौपचारिक नियमों और मानदंडों को संदर्भित करती है जो वास्तव में समाज के दैनिक जीवन एवं व्यवहार को विनियमित करते हैं। उनके अनुसार, औपचारिक विधियों और अदालती निर्णयों के स्थान पर, समाज की आंतरिक व्यवस्था और रूढ़ियाँ ही कानून का वास्तविक स्वरूप हैं। एक विधिक विज्ञानी को केवल पुस्तकों में अंकित कानून के स्थान पर समाज में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे इन सामाजिक मानकों का सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए।

35. (C) विश्लेषणात्मक विचारधारा
विधिक व्यक्तित्व का 'रियायत सिद्धांत' यह मानता है कि निगम केवल राज्य द्वारा प्रदान की गई मान्यता या रियायत के कारण अस्तित्व में आते हैं। यह विचार विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा के साथ सर्वाधिक सुसंगत है, क्योंकि यह राज्य की संप्रभुता और कानून के औपचारिक निर्माण पर केंद्रित है। विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवादी कानून को राज्य के आदेश के रूप में देखते हैं, इसलिए निगमों को भी राज्य की शक्ति से उत्पन्न कृत्रिम संस्थाएं मानना उनके सिद्धांतों के पूर्णतः अनुकूल है।

36. (D) संप्रभु की शक्ति संविधान या उच्च कानून द्वारा सीमित होनी चाहिए।
जॉन ऑस्टिन के अनुसार, संप्रभु की शक्ति अविभाज्य, असीमित और पूर्ण होनी चाहिए। वह एक निश्चित मानव श्रेष्ठ है जिसकी आज्ञा का अनुपालन समाज का बड़ा भाग स्वाभाविक रूप से करता है। ऑस्टिन के सिद्धांत में संप्रभु स्वयं किसी भी उच्च कानून या संविधान के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अतः, यह विचार कि संप्रभु की शक्ति संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सीमित होनी चाहिए, उनके शास्त्रीय प्रत्यक्षवादी दर्शन के विपरीत है, जहाँ संप्रभु ही समस्त कानूनों का एकमात्र एवं अंतिम स्रोत है।

37. (C) आन्वयिक कब्जा
आन्वयिक या रचनात्मक कब्जा एक ऐसी कानूनी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर वास्तविक भौतिक नियंत्रण नहीं होता, फिर भी कानून उसे कब्जे वाला स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास अपने गोदाम की चाबियाँ हैं, तो गोदाम के भीतर रखी सामग्री पर उसका आन्वयिक कब्जा माना जाएगा। यह विधिक अवधारणा भौतिक संपर्क की अनुपस्थिति में भी कब्जे के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और कानूनी व्यवहारों में सुगमता प्रदान करती है।

38. (B) "आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत।"
दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का मूल विचार "आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत" के सूत्र में निहित है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध के समतुल्य पीड़ा प्राप्त होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य समाज या पीड़ित की प्रतिशोध की भावना को संतुष्ट करना और नैतिक संतुलन को पुनः स्थापित करना है। यह भविष्य के सुधार या निवारण के स्थान पर अतीत में किए गए दुष्कर्म हेतु दंड देने को प्राथमिकता देता है।

39. (D) कर्तव्य, नैतिकता, कानून और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को शामिल करने वाली एक बहुआयामी अवधारणा।
प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र में 'धर्म' एक अत्यंत व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है जिसमें कर्तव्य, नैतिकता, कानून और ब्रह्मांडीय व्यवस्था समाहित है। यह केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सम्यक आचरण का मार्गदर्शन करने वाला आधार है। धर्म का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना और व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं भौतिक कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह आधुनिक कानून की संकीर्ण परिभाषा से कहीं अधिक विस्तृत और शाश्वत नैतिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा है।

40. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
विधिक व्यक्तित्व के कल्पना सिद्धांत का मुख्य श्रेय सैविनी को दिया जाता है, जो निगम को एक कृत्रिम निर्माण मानते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत के साथ गियरके संबद्ध हैं, जो निगम के वास्तविक सामाजिक अस्तित्व की वकालत करते हैं। 'ब्रैकेट सिद्धांत' का प्रतिपादन रुडोल्फ वॉन इहरिंग ने किया था, जो इसे केवल एक सुविधाजनक प्रक्रियात्मक युक्ति मानते हैं। रियायत सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निगम का व्यक्तित्व पूर्णतः राज्य द्वारा दी गई मान्यता या अनुदान पर निर्भर करता है।

41. (C) समाजशास्त्रीय विचारधारा
विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा किसी कानून के समाज पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव एवं परिणामों के अध्ययन में सर्वाधिक रुचि रखती है। यह विचारधारा कानून को एक सामाजिक संस्था के रूप में देखती है जिसका कार्य विशिष्ट सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए, विवाह-विच्छेद के कानूनों का पारिवारिक संरचना और बच्चों पर प्रभाव का विश्लेषण इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसमें कानून के कार्यात्मक पक्ष और सामाजिक वास्तविकता के मध्य अंतर्संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

42. (A) कानूनी प्रणाली के भीतर वैध कानूनों की पहचान करने के मानदंड निर्दिष्ट करना।
एच.एल.ए. हार्ट की कानूनी व्यवस्था में 'मान्यता का नियम' एक मूलभूत माध्यमिक नियम है जो यह निर्धारित करता है कि कौन से नियम कानूनी रूप से मान्य हैं। यह नियम किसी कानूनी प्रणाली के भीतर वैध कानूनों की पहचान करने हेतु आवश्यक मानदंड और प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करता है। यह एक सामाजिक तथ्य के रूप में कार्य करता है जिसका अनुपालन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से ही कानूनी नियमों को मात्र सामाजिक आदतों अथवा नैतिकता के नियमों से पृथक किया जा सकता है।

43. (D) विचारण न्यायालयों में तथ्य-अन्वेषण की अंतर्निहित अनिश्चितता से।
जेरोम फ्रैंक जैसे अमेरिकी यथार्थवादियों के अनुसार, कानून में अनिश्चितता का मुख्य कारण विधिक नियमों की अस्पष्टता नहीं, बल्कि विचारण न्यायालयों में तथ्यों को खोजने की प्रक्रिया है। गवाहों की स्मृति, न्यायाधीशों के पूर्वाग्रह और साक्ष्यों की व्याख्या में मानवीय त्रुटियाँ किसी भी मामले के परिणाम को अनिश्चित बना देती हैं। उनके अनुसार, चूंकि तथ्य-अन्वेषण की प्रक्रिया व्यक्तिपरक और त्रुटिपूर्ण हो सकती है, इसलिए कानून का कोई भी सटीक पूर्वानुमान लगाना व्यावहारिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है।

44. (A) I और II सही हैं।
सर्वबंधी अधिकार वे अधिकार हैं जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं, जैसे कि किसी की संपत्ति का अधिकार। इसके विपरीत, व्यक्तिबंधी अधिकार केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध ही प्रवर्तनीय होते हैं, जैसे अनुबंध से उत्पन्न अधिकार। प्रतिष्ठा का अधिकार वास्तव में एक सर्वबंधी अधिकार है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह किसी की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुँचाए। अतः, तीसरा कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह अधिकार किसी विशिष्ट व्यक्ति तक सीमित नहीं है।

45. (A) अपराधी को अक्षम करना, उदाहरण के लिए, कारावास के माध्यम से।
दंड का निरोधात्मक सिद्धांत अपराधी को भविष्य में अपराध करने से भौतिक रूप से अक्षम करने पर केंद्रित है। यह कारावास, निर्वासन अथवा मृत्युदंड जैसे माध्यमों से अपराधी की अपराध करने की क्षमता को समाप्त कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को उस विशिष्ट अपराधी के संभावित खतरों से सुरक्षित रखना है। सुधार या प्रतिशोध के स्थान पर, यह सिद्धांत सुरक्षा और रोकथाम को सर्वोपरि मानता है ताकि अपराधी को पुनः वही दुष्कर्म करने का अवसर ही प्राप्त न हो सके।

46. (C) शक्ति
होफेल्डियन विश्लेषण के अनुसार, शक्ति और दायित्व (लायबिलिटी) परस्पर विधिक सहसंबंधी हैं। शक्ति का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के विधिक संबंधों या अधिकारों को परिवर्तित करने की विधिक क्षमता। जिस व्यक्ति के विधिक संबंध इस शक्ति के प्रयोग से बदले जा सकते हैं, वह दायित्व के अधीन माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति के पास दूसरे की संपत्ति विक्रय करने की शक्ति है, तो दूसरे व्यक्ति का दायित्व है कि उसके विधिक अधिकार उस विक्रय से प्रभावित हो सकते हैं।

47. (A) क्या कानून को निजी नैतिकता लागू करनी चाहिए।
हार्ट-डेवलिन बहस इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आधारित थी कि क्या कानून को निजी नैतिकता को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। लॉर्ड डेवलिन ने तर्क दिया कि समाज की नैतिकता को अक्षुण्ण रखना कानून का अनिवार्य कार्य है क्योंकि नैतिक पतन समाज के विघटन का कारण बन सकता है। इसके विपरीत, एच.एल.ए. हार्ट ने जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि कानून को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब किसी कार्य से दूसरों को वास्तविक शारीरिक हानि पहुँचती हो।

48. (B) पूर्वनिर्णय
जब कोई कानूनी प्रणाली न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून या 'स्टेयर डेसिसिस' के सिद्धांत पर अत्यधिक निर्भर करती है, तो वह मुख्य रूप से न्यायिक पूर्वनिर्णय को कानून के स्रोत के रूप में प्रयुक्त कर रही होती है। स्टेयर डेसिसिस का अर्थ है "पूर्व निर्णयों पर अडिग रहना"। इसके अंतर्गत, उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय भविष्य के समान मामलों में अधीनस्थ अदालतों हेतु बाध्यकारी होते हैं। यह प्रक्रिया कानून में स्थिरता, निरंतरता और पूर्वानुमान की क्षमता सुनिश्चित करती है।

49. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा को औपचारिकतावाद के विरुद्ध विद्रोह माना जाता है क्योंकि इसने इस विचार को चुनौती दी कि न्यायाधीश केवल यांत्रिक रूप से नियमों को लागू करते हैं। यथार्थवादियों ने तर्क दिया कि अदालती निर्णय प्रायः नियमों के स्थान पर न्यायाधीशों की भावनाओं, सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य व्यावहारिक कारकों से प्रभावित होते हैं। उनके अनुसार, औपचारिक विधिक नियम केवल निर्णयों के पश्चात दिए जाने वाले तर्कसंगत स्पष्टीकरण मात्र हैं, जबकि वास्तविक निर्णय प्रक्रिया मानवीय कारकों पर आधारित है।

50. (C) सीमित स्वामित्व
सीमित स्वामित्व उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी व्यक्ति के संपत्ति पर अधिकार कुछ विशिष्ट सीमाओं, शर्तों अथवा समय अवधि के अधीन होते हैं। इसमें स्वामी के पास संपत्ति का पूर्ण एवं असीमित उपयोग या निस्तारण करने का अधिकार नहीं होता। उदाहरण के लिए, जीवन संपदा या किसी न्यास के अंतर्गत प्राप्त अधिकार सीमित स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। यह पूर्ण स्वामित्व के विपरीत है, जहाँ स्वामी के अधिकार निर्बाध होते हैं और उन पर कोई बाहरी प्रतिबंध नहीं होता है।

51. (C) मानवीय तर्क न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज कर सकता है।
शास्त्रीय प्राकृतिक कानून सिद्धांत इस मौलिक धारणा पर आधारित है कि मानवीय तर्क एवं विवेक के माध्यम से न्याय के सार्वभौमिक और स्थायी सिद्धांतों की खोज की जा सकती है। यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति में एक उच्चतर नैतिक व्यवस्था विद्यमान है जो समस्त मानवीय कानूनों का आधार होनी चाहिए। इसके समर्थकों के अनुसार, कानून का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि सत्य एवं न्याय की प्राप्ति करना है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।

52. (A) एक प्रत्यक्ष संकेत (लिंग) से एक अप्रत्यक्ष वस्तु (साध्य) तक।
न्याय दर्शन में 'अनुमान' तर्क की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष संकेत या 'लिंग' के आधार पर किसी अप्रत्यक्ष वस्तु या 'साध्य' का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, पर्वत पर धूम्र को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना। यहाँ धुआं प्रत्यक्ष संकेत है और अग्नि वह साध्य है जिसे सिद्ध किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 'व्याप्ति' या दो वस्तुओं के मध्य अविभाज्य संबंध पर निर्भर करती है। यह तर्कपूर्ण विवेचन के माध्यम से अज्ञात सत्यों तक पहुँचने का व्यवस्थित मार्ग है।

53. (C) अल्फ रॉस
अल्फ रॉस स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी विचारधारा के एक अत्यंत प्रभावशाली एवं अग्रणी विधिशास्त्री माने जाते हैं। उनके कार्यों में कानूनी अवधारणाओं के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर विशेष बल दिया गया है। रॉस ने तर्क दिया कि कानून की वैधता केवल तभी है जब वह न्यायाधीशों द्वारा प्रभावी रूप से अनुपालन किया जाए और उसे सामाजिक रूप से बाध्यकारी अनुभव किया जाए। उन्होंने विधिक शब्दावली को रहस्यवाद से मुक्त कर उन्हें अनुभवजन्य और व्यवहारिक तथ्यों के रूप में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है।

54. (D) सदस्यों को एक इकाई के रूप में मानने के लिए एक प्रक्रियात्मक युक्ति।
रुडोल्फ वॉन इहरिंग द्वारा प्रस्तावित 'ब्रैकेट' या प्रतीकवादी सिद्धांत यह मानता है कि निगम को केवल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु एक इकाई के रूप में देखा जाता है। उनके अनुसार, निगम के पीछे वास्तव में वास्तविक मनुष्य ही होते हैं, और निगम शब्द केवल उन व्यक्तियों के समूह को संयुक्त रखने हेतु एक विधिक "कोष्ठक" के समान है। यह सिद्धांत निगम के स्वतंत्र व्यक्तित्व को अस्वीकार करते हुए इसे केवल एक प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक युक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

55. (C) निरोधात्मक सिद्धांत
दंड का निरोधात्मक सिद्धांत मृत्युदंड को इस आधार पर न्यायसंगत ठहराता है कि यह अपराधी को समाज को पुनः क्षति पहुँचाने से स्थायी एवं पूर्ण रूप से वर्जित कर देता है। यह सिद्धांत अपराधी के सुधार या प्रतिशोध के स्थान पर भविष्य के अपराधों को रोकने हेतु अपराधी को भौतिक रूप से अक्षम करने को प्राथमिकता देता है। मृत्युदंड इस संदर्भ में अक्षमता का सबसे चरम स्वरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी भविष्य में कदापि कोई अपराध नहीं कर पाएगा।

56. (B) एर्लिच - जीवंत कानून
यूजेन एर्लिच 'जीवंत कानून' की अवधारणा हेतु विख्यात हैं, जो समाज में वास्तव में प्रभावी नियमों के अध्ययन पर बल देती है। रोस्को पाउंड 'सामाजिक अभियांत्रिकी' से संबद्ध हैं, जबकि 'शुद्ध सिद्धांत' हंस केल्सन का है। 'सामाजिक एकजुटता' का सिद्धांत लियोन डुगुइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस प्रकार, केवल विकल्प (B) सही सुमेलित है। यह मिलान विभिन्न विधिशास्त्रियों के मौलिक योगदानों और उनकी विशिष्ट विचारधाराओं को स्पष्ट करने में सहायक है जो विधिशास्त्र के विकास का आधार बने।

57. (D) कानूनी कब्जा भौतिक नियंत्रण से स्वतंत्र होता है।
तथ्यतः कब्जा किसी वस्तु पर वास्तविक भौतिक नियंत्रण को दर्शाता है, जबकि विधि सम्मत कब्जा उस कब्जे को कहते हैं जिसे कानून मान्यता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। इन दोनों

के मध्य मुख्य अंतर यह है कि विधि सम्मत कब्जा भौतिक नियंत्रण के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है। उदाहरण के लिए, एक स्वामी के पास उसकी संपत्ति का विधि सम्मत कब्जा हो सकता है, भले ही वह भौतिक रूप से अनुपस्थित हो। यह विधिक अवधारणा अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करती है।

58. (A) अक्षमता
एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार, एक पूर्व-कानूनी समाज जिसमें केवल प्राथमिक नियम होते हैं, 'अक्षमता' के दोष से ग्रसित होता है क्योंकि नियमों के उल्लंघन को सुलझाने हेतु कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे समाज में नियमों के परिवर्तन या पहचान का कोई स्पष्ट तंत्र नहीं होता, जिससे विवादों का निपटारा अत्यंत दुष्कर और समय लेने वाला हो जाता है। माध्यमिक नियमों के अभाव में, सामाजिक व्यवस्था शिथिल बनी रहती है, जो आधुनिक कानूनी प्रणाली के विकास हेतु अपरिहार्य है।

59. (D) एक पक्ष का कानूनी लाभ दूसरे पक्ष के कानूनी भार को दर्शाता है।
वेस्ले होफेल्ड की प्रणाली में 'विधिक सहसंबंधी' का अर्थ है कि कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को प्राप्त होने वाला लाभ अनिवार्य रूप से दूसरे व्यक्ति पर एक भार या दायित्व अधिरोपित करता है। यदि एक पक्ष के पास 'अधिकार' है, तो दूसरे पक्ष के पास उसके प्रति 'कर्तव्य' होना अनिवार्य है। यह अवधारणा कानूनी संबंधों को दो पक्षों के मध्य एक द्विपक्षीय संबंध के रूप में स्पष्ट करती है। इससे कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या में सटीकता आती है और अस्पष्टता का निवारण होता है।

60. (B) 3, 4, 2, 1
विधिशास्त्र के इतिहास में सर्वप्रथम शास्त्रीय प्राकृतिक कानून सिद्धांत का उदय हुआ जो प्राचीन काल से मध्यकाल तक प्रभावी रहा। इसके पश्चात 18वीं-19वीं शताब्दी में ऐतिहासिक विचारधारा आई जिसने परंपराओं पर बल दिया। लगभग उसी समय विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद का विकास हुआ जिसने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में देखा। अंततः 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र प्रमुखता से उभरा, जिसने कानून और समाज के कार्यात्मक संबंधों तथा सामाजिक हितों के अध्ययन को प्राथमिकता प्रदान की।

61. (C) अच्छी नागरिकता के लिए पुरस्कार
जॉन ऑस्टिन के विधिक सिद्धांत में 'शास्ति' या दंड एक अनिवार्य तत्व है जो संप्रभु के आदेश को लागू करने हेतु प्रयुक्त होता है। उनके अनुसार, शास्ति वह बुराई या पीड़ा है जो आज्ञा के उल्लंघन की स्थिति में प्रदान की जाती है, जैसे कारावास या अर्थदंड। हालांकि, अच्छी नागरिकता हेतु पुरस्कार देना ऑस्टिन की शास्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। उनका सिद्धांत नकारात्मक प्रेरणा और दंड के माध्यम से कानून के अनुपालन पर पूर्णतः केंद्रित है।

62. (B) सेंट थॉमस एक्विनास
मध्यकालीन विचारक सेंट थॉमस एक्विनास ने कानून का एक व्यापक चतुर्विध वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसमें शाश्वत कानून ईश्वर की बुद्धि का प्रतिबिंब है, प्राकृतिक कानून मानवीय तर्क द्वारा खोजा गया शाश्वत कानून का अंश है, और मानवीय कानून राज्य द्वारा निर्मित नियम है। उन्होंने दैवीय कानून को भी सम्मिलित किया जो पवित्र ग्रंथों के माध्यम से प्रकट होता है। यह वर्गीकरण धर्मशास्त्र और तर्कशास्त्र के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए कानून की नैतिक आधारशिला को अत्यंत सुदृढ़ करता है।

63. (C) न्यायाधीशों के व्यवहार और कानून के व्यावहारिक संचालन पर।
अमेरिकी यथार्थवादी आंदोलन का मुख्य केंद्र इस बात पर था कि न्यायालयों में न्यायाधीश वास्तव में कैसा व्यवहार करते हैं और कानून व्यवहार में किस प्रकार कार्य करता है। इस विचारधारा ने कानूनी नियमों की औपचारिक एवं यांत्रिक व्याख्या को चुनौती प्रदान की। उनके अनुसार, न्यायाधीशों के व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक मूल्य और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं किसी भी मामले के परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे कानून को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं न कि केवल स्थिर नियमों का संकलन।

64. (B) I और III सही हैं।
स्वामित्व अधिकारों का एक ऐसा संकुल है जिसमें किसी संपत्ति को धारण करने, उसका उपयोग करने और उसे विकृत या विनष्ट करने का अनन्य अधिकार सम्मिलित है। मूर्त स्वामित्व भौतिक वस्तुओं जैसे भूमि से संबंधित है, जबकि अमूर्त स्वामित्व पेटेंट जैसे अधिकारों को संदर्भित करता है। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि स्वामित्व सदैव पूर्ण और असीमित होता है, क्योंकि राज्य सार्वजनिक हित अथवा विधि के माध्यम से स्वामित्व के अधिकारों पर विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध अधिरोपित कर सकता है।

65. (C) यह संपत्ति का स्वामी हो सकता है और अपने नाम से वाद ला सकता है या उस पर वाद लाया जा सकता है।
एक निगम को विधिक व्यक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि कानून उसे वे समस्त अधिकार एवं क्षमताएं प्रदान करता है जो एक प्राकृतिक व्यक्ति के पास होती हैं। वह अपने नाम पर संपत्ति क्रय कर सकता है, अनुबंध कर सकता है और न्यायालयों में वाद दायर कर सकता है अथवा उस पर वाद चलाया जा सकता है। यह व्यक्तित्व उसके सदस्यों से पृथक और स्वतंत्र होता है। यह विधिक अवधारणा जटिल व्यापारिक एवं संस्थागत गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु अपरिहार्य मानी जाती है।

66. (B) उपयोगिता का सिद्धांत
उपयोगिता का सिद्धांत, जिसे जेरेमी बेंथम ने प्रतिपादित किया था, यह मानता है कि कानून का मुख्य उद्देश्य 'अधिकतम व्यक्तियों हेतु अधिकतम सुख' सुनिश्चित करना होना चाहिए। उनके अनुसार, किसी भी कानून की वैधता उसकी सुख प्रदान करने और दुख को न्यून करने की क्षमता से मापी जाती है। यह सिद्धांत विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा का आधार बना और इसने विधिक सुधारों हेतु एक वैज्ञानिक एवं

मात्रात्मक मापदंड प्रदान किया। यह दृष्टिकोण सामाजिक कल्याण और प्रभावी शासन पर केंद्रित है।

67. (D) एक संवैधानिक प्रावधान जो बताता है कि कानून कैसे पारित किया जाए।
एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार, माध्यमिक नियम वे होते हैं जो कानून बनाने, पहचानने या परिवर्तित करने की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं। एक संवैधानिक प्रावधान जो यह बताता है कि संसद द्वारा कानून किस प्रकार पारित किया जाना चाहिए, 'परिवर्तन के नियम' का एक उदाहरण है। इसके विपरीत, चोरी निषेध या यातायात नियम जैसे नियम 'प्राथमिक नियम' कहलाते हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आचरण को नियंत्रित करते हैं। माध्यमिक नियम कानूनी प्रणाली को गतिशीलता और वैधता प्रदान करते हैं।

68. (A) यथार्थवादी विचारधारा
"कानून वह है जो न्यायाधीश कहते हैं" यह प्रसिद्ध कथन यथार्थवादी विचारधारा का मूल मंत्र है। यह विचारधारा मानती है कि पुस्तकों में अंकित नियम केवल मार्गदर्शन हेतु हैं, जबकि वास्तविक कानून वह है जो अदालतों के निर्णयों के माध्यम से प्रभावी होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, न्यायिक विवेकाधिकार और न्यायाधीशों की निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया ही कानून का यथार्थ स्रोत है। यह विधिक निश्चितता के पारंपरिक दावों को नकारते हुए कानून के व्यावहारिक और मानवीय पक्ष पर बल देता है।

69. (C) अधिकार-विहीनता
वेस्ले होफेल्ड के विधिक विश्लेषण में 'अधिकार' का विधिक विलोम 'अधिकार-विहीनता' है। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट विषय पर अधिकार है, तो उसके पास अधिकार-विहीनता नहीं हो सकती। यह वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि कानूनी संबंध केवल एक-दूसरे के पूरक ही नहीं, बल्कि परस्पर विपरीत भी होते हैं। अधिकार-विहीनता उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के आचरण पर कोई कानूनी दावा नहीं होता। यह सूक्ष्म विश्लेषण जटिल कानूनी दावों को स्पष्ट करने में अत्यंत सहायक है।

70. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी जर्मन कानून के समय से पूर्व संहिताकरण के प्रखर विरोधी थे। उनका मानना था कि कानून कोई यांत्रिक निर्माण नहीं है जिसे विधायिका द्वारा अचानक निर्मित किया जा सके, बल्कि यह भाषा की भाँति लोगों की संस्कृति और लोक-चेतना से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। संहिताकरण इस जैविक विकास को अवरुद्ध कर देगा और कानून को समाज की वास्तविकताओं से पृथक कर देगा। उनके अनुसार, कानून को परिपक्व होने हेतु ऐतिहासिक निरंतरता और सामाजिक स्वीकार्यता की आवश्यकता होती है।

71. (D) न्यायाधीश द्वारा 'प्रसंगवश' की गई टिप्पणियां जो निर्णय के लिए आवश्यक नहीं हैं।
न्यायिक निर्णय में 'ओबिटर डिक्टा' उन टिप्पणियों या कथनों को कहा जाता है जो न्यायाधीश द्वारा प्रसंगवश किए जाते हैं और जो मामले के अंतिम निर्णय हेतु अनिवार्य नहीं होते। ये टिप्पणियां केवल सहायक महत्व की होती हैं और भविष्य के मामलों में अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होतीं। इसके विपरीत, 'रेश्यो डेसिडेन्डी' निर्णय का वह मुख्य आधार होता है जो बाध्यकारी शक्ति रखता है। ओबिटर डिक्टा न्यायाधीश की व्यक्तिगत कानूनी राय को प्रतिबिंबित करता है जो विधिक विकास में सहायक होती है।

72. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
लोन फुलर आधुनिक प्राकृतिक कानून विचारधारा से संबद्ध हैं जिन्होंने कानून की आंतरिक नैतिकता पर बल दिया। कार्ल लेवेलिन अमेरिकी यथार्थवादी आंदोलन के प्रमुख विचारक थे जिन्होंने न्यायिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया। सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा के प्रस्तावक थे जिन्होंने प्रगतिशील समाजों के क्रमिक विकास का अध्ययन किया। जेरेमी बेंथम विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं जिन्होंने उपयोगितावाद एवं विधिक सुधारों की वकालत की। यह मिलान विधिशास्त्रीय चिंतन की विविधता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

73. (C) लोन एल. फुलर
लोन एल. फुलर ने 'कानून की आंतरिक नैतिकता' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने आठ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख किया। उनके अनुसार, कानून को स्पष्ट, सार्वजनिक, सुसंगत, भविष्यलक्षी और अनुपालन के योग्य होना चाहिए। यदि कोई कानूनी प्रणाली इन प्रक्रियात्मक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करती है, तो वह वास्तव में कानून कहलाने के योग्य नहीं है। फुलर का यह दृष्टिकोण प्राकृतिक कानून के आधुनिक स्वरूप को दर्शाता है, जो केवल विषय-वस्तु के स्थान पर कानून निर्माण की प्रक्रिया की नैतिकता पर ध्यान देता है।

74. (A) यह दंड की मात्रा के लिए स्पष्ट मापदंड प्रदान करने में विफल रहता है।
दंड के प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह दंड की सटीक मात्रा निर्धारित करने हेतु कोई स्पष्ट और निष्पक्ष वैज्ञानिक मापदंड प्रदान नहीं करता है। "जैसे को तैसा" का सिद्धांत आधुनिक जटिल अपराधों के संदर्भ में लागू करना अत्यंत दुष्कर है। इसके अतिरिक्त, यह सिद्धांत अपराधी के पुनर्वास अथवा समाज की सुरक्षा जैसे भविष्योन्मुखी लक्ष्यों की पूर्णतः उपेक्षा करता है। यह केवल बदले की भावना पर आधारित है, जो सभ्य विधिक प्रणालियों में विवाद का विषय बना रहता है।

75. (B) उत्तराधिकार या क्षति के दावों के लिए एक आकस्मिक विधिक व्यक्तित्व होना।
कानून की दृष्टि में एक अजन्मे शिशु को एक सीमित और आकस्मिक विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। यद्यपि वह पूर्ण विधिक व्यक्ति नहीं है, तथापि उसके पास उत्तराधिकार और संपत्ति में अंश प्राप्त करने के अधिकार हो सकते हैं, बशर्ते वह जीवित उत्पन्न हो। कानून उसे उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से कुछ विधिक अधिकार प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि गर्भावस्था के दौरान उसे कोई क्षति पहुँचती है, तो जन्म के

पश्चात उसके नाम पर दावे किए जा सकते हैं। यह अवधारणा अजन्मे बच्चों के हितों की रक्षा करती है।

76. (C) किसी विश्वसनीय स्रोत (आप्त) से विश्वसनीय प्रमाण।
न्याय दर्शन में ज्ञान के चौथे स्रोत के रूप में 'शब्द' को मान्यता प्रदान की गई है। इसका अर्थ किसी विश्वसनीय और ज्ञानवान व्यक्ति या प्राधिकारी के कथनों से प्राप्त ज्ञान है, जिसे 'आप्त वचन' भी कहा जाता है। यह प्रमाण इस विश्वास पर आधारित है कि एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति द्वारा दिया गया साक्ष्य यथार्थ ज्ञान का माध्यम हो सकता है। विधिक संदर्भ में, गवाहों की गवाही और विशेषज्ञों की राय को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है, जो सत्य की अन्वेषण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

77. (C) प्रतिकूल कब्जा
'एनिमस डोमिनी' का अर्थ है किसी संपत्ति को स्वामी के रूप में धारण करने और दूसरों के दावों को अस्वीकार करने का प्रबल इरादा। यह प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा को स्थापित करने हेतु एक अनिवार्य तत्व है। प्रतिकूल कब्जे में, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि पर एक निश्चित समय तक खुले तौर पर, निरंतर और स्वामी के रूप में कब्जा बनाए रखता है, तो वह अंततः उस संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह तत्व मात्र भौतिक कब्जे को विधिक मालिकाना हक के दावे में परिवर्तित कर देता है।

78. (C) कानून का अस्तित्व एक तथ्य है; उसकी योग्यता या अवगुण का प्रश्न पृथक है।
कानूनी प्रत्यक्षवाद का मूल सिद्धांत यह है कि कानून का अस्तित्व और उसकी वैधता केवल सामाजिक तथ्यों एवं उसके स्रोत पर निर्भर करती है, न कि उसकी नैतिक गुणवत्ता पर। इस दृष्टिकोण के अनुसार, कानून जैसा "है" और कानून जैसा "होना चाहिए", दो पृथक प्रश्न हैं। एक अनैतिक नियम भी कानूनी रूप से वैध हो सकता है यदि उसे उचित विधिक प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया गया हो। यह विचारधारा कानून के वस्तुनिष्ठ और विश्लेषणात्मक अध्ययन को सर्वोपरि मानती है।

79. (C) एक सभ्य समाज के बारे में सामान्य धारणाएँ जिस पर कानून आधारित है।
रोस्को पाउंड के 'विधिक स्वयंसिद्ध' वे बुनियादी और अंतर्निहित धारणाएं हैं जिन पर एक सभ्य समाज का कानूनी ढांचा आधारित होता है। ये वे अपेक्षाएं हैं जो लोग एक-दूसरे से और राज्य से रखते हैं, जैसे संपत्ति की सुरक्षा, समझौतों का पालन और दूसरों को क्षति न पहुँचाने का कर्तव्य। पाउंड के अनुसार, ये स्वयंसिद्ध स्थिर नहीं होते बल्कि समाज की बदलती आवश्यकताओं और मूल्यों के साथ निरंतर विकसित होते रहते हैं, जो कानून को जीवंत और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाए रखते हैं।

80. (A) अमेरिकी यथार्थवाद न्यायिक व्यवहार पर केंद्रित है, जबकि स्कैंडिनेवियाई यथार्थवाद अधिक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक है।
अमेरिकी और स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी विचारधाराओं के मध्य मुख्य अंतर उनके दृष्टिकोण में है। अमेरिकी यथार्थवाद अधिक व्यावहारिक है और वह अदालती कार्यवाही तथा न्यायाधीशों के वास्तविक व्यवहार के विश्लेषण पर केंद्रित है। इसके विपरीत, स्कैंडिनेवियाई यथार्थवाद अधिक दार्शनिक है, जो विधिक अवधारणाओं को मानसिक तथ्यों के रूप में व्याख्यायित करता है। स्कैंडिनेवियाई विचारक विधिक शब्दों के पीछे के रहस्यवाद को समाप्त कर उन्हें अनुभवजन्य वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें अधिक सैद्धांतिक बनाता है।

81. (C) कानून बहुमत की इच्छा को प्रतिबिंबित करने चाहिए।
लोन फुलर के कानून की आंतरिक नैतिकता के आठ सिद्धांतों में कानूनों की स्पष्टता, निरंतरता, भविष्यलक्ष्यता और समुचित प्रचार जैसे प्रक्रियात्मक तत्व सम्मिलित हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून मानवीय आचरण को प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सके। हालांकि, बहुमत की इच्छा को प्रतिबिंबित करना उनके इन प्रक्रियात्मक सिद्धांतों का अनिवार्य भाग नहीं है। फुलर का मानना था कि कानून की वैधता उसकी संरचनात्मक अखंडता से आती है, न कि केवल लोकतांत्रिक अनुमोदन या राजनीतिक लोकप्रियता से।

82. (D) केवल राज्य से अनुदान या रियायत के माध्यम से व्यक्तित्व प्राप्त करता है।
विधिक व्यक्तित्व का 'रियायत सिद्धांत' यह मानता है कि निगम या संस्थाएं स्वतः कोई व्यक्तित्व नहीं रखतीं। उन्हें विधिक व्यक्ति के रूप में केवल तभी पहचान प्राप्त होती है जब राज्य उन्हें यह दर्जा अनुदान या रियायत के माध्यम से प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य ही एकमात्र शक्ति है जो कृत्रिम इकाइयों को अधिकार और कर्तव्य धारण करने की विधिक क्षमता प्रदान कर सकता है। यह दृष्टिकोण राज्य की सर्वोच्चता और कानून निर्माण में उसकी केंद्रीय भूमिका पर बल देता है।

83. (A) व्यक्तिबंधी अधिकार
जब दो पक्षों के मध्य किसी समझौते या अनुबंध के माध्यम से अधिकार उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें 'व्यक्तिबंधी अधिकार' कहा जाता है। ये अधिकार केवल उन विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध ही प्रवर्तनीय होते हैं जिन्होंने उस समझौते में सहभागिता की है। उदाहरण के लिए, एक ऋणदाता का अपने ऋणी से धन वापस माँगने का अधिकार एक व्यक्तिबंधी अधिकार है, क्योंकि वह संपूर्ण विश्व से नहीं बल्कि केवल उस विशिष्ट ऋणी से ही धन प्राप्त करने का विधिक दावा कर सकता है। यह अनुबंध कानून का आधार स्तंभ है।

84. (A) सैविनी - हैसियत से संविदा की ओर
"हैसियत से संविदा की ओर" का सिद्धांत सर हेनरी मेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, न कि फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी द्वारा। सैविनी मुख्य रूप से 'वोक्सगेइस्ट' या लोक-चेतना की अवधारणा हेतु विख्यात हैं। अन्य विकल्प सही हैं, जैसे एच.एल.ए. हार्ट का प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का सिद्धांत, जॉन ऑस्टिन की संप्रभु की व्याख्या और हंस केल्सन का ग्रुण्डनॉर्म। यह अंतर ऐतिहासिक विधिशास्त्र के दो महानतम विचारकों के विशिष्ट योगदानों को समझने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।

85. (A) 3, 4, 2, 1
विधिक सिद्धांतों के ऐतिहासिक विकास में सर्वप्रथम मध्यकालीन सेंट थॉमस एक्विनास ने 'लेक्स नेचुरलिस' या प्राकृतिक कानून का प्रतिपादन किया। इसके पश्चात 18वीं शताब्दी में सैविनी ने 'वोक्सगेइस्ट' का सिद्धांत दिया। 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया। अंततः 20वीं शताब्दी में एच.एल.ए. हार्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक नियमों के संयोजन की आधुनिक अवधारणा प्रस्तुत की। यह क्रम दर्शाता है कि विधिशास्त्र किस प्रकार धर्म और परंपरा से विश्लेषण की ओर विकसित हुआ है।

86. (B) सुधारात्मक सिद्धांत
दंड का सुधारात्मक सिद्धांत अपराधियों हेतु परिवीक्षा, सामुदायिक सेवा और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के उपयोग का दृढ़ समर्थन करता है। इस सिद्धांत का मुख्य विश्वास है कि अपराधी को सुधारा जा सकता है और उसे समाज का उपयोगी अंग बनाया जा सकता है। यह कठोर दंड के स्थान पर अपराधी के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य अपराध के मूल कारणों को समाप्त करना है ताकि भविष्य में व्यक्ति पुनः अपराध न करे और एक गरिमापूर्ण सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सके।

87. (D) हेत्वाभास
न्याय दर्शन के तर्कशास्त्र में एक तर्कदोष या त्रुटिपूर्ण तर्क को 'हेत्वाभास' कहा जाता है। इसका अर्थ है "हेतु का आभास", जहाँ आधार वास्तव में साध्य को सिद्ध करने में सक्षम नहीं होता, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह सही है। न्याय शास्त्र में पाँच प्रकार के हेत्वाभासों का सविस्तार वर्णन किया गया है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने हेतु इन दोषों को पहचानना और उनसे बचना अनिवार्य है ताकि प्राप्त निष्कर्ष सटीक, तर्कसंगत और पूर्णतः विश्वसनीय हो सकें।

88. (C) I और III सही हैं।
आधुनिक राज्यों में विधान कानून का सबसे शक्तिशाली और प्राथमिक स्रोत स्वीकार किया जाता है। किसी रुढ़ि को कानूनी मान्यता प्राप्त होने हेतु उसका प्राचीन, उचित, निश्चित और कानून के सुसंगत होना अनिवार्य है। यद्यपि न्यायिक पूर्वनिर्णयों का महत्व सामान्य कानून (कॉमन लॉ) में अधिक है, तथापि नागरिक कानून प्रणालियों में भी उच्च न्यायालयों के निर्णय विधिक व्याख्या और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः पूर्वनिर्णय का महत्व सार्वभौमिक है।

89. (C) कानूनी अधिकार
विधिक अधिकार वह हित है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और जिसे विधिक नियमों द्वारा संरक्षित किया गया है। प्रत्येक विधिक अधिकार के अनुरूप एक विधिक कर्तव्य होता है जिसे दूसरे पक्ष द्वारा पूर्ण करना अनिवार्य है। यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से विधिक उपचार प्राप्त कर सकता है। यह नैतिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि इसकी प्रवर्तनीयता राज्य की शक्ति और कानून के शासन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सुनिश्चित की जाती है।

90. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
हंस केल्सन ने 'कानून का शुद्ध सिद्धांत' इसलिए विकसित किया ताकि कानून को समाजशास्त्र, राजनीति और नैतिकता जैसे अन्य विषयों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त किया जा सके। उनका मानना था कि कानून का अध्ययन विशुद्ध रूप से विधिक मानकों और उनके पारस्परिक संबंधों पर आधारित होना चाहिए। केल्सन के अनुसार, कानून का विज्ञान केवल इस बात का विश्लेषण करे कि नियम एक पदानुक्रम में कैसे व्यवस्थित हैं, न कि उनका सामाजिक महत्व क्या है। यह दृष्टिकोण विधिक वस्तुनिष्ठता को दर्शाता है।

91. (C) अमूर्त स्वामित्व
कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक अधिकारों का स्वामित्व 'अमूर्त स्वामित्व' का प्रमुख उदाहरण है। इसमें स्वामित्व किसी भौतिक वस्तु पर नहीं, बल्कि एक अमूर्त विचार या बौद्धिक संपदा के अधिकार पर होता है। मूर्त स्वामित्व के विपरीत, जहाँ कब्जा एक भौतिक वस्तु पर होता है, अमूर्त स्वामित्व में व्यक्ति को कानून द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों का संरक्षण प्राप्त होता है। यह आधुनिक विधिक प्रणालियों का महत्वपूर्ण अंश है जो नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु विधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

92. (D) दोषी मन या आशय
विधिक सूक्ति 'एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन्स सिट रिया' का अर्थ है कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि वह दोषी मन या दुर्भावनापूर्ण इरादे से न किया गया हो। यह सिद्धांत आपराधिक दायित्व हेतु केवल भौतिक कार्य को पर्याप्त नहीं मानता, बल्कि मानसिक तत्व (मेन्स रिया) की अनिवार्यता पर बल देता है। न्याय की दृष्टि में, दंड निर्धारण हेतु व्यक्ति का इरादा और उसकी मानसिक स्थिति की सूक्ष्म जांच करना अत्यंत आधारभूत एवं अनिवार्य है।

93. (C) रोस्को पाउंड
विधिशास्त्र में यह विचार कि कानून का मुख्य कार्य समाज में विद्यमान प्रतिस्पर्धी हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना है, रोस्को पाउंड की समाजशास्त्रीय विचारधारा का केंद्र बिंदु है। पाउंड ने इसे 'सामाजिक अभियांत्रिकी' का नाम दिया। उनके अनुसार, कानून को इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि न्यूनतम घर्षण और अपव्यय के साथ समाज की अधिकतम आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। यह दृष्टिकोण कानून को सामाजिक कल्याण और व्यवस्था बनाए रखने के एक व्यावहारिक एवं गतिशील उपकरण के रूप में देखता है।

94. (D) मानकों का वह समूह जिसका न्यायाधीशों द्वारा प्रभावी रूप से पालन किया जाता है क्योंकि वे सामाजिक रूप से बाध्यकारी अनुभव किए जाते हैं।
स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी अल्फ रॉस ने वैध कानून को उन मानकों के रूप में परिभाषित किया जिनका न्यायाधीशों द्वारा प्रभावी रूप से अनुपालन किया जाता है क्योंकि वे उन्हें सामाजिक रूप से बाध्यकारी अनुभव करते हैं। रॉस हेतु, कानून का अस्तित्व किसी अमूर्त शक्ति में नहीं, बल्कि उन विधिक अधिकारियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति और व्यवहार में निहित

है जो इसे क्रियान्वित करते हैं। उन्होंने कानून के प्रति एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाया, जो विधिक निश्चितता को केवल न्यायाधीशों के व्यवहार के पूर्वानुमान के रूप में देखता है।

95. (A) किसी एजेंट या सेवक के माध्यम से प्राप्त कब्जा।
'मध्यवर्ती कब्जा' तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति, जैसे एजेंट या सेवक के माध्यम से वस्तु पर अपना नियंत्रण रखता है। इस स्थिति में, वास्तविक स्वामी का कब्जा प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि एक माध्यम के द्वारा होता है। जो व्यक्ति स्वामी की ओर से वस्तु को भौतिक रूप से धारण करता है, उसके पास केवल तात्कालिक कब्जा होता है, जबकि वास्तविक स्वामी के पास मध्यवर्ती कब्जा माना जाता है। यह विधिक अवधारणा व्यापक व्यापारिक लेन-देनों में अधिकारों के हस्तांतरण को स्पष्ट करती है।

96. (B) ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर
न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि "कानून अदालतों के वास्तविक निर्णयों के पूर्वानुमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।" उनका यह विचार यथार्थवादी विचारधारा की आधारशिला बना। होम्स के अनुसार, कानून को समझने हेतु हमें उसे एक "दुष्ट व्यक्ति" के दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिसे केवल परिणामों और दंड की चिंता है, न कि अमूर्त नैतिक सिद्धांतों की। यह दृष्टिकोण विधिक नियमों के स्थान पर कानून के व्यावहारिक और यथार्थवादी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है।

97. (B) कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है लेकिन कानूनी कार्यवाही के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं है।
एक 'अपूर्ण अधिकार' वह अधिकार है जिसे कानून मान्यता तो प्रदान करता है किंतु जिसे कानूनी कार्रवाई के माध्यम से प्रत्यक्षतः प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। इसका एक उदाहरण परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित ऋण है, जहाँ विधिक अधिकार अभी भी विद्यमान है, किंतु उसे वसूलने हेतु वाद नहीं चलाया जा सकता। ऐसे अधिकार विधिक संबंधों में एक नैतिक और सीमित विधिक महत्व बनाए रखते हैं। यदि ऋणी स्वेच्छा से भुगतान करता है, तो उसे अवैध नहीं माना जाता, जो इसके विधिक अस्तित्व को प्रमाणित करता है।

98. (C) इहरिंग
कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का 'ब्रैकेट सिद्धांत' या प्रतीकवादी सिद्धांत मुख्य रूप से रुडोल्फ वॉन इहरिंग से संबद्ध है। इहरिंग ने तर्क दिया कि निगम केवल एक नाम या 'ब्रैकेट' है जिसका उपयोग कानून द्वारा सदस्यों के समूह के साथ व्यवहार करने हेतु किया जाता है। उनके अनुसार, अधिकार और कर्तव्य वास्तव में उस समूह के सदस्यों के ही होते हैं, किंतु प्रक्रियात्मक सुविधा हेतु उन्हें एक काल्पनिक इकाई के भीतर रखा जाता है। यह सिद्धांत निगम को उसके सदस्यों से पूर्णतः पृथक नहीं मानता है।

99. (C) कानून और नैतिकता दोनों सामाजिक घटनाएं हैं जो एक-दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करती हैं।
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कानून और नैतिकता को दो ऐसी सामाजिक घटनाओं के रूप में देखा जाता है जो परस्पर निरंतर प्रभावित होती हैं। इस विचारधारा के अनुसार, कानून समाज के नैतिक मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करता है और साथ ही समाज के व्यवहार को परिवर्तित कर नवीन नैतिक मानक भी स्थापित कर सकता है। ये दोनों व्यवस्थाएं सामाजिक नियंत्रण के सशक्त साधन हैं। अतः, कानून का अध्ययन करते समय समाज की परिवर्तनशील नैतिकता को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का साझा उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है।

100. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
'सर्वबंधी अधिकार' संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्रवर्तनीय होता है। 'विनिश्चय-आधार' (रेश्यो डेसिडेन्डी) न्यायिक निर्णय का वह विधिक आधार है जो भविष्य के मामलों हेतु बाध्यकारी होता है। 'एनिमस पोसिडेन्डी' का अर्थ है किसी वस्तु को अनन्य रूप से धारण करने का मानसिक इरादा। 'ओबिटर डिक्टम' न्यायाधीश द्वारा मामले के विचारण के दौरान दी गई एक ऐसी टिप्पणी है जो निर्णय हेतु अनिवार्य नहीं है और जिसकी कोई विधिक बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। यह मिलान विधिक शब्दावली की आधारभूत समझ को स्पष्ट करता है।

101. (D) जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति।
न्याय दर्शन में 'अपवर्ग' का अर्थ दुखों की आत्यंतिक और अंतिम निवृत्ति है। यह आध्यात्मिक स्थिति तब प्राप्त होती है जब मनुष्य को सोलह पदार्थों का तत्वज्ञान हो जाता है और वह अज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाता है। अपवर्ग मोक्ष के समतुल्य है जहाँ आत्मा जन्म और मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त होकर अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। न्याय शास्त्र के अनुसार, यही मानव जीवन का सर्वोच्च और अंतिम साध्य है। यह दार्शनिक अवधारणा विधिक उत्तरदायित्वों से परे आध्यात्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या करती है।

102. (A) अपनी प्रक्रियात्मक 'आंतरिक नैतिकता' के अभाव के कारण।
लोन फुलर के अनुसार, एक कानूनी प्रणाली तब विफल हो जाती है जब वह अपने बुनियादी प्रक्रियात्मक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करती है। गुप्त, विरोधाभासी और पूर्वव्यापी कानून नागरिकों हेतु आचरण का स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकते। फुलर ने इसे 'कानून की आंतरिक नैतिकता' का उल्लंघन माना। उनके अनुसार, कानून का मुख्य उद्देश्य मानवीय आचरण को नियमों के शासन के अधीन करना है, और इन नैतिक सिद्धांतों के बिना, राज्य की शक्ति केवल दमनकारी बल बनकर रह जाती है, वास्तविक कानून नहीं।

103. (B) लोक-चेतना
'वोक्सगेइस्ट' फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी द्वारा प्रतिपादित एक मौलिक अवधारणा है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'लोक-चेतना' या 'राष्ट्र की अंतरात्मा' है। सैविनी का मानना था कि कानून किसी विधायिका द्वारा मनमाने ढंग से निर्मित नहीं किया जाता, बल्कि

यह किसी राष्ट्र की भाषा और संस्कृति की भाँति उसके लोगों की सामूहिक भावनाओं से स्वाभाविक रूप से उदित होता है। यह ऐतिहासिक निरंतरता का परिणाम है। अतः, कानून को समाज के जैविक विकास के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी कृत्रिम आदेश के रूप में।

104. (B) यह अपराध के अनुपात में अत्यधिक कठोर दंड की ओर ले जा सकता है।
दंड के निवारक सिद्धांत की प्रमुख आलोचना यह है कि यह समाज में भय व्याप्त करने हेतु कभी-कभी अपराध की गंभीरता की तुलना में कहीं अधिक कठोर सजा का समर्थन करता है। चूंकि इसका मुख्य केंद्र दूसरों को भयभीत करना है, इसलिए यह व्यक्तिगत न्याय और आनुपातिकता के सिद्धांतों की उपेक्षा कर सकता है। यह सिद्धांत अपराधी को केवल एक उदाहरण के रूप में प्रयुक्त करता है, जिससे उसके मानवाधिकारों के हनन की संभावना बनी रहती है। यह नैतिकता के स्थान पर केवल सामाजिक उपयोगिता पर बल देता है।

105. (B) यह एक पूर्ण और वर्तमान अधिकार है, जो किसी आकस्मिकता के अधीन नहीं है।
एक विधिक अधिकार तब 'निहित' कहलाता है जब वह पूर्णतः अधिकार धारक को प्राप्त हो चुका होता है और उसका अस्तित्व किसी अनिश्चित भविष्य की घटना पर निर्भर नहीं होता। निहित अधिकार पूर्ण और निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने संपत्ति क्रय करने हेतु पूर्ण भुगतान कर दिया है और विधिक पंजीकरण संपन्न हो चुका है, तो उसका अधिकार निहित माना जाएगा। यह आकस्मिक अधिकारों के विपरीत है, जो केवल तभी प्रभावी होते हैं जब कोई विशिष्ट शर्त पूर्ण होती है।

106. (C) जॉन ऑस्टिन
जॉन ऑस्टिन ने 'कानून जिसे उचित रूप से कहा जाता है' और 'कानून जिसे अनुचित रूप से कहा जाता है' के मध्य महत्वपूर्ण भेद किया। उनके अनुसार, संप्रभु द्वारा जारी आदेश ही वास्तविक और उचित कानून हैं। दूसरी ओर, नैतिकता के नियम या अंतरराष्ट्रीय कानून, जिनमें संप्रभु शक्ति और शास्ति का अभाव होता है, 'अनुचित रूप से कहे जाने वाले कानून' या 'सकारात्मक नैतिकता' की श्रेणी में आते हैं। यह वर्गीकरण ऑस्टिन के विधिक प्रत्यक्षवाद का आधार है, जो कानून के अध्ययन को केवल राज्य के आदेशों तक सीमित रखता है।

107. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा कानून को समाज के एक अनिवार्य अंग के रूप में देखती है। यह विचारधारा मानती है कि कानून और समाज के मध्य निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। कानून सामाजिक व्यवहार को आकार प्रदान करता है और समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताएं कानून के विकास को प्रभावित करती हैं। इस विचारधारा के समर्थक कानून के केवल कागजी नियमों के स्थान पर उसके वास्तविक सामाजिक प्रभावों एवं कार्यों के अध्ययन पर बल देते हैं। कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यवस्था और संतुलन स्थापित करना है।

108. (D) उपरोक्त सभी सिद्धांत इस घटना की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं।
विधिक व्यक्तित्व एक जटिल अवधारणा है जिसे समझाने हेतु विधिशास्त्र में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। 'कल्पना सिद्धांत' इसे कानून का कृत्रिम निर्माण मानता है, जबकि 'यथार्थवादी सिद्धांत' निगम को एक वास्तविक सामाजिक इकाई के रूप में स्वीकार करता है। 'रियायत सिद्धांत' यह तर्क देता है कि यह दर्जा केवल राज्य के अनुदान से प्राप्त होता है। ये सभी सिद्धांत भिन्न दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार एक गैर-मानव संस्था कानूनी अधिकार एवं कर्तव्यों का स्वतंत्र विषय बन सकती है।

109. (B) अशक्तता
होफेल्डियन विश्लेषण के अनुसार, 'उन्मुक्ति' का विधिक सहसंबंधी 'अशक्तता' है। उन्मुक्ति का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के विधिक संबंध दूसरे की कानूनी शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते। इसके विपरीत, अशक्तता का अर्थ है दूसरे के विधिक संबंधों को परिवर्तित करने की क्षमता का अभाव होना। यदि किसी व्यक्ति के पास उन्मुक्ति है, तो उसके प्रतिद्वंद्वी के पास उसे प्रभावित करने हेतु विधिक शक्ति नहीं होती, जो उसकी अशक्तता को दर्शाता है। यह वर्गीकरण विधिक सुरक्षा और सीमाओं को स्पष्ट करता है।

110. (A) I और II सही हैं।
विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र, जिसे प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है, मुख्य रूप से कानून के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर केंद्रित है। यह कानून 'जैसा है' और कानून 'जैसा होना चाहिए' के मध्य कठोर पृथक्करण पर बल देता है। इसके प्रमुख प्रस्तावकों में जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन सम्मिलित हैं, न कि सैविनी और हेनरी मेन, जो ऐतिहासिक विचारधारा के अनुयायी हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा कानून की तार्किक संरचना और संप्रभु के आदेश जैसे तत्वों के अध्ययन को प्राथमिकता प्रदान करती है, जो इसे आधुनिक विधिक विज्ञान का आधार बनाती है।

111. (D) स्वामित्व के बिना वैध कब्जा
पुस्तकालय से पुस्तक उधार लेने वाले व्यक्ति के पास उस पुस्तक का वैध कब्जा होता है, किंतु वह उसका स्वामी नहीं होता। 'उपनिधान' के अंतर्गत, उपनिहिती को वस्तु का भौतिक नियंत्रण और उसे धारण करने का अधिकार प्राप्त होता है, किंतु उसका यह अधिकार केवल एक विशिष्ट अवधि और उद्देश्य हेतु सीमित होता है। स्वामित्व सदैव पुस्तकालय के पास ही सुरक्षित रहता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि कब्जा और स्वामित्व दो पृथक विधिक अवधारणाएं हैं जो एक ही समय में भिन्न व्यक्तियों में निहित हो सकती हैं।

112. (B) कानूनी प्रत्यक्षवाद का प्रभुत्व।
20वीं शताब्दी में प्राकृतिक कानून का पुनरुद्धार मुख्य रूप से कानूनी प्रत्यक्षवाद की सीमाओं के विरुद्ध एक वैचारिक प्रतिक्रिया थी। प्रत्यक्षवाद ने कानून और नैतिकता के मध्य पूर्ण पृथक्करण की वकालत की थी, जिसे नाज़ी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों को वैधता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी माना गया। फुलर और फिनिस जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि कानून

की वैधता केवल उसकी विधिक प्रक्रिया से नहीं, बल्कि उसकी नैतिक अंतर्वस्तु से भी संबद्ध होनी चाहिए। उन्होंने न्याय के सिद्धांतों को कानूनी ढांचे में पुनः स्थापित किया।

113. (C) लियोन डुगुइट
लियोन डुगुइट के विधिशास्त्रीय चिंतन का मुख्य केंद्र 'सामाजिक एकजुटता' का विचार है। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परस्पर अत्यधिक निर्भर हैं। उनके अनुसार, कानून का एकमात्र औचित्य एवं कार्य इस सामाजिक अन्योन्याश्रितता को बनाए रखना और सुदृढ़ करना है। उन्होंने राज्य की संप्रभुता के पारंपरिक विचारों को अस्वीकार किया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था का कर्तव्य केवल सामाजिक एकजुटता की दिशा में कार्य करना है। यह दृष्टिकोण कानून का शुद्ध कार्यात्मक विश्लेषण है।

114. (B) रुढ़ि जन सामान्य के अभ्यास से उत्पन्न होती है, जबकि पूर्वनिर्णय न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न होता है।
कानून के स्रोतों के रूप में रुढ़ि और पूर्वनिर्णय का मूल उद्गम भिन्न होता है। रुढ़ि समाज के भीतर सुदीर्घ काल से चले आ रहे सामान्य व्यवहार और अभ्यास से क्रमिक रूप से विकसित होती है, जो सामुदायिक स्वीकृति पर आधारित होती है। इसके विपरीत, पूर्वनिर्णय न्यायाधीशों द्वारा विशिष्ट मामलों के न्यायिक निर्णय के दौरान प्रतिपादित सिद्धांतों से उदित होता है। रुढ़ि सामाजिक परंपराओं का प्रतिबिंब है, जबकि पूर्वनिर्णय विधिक सिद्धांतों का न्यायिक अनुप्रयोग है। ये दोनों स्रोत आधुनिक विधिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं।

115. (A) घड़ी का तात्कालिक कब्जा
जब कोई व्यक्ति अपनी घड़ी परिष्करण हेतु दुकान पर छोड़ता है, तो परिष्कर्ता के पास उसका 'तात्कालिक कब्जा' होता है। यद्यपि वह स्वामी नहीं है, तथापि वह उस वस्तु पर वास्तविक भौतिक नियंत्रण रखता है और परिष्करण के उद्देश्य से उसे धारण करने का विधिक अधिकार रखता है। स्वामी के पास इस अवधि में 'मध्यवर्ती कब्जा' बना रहता है। यह व्यवस्था उपनिधान के विधिक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे के लाभ हेतु अस्थायी रूप से वस्तु का कब्जा प्राप्त करता है।

116. (B) प्रतिशोधात्मक सिद्धांत
दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अपराध को एक नैतिक बुराई मानता है जिसके लिए अपराधी को आनुपातिक दंड प्राप्त होना अनिवार्य है। यह सिद्धांत प्रायश्चित और प्रतिशोध पर केंद्रित है। इसमें यह मान्यता है कि दंड प्रदान करने से न केवल न्याय सुनिश्चित होता है, बल्कि अपराधी को अपनी त्रुटि का बोध भी होता है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य का सुधार नहीं, बल्कि अतीत में किए गए दुष्कर्म हेतु नैतिक संतुलन स्थापित करना है। यह "जैसे को तैसा" के प्राचीन न्याय दर्शन का परिष्कृत स्वरुप है।

117. (B) उन्हें कल्याणकारी अधिनियमों द्वारा संरक्षित विधिक वस्तुओं के रुप में माना जाता है।
आधुनिक कानूनी प्रणालियों में पशुओं को विधिक व्यक्ति नहीं माना जाता, अर्थात उनके पास मनुष्यों की भाँति स्वतंत्र विधिक अधिकार एवं कर्तव्य नहीं होते। वे विधिक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं जिन्हें संपत्ति स्वीकार किया जा सकता है। तथापि, उन्हें विशेष कल्याणकारी कानूनों और पशु क्रूरता निवारण अधिनियमों के माध्यम से कानूनी संरक्षण प्राप्त है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। उनकी सुरक्षा राज्य के कर्तव्यों और स्वामियों की विधिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती है।

118. (C) संपूर्ण प्रणाली को वैधता प्रदान करने वाला एक अ-विध्यात्मक मानक।
हंस केल्सन के सिद्धांत में 'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक एक ऐसी बुनियादी पूर्वधारणा है जो संपूर्ण कानूनी व्यवस्था के पदानुक्रम का आधार बनती है। यह स्वयं किसी उच्च मानक से अपनी वैधता प्राप्त नहीं करता, बल्कि इसे मान लिया जाता है ताकि अन्य समस्त नियमों को वैध माना जा सके। यह संपूर्ण विधिक संरचना को एक सुसंगत इकाई के रूप में स्थापित करता है। केल्सन के अनुसार, ग्रुण्डनॉर्म वह अंतिम बिंदु है जहाँ कानून का विश्लेषण संपन्न होता है, जो पूरी प्रणाली को उसकी कानूनी शक्ति प्रदान करता है।

119. (B) एक निर्दिष्ट शर्त के पूर्ण होने पर ही अस्तित्व में आएगा।
एक 'आकस्मिक अधिकार' वह है जिसका अस्तित्व किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। जब तक वह विशिष्ट शर्त पूर्ण नहीं होती, अधिकार धारक के पास केवल एक संभावना होती है, पूर्ण अधिकार नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी वसीयत में संपत्ति केवल विवाह करने की पूर्व शर्त पर प्रदान की जाती है, तो वह एक आकस्मिक अधिकार है। यह निहित अधिकार से भिन्न है, जहाँ अधिकार का हस्तांतरण तात्कालिक और बिना किसी अनिश्चित शर्त के प्रभावी हो जाता है।

120. (A) 2, 1, 3
विधिक बहसों के कालक्रम में, 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन और सैविनी के मध्य संहिताकरण के प्रश्न पर वैचारिक मतभेद हुआ था। इसके पश्चात, 20वीं शताब्दी के मध्य (1950 के दशक) में कानून और नैतिकता के अंतर्संबंधों पर प्रसिद्ध हार्ट-फुलर बहस हुई। अंततः, 1960 के दशक में समलैंगिकता के विविधीकरण को लेकर प्रोफेसर हार्ट और लॉर्ड डेवलिन के मध्य विधिक प्रवर्तन की नैतिकता पर बहस हुई। यह कालक्रम विधिशास्त्र में नैतिक एवं कानूनी दर्शन के विकासवादी चरणों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

121. (C) लोन एल. फुलर
लोन एल. फुलर ने कानून को एक सोद्देश्यपूर्ण गतिविधि के रुप में परिभाषित किया, जिसका साध्य मानवीय आचरण को नियमों के शासन के अधीन करना है। उनके अनुसार, कानून केवल संप्रभु की शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि एक सहयोगी उद्यम है जिसमें शासक और शासित दोनों की सक्रिय

सहभागिता होती है। फुलर ने प्रक्रियात्मक सिद्धांतों पर बल दिया जिन्हें उन्होंने 'कानून की आंतरिक नैतिकता' कहा। उनका विश्वास था कि इन सिद्धांतों का अनुपालन करने वाली प्रणाली ही समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रख सकती है।

122. (C) विधायन
विधायन कानून का वह प्राथमिक स्रोत है जो एक सक्षम और संप्रभु विधायी निकाय द्वारा औपचारिक रुप से अधिनियमित किया जाता है। आधुनिक राज्यों में, कानून निर्माण की यह सर्वाधिक सक्रिय एवं प्रभावी पद्धति है। विधायन के माध्यम से पुरातन कानूनों को परिवर्तित किया जा सकता है और नवीन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरुप नियम बनाए जा सकते हैं। यह लिखित एवं सुस्पष्ट होता है, जो विधिक निश्चितता प्रदान करता है। इसकी शक्ति प्रत्यक्षतः राज्य के संवैधानिक प्राधिकार से प्राप्त होती है, जो इसे सर्वोपरि बनाती है।

123. (B) प्राकृतिक कानून विचारधारा का तर्कवाद और विश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रत्यक्षवाद।
विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा 18वीं और 19वीं शताब्दी के अत्यधिक तर्कवादी प्राकृतिक कानून और शुष्क विधिक प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिक्रिया थी। ऐतिहासिक विचारकों ने तर्क दिया कि कानून को केवल अमूर्त तर्क या संप्रभु के आदेशों के रूप में नहीं देखा जा सकता। उनके अनुसार, कानून एक जैविक एवं ऐतिहासिक विकास का परिणाम है जो राष्ट्र की विशिष्ट संस्कृति से जुड़ा है। उन्होंने विधिक विकास में सामाजिक निरंतरता और लोक-चेतना के महत्व को सर्वोपरि मानकर उसे पुनः प्रतिष्ठित किया।

124. (B) कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों का विषय होने की क्षमता।
विधिक व्यक्तित्व एक विधिक अवधारणा है जो किसी इकाई को कानून की दृष्टि में अधिकार धारण करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के योग्य बनाती है। यह दर्जा केवल मनुष्यों (प्राकृतिक व्यक्तियों) तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून द्वारा निगमों और सार्वजनिक संस्थानों जैसी गैर-मानव संस्थाओं को भी प्रदान किया जा सकता है। विधिक व्यक्तित्व प्राप्त करने के पश्चात, वह इकाई अपने नाम पर अनुबंध कर सकती है और कानूनी कार्यवाही में भाग ले सकती है। यह आधुनिक व्यापार एवं शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ है।

125. (B) सामान्य निवारण
मृत्युदंड को प्रायः 'सामान्य निवारण' के सिद्धांत के आधार पर न्यायसंगत ठहराया जाता है। इसका तर्क है कि कठोरतम दंड का भय समाज के अन्य व्यक्तियों के मन में अपराध करने के प्रति एक मनोवैज्ञानिक अवरोध उत्पन्न करता है। यह संभावित अपराधियों को यह संदेश देता है कि गंभीर अपराध के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यद्यपि यह अपराधी को भविष्य में अपराध करने से रोकता है, किंतु इसका मुख्य सामाजिक उद्देश्य संपूर्ण समुदाय को जघन्य अपराधों से दूर रखना और कानून के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना है।

126. (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
विश्लेषणात्मक विचारधारा कानून के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से संबद्ध है, न कि उसके ऐतिहासिक विकास से। कानून के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन ऐतिहासिक विचारधारा का मुख्य विषय है। दूसरी ओर, यह विश्वास कि कानून संप्रभु का आदेश है, विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद का केंद्र है, जबकि ऐतिहासिक विचारधारा इसे लोक-चेतना का परिणाम मानती है। अतः दोनों कथन एक-दूसरे की विचारधाराओं की विशेषताओं को त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे वे विधिक सिद्धांतों के अनुसार गलत सिद्ध होते हैं।

127. (A) सामान्य रुप से विधिशास्त्र का
यह विचार कि प्रत्येक कानूनी अधिकार का एक संबंधित विधिक कर्तव्य होता है, संपूर्ण विधिशास्त्र का एक सार्वभौमिक एवं मौलिक सिद्धांत है। इसे 'अधिकार-कर्तव्य सहसंबंध' के रूप में जाना जाता है। बिना कर्तव्य के अधिकार केवल एक रिक्त स्वतंत्रता है जिसका कोई कानूनी मूल्य नहीं होता। यदि कानून किसी को सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो वह दूसरों पर उसे क्षति न पहुँचाने का कर्तव्य भी अधिरोपित करता है। यह संतुलन ही विधिक संबंधों की स्थिरता और न्याय की प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है।

128. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
निवारक सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य समाज हेतु एक उदाहरण प्रस्तुत कर अपराधों को रोकना है। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत अपराधी को उसके दुष्कर्म हेतु आनुपातिक दंड देने पर केंद्रित है। सुधारात्मक सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी के चरित्र में परिवर्तन लाना और उसे पुनर्वासित करना है। निरोधात्मक सिद्धांत अपराधी को भौतिक रुप से अक्षम करने पर बल देता है ताकि वह पुनः अपराध न कर सके। यह मिलान दंड व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों को स्पष्ट रुप से वर्गीकृत करने में सहायक सिद्ध होता है।

129. (C) प्राकृतिक कानून विचारधारा
प्राकृतिक कानून विचारधारा इस मूल विश्वास पर आधारित है कि कुछ अधिकार मनुष्यों में जन्मजात एवं अंतर्निहित होते हैं। ये अधिकार किसी राज्य या सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं किए जाते, बल्कि वे मानवीय प्रकृति और सार्वभौमिक तर्क का अभिन्न हिस्सा हैं। राज्य का कार्य इन पूर्व-विद्यमान अधिकारों को मान्यता प्रदान करना और उनकी रक्षा करना है। यह विचारधारा मानती है कि जीवन, स्वतंत्रता और न्याय के ये सिद्धांत शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय हैं, जो समस्त मानवीय कानूनों हेतु एक नैतिक मापदंड प्रदान करते हैं।

130. (A) उन्मुक्ति
वेस्ले होफेल्ड के विधिक विश्लेषण में 'दायित्व' (लायबिलिटी) का विधिक विलोम 'उन्मुक्ति' है। दायित्व का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के विधिक संबंध दूसरे की कानूनी शक्ति से परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसके विपरीत, उन्मुक्ति का तात्पर्य ऐसी किसी भी कानूनी शक्ति से सुरक्षित होना है। यदि किसी के पास उन्मुक्ति है, तो उसके पास दायित्व नहीं हो सकता। यह वर्गीकरण स्पष्ट करता है कि कानून न केवल

व्यक्तियों को शक्ति देता है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में उन्हें बाह्य विधिक हस्तक्षेप से सुरक्षा भी प्रदान करता है।

131. (B) धर्म के सिद्धांतों और तार्किक तर्क।
प्राचीन भारतीय विधिशास्त्र में न्याय की अवधारणा धर्म के सिद्धांतों और तार्किक विवेचन के साथ प्रगाढ़ता से जुड़ी हुई है। 'न्याय' का अर्थ केवल निर्णय सुनाना नहीं था, बल्कि सत्य की खोज करना और उसे धर्म के व्यापक ढांचे में प्रतिष्ठित करना था। इसमें तर्कसंगत अनुमान और साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण पर अत्यधिक बल दिया गया था। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती थी कि राजा का निर्णय केवल उसकी स्वेच्छा पर नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण तर्क और स्थापित नैतिक नियमों के समन्वय पर आधारित हो।

132. (B) जनमत के रूप में नैतिकता
आधुनिक विधिशास्त्र में विधान, पूर्वनिर्णय और साम्या कानून के मान्य एवं औपचारिक स्रोत हैं क्योंकि वे राज्य द्वारा प्रवर्तनीय नियम प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, जनमत के रूप में नैतिकता कानून का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। यद्यपि नैतिकता कानून निर्माताओं को प्रभावित कर सकती है, तथापि वह स्वयं में तब तक कानून नहीं बनती जब तक उसे विधायी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न हो जाए। नैतिकता व्यक्तिगत या सामाजिक धारणा है, जबकि कानून राज्य की बाध्यकारी शक्ति द्वारा समर्थित एक औपचारिक नियम है।

133. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
एच.एल.ए. हार्ट का प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का संयोजन ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत की तुलना में कानून की अधिक परिष्कृत समझ प्रस्तुत करता है। ऑस्टिन का सिद्धांत कानून को केवल 'शास्ति द्वारा समर्थित आदेश' तक सीमित रखता है, जो विधिक सत्ता की निरंतरता और शक्ति प्रदान करने वाले नियमों की व्याख्या नहीं कर पाता। हार्ट का मॉडल यह स्पष्ट करता है कि कानून केवल नागरिकों को आदेश देना नहीं है, बल्कि इसमें अधिकारियों को कानून बदलने और पहचानने की शक्ति देने वाले नियम भी सम्मिलित हैं।

134. (C) सामाजिक हित
रोस्को पाउंड ने अपनी सामाजिक अभियांत्रिकी की अवधारणा में हितों का एक त्रिविध वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें व्यक्तिगत हित (जैसे स्वास्थ्य), सार्वजनिक हित (जैसे राज्य की सुरक्षा) और सामाजिक हित (जैसे सामान्य नैतिकता एवं सामाजिक प्रगति) सम्मिलित हैं। पाउंड के अनुसार, कानून का मुख्य कार्य समाज के इन तीनों श्रेणियों के परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। यह वर्गीकरण कानून के सामाजिक कार्य और उसके व्यापक उद्देश्यों को समझने हेतु एक सुव्यवस्थित एवं तार्किक आधार प्रदान करता है।

135. (C) कानूनी अधिकार के बिना तथ्यतः कब्जा
एक चोर जिसने रत्न चुराया है, उसका उस वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होता है, जिसे 'तथ्यतः कब्जा' कहा जाता है। चूंकि उसके पास वस्तु को धारण करने का कोई विधिक आधार नहीं है, इसलिए उसका कब्जा 'विधि विरुद्ध' माना जाता है। तथापि, विधिक सिद्धांत के अनुसार, उसका कब्जा मूल स्वामी को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व के विरुद्ध सुरक्षित है, ताकि समाज में अराजकता उत्पन्न न हो। यह उदाहरण कब्जा और विधिक स्वामित्व के मध्य के स्पष्ट अंतर और कब्जे की जटिल विधिक प्रकृति को प्रदर्शित करता है।

136. (A) ब्रिंज़ और बेकर
विधिक व्यक्तित्व का 'उद्देश्य सिद्धांत' मुख्य रूप से ब्रिंज़ और बेकर जैसे विधिशास्त्रियों से संबद्ध है। यह सिद्धांत यह मानता है कि विधिक व्यक्तित्व केवल मनुष्यों या कल्पित इकाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन संपत्तियों या संस्थाओं को भी प्रदान किया जा सकता है जो एक विशिष्ट कानूनी उद्देश्य की पूर्ति हेतु समर्पित हैं। उनके अनुसार, अधिकार किसी व्यक्ति के स्थान पर किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु हो सकते हैं। यह सिद्धांत विशेष रूप से धर्मार्थ न्यासों की कानूनी स्थिति की व्याख्या हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

137. (D) निरोधात्मक
दंड का निरोधात्मक सिद्धांत अपराधी को कारावास के माध्यम से समाज से पृथक कर देता है ताकि वह पुनः अपराध करने में अक्षम हो जाए। इसका प्राथमिक तर्क है कि अपराधी को कैद में रखने से जनसामान्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है क्योंकि वह भौतिक रूप से अपराध करने की स्थिति में नहीं रहता। यह सिद्धांत सुधार या प्रतिशोध के स्थान पर भविष्य के संभावित खतरों को समाप्त करने को प्राथमिकता प्रदान करता है। कारावास इस संदर्भ में एक सुरक्षात्मक दीवार के रूप में कार्य करता है जो समाज की रक्षा करता है।

138. (C) कानून की वैधता का प्रश्न उसकी नैतिकता के प्रश्न से भिन्न है।
विधिक प्रत्यक्षवाद का केंद्रीय विचार कानून और नैतिकता का पृथक्करण है। इसका अर्थ है कि किसी नियम की कानूनी वैधता केवल इस बात पर निर्भर करती है कि उसे उचित प्राधिकारी द्वारा और सही प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित किया गया है। वह नियम नैतिक रूप से श्रेष्ठ है या निकृष्ट, यह एक पृथक प्रश्न है जो उसकी कानूनी बाध्यता को समाप्त नहीं करता। प्रत्यक्षवादी यह नहीं कहते कि नैतिकता निरर्थक है, बल्कि वे केवल इसे कानून के विश्लेषणात्मक अध्ययन से पृथक रखने का तर्क देते हैं।

139. (A) I और II सही हैं।
सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विधिशास्त्र के एक अग्रणी विचारक थे जिन्होंने कानूनी प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत है कि प्रगतिशील समाजों का विकास 'हैसियत' से 'संविदा' की ओर हुआ है। उन्होंने विधिक विकास के चरणों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। हालांकि, उन्होंने कानून के तीव्र संहिताकरण की वकालत नहीं की; इसके विपरीत, वे मानते थे कि कानून को समाज के साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए। संहिताकरण के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत सावधानीपूर्ण और संदेहात्मक था।

140. (B) एक व्यक्ति का अपनी भूमिगत संपत्ति पर सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार।
'सर्वबंधी अधिकार' वह अधिकार है जिसे व्यक्ति संपूर्ण विश्व के विरुद्ध लागू कर सकता है। संपत्ति का अधिकार इसका उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि यह समस्त जनता पर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वे उस संपत्ति में अनधिकृत हस्तक्षेप न करें। इसके विपरीत, मकान मालिक का किरायेदार से किराया माँगने का अधिकार एक 'व्यक्तिबंधी अधिकार' है क्योंकि यह केवल उस विशिष्ट किरायेदार के विरुद्ध प्रभावी है। सर्वबंधी अधिकार व्यक्ति की व्यापक विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं जो किसी विशेष समझौते पर निर्भर नहीं होते।

141. (C) यथार्थवादी विचारधारा
विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा कानून को उन अमूर्त नियमों के रूप में नहीं देखती जो केवल पुस्तकों में अंकित हैं, बल्कि उसे उन निर्णयों के रूप में देखती है जो अदालतें वास्तव में देती हैं। उनके अनुसार, कानून का सार भविष्यवाणी करने की क्षमता में निहित है कि एक न्यायाधीश किसी विशिष्ट मामले में कैसा व्यवहार करेगा। यह विचारधारा विधिक औपचारिकतावाद को अस्वीकार करती है और कानून के व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। उनके लिए, न्यायिक विवेक ही कानून का वास्तविक स्थल है।

142. (B) एक अपूर्ण अधिकार
एक 'अपूर्ण अधिकार' वह कानूनी हित है जिसे कानून मान्यता तो प्रदान करता है, किंतु जिसके उल्लंघन पर न्यायालय के माध्यम से कोई प्रत्यक्ष विधिक उपचार उपलब्ध नहीं होता है। परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित ऋण इसका प्रमुख उदाहरण है; यहाँ ऋण का अधिकार समाप्त नहीं होता, किंतु उसे वसूलने का कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि ऋणी स्वेच्छा से भुगतान कर देता है, तो उसे विधिक रूप से वैध माना जाता है। ऐसे अधिकार विधिक और नैतिक दायित्वों के मध्य की एक विशिष्ट स्थिति को प्रदर्शित करते हैं।

143. (B) कानूनी अवधारणाओं के लिए एक सटीक और विश्लेषणात्मक शब्दावली प्रदान करने के लिए।
वेस्ले न्यूकॉम्ब होफेल्ड ने विधिक संबंधों का विश्लेषण विधिक भाषा में व्याप्त अस्पष्टता को दूर करने हेतु विकसित किया था। उन्होंने अधिकारों, कर्तव्यों, शक्तियों और उन्मुक्तियों जैसी आठ आधारभूत अवधारणाओं को सहसंबंधियों और विलोम के रूप में वर्गीकृत किया। इस सूक्ष्म विश्लेषण का उद्देश्य वकीलों और न्यायाधीशों को जटिल कानूनी दावों को स्पष्टता के साथ समझने और परिभाषित करने में सहायता करना था। होफेल्ड का यह कार्य विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र में सटीक विधिक तर्क के विकास हेतु एक मील का पत्थर है।

144. (D) वह कानूनी सिद्धांत या नियम जिस पर न्यायिक निर्णय आधारित होता है।
'विनिश्चय-आधार' या 'रेश्यो डेसिडेन्डी' किसी न्यायिक निर्णय का वह सारभूत अंश है जिसमें वह कानूनी सिद्धांत निहित होता है जिसके आधार पर न्यायाधीश अपने निष्कर्ष पर पहुँचता है। यह निर्णय का वह बाध्यकारी भाग है जिसे भविष्य के समान मामलों में अधीनस्थ अदालतों हेतु अनुपालन करना अनिवार्य होता है। यह मामले के केवल तथ्यों या प्रसंगवश दी गई टिप्पणियों (ओबिटर डिक्टा) से सर्वथा भिन्न है। विनिश्चय-आधार ही न्यायिक पूर्वनिर्णय की व्यवस्था में कानून के वास्तविक स्रोत के रूप में कार्य करता है।

145. (B) कब्जा
विधिक रूप से कब्जा स्थापित करने हेतु दो अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। प्रथम है 'कॉर्पस पोसिशनिस', जो किसी वस्तु पर वास्तविक भौतिक नियंत्रण को संदर्भित करता है। द्वितीय है 'एनिमस पोसिडेन्डी', जिसका अर्थ है उस वस्तु को अनन्य रूप से अपने पास रखने का मानसिक इरादा। जब ये दोनों तत्व संयुक्त रूप से उपस्थित होते हैं, तभी पूर्ण कानूनी कब्जा माना जाता है। यह विधिक अवधारणा संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आधारभूत मानी जाती है।

146. (A) साध्य के एक साधन और हितों के संघर्ष के परिणाम के रूप में।
रुडोल्फ वॉन इहेरिंग ने कानून को एक निष्क्रिय ऐतिहासिक विकास के स्थान पर एक सोद्देश्यपूर्ण मानवीय गतिविधि के रूप में देखा। उनके अनुसार, कानून एक 'साध्य का साधन' है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न हितों की रक्षा करना और उनके मध्य व्याप्त संघर्ष को सुलझाना है। उन्होंने तर्क दिया कि कानून का निर्माण समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु संघर्ष के माध्यम से किया जाता है। इहेरिंग का यह दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र की आधारशिला बना, जिसने कानून के कार्यात्मक पक्ष पर बल दिया।

147. (C) ज्ञान के वैध साधन या स्रोत।
प्राचीन भारतीय न्याय दर्शन में 'प्रमाण' उन साधनों को कहा जाता है जिनके माध्यम से यथार्थ और वैध ज्ञान (प्रमा) प्राप्त किया जाता है। महर्षि गौतम ने चार मुख्य प्रमाणों को स्वीकार किया है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यह ज्ञानमीमांसा केवल दर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उपयोग कानूनी विवादों में साक्ष्य की गुणवत्ता और सत्य की अन्वेषण प्रक्रिया हेतु किया जाता था। प्रमाणों की यह वैज्ञानिक पद्धति सुनिश्चित करती थी कि न्याय तर्कपूर्ण आधारों और विश्वसनीय जानकारी पर आधारित हो।

148. (C) कानून हमेशा स्थिर रहता है और कभी परिवर्तित नहीं होता है।
कानून की प्रकृति के संबंध में यह कहना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है कि वह सदैव स्थिर रहता है। वास्तव में, कानून एक गतिशील अवधारणा है जो समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं, मूल्यों और परिस्थितियों के साथ निरंतर विकसित और संशोधित होता रहता है। विधायी सुधारों और न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से कानून में संशोधन करना एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। यदि कानून स्थिर हो जाए, तो वह समाज की प्रगति में बाधक बन सकता है। कानून का लचीलापन ही उसे प्रभावी और प्रासंगिक बनाए रखने में सहायता करता है।

149. (B) कानूनी शब्दावली की दार्शनिक व्याख्या और उनके पीछे के मनोविज्ञान में।
स्कैंडिनेवियाई यथार्थवादी, जैसे हेगरस्ट्रॉम और ओलिवक्रोना, विधिक अवधारणाओं के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में अधिक रुचि रखते थे। वे अमेरिकी यथार्थवादियों की भाँति केवल अदालती फैसलों के व्यावहारिक पूर्वानुमान तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने विधिक शब्दों जैसे 'अधिकार' और 'कर्तव्य' की प्रकृति की सूक्ष्म जांच की और उन्हें "विधिक कल्पना" या मानसिक धारणाओं के रूप में व्याख्यायित किया। उनका उद्देश्य कानून को रहस्यवाद से मुक्त कर उसे मानवीय मन के एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्थापित करना था।

150. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
एच.एल.ए. हार्ट ने 'द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ' में प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जॉन ऑस्टिन की प्रसिद्ध पुस्तक 'द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस डिटर्मिन्ड' है जिसमें उन्होंने संप्रभुता की व्याख्या की। हंस केल्सन ने 'प्योर थ्योरी ऑफ लॉ' के माध्यम से ग्रुण्डनॉर्म की अवधारणा प्रस्तुत की। रोस्को पाउंड की 'इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ लॉ' उनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह मिलान विधिशास्त्र के महानतम ग्रंथों और उनके द्वारा प्रतिपादित मौलिक विधिक सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से जोड़ता है।

151. (B) कानून के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित एक हित।
'कानूनी अधिकार' वह व्यक्तिगत हित या लाभ है जिसे राज्य की कानूनी प्रणाली द्वारा मान्यता प्रदान की गई है और जिसे सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके पीछे कानून की बाध्यकारी शक्ति निहित होती है, जिसका अर्थ है कि यदि इस अधिकार का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय से विधिक उपचार प्राप्त कर सकता है। यह केवल एक नैतिक दावा नहीं है, बल्कि एक ऐसा विधिक संबंध है जो दूसरे व्यक्ति पर एक संबंधित कर्तव्य अधिरोपित करता है। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति के महत्वपूर्ण हितों को सुनिश्चित करना है।

152. (C) भौतिक शरीर का होना।
विधिक व्यक्तित्व एक विधिक धारणा है जिसका तात्पर्य अधिकारों और कर्तव्यों को धारण करने की विधिक क्षमता से है। इसके लिए भौतिक शरीर का होना अनिवार्य नहीं है। कानून निगमों, न्यासों और सार्वजनिक संस्थानों जैसी अमूर्त संस्थाओं को भी विधिक व्यक्ति स्वीकार करता है। प्राकृतिक व्यक्ति (मनुष्य) के पास भौतिक शरीर होता है, किंतु विधिक व्यक्ति (जैसे कंपनी) केवल कानून की दृष्टि में अस्तित्व रखते हैं। ये कृत्रिम व्यक्ति भी संपत्ति धारण कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं और कानूनी कार्रवाई में सम्मिलित हो सकते हैं।

153. (C) सामान्य निवारण
जब कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को समाज हेतु एक उदाहरण के रूप में कठोर दंड प्रदान करता है, तो वह 'सामान्य निवारण' के सिद्धांत को क्रियान्वित कर रहा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य उस अपराधी के माध्यम से शेष समाज और संभावित अपराधियों को यह संदेश प्रेषित करना है कि कानून का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह सजा का प्रयोग भय के साधन के रूप में करता है ताकि अन्य लोग भविष्य में वैसा ही अपराध करने से बचें। यहाँ अपराधी को दंडित करना व्यापक सामाजिक सुरक्षा का एक सशक्त माध्यम है।

154. (B) समलैंगिकता और वेश्यावृत्ति पर वल्फेंडेन समिति की रिपोर्ट।
हार्ट-डेवलिन बहस 1950 के दशक में ब्रिटेन में 'वल्फेंडेन समिति' की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात प्रारंभ हुई थी, जिसने निजी तौर पर वयस्कों के मध्य समलैंगिकता के विविधीकरण की अनुशंसा की थी। लॉर्ड डेवलिन ने तर्क दिया कि कानून को सार्वजनिक नैतिकता बनाए रखनी चाहिए, जबकि प्रोफेसर हार्ट ने तर्क दिया कि निजी अनैतिकता, जिससे दूसरों को हानि न हो, कानूनी दंड का विषय नहीं होनी चाहिए। यह बहस आधुनिक विधिशास्त्र में कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं पर एक ऐतिहासिक विमर्श मानी जाती है।

155. (A) राष्ट्र-विशिष्ट और विकासवादी।
फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी के अनुसार, कानून किसी राष्ट्र की विशिष्ट लोक-चेतना (वोक्सगेइस्ट) से उदित होता है। चूँकि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास, संस्कृति और भाषा भिन्न होती है, इसलिए कानून भी राष्ट्र-विशिष्ट होता है। उनका मानना था कि कानून समय के साथ समाज के क्रमिक विकास के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। यह दृष्टिकोण कानून के प्रति एक जैविक और विकासवादी समझ प्रस्तुत करता है, जहाँ कानून को कृत्रिम रूप से थोपने के स्थान पर उसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जड़ों में अन्वेषित किया जाता है।

156. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
हंस केल्सन के कानून के शुद्ध सिद्धांत में 'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक वास्तव में कोई लिखित कानून नहीं है, बल्कि एक तार्किक पूर्वधारणा है जिसे संपूर्ण कानूनी व्यवस्था की वैधता का आधार माना जाता है। ग्रुण्डनॉर्म को स्वतः सिद्ध नहीं किया जा सकता; इसे केवल इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि संपूर्ण कानूनी प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर रही होती है। यह एक अनुभवातीत पूर्वधारणा है जो विधिक मानकों के पदानुक्रम को वैधता प्रदान करती है। इसके बिना, नियमों की बाध्यकारी शक्ति का कोई अंतिम स्रोत नहीं रह जाएगा।

157. (C) आयकर भुगतान करने की कानूनी अनिवार्यता।
'कानूनी कर्तव्य' वह कार्य है जिसे करने हेतु व्यक्ति कानून द्वारा बाध्य होता है और जिसका अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान होता है। आयकर का भुगतान करना राज्य द्वारा अधिरोपित एक विशिष्ट कानूनी अनिवार्यता है। इसके विपरीत, संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना या शिष्ट होना केवल नैतिक या सामाजिक अपेक्षाएं हैं, जिनका उल्लंघन कानूनी कार्यवाही का आधार नहीं बनता। कानूनी कर्तव्य अधिकारों के अनुरूप होते हैं और समाज में सुव्यवस्था एवं राजस्व सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य माने जाते हैं।

158. (A) स्वयं के या दूसरों के कानूनी संबंधों को परिवर्तित करने की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त क्षमता।
वेस्ले होफेल्ड के विश्लेषण में 'शक्ति' का अर्थ वह विधिक क्षमता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विधिक संबंधों या अधिकारों को परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए, वसीयत निर्मित करने की शक्ति या संपत्ति विक्रय करने की शक्ति। यह मात्र भौतिक शक्ति नहीं है, बल्कि कानून द्वारा प्रदत्त एक अधिकार है। जब कोई व्यक्ति अपनी विधिक शक्ति का प्रयोग करता है, तो दूसरे पक्ष पर उसके अनुरूप एक 'दायित्व' (लायबिलिटी) उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है कि उनके विधिक अधिकार बदल सकते हैं।

159. (B) परिवर्तन के नियम
एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार, केवल प्राथमिक नियमों वाला समाज स्थिर होता है क्योंकि उनमें नियमों को परिवर्तित करने का कोई व्यवस्थित मार्ग नहीं होता। इस दोष के निवारण हेतु 'परिवर्तन के नियम' नामक माध्यमिक नियम अनिवार्य हैं। ये नियम व्यक्तियों या निकायों को नवीन नियम बनाने और पुरातन नियमों को समाप्त करने या संशोधित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से कानूनी प्रणाली गतिशील बनी रहती है और समाज की परिवर्तनशील परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम होती है।

160. (B) यथार्थवादी विचारधारा का चरम पक्ष
यथार्थवादी विचारधारा का चरम पक्ष, विशेष रूप से जेरोम फ्रैंक जैसे विचारकों का मानना है कि कानून कोई स्थिर नियम नहीं है। उनके अनुसार, विधायिका द्वारा पारित अधिनियम केवल 'कानून के संभावित स्रोत' हैं। वास्तविक कानून केवल तभी अस्तित्व में आता है जब कोई न्यायाधीश किसी विशिष्ट मामले में उसकी व्याख्या करता है और उसे प्रभावी रूप से लागू करता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि न्यायाधीश ही कानून के वास्तविक निर्माता हैं और अदालती प्रक्रिया के बिना नियमों का कोई व्यावहारिक विधिक अस्तित्व नहीं है।

161. (B) पूर्ण और बिना शर्त है।
'निहित स्वामित्व' उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति के पास संपत्ति पर पूर्ण, वर्तमान और बिना किसी पूर्व शर्त के अधिकार होते हैं। इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण प्रभावी हो चुका होता है और वह किसी भविष्य की अनिश्चित घटना पर आश्रित नहीं होता। उदाहरण के लिए, उपहार स्वरुप प्राप्त संपत्ति का स्वामित्व तात्कालिक रूप से निहित हो जाता है। यह आकस्मिक स्वामित्व से भिन्न है, जहाँ अधिकार केवल तभी प्राप्त होते हैं जब कोई विशिष्ट शर्त पूर्ण होती है। निहित स्वामित्व विधिक निश्चितता और अधिकारों की स्थिरता सुनिश्चित करता है।

162. (A) केवल I और II
रोस्को पाउंड ने 'सामाजिक अभियांत्रिकी' की अवधारणा प्रस्तुत की, जो विभिन्न सामाजिक हितों के संतुलन पर आधारित है। जॉन ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में परिभाषित किया। ये दोनों कथन सत्य हैं। तथापि, तीसरा कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि 'जीवंत कानून' (लिविंग लॉ) की अवधारणा हंस केल्सन की नहीं, बल्कि यूजेन एर्लिच की है। केल्सन ने 'कानून का शुद्ध सिद्धांत' प्रतिपादित किया था। यह वर्गीकरण विधिशास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं और उनके प्रमुख प्रस्तावकों के विशिष्ट योगदानों को समझने हेतु आवश्यक है।

163. (B) जॉन ऑस्टिन
जॉन ऑस्टिन के विधिक दर्शन में 'सकारात्मक नैतिकता' और 'उचित रुप से कहे जाने वाले कानून' के मध्य का भेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, केवल वे नियम ही वास्तविक कानून हैं जो एक संप्रभु द्वारा जारी किए जाते हैं और जिनके पीछे राज्य की दंड शक्ति होती है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय कानून, शिष्टाचार के नियम और नैतिकता के नियम 'सकारात्मक नैतिकता' कहलाते हैं क्योंकि उनमें संप्रभु आदेश का अभाव होता है। यह अंतर विधिक प्रत्यक्षवाद की सीमाओं और कानून के वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

164. (C) अपराधी को एक कानून मानने वाले नागरिक के रूप में पुनर्वासित करना।
दंड के सुधारात्मक सिद्धांत का प्राथमिक साध्य अपराधी को दंडित करने के स्थान पर उसके आचरण और मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। यह सिद्धांत मानता है कि अपराध एक सामाजिक रोग है और अपराधी को उपचार एवं सहानुभूति की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से अपराधी को समाज का उपयोगी अंग बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दंड पूर्ण होने के पश्चात व्यक्ति एक उत्तरदायी और कानून का अनुपालन करने वाला नागरिक बन सके।

165. (B) मध्यवर्ती
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति हेतु और उसकी ओर से वस्तु का कब्जा धारण करता है, तो इसे 'मध्यवर्ती कब्जा' (मीडिएट पजेशन) कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई सेवक अपने स्वामी के माल को धारण किए हुए है, तो स्वामी के पास मध्यवर्ती कब्जा माना जाता है। सेवक के पास केवल 'तत्कालिक कब्जा' या अभिरक्षा होती है। यह विधिक अवधारणा एजेंटों और प्रतिनिधियों के माध्यम से होने वाले व्यवहारों में विधिक अधिकारों के वितरण को स्पष्ट करती है, जहाँ वास्तविक नियंत्रण किसी अन्य माध्यम से प्रयुक्त किया जाता है।

166. (B) विवादों में वैध ज्ञान के स्रोतों और तार्किक तर्क का।
न्याय दर्शन का विधिशास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ज्ञान के वैध साधनों (प्रमाणों) और तर्कशास्त्र का सुव्यवस्थित विश्लेषण है। यह दर्शन निर्देशित करता है कि सत्य की खोज प्रत्यक्ष अनुभव, अनुमान और विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से किस प्रकार की जाए। कानूनी संदर्भ में, यह साक्ष्यों के मूल्यांकन और न्यायिक निष्कर्षों तक पहुँचने हेतु एक सुदृढ़ तार्किक ढांचा प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल अनुमानों पर नहीं, बल्कि प्रमाणित ज्ञान और विवेकपूर्ण विवेचन के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

167. (B) एक मान्य रुढ़ि निश्चित, सुसंगत और प्राचीन होनी चाहिए।
कानून के स्रोत के रूप में किसी रुढ़ि (प्रथा) को विधिक मान्यता प्राप्त करने हेतु कुछ अनिवार्य शर्तों को पूर्ण करना होता है। उसे प्राचीन होना चाहिए, अर्थात वह सुदीर्घ काल से प्रचलित हो। उसे निश्चित एवं सुसंगत होना चाहिए, और वह सार्वजनिक नीति या किसी वैधानिक कानून के स्पष्ट उल्लंघन में नहीं होनी चाहिए। केवल वे रुढ़ियाँ जो तर्कसंगत हैं और समाज द्वारा निरंतर अनुपालन की जाती हैं, न्यायालयों द्वारा कानून के रूप में स्वीकार्य होती हैं। यह सामाजिक परंपराओं को विधिक व्यवस्था में समाहित करने की प्रक्रिया है।

168. (B) हंस केल्सन का कानून का शुद्ध सिद्धांत
हंस केल्सन का 'कानून का शुद्ध सिद्धांत' यह प्रतिपादित करता है कि कानून विधिक मानकों का एक पदानुक्रमित पिरामिड है। इसमें प्रत्येक नियम अपनी वैधता अपने से उच्च स्थित एक नियम से प्राप्त करता है। इस संपूर्ण संरचना का शिखर 'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक होता है। केल्सन का साध्य कानून का एक ऐसा स्वतंत्र विज्ञान विकसित करना था जो सामाजिक एवं नैतिक प्रभावों से मुक्त हो। यह सिद्धांत विधिक व्यवस्था की आंतरिक संरचना और उसकी वैधता के तकनीकी आधार की गहन एवं तार्किक व्याख्या प्रदान करता है।

169. (A) ऐतिहासिक
सर हेनरी मेन विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के एक अत्यंत प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली विचारक स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए विभिन्न सभ्यताओं की कानूनी प्रणालियों के क्रमिक विकास का अध्ययन किया। उनका मुख्य योगदान यह रेखांकित करना था कि कानून और कानूनी संस्थाएं सामाजिक विकास की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अनिवार्य परिणाम हैं। उनका 'हैसियत से संविदा' का प्रसिद्ध सिद्धांत सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकास को समझने हेतु विधिक इतिहास के क्षेत्र में क्रांतिकारी विचार है।

170. (C) कर्तव्य
स्वामित्व, कब्जा और स्वत्व (टाइटल) तीनों अवधारणाएं प्रत्यक्षतः संपत्ति के अधिकारों और किसी वस्तु पर व्यक्ति के कानूनी नियंत्रण से संबद्ध हैं। स्वामित्व अधिकारों का एक संकुल है, कब्जा भौतिक नियंत्रण है, और स्वत्व वह आधार है जिस पर विधिक अधिकार टिके होते हैं। इसके विपरीत, 'कर्तव्य' एक व्यापक विधिक अवधारणा है जो किसी भी कानूनी संबंध में एक अनिवार्य आचरण को संदर्भित करती है। यद्यपि संपत्ति के अधिकार के साथ दूसरों का कर्तव्य संलग्न होता है, किंतु 'कर्तव्य' स्वयं संपत्ति की विधिक श्रेणी में नहीं आता है।

171. (B) कानून का एक कृत्रिम निर्माण।
विधिक व्यक्तित्व का 'कल्पना सिद्धांत', जिसका श्रेय सैविनी और सालमंड को दिया जाता है, यह मानता है कि निगम या संस्थाएं केवल कानून की दृष्टि में व्यक्ति हैं। वास्तव में उनका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व या इच्छा नहीं होती; उन्हें केवल विधिक कार्यों को सुगम बनाने हेतु कल्पित किया गया है। कानून केवल अपनी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं हेतु इन्हें अधिकार एवं कर्तव्यों का धारक स्वीकार करता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि निगमों को प्राप्त विधिक दर्जा पूर्णतः विधिक नियमों और राज्य की शक्ति का परिणाम है।

172. (A) प्रतिसोधात्मक
दंड का प्रतिसोधात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से 'अतीत' की ओर देखता है और स्वयं अपराध पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसका विश्वास है कि अपराध एक नैतिक उल्लंघन है जिसके लिए दंड देना अनिवार्य है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। यह भविष्य के सुधार या निवारण के स्थान पर अपराधी को उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म हेतु पीड़ा देने को प्राथमिकता प्रदान करता है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है कि अपराधी को दंड प्राप्त होना चाहिए क्योंकि उसने अपराध किया है, न कि समाज को सुधारने के किसी बाह्य उद्देश्य हेतु।

173. (C) द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नाजी अधिकारियों के परीक्षण
हार्ट-फुलर बहस का मुख्य उत्प्रेरक द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नूर्नबर्ग परीक्षणों और नाजी शासन के दौरान निर्मित अन्यायपूर्ण कानूनों की वैधता से संबद्ध प्रश्न थे। इस बहस ने विधिशास्त्र के एक वृहद संकट को जन्म दिया: क्या ऐसे कानूनों का अनुपालन अनिवार्य है जो नैतिक रूप से अत्यंत घृणित हों? एच.एल.ए. हार्ट ने विधिक प्रत्यक्षवाद का बचाव किया, जबकि लोन फुलर ने तर्क दिया कि कानून की वैधता हेतु न्यूनतम नैतिकता अनिवार्य है। यह विमर्श आधुनिक विधिक दर्शन हेतु अत्यंत आधारभूत एवं प्रासंगिक है।

174. (D) ग्रुण्डनॉर्म
एच.एल.ए. हार्ट के कानून के सिद्धांत में प्राथमिक नियम, माध्यमिक नियम और मान्यता का नियम जैसे महत्वपूर्ण घटक सम्मिलित हैं। ये तत्व संयुक्त होकर एक आधुनिक कानूनी प्रणाली की संरचना करते हैं। 'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक की अवधारणा हार्ट की नहीं, बल्कि हंस केल्सन की है। यद्यपि हार्ट का 'मान्यता का नियम' और केल्सन का 'ग्रुण्डनॉर्म' दोनों ही विधिक व्यवस्था को वैधता प्रदान करने का कार्य करते हैं, तथापि उनकी दार्शनिक प्रकृति और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण अंतर है। यह वर्गीकरण दोनों महान विधिशास्त्रियों को पृथक करता है।

175. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
व्यक्तिबंधी अधिकार केवल विशिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध ही प्रभावी होते हैं। हैसियत (स्टेटस) व्यक्ति की वह कानूनी स्थिति है जो समाज में उसके अधिकारों को निर्धारित करती है। कर्तव्य एक अनिवार्य विधिक कार्य है जो दूसरों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ है दूसरों के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने का विशेषाधिकार, जहाँ व्यक्ति पर कोई नकारात्मक कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह मिलान विधिक अधिकारों और दायित्वों के विभिन्न स्वरूपों की स्पष्ट एवं सटीक समझ प्रदान करता है।

176. (B) न्यायिक निर्णय लेने का परिणाम।
यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार, कानून केवल पुस्तकों में अंकित अमूर्त नियम नहीं हैं, बल्कि यह उन निर्णयों का वास्तविक परिणाम है जो न्यायाधीश अदालतों में लेते हैं। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि कानून वास्तव में वह है जो विधिक अधिकारी व्यवहार में क्रियान्वित करते हैं। उनके अनुसार, न्यायिक विवेकाधिकार, न्यायाधीशों के व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक परिस्थितियां कानून को आकार देने में नियमों से कहीं अधिक प्रभावी भूमिका निभाती हैं। यह दृष्टिकोण विधिक निश्चितता के पारंपरिक दावों को एक चुनौती प्रदान करता है।

177. (D) दूसरे की भूमि पर मार्गाधिकार का कब्जा।
अमूर्त कब्जा उन अधिकारों के कब्जे को संदर्भित करता है जो भौतिक वस्तुओं से संबंधित नहीं होते, बल्कि अमूर्त विधिक हितों से जुड़े होते हैं। दूसरे की भूमि पर मार्गाधिकार (सुखाचार) इसका एक प्रमुख उदाहरण है। यहाँ व्यक्ति के पास भूमि का प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण नहीं होता, किंतु वह उस अधिकार का निरंतर प्रयोग कर उस पर अपना विधिक कब्जा सिद्ध करता है। यह मूर्त कब्जे के विपरीत है, जहाँ भौतिक वस्तुओं पर सीधा नियंत्रण होता है। यह विधिक अवधारणा अमूर्त अधिकारों की विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

178. (A) ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर
न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि "कानून का जीवन तर्क नहीं, बल्कि अनुभव रहा है।" उनके अनुसार, कानून को केवल अमूर्त गणितीय सूत्रों की भाँति नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे समाज की वास्तविक आवश्यकताओं, प्रचलित नैतिकता और सार्वजनिक नीतियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह विचार यथार्थवादी आंदोलन का आधार बना, जिसने विधिक नियमों के यांत्रिक अनुप्रयोग के स्थान पर उनके व्यावहारिक परिणामों और ऐतिहासिक एवं सामाजिक अनुभवों के महत्व पर अत्यधिक बल दिया।

179. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
ऐतिहासिक विचारधारा के समर्थक विधायन के माध्यम से किए जाने वाले त्वरित विधिक सुधारों के प्रति अत्यंत संदेहात्मक रहे हैं। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी का मानना था कि कानून किसी विधायिका का कृत्रिम निर्माण नहीं हो सकता, बल्कि उसे लोगों की रूढ़ियों और 'वोक्सगेइस्ट' (लोक-चेतना) से स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए। उनके अनुसार, संहिताकरण कानून के इस प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है और उसे समाज की वास्तविक जड़ों से पृथक कर देता है। कानून को समाज के इतिहास का दर्पण होना चाहिए।

180. (B) विधिक व्यक्तित्व
'विधिक व्यक्तित्व' वह विधिक शब्द है जो किसी इकाई को कानून के अंतर्गत अधिकारों का स्वामी होने और कर्तव्यों का अनुपालन करने में सक्षम बनाता है। यह दर्जा प्राप्त करने के पश्चात, वह संस्था कानून की दृष्टि में एक स्वतंत्र इकाई बन जाती है। यह न केवल मनुष्यों को प्राप्त है, बल्कि कानून द्वारा निगमों, न्यासों और सरकारी निकायों को भी प्रदान किया जाता है। विधिक व्यक्तित्व के बिना, कोई भी संस्था अपने नाम पर संपत्ति धारण नहीं कर सकती और न ही किसी कानूनी विवाद में स्वायत्त रूप से भाग ले सकती है।

181. (C) कर्तव्य
होफेल्डियन विधिक संबंधों के पदानुक्रम में, 'अधिकार' और 'कर्तव्य' परस्पर विधिक सहसंबंधी हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति X के पास व्यक्ति Y के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार है, तो व्यक्ति Y पर अनिवार्य रूप से उसके अनुरूप एक कानूनी कर्तव्य अधिरोपित होता है। यदि X को 100 रुपये प्राप्त करने का विधिक अधिकार है, तो Y उसे वह राशि प्रदान करने के कर्तव्य के अधीन है। यह द्विपक्षीय संबंध विधिक अधिकारों की प्रभावशीलता और उनकी प्रवर्तनीयता का वास्तविक विधिक आधार है।

182. (D) सुधारात्मक
दंड का सुधारात्मक सिद्धांत प्रायः सर्वाधिक मानवीय माना जाता है क्योंकि यह अपराधी को दंडित करने के स्थान पर उसे सुधारने और समाज का उपयोगी अंग बनाने पर केंद्रित है। तथापि, इसकी प्रायः इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह उन आदतन अपराधियों के प्रति अप्रभावी हो सकता है जो सुधरने का आशय नहीं रखते। यह सिद्धांत मानता है कि अपराध एक सामाजिक व्याधि है जिसका उपचार शिक्षा और सहानुभूति से संभव है। किंतु सुरक्षा की दृष्टि से इसे कभी-कभी अत्यधिक उदार माना जाता है।

183. (A) न्यायिक पूर्वनिर्णय
न्यायिक पूर्वनिर्णय कानून का वह स्रोत है जो 'स्टेयर डेसिसिस' के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालयों द्वारा पिछले मामलों में लिए गए निर्णय भविष्य के समान मामलों हेतु अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी होंगे। यह व्यवस्था कानून में स्थिरता, एकरूपता और विधिक निश्चितता सुनिश्चित करती है। पूर्वनिर्णय के माध्यम से कानून का विकास न्यायाधीशों के विवेक और कानूनी सिद्धांतों की क्रमिक व्याख्या द्वारा होता है, जो सामान्य कानून प्रणालियों (कॉमन लॉ) की एक अनिवार्य और प्रमुख विशेषता है।

184. (C) तर्कशास्त्र और ज्ञानमीमांसा
महर्षि गौतम द्वारा रचित 'न्याय दर्शन' प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में तर्कशास्त्र और ज्ञानमीमांसा हेतु एक अत्यंत विस्तृत एवं सुव्यवस्थित ढांचा प्रदान करता है। यह दर्शन मुख्य रूप से इस प्रश्न का समाधान खोजता है कि यथार्थ ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाए। इसके अंतर्गत प्रमाणों, अवयवों और तर्कदोषों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। यह तार्किक विवेचन न केवल दार्शनिक विमर्श हेतु उपयोगी था, बल्कि प्राचीन विधिक प्रक्रियाओं में साक्ष्यों के मूल्यांकन और सत्य तक पहुँचने हेतु आधार भी बना।

185. (A) कानून राज्य द्वारा लागू शास्तियों द्वारा समर्थित है, जबकि नैतिकता प्रायः सामाजिक दबाव द्वारा लागू की जाती है।
कानून और नैतिकता के मध्य सर्वाधिक स्पष्ट एवं मौलिक अंतर उनके प्रवर्तन की पद्धति में निहित है। कानून राज्य की बाध्यकारी शक्ति द्वारा समर्थित होता है, जिसका उल्लंघन करने पर कारावास अथवा अर्थदंड जैसी औपचारिक शास्तियाँ (दंड) प्रदान की जाती हैं। इसके विपरीत, नैतिकता के नियमों का अनुपालन स्वैच्छिक होता है और उनका उल्लंघन करने पर केवल सामाजिक निंदा अथवा अंतरात्मा का क्लेश अनुभव होता है। कानून एक बाह्य नियंत्रण प्रणाली है, जबकि नैतिकता व्यक्ति की आंतरिक धारणाओं पर आधारित होती है।

186. (A) 'कागजी नियम' और 'वास्तविक नियम'।
प्रमुख अमेरिकी यथार्थवादी कार्ल लेवेलिन ने 'कागजी नियमों' और 'वास्तविक नियमों' के मध्य के भेद पर विशेष बल दिया। कागजी नियम वे हैं जो अधिनियमों और कानून की पुस्तकों में अंकित होते हैं। वास्तविक नियम वे हैं जिनका न्यायाधीश और विधिक अधिकारी वास्तव में व्यवहार में अनुपालन करते हैं। लेवेलिन का विश्वास था कि विधिशास्त्र को केवल पुस्तकों में अंकित सिद्धांतों के स्थान पर उन नियमों का अध्ययन करना चाहिए जो वास्तव में समाज के व्यवहार और न्यायिक परिणामों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हैं।

187. (B) किसी वस्तु पर अधिकारों का कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त समूह।
'स्वामित्व' केवल किसी वस्तु को भौतिक रूप से धारण करना नहीं है, बल्कि यह उस वस्तु पर विधिक अधिकारों का एक संपूर्ण और अनन्य संकुल है। इसमें संपत्ति का उपयोग करने, उसे अन्य को हस्तांतरित करने, विक्रय करने अथवा विनष्ट करने का अधिकार सम्मिलित है। स्वामित्व को कानून द्वारा मान्यता एवं पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। यह कब्जे से भिन्न है क्योंकि कब्जे का अर्थ केवल भौतिक नियंत्रण है, जबकि स्वामित्व एक स्थायी विधिक स्थिति है जो व्यक्ति को संपत्ति पर पूर्ण विधिक संप्रभुता प्रदान करती है।

188. (C) अपरिहार्यता सिद्धांत
विधिशास्त्र में विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु कल्पना सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत और ब्रैकेट सिद्धांत जैसे अनेक महत्वपूर्ण एवं स्थापित सिद्धांत विद्यमान हैं। कल्पना सिद्धांत इसे कानून का निर्माण मानता है, यथार्थवादी सिद्धांत इसे सामाजिक तथ्य स्वीकार करता है, और ब्रैकेट सिद्धांत इसे प्रक्रियात्मक सुविधा मानता है। तथापि, 'अपरिहार्यता सिद्धांत' विधिक व्यक्तित्व का कोई मान्यता प्राप्त अथवा स्थापित सिद्धांत नहीं है। यह वर्गीकरण निगमों की कानूनी स्थिति और उनके अधिकारों के उद्भव को समझने के विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट करता है।

189. (D) I, II और III सही हैं।
विधिशास्त्र की विभिन्न विचारधाराएं कानून की प्रकृति को भिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट करती हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा कानून के वस्तुनिष्ठ अध्ययन और उसकी वर्तमान विधिक स्थिति पर केंद्रित है। प्राकृतिक कानून विचारधारा का दृढ़ विश्वास है कि कानून की वैधता उसके अंतर्निहित नैतिक मूल्यों पर आश्रित है। समाजशास्त्रीय विचारधारा समाज पर कानून के वास्तविक प्रभाव और उसके कार्यात्मक महत्व की सूक्ष्म जांच करती है। ये तीनों कथन सत्य हैं क्योंकि वे इन विचारधाराओं की बुनियादी मान्यताओं को सटीक रुप से दर्शाते हैं।

190. (C) प्रतिसोधात्मक सिद्धांत
जब दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधी को उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म हेतु दंडित करना और समाज की प्रतिशोध की सामूहिक भावना को संतुष्ट करना होता है, तो यह 'प्रतिसोधात्मक सिद्धांत' पर आधारित होता है। यह सिद्धांत सुधार या निवारण के स्थान पर नैतिक आनुपातिकता पर बल देता है। इसका मानना है कि न्याय तभी पूर्ण होता है जब अपराधी को उसके दुष्कर्म के समतुल्य पीड़ा प्रदान की जाए। यह "जैसे को तैसा" के विचार को विधिक व्यवस्था में एक नैतिक अनिवार्यता के रुप में स्वीकार करता है।

191. (A) अनिश्चितता
एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार, 'मान्यता का नियम' एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यमिक नियम है जिसका प्राथमिक कार्य कानून की 'अनिश्चितता' के दोष का निवारण करना है। एक ऐसी प्रणाली में जहाँ केवल प्राथमिक नियम होते हैं, यह पहचानना दुष्कर होता है कि कौन सा नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी है। मान्यता का नियम उन मानदंडों को स्पष्ट करता है जिनके आधार पर विधिक नियमों की वैधता सुनिश्चित की जाती है। यह संपूर्ण कानूनी प्रणाली को स्पष्टता, आधिकारिकता और एक सुव्यवस्थित तार्किक आधार प्रदान करता है।

192. (C) समाजशास्त्रीय
यूजेन एर्लिच की 'जीवंत कानून' की अवधारणा समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र का एक आधारभूत एवं क्रांतिकारी विचार है। एर्लिच का तर्क था कि कानून का वास्तविक स्वरुप अदालती संहिताओं अथवा अधिनियमों में नहीं, बल्कि समाज के भीतर प्रचलित उन व्यवहारों और मानदंडों में पाया जाता है जो वास्तव में लोगों के आचरण को विनियमित करते हैं। उन्होंने विधिक विज्ञान को समाज की आंतरिक व्यवस्था के अध्ययन की ओर प्रवृत्त किया। यह दृष्टिकोण औपचारिक कानून और सामाजिक वास्तविकता के मध्य के अंतर्संबंधों को समझने पर केंद्रित है।

193. (A) विधि सम्मत और तथ्यतः कब्जा
एक किराए के आवास में रहने वाले किरायेदार के पास उस स्थान पर वास्तविक भौतिक नियंत्रण होता है, जिसे 'तथ्यतः कब्जा' कहा जाता है। चूंकि उसके पास मकान मालिक के साथ हुए विधिक अनुबंध के अंतर्गत वहाँ रहने का विधिक अधिकार है, इसलिए उसका कब्जा 'विधि सम्मत' भी माना जाता है। यद्यपि वह संपत्ति का स्वामी नहीं है, तथापि कानून उसके इस कब्जे को अन्य के अनधिकृत हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करता है। यह उदाहरण कब्जे और विधिक अधिकारों के मध्य के तार्किक समन्वय को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

194. (D) अधिकार - अधिकार-विहीनता
वेस्ले होफेल्ड की विधिक योजना में 'विधिक विलोम' वे अवधारणाएँ हैं जो परस्पर एक-दूसरे की अनुपस्थिति को दर्शाती हैं। 'अधिकार' का विधिक विलोम 'अधिकार-विहीनता' है। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विषय पर विधिक अधिकार है, तो वह उस विषय में अधिकार-विहीन नहीं हो सकता। इसी प्रकार, शक्ति का विलोम अशक्तता है और स्वतंत्रता का विलोम कर्तव्य है। यह सूक्ष्म वर्गीकरण विधिक अधिकारों की सीमाओं और उनकी प्रकृति को अत्यंत स्पष्टता के साथ परिभाषित करने में सहायता करता है।

195. (A) जॉन ऑस्टिन
कानून का 'आदेश सिद्धांत' सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से जॉन ऑस्टिन के साथ संबद्ध है। ऑस्टिन ने कानून को 'एक निश्चित मानव श्रेष्ठ (संप्रभु) द्वारा अपने अधीनस्थों को प्रेषित आदेश' के रूप में परिभाषित किया। इस आदेश के पीछे शास्ति या दंड की शक्ति होती है, जो व्यक्तियों को इसका अनुपालन करने हेतु विवश करती है। ऑस्टिन के अनुसार, बिना आदेश और दंड के कानून का कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिद्धांत विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद की आधारशिला है, जो कानून को नैतिकता से पूर्णतः पृथक करता है।

196. (C) नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का एक समग्र समुच्चय।
प्राचीन भारतीय चिंतन में 'धर्म' की अवधारणा आधुनिक पाश्चात्य 'कानून' की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और समावेशी है। जहाँ आधुनिक कानून मुख्य रूप से राज्य द्वारा क्रियान्वित नियमों तक सीमित है, वहीं धर्म में व्यक्ति के नैतिक कर्तव्य, सामाजिक उत्तरदायित्व, आध्यात्मिक नियम और प्राकृतिक न्याय समाहित हैं। यह जीवन व्यतीत करने के एक संपूर्ण एवं संतुलित मार्ग का प्रतिपादन करता है। धर्म का उद्देश्य न केवल विवादों का समाधान करना है, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करना है।

197. (B) कार्योत्तर कानून
'कार्योत्तर कानून' वह कानून है जो किसी कार्य के किए जाने के समय वैध होने के उपरांत भी, बाद में उसे आपराधिक घोषित कर देता है अथवा उसके लिए दंड में वृद्धि कर देता है। आधुनिक संवैधानिक प्रणालियों में, विशेष रूप से आपराधिक न्याय में, ऐसे कानूनों को प्रायः अन्यायपूर्ण और अवैध स्वीकार किया जाता है। कानून का मूलभूत सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को केवल उन्हीं नियमों हेतु दंडित किया जा सकता है जो कार्य के समय प्रभावी एवं ज्ञात थे। यह सिद्धांत विधिक न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

198. (C) हंस केल्सन
'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक हंस केल्सन द्वारा प्रतिपादित 'कानून के शुद्ध सिद्धांत' का आधारभूत स्तंभ है। केल्सन के अनुसार, संपूर्ण कानूनी व्यवस्था नियमों का एक पदानुक्रम है, जहाँ प्रत्येक नियम की वैधता एक उच्चतर मानक से प्राप्त होती है। ग्रुण्डनॉर्म वह सर्वोच्च एवं कल्पित मानक है जो इस संपूर्ण पिरामिड को वैधता और एकता प्रदान करता है। यह कानून के विज्ञान को सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक तत्वों से मुक्त कर उसे एक स्वतंत्र एवं तार्किक विधिक संरचना के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है।

199. (B) सर हेनरी मेन
"प्रगतिशील समाजों का आंदोलन अब तक हैसियत से संविदा की ओर रहा है," यह प्रसिद्ध निष्कर्ष सर हेनरी मेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मेन का विश्वास था कि प्राचीन समाजों में व्यक्ति के अधिकार और विधिक स्थिति उसके परिवार या जन्म (हैसियत) से निर्धारित होती थी। आधुनिक प्रगतिशील समाजों में, यह व्यवस्था क्रमिक रूप से स्वतंत्र व्यक्तियों के मध्य होने वाले स्वैच्छिक समझौतों और अनुबंधों (संविदा) में परिवर्तित हो गई है। यह सिद्धांत ऐतिहासिक विधिशास्त्र में सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण चरण को रेखांकित करता है।

200. (A) P-4, Q-2, R-3, S-1
रोस्को पाउंड 'सामाजिक अभियांत्रिकी' के माध्यम से समाज के विभिन्न हितों के संतुलन पर बल देते हैं। लियोन डुगुइट 'सामाजिक एकजुटता' को कानून का एकमात्र आधार और साध्य मानते हैं। यूजेन एर्लिच 'जीवंत कानून' की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो समाज में वास्तव में प्रचलित नियमों के अध्ययन पर आधारित है। रुडोल्फ वॉन इहरिंग कानून को सामाजिक हितों के संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न एक सोद्देश्यपूर्ण साधन के रूप में देखते हैं। यह मिलान समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र के विभिन्न महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करता है।

201. (D) कानून के प्राथमिक स्रोत के रूप में विधायन की इसकी पहचान।
जॉन ऑस्टिन के आदेश सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कानून को 'कानून' न मानना और संवैधानिक सीमाओं की व्याख्या करने में अक्षमता। इसकी यह भी आलोचना होती है कि यह शक्ति प्रदान करने वाले नियमों की उपेक्षा करता है। हालांकि, कानून के प्राथमिक स्रोत के रूप में विधायन की उसकी पहचान करना कोई आलोचना का विषय नहीं है, क्योंकि आधुनिक विधिक प्रणालियों में विधायन वास्तव में कानून का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और औपचारिक स्रोत माना जाता है। यह उनके सिद्धांत का सशक्त पक्ष है।

202. (A) कानूनी प्रणाली द्वारा संरक्षित भी है
विधिक अधिकार केवल एक ऐसा हित नहीं है जिसे समाज या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, बल्कि उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसे कानूनी प्रणाली द्वारा सक्रिय रूप से संरक्षित किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण होता है, तो राज्य और उसके न्यायालय उसे पुनर्स्थापित करने अथवा क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु हस्तक्षेप करते हैं। बिना विधिक संरक्षण के, अधिकार केवल एक नैतिक दावा बनकर रह जाता है जिसकी कोई व्यावहारिक प्रवर्तनीय बाध्यता नहीं होती है।

203. (C) उनका कोई विधिक व्यक्तित्व नहीं होता और उनके अधिकार या कर्तव्य नहीं हो सकते।
कानून की दृष्टि में मृत्यु के साथ ही व्यक्ति का विधिक व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। एक मृत व्यक्ति न तो किसी अधिकार का स्वामी हो सकता है और न ही उस पर कोई कानूनी कर्तव्य अधिरोपित किया जा सकता है। यद्यपि कानून उनकी वसीयत, पार्थिव शरीर के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु कुछ प्रावधान करता है, किंतु ये वास्तव में जीवित व्यक्तियों के कर्तव्य अथवा सार्वजनिक हित से संबद्ध होते हैं। मृत व्यक्ति स्वयं एक कानूनी इकाई नहीं रह जाता और उसकी संपत्ति उसकी 'संपदा' के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

204. (D) संपत्ति के स्वामियों की संख्या।
एकमात्र स्वामित्व और सह-स्वामित्व के मध्य का मुख्य अंतर संपत्ति के स्वामियों की संख्या में निहित होता है। एकमात्र स्वामित्व में, संपत्ति पर समस्त विधिक अधिकार केवल एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं। सह-स्वामित्व में, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही संपत्ति पर एक साथ विधिक अधिकार साझा करते हैं, जैसे कि संयुक्त किरायेदारी। यद्यपि उनके पास संपत्ति के उपयोग और लाभ के समान अधिकार हो सकते हैं, किंतु विधिक उत्तरदायित्व और स्वामित्व का वितरण उनके मध्य विभाजित या सामूहिक रूप से साझा होता है।

205. (C) प्रतिसोधात्मक (लेक्स टेलियोनिस)
"आंख के बदले आंख" का सूत्र दंड के प्रतिसोधात्मक सिद्धांत की सबसे प्राचीन और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, जिसे 'लेक्स टेलियोनिस' भी कहा जाता है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि दंड की मात्रा और प्रकृति बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसा अपराध कारित किया गया है। इसका उद्देश्य अपराधी को उसके द्वारा कारित क्षति के समतुल्य पीड़ा पहुँचाकर न्याय का संतुलन स्थापित करना है। यह आधुनिक विधिक प्रणालियों के विपरीत है, किंतु यह दंड के ऐतिहासिक विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है।

206. (A) सही ज्ञान (प्रमाण) की शर्तें और स्रोत।
महर्षि गौतम द्वारा स्थापित 'न्याय दर्शन' की मुख्य जांच का विषय ज्ञानमीमांसा है। यह इस प्रश्न पर केंद्रित है कि हमें यथार्थ ज्ञान (प्रमा) किस प्रकार प्राप्त होता है और उस ज्ञान की प्रामाणिकता की शर्तें क्या हैं। इसके अंतर्गत चार प्रमाणों- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द- का सविस्तार विवेचन किया गया है। यह तार्किक पद्धति सुनिश्चित करती है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने से पूर्व साक्ष्यों और तर्कों की सूक्ष्म जांच की जाए, जो विधिक सत्य की अन्वेषण प्रक्रिया हेतु एक अनिवार्य आधार प्रदान करती है।

207. (C) कानून स्पष्ट रूप से बोधगम्य होना चाहिए।
लोन फुलर के प्रक्रियात्मक प्रकृतिवाद के अनुसार, एक कानून को 'आंतरिक नैतिकता' के आठ सिद्धांतों का अनुपालन करना अनिवार्य है। इनमें से एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि कानून स्पष्ट एवं बोधगम्य होना चाहिए ताकि नागरिक उसे समझ सकें और उसके अनुरुप अपना आचरण ढाल सकें। यदि कानून अस्पष्ट अथवा समझने में दुष्कर है, तो वह प्रभावी ढंग से समाज को निर्देशित नहीं कर सकता। फुलर का विश्वास था कि कानून की प्रभावशीलता और उसकी वैधता दोनों ही इसकी संरचनात्मक स्पष्टता एवं निष्पक्षता पर निर्भर करती हैं।

208. (A) A and R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अमेरिकी यथार्थवादी आंदोलन ने इस पारंपरिक विचार को चुनौती दी कि न्यायाधीश केवल निष्पक्ष होकर विधिक नियमों के आधार पर निर्णय लेते हैं। जेरोम फ्रैंक जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत व्यक्तिपरक होती है और न्यायाधीशों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, राजनीतिक विचार और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। उनके अनुसार, विधिक नियम केवल निर्णयों को तार्किक सिद्ध करने हेतु प्रयुक्त तर्क हैं, जबकि वास्तविक निर्णय प्रक्रिया मानवीय एवं सामाजिक कारकों से प्रेरित होती है।

209. (A) पाउंड का समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र
समाज में विद्यमान विभिन्न 'हितों' के मध्य संतुलन स्थापित करना रोस्को पाउंड के समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र की मुख्य विशेषता है। पाउंड ने कानून को एक 'सामाजिक अभियांत्रिकी' के रूप में देखा, जिसका कार्य व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सामाजिक हितों के मध्य घर्षण को न्यून करना है। उनका मानना था कि कानून को समाज की अधिकतम आवश्यकताओं को न्यूनतम संघर्ष के साथ पूर्ण करना चाहिए। यह दृष्टिकोण विधिक नियमों को केवल आदेशों के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण एवं व्यवस्था प्राप्त करने के एक गतिशील साधन के रूप में देखता है।

210. (A) स्वतंत्रता (या विशेषाधिकार)
वेस्ले होफेल्ड के विधिक विश्लेषण में 'अधिकार-विहीनता' का विधिक सहसंबंधी 'स्वतंत्रता' या 'विशेषाधिकार' है। इसका तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति A के पास किसी विशिष्ट कार्य को करने की स्वतंत्रता है, तो व्यक्ति B के पास उसे रोकने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि B 'अधिकार-विहीनता' की स्थिति में है। स्वतंत्रता का अर्थ है किसी नकारात्मक कानूनी कर्तव्य का अभाव होना। यह सूक्ष्म वर्गीकरण विधिक संबंधों को अधिक स्पष्ट करता है, जहाँ एक पक्ष का लाभ दूसरे पक्ष की विधिक अक्षमता को दर्शाता है।

211. (B) निरोधात्मक सिद्धांत
दंड का निरोधात्मक सिद्धांत समाज की सुरक्षा को सर्वोपरि स्वीकार करता है। यह सिद्धांत तर्क देता है कि यदि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है और निरंतर अपराध करता है, तो उसे आजीवन कारावास प्रदान कर समाज से पूर्णतः पृथक कर देना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को भविष्य में अपराध कारित करने से भौतिक रूप से अक्षम करना है। यहाँ दंड का आधार अपराध की तात्कालिक गंभीरता के स्थान पर अपराधी द्वारा समाज को भविष्य में पहुँचाई जा सकने वाली संभावित हानि है। यह सुरक्षात्मक न्याय का एक कठोर रूप है।

212. (A) न्यायिक पूर्वनिर्णय
न्यायिक पूर्वनिर्णय कानून का वह शक्तिशाली स्रोत है जो 'स्टेयर डेसिसिस' के सिद्धांत पर पूर्णतः आश्रित है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि एक बार जब उच्च न्यायालय किसी कानूनी प्रश्न पर निर्णय ले लेता है, तो वह निर्णय भविष्य के समान मामलों हेतु एक बाध्यकारी नियम बन जाता है। यह विधिक व्यवस्था में निरंतरता और स्थिरता लाता है ताकि समान परिस्थितियों में नागरिकों के साथ समान विधिक व्यवहार सुनिश्चित हो सके। पूर्वनिर्णय के माध्यम से न्यायाधीश कानून की व्याख्या करते हैं और उसे आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करते हैं।

213. (A) स्वामित्व एक अधिकार के रूप में है बनाम कब्जा एक तथ्य के रूप में।
विधिशास्त्र में स्वामित्व और कब्जे के मध्य का मौलिक अंतर उनके विधिक स्वरूप में निहित होता है। स्वामित्व अधिकारों का एक संकुल है जिसे कानून द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो कि एक 'अधिकार' है। इसके विपरीत, कब्जा मुख्य रुप से किसी वस्तु पर वास्तविक भौतिक नियंत्रण की स्थिति है, जो कि एक 'तथ्य' है। स्वामित्व एक विधिक धारणा है जो स्थायी होती है, जबकि कब्जा अस्थायी हो सकता है। स्वामित्व व्यक्ति को वस्तु पर पूर्ण संप्रभुता प्रदान करता है, जबकि कब्जा केवल उसका प्रभावी उपयोग प्रदर्शित करता है।

214. (A) निगम का अपने सदस्यों से पृथक एक वास्तविक, जैविक अस्तित्व है।
ओटो वॉन गियरके द्वारा समर्थित विधिक व्यक्तित्व का 'यथार्थवादी सिद्धांत' यह मानता है कि निगम केवल कानून की कल्पना नहीं है, बल्कि उसका अपना एक वास्तविक और जैविक अस्तित्व होता है। उनके अनुसार, निगम व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसकी अपनी एक सामूहिक इच्छा और चेतना होती है जो उसके सदस्यों की व्यक्तिगत इच्छाओं से स्वतंत्र है। यह सिद्धांत निगम को समाज की एक जीवंत इकाई के रूप में देखता है जो स्वाभाविक रूप से कार्य करती है, न कि केवल राज्य के किसी औपचारिक आदेश अथवा अनुदान से।

215. (D) I, II और III सही हैं।
कानून और नैतिकता के अंतर्संबंधों पर विधिशास्त्र में गहन विमर्श रहा है। जॉन ऑस्टिन जैसे प्रत्यक्षवादियों ने कानून और नैतिकता के मध्य स्पष्ट विभाजन का तर्क दिया ताकि कानून का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। प्राकृतिक कानून के समर्थकों का मानना है कि नैतिकता ही कानून की वैधता का आधार है और अन्यायपूर्ण कानून बाध्यकारी नहीं होते। हार्ट-डेवलिन बहस ने इस प्रश्न को उठाया कि क्या राज्य को निजी नैतिक आचरण को विनियमित करना चाहिए। ये तीनों दृष्टिकोण आधुनिक विधिक दर्शन के वैचारिक संघर्षों को सटीक रूप से दर्शाते हैं।

216. (B) रुडोल्फ वॉन इहेरिंग
रुडोल्फ वॉन इहेरिंग ने कानून के प्रति एक सोद्देश्यवादी दृष्टिकोण अपनाया, जहाँ उन्होंने कानून को मानवीय उद्देश्यों और हितों की पूर्ति हेतु एक 'साध्य का साधन' माना। इहेरिंग के अनुसार, कानून का निर्माण समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु सोद्देश्य किए गए संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि कानून केवल ऐतिहासिक रुप से विकसित होता है। उनके लिए, कानून समाज में व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का एक सक्रिय और शक्तिशाली विधिक उपकरण है।

217. (C) अक्षमता
एच.एल.ए. हार्ट के सिद्धांत में, न्यायनिर्णयन के माध्यमिक नियम का मुख्य कार्य एक पूर्व-कानूनी समाज की 'अक्षमता' को दूर करना है। एक ऐसी प्रणाली में जहाँ केवल प्राथमिक नियम होते हैं, यह निर्धारित करने का कोई आधिकारिक मार्ग नहीं होता कि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। न्यायनिर्णयन के नियम अदालतों और अधिकारियों को विवादों को सुलझाने और दंड देने की विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करते हैं। यह नियमों के अनुप्रयोग में व्याप्त अनिश्चितता और अव्यवस्था को समाप्त कर विधिक व्यवस्था को प्रभावी बनाता है।

218. (A) प्रत्यक्षवादी विचारधारा
विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा को 'प्रत्यक्षवादी विचारधारा' के रूप में भी जाना जाता है। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि कानून वह है जो संप्रभु अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'प्रत्यक्ष' रूप से स्थापित या निर्मित किया गया है। इसका मुख्य केंद्र कानून की तार्किक संरचना, उसके विधिक स्रोतों और संप्रभु के आदेश जैसे तत्वों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। यह कानून के नैतिक अथवा ऐतिहासिक पहलुओं के स्थान पर उसकी वर्तमान विधिक स्थिति को समझने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो इसे आधुनिक विधिक विज्ञान का आधार बनाती है।

219. (D) अभिरक्षा, न कि कानूनी कब्जा
विधिक सिद्धांतों के अनुसार, यदि कोई सेवक अपने स्वामी की ओर से माल धारण करता है, तो उसके पास केवल 'अभिरक्षा' मानी जाती है, न कि पूर्ण कानूनी कब्जा। कानूनी कब्जा अभी भी स्वामी के पास ही सुरक्षित रहता है क्योंकि सेवक का वस्तु पर नियंत्रण केवल स्वामी के निर्देशों के अधीन और उसकी ओर से होता है। सेवक के पास वस्तु को अपने नाम पर अथवा अनन्य रुप से धारण करने का कोई विधिक आशय नहीं होता। यह अवधारणा स्पष्ट करती है कि भौतिक संपर्क मात्र ही कानूनी कब्जा स्थापित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।

220. (B) प्रतिसोधात्मक सिद्धांत
प्रतिसोधात्मक सिद्धांत का मूल आधार यह है कि दंड को अपराधी के दोष और पीड़ित को कारित हानि के पूर्णतः आनुपातिक होना चाहिए। यह "जैसे को तैसा" के विचार पर आधारित है, जहाँ सजा का उद्देश्य अपराधी को उसके अपराध की गंभीरता के समतुल्य पीड़ा पहुँचाना है। इसका मुख्य ध्यान भविष्य के सुधार या निवारण पर नहीं, बल्कि कारित अपराध हेतु नैतिक संतुलन स्थापित करने पर होता है। यह सिद्धांत मानता है कि सजा देना एक नैतिक अनिवार्यता है जो समाज की न्याय की सामूहिक भावना को पूर्णतः संतुष्ट करती है।

221. (C) विधिक व्यक्तित्व
विधिक व्यक्तित्व वह विधिक अवधारणा है जो किसी इकाई को कानून की दृष्टि में अधिकारों और कर्तव्यों का स्वतंत्र धारक होने की क्षमता प्रदान करती है। यह दर्जा प्राप्त करने के पश्चात, वह इकाई एक विधिक व्यक्ति बन जाती है, जो अनुबंध कर सकती है, संपत्ति धारण कर सकती है और कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यह केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानून द्वारा निगमों, न्यासों और सरकारी निकायों को भी प्रदान किया जाता है। यह आधुनिक व्यापारिक और संस्थागत संबंधों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक आवश्यक विधिक निर्माण है।

222. (B) P-2, Q-4, R-3, S-1
न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने कानून को अदालतों के वास्तविक कार्यों के पूर्वानुमान के रूप में परिभाषित किया। सर हेनरी मेन ने प्रगतिशील समाजों के विकास को 'हैसियत से संविदा' की ओर गतिमान बताया। रोस्को पाउंड 'सामाजिक अभियांत्रिकी' के माध्यम से समाज के विभिन्न हितों के संतुलन पर विशेष बल देते हैं। जॉन ऑस्टिन ने कानून को संप्रभु के आदेश और शास्ति के रूप में विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया। यह मिलान विधिशास्त्र के विभिन्न दृष्टिकोणों और उनके प्रमुख प्रस्तावकों के ऐतिहासिक योगदानों को सटीक रूप से जोड़ता है।

223. (A) दायित्व
वेस्ले होफेल्ड के विधिक विश्लेषण में 'उन्मुक्ति' का विधिक विलोम 'दायित्व' (लायबिलिटी) है। उन्मुक्ति का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी व्यक्ति के विधिक संबंध दूसरे की कानूनी शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते। इसके विपरीत, दायित्व का तात्पर्य है कि व्यक्ति के विधिक अधिकार या संबंध दूसरे पक्ष की शक्ति के प्रयोग से परिवर्तित किए जा सकते हैं। यदि किसी के पास उन्मुक्ति है, तो वह उस संदर्भ में दायित्व से मुक्त माना जाता है। यह वर्गीकरण विधिक सुरक्षा और अधिकारों की सीमाओं को सूक्ष्मता से परिभाषित करता है।

224. (B) यह समय से पूर्व कानून के स्वाभाविक विकास को बाधित कर देता है।
विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा, विशेष रूप से सैविनी के अनुसार, कानून किसी राष्ट्र की लोक-चेतना (वोक्सगेइस्ट) से क्रमिक रूप से विकसित होता है। संहिताकरण का मुख्य विरोध इस आधार पर किया गया कि यह विकास की इस प्राकृतिक प्रक्रिया को एक निश्चित कालखंड पर स्थिर कर देता है। सैविनी का विश्वास था कि समय से पूर्व संहिताकरण कानून को समाज की परिवर्तनशील जरूरतों के प्रति कठोर बना देता है और उसके जैविक विकास को अवरुद्ध करता है। उनके अनुसार, कानून को परिपक्व होने हेतु ऐतिहासिक निरंतरता आवश्यक है।

225. (A) न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स, जूनियर
न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होम्स ने 'दुष्ट व्यक्ति' (बैड मैन) का सिद्धांत प्रस्तुत किया ताकि कानून को पूर्णतः उसके व्यावहारिक परिणामों के आधार पर समझा जा सके। होम्स के अनुसार, कानून को समझने हेतु हमें उसे उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना चाहिए जिसे केवल सजा और अदालती परिणामों की चिंता है, न कि किन्हीं अमूर्त नैतिक सिद्धांतों की। यह दृष्टिकोण विधिक नियमों के स्थान पर कानून के वास्तविक प्रवर्तन और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है, जो यथार्थवादी विधिशास्त्र की एक प्रमुख और आधारभूत विशेषता मानी जाती है।

226. (C) साक्षात इंद्रिय बोध
न्याय दर्शन में 'प्रत्यक्ष' ज्ञान का वह स्रोत है जो इंद्रियों और बाह्य वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क से प्राप्त होता है। महर्षि गौतम के अनुसार, यह ज्ञान भ्रांति रहित और पूर्णतः निश्चित होना चाहिए। प्रत्यक्ष के माध्यम से हम विश्व का वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं, जो समस्त ज्ञान का आधार माना जाता है। विधिक प्रक्रिया में भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रेणी में रखा जाता है, जिसे सत्य की पुष्टि हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय और प्राथमिक आधार माना जाता है। यह साक्ष्य के मूल्यांकन में निर्णायक भूमिका निभाता है।

227. (B) सार्वजनिक नीति या वैधानिक कानून के विपरीत न होना।
किसी रुढ़ि को कानून के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु यह अनिवार्य है कि वह स्थापित सार्वजनिक नीति अथवा किसी विद्यमान वैधानिक कानून के विरुद्ध न हो। कानून ऐसी रुढ़ियों को स्वीकार नहीं करता जो अनैतिक हों अथवा समाज के मौलिक सिद्धांतों को क्षति पहुँचाती हों। इसके अतिरिक्त, एक मान्य रुढ़ि को प्राचीन, निश्चित, उचित और समाज द्वारा निरंतर अनुपालन की जाने वाली होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वे ही सामाजिक प्रथाएं कानून बनें जो समाज के वर्तमान मूल्यों और कानूनी ढांचे के साथ सुसंगत हों।

228. (A) अधिकार दूसरे व्यक्ति पर संबंधित कर्तव्य अधिरोपित करता है, जबकि स्वतंत्रता नहीं।
होफेल्डियन विश्लेषण के अनुसार, 'कानूनी अधिकार' का अर्थ है दूसरे व्यक्ति पर एक संबंधित कर्तव्य का होना, जो अधिकार धारक के प्रति विधिक रूप से बाध्यकारी है। इसके विपरीत, 'स्वतंत्रता' (विशेषाधिकार) का अर्थ केवल किसी कानूनी कर्तव्य की अनुपस्थिति है; यहाँ दूसरे व्यक्ति पर कोई सकारात्मक कर्तव्य नहीं होता, बल्कि उनके पास उस विशिष्ट कार्य को रोकने का 'अधिकार' नहीं होता। अधिकार दूसरों से कुछ प्राप्त करने का विधिक दावा है, जबकि स्वतंत्रता बिना किसी विधिक बाधा के कार्य करने की अपनी व्यक्तिगत स्थिति है।

229. (D) ब्रैकेट सिद्धांत
विधिक व्यक्तित्व का 'ब्रैकेट सिद्धांत' यह स्वीकार करता है कि निगम वास्तव में उसके सदस्यों का ही एक समूह है, और निगम का नाम केवल उन्हें संयुक्त रखने हेतु एक विधिक "कोष्ठक" के समान है। इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकार और कर्तव्य अंततः वास्तविक व्यक्तियों के ही होते हैं, किंतु कानूनी कार्यों की सुविधा हेतु उन्हें एक काल्पनिक इकाई के रूप में देखा जाता है। यह निगम के पूर्णतः स्वतंत्र व्यक्तित्व को अस्वीकार करते हुए उसे केवल एक प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक विधिक युक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

230. (C) सुधारात्मक सिद्धांत
दंड का सुधारात्मक सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि अपराधी को समाज का एक उपयोगी अंग बनाने हेतु उसे शिक्षित और पुनर्वासित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत अपराध को एक सामाजिक व्याधि स्वीकार करता है जिसका उपचार सहानुभूति, प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से संभव है। इसका साध्य अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि उसके चरित्र और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है ताकि वह भविष्य में अपराध मुक्त जीवन व्यतीत कर सके। यह जेलों को केवल सजा का स्थान नहीं, बल्कि सुधार केंद्रों के रूप में देखता है।

231. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
कानूनी प्रत्यक्षवादियों का मुख्य तर्क है कि कानून की वैधता उसके स्रोत और निर्माण की विधिक प्रक्रिया से निर्धारित होती है, न कि उसकी नैतिक सामग्री से। उनके अनुसार, कानून और नैतिकता दो पृथक क्षेत्र हैं। एक कानून कानूनी रूप से पूर्णतः वैध और बाध्यकारी हो सकता है, भले ही वह समाज के नैतिक मूल्यों के विपरीत हो अथवा उसे 'अन्यायपूर्ण' माना जाए। यह दृष्टिकोण कानून के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन हेतु दोनों के मध्य स्पष्ट पृथक्करण को आवश्यक मानता है ताकि विधिक निश्चितता और स्थिरता बनी रहे।

232. (C) केवल एक निर्दिष्ट भविष्य की घटना के घटित होने पर प्रभावी होता है।
'आकस्मिक स्वामित्व' वह विधिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति के पास संपत्ति पर वर्तमान में पूर्ण अधिकार नहीं होते, बल्कि उसका स्वामित्व एक भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित होता है। जब तक वह विशिष्ट शर्त पूर्ण नहीं होती, स्वामी का हित केवल एक संभावना के रूप में बना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि संपत्ति केवल स्नातक होने की शर्त पर प्रदान की जाती है, तो वह आकस्मिक स्वामित्व है। यह निहित स्वामित्व के विपरीत है जहाँ अधिकारों का हस्तांतरण तात्कालिक और बिना किसी शर्त के प्रभावी हो जाता है।

233. (C) समाजशास्त्र, नैतिकता और राजनीति जैसे सभी गैर-कानूनी तत्वों से
हंस केल्सन ने 'कानून के शुद्ध सिद्धांत' को 'शुद्ध' इसलिए कहा क्योंकि वे कानून के अध्ययन को समाजशास्त्र, राजनीति, इतिहास और नैतिकता जैसे समस्त बाह्य प्रभावों से पूर्णतः मुक्त करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कानून का विज्ञान केवल विधिक मानकों के पदानुक्रम और उनकी तार्किक संरचना पर केंद्रित होना चाहिए। केल्सन के अनुसार, कानून का अध्ययन इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कानून क्यों निर्मित किया गया, बल्कि केवल इस पर कि विधिक नियम अपनी विधिक वैधता किस प्रकार प्राप्त करते हैं।

234. (C) कार्य करने या कार्य करने से विरत रहने का दायित्व अधिरोपित करना।
कानून की दृष्टि में 'कर्तव्य' एक ऐसी विधिक अनिवार्यता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को कोई विशिष्ट कार्य संपन्न करना होता है अथवा किसी कार्य को करने से वर्जित रहना होता है। कर्तव्य सदैव एक विधिक अधिकार के अनुरूप होता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे के कर्तव्य पर आश्रित है। यदि कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्य का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उसे राज्य द्वारा दंडित किया जा सकता है। कर्तव्यों का मुख्य कार्य समाज में सुव्यवस्था बनाए रखना और दूसरों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

235. (C) क्रियाशील कानून और समाज के साथ उसके संबंध।
विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि कानून समाज में वास्तव में किस प्रकार कार्य करता है और उसका सामाजिक संस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह विचारधारा कानून को सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण का एक सशक्त साधन मानती है। इसके समर्थक केवल पुस्तकों में अंकित नियमों के स्थान पर 'क्रियाशील कानून' के अध्ययन पर बल देते हैं। इसमें इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि सामाजिक आवश्यकताएं कानून को किस प्रकार आकार प्रदान करती हैं और कानून कैसे सामाजिक संतुलन स्थापित करता है।

236. (C) भौतिक नियंत्रण (कॉर्पस) और कब्जा करने का आशय (एनिमस) दोनों।
विधिक रूप से कब्जा स्थापित करने हेतु दो मूलभूत तत्वों का संयुक्त रूप से होना अनिवार्य माना जाता है। प्रथम है 'कॉर्पस पोसिशनिस', जो किसी वस्तु पर व्यक्ति का वास्तविक और प्रभावी भौतिक नियंत्रण है। द्वितीय है 'एनिमस पोसिडेन्डी', जिसका अर्थ है उस वस्तु को अनन्य रूप से अपने पास रखने और दूसरों को उसके उपयोग से वर्जित करने का मानसिक इरादा। बिना इन दोनों तत्वों के, कब्जे को कानून की दृष्टि में पूर्ण नहीं माना जाता। यह विधिक अवधारणा संपत्ति के अधिकारों और विधिक सुरक्षा का आधार है।

237. (B) मानव निर्मित कानून को न्याय और तर्क के उच्च सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
प्राकृतिक कानून विचारधारा का मूल केंद्र यह विश्वास है कि मानवीय तर्क एवं विवेक पर आधारित न्याय के कुछ सार्वभौमिक और स्थायी सिद्धांत विद्यमान हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य द्वारा निर्मित कोई भी कानून तभी पूर्णतः वैध और बाध्यकारी है जब वह इन उच्च नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप हो। यदि कोई कानून न्याय और मानवीय गरिमा का उल्लंघन करता है, तो उसे वास्तविक कानून नहीं माना जा सकता। यह विचारधारा कानून को केवल राज्य की शक्ति नहीं, बल्कि नैतिकता की शाश्वत अभिव्यक्ति के रूप में देखती है।

238. (B) केवल I और II
कानूनी कब्जा स्थापित करने हेतु विधिशास्त्र में मुख्य रूप से दो तत्वों को अनिवार्य माना गया है: 'कॉर्पस पोसिशनिस' (भौतिक नियंत्रण) और 'एनिमस पोसिडेन्डी' (कब्जा करने का मानसिक इरादा)। यद्यपि एक विधिक स्वत्व स्वामित्व सिद्ध करने हेतु आवश्यक हो सकता है, किंतु 'कब्जे' की स्थिति मात्र इन दो तत्वों की उपस्थिति से ही निर्धारित हो जाती है। यह संभव है कि किसी के पास विलेख के बिना भी कब्जा हो (जैसे कोई

प्राप्तकर्ता) अथवा कब्जे के बिना विलेख हो। अतः, कब्जे हेतु भौतिक नियंत्रण और आशय ही प्राथमिक तत्व हैं।

239. (C) प्रतिसोधात्मक
'लेक्स टेलियोनिस' या प्रतिशोध का कानून दंड के प्रतिसोधात्मक सिद्धांत से प्रगाढ़ता से जुड़ी एक ऐतिहासिक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि अपराधी को बिल्कुल वैसी ही क्षति पहुँचाई जानी चाहिए जैसी उसने पीड़ित को पहुँचाई है, जिसे प्रायः "आंख के बदले आंख" के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह सिद्धांत मानता है कि न्याय तभी सुनिश्चित होता है जब सजा अपराध की प्रकृति और गंभीरता के पूर्णतः समतुल्य हो। यद्यपि आधुनिक प्रणालियों में इसे अनुचित माना जाता है, किंतु यह प्रतिसोधात्मक न्याय के मूल विचार को प्रदर्शित करता है।

240. (A) संपत्ति का स्वामित्व धारण करने में सक्षम एक विधिक व्यक्ति।
भारतीय विधिक प्रणाली में, एक हिंदू मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति को एक 'विधिक व्यक्ति' के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका तात्पर्य है कि मूर्ति अपने नाम पर संपत्ति धारण कर सकती है, दान स्वीकार कर सकती है और न्यायालयों में वाद दायर कर सकती है अथवा उस पर वाद चलाया जा सकता है। यद्यपि मूर्ति स्वयं भौतिक कार्य नहीं कर सकती, उसका प्रतिनिधित्व एक प्रबंधक अथवा पुजारी द्वारा किया जाता है। यह विधिक दर्जा धार्मिक संस्थानों की संपत्ति और उनके हितों की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रदान किया गया है।

241. (B) वे मूल जिनसे कानून अपनी कानूनी शक्ति और वैधता प्राप्त करते हैं।
विधिशास्त्र में 'कानून के स्रोत' शब्द उन मूल आधारों को संदर्भित करता है जहाँ से विधिक नियम अपनी बाध्यकारी शक्ति और विधिक वैधता प्राप्त करते हैं। इनमें मुख्य रूप से विधान (विधायिका द्वारा निर्मित), न्यायिक पूर्वनिर्णय (अदालती निर्णय) और रूढ़ियाँ (स्थापित सामाजिक प्रथाएँ) सम्मिलित हैं। इन स्रोतों के बिना, कोई भी नियम केवल एक सुझाव अथवा नैतिक परामर्श मात्र रह जाता है। कानून के स्रोतों को समझना विधिक प्रणाली की संरचना, उसकी प्रभावशीलता और नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु अत्यंत अनिवार्य माना जाता है।

242. (A) किसी राष्ट्र के लोगों की भावना और चेतना से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।
सैविनी द्वारा प्रतिपादित 'वोक्सगेइस्ट' सिद्धांत का मुख्य तर्क है कि कानून राष्ट्र के लोगों की सामूहिक भावना और चेतना का प्रतिबिंब है। उनके अनुसार, कानून का निर्माण कृत्रिम रूप से नहीं किया जाता, बल्कि यह भाषा और संस्कृति की भाँति इतिहास के प्रवाह में क्रमिक रूप से विकसित होता है। कानून की जड़ें समाज की परंपराओं और लोक-विश्वासों में गहराई से निहित होती हैं। अतः, किसी भी विधिक व्यवस्था को प्रभावी होने हेतु उस समाज की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों के साथ पूर्णतः सुसंगत होना अनिवार्य है।

243. (C) संयुक्त राज्य अमेरिका
विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के विधिक वातावरण में विकसित हुई। ओलिवर वेंडेल होम्स, कार्ल लेवेलिन और जेरोम फ्रैंक जैसे अमेरिकी विचारकों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कानून को केवल पुस्तकीय नियमों के स्थान पर अदालतों के वास्तविक व्यवहार और सामाजिक वास्तविकता के माध्यम से समझा जाना चाहिए। यह विचारधारा अमेरिकी विधिक प्रणाली के व्यावहारिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण को गहराई से प्रतिबिंबित करती है।

244. (B) सर्वबंधी अधिकार
वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को संपूर्ण विश्व या समुदाय के विरुद्ध प्राप्त होता है, उसे 'सर्वबंधी अधिकार' कहा जाता है। इसका अर्थ है कि विश्व के समस्त व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे इस अधिकार में हस्तक्षेप न करें। संपत्ति का अधिकार इसका सर्वाधिक स्पष्ट उदाहरण है। इसके विपरीत, 'व्यक्तिबंधी अधिकार' केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध ही प्रभावी होता है। सर्वबंधी अधिकार व्यक्ति को व्यापक विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं जो समाज में शांति और अधिकारों की स्थिरता बनाए रखने हेतु अपरिहार्य है।

245. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
विधिशास्त्र की विभिन्न विचारधाराएं कानून की प्रकृति को भिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट करती हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा कानून को संप्रभु के आदेश के रूप में देखती है। ऐतिहासिक विचारधारा का मानना है कि कानून खोजा जाता है, बनाया नहीं जाता, जो लोक-चेतना पर आधारित है। समाजशास्त्रीय विचारधारा कानून को एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना मानती है जिसका कार्य समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। प्राकृतिक कानून विचारधारा का दृढ़ विश्वास है कि कानून और नैतिकता परस्पर अविभाज्य हैं। यह मिलान विधिक दर्शन के मूलभूत स्तंभों को स्पष्ट करता है।

246. (A) मेन्स रिया
आपराधिक दायित्व निर्धारित करने हेतु 'मेन्स रिया' या दोषी मन एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्व है। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को केवल उसके भौतिक कार्य हेतु दंडित नहीं किया जा सकता, बल्कि उस कार्य के पीछे उसके इरादे, लापरवाही अथवा ज्ञान की भी सूक्ष्म जांच की जानी चाहिए। यदि कोई कार्य अनजाने में अथवा बिना किसी दुर्भावना के किया गया है, तो सामान्यतः उसे अपराध नहीं माना जाता। यह विधिक सिद्धांत न्याय सुनिश्चित करता है और दंड को व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दोष की गंभीरता से संबद्ध करता है।

247. (C) दंड का भय उत्पन्न करके अपराध को रोकना।
दंड के निवारक सिद्धांत का प्राथमिक सामाजिक साध्य समाज में अपराधों की रोकथाम करना है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि संभावित अपराधियों के मन में दंड का भय उत्पन्न कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोका जा सकता है। इसमें अपराधी को प्रदान की जाने वाली सजा एक सार्वजनिक

चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यहाँ सजा का मुख्य लक्ष्य केवल अपराधी को सुधारना नहीं, बल्कि संपूर्ण समुदाय हेतु एक उदाहरण प्रस्तुत करना है ताकि कानून का सम्मान और सामाजिक व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे।

248. (B) एच.एल.ए. हार्ट
'प्राथमिक नियमों' और 'माध्यमिक नियमों' के मध्य का भेद एच.एल.ए. हार्ट का विधिशास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनके अनुसार, प्राथमिक नियम प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आचरण को विनियमित करते हैं और कर्तव्य अधिरोपित करते हैं। माध्यमिक नियम वे होते हैं जो कानून को पहचानने, परिवर्तित करने अथवा विवादों को सुलझाने की विधिक शक्ति प्रदान करते हैं। हार्ट ने तर्क दिया कि इन दोनों प्रकार के नियमों का समन्वय ही एक आधुनिक और परिष्कृत कानूनी प्रणाली का वास्तविक आधार है।

249. (C) इहरिंग
कॉर्पोरेट व्यक्तित्व का 'ब्रैकेट सिद्धांत' मुख्य रूप से रुडोल्फ वॉन इहेरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इहेरिंग ने तर्क दिया कि निगम केवल एक नाम या 'ब्रैकेट' है जिसका उपयोग कानून द्वारा उसके पीछे विद्यमान वास्तविक व्यक्तियों के समूह के साथ सुगमता से व्यवहार करने हेतु किया जाता है। उनके अनुसार, अधिकार और कर्तव्य अंततः वास्तविक मनुष्यों के ही होते हैं, किंतु विधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु उन्हें एक काल्पनिक इकाई के रूप में देखा जाता है। यह सिद्धांत निगम के स्वतंत्र अस्तित्व को एक सुविधाजनक विधिक युक्ति स्वीकार करता है।

250. (A) रोस्को पाउंड
रोस्को पाउंड विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा के एक अत्यंत प्रतिष्ठित विचारक हैं जिन्होंने 'सामाजिक अभियांत्रिकी' की प्रसिद्ध अवधारणा प्रस्तुत की। पाउंड के अनुसार, कानून का मुख्य कार्य समाज में विद्यमान प्रतिस्पर्धी व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सामाजिक हितों के मध्य न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करना है। उन्होंने कानून को समाज की अधिकतम आवश्यकताओं को न्यूनतम संघर्ष एवं अपव्यय के साथ पूर्ण करने का एक प्रभावी उपकरण माना। यह दृष्टिकोण कानून को सामाजिक कल्याण एवं प्रगति प्राप्त करने के एक गतिशील साधन के रूप में देखता है।

251. (A) आचरण के मार्गदर्शन के रूप में 'धर्म' की समग्र अवधारणा।
प्राचीन विधिक प्रणालियों, विशेष रूप से भारतीय परंपरा में, 'धर्म' की अवधारणा ने विधिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया है। धर्म केवल नियमों का संकलन नहीं था, बल्कि यह कर्तव्य, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत आचरण का एक समग्र मार्गदर्शक था। इसने इस विचार पर बल दिया कि कानून को न्याय एवं ब्रह्मांडीय व्यवस्था के उच्च सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। यह दृष्टिकोण आधुनिक कानून की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और सामाजिक कल्याण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया था।

252. (A) एक पूर्वव्यापी कानून
एक पूर्वव्यापी या रेट्रोस्पेक्टिव कानून वह होता है जो अपनी प्रभावी तिथि से पूर्व किए गए कार्यों पर लागू होता है। यदि आज कोई नवीन नियम निर्मित कर कल किए गए किसी वैध कार्य को अपराध घोषित कर दिया जाए, तो वह पूर्वव्यापी कानून का उदाहरण होगा। सामान्यतः, न्याय के सिद्धांतों और विधिक निश्चितता के आधार पर, विशेष रूप से आपराधिक मामलों में, ऐसे कानूनों को अनुचित माना जाता है। कानून का आदर्श स्वरूप भविष्यलक्षी होना चाहिए ताकि नागरिकों को अपने आचरण के संभावित विधिक परिणामों की जानकारी पूर्व में ही हो सके।

253. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
रोस्को पाउंड ने विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत 'सामाजिक अभियांत्रिकी' का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य सदैव हितों का टकराव विद्यमान रहता है। कानून का मुख्य कार्य एक कुशल अभियंता की भाँति इन परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। इसका साध्य समाज में न्यूनतम घर्षण के साथ अधिकतम सामाजिक संतुष्टि और शांति प्राप्त करना है। यह दृष्टिकोण कानून को सामाजिक व्यवस्था एवं विकास के एक सक्रिय और गतिशील उपकरण के रूप में देखता है।

254. (B) कब्जा अपने आप में एक अधिकार है।
विधिशास्त्र में कब्जा केवल एक तथ्यात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि इसे अपने आप में एक विधिक अधिकार माना जाता है। यद्यपि किसी के पास स्वामित्व न हो, तथापि कब्जे की स्थिति उसे अनधिकृत हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक कि स्वामी भी किरायेदार को बिना उचित विधिक प्रक्रिया के बेदखल नहीं कर सकता। यह अवधारणा समाज में शांति बनाए रखने और नागरिकों को अपने अधिकारों को स्वयं लागू करने से रोकने हेतु विकसित की गई है, जो कानून के शासन का अनिवार्य आधार है।

255. (A) अशक्तता
वेस्ले होफेल्ड के विधिक विश्लेषण में 'शक्ति' का विधिक विलोम 'अशक्तता' है। शक्ति का अर्थ है दूसरे के कानूनी संबंधों को परिवर्तित करने की कानूनी क्षमता, जैसे अनुबंध करने अथवा संपत्ति विक्रय का अधिकार। इसके विपरीत, अशक्तता का अर्थ है ऐसी किसी भी विधिक क्षमता का पूर्ण अभाव होना। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी विशिष्ट कानूनी परिणाम को उत्पन्न करने की विधिक शक्ति नहीं है, तो वह उस संदर्भ में अशक्त माना जाता है। यह वर्गीकरण विधिक अधिकारों और क्षमताओं की सटीक समझ विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।

256. (B) निवारक सिद्धांत
दंड का निवारक सिद्धांत भविष्य के आचरण पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को पुनः अपराध कारित करने से रोकना और समाज के अन्य सदस्यों के मन में दंड का भय उत्पन्न करना है ताकि वे अपराध करने का

साहस न करें। यह अपराधी और समाज दोनों हेतु एक प्रभावी संदेश के रूप में कार्य करता है। यह सिद्धांत अतीत के प्रतिशोध के स्थान पर भविष्य की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को सर्वोपरि स्वीकार करता है। यह दंड को अपराधों के विरुद्ध एक सशक्त मनोवैज्ञानिक अवरोधक के रूप में प्रयुक्त करता है।

257. (D) राज्य से अनुदान या रियायत से।
विधिक व्यक्तित्व का 'रियायत सिद्धांत' यह मानता है कि निगम या संस्थाएं स्वतः कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखतीं। उन्हें विधिक व्यक्ति का दर्जा केवल तभी प्राप्त होता है जब राज्य अपनी संप्रभु शक्ति के माध्यम से उन्हें यह मान्यता प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य ही एकमात्र स्रोत है जो कृत्रिम इकाइयों को अधिकार और कर्तव्यों का धारक बना सकता है। यह दृष्टिकोण राज्य की सर्वोच्चता और कानून के निर्माण में उसकी केंद्रीय भूमिका पर बल देता है, जहाँ विधिक व्यक्तित्व एक राजकीय अनुदान या विशेषाधिकार है।

258. (C) रूढ़ि कानून का एक स्रोत है जो संप्रभु की इच्छा से उदित होता है।
कानून के स्रोतों के संबंध में यह कथन त्रुटिपूर्ण है कि रूढ़ि संप्रभु की इच्छा से उदित होती है। वास्तव में, रूढ़ि समाज के भीतर सुदीर्घ काल से चले आ रहे सामान्य व्यवहार और सामूहिक स्वीकृति से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यद्यपि संप्रभु अथवा राज्य कालांतर में इसे कानूनी मान्यता प्रदान कर सकता है, किंतु इसका मूल स्रोत सामाजिक अभ्यास और लोक-चेतना है, न कि संप्रभु का कोई आदेश। अन्य विकल्प सत्य हैं क्योंकि विधायन, पूर्वनिर्णय और समझौते आधुनिक कानूनी प्रणालियों में कानून के वास्तविक स्रोत माने जाते हैं।

259. (B) तर्क या नैतिकता पर आधारित एक उच्चतर कानून।
प्राकृतिक कानून विचारधारा का केंद्रीय सिद्धांत यह विश्वास है कि मानवीय नियमों से ऊपर एक उच्चतर, सार्वभौमिक और शाश्वत कानून विद्यमान है। यह उच्चतर कानून मानवीय तर्क, विवेक और प्रकृति के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विचारधारा के समर्थकों के अनुसार, कोई भी मानवीय कानून तभी न्यायपूर्ण और बाध्यकारी है जब वह इन उच्चतर नैतिक मापदंडों के अनुरूप हो। यह दृष्टिकोण कानून को केवल राज्य की शक्ति नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और नैतिकता की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है जो देश और काल की सीमाओं से परे है।

260. (A) यथार्थवादी विचारधारा
विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा यह स्वीकार करती है कि कानून केवल वह नहीं है जो पुस्तकों अथवा संहिताओं में अंकित है, बल्कि वह है जो विधिक अधिकारी और न्यायाधीश विवादों के दौरान वास्तव में करते हैं। उनके अनुसार, कानून का वास्तविक स्वरूप अदालती निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से परिलक्षित होता है। यह विचारधारा विधिक निश्चितता के दावों के प्रति संशयवादी है और कानून के व्यावहारिक एवं सामाजिक प्रभावों के अध्ययन पर बल देती है। उनके लिए, न्यायिक विवेकाधिकार ही कानून के निर्माण का वास्तविक एवं जीवंत स्थल है।

261. (B) II और III सही हैं।
विधिक व्यक्तित्व केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है; कानून निगमों, न्यासों और सरकारी निकायों को भी विधिक व्यक्ति स्वीकार करता है। विधिक व्यक्तित्व का तात्पर्य ही यह है कि वह इकाई विधिक अधिकारों को धारण करने और कर्तव्यों का अनुपालन करने में सक्षम है। अतः प्रथम कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि 'व्यक्ति' की कानूनी परिभाषा प्राकृतिक मनुष्यों से कहीं अधिक विस्तृत है। यह विधिक अवधारणा आधुनिक समाज में सामूहिक संस्थाओं को कानूनी रूप से कार्य करने और अपनी जिम्मेदारियाँ निर्वहन करने हेतु एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती है।

262. (A) लियोन डुगुइट
लियोन डुगुइट ने 'सामाजिक एकजुटता' का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे उन्होंने कानून का आधारभूत स्तंभ माना। डुगुइट के अनुसार, आधुनिक समाज में व्यक्ति परस्पर अपनी आवश्यकताओं हेतु निर्भर हैं, और कानून का मुख्य कार्य इस सामाजिक अन्योन्याश्रितता को सुदृढ़ करना है। उन्होंने संप्रभुता के पारंपरिक विचार को अस्वीकार किया और तर्क दिया कि कानून की वैधता केवल तभी है जब वह समाज के सदस्यों के मध्य सहयोग और एकजुटता को प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र में कानून का कार्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

263. (B) एनिमस पोसिडेन्डी
कब्जे की विधिक अवधारणा हेतु मानसिक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे 'एनिमस पोसिडेन्डी' कहा जाता है। इसका अर्थ है किसी वस्तु को अनन्य रूप से अपने नियंत्रण में रखने और दूसरों को उसके उपयोग से वंचित करने का स्पष्ट विधिक इरादा। केवल भौतिक नियंत्रण पर्याप्त नहीं है; जब तक उसे धारण करने का यह मानसिक संकल्प विद्यमान नहीं होता, उसे कानून की दृष्टि में पूर्ण कब्जा नहीं माना जाता। यह तत्व कब्जे को मात्र अस्थायी अभिरक्षा से पृथक करता है और व्यक्ति को विधिक सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करता है।

264. (C) प्रतिसोधात्मक सिद्धांत
दंड का प्रतिसोधात्मक सिद्धांत इस विचार पर केंद्रित है कि अपराधी को उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म हेतु दंडित किया जाना न्याय की एक नैतिक अनिवार्यता है। यह सिद्धांत "जैसे को तैसा" की धारणा पर आधारित है, जहाँ सजा का साध्य अपराधी को उसके अपराध की गंभीरता के समतुल्य पीड़ा पहुँचाना है। इसका मुख्य लक्ष्य भविष्य का सुधार अथवा निवारण नहीं, बल्कि किए गए अपराध हेतु आनुपातिक सजा के माध्यम से नैतिक संतुलन स्थापित करना और समाज की न्याय की सामूहिक भावना को पूर्णतः संतुष्ट करना है।

265. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
सैविनी ने लोक-चेतना या वोक्सगेइस्ट की अवधारणा प्रस्तुत की। एच.एल.ए. हार्ट ने मान्यता के नियम को कानून की विधिक वैधता का आधार माना। रोस्को पाउंड ने सामाजिक अभियांत्रिकी के माध्यम से हितों के संतुलन पर बल दिया। हंस केल्सन ने ग्रुण्डनॉर्म या मूल मानक का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो

संपूर्ण विधिक व्यवस्था को शक्ति प्रदान करता है। यह मिलान विधिशास्त्र की विभिन्न महत्वपूर्ण विचारधाराओं और उनके प्रमुख विचारकों के मध्य के प्रगाढ़ संबंधों को स्पष्ट करता है, जो आधुनिक कानूनी चिंतन की आधारशिला हैं।

266. (B) आकस्मिक अधिकार
एक आकस्मिक अधिकार (कंटीन्जेंट राइट) वह अधिकार है जिसका अस्तित्व किसी अनिश्चित भविष्य की घटना के घटित होने पर आश्रित होता है। जब तक वह विशिष्ट शर्त पूर्ण नहीं होती, अधिकार धारक के पास केवल एक संभावना अथवा हित होता है, पूर्ण कानूनी अधिकार नहीं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को संपत्ति केवल विवाह करने की पूर्व शर्त पर प्रदान की जाती है, तो वह एक आकस्मिक अधिकार है। यह निहित अधिकार के विपरीत है, जहाँ अधिकार का हस्तांतरण तात्कालिक, पूर्ण और बिना किसी बाह्य शर्त के प्रभावी हो जाता है।

267. (C) नैतिकता
हार्ट-डेवलिन बहस 20वीं शताब्दी के मध्य में संपन्न हुई एक विख्यात विधिक बहस थी जो नैतिकता के कानूनी प्रवर्तन पर केंद्रित थी। लॉर्ड डेवलिन ने तर्क दिया कि समाज के साझा नैतिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने हेतु कानून का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि नैतिक पतन समाज के विघटन का कारण बन सकता है। इसके विपरीत, प्रोफेसर हार्ट ने तर्क दिया कि निजी अनैतिकता को तब तक दंडित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह दूसरों को प्रत्यक्ष हानि न पहुँचाए। यह बहस व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता के संघर्ष को समझने हेतु महत्वपूर्ण है।

268. (A) जॉन ऑस्टिन
जॉन ऑस्टिन विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र के एक प्रमुख विचारक थे जिन्होंने कानून 'जैसा है' (सकारात्मक कानून) और कानून 'जैसा होना चाहिए' (नैतिकता) के मध्य स्पष्ट एवं कठोर पृथक्करण पर बल दिया। ऑस्टिन का विश्वास था कि कानून का वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु उसे नैतिकता और आदर्शों से पृथक कर केवल संप्रभु के आदेशों के रूप में देखा जाना चाहिए। यह अंतर विधिक प्रत्यक्षवाद का मूल आधार है, जो कानून की वैधता को उसके स्रोत से जोड़ता है, न कि उसके अंतर्निहित नैतिक गुणों अथवा आदर्शों से।

269. (A) सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून और संहिताकरण का विचार।
विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा, विशेष रूप से सैविनी के नेतृत्व में, 18वीं शताब्दी के सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून के दावों और त्वरित संहिताकरण की प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। ऐतिहासिक विचारकों ने तर्क दिया कि कानून को तर्क के आधार पर अचानक निर्मित नहीं किया जा सकता, बल्कि वह समाज की विशिष्ट लोक-चेतना और परंपराओं से विकसित होता है। उन्होंने संहिताकरण का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि यह कानून के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया को बाधित कर देगा और उसे समाज की वास्तविक जड़ों से पृथक कर देगा।

270. (A) प्रभावशीलता
हंस केल्सन के सिद्धांत में, यद्यपि ग्रुण्डनॉर्म वैधता का अंतिम स्रोत है, तथापि समग्र कानूनी व्यवस्था की 'प्रभावशीलता' उसकी वैधता हेतु एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। इसका अर्थ है कि एक विधिक व्यवस्था को तभी वैध स्वीकार किया जा सकता है जब समाज के नागरिक वास्तव में उसके नियमों का अनुपालन करते हों और वे प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों। यदि कोई व्यवस्था पूर्णतः अप्रभावी हो जाती है, तो उसका ग्रुण्डनॉर्म अपनी विधिक वैधता खो देता है। यह सिद्धांत कानून की वैधता को सामाजिक वास्तविकता और प्रभाव के साथ तार्किक रूप से जोड़ता है।

271. (B) न्यायाधीश का निर्णय।
विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा के अनुसार, किसी कानूनी विवाद में सर्वाधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण कारक न्यायाधीश का निर्णय होता है। यथार्थवादी मानते हैं कि अधिनियमों के नियम केवल मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, किंतु वास्तविक कानून वह है जो न्यायाधीश न्यायालय में घोषित करता है। उनके अनुसार, न्यायाधीश के पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक मूल्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करते हैं। अतः, कानून को समझने हेतु विधिक नियमों के यांत्रिक अनुप्रयोग के स्थान पर न्यायिक व्यवहार का विश्लेषण करना सर्वोपरि माना जाता है।

272. (B) एक विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह।
'व्यक्तिबंधी अधिकार' वह अधिकार है जो केवल किसी एक विशिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक निश्चित समूह के विरुद्ध ही उपलब्ध और प्रवर्तनीय होता है। यह अधिकार प्रायः अनुबंधों अथवा व्यक्तिगत समझौतों से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि A ने B को ऋण प्रदान किया है, तो A का धन वापस माँगने का अधिकार केवल B के विरुद्ध है, न कि संपूर्ण विश्व के विरुद्ध। यह 'सर्वबंधी अधिकार' के विपरीत है, जो संपूर्ण जनता पर कर्तव्य अधिरोपित करता है और व्यापक विधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

273. (B) सैविनी
विधिक व्यक्तित्व का 'कल्पना सिद्धांत' मुख्य रूप से फ्रेडरिक कार्ल वॉन सैविनी और सालमंड जैसे विधिशास्त्रियों से संबद्ध है। यह सिद्धांत मानता है कि निगम अथवा संस्थाएं वास्तव में कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखतीं; उन्हें केवल विधिक कार्यों को सुगम बनाने हेतु कानून द्वारा 'व्यक्ति' के रूप में कल्पित किया गया है। यह व्यक्तित्व कानून का एक कृत्रिम निर्माण है जिसे केवल विशिष्ट विधिक उद्देश्यों हेतु मान्यता प्रदान की गई है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि निगमों को प्राप्त विधिक दर्जा पूर्णतः राज्य की शक्ति और विधिक नियमों का परिणाम है।

274. (B) अपराधी को अपराध दोहराने से भौतिक रूप से अक्षम करना।
दंड का निरोधात्मक सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य अपराधी को भविष्य में पुनः अपराध कारित करने से भौतिक रूप से अक्षम करना है। यह कारावास, निर्वासन अथवा मृत्युदंड जैसे माध्यमों से अपराधी की अपराध कारित करने की क्षमता को

पूर्णतः समाप्त कर देता है। इसका मुख्य ध्यान अपराधी के सुधार अथवा प्रतिशोध पर नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा पर होता है। यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी पुनः समाज को हानि पहुँचाने की स्थिति में न रहे। निरोधात्मक दंड व्यवस्था सुरक्षात्मक न्याय के एक अत्यंत प्रभावी अंग के रुप में कार्य करती है।

275. (A) 3, 4, 1, 2
विधिक सिद्धांतों के ऐतिहासिक विकास में थॉमस एक्विनास मध्यकाल के प्रमुख प्राकृतिक कानून विचारक थे। इसके पश्चात 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सैविनी ने ऐतिहासिक विधिशास्त्र की आधारशिला रखी। 19वीं शताब्दी के मध्य में जॉन ऑस्टिन ने विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया। अंततः 20वीं शताब्दी में एच.एल.ए. हार्ट ने कानून की आधुनिक एवं परिष्कृत व्याख्या प्रस्तुत की। यह कालक्रम विधिशास्त्र के धार्मिक आधारों से प्रारंभ होकर ऐतिहासिक परंपराओं और आधुनिक विश्लेषणात्मक प्रणालियों की ओर बढ़ने के चरणों को प्रतिबिंबित करता है।

276. (A) तुलना या सादृश्य
न्याय दर्शन में 'उपमान' ज्ञान का वह स्रोत है जो तुलना अथवा सादृश्य के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसका अर्थ है किसी अपरिचित वस्तु को उसके किसी परिचित वस्तु के साथ समानता के आधार पर पहचानना। उदाहरण के लिए, यदि किसी को बताया जाए कि 'नीलगाय' गाय के सदृश होती है, तो वह वन में उस समानता के आधार पर उसे पहचान लेगा। यह प्रक्रिया शब्दों के अर्थ और उनके द्वारा वर्णित वस्तुओं के मध्य संबंध स्थापित करने में सहायता करती है, जो सत्य की अन्वेषण प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

277. (D) संवैधानिक कानून
राज्य की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के मध्य शक्तियों का पृथक्करण संवैधानिक कानून का एक आधारभूत एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। संवैधानिक कानून वह सर्वोच्च विधिक ढांचा है जो सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों, शक्तियों और उनकी सीमाओं को परिभाषित करता है। यह किसी भी विधिक प्रणाली का मूल आधार होता है जहाँ से अन्य समस्त कानून अपनी विधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। शक्तियों का पृथक्करण यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग निरंकुश न हो और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु एक प्रभावी संतुलन बना रहे।

278. (B) समाजशास्त्रीय विचारधारा
विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा कानून को केवल अमूर्त नियमों का एक समूह नहीं स्वीकार करती, बल्कि उसे समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में देखती है। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि कानून का अध्ययन उसके सामाजिक कार्यों और प्रभावों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसके समर्थकों के अनुसार, कानून का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न हितों के मध्य न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करना और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करना है। यह दृष्टिकोण कानून के व्यावहारिक पक्ष को सर्वोपरि मानता है।

279. (C) वास्तविक स्वामी
विधिक सिद्धांतों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त होती है, तो उसका उस वस्तु पर कब्जा वास्तविक स्वामी को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व के विरुद्ध मान्य एवं सुरक्षित होता है। वह उस वस्तु को तब तक अपने अधिकार में रख सकता है जब तक कि उसका वास्तविक स्वामी नहीं मिल जाता। यह अवधारणा समाज में संपत्ति की सुरक्षा और शांति बनाए रखने हेतु विकसित की गई है। प्राप्तकर्ता का विधिक कर्तव्य है कि वह वास्तविक स्वामी को खोजने का उचित प्रयास करे, किंतु अन्य किसी भी व्यक्ति को उसे बलपूर्वक हटाने का अधिकार नहीं है।

280. (D) अधिकार
वेस्ले होफेल्ड के विधिक विश्लेषण के अनुसार, 'कर्तव्य' और 'अधिकार' परस्पर विधिक सहसंबंधी हैं। इसका तात्पर्य है कि कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति का कर्तव्य अनिवार्य रुप से दूसरे व्यक्ति के अधिकार के अनुरुप होता है। यदि कानून किसी व्यक्ति को सुरक्षा का विधिक अधिकार प्रदान करता है, तो वह समाज के अन्य समस्त व्यक्तियों पर उसे क्षति न पहुँचाने का विधिक कर्तव्य भी अधिरोपित करता है। यह द्विपक्षीय संबंध विधिक व्यवस्था का आधार है, जो अधिकारों की प्रभावशीलता और उनकी प्रवर्तनीयता को व्यावहारिक रुप से सुनिश्चित करता है।

281. (A) सुधारात्मक सिद्धांत
दंड का सुधारात्मक सिद्धांत अपराध को एक सामाजिक व्याधि अथवा मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में देखता है और अपराधी को एक ऐसे रोगी के रूप में स्वीकार करता है जिसे उपचार की आवश्यकता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा देकर पीड़ित करना नहीं, बल्कि उसे शिक्षा, परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से सुधारना है। यह कारावास को सुधार केंद्रों के रूप में देखता है जहाँ अपराधी के चरित्र का पुनर्वास किया जाता है ताकि वह समाज में लौटकर एक कानून का अनुपालन करने वाला सामान्य नागरिक बन सके और गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

282. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विधिशास्त्र में विधिक व्यक्तित्व की अवधारणा केवल प्राकृतिक मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। कानून की दृष्टि में, कोई भी संस्था जिसे अधिकार और कर्तव्य वहन करने की विधिक क्षमता प्रदान की गई है, वह एक विधिक व्यक्ति है। इसमें निगम, सार्वजनिक निकाय, न्यास और मंदिरों की मूर्तियाँ भी सम्मिलित हो सकती हैं। यह विधिक दर्जा इन गैर-मानव इकाइयों को अनुबंध करने, संपत्ति धारण करने और न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार देता है, जो आधुनिक व्यापारिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के सुचारु संचालन हेतु अत्यंत अनिवार्य है।

283. (A) समाजशास्त्रीय
"कानून स्थिर होना चाहिए, और फिर भी यह स्थिर नहीं रह सकता," यह कथन कानून की स्थिरता और सामाजिक परिवर्तन के मध्य व्याप्त अंतर्निहित तनाव को परिलक्षित करता है। विधिशास्त्र की समाजशास्त्रीय विचारधारा इस संघर्ष को संबोधित करती है। यह मानती है कि जहाँ कानून में निश्चितता अनिवार्य है, वहीं उसे समाज की परिवर्तनशील आवश्यकताओं एवं मूल्यों के अनुरूप विकसित होना भी अपरिहार्य है। समाजशास्त्रीय विधिशास्त्री कानून को सामाजिक प्रगति और हितों के संतुलन के एक गतिशील उपकरण के रूप में देखते हैं, जो निरंतर विकसित होता रहता है।

284. (A) अधिकार का तथ्य से है।
स्वामित्व और कब्जे के मध्य का संबंध विधिक रूप से 'अधिकार' और 'तथ्य' के मध्य के अंतर के समान है। स्वामित्व एक विधिक धारणा है जो किसी वस्तु पर व्यक्ति के अधिकारों के समूह को दर्शाती है, जिसे कानून द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके विपरीत, कब्जा मुख्य रूप से किसी वस्तु पर वास्तविक भौतिक नियंत्रण की स्थिति को दर्शाता है। स्वामित्व अधिकारों की एक स्थायी विधिक स्थिति है, जबकि कब्जा केवल वर्तमान भौतिक नियंत्रण की तथ्यात्मक स्थिति है, भले ही उसके पीछे कोई औपचारिक विधिक अधिकार विद्यमान हो अथवा न हो।

285. (B) कानूनी सुधार के प्रति निराशावादी होने की प्रवृत्ति।
विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा की एक प्रमुख आलोचना यह है कि वह कानून के प्रति अत्यंत विकासवादी सोच रखती है, जिससे वह त्वरित विधिक सुधारों के प्रति निराशावादी प्रतीत होती है। सैविनी जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि कानून को लोक-चेतना से क्रमिक रूप से विकसित होना चाहिए और विधायन द्वारा कारित अचानक परिवर्तन अनुचित हैं। आलोचकों का विश्वास है कि यह दृष्टिकोण समाज की तीव्र प्रगति और आधुनिक जटिल समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक त्वरित विधिक सुधारों में बाधक बन सकता है और यथास्थिति को अनचाहा प्रोत्साहन देता है।

286. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
सैविनी जर्मनी के एक अत्यंत प्रभावशाली विधिशास्त्री थे जिन्होंने ऐतिहासिक विचारधारा का नेतृत्व किया। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड के प्रमुख विचारक थे जिन्होंने विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद की आधारशिला रखी। कार्ल लेवेलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के यथार्थवादी आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे जिन्होंने न्यायिक व्यवहार पर गहन शोध किया। लियोन डुगुइट फ्रांस के विख्यात विधिशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक एकजुटता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह मिलान विभिन्न देशों के उन महान विचारकों को जोड़ता है जिन्होंने विधिशास्त्र की दिशा परिवर्तित करने में वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

287. (D) इसे संपूर्ण समुदाय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
एक 'कानूनी अधिकार' की अनिवार्य विशेषताओं में एक अधिकार धारक, एक कर्तव्यबद्ध व्यक्ति, अधिकारों की विषय-वस्तु और एक विधिक स्वत्व सम्मिलित हैं। कानून द्वारा अधिकारों की मान्यता एवं संरक्षण ही उन्हें विधिक रूप से प्रभावी बनाता है। हालांकि, किसी अधिकार के वैध होने हेतु उसे संपूर्ण समुदाय के सर्वसम्मत अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कानून उसे औपचारिक मान्यता प्रदान करता है, तो वह समुदाय की व्यक्तिगत धारणाओं के उपरांत भी एक पूर्ण कानूनी अधिकार बना रहता है और अदालतों द्वारा विधिक रूप से प्रवर्तनीय होता है।

288. (C) कब्जा
यथार्थवादी, समाजशास्त्रीय और प्राकृतिक विधिशास्त्र की विभिन्न विचारधाराएं हैं जो कानून की प्रकृति और उसके उद्देश्यों की व्याख्या करती हैं। इसके विपरीत, 'कब्जा' विधिशास्त्र की कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण 'कानूनी अवधारणा' है जो संपत्ति कानून का मूल आधार बनती है। कब्जा किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण और उसे अनन्य रूप से धारण करने के आशय को संदर्भित करता है। विचारधाराएं कानून को देखने का एक व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जबकि अवधारणाएं कानून के अंतर्गत विशिष्ट विधिक स्थितियों को परिभाषित करती हैं।

289. (B) प्रतिसोधात्मक और निवारक
मृत्युदंड को मुख्य रूप से दंड के प्रतिसोधात्मक और निवारक सिद्धांतों के माध्यम से न्यायसंगत ठहराया जाता है। प्रतिसोधात्मक सिद्धांत का तर्क है कि जघन्य अपराधों हेतु मृत्युदंड ही न्यायपूर्ण सजा है क्योंकि यह अपराध की गंभीरता के पूर्णतः समतुल्य है। निवारक सिद्धांत का विश्वास है कि मृत्युदंड का भय समाज के अन्य व्यक्तियों को वैसे ही अपराध कारित करने से रोकने हेतु एक सशक्त मनोवैज्ञानिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ये दोनों सिद्धांत सामाजिक न्याय की सुरक्षा और अपराधों के प्रति समाज की शून्य सहिष्णुता की नीति को रेखांकित करते हैं।

290. (C) तार्किक धारणा
हंस केल्सन के 'कानून के शुद्ध सिद्धांत' में 'ग्रुण्डनॉर्म' या मूल मानक वास्तव में कोई लिखित नियम अथवा नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक बुनियादी 'तार्किक धारणा' है। केल्सन का विश्वास था कि कानून के विज्ञान को एक स्वतंत्र आधार प्रदान करने हेतु हमें एक ऐसे सर्वोच्च मानक को स्वीकार कर लेना चाहिए जो संपूर्ण व्यवस्था को वैधता प्रदान करे। ग्रुण्डनॉर्म स्वयं किसी अन्य नियम से अपनी शक्ति प्राप्त नहीं करता, बल्कि यह विधिक मानकों के संपूर्ण पदानुक्रम को तार्किक एकता और विधिक बाध्यकारी शक्ति प्रदान करता है।

291. (B) II और III सही हैं।
विधिशास्त्र की यथार्थवादी विचारधारा 'पुस्तकों में कानून' के स्थान पर 'क्रियाशील कानून' पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करती है। यह मानती है कि न्यायिक निर्णय केवल नियमों से नहीं, बल्कि न्यायाधीश के व्यक्तित्व, पूर्वाग्रहों और सामाजिक परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित होते हैं। ओलिवर वेंडेल होम्स को इस आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है क्योंकि उन्होंने कानून के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया। अतः प्रथम

कथन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यथार्थवाद पुस्तकीय नियमों की औपचारिकता को पूर्णतः अस्वीकार करता है और अदालती वास्तविकता को सर्वोपरि मानता है।

292. (A) अमूर्त अधिकार (सुखाचार)
पड़ोसी के खेत से होकर गमन करने का अधिकार एक 'अमूर्त अधिकार' का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे कानून की शब्दावली में 'सुखाचार' कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के पास उस भूमि का भौतिक स्वामित्व अथवा कब्जा नहीं होता, बल्कि वह केवल एक विशिष्ट उद्देश्य हेतु उस संपत्ति का उपयोग करने का विधिक अधिकार रखता है। यह मूर्त स्वामित्व के विपरीत है जहाँ भौतिक वस्तु पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। यह विधिक अवधारणा संपत्ति के साझा उपयोग और सामुदायिक आवश्यकताओं के मध्य एक न्यायपूर्ण एवं तार्किक संतुलन स्थापित करने हेतु विकसित की गई है।

293. (A) संगठित शास्ति
प्रत्यक्षवादी विधिशास्त्रियों के अनुसार, कानून और नैतिकता के मध्य का सर्वाधिक प्रमुख एवं अनिवार्य अंतर 'संगठित शास्ति' अथवा राज्य द्वारा क्रियान्वित दंड की उपस्थिति है। कानून के पीछे राज्य की बाध्यकारी शक्ति और दंड का औपचारिक प्रावधान होता है जो नागरिकों को उसका अनुपालन करने हेतु विवश करता है। इसके विपरीत, नैतिकता के नियमों का अनुपालन केवल सामाजिक दबाव अथवा व्यक्तिगत अंतरात्मा पर आश्रित होता है। कानून एक बाह्य नियंत्रण प्रणाली है जिसमें उल्लंघन पर औपचारिक दंड निश्चित होता है, जो इसे केवल नैतिक सुझावों से पृथक करता है।

294. (B) कानूनी अधिकारों की प्रवर्तनीयता
विधिक सूक्ति "Ubi jus ibi remedium" का अर्थ है कि जहाँ कहीं भी कानून द्वारा प्रदत्त एक अधिकार विद्यमान है, वहाँ उसके उल्लंघन के विरुद्ध एक उपचार भी उपलब्ध होना चाहिए। यह सूक्ति कानूनी अधिकारों की वास्तविक प्रवर्तनीयता और उनके विधिक महत्व को रेखांकित करती है। उपचार के अभाव में, अधिकार केवल एक रिक्त दावा बनकर रह जाता है जिसका कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं होता। यह सिद्धांत न्यायपालिका की इस महती जिम्मेदारी को पुष्ट करता है कि वह नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें उचित न्याय और विधिक सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करे।

295. (A) जनमत सर्वेक्षण
विधिशास्त्र में विधान, न्यायिक पूर्वनिर्णय और रूढ़ियाँ कानून के औपचारिक एवं मान्य स्रोत स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि वे विधिक नियमों को जन्म देते हैं। इसके विपरीत, जनमत सर्वेक्षण कानून का स्रोत नहीं है। यद्यपि जनमत कानून निर्माताओं की चिंतन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है अथवा किसी सामाजिक मुद्दे की व्यापकता को दर्शा सकता है, तथापि वह स्वयं में तब तक कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं करता जब तक उसे किसी अधिनियम अथवा न्यायिक निर्णय के माध्यम से औपचारिक मान्यता प्राप्त न हो जाए। कानून का आधार राज्य का विधिक प्राधिकार है, केवल तात्कालिक जनमत नहीं।

296. (A) तर्क और वाद-विवाद की इसकी प्रणाली।
प्राचीन भारतीय 'न्याय' दर्शन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता तर्कशास्त्र और वाद-विवाद की इसकी अत्यंत परिष्कृत एवं सुव्यवस्थित प्रणाली है। यह दर्शन यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रमाणों और तार्किक निष्कर्षों पर आधारित एक सुदृढ़ विधिक ढांचा प्रदान करता है। विधिक दृष्टिकोण से, यह सत्य की खोज, साक्ष्यों के सूक्ष्म मूल्यांकन और किसी भी निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु विवेकपूर्ण विवेचन की पद्धति निर्देशित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल अनुमानों पर नहीं, बल्कि प्रमाणित तथ्यों और अकाट्य तर्कों पर आधारित हो, जो एक पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था का आधार है।

297. (C) रुडोल्फ वॉन इहेरिंग
रुडोल्फ वॉन इहेरिंग को उनके सोद्देश्यवादी विधिशास्त्र हेतु जाना जाता है, जहाँ उन्होंने कानून को एक 'साध्य का साधन' स्वीकार किया। इहेरिंग के अनुसार, कानून अपने आप में कोई अंत नहीं है, बल्कि समाज के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने और सामाजिक उद्देश्यों को संप्राप्त करने का एक सक्रिय विधिक उपकरण है। उन्होंने इस विचार को पुष्ट किया कि कानून का निर्माण समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु सोद्देश्य किया जाता है। इहेरिंग का यह दृष्टिकोण आधुनिक समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र और हितों के संतुलन के सिद्धांत की वास्तविक आधारशिला बना।

298. (A) पूर्वव्यापी होने के नाते
यदि कोई नवीन कानून पारित किया जाता है जो वर्तमान विधिक दावों अथवा अतीत के कार्यों पर लागू होता है, तो उसे 'पूर्वव्यापी' होने के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है कि वह भविष्यलक्षी होना चाहिए ताकि नागरिकों को अपने आचरण के विधिक परिणामों का पूर्व में ही ज्ञान हो। पूर्वव्यापी कानून, विशेष रूप से वे जो विधिक अधिकारों को न्यून करते हैं अथवा सजा में वृद्धि करते हैं, विधिक निश्चितता और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माने जाते हैं। न्याय प्रणाली सामान्यतः ऐसे कानूनों को अनुचित और अवैध स्वीकार करती है।

299. (D) प्रायश्चित सिद्धांत
दंड का प्रायश्चित सिद्धांत अपराधी के अंतर्मन और उसकी नैतिक चेतना पर केंद्रित है। इस सिद्धांत का विश्वास है कि सजा का उद्देश्य अपराधी को उसके द्वारा कारित दुष्कर्म हेतु पश्चाताप करने और पीड़ा सहकर अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु विवश करना है। यह सुधार अथवा दूसरों को भयभीत करने के स्थान पर अपराधी की अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया के रूप में दंड को देखता है। यद्यपि आधुनिक विधिक प्रणालियों में यह कम प्रचलित है, तथापि यह दंड के आध्यात्मिक और नैतिक आयामों को गहराई से प्रतिबिंबित करता है।

300. (B) कॉर्पोरेट आवरण की अवधारणा
कॉर्पोरेट आवरण की अवधारणा यह स्वीकार करती है कि एक कंपनी की कानूनी पहचान उसके शेयरधारकों और प्रबंधकों से पूर्णतः पृथक एवं स्वतंत्र होती है। इसका तात्पर्य है कि कंपनी

के कार्यों और विधिक ऋणों हेतु उसके सदस्यों को व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि कोई धोखाधड़ी न हुई हो। यह विधिक अलगाव व्यापारिक निवेश और जोखिम प्रबंधन को सुगम बनाता है। यह 'सालोमन बनाम सालोमन' के ऐतिहासिक मामले से स्थापित एक आधारभूत विधिक सिद्धांत है, जो आधुनिक निगम कानून की सुदृढ़ नींव रखता है।

अध्याय 03
लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार

1. कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि दो अलग-अलग और विशिष्ट कानूनी प्रणालियाँ हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि को घरेलू स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए रूपांतरण या विशिष्ट अंगीकरण की आवश्यकता होती है?
(A) अद्वैतवादी सिद्धांत
(B) द्वैतवादी सिद्धांत
(C) रूपांतरण सिद्धांत
(D) प्रत्यायोजन सिद्धांत

2. उस कथन की पहचान करें जो सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति का गलत वर्णन करता है।
(A) इसकी प्रवर्तन प्रणाली घरेलू विधि की तरह ही सुदृढ़ और केंद्रीकृत है।
(B) यह मुख्य रूप से संप्रभु राज्यों के बीच संबंधों को विनियमित करती है।
(C) इसमें केंद्रीकृत विधायी निकाय, कार्यपालिका और अनिवार्य अधिकार क्षेत्र वाली न्यायपालिका का अभाव है।
(D) यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों से भी संबंधित है।

3. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय विधि का प्राथमिक स्रोत माना जाता है?
(A) प्रख्यात विधिवेत्ताओं की विद्वत्तापूर्ण शिक्षाएं
(B) सदस्य राज्यों की आधिकारिक एकपक्षीय घोषणाएं
(C) राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत
(D) संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशिष्ट प्रस्ताव

4. 'पैक्टा संट सर्वेंडा' (pacta sunt servanda) का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि के किस स्रोत से सबसे निकटता से जुड़ा है?
(A) अंतरराष्ट्रीय रूढ़ि
(B) विधि के सामान्य सिद्धांत
(C) न्यायिक निर्णय
(D) संधियाँ

5. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: अद्वैतवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय और नगरपालिका विधि को एक ही कानूनी व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखता है।
कथन II: द्वैतवादी सिद्धांत में किसी अंतरराष्ट्रीय नियम को घरेलू विधि का हिस्सा बनने के लिए 'रूपांतरण' की आवश्यकता होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

6. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की संविधि के अनुच्छेद 38(1) के तहत निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का औपचारिक स्रोत नहीं माना जाता है?
(A) अंतरराष्ट्रीय अभिसमय
(B) प्रख्यात विधिवेत्ताओं की शिक्षाएं
(C) अंतरराष्ट्रीय रूढ़ि
(D) विधि के सामान्य सिद्धांत

7. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि के बीच के संबंध को किसके विषय के रूप में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया गया है?
(A) स्थापित सार्वभौमिक कानूनी समझौते का मुद्दा
(B) बिना किसी अंतःक्रिया के पूर्ण पृथक्करण की स्थिति
(C) सभी मामलों में नगरपालिका विधि की निरंतर सर्वोच्चता
(D) अद्वैतवादी और द्वैतवादी विचारधाराओं के बीच चल रही बहस

8. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दबावकारी उपाय करने का अधिकार है।
कारण (R): संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत, सुरक्षा परिषद के निर्णय सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

9. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अनुरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा किस अंग को सौंपी गई है?
(A) महासभा
(B) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(C) सुरक्षा परिषद
(D) आर्थिक और सामाजिक परिषद

10. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की परिभाषित विशेषता क्या है?
(A) वीटो (निषेधाधिकार) की शक्ति
(B) संयुक्त राष्ट्र के बजट में बड़ा वित्तीय योगदान
(C) गैर-स्थायी सदस्यों की तुलना में लंबा कार्यकाल
(D) महासचिव को नामित करने का अधिकार

11. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. न्यायिक निर्णय विधि के प्राथमिक स्रोत हैं, जो संधियों और रुढ़ियों के समकक्ष हैं।
2. प्रख्यात विधिवेत्ताओं के लेखन विधि के नियमों के निर्धारण के लिए सहायक साधन हैं।
3. सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांतों का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

12. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
(A) न्यूयॉर्क
(B) द हेग
(C) जिनेवा
(D) वियना

13. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) स्वास्थ्य उत्पादों पर व्यापार विवादों को सुलझाना
(B) स्वास्थ्य संकट के दौरान सैन्य सहायता प्रदान करना
(C) अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों का निर्देशन और समन्वय करना
(D) स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना

14. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार वर्णित किया गया है:
(A) सभी सदस्य राज्यों के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य
(B) केवल विशिष्ट परामर्शदात्री कानूनी राय तक सीमित
(C) मुख्य रूप से आपराधिक, जो केवल व्यक्तियों से संबंधित है
(D) विवाद में शामिल राज्यों की सहमति पर आधारित

15. अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के निम्नलिखित तरीकों को किसी तीसरे पक्ष की कम से कम से लेकर सबसे औपचारिक भागीदारी के क्रम में व्यवस्थित करें।
1. मध्यस्थता
2. वार्ता
3. पंचनिर्णय
4. न्यायिक समाधान

सही विकल्प चुनें:
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 3, 1, 2

16. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन का एक उदाहरण है?
(A) जी20
(B) सार्क (SAARC)
(C) ब्रिक्स (BRICS)
(D) जी7

17. संक्षिप्त नाम 'BRICS' किन देशों के समूह को संदर्भित करता है?
(A) ब्रिटेन, रूस, भारत, चीन, स्पेन
(B) ब्राजील, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका
(C) बेल्जियम, रोमानिया, इटली, क्रोएशिया, स्वीडन
(D) ब्राजील, रुस, इंडोनेशिया, चीन, सिंगापुर

18. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: जी20 एक अंतर-सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
कथन II: जी20 का प्राथमिक ध्यान सैन्य गठबंधन और सामूहिक सुरक्षा पर है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

19. निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है जो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है?
(A) जी20
(B) सार्क
(C) जी7
(D) ब्रिक्स

20. सूची I को सूची II से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।
सूची I: (अंतरराष्ट्रीय समूह)
P. ब्रिक्स (BRICS)
Q. सार्क (SAARC)
R. जी7 (G7)
S. जी20 (G20)

सूची II: (प्राथमिक ध्यान/प्रकृति)
1. औद्योगिक लोकतंत्र
2. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच
3. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग

4. उभरती अर्थव्यवस्थाएं

कूट:
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

21. वह औपचारिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जिस पर अनुरोध करने वाले राज्य के अधिकार क्षेत्र में किए गए अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना है या दंडित किया जाना है, कहलाती है:
(A) शरण
(B) निर्वासन
(C) प्रत्यर्पण
(D) मान्यता

22. प्रत्यर्पण के संदर्भ में 'दोहरे अपराध' के सिद्धांत का अर्थ है कि वह कार्य जिसके लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है, एक अपराध होना चाहिए:
(A) केवल अनुरोध करने वाले राज्य में
(B) अनुरोध करने वाले और अनुरोध प्राप्त करने वाले दोनों राज्यों में
(C) केवल अनुरोध प्राप्त करने वाले राज्य में
(D) अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत

23. जब कोई राज्य उत्पीड़न से भाग रहे व्यक्ति को अपने क्षेत्र के भीतर सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसे कहा जाता है:
(A) राजनयिक शरण
(B) क्षेत्रातीत शरण
(C) कांसुलर शरण
(D) क्षेत्रीय शरण

24. 1951 के शरणार्थी अभिसमय के तहत 'शरणार्थी' होने की स्थिति मुख्य रूप से किसके उचित भय की उपस्थिति से निर्धारित होती है?
(A) नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के कारणों से उत्पीड़न
(B) आर्थिक कठिनाई
(C) प्राकृतिक आपदाएं
(D) सामान्य नागरिक अशांति

25. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): 'नॉन-रिफाउलमेंट' (Non-refoulement) का सिद्धांत शरणार्थी विधि की आधारशिला है।
कारण (R): यह किसी राज्य को शरणार्थी को उस क्षेत्र में वापस भेजने से रोकता है जहाँ उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

26. राज्यों की मान्यता का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि कोई राज्य केवल अन्य राज्यों की मान्यता के माध्यम से ही एक अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व और अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय बनता है?
(A) निर्माणात्मक सिद्धांत
(B) घोषणात्मक सिद्धांत
(C) साक्ष्य सिद्धांत
(D) अद्वैतवादी सिद्धांत

27. किसी राज्य की 'डी फैक्टो' (De facto) मान्यता आमतौर पर होती है:
(A) अंतिम, पूर्ण और अपरिवर्तनीय
(B) केवल विधिक और औपचारिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती है
(C) केवल सरकार को स्वीकार करती है, राज्य को नहीं
(D) अनंतिम, अस्थायी और वापस ली जा सकती है

28. किसी व्यक्ति और राज्य के बीच विधिक बंधन, जो उस राज्य में सदस्यता को दर्शाता है, कहलाता है:
(A) अधिवास
(B) राष्ट्रीयता
(C) निवास
(D) शरण

29. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को संयुक्त राष्ट्र के किस अंग द्वारा अपनाया गया था?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(C) महासभा
(D) न्यास परिषद

30. शरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. क्षेत्रीय शरण एक राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में प्रदान की जाती है।
2. राजनयिक परिसरों जैसे दूतावासों में क्षेत्रातीत शरण प्रदान की जा सकती है।
3. शरण प्रदान करने का अधिकार बिना किसी अपवाद के राज्य का पूर्ण संप्रभु अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

31. भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?
(A) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
(B) भारत का संविधान

(C) नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955
(D) भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकारी आदेश

32. निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की शक्ति या कार्य नहीं है?
(A) मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना
(B) दोषी अधिकारियों को दंडित करना
(C) कैदियों की दशा का अध्ययन करने के लिए जेलों का दौरा करना
(D) पीड़ितों को मुआवजे की सिफारिश करना

33. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें शामिल नहीं होते हैं:
(A) प्रधानमंत्री
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) लोकसभा अध्यक्ष
(D) लोकसभा में विपक्ष के नेता

34. राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच केवल भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की किस सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में कर सकता है?
(A) राज्य सूची और समवर्ती सूची
(B) केवल संघ सूची
(C) केवल समवर्ती सूची
(D) संघ सूची और राज्य सूची

35. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार या प्राधिकरण पर बाध्यकारी होती हैं।
कथन II: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत कार्य करते समय NHRC के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

36. कौन सा अंतरराष्ट्रीय अभिसमय विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है जिसका उद्देश्य उनके विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है?
(A) बाल अधिकार अभिसमय (CRC)
(B) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR)
(C) शरणार्थियों की स्थिति पर जिनेवा अभिसमय
(D) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW)

37. "बालक के सर्वोत्तम हित" का सिद्धांत किस अंतरराष्ट्रीय संधि की आधारशिला है?
(A) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
(B) अत्याचार के विरुद्ध अभिसमय
(C) बाल अधिकार अभिसमय (CRC)
(D) जिनेवा अभिसमय

38. अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उपाय है?
(A) बहुसंख्यक संस्कृति में आत्मसात होने का अधिकार
(B) सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान का अधिकार
(C) एक पृथक, स्वतंत्र राज्य बनाने का अधिकार
(D) किसी भी राष्ट्रीय विधायी कार्यों को वीटो करने का अधिकार

39. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के 'दुर्बल विधि' (weak law) होने की अवधारणा मुख्य रूप से उत्पन्न होती है:
(A) सार्वभौमिक प्रयोज्यता की कमी से
(B) जटिल कानूनी भाषा से
(C) व्यक्तियों के बजाय राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने से
(D) विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक तंत्र की कमियों से

40. अंतरराष्ट्रीय और नगरपालिका विधि के बीच संबंध के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान करें।
(A) रूपांतरण - अद्वैतवादी सिद्धांत के तहत आवश्यक
(B) अद्वैतवाद - एकल विधिक व्यवस्था
(C) द्वैतवाद - दो अलग-अलग विधिक प्रणालियाँ
(D) विशिष्ट अंगीकरण - द्वैतवादी सिद्धांत के तहत आवश्यक

41. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति किसे प्राप्त है?
(A) सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों को
(B) केवल 10 गैर-स्थायी सदस्यों को
(C) केवल 5 स्थायी सदस्यों को
(D) महासभा के अध्यक्ष को

42. किस निकाय को अक्सर 'विश्व न्यायालय' (World Court) कहा जाता है?
(A) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(B) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
(C) यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय
(D) स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

43. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 33 में सूचीबद्ध अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है?
(A) वार्ता
(B) मध्यस्थता
(C) पंचनिर्णय
(D) सशस्त्र बल का प्रयोग

44. एक संधि लागू होती है:

(A) पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के तुरंत बाद
(B) जैसा कि संधि में निर्दिष्ट हो या समझौते द्वारा निर्धारित हो
(C) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के साथ पंजीकरण होने पर
(D) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदन के बाद

45. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I: (अवधारणा)
P. जस कोजेंस (Jus cogens)
Q. एरगा ओम्नेस (Erga omnes)
R. पैक्टा संट सर्वेंडा (Pacta sunt servanda)
S. ओपिनियो ज्यूरिस (Opinio juris)
सूची II: (अर्थ)
1. यह विश्वास कि कोई अभ्यास विधिक रूप से बाध्यकारी है
2. समझौतों का पालन किया जाना चाहिए
3. समग्र रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति बाध्यताएं
4. अंतरराष्ट्रीय विधि का अनिवार्य नियम
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

46. मान्यता का घोषणात्मक सिद्धांत बताता है कि मान्यता केवल है:
(A) एक राजनीतिक कार्य जो राज्य का गठन करता है
(B) राज्य के अस्तित्व के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त
(C) विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा लिया गया निर्णय
(D) मौजूदा तथ्यात्मक स्थिति की औपचारिक पावती

47. जन्म स्थान के आधार पर जन्म के समय राष्ट्रीयता प्राप्त करना कहलाता है:
(A) जस सोली (Jus soli)
(B) जस सैंग्विनिस (Jus sanguinis)
(C) देशीयकरण
(D) अधिसर्पण

48. वह व्यक्ति जिसे किसी भी राज्य द्वारा उसकी विधि के प्रचालन के तहत नागरिक नहीं माना जाता है, उसे कहा जाता है:
(A) एक शरणार्थी
(B) एक राज्यविहीन व्यक्ति
(C) एक शरण चाहने वाला
(D) एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति

49. भारत के निम्नलिखित निकायों में से किसे देश में 'मानवाधिकारों का प्रहरी' कहा जाता है?
(A) भारत का उच्चतम न्यायालय
(B) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(C) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(D) भारत का विधि आयोग

50. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय है।
कारण (R): NHRC के पास अपने निर्णयों को लागू करने या दंड देने की शक्ति नहीं है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

51. मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार संयुक्त राष्ट्र की किस विशिष्ट एजेंसी की प्रमुख चिंता है?
(A) WHO
(B) UNESCO
(C) UNEP
(D) UNICEF

52. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल क्या है?
(A) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
(B) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
(C) 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
(D) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो

53. वह सिद्धांत कि प्रत्यर्पण के लिए मांगे गए व्यक्ति पर उस अपराध के अतिरिक्त किसी अन्य अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था, कहलाता है:
(A) दोहरे अपराध का सिद्धांत
(B) पारस्परिकता का सिद्धांत
(C) विशिष्टता का सिद्धांत
(D) नॉन-रिफाउलमेंट का सिद्धांत

54. मानवाधिकार विधि के तहत वृद्ध व्यक्तियों को मुख्य रूप से किसके माध्यम से संरक्षित किया जाता है?
(A) विशिष्ट और विशेष राजनीतिक अधिकार प्रदान करके
(B) गैर-भेदभाव, गरिमा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करके
(C) सभी व्यावसायिक कार्यों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति द्वारा
(D) विशिष्ट समुदायों में जबरन पृथक्करण द्वारा

55. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह 5 स्थायी और 10 गैर-स्थायी सदस्यों से बनी है।
2. प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णयों के लिए सभी स्थायी सदस्यों सहित नौ सदस्यों के सहमति मतों की आवश्यकता होती है।
3. गैर-स्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

56. निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है?
(A) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
(B) सुरक्षा परिषद
(C) न्यास परिषद
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

57. किसी संधि के लिए 'आरक्षण' (reservation) एक राज्य द्वारा किया गया एकपक्षीय कथन है जिसके द्वारा वह चाहता है:
(A) पूरी संधि को शून्य और अमान्य घोषित करना
(B) सभी सदस्य पक्षों के लिए संशोधन का प्रस्ताव देना
(C) विशिष्ट विधिक प्रावधानों को अपवर्जित या संशोधित करना
(D) हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद संधि से हटना

58. 'मानवाधिकारों' की अवधारणा ने किस घटना के तुरंत बाद महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय गति प्राप्त की?
(A) द्वितीय विश्व युद्ध
(B) प्रथम विश्व युद्ध
(C) शीत युद्ध
(D) नेपोलियन युद्ध

59. भारतीय विधि के तहत, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए:
(A) उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश
(B) किसी उच्च न्यायालय का सेवारत मुख्य न्यायाधीश
(C) भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
(D) किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश

60. निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों को उनके अपनाए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
2. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR)
3. बाल अधिकार अभिसमय (CRC)
4. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW)

सही विकल्प चुनें:
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 1, 2, 3, 4

61. जी20 को सबसे अच्छी तरह किसके मंच के रूप में वर्णित किया गया है?
(A) सैन्य और रक्षा सहयोग
(B) दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार
(C) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग
(D) विकासशील देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

62. राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(A) यह भारत में कहीं भी हुई किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है।
(B) यह संघ के सशस्त्र बलों से जुड़े उल्लंघनों की जांच कर सकता है।
(C) इसकी सिफारिशें विधिक रूप से बाध्यकारी हैं और न्यायालय की डिक्री के रूप में लागू करने योग्य हैं।
(D) यह उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जिनकी जांच पहले से ही NHRC द्वारा की जा रही है।

63. भारत में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण मुख्य रूप से किस विशेष अधिनियम द्वारा शासित होता है?
(A) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम
(B) किशोर न्याय अधिनियम
(C) बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम
(D) भारतीय दंड संहिता

64. विधि के स्रोत के रूप में 'अंतरराष्ट्रीय रुढ़ि' का एक अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) राज्यों के बीच एक लिखित समझौता
(B) 'ओपिनियो ज्यूरिस' (Opinio juris) के साथ राज्य का अभ्यास
(C) संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय

65. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: शरण तब समाप्त हो जाती है जब वे परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं जिन्होंने इसे न्यायोचित ठहराया था।
कथन II: प्रत्यर्पण संधि या पारस्परिकता के आधार पर दो राज्यों के बीच सहयोग का एक कार्य है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

66. 'जस सैंग्विनिस' (Jus sanguinis) किसके आधार पर राष्ट्रीयता प्राप्त करने का सिद्धांत है?
(A) रक्त संबंध या वंश
(B) जन्म स्थान
(C) एक निश्चित अवधि के लिए निवास
(D) किसी नागरिक से विवाह

67. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) नई दिल्ली

(B) कोलंबो
(C) काठमांडू
(D) ढाका

68. 'शरणार्थियों' और 'आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों' (IDPs) के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) IDP को शरणार्थियों की तुलना में अधिक अंतरराष्ट्रीय विधिक सुरक्षा मिलती है।
(B) शरणार्थी संघर्ष से भाग रहे हैं, जबकि IDP प्राकृतिक आपदाओं से भाग रहे हैं।
(C) केवल शरणार्थी ही मानवीय सहायता के हकदार हैं।
(D) शरणार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की है, जबकि IDP ने नहीं की है।

69. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के संदर्भ में 'अद्वैतवाद' (Monism) का क्या तात्पर्य है?
(A) अंतरराष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए विशिष्ट विधायी अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
(B) अंतरराष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि कभी एक-दूसरे से नहीं मिलते।
(C) अंतरराष्ट्रीय विधि स्वतः ही राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था का हिस्सा है।
(D) राष्ट्रीय विधि हमेशा अंतरराष्ट्रीय विधि पर वरीयता प्राप्त करती है।

70. सूची I (संयुक्त राष्ट्र अंग) को सूची II (मुख्य कार्य) के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (संयुक्त राष्ट्र अंग)
P. महासभा
Q. सुरक्षा परिषद
R. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
S. सचिवालय
सूची II: (मुख्य कार्य)
1. प्रमुख न्यायिक अंग
2. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अनुरक्षण
3. संयुक्त राष्ट्र के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संपादन
4. मुख्य विचार-विमर्श और नीति निर्धारण अंग
कूट:
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

71. निम्नलिखित में से कौन सा देश जी7 का सदस्य नहीं है?
(A) कनाडा
(B) जापान
(C) इटली
(D) रूस

72. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है?
(A) नौ वर्ष, पुनः निर्वाचन की पात्रता के साथ
(B) पांच वर्ष, पुनः निर्वाचन की पात्रता के साथ
(C) सात वर्ष, पुनः निर्वाचन की कोई पात्रता नहीं
(D) आजीवन, सदाचार के दौरान

73. अंतरराष्ट्रीय विधि में 'राष्ट्रीयता' की अवधारणा मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है?
(A) अन्य देशों में मतदान के अधिकार का निर्धारण करना
(B) किसी विदेशी देश में स्थानीय करों से छूट प्राप्त करना
(C) विदेश में अपने नागरिकों के लिए राज्य द्वारा राजनयिक संरक्षण
(D) आवाजाही की सार्वभौमिक स्वतंत्रता

74. मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटना की तिथि से किस अवधि के भीतर NHRC या SHRC में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए?
(A) एक वर्ष
(B) छह मास
(C) दो वर्ष
(D) तीन वर्ष

75. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): रूढ़ियों की तुलना में संधियाँ अंतरराष्ट्रीय विधि का अधिक प्रत्यक्ष और औपचारिक स्रोत हैं।
कारण (R): संधियाँ राज्यों के बीच सचेत और सोद्देश्य किए गए समझौते का परिणाम हैं, जबकि रूढ़ियाँ समय के साथ राज्य के अभ्यास से विकसित होती हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

76. अंतरराष्ट्रीय और नगरपालिका विधि के बीच संबंध के प्रति 'द्वैतवादी' दृष्टिकोण किस कार्रवाई में सबसे सटीक रूप से प्रतिबिंबित होता है?
(A) एक राज्य न्यायालय सीधे गैर-अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय संधि के प्रावधान को लागू करता है।
(B) किसी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी करने के लिए घरेलू संसद द्वारा अधिनियम पारित करना।
(C) एक राज्य न्यायालय राष्ट्रीय विधि को अमान्य घोषित करता है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय रूढ़ि के विरोधाभासी है।
(D) अनुसमर्थन होने पर घरेलू विधिक प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय विधि का स्वतः समावेश।

77. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से 'परामर्शदात्री राय' किसके द्वारा मांगी जा सकती है?

(A) कोई भी संप्रभु राज्य
(B) वे व्यक्ति जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि के उल्लंघन का सामना करना पड़ा है
(C) संयुक्त राष्ट्र महासभा या सुरक्षा परिषद
(D) एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे गैर-सरकारी संगठन

78. संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद को किस अध्याय के तहत प्रवर्तन कार्रवाई करने का अधिकार देता है?
(A) अध्याय V
(B) अध्याय VI
(C) अध्याय VIII
(D) अध्याय VII

79. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना किस प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी?
(A) दक्षिण एशिया में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना
(B) दक्षिण एशिया में एक सैन्य गठबंधन बनाना
(C) एक साझा क्षेत्रीय मुद्रा स्थापित करना
(D) अन्य क्षेत्रीय गुटों के प्रभाव का मुकाबला करना

80. राज्यों की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. डी ज्यूरे (De jure) मान्यता अंतिम है और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
2. डी फैक्टो (De facto) मान्यता अनंतिम है और कुछ शर्तों के पूर्ण होने के अधीन है।
3. घोषणात्मक सिद्धांत यह मानता है कि मान्यता केवल राज्य के अस्तित्व के पूर्व-निर्धारित तथ्य को स्वीकार करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

81. अंतरराष्ट्रीय ढांचे में वृद्ध व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मानवाधिकार है जिस पर बल दिया गया है?
(A) मानक सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात कार्य करने का अधिकार
(B) आयु के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार
(C) राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों का नेतृत्व करने का अधिकार
(D) राज्य द्वारा वित्तपोषित अंतरराष्ट्रीय अवकाश का अधिकार

82. NHRC के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन एक पदेन (ex-officio) सदस्य है?
(A) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
(B) भारत के महान्यायवादी
(C) भारत के विधि मंत्री
(D) कैबिनेट सचिव

83. 'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत किस समूह पर सबसे सीधे लागू होता है?
(A) पर्यटक
(B) राजनयिक
(C) शरणार्थी
(D) विदेशी निवेशक

84. उस कथन की पहचान करें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के कार्य का सही वर्णन करता है।
(A) यह महामारियों को नियंत्रित करने में विफल रहने वाले राज्यों पर मुकदमा चलाता है।
(B) यह सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सेनाओं को आदेश देता है।
(C) यह अस्पतालों के निर्माण के लिए विकास ऋण प्रदान करता है।
(D) यह स्वास्थ्य मुद्दों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंड और मानक निर्धारित करता है।

85. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: जी7 में विश्व की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
कथन II: ब्रिक्स समूह प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

86. "सामान्य अंतरराष्ट्रीय विधि के अनिवार्य नियम" (jus cogens) की अवधारणा का तात्पर्य है कि यह नियम:
(A) बाद की राज्य संधि द्वारा संशोधित किया जा सकता है
(B) एक ऐसा नियम है जिससे किसी भी प्रकार के अल्पीकरण की अनुमति नहीं है
(C) केवल उन राज्यों पर बाध्यकारी है जो स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं
(D) केवल सशस्त्र संघर्ष के समय ही लागू होता है

87. निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई 'क्षेत्रातीत शरण' है?
(A) एक राज्य अपनी सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति को शरण देता है
(B) एक राज्य उस व्यक्ति को नागरिकता देता है जो वहां दस वर्षों से रह रहा है
(C) एक राज्य अपराधी को दूसरे देश को प्रत्यर्पित करता है
(D) एक राज्य किसी विदेशी बंदरगाह पर अपने युद्धपोत पर किसी व्यक्ति को शरण देता है

88. भारत में मानवाधिकारों का प्रवर्तन मुख्य रूप से किसके माध्यम से सुरक्षित किया जाता है?
(A) न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तित संवैधानिक अधिकार

(B) संयुक्त राष्ट्र के आदेश और निर्देश
(C) कार्यपालिका की प्रशासनिक कार्रवाई
(D) भारतीय दंड संहिता के विधिक प्रावधान

89. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों को चुनने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है?
(A) सुरक्षा परिषद स्वयं
(B) महासचिव
(C) महासभा
(D) जी20

90. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) को जब अपनाया गया था, तब इसकी विधिक स्थिति का सबसे उपयुक्त वर्णन है:
(A) नैतिक अधिकार के साथ सिद्धांतों की एक गैर-बाध्यकारी घोषणा
(B) सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी संधि
(C) केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों पर लागू होने वाला प्रस्ताव
(D) संयुक्त राष्ट्र चार्टर में एक संशोधन

91. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(C) राज्य के मुख्यमंत्री
(D) राज्य के राज्यपाल

92. किस घटना के पश्चात जी20 का महत्व काफी बढ़ गया?
(A) शीत युद्ध की समाप्ति
(B) 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट
(C) विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
(D) 9/11 के आतंकवादी हमले

93. अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए पंचनिर्णय (arbitration) और न्यायिक समाधान के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि:
(A) पंचनिर्णय बाध्यकारी है जबकि न्यायिक समाधान नहीं है
(B) न्यायिक समाधान पंचनिर्णय से तेज और कम औपचारिक है
(C) पक्ष स्वयं पंचों और लागू विधि का चयन करते हैं
(D) केवल राज्य न्यायिक समाधान का उपयोग करते हैं, व्यक्ति नहीं

94. 1951 के शरणार्थी अभिसमय के तहत उत्पीड़न के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित आधार नहीं है?
(A) नस्ल
(B) राजनीतिक विचारधारा
(C) किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता
(D) आर्थिक हानि

95. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I: (शब्दावली)
P. डी ज्यूरे मान्यता
Q. प्रत्यर्पण
R. शरण
S. डी फैक्टो मान्यता
सूची II: (विवरण)
1. राज्य की अनंतिम और सशर्त पावती
2. उत्पीड़न से भाग रहे व्यक्ति को दी गई सुरक्षा
3. मुकदमे के लिए भगोड़े का औपचारिक समर्पण
4. राज्य की अंतिम और पूर्ण मान्यता
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

96. बाल अधिकार अभिसमय (CRC) 'बालक' को किस आयु से कम के प्रत्येक मानव के रूप में परिभाषित करता है?
(A) 16 वर्ष
(B) 18 वर्ष
(C) 14 वर्ष
(D) 21 वर्ष

97. यह अवधारणा कि अंतरराष्ट्रीय विधि सर्वोच्च है और राष्ट्रीय विधि इसके अनुरूप होनी चाहिए, किसका एक केंद्रीय सिद्धांत है?
(A) द्वैतवादी सिद्धांत
(B) अंतरराष्ट्रीय प्रधानता के साथ अद्वैतवादी सिद्धांत
(C) बहुलवादी सिद्धांत
(D) रूपांतरण सिद्धांत

98. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक प्राथमिक कार्य संविधान द्वारा या उसके तहत या मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वर्तमान में लागू किसी भी विधि द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और उनके ______ के उपायों की सिफारिश करना है:
(A) प्रभावी कार्यान्वयन
(B) निरसन
(C) निलंबन
(D) अल्पीकरण

99. संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सामूहिक सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि एक सदस्य राज्य के विरुद्ध हमला है:
(A) केवल व्यक्तिगत पीड़ित राज्य की चिंता
(B) राज्यों के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल होने वाला विषय
(C) सामूहिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली चिंता

(D) सभी से स्वतः सैन्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने वाली स्थिति

100. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित कर सकता है।
कारण (R): यह घोषणा WHO को किसी भी देश पर विधिक रूप से बाध्यकारी यात्रा और व्यापार प्रतिबंध लागू करने की अनुमति देती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

101. निम्नलिखित में से कौन सार्क (SAARC) का सदस्य नहीं है?
(A) अफगानिस्तान
(B) भूटान
(C) म्यांमार
(D) मालदीव

102. यदि कोई राज्य एक ऐसी विधि पारित करता है जो स्पष्ट रूप से किसी अंतरराष्ट्रीय संधि की शर्तों को अपनी घरेलू विधिक प्रणाली में शामिल करती है, तो यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है?
(A) समावेशन
(B) रूपांतरण
(C) प्रत्यायोजन
(D) सामंजस्य

103. 'राजनयिक शरण' किसका एक रूप है?
(A) क्षेत्रीय शरण
(B) प्रादेशिक शरण
(C) अस्थायी सुरक्षा
(D) क्षेत्रातीत शरण

104. अनौपचारिक रूप से "मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय बिल" में UDHR के साथ और कौन से दो दस्तावेज सम्मिलित माने जाते हैं?
(A) ICCPR और ICESCR
(B) CEDAW और CRC
(C) जिनेवा अभिसमय और उनके प्रोटोकॉल
(D) शरणार्थी अभिसमय और उसका प्रोटोकॉल

105. शरणार्थियों के विधिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 1951 का शरणार्थी अभिसमय परिभाषित करता है कि शरणार्थी कौन है।
2. नॉन-रिफाउलमेंट का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी विधि का एक मूल सिद्धांत है।
3. आर्थिक प्रवासियों को सामान्यतः 1951 के अभिसमय के तहत शरणार्थी नहीं माना जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

106. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW) का मुख्य उद्देश्य है:
(A) सभी महिलाओं के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करना
(B) समान व्यावसायिक कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देना
(C) संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
(D) वैश्विक स्तर पर घरेलू हिंसा को अपराध घोषित करना

107. WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) न्यूयॉर्क
(B) पेरिस
(C) रोम
(D) जिनेवा

108. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: ब्रिक्स राष्ट्र सामूहिक रूप से विश्व की जनसंख्या और जीडीपी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
कथन II: ब्रिक्स समूह की एक प्रमुख पहल न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना थी।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

109. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के तहत अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में "विभिन्न राष्ट्रों के प्रख्यात विधिवेत्ताओं की शिक्षाओं" की क्या स्थिति है?
(A) एक प्राथमिक स्रोत, संधियों के समान
(B) संधियों या रुढ़ियों की अनुपस्थिति में ही लागू होने वाला स्रोत
(C) विधि के नियमों के निर्धारण के लिए एक सहायक साधन
(D) अब इसे वैध स्रोत नहीं माना जाता है

110. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. सार्क (SAARC) का गठन
2. ब्रिक (BRIC) (बाद में ब्रिक्स) का गठन
3. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
4. जी7 का गठन

सही विकल्प चुनें:
(A) 3, 4, 1, 2
(B) 4, 3, 1, 2

(C) 3, 1, 4, 2
(D) 1, 3, 4, 2

111. भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है?
(A) केंद्र सरकार
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) भारत की संसद
(D) भारत का उच्चतम न्यायालय

112. व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रीयता छीनने को कहा जाता है:
(A) देशत्याग
(B) राष्ट्रीयता का अपवंचन
(C) देशीयकरण
(D) त्याग

113. अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के संदर्भ में, किस पद्धति में एक तीसरा पक्ष सम्मिलित होता है जो विवाद करने वाले पक्षों को सक्रिय रूप से समाधान प्रस्तावित करता है?
(A) वार्ता
(B) मध्यस्थता
(C) सद्भावना प्रयास
(D) जांच

114. राज्यों के बीच व्यापक और सुसंगत व्यवहार का अस्तित्व स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य तत्व है:
(A) अंतरराष्ट्रीय रुढ़िगत विधि का एक नियम
(B) एक द्विपक्षीय संधि
(C) एक अनिवार्य नियम
(D) विधि का एक सामान्य सिद्धांत

115. 'वीटो पावर' सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की किसको रोकने की शक्ति है?
(A) प्रक्रियात्मक प्रस्ताव
(B) महासचिव के लिए नामांकन
(C) तात्त्विक प्रस्ताव
(D) किसी भी कार्यसूची मद पर चर्चा

116. अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत 'नॉन-रिफाउलमेंट' के सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समूह विशेष रूप से संरक्षित है?
(A) वृद्ध व्यक्ति
(B) बालक
(C) अल्पसंख्यक
(D) शरणार्थी

117. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होना चाहिए जो रहा हो:
(A) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
(B) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
(C) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(D) जिला न्यायाधीश

118. कौन सा अंतरराष्ट्रीय समूह 19 देशों और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक मंच है?
(A) जी7
(B) जी20
(C) सार्क
(D) ब्रिक्स

119. 'सरकार की मान्यता' 'राज्य की मान्यता' से भिन्न है क्योंकि:
(A) यह केवल गैर-लोकतांत्रिक शासन पर लागू होती है
(B) यह एक स्थायी और अपरिवर्तनीय विधिक कार्य है
(C) यह केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जाती है
(D) यह प्रशासनिक प्राधिकार को स्वीकार करती है

120. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I: (विधिक सिद्धांत)
P. दोहरा अपराध
Q. जस सोली
R. नॉन-रिफाउलमेंट
S. निर्माणात्मक सिद्धांत
सूची II: (संबद्ध अवधारणा)
1. शरणार्थी विधि
2. राज्यों की मान्यता
3. प्रत्यर्पण
4. राष्ट्रीयता
कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

121. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मुख्य रूप से किसके लिए की गई थी?
(A) वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना
(B) एक एकल विश्व सरकार स्थापित करना
(C) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना
(D) विश्व भर में शैक्षिक पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना

122. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किनके बीच विधिक विवादों को सुलझा सकता है?
(A) केवल राज्यों के बीच
(B) राज्यों और व्यक्तियों के बीच
(C) व्यक्तियों और निगमों के बीच
(D) राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच

123. अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि के बीच संबंध के बारे में कौन सा कथन 'द्वैतवादी' राज्य की विशेषता है?
(A) "अनुसमर्थन होने पर संधि देश की विधि बन जाती है।"
(B) "रुढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि हमारी विधि का हिस्सा है।"
(C) "हमारा संविधान जस कोजेंस के अधीन है।"

(D) "इस संधि को प्रभावी करने के लिए एक घरेलू सक्षम अधिनियम की आवश्यकता है।"

124. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जिसकी जांच किसके द्वारा की जाती है?
(A) संसद
(B) भारत का उच्चतम न्यायालय
(C) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति
(D) केंद्रीय सतर्कता आयोग

125. निम्नलिखित में से कौन सा सार्क (SAARC) का उद्देश्य नहीं है?
(A) दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना
(B) एक-दूसरे की समस्याओं के प्रति आपसी विश्वास, समझ और प्रशंसा में योगदान देना
(C) बाह्य आक्रमण के विरुद्ध एक साझा रक्षा समझौता स्थापित करना
(D) क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तीव्रता लाना

126. यह सिद्धांत कि किसी राज्य को विश्व में कहीं भी किए गए अपराधों के लिए अपने नागरिकों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार है, कहलाता है:
(A) क्षेत्रीय सिद्धांत
(B) सुरक्षात्मक सिद्धांत
(C) सार्वभौमिकता सिद्धांत
(D) राष्ट्रीयता सिद्धांत

127. मानवाधिकार विधि में 'हाशिए पर रहने वाले समूह' की अवधारणा उन समुदायों को संदर्भित करती है जो:
(A) सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों के कारण वंचित या असुरक्षित हैं
(B) भौगोलिक रूप से सुदूर हैं
(C) राजनीतिक रूप से शक्तिशाली किंतु संख्या में कम हैं
(D) मुख्यधारा के समाज में भाग लेने के लिए अनिच्छुक हैं

128. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) इस मूलभूत सिद्धांत के साथ प्रारंभ होती है कि:
(A) सभी राज्यों के पास संप्रभु विधिक समानता है
(B) सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और गरिमा में समान हैं
(C) राज्य सभी अधिकारों का अंतिम स्रोत है
(D) आर्थिक विकास व्यक्तिगत अधिकारों से पूर्व आता है

129. यदि राज्य A किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को राज्य B को सौंपने से इनकार कर देता है, जहाँ उस कार्यकर्ता पर राजद्रोह का आरोप है, तो राज्य A अपने किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है?
(A) प्रत्यर्पण
(B) शरण
(C) मान्यता
(D) हस्तक्षेप

130. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि का एक स्रोत हैं।
कारण (R): ये सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्तावों से प्राप्त होते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

131. ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का मुख्यालय कहाँ है?
(A) बीजिंग
(B) मास्को
(C) शंघाई
(D) नई दिल्ली

132. प्रत्यर्पण संधियों का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) राजनयिकों को छूट देना
(B) शरणार्थियों के अधिकारों को परिभाषित करना
(C) सीमा विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना
(D) राज्यों के बीच भगोड़ों की वापसी को सुगम बनाना

133. अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले 'विधि के सामान्य सिद्धांत' का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता
(B) प्रतिबंधों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव
(C) 'रेस ज्यूडिकाटा' (res judicata) का सिद्धांत
(D) एक विशिष्ट तटीय राज्य का समुद्री विधि

134. संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय को उसके प्रतिनिधित्व में सबसे अधिक लोकतांत्रिक माना जा सकता है?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) महासभा
(C) सचिवालय
(D) न्यास परिषद

135. जी7 और जी20 के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि जी20:
(A) जी7 से पुराना है
(B) विशेष रूप से सुरक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है
(C) इसकी सदस्यता कम और अधिक विशिष्ट है
(D) इसमें विकसित देशों के साथ-साथ प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं

136. सशस्त्र संघर्ष को विनियमित करने वाली विधि, जिसे 'जस इन बेलो' (jus in bello) भी कहा जाता है, किसका भाग है?

(A) सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि
(B) अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि
(C) अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि
(D) अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण विधि

137. कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य का गलत वर्णन करता है?
(A) यह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी भी जेल या अन्य संस्था का दौरा कर सकता है।
(B) यह पीड़ित को अंतरिम राहत देने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है।
(C) यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित किसी भी मामले की जांच कर सकता है।
(D) यह मानवाधिकार उल्लंघन के किसी भी मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच कर सकता है।

138. बाल अधिकार अभिसमय (CRC) किन श्रेणियों में बालकों के अधिकारों को स्थापित करता है?
(A) उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता
(B) केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक
(C) केवल नागरिक और राजनीतिक
(D) केवल शिक्षा और स्वास्थ्य

139. दूतावास जैसे राजनयिक परिसरों के भीतर शरण देना किसका एक उदाहरण है?
(A) क्षेत्रीय शरण
(B) अस्थायी सुरक्षा
(C) नॉन-रिफाउलमेंट
(D) क्षेत्रातीत शरण

140. संधियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संधियाँ केवल उन्हीं राज्यों पर बाध्यकारी होती हैं जिन्होंने उनके द्वारा बाध्य होने की सहमति दी है।
2. पैक्टा संट सर्वेंडा के सिद्धांत का अर्थ है कि संधियों का पालन सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए।
3. कोई राज्य कभी भी बहुपक्षीय संधि के लिए आरक्षण नहीं कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

141. 'शरणार्थी' की विधिक स्थिति मुख्य रूप से किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज द्वारा परिभाषित की गई है?
(A) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948
(B) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966
(C) शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जिनेवा अभिसमय, 1951
(D) बाल अधिकार अभिसमय, 1989

142. संयुक्त राष्ट्र में बजट के अनुमोदन सहित "वित्तीय शक्ति" किसमें निहित है?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) महासचिव
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद
(D) महासभा

143. निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
(A) राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी नियम और सिद्धांत
(B) राष्ट्रों के बीच शिष्टाचार और नैतिकता की एक प्रणाली
(C) सभी राष्ट्रों के लिए सामान्य घरेलू विधियों का एक समूह
(D) विश्व सरकार के साथ एक अति-राष्ट्रीय विधिक प्रणाली

144. NHRC मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच कर सकता है, सिवाय उसके जब शिकायत:
(A) अनाम हो
(B) एक वर्ष से अधिक समय पूर्व हुई घटना से संबंधित हो
(C) राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध हो
(D) प्रकृति में तुच्छ हो

145. रुढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि के संदर्भ में 'ओपिनियो ज्यूरिस सिव नेसेसिटैटिस' क्या है?
(A) राज्य के अभ्यास का भौतिक तथ्य
(B) यह विश्वास कि एक निश्चित राज्य अभ्यास विधिक रूप से अनिवार्य है
(C) किसी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की राय
(D) अंतरराष्ट्रीय विधि का एक अनिवार्य नियम

146. इनमें से कौन सा WHO का कार्य है?
(A) अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों को विकसित और प्रोत्साहित करना
(B) स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक विकास ऋण प्रदान करना
(C) महामारियों के दौरान वैश्विक पुलिस बल के रूप में कार्य करना
(D) औषधीय उत्पादों से जुड़े व्यापार विवादों को सुलझाना

147. दूसरे राज्य के अस्तित्व की औपचारिक पावती, जो पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने की इच्छा का संकेत देती है, कहलाती है:
(A) डी फैक्टो मान्यता
(B) सशर्त मान्यता
(C) डी ज्यूरे मान्यता
(D) सामूहिक मान्यता

148. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: राज्य के क्षेत्र में जन्म द्वारा राष्ट्रीयता प्राप्त करने को 'जस सोली' कहा जाता है।
कथन II: उस माता-पिता से वंश द्वारा राष्ट्रीयता प्राप्त करना जो एक नागरिक है, 'जस सैंग्विनिस' कहलाता है।

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

149. सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान का संरक्षण किस समूह के अधिकारों के लिए केंद्रीय है?
(A) वृद्ध व्यक्ति
(B) शरणार्थी
(C) अल्पसंख्यक
(D) बालक

150. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I: (समूह/निकाय)
P. संयुक्त राष्ट्र (UN)
Q. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
R. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
S. सार्क (SAARC)
सूची II: (मुख्यालय)
1. जिनेवा
2. काठमांडू
3. न्यूयॉर्क
4. द हेग
कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

151. अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत विवाद समाधान के पीड़क (coercive) तरीके का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) मध्यस्थता
(B) सुलह
(C) पंचनिर्णय
(D) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

152. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR) और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICESCR) हैं:
(A) उन राज्यों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी संधियाँ जिन्होंने उन्हें अनुमोदित किया है
(B) गैर-बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव
(C) यूरोप के लिए क्षेत्रीय मानवाधिकार अभिसमय
(D) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के प्रोटोकॉल

153. राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है?
(A) राज्यपाल
(B) राज्य विधानमंडल
(C) राज्य सरकार
(D) राज्य का उच्च न्यायालय

154. राज्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत किसकी एक मौलिक अवधारणा है?
(A) सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि
(B) मानवाधिकार विधि
(C) यूरोपीय संघ विधि
(D) घरेलू संवैधानिक विधि

155. ब्रिक्स (BRICS) समूह को मूल रूप से 'BRIC' के रूप में जाना जाता था। किस देश के सम्मिलित होने से यह नाम परिवर्तित हुआ?
(A) स्वीडन
(B) स्पेन
(C) सिंगापुर
(D) दक्षिण अफ्रीका

156. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य है:
(A) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
(B) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना
(C) मानवाधिकारों की रक्षा करना
(D) विशिष्ट एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करना

157. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत "मानवाधिकार" की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है?
(A) जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
(B) समानता और गरिमा का अधिकार
(C) वे अधिकार जो केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा प्रत्याभूत हैं किंतु भारत में लागू करने योग्य नहीं हैं
(D) अंतरराष्ट्रीय समझौतों में सम्मिलित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार

158. मानवाधिकार चर्चा में "हाशिए पर रहने वाले समूहों के संरक्षण" की अवधारणा किस पर बल देती है?
(A) सभी के लिए औपचारिक समानता का सिद्धांत
(B) पहचान बनाए रखने के लिए समूहों का पृथक्करण
(C) इन समूहों को बेहतर विधिक स्थिति प्रदान करना
(D) वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय

159. राज्य की मान्यता का 'निर्माणात्मक सिद्धांत' यह प्रतिपादित करता है कि:
(A) मान्यता एक राज्य को उसका विधिक अस्तित्व प्रदान करती है
(B) मान्यता केवल तथ्य की घोषणा है
(C) केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य ही वास्तविक राज्य हैं
(D) मान्यता विशुद्ध रूप से राजनीतिक और गैर-विधिक कार्य है

160. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): अद्वैतवादी सिद्धांत का पालन करने वाले राज्य में, अंतरराष्ट्रीय विधि सक्षम अधिनियम की आवश्यकता के बिना उसकी घरेलू अदालतों में सीधे लागू होती है।
कारण (R): अद्वैतवाद अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विधि को दो विशिष्ट और पृथक विधिक व्यवस्थाओं के रूप में देखता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

161. वह व्यक्ति जिसने संघर्ष के कारण अपना घर छोड़ दिया है किंतु अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है, उसे कहा जाता है:
(A) शरण चाहने वाला
(B) आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP)
(C) शरणार्थी
(D) राज्यविहीन व्यक्ति

162. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि की मुख्य आलोचनाओं में से एक है:
(A) एक सुसंगत और अनिवार्य प्रवर्तन तंत्र का अभाव
(B) व्यक्तिगत अधिकारों पर अत्यधिक बल
(C) इसके स्रोतों की जटिलता
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों की बहुलता

163. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है?
(A) 5
(B) 15
(C) 10
(D) 7

164. अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान में मध्यस्थता (mediation) और सुलह (conciliation) के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) मध्यस्थता बाध्यकारी है, जबकि सुलह नहीं है
(B) सुलह में एक व्यक्ति सम्मिलित होता है, मध्यस्थता में कई
(C) सुलह न्यायिक है, जबकि मध्यस्थता नहीं है
(D) एक मध्यस्थ समाधान का प्रस्ताव देता है; एक सुलहकर्ता सिफारिश करता है

165. 1951 के अभिसमय में 'शरणार्थी' शब्द उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसे निम्नलिखित सभी आधारों पर उत्पीड़न का उचित भय है, सिवाय इसके:
(A) धर्म
(B) राष्ट्रीयता
(C) निर्धनता
(D) राजनीतिक विचारधारा

166. किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के लिए आधारभूत दस्तावेज माना जाता है?
(A) मैग्ना कार्टा
(B) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
(C) अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा
(D) संयुक्त राष्ट्र चार्टर

167. एक दृष्टांत: देश X, देश Y से X के एक नागरिक को वापस करने का अनुरोध करता है जिस पर X में बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। यह कार्य Y में भी अपराध है। देश Y सहमत होता है और व्यक्ति को सौंप देता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है:
(A) शरण
(B) मान्यता
(C) हस्तक्षेप
(D) प्रत्यर्पण

168. NHRC का अध्यक्ष वह व्यक्ति होना चाहिए जो रहा हो:
(A) भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश
(B) किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
(C) उच्चतम न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश
(D) प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता

169. जी7 शिखर सम्मेलन किसकी वार्षिक बैठक है?
(A) केवल वित्त मंत्रियों की
(B) केवल रक्षा मंत्रियों की
(C) सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की
(D) संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधियों की

170. भारत के NHRC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है।
2. इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

171. "बालक के सर्वोत्तम हित" किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय अभिसमय में एक मार्गदर्शक सिद्धांत है?
(A) CEDAW
(B) CAT
(C) ICESCR
(D) CRC

172. "सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत" के रूप में जाने जाने वाले विधि का स्रोत सामान्यतः संदर्भित करता है:
(A) अंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार और शालीनता के सिद्धांत
(B) विश्व की प्रमुख घरेलू विधिक प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत
(C) संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव
(D) प्राचीन विधिक विद्वानों के लेखन

173. संयुक्त राष्ट्र के 'सचिवालय' का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है?
(A) महासभा के अध्यक्ष
(B) सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष
(C) महासचिव
(D) मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त

174. जी20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश सम्मिलित हैं
(B) इसका गठन 1999 में वित्त और बैंक नेताओं के लिए किया गया था
(C) यह वित्तीय स्थिरता जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करता है
(D) इसमें स्थायी सचिवालय और औपचारिक चार्टर का अभाव है

175. प्रत्यर्पण विधि में 'विशिष्टता' के सिद्धांत का अर्थ है:
(A) व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था।
(B) प्रत्यर्पित व्यक्ति को अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए।
(C) अपराध विशेष और जघन्य प्रकृति का होना चाहिए।
(D) केवल विशेष न्यायालय ही प्रत्यर्पित व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं।

176. राज्य की मान्यता का कौन सा सिद्धांत इस विचार के अनुरूप है कि "कोई राज्य वास्तव में अस्तित्व में हो सकता है, किंतु जब तक उसे अन्य राज्यों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, वह विधि की दृष्टि में अस्तित्व में नहीं होता"?
(A) घोषणात्मक सिद्धांत
(B) निर्माणात्मक सिद्धांत
(C) साक्ष्य सिद्धांत
(D) अद्वैतवादी सिद्धांत

177. वह व्यक्ति जिसे अपना घर छोड़ने के लिए विवश किया गया है किंतु वह अपने देश की सीमाओं के भीतर रहता है, कहलाता है:
(A) एक राज्यविहीन व्यक्ति
(B) एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP)
(C) एक शरणार्थी
(D) एक शरण चाहने वाला

178. भारत में मानवाधिकारों का कार्यान्वयन किसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से सुदृढ़ होता है?
(A) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
(B) NHRC और SHRC
(C) जिला न्यायालय
(D) भारत का विधि आयोग

179. भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण को एक विशिष्ट नागरिक विधि के माध्यम से लागू किया जाता है, जो है:
(A) भारतीय दंड संहिता
(B) दहेज निषेध अधिनियम, 1961
(C) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
(D) परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984

180. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I: (अवधारणा)
P. वीटो पावर
Q. नॉन-रिफाउलमेंट
R. द्वैतवाद
S. डी ज्यूरे मान्यता
सूची II: (प्रासंगिक क्षेत्र)
1. शरणार्थी विधि
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
3. राज्यों की मान्यता
4. अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

181. संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्शकारी अंग, जहाँ सभी सदस्य राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, वह है:
(A) सुरक्षा परिषद
(B) आर्थिक और सामाजिक परिषद
(C) महासभा
(D) सचिवालय

182. एक संधि जो एक नया अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित करती है, उसे कहा जाता है:
(A) विधि-निर्मात्री संधि
(B) संघटक संधि (Constituent treaty)
(C) संविदा संधि
(D) घोषणात्मक संधि

183. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है।
कथन II: राज्य मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

184. किसी व्यक्ति और राज्य के बीच विधिक बंधन कहलाता है:
(A) राष्ट्रीयता
(B) अधिवास
(C) निवास
(D) निष्ठा

185. एक बहुपक्षीय संधि के विशिष्ट जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
1. प्रवर्तन में आना
2. अनुसमर्थन
3. पाठ को अपनाना
4. हस्ताक्षर
सही विकल्प चुनें:
(A) 3, 4, 2, 1
(B) 4, 3, 2, 1
(C) 3, 2, 4, 1
(D) 2, 4, 3, 1

186. निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स (BRICS) का सदस्य नहीं है?
(A) इंडोनेशिया
(B) ब्राजील
(C) रूस
(D) चीन

187. मानवाधिकार संरक्षण के संदर्भ में 'अल्पसंख्यक' शब्द मुख्य रूप से किसके आधार पर परिभाषित किया गया है?
(A) अपनी निम्न आर्थिक स्थिति से परिभाषित समूह
(B) अपनी भौगोलिक स्थिति से परिभाषित समूह
(C) विशिष्ट राजनीतिक संबद्धता से परिभाषित समूह
(D) विशिष्ट पहचान वाला संख्यात्मक रूप से न्यून समूह

188. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत किस निकाय को सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी निर्णय लेने का अधिकार है?
(A) महासभा
(B) सुरक्षा परिषद
(C) विश्व स्वास्थ्य संगठन
(D) गैर-सहमति वाले राज्यों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

189. मान्यता के निर्माणात्मक सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह मान्यता को किस रूप में मानता है?
(A) विशुद्ध रूप से तथ्यात्मक पावती
(B) सभी राज्यों का नैतिक कर्तव्य
(C) विधिक परिणामों वाला राजनीतिक कार्य
(D) संयुक्त राष्ट्र का विशेषाधिकार

190. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सहमतिजन्य (consensual) है।
कारण (R): राज्यों को अपने विवाद को ICJ में भेजने के लिए सहमत होना चाहिए; इसके पास स्वतः अनिवार्य अधिकार क्षेत्र नहीं है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

191. सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में NHRC की प्राथमिक भूमिका है:
(A) सरकार से रिपोर्ट मांगना और सिफारिशें करना
(B) कर्मियों की सीधे जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना
(C) कोर्ट मार्शल की कार्यवाही का आदेश देना और उसकी निगरानी करना
(D) अपने स्वयं के कोष से सीधे मुआवजे का भुगतान करना

192. निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों के निर्धारण के लिए सहायक साधन माना जाता है?
(A) संधियाँ
(B) न्यायिक निर्णय
(C) रूढ़िगत विधि
(D) विधि के सामान्य सिद्धांत

193. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय किस अंतरराष्ट्रीय समूह की एक प्रमुख पहल है?
(A) जी20
(B) सार्क (SAARC)
(C) ब्रिक्स (BRICS)
(D) जी7

194. एक राज्य जो अपने क्षेत्र में किसी व्यक्ति को आश्रय देता है, वह क्या प्रदान कर रहा है?
(A) क्षेत्रीय शरण
(B) राजनयिक शरण
(C) क्षेत्रातीत शरण
(D) राजनीतिक शरण

195. कौन सा कथन अद्वैतवादी (Monist) सिद्धांत का सटीक वर्णन करता है?
(A) यह अंतरराष्ट्रीय और नगरपालिका विधि को पृथक मानता है
(B) इसके उपयोग के लिए रूपांतरण के एक विशिष्ट कार्य की आवश्यकता होती है
(C) यह विधिक व्यवस्था को एक एकल, एकीकृत प्रणाली के रूप में देखता है

(D) यह वैश्विक विधि पर घरेलू विधि को स्वतः प्रधानता देता है

196. संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में WHO जैसी विशिष्ट एजेंसियां सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र और इन एजेंसियों के बीच संबंध की प्रकृति क्या है?
(A) एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के विभाग हैं
(B) एजेंसियां महासभा को रिपोर्ट करने वाले क्षेत्रीय निकाय हैं
(C) एजेंसियों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर प्राधिकार है
(D) एजेंसियां समझौते द्वारा जुड़ी स्वतंत्र निकाय हैं

197. यह अवधारणा कि कुछ मौलिक मानवाधिकार सभी मनुष्यों में निहित हैं और राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं, कहलाती है:
(A) सकारात्मक अधिकार
(B) विधिक अधिकार
(C) प्राकृतिक अधिकार
(D) पारंपरिक अधिकार

198. मानवाधिकार विधि के तहत वृद्ध व्यक्तियों का संरक्षण उनके किस अधिकार को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है?
(A) अनिश्चित काल तक सार्वजनिक पद धारण करना
(B) गरिमा, स्वास्थ्य और गैर-भेदभाव
(C) सभी विधियों से मुक्त होना
(D) राष्ट्रीय औसत आय के बराबर राज्य पेंशन प्राप्त करना

199. 'राज्यविहीन' व्यक्ति वह है जो:
(A) संयुक्त राष्ट्र द्वारा अमान्यता प्राप्त राज्य का नागरिक है
(B) स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए अपनी राष्ट्रीयता छोड़ चुका है
(C) स्थायी रूप से अपने मूल देश के बाहर रहता है
(D) किसी भी राज्य की विधि द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है

200. संयुक्त राष्ट्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं।
2. महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः गैर-बाध्यकारी होते हैं।
3. महासचिव मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

201. निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से नहीं है?
(A) फ्रांस
(B) यूनाइटेड किंगडम
(C) जर्मनी
(D) चीन

202. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) एक है:
(A) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी
(B) गैर-सरकारी संगठन
(C) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग
(D) यूरोप के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्य निकाय

203. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की संविधि के तहत 'वैकल्पिक खंड' (optional clause) किससे संबंधित है?
(A) विशिष्ट तदर्थ न्यायाधीशों का चयन
(B) न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का विकल्प
(C) अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए प्रक्रियात्मक नियम
(D) न्यायालय के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र की स्वीकृति

204. शांतिपूर्ण विवाद समाधान का सबसे औपचारिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) वार्ता
(B) न्यायिक समाधान
(C) सद्भावना प्रयास
(D) मध्यस्थता

205. संधियों की विधि पर वियना अभिसमय (1969) को अक्सर कहा जाता है:
(A) "संधियों की संधि"
(B) "संधियों का चार्टर"
(C) "संधियों की विधि" (Treaty on treaties)
(D) "संधियों का कानून"

206. राज्यों के आंतरिक मामलों में 'अहस्तक्षेप' का सिद्धांत किसकी आधारशिला है?
(A) अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि
(B) वैश्विक आर्थिक नीति
(C) जी7 का जनादेश
(D) सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि

207. जी7 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) यह प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है
(B) इसमें चीन और भारत सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं
(C) यह संधि आधारित एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन है
(D) इसके निर्णय सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी हैं

208. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: प्रत्यर्पण किसी आपराधिक भगोड़े को उस राज्य को सौंपने की प्रक्रिया है जहाँ अपराध किया गया था।
कथन II: शरण एक राज्य द्वारा उत्पीड़न से भाग रहे व्यक्ति को दी गई सुरक्षा है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

209. विवाह या निवास की लंबी अवधि के माध्यम से राष्ट्रीयता प्राप्त करना कहलाता है:
(A) जस सोली
(B) देशीयकरण
(C) जस सैंग्विनिस
(D) वशीकरण

210. किसी राज्य की डी फैक्टो और डी ज्यूरे मान्यता के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
(A) डी फैक्टो अनंतिम है; डी ज्यूरे अंतिम और विधिक है
(B) डी फैक्टो एक राज्य द्वारा है; डी ज्यूरे संयुक्त राष्ट्र द्वारा है
(C) डी फैक्टो सरकारों के लिए है; डी ज्यूरे राज्यों के लिए है
(D) डी फैक्टो प्रतिसंहरणीय है; डी ज्यूरे स्थायी है

211. भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है:
(A) संवैधानिक निकाय
(B) संविधानेतर निकाय
(C) सांविधिक निकाय
(D) गैर-सरकारी संगठन

212. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कौन सम्मिलित होते हैं?
(A) राज्य उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
(B) राज्य के महाधिवक्ता
(C) आधिकारिक क्षमता में राज्य के राज्यपाल
(D) राज्य के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता

213. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW) को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) एक 'सॉफ्ट-लॉ' घोषणा
(B) यूरोप के लिए एक क्षेत्रीय संधि
(C) महिलाओं के लिए मानवाधिकारों का एक अंतरराष्ट्रीय बिल
(D) केवल महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर केंद्रित एक अभिसमय

214. अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत संरक्षित अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों में सम्मिलित है:
(A) किसी भी राष्ट्रीय विधायी कार्यों को वीटो करने का अधिकार
(B) अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा का अधिकार
(C) पृथक होने और एक नया संप्रभु राज्य बनाने का अधिकार
(D) बहुसंख्यक आबादी की तुलना में तरजीही व्यवहार प्राप्त करना

215. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का 'प्रवर्तन' मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है?
(A) एक केंद्रीकृत वैश्विक अंतरराष्ट्रीय पुलिस बल
(B) सभी के लिए ICJ का अनिवार्य अधिकार क्षेत्र
(C) संयुक्त राष्ट्र के अंगों द्वारा स्वतः सैन्य हस्तक्षेप
(D) पारस्परिकता, राज्य की सद्भावना और विभिन्न प्रतिबंध

216. कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि एक एकल, एकीकृत विधिक ढांचे का भाग हैं?
(A) अद्वैतवादी सिद्धांत
(B) द्वैतवादी सिद्धांत
(C) बहुलवादी सिद्धांत
(D) यथार्थवादी सिद्धांत

217. चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव है:
(A) मात्र एक सिफारिश
(B) केवल विवाद में शामिल राज्यों पर बाध्यकारी
(C) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी
(D) महासभा द्वारा अनुमोदन के अधीन

218. ICJ का मुख्य कार्य राज्यों द्वारा उसे सौंपे गए विधिक विवादों को सुलझाना और:
(A) संयुक्त राष्ट्र को विधिक प्रश्नों पर परामर्शदात्री राय देना
(B) वैश्विक युद्ध अपराधों के लिए विशिष्ट व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना
(C) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को सीधे लागू करना
(D) राष्ट्रों के बीच विभिन्न राजनीतिक संघर्षों में मध्यस्थता करना

219. निम्नलिखित में से कौन सार्क (SAARC) का सदस्य नहीं है?
(A) पाकिस्तान
(B) नेपाल
(C) श्रीलंका
(D) थाईलैंड

220. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I: (अंतरराष्ट्रीय अभिसमय)
P. CRC
Q. CEDAW
R. 1951 का जिनेवा अभिसमय
S. ICCPR
सूची II: (विषय वस्तु)
1. नागरिक और राजनीतिक अधिकार
2. महिलाओं के अधिकार
3. बालक के अधिकार
4. शरणार्थियों की स्थिति
कूट:
(A) P-3, Q-2, R-4, S-1
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

221. व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से राज्य का इनकार क्योंकि कथित अपराध प्रकृति में राजनीतिक है, कहलाता है:
(A) विशिष्टता का सिद्धांत
(B) दोहरे अपराध का नियम
(C) राजनीतिक अपराध अपवाद
(D) नॉन-रिफाउलमेंट का सिद्धांत

222. 1951 के शरणार्थी अभिसमय की शरणार्थी की परिभाषा किस तिथि से पूर्व होने वाली घटनाओं तक सीमित है?
(A) 1 जनवरी 1945
(B) 1 जनवरी 1967
(C) 1 जनवरी 1990
(D) 1 जनवरी 1951

223. किस विधिक दस्तावेज ने मूल 1951 के शरणार्थी अभिसमय की कालगत और भौगोलिक सीमाओं को हटा दिया?
(A) 1967 का प्रोटोकॉल
(B) कार्टाजेना घोषणा
(C) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
(D) संधियों की विधि पर वियना अभिसमय

224. भारत में, मानवाधिकारों की अवधारणा और कार्यान्वयन संविधान के किस भाग में सर्वाधिक सुदृढ़ रूप से निहित है?
(A) भाग I - संघ और उसका राज्य क्षेत्र
(B) भाग III - मौलिक अधिकार
(C) भाग V - संघ
(D) केवल प्रस्तावना में

225. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच अधिकार क्षेत्र का विस्तार किनके द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन तक है?
(A) केवल राज्य सरकार के कर्मचारी
(B) राज्य और केंद्र सरकार दोनों के कर्मचारी
(C) केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी
(D) केवल निजी व्यक्ति और निगम

226. निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत बालकों के संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है?
(A) 'बालक के सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत
(B) 16 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार
(C) सेना में सेवा करने का कर्तव्य
(D) बाध्यकारी संविदा करने का अधिकार

227. 'ओपिनियो ज्यूरिस' स्थापित करने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व है:
(A) द्विपक्षीय संधि की शर्तें
(B) ICJ का अधिकार क्षेत्र
(C) रुढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि का एक नियम
(D) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता

228. विवादास्पद मामलों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय होते हैं:
(A) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी
(B) विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं, किंतु उच्च नैतिक शक्ति रखते हैं
(C) केवल तभी बाध्यकारी यदि सुरक्षा परिषद उन्हें लागू करे
(D) केवल विशिष्ट मामले के पक्षों पर बाध्यकारी

229. किस समूह का गठन 1973 के तेल संकट की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया था और इसमें प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सम्मिलित हैं?
(A) जी20
(B) ब्रिक्स (BRICS)
(C) जी7
(D) सार्क (SAARC)

230. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): तात्त्विक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं।
कारण (R): महासभा बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय विधि बनाने की शक्ति के साथ "विश्व संसद" के रूप में कार्य करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

231. शरण और प्रत्यर्पण के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि शरण _______ का कार्य है, जबकि प्रत्यर्पण _______ का कार्य है।
(A) समर्पण; संरक्षण
(B) मान्यता; अभियोजन
(C) अभियोजन; मान्यता
(D) संरक्षण; समर्पण

232. राज्य की मान्यता का 'घोषणात्मक' सिद्धांत यह मानता है कि मान्यता है:
(A) राज्य के पूर्व-मौजूदा अस्तित्व की पावती
(B) विधिक कार्य जो वास्तव में नए राज्य का निर्माण करता है
(C) राज्यों पर बिना किसी वास्तविक विधिक प्रभाव वाला एक राजनीतिक उपकरण
(D) विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाने वाला कार्य

233. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पास कुछ मामलों के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, जैसे:
(A) गिरफ्तारी वारंट जारी करना
(B) जुर्माना और कारावास आरोपित करना
(C) साक्षियों को समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना

(D) संपत्ति की कुर्की और विक्रय

234. अल्पसंख्यकों के संरक्षण के पीछे मूल विचार यह सुनिश्चित करना है:
(A) उनका अस्तित्व और निरंतर पहचान
(B) बहुसंख्यक संस्कृति में उनका अंततः समावेश
(C) बहुसंख्यक पर उनका राजनीतिक प्रभुत्व
(D) शेष जनसंख्या से उनका भौतिक पृथक्करण

235. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रवर्तन तंत्र को अक्सर विकेंद्रीकृत कहा जाता है क्योंकि:
(A) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास कोई प्रवर्तन शक्ति नहीं है
(B) ICJ किसी भी राज्य को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए विवश कर सकता है
(C) एक एकल, केंद्रीकृत विश्व पुलिस बल है
(D) विधि का प्रवर्तन मुख्य रूप से व्यक्तिगत राज्यों पर निर्भर है

236. अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति अद्वैतवादी दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह:
(A) संधियों को लागू करने के लिए घरेलू विधि की आवश्यकता मानता है
(B) अंतरराष्ट्रीय विधि को स्वतः ही घरेलू विधिक व्यवस्था का भाग मानता है
(C) अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विधि को पूर्णतः पृथक क्षेत्रों के रूप में मानता है
(D) संघर्ष की स्थिति में घरेलू विधि को प्राथमिकता देता है

237. स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की प्रमुख विशेषता है?
(A) महासभा
(B) आर्थिक और सामाजिक परिषद
(C) सुरक्षा परिषद
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

238. वैश्विक महामारी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका मुख्य रूप से है:
(A) संकट के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों को आदेश देना
(B) स्वतंत्र रूप से टीकों का निर्माण और वितरण करना
(C) महामारी फैलने के लिए उत्तरदायी लोगों पर मुकदमा चलाना
(D) सदस्य राज्यों को मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करना

239. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) की स्थापना किस समूह की प्रमुख उपलब्धियां हैं?
(A) ब्रिक्स (BRICS)
(B) जी7
(C) सार्क (SAARC)
(D) जी20

240. भारत में मानवाधिकार आयोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन का स्वतः संज्ञान ले सकता है।
2. एक SHRC केवल अपने संबंधित राज्य के भीतर मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
3. NHRC और SHRC दोनों की सिफारिशें न्यायालय के आदेशों के रूप में सीधे लागू करने योग्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

241. 'जस कोजेंस' नियम अंतरराष्ट्रीय विधि के अनिवार्य नियम हैं जिनसे:
(A) राज्य संधि द्वारा विमुख हो सकते हैं
(B) किसी भी प्रकार के उल्लंघन की अनुमति नहीं है
(C) युद्ध के समय उल्लंघन की अनुमति है
(D) केवल शक्तिशाली राज्यों को छूट प्राप्त है

242. उत्पीड़न के उचित भय के कारण अपना देश छोड़कर दूसरे देश में विधिक संरक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति है:
(A) शरण चाहने वाला
(B) प्रवासी
(C) अवैध आप्रवासी
(D) पर्यटक

243. "जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार" UDHR के किस अनुच्छेद में निहित एक मौलिक अधिकार है?
(A) अनुच्छेद 1
(B) अनुच्छेद 18
(C) अनुच्छेद 3
(D) अनुच्छेद 25

244. बाल अधिकार अभिसमय (CRC) का मुख्य उद्देश्य किसके अधिकारों की रक्षा करना है?
(A) 21 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्ति
(B) केवल विकासशील देशों के बालक
(C) केवल अनाथ बालक
(D) 18 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्ति

245. ICJ संविधि के अनुच्छेद 38 में सूचीबद्ध सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) अंतरराष्ट्रीय अभिसमय
(B) अंतरराष्ट्रीय रुढ़ि
(C) संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव
(D) विधि के सामान्य सिद्धांत

246. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मुख्य उद्देश्य है:
(A) अंतरराष्ट्रीय विधि के सभी भागों को संहिताबद्ध करना

(B) संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और संरचना को रेखांकित करना
(C) एक विश्व सरकार का निर्माण करना
(D) अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियम स्थापित करना

247. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) किसका प्रमुख न्यायिक अंग है?
(A) यूरोपीय संघ
(B) विश्व व्यापार संगठन
(C) अफ्रीकी संघ
(D) संयुक्त राष्ट्र

248. जी20 की प्राथमिक विशेषता क्या है?
(A) प्रमुख विकसित और उभरते देशों की सदस्यता
(B) सैन्य गठबंधन बनाने पर प्राथमिक ध्यान
(C) विकसित यूरोपीय राष्ट्रों की अनन्य सदस्यता
(D) एक वैश्विक अंतरराष्ट्रीय विधायिका के रूप में कार्य करना

249. प्रत्यर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) सभी राज्यों के लिए भगोड़ों को प्रत्यर्पित करना अनिवार्य है।
(B) राजनीतिक अपराधी सामान्यतः प्रत्यर्पण के अधीन होते हैं।
(C) यह सामान्यतः द्विपक्षीय संधियों द्वारा शासित होता है।
(D) किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए प्रत्यर्पित किया जा सकता है जो अनुरोध प्राप्त राज्य में अपराध नहीं है।

250. निम्नलिखित मानवाधिकार निकायों/अवधारणाओं को उनके उद्भव या स्थापना के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
2. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
3. बाल अधिकार अभिसमय
4. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय

सही विकल्प चुनें:
(A) 2, 3, 1, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 2, 4, 3
(D) 2, 3, 4, 1

251. 'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत किसी राज्य को किस कार्य से रोकता है?
(A) पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करना
(B) नवजात को नागरिकता प्रदान करने से मना करना
(C) अंतरराष्ट्रीय संधि से विमुख होना
(D) शरणार्थी को ऐसे देश में वापस भेजना जहाँ उसे उत्पीड़न का भय हो

252. भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 राष्ट्रीय स्तर पर NHRC और राज्य स्तर पर _______ के गठन का प्रावधान करता है।
(A) मानवाधिकार न्यायालय
(B) राज्य मानवाधिकार आयोग
(C) मानवाधिकार उप-समितियां
(D) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण

253. वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों को अक्सर किस संदर्भ में तैयार किया जाता है?
(A) कार्यबल में उनके निरंतर योगदान को सुनिश्चित करना
(B) उनकी राजनीतिक सहभागिता को सीमित करना
(C) उनकी गरिमा, स्वायत्तता और देखभाल की प्रत्याभूति देना
(D) वृद्धाश्रमों में उनका अनिवार्य स्थापन

254. सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि के बीच संबंध की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा समान रूप से परिभाषित है।
(B) नगरपालिका विधि हमेशा अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन होती है।
(C) अंतरराष्ट्रीय विधि की घरेलू न्यायालयों में कोई प्रासंगिकता नहीं है।
(D) यह सैद्धांतिक बहस का विषय है, मुख्य रूप से अद्वैतवाद और द्वैतवाद के बीच।

255. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास शांति पुनः स्थापित करने के लिए सैन्य कार्रवाई अधिकृत करने की शक्ति है।
कथन II: 'शांति के लिए एकता' प्रस्ताव महासभा को कार्रवाई करने की अनुमति देता है यदि सुरक्षा परिषद में गतिरोध हो।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

256. अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में 'संधियों' की क्या भूमिका है?
(A) वे राजनीतिक मंतव्य के गैर-बाध्यकारी समझौते हैं
(B) वे विधिक दायित्व सृजित करने वाले बाध्यकारी समझौते हैं
(C) वे रूढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन हैं
(D) वे केवल वैश्विक व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रासंगिक हैं

257. कौन सा देश ब्रिक्स (BRICS) का सदस्य है किंतु जी20 का नहीं?
(A) ब्राजील
(B) कोई नहीं, सभी ब्रिक्स सदस्य जी20 के भी सदस्य हैं।
(C) रूस
(D) दक्षिण अफ्रीका

258. राष्ट्रीयता की हानि को क्या कहा जाता है?
(A) देशत्याग (Expatriation)
(B) देशीयकरण
(C) स्वदेश वापसी

(D) शरण

259. राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो:
(A) दो वर्ष से अधिक पुराना हो
(B) अनाम या छद्म नाम से हो
(C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित हो
(D) पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए उल्लंघन से संबंधित हो

260. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I: (निकाय)
P. जी7
Q. ब्रिक्स (BRICS)
R. सार्क (SAARC)
S. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
सूची II: (विशेषता)
1. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग
2. उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह
3. अंतरराष्ट्रीय शांति का अनुरक्षण
4. उन्नत औद्योगिक देशों का समूह
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

261. मान्यता के किस सिद्धांत में यह विचार केंद्रीय है कि किसी राज्य को विधि में मान्यता मिलने से पूर्व उसे तथ्य के रूप में अस्तित्व में होना चाहिए?
(A) निर्माणात्मक सिद्धांत
(B) अद्वैतवादी सिद्धांत
(C) घोषणात्मक सिद्धांत
(D) द्वैतवादी सिद्धांत

262. कौन सा अभिसमय महिलाओं के अधिकारों के लिए सर्वाधिक व्यापक ढांचा प्रदान करता है?
(A) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
(B) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW)
(C) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (ICCPR)
(D) बाल अधिकार अभिसमय (CRC)

263. ICJ के 'परामर्शदात्री राय' देने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है?
(A) संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य राज्य
(B) व्यक्ति और निगम
(C) अपनी पहल पर महासचिव
(D) संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद

264. संधि का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के बीच विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व सृजित करना
(B) राज्य व्यवहार के लिए एक गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश के रूप में कार्य करना
(C) विधिक शक्ति के बिना राजनीतिक मंतव्यों की घोषणा करना
(D) केवल रुढ़िगत विधि के साक्ष्य के रूप में कार्य करना

265. NHRC के संदर्भ में, "मानवाधिकार" शब्द का अर्थ संविधान द्वारा प्रत्याभूत या किसमें निहित व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं?
(A) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
(B) मानवाधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय
(C) अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार
(D) अन्य देशों की घरेलू विधि

266. अंतरराष्ट्रीय विधि और घरेलू विधि के बीच संबंध के संदर्भ में 'द्वैतवाद' का पालन करने वाले राज्य को अपनी घरेलू अदालतों द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी?
(A) अपनी विधायिका द्वारा पारित एक विशिष्ट अधिनियम
(B) कार्यपालिका का एक आदेश
(C) अपने उच्चतम न्यायालय का निर्णय
(D) अनुसमर्थन पर स्वतः अनुप्रयोग

267. संधि विधि में 'पैक्टा संट सर्वेंडा' के सिद्धांत का अर्थ है:
(A) संधियाँ इच्छानुसार समाप्त की जा सकती हैं।
(B) संधियाँ केवल तभी बाध्यकारी होती हैं जब वे रुढ़िगत विधि को दर्शाती हों।
(C) संधियाँ घरेलू विधि के अधीन होती हैं।
(D) संधियाँ पवित्र हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए।

268. सार्क (SAARC) का प्राथमिक उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है?
(A) दक्षिण एशिया में सैन्य सुरक्षा
(B) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रीय विकास
(C) दक्षिण एशियाई राज्यों का एक राजनीतिक संघ
(D) क्षेत्र के लिए एक साझा न्यायिक प्रणाली

269. शरणार्थी की स्थिति और अधिकारों को परिभाषित करने वाला मुख्य विधिक दस्तावेज कौन सा है?
(A) 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
(B) 1989 का बाल अधिकार अभिसमय
(C) 1951 का शरणार्थियों पर जिनेवा अभिसमय
(D) 1966 का नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा

270. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के

पास मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्ति है।

कारण (R): NHRC की शक्तियाँ एक दंड न्यायालय के समकक्ष हैं, और यह उल्लंघनकर्ताओं को सीधे दंडित कर सकता है।

(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

271. निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है?
(A) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
(B) महासभा
(C) सुरक्षा परिषद
(D) आर्थिक और सामाजिक परिषद

272. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मुख्यालय किस शहर में है?
(A) न्यूयॉर्क
(B) जिनेवा
(C) लंदन
(D) पेरिस

273. 'राजनीतिक अपराध अपवाद' किससे संबंधित एक अवधारणा है?
(A) शरण
(B) प्रत्यर्पण
(C) राष्ट्रीयता
(D) राज्यों की मान्यता

274. भारत में "मानवाधिकार" की अवधारणा को किसके माध्यम से कार्यान्वित और संरक्षित किया जाता है?
(A) संवैधानिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रियाएं
(B) केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रयासों से
(C) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के निर्देशों से
(D) केवल राजनीतिक दलों की सद्भावना से

275. अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत अल्पसंख्यकों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) मुख्यधारा में उनके बलात समावेशन को सुनिश्चित करना
(B) उन्हें संप्रभु स्थिति प्रदान करना
(C) सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को सुरक्षित रखना
(D) बहुसंख्यक जनसंख्या पर उन्हें श्रेष्ठ अधिकार देना

276. शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP) के बीच मूल अंतर क्या है?
(A) शरणार्थी सदैव महिला और बालक होते हैं, जबकि IDP पुरुष होते हैं।
(B) IDP को शरणार्थियों की तुलना में अधिक अंतरराष्ट्रीय संरक्षण मिलता है।
(C) IDP प्राकृतिक आपदाओं से भाग रहे हैं, जबकि शरणार्थी आर्थिक कठिनाई से।
(D) शरणार्थी अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हैं, जबकि IDP नहीं करते।

277. 'वीटो' शक्ति किसके स्थायी सदस्यों के पास होती है?
(A) संयुक्त राष्ट्र महासभा
(B) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(C) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
(D) जी7

278. भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना और कार्यप्रणाली का प्राथमिक विधिक आधार क्या है?
(A) भारत का संविधान, अनुच्छेद 32
(B) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
(C) संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक प्रस्ताव
(D) भारत के उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय

279. यह मौलिक सिद्धांत कि संधियाँ उनमें सम्मिलित पक्षों पर बाध्यकारी हैं और उन्हें सद्भावनापूर्वक निभाया जाना चाहिए, कहलाता है:
(A) जस कोजेंस
(B) ओपिनियो ज्यूरिस
(C) रेबस सिक्स स्टैंटिबस
(D) पैक्टा संट सर्वेडा

280. अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. संधियाँ और अंतरराष्ट्रीय रुढ़ि प्राथमिक स्रोत हैं।
2. न्यायिक निर्णय और विधिवेत्ताओं की शिक्षाएं सहायक साधन हैं।
3. महासभा के प्रस्ताव ICJ संविधि के अनुच्छेद 38 के तहत विधि का औपचारिक स्रोत हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 and 3
(D) 1, 2 और 3

281. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर-स्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है:
(A) एक वर्ष
(B) तीन वर्ष
(C) दो वर्ष
(D) पाँच वर्ष

282. निम्नलिखित में से कौन जी7 का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
(A) प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच
(B) एक वैश्विक सैन्य गठबंधन

45. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
'जस कोजेंस' अंतरराष्ट्रीय विधि के वे अनिवार्य नियम हैं जिनका उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। 'एरगा ओम्नेस' उन दायित्वों को संदर्भित करता है जो सभी राज्यों के प्रति होते हैं। 'पैक्टा संट सर्वेंडा' का सिद्धांत यह स्थापित करता है कि संधियों का पालन सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए। 'ओपिनियो ज्यूरिस' वह विश्वास है जिसके तहत राज्य किसी व्यवहार को विधिक रूप से अनिवार्य मानकर उसका पालन करते हैं।

46. (D) मौजूदा तथ्यात्मक स्थिति की औपचारिक पावती
मान्यता का घोषणात्मक सिद्धांत यह मानता है कि एक राज्य का अस्तित्व अन्य राज्यों की मान्यता पर निर्भर नहीं करता। जब कोई राजनीतिक इकाई निश्चित क्षेत्र और प्रभावी सरकार जैसे तत्व प्राप्त कर लेती है, तो वह स्वतः ही एक राज्य बन जाती है। मान्यता केवल उस पहले से मौजूद वास्तविकता की एक औपचारिक स्वीकृति मात्र होती है। यह सिद्धांत निर्माणात्मक सिद्धांत के विपरीत है जो मान्यता को आवश्यक मानता है।

47. (A) जस सोली (Jus soli)
'जस सोली' एक विधिक सिद्धांत है जिसके तहत किसी व्यक्ति को उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त होती है जहाँ उसका जन्म हुआ है। इसे 'मिट्टी के अधिकार' के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांत माता-पिता की राष्ट्रीयता के बजाय जन्म के भौगोलिक स्थान को अधिक महत्व देता है। कई देश इस नियम का पालन करते हैं ताकि उनके क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो सकें।

48. (B) एक राज्यविहीन व्यक्ति
एक राज्यविहीन व्यक्ति वह होता है जिसे किसी भी देश के कानून के तहत उसका नागरिक नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति जन्म पंजीकरण की कमी या नागरिकता के छीने जाने के कारण उत्पन्न हो सकती है। राज्यविहीनता व्यक्ति को बुनियादी अधिकारों, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से वंचित कर सकती है। अंतरराष्ट्रीय विधि इन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न अभिसमयों के माध्यम से प्रयास करती है।

49. (B) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को देश में 'मानवाधिकारों का प्रहरी' कहा जाता है। इसकी मुख्य भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के मानवाधिकार सुरक्षित रहें और उनका उल्लंघन न हो। आयोग शिकायतों की जांच करता है और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न कानूनों की समीक्षा करता है। यह निकाय जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रहता है ताकि अधिकारों के प्रति सजगता बढ़े।

50. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसके पास निर्णयों को सीधे लागू करने की शक्ति नहीं है। यह जांच के बाद सरकार को सिफारिशें भेजता है, जिस पर सरकार को जवाब देना होता है। यद्यपि इसकी सिफारिशें नैतिक रूप से प्रभावशाली हैं लेकिन विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। आयोग की यह सीमा इसे एक प्रभावी निगरानी निकाय बनाती है।

51. (C) UNEP
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) पर्यावरण के मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाली संस्था है। इसका कार्य मानव पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना और सतत विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे संकटों से निपटने के लिए सदस्य देशों के साथ काम करता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय नीतियों और मानकों को विकसित करता है।

52. (D) 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो
मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। साथ ही उनके पद पर रहने की अधिकतम आयु 70 वर्ष तय की गई है। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा होगा, उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। यह संशोधन आयोग के कामकाज में निरंतरता लाने के उद्देश्य से किया गया था।

53. (C) विशिष्टता का सिद्धांत
विशिष्टता का सिद्धांत प्रत्यर्पण विधि का एक अनिवार्य नियम है जो प्रत्यर्पित व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अनुसार जिस देश को अपराधी सौंपा गया है, वह उस पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए मुकदमा चला सकता है जिनका उल्लेख अनुरोध में किया गया था। वह राज्य उस व्यक्ति को किसी अन्य पुराने अपराध के लिए तब तक दंडित नहीं कर सकता जब तक स्पष्ट सहमति न मिल जाए।

54. (B) गैर-भेदभाव, गरिमा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करके
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के तहत वृद्ध व्यक्तियों का संरक्षण उनकी गरिमा को बनाए रखने और भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो ताकि वे सम्मानित जीवन जी सकें। मानवाधिकारों का यह दृष्टिकोण उन्हें केवल सहायता के पात्र के रूप में नहीं बल्कि अधिकारों के सक्रिय स्वामी के रूप में देखता है।

55. (C) केवल 1 and 3
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 गैर-स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुना जाता है। अतः पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि प्रक्रियात्मक मामलों पर निर्णय हेतु किन्हीं भी नौ सदस्यों के सकारात्मक मतों की आवश्यकता होती है। वीटो की शक्ति केवल तात्त्विक या महत्वपूर्ण मामलों के निर्णयों में ही प्रभावी होती है।

56. (A) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय

296. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है।
कथन II: ICCPR और ICESCR उन राज्यों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी संधियाँ हैं जिन्होंने उन्हें अनुमोदित किया है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

297. भारत का NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन का कथित कार्य किए जाने की तिथि से _______ की समाप्ति के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है।
(A) छह मास
(B) दो वर्ष
(C) एक वर्ष
(D) पांच वर्ष

298. ब्रिक्स (BRICS) समूह का प्राथमिक ध्यान किस पर है?
(A) आर्थिक सहयोग और विकास
(B) सैन्य और सुरक्षा सहयोग
(C) विशेष रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान
(D) एकल मुद्रा के साथ एक राजनीतिक संघ बनाना

299. बाल अधिकार अभिसमय का मूल सिद्धांत क्या है?
(A) माता-पिता के अधिकारों की सर्वोच्चता
(B) राज्य के प्रति बालक का कर्तव्य
(C) बालकों का आर्थिक योगदान
(D) "बालक के सर्वोत्तम हित"

300. अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि के बीच का संबंध जहाँ उन्हें दो पृथक प्रणालियों के रूप में देखा जाता है, किसके द्वारा वर्णित है?
(A) अद्वैतवादी सिद्धांत
(B) द्वैतवादी सिद्धांत
(C) बहुलवादी सिद्धांत
(D) यथार्थवादी सिद्धांत

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) द्वैतवादी सिद्धांत
द्वैतवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि को दो पृथक और स्वतंत्र प्रणालियों के रूप में देखता है। इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि को घरेलू स्तर पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया द्वारा उसे राष्ट्रीय विधि में परिवर्तित न किया जाए। यह राज्यों की संप्रभुता पर बल देता है और विधि के रुपांतरण को अनिवार्य मानता है।

2. (A) इसकी प्रवर्तन प्रणाली घरेलू विधि की तरह ही सुदृढ़ और केंद्रीकृत है।
सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति विकेंद्रीकृत होती है। इसमें विश्व सरकार या अनिवार्य अधिकार क्षेत्र वाली न्यायपालिका का अभाव है। यह मुख्य रुप से संप्रभु राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंधों को विनियमित करती है। इसकी प्रवर्तन प्रणाली राज्यों की आपसी सहमति, पारस्परिकता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर निर्भर करती है।

3. (C) राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38(1) के अंतर्गत संधियाँ, रुढ़ियाँ और राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य सिद्धांत प्राथमिक स्रोत हैं। ये सिद्धांत विभिन्न देशों की राष्ट्रीय प्रणालियों में समान रुप से विद्यमान होते हैं। विधिवेत्ताओं के लेखन और न्यायिक निर्णय विधि के निर्धारण के लिए केवल सहायक साधनों के रुप में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता।

4. (D) संधियाँ
'पैक्टा संट सर्वेंडा' अंतरराष्ट्रीय विधि का मौलिक आधार है। यह स्थापित करता है कि संधियाँ पक्षकारों पर विधिक रुप से बाध्यकारी होती हैं। प्रत्येक संधि को पक्षों द्वारा सद्भावनापूर्वक लागू और पालन किया जाना चाहिए। संधियों की विधि पर 'वियना अभिसमय' के अनुच्छेद 26 में यह संहिताबद्ध है। राज्य अपने घरेलू कानूनों का हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से बच नहीं सकते।

5. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
अद्वैतवादी सिद्धांत यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय विधि एक ही विधिक व्यवस्था के अंग हैं। इसके विपरीत द्वैतवादी सिद्धांत इन दोनों प्रणालियों को पृथक मानता है। द्वैतवाद के अनुसार किसी अंतरराष्ट्रीय नियम को देश के भीतर प्रभावी बनाने के लिए उसे राष्ट्रीय विधि में रुपांतरित करना आवश्यक होता है। ये दोनों कथन अंतरराष्ट्रीय और नगरपालिका विधि के संबंधों की व्याख्या करते हैं।

6. (B) प्रख्यात विधिवेत्ताओं की शिक्षाएं
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि का अनुच्छेद 38(1) विधि के स्रोतों को परिभाषित करता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, रुढ़ि और सामान्य सिद्धांतों को प्राथमिक स्रोत माना गया है। इसके विपरीत विधिवेत्ताओं की शिक्षाओं और न्यायिक निर्णयों को केवल सहायक साधन के रुप में वर्गीकृत किया गया है। इनका उपयोग तब होता है जब प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से नियम स्पष्ट नहीं होते।

7. (D) अद्वैतवादी और द्वैतवादी विचारधाराओं के बीच चल रही बहस
अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि के संबंधों को समझने के लिए अद्वैतवाद और द्वैतवाद दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। अद्वैतवाद इन्हें एक ही एकीकृत प्रणाली का हिस्सा मानता है जहाँ अंतरराष्ट्रीय विधि को प्राथमिकता मिलती है। द्वैतवाद इन्हें दो स्वतंत्र प्रणालियों के रुप में देखता है। इनके बीच की यह वैचारिक बहस अंतरराष्ट्रीय विधि के घरेलू कार्यान्वयन के तरीके को निर्धारित करती है।

8. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति हेतु दबावकारी उपाय करने की शक्ति प्राप्त है। वह आर्थिक प्रतिबंधों से लेकर सैन्य कार्रवाई तक के निर्णय ले सकती है। सुरक्षा परिषद के ये निर्णय चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। अतः सदस्य राज्यों को शांति हेतु परिषद के निर्देशों का पालन करना पड़ता है।

9. (C) सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अंग विवादों की जांच और उनके शांतिपूर्ण समाधान की सिफारिश कर सकता है। शांति के उल्लंघन की स्थिति में यह सैन्य कार्रवाई का अधिकार रखता है। इसके निर्णयों का पालन करना संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य विधिक दायित्व है।

10. (A) वीटो (निषेधाधिकार) की शक्ति
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों की विशिष्ट विशेषता उनकी वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यह शक्ति उन्हें निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। स्थायी सदस्यों का चयन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के भू-राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर किया गया था।

11. (B) केवल 2 और 3
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुसार संधियाँ और रुढ़ियाँ विधि के प्राथमिक स्रोत हैं, जबकि न्यायिक निर्णय केवल सहायक साधन होते हैं। प्रख्यात विधिवेत्ताओं के लेखन को भी सहायक साधन के रूप में मान्यता प्राप्त है जो विधिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। साथ ही सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय विधि के प्राथमिक स्रोत माना गया है।

12. (B) द हेग
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित 'पीस पैलेस' में है। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में एकमात्र अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। इस न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। यह राज्यों के बीच विधिक विवादों को सुलझाने और संयुक्त राष्ट्र अंगों को परामर्श देने का कार्य करता है।

13. (C) अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यों का निर्देशन और समन्वय करना
विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। यह संगठन महामारियों की निगरानी, स्वास्थ्य मानदंडों का निर्धारण और सदस्य देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य संकटों के दौरान नीतिगत दिशा-निर्देश जारी करता है।

14. (D) विवाद में शामिल राज्यों की सहमति पर आधारित
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह राज्यों की संप्रभु सहमति पर निर्भर करता है। कोई भी राज्य अपनी इच्छा के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु बाध्य नहीं है। राज्य अपनी सहमति किसी विशेष संधि या समझौते के माध्यम से दे सकते हैं। बिना सहमति के न्यायालय किसी भी राज्य के विरुद्ध निर्णय देने का अधिकार नहीं रखता है।

15. (A) 2, 1, 3, 4
अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में वार्ता में केवल विवादित पक्ष सीधे संवाद करते हैं। मध्यस्थता में तीसरा पक्ष समाधान प्रस्तावित करता है। पंचनिर्णय में पक्षों द्वारा चुने गए पंच एक बाध्यकारी निर्णय देते हैं। न्यायिक समाधान सर्वाधिक औपचारिक प्रक्रिया है जहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधिक आधार पर विवादों का निपटारा किया जाता है। ये सभी तरीके विवादों को युद्ध से बचाने हेतु आवश्यक हैं।

16. (B) सार्क (SAARC)
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) एक क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन का प्रमुख उदाहरण है। इसमें दक्षिण एशिया के आठ पड़ोसी देश शामिल हैं जो भौगोलिक निकटता और साझा हितों के आधार पर सहयोग करते हैं। जी7 और ब्रिक्स जैसे समूह वैश्विक आर्थिक गठबंधन हैं जिनकी सदस्यता किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होती। क्षेत्रीय संगठन आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

17. (B) ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका
ब्रिक्स उभरती हुई पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इस संक्षिप्त नाम का प्रत्येक अक्षर इसके सदस्य देशों के नाम को दर्शाता है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। मूल रूप से यह 'ब्रिक' था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम बदल गया। ये देश वैश्विक आबादी और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

18. (C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
जी20 एक प्रभावशाली मंच है जिसमें विश्व की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ शामिल हैं। अतः पहला कथन सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि जी20 का प्राथमिक ध्यान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत विकास जैसे आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक शासन और नीति समन्वय को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देना है।

19. (C) जी7
जी7 सात सबसे उन्नत औद्योगिक लोकतंत्रों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। यह समूह वैश्विक आर्थिक शासन और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हेतु प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। हालाँकि इसके निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन वे वैश्विक नीतियों की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हैं।

20. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जबकि सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग का मंच है। जी7 विश्व के सबसे उन्नत औद्योगिक लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का व्यापक मंच है जिसमें विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। ये सभी समूह वैश्विक और क्षेत्रीय शासन में योगदान देते हैं।

21. (C) प्रत्यर्पण
प्रत्यर्पण वह विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य को ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जिस पर वहां अपराध का आरोप है। यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय संधियों और पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना और अपराधियों को दंड से बचने हेतु दूसरे देश में शरण लेने से रोकना है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में सहयोग का उपकरण है।

22. (B) अनुरोध करने वाले और अनुरोध प्राप्त करने वाले दोनों राज्यों में
दोहरे अपराध का सिद्धांत प्रत्यर्पण विधि का एक मौलिक नियम है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण केवल तभी किया जा सकता है जब वह कार्य दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता हो। यदि वह कार्य अनुरोध प्राप्त करने वाले राज्य में अपराध नहीं है, तो वह प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। यह सिद्धांत व्यक्ति की विधिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

23. (D) क्षेत्रीय शरण
जब कोई राज्य अपने स्वयं के क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसे क्षेत्रीय शरण कहा जाता है। यह राज्य की संप्रभुता का प्रयोग है जिसके तहत उसे अपने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा देने का अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक संप्रभु राज्य को यह अधिकार है कि वह जिसे उचित समझे उसे शरण दे।

24. (A) नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के कारणों से उत्पीड़न
1951 के शरणार्थी अभिसमय के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपनी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधारा के कारण उत्पीड़न के भय से अपने देश से बाहर है। आर्थिक कठिनाई या प्राकृतिक आपदा से किसी व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत शरणार्थी का दर्जा प्राप्त नहीं होता। इस परिभाषा का केंद्र बिंदु उत्पीड़न का वह भय है जो व्यक्ति को पलायन हेतु विवश करता है।

25. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी विधि का अनिवार्य हिस्सा है। यह सिद्धांत किसी भी राज्य को शरणार्थी को उस क्षेत्र में वापस भेजने से रोकता है जहाँ उनके जीवन या सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। यह सुरक्षा उन लोगों को भी मिलती है जो शरण की मांग कर रहे हैं। यह एक मानवीय आधारभूत नियम है जो वैश्विक स्तर पर मान्य है।

26. (A) निर्माणात्मक सिद्धांत
मान्यता का निर्माणात्मक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई नई राजनीतिक इकाई अन्य राज्यों की मान्यता के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व प्राप्त करती है। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता ही वह कार्य है जो किसी राज्य का निर्माण अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में करता है। बिना मान्यता के कोई भी क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों का स्वामी नहीं बन सकता।

27. (D) अनंतिम, अस्थायी और वापस ली जा सकती है
'डी फैक्टो' मान्यता एक अनंतिम और अस्थायी मान्यता होती है जो तब दी जाती है जब कोई नई सरकार किसी क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण तो रखती है लेकिन उसकी स्थिरता सुनिश्चित नहीं होती। यह मान्यता विधिक रूप से कम शक्तिशाली होती है और यदि परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो इसे वापस लिया जा सकता है। यह पूर्ण विधिक संबंधों की स्थापना से पहले की एक अवस्था है।

28. (B) राष्ट्रीयता
राष्ट्रीयता एक व्यक्ति और एक संप्रभु राज्य के बीच का विधिक और राजनीतिक बंधन है। यह बंधन व्यक्ति को राज्य की सदस्यता प्रदान करता है जिससे उसे विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं और वह राज्य के प्रति कर्तव्यों के लिए बाध्य होता है। अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत राष्ट्रीयता यह निर्धारित करती है कि किसी व्यक्ति को किस राज्य से राजनयिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

29. (C) महासभा
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। यह घोषणा मानवाधिकारों के इतिहास में मील का पत्थर है क्योंकि यह पहली बार उन मूलभूत अधिकारों को सूचीबद्ध करती है जिनका सार्वभौमिक संरक्षण होना चाहिए। हालाँकि यह स्वयं एक बाध्यकारी संधि नहीं है, लेकिन इसने कई अंतरराष्ट्रीय संधियों के निर्माण के लिए विधिक आधार प्रदान किया।

30. (A) केवल 1 और 2
क्षेत्रीय शरण वह है जो राज्य अपनी सीमाओं के भीतर प्रदान करता है, जबकि क्षेत्रातीत शरण दूतावासों या युद्धपोतों जैसे स्थानों पर दी जाती है। अतः पहले दो कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है क्योंकि शरण देने का अधिकार असीमित नहीं है। राज्यों को शरणार्थी विधि के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना पड़ता है और वे अपराधियों को शरण नहीं दे सकते।

31. (A) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका अर्थ है कि इसे संसद द्वारा पारित विधि के माध्यम से बनाया गया है। यह अधिनियम भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

32. (B) दोषी अधिकारियों को दंडित करना
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और जेलों का दौरा करने की व्यापक शक्तियां हैं। यह आयोग पीड़ितों को मुआवजा देने या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु सरकार को सिफारिशें कर सकता है। इसके पास किसी को सीधे दंडित करने की न्यायिक शक्ति नहीं है। यह मुख्य रूप से एक सलाहकार और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करता है।

33. (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस चयन समिति के सदस्य नहीं होते। यह चयन प्रक्रिया आयोग की स्वतंत्रता और राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

34. (A) राज्य सूची और समवर्ती सूची
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग उन विषयों से संबंधित उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित हैं। यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय आयोग द्वारा की जा रही है, तो राज्य आयोग उस मामले की जांच नहीं करता। यह व्यवस्था शक्तियों के स्पष्ट विभाजन को सुनिश्चित करती है।

35. (C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें संबंधित सरकार पर विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, बल्कि ये केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं। अतः पहला कथन गलत है। दूसरा कथन सही है क्योंकि जांच करते समय आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों के माध्यम से वह गवाहों को बुला सकता है।

36. (D) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW)
महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे महिलाओं के अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल माना जाता है। 1979 में अपनाई गई यह संधि भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है। इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण समानता पर जोर दिया गया है। सदस्य राष्ट्रों को अपनी घरेलू विधियों को इसके अनुरूप बनाना पड़ता है।

37. (C) बाल अधिकार अभिसमय (CRC)
बाल अधिकार अभिसमय के तहत 'बालक के सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत एक आधारभूत मार्गदर्शक नियम है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों से संबंधित किसी भी निर्णय में उनके कल्याण और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विधायी निकाय या न्यायालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखें। यह सिद्धांत बच्चों को अधिकारों का स्वामी मानता है।

38. (B) सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान का अधिकार
अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत अल्पसंख्यकों के संरक्षण का मुख्य आधार उनकी विशिष्ट पहचान को बनाए रखना है। इसके अंतर्गत उन्हें अपनी संस्कृति का पालन करने और अपनी भाषा का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समाज में विलीन होने के बजाय अपनी विविधता को सुरक्षित रख सकें। यह अधिकार भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा देता है।

39. (D) विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक तंत्र की कमियों से
अंतरराष्ट्रीय विधि को 'दुर्बल विधि' कहा जाता है क्योंकि इसमें घरेलू विधि की तरह शक्तिशाली विधायी निकाय का अभाव है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी कार्यपालिका नहीं है जो नियमों को जबरन लागू कर सके। न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र राज्यों की संप्रभु सहमति पर निर्भर करता है। प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की कमी के कारण इसे विधिक रूप से कमजोर माना जाता है, जहाँ राज्य नियमों की अनदेखी करते हैं।

40. (A) रूपांतरण - अद्वैतवादी सिद्धांत के तहत आवश्यक
अद्वैतवादी सिद्धांत के तहत अंतरराष्ट्रीय विधि स्वतः ही राष्ट्रीय विधि का हिस्सा मानी जाती है और इसके लिए किसी अलग रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती। अतः यह युग्म गलत है। रूपांतरण की प्रक्रिया द्वैतवादी सिद्धांत की अनिवार्य विशेषता है जहाँ अंतरराष्ट्रीय और नगरपालिका विधि को दो अलग प्रणालियाँ माना जाता है। अद्वैतवाद एकल एकीकृत विधिक व्यवस्था का समर्थन करता है, जबकि द्वैतवाद विधायी हस्तक्षेप पर जोर देता है।

41. (C) केवल 5 स्थायी सदस्यों को
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति केवल उसके पांच स्थायी सदस्यों को प्राप्त है जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। यदि इनमें से कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव के विरुद्ध मत देता है, तो वह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। यह शक्ति इन देशों को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णयों पर असाधारण नियंत्रण प्रदान करती है और यह सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

42. (A) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अक्सर 'विश्व न्यायालय' के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जो राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विधिक विवादों का निपटारा करता है। यह न्यायालय केवल देशों के बीच के मामलों की सुनवाई करता है, व्यक्तियों की नहीं। इसके निर्णय अंतिम होते हैं और उनमें अपील का प्रावधान नहीं होता। यह वैश्विक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

43. (D) सशस्त्र बल का प्रयोग
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 33 विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीकों को सूचीबद्ध करता है। इनमें वार्ता, पूछताछ, मध्यस्थता, सुलह और न्यायिक समाधान शामिल हैं। सशस्त्र बल का प्रयोग शांतिपूर्ण तरीका नहीं है बल्कि यह एक पीड़क कार्रवाई है जिसे केवल सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। चार्टर स्पष्ट रूप से सदस्य देशों से विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आग्रह करता है।

44. (B) जैसा कि संधि में निर्दिष्ट हो या समझौते द्वारा निर्धारित हो
कोई संधि विधिक रूप से कब प्रभावी होगी, यह सामान्यतः संधि की शर्तों या पक्षकारों के बीच हुए समझौते द्वारा निर्धारित किया जाता है। अक्सर इसमें अनुसमर्थन करने वाले देशों की एक निश्चित संख्या होना अनिवार्य होता है। केवल हस्ताक्षर करना हमेशा पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि कई मामलों में राष्ट्रीय विधायी अनुमोदन आवश्यक होता है। संधि का प्रवर्तन में आना उसके आधिकारिक रूप से बाध्यकारी होने का अंतिम चरण है।

67. (C) काठमांडू
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, लेकिन सचिवालय का संचालन 1987 से काठमांडू से शुरु हुआ। यह केंद्र सदस्य देशों के बीच संचार और समन्वय के मुख्य बिंदु के रूप में कार्य करता है। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है।

68. (D) शरणार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की है, जबकि IDP ने नहीं की है।
शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति दोनों पलायन हेतु मजबूर होते हैं लेकिन उनके विधिक दर्जे में अंतर होता है। शरणार्थी वह है जो सुरक्षा हेतु अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर चुका है और उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके विपरीत आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति अपने ही देश की सीमाओं के भीतर रहते हैं। उन्हें अक्सर अंतरराष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि वे संप्रभु सीमा के भीतर हैं।

69. (C) अंतरराष्ट्रीय कानून स्वतः ही राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था का हिस्सा है।
अद्वैतवाद एक ऐसा विधिक दृष्टिकोण है जो अंतरराष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि को एक ही एकीकृत व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे ही कोई अंतरराष्ट्रीय नियम अस्तित्व में आता है, वह बिना किसी विशेष राष्ट्रीय विधि के स्वतः ही देश के भीतर लागू हो जाता है। अद्वैतवादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि श्रेष्ठ है और घरेलू विधियों को इसके अनुरुप होना चाहिए।

70. (A) P-4, Q-2, R-1, S-2
महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्शकारी अंग है जहाँ सभी सदस्यों को समान मत प्राप्त है। सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो विधिक विवादों का निपटारा करता है। सचिवालय संगठन के प्रशासनिक कार्यों और प्रबंधन करता है जिसका नेतृत्व महासचिव करता है। ये सभी अंग मिलकर वैश्विक उद्देश्यों को पूरा करते हैं।

71. (D) रूस
जी7 विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों का एक समूह है जिसमें रूस वर्तमान में सदस्य नहीं है। रूस 1998 में इस समूह में शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई। कनाडा, जापान और इटली इस समूह के मूल और सक्रिय सदस्य हैं। यह समूह वैश्विक आर्थिक स्थिरता के मुद्दों पर चर्चा करता है लेकिन इसकी संरचना अब केवल विकसित शक्तियों तक सीमित है।

72. (A) नौ वर्ष, पुनः निर्वाचन की पात्रता के साथ
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन नौ वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। न्यायालय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में एक तिहाई न्यायाधीशों का कार्यकाल समाप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनः निर्वाचन हेतु पात्र होता है।

73. (C) विदेश में अपने नागरिकों के लिए राज्य द्वारा राजनयिक संरक्षण
अंतरराष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता का महत्वपूर्ण कार्य यह निर्धारित करना है कि कोई राज्य विदेश में रहने वाले किन व्यक्तियों को राजनयिक संरक्षण प्रदान कर सकता है। यदि किसी नागरिक के अधिकारों का दूसरे देश में उल्लंघन होता है, तो उसका मूल देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मामले को उठा सकता है। राष्ट्रीयता यह भी तय करती है कि व्यक्ति को अपने देश में लौटने का अधिकार है।

74. (A) एक वर्ष
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकते जो उल्लंघन की घटना होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद लाया गया हो। यह सीमा अवधि इसलिए निर्धारित की गई है ताकि शिकायतों का शीघ्र निपटारा हो सके। हालाँकि कुछ परिस्थितियों में आयोगों के पास देरी को माफ करने की सीमित शक्ति हो सकती है।

75. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों में संधियों को अधिक प्रत्यक्ष माना जाता है क्योंकि वे राज्यों के बीच लिखित और स्पष्ट सहमति पर आधारित होती हैं। संधियाँ किसी विशेष विषय पर राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं। इसके विपरीत रुढ़ियाँ लंबे समय तक राज्यों के निरंतर अभ्यास से धीरे-धीरे विकसित होती हैं। संधियाँ आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विधिक निश्चितता प्रदान करने का सबसे प्रभावी साधन हैं।

76. (B) किसी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी करने के लिए घरेलू संसद द्वारा अधिनियम पारित करना।
द्वैतवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विधि को दो पूर्णतः अलग प्रणालियों के रूप में देखता है। इस विचारधारा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि सीधे राष्ट्रीय अदालतों में लागू नहीं हो सकती। इसे प्रभावी बनाने के लिए घरेलू संसद को एक विशेष विधि पारित करनी पड़ती है जो प्रावधानों को राष्ट्रीय विधि का हिस्सा बनाती है। यह प्रक्रिया 'रुपांतरण' कहलाती है और यह सुनिश्चित करती है कि विधायी संप्रभुता बनी रहे।

77. (C) संयुक्त राष्ट्र महासभा या सुरक्षा परिषद
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास विवादास्पद मामलों के अलावा परामर्शदात्री राय देने का भी अधिकार क्षेत्र है। यह शक्ति केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा अधिकृत अन्य अंगों के पास है। राज्य या व्यक्ति सीधे न्यायालय से ऐसी राय नहीं मांग सकते। परामर्शदात्री राय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती लेकिन इसमें उच्च विधिक वजन होता है। यह संयुक्त राष्ट्र को कानूनी मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

न्यायालय और सचिवालय। विश्व स्वास्थ्य संगठन इन प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक 'विशिष्ट एजेंसी' है। विशिष्ट एजेंसियां अपने स्वयं के बजट के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये एजेंसियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य करती हैं।

57. (C) विशिष्ट विधिक प्रावधानों को अपवर्जित या संशोधित करना
आरक्षण एक राज्य द्वारा किसी संधि पर हस्ताक्षर करते समय दिया गया एक औपचारिक बयान है। इसके माध्यम से राज्य संधि के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के विधिक प्रभाव को अपने ऊपर लागू होने से रोकना या संशोधित करना चाहता है। यह राज्यों को उनकी संप्रभुता के अनुसार संधि के लचीले अंगीकरण की अनुमति देता है। हालाँकि आरक्षण संधि के मूल उद्देश्य और लक्ष्य के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

58. (A) द्वितीय विश्व युद्ध
मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा को द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के बाद वैश्विक स्तर पर जबरदस्त समर्थन मिला। युद्ध के दौरान हुई मानवीय पीड़ा ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह महसूस कराया कि राज्य संप्रभुता के नाम पर व्यक्तियों के अधिकारों का दमन नहीं किया जा सकता। इसके परिणामस्वरूप 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया।

59. (D) किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 2019 के संशोधन के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पात्र बनाया गया है। यह उच्च योग्यता सुनिश्चित करती है कि आयोग का नेतृत्व एक अनुभवी विधिक विशेषज्ञ द्वारा किया जाए जो मानवाधिकारों के जटिल पहलुओं को समझने में सक्षम हो।

60. (A) 1, 2, 4, 3
मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विकास में सबसे पहले 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। इसके बाद 1966 में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा अस्तित्व में आई। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय को 1979 में अपनाया गया। अंत में 1989 में बाल अधिकार अभिसमय को स्वीकार किया गया। यह कालानुक्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के विस्तार को दर्शाता है।

61. (C) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय सहयोग
जी20 को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जाना जाता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। इसमें शामिल देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करते हैं। यह मंच विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है ताकि वित्तीय स्थिरता और सतत विकास जैसे संकटों पर आम सहमति बनाई जा सके। इसकी बैठकें नीति समन्वय में महत्वपूर्ण हैं।

62. (D) यह उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जिनकी जांच पहले से ही NHRC द्वारा की जा रही है।
राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण विधिक सीमा यह है कि वह उन मामलों की जांच नहीं कर सकता जिनकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पहले से की जा रही है। यह प्रावधान कार्यों के टकराव और विधिक अस्पष्टता को रोकने के लिए बनाया गया है। राज्य आयोग केवल अपने राज्य की सीमाओं के भीतर उल्लंघन की जांच करता है। इसकी शक्तियाँ मुख्य रूप से सलाहकार प्रकृति की होती हैं।

63. (A) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम
भारत में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए 2012 में पोक्सो अधिनियम लागू किया गया था। यह एक विशेष विधि है जो बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करती है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि यह बालक के हितों को सर्वोपरि रखता है और संवेदनशील प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह कानून अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार मानकों के अनुरूप बनाया गया है।

64. (B) 'ओपिनियो ज्यूरिस' (Opinio juris) के साथ राज्य का अभ्यास
अंतरराष्ट्रीय रुढ़ि के निर्माण के लिए दो अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। पहला है 'राज्यों का अभ्यास', जिसका अर्थ है कि राज्य लंबे समय से किसी व्यवहार का पालन कर रहे हों। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व 'ओपिनियो ज्यूरिस' है, जिसका तात्पर्य यह है कि राज्य उस व्यवहार का पालन विधिक बाध्यता के विश्वास के साथ कर रहे हों। जब ये दोनों तत्व मिलते हैं, तभी कोई आचरण रुढ़ि बनता है।

65. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
शरण और प्रत्यर्पण दोनों ही अंतरराष्ट्रीय विधि में राज्यों के संप्रभु अधिकारों से संबंधित हैं। शरण तब तक दी जाती है जब तक व्यक्ति के लिए खतरा बना रहता है। प्रत्यर्पण एक विधिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से राज्यों के बीच द्विपक्षीय संधियों या आपसी पारस्परिकता के आधार पर संचालित होती है। ये दोनों प्रक्रियाएं अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने और निर्दोषों को सुरक्षा देने के बीच संतुलन बनाती हैं।

66. (A) रक्त संबंध या वंश
'जस सैंग्विनिस' राष्ट्रीयता प्राप्त करने का वह सिद्धांत है जो व्यक्ति के जन्म स्थान के बजाय उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता या वंश को आधार बनाता है। इसे 'रक्त के अधिकार' के रूप में जाना जाता है। इस नियम के तहत एक बच्चा स्वतः ही उस देश का नागरिक बन जाता है जिसका नागरिक उसके माता-पिता हैं। यह सिद्धांत राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपनाया जाता है।

(C) आर्थिक विकास के लिए एक संयुक्त राष्ट्र निकाय
(D) एशिया में एक क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक

283. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के तहत निम्नलिखित में से किन समूहों को हाशिए पर माना जाता है और विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है?
(A) पेशेवर एथलीट, कलाकार और अनुसंधान वैज्ञानिक
(B) स्थापित राजनीतिक नेता और कैरियर राजनयिक
(C) बड़े भूस्वामी और महत्वपूर्ण व्यवसायी
(D) महिलाएं, बालक, बुजुर्ग, शरणार्थी और अल्पसंख्यक

284. राज्य मानवाधिकार आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपनी आवश्यक है?
(A) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
(B) राज्य सरकार
(C) राज्य के राज्यपाल
(D) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

285. राष्ट्रीयता के बिना किसी व्यक्ति को विधिक रूप से कहा जाता है:
(A) एक शरणार्थी
(B) एक शरण चाहने वाला
(C) एक राज्यविहीन व्यक्ति
(D) एक विदेशी

286. कौन सी कार्रवाई किसी राज्य द्वारा 'अद्वैतवादी' सिद्धांत को लागू करने का एक उदाहरण है?
(A) एक न्यायालय बिना घरेलू सक्षम अधिनियम के संधि के प्रवर्तन से इनकार करता है
(B) एक विधायिका संधि को समाविष्ट करने के लिए अधिनियम पारित करती है
(C) एक न्यायालय निर्णय देता है कि घरेलू विधि संधि पर अभिभावी होगी
(D) एक न्यायालय रूढ़िगत विधि को सीधे घरेलू विधि के रूप में लागू करता है

287. विवाद समाधान की एक पद्धति के रूप में सुलह (conciliation) का उद्देश्य है:
(A) विवाद की जांच करना और निपटान की शर्तों का सुझाव देना
(B) पक्षों पर विधिक रूप से बाध्यकारी अंतिम निर्णय थोपना
(C) सभी को गैर-बाध्यकारी परामर्शदात्री विधिक राय जारी करना
(D) समाधान का प्रस्ताव दिए बिना संचार सुगम बनाना

288. न्यू डेवलपमेंट बैंक किस अंतरराष्ट्रीय समूह से संबद्ध एक पहल है?
(A) जी7
(B) ब्रिक्स (BRICS)
(C) जी20
(D) सार्क (SAARC)

289. 'दोहरे अपराध' (dual criminality) का सिद्धांत किसकी आवश्यकता है?
(A) शरण देना
(B) प्रत्यर्पण
(C) एक नए राज्य को मान्यता देना
(D) राष्ट्रीयता प्राप्त करना

290. अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत शरणार्थी का सबसे मौलिक अधिकार कौन सा है?
(A) 'नॉन-रिफाउलमेंट' (Non-refoulement) का अधिकार
(B) तत्काल नागरिकता
(C) मेजबान देश के निर्वाचनों में मतदान करना
(D) राजनयिक उन्मुक्ति

291. NHRC के अध्यक्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए या किस आयु तक पहुंचने तक पद धारण करते हैं?
(A) 62 वर्ष
(B) 65 वर्ष
(C) 70 वर्ष
(D) 68 वर्ष

292. भारतीय विधि के तहत बालकों के संरक्षण को POCSO अधिनियम द्वारा सुदृढ़ किया गया है, जिसका पूर्ण रूप है:
(A) प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड सोशल ऑर्डर एक्ट
(B) प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एंड सब्सटेंस ऑफेंस एक्ट
(C) पैरेंटल ऑब्लिगेशन एंड चाइल्ड सेफ्टी एक्ट
(D) प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम)

293. 'अपने सभी सदस्यों की संप्रभु समानता' की अवधारणा किस संगठन का मूलभूत सिद्धांत है?
(A) विश्व व्यापार संगठन
(B) यूरोपीय संघ
(C) संयुक्त राष्ट्र
(D) सार्क (SAARC)

294. अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शांतिपूर्ण तरीका नहीं है?
(A) पंचनिर्णय
(B) प्रतिशोध (Reprisal)
(C) न्यायिक समाधान
(D) वार्ता

295. यदि एक नवगठित राज्य को कुछ राज्यों द्वारा मान्यता दी जाती है किंतु अन्यों द्वारा नहीं, तो यह स्थिति मान्यता के किस सिद्धांत की व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करती है?
(A) घोषणात्मक सिद्धांत
(B) अद्वैतवादी सिद्धांत
(C) द्वैतवादी सिद्धांत
(D) निर्माणात्मक सिद्धांत

78. (D) अध्याय VII
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय 7 सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रति खतरों से निपटने के लिए अनिवार्य शक्तियां प्रदान करता है। इस अध्याय के तहत परिषद यह निर्धारित करती है कि क्या शांति के लिए कोई खतरा हुआ है। वह सदस्य देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है और अंतिम विकल्प के रूप में सैन्य कार्रवाई भी अधिकृत कर सकती है। इस अध्याय के अंतर्गत लिए गए निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं।

79. (A) दक्षिण एशिया में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना
सार्क की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। यह संगठन क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सार्क का चार्टर स्पष्ट रूप से विवादास्पद मुद्दों को इसके विचार-विमर्श से बाहर रखता है ताकि सकारात्मक सहयोग पर ध्यान दिया जा सके।

80. (D) 1, 2 और 3
राज्यों की मान्यता के संदर्भ में 'डी ज्यूरे' मान्यता एक पूर्ण और विधिक मान्यता है जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसके विपरीत 'डी फैक्टो' मान्यता अनंतिम होती है और यह तब दी जाती है जब कोई राज्य पूरी तरह स्थिर नहीं होता। घोषणात्मक सिद्धांत यह मानता है कि मान्यता केवल राज्य के अस्तित्व के पहले से मौजूद तथ्य को स्वीकार करती है। अतः ये तीनों कथन मान्यता के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं।

81. (B) आयु के आधार पर भेदभाव से मुक्त होने का अधिकार
वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानवाधिकारों के संरक्षण का मुख्य केंद्र आयु आधारित भेदभाव को रोकना है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बुजुर्गों को केवल आयु के कारण अवसरों से वंचित न किया जाए। यह अधिकार उनकी गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा करता है। बुजुर्गों को समाज का सक्रिय हिस्सा माना जाता है और उनके साथ समानता का व्यवहार करना राज्य का विधिक दायित्व है।

82. (A) राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में पदेन सदस्य वे होते हैं जो अन्य विशिष्ट राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष होने के नाते इस आयोग के सदस्य बनते हैं। अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। हालिया संशोधनों के बाद इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों को भी शामिल किया गया है।

83. (C) शरणार्थी
'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत विशेष रूप से शरणार्थियों के संरक्षण के लिए तैयार किया गया है। यह सिद्धांत यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाएगा जहाँ उसे अपनी नस्ल या राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी विधि का एक अनिवार्य नियम है जिसे अब रूढ़िगत विधि का हिस्सा माना जाता है। यह उन लोगों के जीवन की रक्षा करता है।

84. (D) यह स्वास्थ्य मुद्दों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंड और मानक निर्धारित करता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रमुख कार्य वैश्विक स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक मानदंड और मानकों को निर्धारित करना है। यह संगठन दवाओं की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशा-निर्देश जारी करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सदस्य देशों के पास स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक समान विधिक ढांचा हो। यह संगठन सहयोग और विशेषज्ञता के माध्यम से वैश्विक स्तर पर कार्य करता है।

85. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
जी7 और ब्रिक्स दोनों ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समूह हैं। जी7 विश्व के सबसे उन्नत और विकसित औद्योगिक लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो लंबे समय से वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करते रहे हैं। दूसरी ओर ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक शक्तिशाली समूह है जो विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करता है। ये दोनों कथन इन समूहों की सदस्य संरचना का सही वर्णन करते हैं।

86. (B) एक ऐसा नियम है जिससे किसी भी प्रकार के अल्पीकरण की अनुमति नहीं है
'जस कोजेंस' अंतरराष्ट्रीय विधि के उन बुनियादी और अनिवार्य नियमों को कहा जाता है जिन्हें पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय सर्वोच्च मानता है। इन नियमों से किसी भी प्रकार के विचलन की अनुमति नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए नरसंहार, दासता और यातना पर प्रतिबंध इसके अंतर्गत आते हैं। कोई भी संधि जो इन नियमों का उल्लंघन करती है, वह अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत स्वतः ही शून्य और अमान्य मानी जाती है।

87. (D) एक राज्य किसी विदेशी बंदरगाह पर अपने युद्धपोत पर किसी व्यक्ति को शरण देता है
क्षेत्रातीत शरण वह सुरक्षा है जो एक राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के बाहर स्थित अपने परिसरों में प्रदान करता है। इसमें विदेशी बंदरगाहों पर खड़े युद्धपोत या दूसरे देशों में स्थित राजनयिक दूतावास शामिल हैं। चूँकि ये स्थान विधिक रूप से उस राज्य के अधिकार क्षेत्र में माने जाते हैं, इसलिए वहाँ शरण देना एक विशिष्ट कार्य है। यह क्षेत्रीय शरण से भिन्न है जहाँ व्यक्ति को मुख्य भूभाग पर सुरक्षा मिलती है।

88. (A) न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तित संवैधानिक अधिकार
भारत में मानवाधिकारों का प्रभावी प्रवर्तन मुख्य रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के माध्यम से किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है, जिसका उपयोग उल्लंघन रोकने के लिए किया जाता है। न्यायिक सक्रियता ने मानवाधिकारों

के संरक्षण को सुदृढ़ बनाया है। अंतिम संवैधानिक सुरक्षा न्यायपालिका द्वारा ही सुनिश्चित होती है।

89. (C) महासभा
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। यह चुनाव दो-तिहाई बहुमत के आधार पर होता है और इसमें भौगोलिक प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक वर्ष पांच नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है जो दो वर्ष के कार्यकाल हेतु सेवा देते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सुरक्षा परिषद में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को अवसर मिल सके।

90. (A) नैतिक अधिकार के साथ सिद्धांतों की एक गैर-बाध्यकारी घोषणा
1948 में जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था, तब इसकी कानूनी स्थिति एक गैर-बाध्यकारी संकल्प की थी। यह कोई संधि नहीं थी बल्कि मानवाधिकारों के लिए एक साझा वैश्विक लक्ष्य और नैतिक आदर्श था। हालाँकि समय के साथ इसके कई प्रावधान अंतरराष्ट्रीय रुढ़िगत विधि का हिस्सा बन गए हैं और इसे कई बाध्यकारी संधियों का आधार माना जाता है। यह आज भी व्याख्या के लिए प्रभावशाली दस्तावेज है।

91. (D) राज्य के राज्यपाल
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर आधारित होती है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री शामिल होते हैं। हालाँकि राज्यपाल उन्हें नियुक्त तो करते हैं लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। यह व्यवस्था आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए की गई है।

92. (B) 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट
यद्यपि जी20 की स्थापना 1999 में हुई थी लेकिन 2008 के वित्तीय संकट के बाद इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया। इस संकट ने स्पष्ट कर दिया कि केवल विकसित देशों का समूह अकेले वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का सहयोग अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप जी20 की बैठकों को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर उन्नत किया गया। तब से यह वैश्विक आर्थिक नीति समन्वय का प्रमुख मंच है।

93. (C) पक्ष स्वयं पंचों और लागू विधि का चयन करते हैं
पंचनिर्णय और न्यायिक समाधान दोनों विवाद समाधान के कानूनी तरीके हैं लेकिन पंचनिर्णय अधिक लचीला होता है। इसमें विवादित पक्ष अपनी सहमति से उन व्यक्तियों (पंचों) का चुनाव कर सकते हैं जो उनके मामले का फैसला करेंगे। साथ ही वे उस प्रक्रिया और विधि को भी चुन सकते हैं जिसका पालन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत न्यायिक समाधान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों के माध्यम से न्याय किया जाता है।

94. (D) आर्थिक हानि
1951 के शरणार्थी अभिसमय के अनुसार शरणार्थी होने के लिए उत्पीड़न का भय नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधारा पर आधारित होना चाहिए। केवल आर्थिक हानि, गरीबी या बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करने वाले व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत शरणार्थी नहीं माना जाता। ऐसे लोगों को 'आर्थिक प्रवासी' कहा जाता है। शरणार्थी का दर्जा उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनका जीवन खतरे में है।

95. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
'डी ज्यूरे' मान्यता किसी राज्य की अंतिम और पूर्ण विधिक पावती है जो राजनयिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रत्यर्पण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी अपराधी को दूसरे देश को सौंपा जाता है। शरण का अर्थ है उत्पीड़न से सुरक्षा चाहने वाले व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान किया गया आश्रय। 'डी फैक्टो' मान्यता एक अनंतिम स्वीकृति है जो तब दी जाती है जब कोई नई व्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं होती।

96. (B) 18 वर्ष
बाल अधिकार अभिसमय के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक मानव को 'बालक' माना जाता है, जब तक कि उस देश के कानून के तहत वयस्कता की आयु पहले प्राप्त न कर ली गई हो। यह सार्वभौमिक परिभाषा बच्चों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह अभिसमय सुनिश्चित करता है कि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा प्राप्त हो ताकि वे अपनी क्षमता का विकास करें।

97. (B) अंतरराष्ट्रीय प्रधानता के साथ अद्वैतवादी सिद्धांत
अंतरराष्ट्रीय प्रधानता वाला अद्वैतवादी सिद्धांत यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि एक ही व्यवस्था के भाग हैं जहाँ अंतरराष्ट्रीय विधि सर्वोच्च है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी घरेलू विधि और अंतरराष्ट्रीय विधि के बीच टकराव होता है, तो अंतरराष्ट्रीय नियम स्वतः ही प्रभावी होंगे। यह विचारधारा वैश्विक विधिक व्यवस्था की अखंडता पर बल देती है और मानवाधिकारों के प्रत्यक्ष संरक्षण को बढ़ावा देती है।

98. (A) प्रभावी कार्यान्वयन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक प्रमुख कार्य मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए मौजूदा कानूनों की निरंतर समीक्षा करना है। आयोग यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकार केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन हो। वह इन सुरक्षा उपायों की कमियों को पहचानता है और उन्हें दूर करने के लिए सरकार को आवश्यक सिफारिशें करता है।

99. (C) सामूहिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली चिंता
सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक मौलिक स्तंभ है। इसके अनुसार किसी एक सदस्य देश के विरुद्ध की

गई आक्रामकता को पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध हमला माना जाता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि शांति बनाए रखना सभी सदस्य देशों का सामूहिक दायित्व है। जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय शांति को भंग करता है, तो सुरक्षा परिषद को सामूहिक कार्रवाई करने का अधिकार होता है।

100. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की शक्ति है, जैसा कि कोविड-19 के दौरान देखा गया था। अतः अभिकथन सही है। हालाँकि कारण गलत है क्योंकि ऐसी घोषणा देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी यात्रा प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं देती। डब्ल्यूएचओ केवल सिफारिशें जारी कर सकता है। प्रतिबंध लगाने का निर्णय प्रत्येक संप्रभु देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर स्वयं लेता है।

101. (C) म्यांमार
सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में वर्तमान में आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है बल्कि वह आसियान का सदस्य है। यद्यपि म्यांमार की भौगोलिक सीमाएं दक्षिण एशिया के साथ साझा होती हैं, लेकिन वह औपचारिक रूप से इस समूह का हिस्सा नहीं है। सार्क का गठन आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

102. (B) रूपांतरण
रूपांतरण वह विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रावधानों को राष्ट्रीय विधि के रूप में अपनाया जाता है। यह विशेष रूप से उन देशों में आवश्यक है जो द्वैतवादी सिद्धांत का पालन करते हैं। जब कोई देश अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करता है, तो उसके प्रावधान सीधे लागू नहीं होते। इसके लिए विधायिका को एक विशिष्ट विधि पारित करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दायित्व राष्ट्रीय संप्रभुता के अनुरूप हों।

103. (D) क्षेत्रातीत शरण
राजनयिक शरण क्षेत्रातीत शरण का एक प्रमुख रूप है जो तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में स्थित किसी विदेशी दूतावास में सुरक्षा मांगता है। चूंकि दूतावास को विधिक रूप से उस देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है, इसलिए वहाँ दी गई शरण उस देश की सीमाओं के भीतर नहीं मानी जाती। यह प्रक्रिया संवेदनशील होती है और अक्सर राज्यों के बीच राजनयिक तनाव का कारण बनती है।

104. (A) ICCPR और ICESCR
"मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय बिल" में तीन प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं: 1948 की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा और आर्थिक, सामाजिक अधिकारों पर प्रसंविदा। घोषणा एक संकल्प है जबकि अन्य दो बाध्यकारी संधियाँ हैं जो मानवाधिकारों को विधिक रूप से परिभाषित करती हैं। ये तीनों मिलकर आधुनिक मानवाधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा तैयार करते हैं जो विश्व भर के कानूनों को प्रभावित करता है।

105. (D) 1, 2 और 3
शरणार्थी विधि का आधार 1951 का अभिसमय है जो शरणार्थी की परिभाषा और अधिकारों को निर्धारित करता है। 'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत इस ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरणार्थियों को जबरन वापसी से बचाता है। साथ ही यह विधिक रूप से स्वीकृत है कि केवल आर्थिक कारणों से पलायन करने वालों को शरणार्थी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। अतः ये तीनों कथन अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार सही और तर्कसंगत हैं।

106. (A) सभी महिलाओं के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करना
महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय का मुख्य लक्ष्य जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करना है। यह अभिसमय राज्यों को यह जिम्मेदारी देता है कि वे न केवल भेदभावपूर्ण कानूनों को बदलें बल्कि उन सामाजिक प्रथाओं को भी समाप्त करें जो महिलाओं की प्रगति में बाधक हैं। इसमें शिक्षा और राजनीति में महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल हैं ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

107. (D) जिनेवा
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य नीतियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। जिनेवा कई अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी केंद्र है, जो इसे स्वास्थ्य कूटनीति के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। मुख्यालय से ही संगठन अपनी वैश्विक गतिविधियों का संचालन करता है और आपात स्थितियों के दौरान देशों को नेतृत्व प्रदान करता है।

108. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
ब्रिक्स राष्ट्र विश्व की लगभग 40% आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उन्हें प्रभावशाली बनाता है। अतः पहला कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है क्योंकि इस समूह ने वित्तीय व्यवस्था में सुधार हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। यह बैंक विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। ये तथ्य ब्रिक्स की बढ़ती शक्ति को दर्शाते हैं।

109. (C) विधि के नियमों के निर्धारण के लिए एक सहायक साधन
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुसार विधिवेत्ताओं की शिक्षाओं को अंतरराष्ट्रीय विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता। इसके बजाय इन्हें केवल 'सहायक साधन' के रूप में मान्यता प्राप्त है जो न्यायालय को विधि की व्याख्या करने में मदद करते हैं। जब संधियों या रूढ़ियों के माध्यम से कोई विधिक नियम स्पष्ट नहीं होता, तब विद्वानों के तर्कसंगत लेखन का उपयोग मार्गदर्शन हेतु किया जाता है। यह विधिक सिद्धांतों की समझ में योगदान देते हैं।

168. (A) भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत के किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। इससे पहले केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही पात्र थे। यह उच्च योग्यता यह सुनिश्चित करती है कि आयोग के पास सर्वोच्च स्तर का विधिक अनुभव और विशेषज्ञता हो ताकि वह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जटिल जांच कर सके और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी सिफारिशें दे सके।

169. (C) सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की

जी7 शिखर सम्मेलन एक वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक है जिसमें इसके सात सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। इसमें यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व भी होता है। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक नीतियों, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर चर्चा करने और समन्वय करने का एक प्रमुख मंच है। चूँकि इसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली औद्योगिक लोकतंत्रों के शीर्ष नेता शामिल होते हैं, इसलिए इस बैठक में लिए गए निर्णयों का वैश्विक शासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

170. (B) केवल 2

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक, क्योंकि इसे संसद के 1993 के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया है। अतः पहला कथन गलत है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि सही है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। सरकार को केवल यह बताना होता है कि उसने आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है या उन्हें क्यों नहीं माना है।

171. (D) CRC

बाल अधिकार अभिसमय (CRC) में "बालक के सर्वोत्तम हित" का सिद्धांत एक मौलिक मार्गदर्शक स्तंभ है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि बच्चों से संबंधित किसी भी विधिक या प्रशासनिक निर्णय में उनके हितों और कल्याण को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। यह अभिसमय बच्चों को केवल दया का पात्र नहीं, बल्कि अधिकारों के सक्रिय धारक के रूप में मान्यता देता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की सुरक्षा और विकास के अधिकारों को किसी भी अन्य राजनीतिक या सामाजिक प्राथमिकताओं से ऊपर रखा जाए।

172. (B) विश्व की प्रमुख घरेलू विधिक प्रणालियों के सामान्य सिद्धांत

"सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत" अंतरराष्ट्रीय विधि का वह स्रोत हैं जो दुनिया भर की राष्ट्रीय विधिक प्रणालियों में पाए जाने वाले साझा विधिक नियमों पर आधारित हैं। इसमें बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं जैसे 'निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार' और 'क्षतिपूर्ति का सिद्धांत'। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इन सिद्धांतों का उपयोग तब करता है जब संधियों या रूढ़ियों में कोई स्पष्ट नियम नहीं मिलता। यह स्रोत अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतराल को भरने और उसे विधिक रूप से पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

173. (C) महासचिव

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का नेतृत्व महासचिव द्वारा किया जाता है, जो संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करता है, जिसमें शांति अभियानों का संचालन करना और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना शामिल है। महासचिव केवल एक प्रशासनिक प्रमुख नहीं है, बल्कि वह विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक भूमिका भी निभाता है।

174. (D) इसमें स्थायी सचिवालय और औपचारिक चार्टर का अभाव है

जी20 के बारे में यह कथन गलत है क्योंकि वास्तव में जी20 का कोई स्थायी सचिवालय या औपचारिक चार्टर नहीं है। यह एक अनौपचारिक समूह के रूप में कार्य करता है जिसका नेतृत्व प्रत्येक वर्ष एक अलग सदस्य देश करता है। अन्य तीनों कथन सही हैं: इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश शामिल हैं, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह लचीली संरचना जी20 को बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है।

175. (A) व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था।

विशिष्टता का सिद्धांत प्रत्यर्पण विधि का एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह सुनिश्चित करता है कि जिस व्यक्ति को एक राज्य ने दूसरे को सौंपा है, उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। इसके अनुसार प्रत्यर्पण प्राप्त करने वाला राज्य उस व्यक्ति पर केवल उन्हीं विशिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा चला सकता है जिनका उल्लेख उसने प्रत्यर्पण की मांग करते समय किया था। यह राज्य को अपराधी सौंपे जाने के बाद छल करने या व्यक्ति पर बिना पूर्व सूचना के अन्य मामले चलाने से रोकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग में पारदर्शिता बनी रहती है।

176. (B) निर्माणात्मक सिद्धांत

निर्माणात्मक सिद्धांत यह मानता है कि एक नई राजनीतिक इकाई तब तक अंतरराष्ट्रीय विधि की दृष्टि में एक 'राज्य' नहीं बनती, जब तक कि उसे अन्य राज्यों द्वारा औपचारिक मान्यता नहीं दी जाती। इस दृष्टिकोण में मान्यता केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि यह वह कार्य है जो राज्य को उसका विधिक अस्तित्व और अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। बिना मान्यता के, वह इकाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों का दावा नहीं कर सकती और न ही संधियाँ कर सकती है। यह

स्थान पर आधारित है। 'नॉन-रिफाउलमेंट' शरणार्थी विधि का वह सिद्धांत है जो जबरन वापसी को रोकता है। 'निर्माणात्मक सिद्धांत' राज्यों की मान्यता से संबंधित है जो मानता है कि मान्यता ही विधिक अस्तित्व प्रदान करती है। ये सभी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि के क्षेत्रों को विनियमित करते हैं।

121. (C) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी कि भविष्य की पीढ़ियों को युद्ध से बचाया जा सके। इसका प्राथमिक लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त यह संगठन राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यह विवादों को रोकने और स्थिरता बनाए रखने का वैश्विक मंच है।

122. (A) केवल राज्यों के बीच
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुसार केवल संप्रभु राज्य ही विवादास्पद मामलों में पक्षकार हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति या अंतरराष्ट्रीय संगठन स्वयं इस न्यायालय में मामले नहीं ला सकते और न ही उनके विरुद्ध यहाँ मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसका देश 'राजनयिक संरक्षण' के माध्यम से उसकी ओर से न्यायालय में मामला उठा सकता है। यह न्यायालय की प्रकृति को स्पष्ट करता है।

123. (D) "इस संधि को प्रभावी करने के लिए एक घरेलू सक्षम अधिनियम की आवश्यकता है।"
द्वैतवादी दृष्टिकोण का पालन करने वाले राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि और घरेलू विधि को दो अलग और स्वतंत्र प्रणालियाँ मानते हैं। ऐसे राज्यों में कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक कि देश की संसद उसे एक विशेष विधि पारित करके राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा न बना दे। यह प्रक्रिया 'रूपांतरण' कहलाती है। इसलिए जब कोई यह कहता है कि संधि के लिए घरेलू अधिनियम की आवश्यकता है, तो वह द्वैतवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित करता है।

124. (B) भारत का उच्चतम न्यायालय
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया सुरक्षित है ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। हालाँकि राष्ट्रपति ऐसा आदेश केवल तभी दे सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर विस्तृत जांच की हो और उन्हें हटाने की सिफारिश की हो। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि नेतृत्व को मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता।

125. (C) बाह्य आक्रमण के विरुद्ध एक साझा रक्षा समझौता स्थापित करना
सार्क एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसका मुख्य ध्यान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाना और सामूहिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना है। हालाँकि सार्क का उद्देश्य नाटो की तरह कोई सैन्य गठबंधन बनाना नहीं है। सार्क के चार्टर में सुरक्षा और सैन्य मामलों को जानबूझकर बाहर रखा गया है ताकि क्षेत्रीय विवादों के बावजूद सदस्य देश मानवीय क्षेत्रों में सहयोग कर सकें।

126. (D) राष्ट्रीयता सिद्धांत
राष्ट्रीयता सिद्धांत के अनुसार एक संप्रभु राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने नागरिकों पर अपने विधिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे, भले ही वे नागरिक विश्व के किसी भी हिस्से में हों। इसके तहत यदि कोई नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है, तो उसका मूल देश उस पर मुकदमा चलाने या उसे सुरक्षा देने का दावा कर सकता है। यह सिद्धांत व्यक्ति और राज्य के बीच के स्थायी विधिक बंधन पर आधारित है। यह क्षेत्रीयता सिद्धांत का पूरक है।

127. (A) सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारकों के कारण वंचित या असुरक्षित हैं
मानवाधिकारों के संदर्भ में 'हाशिए पर रहने वाले समूह' वे समुदाय हैं जिन्हें समाज की मुख्यधारा से अलग कर दिया गया है और जिन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये समूह गरीबी या राजनीतिक शक्ति की कमी के कारण अत्यधिक असुरक्षित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अल्पसंख्यक और शरणार्थी इस श्रेणी में आते हैं। मानवाधिकार विधि इन समूहों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने पर बल देती है ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जिएं।

128. (B) सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और गरिमा में समान हैं
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 1 इस सत्य को स्थापित करता है कि स्वतंत्रता और गरिमा प्रत्येक मनुष्य के जन्मजात अधिकार हैं। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मानवाधिकार किसी राज्य द्वारा दी गई खैरात नहीं हैं, बल्कि ये मनुष्य होने के नाते स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। यह घोषणा समानता के आदर्श पर आधारित है और नस्ल या लिंग के भेदभाव के बिना सभी के लिए एक समान विधिक आधार प्रदान करती है।

129. (B) शरण
जब कोई राज्य किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जिसे उसके मूल देश में राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित किए जाने का भय है, तो वह अपने 'शरण' देने के संप्रभु अधिकार का प्रयोग कर रहा होता है। राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण से इनकार करना अंतरराष्ट्रीय विधि में एक स्वीकृत प्रथा है। राज्य ए उस व्यक्ति को सुरक्षा देकर उसे राज्य बी की दंडात्मक कार्रवाई से बचाता है। यह कार्य मानवीय आधार पर किया जाता है।

130. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि के तीन प्रमुख प्राथमिक स्रोतों में से एक हैं। अतः अभिकथन सही है। हालाँकि कारण गलत है क्योंकि ये सिद्धांत महासभा के प्रस्तावों से नहीं बल्कि दुनिया की

विभिन्न राष्ट्रीय विधिक प्रणालियों में समान रूप से पाए जाने वाले बुनियादी विधिक नियमों से प्राप्त होते हैं। महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः केवल सिफारिशी होते हैं और स्वतः विधि के प्राथमिक स्रोत नहीं बनते।

131. (C) शंघाई
ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थित है। इस बैंक की स्थापना 2014 के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना है। शंघाई में इसका मुख्यालय होना इस समूह में चीन की महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को दर्शाता है। बैंक का संचालन सदस्य देशों के बीच समानता के सिद्धांतों पर आधारित है और यह सतत विकास को बढ़ावा देता है।

132. (D) राज्यों के बीच भगोड़ों की वापसी को सुगम बनाना
प्रत्यर्पण संधियों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराधी एक देश में अपराध करके दूसरे देश की सीमाओं के भीतर छिपकर न्याय से बच न सकें। ये संधियाँ राज्यों के बीच एक विधिक ढांचा तैयार करती हैं जिसके माध्यम से वे भगोड़ों को मुकदमे हेतु एक-दूसरे को सौंपने के लिए सहमत होते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई और कानून के शासन को बनाए रखने का एक प्रभावी साधन है।

133. (C) 'रेस ज्यूडिकाटा' (res judicata) का सिद्धांत
'रेस ज्यूडिकाटा' का सिद्धांत विधि के सामान्य सिद्धांतों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे अंतरराष्ट्रीय विधि में स्रोत के रूप में अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि एक बार जब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम निर्णय कर दिया जाता है, तो उन्हीं पक्षों के बीच उसी विषय पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह सिद्धांत दुनिया की लगभग सभी विधिक प्रणालियों में पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ऐसे ही सिद्धांतों का उपयोग तब करता है जब संधियाँ मौन होती हैं।

134. (B) महासभा
संयुक्त राष्ट्र महासभा को उसके प्रतिनिधित्व के कारण संगठन का सबसे लोकतांत्रिक अंग माना जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं और प्रत्येक देश को केवल एक मत का अधिकार प्राप्त है। यहाँ सभी देशों को वैश्विक मुद्दों पर अपनी बात रखने और मतदान करने का समान अवसर मिलता है। यद्यपि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते लेकिन वे वैश्विक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 'विश्व की संसद' के रूप में कार्य करती है।

135. (D) इसमें विकसित देशों के साथ-साथ प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं
जी20 और जी7 के बीच मुख्य अंतर उनकी सदस्यता की व्यापकता है। जी7 केवल विश्व की सात सबसे विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक विशिष्ट समूह है। इसके विपरीत जी20 में जी7 के सभी देशों के साथ-साथ भारत, चीन और ब्राजील जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। यह व्यापक स्वरूप जी20 को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अधिक प्रतिनिधि मंच बनाता है क्योंकि यह दुनिया की आबादी के बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

136. (A) सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि
सशस्त्र संघर्ष को विनियमित करने वाली विधि, जिसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि के रूप में जाना जाता है, सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह उन नियमों का समूह है जो युद्ध के साधनों को सीमित करते हैं और उन व्यक्तियों की रक्षा करते हैं जो संघर्ष में भाग नहीं ले रहे हैं। इसका मुख्य आधार जिनेवा अभिसमय है। यह विधि सुनिश्चित करती है कि युद्ध की स्थिति में भी मानवीय गरिमा बनी रहे और अनावश्यक पीड़ा को कम किया जा सके।

137. (C) यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित किसी भी मामले की जांच कर सकता है।
राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों के संबंध में यह कथन गलत है क्योंकि विधिक रूप से वह किसी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विचाराधीन हो। यह प्रावधान शक्तियों के टकराव और एक ही मामले पर दो अलग जांचों को रोकने के लिए बनाया गया है। राज्य आयोग स्वतंत्र रूप से जेलों का दौरा कर सकता है और मुआवजे की सिफारिश कर सकता है लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र स्वतंत्र होता है।

138. (A) उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता
बाल अधिकार अभिसमय बच्चों के अधिकारों को चार व्यापक श्रेणियों में विभाजित करता है। 'उत्तरजीविता' में जीवन और बुनियादी स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। 'विकास' शिक्षा और खेल के अधिकार को समाहित करता है। 'संरक्षण' बच्चों को शोषण और हिंसा से बचाने पर केंद्रित है। 'सहभागिता' बच्चों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देती है। ये श्रेणियाँ मिलकर एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय विधिक ढांचा प्रदान करती हैं।

139. (D) क्षेत्रातीत शरण
क्षेत्रातीत शरण एक विशेष प्रकार की सुरक्षा है जो किसी व्यक्ति को उसके अपने ही देश में स्थित किसी विदेशी दूतावास के भीतर दी जाती है। चूँकि दूतावास को उस देश का हिस्सा माना जाता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वहाँ शरण लेना 'क्षेत्रातीत' कहलाता है क्योंकि यह मेजबान देश के सामान्य विधिक अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। यह क्षेत्रीय शरण से भिन्न है जहाँ शरण चाहने वाला सुरक्षा देने वाले देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर प्रवेश करता है।

140. (A) केवल 1 और 2
संधियाँ अंतरराष्ट्रीय विधि का एक प्रमुख स्रोत हैं और वे केवल उन्हीं राज्यों को बाध्य करती हैं जो उनके पक्षकार बनते हैं। 'पैक्टा संट सर्वेंडा' का सिद्धांत संधियों के प्रति निष्ठा और सद्भावनापूर्ण पालन की आवश्यकता पर जोर देता है। अतः पहले दो कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है क्योंकि राज्य

किसी बहुपक्षीय संधि के लिए आरक्षण कर सकते हैं, बशर्ते वह आरक्षण संधि के मूल उद्देश्य के विरुद्ध न हो और संधि में इसे प्रतिबंधित न किया गया हो।

141. (C) शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जिनेवा अभिसमय, 1951
1951 का जिनेवा अभिसमय वह आधारभूत दस्तावेज है जो विधिक रूप से 'शरणार्थी' शब्द को परिभाषित करता है और उनके अधिकारों को निर्धारित करता है। यह अभिसमय शरणार्थियों को उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और 'नॉन-रिफाउलमेंट' के सिद्धांत को स्थापित करता है। यद्यपि अन्य दस्तावेजों में मानवाधिकारों का उल्लेख है लेकिन शरणार्थियों की विशिष्ट स्थिति के लिए यह अभिसमय ही प्राथमिक विधिक स्रोत माना जाता है जो पूरी दुनिया में मान्य है और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है।

142. (D) महासभा
संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय मामलों में महासभा को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। यह संगठन के बजट की समीक्षा करती है और उसे अनुमोदित करती है। महासभा ही यह तय करती है कि प्रत्येक सदस्य राज्य को संयुक्त राष्ट्र के खर्चों के लिए कितना वित्तीय योगदान देना होगा। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों के बजट पर भी विचार करती है। यह "थैली की शक्ति" महासभा को संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों और प्राथमिकताओं पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण और निगरानी रखने का अवसर प्रदान करती है।

143. (A) राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी नियम और सिद्धांत
सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि को संप्रभु राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंधों को विनियमित करने वाले विधिक रूप से बाध्यकारी नियमों के रूप में वर्णित किया जाता है। यह केवल नैतिकता नहीं है, बल्कि एक वास्तविक विधिक प्रणाली है जिसे राज्य अपने आचरण में अनिवार्य मानते हैं। यद्यपि इसमें प्रवर्तन की कुछ सीमाएँ हैं लेकिन इसके नियम संधियों और रूढ़ियों के माध्यम से स्थापित होते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर व्यवस्था, शांति और सहयोग बनाए रखने का आधार है।

144. (B) एक वर्ष से अधिक समय पूर्व हुई घटना से संबंधित हो
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण विधिक मर्यादा यह है कि वह किसी भी ऐसी घटना की जांच नहीं कर सकता जो उसे शिकायत प्राप्त होने से एक वर्ष से अधिक समय पहले घटित हुई हो। यह सीमा अवधि इसलिए रखी गई है ताकि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों का शीघ्रता से समाधान हो सके। यदि शिकायत एक वर्ष के बाद की जाती है, तो आयोग उसे ग्रहण करने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं है। यह नियम शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्रोत्साहित करता है।

145. (B) यह विश्वास कि एक निश्चित राज्य अभ्यास विधिक रूप से अनिवार्य है
'ओपिनियो ज्यूरिस' रूढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि का एक अनिवार्य तत्व है। यह उस विधिक विश्वास को दर्शाता है कि राज्य किसी कार्य को केवल आदत के कारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इसे विधि के अनुसार अनिवार्य मानते हैं। जब राज्यों का निरंतर अभ्यास इस विश्वास के साथ जुड़ जाता है, तभी वह व्यवहार एक बाध्यकारी कानूनी नियम में परिवर्तित होता है। इसके बिना कोई भी आचरण मात्र एक परंपरा रह जाता है और उसे विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

146. (A) अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों को विकसित और प्रोत्साहित करना
विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। ये विनियम एक विधिक रूप से बाध्यकारी ढांचा प्रदान करते हैं जो रोगों के अंतरराष्ट्रीय प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाता है और वैश्विक स्वास्थ्य मानकों को बढ़ावा देता है। यह संगठन तकनीकी विशेषज्ञता और नीतिगत दिशा-निर्देशों के माध्यम से कार्य करता है ताकि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा बनी रहे।

147. (C) डी ज्यूरे मान्यता
'डी ज्यूरे' मान्यता वह पूर्ण और औपचारिक विधिक पावती है जो एक राज्य दूसरे नए राज्य को प्रदान करता है। यह मान्यता यह दर्शाती है कि मान्यता देने वाला राज्य उस नए राज्य को अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक पूर्ण और स्थायी सदस्य मानता है। इस मान्यता के बाद ही दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और संधियाँ की जा सकती हैं। यह मान्यता अंतिम और अपरिवर्तनीय होती है जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत पूर्ण अधिकार प्रदान करती है।

148. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ये दो प्रमुख सिद्धांत दुनिया भर की नागरिकता विधियों के आधार हैं। 'जस सोली' या मिट्टी का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति नागरिकता का हकदार है। 'जस सैंग्विनिस' या रक्त का अधिकार वंशानुगत संबंध को महत्व देता है और नागरिकता को परिवार की राष्ट्रीयता से जोड़ता है। कई देश इन दोनों सिद्धांतों के मिश्रण का उपयोग करते हैं ताकि उनके नागरिकों का राज्य के साथ विधिक संबंध बना रहे।

149. (C) अल्पसंख्यक
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का केंद्र बिंदु उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान का संरक्षण है। इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समाज के दबाव में अपनी अनूठी पहचान न खोएं। उन्हें अपनी भाषा का उपयोग करने और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। यह संरक्षण केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें सामूहिक पहचान को बनाए रखने और भेदभाव से सुरक्षा पाने का अधिकार भी शामिल है।

150. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो वैश्विक राजनीति का केंद्र है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है जहाँ विधिक विवादों का निपटारा किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है जो वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का समन्वय करता है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग को गति प्रदान करता है। ये मुख्यालय इन संगठनों की कार्यप्रणाली और उनके क्षेत्रीय प्रभाव के भौगोलिक केंद्रों को दर्शाते हैं जो अंतरराष्ट्रीय शासन हेतु महत्वपूर्ण हैं।

151. (D) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंध
अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान में दबावकारी तरीके वे होते हैं जहाँ एक पक्ष दूसरे को अपनी इच्छा मनवाने के लिए मजबूर करने का प्रयास करता है। सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए आर्थिक या राजनयिक प्रतिबंध इसका सबसे सशक्त उदाहरण हैं। ये प्रतिबंध शांतिपूर्ण समाधान के विफल होने पर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरे की स्थिति में लगाए जाते हैं। मध्यस्थता जैसे तरीके सहमति पर आधारित होते हैं। दबावकारी उपायों का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वाले राज्य को अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुपालन हेतु बाध्य करना होता है।

152. (A) उन राज्यों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी संधियाँ जिन्होंने उन्हें अनुमोदित किया है
ICCPR और ICESCR दोनों ही औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संधियाँ हैं जिन्हें 1966 में अपनाया गया था। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के विपरीत, जो केवल एक संकल्प है, ये प्रसंविदाएं उन सदस्य राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व डालती हैं जो इनका अनुसमर्थन करते हैं। ICCPR नागरिक अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि ICESCR सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। जो राज्य इनके पक्षकार बनते हैं, उन्हें अपने घरेलू कानूनों को इन संधियों के प्रावधानों के अनुरूप बनाना अनिवार्य होता है।

153. (C) राज्य सरकार
राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को सौंपता है। यह रिपोर्ट आयोग के वर्ष भर के कार्यों और मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच का विस्तृत विवरण होती है। राज्य सरकार का यह विधिक दायित्व है कि वह इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करे। रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन भी संलग्न किया जाता है जिसमें आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और किसी सिफारिश को स्वीकार न करने के कारणों का उल्लेख होता है।

154. (A) सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि
राज्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का एक मौलिक और आधारभूत स्तंभ है। यह सिद्धांत यह मानता है कि सभी संप्रभु राज्य, चाहे वे आकार या सैन्य शक्ति में कितने भी भिन्न हों, अंतरराष्ट्रीय विधि के समक्ष समान अधिकार रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(1) में इसे स्पष्ट रूप से संगठन के एक आधारभूत नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और छोटे राष्ट्रों को शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रभुत्व से सुरक्षा प्रदान करता है।

155. (D) दक्षिण अफ्रीका
मूल रूप से इस समूह को 'ब्रिक' के रूप में जाना जाता था जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के औपचारिक रूप से इस समूह में शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर 'ब्रिक्स' (BRICS) कर दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से इस समूह को अफ्रीकी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व मिला और इसकी वैश्विक पहुंच अधिक व्यापक हो गई। यह विस्तार दर्शाता है कि ब्रिक्स न केवल आर्थिक सहयोग का मंच है बल्कि यह वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में उभरते राष्ट्रों की एकता का प्रतीक है।

156. (B) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। इसे संयुक्त राष्ट्र के एकमात्र अंग के रूप में चार्टर द्वारा यह शक्ति दी गई है कि वह सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी निर्णय ले सके। शांति भंग होने की स्थिति में परिषद विवादों की जांच करती है और यदि आवश्यक हो, तो आक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंध या सैन्य बल का प्रयोग भी कर सकती है। इसकी प्रभावशीलता वैश्विक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

157. (C) वे अधिकार जो केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा प्रत्याभूत हैं किंतु भारत में लागू करने योग्य नहीं हैं
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानवाधिकारों में वे अधिकार शामिल हैं जो संविधान द्वारा दिए गए हैं या जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। ऐसे अधिकार जिन्हें भारतीय विधिक प्रणाली द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, वे इस अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते। यह स्पष्ट करता है कि भारत में मानवाधिकारों का दायरा केवल उन्हीं अंतरराष्ट्रीय नियमों तक सीमित है जिन्हें देश ने अपनी विधिक व्यवस्था में स्वीकार किया है और जो नागरिकों को प्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

158. (D) वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय
मानवाधिकारों की चर्चा में हाशिए पर रहने वाले समूहों के संरक्षण का अर्थ केवल कागजी समानता देना नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करना है जो उन्हें पीछे रखती हैं। इसमें 'सकारात्मक भेदभाव' या विशेष सुरक्षात्मक उपाय शामिल होते हैं ताकि इन समूहों को मुख्यधारा के बराबर लाया जा सके। वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए अक्सर राज्य को इन समुदायों के लिए अतिरिक्त संसाधन या विशेष विधिक सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सबसे कमजोर वर्ग भी मानवाधिकारों का वास्तविक आनंद ले सके।

159. (A) मान्यता एक राज्य को उसका विधिक अस्तित्व प्रदान करती है
मान्यता का निर्माणात्मक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि मान्यता केवल एक राजनीतिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह वह विधिक कार्य है जो वास्तव में एक नए राज्य का निर्माण करता है। इस विचारधारा के अनुसार जब तक अन्य स्थापित राज्य किसी नई इकाई को मान्यता नहीं देते, तब तक वह अंतरराष्ट्रीय विधि की दृष्टि में एक 'राज्य' के रूप में अस्तित्व में नहीं आती। यह सिद्धांत मान्यता को एक अनिवार्य विधिक तत्व मानता है जो राज्य को अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व और उसके साथ आने वाले अधिकारों से सुसज्जित करता है।

160. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
अद्वैतवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विधि को एक ही एकीकृत विधिक प्रणाली के रूप में देखता है, न कि दो अलग व्यवस्थाओं के रूप में। अतः कारण गलत है। हालाँकि अभिकथन सही है क्योंकि अद्वैतवादी व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय विधि को घरेलू विधि के समान माना जाता है और इसे लागू करने के लिए किसी अलग संसदीय विधि की आवश्यकता नहीं होती। इस व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और रुढ़ियाँ देश की अदालतों में सीधे तौर पर लागू की जा सकती हैं, बशर्ते वे विधिक रूप से स्पष्ट और स्वयं-निष्पादित हों।

161. (B) आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP)
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP) वे लोग होते हैं जिन्हें संघर्ष या आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन वे अभी भी अपने देश की सीमाओं के भीतर ही रह रहे हैं। वे शरणार्थियों से इस मायने में भिन्न हैं कि उन्होंने सुरक्षा की तलाश में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है। चूँकि वे अभी भी अपने ही देश में होते हैं, इसलिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत शरणार्थियों जैसी विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त नहीं होती और उनकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी अपनी सरकार पर होती है।

162. (A) एक सुसंगत और अनिवार्य प्रवर्तन तंत्र का अभाव
अंतरराष्ट्रीय विधि की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें घरेलू विधि की तरह कोई प्रभावी और अनिवार्य प्रवर्तन एजेंसी नहीं है। यद्यपि सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मौजूद हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ अक्सर भू-राजनीति और राज्यों की संप्रभु सहमति से बाधित होती हैं। कोई भी वैश्विक पुलिस बल नहीं है जो संप्रभु राज्यों को नियमों का पालन करने के लिए विवश कर सके। यह प्रवर्तन की कमी अक्सर अंतरराष्ट्रीय नियमों को मात्र नैतिक सुझावों तक सीमित कर देती है, जिससे इनकी विधिक प्रभावशीलता कम हो जाती है।

163. (C) 10
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 10 सदस्य गैर-स्थायी होते हैं। इन 10 सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष पांच नए गैर-स्थायी सदस्यों को चुना जाता है ताकि परिषद में प्रतिनिधित्व की निरंतरता बनी रहे। इनका चुनाव क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है ताकि विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को सुरक्षा परिषद में अपनी बात रखने का अवसर मिले। ये सदस्य स्थायी सदस्यों के विपरीत वीटो की शक्ति नहीं रखते हैं।

164. (D) एक मध्यस्थ समाधान का प्रस्ताव देता है; एक सुलहकर्ता सिफारिश करता है
मध्यस्थता और सुलह दोनों विवाद समाधान के शांतिपूर्ण तरीके हैं लेकिन उनकी प्रक्रिया में सूक्ष्म अंतर है। मध्यस्थता में तीसरा पक्ष विवादित पक्षों के बीच संचार सुगम बनाता है और सीधे समाधान का प्रस्ताव दे सकता है। सुलह में एक निष्पक्ष व्यक्ति या आयोग विवाद की जांच करता है और निपटान की शर्तों की सिफारिश करने वाली एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार करता है। सुलहकर्ता की भूमिका अक्सर अधिक विधिक और संरचित होती है जबकि मध्यस्थ पक्षों के बीच सहमति बनाने और समाधान की तलाश करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है।

165. (C) निर्धनता
1951 का शरणार्थी अभिसमय उत्पीड़न के पांच विशिष्ट आधारों को मान्यता देता है: नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता और राजनीतिक विचारधारा। केवल आर्थिक निर्धनता या बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में पलायन करने वाले व्यक्तियों को इस अभिसमय के तहत 'शरणार्थी' के रूप में विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक प्रवासी कहा जाता है। शरणार्थी का दर्जा केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें अपनी पहचान के कारण अपने मूल देश में जीवन या स्वतंत्रता के प्रति गंभीर खतरा होता है।

166. (B) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)
1948 में अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को आधुनिक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का आधार स्तंभ माना जाता है। यह पहला ऐसा दस्तावेज था जिसने स्पष्ट रूप से उन बुनियादी मानवाधिकारों को परिभाषित किया जिन्हें सार्वभौमिक रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। हालाँकि यह स्वयं एक बाध्यकारी संधि नहीं है, लेकिन इसने बाद में आने वाली लगभग सभी मानवाधिकार संधियों और कई देशों के संविधानों के लिए एक विधिक रुपरेखा तैयार की। इसने यह विचार स्थापित किया कि मानवाधिकार राज्य की सीमाओं से परे और सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं।

167. (D) प्रत्यर्पण
यह उदाहरण प्रत्यर्पण की विधिक प्रक्रिया को सटीक रूप से दर्शाता है। प्रत्यर्पण वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जिस पर वहां अपराध का आरोप है या जिसे सजा दी जा चुकी है। इसमें 'दोहरे अपराध' का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, जैसा कि उदाहरण में उल्लेख किया गया है कि वह कार्य दोनों देशों में अपराध है। यह राज्यों के बीच आपराधिक न्याय में सहयोग सुनिश्चित करता है ताकि अपराधी सीमाओं का लाभ उठाकर दंड से बच न सकें। यह मानवीय शरण से पूरी तरह अलग है।

110. (A) 3, 4, 1, 2
इन अंतरराष्ट्रीय निकायों की स्थापना का कालानुक्रमिक क्रम उनके ऐतिहासिक उद्भव को दर्शाता है। सबसे पहले 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसके पश्चात 1975 में प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी7 का गठन किया गया। 1985 में सार्क अस्तित्व में आया। अंत में 2006 में प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक (जो बाद में ब्रिक्स बना) की स्थापना हुई। यह क्रम वैश्विक सहयोग के विभिन्न चरणों को स्पष्ट करता है।

111. (A) केंद्र सरकार
भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी विशेष मामले में किसी राज्य सरकार का सरोकार हो, तो वह राज्य सरकार को भी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। केंद्र सरकार इन रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है जिसमें सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होता है। यह प्रक्रिया आयोग के कार्यों पर लोकतांत्रिक निगरानी सुनिश्चित करती है।

112. (B) राष्ट्रीयता का अपवंचन
जब कोई राज्य किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे उसकी राष्ट्रीयता छीन लेता है, तो उसे राष्ट्रीयता का अपवंचन कहा जाता है। यह आमतौर पर एक दंडात्मक कार्रवाई होती है जो राज्य के विरुद्ध गंभीर अपराधों के मामलों में की जाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को राज्यविहीन बना सकती है जो अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत एक मानवीय चिंता का विषय है। यह देशत्याग से भिन्न है क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वयं की सहमति नहीं होती।

113. (B) मध्यस्थता
मध्यस्थता विवाद समाधान का एक शांतिपूर्ण तरीका है जिसमें एक तटस्थ तीसरा पक्ष विवादित पक्षों के बीच संचार को सुगम बनाता है। मध्यस्थता की विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें मध्यस्थ केवल चर्चा का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि वह पक्षों को सक्रिय रूप से समाधान के प्रस्ताव भी देता है। हालाँकि ये प्रस्ताव पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होते लेकिन वे गतिरोध तोड़ने में मदद करते हैं। यह प्रक्रिया वार्ताओं की तुलना में अधिक औपचारिक होती है।

114. (A) अंतरराष्ट्रीय रुढ़िगत विधि का एक नियम
अंतरराष्ट्रीय रुढ़िगत विधि के निर्माण के लिए राज्यों के बीच एक व्यापक और सुसंगत अभ्यास का होना अनिवार्य है। यह अभ्यास लंबे समय तक बना रहना चाहिए ताकि यह एक स्वीकृत नियम के रूप में स्थापित हो सके। केवल अभ्यास पर्याप्त नहीं है, इसके साथ 'ओपिनियो ज्यूरिस' का भाव भी होना चाहिए। जब राज्य किसी आचरण को कानूनी रूप से आवश्यक मानकर दोहराते हैं, तो वह अंतरराष्ट्रीय विधि का एक अनिवार्य नियम बन जाता है।

115. (C) तात्त्विक प्रस्ताव
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का प्रयोग केवल तात्त्विक या महत्वपूर्ण मामलों पर किया जा सकता है, जैसे शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय। यदि कोई स्थायी सदस्य ऐसे प्रस्ताव के विरुद्ध मत देता है, तो वह रुक जाता है। वीटो का प्रयोग प्रक्रियात्मक मामलों पर नहीं किया जा सकता, जिनके लिए नौ सदस्यों की सहमति पर्याप्त होती है। यह विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि परिषद के दैनिक कार्य वीटो के कारण ठप न हों।

116. (D) शरणार्थी
'नॉन-रिफाउलमेंट' का सिद्धांत विशेष रुप से शरणार्थियों के विधिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय विधि का एक अनिवार्य अंग है। यह सिद्धांत किसी राज्य को ऐसे व्यक्ति को वापस भेजने से रोकता है जिसके जीवन या स्वतंत्रता को गंभीर खतरा हो। यह सुरक्षा तब भी लागू होती है जब कोई व्यक्ति अभी शरणार्थी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में हो। यह सिद्धांत मानवीय आधार पर आधारित है और इसे मानवाधिकारों की आधारशिला माना जाता है।

117. (C) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता था जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। 2019 के संशोधन के बाद किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पात्र बनाया गया है। यह उच्च स्तरीय न्यायिक अनुभव सुनिश्चित करता है कि आयोग उल्लंघन के मामलों का विधिक रूप से सटीक विश्लेषण कर सके। यह पद आयोग की स्वायत्तता का प्रतीक है।

118. (B) जी20
जी20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण मंच है जिसमें 19 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसकी स्थापना 1999 में मुख्य रूप से वित्त मंत्रियों के एक मंच के रूप में की गई थी ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता पर चर्चा की जा सके। 2008 के संकट के बाद इसे राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर उन्नत किया गया। यह समूह वैश्विक व्यापार के एक विशाल हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और नीति निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

119. (D) यह उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जिनकी जांच पहले से ही NHRC द्वारा की जा रही है।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि वह उन मामलों की जांच नहीं कर सकता जिनकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा पहले से की जा रही है। यह प्रावधान विधिक अस्पष्टता को रोकने के लिए बनाया गया है। राज्य आयोग केवल अपने राज्य की सीमाओं के भीतर उल्लंघन की जांच करता है। इसकी शक्तियाँ मुख्य रूप से सलाहकार होती हैं और यह सशस्त्र बलों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

120. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में 'दोहरा अपराध' एक बुनियादी आवश्यकता है जहाँ कार्य दोनों देशों में अपराध होना चाहिए। 'जस सोली' राष्ट्रीयता प्राप्त करने का एक तरीका है जो जन्म के

सिद्धांत मान्यता को अंतरराष्ट्रीय विधिक व्यवस्था का हिस्सा मानता है।

177. (B) एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP)
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP) वे होते हैं जिन्हें हिंसा या आपदा के कारण अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है लेकिन वे अभी भी अपने देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही रहते हैं। वे शरणार्थियों से इस मायने में अलग हैं कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है। चूँकि वे अपने ही देश में होते हैं, इसलिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत शरणार्थियों जैसी सुरक्षा नहीं मिलती और वे अपनी ही सरकार के विधिक अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, जो अक्सर विस्थापन का कारण भी हो सकती है।

178. (A) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
भारत में मानवाधिकारों का प्रवर्तन न्यायपालिका की 'न्यायिक पुनर्विलोकन' की शक्ति द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) के पास रिट जारी करने का अधिकार है जिसके माध्यम से वे मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान कर सकते हैं। न्यायपालिका न केवल कार्यपालिका की मनमानी को रोकती है बल्कि विधायी कानूनों की संवैधानिकता की भी जांच करती है। यह स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण का सबसे मजबूत स्तंभ है।

179. (C) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
भारत में महिलाओं को परिवार के भीतर होने वाले शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार से बचाने के लिए 2005 में यह विशिष्ट अधिनियम पारित किया गया था। यह एक नागरिक विधि है जो पीड़ितों को तत्काल सुरक्षा प्रदान करती है, जैसे कि 'संरक्षण आदेश' और 'निवास का अधिकार'। यह कानून महिलाओं के मानवाधिकारों को निजी और घरेलू क्षेत्र में सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह कानून न केवल पत्नियों को बल्कि परिवार के भीतर रहने वाली किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करता है, जो लैंगिक समानता को पुष्ट करता है।

180. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की एक विशिष्ट शक्ति है। 'नॉन-रिफाउलमेंट' शरणार्थी विधि का वह मुख्य आधार है जो उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों में वापस भेजने से रोकता है। द्वैतवाद अंतरराष्ट्रीय और घरेलू विधि के बीच के उस संबंध को दर्शाता है जहाँ उन्हें दो अलग प्रणालियाँ माना जाता है। 'डी ज्यूरे' मान्यता राज्यों की मान्यता की वह अंतिम अवस्था है जो पूर्ण विधिक संबंधों की स्थापना करती है। ये सभी अवधारणाएं अंतरराष्ट्रीय विधिक संबंधों के विभिन्न आयामों को स्पष्ट रूप से जोड़ती हैं।

181. (C) महासभा
महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श और नीति निर्धारण करने वाला अंग है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है और प्रत्येक राज्य को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। यह एक ऐसा वैश्विक मंच है जहाँ सुरक्षा, शांति, बजट और मानवाधिकारों जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। चूँकि इसमें सभी राष्ट्रों की आवाज़ समान रूप से सुनी जाती है, इसलिए यह संगठन का सबसे लोकतांत्रिक और समावेशी अंग माना जाता है।

182. (B) संघटक संधि (Constituent treaty)
एक संघटक संधि वह संधि होती है जो किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करती है और उसके ढांचे, शक्तियों तथा कार्यों को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक संघटक संधि है जिसने संयुक्त राष्ट्र संगठन को जन्म दिया। ये संधियाँ संगठन के लिए एक प्रकार के 'संविधान' के रूप में कार्य करती हैं और इसमें शामिल होने वाले सदस्य राष्ट्र इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। यह संधि संगठन के विधिक व्यक्तित्व को स्थापित करती है और उसके विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का वितरण करती है।

183. (C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) दोनों ही सांविधिक निकाय हैं क्योंकि इनकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई है, न कि सीधे संविधान द्वारा। अतः कथन I सही है और कथन II गलत है। सांविधिक निकाय होने का अर्थ है कि उनकी शक्तियाँ और कार्य संसद द्वारा पारित कानून पर आधारित हैं। यद्यपि वे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, लेकिन उनकी अपनी प्रकृति 'सांविधिक' ही बनी रहती है, जो उन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है।

184. (A) राष्ट्रीयता
राष्ट्रीयता एक व्यक्ति और एक संप्रभु राज्य के बीच का विधिक और राजनीतिक बंधन है। यह बंधन व्यक्ति को राज्य के प्रति निष्ठा और राज्य को व्यक्ति के प्रति संरक्षण के दायित्व से जोड़ता है। राष्ट्रीयता ही वह आधार है जिससे व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की सुरक्षा का दावा कर सकता है। यह अधिवास या निवास से अधिक स्थायी संबंध है क्योंकि यह व्यक्ति की औपचारिक सदस्यता और विधिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रमाणित करता है।

185. (A) 3, 4, 2, 1
एक बहुपक्षीय संधि के निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संधि के पाठ को अपनाया जाता है। इसके पश्चात सदस्य राज्य अपनी प्रारंभिक सहमति दर्शाने के लिए उस पर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद 'अनुसमर्थन' का चरण आता है जहाँ राज्य अपनी घरेलू विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संधि को औपचारिक मंजूरी देते हैं। अंत में, जब निर्धारित संख्या में देश अनुसमर्थन कर देते हैं, तब संधि आधिकारिक रूप से प्रवर्तन में आती है और विधिक रूप से बाध्यकारी बन जाती है।

186. (A) इंडोनेशिया
ब्रिक्स (BRICS) एक प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इंडोनेशिया इस समूह का सदस्य नहीं है, हालाँकि वह एक उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है और ब्रिक्स के साथ सहयोग करता रहा है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार करना और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये पांच सदस्य देश सामूहिक रूप से विश्व की एक बड़ी आबादी और अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वैश्विक भू-राजनीतिक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

187. (D) विशिष्ट पहचान वाला संख्यात्मक रूप से न्यून समूह
मानवाधिकारों के संदर्भ में 'अल्पसंख्यक' उन समूहों को कहा जाता है जो किसी राज्य की कुल जनसंख्या में संख्यात्मक रूप से कम होते हैं और जिनकी अपनी एक अलग नस्लीय, धार्मिक या भाषाई पहचान होती है। ये समूह अक्सर अपनी पहचान बनाए रखने और भेदभाव से बचने के लिए विशेष विधिक संरक्षण की मांग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि इन समूहों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और अपनी भाषा बोलने का अधिकार देती है ताकि वे समाज में बिना किसी दबाव के गरिमा के साथ रह सकें।

188. (B) सुरक्षा परिषद
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा अंग है जिसके पास सदस्य राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है। महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः केवल सिफारिशी होते हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के निर्णय, विशेष रूप से जो अध्याय VII के तहत शांति और सुरक्षा के लिए लिए जाते हैं, सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होते हैं। यह शक्ति सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और शांति भंग करने वाले राज्यों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का उपकरण प्रदान करती है।

189. (C) विधिक परिणामों वाला राजनीतिक कार्य
मान्यता के निर्माणात्मक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि यह मान्यता को एक ऐसे राजनीतिक कार्य के रूप में देखता है जिसके गहरे विधिक परिणाम होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता देना एक राज्य का स्वैच्छिक राजनीतिक निर्णय है लेकिन इस निर्णय के बिना नई इकाई अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत एक राज्य के रूप में कोई विधिक दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। अतः मान्यता ही वह विधिक माध्यम है जो किसी राजनीतिक वास्तविकता को अंतरराष्ट्रीय अधिकारों और कर्तव्यों के स्वामी के रूप में परिवर्तित करती है।

190. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र 'सहमतिजन्य' है जिसका अर्थ है कि यह राज्यों की संप्रभु इच्छा पर आधारित है। न्यायालय के पास ऐसा कोई स्वतः अनिवार्य अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वह किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने समक्ष बुला सके। राज्यों को या तो विशेष समझौते के माध्यम से, या संधियों में क्लॉज के माध्यम से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करना पड़ता है। बिना राज्यों की सहमति के न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय विधिक रूप से मान्य नहीं होगा।

191. (A) सरकार से रिपोर्ट मांगना और सिफारिशें करना
जब मामला सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। ऐसे मामलों में आयोग स्वयं जांच नहीं करता बल्कि वह केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगता है। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें भेजता है। सरकार को तीन महीने के भीतर आयोग को यह सूचित करना होता है कि उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। यह प्रक्रिया मानवाधिकारों के संरक्षण और सशस्त्र बलों की विशिष्ट अनुशासन प्रणाली के बीच संतुलन बनाए रखती है।

192. (B) न्यायिक निर्णय
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार न्यायिक निर्णयों को अंतरराष्ट्रीय विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है। इसके बजाय इन्हें संधियों, रूढ़ियों और विधि के सामान्य सिद्धांतों के निर्धारण के लिए 'सहायक साधन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये निर्णय न्यायालय को विधि की व्याख्या करने और यह समझने में मदद करते हैं कि विधिक नियम कैसे लागू होते हैं। हालाँकि न्यायालय के निर्णय स्वयं में कानून नहीं बनाते लेकिन वे विधिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

193. (B) सार्क (SAARC)
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (SAU) सार्क सदस्य देशों की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी सामूहिक पहल है। यह विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। यह संस्थान क्षेत्र के युवाओं को एक साथ आने और साझा शैक्षणिक विकास के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का मंच प्रदान करता है। यह सार्क के उन सामाजिक लक्ष्यों का प्रतीक है जो क्षेत्र में ज्ञान आधारित समाज के निर्माण और आपसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

194. (A) क्षेत्रीय शरण
जब कोई राज्य अपने स्वयं के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है, तो उसे क्षेत्रीय शरण कहा जाता है। यह राज्य की संप्रभुता का एक सीधा प्रयोग है जहाँ वह अपने कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति को अपने देश में रहने की अनुमति देता है। यह क्षेत्रातीत शरण से भिन्न है क्योंकि इसमें व्यक्ति वास्तव में उस राज्य की धरती पर मौजूद होता है। अंतरराष्ट्रीय विधि प्रत्येक संप्रभु राज्य को यह अधिकार देती है कि वह मानवीय आधार पर किसी भी प्रताड़ित व्यक्ति को अपने क्षेत्र में शरण दे सके।

195. (C) यह विधिक व्यवस्था को एक एकल, एकीकृत प्रणाली के रूप में देखता है
अद्वैतवादी सिद्धांत यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि दो अलग-अलग प्रणालियाँ नहीं हैं, बल्कि वे एक ही एकीकृत विधिक ढांचे का हिस्सा हैं। इस विचारधारा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि सीधे तौर पर राष्ट्रीय अदालतों में लागू होती है और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए किसी अलग विधायी रूपांतरण की आवश्यकता नहीं होती। अद्वैतवादी अक्सर अंतरराष्ट्रीय विधि को श्रेष्ठ मानते हैं और तर्क देते हैं कि घरेलू कानूनों को वैश्विक विधिक व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए ताकि विधिक एकता बनी रहे।

196. (D) एजेंसियां समझौते द्वारा जुड़ी स्वतंत्र निकाय हैं
संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां, जैसे WHO, ILO या UNESCO, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग नहीं हैं, बल्कि ये अपने स्वयं के चार्टर वाली स्वतंत्र संस्थाएं हैं। इनका संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध विशेष समझौतों के माध्यम से होता है जो आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) द्वारा समन्वित किए जाते हैं। ये एजेंसियां अपने विशिष्ट क्षेत्रों में स्वायत्तता के साथ कार्य करती हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। यह व्यवस्था विशेषज्ञता और वैश्विक प्रशासन के बीच एक प्रभावी संतुलन सुनिश्चित करती है।

197. (C) प्राकृतिक अधिकार
प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते जन्मजात प्राप्त होते हैं। यह अवधारणा मानती है कि ये अधिकार किसी सरकार या विधि की देन नहीं हैं, बल्कि ये सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय हैं। जीवन, स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को अक्सर प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। यही विचार आधुनिक मानवाधिकारों का आधार बना है जो यह तर्क देता है कि राज्य का कर्तव्य इन अधिकारों को 'प्रदान' करना नहीं, बल्कि उन्हें 'मान्यता' देना है, क्योंकि वे मनुष्य के अस्तित्व में निहित हैं।

198. (B) गरिमा, स्वास्थ्य और गैर-भेदभाव
मानवाधिकार विधि के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण मुख्य रूप से उनकी गरिमा को बनाए रखने और उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले और उनके साथ आयु के आधार पर भेदभाव न हो। यह संरक्षण उन्हें समाज का सम्मानित सदस्य मानता है। राज्य का दायित्व है कि वह बुजुर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे ताकि वे शोषण से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

199. (D) किसी भी राज्य की विधि द्वारा नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है
राज्यविहीन व्यक्ति वह होता है जिसका किसी भी देश के साथ औपचारिक विधिक संबंध या नागरिकता नहीं होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति को उसके देश के कानून के तहत नागरिक नहीं माना जाता और न ही उसे किसी अन्य देश की नागरिकता मिलती है। राज्यविहीनता व्यक्ति को पासपोर्ट, मतदान के अधिकार और सरकारी सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर देती है। अंतरराष्ट्रीय विधि ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षा देने के लिए विभिन्न संधियों के माध्यम से देशों से सहयोग का आग्रह करता है।

200. (D) 1, 2 और 3
संयुक्त राष्ट्र की संरचना के संबंध में ये तीनों कथन सही हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः देशों के लिए केवल नैतिक और राजनीतिक सिफारिशें होते हैं, विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है जो संगठन के प्रशासनिक और राजनयिक कार्यों का संचालन करता है। ये तथ्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा निर्धारित संगठन के बुनियादी सिद्धांतों और उसके मुख्य अंगों की भूमिकाओं को स्पष्ट करते हैं।

201. (C) जर्मनी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। जर्मनी इस समूह का स्थायी सदस्य नहीं है, हालाँकि वह अक्सर सुरक्षा परिषद में सुधारों और स्थायी सदस्यता के विस्तार की मांग करने वाले देशों के समूह में शामिल रहता है। ये पांच सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था के प्रमुख विजेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर वीटो की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है।

202. (A) संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है, बल्कि यह एक 'विशिष्ट एजेंसी' के रूप में कार्य करता है। इसका अपना स्वतंत्र संविधान, बजट और सदस्य राष्ट्रों की सदस्यता होती है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के निर्देशन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि यह स्वतंत्र है, लेकिन यह विशेष समझौतों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है और महासभा के साथ मिलकर काम करता है ताकि वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

203. (D) न्यायालय के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र की स्वीकृति
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 36(2) को 'वैकल्पिक खंड' के रूप में जाना जाता है। इसके तहत राज्य यह घोषणा कर सकते हैं कि वे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बिना किसी विशेष समझौते के, अन्य राज्यों के संबंध में अनिवार्य मानते हैं। यह घोषणा राज्यों को कानूनी विवादों में न्यायालय के समक्ष आने के लिए विधिक रूप से बाध्य करती है। यह खंड अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया है, हालाँकि यह राज्यों के लिए स्वैच्छिक है कि वे इस पर हस्ताक्षर करें।

204. (B) न्यायिक समाधान
न्यायिक समाधान अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का सबसे औपचारिक तरीका है। इसमें विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

अधिनियम में इसलिए शामिल किया गया है ताकि एक ही मामले पर दो अलग-अलग जांचों के कारण उत्पन्न होने वाले विधिक भ्रम और संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। यह शक्तियों के स्पष्ट विभाजन और संस्थागत समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक नियम है।

260. (B) P-4, Q-2, R-1, S-3
ये अंतरराष्ट्रीय समूह वैश्विक और क्षेत्रीय शासन में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। जी7 विकसित औद्योगिक लोकतंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो आर्थिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक गठबंधन है जो वैश्विक वित्तीय सुधारों की मांग करता है। सार्क दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का मंच है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। ये सभी संस्थाएं मिलकर वैश्विक संबंधों के विविध आयामों को विधिक रूप से विनियमित करती हैं।

261. (C) घोषणात्मक सिद्धांत
मान्यता का घोषणात्मक सिद्धांत यह मानता है कि एक राज्य का अस्तित्व मान्यता पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह एक वस्तुनिष्ठ तथ्य है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी राजनीतिक इकाई के पास एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या और प्रभावी सरकार है, तो वह स्वतः ही एक राज्य बन जाती है। अन्य राज्यों द्वारा दी गई मान्यता केवल उस पहले से मौजूद वास्तविकता की एक औपचारिक घोषणा मात्र है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि राज्य का विधिक दर्जा उसके वास्तविक नियंत्रण के तथ्यों से उत्पन्न होता है, न कि अन्य राज्यों की इच्छा से।

262. (B) महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (CEDAW)
महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे व्यापक विधिक दस्तावेज है। इसे अक्सर महिलाओं के अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल कहा जाता है। 1979 में अपनाई गई यह संधि जीवन के सभी क्षेत्रों—चाहे वह घर के भीतर हो या बाहर—में महिलाओं की समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों पर विधिक दायित्व डालती है। यह न केवल भेदभावपूर्ण कानूनों को बदलने की मांग करती है, बल्कि उन सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को भी चुनौती देती है जो महिलाओं को हाशिए पर धकेलते हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।

263. (D) संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की परामर्शदात्री राय देने की शक्ति केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा अधिकृत अन्य अंगों तक सीमित है। कोई भी व्यक्तिगत राज्य या संगठन सीधे न्यायालय से ऐसी राय नहीं मांग सकता। यद्यपि ये राय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन उनमें बहुत अधिक कानूनी वजन और नैतिक प्रभाव होता है। ये राय संयुक्त राष्ट्र के अंगों को जटिल विधिक प्रश्नों पर स्पष्टता प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार उचित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।

264. (A) हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के बीच विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व सृजित करना
एक संधि का सबसे महत्वपूर्ण विधिक कार्य उन राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का एक स्पष्ट ढांचा तैयार करना है जो इसमें शामिल होते हैं। जब राज्य किसी संधि का अनुसमर्थन करते हैं, तो वे स्वेच्छा से उसके प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। 'पैक्टा संट सर्वेंडा' के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पक्ष के लिए यह अनिवार्य है कि वह संधि के दायित्वों को सद्भावनापूर्वक निभाए। यह संविदात्मक प्रकृति अंतरराष्ट्रीय विधि को स्थिरता और निश्चितता प्रदान करती है, जिससे राष्ट्रों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बढ़ता है।

265. (C) अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत "मानवाधिकार" की परिभाषा में वे अधिकार शामिल हैं जो संविधान द्वारा दिए गए हैं या जो अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में निहित हैं और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। यह स्पष्ट करता है कि भारत में मानवाधिकारों का विधिक दायरा केवल उन्हीं अंतरराष्ट्रीय नियमों तक सीमित है जिन्हें देश की न्यायिक प्रणाली ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। यह परिभाषा सुनिश्चित करती है कि आयोग केवल उन्हीं अधिकारों की रक्षा करे जिनके लिए ठोस विधिक आधार और न्यायिक प्रवर्तन की संभावना मौजूद है।

266. (A) अपनी विधायिका द्वारा पारित एक विशिष्ट अधिनियम
द्वैतवादी विधिक प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि को दो पूरी तरह से अलग प्रणालियों के रूप में देखा जाता है। इस विचारधारा का पालन करने वाले देश में कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि स्वतः प्रभावी नहीं होती है। इसे देश के भीतर लागू करने के लिए राष्ट्रीय विधायिका को एक विशिष्ट कानून पारित करना पड़ता है, जो संधि के प्रावधानों को घरेलू कानून में रूपांतरित करता है। बिना इस विधायी हस्तक्षेप के, घरेलू अदालतें संधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं, जो राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करता है।

267. (D) संधियाँ पवित्र हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए।
'पैक्टा संट सर्वेंडा' अंतरराष्ट्रीय संधि विधि का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि राज्यों के बीच किए गए समझौते पवित्र हैं और उन्हें सद्भावनापूर्वक निभाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्य केवल अपनी सुविधा के लिए या घरेलू परिस्थितियों का बहाना बनाकर अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से पीछे न हटें। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विधिक स्थिरता और आपसी विश्वास की नींव है। बिना इस सिद्धांत के, अंतरराष्ट्रीय संधियों की विधिक प्रभावशीलता और पूरी वैश्विक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी।

268. (B) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रीय विकास
सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संगठन क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास और

की रक्षा के लिए कानून बनाने की विधिक जिम्मेदारी सौंपती है, जिससे यह वैश्विक लैंगिक समानता का आधार बनती है।

214. (B) अपनी संस्कृति, धर्म और भाषा का अधिकार
अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत अल्पसंख्यकों के संरक्षण का मूल उद्देश्य उनकी विशिष्ट पहचान को बहुसंख्यक समाज के दबाव से बचाना है। उन्हें अपनी भाषा बोलने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। ये अधिकार उन्हें समाज में एक समान नागरिक के रूप में रहने के साथ-साथ अपनी विविधता को बनाए रखने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह संरक्षण भेदभाव को रोकता है और एक समावेशी समाज का निर्माण करता है जहाँ सभी समुदायों की पहचान और गरिमा का पूर्ण सम्मान किया जाता है।

215. (D) पारस्परिकता, राज्य की सद्भावना और विभिन्न प्रतिबंध
अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रवर्तन प्रणाली घरेलू कानून की तुलना में विकेंद्रीकृत है क्योंकि कोई भी वैश्विक पुलिस बल मौजूद नहीं है। इसका प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्यों की आपसी पारस्परिकता, अंतरराष्ट्रीय जनमत और नियमों के पालन के प्रति उनकी सद्भावना पर निर्भर करता है। जब नियमों का गंभीर उल्लंघन होता है, तो सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध प्रवर्तन के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। राज्य अक्सर अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इन विधिक नियमों का स्वेच्छा से पालन करते हैं।

216. (A) अद्वैतवादी सिद्धांत
अद्वैतवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि को एक ही सार्वभौमिक विधिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि सीधे तौर पर घरेलू अदालतों में लागू होती है और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए किसी अलग राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं होती। यह विचारधारा विधिक एकता पर बल देती है और मानती है कि अंतरराष्ट्रीय नियम घरेलू कानूनों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं। अद्वैतवादी अंतरराष्ट्रीय विधिक मानकों के प्रभावी अनुपालन पर जोर देते हैं।

217. (C) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रकृति अत्यंत शक्तिशाली और विधिक रूप से बाध्यकारी होती है। ये प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति खतरों से निपटने के लिए जारी किए जाते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी सदस्य देश इन निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हैं। यह सुरक्षा परिषद को वह अधिकार प्रदान करता है जिससे वह वैश्विक संकटों के समाधान के लिए पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट कर सके।

218. (A) संयुक्त राष्ट्र को विधिक प्रश्नों पर परामर्शदात्री राय देना
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दो मुख्य कार्य हैं: पहला, राज्यों के बीच विधिक विवादों का अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार निपटारा करना, और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों द्वारा भेजे गए विधिक प्रश्नों पर अपनी परामर्शदात्री राय देना। परामर्शदात्री राय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती लेकिन इसमें उच्च विधिक वजन और नैतिक अधिकार होता है। यह न्यायालय की वह भूमिका है जिसके माध्यम से वह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर जटिल कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करने और अंतरराष्ट्रीय विधि के विकास में मदद करता है।

219. (D) थाईलैंड
सार्क (SAARC) दक्षिण एशिया के आठ पड़ोसी देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और वह आसियान (ASEAN) का सदस्य है, सार्क का नहीं। सार्क की सदस्यता केवल उन राष्ट्रों तक सीमित है जो भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हिस्सा हैं। थाईलैंड सार्क सम्मेलनों में एक पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल नहीं है, क्योंकि उसका क्षेत्रीय गठबंधन अलग है।

220. (A) P-3, Q-2, R-4, S-1
ये अंतरराष्ट्रीय अभिसमय मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। CRC बच्चों के विशिष्ट अधिकारों को समर्पित है, जबकि CEDAW महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने का वैश्विक ढांचा है। 1951 का जिनेवा अभिसमय शरणार्थियों की विधिक स्थिति और उनके संरक्षण के लिए आधारभूत दस्तावेज है। ICCPR नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को विधिक रूप से बाध्यकारी बनाता है। ये सभी संधियाँ मिलकर एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय विधिक जाल बुनती हैं जो दुनिया के सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है।

221. (C) राजनीतिक अपराध अपवाद
राजनीतिक अपराध अपवाद प्रत्यर्पण विधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर लगाया गया आरोप राजनीतिक प्रकृति का है—जैसे विद्रोह—तो अनुरोध प्राप्त राज्य उसे प्रत्यर्पित करने से मना कर सकता है। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उसे दूसरे देश के राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार होने से बचाता है। हालाँकि आतंकवाद या युद्ध अपराधों जैसे जघन्य कार्यों को इस अपवाद के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि न्याय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

222. (D) 1 जनवरी 1951
1951 के मूल शरणार्थी अभिसमय में एक समयगत सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अनुसार 'शरणार्थी' का दर्जा केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता था जो 1 जनवरी 1951 से पहले हुई घटनाओं के कारण उत्पीड़न का शिकार हुए थे। यह सीमा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विस्थापन संकट से निपटने के लिए बनाई गई थी। हालाँकि बाद में यह महसूस किया गया कि शरणार्थी समस्या वैश्विक और निरंतर है, जिसके कारण 1967 के प्रोटोकॉल द्वारा इन सीमाओं को हटा दिया गया ताकि अन्य लोगों को भी संरक्षण मिले।

से सर्वोच्च और अटूट मानता है। ये ऐसे नियम हैं जिनसे किसी भी परिस्थिति में विचलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए, नरसंहार और यातना पर प्रतिबंध इसके नियम हैं। कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता जो इन अनिवार्य नियमों का उल्लंघन करता है, वह अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत स्वतः ही शून्य और अमान्य माना जाता है, जो विधिक व्यवस्था की नैतिक और विधिक अखंडता सुनिश्चित करता है।

242. (A) शरण चाहने वाला
एक व्यक्ति जो उत्पीड़न के भय के कारण अपना देश छोड़कर दूसरे देश में प्रवेश करता है और वहां विधिक संरक्षण की मांग करता है, उसे 'शरण चाहने वाला' कहा जाता है। वह तब तक इसी स्थिति में रहता है जब तक कि मेजबान देश के अधिकारियों द्वारा उसके दावे की जांच नहीं कर ली जाती और उसे औपचारिक रूप से 'शरणार्थी' का दर्जा नहीं दे दिया जाता। शरण चाहने वाले व्यक्ति को 'नॉन-रिफाउलमेंट' के सिद्धांत के तहत सुरक्षा का अधिकार होता है, जो उसे खतरे वाली स्थितियों में वापस भेजने से रोकता है।

243. (C) अनुच्छेद 3
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 3 आधुनिक मानवाधिकारों की आधारशिला है। यह स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है। यह अधिकार अन्य सभी मानवाधिकारों का आधार है क्योंकि बिना जीवन के अन्य अधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यह अनुच्छेद दासों की स्थिति और मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के अंतरराष्ट्रीय संकल्प को प्रतिबिंबित करता है, जो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से लागू है और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है।

244. (D) 18 वर्ष की आयु तक के सभी व्यक्ति
बाल अधिकार अभिसमय के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक मनुष्य को 'बालक' माना जाता है, जब तक कि उस देश के कानूनों के अनुसार वयस्कता की आयु पहले प्राप्त न कर ली गई हो। यह अभिसमय बच्चों को उनके विकास के लिए आवश्यक विशेष सुरक्षा और देखभाल का विधिक अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया के हर बच्चे को उसकी गरिमा और सर्वोत्तम हितों के अनुसार जीने और अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो सके, जो एक वैश्विक दायित्व है।

245. (C) संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, रूढ़ि और सामान्य सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय विधि के तीन प्राथमिक स्रोतों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। महासभा के प्रस्तावों को इस अनुच्छेद के तहत प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है, हालाँकि वे अंतरराष्ट्रीय विधि के विकास और रूढ़ियों के प्रमाण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सामान्यतः सदस्य देशों के लिए केवल सिफारिशी होते हैं और संधियों की तरह सीधे विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करते हैं, जो उनकी विधिक प्रकृति को स्पष्ट करता है।

246. (B) संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और संरचना को रेखांकित करना
संयुक्त राष्ट्र चार्टर संगठन का संघटक दस्तावेज है जो इसके मूलभूत सिद्धांतों और विभिन्न अंगों की संरचना को परिभाषित करता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो सभी सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी है और अन्य सभी संधियों पर वरीयता रखती है। चार्टर का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है। यह वह विधिक आधार प्रदान करता है जिस पर पूरी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का ढांचा टिका हुआ है, जो विश्व में व्यवस्था और सहयोग सुनिश्चित करता है।

247. (D) संयुक्त राष्ट्र
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। न्यायालय का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार उन विधिक विवादों का निपटारा करना है जो राज्यों द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को विधिक प्रश्नों पर परामर्शदात्री राय भी देता है। यह न्यायालय वैश्विक शांति और न्याय सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की विधिक भुजा के रूप में कार्य करता है।

248. (A) प्रमुख विकसित और उभरते देशों की सदस्यता
जी20 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी व्यापक सदस्यता है जिसमें विश्व की 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह समूह विकसित देशों और प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत और ब्राजील को एक साथ लाता है। यह विविधता जी20 को वैश्विक आर्थिक शासन के लिए अधिक प्रतिनिधि मंच बनाती है क्योंकि इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों और विकास के स्तरों वाले राष्ट्र शामिल हैं। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य नीतिगत समन्वय सुनिश्चित करता है, जो वर्तमान युग की आवश्यकता है।

249. (C) यह सामान्यतः द्विपक्षीय संधियों द्वारा शासित होता है।
प्रत्यर्पण की प्रक्रिया मुख्य रूप से उन द्विपक्षीय संधियों पर आधारित होती है जो दो राज्य आपस में करते हैं। इन संधियों में उन विशिष्ट अपराधों और शर्तों का उल्लेख होता है जिनके तहत अपराधियों को एक-दूसरे को सौंपा जाएगा। बिना किसी संधि के, कोई भी राज्य किसी भगोड़े को प्रत्यर्पित करने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं होता है। प्रत्यर्पण में 'दोहरे अपराध' का सिद्धांत भी एक अनिवार्य शर्त है, जिसका अर्थ है कि वह कार्य दोनों देशों के कानून में अपराध होना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

250. (A) 2, 3, 1, 4
मानवाधिकारों के विकास का क्रम उनकी बढ़ती वैश्विक व्यापकता को दर्शाता है। सबसे पहले 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। इसके बाद 1989 में बाल अधिकार अभिसमय अस्तित्व में आया। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। अंत में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना

अनुसार मान्यता केवल उस पहले से मौजूद वास्तविकता की एक औपचारिक स्वीकृति मात्र है। यह सिद्धांत निर्माणात्मक सिद्धांत के विपरीत है और यह तर्क देता है कि मान्यता केवल राजनीतिक संबंधों की शुरुआत का संकेत देती है, न कि राज्य के विधिक अस्तित्व का निर्माण करती है।

233. (C) साक्षियों को समन करना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना
मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करते समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों के माध्यम से वह किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए समन भेज सकता है और शपथ पर उसकी जांच कर सकता है। वह दस्तावेजों की खोज और उन्हें पेश करने के लिए भी आदेश दे सकता है। ये शक्तियाँ आयोग को एक प्रभावी जांच निकाय बनाती हैं जो साक्ष्यों को निष्पक्ष रूप से एकत्र करने और मानवाधिकार उल्लंघन की जवाबदेही तय करने में सक्षम है।

234. (A) उनका अस्तित्व और निरंतर पहचान
अल्पसंख्यकों के संरक्षण का मूल विचार यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान—सांस्कृतिक और धार्मिक—को सुरक्षित रखते हुए गरिमा के साथ समाज में जीवित रह सकें। इसका उद्देश्य उन्हें बहुसंख्यक आबादी में जबरन समाहित होने से बचाना है। यह संरक्षण उन्हें भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें अपनी विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाने का अधिकार देता है। यह विविधता का सम्मान करने वाले एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि का एक अनिवार्य हिस्सा है।

235. (D) विधि का प्रवर्तन मुख्य रूप से व्यक्तिगत राज्यों पर निर्भर है
अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रवर्तन को 'विकेंद्रीकृत' कहा जाता है क्योंकि घरेलू कानून की तरह यहाँ कोई एक केंद्रीय संस्था नहीं है जो सभी नियमों को लागू कर सके। यद्यपि सुरक्षा परिषद मौजूद है, लेकिन उसकी कार्रवाई सीमित है। अधिकांश मामलों में अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन स्वयं संप्रभु राज्यों द्वारा किया जाता है। राज्य अक्सर पारस्परिकता और अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के कारण नियमों का पालन करते हैं। यह व्यवस्था राज्यों की संप्रभुता और आपसी सहमति के सिद्धांत पर आधारित है जो वैश्विक व्यवस्था बनाए रखती है।

236. (B) अंतरराष्ट्रीय कानून को स्वतः ही घरेलू विधिक व्यवस्था का भाग मानता है
अद्वैतवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि को एक ही एकीकृत विधिक प्रणाली के रूप में देखता है। इस सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अंतरराष्ट्रीय संधियाँ और नियम जैसे ही अस्तित्व में आते हैं, वे बिना किसी विशिष्ट राष्ट्रीय विधायी कार्य के स्वतः ही देश के कानूनों का हिस्सा बन जाते हैं। इस व्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय नियमों को राष्ट्रीय अदालतों द्वारा सीधे लागू किया जा सकता है। यह विचारधारा अंतरराष्ट्रीय विधिक एकता को बढ़ावा देती है और मानवाधिकारों के प्रत्यक्ष संरक्षण पर जोर देती है।

237. (C) सुरक्षा परिषद
वीटो की शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सबसे विशिष्ट विशेषता है जो केवल इसके पांच स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। यदि इनमें से कोई भी सदस्य किसी तात्त्विक प्रस्ताव के विरुद्ध अपना मत देता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, भले ही अन्य सभी सदस्य उसके पक्ष में हों। यह शक्ति स्थायी सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। यह व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की महाशक्तियों के प्रभाव और उनकी विशेष जिम्मेदारियों को प्रतिबिंबित करती है।

238. (D) सदस्य राज्यों को मार्गदर्शन और सूचना प्रदान करना
वैश्विक महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका मुख्य रूप से एक सलाहकार और समन्वयक निकाय की होती है। डब्ल्यूएचओ वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर देशों को बीमारी से निपटने के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह रोगों की निगरानी करता है और अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। हालाँकि यह संगठन किसी संप्रभु देश को सीधे आदेश नहीं दे सकता। इसका प्रभाव इसकी विशेषज्ञता और सदस्य राष्ट्रों के साथ इसके सहयोग पर आधारित होता है जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

239. (A) ब्रिक्स (BRICS)
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) और आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (CRA) ब्रिक्स समूह की दो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। NDB का उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण प्रदान करना है। CRA एक सहायता तंत्र है जो सदस्य देशों को वैश्विक वित्तीय अस्थिरता के समय सुरक्षा प्रदान करता है। ये दोनों संस्थान वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार लाने और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों की भूमिका को मजबूत करने का कार्य करते हैं, जो वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है।

240. (A) केवल 1 और 2
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वह बिना किसी औपचारिक शिकायत के भी कार्रवाई शुरू कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल उसके संबंधित राज्य की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित है। अतः पहले दो कथन सही हैं। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इन आयोगों की सिफारिशें विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं; वे केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं जिनका उद्देश्य सरकार को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

241. (B) किसी भी प्रकार के उल्लंघन की अनुमति नहीं है
'जस कोजेंस' अंतरराष्ट्रीय विधि के उन बुनियादी नियमों को संदर्भित करता है जिन्हें पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय विधिक रूप

223. (A) 1967 का प्रोटोकॉल
1967 का प्रोटोकॉल शरणार्थी विधि के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने 1951 के मूल अभिसमय में निहित उन सीमाओं को हटा दिया जो शरणार्थी दर्जे को केवल 1951 से पहले और केवल यूरोप तक सीमित रखती थी। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से शरणार्थी संरक्षण की व्यवस्था को सार्वभौमिक बना दिया गया। अब विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी भी समय उत्पीड़न का सामना करने वाले लोग अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत सुरक्षा प्राप्त करने के हकदार बन गए, जो एक महान मानवीय उपलब्धि है।

224. (B) भाग III - मौलिक अधिकार
भारतीय संविधान का भाग III मानवाधिकारों की अवधारणा का सबसे सुदृढ़ हिस्सा है। यह भाग नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता और जीवन का अधिकार। इन अधिकारों को न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। यह संवैधानिक ढांचा भारत में मानवाधिकारों को न केवल एक आदर्श बनाता है बल्कि उन्हें एक वास्तविक विधिक शक्ति भी प्रदान करता है जो नागरिकों की रक्षा करती है।

225. (B) राज्य और केंद्र सरकार दोनों के कर्मचारी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने का एक व्यापक अधिकार क्षेत्र है। यह आयोग केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के नियंत्रण में काम करने वाले किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए उल्लंघन या लापरवाही की जांच कर सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी मशीनरी के किसी भी स्तर पर मानवाधिकारों का हनन न हो। आयोग की यह शक्ति उसे देश भर में सरकारी जवाबदेही तय करने और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय निगरानी संस्था बनाती है।

226. (A) 'बालक के सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत
अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत बच्चों के संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण 'बालक के सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि जब भी बच्चों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाए, तो उनके कल्याण और विकास को ही प्राथमिक आधार माना जाए। यह सिद्धांत केवल विधिक ही नहीं, बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शक भी है जो राज्य और समाज को बच्चों के प्रति उनकी विशेष जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह बच्चों को सक्रिय अधिकारों के स्वामी के रूप में स्थापित करने वाला एक क्रांतिकारी विचार है।

227. (C) रुढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि का एक नियम
'ओपिनियो ज्यूरिस' रुढ़िगत अंतरराष्ट्रीय विधि का वह मनोवैज्ञानिक तत्व है जो राज्यों के व्यवहार को एक विधिक नियम में बदल देता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि राज्य किसी कार्य को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे इसे अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत अनिवार्य मानते हैं। जब राज्यों का व्यापक अभ्यास इस विधिक विश्वास के साथ जुड़ जाता है, तभी वह अभ्यास एक बाध्यकारी रुढ़िगत नियम का दर्जा प्राप्त करता है। यह तत्व अंतरराष्ट्रीय विधि की निरंतरता और विधिक वैधता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

228. (D) केवल विशिष्ट मामले के पक्षों पर बाध्यकारी
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 59 के अनुसार न्यायालय के निर्णय केवल विवाद में शामिल पक्षों पर ही बाध्यकारी होते हैं और केवल उसी विशेष मामले के लिए मान्य होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पूर्व निर्णय की बाध्यता का सिद्धांत उस तरह लागू नहीं होता जैसा कि घरेलू विधिक प्रणालियों में होता है। हालाँकि न्यायालय के निर्णयों का उच्च विधिक महत्व होता है और उन्हें अक्सर बाद के मामलों में विधि के विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है, लेकिन वे औपचारिक रूप से संबंधित राज्यों को ही बाध्य करते हैं।

229. (C) जी7
जी7 का गठन 1973 के वैश्विक तेल संकट और उसके बाद उत्पन्न हुई आर्थिक अस्थिरता के जवाब में किया गया था। शुरुआत में यह प्रमुख औद्योगिक देशों के वित्त मंत्रियों के बीच एक अनौपचारिक बैठक के रूप में शुरु हुआ, जो बाद में राष्ट्राध्यक्षों के स्तर के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बदल गया। इस समूह का मुख्य उद्देश्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों का समन्वय करना था ताकि वैश्विक संकटों से निपटा जा सके। आज भी यह समूह वैश्विक आर्थिक शासन और भू-राजनीतिक सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख केंद्र है।

230. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय विधि के तहत विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं; वे केवल राज्यों के लिए सिफारिशें और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अतः अभिकथन सही है। हालाँकि कारण गलत है क्योंकि महासभा एक "विश्व संसद" नहीं है जिसके पास सदस्य राज्यों पर अनिवार्य कानून बनाने की संप्रभु शक्ति हो। केवल सुरक्षा परिषद के पास ही विशेष परिस्थितियों में बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति है। महासभा वैश्विक जनमत का प्रतिनिधित्व करती है लेकिन उसकी विधायी शक्ति सीमित है।

231. (D) संरक्षण; समर्पण
शरण और प्रत्यर्पण दोनों ही अंतरराष्ट्रीय विधि में राज्यों के संप्रभु अधिकारों के विपरीत पहलुओं को दर्शाते हैं। शरण देना एक मानवीय कार्य है जहाँ राज्य किसी पीड़ित व्यक्ति को उत्पीड़न से बचाने के लिए अपने क्षेत्र में 'संरक्षण' प्रदान करता है। इसके विपरीत, प्रत्यर्पण न्याय का एक कार्य है जहाँ एक राज्य दूसरे राज्य के अनुरोध पर किसी अपराधी को सजा या मुकदमे के लिए उसे 'समर्पित' या सौंप देता है। ये दोनों प्रक्रियाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय की मांग के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं।

232. (A) राज्य के पूर्व-मौजूदा अस्तित्व की पावती
मान्यता का घोषणात्मक सिद्धांत यह मानता है कि एक राज्य का अस्तित्व अन्य राज्यों की मान्यता पर निर्भर नहीं है। यदि किसी इकाई के पास एक निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या और प्रभावी सरकार है, तो वह पहले से ही एक राज्य है। इस दृष्टिकोण के

1993 के अंत में हुई। यह क्रम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और विशेषज्ञता के विकास को स्पष्ट करता है, जो वैश्विक स्तर पर अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

251. (D) शरणार्थी को ऐसे देश में वापस भेजना जहाँ उसे उत्पीड़न का भय हो
'नॉन-रिफाउलमेंट' अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी विधि का एक अनिवार्य सिद्धांत है। यह किसी भी राज्य को शरणार्थी या शरण चाहने वाले को जबरन ऐसे क्षेत्र में वापस भेजने से रोकता है जहाँ उसके जीवन या स्वतंत्रता को उसकी नस्ल, धर्म या राजनीतिक विचारों के कारण गंभीर खतरा हो सकता है। यह सिद्धांत मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए बनाया गया है और इसे अब अंतरराष्ट्रीय रुढ़िगत विधि का एक हिस्सा माना जाता है। यह वह अंतिम सुरक्षा कवच है जो किसी व्यक्ति को अमानवीय परिस्थितियों से बचाता है।

252. (B) राज्य मानवाधिकार आयोग
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक द्वि-स्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर यह अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना करता है जो पूरे देश के लिए कार्य करता है। साथ ही, यह प्रत्येक राज्य को अपने स्तर पर एक 'राज्य मानवाधिकार आयोग' गठित करने का अधिकार देता है ताकि राज्य सूची के विषयों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों की प्रभावी ढंग से जांच की जा सके। यह विकेंद्रीकरण मानवाधिकारों के संरक्षण को स्थानीय स्तर पर अधिक सुलभ बनाता है।

253. (C) उनकी गरिमा, स्वायत्तता और देखभाल की प्रत्याभूति देना
वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय ढांचा उनके बुढ़ापे को गरिमापूर्ण बनाने और उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बुजुर्गों को उचित स्वास्थ्य सेवा और शोषण से सुरक्षा प्राप्त हो। यह दृष्टिकोण मानता है कि वृद्ध व्यक्ति केवल सेवा के प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि वे स्वायत्तता के हकदार हैं और उन्हें अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यह आयु आधारित भेदभाव को समाप्त करने और एक समावेशी समाज बनाने का संकल्प व्यक्त करता है।

254. (D) यह सैद्धांतिक बहस का विषय है, मुख्य रूप से अद्वैतवाद और द्वैतवाद के बीच।
अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि के बीच संबंध की प्रकृति एक दीर्घकालिक सैद्धांतिक चर्चा का विषय रही है। अद्वैतवाद यह मानता है कि दोनों विधि एक ही एकीकृत व्यवस्था के हिस्से हैं और अंतरराष्ट्रीय विधि श्रेष्ठ है। इसके विपरीत, द्वैतवाद यह मानता है कि दोनों प्रणालियाँ पूरी तरह अलग हैं और अंतरराष्ट्रीय विधि को लागू करने के लिए घरेलू विधायी हस्तक्षेप आवश्यक है। यह बहस यह निर्धारित करती है कि राष्ट्रीय अदालतें अंतरराष्ट्रीय संधियों और रुढ़ियों को किस प्रकार व्यवहार में लागू करेंगी और न्याय सुनिश्चित करेंगी।

255. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास चार्टर के अध्याय VII के तहत शांति बनाए रखने के लिए सैन्य कार्रवाई अधिकृत करने की सर्वोच्च शक्ति है, जैसा कि ऐतिहासिक संघर्षों के दौरान देखा गया है। अतः कथन I सही है। कथन II भी सही है क्योंकि 'शांति के लिए एकता' प्रस्ताव महासभा को वह शक्ति देता है जिसके तहत यदि सुरक्षा परिषद में वीटो के कारण गतिरोध उत्पन्न होता है, तो महासभा शांति के लिए सामूहिक उपायों की सिफारिश कर सकती है। ये दोनों प्रावधान संयुक्त राष्ट्र को विफलता से बचाने हेतु महत्वपूर्ण हैं।

256. (B) वे विधिक दायित्व सृजित करने वाले बाध्यकारी समझौते हैं
संधियाँ अंतरराष्ट्रीय विधि का सबसे प्रत्यक्ष स्रोत हैं। जब संप्रभु राज्य किसी संधि का अनुसमर्थन करते हैं, तो वे स्वेच्छा से उसके प्रावधानों का पालन करने के लिए विधिक रूप से बाध्य हो जाते हैं। संधियाँ राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हैं और विधिक निश्चितता प्रदान करती हैं। 'पैक्टा संट सर्वेंडा' के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक संधि का सद्भावनापूर्वक पालन किया जाना अनिवार्य है। ये समझौते अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग का मुख्य विधिक आधार बनते हैं।

257. (B) कोई नहीं, सभी ब्रिक्स सदस्य जी20 के भी सदस्य हैं।
ब्रिक्स समूह के सभी पांच सदस्य देश—ब्राजील, रुस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका—जी20 के भी सक्रिय और महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जी20 एक व्यापक मंच है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, इसलिए इसमें ब्रिक्स जैसे प्रभावशाली उभरते राष्ट्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। ये देश दोनों समूहों में अपनी भूमिका के माध्यम से वैश्विक आर्थिक शासन और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उनकी सदस्यता वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूती प्रदान करती है।

258. (A) देशत्याग (Expatriation)
राष्ट्रीयता की हानि या अपनी नागरिकता छोड़ने की प्रक्रिया को विधिक रूप से 'देशत्याग' कहा जाता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ देता है, अक्सर किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। यह राज्य द्वारा नागरिकता छीनने से भिन्न है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वयं की इच्छा प्राथमिक होती है। राष्ट्रीयता की हानि व्यक्ति के विधिक दर्जे और राज्य के प्रति उसकी निष्ठा को समाप्त कर देती है। अंतरराष्ट्रीय कानून राज्यविहीनता से बचने के लिए इस प्रक्रिया को विनियमित करने का प्रयास करता है।

259. (C) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष लंबित हो
राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र पर एक प्रमुख विधिक प्रतिबंध यह है कि वह किसी भी ऐसे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच नहीं कर सकता जो पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य सांविधिक आयोग के विचाराधीन हो। यह प्रावधान मानवाधिकार संरक्षण

जैसे स्थायी न्यायिक निकाय के समक्ष पेश किया जाता है जहाँ न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय विधि के स्थापित नियमों के आधार पर निर्णय देते हैं। यह प्रक्रिया वार्ताओं या मध्यस्थता की तुलना में अधिक सार्वजनिक और विधिक होती है। यहाँ दिया गया निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यह तरीका तब अपनाया जाता है जब कूटनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं और पक्षों को विधिक फैसले की आवश्यकता होती है।

205. (C) "संधियों की विधि" (Treaty on treaties)
संधियों की विधि पर वियना अभिसमय (1969) को अक्सर "संधियों की संधि" कहा जाता है क्योंकि यह वह आधारभूत दस्तावेज है जो संधियों के निर्माण, व्याख्या और लागू होने के नियमों को निर्धारित करता है। यह अभिसमय संहिताबद्ध करता है कि राज्य किस प्रकार संधियाँ करेंगे और उनके विधिक परिणाम क्या होंगे। यह अंतरराष्ट्रीय विधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वैश्विक संबंधों में विधिक निश्चितता और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे देशों के बीच समझौतों का पालन सुनिश्चित हो सके।

206. (D) सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि
राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप का सिद्धांत सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक संप्रभु राज्य को अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बिना किसी बाहरी दबाव के चुनने का पूर्ण अधिकार है। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(7) में भी सन्निहित है। यह नियम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह राज्यों की संप्रभुता का सम्मान करता है और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध विधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

207. (A) यह प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है
जी7 सात सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है जो किसी औपचारिक चार्टर या सचिवालय के बिना कार्य करता है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल हैं। यह समूह वार्षिक शिखर सम्मेलनों के माध्यम से वैश्विक आर्थिक नीतियों और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करता है। यद्यपि भारत जैसे बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन उन्हें अक्सर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसके निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते लेकिन वैश्विक दिशा तय करते हैं।

208. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
प्रत्यर्पण और शरण दोनों ही अंतरराष्ट्रीय विधि की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो अपराधियों और पीड़ितों के प्रति राज्यों के आचरण को विनियमित करती हैं। प्रत्यर्पण के माध्यम से राज्य आपसी सहयोग करके अपराधियों को दंड से बचने से रोकते हैं, जबकि शरण के माध्यम से वे उन निर्दोष लोगों की रक्षा करते हैं जिनका जीवन उनके अपने देश में खतरे में होता है। ये दोनों कथन इन अवधारणाओं की विधिक प्रकृति को सही ढंग से परिभाषित करते हैं। प्रत्यर्पण न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि शरण मानवीय सुरक्षा के।

209. (B) देशीयकरण
देशीयकरण वह विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जो उस देश का जन्मजात नागरिक नहीं है, वहां की नागरिकता प्राप्त करता है। यह आमतौर पर उस देश में लंबे समय तक निवास करने या विशिष्ट विधिक शर्तों को पूरा करने के बाद होता है। देशीयकरण राज्य की संप्रभु शक्ति का एक कार्य है जिसके तहत वह किसी विदेशी को अपने विधिक परिवार में शामिल करता है। इसके बाद उस व्यक्ति को उस देश के नागरिकों के समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं, जो उसकी नई विधिक पहचान बनती है।

210. (A) डी फैक्टो अनंतिम है; डी ज्यूरे अंतिम और विधिक है
'डी फैक्टो' मान्यता एक अनंतिम पावती है जो अक्सर तब दी जाती है जब कोई नया राज्य किसी क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण तो रखता है लेकिन उसकी स्थिरता अभी संदेह में होती है। इसे बाद में वापस लिया जा सकता है। इसके विपरीत 'डी ज्यूरे' मान्यता एक पूर्ण और अपरिवर्तनीय विधिक कार्य है जो यह दर्शाता है कि मान्यता प्राप्त इकाई अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक स्थायी सदस्य है। 'डी ज्यूरे' मान्यता के बाद ही पूर्ण राजनयिक संबंधों और संधियों का आधिकारिक मार्ग प्रशस्त होता है।

211. (C) सांविधिक निकाय
भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक सांविधिक निकाय है, जिसका अर्थ है कि इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993) के माध्यम से हुई है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि संविधान में इसका सीधे उल्लेख नहीं था। सांविधिक होने के बावजूद, आयोग को अपनी जांच करने और सिफारिशें देने के लिए व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रहरी के रूप में कार्य करना और उल्लंघन के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

212. (D) राज्य के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता
राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के चयन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक विशिष्ट समिति बनाई जाती है। इस समिति में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यदि उस राज्य में विधान परिषद भी है, तो उसके सभापति भी इस समिति के सदस्य होते हैं। यह बहुदलीय संरचना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राजनीतिक रूप से निष्पक्ष हो और आयोग की विधिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता बनी रहे।

213. (C) महिलाओं के लिए मानवाधिकारों का एक अंतरराष्ट्रीय बिल
CEDAW को अक्सर "महिलाओं के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय बिल" के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह दुनिया भर की महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय संधि है। 1979 में अपनाई गई यह संधि जीवन के सभी क्षेत्रों—राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक—में महिलाओं की समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह सदस्य राष्ट्रों को महिलाओं के अधिकारों

समझ बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। सार्क का लक्ष्य क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करने के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करना है। यह सामूहिक प्रगति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के माध्यम से दक्षिण एशिया की समृद्धि और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।

269. (C) 1951 का शरणार्थियों पर जिनेवा अभिसमय
1951 का शरणार्थी अभिसमय अंतरराष्ट्रीय कानून का वह प्राथमिक दस्तावेज है जो 'शरणार्थी' की विधिक परिभाषा को स्थापित करता है। यह अभिसमय शरणार्थियों के अधिकारों और राज्यों के दायित्वों को निर्धारित करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 'नॉन-रिफाउलमेंट' का नियम है। यह संधि उन लोगों के लिए एक विधिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो अपने मूल देश में उत्पीड़न के कारण सुरक्षा खो चुके हैं, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर मानवीय संरक्षण और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है, जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय न्याय का आधार है।

270. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की व्यापक शक्ति है, जिसका अर्थ है कि उसे कार्रवाई शुरु करने के लिए किसी औपचारिक शिकायत का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः अभिकथन सही है। हालाँकि कारण गलत है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किसी को सीधे सजा देने या दंडित करने की न्यायिक शक्ति नहीं है। यह केवल एक सिफारिशी निकाय है जो जांच के बाद सरकार को दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने या पीड़ित को मुआवजा देने का सुझाव दे सकता है।

271. (A) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इन प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है; इसके बजाय यह संयुक्त राष्ट्र की एक 'विशिष्ट एजेंसी' है। विशिष्ट एजेंसियां अपने स्वयं के चार्टर और प्रशासन वाली स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं जो संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष समझौतों के माध्यम से जुड़ी होती हैं। ILO वैश्विक श्रम मानकों को निर्धारित करने और कार्यस्थल पर अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित निकाय के रूप में कार्य करता है।

272. (B) जिनेवा
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों का समन्वय करती है। जिनेवा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और मानवीय कार्यों का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है जहाँ कई अन्य महत्वपूर्ण संगठन भी स्थित हैं। यहाँ से डब्ल्यूएचओ अपनी वैश्विक गतिविधियों का संचालन करता है, स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण करता है और महामारियों जैसी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य राष्ट्रों को नेतृत्व और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

273. (B) प्रत्यर्पण
राजनीतिक अपराध अपवाद प्रत्यर्पण विधि की एक बुनियादी अवधारणा है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर लगाया गया आरोप राजनीतिक प्रकृति का है, तो अनुरोध प्राप्त राज्य उसे वापस सौंपने से इनकार कर सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को उनके राजनीतिक विचारों के कारण दूसरे राज्य के दमनकारी प्रतिशोध से बचाना है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए न किया जाए। हालाँकि यह अपवाद हत्या या आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों पर लागू नहीं होता है ताकि गंभीर अपराधियों को दंड से न बचाया जा सके।

274. (A) संवैधानिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन प्रक्रियाएं
भारत में मानवाधिकारों का संरक्षण मुख्य रूप से संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्र न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे वे किसी भी ऐसे कार्य को अमान्य कर सकते हैं जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह 'न्यायिक पुनर्विलोकन' की शक्ति भारत में मानवाधिकारों को केवल कागजी आदर्शों से ऊपर उठाकर उन्हें एक वास्तविक विधिक सुरक्षा प्रदान करती है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनिवार्य है।

275. (C) सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को सुरक्षित रखना
अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य उनकी अनूठी पहचान को बहुसंख्यक समाज के दबाव से बचाना है। उन्हें अपनी भाषा का उपयोग करने, अपने धर्म का पालन करने और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को संजोने का अधिकार दिया गया है। यह संरक्षण उन्हें भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और समाज में उनकी गरिमापूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि विविधता किसी राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है और सभी समुदायों को अपनी पहचान के साथ जीने का समान विधिक अधिकार होना चाहिए।

276. (D) शरणार्थी अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते हैं, जबकि IDP नहीं करते।
शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के बीच का मूल विधिक अंतर उनके स्थान पर आधारित है। शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर चुका है, जिसके कारण उसे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त होती है। इसके विपरीत, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हिंसा के कारण पलायन तो करते हैं लेकिन वे अपने ही देश की सीमाओं के भीतर रहते हैं। चूँकि उन्होंने सीमा पार नहीं की है, इसलिए वे अभी भी अपनी सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हैं और उन्हें शरणार्थियों जैसी विधिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती।

(D) यह संविदा को उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाता है जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी।

9. संविदा पर निष्फलता के सिद्धांत (Doctrine of Frustration) का प्राथमिक प्रभाव क्या है?
(A) यह संविदा को प्रभावित पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाता है।
(B) यह पक्षों को परिवर्तनों के कारण संविदा की शर्तों पर पुनः विचार करने की अनुमति देता है।
(C) यह संविदा को विसर्जित कर देता है और पक्षों को पालन करने के दायित्व से मुक्ति मिल जाती है।
(D) इसके लिए घटना का कारण बनने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष को परिनिर्धारित नुकसानी का भुगतान करना पड़ता है।

10. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): एक भागीदारी फर्म अपने भागीदारों से पृथक कोई विधिक इकाई नहीं होती है।
कारण (R): भागीदारों का दायित्व असीमित होता है और उन्हें सामूहिक रूप से 'फर्म' कहा जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

11. कंपनी विधि में 'शक्तिबाह्य के सिद्धांत' (Doctrine of Ultra Vires) का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
(A) एक सिद्धांत जो कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्तियों की रक्षा करता है।
(B) एक सिद्धांत जो न्यायालय को कंपनी के विधिक व्यक्तित्व की उपेक्षा करने की अनुमति देता है।
(C) एक सिद्धांत जो निदेशकों को कंपनी के ऋणों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाता है।
(D) एक सिद्धांत जो कंपनी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर किए गए कार्यों को शून्य मानता है।

12. परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत एक 'चेक' किसका एक विशिष्ट प्रकार है?
(A) वचन पत्र
(B) विनिमय पत्र
(C) हुंडी
(D) अंश वारंट

13. भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार 'कपट' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कपट दूसरे पक्ष को प्रवंचित करने के आशय से किया जाना चाहिए।
2. संविदा में प्रवेश करने की इच्छा को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में मौन रहना सदैव कपट होता है।
3. कपट द्वारा प्रेरित संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

14. 'क्विड प्रो कुओ' शब्द संविदा के किस आवश्यक तत्व के साथ सबसे निकटता से जुड़ा है?
(A) स्वतंत्र सहमति
(B) संविदा करने की सक्षमता
(C) वैध उद्देश्य
(D) प्रतिफल

15. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वस्तु विक्रय की संविदा में, 'शर्त' संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक अनुबंध है।
कथन II: वस्तु विक्रय की संविदा में, 'वारंटी' संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक एक अनुबंध है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

16. कंपनी विधि में 'निगमित आवरण हटाना' का सिद्धांत क्या दर्शाता है?
(A) कंपनी के आंतरिक दस्तावेज सभी अंशधारकों द्वारा सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
(B) न्यायालय इसके पीछे के व्यक्तियों को देखने के लिए पृथक विधिक व्यक्तित्व की उपेक्षा करता है।
(C) निदेशकों को कंपनी के विशिष्ट कार्यों के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से सुरक्षा प्रदान की जाती है।
(D) सदस्यों के साधारण प्रस्ताव द्वारा संस्था के ज्ञापन को परिवर्तित किया जा सकता है।

17. निम्नलिखित में से कौन 'बिना प्रतिफल, कोई संविदा नहीं' के नियम का अपवाद है?
(A) सामाजिक वचन पर आधारित एक करार।
(B) काल-बाधित ऋण का भुगतान करने का वचन।
(C) ऐसा करार जहाँ सहमति स्वतंत्र नहीं है।
(D) विकृत चित्त वाले व्यक्ति के साथ किया गया करार।

18. भागीदारी अधिनियम के संदर्भ में, 'पारस्परिक एजेंसी' का क्या तात्पर्य है?
(A) प्रत्येक भागीदार व्यवसाय के लिए फर्म और अन्य भागीदारों का अभिकर्ता होता है।
(B) भागीदार फर्म के व्यवसाय के संचालन के लिए बाह्य अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं।
(C) फर्म सरकारी निकायों और नियामक अधिकारियों के लिए एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है।
(D) प्रत्येक भागीदार केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों और

सहयोग का आग्रह करता है ताकि उनके मौलिक मानवीय अधिकारों की रक्षा की जा सके।

286. (D) एक न्यायालय रूढ़िगत विधि को सीधे घरेलू विधि के रूप में लागू करता है
अद्वैतवादी सिद्धांत यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून और नगरपालिका विधि एक ही एकीकृत विधिक प्रणाली के हिस्से हैं। इसलिए, इस सिद्धांत का पालन करने वाले देश में अंतरराष्ट्रीय रुढ़ियाँ बिना किसी विशिष्ट विधायी रूपांतरण के सीधे तौर पर घरेलू अदालतों में लागू की जा सकती हैं। जब कोई न्यायालय किसी अंतरराष्ट्रीय नियम को सीधे देश के कानून के रूप में स्वीकार करता है और उसे लागू करता है, तो वह अद्वैतवादी दृष्टिकोण का ही व्यावहारिक उदाहरण होता है। यह विचारधारा अंतरराष्ट्रीय विधिक मानकों के प्रति राष्ट्रीय कानूनों के स्वतः अनुकूलन का समर्थन करती है।

287. (A) विवाद की जांच करना और निपटान की शर्तों का सुझाव देना
सुलह विवाद समाधान का एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें एक तटस्थ व्यक्ति विवाद के तथ्यों की निष्पक्ष जांच करता है। सुलहकर्ता का मुख्य उद्देश्य विवादित पक्षों के बीच सहमति बनाना और विवाद को सुलझाने के लिए विशिष्ट विधिक या व्यावहारिक शर्तों का सुझाव देना होता है। सुलहकर्ता एक औपचारिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें समाधान के लिए सिफारिशें शामिल होती हैं। हालाँकि ये सिफारिशें पक्षों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन वे विवाद के तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करके आपसी समझौते का एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं, जो शांतिपूर्ण समाधान हेतु आवश्यक है।

288. (B) ब्रिक्स (BRICS)
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय शंघाई में है और इसका उद्देश्य ब्रिक्स तथा अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। यह बैंक पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के एक विकल्प के रूप में उभरा है और यह विकासशील राष्ट्रों की विशिष्ट आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देता है। NDB का संचालन सदस्य देशों के बीच समानता और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में लोकतांत्रिक सुधारों और विकासशील देशों की सशक्त भागीदारी का प्रतीक है।

289. (B) प्रत्यर्पण
'दोहरे अपराध' का सिद्धांत प्रत्यर्पण कानून की एक अनिवार्य और मौलिक आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, उसने जो कार्य किया है वह अनुरोध करने वाले देश और अनुरोध प्राप्त करने वाले देश, दोनों के कानूनों के तहत अपराध होना चाहिए। यदि वह कार्य किसी एक देश में अपराध नहीं है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दूसरे देश को न सौंपा जाए जिसे स्वयं मेजबान देश अपराध नहीं मानता, जिससे व्यक्ति की विधिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।

290. (A) 'नॉन-रिफाउलमेंट' (Non-refoulement) का अधिकार
अंतरराष्ट्रीय शरणार्थी कानून के तहत 'नॉन-रिफाउलमेंट' का अधिकार शरणार्थी का सबसे बुनियादी अधिकार माना जाता है। यह अधिकार यह गारंटी देता है कि किसी भी शरणार्थी को जबरन ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाएगा जहाँ उसे अपनी पहचान या विचारों के कारण उत्पीड़न या मृत्यु का गंभीर खतरा हो सकता है। यह सिद्धांत मानवीय जीवन की रक्षा के लिए बनाया गया है और इसे अंतरराष्ट्रीय रुढ़िगत कानून का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। यह वह अंतिम सुरक्षा कवच है जो किसी व्यक्ति को अमानवीय परिस्थितियों से बचाता है और अंतरराष्ट्रीय न्याय को पुष्ट करता है।

291. (C) 70 वर्ष
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होता है। इसके साथ ही, उनके पद पर बने रहने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है। इन दोनों शर्तों में से जो भी पहले पूरी होती है, उसी आधार पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यह उच्च आयु सीमा इसलिए रखी गई है ताकि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और अनुभवी विधिक विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में लंबे समय तक लिया जा सके, जो न्याय की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण है।

292. (D) प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट
भारत में पोक्सो अधिनियम 2012 में बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। यह अधिनियम 'बालक' को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के हितों, गोपनीयता और मानसिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह कानून अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकार मानकों के अनुरूप है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जो सामाजिक सुरक्षा का आधार है।

293. (C) संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(1) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संगठन अपने सभी सदस्यों की 'संप्रभु समानता' के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक सदस्य देश को समान विधिक दर्जा प्राप्त है, चाहे वह देश आकार या सैन्य शक्ति में कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी राष्ट्रों को वैश्विक चर्चाओं में भाग लेने और अपनी बात रखने का समान अधिकार मिले। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में न्याय और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सबसे आधारभूत विधिक नियम है।

294. (B) प्रतिशोध (Reprisal)
अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के तरीकों में 'प्रतिशोध' एक शांतिपूर्ण तरीका नहीं है, बल्कि यह एक पीड़क कार्रवाई है।

प्रतिशोध वह कार्य है जो स्वयं में अंतरराष्ट्रीय कानून के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन इसे किसी दूसरे देश द्वारा पहले किए गए अवैध कार्य के जवाब में उसे सजा देने या नियमों के पालन के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, वार्ता, पंचनिर्णय और न्यायिक समाधान पूरी तरह से शांतिपूर्ण और विधिक तरीके हैं जो हिंसा के बिना विवादों का निपटारा करने का लक्ष्य रखते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए अनिवार्य है।

295. (D) निर्माणात्मक सिद्धांत
निर्माणात्मक सिद्धांत यह मानता है कि एक नई राजनीतिक इकाई केवल अन्य राज्यों की मान्यता के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक 'राज्य' के रूप में विधिक अस्तित्व प्राप्त करती है। जब कुछ देश किसी इकाई को मान्यता देते हैं और अन्य नहीं देते, तो उस इकाई की विधिक स्थिति विवादास्पद हो जाती है। यह स्थिति निर्माणात्मक सिद्धांत की एक बड़ी विसंगति को उजागर करती है, क्योंकि एक ही इकाई कुछ देशों के लिए राज्य बन जाती है और अन्यों के लिए नहीं। यह विरोधाभास अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विधिक जटिलता और अस्थिरता पैदा करता है, जो इसकी एक बड़ी सीमा है।

296. (C) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) एक घोषणा है जो महासभा द्वारा अपनाई गई थी; यह स्वयं एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है। अतः कथन I गलत है। दूसरी ओर, ICCPR और ICESCR औपचारिक अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएं (संधियाँ) हैं जो उन राज्यों पर विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व डालती हैं जो इनका अनुसमर्थन करते हैं। अतः कथन II पूरी तरह सही है। ये प्रसंविदाएं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को एक ठोस विधिक आधार और प्रवर्तन तंत्र प्रदान करती हैं जो सदस्य राष्ट्रों के आचरण को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है।

297. (C) एक वर्ष
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास समय सीमा की एक विधिक मर्यादा है। आयोग किसी भी ऐसी शिकायत को ग्रहण नहीं कर सकता जहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन की कथित घटना हुए एक वर्ष से अधिक का समय बीत चुका हो। यह सीमा अवधि इसलिए रखी गई है ताकि मानवाधिकारों के हनन के मामलों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके और घटना के साक्ष्य तथा गवाहों की विश्वसनीयता बनी रहे। यह नियम आयोग की कार्यक्षमता और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो त्वरित न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है।

298. (A) आर्थिक सहयोग और विकास
ब्रिक्स (BRICS) समूह का प्राथमिक केंद्र सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह समूह वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार, व्यापारिक बाधाओं को कम करने और विकासशील देशों के बीच आपसी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करता है। यद्यपि ये देश भू-राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी मुख्य एकजुटता वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत बनाने के साझा उद्देश्य से आती है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना इस समूह के आर्थिक उद्देश्यों की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम है।

299. (D) "बालक के सर्वोत्तम हित"
बाल अधिकार अभिसमय (CRC) का सबसे केंद्रीय सिद्धांत यह है कि बच्चों से जुड़े किसी भी मामले में "बालक के सर्वोत्तम हित" को सर्वोपरि माना जाए। इसका अर्थ है कि चाहे वह परिवार हो या सरकार, किसी भी निर्णय को लेते समय उस बच्चे की सुरक्षा और दीर्घकालिक कल्याण को ही प्राथमिक आधार बनाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत बच्चों को उनके अधिकारों के स्वतंत्र धारक के रूप में मान्यता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि उनके हितों को अन्य किसी भी सामाजिक प्राथमिकताओं से ऊपर रखा जाए, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

300. (B) द्वैतवादी सिद्धांत
द्वैतवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय विधि और नगरपालिका विधि को दो पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र विधिक प्रणालियों के रूप में देखता है। इस विचारधारा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय कानून सीधे तौर पर घरेलू क्षेत्र में लागू नहीं हो सकते क्योंकि उनके विषय और स्रोत घरेलू कानून से भिन्न होते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून को घरेलू स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए उसे विशिष्ट विधायी प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय कानून में 'रूपांतरित' करना अनिवार्य होता है। यह सिद्धांत राज्यों की विधायी संप्रभुता और घरेलू कानूनों की विशिष्टता पर बल देता है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार है।

अध्याय 04
संविदा विधि एवं वाणिज्यिक विधि

1. निम्नलिखित में से कौन संविदा को "विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार" के रूप में परिभाषित करता है?
(A) एक प्रस्थापना जिसे संसूचित और स्वीकार कर लिया गया है, एक बाध्यकारी वचन बन जाती है।
(B) करार संविदा हैं यदि वे सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से एक वैध उद्देश्य के लिए किए गए हों।
(C) जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वह शून्य है, जबकि प्रवर्तनीय करार एक संविदा है।
(D) प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक-दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करते हैं, एक करार है।

2. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत 'प्रस्थापना' के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(A) एक प्रस्थापना उस व्यक्ति को संसूचित की जानी चाहिए जिसे वह की गई है।
(B) एक प्रस्थापना अपनी विशिष्ट शर्तों में अस्पष्ट और अनिश्चित हो सकती है।
(C) केवल आशय के कथन को एक वैध प्रस्थापना माना जाता है।
(D) एक बार की गई प्रस्थापना को प्रस्तावक द्वारा कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है।

3. A समाचार पत्र में अपने खोए हुए कुत्ते को वापस करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पुरस्कार का विज्ञापन देता है। B, विज्ञापन से अनभिज्ञ होकर, कुत्ते को ढूंढता है और वापस कर देता है। क्या B पुरस्कार का दावा कर सकता है?
(A) हाँ, क्योंकि उसने खोए हुए कुत्ते को वापस करने का शारीरिक कार्य किया।
(B) नहीं, क्योंकि प्रस्थापना की स्वीकृति प्रस्थापना की अनभिज्ञता में नहीं की जा सकती।
(C) नहीं, क्योंकि स्वीकृति संसूचित की जानी चाहिए और B प्रस्थापना से अनभिज्ञ था।
(D) हाँ, क्योंकि यह एक सामान्य प्रस्थापना है और कार्य का निष्पादन ही स्वीकृति माना जाता है।

4. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: संविदा के वैध होने के लिए प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए।
कथन II: प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए न कि भ्रामक।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

5. संविदा को 'निष्फल' माने जाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं है?
(A) परिस्थितियों में एक अप्रत्याशित परिवर्तन होना चाहिए।
(B) परिवर्तन से संविदा का पालन असंभव या मौलिक रूप से भिन्न हो जाना चाहिए।
(C) निष्फल करने वाली घटना पक्षों में से किसी एक द्वारा स्वयं प्रेरित होनी चाहिए।
(D) घटना संविदा के निर्माण के पश्चात होनी चाहिए।

6. संविदा के तत्वों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (तत्व)
P. प्रस्थापना
Q. स्वीकृति
R. प्रतिफल
S. करार
सूची II: (विवरण)
1. जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई है, उस पर अपनी सहमति प्रकट करता है।
2. क्विड प्रो कुओ (Quid pro quo) अर्थात बदले में कुछ।
3. प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह, जो एक-दूसरे के लिए प्रतिफल बनाते हैं।
4. जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ करने या करने से विरत रहने की अपनी इच्छा प्रकट करता है।
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

7. भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, एक अवयस्क के साथ किया गया करार होता है:
(A) अवयस्क के विकल्प पर शून्यकरणीय।
(B) वयस्क होने पर अनुसमर्थित किए जाने पर वैध।
(C) अवयस्क की संपत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय।
(D) प्रारंभ से ही शून्य।

8. 'असम्यक असर' के बारे में गलत कथन की पहचान करें।
(A) असम्यक असर को सिद्ध करने का भार सदैव दुर्बल पक्ष पर होता है।
(B) इसमें अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रभुत्वशाली स्थिति का उपयोग सम्मिलित है।
(C) पक्षों के बीच प्रायः विश्वास और भरोसे का संबंध विद्यमान होता है।

के विरुद्ध है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

55. संविदा भंग करने वाले पक्ष को दंडित करने के उद्देश्य से दी गई नुकसानी को कहा जाता है:
(A) परिनिर्धारित नुकसानी
(B) नाममात्र की नुकसानी
(C) विशेष नुकसानी
(D) अनुकरणीय या दंडात्मक नुकसानी

56. 'स्वतंत्र सहमति' के बारे में सही कथन की पहचान करें।
(A) सहमति तब स्वतंत्र होती है जब वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या-व्यपदेशन या भूल के कारण न हुई हो।
(B) सहमति स्वतंत्र होती है भले ही वह असम्यक असर के कारण हुई हो।
(C) किसी पक्ष द्वारा निर्णय में त्रुटि स्वतंत्र सहमति का अभाव मानी जाती है।
(D) यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है, तो संविदा सदैव शून्य होती है।

57. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत, 'संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक अनुबंध' को कहा जाता है:
(A) शर्त
(B) प्रत्याभूति
(C) वारंटी
(D) धारणाधिकार

58. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. इसका प्राथमिक कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना है।
3. CCI के निर्णय अंतिम होते हैं और उनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

59. अवयस्क को आपूर्ति की गई 'आवश्यकताओं' के लिए उसका दायित्व है:
(A) व्यक्तिगत और उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है।
(B) अस्तित्वहीन क्योंकि उसके करार शून्य होते हैं।
(C) वयस्क के समान ही।
(D) उसकी संपत्ति या संपदा तक सीमित।

60. विधिक शब्दावली के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (शब्दावली)
P. प्रारंभ से ही शून्य
Q. क्वांटम मेरिट
R. क्विड प्रो कुओ
S. शक्तिबाह्य

सूची II: (अर्थ)
1. जितना कार्य उतना भुगतान।
2. बदले में कुछ।
3. शक्तियों से बाहर।
4. बिल्कुल प्रारंभ से ही प्रभावहीन।

(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

61. कंपनी के लिए 'शक्तिबाह्य' कार्य की विधिक स्थिति क्या है?
(A) यह अंशधारकों के विकल्प पर शून्यकरणीय है।
(B) इसे अंशधारकों के विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुसमर्थित किया जा सकता है।
(C) यह पूर्णतः शून्य है और इसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता।
(D) यह वैध है लेकिन निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं।

62. 'आकस्मिक असंभवता का सिद्धांत' किसका दूसरा नाम है?
(A) शक्तिबाह्य का सिद्धांत
(B) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
(C) कैवियट एम्प्टर का सिद्धांत
(D) निष्फलता का सिद्धांत

63. भागीदार का कौन सा पारस्परिक अधिकार भागीदारी का एक मूलभूत तत्व माना जाता है?
(A) व्यवसाय के लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार।
(B) निश्चित वेतन प्राप्त करने का अधिकार।
(C) बहुमत के निर्णय द्वारा दूसरे भागीदार को निष्कासित करने का अधिकार।
(D) सहमति के बिना अपना हित किसी बाह्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार।

64. 'विनिमय पत्र' को किससे स्वीकृति की आवश्यकता होती है?
(A) आदाता
(B) अदाकर्ता
(C) आहरता
(D) धारक

त्रुटियों के लिए उत्तरदायी है।

19. निम्नलिखित में से कौन संविदा विधि के तहत 'मिथ्या-व्यपदेशन' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) दूसरे पक्ष को धोखा देने के लिए किया गया जानबूझकर गलत कथन।
(B) किसी पक्ष को संविदा में प्रवेश करने के लिए विवश करने हेतु शारीरिक बल का प्रयोग।
(C) किसी पक्ष द्वारा अनजाने में दिया गया गलत कथन, जिसे वह सत्य मानता है।
(D) संविदात्मक दायित्व निभाने में विफलता।

20. निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियमन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारतीय भागीदारी अधिनियम
2. वस्तु विक्रय अधिनियम
3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम
4. परक्राम्य लिखित अधिनियम

सही विकल्प चुनें:
(A) 4, 2, 1, 3
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 4, 1, 2, 3
(D) 2, 4, 1, 3

21. फर्म के कार्यों के लिए भागीदारों का दायित्व होता है:
(A) उनके पूंजी योगदान तक सीमित।
(B) पृथक लेकिन संयुक्त नहीं।
(C) संयुक्त और पृथक।
(D) संयुक्त लेकिन पृथक नहीं।

22. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना।
(B) बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना।
(C) आर्थिक विकास के लिए गुटबंदी (कार्टेल) के गठन को प्रोत्साहित करना।
(D) वस्तुओं के आयात और निर्यात को विनियमित करना।

23. आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत (Doctrine of Indoor Management) किसके लिए उपलब्ध एक सुरक्षा है?
(A) कंपनी के विरुद्ध उसके निदेशकों को।
(B) अंशधारकों के विरुद्ध निदेशकों को।
(C) कंपनी के विरुद्ध अंशधारकों को।
(D) कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्तियों को।

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): जब संविदा का पालन असंभव हो जाता है, तो वह निष्फलता द्वारा विसर्जित हो जाती है।
कारण (R): असंभवता किसी भी पक्ष की त्रुटि के कारण नहीं होनी चाहिए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

25. परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत एक 'वचन पत्र' है:
(A) धन की एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश।
(B) एक निश्चित राशि का भुगतान करने का सशर्त वचन।
(C) धन की राशि का भुगतान करने का एक बिना शर्त वचन।
(D) लेनदार को प्रदान की गई ऋण की पावती।

26. निम्नलिखित में से कौन प्रस्थापना की वैध स्वीकृति का गठन करता है?
(A) स्वीकृति जो पूर्ण और बिना शर्त हो।
(B) स्वीकृति जो केवल मानसिक हो और संसूचित न की गई हो।
(C) प्रस्थापना की शर्तों में परिवर्तन के साथ स्वीकृति।
(D) किसी तीसरे पक्ष या अपरिचित व्यक्ति को संसूचित स्वीकृति।

27. ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा होने के पश्चात असंभव हो जाए, मानी जाती है:
(A) शून्यकरणीय
(B) अवैध
(C) अप्रवर्तनीय
(D) शून्य

28. संविदा भंग के मामले में, कौन सा उपचार पीड़ित पक्ष को उसी वित्तीय स्थिति में रखने का लक्ष्य रखता है जैसे कि संविदा का पालन किया गया हो?
(A) नुकसानी
(B) विनिर्दिष्ट अनुपालन
(C) व्यादेश
(D) क्वांटम मेरिट (जितना कार्य उतना भुगतान)

29. निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें।
(A) कपट: जानबूझकर दिया गया गलत कथन
(B) असम्यक असर: प्रभुत्वशाली स्थिति का उपयोग
(C) निष्फलता: स्वयं प्रेरित असंभवता
(D) मिथ्या-व्यपदेशन: अनजाने में दिया गया गलत कथन

30. एक भागीदारी फर्म के विघटन का तात्पर्य है:
(A) फर्म से एक भागीदार की सेवानिवृत्ति।
(B) फर्म के लिखित विलेख में परिवर्तन।
(C) फर्म में एक नए भागीदार का प्रवेश।
(D) सभी भागीदारों के व्यावसायिक संबंधों की समाप्ति।

31. कंपनी विधि के सिद्धांतों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (सिद्धांत)

277. (C) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
वीटो शक्ति केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के पास होती है। यह एक नकारात्मक वोट देने की शक्ति है जो किसी भी तात्त्विक प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकती है, भले ही अन्य सभी सदस्यों का बहुमत उस प्रस्ताव के पक्ष में हो। यह शक्ति इन पांच देशों को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े वैश्विक निर्णयों पर असाधारण नियंत्रण प्रदान करती है। यह व्यवस्था सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जो महाशक्तियों के आपसी संतुलन पर आधारित है और वैश्विक राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित करती है।

278. (B) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना और उसके कार्यों का मुख्य विधिक आधार 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993' है। यह संसद द्वारा पारित एक कानून है जो आयोग को मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करने और मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एक संगठित संस्थागत ढांचा तैयार करता है। यद्यपि आयोग संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन इसकी अपनी उत्पत्ति और कार्यप्रणाली इसी सांविधिक कानून द्वारा विनियमित होती है, जो इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

279. (D) पैक्टा संट सर्वेंडा
'पैक्टा संट सर्वेंडा' अंतरराष्ट्रीय कानून का एक आधारभूत सिद्धांत है जो संधियों की विधिक बाध्यता को स्थापित करता है। इसका अर्थ है कि संप्रभु राज्यों के बीच जो भी समझौते किए गए हैं, उन्हें सद्भावनापूर्वक और ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने घरेलू कानूनों का बहाना बनाकर अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से पीछे न हटें। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विधिक स्थिरता और राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए सबसे अनिवार्य नियम माना जाता है, जो वैश्विक सहयोग की नींव को सुदृढ़ करता है।

280. (A) केवल 1 and 2
अंतरराष्ट्रीय कानून के स्रोतों के संबंध में पहले दो कथन सही हैं। संधियाँ और रुढ़ियाँ प्राथमिक स्रोत हैं जिनसे प्रत्यक्ष विधिक नियम प्राप्त होते हैं। न्यायिक निर्णय और विद्वानों का लेखन केवल सहायक साधन हैं जो कानून की व्याख्या करने में मदद करते हैं। तीसरा कथन गलत है क्योंकि यद्यपि महासभा के प्रस्तावों का नैतिक महत्व होता है, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के तहत स्वतः ही अंतरराष्ट्रीय कानून का 'औपचारिक' या बाध्यकारी प्राथमिक स्रोत नहीं माने जाते हैं, जो संधियों और रुढ़ियों से भिन्न होता है।

281. (C) दो वर्ष
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 गैर-स्थायी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। इन सदस्यों का चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष पांच नए गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव होता है। एक सदस्य देश अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के तुरंत बाद पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के देशों को सुरक्षा परिषद के कार्यों में भाग लेने का समान अवसर मिल सके।

282. (A) प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक मंच
जी7 सात सबसे विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल हैं। यह समूह वैश्विक आर्थिक शासन, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका कोई औपचारिक चार्टर या स्थायी सचिवालय नहीं है और इसके निर्णय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। हालाँकि, इसकी बैठकों में लिए गए नीतिगत निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित करते हैं और वैश्विक सहयोग को गति देते हैं।

283. (D) महिलाएं, बालक, बुजुर्ग, शरणार्थी और अल्पसंख्यक
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के अंतर्गत हाशिए पर रहने वाले समूहों में वे समुदाय शामिल हैं जो अपनी सामाजिक या राजनीतिक स्थिति के कारण अत्यधिक असुरक्षित होते हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, शरणार्थी और अल्पसंख्यक वे समूह हैं जिन्हें अक्सर भेदभाव या बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। इन समूहों को विशेष विधिक संरक्षण और समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें और समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। मानवाधिकार कानून इन समूहों की विशिष्ट जरूरतों को संबोधित करने के लिए विशेष उपाय और संधियाँ प्रदान करता है।

284. (B) राज्य सरकार
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य मानवाधिकार आयोग का यह विधिक कर्तव्य है कि वह अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को सौंपे। यह रिपोर्ट आयोग द्वारा वर्ष भर में की गई जांचों और सरकार को दी गई सिफारिशों का एक विस्तृत विवरण होती है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है। इसके साथ एक ज्ञापन भी होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है और यदि कोई सिफारिश नहीं मानी गई है, तो उसके क्या स्पष्ट विधिक कारण हैं।

285. (C) एक राज्यविहीन व्यक्ति
'राज्यविहीन व्यक्ति' वह होता है जिसे किसी भी देश की विधिक प्रणाली के तहत नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता खो देता है और किसी नए देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाता। राज्यविहीनता व्यक्ति को पासपोर्ट, शिक्षा और कानूनी सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित कर देती है जो नागरिकता से जुड़े होते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षा देने के लिए राज्यों से विशेष

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

42. भागीदारी गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है?
(A) दो
(B) एक
(C) सात
(D) दस

43. संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, शून्य हो जाती है:
(A) जब इसे किया जाता है।
(B) जब एक पक्ष इसे शून्य करने का निर्णय लेता है।
(C) यह कभी शून्य नहीं होती, केवल शून्यकरणीय होती है।
(D) जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है।

44. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 'प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार' का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) उत्पादन दक्षता में सुधार के लिए एक करार।
(B) क्रय या विक्रय की कीमतें निर्धारित करने के लिए प्रतिस्पर्धियों के बीच एक करार।
(C) एक संयुक्त उद्यम करार जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।
(D) एक विशेष आपूर्ति करार जो बाजार को हानि नहीं पहुँचाता है।

45. प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व होता है:
(A) प्राथमिक और स्वतंत्र।
(B) ऋण के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित।
(C) मुख्य ऋणी के दायित्व के सम-विस्तारी।
(D) मुख्य ऋणी के विरुद्ध सभी उपचार समाप्त होने के पश्चात ही प्रभावी।

46. जब किसी करार के लिए सहमति मिथ्या-व्यपदेशन के कारण होती है, तो वह करार एक संविदा है:
(A) शून्य
(B) वैध
(C) अवैध
(D) उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी।

47. संविदा में 'प्रतिफल' शब्द का अर्थ है:
(A) किसी वचन के बदले में दिया गया मूल्यवान वस्तु या कार्य।
(B) संविदा का उद्देश्य।
(C) करार के नियम और शर्तें।
(D) पक्षों की विधिक सक्षमता।

48. किसी कंपनी को 'समापन' की अवस्था में तब कहा जाता है जब:
(A) यह जनता को नए अंश जारी करती है।
(B) इसका विधिक अस्तित्व एक परिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त किया जाता है।
(C) यह किसी दूसरी कंपनी के साथ विलीन हो जाती है।
(D) यह एक नई सहायक कंपनी का अधिग्रहण करती है।

49. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत 'कैवियट एम्प्टर' का अर्थ है:
(A) विक्रेता सावधान रहे।
(B) क्रेता सावधान रहे।
(C) माल विवरण से मेल खाना चाहिए।
(D) माल वाणिज्यिक गुणवत्ता का होना चाहिए।

50. संविदा के निर्माण के चरणों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें।
1. प्रस्थापना की स्वीकृति
2. विधि द्वारा प्रवर्तनीयता
3. करार
4. प्रस्थापना
सही विकल्प चुनें:
(A) 4, 1, 3, 2
(B) 1, 4, 3, 2
(C) 4, 3, 1, 2
(D) 3, 4, 1, 2

51. निम्नलिखित में से कौन सी भागीदारी की विशेषता नहीं है?
(A) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच करार।
(B) व्यवसाय के लाभों का साझाकरण।
(C) अपने सदस्यों से पृथक विधिक इकाई।
(D) सभी या उनमें से किसी एक द्वारा सबके लिए कार्य करते हुए संचालित व्यवसाय।

52. चेक का 'रेखांकन' मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है?
(A) इसकी वैधता को।
(B) इसकी परक्राम्यता को।
(C) इसकी राशि को।
(D) भुगतान की विधि को।

53. कंपनी के संस्था के ज्ञापन में 'उद्देश्य खंड' परिभाषित करता है:
(A) कंपनी के आंतरिक नियम और विनियम।
(B) कंपनी की पूंजी संरचना।
(C) कंपनी की शक्तियाँ और गतिविधियों का क्षेत्र।
(D) सदस्यों का दायित्व।

54. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): विधिक कार्यवाही पर रोक लगाने वाला करार शून्य है।
कारण (R): किसी भी व्यक्ति को विधिक कार्यवाही के माध्यम से अपने अधिकारों को लागू करने से रोकना सार्वजनिक नीति

P. शक्तिबाह्य का सिद्धांत
Q. आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
R. निगमित आवरण हटाने का सिद्धांत
S. आन्विक सूचना का सिद्धांत

सूची II: (विवरण)

1. आंतरिक अनियमितताओं के विरुद्ध बाह्य व्यक्तियों को सुरक्षा।
2. वास्तविक उत्तरदायी को खोजने के लिए कंपनी के पृथक व्यक्तित्व की उपेक्षा।
3. यह धारणा कि बाह्य व्यक्तियों ने संस्था के ज्ञापन और अंतर्नियमों को पढ़ लिया है।
4. कंपनी की शक्तियों के बाहर के कार्य शून्य होते हैं।

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

32. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत, 'माल' शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है?
(A) स्टॉक और अंश।
(B) अनुयोज्य दावे और मुद्रा।
(C) उगी हुई फसलें।
(D) साख और एकस्व (पेटेंट)।

33. न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी के अनिवार्य समापन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) कंपनी को एक वर्ष में अल्प वित्तीय हानि हुई है।
(B) सदस्यों की संख्या विधिक न्यूनतम से कम हो गई है।
(C) एक निदेशक ने निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया है।
(D) कंपनी अपने सामान्य व्यावसायिक संचालन का विस्तार करना चाहती है।

34. एक अवयस्क द्वारा की गई संविदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एक अवयस्क वचनग्रहीता या लाभार्थी हो सकता है।
2. एक अवयस्क किसी फर्म में भागीदार नहीं हो सकता, लेकिन उसे भागीदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है।
3. एक अवयस्क वयस्क होने पर संविदा का अनुसमर्थन कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

35. हेडली बनाम बैक्सेंडेल (Hadley v. Baxendale) में प्रतिपादित नियम किससे संबंधित है?
(A) एक वैध संविदा का निर्माण।
(B) आपसी समझौते द्वारा संविदा का विसर्जन।
(C) संविदा भंग के मामले में नुकसानी का मापन।
(D) पक्षों की संविदा करने की सक्षमता।

36. परक्राम्य लिखित अधिनियम में 'यथाविधि धारक' वह व्यक्ति है जो लिखित प्राप्त करता है:
(A) इसकी परिपक्वता तिथि के पश्चात।
(B) बिना किसी वैध प्रतिफल के।
(C) एक कूट रचित पृष्ठांकन के माध्यम से।
(D) परिपक्वता से पूर्व, प्रतिफल के बदले और सद्भावपूर्वक।

37. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: भागीदारों के बीच संबंध एक संविदा पर आधारित होता है।
कथन II: भागीदारी संविदा सदैव लिखित और पंजीकृत होनी चाहिए।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

38. 'प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग' एक ऐसी अवधारणा है जो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत प्रतिषिद्ध है?
(A) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
(B) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
(C) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930
(D) कंपनी अधिनियम, 2013

39. A, B को एक प्रस्ताव देता है, जिसे B स्वीकार कर लेता है। किंतु, स्वीकृति A के संज्ञान में आने से पूर्व, B संचार के तीव्र माध्यम से अपनी स्वीकृति को वापस ले लेता है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है?
(A) स्वीकृति प्रभावी है और संविदा का निर्माण हो गया है।
(B) A, संविदा भंग के लिए B पर वाद ला सकता है।
(C) संविदा A के विकल्प पर शून्यकरणीय है।
(D) प्रतिसंहरण प्रभावी है और कोई संविदा अस्तित्व में नहीं है।

40. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत अदत्त विक्रेता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) क्रेता से विनिर्दिष्ट अनुपालन की मांग करने का अधिकार।
(B) धारणाधिकार।
(C) मार्गस्थ माल रोकने का अधिकार।
(D) पुनर्विक्रय का अधिकार।

41. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, आन्विक सूचना के सिद्धांत का एक अपवाद है।
कारण (R): आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत उन बाह्य व्यक्तियों की रक्षा करता है जिन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य किया है, यह मानकर कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया गया है।

65. A, B को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित करता है, और B निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। यदि A रात्रिभोज परोसने में विफल रहता है, तो B, A पर वाद नहीं ला सकता क्योंकि:
(A) प्रतिफल अपर्याप्त है।
(B) यह एक सामाजिक समझौता है जिसका उद्देश्य विधिक संबंध स्थापित करना नहीं है।
(C) उद्देश्य अवैध है।
(D) B को कोई मौद्रिक हानि नहीं हुई है।

66. कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है:
(A) समापन
(B) विलय
(C) समामेलन
(D) पुनर्गठन

67. वस्तु विक्रय की संविदा में विवक्षित शर्त का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) क्रेता एक विशिष्ट तिथि पर मूल्य का भुगतान करेगा।
(B) विक्रेता अपने व्यय पर माल का परिदान करेगा।
(C) माल विवरण के अनुरूप होना चाहिए।
(D) क्रेता को परिदान से पूर्व माल का निरीक्षण करने का अधिकार है।

68. संविदा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 'कपट' माना जाता है?
(A) किसी तथ्य का धनात्मक कथन जो सत्य नहीं है, लेकिन उसे कहने वाला व्यक्ति उसे सत्य मानता है।
(B) कर्तव्य का उल्लंघन जो उसे करने वाले व्यक्ति को लाभ पहुँचाता है, बिना प्रवंचित करने के आशय के।
(C) दूसरे पक्ष से भारत में प्रवर्तनीय किसी विधि के बारे में भूल करवाना।
(D) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जिसे उस तथ्य का ज्ञान या विश्वास है।

69. भागीदारी में, फर्म को बाध्य करने के लिए एक भागीदार के अधिकार को कहा जाता है:
(A) स्पष्ट अधिकार
(B) दृश्यमान अधिकार
(C) विवक्षित अधिकार
(D) अंतिम अधिकार

70. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भागीदारी फर्म का पंजीकरण वैकल्पिक है।
कारण (R): एक अपंजीकृत फर्म संविदात्मक अधिकार को लागू करने के लिए किसी तीसरे पक्ष पर वाद नहीं ला सकती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

71. एक व्यक्ति जो भागीदार नहीं है लेकिन स्वयं को एक भागीदार के रूप में प्रदर्शित करने देता है, उसे कहा जाता है:
(A) सुप्त भागीदार
(B) नाममात्र का भागीदार
(C) उप-भागीदार
(D) विबंधन द्वारा भागीदार

72. 'तुर्कवांड का मामला' (Turquand's Case) कंपनी विधि में किस सिद्धांत का आधार है?
(A) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
(B) शक्तिबाह्य का सिद्धांत
(C) निगमित आवरण हटाने का सिद्धांत
(D) आन्विक सूचना का सिद्धांत

73. एक सामान्य प्रस्थापना किसके द्वारा स्वीकार की जा सकती है?
(A) केवल वह प्रथम व्यक्ति जो प्रस्थापना का उत्तर देता है।
(B) प्रस्तावक को स्वीकृति का औपचारिक पत्र भेजकर।
(C) प्रस्थापना की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो उसकी शर्तों को पूर्ण करता है।
(D) प्रस्तावक द्वारा चयनित व्यक्तियों का एक समूह।

74. एक 'प्रस्थापना' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए।
2. यह विशिष्ट या सामान्य हो सकती है।
3. प्रस्थापना के लिए निमंत्रण और प्रस्थापना एक ही बात है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

75. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत, परिदान योग्य स्थिति में विशिष्ट वस्तुओं का स्वामित्व क्रेता को कब हस्तांतरित होता है?
(A) जब मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है।
(B) जब माल का परिदान हो जाता है।
(C) जब क्रेता माल का निरीक्षण करता है।
(D) जब संविदा की जाती है।

76. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने किस पूर्ववर्ती विधि का स्थान लिया?
(A) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973
(B) एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम, 1969
(C) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951
(D) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

175. मूल्य के बदले विक्रेता से क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण किसका सार है?
(A) विक्रय की संविदा
(B) उपनिधान
(C) गिरवी
(D) अभिकरण की संविदा

176. न्यायालय के लिए भागीदारी फर्म के विघटन का आदेश देने का वैध आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) एक भागीदार विकृत चित्त का हो गया है।
(B) एक भागीदार मामूली दुराचरण का दोषी है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।
(C) फर्म का व्यवसाय हानि के बिना नहीं चलाया जा सकता है।
(D) यह उचित और न्यायसंगत है कि फर्म को भंग कर दिया जाना चाहिए।

177. यदि B का घर जल जाता है तो B को 10,000 रुपये देने की संविदा है:
(A) बाजी का करार
(B) समाश्रित संविदा
(C) शून्य संविदा
(D) कल्प-संविदा

178. चेक का 'सामान्य रेखांकन' मुख्य रूप से क्या सम्मिलित करता है?
(A) दो समानांतर तिरछी रेखाएं।
(B) बैंक का नाम।
(C) "खाता प्राप्तकर्ता" शब्द।
(D) "परक्राम्य नहीं" शब्द।

179. 'प्रतिफल' शब्द किस अधिनियम में परिभाषित है?
(A) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930
(B) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
(C) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
(D) परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881

180. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): शक्तिबाह्य के सिद्धांत का उद्देश्य कंपनी के निवेशकों और लेनदारों की रक्षा करना है।
कारण (R): कंपनी द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो उसके उद्देश्य खंड से बाहर है, शून्य है और कंपनी को बाध्य नहीं कर सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

181. एक 'कल्प-संविदा' एक ऐसी संविदा है जो:
(A) पक्षों की आपसी सहमति से निर्मित होती है।
(B) पक्षों के आचरण द्वारा तथ्य में निहित होती है।
(C) किसी भी करार की अनुपस्थिति में विधि द्वारा आरोपित की जाती है।
(D) न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

182. एक अवयस्क:
(A) प्रधान हो सकता है।
(B) अभिकर्ता हो सकता है।
(C) अभिकर्ता के रूप में अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो सकता है।
(D) उप-अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

183. भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं?
(A) विशेष रूप से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 द्वारा।
(B) फर्मों के पंजीयक द्वारा।
(C) व्यापारिक प्रथाओं द्वारा।
(D) भागीदारों के बीच संविदा या करार द्वारा।

184. अंशों द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व किस सीमा तक सीमित है?
(A) उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि, यदि कोई हो।
(B) उनके द्वारा दी गई गारंटी की राशि।
(C) उनकी व्यक्तिगत संपत्ति।
(D) कंपनी की कुल पूंजी।

185. विक्रय की संविदा में 'वारंटी' के उल्लंघन के मामले में, क्रेता क्या कर सकता है?
(A) संविदा को अस्वीकार कर सकता है और माल को अस्वीकृत कर सकता है।
(B) मूल्य चुकाने से मना कर सकता है।
(C) केवल उल्लंघन के लिए नुकसानी का दावा कर सकता है।
(D) संविदा को प्रारंभ से ही शून्य मान सकता है।

186. भारतीय संविदा अधिनियम के तहत 'प्रपीड़न' का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) किसी व्यक्ति से संविदा पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आपराधिक अभियोग की धमकी देना।
(B) एक चिकित्सक द्वारा अपने रोगी को अत्यधिक शुल्क देने के लिए सहमत करना।
(C) किसी भौतिक तथ्य का अनजाने में दिया गया गलत कथन।
(D) बैंक द्वारा ऋण देने से मना करना जब तक कि उच्च दर

R. नुकसानी
S. क्वांटम मेरिट

सूची II: (विवरण)

1. हुई हानि के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति।
2. वचन को ठीक उसी रूप में निभाने का न्यायालय का आदेश।
3. संविदा के उस भाग के लिए भुगतान जिसका पालन किया गया है।
4. किसी व्यक्ति को कोई विशिष्ट कार्य करने से रोकने वाला न्यायालय का आदेश।

(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

90. भागीदारी फर्म के पुनर्गठन में परिवर्तन तब होता है जब:
(A) एक नया भागीदार प्रवेश करता है या कोई मौजूदा भागीदार सेवानिवृत्त होता है।
(B) फर्म अपना व्यावसायिक पता परिवर्तित करती है।
(C) फर्म व्यवसाय की एक नई शाखा प्रारंभ करती है।
(D) फर्म अपना नाम परिवर्तित करती है।

91. यह नियम कि संस्था के ज्ञापन के उद्देश्य खंड के बाहर का कार्य शून्य है, कहलाता है:
(A) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
(B) आन्विक सूचना का सिद्धांत
(C) निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत
(D) शक्तिबाह्य का सिद्धांत

92. संविदा की अनिवार्यताओं में क्या सम्मिलित नहीं है?
(A) प्रस्ताव और स्वीकृति
(B) करार का पंजीकरण
(C) वैध प्रतिफल
(D) पक्षों की सक्षमता

93. दोनों पक्षों द्वारा तथ्य की भूल के अधीन की गई संविदा होती है:
(A) शून्यकरणीय
(B) वैध
(C) शून्य
(D) अवैध

94. वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930, उन वस्तुओं से संबंधित है जो हैं:
(A) केवल अचल
(B) चल और अचल दोनों
(C) केवल अमूर्त संपत्तियाँ
(D) केवल चल

95. कंपनी के समापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्वैच्छिक समापन सदस्यों या लेनदारों द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है।
2. अनिवार्य समापन का आदेश राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) द्वारा दिया जाता है।
3. समापन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही कंपनी का अस्तित्व तुरंत समाप्त हो जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

96. निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार का अधिकार नहीं है?
(A) व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार।
(B) दुराचरण के लिए किसी भागीदार को निष्कासित करने का अधिकार।
(C) व्यवसाय को प्रभावित करने वाले मामलों में परामर्श का अधिकार।
(D) फर्म की लेखा बहियों तक पहुँच का अधिकार।

97. स्वतः असंभव कार्य करने का करार है:
(A) शून्यकरणीय
(B) शून्य
(C) वैध
(D) वचनग्रहीता के विकल्प पर प्रवर्तनीय

98. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) किसकी जांच कर सकता है?
(A) ऐसे करार जो प्रतिस्पर्धा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
(B) दो कंपनियों के बीच कोई भी व्यावसायिक विवाद।
(C) भारत की सभी कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीतियां।
(D) प्रभुत्वशाली फर्मों की नियोजन पद्धतियां।

99. 'भूतकालीन प्रतिफल' किसमें एक वैध प्रतिफल है?
(A) केवल अंग्रेजी विधि में
(B) न तो अंग्रेजी और न ही भारतीय विधि में
(C) केवल भारतीय विधि में
(D) अंग्रेजी और भारतीय दोनों विधियों में

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): अवयस्क का करार प्रारंभ से ही शून्य होता है।
कारण (R): अवयस्क को संविदा करने के लिए अक्षम माना जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

101. नीलाम द्वारा विक्रय किसका उदाहरण है?
(A) एक सामान्य प्रस्ताव
(B) एक विशिष्ट प्रस्ताव
(C) प्रस्ताव के लिए निमंत्रण
(D) एक प्रति-प्रस्ताव

102. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत, निम्नलिखित में से किसे 'अदत्त विक्रेता' माना जाता है?
(A) एक विक्रेता जिसे आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है।
(B) एक विक्रेता जिसे पूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है।
(C) एक विक्रेता जिसने उधार पर माल बेचा और अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।
(D) एक विक्रेता जिसे उत्तर-दिनांकित चेक मिला है जो अभी देय नहीं हुआ है।

103. आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है?
(A) विबंधन का नियम
(B) हेडली बनाम बैक्सेंडेल का नियम
(C) प्रत्यास्थापन का नियम
(D) तुर्कवांड नियम

104. निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार का दायित्व है?
(A) अपनी जानबूझकर की गई उपेक्षा से फर्म को हुई किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करना।
(B) व्यवसाय से गुप्त लाभ अर्जित करना।
(C) फर्म के व्यवसाय के साथ प्रतिस्पर्धा करना।
(D) अन्य भागीदारों की सहमति के बिना अपना हित हस्तांतरित करना।

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: प्रस्थापना की स्वीकृति प्रस्तावक को संसूचित की जानी चाहिए।
कथन II: मानसिक स्वीकृति या असंसूचित सहमति के परिणामस्वरूप संविदा नहीं होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

106. संविदा किसके द्वारा विसर्जित नहीं होती है?
(A) व्यावसायिक असंभवता
(B) पालन
(C) भंग
(D) आपसी समझौता

107. निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी फर्म के विघटन का तरीका नहीं है?
(A) समझौते द्वारा विघटन।
(B) अनिवार्य विघटन।
(C) न्यायालय द्वारा विघटन।
(D) बिना सूचना के एक अकेले भागीदार द्वारा विघटन।

108. संविदा भंग के लिए नुकसानी देने का मुख्य उद्देश्य है:
(A) संविदा भंग करने वाले पक्ष को दंडित करना।
(B) पीड़ित पक्ष को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति करना।
(C) संविदा भंग करने वाले पक्ष से संविदा का पालन करवाना।
(D) सुरक्षा जमा राशि जब्त करना।

109. निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी के समापन का रूप नहीं है?
(A) न्यायाधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन।
(B) स्वैच्छिक समापन।
(C) कंपनी पंजीयक द्वारा प्रशासनिक समापन।
(D) न्यायालय की देखरेख में समापन।

110. निम्नलिखित विधियों को उनके प्रथम अधिनियमन के वर्ष के आधार पर, प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में व्यवस्थित करें।
1. भारतीय संविदा अधिनियम
2. कंपनी अधिनियम
3. वस्तु विक्रय अधिनियम
4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम
सही विकल्प चुनें:
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 3, 1, 2, 4

111. वस्तु विक्रय अधिनियम में 'माल' शब्द का अर्थ है:
(A) अनुयोज्य दावों और मुद्रा को छोड़कर प्रत्येक चल संपत्ति।
(B) केवल मूर्त और दृश्य संपत्ति।
(C) चल और अचल दोनों संपत्ति।
(D) कंपनी के अंश और ऋणपत्र।

112. "कन्सेन्सस एड इडेम" (Consensus ad idem) किससे संबंधित एक मूलभूत सिद्धांत है?
(A) प्रतिफल
(B) स्वतंत्र सहमति
(C) पक्षों की सक्षमता
(D) उद्देश्य की वैधता

113. 'प्रतिफल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए।
2. यह भूतकालीन, वर्तमान या भविष्यकालीन हो सकता है।
3. इसका पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है लेकिन वास्तविक होना चाहिए।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

114. विनिमय पत्र के निर्माता को कहा जाता है:
(A) आहरता
(B) अदाकर्ता
(C) आदाता
(D) स्वीकर्ता

115. किसी विशेष साहसिक कार्य या उपक्रम के लिए गठित भागीदारी को कहा जाता है:
(A) इच्छानुसार भागीदारी
(B) सीमित भागीदारी
(C) विशिष्ट भागीदारी
(D) सामान्य भागीदारी

116. शक्तिबाह्य का सिद्धांत रक्षा करता है:
(A) कंपनी से निदेशकों की।
(B) सदस्यों से कंपनी की।
(C) कंपनी के आंतरिक कुप्रबंधन से बाह्य व्यक्तियों की।
(D) कंपनी के अनधिकृत कार्यों से सदस्यों और लेनदारों की।

117. एक करार जो उसके पक्षों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन दूसरे या अन्यों के विकल्प पर नहीं, एक:
(A) शून्य संविदा है।
(B) अवैध करार है।
(C) शून्यकरणीय संविदा है।
(D) अप्रवर्तनीय संविदा है।

118. विक्रय की संविदा में 'शर्त' के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपलब्ध है?
(A) क्रेता केवल नुकसानी का दावा कर सकता है।
(B) क्रेता संविदा को अस्वीकार कर सकता है।
(C) क्रेता को माल स्वीकार करना होगा और नुकसानी का दावा करना होगा।
(D) विक्रेता क्रेता को माल स्वीकार करने के लिए विवश कर सकता है।

119. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत एक 'गुट' (कार्टेल) के बारे में माना जाता है कि इसका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कार्टेल एक प्रकार का है:
(A) ऊर्ध्वाधर करार।
(B) समूह विलय।
(C) एकपक्षीय आचरण।
(D) क्षैतिज करार।

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भागीदारों का दायित्व संयुक्त और पृथक होता है।
कारण (R): लेनदार फर्म के संपूर्ण ऋण के लिए किसी भी एक भागीदार पर वाद ला सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

121. अवयस्क के साथ संविदा के मामले में 'प्रत्यास्थापन' के सिद्धांत का अर्थ है:
(A) अवयस्क को प्राप्त लाभ के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी।
(B) अवयस्क को लिए गए ऋण की संपूर्ण राशि चुकानी होगी।
(C) अवयस्क को विशिष्ट वस्तुएं वापस करने के लिए विवश किया जा सकता है यदि वे अभी भी उसके कब्जे में हैं।
(D) लाभ को बहाल करने के लिए अवयस्क के अभिभावक उत्तरदायी हैं।

122. भागीदारों के प्रकार के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (भागीदार का प्रकार)
P. सक्रिय भागीदार
Q. सुप्त भागीदार
R. नाममात्र का भागीदार
S. विबंधन द्वारा भागीदार
सूची II: (विवरण)
1. अपना नाम फर्म को देता है लेकिन उसका कोई वास्तविक हित नहीं होता।
2. पूंजी लगाता है और लाभ साझा करता है लेकिन सक्रिय भाग नहीं लेता।
3. फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है क्योंकि वह स्वयं को भागीदार के रूप में प्रस्तुत करता है।
4. व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग लेता है।
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

123. 'निगमित आवरण हटाना' किस सिद्धांत का अपवाद है?
(A) सीमित दायित्व
(B) शाश्वत उत्तराधिकार
(C) सामान्य मुद्रा
(D) पृथक विधिक इकाई

124. जब किसी पक्ष की सहमति 'असम्यक असर' द्वारा प्राप्त की जाती है, तो संविदा होती है:
(A) शून्य
(B) शून्यकरणीय
(C) वैध
(D) अवैध

125. न्यायालय द्वारा 'विनिर्दिष्ट अनुपालन' का उपचार तब दिया जाता है जब:
(A) मौद्रिक क्षतिपूर्ति एक पर्याप्त उपचार है।
(B) संविदा व्यक्तिगत प्रकृति की है।
(C) मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार नहीं है।
(D) संविदा का उल्लंघन दोनों पक्षों द्वारा किया गया है।

126. निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक असंभवता या निष्फलता का मामला नहीं है?
(A) विषय वस्तु का विनाश।
(B) व्यक्तिगत सेवा संविदा में किसी पक्ष की मृत्यु या अक्षमता।
(C) युद्ध का छिड़ना।
(D) व्यावसायिक कठिनाई के कारण पालन में जटिलता।

127. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत, एक विक्रेता के पास 'मार्गस्थ माल रोकने का अधिकार' तब होता है जब क्रेता:
(A) दिवालिया हो जाता है।
(B) मूल्य चुकाने से इनकार कर देता है।
(C) माल वापस कर देता है।
(D) छूट मांगता है।

128. एक लिखित दस्तावेज जिसमें एक बिना शर्त आदेश होता है, जो निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होता है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को केवल एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर, या उस लिखित के वाहक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, वह है:
(A) चेक
(B) विनिमय पत्र
(C) वचन पत्र
(D) हुंडी

129. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है?
(A) उच्च न्यायालय
(B) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
(C) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)
(D) कंपनी पंजीयक (ROC)

130. 'सूचना' द्वारा भागीदारी का विघटन केवल किस मामले में संभव है?
(A) इच्छानुसार भागीदारी
(B) विशिष्ट भागीदारी
(C) सीमित दायित्व भागीदारी
(D) किसी भी प्रकार की भागीदारी

131. A अपना सफेद घोड़ा B को बेचने के लिए सहमत होता है। करार के समय, दोनों पक्षों की जानकारी के बिना, घोड़े की मृत्यु हो चुकी थी। संविदा है:
(A) मिथ्या-व्यपदेशन के कारण शून्यकरणीय।
(B) वैध और A को वैसा ही घोड़ा प्रदान करना चाहिए।
(C) तथ्य की द्विपक्षीय भूल के कारण शून्य।
(D) प्रतिफल के अभाव के कारण अप्रवर्तनीय।

132. 'आन्विक सूचना का सिद्धांत' यह संकेत देता है कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके निम्नलिखित दस्तावेजों का ज्ञान माना जाता है:
(A) आंतरिक प्रबंधन प्रक्रियाएं।
(B) वित्तीय विवरण।
(C) अंशधारकों की सूची।
(D) संस्था का ज्ञापन और अंतर्नियम।

133. कंपनी के समापन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. समापन विघटन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है।
2. समापन की प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए एक निस्तारक नियुक्त किया जाता है।
3. समापन के दौरान, कंपनी किसी भी उद्देश्य के लिए अपना व्यवसाय जारी नहीं रख सकती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

134. निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभू का अधिकार नहीं है?
(A) प्रत्यासन का अधिकार।
(B) लेनदार से पहले मुख्य ऋणी पर वाद लाने की मांग करने का अधिकार।
(C) मुख्य ऋणी द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।
(D) लेनदार द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों को साझा करने का अधिकार।

135. समय-आधारित परक्राम्य लिखित (चेक के अतिरिक्त) के भुगतान के लिए अनुमत 'रियायती अवधि' है:
(A) एक दिन
(B) दो दिन
(C) सात दिन
(D) तीन दिन

136. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: लाभ का साझाकरण भागीदारी का निर्णयात्मक साक्ष्य है।
कथन II: पारस्परिक एजेंसी भागीदारी का सही परीक्षण है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

137. डकैती से होने वाले लाभ को साझा करने का करार है:
(A) शून्यकरणीय
(B) वैध

(C) शून्य
(D) समाश्रित

138. वस्तु विक्रय अधिनियम में भावी माल की बिक्री किस रूप में कार्य करती है?
(A) बेचने का एक करार।
(B) एक विक्रय।
(C) एक किराया-क्रय करार।
(D) एक उपनिधान।

139. वह व्यक्ति जो 'प्रदर्शन' या 'विबंधन' द्वारा भागीदार बनता है, उसका दायित्व किसके प्रति होता है?
(A) फर्म के सभी लेनदारों के प्रति।
(B) केवल कर उद्देश्यों के लिए सरकार के प्रति।
(C) अन्य भागीदारों के प्रति उनके नुकसान के हिस्से के लिए।
(D) केवल उन लेनदारों के प्रति जिन्होंने उसके प्रतिनिधित्व पर विश्वास करके ऋण प्रदान किया था।

140. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होती है।
कारण (R): प्रतिफल वह मूल्य है जिसके लिए दूसरे का वचन क्रय किया जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

141. एक 'प्रति-प्रस्ताव' का प्रभाव क्या होता है?
(A) मूल प्रस्ताव को स्वीकार करना।
(B) मूल प्रस्ताव को शून्यकरणीय बनाना।
(C) मूल प्रस्ताव को अस्वीकृत करना।
(D) एक निश्चित अवधि के लिए मूल प्रस्ताव को निलंबित करना।

142. एक 'विशिष्ट प्रस्ताव' किसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है?
(A) जनसामान्य में से किसी भी व्यक्ति द्वारा।
(B) कोई भी व्यक्ति जिसे इसके बारे में ज्ञात हो।
(C) केवल सरकार द्वारा।
(D) केवल वह विशिष्ट व्यक्ति जिसे वह दिया गया है।

143. कौन सा सिद्धांत उस व्यक्ति को अपने वचन से पीछे हटने से रोकता है जिसने वचन दिया है, यदि दूसरे व्यक्ति ने उस वचन पर कार्य किया है?
(A) वचनात्मक विबंधन का सिद्धांत
(B) निष्फलता का सिद्धांत
(C) शक्तिबाह्य का सिद्धांत
(D) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत

144. 'इच्छानुसार भागीदारी' में, फर्म को किसी भी भागीदार द्वारा किसके माध्यम से विघटित किया जा सकता है?
(A) न्यायालय का आदेश प्राप्त करके।
(B) अन्य सभी भागीदारों को लिखित सूचना देकर।
(C) भागीदारों के बहुमत के निर्णय द्वारा।
(D) एकतरफा रूप से व्यवसाय में भाग लेना बंद करके।

145. A, B से ऊनी कोट यह सोचकर क्रय करता है कि यह शुद्ध ऊन से निर्मित है। B जानता है कि यह शुद्ध ऊन नहीं है लेकिन वह A के गलत विश्वास को सुधारता नहीं है। यह क्या है:
(A) मिथ्या-व्यपदेशन।
(B) कपट, यदि बोलने का कर्तव्य विद्यमान है।
(C) असम्यक असर।
(D) एक द्विपक्षीय भूल।

146. निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार के रूप में किसी व्यक्ति का वैधानिक अधिकार नहीं है?
(A) व्यवसाय में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक का अधिकार।
(B) लाभ को समान रूप से साझा करने का अधिकार।
(C) लेखा बहियों तक पहुँच और उनका निरीक्षण करने का अधिकार।
(D) व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए भुगतानों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार।

147. किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर वचन निभाने की संविदा है:
(A) बाजी का करार
(B) कल्प-संविदा
(C) समाश्रित संविदा
(D) शून्यकरणीय संविदा

148. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश द्वारा कंपनी का समापन कहलाता है:
(A) स्वैच्छिक समापन
(B) सदस्यों का स्वैच्छिक समापन
(C) लेनदारों का स्वैच्छिक समापन
(D) अनिवार्य समापन

149. सही युग्म की पहचान करें।
(A) वस्तु विक्रय अधिनियम: अचल संपत्ति के हस्तांतरण को विनियमित करता है।
(B) भागीदारी अधिनियम: सीमित दायित्व वाली कंपनियों को विनियमित करता है।
(C) परक्राम्य लिखित अधिनियम: विनिमय पत्र, वचन पत्र और चेक को परिभाषित करता है।
(D) प्रतिस्पर्धा अधिनियम: एकाधिकारवादी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

150. किसी व्यक्ति को संविदा में प्रवेश करने के लिए विवश करने हेतु आत्महत्या की धमकी देना किसके समान है?
(A) असम्यक असर

(B) प्रपीड़न
(C) कपट
(D) मिथ्या-व्यपदेशन

151. निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति 'निगमित आवरण हटाने' के लिए उपयुक्त नहीं है?
(A) कपट या अनुचित आचरण के निवारण के लिए।
(B) कंपनी के शत्रु चरित्र के निर्धारण के लिए।
(C) जहाँ कंपनी केवल एक दिखावा या मुखौटा है।
(D) कंपनी की तकनीकी क्षमता के निर्धारण के लिए।

152. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: अवयस्क के साथ किया गया करार शून्यकरणीय है।
कथन II: एक अवयस्क संविदा में लाभार्थी हो सकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

153. वस्तु विक्रय अधिनियम के संदर्भ में 'नेमो डेट क्वॉड नॉन हैबेट' (Nemo dat quod non habet) नियम का अर्थ है:
(A) क्रेता सावधान रहे।
(B) माल उद्देश्य के लिए उपयुक्त होना चाहिए।
(C) कोई भी वह वस्तु नहीं दे सकता जो उसके स्वामित्व में नहीं है।
(D) भुगतान के पश्चात परिदान होता है।

154. A और B सहमत हैं कि यदि किसी विशेष दिन वर्षा होती है तो A, B को 1,000 रुपये देगा, और यदि नहीं होती है तो B, A को 1,000 रुपये देगा। यह किसका उदाहरण है?
(A) बाजी का करार
(B) समाश्रित संविदा
(C) कल्प-संविदा
(D) प्रत्याभूति की संविदा

155. निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें:
1. प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार करना।
2. प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग करना।
3. एक निश्चित सीमा से परे संयोजनों (विलय/अधिग्रहण) को विनियमित करना।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

156. फर्म से एक भागीदार की सेवानिवृत्ति क्या गठित करती है?
(A) फर्म का विघटन।
(B) फर्म का पुनर्गठन।
(C) फर्म का समापन।
(D) फर्म का समामेलन।

157. भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. स्वतंत्र सहमति
Q. वैध प्रतिफल
R. संविदा करने की सक्षमता
S. निष्फलता

सूची II: (संबंधित धारा/विचार)
1. अवयस्क के साथ करार
2. आकस्मिक असंभवता
3. प्रपीड़न या असम्यक असर की अनुपस्थिति
4. क्विड प्रो कुओ

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

158. 'प्रतिफल' की अवधारणा के लिए क्या आवश्यक है?
(A) यह वचन के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
(B) यह केवल वचनग्रहीता की ओर से होना चाहिए।
(C) इसका भुगतान केवल नकद में किया जाना चाहिए।
(D) विधि की दृष्टि में इसका कुछ मूल्य होना चाहिए।

159. वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत स्वामित्व के हस्तांतरण को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, यह मानते हुए कि संविदा के लिए विक्रेता को माल को परिदान योग्य स्थिति में लाने के लिए कुछ करना आवश्यक है।
1. विशिष्ट माल बेचने का करार।
2. माल परिदान योग्य स्थिति में लाया जाता है।
3. क्रेता को सूचना दी जाती है कि माल परिदान योग्य स्थिति में है।
4. संपत्ति (स्वामित्व) क्रेता को हस्तांतरित हो जाती है।

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 1, 2, 4

160. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): कंपनी के अंतर्नियम, संस्था के ज्ञापन के अधीन होते हैं।
कारण (R): संस्था के ज्ञापन कंपनी की मूलभूत शर्तों और उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, जबकि अंतर्नियमों में आंतरिक प्रबंधन के नियम होते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

161. भावी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर आधारित संविदा शून्य हो जाती है यदि वह घटना:
(A) निश्चित हो जाती है।
(B) असंभव हो जाती है।
(C) विलंबित हो जाती है।
(D) वचनदाता द्वारा नियंत्रित की जाती है।

162. किसकी सेवानिवृत्ति के लिए सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता नहीं होती है?
(A) सुप्त या निष्क्रिय भागीदार।
(B) सक्रिय भागीदार।
(C) विबंधन द्वारा भागीदार।
(D) पंजीकृत फर्म में भागीदार।

163. परक्राम्य लिखित का अनादर किसके द्वारा हो सकता है?
(A) केवल भुगतान न करने पर।
(B) केवल स्वीकृति न मिलने पर।
(C) या तो स्वीकृति न मिलने पर या भुगतान न करने पर।
(D) धारक द्वारा रद्दीकरण द्वारा।

164. कंपनी पर 'शक्तिबाह्य' संव्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है?
(A) संव्यवहार शून्यकरणीय है।
(B) यदि सभी अंशधारक अनुमोदन करते हैं तो संव्यवहार वैध है।
(C) संव्यवहार वैध है, लेकिन निदेशकों पर जुर्माना लगाया जाता है।
(D) संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य है।

165. जब कोई व्यक्ति दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ करने या करने से विरत रहने की अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो इसे कहा जाता है:
(A) स्वीकृति
(B) वचन
(C) प्रस्थापना
(D) करार

166. निम्नलिखित में से कौन सा भागीदारी का आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) एक करार होना चाहिए।
(B) करार लिखित और पंजीकृत होना चाहिए।
(C) करार किसी व्यवसाय से लाभ साझा करने के लिए होना चाहिए।
(D) व्यवसाय सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाना चाहिए।

167. निस्तारक की नियुक्ति किस मामले में की जाती है?
(A) कंपनी का गठन।
(B) कंपनी का विलय।
(C) विवरण-पत्रिका जारी करना।
(D) कंपनी का समापन।

168. यदि संविदा का उल्लंघन होता है, और वादी को कोई वास्तविक हानि नहीं होती है, तो न्यायालय क्या प्रदान कर सकता है?
(A) नाममात्र की नुकसानी
(B) विशेष नुकसानी
(C) अनुकरणीय नुकसानी
(D) परिनिर्धारित नुकसानी

169. संविदा विधि के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) प्रस्तावक की मृत्यु या विकृतचित्तता से प्रस्थापना व्यपगत हो जाती है।
(B) स्वीकृति विहित रीति से होनी चाहिए।
(C) अवयस्क के साथ किए गए करार को वयस्क होने पर अनुसमर्थित किया जा सकता है।
(D) विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार शून्य है।

170. 'विनाशकारी मूल्य निर्धारण' (Predatory pricing) किसका एक रूप है?
(A) प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग।
(B) एक प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार।
(C) एक अनुमत व्यावसायिक रणनीति।
(D) एक प्रकार का विनियमित संयोजन।

171. संविदा करने के उद्देश्य से 'स्वस्थ चित्त' का व्यक्ति वह है जो:
(A) अवयस्क व्यक्ति नहीं है।
(B) किसी भी विधि द्वारा संविदा करने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
(C) उच्च बौद्धिक स्तर रखता है।
(D) संविदा करते समय संविदा और उसके प्रभावों को समझने में समर्थ है।

172. भागीदारों के बीच विधिक संबंध किसका होता है?
(A) स्वामी और सेवक का।
(B) प्रधान और अभिकर्ता का।
(C) नियोजक और कर्मचारी का।
(D) न्यासी और लाभार्थी का।

173. आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत किसके लिए एक सुरक्षा उपाय है?
(A) अपने कपटपूर्ण निदेशकों के विरुद्ध कंपनी के लिए।
(B) अपने उपेक्षापूर्ण कर्मचारियों के विरुद्ध निदेशकों के लिए।
(C) उन बाह्य व्यक्तियों के लिए जो अनियमितताओं के ज्ञान के बिना कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं।
(D) कंपनी के निदेशक मंडल के विरुद्ध अंशधारकों के लिए।

174. विनिमय पत्र के निम्नलिखित पक्षों पर विचार करें:
1. आहरता: वह व्यक्ति जो बिल लिखता है।
2. अदाकर्ता: वह व्यक्ति जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
3. आदाता: वह व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना है।

77. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: संविदा की निष्फलता उसके पालन को अवैध बना देती है।
कथन II: संविदा की निष्फलता उसके पालन को असंभव बना देती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

78. एक 'समाश्रित संविदा' कुछ करने या न करने की संविदा है, यदि ऐसी संविदा के लिए कोई ________ घटना घटित होती है या नहीं होती है।
(A) आवश्यक
(B) असंबंधित
(C) मूलभूत
(D) संपार्श्विक

79. परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 द्वारा परिभाषित निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित नहीं है?
(A) अंश प्रमाण पत्र
(B) वचन पत्र
(C) विनिमय पत्र
(D) चेक

80. फर्म के ऋणों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति भागीदार का दायित्व होता है:
(A) लाभ में उसके हिस्से तक सीमित।
(B) असीमित।
(C) उसके पूंजी योगदान तक सीमित।
(D) अस्तित्वहीन यदि वह एक सुप्त भागीदार है।

81. किसी कंपनी के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
1. समापन
2. निगमन
3. प्रवर्तन
4. व्यवसाय का प्रारंभ
सही विकल्प चुनें:
(A) 3, 2, 4, 1
(B) 2, 3, 4, 1
(C) 3, 4, 2, 1
(D) 2, 4, 3, 1

82. प्रत्याभूति की संविदा में, वह व्यक्ति जो गारंटी देता है, कहलाता है:
(A) प्रतिभू
(B) मुख्य ऋणी
(C) लेनदार
(D) उपनिहिती

83. संविदा को दूषित करने वाली 'असत्यता' में मुख्य रूप से सम्मिलित हैं:
(A) केवल प्रपीड़न और असम्यक असर।
(B) केवल तथ्य की भूल और विधि की भूल।
(C) केवल कपट और मिथ्या-व्यपदेशन।
(D) केवल निष्फलता और असंभवता।

84. न्यायालयों द्वारा सामान्यतः किन मामलों में निगमित आवरण हटाने का सिद्धांत लागू किया जाता है?
(A) सामान्य व्यावसायिक संव्यवहार।
(B) लाभांश की घोषणा।
(C) निदेशकों की नियुक्ति।
(D) कंपनी के शत्रु चरित्र का निर्धारण।

85. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है।
कारण (R): भारत में, प्रतिफल वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

86. निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तत्व भागीदारी को सह-स्वामित्व से पृथक करता है?
(A) संपत्ति का साझाकरण।
(B) व्यवसाय का अस्तित्व।
(C) संपत्ति का उत्तराधिकार।
(D) किसी संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व।

87. "केवल खाता प्राप्तकर्ता" के रूप में अंकित एक रेखांकित चेक है:
(A) पृष्ठांकन द्वारा स्वतंत्र रूप से परक्राम्य।
(B) किसी भी व्यक्ति को देय जिसके पास वह है।
(C) परक्राम्य नहीं।
(D) केवल नामित व्यक्ति या उसके संग्रहकर्ता बैंकर को देय।

88. यदि किसी करार का उद्देश्य कपटपूर्ण है, तो वह करार है:
(A) शून्य
(B) शून्यकरणीय
(C) वैध
(D) प्रवर्तनीय

89. संविदा भंग के उपचारों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (उपचार)
P. व्यादेश
Q. विनिर्दिष्ट अनुपालन

पर सहमति न हो।

187. "भागीदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है।" यह परिभाषा दी गई है:
(A) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में।
(B) कंपनी अधिनियम, 2013 में।
(C) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 में।
(D) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में।

188. 'बोली में हेराफेरी' (Bid-rigging) किसके तहत एक प्रतिषिद्ध प्रथा है?
(A) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930
(B) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
(C) परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881
(D) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

189. निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण की समाप्ति का तरीका नहीं है?
(A) प्रधान द्वारा प्रतिसंहरण।
(B) अभिकर्ता द्वारा परित्याग।
(C) अभिकर्ता की अस्थायी रुग्णता।
(D) अभिकरण के व्यवसाय की पूर्णता।

190. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत तब भी लागू होता है जब बाह्य व्यक्ति को अनियमितता का ज्ञान हो।
कथन II: यह सिद्धांत कूटरचना (जालसाजी) के मामलों में लागू नहीं होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

191. काल-बाधित ऋण का भुगतान करने का वचन होना चाहिए:
(A) लिखित और वचनदाता या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित।
(B) मौखिक और लेनदार को संसूचित।
(C) उपयुक्त प्राधिकारी के पास पंजीकृत।
(D) ऋण के आंशिक भुगतान के साथ।

192. किसी भागीदार को फर्म से केवल तभी निष्कासित किया जा सकता है यदि:
(A) अधिकांश भागीदार इससे सहमत हों।
(B) निष्कासन की शक्ति करार में दी गई हो और उसका उपयोग सद्भावपूर्वक किया गया हो।
(C) भागीदार फर्म के लिए निरंतर हानि का कारण बन रहा हो।
(D) भागीदार किसी अन्य व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी बन जाए।

193. सूची I को सूची II में संबंधित अधिनियम के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. यथाविधि धारक
Q. अदत्त विक्रेता
R. प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग
S. शक्तिबाह्य का सिद्धांत
सूची II: (नियामक अधिनियम)
1. वस्तु विक्रय अधिनियम
2. कंपनी विधि
3. परक्राम्य लिखित अधिनियम
4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

194. 'आधिकारिक निस्तारक' केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है और वह किससे संबद्ध होता है:
(A) प्रत्येक उच्च न्यायालय से।
(B) कंपनी पंजीयक से।
(C) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से।
(D) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से।

195. 'संविदा का अग्रिम भंग' तब होता है जब कोई पक्ष:
(A) नियत तिथि पर पालन करने में विफल रहता है।
(B) संविदा का दोषपूर्ण पालन करता है।
(C) नियत तिथि से पूर्व स्वयं को संविदा का पालन करने में असमर्थ बना लेता है।
(D) संविदा की शर्तों में कोई विसंगति पाता है।

196. माल के विक्रय में 'वाणिज्यिक गुणवत्ता' की शर्त का तात्पर्य है कि माल:
(A) उच्चतम संभव गुणवत्ता का है।
(B) क्रेता द्वारा मांगे गए विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।
(C) गुप्त या प्रत्यक्ष सभी दोषों से मुक्त है।
(D) उस विवरण के अधीन व्यावसायिक रूप से विक्रय योग्य है जिसके अंतर्गत वह बेचा गया था।

197. बैंकिंग व्यवसाय करने वाली फर्म में भागीदारों की अधिकतम संख्या है:
(A) बीस
(B) पचास
(C) दस
(D) एक सौ

198. प्रतिफल के बिना करार शून्य है, सिवाय इसके कि किसके लिए क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया गया हो:
(A) भविष्य की स्वैच्छिक सेवा के लिए।
(B) अतीत की स्वैच्छिक सेवा के लिए।
(C) तीसरे पक्ष के अनुरोध पर प्रदान की गई सेवा के लिए।

का पूर्व-अनुमान।
(B) गैर-मौद्रिक हानि के लिए न्यायालय द्वारा निर्धारित नुकसानी।
(C) शास्ति के रूप में निर्धारित अत्यधिक और अनुचित राशि।
(D) प्रतिवादी को दंडित करने के लिए दी गई नुकसानी।

251. भागीदारी संबंध का सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण क्या है?
(A) लाभ का साझाकरण
(B) हानि का साझाकरण
(C) पूंजी का योगदान
(D) पारस्परिक एजेंसी

252. 'भावी माल' की बिक्री की संविदा सदैव होती है:
(A) एक विक्रय
(B) बेचने का एक करार
(C) एक शून्य संविदा
(D) एक बाजी का करार

253. यह सिद्धांत कि कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्ति को आंतरिक कार्यवाही की नियमितता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, कहलाता है:
(A) शक्तिबाह्य का सिद्धांत
(B) आन्विक सूचना का सिद्धांत
(C) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
(D) निगमित आवरण का सिद्धांत

254. 'मिथ्या-व्यपदेशन' द्वारा प्रेरित संविदा होती है:
(A) शून्य
(B) वैध, लेकिन नुकसानी का दावा किया जा सकता है।
(C) अप्रवर्तनीय।
(D) पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय।

255. वैध स्वीकृति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. यह पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए।
2. यह प्रस्तावक को संसूचित की जानी चाहिए।
3. यह प्रस्ताव दिए जाने से पहले की जा सकती है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

256. निम्नलिखित में से कौन सा फर्म के अनिवार्य विघटन का आधार है?
(A) एक भागीदार की मृत्यु।
(B) सभी भागीदारों या एक को छोड़कर सभी का दिवालिया घोषित होना।
(C) एक भागीदार की सेवानिवृत्ति।
(D) एक भागीदार द्वारा समझौते का निरंतर उल्लंघन।

257. भविष्य में किसी समझौते में प्रवेश करने का समझौता है:
(A) एक वैध संविदा।
(B) प्रवर्तनीय नहीं क्योंकि शर्तें निश्चित नहीं हैं।
(C) एक समाश्रित संविदा।
(D) एक शून्यकरणीय संविदा।

258. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): कंपनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है।
कारण (R): किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित नहीं करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

259. वचन पत्र एक लिखित दस्तावेज है जिसमें होता है:
(A) भुगतान का बिना शर्त आदेश।
(B) भुगतान का सशर्त आदेश।
(C) भुगतान का बिना शर्त वचन।
(D) भुगतान का सशर्त वचन।

260. संविदा की "निष्फलता" स्वचालित रूप से:
(A) संविदा को शून्यकरणीय बनाती है।
(B) संविदा को अवैध बनाती है।
(C) पक्षों को नुकसानी का अधिकारी बनाती है।
(D) संविदा को विसर्जित कर देती है।

261. कंपनी का स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है:
(A) केवल यदि कंपनी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है।
(B) केवल न्यायालय के आदेश द्वारा।
(C) यदि कंपनी ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है।
(D) यदि कंपनी पंजीयक नोटिस जारी करता है।

262. वस्तु विक्रय अधिनियम की परिभाषाओं के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (शब्दावली)
P. शर्त
Q. वारंटी
R. माल में संपत्ति
S. कैवियट एम्प्टर
सूची II: (विवरण)
1. संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक अनुबंध।
2. माल का स्वामित्व।
3. क्रेता सावधान रहे।
4. संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक अनुबंध।
(A) P-1, Q-4, R-2, S-3
(B) P-4, Q-1, R-3, S-2
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3

211. किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन का मुख्य सिद्धांत 'पारस्परिक एजेंसी' है?
(A) एकल स्वामित्व
(B) कंपनी
(C) भागीदारी
(D) सहकारी समिति

212. अवयस्क का करार शून्य होता है। तथापि, एक अवयस्क क्या हो सकता है?
(A) बंधककर्ता
(B) प्रतिभू
(C) वैध संविदा में वचनदाता
(D) वचनग्रहीता

213. सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड के मामले ने किस सिद्धांत को स्थापित किया?
(A) शक्तिबाह्य का सिद्धांत
(B) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
(C) पृथक विधिक इकाई
(D) कंपनी का समापन

214. व्यापार में अवरोध डालने वाला करार है:
(A) वैध
(B) शून्य
(C) शून्यकरणीय
(D) अवैध

215. मूल्य चुकाए जाने तक माल पर कब्जा बनाए रखने के अदत्त विक्रेता के अधिकार को कहा जाता है:
(A) मार्गस्थ रोध
(B) पुनर्विक्रय
(C) खंडन
(D) धारणाधिकार

216. भागीदारी का संबंध किससे उत्पन्न होता है?
(A) संविदा से
(B) स्थिति से
(C) उत्तराधिकार से
(D) विधि के प्रवर्तन से

217. चेक के 'विशेष रेखांकन' में क्या सम्मिलित है?
(A) चेक के अग्र भाग पर दो समानांतर रेखाएं खींचना।
(B) 'एंड कंपनी' शब्द जोड़ना।
(C) चेक के अग्र भाग पर किसी बैंकर का नाम लिखना।
(D) पृष्ठ भाग पर आहरता के हस्ताक्षर।

218. कोई कार्य कंपनी के लिए 'शक्तिबाह्य' तब होता है जब वह किसके द्वारा कंपनी को प्रदत्त शक्तियों से बाहर होता है:
(A) संस्था का ज्ञापन
(B) निदेशक मंडल
(C) संस्था के अंतर्नियम
(D) कंपनी अधिनियम, 2013

219. निम्नलिखित में से कौन सा दोषपूर्ण तत्व संविदा को शून्यकरणीय बनाता है?
(A) तथ्य की द्विपक्षीय भूल
(B) अवैध उद्देश्य
(C) पालन की असंभवता
(D) असम्यक असर

220. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आती है जिसे वह की गई है।
कथन II: स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब उसे पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

221. एक नवागंतुक भागीदार फर्म के किन ऋणों के लिए उत्तरदायी होता है:
(A) उसके भागीदार बनने से पूर्व हुए ऋण।
(B) उसके भागीदार बनने के पश्चात हुए ऋण।
(C) उसके भागीदार बनने से पूर्व और पश्चात दोनों के ऋण।
(D) केवल तभी जब वह स्पष्ट रूप से पूर्व ऋणों के लिए उत्तरदायी होने हेतु सहमत हो।

222. वस्तु विक्रय अधिनियम में 'माल में संपत्ति' शब्द का अर्थ है:
(A) माल का कब्जा।
(B) माल की अभिरक्षा।
(C) माल की गुणवत्ता।
(D) माल का स्वामित्व।

223. जब कोई संविदा कपट से दूषित होती है, तो क्या उपचार उपलब्ध है?
(A) संविदा शून्यकरणीय है और पीड़ित पक्ष नुकसानी का दावा कर सकता है।
(B) संविदा स्वतः शून्य हो जाती है।
(C) पीड़ित पक्ष केवल नुकसानी के लिए वाद ला सकता है।
(D) न्यायालय संविदा को न्यायसंगत बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगा।

224. अनिवार्य समापन के मामले में कंपनी की आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति को कहा जाता है:
(A) कंपनी सचिव
(B) आधिकारिक निस्तारक
(C) निदेशक
(D) लेखा परीक्षक

(D) ऐसी सेवा जिसे निभाने के लिए वचनदाता विधिक रुप से बाध्य था।

199. यदि संविदा के लिए सहमति करार के लिए आवश्यक तथ्य की द्विपक्षीय भूल के कारण हुई है, तो इसका क्या परिणाम होगा?
(A) संविदा शून्यकरणीय है।
(B) संविदा वैध है।
(C) संविदा अवैध है।
(D) संविदा शून्य है।

200. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रुप में और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): प्रतिभू का दायित्व द्वितीयक होता है।
कारण (R): प्रतिभू केवल तभी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है जब मुख्य ऋणी व्यतिक्रम करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

201. निम्नलिखित में से कौन सा विधि के प्रवर्तन द्वारा संविदा का विसर्जन नहीं है?
(A) व्यक्तिगत संविदा में वचनदाता की मृत्यु।
(B) किसी पक्ष का दिवालिया होना।
(C) नवीनयन।
(D) अधिकारों का संमिश्रण।

202. माल के स्वत्व के दस्तावेजों के हस्तांतरण का वही प्रभाव होता है जो:
(A) माल के वास्तविक परिदान का।
(B) मूल्य के भुगतान का।
(C) बेचने के करार का।
(D) किराया-क्रय करार का।

203. भागीदारी फर्म अनिवार्य रुप से तब भंग हो जाती है जब:
(A) भागीदारों में से एक की मृत्यु हो जाती है।
(B) एक भागीदार विकृत चित्त का हो जाता है।
(C) फर्म को निरंतर हानि होती है।
(D) फर्म का व्यवसाय अवैध हो जाता है।

204. 'असम्यक असर' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) एक पक्ष दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है।
(B) संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है।
(C) प्रभुत्वशाली पक्ष उस स्थिति का उपयोग अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है।
(D) चिकित्सक-रोगी या अधिवक्ता-मुवक्किल जैसे संबंधों में असम्यक असर की उपधारणा की जाती है।

205. प्रस्थापना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. प्रस्थापना संसूचित की जानी चाहिए।
2. प्रस्थापना निश्चित होनी चाहिए।
3. प्रस्थापना के लिए निमंत्रण एक प्रस्थापना है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

206. न्यायालय द्वारा 'निगमित आवरण हटाने' की अनुमति किसके लिए दी जा सकती है?
(A) निदेशकों को व्यक्तिगत दायित्व से बचने की अनुमति देने के लिए।
(B) कंपनी को शक्तिबाह्य संविदाएं करने में समर्थ बनाने के लिए।
(C) आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को लागू करने के लिए।
(D) कर अपवंचन के उद्देश्यों के लिए कंपनी के वास्तविक चरित्र का निर्धारण करने के लिए।

207. चेक एक विनिमय पत्र है जो किस पर आहरित होता है:
(A) निर्दिष्ट बैंकर।
(B) निगम।
(C) व्यक्ति।
(D) सरकारी राजकोष।

208. जब संविदा का उल्लंघन होता है, तो पीड़ित पक्ष किसके लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होता है?
(A) किसी भी अप्रत्यक्ष या दूरस्थ हानि के लिए।
(B) किसी भी ऐसी हानि के लिए जो वस्तुओं के सामान्य क्रम में स्वाभाविक रुप से उत्पन्न हुई हो।
(C) किसी भी काल्पनिक या अनुमानित हानि के लिए।
(D) उल्लंघन के कारण हुई किसी भी भावनात्मक पीड़ा के लिए।

209. 'निष्फलता का सिद्धांत' केवल किस पर लागू होता है?
(A) निष्पादित संविदाओं पर।
(B) निष्पाद्य संविदाओं पर।
(C) शून्य संविदाओं पर।
(D) अवैध करारों पर।

210. जब तक अन्यथा सहमति न हो, विक्रय की संविदा में घटनाओं को कालानुक्रमिक रुप से व्यवस्थित करें।
1. स्वामित्व का हस्तांतरण
2. मूल्य का भुगतान
3. माल का परिदान
4. संविदा का निर्माण
(A) 4, 1, 3, 2
(B) 4, 2, 1, 3
(C) 2, 4, 3, 1
(D) 4, 3, 2, 1

(C) माल शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति का है।
(D) विक्रेता ने अभी तक माल का कब्जा नहीं छोड़ा है।

237. एक 'प्रदर्शन द्वारा' भागीदार किस सिद्धांत के आधार पर तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है:
(A) प्रत्यासन
(B) क्षतिपूर्ति
(C) विबंधन
(D) गारंटी

238. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): मौन कभी-कभी कपट के समान हो सकता है।
कारण (R): जब बोलने का कर्तव्य होता है, तो चुप रहना बोलने के समकक्ष होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

239. न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के समापन के लिए 'उचित और न्यायसंगत' आधारों में सम्मिलित हैं:
(A) कंपनी के प्रबंधन में पूर्ण गतिरोध।
(B) कंपनी न्यून लाभ अर्जित कर रही है।
(C) कंपनी के अंशों का मूल्य कम हो गया है।
(D) निदेशकों ने व्यवसाय का क्षेत्र परिवर्तित करने का निर्णय लिया है।

240. चेक के भुगतान के लिए रियायती अवधि होती है:
(A) तीन दिन
(B) शून्य दिन
(C) एक दिन
(D) सात दिन

241. संविदा 'कपट' से दूषित होती है यदि वहाँ है:
(A) एक साधारण गलत कथन।
(B) प्रवंचित करने का आशय।
(C) निर्णय में त्रुटि।
(D) विधि की भूल।

242. भागीदारी और कंपनी के बीच मुख्य अंतर है:
(A) सदस्यों का दायित्व।
(B) सदस्यों की संख्या।
(C) लागू विधि।
(D) व्यावसायिक उद्देश्य की आवश्यकता।

243. 'क्रेता सावधान' का नियम तब लागू नहीं होता जब:
(A) क्रेता ने माल का परीक्षण किया हो।
(B) विक्रय एकस्व या व्यापारिक नाम के अंतर्गत हो।
(C) क्रेता किसी उद्देश्य के लिए विक्रेता के कौशल और निर्णय पर निर्भर करता है।
(D) माल यथास्थिति के आधार पर बेचा जाता है।

244. प्रस्थापना को किसी भी समय किसके पूर्व वापस लिया जा सकता है:
(A) स्वीकृति प्रस्तावक के संज्ञान में आ जाए।
(B) उचित समय व्यतीत हो चुका हो।
(C) प्रस्थापना का पत्र स्वीकारकर्ता तक पहुँच जाए।
(D) स्वीकारकर्ता द्वारा स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दिया जाए।

245. कंपनी का समापन उसके विघटन से इस प्रकार भिन्न है कि:
(A) विघटन, समापन से पूर्व होता है।
(B) वे समानार्थी शब्द हैं।
(C) समापन, विघटन से पूर्व होता है।
(D) समापन स्वैच्छिक है, जबकि विघटन अनिवार्य है।

246. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, फर्मों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।
कथन II: एक अपंजीकृत फर्म कुछ विधिक अक्षमताओं से ग्रस्त होती है, जैसे तीसरे पक्ष पर वाद लाने में असमर्थता।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

247. A, B को 50,000 रुपये देने के लिए सहमत होता है यदि वह जीवनभर विवाह नहीं करता है। यह करार है:
(A) वैध
(B) शून्यकरणीय
(C) समाश्रित
(D) शून्य

248. शक्तिबाह्य का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए है?
(A) अंशधारक और लेनदार
(B) निदेशक
(C) कर्मचारी
(D) सरकारी अधिकारी

249. निम्नलिखित में से कौन सा 'यथाविधि धारक' का अधिकार नहीं है?
(A) पूर्ववर्ती पक्षों के स्वत्व के किसी भी दोष से मुक्त होकर लिखित धारण करना।
(B) सभी पूर्ववर्ती पक्षों के विरुद्ध भुगतान लागू करना।
(C) मूल लिखित खो जाने पर दूसरी प्रति प्राप्त करना।
(D) किसी भी राशि के लिए अपूर्ण लिखित को वैध बनाना।

250. 'परिनिर्धारित नुकसानी' हैं:
(A) पक्षों द्वारा सहमत उल्लंघन से होने वाली संभावित हानि

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) करार संविदा हैं यदि वे सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से एक वैध उद्देश्य के लिए किए गए हों।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, सभी करार संविदाएँ हैं यदि वे संविदा करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध प्रतिफल के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए गए हों। विधि द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए इन आवश्यक तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि कोई करार इन विधिक शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय संविदा नहीं माना जा सकता।

2. (A) एक प्रस्थापना उस व्यक्ति को संसूचित की जानी चाहिए जिसे वह की गई है।
भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत, एक प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण मानी जाती है जब वह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिसे वह दी गई है। यह एक अनिवार्य विधिक आवश्यकता है क्योंकि बिना संसूचना के स्वीकृति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रस्थापना स्पष्ट, निश्चित और संसूचित होनी चाहिए ताकि पक्षों के बीच विधिक संबंधों का सृजन हो सके। संसूचना की अनुपस्थिति में कोई विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं होते।

3. (C) नहीं, क्योंकि स्वीकृति संसूचित की जानी चाहिए और B प्रस्थापना से अनभिज्ञ था।
संविदा विधि के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार, किसी प्रस्थापना की स्वीकृति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि स्वीकारकर्ता को उस प्रस्थापना का ज्ञान न हो। यहाँ, खोए हुए कुत्ते को वापस करने का कार्य तो किया गया, लेकिन यह विज्ञापन की जानकारी के बिना था। इसलिए, प्रस्थापना और स्वीकृति के बीच कोई विधिक मिलन नहीं हुआ। सूचना के अभाव में किया गया कोई भी कार्य विधिक पुरस्कार के दावे का आधार नहीं बनता।

4. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
संविदा के लिए प्रतिफल का वास्तविक, निश्चित और विधि की दृष्टि में मूल्यवान होना आवश्यक है, न कि केवल भ्रामक या काल्पनिक। हालांकि, विधि यह मांग नहीं करती कि प्रतिफल पर्याप्त हो; यह पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे किस मूल्य पर सहमत होते हैं। यदि सहमति स्वतंत्र है, तो अपर्याप्त प्रतिफल संविदा की वैधता को प्रभावित नहीं करता है। अतः प्रतिफल का अस्तित्व अनिवार्य है, उसकी पर्याप्तता विधिक आवश्यकता नहीं है।

5. (C) निष्फल करने वाली घटना पक्षों में से किसी एक द्वारा स्वयं प्रेरित होनी चाहिए।
संविदा की निष्फलता का सिद्धांत तब लागू होता है जब परिस्थितियाँ संविदा के निर्माण के पश्चात अप्रत्याशित रूप से बदल जाती हैं। इससे संविदा का पालन असंभव या मौलिक रूप से भिन्न हो जाता है। अनिवार्य रूप से, ऐसी घटना पक्षों के नियंत्रण से बाहर होनी चाहिए और किसी भी पक्ष द्वारा स्वयं प्रेरित नहीं होनी चाहिए। यदि कोई घटना स्वयं प्रेरित है, तो उसे निष्फलता नहीं माना जाएगा और पक्ष उत्तरदायी बना रहेगा।

6. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
भारतीय संविदा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संविदा के मूल तत्वों को परिभाषित किया गया है। प्रस्थापना तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है। स्वीकृति तब होती है जब दूसरा पक्ष उस पर सहमति देता है। प्रतिफल का तात्पर्य बदले में कुछ प्राप्त करना है, जिसे क्विड प्रो कुओ कहा जाता है। अंततः, प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जो एक-दूसरे के लिए प्रतिफल बनते हैं, एक विधिक करार का निर्माण करते हैं।

7. (D) प्रारंभ से ही शून्य।
भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, संविदा करने के लिए पक्षों का वयस्क होना अनिवार्य है। एक अवयस्क के साथ किया गया कोई भी करार विधिक रूप से शून्य माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रारंभ से ही प्रभावहीन होता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के प्रसिद्ध मामले में यह स्पष्ट किया गया था कि अवयस्क का करार पूर्णतः शून्य है और इसे वयस्क होने पर भी विधिक रूप से अनुसमर्थित नहीं किया जा सकता है।

8. (A) असम्यक असर को सिद्ध करने का भार सदैव दुर्बल पक्ष पर होता है।
असम्यक असर के मामलों में, जब पक्षों के बीच प्रभुत्वशाली संबंध सिद्ध हो जाता है, तब इसे न होने का भार उस पक्ष पर होता है जो दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में था। यह संविदा को पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाता है। इसमें प्रायः विश्वास का संबंध सम्मिलित होता है जहाँ एक पक्ष अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करता है। यह विधिक न्याय के विरुद्ध है।

9. (C) यह संविदा को विसर्जित कर देता है और पक्षों को पालन करने के दायित्व से मुक्ति मिल जाती है।
निष्फलता का सिद्धांत संविदा को विसर्जित करने का कार्य करता है। जब संविदा का पालन असंभव हो जाता है, तो कानून पक्षों को उनके भविष्य के दायित्वों से मुक्त कर देता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब संविदा का आधार ही समाप्त हो जाता है या परिस्थितियाँ इतनी बदल जाती हैं कि मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। इसके परिणामस्वरूप संविदा स्वतः ही समाप्त हो जाती है और पक्षों को पालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

263. वह संविदा जो प्रारंभ में वैध होती है लेकिन बाद में शून्य हो जाती है, कहलाती है:
(A) शून्यकरणीय संविदा
(B) प्रारंभ से शून्य करार
(C) अप्रवर्तनीय संविदा
(D) संविदा जो शून्य हो जाती है

264. निम्नलिखित में से कौन संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है?
(A) किसी भी विधि द्वारा संविदा करने से अयोग्य घोषित व्यक्ति।
(B) 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति।
(C) स्वस्थ चित्त का व्यक्ति।
(D) विदेशी नागरिक।

265. भागीदारों के बीच संबंध होता है:
(A) कैवियट एम्प्टर का।
(B) कठोर दायित्व का।
(C) परम विश्वास का।
(D) केवल प्रतिनिधिक दायित्व का।

266. निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी की विशेषता नहीं है?
(A) असीमित दायित्व
(B) शाश्वत उत्तराधिकार
(C) सामान्य मुद्रा
(D) पृथक विधिक इकाई

267. जब कोई व्यक्ति, जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है, उसे रद्द कर देता है, तो दूसरा पक्ष:
(A) उसे गैर-पालन के लिए नुकसानी का भुगतान किया जाना चाहिए।
(B) फिर भी संविदा को लागू कर सकता है।
(C) विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद ला सकता है।
(D) उसमें निहित किसी भी वचन को निभाने की आवश्यकता नहीं है।

268. वचन के लिए प्रतिफल:
(A) पर्याप्त होना चाहिए।
(B) कुछ करने या कुछ करने से विरत रहने का वचन हो सकता है।
(C) वचन के समान मूल्य का होना चाहिए।
(D) सदैव धन के रूप में होना चाहिए।

269. वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930, मुख्य रूप से किस पर आधारित है:
(A) जर्मन वाणिज्यिक संहिता।
(B) फ्रांसीसी नागरिक संहिता।
(C) अंग्रेजी वस्तु विक्रय अधिनियम, 1893।
(D) अमेरिकी यूनिफ़ॉर्म कमर्शियल कोड।

270. एक करार तभी संविदा बनता है जब वह:
(A) संविदा करने में सक्षम पक्षों के बीच हो।
(B) वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य के लिए हो।
(C) पक्षों की स्वतंत्र सहमति से किया गया हो।
(D) उपर्युक्त सभी।

271. "असम्यक असर" किसके बीच के संबंध में विद्यमान माना जाता है?
(A) चिकित्सक और रोगी।
(B) भूस्वामी और किराएदार।
(C) लेनदार और ऋणी।
(D) पति और पत्नी।

272. एक सुप्त भागीदार वह है जो:
(A) भागीदार नहीं है लेकिन फर्म को अपना नाम प्रदान करता है।
(B) एक भागीदार जो सक्रिय भाग नहीं लेता है और जनसामान्य के लिए अज्ञात है।
(C) व्यवसाय में सक्रिय भाग लेता है लेकिन जनता के लिए अज्ञात है।
(D) केवल एकल संव्यवहार के लिए भागीदार है।

273. न्यायालयों द्वारा "निगमित आवरण हटाना" सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है:
(A) कंपनी की पृथक इकाई को बनाए रखने के लिए।
(B) निगमित इकाई की उपेक्षा करने और इसके पीछे की विधिक वास्तविकता को देखने के लिए।
(C) कंपनी के आंतरिक नियमों को लागू करने के लिए।
(D) निदेशकों को दायित्व से सुरक्षित करने के लिए।

274. चेक देय होता है:
(A) मांग पर।
(B) एक निश्चित अवधि के पश्चात।
(C) एक निश्चित घटना के पश्चात।
(D) प्रस्तुतीकरण के तीन दिन पश्चात।

275. संविदा 'नवीनयन' द्वारा तब विसर्जित होती है जब:
(A) पालन के समय का विस्तार किया जाता है।
(B) पालन का स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है।
(C) विद्यमान संविदा के स्थान पर एक नई संविदा प्रतिस्थापित की जाती है।
(D) एक पक्ष अपने दायित्व को निभाने में विफल रहता है।

276. निम्नलिखित में से किस मामले में आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा?
(A) जहाँ कंपनी का कार्य उसके प्रत्यक्ष अधिकार के भीतर है।
(B) जहाँ बोर्ड बैठक के लिए आंतरिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया जाता है।
(C) जहाँ बाह्य व्यक्ति निम्न स्तर के कर्मचारी के साथ व्यवहार करता है।

225. A और B एक व्यवसाय में भागीदार हैं। A, B की जानकारी के बिना, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए फर्म की संपत्ति का उपयोग करता है। B का क्या अधिकार है?
(A) B भागीदारी से A को निष्कासित कर सकता है।
(B) A को फर्म को लाभ का विवरण देना होगा और भुगतान करना होगा।
(C) B कपट के लिए A पर वाद ला सकता है।
(D) B के पास कोई उपचार नहीं है क्योंकि यह A का व्यक्तिगत संव्यवहार था।

226. अधिनियमों और अधिनियमन के वर्षों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अधिनियम)
P. भारतीय भागीदारी अधिनियम
Q. वस्तु विक्रय अधिनियम
R. परक्राम्य लिखित अधिनियम
S. भारतीय संविदा अधिनियम
सूची II: (वर्ष)
1. 1881
2. 1930
3. 1872
4. 1932
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-2, Q-4, R-3, S-1
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-3, Q-2, R-1, S-4

227. व्यवसाय को विनियमित करने या कीमतें निर्धारित करने के लिए संयोजन प्रदान करने वाले करार की जांच किसके तहत की जा सकती है?
(A) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
(B) वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930
(C) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
(D) भागीदारी अधिनियम, 1932

228. भारतीय संविदा अधिनियम में 'प्रस्थापना' शब्द अंग्रेजी विधि में 'ऑफर' शब्द का पर्याय है। यह कथन है:
(A) गलत
(B) आंशिक रूप से सत्य
(C) केवल व्यावसायिक संविदाओं के लिए सत्य
(D) सही

229. निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम्य लिखित नहीं है?
(A) वाहक को देय वचन पत्र।
(B) वाहक चेक।
(C) पोस्टल ऑर्डर।
(D) विनिमय पत्र।

230. एक करार को संविदा तब माना जाता है जब:
(A) यह दो पक्षों के बीच किया गया हो।
(B) यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो।
(C) यह लिखित रूप में हो।
(D) इसमें कोई वचन सम्मिलित हो।

231. फर्म से पृथक होने के पश्चात किए गए कार्यों के लिए सेवानिवृत्त भागीदार का दायित्व कब समाप्त होता है:
(A) जब वह अन्य भागीदारों को अपनी सेवानिवृत्ति की व्यक्तिगत सूचना देता है।
(B) जब फर्म का पुनर्गठन किया जाता है।
(C) जब वह फर्म के साथ अपने लेखा का निपटान करता है।
(D) जब उसकी सेवानिवृत्ति की सार्वजनिक सूचना दी जाती है।

232. न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश, जिसमें किसी व्यक्ति को संविदा में नकारात्मक शर्त पूर्ण करने की आवश्यकता होती है, कहलाता है:
(A) व्यादेश
(B) विनिर्दिष्ट अनुपालन
(C) क्वांटम मेरिट
(D) प्रत्यास्थापन

233. कंपनी के संस्था के ज्ञापन के 'उद्देश्य खंड' को किसके बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है:
(A) एक साधारण प्रस्ताव।
(B) एक बोर्ड प्रस्ताव।
(C) एक विशेष प्रस्ताव।
(D) लेनदारों की सहमति।

234. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अवयस्क के साथ संविदा अवयस्क के विकल्प पर शून्यकरणीय है।
2. एक अवयस्क को भागीदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है।
3. एक अवयस्क अभिकर्ता हो सकता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

235. स्वीकृति से पूर्व प्रस्तावक की मृत्यु स्वतः प्रस्ताव को रद्द कर देती है यदि:
(A) प्रस्ताव एक निश्चित अवधि के लिए था।
(B) स्वीकृति उचित समय के भीतर नहीं की जाती है।
(C) प्रस्ताव व्यक्तिगत प्रकृति का था।
(D) मृत्यु का तथ्य स्वीकृति से पूर्व स्वीकारकर्ता को ज्ञात हो जाता है।

236. अदत्त विक्रेता द्वारा 'मार्गस्थ माल रोकने का अधिकार' केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब:
(A) क्रेता परिदान लेने से मना करता है।
(B) क्रेता दिवालिया हो जाता है और माल मार्ग में होता है।

समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

291. विधिक सिद्धांतों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (सिद्धांत)
P. शक्तिबाह्य
Q. आंतरिक प्रबंधन
R. आवरण हटाना
S. आन्विक सूचना
सूची II: (अर्थ)
1. निगमित व्यक्तित्व की उपेक्षा करना।
2. बाह्य व्यक्ति मान सकते हैं कि आंतरिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
3. सार्वजनिक दस्तावेजों का प्रकल्पित ज्ञान।
4. शक्तियों से बाहर।
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

292. 'संविदा की निष्फलता' किस अवधारणा के अंतर्गत आती है?
(A) प्रारंभिक असंभवता
(B) व्यावसायिक कठिनाई
(C) विधि की भूल
(D) आकस्मिक असंभवता

293. निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार का अधिकार नहीं है?
(A) फर्म की बहियों तक पहुँच का अधिकार।
(B) लाभ साझा करने का अधिकार।
(C) पूंजी पर ब्याज का अधिकार।
(D) नए भागीदार के प्रवेश को रोकने का अधिकार।

294. नीलामी में बोली लगाना एक है:
(A) स्वीकृति
(B) प्रस्थापना
(C) प्रस्थापना के लिए निमंत्रण
(D) संविदा

295. अवयस्क के साथ संविदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अवयस्क संविदा के तहत उत्तरदायी नहीं है।
2. यदि संविदा अवयस्क के लिए लाभकारी है तो वह उसे लागू कर सकता है।
3. अवयस्क को दिए गए धन को वसूलने के लिए प्रत्यास्थापन का सिद्धांत लागू होता है।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

296. 'लदान पत्र' (bill of lading) एक है:
(A) माल के स्वत्व का दस्तावेज।
(B) परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परक्राम्य लिखित।
(C) वचन पत्र का प्रकार।
(D) कंपनी अंश का रूप।

297. अवैध कार्य करने की संविदा है:
(A) शून्यकरणीय
(B) वैध
(C) शून्य
(D) प्रवर्तनीय

298. 'आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत' किसका अपवाद है?
(A) आन्विक सूचना का सिद्धांत
(B) शक्तिबाह्य का सिद्धांत
(C) पृथक विधिक इकाई का सिद्धांत
(D) सीमित दायित्व का सिद्धांत

299. भागीदार के दुराचरण के आधार पर न्यायालय द्वारा भागीदारी भंग कर दी जाती है जब दुराचरण:
(A) मामूली प्रकृति का हो।
(B) व्यवसाय से असंबंधित हो।
(C) अन्य भागीदारों द्वारा क्षमा कर दिया गया हो।
(D) व्यवसाय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

300. संविदा भंग के लिए नुकसानी का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) दंडात्मक
(B) प्रतिपूरक
(C) निवारक
(D) घोषणात्मक

(D) जहाँ बाह्य व्यक्ति को आंतरिक अनियमितताओं का ज्ञान था।

277. भागीदारी फर्म की समाप्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है:
(A) समापन
(B) परिसमापन
(C) विघटन
(D) विलोपन

278. एक करार शून्य है यदि उसका उद्देश्य या प्रतिफल:
(A) पूर्ण करना कठिन हो।
(B) विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो।
(C) अपर्याप्त हो।
(D) एक पक्ष के लिए लाभकारी न हो।

279. अदत्त विक्रेता का माल को पुनः बेचने का अधिकार तब उपलब्ध होता है जब:
(A) क्रेता पुनर्विक्रय का अनुरोध करता है।
(B) विक्रेता उच्च मूल्य चाहता है।
(C) बाजार मूल्य कम हो गया है।
(D) माल शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति का है।

280. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: प्रत्येक भागीदार फर्म के व्यवसाय के लिए फर्म का अभिकर्ता है।
कथन II: भागीदार का वह कार्य जो उस प्रकार के व्यवसाय को सामान्य रीति से चलाने के लिए किया जाता है जैसा फर्म द्वारा किया जाता है, फर्म को बाध्य करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

281. कपट और मिथ्या-व्यपदेशन के बीच मुख्य अंतर है:
(A) कथन की प्रकृति।
(B) संविदा पर प्रभाव।
(C) कथन देने वाले पक्ष का आशय।
(D) वह पक्ष जो संविदा से बच सकता है।

282. कंपनी का अस्तित्व तब समाप्त हो जाता है जब:
(A) विघटन पर कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है।
(B) समापन का आदेश दिया जाता है।
(C) निस्तारक नियुक्त किया जाता है।
(D) कंपनी अपना व्यावसायिक संचालन बंद कर देती है।

283. निम्नलिखित में से कौन भागीदारी का मुख्य तत्व नहीं है?
(A) व्यवसाय
(B) लाभ का साझाकरण
(C) पारस्परिक एजेंसी
(D) सीमित दायित्व

284. 'स्वीकृति' एक 'प्रस्थापना' के लिए वही है जो जलती हुई माचिस बारूद की गाड़ी के लिए है। यह सादृश्य क्या दर्शाता है:
(A) स्वीकृति की प्रतिसंहरणीय प्रकृति।
(B) संसूचित होने के पश्चात स्वीकृति की अपरिवर्तनीय प्रकृति।
(C) प्रतिफल का महत्व।
(D) लिखित प्रस्थापना की आवश्यकता।

285. विक्रय की संविदा में, यदि विक्रेता माल का स्वामी नहीं है, तो क्रेता:
(A) यदि वह सद्भावपूर्वक क्रय करता है तो उसे उत्तम स्वत्व प्राप्त होता है।
(B) विक्रेता से बेहतर स्वत्व प्राप्त करता है।
(C) माल पर कोई विधिक स्वत्व प्राप्त नहीं करता है।
(D) वास्तविक स्वामी पर नुकसानी के लिए वाद ला सकता है।

286. निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य समापन का आधार नहीं है?
(A) कंपनी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है।
(B) कंपनी ने भारत की संप्रभुता के हितों के विरुद्ध कार्य किया है।
(C) कंपनी ने निरंतर पांच वर्षों तक वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किए हैं।
(D) कंपनी के निदेशक मंडल ने त्यागपत्र दे दिया है।

287. संविदा में गारंटी देने वाले व्यक्ति को कहा जाता है:
(A) प्रतिभू
(B) उपनिधाता
(C) गिरवीदार
(D) मुख्य ऋणी

288. विकृत चित्त वाले व्यक्ति के साथ की गई संविदा होती है:
(A) वैध
(B) शून्यकरणीय
(C) शून्य
(D) अवैध

289. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उद्देश्य है:
(A) एकाधिकार को बढ़ावा देना।
(B) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना।
(C) कंपनी प्रशासन को विनियमित करना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को सुगम बनाना।

290. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन (A) के रूप में और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): भागीदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
कारण (R): अपंजीकरण स्वयं भागीदारों के बीच भागीदारी

10. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार, एक भागीदारी फर्म का अपने भागीदारों से स्वतंत्र कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता है। फर्म केवल भागीदारों का एक सामूहिक नाम है। भागीदारों का दायित्व असीमित होता है और वे व्यक्तिगत रूप से भी फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यद्यपि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन असीमित दायित्व फर्म के पृथक अस्तित्व की कमी का एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि यह इसकी मूल विधिक प्रकृति है।

11. (D) एक सिद्धांत जो कंपनी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर किए गए कार्यों को शून्य मानता है।
शक्तिबाह्य का सिद्धांत कंपनी विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका अर्थ है कि कंपनी केवल वही कार्य कर सकती है जो उसके संस्था के ज्ञापन के उद्देश्य खंड में विनिर्दिष्ट हैं। यदि कंपनी अपनी निर्धारित शक्तियों के बाहर कोई कार्य करती है, तो वह विधिक रूप से शून्य माना जाता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य निवेशकों और लेनदारों के हितों की रक्षा करना है ताकि कंपनी की पूंजी का कोई अनधिकृत उपयोग न हो सके।

12. (B) विनिमय पत्र
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, चेक एक विशिष्ट प्रकार का विनिमय पत्र है जो सदैव एक निर्दिष्ट बैंकर पर आहरित होता है। यह मांग पर देय होता है और इसके लिए बैंकर द्वारा किसी औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। चेक की विधिक प्रकृति इसे अन्य विनिमय पत्रों से अलग करती है क्योंकि इसमें भुगतानकर्ता सदैव एक बैंक होता है। यह आधुनिक वाणिज्यिक लेन-देन में सुरक्षा और सुविधा का प्रमुख साधन है।

13. (A) केवल 1
कपट के लिए दूसरे पक्ष को धोखा देने या संविदा में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने का स्पष्ट आशय होना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना कपट की श्रेणी में आता है। हालांकि, मौन रहना तब तक कपट नहीं माना जाता जब तक कि बोलने का विधिक कर्तव्य न हो। कपट के कारण संविदा शून्यकरणीय होती है, न कि प्रारंभ से ही पूर्णतः शून्य। अतः केवल प्रथम कथन विधिक रूप से सही है।

14. (D) प्रतिफल
'क्विड प्रो कुओ' एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'बदले में कुछ'। संविदा विधि में यह सीधे तौर पर प्रतिफल के तत्व से संबंधित है। एक वैध संविदा के लिए यह आवश्यक है कि वचन के बदले में कुछ मूल्यवान वस्तु, कार्य या विरति दी जाए। बिना प्रतिफल के किए गए करार सामान्यतः शून्य होते हैं क्योंकि विधि केवल उन्हीं वचनों को लागू करती है जिनमें पक्षों के बीच पारस्परिकता का विनिमय होता है।

15. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत, शर्त संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए एक अनिवार्य अनुबंध है, जिसका उल्लंघन संविदा को रद्द करने का अधिकार देता है। इसके विपरीत, वारंटी मुख्य उद्देश्य के लिए एक संपार्श्विक या सहायक अनुबंध है, जिसके उल्लंघन पर केवल नुकसानी का दावा किया जा सकता है। ये दोनों तत्व क्रेता और विक्रेता के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे व्यापारिक पारदर्शिता बनी रहती है।

16. (B) न्यायालय इसके पीछे के व्यक्तियों को देखने के लिए पृथक विधिक व्यक्तित्व की उपेक्षा करता है।
सामान्यतः कंपनी एक पृथक विधिक इकाई होती है, लेकिन जब इस स्वरूप का उपयोग कपटपूर्ण या अवैध कार्यों के लिए किया जाता है, तो न्यायालय 'निगमित आवरण हटाने' का निर्णय ले सकता है। इसके माध्यम से कंपनी के पृथक व्यक्तित्व की अनदेखी की जाती है और उसके पीछे छिपे वास्तविक व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह सिद्धांत विधिक इकाई के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है।

17. (B) काल-बाधित ऋण का भुगतान करने का वचन।
'बिना प्रतिफल, कोई संविदा नहीं' के नियम के कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, काल-बाधित ऋण का भुगतान करने का लिखित और हस्ताक्षरित वचन बिना किसी नए प्रतिफल के भी वैध होता है। इसके अतिरिक्त, स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से किए गए पंजीकृत करार और अतीत की स्वैच्छिक सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति का वचन भी इस नियम के अपवादों में सम्मिलित हैं। ये अपवाद विधिक संबंधों में स्थिरता लाते हैं।

18. (A) प्रत्येक भागीदार व्यवसाय के लिए फर्म और अन्य भागीदारों का अभिकर्ता होता है।
पारस्परिक एजेंसी भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयात्मक लक्षण है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भागीदार व्यवसाय के संचालन में अन्य सभी भागीदारों और फर्म का प्रतिनिधि या अभिकर्ता होता है। एक भागीदार द्वारा अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र में किए गए कार्य अन्य सभी भागीदारों को बाध्य करते हैं। यह संबंध एक साथ प्रधान और अभिकर्ता दोनों का होता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के कार्यों के लिए उत्तरदायी और अधिकृत होता है।

19. (C) किसी पक्ष द्वारा अनजाने में दिया गया गलत कथन, जिसे वह सत्य मानता है।
मिथ्या-व्यपदेशन तब होता है जब कोई पक्ष अनजाने में किसी भौतिक तथ्य के बारे में गलत कथन देता है जिसे वह सत्य मानता है। यहाँ धोखा देने का कोई प्रत्यक्ष आशय नहीं होता है, फिर भी यह दूसरे पक्ष की सहमति को प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप संविदा उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है जिसकी सहमति इस प्रकार प्राप्त की गई थी। यह कपट से भिन्न है क्योंकि इसमें दुर्भावनापूर्ण इरादे का पूर्ण अभाव होता है।

79. (A) अंश प्रमाण पत्र
परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 मुख्य रूप से तीन प्रकार के लिखितों को मान्यता देता है: वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक। ये लिखतें परक्राम्यता के गुणों से युक्त होती हैं और सुपुर्दगी या पृष्ठांकन द्वारा हस्तांतरित की जा सकती हैं। हालांकि, अंश प्रमाण पत्र को इस अधिनियम के तहत परक्राम्य लिखित नहीं माना गया है। अंश प्रमाण पत्र केवल कंपनी में सदस्यता का प्रमाण है और इसका हस्तांतरण कंपनी अधिनियम के विशिष्ट नियमों के अधीन होता है, न कि इस अधिनियम के।

80. (B) असीमित।
भागीदारी में प्रत्येक भागीदार का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ है कि फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए भागीदार की व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। तीसरे पक्ष के प्रति यह दायित्व संयुक्त और पृथक होता है। एक सुप्त भागीदार भी, जो व्यवसाय में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, फर्म के उन ऋणों के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि एक सक्रिय भागीदार। यह विधिक व्यवस्था लेनदारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करती है ताकि वे अपना बकाया प्राप्त कर सकें।

81. (A) 3, 2, 4, 1
एक कंपनी का जीवन चक्र एक निश्चित विधिक प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है। सबसे पहले 'प्रवर्तन' की अवस्था आती है जहाँ कंपनी का विचार जन्म लेता है। इसके बाद 'निगमन' होता है जिससे कंपनी को विधिक अस्तित्व प्राप्त होता है। इसके पश्चात कंपनी अपने 'व्यवसाय का प्रारंभ' करती है। अंत में, यदि कंपनी को बंद करना हो, तो 'समापन' की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह क्रम कंपनी विधि के तहत अनिवार्य चरणों को दर्शाता है जो प्रत्येक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

82. (A) प्रतिभू
प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्ष होते हैं। वह व्यक्ति जो मुख्य ऋणी द्वारा ऋण न चुकाने की स्थिति में भुगतान करने का वचन देता है, 'प्रतिभू' कहलाता है। जिस व्यक्ति के लिए गारंटी दी जाती है वह 'मुख्य ऋणी' है और जिसे गारंटी दी जाती है वह 'लेनदार' है। प्रतिभू का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब मुख्य ऋणी अपने दायित्व के पालन में व्यतिक्रम करता है। यह एक महत्वपूर्ण विधिक सुरक्षा और वित्तीय व्यवस्था है जो ऋणों की सुरक्षा करती है।

83. (C) केवल कपट और मिथ्या-व्यपदेशन।
संविदा की वैधता को दूषित करने वाले तत्वों में 'असत्यता' का अत्यंत महत्व है। यह मुख्य रूप से कपट और मिथ्या-व्यपदेशन के रूप में प्रकट होती है। कपट में एक पक्ष जानबूझकर दूसरे को धोखा देने के लिए झूठ बोलता है या तथ्य छिपाता है। इसके विपरीत, मिथ्या-व्यपदेशन में गलत कथन अनजाने में दिया जाता है। दोनों ही मामलों में, प्रभावित पक्ष की सहमति 'स्वतंत्र' नहीं मानी जाती, जिससे संविदा विधि की दृष्टि में शून्यकरणीय हो जाती है और उसे विधिक रूप से रद्द किया जा सकता है।

84. (D) कंपनी के शत्रु चरित्र का निर्धारण।
यद्यपि कंपनी एक पृथक विधिक इकाई है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में न्यायालय इस आवरण को हटा सकता है। उदाहरण के लिए, युद्ध के समय यह निर्धारित करने के लिए कि कंपनी का चरित्र 'शत्रु' देश का तो नहीं है, इसके पीछे के व्यक्तियों की पहचान की जाती है। इसी प्रकार, कर चोरी रोकने या कपटपूर्ण कार्यों की जांच के लिए भी पृथक व्यक्तित्व के सिद्धांत की अनदेखी की जाती है। इसका उद्देश्य विधिक स्वरूप के दुरुपयोग को रोककर सार्वजनिक नीति की रक्षा करना है।

85. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, प्रतिफल 'वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति' से प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ है कि भारत में प्रतिफल के लिए एक अजनबी व्यक्ति भी वाद ला सकता है, बशर्ते वह संविदा का पक्षकार हो। यह अंग्रेजी विधि से भिन्न है जहाँ प्रतिफल केवल वचनग्रहीता से ही आना चाहिए। हालांकि, संविदा के लिए अजनबी व्यक्ति सामान्यतः वाद नहीं ला सकता, लेकिन प्रतिफल के लिए अजनबी भारत में विधिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं।

86. (B) व्यवसाय का अस्तित्व।
भागीदारी और सह-स्वामित्व के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर 'व्यवसाय' का अस्तित्व है। भागीदारी हमेशा किसी लाभ कमाने वाले व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें पारस्परिक एजेंसी का तत्व होता है। इसके विपरीत, सह-स्वामित्व केवल किसी संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व हो सकता है, जैसे कि विरासत में मिली भूमि, जहाँ लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय चलाना अनिवार्य नहीं है। सह-स्वामित्व में भागीदारों की तरह एक-दूसरे का विधिक अभिकर्ता होना भी आवश्यक नहीं होता है।

87. (D) केवल नामित व्यक्ति या उसके संग्रहकर्ता बैंकर को देय।
"केवल खाता प्राप्तकर्ता" के रूप में किया गया रेखांकन चेक की सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्रदान करता है। यद्यपि अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन यह बैंकिंग प्रथाओं में गहराई से स्थापित है। इसका विधिक प्रभाव यह है कि चेक की राशि केवल उस व्यक्ति के बैंक खाते में ही जमा की जा सकती है जिसका नाम चेक पर लिखा है। यह चेक की परक्राम्यता को सीमित करता है और इसे किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करना विधिक रूप से असंभव बना देता है।

88. (A) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल कपटपूर्ण है, तो वह करार विधि की दृष्टि में पूर्णतः शून्य माना जाता है। कानून ऐसे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं देता है जो दूसरों को धोखा देने या समाज के विरुद्ध कार्य करने के लिए किया गया हो। चूँकि ऐसे करार लोक नीति और विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता और न ही उनके लिए नुकसानी प्राप्त की जा सकती है।

30. (D) सभी भागीदारों के व्यावसायिक संबंधों की समाप्ति।
भागीदारी फर्म के विघटन का अर्थ है फर्म के सभी भागीदारों के बीच भागीदारी के विधिक संबंधों की पूर्ण समाप्ति। यह भागीदारी के विघटन से भिन्न है, जिसमें केवल भागीदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन होता है और फर्म का व्यवसाय जारी रह सकता है। फर्म के विघटन के पश्चात, व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है, संपत्तियों को बेचकर ऋणों का भुगतान किया जाता है और शेष राशि का भागीदारों के बीच विधिक रूप से वितरण किया जाता है।

31. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
कंपनी विधि के विभिन्न सिद्धांत निगमित शासन को व्यवस्थित करते हैं। शक्तिबाह्य का सिद्धांत उन कार्यों को रोकता है जो कंपनी की शक्तियों से बाहर हैं। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत बाहरी व्यक्तियों को कंपनी की गुप्त अनियमितताओं से बचाता है। निगमित आवरण हटाकर न्यायालय कंपनी के पीछे के वास्तविक दोषियों को पकड़ता है। अंत में, आन्विक सूचना का सिद्धांत यह मानता है कि बाहरी व्यक्तियों ने कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेजों को विधिवत पढ़ और समझ लिया है।

32. (B) अनुयोज्य दावे और मुद्रा।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत 'माल' की परिभाषा काफी व्यापक है, जिसमें प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति शामिल है। इसमें स्टॉक, अंश, उगी हुई फसलें और घास जैसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें भूमि से अलग किया जा सकता है। हालांकि, इस परिभाषा से 'अनुयोज्य दावे' और 'मुद्रा' को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है और अनुयोज्य दावे केवल कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए वे माल नहीं हैं।

33. (B) सदस्यों की संख्या विधिक न्यूनतम से कम हो गई है।
कंपनी अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी का अनिवार्य समापन कई आधारों पर किया जा सकता है। यदि सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की संख्या सात से कम या निजी कंपनी में दो से कम हो जाती है, तो यह समापन का एक वैध आधार बनता है। न्यूनतम सदस्य संख्या विधिक अस्तित्व की एक अनिवार्य शर्त है। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी अपने ऋण चुकाने में असमर्थ है या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करती है, तो भी समापन किया जा सकता है।

34. (B) केवल 1 और 2
एक अवयस्क संविदा करने में अक्षम होता है, इसलिए वह भागीदारी फर्म में पूर्ण भागीदार नहीं बन सकता है। हालांकि, सभी भागीदारों की सहमति से उसे केवल भागीदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। वह फर्म के लाभों और संपत्तियों में अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। चूँकि अवयस्क की संविदा शून्य होती है, इसलिए वह वयस्क होने पर भी अपनी अवयस्कता के दौरान किए गए किसी करार का विधिक अनुसमर्थन नहीं कर सकता है। अतः कथन 3 गलत है।

35. (C) संविदा भंग के मामले में नुकसानी का मापन।
हेडली बनाम बैक्सेंडेल का ऐतिहासिक मामला संविदा भंग के मामले में नुकसानी के निर्धारण के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इस नियम के अनुसार, पीड़ित पक्ष केवल उन्हीं हानियों के लिए नुकसानी का दावा कर सकता है जो संविदा भंग के स्वाभाविक परिणाम हों या जिनका अनुमान पक्षों ने संविदा के समय लगाया था। यह नियम दूरस्थ या अप्रत्यक्ष हानियों के लिए उत्तरदायित्व को सीमित करता है, जिससे संविदात्मक दायित्वों में न्यायसंगत निष्पक्षता और स्पष्टता बनी रहती है।

36. (D) परिपक्वता से पूर्व, प्रतिफल के बदले और सद्भावपूर्वक।
'यथाविधि धारक' वह व्यक्ति है जो किसी परक्राम्य लिखित को परिपक्वता से पहले, वैध प्रतिफल के बदले और इस विश्वास के साथ प्राप्त करता है कि लिखित के स्वत्व में कोई दोष नहीं है। उसे यह लिखित पूर्णतः सद्भावपूर्वक प्राप्त करनी चाहिए। यथाविधि धारक को यह विशेष विधिक लाभ प्राप्त होता है कि वह पिछले धारकों के स्वत्व में मौजूद किसी भी दोष से मुक्त होकर लिखित पर अपना अधिकार प्राप्त करता है और उसका भुगतान ले सकता है।

37. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
भागीदारी का आधार हमेशा भागीदारों के बीच का एक करार होता है, न कि उनकी सामाजिक स्थिति। यद्यपि एक लिखित साझेदारी विलेख रखना विवादों से बचने के लिए उचित है, लेकिन विधि के अनुसार भागीदारी संविदा का लिखित या पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है। मौखिक करार भी विधिक रूप से मान्य है। पंजीकरण न कराने पर फर्म कुछ विधिक लाभों से वंचित रह सकती है, लेकिन इससे भागीदारों के बीच के आपसी संबंधों की वैधता समाप्त नहीं होती।

38. (B) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत किसी भी उद्यम या समूह द्वारा अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग करना प्रतिषिद्ध है। प्रभुत्वशाली स्थिति का अर्थ है बाजार में ऐसी शक्ति होना जो उद्यम को प्रतिस्पर्धियों और उपभोक्ताओं से स्वतंत्र होकर कार्य करने में सक्षम बनाती है। यदि कोई फर्म इस शक्ति का उपयोग अनुचित शर्तें थोपने, कीमतों में हेरफेर करने या बाजार में प्रवेश को बाधित करने के लिए करती है, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उस पर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।

39. (D) प्रतिसंहरण प्रभावी है और कोई संविदा अस्तित्व में नहीं है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, स्वीकृति का प्रतिसंहरण तब तक किया जा सकता है जब तक कि स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण न हो जाए। यदि स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति को प्रस्तावक तक पहुँचने से पहले ही वापस ले लेता है, तो प्रतिसंहरण प्रभावी माना जाता है। इस स्थिति में विधि की दृष्टि में कोई वैध संविदा अस्तित्व में नहीं आती क्योंकि स्वीकृति को इसके प्रभावी होने से पूर्व ही सफलतापूर्वक और विधिक रूप से निरस्त कर दिया गया है।

40. (A) क्रेता से विनिर्दिष्ट अनुपालन की मांग करने का अधिकार।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत अदत्त विक्रेता को माल और क्रेता के विरुद्ध कई अधिकार प्राप्त हैं। इनमें माल पर कब्जा बनाए रखने का धारणाधिकार, मार्ग में माल को रोकने का अधिकार और माल का पुनर्विक्रय करने का अधिकार सम्मिलित है। हालांकि, 'विनिर्दिष्ट अनुपालन' की मांग करना अदत्त विक्रेता का अधिकार नहीं है; वह केवल मूल्य या नुकसानी के लिए वाद ला सकता है। विनिर्दिष्ट अनुपालन सामान्यतः एक न्यायिक उपचार है जो केवल विशेष परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा दिया जाता है।

41. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
आन्विक सूचना का सिद्धांत यह मानता है कि बाहरी व्यक्ति कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेजों से परिचित हैं। इसके विपरीत, आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत बाहरी व्यक्तियों को कंपनी के भीतर की गुप्त अनियमितताओं से बचाता है, इसलिए इसे आन्विक सूचना के सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। यह सिद्धांत सद्भावपूर्वक व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने में मदद करता है कि कंपनी ने अपनी आंतरिक औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं।

42. (A) दो
भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार, भागीदारी गठित करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। भागीदारी का मूल आधार ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का करार है, इसलिए एक अकेला व्यक्ति स्वयं के साथ भागीदारी नहीं कर सकता। भागीदारों की अधिकतम संख्या समय-समय पर कंपनी अधिनियम और अन्य नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन न्यूनतम सीमा हमेशा दो बनी रहती है ताकि पारस्परिक एजेंसी और लाभ साझा करने का सिद्धांत लागू हो सके।

43. (D) जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है।
संविदा विधि के अनुसार, कोई संविदा जो प्रारंभ में वैध थी, उस समय शून्य हो जाती है जब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है। यह स्थिति कानून में बदलाव, विषय वस्तु के विनाश या किसी ऐसी घटना के कारण उत्पन्न हो सकती है जो पालन को असंभव बना देती है। शून्य संविदा का कोई विधिक प्रभाव नहीं होता है और इसके तहत किसी भी पक्ष को पालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता। इसकी शून्यता प्रवर्तनीयता की समाप्ति के साथ ही प्रभावी होती है।

44. (B) क्रय या विक्रय की कीमतें निर्धारित करने के लिए प्रतिस्पर्धियों के बीच एक करार।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत, प्रतिस्पर्धियों के बीच किए गए वे करार जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रय या विक्रय मूल्य निर्धारित करते हैं, प्रतिस्पर्धा-विरोधी माने जाते हैं। ऐसे करारों का मुख्य उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा को सीमित करना और अनुचित लाभ प्राप्त करना होता है। इन्हें 'क्षैतिज करार' भी कहा जाता है और कानून के अनुसार इनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव माना जाता है। ऐसे करारों को प्रतिबंधित करके सरकार उपभोक्ताओं के हितों और निष्पक्ष बाजार की रक्षा करती है।

45. (C) मुख्य ऋणी के दायित्व के सम-विस्तारी।
प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व के साथ सम-विस्तारी होता है। इसका अर्थ है कि प्रतिभू उसी सीमा तक और उसी शर्तों पर उत्तरदायी है जिस पर मुख्य ऋणी है, जब तक कि संविदा में इसके विपरीत कोई शर्त न हो। लेनदार मुख्य ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई किए बिना भी सीधे प्रतिभू से भुगतान की मांग कर सकता है। प्रतिभू का दायित्व तभी समाप्त होता है जब ऋण का पूर्ण भुगतान विधिक रूप से हो जाता है।

46. (D) उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी।
जब किसी पक्ष की सहमति मिथ्या-व्यपदेशन के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है। इसका अर्थ है कि वह पक्ष चाहे तो संविदा को स्वीकार कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है। यदि संविदा रद्द की जाती है, तो पक्षों को प्राप्त लाभों को वापस करना होता है। स्वतंत्र सहमति के अभाव में किया गया कोई भी करार विधि की दृष्टि में तब तक वैध रहता है जब तक पीड़ित पक्ष उसे चुनौती न दे।

47. (A) किसी वचन के बदले में दिया गया मूल्यवान वस्तु या कार्य।
संविदा विधि के अनुसार, प्रतिफल वह मूल्य है जिसे एक पक्ष दूसरे पक्ष के वचन के बदले में देता है। यह कोई कार्य, विरति, या भविष्य का वचन हो सकता है जो वचनदाता की इच्छा पर किया गया हो। बिना प्रतिफल के किए गए करार केवल कुछ अपवादों को छोड़कर शून्य होते हैं। प्रतिफल का वास्तविक होना और विधि की दृष्टि में कुछ मूल्य रखना अनिवार्य है, चाहे वह मौद्रिक रूप में हो या किसी अन्य मूल्यवान विधिक लाभ के रूप में।

48. (B) इसका विधिक अस्तित्व एक परिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से समाप्त किया जाता है।
किसी कंपनी का समापन वह विधिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उसके व्यावसायिक कार्यों को बंद कर दिया जाता है और उसकी संपत्तियों का निपटान किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, एक निस्तारक नियुक्त किया जाता है जो संपत्तियों को बेचकर लेनदारों का भुगतान करता है और शेष राशि सदस्यों में वितरित करता है। समापन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात कंपनी का विधिक अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसे 'विघटन' कहा जाता है। यह कंपनी की विधिक मृत्यु की प्रक्रिया है।

49. (B) क्रेता सावधान रहे।
'कैवियट एम्प्टर' एक प्रसिद्ध लैटिन सूत्र है जिसका अर्थ है 'क्रेता सावधान रहे'। वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत यह नियम स्थापित करता है कि माल खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और उपयुक्तता की जांच करना क्रेता का कर्तव्य है। यदि माल में

कोई ऐसा दोष है जो साधारण जांच से पता चल सकता था, तो उसके लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, इस नियम के कई अपवाद हैं, जैसे कि जब विक्रेता द्वारा कपट किया गया हो या माल विवरण के विपरीत हो।

50. (A) 4, 1, 3, 2
संविदा के निर्माण की प्रक्रिया एक निश्चित विधिक क्रम का पालन करती है। सबसे पहले एक पक्ष द्वारा 'प्रस्थापना' दी जाती है। जब उस प्रस्थापना को दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह 'प्रस्थापना की स्वीकृति' बन जाती है। इसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच एक 'करार' का जन्म होता है। यदि यह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है और इसमें सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, तो यह अंततः एक 'संविदा' का रूप धारण कर लेता है।

51. (C) अपने सदस्यों से पृथक विधिक इकाई।
भागीदारी की मुख्य विशेषताओं में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच व्यवसाय के लाभ साझा करने का करार और पारस्परिक एजेंसी शामिल है। कंपनी के विपरीत, एक भागीदारी फर्म अपने भागीदारों से पृथक कोई विधिक इकाई नहीं होती है। भागीदारों और फर्म की पहचान कानून की दृष्टि में एक ही होती है, जिसके कारण भागीदारों का दायित्व असीमित होता है। फर्म का पंजीकरण उसे पृथक विधिक व्यक्तित्व प्रदान नहीं करता, बल्कि यह केवल विधिक प्रवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए है।

52. (D) भुगतान की विधि को।
चेक का रेखांकन एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो मुख्य रूप से भुगतान की विधि को प्रभावित करता है। जब किसी चेक को रेखांकित किया जाता है, तो बैंक उसका नकद भुगतान काउंटर पर नहीं कर सकता है। ऐसे चेक की राशि केवल किसी बैंक खाते के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुँचे और चेक के चोरी होने या दुरुपयोग होने की स्थिति में भुगतान प्राप्तकर्ता का पता आसानी से लगाया जा सके।

53. (C) कंपनी की शक्तियाँ और गतिविधियों का क्षेत्र।
संस्था के ज्ञापन का उद्देश्य खंड कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि यह कंपनी की गतिविधियों के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है। यह स्पष्ट करता है कि कंपनी किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है और वह कौन से व्यवसाय कर सकती है। यदि कंपनी इस खंड में वर्णित उद्देश्यों के बाहर कोई कार्य करती है, तो उसे 'शक्तिबाह्य' माना जाता है और वह शून्य होता है। यह निवेशकों को बताता है कि उनका धन विधिक रूप से कहाँ निवेश किया जाएगा।

54. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, कोई भी करार जो किसी पक्ष को सामान्य न्यायालयों में अपने विधिक अधिकारों को लागू करने से पूर्णतः रोकता है, शून्य माना जाता है। न्याय प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक विधिक सिद्धांत है और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होने के कारण इसे किसी करार द्वारा छीना नहीं जा सकता। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और एक-दूसरे की सही व्याख्या करते हैं क्योंकि यह विधिक कार्यवाही के अधिकार की रक्षा करता है।

55. (D) अनुकरणीय या दंडात्मक नुकसानी
अनुकरणीय या दंडात्मक नुकसानी का उद्देश्य केवल क्षतिपूर्ति करना नहीं, बल्कि संविदा भंग करने वाले पक्ष को दंडित करना और दूसरों के लिए मिसाल कायम करना होता है। ये नुकसानी सामान्यतः संविदा भंग के मामलों में नहीं दी जाती हैं, लेकिन विवाह करने के वचन के उल्लंघन या बैंकर द्वारा पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद चेक का अनुचित अनादर करने जैसे विशिष्ट मामलों में न्यायालय इन्हें प्रदान कर सकता है। इनका उद्देश्य सामाजिक नैतिकता और व्यापारिक विश्वास को बनाए रखना है।

56. (A) सहमति तब स्वतंत्र होती है जब वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या-व्यपदेशन या भूल के कारण न हुई हो।
संविदा के वैध होने के लिए पक्षों की सहमति का स्वतंत्र होना अनिवार्य है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या-व्यपदेशन या भूल के प्रभाव में न ली गई हो। यदि सहमति इनमें से किसी भी कारण से प्रभावित है, तो संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है। स्वतंत्र सहमति यह सुनिश्चित करती है कि पक्ष अपनी इच्छा से विधिक दायित्व स्वीकार कर रहे हैं।

57. (C) वारंटी
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, वारंटी एक ऐसा अनुबंध है जो संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए संपार्श्विक या सहायक होता है। इसका उल्लंघन क्रेता को संविदा को रद्द करने का अधिकार नहीं देता, बल्कि वह केवल हुई हानि के लिए नुकसानी का दावा कर सकता है। वारंटी माल की गुणवत्ता या स्थिति के बारे में विक्रेता का एक आश्वासन होती है। यदि वारंटी का उल्लंघन होता है, तो क्रेता को माल स्वीकार करना पड़ता है और वह केवल मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

58. (B) केवल 1 और 2
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसका प्रमुख कार्य बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना है। यद्यपि आयोग के निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे अंतिम नहीं होते; उनके विरुद्ध अपीलीय न्यायाधिकरण और तत्पश्चात उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अतः कथन 3 गलत है क्योंकि न्यायिक समीक्षा का विकल्प सदैव उपलब्ध रहता है।

59. (D) उसकी संपत्ति या संपदा तक सीमित।
यद्यपि एक अवयस्क के साथ किया गया करार शून्य होता है, लेकिन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 के तहत उसे प्रदान की गई 'आवश्यकताओं' के लिए एक विशेष प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क को उसके जीवन की

20. (A) 4, 2, 1, 3
भारतीय वाणिज्यिक विधियों को उनके अधिनियमन वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। इसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में अस्तित्व में आए। सबसे अंत में, आधुनिक बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया। यह कालानुक्रम भारत में व्यापारिक कानूनों के ऐतिहासिक और क्रमिक विकास को स्पष्ट रुप से दर्शाता है।

21. (C) संयुक्त और पृथक।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, फर्म के सभी ऋणों और कार्यों के लिए भागीदारों का दायित्व संयुक्त और पृथक होता है। इसका अर्थ है कि लेनदार या तो सभी भागीदारों पर सामूहिक रूप से वाद ला सकता है या अपनी इच्छा से किसी भी एक भागीदार को संपूर्ण ऋण के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है। यह असीमित दायित्व भागीदारों के बीच विश्वास और सतर्कता सुनिश्चित करता है ताकि फर्म का संचालन उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से हो।

22. (B) बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे बनाए रखना।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का मुख्य लक्ष्य भारतीय बाजारों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे निरंतर बनाए रखना है। यह अधिनियम ऐसी प्रथाओं को रोकने का प्रयास करता है जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही, यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में दक्षता बढ़ती है और एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाता है जो विकास के लिए अनिवार्य है।

23. (D) कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाह्य व्यक्तियों को।
आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत, जिसे 'तुर्कवांड नियम' भी कहा जाता है, उन बाहरी व्यक्तियों की रक्षा करता है जो कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करते हैं। इसके अनुसार, बाहरी व्यक्ति यह मान सकते हैं कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाएं और नियम विधिवत रूप से पूरे किए गए हैं। उन्हें कंपनी की आंतरिक अनियमितताओं की जांच करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बशर्ते उन्होंने संस्था के सार्वजनिक दस्तावेजों को पढ़ लिया हो और उन्हें किसी गड़बड़ी का ज्ञान न हो।

24. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संविदा की निष्फलता तब होती है जब कोई बाहरी और अप्रत्याशित घटना संविदा के पालन को असंभव बना देती है। इस सिद्धांत की अनिवार्यता यह है कि पालन में उत्पन्न हुई यह असंभवता किसी भी पक्ष की व्यक्तिगत त्रुटि या लापरवाही के कारण नहीं होनी चाहिए। यदि असंभवता स्वयं के कार्यों से उत्पन्न हुई है, तो निष्फलता का सिद्धांत लागू नहीं होता। अतः, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और पालन की विधिक मुक्ति का आधार स्पष्ट करते हैं।

25. (C) धन की राशि का भुगतान करने का एक बिना शर्त वचन।
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, वचन पत्र एक ऐसी लिखित लिखत है जिसमें निर्माता द्वारा बिना किसी शर्त के एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन दिया जाता है। यह वचन पत्र स्वयं निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसमें भुगतान की राशि निश्चित होनी चाहिए और इसे किसी विशिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर देय होना चाहिए। यह ऋण की केवल पावती नहीं है, बल्कि भविष्य में भुगतान सुनिश्चित करने वाला एक वैध विधिक वचन है।

26. (A) स्वीकृति जो पूर्ण और बिना शर्त हो।
एक प्रस्थापना की वैध स्वीकृति के लिए आवश्यक है कि वह पूर्णतः स्पष्ट और बिना किसी शर्त के हो। यदि स्वीकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या नई शर्त जोड़ी जाती है, तो वह स्वीकृति न होकर एक प्रति-प्रस्ताव बन जाती है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति का प्रस्तावक को उचित माध्यम से संसूचित किया जाना भी अनिवार्य है। मानसिक सहमति या बिना संसूचना के दी गई सहमति से विधि की दृष्टि में किसी भी संविदा का निर्माण नहीं होता है।

27. (D) शून्य
जब किसी संविदा के निष्पादन का कार्य संविदा होने के समय तो संभव था, लेकिन बाद में किसी बाहरी घटना के कारण असंभव हो जाता है, तो ऐसी संविदा शून्य हो जाती है। इसे 'आकस्मिक असंभवता' या 'निष्फलता का सिद्धांत' कहा जाता है। कानून असंभव कार्यों को करने के लिए किसी को बाध्य नहीं करता है। जैसे ही संविदा का पालन विधि के विरुद्ध या भौतिक रुप से असंभव होता है, वह अपनी प्रवर्तनीयता खो देती है और विधिक रुप से शून्य हो जाती है।

28. (A) नुकसानी
संविदा भंग होने पर नुकसानी का मुख्य उद्देश्य पीड़ित पक्ष को हुई वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करना है। यह उपचार प्रतिपूरक प्रकृति का होता है न कि दंडात्मक। इसका लक्ष्य पीड़ित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में पहुँचाना है, जिसमें वह तब होता यदि संविदा का विधिवत पालन किया गया होता। नुकसानी का निर्धारण करते समय केवल उन्हीं हानियों पर विचार किया जाता है जो संविदा भंग के प्रत्यक्ष और स्वाभाविक परिणाम के रुप में उत्पन्न हुई हों।

29. (C) निष्फलता: स्वयं प्रेरित असंभवता
संविदा की निष्फलता हमेशा उन परिस्थितियों के कारण होनी चाहिए जो पक्षों के नियंत्रण से बाहर हों। यदि संविदा के पालन की असंभवता किसी पक्ष द्वारा जानबूझकर या अपनी लापरवाही से उत्पन्न की गई है, तो उसे 'स्वयं प्रेरित असंभवता' कहा जाता है। ऐसी स्थिति में निष्फलता का विधिक सिद्धांत लागू नहीं होता और दोषी पक्ष को संविदा भंग के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। अतः, निष्फलता और स्वयं प्रेरित असंभवता का युग्म विधिक रूप से गलत है।

अधिकार' कहा जाता है। यह अधिकार भागीदारी अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है और इसके लिए किसी विशेष लिखित विलेख की आवश्यकता नहीं होती है। इस अधिकार के अंतर्गत किए गए कार्यों से फर्म और अन्य सभी भागीदार तीसरे पक्ष के प्रति बाध्य होते हैं। हालांकि, अचल संपत्ति की खरीद जैसे कार्यों के लिए स्पष्ट अधिकार अनिवार्य होता है।

70. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
भारत में भागीदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह स्वैच्छिक है। हालांकि, अपंजीकृत फर्मों पर कुछ विधिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, एक अपंजीकृत फर्म संविदा से उत्पन्न अधिकारों को लागू करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध न्यायालय में वाद नहीं ला सकती है। यद्यपि पंजीकरण की कमी फर्म के अस्तित्व को शून्य नहीं बनाती, लेकिन यह विधिक प्रवर्तनीयता को कठिन बना देती है। अतः अभिकथन और कारण स्वतंत्र रूप से सत्य हैं।

71. (D) विबंधन द्वारा भागीदार
जब कोई व्यक्ति, जो वास्तव में फर्म का भागीदार नहीं है, अपने शब्दों या आचरण द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि वह एक भागीदार है, तो उसे 'विबंधन द्वारा भागीदार' कहा जाता है। यदि किसी तीसरे पक्ष ने उसके इस प्रदर्शन पर विश्वास करके फर्म को ऋण दिया है, तो वह व्यक्ति उस ऋण के लिए तीसरे पक्ष के प्रति वैसे ही उत्तरदायी होगा जैसे कि वह वास्तविक भागीदार हो। विधि उसे बाद में अपनी स्थिति से मुकरने की अनुमति नहीं देती है।

72. (A) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तुर्कवांड का ऐतिहासिक मामला 'आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत' की आधारशिला है। इस सिद्धांत के अनुसार, कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाहरी व्यक्ति यह मानने के हकदार हैं कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया गया है। उन्हें कंपनी के गुप्त नियमों या बोर्ड की आंतरिक बैठकों की अनियमितताओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यह नियम वाणिज्यिक लेन-देन में बाहरी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है।

73. (C) प्रस्थापना की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो उसकी शर्तों को पूर्ण करता है।
एक सामान्य प्रस्थापना वह होती है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को न देकर जनसामान्य को दी जाती है। ऐसी प्रस्थापना को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसे उस प्रस्थापना की जानकारी हो और जो उसमें दी गई शर्तों का पालन करता हो या विनिर्दिष्ट कार्य को पूर्ण करता हो। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। शर्तों का निष्पादन ही यहाँ विधिक रूप से स्वीकृति का कार्य माना जाता है जिससे संविदा निर्मित होती है।

74. (B) केवल 1 और 2
संविदा के निर्माण के लिए प्रस्थापना का निश्चित, स्पष्ट और भ्रमरहित होना आवश्यक है। प्रस्थापना किसी एक व्यक्ति को या पूरे समाज को दी जा सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'प्रस्थापना के लिए निमंत्रण' जैसे कि विज्ञापन, स्वयं में प्रस्थापना नहीं होते हैं; वे केवल दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करते हैं। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 विधिक रूप से गलत है क्योंकि दोनों अवधारणाओं में स्पष्ट अंतर है।

75. (D) जब संविदा की जाती है।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, जब विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बिना शर्त संविदा की जाती है और माल परिदान योग्य स्थिति में होता है, तो माल का स्वामित्व संविदा होते ही क्रेता को हस्तांतरित हो जाता है। इसके लिए मूल्य का भुगतान या माल का वास्तविक परिदान होना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते पक्षों का आशय स्वामित्व हस्तांतरित करने का हो। विधि के अनुसार, जोखिम भी सामान्यतः स्वामित्व के साथ ही हस्तांतरित हो जाता है, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।

76. (B) एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (MRTP) अधिनियम, 1969
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसने 1969 के पुराने 'एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम' का स्थान लिया। MRTP अधिनियम का मुख्य ध्यान एकाधिकार को प्रतिबंधित करने पर था, जबकि नया प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने पर केंद्रित है। यह आधुनिक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारतीय बाजारों की दक्षता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था।

77. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
संविदा की निष्फलता से तात्पर्य ऐसी घटना से है जो संविदा के पालन को असंभव बना देती है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि निष्फलता हमेशा पालन को अवैध नहीं बनाती, बल्कि यह उसे विधिक या भौतिक रूप से असंभव बना देती है। अवैधता निष्फलता का केवल एक कारण हो सकती है, जैसे कि युद्ध छिड़ना। जैसे ही पालन असंभव होता है, संविदा कानून के तहत विसर्जित हो जाती है। अतः कथन II सही है, जबकि कथन I विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

78. (D) संपार्श्विक
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, एक समाश्रित संविदा कुछ करने या न करने की संविदा है, जो किसी ऐसी भावी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करती है जो उस संविदा के लिए 'संपार्श्विक' हो। बीमा की संविदाएं इसका श्रेष्ठ उदाहरण हैं। संविदा का निष्पादन पूर्णतः उस बाहरी घटना पर आधारित होता है। यदि वह घटना असंभव हो जाती है, तो संविदा भी शून्य हो जाती है और उसे लागू नहीं किया जा सकता है।

परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, तो वह अवयस्क की संपत्ति से उसकी प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अवयस्क व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है; केवल उसकी संपदा को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

60. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
विधिक शब्दावली में प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ होता है। 'प्रारंभ से ही शून्य' का अर्थ है जो शुरु से ही प्रभावहीन हो। 'क्वांटम मेरिट' का तात्पर्य है कि जितना कार्य किया गया है, उतने के लिए भुगतान का अधिकार। 'क्विड प्रो कुओ' संविदा में प्रतिफल के महत्व को दर्शाता है, जिसका अर्थ है 'बदले में कुछ'। अंततः, 'शक्तिबाह्य' उन कार्यों को संदर्भित करता है जो किसी विधिक इकाई की निर्धारित शक्तियों की सीमा से बाहर होते हैं।

61. (C) यह पूर्णतः शून्य है और इसका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता।
कंपनी द्वारा अपनी शक्तियों से बाहर किए गए कार्य विधिक रूप से पूर्णतः शून्य होते हैं। चूँकि ऐसे कार्य प्रारंभ से ही अस्तित्वहीन माने जाते हैं, इसलिए कंपनी के सभी अंशधारक मिलकर भी सर्वसम्मति से ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत कंपनी की पूंजी के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। ऐसे मामलों में कंपनी किसी तीसरे पक्ष के प्रति बाध्य नहीं होती और न ही वह ऐसे संव्यवहारों को विधिक रूप से लागू कर सकती है।

62. (D) निष्फलता का सिद्धांत
आकस्मिक असंभवता के सिद्धांत को 'निष्फलता का सिद्धांत' भी कहा जाता है। यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत आता है। यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ संविदा के निर्माण के बाद ऐसी घटनाएँ घटती हैं जो संविदा के पालन को विधिक या भौतिक रूप से असंभव बना देती हैं। ऐसी स्थिति में संविदा स्वतः ही विसर्जित हो जाती है। यह नाम इस तथ्य को दर्शाता है कि संविदा का मूल उद्देश्य या आधार ही विफल हो गया है।

63. (A) व्यवसाय के लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार।
भागीदारी का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना और उसे भागीदारों के बीच साझा करना है। व्यवसाय के लाभों में हिस्सा प्राप्त करना प्रत्येक भागीदार का एक मूलभूत और अंतर्निहित अधिकार है। यदि लाभ साझा करने का कोई इरादा नहीं है, तो भागीदारी का संबंध अस्तित्व में नहीं आ सकता। हालांकि, हानि साझा करना भी सामान्यतः इसका हिस्सा है, लेकिन भागीदारों के बीच करार द्वारा किसी एक भागीदार को हानि के दायित्व से मुक्त रखा जा सकता है, फिर भी लाभ साझा करना अनिवार्य है।

64. (B) अदाकर्ता
विनिमय पत्र एक ऐसा आदेश है जिसे भुगतानकर्ता या अदाकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। जब तक अदाकर्ता बिल पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति नहीं देता, वह भुगतान के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। स्वीकृति मिलने के पश्चात ही अदाकर्ता 'स्वीकर्ता' बन जाता है। आहरता बिल लिखता है और आदाता वह व्यक्ति होता है जिसे भुगतान प्राप्त करना होता है, लेकिन विधिक उत्तरदायित्व अदाकर्ता की स्वीकृति के साथ ही पूर्ण होता है जो बिल पर अंकित होती है।

65. (B) यह एक सामाजिक समझौता है जिसका उद्देश्य विधिक संबंध स्थापित करना नहीं है।
संविदा के निर्माण के लिए पक्षों के बीच विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना अनिवार्य है। सामाजिक या पारिवारिक प्रकृति के समझौतों में, जैसे कि रात्रिभोज का निमंत्रण, सामान्यतः ऐसा विधिक आशय नहीं होता है। चूँकि ऐसे समझौतों में कानून को हस्तक्षेप करने का उद्देश्य नहीं होता, इसलिए इनके उल्लंघन पर कोई विधिक कार्रवाई या वाद नहीं लाया जा सकता है। विधि केवल उन्हीं वचनों को लागू करती है जहाँ पक्षों ने विधिक परिणाम स्वीकार किए हों।

66. (A) समापन
कंपनी का विधिक अस्तित्व समाप्त करने की प्रक्रिया को समापन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी की संपत्तियों को बेचकर लेनदारों के ऋणों का भुगतान किया जाता है। यदि कोई अधिशेष बचता है, तो उसे कंपनी के सदस्यों के बीच उनके विधिक अधिकारों के अनुसार वितरित किया जाता है। समापन प्रक्रिया का उद्देश्य कंपनी के मामलों को व्यवस्थित ढंग से बंद करना है। जब यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो न्यायाधिकरण विघटन का आदेश देता है और कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।

67. (C) माल विवरण के अनुरूप होना चाहिए।
वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत कुछ विवक्षित शर्तें संविदा में स्वतः ही शामिल मानी जाती हैं। इनमें से एक प्रमुख शर्त यह है कि यदि माल विवरण के आधार पर बेचा गया है, तो माल उस विवरण के अनुरूप होना चाहिए। यदि परिदान किया गया माल दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता है, तो क्रेता को संविदा को रद्द करने और माल को अस्वीकृत करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त होता है। यह शर्त माल की पहचान और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है।

68. (D) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जिसे उस तथ्य का ज्ञान या विश्वास है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, किसी महत्वपूर्ण तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना कपट माना जाता है, बशर्ते वह उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो। कपट में दूसरे पक्ष को धोखा देने का प्रत्यक्ष प्रयास होता है। केवल अनजाने में दिया गया गलत कथन मिथ्या-व्यपदेशन है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर सच्चाई को छिपाता है ताकि दूसरा पक्ष संविदा कर ले, तो यह विधिक रूप से कपट की श्रेणी में आता है।

69. (C) विवक्षित अधिकार
एक भागीदार के पास फर्म के सामान्य व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए जो विधिक शक्ति होती है, उसे उसका 'विवक्षित

89. (C) P-4, Q-2, R-1, S-3
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, यदि किसी करार का उद्देश्य या प्रतिफल कपटपूर्ण है, तो वह करार विधि की दृष्टि में पूर्णतः शून्य माना जाता है। कानून ऐसे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं देता है जो दूसरों को धोखा देने या समाज के विरुद्ध कार्य करने के लिए किया गया हो। चूँकि ऐसे करार लोक नीति और विधिक सिद्धांतों के विरुद्ध होते हैं, इसलिए उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता और न ही उनके लिए नुकसानी प्राप्त की जा सकती है।

90. (A) एक नया भागीदार प्रवेश करता है या कोई मौजूदा भागीदार सेवानिवृत्त होता है।
भागीदारी फर्म के पुनर्गठन से तात्पर्य फर्म के भागीदारों के आपसी विधिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। यह तब होता है जब कोई नया भागीदार फर्म में प्रवेश करता है, या कोई मौजूदा भागीदार सेवानिवृत्त होता है, या किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है। पुनर्गठन के दौरान पुरानी भागीदारी समाप्त हो जाती है और एक नई भागीदारी अस्तित्व में आती है, हालांकि फर्म का व्यवसाय उसी नाम से और निरंतरता के साथ जारी रह सकता है।

91. (D) शक्तिबाह्य का सिद्धांत
'शक्तिबाह्य का सिद्धांत' यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी केवल उन्हीं सीमाओं के भीतर कार्य करे जो उसके संस्था के ज्ञापन द्वारा निर्धारित की गई हैं। ज्ञापन में दिया गया उद्देश्य खंड कंपनी की विधिक क्षमता की सीमा तय करता है। यदि कंपनी इस सीमा का उल्लंघन करती है, तो वह कार्य विधिक रूप से शून्य होता है और किसी भी पक्ष पर कोई विधिक बाध्यता नहीं डालता। यह सिद्धांत निवेशित पूंजी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक विधिक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

92. (B) करार का पंजीकरण
एक वैध संविदा के लिए प्रस्थापना, स्वीकृति, वैध प्रतिफल, स्वतंत्र सहमति और पक्षों की सक्षमता जैसे तत्व अनिवार्य हैं। हालांकि, सामान्य संविदाओं के लिए उनका लिखित होना या पंजीकृत होना एक अनिवार्य विधिक आवश्यकता नहीं है, जब तक कि किसी विशिष्ट विधि द्वारा ऐसा करना आवश्यक न बनाया गया हो। अधिकांश व्यापारिक करार मौखिक भी हो सकते हैं और वे उतने ही प्रवर्तनीय होते हैं जितने कि लिखित करार, बशर्ते अन्य सभी विधिक शर्तें पूर्ण हों।

93. (C) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, जहाँ संविदा के दोनों पक्ष किसी ऐसे तथ्य के बारे में भूल पर हैं जो संविदा के लिए अनिवार्य है, वहाँ वह करार शून्य होता है। इसे 'द्विपक्षीय भूल' कहा जाता है। चूंकि दोनों पक्षों के बीच विषय-वस्तु या संविदा के विधिक आधार को लेकर कोई वास्तविक सहमति नहीं होती, इसलिए विधि ऐसे समझौते को कोई मान्यता नहीं देती है। यह एकतरफा भूल से भिन्न है, जो सामान्यतः संविदा को शून्य नहीं बनाती।

94. (D) केवल चल
वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 विशेष रूप से केवल 'चल संपत्ति' के विक्रय से संबंधित लेन-देन को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। अचल संपत्ति, जैसे कि भूमि या भवन, के हस्तांतरण के लिए 'संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम' के प्रावधान लागू होते हैं। वस्तु विक्रय अधिनियम माल के स्वामित्व के हस्तांतरण, क्रेता और विक्रेता के अधिकारों, शर्तों और वारंटी से संबंधित नियमों को विस्तार से स्पष्ट करता है, जो आधुनिक वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

95. (A) केवल 1 और 2
कंपनी का समापन स्वैच्छिक या अनिवार्य दोनों प्रकार से हो सकता है। स्वैच्छिक समापन सदस्यों या लेनदारों के प्रस्ताव द्वारा किया जाता है, जबकि अनिवार्य समापन का आदेश विशिष्ट विधिक आधारों पर न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समापन की प्रक्रिया प्रारंभ होने से कंपनी का अस्तित्व तुरंत समाप्त नहीं होता है; यह केवल तब समाप्त होता है जब विघटन का अंतिम आदेश पारित किया जाता है। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

96. (B) दुराचरण के लिए किसी भागीदार को निष्कासित करने का अधिकार।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक भागीदार को व्यवसाय में भाग लेने, परामर्श देने और लेखा बहियों का निरीक्षण करने का अधिकार है। हालांकि, किसी भी भागीदार को बहुमत द्वारा किसी अन्य भागीदार को फर्म से निष्कासित करने का सामान्य अधिकार नहीं है, जब तक कि ऐसा करने की विशिष्ट शक्ति भागीदारों के बीच हुए करार में न दी गई हो और उसका प्रयोग सद्भावपूर्वक न किया गया हो। भागीदारी आपसी विश्वास पर आधारित होती है, इसलिए निष्कासन केवल विधिक शर्तों के अधीन ही संभव है।

97. (B) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, कोई भी ऐसा कार्य करने का करार जो अपने आप में असंभव है, पूर्णतः शून्य होता है। कानून किसी को भी असंभव कार्य को पूरा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य नहीं कर सकता है। चाहे वह असंभवता भौतिक हो या विधिक, ऐसा करार प्रारंभ से ही कोई विधिक प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। यदि पक्षों को संविदा के समय ही पता है कि कार्य असंभव है, तो विधि ऐसे समझौते को संविदा के रूप में मान्यता नहीं देती है।

98. (A) ऐसे करार जो प्रतिस्पर्धा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य अधिकार क्षेत्र उन करारों और प्रथाओं की जांच करना है जो भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसमें कार्टेल, मूल्य निर्धारण में हेरफेर और बाजार का अनुचित विभाजन जैसे गंभीर मामले सम्मिलित हैं। आयोग का कार्य सामान्य व्यावसायिक विवादों को सुलझाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि

बाज़ार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे और कोई भी उद्यम अपनी शक्ति का अनुचित उपयोग न कर सके।

99. (C) केवल भारतीय विधि में
प्रतिफल के समय के संबंध में भारतीय और अंग्रेजी विधि में स्पष्ट अंतर है। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान या भविष्यकालीन हो सकता है। इसका अर्थ है कि अतीत में की गई किसी स्वैच्छिक सेवा के बदले में दिया गया वचन भारत में विधिक रुप से वैध है। इसके विपरीत, अंग्रेजी विधि में 'भूतकालीन प्रतिफल' को सामान्यतः वैध प्रतिफल नहीं माना जाता है। भारत में प्रतिफल की परिभाषा बहुत व्यापक है और अतीत के कार्यों को विधिक आधार प्रदान करती है।

100. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संविदा करने की सक्षमता के लिए वयस्क होना एक अनिवार्य विधिक आवश्यकता है। चूँकि एक अवयस्क में कानून की दृष्टि में विधिक दायित्वों को समझने और सहमति देने की पूर्ण परिपक्वता नहीं मानी जाती, इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी करार 'प्रारंभ से ही शून्य' होता है। विधि अवयस्क को उसके कार्यों के विधिक परिणामों से सुरक्षा प्रदान करती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और एक-दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, जो संविदा अधिनियम के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है।

101. (C) प्रस्ताव के लिए निमंत्रण
नीलामी द्वारा विक्रय के मामले में, नीलामीकर्ता द्वारा माल का प्रदर्शन करना और बोलियाँ आमंत्रित करना केवल 'प्रस्ताव के लिए निमंत्रण' होता है। जब कोई व्यक्ति बोली लगाता है, तो वह वास्तव में एक 'प्रस्ताव' दे रहा होता है। संविदा तब निर्मित होती है जब नीलामीकर्ता हथौड़ा मारकर या किसी अन्य प्रथागत रीति से उस उच्चतम बोली को स्वीकार कर लेता है। यह प्रक्रिया स्पष्ट करती है कि विज्ञापन स्वयं प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव प्राप्त करने का माध्यम है।

102. (B) एक विक्रेता जिसे पूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, एक विक्रेता को 'अदत्त विक्रेता' तब माना जाता है जब उसे माल के लिए पूर्ण मूल्य का भुगतान या निविदा नहीं दी गई हो। इसमें वह स्थिति भी शामिल है जब विनिमय पत्र या चेक जैसे परक्राम्य लिखित भुगतान के रुप में प्राप्त हुए हों, लेकिन वे अनादृत हो गए हों। अदत्त विक्रेता को माल पर धारणाधिकार, मार्गस्थ माल रोकने और पुनर्विक्रय जैसे महत्वपूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके।

103. (D) तुर्कवांड नियम
आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत को 'तुर्कवांड नियम' के रूप में भी जाना जाता है, जो रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम तुर्कवांड के ऐतिहासिक मामले से उत्पन्न हुआ है। यह सिद्धांत उन बाहरी व्यक्तियों की रक्षा करता है जो कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करते हैं। इसके अनुसार, बाहरी व्यक्ति यह मान सकते हैं कि कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का विधिवत पालन किया गया है। यह आन्विक सूचना के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अपवाद है जो व्यापारिक सुगमता सुनिश्चित करता है।

104. (A) अपनी जानबूझकर की गई उपेक्षा से फर्म को हुई किसी भी हानि की क्षतिपूर्ति करना।
भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत, प्रत्येक भागीदार का यह विधिक कर्तव्य है कि वह फर्म के व्यवसाय के संचालन में अपनी जानबूझकर की गई उपेक्षा या त्रुटि से हुई हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करे। भागीदारों के बीच विश्वास का संबंध होता है, और यह दायित्व सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक भागीदार जिम्मेदारी से कार्य करे। गुप्त लाभ अर्जित करना या फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करना विधिक रूप से प्रतिषिद्ध है, क्योंकि ये कार्य भागीदारी के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं।

105. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
संविदा के निर्माण के लिए प्रस्थापना की स्वीकृति का प्रस्तावक को संसूचित किया जाना एक अनिवार्य विधिक आवश्यकता है। विधि की दृष्टि में केवल मानसिक सहमति या कोई ऐसी स्वीकृति जो प्रस्तावक तक न पहुँची हो, किसी संविदा का निर्माण नहीं करती है। स्वीकृति स्पष्ट, प्रत्यक्ष और प्रस्तावक के संज्ञान में आने वाली होनी चाहिए। चूँकि संविदा पक्षों के बीच वचनों का मिलन है, इसलिए संसूचना के बिना कोई विधिक बाध्यता उत्पन्न नहीं हो सकती है। अतः दोनों कथन सही हैं।

106. (A) व्यावसायिक असंभवता
संविदा का विसर्जन तब होता है जब पक्षों के दायित्व समाप्त हो जाते हैं। यह पालन, भंग, या आपसी समझौते द्वारा संभव है। हालांकि, 'व्यावसायिक असंभवता', जैसे कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि या कम लाभ, संविदा को विसर्जित करने का आधार नहीं बनती है। विधि यह मानती है कि व्यावसायिक जोखिमों का पूर्वानुमान पक्षों को होना चाहिए। निष्फलता का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब पालन भौतिक या विधिक रूप से असंभव हो जाए, न कि केवल आर्थिक रूप से कठिन।

107. (D) बिना सूचना के एक अकेले भागीदार द्वारा विघटन।
भागीदारी फर्म का विघटन सभी भागीदारों के बीच विधिक संबंधों की समाप्ति है। यह समझौते द्वारा, अनिवार्य कारणों से या न्यायालय के आदेश द्वारा किया जा सकता है। 'इच्छानुसार भागीदारी' के मामले में, कोई भी भागीदार अन्य सभी भागीदारों को लिखित सूचना देकर फर्म को भंग कर सकता है। बिना किसी सूचना के एक अकेले भागीदार द्वारा एकतरफा विघटन विधिक रूप से संभव नहीं है। भागीदारी का अंत भी उसी प्रकार विधिक प्रक्रियाओं के अधीन होता है जैसे कि उसका निर्माण।

108. (B) पीड़ित पक्ष को हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति करना।
संविदा भंग के मामले में नुकसानी प्रदान करने का प्राथमिक विधिक उद्देश्य पीड़ित पक्ष को हुई वास्तविक आर्थिक हानि की भरपाई करना है। यह उपचार प्रतिपूरक प्रकृति का होता है न कि दंडात्मक। इसका लक्ष्य पीड़ित पक्ष को उसी वित्तीय स्थिति

में रखना है, जिसमें वह तब होता यदि संविदा का विधिवत पालन किया गया होता। नुकसानी का निर्धारण करते समय केवल उन्हीं हानियों पर विचार किया जाता है जो संविदा भंग के प्रत्यक्ष और स्वाभाविक परिणाम के रूप में उत्पन्न हुई हों।

109. (C) कंपनी पंजीयक द्वारा प्रशासनिक समापन।
कंपनी अधिनियम के तहत समापन की मुख्य विधियां स्वैच्छिक समापन और न्यायाधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन हैं। 'न्यायालय की देखरेख में समापन' भी एक प्रचलित रूप रहा है। हालांकि, 'प्रशासनिक समापन' जैसी कोई विधिक प्रक्रिया कंपनी पंजीयक द्वारा नहीं की जाती है। पंजीयक केवल निष्क्रिय कंपनियों का नाम रजिस्टर से हटा सकता है, जो समापन की प्रक्रिया से भिन्न है। समापन में संपत्तियों का निपटान और ऋणों का भुगतान एक विधिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

110. (A) 1, 3, 2, 4
भारत में इन प्रमुख वाणिज्यिक अधिनियमों का विकास ऐतिहासिक रहा है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में अधिनियमित किया गया था, जो सबसे पुराना है। इसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में और कंपनी अधिनियम (मूल रूप से 1956, अब 2013) बाद में आए। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में आधुनिक बाजार नियामक के रूप में लाया गया। यह कालक्रम भारत में विधिक ढांचे के क्रमिक विकास और समय के साथ व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार कानूनों के विशिष्टीकरण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

111. (A) अनुयोज्य दावों और मुद्रा को छोड़कर प्रत्येक चल संपत्ति।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत 'माल' की परिभाषा में प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति शामिल है। इसमें स्टॉक, अंश, उगी हुई फसलें और घास जैसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें भूमि से अलग किया जा सकता है। हालांकि, इस परिभाषा से 'अनुयोज्य दावे' और 'मुद्रा' को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है और अनुयोज्य दावे केवल कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ही प्रवर्तित किए जा सकते हैं, इसलिए वे इस अधिनियम के तहत 'माल' की श्रेणी में नहीं आते।

112. (B) स्वतंत्र सहमति
"कन्सेन्सस एड इडेम" एक लैटिन विधिक सिद्धांत है जिसका अर्थ है 'एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होना'। यह स्वतंत्र सहमति और संविदा के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। यदि पक्षों के बीच संविदा के विषय या शर्तों को लेकर कोई वैचारिक मतभेद है, तो विधि की दृष्टि में कोई वास्तविक सहमति नहीं होती है। इस सिद्धांत की अनुपस्थिति में किसी भी संविदा को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह पक्षों के बीच वचनों के वास्तविक मिलन को दर्शाता है।

113. (D) 1, 2 और 3
संविदा विधि के अनुसार, प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। यह समय के संदर्भ में भूतकालीन, वर्तमान या भविष्यकालीन हो सकता है, जो इसकी व्यापकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, विधि यह मांग नहीं करती कि प्रतिफल पर्याप्त हो, लेकिन उसका वास्तविक और विधिक रूप से मूल्यवान होना अनिवार्य है। भ्रामक या असंभव प्रतिफल संविदा को वैध नहीं बना सकते। अतः ये तीनों कथन प्रतिफल के आवश्यक विधिक तत्वों को सही ढंग से परिभाषित करते हैं।

114. (A) आहरता
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, वह व्यक्ति जो विनिमय पत्र बनाता है या लिखता है, 'आहरता' कहलाता है। आहरता वह पक्ष है जो भुगतान करने का आदेश देता है। जिस व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है वह 'अदाकर्ता' होता है, और जिसे भुगतान प्राप्त करना होता है वह 'आदाता' कहलाता है। आहरता के हस्ताक्षर बिल की वैधता के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि वह ऋण के भुगतान के लिए आदेश जारी करने वाला मुख्य पक्ष होता है।

115. (C) विशिष्ट भागीदारी
जब कोई भागीदारी किसी एक विशेष व्यावसायिक उपक्रम या किसी निश्चित साहसिक कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से की जाती है, तो उसे 'विशिष्ट भागीदारी' कहा जाता है। ऐसी भागीदारी का अस्तित्व उस विशेष कार्य या उपक्रम के पूरा होने के साथ ही स्वतः समाप्त हो जाता है। यह 'इच्छानुसार भागीदारी' से भिन्न है, जिसमें कोई निश्चित अवधि या कार्य निर्धारित नहीं होता है। विशिष्ट भागीदारी का उपयोग प्रायः निर्माण परियोजनाओं या अल्पकालिक व्यापारिक सौदों के लिए किया जाता है।

116. (D) कंपनी के अनधिकृत कार्यों से सदस्यों और लेनदारों की।
शक्तिबाह्य का सिद्धांत कंपनी के संस्था के ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों के बाहर किए गए कार्यों को शून्य मानता है। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के सदस्यों और लेनदारों के हितों की रक्षा करना है। सदस्यों को यह आश्वासन मिलता है कि उनके धन का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, और लेनदारों को कंपनी की विधिक क्षमता की सीमा का पता रहता है। यह सिद्धांत कंपनी के प्रबंधन को उसकी विधिक शक्तियों के भीतर रहने के लिए विवश करता है।

117. (C) शून्यकरणीय संविदा है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(i) के अनुसार, एक करार जो उसके पक्षों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन दूसरे या अन्यों के विकल्प पर नहीं, वह शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। ऐसी स्थिति सामान्यतः तब उत्पन्न होती है जब सहमति स्वतंत्र नहीं होती है, जैसे कि प्रपीड़न या कपट के मामले में। पीड़ित पक्ष के पास यह विकल्प होता है कि वह संविदा को लागू करे या उसे विधिक रूप से रद्द कर दे।

118. (B) क्रेता संविदा को अस्वीकार कर सकता है।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, शर्त संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए एक अनिवार्य अनुबंध है। यदि विक्रेता किसी 'शर्त' का उल्लंघन करता है, तो यह संविदा के मूल आधार पर प्रहार करता है। ऐसी स्थिति में क्रेता को यह विधिक अधिकार प्राप्त

अस्तित्व या विक्रेता का उस पर स्वामित्व नहीं होता, इसलिए भावी माल की बिक्री हमेशा 'बेचने का एक करार' मानी जाती है, न कि तत्काल विक्रय। स्वामित्व का हस्तांतरण केवल तभी होता है जब माल अस्तित्व में आता है और वह परिदान योग्य स्थिति में होता है।

139. (D) केवल उन लेनदारों के प्रति जिन्होंने उसके प्रतिनिधित्व पर विश्वास करके ऋण प्रदान किया था।
'प्रदर्शन द्वारा' या 'विबंधन द्वारा' भागीदार वह व्यक्ति है जो वास्तव में फर्म का भागीदार नहीं है, लेकिन उसने स्वयं को भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया है। उसका विधिक दायित्व फर्म के सभी लेनदारों के प्रति नहीं होता, बल्कि केवल उन विशिष्ट लेनदारों के प्रति होता है जिन्होंने उसके इस प्रदर्शन या प्रतिनिधित्व पर विश्वास किया और उसके आधार पर फर्म को ऋण या ऋण सुविधा प्रदान की। यह सिद्धांत विश्वास पर आधारित विधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

140. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, बिना प्रतिफल के किया गया करार सामान्यतः शून्य होता है क्योंकि विधि केवल उन्हीं वचनों को लागू करती है जिनमें पक्षों के बीच विनिमय का कोई मूल्य हो। प्रतिफल वह मूल्य या कार्य है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष के वचन को खरीदने या प्राप्त करने के बदले में देता है। यह संविदा का एक अनिवार्य स्तंभ है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और एक-दूसरे की सही विधिक व्याख्या करते हैं, जो संविदा के मूल आधार को स्पष्ट करता है।

141. (C) मूल प्रस्ताव को अस्वीकृत करना।
जब कोई व्यक्ति किसी प्रस्थापना को स्वीकार करने के बजाय उसकी शर्तों में परिवर्तन करता है, तो इसे 'प्रति-प्रस्ताव' कहा जाता है। विधिक रूप से, प्रति-प्रस्ताव का प्रभाव मूल प्रस्थापना को पूर्णतः समाप्त या अस्वीकृत करना होता है। एक बार प्रति-प्रस्ताव दिए जाने के बाद, मूल प्रस्थापना विधिक रूप से समाप्त हो जाती है और स्वीकारकर्ता बाद में उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, जब तक कि प्रस्तावक दोबारा नया प्रस्ताव न दे। यह प्रस्ताव-स्वीकृति प्रक्रिया का महत्वपूर्ण नियम है।

142. (D) केवल वह विशिष्ट व्यक्ति जिसे वह दिया गया है।
एक 'विशिष्ट प्रस्ताव' वह होता है जो किसी एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ही दिया जाता है। संविदा विधि के अनुसार, ऐसे प्रस्ताव को केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसे वह प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो। कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे उसे प्रस्ताव की जानकारी हो, उसे स्वीकार करके विधिक रूप से बाध्यकारी संविदा नहीं बना सकता है। यह 'सामान्य प्रस्ताव' से भिन्न है जिसे जनसामान्य में से कोई भी शर्तों को पूरा करके स्वीकार कर सकता है।

143. (A) वचनात्मक विबंधन का सिद्धांत
वचनात्मक विबंधन का सिद्धांत एक न्यायसंगत नियम है जो किसी व्यक्ति को अपने दिए गए वचन से मुकरने से रोकता है, यदि दूसरे पक्ष ने उस वचन पर विश्वास करके अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है। यद्यपि ऐसे मामलों में औपचारिक संविदा या प्रतिफल का अभाव हो सकता है, लेकिन न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय वचन देने वाले को बाध्य कर सकता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से तब लागू होता है जब वचन से पीछे हटने पर दूसरे पक्ष को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना हो।

144. (B) अन्य सभी भागीदारों को लिखित सूचना देकर।
भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार, 'इच्छानुसार भागीदारी' में कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में, कोई भी भागीदार अपनी इच्छा से फर्म को भंग कर सकता है। इसके लिए उसे अन्य सभी भागीदारों को फर्म के विघटन के अपने इरादे की एक स्पष्ट लिखित सूचना देनी होती है। सूचना प्राप्त होने की तिथि से भागीदारी समाप्त मानी जाती है। यह विधिक प्रावधान भागीदारों को किसी भी समय बिना अदालती हस्तक्षेप के भागीदारी से बाहर निकलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

145. (B) कपट, यदि बोलने का कर्तव्य विद्यमान है।
संविदा विधि में सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं है, लेकिन इसके कुछ विधिक अपवाद हैं। यदि परिस्थितियों के अनुसार बोलना अनिवार्य है (जैसे कि विश्वास का संबंध) या यदि व्यक्ति का मौन स्वयं में बोलने के समकक्ष है, तो तथ्यों को छिपाना कपट माना जा सकता है। यहाँ यदि विक्रेता सक्रिय रूप से खरीदार के गलत विश्वास का लाभ उठाता है और उसके पास सच्चाई बताने का विधिक कर्तव्य है, तो यह कृत्य कपटपूर्ण माना जाएगा जो संविदा को दूषित करता है।

146. (A) व्यवसाय में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक का अधिकार।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, जब तक कि भागीदारों के बीच इसके विपरीत कोई स्पष्ट करार न हो, कोई भी भागीदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक या वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं है। भागीदारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लाभ के अपने हिस्से के बदले में व्यवसाय के लिए कार्य करें। लाभों को साझा करना, लेखा बहियों का निरीक्षण करना और विधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करना उनके वैधानिक अधिकार हैं, लेकिन वेतन प्राप्त करना संविदात्मक अधिकार है।

147. (C) समाश्रित संविदा
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, समाश्रित संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें वचन का निष्पादन किसी भावी अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने पर आधारित होता है। यह घटना संविदा के लिए संपार्श्विक होनी चाहिए। यदि घटना घटित होती है (या नहीं होती है, जैसा भी मामला हो), तभी संविदा प्रवर्तनीय होती है। बीमा की संविदाएं इसका सबसे व्यापक उदाहरण हैं। यह बाजी के करार से भिन्न है क्योंकि इसमें पक्षों का वास्तविक विधिक हित निहित होता है।

148. (D) अनिवार्य समापन
जब किसी कंपनी का समापन राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा किया जाता है, तो उसे 'अनिवार्य समापन' कहा जाता है। यह न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी

निर्देश देता है कि वह एक निश्चित राशि का भुगतान केवल एक विशिष्ट व्यक्ति को, उसके आदेश पर, या लिखत के वाहक को करे। यह वचन पत्र से भिन्न है क्योंकि इसमें वचन के बजाय आदेश होता है, और चेक से भिन्न है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति पर आहरित हो सकता है।

129. (B) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) एक प्रमुख विधिक और विनियामक प्राधिकरण है जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका मुख्य कार्य बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों की जांच करना और प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना है। आयोग के पास जांच करने, जुर्माना लगाने और उपचारात्मक आदेश जारी करने की व्यापक शक्तियाँ हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय बाजार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो और व्यापार निष्पक्ष हो।

130. (A) इच्छानुसार भागीदारी
भारतीय भागीदारी अधिनियम के अनुसार, 'इच्छानुसार भागीदारी' वह है जिसमें फर्म की अवधि या उसके समापन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होता है। ऐसी भागीदारी में, कोई भी भागीदार अन्य सभी भागीदारों को लिखित रूप में 'सूचना' देकर फर्म को भंग करने की अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। सूचना में दी गई तिथि से या सूचना प्राप्त होने की तिथि से फर्म का विघटन प्रभावी माना जाता है। अन्य प्रकार की भागीदारियों में विघटन के लिए विशिष्ट विधिक प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं।

131. (C) तथ्य की द्विपक्षीय भूल के कारण शून्य।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, यदि संविदा के दोनों पक्ष किसी ऐसे तथ्य की भूल पर हैं जो संविदा के लिए अनिवार्य है, तो वह करार शून्य होता है। यहाँ घोड़ा संविदा की मुख्य विषय-वस्तु है, और संविदा के समय उसका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था। चूँकि दोनों पक्ष इस तथ्य से अनभिज्ञ थे, इसलिए उनके बीच कोई वास्तविक विधिक सहमति नहीं बन सकी। अतः यह द्विपक्षीय भूल का मामला है जो संविदा को विधिक रूप से शून्य बनाता है।

132. (D) संस्था का ज्ञापन और अंतर्नियम।
'आन्विक सूचना का सिद्धांत' एक विधिक धारणा है जिसके अनुसार कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके सार्वजनिक दस्तावेजों का ज्ञान माना जाता है। संस्था का ज्ञापन और अंतर्नियम कंपनी पंजीयक के पास पंजीकृत सार्वजनिक दस्तावेज हैं। अतः विधि यह मानती है कि बाहरी व्यक्तियों ने इन्हें पढ़ लिया है और वे कंपनी की शक्तियों और सीमाओं से परिचित हैं। यह सिद्धांत कंपनी को उन बाहरी व्यक्तियों के दावों से बचाता है जो इन विधिक सीमाओं के अनभिज्ञ होने का तर्क देते हैं।

133. (B) केवल 1 और 2
कंपनी का समापन वह विधिक प्रक्रिया है जो कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने (विघटन) की दिशा में प्रथम चरण है। इस दौरान एक निस्तारक नियुक्त किया जाता है जो संपत्तियों के निपटान और दायित्वों के भुगतान का कार्य करता है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि समापन के दौरान कंपनी केवल अपने समापन के लाभप्रद संचालन के लिए आवश्यक सीमा तक ही अपना व्यवसाय जारी रख सकती है। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 पूर्णतः सत्य नहीं है।

134. (B) लेनदार से पहले मुख्य ऋणी पर वाद लाने की मांग करने का अधिकार।
प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के साथ सम-विस्तारी होता है। इसका विधिक अर्थ यह है कि लेनदार मुख्य ऋणी के विरुद्ध कार्रवाई किए बिना भी सीधे प्रतिभू से भुगतान की मांग कर सकता है। प्रतिभू लेनदार को विवश नहीं कर सकता कि वह पहले मुख्य ऋणी पर वाद लाए। हालांकि, भुगतान करने के पश्चात प्रतिभू को प्रत्यासन और क्षतिपूर्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे वह मुख्य ऋणी से अपनी राशि वसूल कर सकता है।

135. (D) तीन दिन
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, चेक के अतिरिक्त अन्य समय-आधारित लिखतों, जैसे कि वचन पत्र और विनिमय पत्र, के भुगतान के लिए परिपक्वता तिथि की गणना करते समय तीन दिन की 'रियायती अवधि' (Days of Grace) जोड़ी जाती है। यह एक सुस्थापित विधिक परंपरा और नियम है जो ऋणी को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है। लिखत की देय तिथि रियायती अवधि के तीसरे दिन के बाद ही प्रभावी मानी जाती है।

136. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
भागीदारी के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ का साझा करना पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, क्योंकि यह ऋणदाताओं या कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। भागीदारी का वास्तविक विधिक परीक्षण 'पारस्परिक एजेंसी' है, जहाँ प्रत्येक भागीदार दूसरे का प्रधान और अभिकर्ता दोनों होता है। यदि भागीदारों के बीच एक-दूसरे को बाध्य करने की शक्ति मौजूद है, तभी भागीदारी का संबंध सिद्ध होता है। अतः कथन II सही है, जबकि कथन I विधिक रूप से निर्णयात्मक नहीं है।

137. (C) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, यदि किसी करार का उद्देश्य अवैध है या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, तो वह करार विधिक रूप से शून्य माना जाता है। डकैती जैसे आपराधिक कृत्य से होने वाले लाभ को साझा करने का करार पूर्णतः अवैध है क्योंकि यह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। कानून ऐसे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं देता और न ही इसे न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ऐसे करार प्रारंभ से ही प्रभावहीन होते हैं।

138. (A) बेचने का एक करार।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, 'भावी माल' वह माल है जिसे संविदा के समय विक्रेता द्वारा निर्मित, उत्पादित या अधिग्रहित किया जाना शेष है। चूँकि संविदा के समय माल का

का पर्याप्त आधार नहीं मानता है। भागीदारी का विधिक अंत केवल तभी होता है जब व्यवसाय को जारी रखना असंभव या अनुचित हो।

177. (B) समाश्रित संविदा
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, यह एक समाश्रित संविदा का सटीक उदाहरण है। यहाँ 10,000 रुपये देने का वचन एक भावी अनिश्चित घटना (घर का जलना) के घटित होने पर निर्भर है। यह घटना संविदा के लिए संपार्श्विक है क्योंकि इसका उद्देश्य हानि से सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसी संविदाएं विधिक रूप से प्रवर्तनीय होती हैं बशर्ते घटना घटित हो जाए। यह बाजी के करार से भिन्न है क्योंकि इसमें पीड़ित पक्ष का घर के प्रति वास्तविक बीमा योग्य विधिक हित मौजूद है।

178. (A) दो समानांतर तिरछी रेखाएं।
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, चेक का 'सामान्य रेखांकन' उसके मुख भाग पर दो समानांतर तिरछी रेखाएं खींचकर किया जाता है। इन रेखाओं के बीच "एंड कंपनी" या "परक्राम्य नहीं" जैसे शब्द लिखे जा सकते हैं, लेकिन वे अनिवार्य नहीं हैं। रेखांकन का मुख्य विधिक प्रभाव यह है कि बैंक इस चेक का नकद भुगतान काउंटर पर नहीं करेगा। इसकी राशि केवल किसी बैंक खाते के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाती है।

179. (C) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
'प्रतिफल' शब्द को भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) में विस्तार से परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, विरति या वचन हो सकता है। संविदा के निर्माण के लिए प्रतिफल एक अनिवार्य तत्व है, क्योंकि बिना प्रतिफल के किए गए करार (कुछ अपवादों को छोड़कर) विधिक रूप से शून्य होते हैं। यह अधिनियम भारत में सभी प्रकार की संविदाओं के लिए मूलभूत विधिक ढांचा प्रदान करता है।

180. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
'शक्तिबाह्य का सिद्धांत' यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कंपनी की पूंजी का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाए जिनके लिए सदस्य सहमत हुए हैं। यह लेनदारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि वे कंपनी की विधिक क्षमता की सीमाओं को जान सकते हैं। चूँकि उद्देश्य खंड के बाहर का कोई भी कार्य शून्य होता है और कंपनी पर बाध्यकारी नहीं होता, इसलिए यह सिद्धांत निवेश को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और विधिक तर्कसंगतता को स्पष्ट करते हैं।

181. (C) किसी भी करार की अनुपस्थिति में विधि द्वारा आरोपित की जाती है।
'कल्प-संविदा' (Quasi-contract) वास्तव में कोई संविदा नहीं है क्योंकि इसमें पक्षों के बीच किसी भी प्रकार की प्रस्थापना या स्वीकृति का अभाव होता है। यह अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकने के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ कानून एक पक्ष पर दायित्व आरोपित करता है ताकि वह दूसरे पक्ष की कीमत पर अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी दूसरे के घर सामान छोड़ देता है, तो प्राप्तकर्ता को उसका विधिक भुगतान करना होगा। यह दायित्व कानून द्वारा निर्मित होता है।

182. (B) अभिकर्ता हो सकता है।
भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, यद्यपि एक अवयस्क स्वयं संविदा करने के लिए अक्षम है, लेकिन वह एक अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। इसका कारण यह है कि अभिकर्ता के कार्यों से प्रधान बाध्य होता है, न कि अभिकर्ता स्वयं। अतः एक अवयस्क अपने प्रधान और तीसरे पक्ष के बीच विधिक संबंध स्थापित कर सकता है। हालांकि, वह अपने कार्यों के लिए प्रधान के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। यह प्रधान का जोखिम है कि उसने संविदात्मक कार्यों के लिए एक अवयस्क को नियुक्त किया है।

183. (D) भागीदारों के बीच संविदा या करार द्वारा।
भागीदारी अधिनियम भागीदारों को अपने आपसी अधिकार और कर्तव्य स्वयं निर्धारित करने की व्यापक स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये नियम सामान्यतः एक लिखित विलेख, जिसे 'भागीदारी विलेख' कहा जाता है, के माध्यम से तय किए जाते हैं। यद्यपि अधिनियम में कुछ मानक प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भागीदारों के आपसी समझौते द्वारा परिवर्तित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह करार स्पष्ट या विवक्षित दोनों प्रकार का हो सकता है। अतः भागीदारों के बीच की संविदा ही उनके विधिक संबंधों का मुख्य नियामक है।

184. (A) उनके द्वारा धारित अंशों पर अदत्त राशि, यदि कोई हो।
अंशों द्वारा सीमित कंपनी में 'सीमित दायित्व' का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। इसका विधिक अर्थ यह है कि कंपनी के ऋणों के लिए सदस्यों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व केवल उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य पर बकाया राशि तक ही सीमित है। यदि किसी सदस्य ने अपने अंशों का पूर्ण भुगतान कर दिया है, तो कंपनी के समापन के समय उससे कोई अतिरिक्त राशि नहीं मांगी जा सकती है। उसकी व्यक्तिगत संपत्ति कंपनी के दायित्वों को चुकाने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है।

185. (C) केवल उल्लंघन के लिए नुकसानी का दावा कर सकता है।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, वारंटी एक ऐसा अनुबंध है जो संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक या संपार्श्विक होता है। शर्त के विपरीत, वारंटी का उल्लंघन इतना गंभीर नहीं माना जाता कि वह संविदा को ही समाप्त कर दे। इसलिए, यदि विक्रेता वारंटी का उल्लंघन करता है, तो क्रेता माल को वापस नहीं कर सकता और न ही संविदा को रद्द कर सकता है। उसका एकमात्र विधिक उपचार विक्रेता से उस उल्लंघन के कारण हुई आर्थिक हानि के लिए नुकसानी प्राप्त करना है।

अधिनियम में निर्दिष्ट विशिष्ट आधारों पर किया जाता है, जैसे कि ऋण चुकाने में असमर्थता, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध कार्य, या जब न्यायाधिकरण को लगे कि समापन करना 'उचित और न्यायसंगत' है। यह सदस्यों या लेनदारों द्वारा किए जाने वाले स्वैच्छिक समापन से भिन्न है, क्योंकि इसमें विधिक हस्तक्षेप अनिवार्य होता है।

149. (C) परक्राम्य लिखित अधिनियम: विनिमय पत्र, वचन पत्र और चेक को परिभाषित करता है।
परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 का मुख्य उद्देश्य विनिमय पत्र, वचन पत्र और चेक जैसे परक्राम्य लिखतों के उपयोग को विनियमित करना और उन्हें परिभाषित करना है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि वस्तु विक्रय अधिनियम केवल चल संपत्ति से संबंधित है, भागीदारी अधिनियम केवल फर्मों के लिए है, और प्रतिस्पर्धा अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को प्रतिषिद्ध करता है न कि प्रोत्साहित। अतः केवल विकल्प (C) ही अधिनियम और उसके विधिक कार्यक्षेत्र का सही मिलन प्रस्तुत करता है, जो आधुनिक वाणिज्य का आधार है।

150. (B) प्रपीड़न
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, 'प्रपीड़न' का अर्थ है संविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को विवश करने के लिए कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिषिद्ध है। न्यायालयों ने यह स्थापित किया है कि आत्महत्या की धमकी देना प्रपीड़न की श्रेणी में आता है क्योंकि यह कानून द्वारा वर्जित कार्य की धमकी है। प्रपीड़न के प्रभाव में ली गई सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाती और ऐसी संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है।

151. (D) कंपनी की तकनीकी क्षमता के निर्धारण के लिए।
'निगमित आवरण हटाने' का सिद्धांत एक असाधारण विधिक उपाय है जिसका उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि कपट को रोकना, कर चोरी की जांच करना या शत्रु चरित्र का निर्धारण करना। इसका उद्देश्य कंपनी के पृथक विधिक व्यक्तित्व के पीछे छिपी वास्तविक विधिक स्थिति को जानना है। कंपनी की तकनीकी क्षमता या व्यावसायिक दक्षता का निर्धारण करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह विधिक जवाबदेही के बजाय परिचालन संबंधी मूल्यांकन का विषय है।

152. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
भारतीय संविदा अधिनियम और मोहरी बीबी के मामले के अनुसार, अवयस्क के साथ किया गया करार शून्यकरणीय नहीं बल्कि 'प्रारंभ से ही शून्य' होता है। हालांकि, विधि अवयस्क को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है और वह एक संविदा के तहत 'वचनग्रहीता' या 'लाभार्थी' बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक अवयस्क अपने पक्ष में किए गए गिरवी या वचन पत्र के लाभ प्राप्त कर सकता है। अतः कथन I विधिक रुप से गलत है क्योंकि अवयस्क के करार कभी वैध नहीं होते, जबकि कथन II सही है।

153. (C) कोई भी वह वस्तु नहीं दे सकता जो उसके स्वामित्व में नहीं है।
'नेमो डेट क्वॉड नॉन हैबेट' एक मौलिक विधिक सिद्धांत है जो यह स्थापित करता है कि कोई भी विक्रेता क्रेता को माल का उससे बेहतर स्वत्व या स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकता जितना कि उसके पास स्वयं है। यदि विक्रेता माल का वास्तविक स्वामी नहीं है, तो क्रेता को भी विधिक स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद हैं (जैसे कि बाजार ओवरवर्ट में बिक्री), लेकिन यह नियम व्यापार में स्वामित्व की सुरक्षा और क्रेता की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

154. (A) बाजी का करार
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, बाजी का करार वह है जिसमें पक्षों का एकमात्र उद्देश्य किसी अनिश्चित घटना के परिणाम पर धन जीतना या हारना होता है। यहाँ वर्षा का होना या न होना एक ऐसी घटना है जिस पर पक्षों का कोई नियंत्रण नहीं है और उनका कोई अन्य विधिक हित भी नहीं है। ऐसे करार विधिक रुप से शून्य होते हैं और इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। यह समाश्रित संविदा से भिन्न है क्योंकि इसमें कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं होता।

155. (D) 1, 2 और 3
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का मुख्य ढांचा इन तीन स्तंभों पर आधारित है। यह अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी करारों को प्रतिबंधित करता है, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकता है और बड़े विलय एवं अधिग्रहणों (संयोजनों) को विनियमित करता है ताकि बाजार में एकाधिकार न बने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास इन तीनों क्षेत्रों में जांच करने और आदेश पारित करने की व्यापक शक्तियाँ हैं। अतः ये तीनों तत्व अधिनियम के प्राथमिक कार्यों और उद्देश्यों का सही वर्णन करते हैं जो निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करते हैं।

156. (B) फर्म का पुनर्गठन।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, जब कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त होता है, तो भागीदारों के आपसी विधिक संबंधों में परिवर्तन होता है, जिसे 'फर्म का पुनर्गठन' कहा जाता है। सेवानिवृत्ति से फर्म का अस्तित्व स्वतः समाप्त नहीं होता है, बशर्ते शेष भागीदार व्यवसाय को जारी रखने के लिए सहमत हों। पुनर्गठन के दौरान, सेवानिवृत्त होने वाले भागीदार के अधिकारों और दायित्वों का निपटान किया जाता है और व्यवसाय की निरंतरता बनी रहती है। यह फर्म के विघटन से पूर्णतः भिन्न विधिक प्रक्रिया है।

157. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारतीय संविदा अधिनियम के विभिन्न खंड संविदा के मूलभूत स्तंभों को परिभाषित करते हैं। स्वतंत्र सहमति का अर्थ है प्रपीड़न या असम्यक असर का न होना। वैध प्रतिफल को 'क्विड प्रो कुओ' के रुप में समझा जाता है। संविदा करने की सक्षमता के संदर्भ में अवयस्क के साथ किए गए करार को शून्य माना गया है। अंततः, निष्फलता का सिद्धांत 'आकस्मिक असंभवता' से संबंधित है जहाँ संविदा का पालन असंभव हो

है कि वह संविदा को पूरी तरह से रद्द कर दे और माल को अस्वीकृत कर दे। इसके अतिरिक्त, वह हुए नुकसान के लिए नुकसानी का दावा भी कर सकता है। यह वारंटी के उल्लंघन से अधिक गंभीर उपचार प्रदान करता है।

119. (D) क्षैतिज करार।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अंतर्गत, कार्टेल या गुटबंदी एक प्रकार का 'क्षैतिज करार' है जो आपूर्ति श्रृंखला के एक ही स्तर पर कार्य करने वाले प्रतिस्पर्धियों के बीच होता है। ऐसे करार कीमतों को निर्धारित करने, उत्पादन को सीमित करने या बाजारों को साझा करने के लिए किए जाते हैं। विधि के अनुसार, कार्टेल का प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव माना जाता है और ये पूर्णतः प्रतिषिद्ध हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ऐसे करारों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करता है ताकि उपभोक्ता हितों की रक्षा हो सके।

120. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, फर्म के ऋणों के लिए प्रत्येक भागीदार का दायित्व संयुक्त और पृथक होता है। इसका अर्थ है कि सभी भागीदार मिलकर उत्तरदायी हैं, और साथ ही प्रत्येक भागीदार व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण ऋण के लिए उत्तरदायी है। लेनदार अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक भागीदार से पूर्ण भुगतान की मांग कर सकता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि 'पृथक' दायित्व का सिद्धांत ही लेनदार को किसी भी एक भागीदार पर वाद लाने का अधिकार देता है।

121. (C) अवयस्क को विशिष्ट वस्तुएं वापस करने के लिए विवश किया जा सकता है यदि वे अभी भी उसके कब्जे में हैं।
अवयस्क के साथ संविदा शून्य होने के बावजूद, न्याय के सिद्धांतों के अनुसार 'प्रत्यास्थापन' का नियम लागू होता है। यदि किसी अवयस्क ने कपटपूर्वक अपनी आयु छिपाकर कोई लाभ प्राप्त किया है, तो उसे वह विशिष्ट संपत्ति या वस्तु वापस करने के लिए कहा जा सकता है, बशर्ते वह अभी भी उसके पास मौजूद हो। हालांकि, अवयस्क को मौद्रिक भुगतान या ऋण वापस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे संविदा की शून्यता का सिद्धांत प्रभावित होगा।

122. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
भागीदारी में विभिन्न प्रकार के भागीदार होते हैं जो अपनी भूमिका और दायित्व के आधार पर भिन्न होते हैं। सक्रिय भागीदार वह है जो व्यवसाय का संचालन करता है। सुप्त भागीदार केवल पूंजी लगाता है और लाभ साझा करता है, लेकिन प्रबंधन में भाग नहीं लेता। नाममात्र का भागीदार केवल अपना नाम देता है ताकि फर्म की साख बढ़े। अंततः, विबंधन द्वारा भागीदार वह है जो वास्तव में भागीदार नहीं है लेकिन आचरण से ऐसा प्रदर्शित करता है और उत्तरदायी होता है।

123. (D) पृथक विधिक इकाई
निगमित आवरण हटाने का सिद्धांत 'पृथक विधिक इकाई' के मूलभूत सिद्धांत का एक प्रमुख अपवाद है। सामान्यतः विधि कंपनी और उसके सदस्यों को अलग मानती है, लेकिन जब इस पृथकता का उपयोग अवैध या कपटपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है, तो न्यायालय इस आवरण को हटा देता है। ऐसा करने पर कंपनी के विधिक व्यक्तित्व की उपेक्षा की जाती है और इसके पीछे के वास्तविक व्यक्तियों को उनके कार्यों के लिए सीधे तौर पर विधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।

124. (B) शून्यकरणीय
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 16 और 19 के अनुसार, जब किसी पक्ष की सहमति 'असम्यक असर' द्वारा प्राप्त की जाती है, तो संविदा उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी। असम्यक असर में एक पक्ष दूसरे की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी प्रभुत्वशाली स्थिति का उपयोग करता है। पीड़ित पक्ष न्यायालय के माध्यम से ऐसी संविदा को रद्द करने का विधिक अधिकार रखता है।

125. (C) मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार नहीं है।
'विनिर्दिष्ट अनुपालन' एक न्यायसंगत उपचार है जहाँ न्यायालय पक्ष को संविदा के अनुसार अपना वचन निभाने का आदेश देता है। यह उपचार केवल तभी दिया जाता है जब संविदा भंग के लिए सामान्य मौद्रिक नुकसानी एक पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अचल संपत्ति या दुर्लभ वस्तुओं के विक्रय की संविदा के मामलों में नुकसानी से पूर्ण न्याय नहीं मिल सकता। यह उपचार प्रदान करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और विधिक न्याय सुनिश्चित करता है।

126. (D) व्यावसायिक कठिनाई के कारण पालन में जटिलता।
निष्फलता का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब कोई बाहरी घटना पालन को भौतिक या विधिक रूप से असंभव बना दे। 'व्यावसायिक कठिनाई', जैसे कि कच्चे माल की कमी, कीमतों में वृद्धि या कम लाभ, संविदा को निष्फल नहीं बनाती है। विधि यह मानती है कि व्यावसायिक जोखिमों का पूर्वानुमान पक्षों को होना चाहिए और केवल पालन का कठिन या महंगा होना संविदा को विसर्जित करने का आधार नहीं है। अन्य विकल्प आकस्मिक असंभवता के वास्तविक विधिक उदाहरण हैं।

127. (A) दिवालिया हो जाता है।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, अदत्त विक्रेता के पास 'मार्गस्थ माल रोकने का अधिकार' एक विशेष अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विक्रेता ने माल का कब्जा छोड़ दिया हो, माल अभी भी वाहक के पास मार्ग में हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रेता दिवालिया हो गया हो। इस अधिकार का प्रयोग करके विक्रेता माल का कब्जा पुनः प्राप्त कर सकता है और मूल्य चुकाए जाने तक उसे रोक सकता है।

128. (B) विनिमय पत्र
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, विनिमय पत्र एक लिखित लिखत है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक बिना शर्त आदेश होता है। इसमें निर्माता एक निश्चित व्यक्ति को

(Liquidator) कहा जाता है। निस्तारक का मुख्य कार्य कंपनी की सभी संपत्तियों का कब्जा लेना, उन्हें बेचना और प्राप्त धनराशि से कंपनी के लेनदारों के ऋणों का भुगतान करना है। यदि कोई राशि शेष बचती है, तो वह उसे अंशधारकों के बीच वितरित करता है। निस्तारक कंपनी के मामलों को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने और उसके विधिक अंत (विघटन) का मार्ग प्रशस्त करता है।

168. (A) नाममात्र की नुकसानी
जब संविदा का उल्लंघन होता है और पीड़ित पक्ष को विधिक अधिकार का उल्लंघन तो हुआ है, लेकिन कोई वास्तविक वित्तीय हानि नहीं हुई है, तो न्यायालय 'नाममात्र की नुकसानी' प्रदान करता है। इसमें दी गई राशि बहुत कम या केवल प्रतीकात्मक होती है। इसका उद्देश्य पीड़ित पक्ष को आर्थिक क्षतिपूर्ति देना नहीं, बल्कि केवल उसके विधिक अधिकार की पुष्टि करना और यह घोषित करना है कि प्रतिवादी ने संविदा भंग की है। यह न्याय के सिद्धांत 'बिना हानि के क्षति' को दर्शाता है।

169. (C) अवयस्क के साथ किए गए करार को वयस्क होने पर अनुसमर्थित किया जा सकता है।
संविदा विधि के अनुसार, एक अवयस्क के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। विधिक रूप से, जो वस्तु प्रारंभ में ही शून्य है, उसका बाद में अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति वयस्क होने के बाद भी अपने अवयस्कता के दौरान किए गए करार को स्वीकार करना चाहता है, तो उसे नए प्रतिफल के साथ एक नई संविदा करनी होगी। विकल्प (C) गलत है क्योंकि शून्य करार को वयस्कता के आधार पर विधिक वैधता नहीं दी जा सकती।

170. (A) प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग।
'विनाशकारी मूल्य निर्धारण' एक ऐसी रणनीति है जहाँ एक प्रभुत्वशाली उद्यम अपनी वस्तुओं या सेवाओं की कीमत लागत से भी कम कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धियों को बाहर करना या नए प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को रोकना होता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत इसे प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग माना जाता है और यह पूर्णतः प्रतिषिद्ध है। ऐसी प्रथाएं अंततः प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर उपभोक्ताओं के हितों को हानि पहुँचाती हैं, इसलिए विनियामक इन पर कड़ी नज़र रखते हैं।

171. (D) संविदा करते समय संविदा और उसके प्रभावों को समझने में समर्थ है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, संविदा करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति को तब स्वस्थ चित्त का माना जाता है जब वह संविदा करते समय उसे समझने और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम हो। मानसिक स्वास्थ्य की यह स्थिति संविदा के समय विद्यमान होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अस्वस्थ चित्त का है लेकिन संविदा करते समय वह स्वस्थ अंतराल में है, तो वह एक वैध संविदा करने के लिए विधिक रूप से सक्षम माना जाता है।

172. (B) प्रधान और अभिकर्ता का।
भागीदारी का मूल विधिक आधार पारस्परिक एजेंसी का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भागीदार व्यवसाय के संचालन में अन्य सभी भागीदारों का अभिकर्ता भी है और प्रधान भी। एक भागीदार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए कार्य अन्य सभी भागीदारों को उसी प्रकार बाध्य करते हैं जैसे एक अभिकर्ता के कार्य प्रधान को बाध्य करते हैं। यह संबंध अत्यधिक विश्वास पर आधारित होता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के विधिक और व्यावसायिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है।

173. (C) उन बाह्य व्यक्तियों के लिए जो अनियमितताओं के ज्ञान के बिना कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं।
'आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत' उन बाहरी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक और विधिक रीति से लेन-देन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, बाहरी व्यक्तियों को कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं की सूक्ष्म जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वे यह मान सकते हैं कि कंपनी के आंतरिक नियमों का विधिवत पालन किया गया है। यह सिद्धांत व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देता है क्योंकि बाहरी व्यक्तियों को कंपनी की गुप्त फाइलों या आंतरिक बैठकों तक पहुँचने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

174. (D) 1, 2 और 3
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत विनिमय पत्र के तीनों पक्ष अपनी विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं। आहरता वह व्यक्ति है जो बिल बनाता है और भुगतान का आदेश देता है। अदाकर्ता वह व्यक्ति या संस्था है जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, और स्वीकृति के बाद वह स्वीकर्ता बन जाता है। आदाता वह पक्ष है जिसे लिखत में निर्दिष्ट धनराशि प्राप्त करने का विधिक अधिकार होता है। अतः ये तीनों कथन विनिमय पत्र के पक्षों की विधिक स्थिति और उनके कार्यों का सही वर्णन करते हैं।

175. (A) विक्रय की संविदा
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, विक्रय की संविदा का मुख्य तत्व माल के स्वामित्व या स्वत्व का हस्तांतरण है। यहाँ विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले में माल का पूर्ण विधिक स्वामित्व क्रेता को सौंपने के लिए सहमत होता है। यह उपनिधान या गिरवी से भिन्न है क्योंकि उनमें केवल कब्जा हस्तांतरित होता है, स्वामित्व नहीं। स्वामित्व का यह हस्तांतरण संविदा का सार है, जिससे क्रेता माल का वास्तविक स्वामी बन जाता है और उससे संबंधित सभी जोखिम और लाभ प्राप्त करता है।

176. (B) एक भागीदार मामूली दुराचरण का दोषी है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।
न्यायालय भागीदारी फर्म के विघटन का आदेश कई गंभीर आधारों पर दे सकता है, जैसे कि भागीदार का विकृत चित्त होना, स्थायी अक्षमता, या ऐसा दुराचरण जो व्यवसाय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। हालांकि, यदि कोई भागीदार किसी ऐसे मामूली दुराचरण का दोषी है जिसका फर्म के व्यवसाय से कोई सीधा संबंध नहीं है, तो न्यायालय उसे फर्म के विघटन

195. (C) नियत तिथि से पूर्व स्वयं को संविदा का पालन करने में असमर्थ बना लेता है।
संविदा का 'अग्रिम भंग' (Anticipatory Breach) तब होता है जब पालन की नियत तिथि आने से पहले ही कोई पक्ष स्पष्ट रूप से पालन करने से इनकार कर देता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे पालन असंभव हो जाए। ऐसी स्थिति में, पीड़ित पक्ष के पास दो विधिक विकल्प होते हैं: या तो वह तुरंत संविदा को भंग मानकर नुकसानी के लिए वाद लाए, या वह नियत तिथि तक प्रतीक्षा करे। यह सिद्धांत पक्षों को समय से पूर्व उपचार प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान करता है।

196. (D) उस विवरण के अधीन व्यावसायिक रूप से विक्रय योग्य है जिसके अंतर्गत वह बेचा गया था।
वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत 'वाणिज्यिक गुणवत्ता' (Merchantable Quality) की विवक्षित शर्त का अर्थ है कि माल में कोई ऐसा गुप्त दोष नहीं होना चाहिए जो उसे सामान्य व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दे। माल उस विवरण और उद्देश्य के लिए फिट होना चाहिए जिसके लिए उसे बाजार में बेचा जाता है। यदि कोई साधारण व्यक्ति माल की जांच करने के बाद उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो उसे वाणिज्यिक गुणवत्ता का माना जाता है। यह नियम उपभोक्ता को दोषपूर्ण माल से विधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

197. (C) दस
पुराने विधिक प्रावधानों और कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली भागीदारी फर्म में भागीदारों की अधिकतम संख्या दस निर्धारित की गई थी। अन्य सामान्य व्यवसायों के लिए यह सीमा बीस थी। हालांकि, आधुनिक कंपनी अधिनियम और नियमों में इन सीमाओं को संशोधित कर पचास तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण ऐतिहासिक रूप से यह सीमा कम रखी गई थी। वर्तमान में, विधिक सीमाओं का उल्लंघन करने वाली भागीदारी को 'अवैध संघ' माना जाता है जो दंडनीय है।

198. (B) अतीत की स्वैच्छिक सेवा के लिए।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25(2) के अनुसार, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है, लेकिन 'अतीत की स्वैच्छिक सेवा' इसके लिए एक प्रमुख विधिक अपवाद है। यदि किसी व्यक्ति ने वचनदाता के लिए पहले ही कुछ स्वैच्छिक कार्य किया है और वचनदाता बाद में उसके लिए क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है, तो ऐसा वचन विधिक रूप से प्रवर्तनीय है। यह नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि यद्यपि प्रतिफल अतीत का है, लेकिन वह वचन को विधिक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

199. (D) संविदा शून्य है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 के अनुसार, जब संविदा के दोनों पक्ष किसी ऐसे तथ्य के बारे में भूल पर होते हैं जो करार के लिए अनिवार्य है, तो वह करार विधिक रूप से शून्य माना जाता है। इसे 'द्विपक्षीय भूल' कहा जाता है क्योंकि इसमें पक्षों के बीच वास्तविक वैचारिक सहमति (Consensus ad idem) का पूर्ण अभाव होता है। कानून की दृष्टि में ऐसा समझौता कभी अस्तित्व में ही नहीं आता। यह एकतरफा भूल से भिन्न है, जहाँ संविदा सामान्यतः शून्य नहीं होती है।

200. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
प्रत्याभूति की संविदा में प्रतिभू का दायित्व 'द्वितीयक' या 'समाश्रित' प्रकृति का होता है। इसका विधिक अर्थ यह है कि भुगतान करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व हमेशा मुख्य ऋणी का होता है। प्रतिभू केवल तभी उत्तरदायी बनता है जब मुख्य ऋणी अपने दायित्व का पालन करने में विफल रहता है (व्यतिक्रम करता है)। यद्यपि लेनदार सीधे प्रतिभू पर वाद ला सकता है, लेकिन विधिक आधार मुख्य ऋणी की विफलता ही होती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और विधिक स्थिति की सटीक व्याख्या करते हैं।

201. (C) नवीनयन।
संविदा का विसर्जन विभिन्न तरीकों से हो सकता है। 'विधि के प्रवर्तन' द्वारा विसर्जन में पक्षों की मृत्यु, दिवालियापन या अधिकारों का संमिश्रण सम्मिलित है, जहाँ कानून स्वतः दायित्वों को समाप्त कर देता है। इसके विपरीत, 'नवायन' (Novation) आपसी समझौते द्वारा विसर्जन का एक रूप है। इसमें पक्ष स्वेच्छा से पुरानी संविदा के स्थान पर एक नई संविदा प्रतिस्थापित करते हैं। चूँकि इसमें पक्षों की सक्रिय सहमति आवश्यक है, इसलिए इसे विधि के स्वतः प्रवर्तन का परिणाम नहीं माना जा सकता है।

202. (A) माल के वास्तविक परिदान का।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, माल के स्वत्व के दस्तावेजों (जैसे लदान पत्र या रेलवे रसीद) का क्रेता को हस्तांतरण करना विधिक रूप से माल के 'प्रतीकात्मक परिदान' के समान माना जाता है। इसका वही प्रभाव होता है जो माल के भौतिक कब्जे को सौंपने का होता है। यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे माल के मार्ग में होने के दौरान भी उसका स्वामित्व और कब्जा विधिक रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है, जो व्यावसायिक सुगमता सुनिश्चित करता है।

203. (D) फर्म का व्यवसाय अवैध हो जाता है।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, फर्म का अनिवार्य विघटन तब होता है जब कोई ऐसी घटना घटती है जिससे फर्म का व्यवसाय करना या भागीदारों के लिए उस व्यवसाय को भागीदारी में जारी रखना विधि के विरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार किसी विशेष व्यापार को प्रतिबंधित कर दे या शत्रु देश के व्यक्ति के साथ भागीदारी अवैध हो जाए। ऐसी स्थिति में, भागीदारों की इच्छा के बावजूद, फर्म का अस्तित्व विधिक रूप से तुरंत समाप्त हो जाता है क्योंकि कानून अवैध कार्यों को संरक्षण नहीं देता।

204. (B) संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है।
असम्यक असर के बारे में यह कथन गलत है कि संविदा प्रारंभ से ही शून्य होती है। वास्तव में, असम्यक असर द्वारा प्रेरित संविदा 'शून्यकरणीय' होती है। इसका विधिक अर्थ यह है

186. (A) किसी व्यक्ति से संविदा पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आपराधिक अभियोग की धमकी देना।
प्रपीड़न का अर्थ है संविदा प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को विवश करने के लिए कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित है। आपराधिक अभियोग की अनुचित धमकी देना या किसी को अवैध रूप से बंदी बनाने की धमकी देना प्रपीड़न के स्पष्ट उदाहरण हैं। ऐसी स्थिति में, पीड़ित पक्ष की सहमति को स्वतंत्र नहीं माना जाता है। इसके परिणामस्वरुप, संविदा उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है जिसकी सहमति इस विधिक भय के माध्यम से ली गई थी।

187. (D) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 में।
भागीदारी की यह व्यापक और सटीक परिभाषा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में दी गई है। यह परिभाषा भागीदारी के तीन मुख्य तत्वों को स्पष्ट करती है: व्यक्तियों के बीच एक करार, व्यवसाय के लाभों को साझा करने का उद्देश्य, और सबसे महत्वपूर्ण, पारस्परिक एजेंसी का सिद्धांत जहाँ व्यवसाय सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक द्वारा चलाया जाता है। यह विधिक ढांचा भारत में सभी भागीदारी फर्मों के गठन और संचालन के लिए प्राथमिक आधार प्रदान करता है।

188. (B) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
'बोली में हेराफेरी' एक ऐसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा है जहाँ प्रतिस्पर्धी आपस में गुप्त समझौता कर लेते हैं ताकि निविदा प्रक्रिया के परिणाम को प्रभावित किया जा सके। यह प्रतिस्पर्धा को कृत्रिम रुप से समाप्त करता है और उपभोक्ताओं या सरकारी निकायों को उच्च कीमतों का भुगतान करने के लिए विवश करता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत इसे एक गंभीर विधिक अपराध माना गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ऐसी प्रथाओं की जांच करता है और दोषी कंपनियों पर भारी आर्थिक दंड लगाने का अधिकार रखता है।

189. (C) अभिकर्ता की अस्थायी रुग्णता।
संविदा विधि के अनुसार, अभिकरण का अंत प्रधान द्वारा प्रतिसंहरण, अभिकर्ता द्वारा त्याग, प्रधान या अभिकर्ता की मृत्यु या विकृतचित्तता, अथवा कार्य की पूर्णता से होता है। हालांकि, अभिकर्ता की केवल अस्थायी बीमारी या रुग्णता विधिक रूप से अभिकरण को समाप्त नहीं करती है। जब तक कि बीमारी ऐसी न हो जो कार्य को असंभव बना दे, विधिक संबंध बना रहता है। अभिकरण की समाप्ति के लिए या तो पक्षों का सक्रिय कार्य या विधि द्वारा निर्धारित कोई निश्चित घटना अनिवार्य होती है।

190. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत उन बाहरी व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षा कवच है जो कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आंतरिक अनियमितता का पहले से ही ज्ञान है, तो वह इस सिद्धांत का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी सहमति सद्भावपूर्वक नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह सिद्धांत कूटरचना या जालसाजी के मामलों में लागू नहीं होता है, क्योंकि जालसाजी पूर्णतः शून्य होती है और कंपनी को बाध्य नहीं कर सकती। अतः कथन I विधिक रुप से गलत है और कथन II सही है।

191. (A) लिखित और वचनदाता या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25(3) के अनुसार, काल-बाधित ऋण (Time-barred debt) का भुगतान करने का वचन 'बिना प्रतिफल' के भी वैध हो सकता है। इसके लिए अनिवार्य विधिक शर्त यह है कि यह वचन लिखित होना चाहिए और उस पर वचनदाता या उसके द्वारा अधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। सामान्यतः बिना प्रतिफल के किए गए करार शून्य होते हैं, लेकिन यह प्रावधान एक महत्वपूर्ण विधिक अपवाद है जो नैतिक दायित्व को विधिक बाध्यता में बदलने की अनुमति प्रदान करता है।

192. (B) निष्कासन की शक्ति करार में दी गई हो और उसका उपयोग सद्भावपूर्वक किया गया हो।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, किसी भागीदार को फर्म से निष्कासित करना एक गंभीर विधिक कदम है। यह केवल तभी संभव है जब भागीदारों के बीच हुए मूल करार में निष्कासन की स्पष्ट शक्ति दी गई हो। इसके अतिरिक्त, इस शक्ति का प्रयोग 'सद्भावपूर्वक' और फर्म के हित में होना चाहिए। बहुमत द्वारा एकतरफा या विद्वेषपूर्ण निष्कासन विधिक रूप से अमान्य है। यदि निष्कासन इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो पीड़ित भागीदार उसे न्यायालय में चुनौती देकर बहाल होने का अधिकार रखता है।

193. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
व्यापारिक विधियों के विभिन्न सिद्धांत अलग-अलग नियामक अधिनियमों से जुड़े हैं। 'यथाविधि धारक' परक्राम्य लिखित अधिनियम की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। 'अदत्त विक्रेता' के अधिकार वस्तु विक्रय अधिनियम में विस्तार से दिए गए हैं। 'प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग' प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत प्रतिषिद्ध है। अंततः, 'शक्तिबाह्य का सिद्धांत' कंपनी विधि का आधार है जो उसकी विधिक सीमाओं को तय करता है। यह सुमेलन भारत में प्रचलित मुख्य वाणिज्यिक कानूनों और उनके विशिष्ट कार्यक्षेत्रों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

194. (A) प्रत्येक उच्च न्यायालय से।
कंपनी अधिनियम के अनुसार, आधिकारिक निस्तारक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण विधिक अधिकारी होता है। उसे विशिष्ट उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध किया जाता है ताकि वह न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित अनिवार्य समापन की प्रक्रियाओं का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सके। निस्तारक का मुख्य उत्तरदायित्व कंपनी की संपत्तियों को अपने अधिकार में लेना, उन्हें बेचना और लेनदारों के दावों का विधिक निपटान करना है। वह न्यायालय और न्यायाधिकरण के प्रति जवाबदेह होता है और समापन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

जाता है। यह मिलन अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का स्पष्ट सारांश प्रस्तुत करता है।

158. (D) विधि की दृष्टि में इसका कुछ मूल्य होना चाहिए।
संविदा के लिए प्रतिफल का वास्तविक और विधिक रूप से मूल्यवान होना अनिवार्य है। विधि यह आवश्यक नहीं मानती कि प्रतिफल वचन के मूल्य के बराबर या पर्याप्त हो, लेकिन वह भ्रामक, काल्पनिक या असंभव नहीं होना चाहिए। प्रतिफल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे कानून मान्यता देता हो, जैसे कि धन, वस्तु, सेवा या किसी अधिकार का त्याग। बिना विधिक मूल्य वाले प्रतिफल पर आधारित करार शून्य माने जाते हैं क्योंकि उनमें विनिमय का वास्तविक विधिक आधार नहीं होता है।

159. (A) 1, 2, 3, 4
वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया एक विधिक क्रम का पालन करती है। जब विक्रेता को माल परिदान योग्य स्थिति में लाने के लिए कुछ कार्य करना होता है, तो पहले करार किया जाता है। फिर विक्रेता वह कार्य पूर्ण करता है। इसके पश्चात, क्रेता को इस बारे में सूचित करना विधिक रूप से अनिवार्य है। स्वामित्व का हस्तांतरण केवल तभी पूर्ण माना जाता है जब क्रेता को सूचना मिल जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जोखिम का हस्तांतरण स्पष्ट और पारदर्शी हो।

160. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संस्था का ज्ञापन कंपनी का मूलभूत चार्टर है जो उसकी बाहरी सीमाओं और शक्तियों को परिभाषित करता है। इसके विपरीत, संस्था के अंतर्नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और संचालन के नियमों को नियंत्रित करते हैं। विधिक रूप से, अंतर्नियम हमेशा ज्ञापन के अधीन होते हैं और इनमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं हो सकता जो ज्ञापन के विरुद्ध हो। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, क्योंकि ज्ञापन कंपनी का संविधान है और अंतर्नियम उसके उपनियम हैं, जो कंपनी के ढांचे को स्पष्ट करते हैं।

161. (B) असंभव हो जाती है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 के अनुसार, एक समाश्रित संविदा, जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर आधारित है, उस समय शून्य हो जाती है जब वह घटना विधिक या भौतिक रूप से असंभव हो जाती है। चूंकि संविदा का निष्पादन पूरी तरह से उस घटना पर निर्भर था, इसलिए घटना के असंभव होने के साथ ही संविदा का आधार समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में पक्षों के बीच कोई प्रवर्तनीय विधिक दायित्व शेष नहीं रह जाता और संविदा पूर्णतः प्रभावहीन हो जाती है।

162. (A) सुप्त या निष्क्रिय भागीदार।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, जब कोई सक्रिय भागीदार सेवानिवृत्त होता है, तो उसे भविष्य के दायित्वों से बचने के लिए एक सार्वजनिक सूचना देनी होती है। हालांकि, सुप्त या निष्क्रिय भागीदार के मामले में ऐसी कोई सार्वजनिक सूचना आवश्यक नहीं है। चूंकि सुप्त भागीदार का अस्तित्व जनसामान्य के लिए अज्ञात होता है, इसलिए उसकी सेवानिवृत्ति से बाहरी पक्षों के विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः सेवानिवृत्ति के बाद किए गए फर्म के कार्यों के लिए वह विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

163. (C) या तो स्वीकृति न मिलने पर या भुगतान न करने पर।
परक्राम्य लिखित का अनादर दो प्रमुख स्थितियों में होता है। विनिमय पत्र के मामले में, यदि अदाकर्ता उसे स्वीकार करने से मना कर देता है, तो इसे 'स्वीकृति न मिलने पर अनादर' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि परिपक्वता तिथि पर लिखित का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इसे 'भुगतान न करने पर अनादर' माना जाता है। दोनों ही स्थितियाँ धारक को पूर्ववर्ती पक्षों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करती हैं। अनादर की संसूचना देना भी विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनिवार्य होता है।

164. (D) संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य है।
शक्तिबाह्य का सिद्धांत यह स्थापित करता है कि कंपनी द्वारा अपने उद्देश्य खंड के बाहर किया गया कोई भी कार्य विधिक रूप से शून्य है। चूंकि ऐसा संव्यवहार कंपनी की विधिक क्षमता के बाहर होता है, इसलिए इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता और यह कंपनी को बाध्य नहीं कर सकता। ऐसे संव्यवहारों का अनुसमर्थन अंशधारकों की सर्वसम्मति से भी नहीं किया जा सकता। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कंपनी का प्रबंधन अपनी विधिक सीमाओं के भीतर कार्य करे और निवेशित पूंजी सुरक्षित रहे।

165. (C) प्रस्थापना
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(a) के अनुसार, जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ करने या न करने की अपनी इच्छा इस दृष्टि से प्रकट करता है कि उस पर दूसरे की सहमति प्राप्त हो सके, तो इसे 'प्रस्थापना' या प्रस्ताव कहा जाता है। यह संविदा के निर्माण का पहला और अनिवार्य चरण है। प्रस्थापना निश्चित, स्पष्ट और संसूचित होनी चाहिए ताकि स्वीकृति मिलने पर वह एक विधिक रूप से बाध्यकारी वचन बन सके। प्रस्थापना के बिना किसी विधिक संबंध का प्रारंभ संभव नहीं है।

166. (B) करार लिखित और पंजीकृत होना चाहिए।
भागीदारी गठित करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच व्यवसाय के लाभ साझा करने का करार होना अनिवार्य है। साथ ही, पारस्परिक एजेंसी का तत्व भी आवश्यक है। हालांकि, भागीदारी अधिनियम यह अनिवार्य नहीं बनाता कि करार लिखित या पंजीकृत हो। एक मौखिक करार भी विधिक रूप से मान्य और प्रवर्तनीय होता है। पंजीकरण वैकल्पिक है, यद्यपि इसके बिना फर्म कुछ विधिक लाभों से वंचित रह सकती है। अतः लिखित और पंजीकृत होना भागीदारी का अनिवार्य विधिक तत्व नहीं है।

167. (D) कंपनी का समापन।
कंपनी के समापन की प्रक्रिया के दौरान, एक महत्वपूर्ण विधिक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिसे 'निस्तारक'

कि संविदा तब तक वैध रहती है जब तक कि पीड़ित पक्ष (जिसकी सहमति प्रभुत्वशाली स्थिति के कारण ली गई थी) उसे न्यायालय में चुनौती देकर रद्द न करवा दे। यदि पीड़ित पक्ष संविदा को स्वीकार कर लेता है, तो वह विधिक रूप से बाध्यकारी बनी रहती है। शून्यता और शून्यकरणीयता में यह महत्वपूर्ण विधिक अंतर है।

205. (B) केवल 1 और 2
संविदा विधि के अनुसार, एक वैध प्रस्थापना के लिए उसका संसूचित होना अनिवार्य है क्योंकि बिना संसूचना के स्वीकृति संभव नहीं है। साथ ही, प्रस्थापना निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि विधिक संबंध स्पष्ट हों। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 'प्रस्थापना के लिए निमंत्रण' (जैसे कैटलॉग या विज्ञापन) स्वयं में प्रस्थापना नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रस्ताव देने के लिए केवल आमंत्रित करता है। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 विधिक रूप से गलत है।

206. (D) कर अपवंचन के उद्देश्यों के लिए कंपनी के वास्तविक चरित्र का निर्धारण करने के लिए।
'निगमित आवरण हटाने' का सिद्धांत न्यायालय द्वारा एक उपचारात्मक उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि कंपनी एक पृथक विधिक व्यक्तित्व है, लेकिन यदि इसका उपयोग कर चोरी, कपट या विधिक दायित्वों से बचने के लिए एक मुखौटे के रूप में किया जा रहा है, तो न्यायालय इस आवरण को हटा सकता है। ऐसा करने से कंपनी के पीछे के वास्तविक व्यक्तियों की पहचान होती है और उन्हें उनके कृत्यों के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह न्याय और सार्वजनिक नीति की रक्षा करता है।

207. (A) निर्दिष्ट बैंकर।
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, चेक एक विशिष्ट प्रकार का विनिमय पत्र है जिसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह सदैव एक 'निर्दिष्ट बैंकर' पर ही आहरित किया जाता है। चेक कभी भी किसी व्यक्ति या सामान्य फर्म पर आहरित नहीं हो सकता। यह सदैव मांग पर देय होता है और इसके लिए भुगतानकर्ता बैंक द्वारा किसी औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधिक परिभाषा चेक को अन्य वाणिज्यिक लिखतों से अलग करती है और वित्तीय संव्यवहारों में इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

208. (B) किसी भी ऐसी हानि के लिए जो वस्तुओं के सामान्य क्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई हो।
संविदा भंग के मामले में नुकसानी का निर्धारण 'हेडली बनाम बैक्सेंडेल' के नियम पर आधारित है। पीड़ित पक्ष केवल उन्हीं हानियों के लिए क्षतिपूर्ति का हकदार है जो संविदा भंग के स्वाभाविक और प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उत्पन्न हुई हों। दूरस्थ, अप्रत्यक्ष या काल्पनिक हानियों के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है जब तक कि पक्षों को संविदा के समय ऐसी विशेष परिस्थितियों का ज्ञान न हो। यह विधिक सिद्धांत नुकसानी के दायित्व को उचित और पूर्वानुमेय सीमाओं के भीतर रखने का कार्य करता है।

209. (B) निष्पाद्य संविदाओं पर।
निष्फलता का सिद्धांत केवल 'निष्पाद्य संविदाओं' पर लागू होता है, जहाँ पालन अभी भविष्य में किया जाना शेष है। यदि संविदा का पूर्ण पालन पहले ही किया जा चुका है (निष्पादित), तो निष्फलता का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सिद्धांत तब प्रभावी होता है जब संविदा के गठन के बाद और उसके पूर्ण पालन से पहले कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है जो पालन को असंभव बना देती है। शून्य या अवैध करारों पर यह लागू नहीं होता क्योंकि वे प्रारंभ से ही प्रभावहीन होते हैं।

210. (A) 4, 1, 3, 2
विक्रय की संविदा में घटनाएँ सामान्यतः एक निश्चित क्रम में होती हैं। सबसे पहले संविदा का निर्माण होता है, जहाँ पक्षकारों के बीच समझौता बनता है। इसके बाद स्वामित्व का हस्तांतरण होता है, यानी वस्तु का मालिकाना हक खरीदार को चला जाता है। फिर माल का परिदान किया जाता है, जिसमें वस्तु वास्तव में सौंप दी जाती है, और अंत में मूल्य का भुगतान किया जाता है, यदि पहले से भुगतान न हुआ हो।

211. (C) भागीदारी
'पारस्परिक एजेंसी' भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत और उसका प्राण है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भागीदार फर्म के व्यवसाय के लिए अन्य सभी भागीदारों का अभिकर्ता भी है और प्रधान भी। एक भागीदार द्वारा अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र में किया गया कार्य अन्य सभी भागीदारों को विधिक रूप से बाध्य करता है। यह विशेषता भागीदारी को एकल स्वामित्व और कंपनी से अलग करती है। यही कारण है कि भागीदारों के बीच अत्यधिक विश्वास और सामूहिक उत्तरदायित्व का होना संविदात्मक रूप से अनिवार्य माना गया है।

212. (D) वचनग्रहीता
भारतीय संविदा अधिनियम और मोहरी बीबी के प्रसिद्ध मामले के अनुसार, अवयस्क द्वारा किया गया करार पूर्णतः शून्य होता है और वह संविदा में 'वचनदाता' नहीं बन सकता। हालांकि, कानून अवयस्क को सुरक्षा प्रदान करता है और वह संविदा में 'वचनग्रहीता' या 'लाभार्थी' (Beneficiary) होने के लिए विधिक रूप से सक्षम है। इसका अर्थ है कि एक अवयस्क अपने पक्ष में किए गए किसी वचन या प्राप्त लाभ को विधिक रूप से लागू करवा सकता है, जैसे कि वचन पत्र का भुगतान प्राप्त करना।

213. (C) पृथक विधिक इकाई
सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड का मामला कंपनी विधि का ऐतिहासिक आधार स्तंभ है। इस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि एक बार कंपनी का विधिवत निगमन हो जाने के बाद, वह अपने सदस्यों से पूर्णतः स्वतंत्र एक 'पृथक विधिक इकाई' बन जाती है। कंपनी के अधिकार और दायित्व उसके सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों और दायित्वों से अलग होते हैं। यह सिद्धांत सीमित दायित्व और कंपनी के स्वतंत्र अस्तित्व की विधिक नींव रखता है, जो आधुनिक व्यापार का आधार है।

214. (B) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, प्रत्येक वह करार जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई वैध पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने से रोका जाता है, उस सीमा तक शून्य माना जाता है। व्यापार की स्वतंत्रता एक सार्वजनिक नीति है और इसे किसी निजी समझौते द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसके कुछ विधिक अपवाद हैं, जैसे कि किसी व्यवसाय की 'साख' (Goodwill) की बिक्री के समय लगाया गया उचित प्रतिबंध। सामान्य परिस्थितियों में, व्यापार में अवरोध डालने वाले करार विधिक रूप से अप्रवर्तनीय होते हैं।

215. (D) धारणाधिकार
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, जब माल का मूल्य पूर्णतः नहीं चुकाया गया हो, तो अदत्त विक्रेता के पास 'धारणाधिकार' (Lien) का अधिकार होता है। इस अधिकार के अंतर्गत, विक्रेता माल का कब्जा अपने पास तब तक बनाए रख सकता है जब तक कि उसे मूल्य का भुगतान या निविदा नहीं दी जाती। यह अधिकार तभी प्रयोग किया जा सकता है जब माल विक्रेता के कब्जे में हो। यह एक शक्तिशाली विधिक उपकरण है जो विक्रेता को मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने में सुरक्षा प्रदान करता है।

216. (A) संविदा से
भागीदारी अधिनियम की धारा 5 स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि भागीदारी का संबंध संविदा से उत्पन्न होता है, न कि स्थिति (Status) से। इसका अर्थ है कि केवल एक ही परिवार में जन्म लेने या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का सदस्य होने से कोई व्यक्ति भागीदार नहीं बन जाता है। भागीदारी के लिए व्यक्तियों के बीच एक स्वैच्छिक और वैध करार होना अनिवार्य है। यह विधिक सिद्धांत स्पष्ट करता है कि भागीदारी एक व्यावसायिक संविदात्मक व्यवस्था है जो पक्षों की आपसी सहमति और शर्तों पर आधारित है।

217. (C) चेक के अग्र भाग पर किसी बैंकर का नाम लिखना।
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, चेक का 'विशेष रेखांकन' तब होता है जब चेक के मुख भाग पर किसी विशिष्ट बैंकर का नाम लिखा जाता है। विशेष रेखांकन में समानांतर रेखाएं खींचना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बैंकर का नाम होना अनिवार्य विधिक आवश्यकता है। इसका प्रभाव यह होता है कि भुगतान करने वाला बैंक उस चेक की राशि का भुगतान केवल उसी बैंक को करेगा जिसका नाम रेखांकन में दिया गया है। यह सामान्य रेखांकन की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि भुगतान का मार्ग विनिर्दिष्ट होता है।

218. (A) संस्था का ज्ञापन
कंपनी विधि के अनुसार, 'शक्तिबाह्य का सिद्धांत' मुख्य रूप से संस्था के ज्ञापन (Memorandum of Association) से संबंधित है। ज्ञापन कंपनी का मुख्य चार्टर है जो उसकी शक्तियों और उद्देश्यों की सीमाओं को परिभाषित करता है। यदि कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो उसके ज्ञापन के उद्देश्य खंड में नहीं है, तो वह 'शक्तिबाह्य' माना जाता है और विधिक रूप से पूर्णतः शून्य होता है। संस्था के अंतर्नियमों के बाहर के कार्य 'अनियमित' हो सकते हैं जिनका अनुसमर्थन संभव है, लेकिन ज्ञापन के बाहर के कार्यों का अनुसमर्थन विधिक रूप से असंभव है।

219. (D) असम्यक असर
भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार, जब किसी पक्ष की सहमति 'असम्यक असर' (Undue Influence) के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर 'शून्यकरणीय' हो जाती है। शून्यकरणीय संविदा वह है जो तब तक वैध रहती है जब तक पीड़ित पक्ष उसे न्यायालय में चुनौती देकर रद्द न करवा दे। इसके विपरीत, तथ्य की द्विपक्षीय भूल या अवैध उद्देश्य संविदा को प्रारंभ से ही 'शून्य' बनाते हैं। स्वतंत्र सहमति का अभाव (जैसे असम्यक असर) ही संविदा को विधिक रूप से शून्यकरणीय बनाने का मुख्य आधार है।

220. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
संविदा विधि में प्रस्थापना और स्वीकृति की संसूचना के नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण होती है जब वह स्वीकारकर्ता के संज्ञान में आती है। स्वीकृति के संबंध में, प्रस्तावक के विरुद्ध संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब स्वीकारकर्ता उसे पारेषण (Transmission) के अनुक्रम में इस प्रकार डाल देता है कि वह उसकी शक्ति से बाहर हो जाए। स्वीकारकर्ता के विरुद्ध यह तब पूर्ण होती है जब वह प्रस्तावक के संज्ञान में आती है। अतः ये दोनों कथन संविदा अधिनियम की धारा 4 के अनुसार पूर्णतः सही हैं।

221. (C) उसके भागीदार बनने से पूर्व और पश्चात दोनों के ऋण।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, एक नया भागीदार (Nawagantuk) सामान्यतः केवल उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो उसके भागीदार बनने के पश्चात किए जाते हैं। हालांकि, यदि वह स्पष्ट रूप से पुराने ऋणों के लिए उत्तरदायी होने के हेतु अन्य भागीदारों और लेनदारों के साथ सहमत होता है, तो वह उनके लिए भी बाध्य हो जाता है। अतः यह विधिक स्थिति संविदा और पक्षों की सहमति पर निर्भर करती है। सामान्य नियम के अनुसार, दायित्व केवल भविष्य के कार्यों के लिए होता है जब तक कि पूर्व ऋणों के लिए विशेष समझौता न किया गया हो।

222. (D) माल का स्वामित्व।
वस्तु विक्रय अधिनियम में 'माल में संपत्ति' (Property in goods) शब्द का एक विशिष्ट विधिक अर्थ है, जो माल के 'सामान्य स्वामित्व' (General Ownership) को संदर्भित करता है। यह माल के केवल 'कब्जे' (Possession) या 'अभिरक्षा' से भिन्न है। संविदा विधि में स्वामित्व का हस्तांतरण ही विक्रय की संविदा का मुख्य उद्देश्य है। जब 'माल में संपत्ति' विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होती है, तो क्रेता माल का विधिक स्वामी बन जाता है और माल से जुड़े सभी जोखिम और अधिकार भी उसे हस्तांतरित हो जाते हैं।

223. (A) संविदा शून्यकरणीय है और पीड़ित पक्ष नुकसानी का दावा कर सकता है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, यदि किसी संविदा के लिए सहमति कपट (Fraud) द्वारा प्राप्त की गई है, तो वह संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है। पीड़ित पक्ष के पास दो प्रमुख विधिक उपचार होते हैं: वह संविदा को रद्द कर सकता है और यथास्थिति बहाल करवा सकता है, या वह संविदा को बनाए रखकर कपट के कारण हुई आर्थिक हानि के लिए नुकसानी का दावा कर सकता है। कपट संविदा के मूल आधार को दूषित करता है, इसलिए विधि पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करती है।

224. (B) आधिकारिक निस्तारक
कंपनी अधिनियम के तहत, जब न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है, तो कंपनी की आस्तियों और देयताओं का प्रबंधन करने के लिए 'आधिकारिक निस्तारक' (Official Liquidator) नियुक्त किया जाता है। निस्तारक का मुख्य विधिक कर्तव्य कंपनी की संपत्तियों को अपने अधिकार में लेना, उन्हें बेचना और प्राप्त धनराशि से लेनदारों के ऋणों का भुगतान करना है। वह न्यायाधिकरण के एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और समापन प्रक्रिया की विधिक शुद्धता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है।

225. (B) A को फर्म को लाभ का विवरण देना होगा और भुगतान करना होगा।
भागीदारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, प्रत्येक भागीदार फर्म के प्रति परम विश्वास के कर्तव्य से बंधा होता है। यदि कोई भागीदार फर्म की संपत्ति, नाम या व्यावसायिक संबंधों का उपयोग करके कोई व्यक्तिगत लाभ अर्जित करता है, तो वह विधिक रूप से बाध्य है कि वह उस लाभ का विवरण फर्म को दे और उसे फर्म के सामान्य कोष में जमा करे। यह नियम 'गुप्त लाभ' के प्रतिषेध और भागीदारों के बीच ईमानदारी के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है। अतः B को विधिक रूप से यह लाभ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

226. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
भारत में प्रमुख वाणिज्यिक कानूनों का अधिनियमन अलग-अलग वर्षों में हुआ है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में लागू हुआ, जो व्यापारिक विधियों का आधार है। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 में अस्तित्व में आया। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में और भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में अधिनियमित किए गए। यह कालक्रम भारत में विधिक प्रणाली के क्रमिक विकास और समय के साथ व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार कानूनों के विशिष्टीकरण को दर्शाता है। अतः विकल्प (A) इन अधिनियमों और उनके वर्षों का सही सुमेलन प्रस्तुत करता है।

227. (C) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का मुख्य उद्देश्य बाजार में ऐसी प्रथाओं को रोकना है जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें प्रतिस्पर्धा-विरोधी करार, जैसे कि कीमतें निर्धारित करने के लिए प्रतिस्पर्धियों के बीच किया गया कोई भी संयोजन या समझौता, सम्मिलित हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के पास ऐसे करारों की जांच करने और उन्हें शून्य घोषित करने की व्यापक विधिक शक्तियाँ हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृत्तियाँ प्रतिस्पर्धा को बाधित न करें।

228. (D) सही
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(a) में प्रयुक्त शब्द 'प्रस्थापना' (Proposal) और अंग्रेजी संविदा विधि में प्रयुक्त शब्द 'ऑफर' (Offer) विधिक रूप से एक ही अर्थ रखते हैं। दोनों ही अवधारणाएं किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी इच्छा प्रकट करने के कार्य को संदर्भित करती हैं। यद्यपि शब्दावली में थोड़ा अंतर है, लेकिन संविदा के निर्माण में उनकी भूमिका, नियम और विधिक प्रभाव पूर्णतः समान हैं। अतः यह कथन विधिक रूप से सही है और दोनों न्यायशास्त्रों में एकरूपता को दर्शाता है।

229. (C) पोस्टल ऑर्डर।
परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 केवल वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक को ही विधिक रूप से परक्राम्य लिखित मानता है। ये लिखतें सुपुर्दगी या पृष्ठांकन द्वारा आसानी से हस्तांतरित की जा सकती हैं और धारक को स्वतंत्र विधिक अधिकार प्रदान करती हैं। इसके विपरीत, पोस्टल ऑर्डर एक विशिष्ट सरकारी लिखत है जो परक्राम्य नहीं होता है; इसे केवल विनिर्दिष्ट व्यक्ति ही भुना सकता है। इसमें परक्राम्यता के विधिक गुण, जैसे कि यथाविधि धारक को मिलने वाले विशेष अधिकार, मौजूद नहीं होते हैं।

230. (B) इट इज़ इनफ़ोर्सिएबल बाय लॉ।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार, "विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार एक संविदा है।" इसका अर्थ है कि केवल वही करार संविदा बनते हैं जो विधिक रूप से पक्षों पर बाध्यता उत्पन्न करते हैं। एक करार को प्रवर्तनीय होने के लिए उसमें सक्षम पक्ष, स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य जैसे अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। यदि कोई करार इन शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता, और वह संविदा की श्रेणी में नहीं आता।

231. (D) जब उसकी सेवानिवृत्ति की सार्वजनिक सूचना दी जाती है।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, एक सेवानिवृत्त भागीदार फर्म के उन कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी बना रहता है जो उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात किए जाते हैं, जब तक कि उसकी सेवानिवृत्ति की एक 'सार्वजनिक सूचना' न दे दी जाए। यह सूचना फर्मों के पंजीयक को और कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य उन बाहरी व्यक्तियों को सतर्क करना है जो फर्म के साथ व्यवहार करते हैं। सुप्त भागीदार के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए यह विधिक आवश्यकता अनिवार्य है।

भी हो सकता है। प्रतिफल का सार पक्षों के बीच विधिक पारस्परिकता है। बिना प्रतिफल के किए गए करार शून्य होते हैं, लेकिन प्रतिफल के रूप में दिया गया वचन विधिक रूप से पर्याप्त माना जाता है, बशर्ते उसका विधि की दृष्टि में कुछ वास्तविक मूल्य हो।

269. (C) अंग्रेजी वस्तु विक्रय अधिनियम, 1893।
भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930, मुख्य रूप से अंग्रेजी 'सेल ऑफ गुड्स एक्ट, 1893' पर आधारित है। भारत में 1930 से पहले, माल की बिक्री से संबंधित नियम भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय VII में सम्मिलित थे। बाद में, व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए, अंग्रेजी विधि के सिद्धांतों को अपनाते हुए एक पृथक अधिनियम बनाया गया। यह अधिनियम माल के स्वामित्व के हस्तांतरण, विवक्षित शर्तों और वारंटी के संबंध में व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करता है जो आज भी भारतीय वाणिज्यिक व्यवहारों का आधार है।

270. (D) उपर्युक्त सभी।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, एक वैध संविदा के निर्माण के लिए कई अनिवार्य तत्वों का एक साथ होना आवश्यक है। इसमें पक्षों की संविदा करने की सक्षमता, उनकी स्वतंत्र सहमति (प्रपीड़न या कपट रहित), और संविदा का वैध प्रतिफल एवं वैध उद्देश्य होना सम्मिलित है। यदि इनमें से किसी भी तत्व का अभाव होता है, तो करार विधिक रूप से संविदा का रूप नहीं ले सकता है। अतः ये सभी विकल्प संविदा की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए विधिक रूप से अनिवार्य और पूरक हैं।

271. (A) चिकित्सक और रोगी।
'असम्यक असर' की उपधारणा उन संबंधों में की जाती है जहाँ एक पक्ष दूसरे पर विधिक या नैतिक प्रभाव डालने की स्थिति में होता है। चिकित्सक और रोगी, अभिभावक और बच्चे, या अधिवक्ता और मुवक्किल के संबंधों में विश्वास (Fiduciary relation) की स्थिति होती है। ऐसे मामलों में, यदि उनके बीच कोई संविदा होती है, तो विधि यह मानती है कि प्रभुत्वशाली पक्ष ने अनुचित लाभ प्राप्त किया होगा, जब तक कि वह इसके विपरीत सिद्ध न कर दे। यह कमजोर पक्ष को विधिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।

272. (B) एक भागीदार जो सक्रिय भाग नहीं लेता है और जनसामान्य के लिए अज्ञात है।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, सुप्त या निष्क्रिय भागीदार (Dormant Partner) वह व्यक्ति है जो फर्म में पूंजी लगाता है और लाभ-हानि साझा करता है, लेकिन वह व्यवसाय के दैनिक प्रबंधन या संचालन में सक्रिय भाग नहीं लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाहरी दुनिया या जनसामान्य को उसके भागीदार होने की जानकारी नहीं होती है। सेवानिवृत्ति के समय उसे सार्वजनिक सूचना देने की विधिक आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका विधिक अस्तित्व पहले से ही जनता के लिए गुप्त रहा है।

273. (B) निगमित इकाई की उपेक्षा करने और इसके पीछे की विधिक वास्तविकता को देखने के लिए।
'निगमित आवरण हटाना' न्यायालयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विधिक सिद्धांत है। यद्यपि कंपनी एक पृथक विधिक इकाई है, लेकिन जब इस स्वरूप का उपयोग कपट, कर चोरी या सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के लिए किया जाता है, तो न्यायालय कंपनी के पृथक व्यक्तित्व की अनदेखी करता है। ऐसा करके न्यायालय कंपनी के पीछे छिपे वास्तविक स्वामियों या नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों को उनके विधिक कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराता है। यह सिद्धांत कॉर्पोरेट संरचना के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।

274. (A) मांग पर।
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, चेक की एक अनिवार्य विधिक विशेषता यह है कि वह सदैव 'मांग पर देय' (Payable on demand) होता है। इसका अर्थ है कि जैसे ही चेक बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, बैंक को उसका भुगतान करना होता है, बशर्ते वह तकनीकी रूप से सही हो और खाते में पर्याप्त धनराशि हो। चेक के भुगतान के लिए कोई रियायती अवधि नहीं दी जाती है और न ही इसे भविष्य की किसी निश्चित अवधि के पश्चात देय बनाया जा सकता है। यह इसकी तरलता और व्यावसायिक स्वीकार्यता का मुख्य आधार है।

275. (C) विद्यमान संविदा के स्थान पर एक नई संविदा प्रतिस्थापित की जाती है।
'नवायन' या 'नवीनयन' (Novation) संविदा के विसर्जन का एक विधिक तरीका है जो पक्षों की आपसी सहमति पर आधारित होता है। इसमें पुरानी संविदा को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नई संविदा बनाई जाती है, जिसमें या तो शर्तें बदल दी जाती हैं या पक्षों को बदल दिया जाता है। नवायन के प्रभावी होने के लिए सभी पक्षों की सहमति अनिवार्य है। एक बार नई संविदा अस्तित्व में आने पर, पुरानी संविदा के तहत पक्षों के विधिक दायित्व पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं।

276. (D) जहाँ बाह्य व्यक्ति को आंतरिक अनियमितताओं का ज्ञान था।
आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत (तुर्कवांड नियम) उन बाहरी व्यक्तियों की रक्षा करता है जो कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करते हैं। हालांकि, यह विधिक सुरक्षा तब समाप्त हो जाती है जब बाहरी व्यक्ति को कंपनी की आंतरिक अनियमितता या नियम उल्लंघन की पहले से जानकारी हो। विधि ऐसे व्यक्ति को संरक्षण नहीं देती क्योंकि उसका आचरण सद्भावपूर्ण नहीं माना जाता। यह सिद्धांत केवल निर्दोष पक्षों के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो कंपनी की आंतरिक त्रुटियों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।

277. (C) विघटन
भागीदारी के संदर्भ में, जब फर्म के सभी भागीदारों के बीच विधिक और व्यावसायिक संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, तो उसे 'विघटन' (Dissolution) कहा जाता है। विघटन के पश्चात

है। बिना प्रवंचित करने के आशय के दिया गया गलत कथन केवल 'मिथ्या-व्यपदेशन' कहलाता है। कपट में तथ्यों को सक्रिय रूप से छिपाना, झूठा वादा करना या कोई भी ऐसा कार्य करना शामिल है जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को विधिक रूप से हानि पहुँचाना या अनुचित लाभ प्राप्त करना हो। यह संविदा की पवित्रता को दूषित करता है।

242. (A) सदस्यों का दायित्व।
भागीदारी और कंपनी के बीच सबसे मौलिक विधिक अंतर सदस्यों के दायित्व की सीमा है। भागीदारी में प्रत्येक भागीदार का दायित्व 'असीमित' होता है, जिसका अर्थ है कि फर्म के ऋणों के लिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसके विपरीत, एक सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य पर अदत्त राशि तक ही 'सीमित' होता है। यह अंतर निवेश के जोखिम और व्यावसायिक संगठन के चयन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण विधिक कारक है।

243. (C) क्रेता किसी उद्देश्य के लिए विक्रेता के कौशल और निर्णय पर निर्भर करता है।
'कैवियट एम्प्टर' (क्रेता सावधान रहे) का नियम तब लागू नहीं होता जब क्रेता विक्रेता को माल के विशिष्ट उद्देश्य की जानकारी देता है और वह विक्रेता के कौशल और निर्णय पर भरोसा करता है। ऐसी स्थिति में, विक्रेता पर यह विधिक जिम्मेदारी होती है कि वह उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त माल प्रदान करे। यदि माल उस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, तो विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह नियम उपभोक्ता संरक्षण और व्यापारिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक अपवाद है।

244. (D) स्वीकारकर्ता द्वारा स्वीकृति का पत्र डाक में डाल दिया जाए।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, एक प्रस्थापना को किसी भी समय प्रतिसंहृत (Revoke) किया जा सकता है, लेकिन यह स्वीकृति की संसूचना के प्रस्तावक के विरुद्ध पूर्ण होने से पहले होना चाहिए। संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब स्वीकारकर्ता स्वीकृति का पत्र डाक में डाल देता है। एक बार पत्र पारेषण के अनुक्रम में डाल दिए जाने के बाद, प्रस्तावक अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता है। यह नियम संविदा के निर्माण के समय और स्थान को विधिक रूप से सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

245. (C) समापन, विघटन से पूर्व होता है।
कंपनी विधि में समापन और विघटन दो अलग-अलग विधिक अवस्थाएं हैं। समापन (Winding up) वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी की संपत्तियों का निपटान किया जाता है और लेनदारों के ऋण चुकाए जाते हैं। यह प्रक्रिया निस्तारक द्वारा संचालित की जाती है। विघटन (Dissolution) समापन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, जहाँ न्यायाधिकरण आदेश देता है कि कंपनी का विधिक अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया है। संक्षेप में, समापन 'प्रक्रिया' है और विघटन उसका 'अंतिम विधिक प्रभाव' है। अतः समापन सदैव विघटन से पूर्व होता है।

246. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत भागीदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है; यह पूर्णतः स्वैच्छिक है। अतः कथन I विधिक रूप से गलत है। हालांकि, विधि अपंजीकृत फर्मों पर कुछ महत्वपूर्ण विधिक अक्षमताएं आरोपित करती है। उदाहरण के लिए, एक अपंजीकृत फर्म संविदात्मक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध वाद नहीं ला सकती है और न ही भागीदारों के बीच के विवादों के लिए विधिक उपचार आसानी से उपलब्ध होते हैं। अतः कथन II सही है।

247. (D) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, प्रत्येक वह करार जो किसी व्यक्ति (अवयस्क के अतिरिक्त) के विवाह में अवरोध पैदा करता है, विधिक रूप से शून्य माना जाता है। विवाह करने की स्वतंत्रता एक सार्वजनिक नीति और व्यक्तिगत अधिकार है, जिसे किसी भी संविदात्मक शर्त द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। चूँकि यह करार किसी व्यक्ति को जीवनभर विवाह न करने के लिए विवश करता है, इसलिए यह विधि की दृष्टि में प्रारंभ से ही प्रभावहीन है और इसे न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

248. (A) अंशधारक और लेनदार
'शक्तिबाह्य का सिद्धांत' (Doctrine of Ultra Vires) मुख्य रूप से कंपनी के अंशधारकों और लेनदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अंशधारकों द्वारा निवेशित पूंजी का उपयोग केवल उन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाए जो संस्था के ज्ञापन में विनिर्दिष्ट हैं। साथ ही, यह लेनदारों को यह आश्वासन देता है कि कंपनी अपनी विधिक शक्तियों के बाहर कोई जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करेगी जिससे उनकी ऋण वसूली प्रभावित हो। यह कॉर्पोरेट प्रशासन में पारदर्शिता और विधिक अनुशासन बनाए रखता है।

249. (C) मूल लिखित खो जाने पर दूसरी प्रति प्राप्त करना।
'यथाविधि धारक' (Holder in Due Course) को परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत कई विशेष अधिकार प्राप्त हैं। वह पूर्ववर्ती पक्षों के स्वत्व के दोषों से मुक्त होकर लिखत धारण करता है और सभी पूर्ववर्ती पक्षों के विरुद्ध भुगतान लागू कर सकता है। वह अपूर्ण लिखित को भी वैध बना सकता है। हालांकि, लिखत खो जाने पर दूसरी प्रति प्राप्त करना उसका 'विशेष' अधिकार नहीं है; यह एक सामान्य विधिक प्रक्रिया है जो किसी भी धारक के लिए उपलब्ध हो सकती है। विकल्प (C) यथाविधि धारक के विशिष्ट विधिक विशेषाधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है।

250. (A) पक्षों द्वारा सहमत उल्लंघन से होने वाली संभावित हानि का पूर्व-अनुमान।
'परिनिर्धारित नुकसानी' (Liquidated Damages) वह राशि है जिसे संविदा के पक्ष संविदा करते समय ही आपसी सहमति से निर्धारित कर लेते हैं। यह राशि संविदा भंग की स्थिति में होने वाली संभावित आर्थिक हानि का एक वास्तविक और

उचित पूर्व-अनुमान होती है। भारतीय विधि के अनुसार, यदि यह राशि एक शास्ति (Penalty) के रूप में अत्यधिक न हो, तो न्यायालय इसे स्वीकार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य संविदा भंग होने पर नुकसानी के निर्धारण में होने वाली विधिक जटिलताओं और अनिश्चितता को कम करना है।

251. (D) पारस्परिक एजेंसी
भागीदारी के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए केवल लाभ साझा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह कर्मचारियों या लेनदारों के साथ भी किया जा सकता है। भागीदारी का सबसे विश्वसनीय और निर्णयात्मक विधिक परीक्षण 'पारस्परिक एजेंसी' (Mutual Agency) है। इसका अर्थ है कि क्या व्यवसाय सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। यदि प्रत्येक भागीदार दूसरे का अभिकर्ता और प्रधान है, तो विधिक रूप से भागीदारी का संबंध सिद्ध होता है। यह भागीदारी की अनिवार्य विशेषता है।

252. (B) बेचने का एक करार
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, 'भावी माल' वह माल है जिसे संविदा के समय विक्रेता द्वारा निर्मित या अधिग्रहित किया जाना शेष है। चूँकि संविदा के समय माल का अस्तित्व नहीं होता या वह विक्रेता के पास नहीं होता, इसलिए भावी माल की बिक्री तत्काल 'विक्रय' नहीं हो सकती। यह विधिक रूप से 'बेचने का एक करार' माना जाता है। स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में केवल तभी होता है जब माल अस्तित्व में आता है और पक्षों द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार परिदान योग्य स्थिति में होता है।

253. (C) आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत
'आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत' (Doctrine of Indoor Management) यह विधिक सुरक्षा प्रदान करता है कि कंपनी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करने वाले बाहरी व्यक्तियों को कंपनी की आंतरिक कार्यप्रणाली या नियमों के अनुपालन की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। वे यह मान सकते हैं कि कंपनी ने अपनी आंतरिक औपचारिकताएं विधिवत पूरी कर ली हैं। यह आन्विक सूचना के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अपवाद है जो व्यापारिक सुगमता और बाहरी पक्षों के हितों की रक्षा करता है। इसे 'तुर्कवांड नियम' के रूप में भी जाना जाता है जो कॉर्पोरेट विधि का आधार है।

254. (D) पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, जब किसी संविदा के लिए सहमति 'मिथ्या-व्यपदेशन' (Misrepresentation) के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो वह संविदा उस पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है जिसकी सहमति इस प्रकार ली गई थी। पीड़ित पक्ष के पास यह विधिक अधिकार होता है कि वह या तो संविदा को रद्द कर दे या उसे इस शर्त पर स्वीकार करे कि उसे उसी स्थिति में रखा जाएगा जैसा वह मिथ्या कथन के सत्य होने पर होता। स्वतंत्र सहमति के अभाव में संविदा विधिक रूप से दूषित मानी जाती है।

255. (A) केवल 1 और 2
संविदा विधि के अनुसार, एक वैध स्वीकृति के लिए उसका पूर्ण और बिना शर्त होना अनिवार्य है; किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसे प्रति-प्रस्ताव बना देता है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति का प्रस्तावक को संसूचित किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वीकृति हमेशा प्रस्थापना के 'बाद' ही दी जा सकती है। प्रस्ताव की जानकारी के बिना या प्रस्ताव दिए जाने से पहले की गई कोई भी सहमति विधिक स्वीकृति नहीं मानी जा सकती। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 विधिक रूप से असंभव है।

256. (B) सभी भागीदारों या एक को छोड़कर सभी का दिवालिया घोषित होना।
भागीदारी अधिनियम की धारा 41 के अनुसार, फर्म का 'अनिवार्य विघटन' तब होता है जब कोई ऐसी घटना घटती है जिससे व्यवसाय जारी रखना अवैध हो जाता है, या जब सभी भागीदार (या एक को छोड़कर सभी) दिवालिया घोषित हो जाते हैं। दिवालियापन के कारण भागीदार संविदा करने के लिए अक्षम हो जाते हैं, जिससे भागीदारी का विधिक आधार समाप्त हो जाता है। मृत्यु या सेवानिवृत्ति सामान्यतः फर्म के पुनर्गठन का कारण बनते हैं, लेकिन सामूहिक दिवालियापन विधि द्वारा फर्म के अस्तित्व को अनिवार्य रूप से समाप्त कर देता है।

257. (B) प्रवर्तनीय नहीं क्योंकि शर्तें निश्चित नहीं हैं।
संविदा विधि का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि करार की शर्तें निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए। भविष्य में किसी समझौते में प्रवेश करने का समझौता (Agreement to agree) विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं होता है, क्योंकि इसमें संविदा के आवश्यक तत्वों, जैसे कि मूल्य या पालन की विधि, का अभाव होता है। विधि 'अपूर्ण करारों' को लागू नहीं करती जहाँ मुख्य शर्तों का निर्धारण भविष्य की अनिश्चित सहमति पर छोड़ दिया गया हो। ऐसे समझौते केवल बातचीत के चरण माने जाते हैं और बाध्यकारी संविदा नहीं बनते।

258. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
कंपनी विधि के अनुसार, कंपनी एक 'पृथक विधिक इकाई' है जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसकी एक मुख्य विशेषता 'शाश्वत उत्तराधिकार' (Perpetual Succession) है। इसका अर्थ है कि कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों के जीवन पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी सदस्य या निदेशक की मृत्यु, पागलपन या दिवालियापन कंपनी के विधिक व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। कंपनी तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि उसे विधिक प्रक्रिया द्वारा समाप्त न कर दिया जाए। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और विधिक स्थिति स्पष्ट करते हैं।

259. (C) भुगतान का बिना शर्त वचन।
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, वचन पत्र (Promissory Note) एक लिखित लिखत है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित एक 'बिना शर्त वचन' होता है। इसमें निर्माता स्वयं यह वचन देता है कि वह एक निश्चित राशि का भुगतान एक विशिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर करेगा। यह

विनिमय पत्र से भिन्न है क्योंकि इसमें निर्माता आदेश देने के बजाय स्वयं भुगतान का दायित्व स्वीकार करता है। वचन का बिना शर्त होना इसकी परक्राम्यता और विधिक प्रवर्तनीयता के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है।

260. (D) संविदा को विसर्जित कर देती है।
संविदा की निष्फलता (Doctrine of Frustration) तब होती है जब संविदा के निर्माण के पश्चात कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटती है जो उसके पालन को भौतिक या विधिक रूप से असंभव बना देती है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, ऐसी स्थिति में संविदा स्वतः ही 'विसर्जित' (Discharge) हो जाती है। इसका विधिक परिणाम यह है कि दोनों पक्ष भविष्य के दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। यह संविदा को शून्यकरणीय नहीं बनाती, बल्कि उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देती है।

261. (C) यदि कंपनी ऐसा करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित करती है।
कंपनी अधिनियम के अनुसार, किसी कंपनी का स्वैच्छिक समापन तब किया जा सकता है जब कंपनी के सदस्य स्वयं व्यवसाय को बंद करने का निर्णय लें। इसके लिए कंपनी की सामान्य बैठक में एक 'विशेष प्रस्ताव' पारित किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए 75% सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी के अंतर्नियमों में किसी निश्चित अवधि या घटना के पश्चात समापन का प्रावधान है, तो एक साधारण प्रस्ताव भी पर्याप्त हो सकता है। यह प्रक्रिया न्यायाधिकरण के अनिवार्य हस्तक्षेप के बिना सदस्यों के स्वैच्छिक निर्णय पर आधारित होती है।

262. (C) P-4, Q-1, R-2, S-3
वस्तु विक्रय अधिनियम की प्रमुख शब्दावली व्यापारिक दायित्वों को परिभाषित करती है। 'शर्त' संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए एक अनिवार्य अनुबंध है। 'वारंटी' मुख्य उद्देश्य के लिए एक सहायक या संपार्श्विक अनुबंध है। 'माल में संपत्ति' का विधिक अर्थ माल का पूर्ण स्वामित्व है। 'कैवियट एम्प्टर' का विख्यात सिद्धांत यह स्थापित करता है कि माल खरीदते समय क्रेता को स्वयं सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यह सुमेलन अधिनियम के आधारभूत विधिक स्तंभों को सटीकता से प्रस्तुत करता है जो व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

263. (D) संविदा जो शून्य हो जाती है
संविदा विधि के अनुसार, कुछ संविदाएं निर्माण के समय पूर्णतः वैध और प्रवर्तनीय होती हैं, लेकिन बाद में परिस्थितियों में बदलाव, कानून में संशोधन या पालन की असंभवता के कारण वे प्रवर्तनीय नहीं रह जातीं। ऐसी संविदाओं को 'संविदा जो शून्य हो जाती है' (Contract that becomes void) कहा जाता है। यह 'प्रारंभ से शून्य करार' से भिन्न है जो कभी भी वैध नहीं होता। जैसे ही संविदा अपनी विधिक प्रवर्तनीयता खो देती है, वह शून्य हो जाती है और पक्षों को आगे पालन से मुक्ति मिल जाती है।

264. (A) किसी भी विधि द्वारा संविदा करने से अयोग्य घोषित व्यक्ति।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, संविदा करने की सक्षमता के लिए तीन शर्तें अनिवार्य हैं: व्यक्ति वयस्क हो, स्वस्थ चित्त का हो, और किसी विधि द्वारा संविदा करने से अयोग्य न ठहराया गया हो। अयोग्य व्यक्तियों में दिवालिया व्यक्ति, सजायाफ्ता अपराधी (सजा के दौरान) और विदेशी शत्रु सम्मिलित हैं। विदेशी नागरिक यदि शत्रु नहीं है, तो वह संविदा कर सकता है। अतः, विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति संविदा के विधिक दायित्व स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं माना जाता है।

265. (C) परम विश्वास का।
भागीदारी का संबंध 'उबर्रिमाई फिदेई' (Uberrimae Fidei) अर्थात परम विश्वास के सिद्धांत पर आधारित होता है। भागीदारों के बीच का विधिक संबंध केवल एक व्यावसायिक अनुबंध नहीं है, बल्कि यह आपसी भरोसे और ईमानदारी का रिश्ता है। प्रत्येक भागीदार का यह विधिक कर्तव्य है कि वह फर्म के लाभ के लिए कार्य करे, पूर्ण लेखा प्रदान करे और कोई भी गुप्त लाभ अर्जित न करे। विश्वास का कोई भी उल्लंघन न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि वह भागीदारी अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई का आधार भी बनता है।

266. (A) असीमित दायित्व
एक पंजीकृत कंपनी की मुख्य विशेषताओं में पृथक विधिक इकाई, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा (कॉर्पोरेट सील) शामिल हैं। इसके विपरीत, 'असीमित दायित्व' कंपनी की सामान्य विशेषता नहीं है; अधिकांश कंपनियां अंशों या गारंटी द्वारा 'सीमित दायित्व' वाली होती हैं। सीमित दायित्व का अर्थ है कि सदस्यों का जोखिम उनके निवेश तक ही सीमित है। यद्यपि कानून असीमित दायित्व वाली कंपनियों के गठन की अनुमति देता है, लेकिन यह कॉर्पोरेट स्वरूप का सामान्य या अनिवार्य गुण नहीं माना जाता है।

267. (D) उसमें निहित किसी भी वचन को निभाने की आवश्यकता नहीं है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 64 के अनुसार, जब कोई संविदा 'शून्यकरणीय' होती है और पीड़ित पक्ष उसे रद्द करने का विकल्प चुनता है, तो संविदा विधिक रूप से समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में, दूसरे पक्ष को संविदा के तहत किए गए किसी भी वचन को निभाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। साथ ही, जिस पक्ष ने संविदा रद्द की है, उसे यदि दूसरे पक्ष से कोई विधिक लाभ प्राप्त हुआ है, तो उसे वह लाभ यथासंभव वापस करना होगा ताकि पक्षों को उनकी मूल स्थिति में लाया जा सके।

268. (B) कुछ करने या कुछ करने से विरत रहने का वचन हो सकता है।
संविदा विधि के अनुसार, प्रतिफल (Consideration) केवल धन या भौतिक वस्तु तक सीमित नहीं है। यह कोई भी ऐसा कार्य हो सकता है जिसे करने के लिए वचनग्रहीता विधिक रूप से बाध्य नहीं था, या यह कुछ न करने (विरति) का वचन

की विधिक संरचना या वित्तीय स्थिति ऐसी हो जाए कि उसे आगे चलाना जनहित या सदस्यों के हित में संभव न हो।

287. (A) प्रतिभू
प्रत्याभूति की संविदा (Contract of Guarantee) में तीन महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। वह व्यक्ति जो मुख्य ऋणी द्वारा ऋण न चुकाने या वचन पूरा न करने की स्थिति में उत्तरदायित्व स्वीकार करता है और गारंटी देता है, उसे विधिक रूप से 'प्रतिभू' (Surety) कहा जाता है। प्रतिभू का दायित्व द्वितीयक होता है और वह लेनदार को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक विशेष प्रकार की संविदा है जहाँ प्रतिभू, लेनदार और मुख्य ऋणी के बीच त्रिपक्षीय विधिक संबंध स्थापित होते हैं जो ऋण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

288. (C) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, संविदा करने के लिए पक्ष का 'स्वस्थ चित्त' (Sound mind) होना अनिवार्य है। विकृत चित्त वाला व्यक्ति संविदा के विधिक परिणामों को समझने में असमर्थ होता है, इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी करार विधिक रूप से 'शून्य' माना जाता है। कानून ऐसे व्यक्तियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण विधिक सुरक्षा प्रदान करता है ताकि कोई उनका अनुचित लाभ न उठा सके। अतः ऐसा समझौता प्रारंभ से ही प्रभावहीन होता है और प्रवर्तनीय नहीं होता है।

289. (B) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का प्राथमिक विधिक उद्देश्य भारतीय बाजारों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम ऐसी सभी प्रथाओं, करारों और प्रभुत्वशाली स्थितियों के दुरुपयोग को प्रतिषिद्ध करता है जिनका प्रतिस्पर्धा पर 'प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव' पड़ता है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलते हैं और व्यापार की स्वतंत्रता बनी रहती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने और बाजार की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक निकाय है।

290. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
भारतीय भागीदारी अधिनियम के तहत भागीदारी फर्म का पंजीकरण कराना स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं। पंजीकरण न कराने पर फर्म पर केवल कुछ विधिक प्रतिबंध लगते हैं, जैसे तीसरे पक्ष पर वाद न ला पाना। हालांकि, अपंजीकरण से भागीदारों के बीच हुए मूल भागीदारी करार की विधिक वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है; वह अभी भी वैध रहता है। यद्यपि अभिकथन और कारण दोनों स्वतंत्र विधिक सत्य हैं, लेकिन वे एक-दूसरे के कार्य-कारण संबंध को पूर्णतः स्पष्ट नहीं करते हैं।

291. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
कॉर्पोरेट विधि के प्रमुख सिद्धांत कंपनी के संचालन की विधिक सीमाओं को तय करते हैं। 'शक्तिबाह्य' का अर्थ है कंपनी की शक्तियों से बाहर के कार्य। 'आंतरिक प्रबंधन' बाहरी व्यक्तियों को कंपनी के भीतर की गुप्त अनियमितताओं से विधिक सुरक्षा देता है। 'निगमित आवरण हटाना' कपट के मामलों में कंपनी के पृथक व्यक्तित्व की अनदेखी करने का अधिकार देता है। अंततः, 'आन्विक सूचना' यह मानता है कि बाहरी व्यक्तियों को कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेजों का पूर्ण ज्ञान है। यह सुमेलन कॉर्पोरेट न्यायशास्त्र के आधारभूत तत्वों को स्पष्ट करता है।

292. (D) आकस्मिक असंभवता
संविदा की निष्फलता (Doctrine of Frustration) मुख्य रूप से 'आकस्मिक असंभवता' की अवधारणा पर आधारित है। यह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत आती है। यह उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ संविदा के निर्माण के समय पालन संभव था, लेकिन बाद में किसी बाहरी और अप्रत्याशित घटना के कारण वह भौतिक या विधिक रूप से असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में विधि पक्षों को उनके भविष्य के दायित्वों से मुक्त कर देती है क्योंकि संविदा का मूल आधार ही विधिक रूप से विफल हो गया है।

293. (C) पूंजी पर ब्याज का अधिकार।
भागीदारी अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक भागीदार को लाभ साझा करने, बहियों का निरीक्षण करने और नए भागीदार के प्रवेश पर असहमति जताने का वैधानिक अधिकार है। हालांकि, 'पूंजी पर ब्याज' का अधिकार सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। कोई भी भागीदार अपनी लगाई गई पूंजी पर ब्याज का दावा केवल तभी कर सकता है जब भागीदारों के बीच इसके लिए कोई स्पष्ट करार या विलेख मौजूद हो। विधिक रूप से, ब्याज केवल लाभ में से ही दिया जा सकता है, न कि फर्म की पूंजी को कम करके।

294. (B) प्रस्थापना
संविदा विधि के अनुसार, नीलामी की प्रक्रिया में विज्ञापन 'प्रस्ताव के लिए निमंत्रण' होता है। जब कोई व्यक्ति नीलामी के दौरान बोली लगाता है, तो उसकी प्रत्येक बोली विधिक रूप से एक 'प्रस्थापना' (Proposal) मानी जाती है। संविदा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि नीलामीकर्ता हथौड़ा गिराकर या किसी अन्य स्वीकृत रीति से उस बोली को स्वीकार न कर ले। बोली लगाने वाला व्यक्ति स्वीकृति से पूर्व किसी भी समय अपनी बोली (प्रस्ताव) को वापस लेने का विधिक अधिकार रखता है, जो प्रस्ताव के सामान्य नियमों के अनुरूप है।

295. (A) केवल 1 और 2
संविदा विधि के अनुसार, अवयस्क के साथ किया गया करार शून्य होता है, इसलिए वह संविदात्मक दायित्वों के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, विधि अवयस्क को पूर्ण विधिक सुरक्षा प्रदान करती है और वह संविदा के तहत 'वचनग्रहीता' या 'लाभार्थी' बन सकता है। प्रत्यास्थापन का सिद्धांत (Restitution) अवयस्क के विरुद्ध केवल विशिष्ट संपत्ति वापस करने के लिए लागू हो सकता है, लेकिन दिए गए धन या ऋण को वसूलने के लिए उसे लागू नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 1 और 2 सही हैं, जबकि कथन 3 पूर्णतः सत्य नहीं है।

फर्म का व्यवसाय बंद कर दिया जाता है, संपत्तियों का निपटान किया जाता है और ऋणों का भुगतान करने के बाद शेष राशि का वितरण होता है। यह 'भागीदारी के विघटन' से भिन्न है, जहाँ केवल भागीदारों में परिवर्तन होता है लेकिन फर्म जारी रहती है। 'विघटन' शब्द फर्म के पूर्ण विधिक अंत को सटीकता से परिभाषित करता है।

278. (B) विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, प्रत्येक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि द्वारा प्रतिषिद्ध (Forbidden by law) है, पूर्णतः शून्य माना जाता है। कानून उन समझौतों को प्रवर्तित नहीं करता जो आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा देते हैं या किसी विधिक नियम का उल्लंघन करते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि करार कपटपूर्ण है, अनैतिक है या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, तो भी वह शून्य होता है। विधि की दृष्टि में ऐसे करार प्रारंभ से ही अस्तित्वहीन माने जाते हैं और कोई विधिक बाध्यता उत्पन्न नहीं करते।

279. (D) माल शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति का है।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, अदत्त विक्रेता के पास माल को पुनः बेचने का विधिक अधिकार होता है। यदि माल 'शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति' (Perishable nature) का है, तो विक्रेता क्रेता को नोटिस दिए बिना भी उसे तुरंत बेच सकता है। अन्य मामलों में, उसे क्रेता को नोटिस देना होता है कि वह मूल्य का भुगतान करे, अन्यथा माल बेच दिया जाएगा। यह अधिकार विक्रेता को माल के खराब होने से होने वाली आर्थिक हानि से बचाने और अपने बकाया मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया है।

280. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भागीदारी का मूल आधार पारस्परिक एजेंसी का विधिक सिद्धांत है। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक भागीदार फर्म के व्यवसाय के लिए फर्म और अन्य सभी भागीदारों का अभिकर्ता होता है। इसलिए, एक भागीदार द्वारा फर्म के सामान्य व्यावसायिक क्रम में किया गया कोई भी कार्य अन्य सभी भागीदारों को विधिक रूप से बाध्य करता है। यह विशेषता भागीदारों के बीच सामूहिक उत्तरदायित्व और विश्वास का सृजन करती है। अतः ये दोनों कथन भागीदारी के विधिक स्वरूप और भागीदारों की अधिकार सीमा को सही ढंग से परिभाषित करते हैं।

281. (C) कथन देने वाले पक्ष का आशय।
कपट और मिथ्या-व्यपदेशन के बीच सबसे महत्वपूर्ण विधिक अंतर 'आशय' (Intention) का है। कपट में, पक्ष जानबूझकर और दूसरे को धोखा देने के इरादे से गलत कथन देता है। इसके विपरीत, मिथ्या-व्यपदेशन में पक्ष अनजाने में गलत कथन देता है, जिसे वह स्वयं सत्य मानता है और उसका उद्देश्य धोखा देना नहीं होता है। यद्यपि दोनों ही स्थितियों में संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है, लेकिन कपट के मामले में नुकसानी का दावा करना विधिक रूप से अधिक सरल और प्रभावी होता है।

282. (A) विघटन पर कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है।
कंपनी का अस्तित्व तब पूर्णतः समाप्त होता है जब समापन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात न्यायाधिकरण द्वारा 'विघटन' का अंतिम आदेश पारित किया जाता है। इस आदेश के बाद, कंपनी पंजीयक (ROC) कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से आधिकारिक रूप से हटा देता है। समापन केवल एक प्रक्रिया है जिसमें ऋणों का निपटान होता है, लेकिन विधिक अस्तित्व केवल तभी समाप्त होता है जब नाम रजिस्टर से विलोपित कर दिया जाता है। इसके बाद कंपनी का कोई विधिक व्यक्तित्व शेष नहीं रह जाता है।

283. (D) सीमित दायित्व
भागीदारी की मुख्य विधिक विशेषताओं में व्यक्तियों के बीच करार, लाभ अर्जित करने का व्यावसायिक उद्देश्य और पारस्परिक एजेंसी शामिल हैं। इसके विपरीत, 'सीमित दायित्व' सामान्य भागीदारी की विशेषता नहीं है; भागीदारों का दायित्व सदैव 'असीमित' होता है, जिसका अर्थ है कि उनके निजी घर और संपत्तियाँ भी फर्म के ऋणों के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। सीमित दायित्व केवल 'सीमित दायित्व भागीदारी' (LLP) या कंपनियों में पाया जाता है। अतः सामान्य भागीदारी में असीमित दायित्व ही एक अनिवार्य विधिक तत्व है।

284. (B) संसूचित होने के पश्चात स्वीकृति की अपरिवर्तनीय प्रकृति।
यह प्रसिद्ध सादृश्य सर विलियम एन्सन द्वारा दिया गया था। इसका विधिक अर्थ यह है कि जैसे ही एक प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया जाता है और उसकी संसूचना पूर्ण हो जाती है, वह एक बाध्यकारी संविदा बन जाती है जिसे एकतरफा रूप से वापस नहीं लिया जा सकता। प्रस्थापना और स्वीकृति का मिलन एक ऐसी विधिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे बारूद की गाड़ी में माचिस की तीली विस्फोट कर देती है। यह संविदात्मक दायित्वों की स्थिरता और पवित्रता को दर्शाता है।

285. (C) माल पर कोई विधिक स्वत्व प्राप्त नहीं करता है।
'नेमो डेट क्वॉड नॉन हैबेट' के नियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दूसरे को उससे बेहतर स्वत्व नहीं दे सकता जो उसके पास स्वयं है। यदि विक्रेता माल का विधिक स्वामी नहीं है, तो वह क्रेता को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए विधिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में, क्रेता को माल पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है और वास्तविक स्वामी किसी भी समय माल वापस मांग सकता है। यह नियम व्यापार में वास्तविक स्वामियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत है।

286. (D) कंपनी के निदेशक मंडल ने त्यागपत्र दे दिया है।
न्यायाधिकरण द्वारा अनिवार्य समापन केवल कंपनी अधिनियम में निर्दिष्ट गंभीर आधारों पर किया जा सकता है, जैसे ऋण चुकाने में अक्षमता, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, या विधिक विवरण दाखिल न करना। निदेशक मंडल का सामूहिक त्यागपत्र देना समापन का विधिक आधार नहीं है; ऐसी स्थिति में नए निदेशकों की नियुक्ति की जा सकती है। समापन तभी होता है जब कंपनी

232. (A) व्यादेश
व्यादेश (Injunction) न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक निवारक उपचार या आदेश है। संविदा विधि के संदर्भ में, जब कोई संविदा ऐसी होती है जिसमें एक पक्ष ने कुछ न करने का वचन दिया होता है (नकारात्मक शर्त), तो न्यायालय उसे उस कार्य को करने से रोकने के लिए व्यादेश जारी कर सकता है। यह 'विनिर्दिष्ट अनुपालन' से इस प्रकार भिन्न है कि यह सकारात्मक कार्य करने के बजाय नकारात्मक कार्य को रोकने पर केंद्रित होता है। यह उपचार प्रदान करना पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

233. (C) एक विशेष प्रस्ताव।
कंपनी के संस्था के ज्ञापन (Memorandum of Association) का उद्देश्य खंड कंपनी की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण विधिक प्रक्रिया है। कंपनी अधिनियम के अनुसार, इस खंड को परिवर्तित करने के लिए कंपनी की सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा एक 'विशेष प्रस्ताव' (Special Resolution) पारित किया जाना अनिवार्य है। विशेष प्रस्ताव के लिए कम से कम 75% सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में विनियामक प्राधिकरणों की अनुमति भी आवश्यक हो सकती है।

234. (B) केवल 2 और 3
संविदा विधि के अनुसार, अवयस्क के साथ किया गया करार पूर्णतः शून्य होता है, न कि शून्यकरणीय। अतः कथन 1 गलत है। हालांकि, विधि अवयस्क को सुरक्षा प्रदान करती है; वह भागीदारी के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है और एक अभिकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकता है क्योंकि अभिकर्ता के कार्यों के लिए प्रधान उत्तरदायी होता है। एक अवयस्क अपने पक्ष में किए गए संविदात्मक लाभों का हकदार होता है। अतः कथन 2 और 3 विधिक रूप से सही हैं और अवयस्क की विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

235. (D) मृत्यु का तथ्य स्वीकृति से पूर्व स्वीकारकर्ता को ज्ञात हो जाता है।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, प्रस्तावक की मृत्यु या विकृतचित्तता से प्रस्थापना तब व्यपगत (Lapse) हो जाती है जब उसकी मृत्यु का तथ्य स्वीकारकर्ता को स्वीकृति देने से पूर्व ज्ञात हो जाए। यदि स्वीकारकर्ता को मृत्यु की जानकारी नहीं है और वह स्वीकृति दे देता है, तो कुछ मामलों में एक वैध संविदा का निर्माण हो सकता है (यदि कार्य व्यक्तिगत प्रकृति का न हो)। यह नियम सुनिश्चित करता है कि स्वीकृति के समय पक्षों के बीच विधिक संबंधों के सृजन की वास्तविक संभावना मौजूद हो।

236. (B) क्रेता दिवालिया हो जाता है और माल मार्ग में होता है।
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार, अदत्त विक्रेता के पास 'मार्गस्थ माल रोकने का अधिकार' (Right of stoppage in transit) एक विशेष विधिक उपचार है। इस अधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब विक्रेता ने माल का कब्जा छोड़ दिया हो, माल अभी भी वाहक के पास मार्ग में हो, और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि क्रेता दिवालिया हो गया हो। इस अधिकार के माध्यम से विक्रेता माल को वापस प्राप्त कर सकता है और मूल्य के भुगतान तक उसे अपने पास रोक सकता है।

237. (C) विबंधन
'विबंधन' या 'एस्ट्रोपेल' का सिद्धांत यह स्थापित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण द्वारा दूसरों को यह विश्वास दिलाता है कि वह फर्म का भागीदार है, तो वह बाद में इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता। यदि किसी तीसरे पक्ष ने उसके इस प्रतिनिधित्व पर विश्वास करके फर्म को ऋण दिया है, तो वह व्यक्ति उस तीसरे पक्ष के प्रति एक वास्तविक भागीदार की तरह उत्तरदायी होगा। यह सिद्धांत व्यापारिक लेन-देन में विश्वास की रक्षा करने और अनुचित प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए बनाया गया है।

238. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संविदा विधि के अनुसार, सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं माना जाता है क्योंकि क्रेता को सतर्क रहने का कर्तव्य है। हालांकि, इसके विधिक अपवाद हैं; जब पक्षों के बीच विश्वास का संबंध हो (जैसे पिता और पुत्र) या जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी हों कि चुप रहना स्वयं में बोलने के समान हो, तो वहाँ तथ्यों को न बताना कपट माना जा सकता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति का 'बोलने का विधिक कर्तव्य' होता है। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कपट के सूक्ष्म विधिक पहलू को स्पष्ट करते हैं।

239. (A) कंपनी के प्रबंधन में पूर्ण गतिरोध।
न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए 'उचित और न्यायसंगत' आधार एक व्यापक विधिक शक्ति है। इसमें ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं जहाँ कंपनी का सुचारु संचालन असंभव हो गया हो, जैसे कि निदेशकों या अंशधारकों के बीच पूर्ण गतिरोध (Deadlock) होना, जिससे कंपनी का प्रबंधन ठप हो जाए। केवल कम लाभ होना या व्यावसायिक रणनीति में बदलाव समापन का आधार नहीं है। यह आधार तब अपनाया जाता है जब कंपनी की विधिक और व्यावसायिक संरचना पूर्णतः टूट चुकी हो और कोई अन्य विकल्प शेष न हो।

240. (B) शून्य दिन
परक्राम्य लिखित अधिनियम के अनुसार, चेक सदैव 'मांग पर देय' (Payable on demand) होता है। इसलिए, चेक के भुगतान के लिए कोई रियायती अवधि (Days of Grace) नहीं दी जाती है। रियायती अवधि केवल उन वचन पत्रों और विनिमय पत्रों के लिए अनुमत है जो किसी निश्चित अवधि या तिथि के पश्चात देय होते हैं। जैसे ही चेक बैंक में प्रस्तुत किया जाता है, वह तत्काल भुगतान योग्य होता है। यह चेक की एक विशिष्ट विधिक विशेषता है जो इसे अन्य वाणिज्यिक लिखतों से अलग करती है।

241. (B) प्रवंचित करने का आशय।
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, 'कपट' का मुख्य और अनिवार्य तत्व दूसरे पक्ष को धोखा देने या उसे संविदा में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने का स्पष्ट 'आशय'

296. (A) माल के स्वत्व का दस्तावेज।
'लदान पत्र' (Bill of Lading) वस्तु विक्रय अधिनियम के तहत 'माल के स्वत्व का दस्तावेज' (Document of Title to Goods) माना जाता है। यह वाहक द्वारा माल प्राप्त करने की पावती और परिवहन की संविदा का साक्ष्य है। विधिक रूप से, इस दस्तावेज का हस्तांतरण माल के 'प्रतीकात्मक परिदान' के समान होता है, जिससे धारक को माल का विधिक कब्जा और स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। यद्यपि यह परक्राम्य हो सकता है, लेकिन यह परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत एक परक्राम्य लिखित नहीं है।

297. (C) शून्य
भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, प्रत्येक वह करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल अवैध है, विधि की दृष्टि में पूर्णतः 'शून्य' माना जाता है। कानून ऐसे किसी भी समझौते को मान्यता नहीं देता है जो विधिक नियमों का उल्लंघन करता हो या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो। ऐसे करार प्रारंभ से ही प्रभावहीन (Void-ab-initio) होते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अवैध कार्यों पर आधारित संधियाँ समाज और न्याय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध मानी जाती हैं।

298. (A) आन्विक सूचना का सिद्धांत
'आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत' विधिक रूप से 'आन्विक सूचना के सिद्धांत' का एक प्रमुख अपवाद है। जहाँ आन्विक सूचना का सिद्धांत यह मानकर कंपनी की रक्षा करता है कि बाहरी व्यक्ति सार्वजनिक दस्तावेजों को जानते हैं, वहीं आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत बाहरी व्यक्तियों को कंपनी के भीतर की गुप्त अनियमितताओं से बचाता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सद्भावपूर्वक व्यापार करने वाले व्यक्तियों को कंपनी के आंतरिक नियमों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी न ठहराया जाए। यह वाणिज्यिक सुगमता और विधिक संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है।

299. (D) व्यवसाय के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।
भागीदारी अधिनियम की धारा 44 के अनुसार, न्यायालय किसी भागीदार के दुराचरण के आधार पर फर्म के विघटन का आदेश तभी देता है जब वह दुराचरण ऐसा हो जिससे व्यवसाय के सुचारु संचालन को गंभीर क्षति पहुँचे। मामूली या व्यक्तिगत दुराचरण जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है, विघटन का पर्याप्त विधिक आधार नहीं बनता है। भागीदारी आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित होती है, और यदि दुराचरण से व्यवसाय की स्थिरता और साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो भागीदारी को समाप्त करना विधिक रूप से आवश्यक हो जाता है।

300. (B) प्रतिपूरक
संविदा विधि में संविदा भंग के लिए नुकसानी देने का प्राथमिक विधिक उद्देश्य पीड़ित पक्ष को हुई वास्तविक आर्थिक हानि की भरपाई करना है। यह उपचार दंडात्मक न होकर 'प्रतिपूरक' (Compensatory) प्रकृति का होता है। इसका लक्ष्य पीड़ित पक्ष को उसी वित्तीय स्थिति में रखना है जिसमें वह तब होता यदि संविदा का विधिवत पालन किया गया होता। न्यायालय केवल उन्हीं हानियों के लिए नुकसानी प्रदान करता है जो संविदा भंग के प्रत्यक्ष और स्वाभाविक परिणाम के रूप में उत्पन्न हुई हों। यह न्याय का मूल आधार है।

दायित्व के तहत उपलब्ध हैं।
(C) कठोर दायित्व में नुकसानी की राशि हमेशा अधिक होती है।
(D) भारत में प्रतिपादित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किसी भी अपवाद को मान्यता नहीं देता है।

21. अपकृत्यों में संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत, जैसा कि यह एक लोक सेवक के अपकृत्यात्मक दायित्व पर लागू होता है, पारंपरिक रूप से इसका अर्थ है:
(A) एक लोक सेवक पर उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी अपकृत्य के लिए कभी भी व्यक्तिगत रूप से वाद नहीं चलाया जा सकता है।
(B) राज्य को हमेशा उसके विभिन्न लोक सेवकों द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।
(C) संप्रभु कार्यों के निष्पादन में अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं है।
(D) एक लोक सेवक सभी कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, जबकि राज्य पूरी तरह से मुक्त रहता है।

22. सरकार के अपकृत्यात्मक दायित्व से संबंधित किस मामले में राज्य के 'संप्रभु' और 'गैर-संप्रभु' कार्यों के बीच के अंतर पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी?
(A) भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य
(B) कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(C) रुदल साह बनाम बिहार राज्य
(D) नीलाबाती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य

23. प्रतिनिधिक दायित्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) एक नियोक्ता सामान्यतः एक स्वतंत्र ठेकेदार के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।
(B) सेवक का कृत्य एक दोषपूर्ण कृत्य होना चाहिए।
(C) कृत्य नियोजन के दौरान किया जाना चाहिए।
(D) स्वामी का दायित्व सेवक को उसके व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त कर देता है।

24. एक लोक सेवक द्वारा किसी कानूनी कृत्य को गलत तरीके से निष्पादित करना किसका उदाहरण है?
(A) मिसफीजेंस
(B) नॉन-फीजेंस
(C) मेलफीजेंस
(D) संप्रभु कार्य

25. सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी के प्रतिनिधिक दायित्व को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें:
1. अपकृत्य करने वाला व्यक्ति प्रतिवादी का सेवक होना चाहिए।
2. अपकृत्य नियोजन के दौरान किया जाना चाहिए।
3. स्वामी ने उस विशिष्ट दोषपूर्ण कृत्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राधिकृत किया होना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

26. लैटिन सूक्ति 'क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से' किसका आधार है?
(A) प्रतिनिधिक दायित्व
(B) कठोर दायित्व
(C) पूर्ण दायित्व
(D) उपताप

27. एक लोक सेवक के अपकृत्यात्मक दायित्व के संदर्भ में 'नॉन-फीजेंस' का तात्पर्य है:
(A) एक अवैध कृत्य करना।
(B) एक कानूनी कृत्य का अनुचित निष्पादन।
(C) विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग।
(D) एक अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने में विफलता।

28. 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' के बचाव का अर्थ है:
(A) क्षति दैवीय कृत्य के कारण हुई थी।
(B) सहमति देने वाले व्यक्ति को कोई कानूनी क्षति नहीं होती।
(C) वादी स्वयं भी एक दोषकर्ता था।
(D) मामले का निर्णय पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है।

29. 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' के बचाव के सफल होने के लिए, सहमति कैसी होनी चाहिए?
(A) विवक्षित और सामान्य।
(B) दबाव में दी गई।
(C) स्वतंत्र और स्वैच्छिक।
(D) जोखिम की जानकारी के बिना दी गई।

30. निम्नलिखित सामान्य बचावों को उस विशिष्ट वैचारिक क्रम में व्यवस्थित करें जिस पर अपकृत्य मामले में विचार किया जाता है:
1. यह सिद्ध करना कि वादी ने जोखिम के लिए सहमति दी थी।
2. यह तर्क देना कि घटना एक अपरिहार्य दुर्घटना थी।
3. यह स्थापित करना कि प्रतिवादी का कृत्य एक आवश्यकता थी।
4. यह दिखाना कि वादी भी दोषी था।
(A) 1, 4, 2, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 1, 2, 3

10. अपकृत्य कानून की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अपकृत्य कानून मुख्य रूप से पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने से संबंधित है।
2. अपकृत्य में कर्तव्यों का स्रोत स्वयं कानून है, न कि पक्षों के बीच कोई समझौता।
3. एक ही कृत्य अपकृत्य और अपराध दोनों हो सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

11. अपकृत्य कानून के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) यह दीवानी कानून का एक भाग है।
(B) यह 'कॉमन लॉ' सिद्धांतों और पूर्वोदाहरणों पर आधारित है।
(C) यह दीवानी दोषों के लिए उपचार प्रदान करता है।
(D) अपकृत्य में प्राथमिक उपचार कारावास है।

12. अपकृत्य कानून का मौलिक सिद्धांत 'उबी जस इबी रेमेडियम' है, जिसका अर्थ है:
(A) कृत्य स्वयं बोलता है।
(B) जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है।
(C) वरिष्ठ को उत्तर देने दें।
(D) इच्छुक व्यक्ति को क्षति नहीं पहुँचाई जाती।

13. अपकृत्य को "किसी निजी व्यक्ति के सर्वबंधी अधिकार का उल्लंघन जो पीड़ित पक्ष के वाद पर क्षतिपूर्ति का अधिकार देता है" के रूप में किसने परिभाषित किया?
(A) सामंड
(B) विनफील्ड
(C) फ्रेज़र
(D) पोलक

14. 'कठोर दायित्व' का नियम किस ऐतिहासिक मामले में निर्धारित किया गया था?
(A) डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
(B) एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ
(C) कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
(D) रीलैंड्स बनाम फ्लेचर

15. सूची I के सिद्धांतों को सूची II के प्रमुख मामलों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: सिद्धांत
P. पूर्ण दायित्व
Q. राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व
R. कठोर दायित्व
S. उपेक्षा में सावधानी बरतने का कर्तव्य

सूची II: प्रमुख मामला
1. रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
2. डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
3. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ
4. कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

16. कंपनी 'X' द्वारा नियोजित एक ट्रक चालक, अपने मित्र से मिलने के लिए अपने अधिकृत मार्ग से हट जाता है। इस विचलन के दौरान, वह लापरवाही से दुर्घटना कर देता है। विचलन के इस कृत्य को किस रूप में जाना जाता है?
(A) नियोजन के दौरान एक छोटा मार्ग विचलन।
(B) स्वयं का आमोद-प्रमोद।
(C) आवश्यकता का कृत्य।
(D) वाहन का अप्राकृतिक उपयोग।

17. निम्नलिखित में से कौन कठोर दायित्व के नियम का एक मान्यता प्राप्त अपवाद नहीं है?
(A) दैवीय कृत्य
(B) प्रतिवादी की वित्तीय अक्षमता
(C) वादी की सहमति
(D) वैधानिक प्राधिकार

18. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का कोई अपवाद नहीं है।
तर्क (R): यह सिद्धांत खतरनाक गतिविधियों में संलग्न इकाइयों को किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए विकसित किया गया था।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

19. भारत में प्रतिपादित 'पूर्ण दायित्व' के सिद्धांत का अर्थ है:
(A) दायित्व जो प्रकृति में कठोर है लेकिन कई मानक कानूनी अपवादों की अनुमति देता है।
(B) बिना किसी दोष के दायित्व, जहाँ परिणामी नुकसानी को सीमित किया गया है।
(C) खतरनाक गतिविधियों में सम्मिलित इकाइयों के लिए बिना किसी अपवाद के कठोर दायित्व।
(D) दायित्व जो विशेष रूप से सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होता है।

20. कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) कठोर दायित्व पशुओं पर लागू होता है, जबकि पूर्ण दायित्व वस्तुओं पर लागू होता है।
(B) पूर्ण दायित्व उन अपवादों की अनुमति देता है जो कठोर

65. उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र में सम्मिलित हैं:
(A) स्थानीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय।
(B) जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग।
(C) ग्राम पंचायत, जिला परिषद, राज्य सरकार।
(D) मध्यस्थ, सुलहकर्ता, लोकपाल।

66. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार कितनी राशि तक के दावों के लिए है?
(A) बीस लाख रुपये।
(B) पचास लाख रुपये।
(C) एक करोड़ रुपये।
(D) दस करोड़ रुपये।

67. निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आएगी?
(A) बिक्री के लिए उत्पादों के निर्माण हेतु कच्चा माल खरीदने वाला व्यक्ति।
(B) सरकारी चिकित्सालय में निःशुल्क उपचार कराने वाला रोगी।
(C) स्वामी-सेवक संबंध के तहत व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध।
(D) व्यक्तिगत उपयोग के लिए लैपटॉप खरीदने वाला व्यक्ति, जो दोषपूर्ण निकलता है।

68. एक सामान्य उपभोक्ता शिकायत प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें:
1. उपयुक्त उपभोक्ता फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज करना।
2. मामले की सुनवाई और आदेश पारित करना।
3. विपक्षी दल को नोटिस भेजना।
4. यदि आवश्यक हो, तो उच्च आयोग में अपील करना।
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 2, 1, 3, 4

69. अपकृत्य और अपराध के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) अपकृत्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोष है, जबकि अपराध राज्य के विरुद्ध दोष है।
(B) अपकृत्य हमेशा जानबूझकर होता है, जबकि अपराध अनजाने में हो सकता है।
(C) अपकृत्य का उपचार दंड है, जबकि अपराध का उपचार क्षतिपूर्ति है।
(D) कोई अंतर नहीं है; सभी अपकृत्य अपराध हैं।

70. "पिजिन-होल" सिद्धांत, जो सुझाव देता है कि अपकृत्य कानून विशिष्ट, नामित अपकृत्यों का एक समूह है, किस न्यायविद से जुड़ा है?
(A) विनफील्ड
(B) सामंड
(C) पोलक
(D) ब्लैकस्टोन

71. विनफील्ड का अपकृत्य सिद्धांत मानता है कि:
(A) दूसरे व्यक्ति को पहुँचाई गई सभी क्षतियाँ अपकृत्य हैं जब तक कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई औचित्य न हो।
(B) अपकृत्यों की संख्या निश्चित है, और वादी को अपने दावे के लिए एक 'पिजिन-होल' खोजना होगा।
(C) अपकृत्यात्मक दायित्व केवल संविदा भंग से उत्पन्न होता है।
(D) द्वेष प्रत्येक अपकृत्य का सबसे आवश्यक तत्व है।

72. यदि प्रतिवादी का कार्य करने का कानूनी कर्तव्य है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है, जिससे वादी को नुकसान होता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है?
(A) सक्रिय दोषपूर्ण कृत्य।
(B) न्यास भंग।
(C) संविदा भंग।
(D) लोपकारी दोषपूर्ण कृत्य।

73. सूची I की अवधारणाओं को सूची II के विवरणों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: अवधारणा
P. मेलफीजेंस
Q. मिसफीजेंस
R. नॉन-फीजेंस
S. प्रतिनिधिक दायित्व
सूची II: विवरण
1. कानूनी कर्तव्य का पालन करने में विफलता
2. एक गैर-कानूनी कृत्य करना
3. एक कानूनी कृत्य का अनुचित निष्पादन
4. दूसरे के कृत्य के लिए दायित्व
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

74. एक स्वामी सामान्यतः एक स्वतंत्र ठेकेदार के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन इस नियम का अपवाद है?
(A) जब ठेकेदार को उच्च शुल्क का भुगतान किया जाता है।
(B) जब सौंपा गया कार्य स्वाभाविक रुप से खतरनाक हो या उसमें कठोर दायित्व सम्मिलित हो।
(C) जब ठेकेदार अपने स्वयं के उपकरणों का उपयोग करता है।
(D) जब नियोक्ता कार्य की निगरानी नहीं करता है।

75. प्रतिनिधिक दायित्व के संदर्भ में, "नियोजन के दौरान" में क्या सम्मिलित है?
(A) केवल स्वामी द्वारा स्पष्ट रुप से प्राधिकृत कृत्य।
(B) केवल कार्य के घंटों के दौरान किए गए कृत्य।

31. अपकृत्य में बचाव के रूप में 'अपरिहार्य दुर्घटना' एक ऐसी घटना है जिसे:
(A) किसी भी उचित देखभाल और सावधानी से टाला नहीं जा सकता था।
(B) प्राकृतिक शक्तियों द्वारा कारित किया जाता है।
(C) प्रतिवादी द्वारा आशयित किया गया था लेकिन उसका अनपेक्षित परिणाम निकला।
(D) इसमें कानून की भूल सम्मिलित है।

32. 'दैवीय कृत्य' के बचाव के लिए घटना का होना आवश्यक है:
(A) एक सामान्य प्राकृतिक घटना।
(B) एक असाधारण प्राकृतिक घटना जिसे पूर्वलक्षित या सुरक्षित नहीं किया जा सकता था।
(C) प्राकृतिक शक्तियों के साथ मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम।
(D) कोई भी दुर्घटना जो बाहर खुले में होती है।

33. निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति का उदाहरण है जहाँ 'आवश्यकता' का बचाव लागू हो सकता है?
(A) एक व्यक्ति पार्टी में समय पर पहुँचने के लिए गाड़ी तीव्र चलाता है।
(B) एक व्यक्ति तूफान में डूबने से बचाने के लिए दूसरे की संपत्ति को नाव से बाहर फेंक देता है।
(C) एक दुकानदार अधिक माँग के कारण वस्तु के लिए अधिक मूल्य वसूलता है।
(D) एक चालक फोन पर बात करते समय पैदल यात्री को टक्कर मार देता है।

34. बचाव के रूप में 'वादी स्वयं दोषकर्ता' सूक्ति का तात्पर्य है कि:
(A) वादी का दोषपूर्ण कार्य उसके द्वारा झेली गई क्षति से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध होना चाहिए।
(B) कोई भी वादी जिसने कभी कोई गलती की है, वह अपकृत्य में वाद नहीं कर सकता।
(C) वादी का नैतिक चरित्र प्रश्न में है।
(D) क्षति के समय वादी अतिचार कर रहा था, जो क्षतिपूर्ति के लिए एक स्वतः अवरोध है।

35. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): वैधानिक प्राधिकार अपकृत्य की कार्रवाई के लिए एक पूर्ण बचाव हो सकता है।
तर्क (R): कोई व्यक्ति अपकृत्यात्मक कृत्य की शिकायत नहीं कर सकता यदि वह किसी कानून के प्राधिकार के अधीन किया गया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

36. नुकसानी की दूरस्थता के संदर्भ में, 'उचित दूरदर्शिता का परीक्षण' पूछता है:
(A) क्या प्रतिवादी घटनाओं और परिणामों के सटीक क्रम की प्रत्यक्ष भविष्यवाणी कर सकता था।
(B) क्या उस समय सम्मिलित पक्षों द्वारा किसी भी शारीरिक क्षति का अनुमान लगाया जा सकता था।
(C) क्या क्षति प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष और तत्काल शारीरिक परिणाम थी।
(D) क्या प्रतिवादी की स्थिति में एक उचित व्यक्ति उस प्रकार की क्षति का अनुमान लगा सकता था।

37. 'री पोलेमिस' में स्थापित नुकसानी की दूरस्थता के लिए 'प्रत्यक्षता का परीक्षण' बताता है कि एक प्रतिवादी उत्तरदायी है:
(A) केवल अपने कृत्य के पूर्वानुमेय परिणामों के लिए।
(B) केवल उन परिणामों के लिए जो आशयित थे।
(C) अपने दोषपूर्ण कृत्य के सभी प्रत्यक्ष परिणामों के लिए, चाहे वे पूर्वानुमेय हों या नहीं।
(D) केवल शारीरिक क्षति के लिए, आर्थिक हानि के लिए नहीं।

38. ऐतिहासिक मामला 'द वेगन माउंट (नंबर 1)' महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने प्रत्यक्षता के परीक्षण को किसके साथ परिवर्तित कर दिया?
(A) पूर्ण दायित्व का परीक्षण।
(B) उचित दूरदर्शिता का परीक्षण।
(C) योगदायी उपेक्षा का परीक्षण।
(D) एगशेल स्कल नियम।

39. 'एगशेल स्कल नियम' का अर्थ है कि:
(A) प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है यदि वादी पूर्व से ही किसी दुर्बलता से ग्रस्त था।
(B) क्षति अत्यधिक दूरस्थ है यदि वादी असामान्य रूप से संवेदनशील था।
(C) प्रतिवादी केवल उन चोटों के लिए उत्तरदायी है जो एक सामान्य व्यक्ति को हुई होतीं।
(D) प्रतिवादी को अपने पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है, जिसमें उसकी कोई भी असामान्य दुर्बलता सम्मिलित है।

40. अपकृत्य में सामान्य बचावों के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
(A) दैवीय कृत्य और अपरिहार्य दुर्घटना एक ही विषय हैं।
(B) कानून की भूल सामान्यतः एक वैध बचाव नहीं है।
(C) निजी प्रतिरक्षा व्यक्ति या संपत्ति की रक्षा के लिए उचित बल के प्रयोग की अनुमति देती है।
(D) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया के लिए जोखिम का ज्ञान और स्वीकृति आवश्यक है।

41. सूची I के बचावों को सूची II के प्रमुख तत्वों के साथ सुमेलित करें।

सीमित करता है जितना एक सामान्य व्यक्ति को हुआ होता।
(D) यह केवल जानबूझकर किए गए अपकृत्यों के मामलों में लागू होता है।

86. 'नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स' संदर्भित करता है:
(A) वादी की पूर्व से मौजूद स्थिति को।
(B) एक नया हस्तक्षेपकारी कार्य जो कार्य-कारण की श्रृंखला को भंग कर देता है।
(C) प्रतिवादी का प्रारंभिक उपेक्षापूर्ण कृत्य।
(D) वादी द्वारा अंततः झेली गई क्षति।

87. लॉर्ड एटकिन के 'पड़ोसी सिद्धांत' में, किसे अपना 'पड़ोसी' माना जाता है?
(A) केवल वे व्यक्ति जो तत्काल निकटता में रहते हैं।
(B) वे व्यक्ति जो मेरे कृत्य से इतने निकट और प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होते हैं कि मुझे उचित रूप से उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।
(C) केवल वे व्यक्ति जिनके साथ संविदात्मक संबंध है।
(D) देश के सभी नागरिक।

88. किससे सावधानी के उच्च स्तर की अपेक्षा की जाती है?
(A) विशेष कौशल का दावा करने वाला व्यक्ति, जैसे चिकित्सक या वास्तुकार।
(B) एक बालक।
(C) एक अनुभवहीन व्यक्ति।
(D) एक वृद्ध व्यक्ति।

89. ऑपरेशन के बाद रोगी के शरीर के भीतर शल्य चिकित्सा उपकरण छोड़ देने वाला चिकित्सक उस स्थिति का प्रमुख उदाहरण है जहाँ __________ का सिद्धांत लागू किया जा सकता है।
(A) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(B) योगदायी उपेक्षा
(C) रेस इप्सा लोक्विटुर
(D) नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स

90. निम्नलिखित में से कौन 'निजी उपताप' का एक प्रमुख तत्व है?
(A) हस्तक्षेप प्रत्यक्ष और भौतिक होना चाहिए।
(B) हस्तक्षेप अयुक्तियुक्त होना चाहिए।
(C) हस्तक्षेप एक बार की घटना होनी चाहिए।
(D) वादी को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, न कि केवल निवासी।

91. उपताप कानून में 'संवेदनशील वादी' की अवधारणा का अर्थ है कि:
(A) यदि वादी असामान्य रूप से संवेदनशील है, तो उसका पक्ष सुदृढ़ होता है।
(B) प्रतिवादी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए यदि वह जानता है कि वादी संवेदनशील है।
(C) उपताप के मामलों में संवेदनशीलता अप्रासंगिक है।
(D) कोई कृत्य उपताप नहीं है यदि वह केवल असामान्य संवेदनशीलता वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है।

92. उपताप में 'उपशमन' के उपचार का अर्थ है:
(A) नुकसानी के लिए वाद दायर करना।
(B) पीड़ित द्वारा स्वयं उपताप को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना।
(C) उपताप को रोकने के लिए अदालती आदेश प्राप्त करना।
(D) क्षतिपूर्ति के बदले उपताप को स्वीकार करना।

93. मानहानि के संदर्भ में 'इन्यूएंडो' क्या है?
(A) एक ऐसा कथन जो प्रत्यक्ष रुप से मानहानिकारक हो।
(B) मानहानिकारक कथन का प्रकाशन।
(C) शब्दों में एक निहित या गूढ़ अर्थ जो उन्हें मानहानिकारक बनाता है।
(D) यह बचाव कि कथन सत्य था।

94. पति द्वारा अपनी पत्नी को मानहानिकारक कथन का संप्रेषण:
(A) प्रकाशन माना जाता है और वाद योग्य है।
(B) प्रकाशन नहीं माना जाता है क्योंकि इस उद्देश्य के लिए कानून में पति-पत्नी को एक इकाई माना जाता है।
(C) सप्रतिबंध विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित है।
(D) अपमानवचन है लेकिन अपमानलेख नहीं।

95. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): संसदीय चर्चा में दिया गया वक्तव्य, भले ही वह गलत और दुर्भावनापूर्ण हो, मानहानि के लिए वाद योग्य नहीं है।
तर्क (R): भाषण की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संसद में दिए गए वक्तव्यों को पूर्ण विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित किया गया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

96. मानहानि के बचाव के रूप में 'सप्रतिबंध विशेषाधिकार' को विफल किया जा सकता है यदि वादी यह सिद्ध कर दे कि प्रतिवादी ने किसके साथ कार्य किया:
(A) उपेक्षा
(B) द्वेष
(C) अज्ञानता
(D) शीघ्रता

97. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, किसे 'उपभोक्ता' नहीं माना जा सकता है?
(A) व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदने वाला व्यक्ति।
(B) पुनर्विक्रय के उद्देश्य से वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति।
(C) बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने वाला व्यक्ति।

(A) एक अपराध है और बड़े पैमाने पर समुदाय को प्रभावित करता है।
(B) केवल एक व्यक्ति को प्रभावित करता है।
(C) इसमें हमेशा संपत्ति को भौतिक क्षति सम्मिलित होती है।
(D) अपकृत्य में कभी भी वाद योग्य नहीं होता है।

53. सार्वजनिक उपताप के लिए दीवानी कार्रवाई करने के लिए, किसी व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा:
(A) कि कृत्य जानबूझकर और एक विशिष्ट दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ किया गया था।
(B) कि उपताप सार्वजनिक संपत्ति पर या एक सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ था।
(C) कि उन्हें सामान्य जनता से अधिक विशेष या विशिष्ट क्षति हुई है।
(D) कि कम से कम दस अन्य लोग भी उसी कृत्य से प्रत्यक्ष प्रभावित हुए थे।

54. मानहानि व्यक्ति के किस अधिकार को क्षति पहुँचाना है?
(A) शरीर
(B) संपत्ति
(C) स्वतंत्रता
(D) प्रतिष्ठा

55. मानहानि के दो रूप कौन से हैं?
(A) हमला और प्रहार।
(B) अतिचार और उपताप।
(C) अपमानलेख और अपमानवचन।
(D) विद्वेषपूर्ण अभियोजन और मिथ्या कारावास।

56. अपमानलेख __________ रूप में मानहानि है, जबकि अपमानवचन __________ रूप में है।
(A) मौखिक; लिखित
(B) स्थायी; अस्थायी
(C) अस्थायी; स्थायी
(D) सार्वजनिक; निजी

57. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): मानहानि के वाद योग्य होने के लिए, मानहानिकारक कथन का प्रकाशन होना चाहिए।
तर्क (R): प्रकाशन का अर्थ है वादी के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य व्यक्ति को कथन संसूचित करना।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

58. मानहानि की कार्रवाई में 'औचित्य' या 'सत्य' के बचाव के लिए प्रतिवादी को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि:
(A) कथन पर्याप्त रूप से सत्य था।
(B) उन्हें विश्वास था कि कथन सत्य है।
(C) कथन जनहित में दिया गया था।
(D) कथन एक राय थी, तथ्य नहीं।

59. 'उचित टिप्पणी' का बचाव किसकी रक्षा करता है?
(A) तथ्य का कोई भी कथन, जब तक कि वह निष्पक्ष रूप से दिया गया हो।
(B) सार्वजनिक व्यक्तियों के बारे में दुर्भावनापूर्ण कथन।
(C) सत्य तथ्यों पर आधारित जनहित के मामले पर राय की ईमानदार अभिव्यक्ति।
(D) दो व्यक्तियों के बीच निजी संचार।

60. निम्नलिखित में से किस स्थिति में 'पूर्ण विशेषाधिकार', द्वेष की परवाह किए बिना मानहानि के विरुद्ध पूर्ण बचाव प्रदान करता है?
(A) राजनेताओं के बारे में समाचार पत्रों के लेख।
(B) संसदीय और न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिए गए वक्तव्य।
(C) पूर्व नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्य संदर्भ।
(D) सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियाँ।

61. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, 'उपभोक्ता' वह व्यक्ति है जो:
(A) पुनर्विक्रय या किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वस्तुएं खरीदता है।
(B) माल का निर्माण करता है।
(C) दूसरों को सेवाएँ बेचता है।
(D) प्रतिफल के बदले वस्तुएं खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है।

62. उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत वस्तुओं में 'दोष' क्या है?
(A) गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में कोई कमी, अपूर्णता या त्रुटि।
(B) उच्च मूल्य।
(C) बाज़ार में उत्पाद की अनुपलब्धता।
(D) माल की सुपुर्दगी में विलंब।

63. उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में 'कमी' का अर्थ है:
(A) सेवा बहुत महँगी थी।
(B) सेवा प्रदाता अशिष्ट था।
(C) गुणवत्ता, प्रकृति और निष्पादन की रीति में कोई त्रुटि, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता।
(D) उपभोक्ता को सेवा पसंद नहीं आई।

64. निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मान्यता प्राप्त उपभोक्ता अधिकार नहीं है?
(A) सुरक्षा का अधिकार।
(B) सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
(C) सुनवाई का अधिकार।
(D) निःशुल्क वस्तुएं पाने का अधिकार।

सूची I: बचाव
P. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
Q. दैवीय कृत्य
R. अपरिहार्य दुर्घटना
S. वैधानिक प्राधिकार
सूची II: प्रमुख तत्व
1. असाधारण प्राकृतिक घटना
2. जोखिम के लिए स्वतंत्र सहमति
3. कानूनी प्राधिकार
4. उचित देखभाल द्वारा टाला नहीं जा सकता
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

42. उपेक्षा के तीन आवश्यक तत्व हैं:
(A) सावधानी बरतने का कर्तव्य, उस कर्तव्य का उल्लंघन और परिणामी क्षति।
(B) आशय, कृत्य और क्षति।
(C) द्वेष, प्रकाशन और मानहानि।
(D) अवैध हस्तक्षेप, क्षति और अयुक्तियुक्तता।

43. सावधानी बरतने के कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए 'पड़ोसी सिद्धांत' किस महत्वपूर्ण मामले में स्थापित किया गया था?
(A) रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
(B) बोरहिल बनाम यंग
(C) होम ऑफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी लिमिटेड
(D) डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन

44. उपेक्षा में सावधानी का मानक क्या होता है?
(A) एक अत्यधिक सतर्क और विवेकपूर्ण व्यक्ति का।
(B) सामान्य विवेक वाले एक उचित व्यक्ति का।
(C) प्रतिवादी का अपना व्यक्तिगत निर्णय का मानक।
(D) किसी विशेष व्यवसाय में उच्चतम स्तर के कौशल वाले व्यक्ति का।

45. सूक्ति 'रेस इप्सा लोक्विटुर' किसका नियम है?
(A) कानून का
(B) प्रक्रिया का
(C) साक्ष्य का
(D) नुकसानी का

46. 'रेस इप्सा लोक्विटुर' का सिद्धांत कब लागू होता है?
(A) जब वादी प्रतिवादी की उपेक्षा का प्रत्यक्ष और निर्णायक साक्ष्य प्रदान कर सकता है।
(B) परिस्थितियों की परवाह किए बिना पेशेवर चिकित्सा या कानूनी उपेक्षा के सभी मामलों में।
(C) जब प्रतिवादी प्रारंभिक सुनवाई के दौरान स्पष्ट रुप से लापरवाही के कृत्य को स्वीकार करता है।
(D) जब कारण अज्ञात हो, लेकिन दुर्घटना सामान्यतः उपेक्षा के बिना नहीं होती।

47. योगदायी उपेक्षा क्या है?
(A) अपनी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतने में वादी की स्वयं की विफलता, जो उसकी क्षति में योगदान देती है।
(B) एक पूर्ण बचाव जो प्रतिवादी को सभी दायित्वों से मुक्त कर देता है।
(C) किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई उपेक्षा जो वादी की चोट में योगदान देती है।
(D) दो या दो से अधिक लोगों द्वारा मिलकर किया गया एक अपकृत्य।

48. योगदायी उपेक्षा में 'अंतिम अवसर का नियम' संदर्भित करता है:
(A) वादी के पास दुर्घटना से बचने का अंतिम अवसर होना।
(B) वादी की लापरवाही के बावजूद प्रतिवादी के पास दुर्घटना से बचने का अंतिम अवसर होना।
(C) वाद से पहले मामले को सुलझाने का अंतिम अवसर।
(D) उपेक्षा का दावा दायर करने के लिए परिसीमा अवधि।

49. आधुनिक अपकृत्य कानून में, योगदायी उपेक्षा के मामलों में, न्यायालय सामान्यतः क्या करते हैं?
(A) मामले को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं।
(B) वादी और प्रतिवादी के बीच उनके संबंधित दोष की डिग्री के आधार पर नुकसानी का वितरण करते हैं।
(C) प्रतिवादी को पूरी तरह से उत्तरदायी ठहराते हैं।
(D) 'अंतिम अवसर के नियम' को कठोरता से लागू करते हैं।

50. 'रेस इप्सा लोक्विटुर' के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तों पर विचार करें:
1. क्षति पहुँचाने वाली वस्तु प्रतिवादी के नियंत्रण में होनी चाहिए।
2. दुर्घटना इस प्रकार की होनी चाहिए जो सामान्यतः उपेक्षा के बिना नहीं होती।
3. घटना क्यों या कैसे हुई, इस बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होना चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

51. निजी उपताप को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया गया है:
(A) कोई भी कृत्य जो बड़ी संख्या में लोगों को विक्षुब्ध करता है।
(B) किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर भौतिक अतिचार।
(C) किसी व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग में अवैध हस्तक्षेप।
(D) एक अकेली घटना जो महत्वपूर्ण क्षति पहुँचाती है।

52. सार्वजनिक उपताप और निजी उपताप के बीच मुख्य अंतर यह है कि सार्वजनिक उपताप:

(C) वे कृत्य जो उस कार्य को करने के दोषपूर्ण तरीके हैं जिसके लिए सेवक नियुक्त किया गया है।
(D) सेवक का घर से कार्य पर जाना।

76. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर दायित्व के नियम के अपवादों को अस्वीकार कर दिया।
तर्क (R): न्यायालय ने खतरनाक गतिविधियों में संलग्न इकाइयों के लिए पूर्ण दायित्व का सिद्धांत स्थापित किया।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

77. "भूमि का अप्राकृतिक उपयोग" रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम के लिए एक आवश्यक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्राकृतिक उपयोग माना जाता है?
(A) घर में घरेलू जल की पाइप प्रणाली का होना।
(B) आवासीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में औद्योगिक रसायनों का भंडारण करना।
(C) उद्यान में वृक्ष लगाना।
(D) भवन में विद्युत तारों की व्यवस्था होना।

78. यदि कोई सर्कस एक बाघ रखता है जो भाग जाता है और किसी को घायल कर देता है, तो दायित्व किस पर आधारित होगा?
(A) उपेक्षा पर आधारित।
(B) संविदा पर आधारित।
(C) कोई दायित्व नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति ने सर्कस में जाकर जोखिम उठाया था।
(D) कठोर दायित्व।

79. सरकारी सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत को भारत में काफी कम कर दिया गया है, विशेष रूप से:
(A) रक्षा जैसे संप्रभु कार्यों के लिए।
(B) विधि बनाने के कार्यों के लिए।
(C) राज्य के वाणिज्यिक या गैर-संप्रभु कार्यों के लिए।
(D) विदेश नीति के निर्णयों के लिए।

80. अपकृत्य की कार्रवाई में वैध बचावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वादी ने कृत्य के लिए वैध सहमति दी थी।
2. कृत्य उचित बल का उपयोग करके निजी प्रतिरक्षा में किया गया था।
3. प्रतिवादी तथ्यों के बारे में भ्रमित था, लेकिन कानून के बारे में नहीं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

81. एक शल्य चिकित्सक, एक अचेत रोगी की जान बचाने के लिए उस पर आपातकालीन ऑपरेशन करते समय, किस बचाव द्वारा संरक्षित होता है?
(A) आवश्यकता
(B) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(C) अपरिहार्य दुर्घटना
(D) निजी प्रतिरक्षा

82. 'अपरिहार्य दुर्घटना' और 'दैवीय कृत्य' के बचाव के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) दैवीय कृत्य में प्राकृतिक शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं, जबकि अपरिहार्य दुर्घटना में नहीं।
(B) दैवीय कृत्य के लिए घटना का असाधारण होना आवश्यक है, न कि केवल उचित सावधानी से टाले न जाने योग्य।
(C) अपरिहार्य दुर्घटना एक पूर्ण बचाव है, जबकि दैवीय कृत्य नहीं है।
(D) दोनों के बीच कोई तात्त्विक अंतर नहीं है।

83. निम्नलिखित में से कौन 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' के बचाव के लिए आवश्यक नहीं है?
(A) सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए।
(B) वादी को जोखिम का ज्ञान होना चाहिए।
(C) सहमति लिखित में दी जानी चाहिए।
(D) सहमति छल या दबाव से प्राप्त नहीं की जानी चाहिए।

84. बचाव के मामले में, 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' का बचाव सामान्यतः बचावकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि:
(A) बचावकर्ता स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि नैतिक या कानूनी बाध्यता के तहत कार्य कर रहा था।
(B) बचावकर्ता को जोखिम का पूर्ण ज्ञान नहीं था।
(C) प्रतिवादी की लापरवाही ने आपातकालीन स्थिति उत्पन्न की थी।
(D) बचावकर्ता को एक लोक सेवक माना जाता है।

85. कौन सा कथन 'थिन स्कल' या 'एगशेल स्कल' नियम का सटीक वर्णन करता है?
(A) यह प्रतिवादी के लिए एक बचाव है यदि वादी असामान्य रूप से नाज़ुक था।
(B) यह कार्य-कारण का एक सिद्धांत है जो प्रतिवादी को वादी की चोटों की पूरी सीमा के लिए उत्तरदायी ठहराता है, भले ही वे पूर्व से मौजूद स्थिति के कारण अकल्पनीय रूप से गंभीर हों।
(C) यह प्रतिवादी के दायित्व को केवल उसी सीमा तक

अध्याय 05
दुष्कृति विधि

1. अपकृत्य की सबसे सटीक परिभाषा क्या है?
(A) निजी पक्षों के बीच संविदात्मक दायित्व का एक विशिष्ट उल्लंघन।
(B) एक दीवानी दोष जिसके लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी है, और जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है।
(C) जनहित के विरुद्ध एक आपराधिक कृत्य जो राज्य द्वारा दंडनीय है।
(D) एक जटिल पारिवारिक या वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होने वाला निजी विवाद।

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपकृत्य के एक आवश्यक तत्व का सही वर्णन करता है?
(A) प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या लोप होना चाहिए।
(B) प्रतिवादी का आशय नुकसान पहुँचाने का दुर्भावनापूर्ण होना चाहिए।
(C) वादी को वास्तविक वित्तीय हानि होनी चाहिए।
(D) कृत्य किसी विशिष्ट संविधि का उल्लंघन होना चाहिए।

3. सूक्ति 'इंजुरिया साइन डेमनो' उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ:
(A) कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना क्षति होती है।
(B) कानूनी अधिकार का उल्लंघन और परिणामी हानि दोनों होते हैं।
(C) बिना किसी वास्तविक हानि या नुकसान के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है।
(D) पहुँचाया गया नुकसान वाद हेतु बहुत दूरस्थ है।

4. ऐशबी बनाम व्हाइट का मामला, जहाँ एक योग्य मतदाता को गलत तरीके से मतदान करने से रोका गया था, किस कानूनी सूक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) डेमनम साइन इंजुरिया
(B) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(C) रेस इप्सा लोक्विटुर
(D) इंजुरिया साइन डेमनो

5. 'प्रतिनिधिक दायित्व' के सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है?
(A) एक व्यक्ति को केवल अपने प्रत्यक्ष दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।
(B) राज्य को अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक कार्यों के लिए कठोरता से उत्तरदायी ठहराया जाता है।
(C) एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।
(D) दायित्व जो केवल औपचारिक संविदात्मक संबंध या समझौते से उत्पन्न होता है।

6. निम्नलिखित में से कौन अपकृत्य में वाद हेतु के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) एक दोषपूर्ण कार्य या लोप।
(B) द्वेष या दुर्भावना की उपस्थिति।
(C) कानूनी कर्तव्य का अस्तित्व।
(D) कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन।

7. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): एक स्वामी अपने सेवक द्वारा नियोजन के दौरान किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
तर्क (R): कानूनी सूक्ति 'रेस्पोंडेंट सुपीरियर' स्वामी के दायित्व का आधार है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

8. एक कारखाने का स्वामी अपनी भूमि पर एक कुआँ खुदवाता है, जिससे पड़ोसी के कुएँ में पानी का स्तर गिर जाता है, जिसके परिणामस्वरुप पड़ोसी को वित्तीय हानि होती है। कारखाने के स्वामी ने अपनी संपत्ति पर कानूनी रूप से कार्य किया था। यह परिदृश्य किसका उदाहरण है?
(A) डेमनम साइन इंजुरिया
(B) इंजुरिया साइन डेमनो
(C) कठोर दायित्व
(D) उपताप

9. अपकृत्य कानून के संदर्भ में 'अपरिनिर्धारित नुकसानी' शब्द का अर्थ है:
(A) वह नुकसानी जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
(B) वह नुकसानी जो संविदा द्वारा पूर्व-निर्धारित होती है।
(C) वह नुकसानी जो पहुँची गई क्षति के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है।
(D) वह नुकसानी जो प्रतीकात्मक होती है और वित्तीय नहीं होती।

(D) पारिवारिक यात्रा के लिए टैक्सी किराए पर लेने वाला व्यक्ति।

98. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है?
(A) भारत के राष्ट्रपति के पास।
(B) प्रधानमंत्री कार्यालय में।
(C) भारत के सर्वोच्च न्यायालय में।
(D) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में।

99. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रकृति कैसी मानी जाती है?
(A) दंडात्मक
(B) क्षतिपूरक और उपचारात्मक
(C) घोषणात्मक
(D) केवल प्रक्रियात्मक

100. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत किसके लिए दर्ज की जा सकती है?
(A) अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार।
(B) दोषपूर्ण वस्तुएं।
(C) सेवा में कमी।
(D) उपरोक्त सभी।

101. कानूनी अधिकार का उल्लंघन अपने आप में वाद योग्य है, यह किस कानूनी सिद्धांत का आधार है?
(A) डेमनम साइन इंजुरिया
(B) उबी जस इबी रेमेडियम
(C) रेस्पोंडेंट सुपीरियर
(D) एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटुर एक्टियो

102. ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल के मामले में, एक प्रतिस्पर्धी विद्यालय स्थापित किया गया था, जिससे वादी के विद्यालय को छात्रों और शुल्क की हानि हुई। न्यायालय ने माना कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह किसका उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) डेमनम साइन इंजुरिया
(B) इंजुरिया साइन डेमनो
(C) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(D) उपताप

103. कौन सा कथन अपकृत्य को न्यास भंग से सही ढंग से पृथक करता है?
(A) न्यास भंग साम्यिक कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है, जबकि अपकृत्य कॉमन लॉ कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है।
(B) अपकृत्य में नुकसानी हमेशा परिनिर्धारित होती है, जबकि न्यास भंग में वे अपरिनिर्धारित होती हैं।
(C) न्यास भंग एक आपराधिक दोष है, जबकि अपकृत्य एक दीवानी दोष है।
(D) दोनों के बीच कोई मौलिक अंतर नहीं है।

104. प्रतिनिधिक दायित्व के लिए, स्वामी और सेवक का संबंध किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है?
(A) भुगतान किए गए वेतन की राशि।
(B) नियोजन की अवधि।
(C) किए गए कार्य की प्रकृति।
(D) 'नियंत्रण' परीक्षण।

105. एक चिकित्सालय को उसके रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह दायित्व किस संबंध पर आधारित है?
(A) प्रधान और एजेंट
(B) स्वामी और सेवक
(C) नियोक्ता और स्वतंत्र ठेकेदार
(D) भागीदार

106. रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम में 'पलायन' तत्व का अर्थ है कि वस्तु को कहाँ से हटना चाहिए?
(A) प्रतिवादी की संपत्ति से उसके नियंत्रण से बाहर के स्थान पर।
(B) प्रतिवादी की संपत्ति के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में।
(C) वादी की संपत्ति से प्रतिवादी की संपत्ति पर।
(D) सार्वजनिक स्थान से निजी स्थान पर।

107. स्वतंत्र ठेकेदार के अपकृत्यों के लिए प्रतिनिधिक दायित्व के नियम का अपवाद निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) जब नियोक्ता कठोर नियंत्रण रखता है।
(B) गैर-प्रत्यायोज्य कर्तव्यों के मामलों में।
(C) जब ठेकेदार कार्यस्थल से बाहर कार्य कर रहा हो।
(D) जब अनुबंध अल्प अवधि के लिए हो।

108. भारत में अपने सेवकों के अपकृत्यात्मक कार्यों के लिए राज्य का दायित्व अब मुख्य रूप से किसके द्वारा शासित होता है?
(A) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872
(B) भारतीय दंड संहिता, 1860
(C) भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 और न्यायिक निर्णय
(D) यूके क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1947

109. अपकृत्य कानून में दायित्व सिद्धांतों के विकास को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. पूर्ण दायित्व
2. दोष-आधारित दायित्व
3. कठोर दायित्व
(A) 2, 3, 1
(B) 3, 2, 1
(C) 1, 2, 3
(D) 2, 1, 3

110. अपकृत्य कानून में 'भूल' का बचाव सामान्यतः एक वैध बचाव नहीं है क्योंकि मार्गदर्शक सिद्धांत है:
(A) इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सकुसैट (कानून की अज्ञानता

कोई बहाना नहीं है)।
(B) एक्टस रियुस नॉन फैसिट रियम निसी मेन्स सिट रिया।
(C) प्रतिवादी की मानसिक स्थिति हमेशा अप्रासंगिक होती है।
(D) वादी का आचरण अधिक महत्वपूर्ण है।

111. 'निजी प्रतिरक्षा' का बचाव कैसा होना चाहिए?
(A) निवारक और आक्रामक।
(B) प्रकृति में दंडात्मक।
(C) आसन्न खतरे के अनुपात में।
(D) चोट लगने के बाद ही लागू किया जाना चाहिए।

112. स्मिथ बनाम बेकर के मामले में, एक कर्मचारी जोखिम के बारे में शिकायत करने के बावजूद क्रेन से घायल हो गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि जोखिम का केवल ज्ञान होना सहमति के बराबर नहीं है। यह मामला किस पर एक प्रमुख प्राधिकार है?
(A) अपरिहार्य दुर्घटना
(B) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(C) योगदायी उपेक्षा
(D) दैवीय कृत्य

113. यदि एक रेलवे कंपनी को ट्रेनों को चलाने के लिए कानून द्वारा प्राधिकृत किया गया है, और इंजन की चिंगारी बिना किसी लापरवाही के निकटवर्ती भूमि पर आग लगा देती है, तो कंपनी किस बचाव का सहारा ले सकती है?
(A) दैवीय कृत्य
(B) आवश्यकता
(C) वैधानिक प्राधिकार
(D) निजी प्रतिरक्षा

114. यदि उपेक्षापूर्ण कृत्य से हुई क्षति ऐसी है जो अकल्पनीय थी, तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। यह सिद्धांत किसमें स्थापित किया गया था?
(A) री पोलेमिस
(B) डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
(C) रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
(D) द वेगन माउंट (नंबर 1)

115. एक पेशेवर, जैसे कि चिकित्सक, को किसके मानक द्वारा आंका जाता है?
(A) क्षेत्र के उच्चतम विशेषज्ञ द्वारा।
(B) सड़क पर चलने वाले एक साधारण व्यक्ति द्वारा।
(C) उस व्यवसाय के यथोचित सक्षम व्यवसायी द्वारा।
(D) उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव और कौशल के स्तर द्वारा।

116. उपेक्षा में एक सफल कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वादी को सिद्ध करना होगा:
1. प्रतिवादी का उनके प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था।
2. प्रतिवादी ने सावधानी के उस कर्तव्य का उल्लंघन किया।
3. वादी को उस उल्लंघन के परिणामस्वरूप कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त क्षति हुई।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

117. अपकृत्य कानून में 'नर्वस शॉक' का तात्पर्य है:
(A) प्रतिवादी की लापरवाही के कारण होने वाली एक पहचान योग्य मनोरोग बीमारी।
(B) एक सामान्य भावनात्मक परेशानी।
(C) दुर्घटना के दौरान अनुभव किया गया कोई भी भय या चिंता।
(D) विद्युत के झटके से होने वाला शारीरिक प्रभाव।

118. आधुनिक कानून में, योगदायी उपेक्षा का नियम किस प्रकार कार्य करता है?
(A) वादी के दावे को पूर्णतः वर्जित कर देता है।
(B) वादी की नुकसानी की राशि को कम कर देता है।
(C) प्रतिवादी के दायित्व को बढ़ा देता है।
(D) प्रमाण के भार को परिवर्तित कर देता है।

119. निम्नलिखित में से किसे 'निजी उपताप' माने जाने की संभावना है?
(A) सार्वजनिक राजमार्ग को अवरुद्ध करना।
(B) विषैला धुआँ छोड़ने वाला कारखाना जो पूरे पड़ोस को प्रभावित करता है।
(C) एक पड़ोसी जो रात्रि में निरंतर तीव्र संगीत बजाता है, जिससे किसी की निद्रा में बाधा पड़ती है।
(D) जनता को दूषित भोजन बेचना।

120. उपताप में, 'इलाका' सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय का स्थान महत्वपूर्ण है।
(B) जो शांत आवासीय क्षेत्र में उपताप हो सकता है, वह औद्योगिक क्षेत्र में वैसा नहीं हो सकता।
(C) उपताप स्थानीय होना चाहिए न कि व्यापक।
(D) विभिन्न राज्यों में उपताप का कानून भिन्न-भिन्न है।

121. "अधिवक्ता चोर होते हैं" कथन किसका उदाहरण है?
(A) एक व्यक्तिगत अधिवक्ता की वाद योग्य मानहानि।
(B) समूह मानहानि, जो सामान्यतः एक व्यक्तिगत सदस्य द्वारा वाद योग्य नहीं है।
(C) स्वतः वाद योग्य अपमानवचन।
(D) उचित टिप्पणी।

122. निम्नलिखित में से कौन मानहानि का आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) कथन मानहानिकारक होना चाहिए।
(B) कथन वादी को संदर्भित करना चाहिए।
(C) कथन प्रकाशित होना चाहिए।

(D) कथन से वित्तीय हानि होनी चाहिए।

123. समाचार पत्र में प्रकाशित किसी जलपान गृह की खराब समीक्षा का बचाव किस रूप में किए जाने की संभावना है?
(A) पूर्ण विशेषाधिकार
(B) औचित्य
(C) जनहित के मामले पर उचित टिप्पणी
(D) इन्यूएंडो

124. सूची I के विशिष्ट अपकृत्यों को सूची II के प्रमुख तत्वों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: विशिष्ट अपकृत्य
P. उपेक्षा
Q. उपताप
R. मानहानि
S. कठोर दायित्व
सूची II: प्रमुख तत्व
1. भूमि के साथ अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप
2. प्रतिष्ठा को क्षति
3. सावधानी के कर्तव्य का उल्लंघन
4. खतरनाक वस्तु का पलायन
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

125. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सेवा' की परिभाषा बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें क्या सम्मिलित नहीं है?
(A) बैंकिंग और वित्त पोषण।
(B) निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सेवाएँ या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अधीन सेवाएँ।
(C) आवास निर्माण।
(D) परिवहन और दूरसंचार।

126. एक उपभोक्ता शिकायत सामान्यतः वाद हेतु उत्पन्न होने की तिथि से किस अवधि के भीतर दर्ज की जानी चाहिए?
(A) एक वर्ष
(B) दो वर्ष
(C) तीन वर्ष
(D) छह माह

127. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है:
(A) निर्माताओं के हितों की रक्षा करना।
(B) उपभोक्ताओं के हितों का बेहतर संरक्षण प्रदान करना।
(C) वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को विनियमित करना।
(D) विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

128. उपभोक्ता कानून के तहत 'अनुचित व्यापार व्यवहार' में क्या सम्मिलित हो सकता है?
(A) रियायती मूल्य पर वस्तुएं बेचना।
(B) गलत तरीके से यह दर्शाना कि वस्तुएं एक विशेष मानक या गुणवत्ता की हैं।
(C) किसी उत्पाद का व्यापक विज्ञापन करना।
(D) किसी ग्राहक को उत्पाद बेचने से मना करना।

129. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): चिकित्सा सेवाएँ जिनके लिए भुगतान किया जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती हैं।
तर्क (R): एक रोगी जो उपचार के लिए भुगतान करता है वह एक 'उपभोक्ता' है और चिकित्सालय/चिकित्सक एक 'सेवा' प्रदान करते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

130. सिद्धांत 'साइंटि नॉन फिट इंजुरिया' किस बचाव की एक महत्वपूर्ण योग्यता है?
(A) आवश्यकता
(B) दैवीय कृत्य
(C) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(D) अपरिहार्य दुर्घटना

131. अपकृत्य कानून के संदर्भ में, 'प्रयोजन' सामान्यतः है:
(A) दायित्व स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व।
(B) दायित्व स्थापित करने में अप्रासंगिक, यद्यपि यह नुकसानी को प्रभावित कर सकता है।
(C) 'आशय' के समान ही।
(D) केवल उपेक्षा के मामलों में प्रासंगिक।

132. अपकृत्य में दोषपूर्ण कृत्य वह होना चाहिए जिसे किसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो:
(A) नैतिकता
(B) धर्म
(C) कानून
(D) सामाजिक रीति-रिवाज

133. यदि एक सेवक 'नियोजन के दौरान' के बाहर कार्य करते हुए कोई अपकृत्य करता है, तो कौन उत्तरदायी है?
(A) केवल स्वामी।
(B) केवल सेवक।
(C) स्वामी और सेवक दोनों संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
(D) राज्य उत्तरदायी है।

134. निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संबंध नहीं है जो सामान्यतः प्रतिनिधिक दायित्व को जन्म देता है?
(A) स्वामी और सेवक
(B) प्रधान और एजेंट
(C) साझेदारी फर्म में भागीदार
(D) भू-स्वामी और किराएदार

135. 'तीसरे पक्ष का कृत्य' या 'अपरिचित का कृत्य' किसके दावे के लिए एक वैध बचाव हो सकता है?
(A) पूर्ण दायित्व
(B) उपेक्षा
(C) कठोर दायित्व
(D) मानहानि

136. ओलियम गैस रिसाव मामले में स्थापित पूर्ण दायित्व की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दी जाने वाली नुकसानी कैसी होनी चाहिए?
(A) नाममात्र
(B) अनुकरणीय और निवारक
(C) वादी की वास्तविक हानि तक सीमित
(D) कानून द्वारा सीमित

137. लोक सेवक द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपकृत्यात्मक उन्मुक्ति के उद्देश्य से 'संप्रभु कार्य' के रूप में वर्गीकृत किए जाने की सर्वाधिक संभावना है?
(A) डाक पहुँचाने के लिए सरकारी वाहन चलाना।
(B) सार्वजनिक उद्यान का रखरखाव करना।
(C) देश की रक्षा से संबंधित कार्य।
(D) सरकारी स्वामित्व वाला होटल चलाना।

138. 'आवश्यकता' का बचाव किस सूक्ति पर आधारित है?
(A) सैलस पपुली सुप्रीमा लेक्स
(B) रेस्पोंडेंट सुपीरियर
(C) उबी जस इबी रेमेडियम
(D) एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना

139. यदि "एग-शेल स्कल" वाले व्यक्ति के सिर पर धीरे से थपथपाया जाता है और उसे गंभीर चोट लगती है, तो प्रतिवादी:
(A) उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि परिणाम अकल्पनीय था।
(B) केवल उस चोट के लिए उत्तरदायी है जो एक सामान्य व्यक्ति को हुई होती।
(C) केवल तभी उत्तरदायी है जब थपथपाना दुर्भावनापूर्ण था।
(D) चोट की पूरी सीमा के लिए उत्तरदायी है।

140. किस अपकृत्य में 'द्वेष' एक आवश्यक तत्व है?
(A) उपेक्षा
(B) उपताप
(C) विद्वेषपूर्ण अभियोजन
(D) अतिचार

141. उपेक्षा के मामले में प्रमाण का भार शुरु में किस पर होता है?
(A) वादी पर
(B) प्रतिवादी पर
(C) न्यायालय पर
(D) राज्य पर

142. यदि 'रेस इप्सा लोक्विटुर' का सिद्धांत लागू होता है, तो प्रमाण का भार:
(A) वादी के पास ही रहता है।
(B) प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह सिद्ध करे कि वह लापरवाह नहीं था।
(C) अप्रासंगिक हो जाता है।
(D) न्यायालय द्वारा तय किया जाता है।

143. "बट फॉर" परीक्षण का उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है?
(A) सावधानी का मानक।
(B) सावधानी के कर्तव्य का अस्तित्व।
(C) तथ्यात्मक कार्य-कारण।
(D) नुकसानी की दूरस्थता।

144. उपताप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एक अकेला कृत्य कभी-कभी उपताप के समान हो सकता है।
2. वादी का प्रभावित भूमि में हित होना चाहिए।
3. प्रतिवादी के आचरण की अयुक्तियुक्तता एक प्रमुख कारक है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

145. "उपताप की ओर आना" सामान्यतः:
(A) एक वैध बचाव नहीं है।
(B) एक वैध और पूर्ण बचाव है।
(C) एक आंशिक बचाव है जो नुकसानी को कम करता है।
(D) बचाव केवल तभी है जब उपताप सार्वजनिक लाभ के लिए हो।

146. निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यदि असत्य है, तो स्वतः वाद योग्य अपमानवचन होगा?
(A) यह कहना कि कोई व्यक्ति अशिष्ट है।
(B) यह कहना कि किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग है।
(C) यह कहना कि कोई व्यक्ति अपने अभिरुचि के कार्य में निपुण नहीं है।
(D) यह कहना कि किसी व्यक्ति की संगीत में पसंद त्रुटिपूर्ण है।

147. एक पुस्तक विक्रेता जो अनजाने में मानहानिकारक सामग्री वाली पुस्तक बेचता है, उसके पास कौन सा बचाव हो सकता है?
(A) निर्दोष प्रसार
(B) उचित टिप्पणी
(C) पूर्ण विशेषाधिकार
(D) औचित्य

148. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने किसकी अवधारणा प्रस्तुत की, जो 1986 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से विद्यमान नहीं थी?
(A) सेवा में कमी
(B) उत्पाद दायित्व
(C) अनुचित व्यापार व्यवहार
(D) उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियाँ

149. जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है?
(A) राष्ट्रीय आयोग में
(B) उच्चतम न्यायालय में
(C) उच्च न्यायालय में
(D) राज्य आयोग में

150. उपभोक्ता फोरम में दायर की गई वह शिकायत जिसमें उपयुक्त आर्थिक क्षेत्राधिकार का अभाव है:
(A) गुण-दोष के आधार पर सुनी और तय की जाएगी।
(B) उचित फोरम के समक्ष प्रस्तुति के लिए शिकायतकर्ता को वापस कर दी जाएगी।
(C) हर्जाने के साथ निरस्त कर दी जाएगी।
(D) उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

151. सूक्ति 'एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना' का अर्थ है:
(A) कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है।
(B) कृत्य स्वयं बोलता है।
(C) क्रेता सावधान रहे।
(D) जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है।

152. अपकृत्य कानून में, 'आशय' 'प्रयोजन' से इस अर्थ में भिन्न है कि आशय किससे संबंधित है:
(A) कृत्य के अंतिम कारण से।
(B) किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के तात्कालिक उद्देश्य या इच्छा से।
(C) प्रतिवादी की भावनात्मक स्थिति से।
(D) गलत कार्य करने के प्रति सामान्य झुकाव से।

153. किसी कंपनी का चालक एक अनधिकृत यात्री को लिफ्ट देता है, जो चालक की लापरवाही के कारण घायल हो जाता है। क्या कंपनी प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी है?
(A) हाँ, क्योंकि चालक नियोजन के दौरान कार्य कर रहा था।
(B) नहीं, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति को लिफ्ट देना नियोजन के दायरे से बाहर है।
(C) हाँ, क्योंकि चालक कंपनी के वाहन का उपयोग कर रहा था।
(D) नहीं, क्योंकि यात्री ने जोखिम स्वयं उठाया था।

154. 'सेवक' और 'स्वतंत्र ठेकेदार' के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) भुगतान की रीति।
(B) इसमें सम्मिलित कौशल का स्तर।
(C) कार्य के तरीके पर नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण की सीमा।
(D) कार्य की अवधि।

155. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): अपनी भूमि पर जलाशय में बड़ी मात्रा में जल संचित करना भूमि का अप्राकृतिक उपयोग है।
तर्क (R): यह वही विशिष्ट गतिविधि थी जिसने रीलैंड्स बनाम फ्लेचर में कठोर दायित्व के नियम को जन्म दिया था।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

156. यदि D की भूमि पर एक वृक्ष पर बिजली गिरती है, जिससे वह गिर जाता है और P की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो D किस बचाव का सफलतापूर्वक सहारा ले सकता है?
(A) आवश्यकता
(B) अपरिहार्य दुर्घटना
(C) निजी प्रतिरक्षा
(D) दैवीय कृत्य

157. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संप्रभु उन्मुक्ति के अंग्रेजी कानून से विचलन किया?
(A) डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
(B) राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती
(C) रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
(D) द वेगन माउंट

158. निम्नलिखित में से कौन अपकृत्य कानून में एक सामान्य बचाव नहीं है?
(A) वादी स्वयं दोषकर्ता
(B) वैधानिक प्राधिकार
(C) प्रतिवादी की निर्धनता
(D) सहमति

159. 'आवश्यकता' के बचाव के लागू होने के लिए, प्रतिवादी के कृत्य से पहुँचाया गया नुकसान कैसा होना चाहिए?
(A) उस नुकसान से अधिक जिसे टालने का प्रयास किया गया था।
(B) उस नुकसान के बराबर जिसे टालने का प्रयास किया गया था।
(C) उस नुकसान से कम जिसे टालने का प्रयास किया गया था।
(D) अनपेक्षित।

160. अपकृत्य कानून में नुकसानी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) गलत करने वाले को दंडित करना।
(B) पीड़ित पक्ष को उस स्थिति में वापस लाना जिसमें वह अपकृत्य होने से पूर्व था।

(C) समुदाय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना।
(D) राज्य के लिए राजस्व का स्रोत प्रदान करना।

161. उपेक्षा में 'उचित व्यक्ति' का मानक कैसा होता है?
(A) व्यक्तिपरक, प्रतिवादी की अपनी क्षमताओं के आधार पर।
(B) वस्तुनिष्ठ, सामान्य विवेक वाले एक काल्पनिक व्यक्ति पर आधारित।
(C) किसी विशेष क्षेत्र के सर्वाधिक कुशल व्यक्ति की क्षमताओं पर आधारित।
(D) न्यायाधीश की व्यक्तिगत राय द्वारा निर्धारित।

162. उपेक्षा में 'कार्य-कारण' सिद्ध करने के लिए वादी को प्रतिवादी के कर्तव्य के उल्लंघन और किसके बीच संबंध दिखाना होगा?
(A) प्रतिवादी का आशय।
(B) वादी की वित्तीय स्थिति।
(C) वादी द्वारा झेली गई क्षति।
(D) प्रतिवादी का प्रयोजन।

163. यूके में लॉ रिफॉर्म एक्ट, 1945 एक महत्वपूर्ण कानून था जिसने प्रस्तुत किया:
(A) 'अंतिम अवसर' का नियम।
(B) नुकसानी के वितरण की अवधारणा।
(C) प्रथम बार योगदायी उपेक्षा का बचाव।
(D) रेस इप्सा लोक्विटुर का सिद्धांत।

164. भूमि पर अतिचार और उपताप के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) अतिचार के लिए क्षति आवश्यक है, जबकि उपताप के लिए नहीं।
(B) अतिचार एक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जबकि उपताप सामान्यतः एक अप्रत्यक्ष या परिणामी हस्तक्षेप है।
(C) उपताप स्वतः वाद योग्य है, जबकि अतिचार नहीं।
(D) उपताप व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि अतिचार भूमि पर लागू होता है।

165. मानहानि के मामले में, अफवाह को दोहराना क्या है?
(A) प्रकाशन नहीं है।
(B) एक वैध बचाव है।
(C) सामान्यतः उतना ही वाद योग्य है जितना कि अफवाह को जन्म देना।
(D) सप्रतिबंध विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित है।

166. किस प्रकार का विशेषाधिकार कानूनी परामर्श लेने के उद्देश्य से अधिवक्ता और पक्षकार के बीच किए गए कथनों की रक्षा करता है?
(A) पूर्ण विशेषाधिकार
(B) सप्रतिबंध विशेषाधिकार
(C) जनहित विशेषाधिकार
(D) कानूनी व्यावसायिक विशेषाधिकार

167. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत, अब जिला आयोग में शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है?
(A) जहाँ विपक्षी दल निवास करता है।
(B) जहाँ वाद हेतु उत्पन्न हुआ।
(C) जहाँ शिकायतकर्ता रहता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है।
(D) उपरोक्त सभी।

168. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'उत्पाद दायित्व' की अवधारणा दोषपूर्ण उत्पाद के लिए किसे उत्तरदायी ठहराती है?
(A) केवल उत्पाद विक्रेता को।
(B) केवल उत्पाद निर्माता को।
(C) उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता को।
(D) केवल उस उपभोक्ता को जिसने इसका अनुचित तरीके से उपयोग किया।

169. 'मानसिक तत्व' निम्नलिखित में से किस अपकृत्य में एक महत्वपूर्ण कारक है?
(A) छल
(B) कठोर दायित्व
(C) संपरिवर्तन
(D) भूमि पर अतिचार

170. कौन सा कानूनी सिद्धांत सुझाव देता है कि सभी अनुचित क्षतियाँ एक अपकृत्य हैं, जो दायित्व का एक सामान्य सिद्धांत बनाती हैं?
(A) विनफील्ड का "अपकृत्य का कानून" सिद्धांत
(B) सामंड का "पिंजिन-होल" सिद्धांत
(C) ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत
(D) केल्सन का कानून का शुद्ध सिद्धांत

171. एक पेट्रोल टैंकर के चालक ने पेट्रोल स्थानांतरित करते समय सिगरेट जलाई और विस्फोट हो गया। नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया गया। यह किसका उदाहरण है?
(A) नियोजन के दायरे के बाहर का कृत्य।
(B) एक प्राधिकृत कार्य जो दोषपूर्ण और अनधिकृत तरीके से किया गया।
(C) स्वयं का आमोद-प्रमोद।
(D) एक स्वतंत्र ठेकेदार का कृत्य।

172. कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होता है यदि क्षति वादी के किसके कारण हुई हो?
(A) स्वयं की त्रुटि या असामान्य संवेदनशीलता
(B) वित्तीय स्थिति
(C) सामाजिक स्थिति
(D) निवास स्थान

173. कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय की आलोचना किसके लिए की गई है?
(A) नागरिक के अधिकारों का बहुत सुदृढ़ता से समर्थन करने

के लिए।
(B) संप्रभु उन्मुक्ति को पूर्णतः समाप्त करने के लिए।
(C) संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच पुरातन अंतर को बनाए रखने के लिए।
(D) पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए।

174. आवासों की एक श्रेणी को अग्नि से बचाने के लिए पड़ोसी की भूमि पर अतिचार करना संभवतः किस बचाव के अंतर्गत क्षम्य होगा?
(A) आवश्यकता
(B) निजी प्रतिरक्षा
(C) अपरिहार्य दुर्घटना
(D) वैधानिक प्राधिकार

175. सूची I के शब्दों को सूची II के अर्थों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: शब्द
P. दूरस्थता
Q. कार्य-कारण
R. एगशेल स्कल नियम
S. नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स
सूची II: अर्थ
1. पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना जैसा वह है
2. उल्लंघन को क्षति से जोड़ने के लिए कानूनी परीक्षण
3. उल्लंघन और क्षति के बीच की कड़ी
4. कार्य-कारण की श्रृंखला को तोड़ने वाला एक नया कृत्य
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

176. निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सावधानी बरतने का कर्तव्य अधिरोपित करता है?
(A) एक चालक का सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रति।
(B) एक राहगीर का संकट में पड़े व्यक्ति के प्रति।
(C) सड़क पर गुजरने वाले दो अजनबियों का एक-दूसरे के प्रति।
(D) एक व्यक्ति का अपने आर्थिक प्रतिद्वंद्वी के प्रति।

177. जब कोई कानून किसी व्यक्ति पर कर्तव्य अधिरोपित करता है, और वह उसे निभाने में विफल रहता है जिससे दूसरे को क्षति पहुँचती है, तो किया गया अपकृत्य है:
(A) उपताप
(B) वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन
(C) उपेक्षा
(D) सार्वजनिक पद पर रहते हुए मिसफीजेंस

178. 'उचित टिप्पणी' के बचाव के लिए निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें। यह आवश्यक है कि:
1. जिस विषय पर टिप्पणी की गई है वह जनहित का होना चाहिए।
2. टिप्पणी राय की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तथ्य का दावा नहीं।
3. टिप्पणी उचित और द्वेषरहित होनी चाहिए।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

179. एक व्यक्ति जो वस्तुएं खरीदता है और क्रेता के अनुमोदन से उनका उपयोग करता है, उसे भी अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' माना जाता है। इस उपयोगकर्ता को प्रायः किस रूप में संदर्भित किया जाता है?
(A) द्वितीयक उपभोक्ता
(B) हितग्राही
(C) तृतीय-पक्ष उपयोगकर्ता
(D) सह-शिकायतकर्ता

180. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत किस मुख्य उद्देश्य से की गई थी?
(A) राज्य आयोग की अपीलों की सुनवाई करना।
(B) एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को विनियमित, संरक्षित और प्रवर्तित करना।
(C) व्यक्तिगत उपभोक्ता विवादों में मध्यस्थता करना।
(D) आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना।

181. अपकृत्य मामले में मुख्य उपचार क्या है?
(A) कारावास
(B) राज्य को देय अर्थदंड
(C) अपरिनिर्धारित नुकसानी प्रदान करना
(D) वैधानिक शास्ति

182. एक पुलिस अधिकारी गलत तरीके से एक व्यक्ति को बंदी बनाता है और निरुद्ध करता है। राज्य को इस कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह राज्य के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होने का एक उदाहरण है जो किसके दौरान किया गया है:
(A) संप्रभु कार्य।
(B) गैर-संप्रभु कार्य।
(C) ऐसी स्थिति जहाँ मौलिक अधिकारों के संबंध में संप्रभु उन्मुक्ति अब कठोरता से लागू नहीं होती है।
(D) संविदात्मक कार्य।

183. अपकृत्य में कौन सा सामान्य बचाव सूक्ति 'एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटुर एक्टियो' द्वारा संक्षेपित है?
(A) आवश्यकता
(B) वादी स्वयं दोषकर्ता
(C) दैवीय कृत्य
(D) सहमति

184. कार्य-कारण का 'बट फॉर' परीक्षण किन मामलों में अपर्याप्त हो सकता है?
(A) चोट का एक ही स्पष्ट कारण होने पर।
(B) चोट के कई संचयी कारण होने पर।
(C) कोई चोट न होने पर।
(D) जानबूझकर किए गए अपकृत्यों में।

185. एक कारखाना जो धुआँ और दुर्गंध छोड़ता है जो पड़ोसी की अपनी संपत्ति के उपभोग में भौतिक रूप से हस्तक्षेप करता है, किसके लिए उत्तरदायी हो सकता है?
(A) अतिचार
(B) उपेक्षा
(C) निजी उपताप
(D) मानहानि

186. निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों को उनके निर्णय के समय के आधार पर सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
2. रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
3. द वेगन माउंट (नंबर 1)
4. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

187. अपमानलेख में, जो स्वतः वाद योग्य है, वादी को क्या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है?
(A) प्रकाशन
(B) वादी का संदर्भ
(C) कि कथन मानहानिकारक था
(D) वास्तविक या विशेष क्षति

188. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता का प्रावधान करता है।
तर्क (R): इसे उपभोक्ता विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान की सुविधा के लिए प्रस्तुत किया गया था।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

189. अपकृत्य किसका उल्लंघन है?
(A) व्यक्तिबंधी अधिकार
(B) सर्वबंधी अधिकार
(C) नैतिक अधिकार
(D) संविदात्मक अधिकार

190. एक नियोक्ता जिसे उसके सेवक के अपकृत्य के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है, उसे सेवक से क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। यह अधिकार कहाँ से उत्पन्न होता है?
(A) कठोर दायित्व के सिद्धांत से।
(B) सेवक द्वारा अपने नियोजन अनुबंध के उल्लंघन से।
(C) भारतीय दंड संहिता के एक विशिष्ट प्रावधान से।
(D) योगदायी उपेक्षा के सिद्धांत से।

191. कठोर दायित्व के नियम का प्राथमिक औचित्य यह है कि:
(A) प्रतिवादी लापरवाह था।
(B) प्रतिवादी का आशय नुकसान पहुँचाने का था।
(C) जो कोई अपने लाभ के लिए अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाता है, उसे उसके पलायन के जोखिम को वहन करना चाहिए।
(D) वादी ने जोखिम के लिए सहमति दी थी।

192. कौन सा कथन 'अपरिहार्य दुर्घटना' के बचाव का सटीक वर्णन करता है?
(A) यह एक ऐसी दुर्घटना है जो प्रतिवादी द्वारा आशयित थी।
(B) यह एक ऐसी दुर्घटना है जिसे असाधारण सावधानी से रोका जा सकता था।
(C) यह एक ऐसी दुर्घटना है जिसे सामान्य सावधानी, सतर्कता और कौशल के प्रयोग से रोका नहीं जा सकता था।
(D) यह कानून की भूल का पर्यायवाची है।

193. 'अंतिम अवसर का नियम' अब उन न्यायालयों में काफी हद तक अप्रचलित हो गया है जिन्होंने किस सिद्धांत को अपनाया है?
(A) पूर्ण दायित्व।
(B) योगदायी उपेक्षा में नुकसानी का वितरण।
(C) प्रतिनिधिक दायित्व।
(D) कठोर दायित्व।

194. उपताप में, 'निरंतर दोष' का तात्पर्य है:
(A) एक हस्तक्षेप जो केवल एक बार होता है लेकिन दीर्घकालिक क्षति पहुँचाता है।
(B) एक हस्तक्षेप जो समय की अवधि में बार-बार होता है या निरंतर बना रहता है।
(C) एक उपताप जो पूरी जनता को प्रभावित करता है।
(D) सरकार द्वारा सृजित उपताप।

195. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार' वह है जो:
(A) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
(B) उपभोक्ताओं पर अनुचित लागत आरोपित करने के लिए मूल्य या वितरण की शर्तों में हेरफेर करने की प्रवृत्ति रखता है।
(C) ग्राहकों को छूट देने से संबंधित है।
(D) वस्तुओं के निर्यात से संबंधित है।

196. अपकृत्य मामले में वादी से किस स्तर के साक्ष्य की आवश्यकता होती है?
(A) संभावनाओं की प्रबलता पर।
(B) उचित संदेह से परे।
(C) पूर्ण निश्चितता।
(D) निर्णायक प्रमाण।

197. उपेक्षा में 'सावधानी के कर्तव्य' की अवधारणा को पहली बार व्यापक रूप से किसके द्वारा स्पष्ट किया गया था?
(A) लॉर्ड एटकिन
(B) लॉर्ड डेनिंग
(C) लॉर्ड ब्लैकबर्न
(D) लॉर्ड सामंड

198. सूची I के कानूनी शब्दों को सूची II के संबंधित अपकृत्यों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: कानूनी शब्द
P. इन्यूएंडो
Q. रेस इप्सा लोक्विटुर
R. अप्राकृतिक उपयोग
S. अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप
सूची II: संबंधित अपकृत्य
1. उपेक्षा
2. उपताप
3. मानहानि
4. कठोर दायित्व
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

199. अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए कैब किराए पर लेने वाला व्यक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवाओं का _________ है।
(A) विक्रेता
(B) निर्माता
(C) उपभोक्ता
(D) प्रदाता

200. संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व कैसा होता है?
(A) केवल संयुक्त।
(B) केवल पृथक।
(C) संयुक्त और पृथक।
(D) उनके व्यक्तिगत आशय पर निर्भर करता है।

201. निम्नलिखित में से कौन अपमानलेख का उदाहरण है?
(A) एक मानहानिकारक संकेत।
(B) पत्रिका में एक मानहानिकारक व्यंग्यचित्र।
(C) एक मानहानिकारक भाषण।
(D) निजी बैठक में बोले गए शब्द।

202. आवश्यकता के बचाव के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं पर विचार करें:
1. कृत्य किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया गया था।
2. आवश्यकता की स्थिति प्रतिवादी की अपनी लापरवाही से उत्पन्न नहीं हुई थी।
3. वास्तविक और आसन्न खतरा विद्यमान था।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

203. एक लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए दुर्भावनापूर्वक अपनी शक्ति का उपयोग करता है, वह किस अपकृत्य के लिए उत्तरदायी हो सकता है?
(A) उपेक्षा।
(B) सार्वजनिक पद पर रहते हुए मिसफीजेंस।
(C) उपताप।
(D) संविदा भंग।

204. यदि वादी का अपना कृत्य ही उसकी चोट का एकमात्र कारण था, तो प्रतिवादी के लिए उपयुक्त बचाव क्या होगा?
(A) योगदायी उपेक्षा।
(B) नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स।
(C) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया।
(D) अपरिहार्य दुर्घटना।

205. 'बोलम परीक्षण' किसके मामलों में सावधानी के मानक से संबंधित है?
(A) पेशेवर उपेक्षा।
(B) योगदायी उपेक्षा।
(C) अधिभोगी का दायित्व।
(D) निर्माता का दायित्व।

206. उपताप के बचाव के रूप में 'सुखाधिकार' का अर्थ है:
(A) उपताप बिना किसी व्यवधान के बीस वर्षों की अवधि से शांतिपूर्वक चल रहा है।
(B) वादी को उसकी पीड़ा के लिए चिकित्सकीय नुस्खा दिया गया था।
(C) उपताप कानून द्वारा विहित है।
(D) प्रतिवादी के पास गतिविधि के लिए लिखित अनुमति है।

207. किसी व्यक्ति के जीवनसाथी को बंद लिफाफे में भेजा गया मानहानिकारक वक्तव्य, जिसे केवल जीवनसाथी ही खोलता और पढ़ता है, क्या माना जाएगा?
(A) मानहानि के लिए प्रकाशन।
(B) मानहानि के लिए कोई प्रकाशन नहीं।
(C) अपमानवचन।
(D) इन्यूएंडो।

208. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, किससे संबद्ध एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना का प्रावधान करता है?
(A) केवल उच्चतम न्यायालय से।
(B) जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों से।
(C) केवल राष्ट्रीय आयोग से।
(D) उपभोक्ता मामले मंत्रालय से।

209. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): अपकृत्य कानून काफी हद तक असंयिताबद्ध है।
तर्क (R): यह मुख्य रूप से न्यायिक निर्णयों या पूर्वोदाहरणों के माध्यम से विकसित हुआ है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

210. सिंह जैसे वन्य पशु को पालने वाला व्यक्ति, उसके द्वारा पहुँचाए गए किसी भी नुकसान के लिए किस सिद्धांत के तहत उत्तरदायी है?
(A) साइन्टर कार्रवाई
(B) उपेक्षा
(C) उपताप
(D) अतिचार

211. भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य का मामला किस पर एक ऐतिहासिक निर्णय है?
(A) उपेक्षा।
(B) मानहानि।
(C) राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति।
(D) उपताप।

212. 'नियोजन के दौरान' किए गए कृत्य को 'स्वयं के आमोद-प्रमोद' से पृथक करने के लिए प्राथमिक परीक्षण क्या है?
(A) क्या कृत्य प्राधिकृत कार्य से उचित रूप से संबद्ध है या सेवक के अपने उद्देश्यों के लिए पूर्ण विचलन है।
(B) कृत्य का समय और स्थान।
(C) सेवक का आशय।
(D) क्या स्वामी को कृत्य से लाभ होता है।

213. नुकसानी की दूरस्थता के लिए उचित दूरदर्शिता का परीक्षण किस पर लागू होता है?
(A) क्षति के प्रकार या श्रेणी पर।
(B) नुकसानी की राशि पर।
(C) वादी की वित्तीय स्थिति पर।
(D) प्रतिवादी के आशय पर।

214. कौन सा अपकृत्य किसी व्यक्ति के उसकी भूमि और उसके उपभोग में हित की रक्षा करने से संबंधित है?
(A) मानहानि
(B) हमला
(C) उपताप
(D) छल

215. उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत 'सुनवाई का अधिकार' का तात्पर्य है कि:
(A) उपभोक्ता की शिकायत उच्चतम न्यायालय में सुनी जाएगी।
(B) उपभोक्ता के हितों पर उचित मंचों पर विचार किया जाएगा।
(C) उपभोक्ता अदालत में जितनी देर चाहे उतनी देर बोल सकता है।
(D) सभी उपभोक्ता शिकायतें सफल होंगी।

216. अपकृत्य मुख्य रूप से एक है:
(A) दीवानी दोष
(B) आपराधिक दोष
(C) सार्वजनिक कर्तव्य का उल्लंघन
(D) संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन

217. अपने सेवक को अपकृत्य करने का आदेश देने वाला स्वामी:
(A) केवल सेवक को उत्तरदायी बनाएगा।
(B) दोनों को संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के रूप में उत्तरदायी बनाएगा।
(C) केवल स्वामी को उत्तरदायी बनाएगा।
(D) यदि सेवक अनुबंध के अधीन था तो किसी को भी उत्तरदायी नहीं बनाएगा।

218. "वादी की सहमति" का बचाव किस नियम का अपवाद है?
(A) कठोर दायित्व
(B) उपेक्षा
(C) पूर्ण दायित्व
(D) उपताप

219. 'उचित व्यक्ति' एक आदर्श, वस्तुनिष्ठ पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सी उचित व्यक्ति की विशेषता नहीं है?
(A) वह सामान्य विवेक वाला होता है।
(B) उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण हो और कभी कोई त्रुटि न करे।
(C) उससे सामान्य ज्ञान रखने की अपेक्षा की जाती है।
(D) उसके व्यवहार का मानक परिस्थितियों के साथ परिवर्तित हो सकता है।

220. योगदायी उपेक्षा में नुकसानी का वितरण किस पर आधारित होता है?
(A) पक्षों की वित्तीय क्षमता पर।
(B) प्रत्येक पक्ष की संबंधित दोषसिद्धि या त्रुटि की डिग्री पर।

(C) क्षति से बचने के 'अंतिम अवसर' पर।
(D) वादी और प्रतिवादी की सामाजिक स्थिति पर।

221. व्यादेश एक ऐसा उपचार है जो:
(A) मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।
(B) प्रतिवादी को एक निश्चित कार्य करने या करने से रोकने का आदेश देता है।
(C) प्रतिवादी को कारावास का दंड देता है।
(D) प्रतिवादी से वादी को संपत्ति हस्तांतरित करता है।

222. न्यायिक कार्यवाही के दौरान शपथ पर गवाह द्वारा बोले गए मानहानिकारक शब्द किसके द्वारा संरक्षित होते हैं?
(A) पूर्ण विशेषाधिकार
(B) सप्रतिबंध विशेषाधिकार
(C) उचित टिप्पणी
(D) औचित्य

223. उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के संदर्भ में 'लोकस स्टैंडाई' का क्या अर्थ है?
(A) शिकायत दर्ज करने का कानूनी अधिकार या स्थिति।
(B) वह स्थान जहाँ शिकायत दर्ज की गई है।
(C) शिकायत दर्ज करने की समय सीमा।
(D) भुगतान की जाने वाली अदालती शुल्क की राशि।

224. निम्नलिखित में से कौन उपेक्षा के अपकृत्य का आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) सावधानी का कर्तव्य
(B) कर्तव्य का उल्लंघन
(C) द्वेष
(D) परिणामी क्षति

225. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक व्यक्ति को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' माना जा सकता है यदि वे:
1. व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रतिफल के बदले वस्तुएं खरीदते हैं।
2. प्रतिफल के बदले सेवाओं का लाभ लेते हैं।
3. व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वस्तुएं खरीदते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

226. अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों के लिए सरकार का दायित्व ऐतिहासिक रूप से किस सिद्धांत द्वारा सीमित था?
(A) रेस्पोंडेंट सुपीरियर
(B) संप्रभु उन्मुक्ति
(C) स्टेयर डिसीसिस
(D) लोकस स्टैंडाई

227. अपमानलेख और अपमानवचन के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) अपमानलेख लिखित है, अपमानवचन मौखिक है।
(B) अपमानलेख स्थायी रूप में होता है, अपमानवचन अस्थायी रूप में होता है।
(C) अपमानलेख एक अपराध है, अपमानवचन केवल एक अपकृत्य है।
(D) अपमानलेख के लिए विशेष क्षति के प्रमाण की आवश्यकता होती है, अपमानवचन के लिए नहीं।

228. अपकृत्य वाद के निम्नलिखित प्रक्रियात्मक चरणों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करें:
1. निर्णय और आज्ञाप्ति।
2. वाद पत्र दाखिल करना।
3. विवाद्यकों का निर्धारण।
4. साक्ष्य और बहस।
(A) 2, 3, 4, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 3, 1
(D) 3, 2, 4, 1

229. यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के पूर्ण ज्ञान के साथ स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार करता है, तो बचाव है:
(A) अपरिहार्य दुर्घटना।
(B) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया।
(C) आवश्यकता।
(D) निजी प्रतिरक्षा।

230. सूची I की सूक्तियों को सूची II के अर्थों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: सूक्ति
P. रेस इप्सा लोक्विटुर
Q. रेस्पोंडेंट सुपीरियर
R. एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना
S. उबी जस इबी रेमेडियम
सूची II: अर्थ
1. वरिष्ठ को उत्तर देने दें
2. कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है
3. घटना स्वयं बोलती है
4. जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

231. रीलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम किसका उदाहरण है?
(A) बिना दोष वाला दायित्व
(B) दोष-आधारित दायित्व
(C) प्रतिनिधिक दायित्व
(D) संविदा भंग के लिए दायित्व

232. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जाती है?
(A) जिला आयोग में
(B) उच्च न्यायालय में
(C) राष्ट्रीय आयोग में
(D) उच्चतम न्यायालय में

233. 'पड़ोसी सिद्धांत' का मुख्य रूप से क्या निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है?
(A) नुकसानी की राशि।
(B) सावधानी बरतने के कर्तव्य का अस्तित्व।
(C) नुकसानी की दूरस्थता।
(D) योगदायी उपेक्षा की उपस्थिति।

234. उपताप कानून में, प्रतिवादी की ओर से 'द्वेष' क्या कर सकता है?
(A) अन्यथा उचित कृत्य को अयुक्तियुक्त बना सकता है और उपताप की श्रेणी में ला सकता है।
(B) कभी भी प्रासंगिक कारक नहीं हो सकता।
(C) पूर्ण बचाव के रूप में कार्य कर सकता है।
(D) कृत्य को स्वतः ही सार्वजनिक उपताप बना सकता है।

235. यह मिथ्या कथन कि कोई व्यक्ति अपने व्यापार या व्यवसाय में अक्षम है, किसका उदाहरण है?
(A) अपमानलेख।
(B) स्वतः वाद योग्य अपमानवचन।
(C) सार्वजनिक उपताप।
(D) उपेक्षा।

236. किसी व्यक्ति को 'उपभोक्ता' नहीं माना जाता है यदि वस्तुएं किसके लिए खरीदी गई हैं:
(A) व्यक्तिगत उपयोग के लिए।
(B) उपहार के रूप में देने के लिए।
(C) पुनर्विक्रय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए।
(D) परिवार के सदस्य द्वारा उपयोग के लिए।

237. वह सिद्धांत कि एक अपकृत्यकर्ता को 'अपने पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है', किस रूप में जाना जाता है?
(A) उचित दूरदर्शिता का नियम।
(B) एग-शेल स्कल नियम।
(C) अंतिम अवसर का नियम।
(D) 'बट-फॉर' परीक्षण।

238. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): भारत में, राज्य के दायित्व के लिए संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच का अंतर तीव्रता से समाप्त होता जा रहा है।
तर्क (R): न्यायपालिका ने कार्य की प्रकृति की परवाह किए बिना, राज्य के एजेंटों द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार प्रदान करने की ओर झुकाव प्रदर्शित किया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

239. अपकृत्य में 'नुकसानी' का उद्देश्य _______ होता है, जबकि आपराधिक कानून में 'अर्थदंड' का उद्देश्य _______ होता है।
(A) दंडात्मक; क्षतिपूरक
(B) क्षतिपूरक; दंडात्मक
(C) नाममात्र; अनुकरणीय
(D) अनुकरणीय; नाममात्र

240. फर्म के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में एक भागीदार द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए अन्य भागीदारों का दायित्व कैसा होता है?
(A) केवल उस भागीदार का व्यक्तिगत।
(B) अस्तित्वहीन।
(C) संयुक्त और पृथक।
(D) फर्म की संपत्ति तक सीमित।

241. "किसी कानून के प्राधिकार के अधीन किया गया कार्य एक पूर्ण बचाव है।" यह किसका बचाव है?
(A) आवश्यकता
(B) वैधानिक प्राधिकार
(C) दैवीय कृत्य
(D) निजी प्रतिरक्षा

242. योगदायी उपेक्षा के मामले में, यदि वादी और प्रतिवादी दोनों समान रूप से दोषी पाए जाते हैं, तो वादी को सामान्यतः कितनी राशि प्राप्त होगी?
(A) पूरी नुकसानी।
(B) कोई नुकसानी नहीं।
(C) नुकसानी का 50%।
(D) 100% नुकसानी और वाद लागत।

243. उपताप का अपकृत्य किसकी रक्षा करता है?
(A) व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अधिकार।
(B) व्यक्ति की शारीरिक अखंडता का अधिकार।
(C) व्यक्ति की अपनी भूमि के उपभोग का अधिकार।
(D) व्यक्ति की संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार।

244. न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र किसके द्वारा संरक्षित होता है?
(A) पूर्ण विशेषाधिकार।
(B) सप्रतिबंध विशेषाधिकार।
(C) उचित टिप्पणी।
(D) औचित्य।

245. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है?
(A) एक उपभोक्ता।
(B) एक पंजीकृत उपभोक्ता संघ।
(C) केंद्र या राज्य सरकार।
(D) उपरोक्त सभी।

246. सूक्ति 'डेमनम साइन इंजुरिया' का अर्थ है:
(A) कानूनी क्षति के बिना हानि।
(B) हानि के बिना कानूनी क्षति।
(C) कानूनी क्षति के साथ हानि।
(D) न तो हानि और न ही कानूनी क्षति।

247. एक स्वामी अपने सेवक के कपटपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होता है यदि:
(A) स्वामी ने कपट को प्राधिकृत किया था।
(B) कार्य सेवक के नियोजन के दौरान किया गया था।
(C) स्वामी को कपट से लाभ हुआ था।
(D) सेवक का कपट का पिछला रिकॉर्ड था।

248. प्रतिवादी की भूमि से निम्नलिखित में से किसका "पलायन" रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम को सक्रिय करेगा?
(A) एक पालतू बिल्ली।
(B) घरेलू चिमनी से धुआँ।
(C) कृत्रिम रूप से निर्मित जलाशय से बड़ी मात्रा में जल।
(D) वृक्ष से गिरी हुई पत्तियाँ।

249. उपेक्षा सिद्ध करने के लिए, वादी को सबसे पहले यह स्थापित करना होगा कि प्रतिवादी का उनके प्रति क्या था:
(A) सावधानी बरतने का कर्तव्य।
(B) नैतिक दायित्व।
(C) संविदात्मक दायित्व।
(D) वैश्वासिक कर्तव्य।

250. मानहानि की कार्रवाई में निम्नलिखित में से कौन सा बचाव नहीं है?
(A) सत्य या औचित्य।
(B) उचित टिप्पणी।
(C) विशेषाधिकार।
(D) कथन उपेक्षापूर्वक दिया गया था।

251. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'शिकायत' का अर्थ किसके संबंध में कोई भी लिखित अभिकथन है:
(A) एक अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार।
(B) दोषपूर्ण वस्तुएं या सेवा में कमी।
(C) अधिक मूल्य वसूलना।
(D) उपरोक्त सभी।

252. अपकृत्य में नुकसानी की दूरस्थता के लिए परीक्षण सामान्यतः होता है:
(A) उचित दूरदर्शिता का परीक्षण।
(B) प्रत्यक्षता का परीक्षण।
(C) आशय का परीक्षण।
(D) प्रयोजन का परीक्षण।

253. सूची I के मामलों को सूची II के सिद्धांतों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: मामला
P. डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
Q. रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
R. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ
S. कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
सूची II: सिद्धांत
1. पूर्ण दायित्व
2. राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व
3. पड़ोसी सिद्धांत / सावधानी का कर्तव्य
4. कठोर दायित्व
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

254. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपकृत्यात्मक दायित्व मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है:
1. स्वयं कानून द्वारा।
2. पक्षों के बीच एक समझौते द्वारा।
3. मामले-दर-मामले आधार पर न्यायालय द्वारा।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2
(D) केवल 2 और 3

255. किस स्थिति में एक नियोक्ता स्वतंत्र ठेकेदार के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होगा?
(A) जहाँ नियोक्ता ने स्वाभाविक रूप से खतरनाक कार्य सौंपा है।
(B) उन सभी मामलों में जहाँ ठेकेदार को भुगतान किया जाता है।
(C) केवल तभी जब नियोक्ता ने व्यक्तिगत रूप से कार्य का पर्यवेक्षण किया हो।
(D) नियोक्ता स्वतंत्र ठेकेदार के अपकृत्यों के लिए कभी उत्तरदायी नहीं होता है।

256. पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कठोर दायित्व से मुख्य रूप से इस अर्थ में भिन्न है कि यह:
(A) उपेक्षा के प्रमाण की अपेक्षा रखता है।
(B) केवल भूमि के प्राकृतिक उपयोगों पर लागू होता है।
(C) इसका कोई अपवाद नहीं है।
(D) इसके परिणामस्वरूप नुकसानी कम होती है।

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) एक दीवानी दोष जिसके लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी है, और जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है।
अपकृत्य एक ऐसा नागरिक दोष है जिसका प्राथमिक विधिक उपचार न्यायालय द्वारा निर्धारित अपरिनिर्धारित नुकसानी है। यह संविदा भंग या न्यास भंग जैसी अन्य विधिक श्रेणियों से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कर्तव्यों का निर्धारण कानून द्वारा समाज के प्रति किया जाता है। यह सिद्धांत व्यक्तियों के बीच नागरिक संबंधों को विनियमित करता है और विधिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करता है।

2. (A) प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य या लोप होना चाहिए।
अपकृत्यात्मक दायित्व उत्पन्न करने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रतिवादी द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो या उसके द्वारा किसी विधिक कर्तव्य का लोप हुआ हो। कानून केवल उन्हीं कृत्यों को अपकृत्य की श्रेणी में रखता है जहाँ किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ हो। केवल नैतिक अनैतिकता विधिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं होती। उस कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम वादी की विधिक क्षति होना आवश्यक है।

3. (C) बिना किसी वास्तविक हानि या नुकसान के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है।
'इंजुरिया साइन डेमनो' का सिद्धांत उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन तो हुआ है, परंतु उसे कोई वास्तविक भौतिक या वित्तीय हानि नहीं हुई है। कानून ऐसे मामलों में अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देता है क्योंकि अधिकारों का उल्लंघन स्वतः एक क्षति मानी जाती है। विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए सदैव प्रत्यक्ष आर्थिक हानि होना अनिवार्य नहीं होता है।

4. (D) इंजुरिया साइन डेमनो
ऐशबी बनाम व्हाइट का मामला इस सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि जहाँ विधिक अधिकार है, वहाँ उपचार भी उपलब्ध है। इस मामले में एक योग्य मतदाता को मतदान से अवैध रूप से रोका गया, जिससे उसके विधिक अधिकार का हनन हुआ। यद्यपि उसके समर्थित उम्मीदवार की विजय हुई और उसे कोई प्रत्यक्ष हानि नहीं हुई, फिर भी न्यायालय ने अधिकार उल्लंघन को वाद योग्य मानते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।

5. (C) एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।
प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत एक ऐसे कानूनी संबंध को परिभाषित करता है जहाँ एक व्यक्ति को किसी अन्य द्वारा किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह सामान्यतः स्वामी-सेवक, प्रधान-एजेंट या भागीदारों के बीच लागू होता है। इस सिद्धांत का विधिक आधार यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के माध्यम से कार्य संचालित करता है, उसे उन कार्यों के परिणामों के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए।

6. (B) द्वेष या दुर्भावना की उपस्थिति।
अपकृत्य के लिए सामान्यतः द्वेष या दुर्भावना की उपस्थिति अनिवार्य तत्व नहीं मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और प्रतिवादी का कार्य दोषपूर्ण है, तो कानूनी दायित्व बनता है। भले ही प्रतिवादी का उद्देश्य बुरा न रहा हो, फिर भी वह क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हो सकता है। उपेक्षा और अतिचार जैसे अपकृत्यों में कार्य की प्रकृति ही दायित्व का मुख्य आधार होती है।

7. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विधिक सूक्ति 'रेस्पोंडेंट सुपीरियर' का अर्थ है कि वरिष्ठ को उत्तर देने दें, जो स्वामी के प्रतिनिधिक दायित्व का मुख्य आधार है। इसके अनुसार, एक स्वामी अपने सेवक द्वारा नियोजन के सामान्य अनुक्रम के दौरान किए गए सभी अपकृत्यात्मक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि स्वामी का अपने सेवक के कार्यों पर नियंत्रण होता है और उसे व्यावसायिक जोखिम साझा करने चाहिए।

8. (A) डेमनम साइन इंजुरिया
यह परिदृश्य 'डेमनम साइन इंजुरिया' को दर्शाता है, जिसका अर्थ है बिना विधिक क्षति के होने वाली हानि। यहाँ पड़ोसी को वित्तीय नुकसान हुआ है, परंतु कारखाने के स्वामी ने अपनी भूमि पर केवल अपने कानूनी अधिकारों का उचित प्रयोग किया था। कानून ऐसे मामलों में उपचार प्रदान नहीं करता जहाँ विधिक अधिकार का उल्लंघन न हो। आर्थिक प्रतिस्पर्धा या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वाद योग्य नहीं होता है।

9. (C) वह नुकसानी जो पहुँची गई क्षति के आधार पर न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है।
अपरिनिर्धारित नुकसानी वह धनराशि होती है जिसका निर्धारण पहले से किसी अनुबंध या पक्षकारों के बीच हुए समझौते द्वारा नहीं किया जाता है। अपकृत्य के मामलों में, क्षतिपूर्ति की कुल राशि का निर्धारण पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। न्यायालय घटना की गंभीरता, वादी की वास्तविक हानि और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद उचित राशि तय करता है। इसका उद्देश्य पीड़ित को न्यायोचित मौद्रिक मुआवजा दिलाना है।

10. (D) 1, 2 और 3
अपकृत्य कानून की प्रकृति बहुआयामी है और यह मुख्य रूप से पीड़ित को क्षतिपूर्ति प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके तहत कर्तव्यों का स्रोत स्वयं कानून होता है जो समाज के सभी सदस्यों पर लागू होता है, न कि निजी समझौता। विशेष रूप से,

270. प्रतिनिधिक दायित्व किसका एक उदाहरण है?
(A) दोष-आधारित दायित्व।
(B) दूसरे के दोष के लिए दायित्व।
(C) बिना दोष वाला दायित्व।
(D) आपराधिक दायित्व।

271. कौन सा सिद्धांत मानता है कि खतरनाक या स्वाभाविक रूप से जोखिम भरी गतिविधि में संलग्न इकाई अपने संचालन से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए कठोर और पूर्ण रूप से उत्तरदायी है?
(A) पूर्ण दायित्व का सिद्धांत।
(B) रीलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम।
(C) प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत।
(D) योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत।

272. प्रज्वलित भवन से बालक को बचाने के लिए दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करने वाला व्यक्ति किस बचाव के कारण अतिचारी नहीं है?
(A) सहमति
(B) अपरिहार्य दुर्घटना
(C) आवश्यकता
(D) दैवीय कृत्य

273. योगदायी उपेक्षा सिद्ध करने का भार किस पर होता है?
(A) प्रतिवादी पर
(B) वादी पर
(C) न्यायालय पर
(D) पुलिस पर

274. सार्वजनिक और निजी उपताप के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि सार्वजनिक उपताप एक ________ है।
(A) अपराध
(B) संविदात्मक उल्लंघन
(C) संवैधानिक उल्लंघन
(D) न्यास का उल्लंघन

275. सूची I के बचावों को सूची II की प्रासंगिक सूक्तियों या अवधारणाओं के साथ सुमेलित करें।
सूची I: अपकृत्य में बचाव
P. सहमति
Q. वादी स्वयं दोषकर्ता
R. दैवीय कृत्य
S. स्वामी का दायित्व
सूची II: प्रासंगिक सूक्ति/अवधारणा
1. विस मेजर
2. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
3. रेस्पोंडेंट सुपीरियर
4. एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटुर एक्टियो
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

276. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, 'कमी' ________ से संबंधित है, जबकि 'दोष' ________ से संबंधित है।
(A) वस्तुओं; सेवाओं
(B) सेवाओं; वस्तुओं
(C) मूल्य; गुणवत्ता
(D) गुणवत्ता; मूल्य

277. 'टॉर्ट' शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी शब्द किसके समकक्ष है:
(A) रॉन्ग
(B) राइट
(C) जस्टिस
(D) कॉन्ट्रैक्ट

278. अपने एजेंट के अपकृत्य के लिए प्रधान का दायित्व किस सूक्ति पर आधारित है?
(A) क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से
(B) रेस इप्सा लोक्विटुर
(C) उबी जस इबी रेमेडियम
(D) डेमनम साइन इंजुरिया

279. पूर्ण दायित्व का नियम किसका एक सृजनात्मक नवाचार था?
(A) यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स
(B) अमेरिकी उच्चतम न्यायालय
(C) भारत का उच्चतम न्यायालय
(D) भारत की संसद

280. यदि चोट अकल्पनीय नहीं है, परंतु जिस रीति से वह घटित होती है वह अकल्पनीय है, तो प्रतिवादी:
(A) उत्तरदायी है।
(B) उत्तरदायी नहीं है।
(C) केवल नाममात्र की नुकसानी के लिए उत्तरदायी है।
(D) केवल तभी उत्तरदायी है जब उसने द्वेष के साथ कार्य किया हो।

281. "सावधानी का मानक" का प्रश्न उपेक्षा की जाँच के किस चरण में उत्पन्न होता है?
(A) सावधानी के कर्तव्य का निर्धारण करते समय।
(B) कर्तव्य के उल्लंघन का निर्धारण करते समय।
(C) कार्य-कारण का निर्धारण करते समय।
(D) नुकसानी की दूरस्थता का निर्धारण करते समय।

282. निम्नलिखित में से कौन निजी उपताप का एक आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप।
(B) भूमि के उपयोग या उपभोग में हस्तक्षेप।
(C) क्षति।
(D) भूमि पर अतिचार।

257. 'आवश्यकता' के बचाव का एक उदाहरण है:
(A) क्षुधा के कारण रोटी चोरी करना।
(B) अग्नि को फैलने से रोकने के लिए किसी भवन को गिरा देना।
(C) किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गति सीमा का उल्लंघन करना।
(D) मनोरंजन के लिए अतिचार करना।

258. 'अंतिम अवसर का नियम' किस अवधारणा से संबद्ध है?
(A) उपेक्षा
(B) उपताप
(C) योगदायी उपेक्षा
(D) मानहानि

259. निजी उपताप के रूप में वाद योग्य होने के लिए, भूमि के साथ हस्तक्षेप कैसा होना चाहिए?
(A) पर्याप्त और अयुक्तियुक्त।
(B) क्षणिक और नाममात्र।
(C) गुप्त और प्रच्छन्न।
(D) प्राकृतिक स्थिति के कारण।

260. मानहानि कानून में 'विशेषाधिकार' का बचाव इस विचार पर आधारित है कि:
(A) सभी व्यक्तियों को भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है।
(B) कुछ स्थितियों में, स्वतंत्र अभिव्यक्ति में जनहित किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के हित से अधिक होता है।
(C) वादी की प्रतिष्ठा पूर्व से ही त्रुटिपूर्ण थी।
(D) प्रतिवादी का आशय नुकसान पहुँचाने का नहीं था।

261. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आर्थिक क्षेत्राधिकार कितने दावों के लिए है?
(A) पचास लाख से अधिक और दो करोड़ तक।
(B) पचास लाख तक।
(C) दो करोड़ से अधिक और दस करोड़ तक।
(D) दस करोड़ से अधिक।

262. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): अपकृत्य एक दीवानी दोष है।
तर्क (R): अपकृत्य का उपचार नुकसानी है, दंड नहीं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

263. एक स्वामी अपने सेवक के कृत्य के लिए उत्तरदायी होता है यदि वह प्राधिकृत कार्य करने का दोषपूर्ण और अनधिकृत तरीका है। यह किस मामले में स्थापित किया गया था?
(A) रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
(B) सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड
(C) डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
(D) ऐशबी बनाम व्हाइट

264. 'दैवीय कृत्य' एक ऐसा बचाव है जिसके लिए प्राकृतिक शक्तियों के कार्य की आवश्यकता होती है जो:
(A) मानवीय हस्तक्षेप द्वारा सहायता प्राप्त हो।
(B) सामान्य और पूर्वानुमेय हो।
(C) किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त और अकल्पनीय हो।
(D) जिसे पर्याप्त धन से रोका जा सकता था।

265. "नर्वस शॉक" उपेक्षा में एक वाद योग्य दावा तब बन जाता है जब यह क्या कारित करता है:
(A) क्षणिक भय।
(B) एक पहचान योग्य मनोरोग बीमारी।
(C) विषाद की भावना।
(D) क्रोध की स्थिति।

266. अपनी ही भूमि पर गर्त खोदने वाला व्यक्ति उपताप के लिए उत्तरदायी नहीं है। परंतु यदि वह अपने पड़ोसी के कुएँ से रिसते जल को खींचने के दुर्भावनापूर्ण आशय से ऐसा करता है, तो वह उत्तरदायी हो सकता है। यह उपताप में _________ की प्रासंगिकता को दर्शाता है।
(A) द्वेष
(B) सहमति
(C) इलाका
(D) अवधि

267. मानहानि के मामले में 'क्षमा' एक ऐसा कारक हो सकता है जो:
(A) पूर्ण बचाव के रूप में कार्य करता है।
(B) दी जाने वाली नुकसानी को कम कर सकता है।
(C) कार्यवाही के लिए अप्रासंगिक है।
(D) कथन की सत्यता को सिद्ध करता है।

268. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत 'उत्पाद दायित्व' में किसके कारण दोषपूर्ण उत्पाद से होने वाले नुकसान की उत्तरदायित्व सम्मिलित है?
(A) निर्माण संबंधी त्रुटि।
(B) अभिकल्प संबंधी त्रुटि।
(C) पर्याप्त निर्देश या चेतावनी देने में विफलता।
(D) उपरोक्त सभी।

269. ऐशबी बनाम व्हाइट के मामले में दायित्व किस सूक्ति पर आधारित था?
(A) डेमनम साइन इंजुरिया
(B) इंजुरिया साइन डेमनो
(C) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(D) रेस इप्सा लोक्विटुर

296. कर्मचारी के कृत्यों के लिए नियोक्ता का दायित्व किस रूप में जाना जाता है?
(A) कठोर दायित्व
(B) पूर्ण दायित्व
(C) व्यक्तिगत दायित्व
(D) प्रतिनिधिक दायित्व

297. सूची I की अवधारणाओं को सूची II के उदाहरणों के साथ सुमेलित करें।
सूची I: अवधारणा
P. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
Q. बचाव का मामला अपवाद
R. दैवीय कृत्य
S. अपरिहार्य दुर्घटना
सूची II: उदाहरण
1. लापरवाही के कारण लगी अग्नि को बुझाने वाले दमकलकर्मी
2. क्रिकेट मैच में गेंद से घायल हुआ एक दर्शक
3. अभूतपूर्व बाढ़ के कारण हुई क्षति
4. तेल की परत पर फिसलने वाली सावधानी से चलाई गई कार
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

298. उपेक्षा स्थापित करने के लिए, प्रतिवादी के कर्तव्य के उल्लंघन और वादी के किसके बीच एक कारण संबंध सिद्ध होना चाहिए:
(A) आशय
(B) प्रयोजन
(C) चोट
(D) सहमति

299. मानहानि में, 'इन्यूएंडो' की आवश्यकता तब होती है जब:
(A) कथन प्रत्यक्ष रूप से मानहानिकारक हो।
(B) शब्द अपने सामान्य अर्थ में मानहानिकारक नहीं हैं परंतु उनका अर्थ प्रच्छन्न मानहानिकारक है।
(C) कथन सत्य हो।
(D) कथन विशेषाधिकार प्राप्त हो।

300. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो यह सुनिश्चित करता है कि:
(A) औपचारिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त हो।
(B) उपभोक्ता एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करें।
(C) सभी विज्ञापन शैक्षिक हों।
(D) उपभोक्ताओं को उत्पाद बनाना सिखाया जाए।

283. मानहानि में किस बचाव के लिए प्रतिवादी को मानहानिकारक अभिकथन की सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता होती है?
(A) उचित टिप्पणी
(B) विशेषाधिकार
(C) औचित्य
(D) क्षमा

284. 'उपभोक्ता' में वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो वस्तुएं या सेवाएँ प्राप्त करता है:
(A) उस प्रतिफल के लिए जिसका भुगतान किया जा चुका है।
(B) उस प्रतिफल के लिए जिसका वादा किया गया है।
(C) निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अधीन।
(D) आंशिक रूप से भुगतान किए गए और आंशिक रुप से वादा किए गए प्रतिफल के लिए।

285. दोषपूर्ण कृत्य कोई भी कार्य है जो:
(A) कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं है
(B) अनैतिक है
(C) नीतिविरुद्ध है
(D) अलोकप्रिय है

286. निम्नलिखित विशिष्ट अपकृत्यों पर विचार करें:
1. उपेक्षा
2. उपताप
3. मानहानि
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

287. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें।
अभिकथन (A): एक नियोक्ता पर प्रतिनिधिक दायित्व तब भी अधिरोपित किया जा सकता है जब उन्होंने सेवक को लापरवाह होने से निषिद्ध किया हो।
तर्क (R): नियोक्ता नियोजन के दौरान किए गए सेवक के दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी है, चाहे निष्पादन की रीति के संबंध में स्पष्ट निषेध क्यों न हो।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

288. एक मोटर दौड़ देखने वाला दर्शक जो ट्रैक से बाहर उड़ती हुई कार से घायल हो जाता है, उसके दावे को किस बचाव से विफल किए जाने की संभावना है?
(A) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
(B) अपरिहार्य दुर्घटना
(C) योगदायी उपेक्षा
(D) आवश्यकता

289. अपमानवचन और अपमानलेख के बीच अंतर किसमें निहित है?
(A) प्रकाशन की रीति में।
(B) कर्ता के आशय में।
(C) प्रकाशन के मंच में।
(D) कथन की सत्यता में।

290. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को क्या जारी करने का अधिकार देता है?
(A) मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश और शास्ति।
(B) अपराधियों को केवल चेतावनी।
(C) उपभोक्ताओं को केवल क्षतिपूर्ति।
(D) सीधे कारावास का दंड।

291. अपकृत्य कानून मुख्य रूप से किसके प्रति कर्तव्यों से संबंधित है?
(A) सामान्यतः जनसाधारण के प्रति।
(B) बड़े पैमाने पर राज्य के प्रति।
(C) अनुबंध के तहत विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति।
(D) न्यायालय के प्रति।

292. स्वामी-सेवक संबंध निर्धारित करने के लिए "नियंत्रण परीक्षण" के साथ अब तीव्रता से किसे जोड़ा जा रहा है?
(A) वेतन परीक्षण।
(B) अवधि परीक्षण।
(C) संगठन या एकीकरण परीक्षण।
(D) समान परीक्षण।

293. सार्वजनिक उपताप के लिए प्राथमिक उपचार क्या है?
(A) किसी भी व्यक्ति द्वारा नुकसानी के लिए कार्रवाई।
(B) राज्य द्वारा आपराधिक अभियोजन।
(C) विनिर्दिष्ट पालन के लिए कार्रवाई।
(D) 'क्वांटम मेरिट' का दावा।

294. एक उपभोक्ता विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है:
(A) केवल अंतिम सुनवाई के पश्चात।
(B) कार्यवाही के किसी भी चरण में यदि समझौते की संभावना हो।
(C) केवल शिकायत दर्ज होने से पूर्व।
(D) केवल राष्ट्रीय आयोग के समक्ष मामलों में।

295. अपकृत्य में 'कानूनी क्षति' की अवधारणा का अर्थ है:
(A) कानूनी अधिकार का उल्लंघन।
(B) कोई भी हानि, नुकसान या चोट।
(C) केवल वित्तीय हानि।
(D) सरकारी संपत्ति को नुकसान।

एक ही कृत्य अपकृत्य के रूप में दीवानी दायित्व और अपराध के रूप में आपराधिक दंड दोनों को जन्म दे सकता है। यह कानून संतुलन सुनिश्चित करता है।

11. (D) अपकृत्य में प्राथमिक उपचार कारावास है।
अपकृत्य कानून दीवानी कानून की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति और नुकसानी प्रदान करने पर आधारित है। इसमें प्राथमिक उपचार कारावास नहीं होता है, बल्कि पीड़ित को हुए नुकसान की भरपाई मौद्रिक रूप में की जाती है। कारावास केवल आपराधिक मामलों का दंड है, न कि दीवानी दोषों का। अपकृत्य के सिद्धांत न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुए हैं, जिसका उद्देश्य नागरिक अधिकारों की रक्षा है।

12. (B) जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है।
'उबी जस इबी रेमेडियम' अपकृत्य कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है जो यह स्थापित करता है कि जहाँ कानून ने अधिकार दिया है, वहाँ उसका उल्लंघन होने पर उपचार भी मिलना चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानूनी अधिकार केवल सैद्धांतिक न रहें, बल्कि उनका प्रभावी प्रवर्तन संभव हो। यदि अधिकार का हनन होता है, तो न्यायालय उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य है, जिससे न्याय सुलभ होता है।

13. (C) फ्रेज़र
फ्रेज़र ने अपकृत्य को एक ऐसे नागरिक दोष के रूप में परिभाषित किया है जो किसी व्यक्ति के सर्वबंधी अधिकार का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार, यह उल्लंघन पीड़ित पक्ष को नुकसानी के लिए वाद चलाने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। यह परिभाषा अपकृत्य के निजी और नागरिक स्वरुप पर विशेष बल देती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विधिक कर्तव्य का उल्लंघन प्रत्यक्ष और अवैध रूप से होता है।

14. (D) रीलैंड्स बनाम फ्लेचर
'कठोर दायित्व' के नियम का प्रतिपादन रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के प्रसिद्ध मामले में किया गया था। इस नियम के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई ऐसी खतरनाक वस्तु लाता है जिसका पलायन दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है, तो वह उस नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने कितनी सावधानी बरती थी। यह सिद्धांत बिना किसी प्रत्यक्ष दोष के दायित्व पर आधारित है।

15. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
यह मिलान अपकृत्य कानून के प्रमुख सिद्धांतों और ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों को दर्शाता है। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत एम.सी. मेहता मामले से विकसित हुआ, जबकि राज्य का प्रतिनिधिक दायित्व कस्तूरी लाल मामले में चर्चित रहा। कठोर दायित्व का नियम रीलैंड्स बनाम फ्लेचर से आया और उपेक्षा में सावधानी का कर्तव्य डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन में स्थापित हुआ। ये सभी मामले आधुनिक विधिक सिद्धांतों के क्रमिक विकास के आधार स्तंभ हैं।

16. (B) स्वयं का आमोद-प्रमोद।
'स्वयं का आमोद-प्रमोद' एक विधिक अवधारणा है जो उस स्थिति को संदर्भित करती है जब कोई कर्मचारी नियोजन के दौरान अपने निजी कार्य के लिए निर्धारित मार्ग से भटक जाता है। यदि इस विचलन के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो नियोक्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह कृत्य नियोजन के दायरे से बाहर माना जाता है। यह सिद्धांत नियोक्ता के दायित्व को केवल प्राधिकृत कार्यों तक सीमित करता है।

17. (B) प्रतिवादी की वित्तीय अक्षमता
कठोर दायित्व के नियम के तहत प्रतिवादी की वित्तीय अक्षमता को बचाव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। दैवीय कृत्य, वादी की अपनी सहमति और वैधानिक प्राधिकार जैसे कारक विधिक मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु धन की कमी दायित्व को समाप्त नहीं करती। कानून यह सुनिश्चित करता है कि खतरनाक गतिविधियों से होने वाले नुकसान की भरपाई पीड़ित को अवश्य मिलनी चाहिए। प्रतिवादी की आर्थिक स्थिति कोई विधिक आधार नहीं बनती।

18. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत उन खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों के लिए विकसित किया गया जहाँ कोई भी अपवाद स्वीकार्य नहीं है। यह कठोर दायित्व के नियम से अधिक सख्त है क्योंकि इसमें दैवीय कृत्य या वादी की गलती जैसे बचाव उपलब्ध नहीं होते हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा संचालित जोखिम भरी गतिविधियों से होने वाले नुकसान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बनाना है।

19. (C) खतरनाक गतिविधियों में सम्मिलित इकाइयों के लिए बिना किसी अपवाद के कठोर दायित्व।
पूर्ण दायित्व का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका द्वारा विशेष रूप से उन उद्योगों के लिए प्रतिपादित किया गया है जो खतरनाक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत, यदि किसी खतरनाक गतिविधि से नुकसान होता है, तो संबंधित इकाई बिना किसी कानूनी अपवाद के उत्तरदायी होती है। इसमें रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम में उपलब्ध बचाव भी लागू नहीं होते हैं। इसका उद्देश्य बड़ी कंपनियों को अधिक जिम्मेदार बनाना है।

20. (D) भारत में प्रतिपादित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किसी भी अपवाद को मान्यता नहीं देता है।
कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर अपवादों की उपलब्धता में निहित है। कठोर दायित्व के नियम में दैवीय कृत्य और वैधानिक प्राधिकार जैसे बचाव मिलते हैं। इसके विपरीत, भारत में विकसित पूर्ण दायित्व का सिद्धांत किसी भी प्रकार के अपवाद की अनुमति नहीं देता है। यह सिद्धांत उन आधुनिक उद्योगों पर लागू होता है जो समाज के लिए अंतर्निहित जोखिम पैदा करते हैं। यहाँ दायित्व पूर्ण होता है।

21. (C) संपरिवर्तन कार्यों के निष्पादन में अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं है।
संप्रभु उन्मुक्ति का पारंपरिक सिद्धांत यह मानता है कि राज्य अपने सेवकों द्वारा संप्रभु कार्यों के निष्पादन के दौरान किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं है। संप्रभु कार्यों में रक्षा, विदेशी मामले और न्याय प्रशासन जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित हैं जिन्हें केवल राज्य ही कर सकता है। आधुनिक समय में इस सिद्धांत का प्रभाव काफी कम हुआ है, फिर भी यह ऐतिहासिक रूप से राज्य को विधिक सुरक्षा प्रदान करता था।

22. (B) कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला संप्रभु उन्मुक्ति के प्रश्न पर एक ऐतिहासिक निर्णय है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 'संप्रभु' और 'गैर-संप्रभु' कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया। न्यायालय ने माना कि यदि कोई कृत्य राज्य की संप्रभु शक्ति के वास्तविक प्रयोग में किया गया है, तो राज्य उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह सरकारी कर्मचारियों के कार्यों के प्रति दायित्व का आधार है।

23. (D) स्वामी का दायित्व सेवक को उसके व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त कर देता है।
प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत में स्वामी का उत्तरदायी होना सेवक को उसके व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त नहीं करता है। वास्तव में, स्वामी और सेवक दोनों को संयुक्त अपकृत्यकर्ता माना जाता है और पीड़ित किसी एक या दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। स्वामी का दायित्व पीड़ित को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। सेवक हमेशा अपने दोषपूर्ण कृत्यों के लिए कानून के प्रति जवाबदेह बना रहता है।

24. (A) मिसफीजेंस
मिसफीजेंस का तात्पर्य किसी ऐसे विधिक कार्य को गलत तरीके से निष्पादित करना है जिसे करने का अधिकार व्यक्ति के पास होता है। जब एक लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लापरवाही बरतता है या उसे अनुचित रीति से करता है, जिससे किसी नागरिक को हानि होती है, तो वह मिसफीजेंस का दोषी माना जाता है। यहाँ समस्या कार्य के चयन में नहीं बल्कि उसे पूरा करने के दोषपूर्ण ढंग में होती है।

25. (A) केवल 1 और 2
प्रतिनिधिक दायित्व स्थापित करने के लिए दो प्रमुख शर्तें अनिवार्य हैं: पहला, अपकृत्य करने वाला व्यक्ति स्वामी का सेवक होना चाहिए, और दूसरा, वह कार्य नियोजन के सामान्य अनुक्रम के दौरान किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि स्वामी ने उस विशिष्ट दोषपूर्ण कृत्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राधिकृत किया हो। यदि सेवक अपने कार्य को गलत तरीके से करता है, तो भी स्वामी उत्तरदायी होता है।

26. (A) प्रतिनिधिक दायित्व
लैटिन सूक्ति 'क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से' का शाब्दिक अर्थ है कि वह जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, वह स्वयं वह कार्य करता है। यह प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत का मूलभूत आधार है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को अपने कार्य के लिए नियुक्त करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के विधिक परिणाम भी नियुक्ति करने वाले के माने जाएंगे।

27. (D) एक अनिवार्य सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने में विफलता।
अपकृत्य कानून में 'नॉन-फीजेंस' का तात्पर्य किसी ऐसे कार्य को करने में विफलता है जिसे करना व्यक्ति का विधिक कर्तव्य था। एक लोक सेवक के संदर्भ में, जब वह किसी अनिवार्य सार्वजनिक दायित्व का पालन नहीं करता और उस लोप के कारण किसी नागरिक को क्षति पहुँचती है, तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कानून अपेक्षा करता है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

28. (B) सहमति देने वाले व्यक्ति को कोई कानूनी क्षति नहीं होती।
'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' एक महत्वपूर्ण सामान्य बचाव है जिसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी जोखिम के लिए सहमति दी है, तो वह बाद में उस क्षति के लिए नुकसानी का दावा नहीं कर सकता। यहाँ सहमति विधिक अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध एक प्रभावी अवरोध के रूप में कार्य करती है। यह सिद्धांत मान्यता पर आधारित है कि जो व्यक्ति खतरा स्वीकार करता है, वह क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं।

29. (C) स्वतंत्र और स्वैच्छिक।
'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' के बचाव के सफल होने के लिए यह अनिवार्य है कि वादी की सहमति पूरी तरह स्वतंत्र और स्वैच्छिक होनी चाहिए। यदि सहमति दबाव या अनुचित प्रभाव के तहत प्राप्त की गई है, तो वह कानून की दृष्टि में मान्य नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, वादी को जोखिम की प्रकृति और सीमा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उस जोखिम को स्वीकार करने की सचेत इच्छा अनिवार्य है।

30. (B) 1, 2, 3, 4
अपकृत्य के मामलों में बचावों पर विचार करते समय एक तार्किक क्रम का पालन किया जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि क्या वादी ने कार्य के लिए सहमति दी थी। इसके बाद, क्या घटना एक अपरिहार्य दुर्घटना थी जिसे सामान्य सावधानी से नहीं टाला जा सकता था। फिर कृत्य की आवश्यकता और अंत में वादी की अपनी दोषसिद्धि पर विचार किया जाता है। यह क्रम न्यायसंगत मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

31. (A) किसी भी उचित देखभाल और सावधानी से टाला नहीं जा सकता था।
अपरिहार्य दुर्घटना एक ऐसा बचाव है जहाँ प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि उसने पूरी सावधानी और कौशल का प्रयोग किया था, फिर भी घटना को रोका नहीं जा सका। यह एक ऐसी घटना है जिसे एक उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति के स्तर की देखभाल से भी टाला नहीं जा सकता था। इसमें प्रतिवादी का कोई दोष या उपेक्षा नहीं होती है। कानून अकल्पनीय घटनाओं के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराता।

32. (B) एक असाधारण प्राकृतिक घटना जिसे पूर्वलक्षित या सुरक्षित नहीं किया जा सकता था।
'दैवीय कृत्य' का बचाव तब लागू होता है जब क्षति किसी ऐसी असाधारण प्राकृतिक घटना के कारण होती है जिसे मानवीय बुद्धि से न तो पहले से देखा जा सकता था और न ही उससे बचा जा सकता था। इसमें भूकंप या बिजली गिरना जैसी घटनाएँ सम्मिलित हैं। यह बचाव केवल तभी सफल होता है जब घटना पूरी तरह प्राकृतिक हो और उसमें किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप न हो।

33. (B) एक व्यक्ति तूफान में डूबने से बचाने के लिए दूसरे की संपत्ति को नाव से बाहर फेंक देता है।
'आवश्यकता' का बचाव उस स्थिति में लागू होता है जहाँ किसी बड़ी हानि या जीवन को बचाने के लिए जानबूझकर कम नुकसान पहुँचाया जाता है। तूफान के दौरान नाव को डूबने से बचाने के लिए सामान को बाहर फेंकना इसका एक सटीक उदाहरण है। यहाँ प्रतिवादी का उद्देश्य किसी के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं, बल्कि आसन्न खतरे से सुरक्षा करना होता है। कानून ऐसे कृत्यों को न्यायसंगत मानता है।

34. (A) वादी का दोषपूर्ण कार्य उसके द्वारा झेली गई क्षति से प्रत्यक्ष रुप से संबद्ध होना चाहिए।
जब वादी स्वयं एक दोषकर्ता होता है, तो उसका दावा केवल तभी विफल हो सकता है यदि उसका गलत कार्य उसे हुई क्षति से प्रत्यक्ष रुप से संबंधित हो। यह सिद्धांत 'एक्स टर्पी कॉसा' पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक अनैतिक आधार से कोई विधिक कार्रवाई उत्पन्न नहीं हो सकती। हालांकि, केवल अतिचारी होना ही उसे उपचार से वंचित नहीं करता; उसके दोष की प्रकृति निर्णायक होती है।

35. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वैधानिक प्राधिकार अपकृत्य के विरुद्ध एक पूर्ण बचाव प्रदान करता है क्योंकि जब संसद किसी कार्य को करने का निर्देश देती है, तो वह कार्य अवैध नहीं रह जाता। यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा अधिकृत कार्य करता है और उसके दौरान बिना लापरवाही के किसी को नुकसान पहुँचता है, तो पीड़ित दावा नहीं कर सकता। यह सिद्धांत विधिक आदेशों की सर्वोच्चता को प्राथमिकता देता है। यहाँ विधिक अनुमति महत्वपूर्ण होती है।

36. (D) क्या प्रतिवादी की स्थिति में एक उचित व्यक्ति उस प्रकार की क्षति का अनुमान लगा सकता था।
नुकसानी की दूरस्थता के संदर्भ में 'उचित दूरदर्शिता का परीक्षण' यह निर्धारित करता है कि क्या प्रतिवादी को उस प्रकार की क्षति का अनुमान लगाना चाहिए था। यह परीक्षण प्रतिवादी की स्थिति में एक काल्पनिक उचित व्यक्ति के विवेक पर आधारित होता है। यदि क्षति इतनी अप्रत्याशित है कि कोई सामान्य व्यक्ति उसका अंदाजा नहीं लगा सकता था, तो उसे बहुत दूरस्थ माना जाता है।

37. (C) अपने दोषपूर्ण कृत्य के सभी प्रत्यक्ष परिणामों के लिए, चाहे वे पूर्वानुमेय हों या नहीं।
'री पोलेमिस' मामले में स्थापित प्रत्यक्षता का परीक्षण यह कहता है कि यदि कोई कार्य दोषपूर्ण है, तो प्रतिवादी उसके सभी प्रत्यक्ष परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उन परिणामों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था या नहीं। जब तक कार्य और परिणाम के बीच एक अटूट भौतिक श्रृंखला बनी रहती है, दायित्व बना रहता है। यह परीक्षण प्रतिवादी पर कठोर उत्तरदायित्व डालता है।

38. (B) उचित दूरदर्शिता का परीक्षण।
'द वेगन माउंट' का मामला अपकृत्य कानून में एक युगांतकारी मोड़ था जिसने 'प्रत्यक्षता के परीक्षण' को 'उचित दूरदर्शिता के परीक्षण' से बदल दिया। इस निर्णय के बाद, कोई प्रतिवादी केवल उन्हीं क्षतियों के लिए उत्तरदायी माना जाता है जिनका प्रकार एक उचित व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमेय हो। इसने कानून को अधिक न्यायसंगत बनाया क्योंकि यह व्यक्ति को अकल्पनीय परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता है।

39. (D) प्रतिवादी को अपने पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है, जिसमें उसकी कोई भी असामान्य दुर्बलता सम्मिलित है।
'एगशेल स्कल नियम' यह स्थापित करता है कि यदि कोई प्रतिवादी किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुँचाता है, तो वह उस चोट के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी है, चाहे वे वादी की किसी पूर्व बीमारी के कारण कितने भी गंभीर क्यों न हों। प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि एक सामान्य व्यक्ति को उतनी चोट नहीं लगती। कानून मानता है कि आपको पीड़ित को उसकी स्थिति में स्वीकार करना होगा।

40. (A) दैवीय कृत्य और अपरिहार्य दुर्घटना एक ही विषय हैं।
दैवीय कृत्य और अपरिहार्य दुर्घटना एक ही विषय नहीं हैं, यद्यपि दोनों में प्रतिवादी का दोष नहीं होता। दैवीय कृत्य में प्राकृतिक शक्तियों की असाधारण भूमिका अनिवार्य है, जबकि अपरिहार्य दुर्घटना मानवीय गतिविधियों से भी संबंधित हो सकती है जिन्हें उचित सावधानी से नहीं टाला जा सका। इन दोनों अवधारणाओं के बीच विधिक अंतर को समझना सही विधिक बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है।

41. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
यह मिलान अपकृत्य कानून के विभिन्न सामान्य बचावों और उनकी मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करता है। 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' का मुख्य आधार जोखिम के लिए दी गई स्वतंत्र सहमति है। 'दैवीय कृत्य' असाधारण प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित होता है। 'अपरिहार्य दुर्घटना' वह है जिसे उचित सावधानी बरतने के बावजूद नहीं टाला जा सका। 'वैधानिक प्राधिकार' किसी कार्य के लिए कानून द्वारा दी गई शक्ति को संदर्भित करता है।

है। यदि सेवा प्रदाता कानून के तहत अनिवार्य स्तर की सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। बैंकिंग और चिकित्सा जैसी सेवाएँ इसके दायरे में आती हैं।

64. (D) निःशुल्क वस्तुएं पाने का अधिकार।
उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है, परंतु निःशुल्क वस्तुएं पाना इनमें सम्मिलित नहीं है। मुख्य अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और निवारण प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित हैं। ये अधिकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। बाजार में उचित और दोषरहित लेनदेन सुनिश्चित करना ही इस कानून का वास्तविक उद्देश्य है।

65. (B) जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग।
भारत में उपभोक्ता विवादों के त्वरित निवारण के लिए एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। इसमें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग कार्य करते हैं। यह तंत्र सामान्य न्यायालयों की तुलना में अधिक सुलभ है। प्रत्येक स्तर पर आर्थिक क्षेत्राधिकार निर्धारित है, जिसके आधार पर उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। यह सुव्यवस्थित मार्ग प्रदान करता है।

66. (B) पचास लाख रुपये।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित किया गया है। अब जिला आयोग उन शिकायतों की सुनवाई कर सकता है जहाँ वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान किया गया प्रतिफल पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है। यह परिवर्तन उपभोक्ताओं को स्थानीय स्तर पर बड़े दावों के निपटारे की सुविधा प्रदान करता है। इससे उच्च आयोगों पर बोझ कम होता है।

67. (D) व्यक्तिगत उपयोग के लिए लैपटॉप खरीदने वाला व्यक्ति, जो दोषपूर्ण निकलता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विशेष रूप से उन व्यक्तियों की रक्षा करता है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं की खरीद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वयं के कार्य के लिए लैपटॉप खरीदता है और वह दोषपूर्ण निकलता है, तो वह 'उपभोक्ता' है। इसके विपरीत, पुनर्विक्रय या व्यावसायिक उत्पादन के लिए वस्तुएं खरीदने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के दायरे से बाहर होते हैं। यह कानून अंतिम उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है।

68. (A) 1, 3, 2, 4
उपभोक्ता शिकायत की प्रक्रिया एक व्यवस्थित क्रम में चलती है। सर्वप्रथम, पीड़ित उपभोक्ता को उपभोक्ता फोरम में औपचारिक शिकायत दर्ज करनी होती है। इसके बाद, न्यायालय विपक्षी दल को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। फिर मामले की सुनवाई और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आदेश पारित किया जाता है। यदि कोई पक्ष असंतुष्ट होता है, तो वह उच्च आयोग में अपील कर सकता है।

69. (A) अपकृत्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोष है, जबकि अपराध राज्य के विरुद्ध दोष है।
अपकृत्य और अपराध के बीच मौलिक अंतर उनके सार्वजनिक और निजी स्वरुप में है। अपकृत्य को एक निजी दोष माना जाता है क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करता है, और इसका उपचार नुकसानी देना है। अपराध को पूरे समाज या राज्य के विरुद्ध दोष माना जाता है क्योंकि यह सार्वजनिक शांति को भंग करता है। अपराध के मामले में राज्य अभियोजन चलाता है और दंड देता है।

70. (B) सामंड
"पिजिन-होल" सिद्धांत प्रसिद्ध न्यायविद सामंड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, अपकृत्य कानून केवल कुछ विशिष्ट और नामित दोषों का एक समूह है। यदि वादी का मामला इन पहले से निर्धारित श्रेणियों या "खानों" में फिट नहीं बैठता है, तो उसे कोई विधिक उपचार नहीं मिल सकता। यह सिद्धांत अपकृत्यात्मक दायित्व को सीमित करता है। सामंड का मानना था कि कानून में सभी क्षतियों के लिए उपचार नहीं है।

71. (A) दूसरे व्यक्ति को पहुँचाई गई सभी क्षतियाँ अपकृत्य हैं जब तक कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कोई औचित्य न हो।
विनफील्ड का सिद्धांत सामंड के सिद्धांत के विपरीत है। विनफील्ड का मानना था कि अपकृत्य कानून का आधार व्यापक है और दूसरे को पहुँचाई गई प्रत्येक अनुचित क्षति एक अपकृत्य है, जब तक कि प्रतिवादी के पास कोई विधिक औचित्य न हो। यह सिद्धांत न्यायपालिका को नए प्रकार के अपकृत्यों को मान्यता देने और कानून का विस्तार करने की शक्ति देता है। उनके अनुसार, दायित्व का सिद्धांत सामान्य है।

72. (D) लोपकारी दोषपूर्ण कृत्य।
जब किसी व्यक्ति का कानून के तहत कोई कार्य करने का विधिक कर्तव्य होता है, परंतु वह लापरवाही से उस कार्य को नहीं करता, तो इसे 'लोपकारी दोषपूर्ण कृत्य' कहा जाता है। अपकृत्य कानून में केवल सक्रिय गलत कार्य ही नहीं, बल्कि आवश्यक कार्य को न करना भी दायित्व उत्पन्न कर सकता है। यदि इस निष्क्रियता के कारण किसी के अधिकारों का हनन होता है, तो दोषी व्यक्ति उत्तरदायी माना जाता है।

73. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
यह मिलान अपकृत्य कानून के विभिन्न तकनीकी शब्दों को स्पष्ट करता है। 'मेलफीजेंस' का अर्थ है कोई पूरी तरह से अवैध कार्य करना। 'मिसफीजेंस' का तात्पर्य एक कानूनी कार्य को अनुचित तरीके से करने से है। 'नॉन-फीजेंस' विधिक कर्तव्य का पालन करने में विफलता को दर्शाता है। 'प्रतिनिधिक दायित्व' उस स्थिति को कहते हैं जहाँ एक व्यक्ति को दूसरे के कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

को प्रभावित करता है। सार्वजनिक मामलों में राज्य कार्यवाही करता है, जबकि निजी में पीड़ित व्यक्ति स्वयं वाद लाता है।

53. (C) कि उन्हें सामान्य जनता से अधिक विशेष या विशिष्ट क्षति हुई है।
सार्वजनिक उपताप के विरुद्ध दीवानी कार्रवाई करने के लिए किसी निजी व्यक्ति को यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि उसे सामान्य जनता की तुलना में अधिक विशिष्ट क्षति हुई है। केवल एक सामान्य असुविधा जो सभी को हो रही है, व्यक्तिगत वाद का आधार नहीं बन सकती। उसे दिखाना होगा कि कृत्य का उस पर प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह नियम अनावश्यक मुकदमों को रोकता है।

54. (D) प्रतिष्ठा
मानहानि एक ऐसा अपकृत्य है जो किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को क्षति पहुँचाने से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के बारे में झूठे और मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है, तो वह उसकी साख को कम करता है। कानून इस अधिकार को शारीरिक सुरक्षा के समान ही महत्वपूर्ण मानता है। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना है।

55. (C) अपमानलेख और अपमानवचन।
मानहानि मुख्य रूप से दो रूपों में प्रकट होती है: अपमानलेख और अपमानवचन। अपमानलेख वह मानहानि है जो किसी स्थायी रूप में होती है, जैसे लिखित शब्द या चित्र। इसके विपरीत, अपमानवचन मानहानि का वह रूप है जो अस्थायी या मौखिक होता है, जैसे बोले गए शब्द। इन दोनों के बीच का अंतर साक्ष्य की उपलब्धता को समझने में मदद करता है। विधिक कार्यवाही के लिए यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है।

56. (B) स्थायी; अस्थायी
अपमानलेख और अपमानवचन के बीच का मुख्य अंतर स्थायित्व में निहित है। अपमानलेख मानहानि का वह प्रकार है जो किसी दृश्य और स्थायी माध्यम में दर्ज होता है, जैसे समाचार पत्र या पुस्तकें। अपमानवचन वह मानहानि है जो बोले गए शब्दों या क्षणिक संकेतों के माध्यम से की जाती है। कानून सामान्यतः अपमानलेख को अधिक गंभीर मानता है क्योंकि इसके प्रसार की क्षमता और प्रभाव की अवधि अधिक होती है।

57. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मानहानि के वाद में 'प्रकाशन' एक अनिवार्य तत्व है क्योंकि प्रतिष्ठा वह है जो दूसरे लोग आपके बारे में सोचते हैं। यदि कोई मानहानिकारक कथन केवल वादी को ही बताया जाता है, तो यह मानहानि नहीं है। प्रकाशन तब होता है जब वह कथन वादी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित किया जाता है। जब तक समाज का कोई तीसरा पक्ष अवगत नहीं होता, प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुँचती।

58. (A) कथन पर्याप्त रूप से सत्य था।
मानहानि की कार्रवाई में 'औचित्य' या 'सत्य' एक पूर्ण बचाव है। यदि प्रतिवादी यह सिद्ध कर देता है कि उसके द्वारा दिया गया कथन पर्याप्त रूप से सत्य था, तो वह दायित्व से मुक्त हो जाता है। कानून किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा से अधिक सम्मान प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता। महत्वपूर्ण यह है कि कथन का मुख्य हिस्सा सत्य होना चाहिए, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो।

59. (C) सत्य तथ्यों पर आधारित जनहित के मामले पर राय की ईमानदार अभिव्यक्ति।
'उचित टिप्पणी' का बचाव उन स्थितियों की रक्षा करता है जहाँ कोई व्यक्ति सत्य तथ्यों के आधार पर जनहित के विषय पर अपनी ईमानदार राय व्यक्त करता है। यह बचाव लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि टिप्पणी राय के रूप में हो और वह बिना किसी व्यक्तिगत द्वेष के दी गई हो। कला और राजनीति पर आलोचना इसी श्रेणी में आती है।

60. (B) संसदीय और न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिए गए वक्तव्य।
'पूर्ण विशेषाधिकार' मानहानि के विरुद्ध एक शक्तिशाली बचाव है जो सार्वजनिक हित की कुछ विशिष्ट स्थितियों में दिया जाता है। इसके तहत, संसदीय और न्यायिक कार्यवाही के दौरान दिए गए वक्तव्यों पर मानहानि का वाद नहीं चलाया जा सकता, भले ही वे दुर्भावनापूर्ण हों। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनप्रतिनिधि और न्यायाधीश बिना किसी विधिक भय के अपना कर्तव्य निभा सकें। यह निर्बाध प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

61. (D) प्रतिफल के बदले वस्तुएं खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए किसी मूल्य या प्रतिफल के बदले वस्तुएं खरीदता है या सेवाओं का लाभ उठाता है। इसमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो क्रेता की अनुमति से उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि लेनदेन में प्रतिफल का भुगतान हो चुका हो या वादा किया गया हो। यह कानून उपभोक्ताओं को सुरक्षा देता है।

62. (A) गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में कोई कमी, अपूर्णता या त्रुटि।
उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत वस्तुओं में 'दोष' का तात्पर्य किसी भी ऐसी कमी या त्रुटि से है जो उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा या शुद्धता को प्रभावित करती है। यदि कोई उत्पाद कानून द्वारा अनिवार्य मानकों या निर्माता के वादों को पूरा नहीं करता, तो उसे दोषपूर्ण माना जाता है। इसमें निर्माण की कमियाँ या असुरक्षित पैकेजिंग सम्मिलित हो सकते हैं। उपभोक्ता का विधिक अधिकार सुरक्षित रहता है।

63. (C) गुणवत्ता, प्रकृति और निष्पादन की रीति में कोई त्रुटि, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता।
सेवा में 'कमी' का अर्थ है किसी भी सेवा का प्रदाता द्वारा उचित मानकों के अनुरूप न होना। इसमें सेवा की गुणवत्ता और निष्पादन की रीति में कोई भी त्रुटि या अपर्याप्तता सम्मिलित

42. (A) सावधानी बरतने का कर्तव्य, उस कर्तव्य का उल्लंघन और परिणामी क्षति।
उपेक्षा के अपकृत्य को सिद्ध करने के लिए तीन अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहले, प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा, प्रतिवादी ने अपने व्यवहार से उस कर्तव्य का उल्लंघन किया हो। अंत में, उस उल्लंघन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में वादी को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त क्षति पहुँचनी चाहिए। यह ढांचा नागरिक दायित्व के लिए महत्वपूर्ण है।

43. (D) डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन के ऐतिहासिक मामले में लॉर्ड एटकिन ने 'पड़ोसी सिद्धांत' का प्रतिपादन किया था। इस मामले ने स्थापित किया कि प्रत्येक व्यक्ति का उन लोगों के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य है जो उसके कार्यों से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। इसने आधुनिक उपेक्षा कानून की नींव रखी, जहाँ निर्माता को उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया। यह सिद्धांत उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।

44. (B) सामान्य विवेक वाले एक उचित व्यक्ति का।
उपेक्षा में सावधानी का मानक किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों पर नहीं, बल्कि एक काल्पनिक 'उचित व्यक्ति' के व्यवहार पर आधारित होता है। यह उचित व्यक्ति सामान्य विवेक और बुद्धि वाला माना जाता है जो दी गई परिस्थितियों में आवश्यक सतर्कता बरतता है। कानून एक औसत स्तर की सावधानी की अपेक्षा करता है। यह वस्तुनिष्ठ मानक न्यायालयों को यह तय करने में मदद करता है कि आचरण लापरवाह था या नहीं।

45. (C) साक्ष्य का
'रेस इप्सा लोक्विटुर' का अर्थ है कि घटना स्वयं बोलती है। यह मौलिक रूप से साक्ष्य का एक नियम है जो वादी को प्रमाण के प्रारंभिक भार से राहत देता है। जब दुर्घटना की प्रकृति ऐसी हो कि वह बिना उपेक्षा के घटित नहीं हो सकती थी, तो यह सिद्धांत लागू होता है। इसके तहत, उपेक्षा का अनुमान लगाया जाता है और प्रतिवादी को अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी होती है।

46. (D) जब कारण अज्ञात हो, लेकिन दुर्घटना सामान्यतः उपेक्षा के बिना नहीं होती।
'रेस इप्सा लोक्विटुर' का सिद्धांत तब लागू किया जाता है जब दुर्घटना का सटीक कारण अज्ञात होता, परंतु सामान्य मानवीय अनुभव यह कहता है कि ऐसी घटना बिना लापरवाही के नहीं हो सकती थी। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जिस वस्तु से नुकसान हुआ, वह प्रतिवादी के पूर्ण नियंत्रण में हो। साक्ष्य का अभाव होने पर भी परिस्थितियों के आधार पर यहाँ दायित्व बनता है।

47. (A) अपनी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतने में वादी की स्वयं की विफलता, जो उसकी क्षति में योगदान देती है।
योगदायी उपेक्षा तब होती है जब वादी स्वयं अपनी सुरक्षा के प्रति उचित सावधानी बरतने में विफल रहता है, जिससे उसे हुई क्षति में उसका अपना योगदान होता है। यह एक रक्षात्मक तर्क है जिसे प्रतिवादी द्वारा उपयोग किया जाता है। यदि वादी की लापरवाही के बिना दुर्घटना को टाला जा सकता था, तो प्रतिवादी का दायित्व कम हो जाता है। आधुनिक कानून में नुकसानी का विभाजन किया जाता है।

48. (B) वादी की लापरवाही के बावजूद प्रतिवादी के पास दुर्घटना से बचने का अंतिम अवसर होना।
योगदायी उपेक्षा में 'अंतिम अवसर का नियम' एक पुराना विधिक सिद्धांत है जो यह निर्धारित करता था कि दुर्घटना के लिए अंततः कौन उत्तरदायी है। इसके अनुसार, यदि वादी लापरवाह था, लेकिन प्रतिवादी के पास दुर्घटना को रोकने का अंतिम अवसर उपलब्ध था और उसने उसे गँवा दिया, तो प्रतिवादी को ही जिम्मेदार माना जाता था। यह नियम कार्य-कारण संबंध को समझने में महत्वपूर्ण रहा है।

49. (B) वादी और प्रतिवादी के बीच उनके संबंधित दोष की डिग्री के आधार पर नुकसानी का वितरण करते हैं।
आधुनिक अपकृत्य कानून में, योगदायी उपेक्षा के मामलों में न्यायालय 'नुकसानी के वितरण' का सिद्धांत अपनाते हैं। इसके तहत, वादी के दावे को पूरी तरह खारिज करने के बजाय, उसके मुआवजे की राशि में उस प्रतिशत की कटौती की जाती है जिसके लिए वह स्वयं दोषी पाया जाता है। यह दृष्टिकोण अधिक न्यायसंगत है क्योंकि यह दुर्घटना में दोनों पक्षों की वास्तविक भूमिका को मान्यता देता है।

50. (D) 1, 2 और 3
'रेस इप्सा लोक्विटुर' के सफल अनुप्रयोग के लिए तीन प्रमुख शर्तें पूरी होनी चाहिए। सर्वप्रथम, जिस वस्तु से क्षति हुई है, वह प्रतिवादी के नियंत्रण में होनी चाहिए। दूसरा, दुर्घटना की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जो सामान्यतः बिना उपेक्षा के संभव न हो। तीसरा, घटना के वास्तविक कारणों के बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना चाहिए। तब कानून उपेक्षा का अनुमान लगाता है।

51. (C) किसी व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग में अवैध हस्तक्षेप।
निजी उपताप को मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के अपनी भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग और आनंद के अधिकार में अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप के रूप में समझा जाता है। इसमें भौतिक अतिचार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप जैसे अत्यधिक शोर या दुर्गंध सम्मिलित हो सकते हैं। यह अपकृत्य पड़ोसी के अधिकारों और भूमि के उचित उपयोग के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। हस्तक्षेप पर्याप्त गंभीर होना चाहिए।

52. (A) एक अपराध है और बड़े पैमाने पर समुदाय को प्रभावित करता है।
सार्वजनिक और निजी उपताप के बीच का मूल अंतर उनके प्रभाव क्षेत्र में निहित है। सार्वजनिक उपताप एक ऐसा कृत्य है जो जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा में बाधा डालता है और इसे आपराधिक कानून के तहत दंडनीय माना जाता है। जबकि निजी उपताप केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपत्ति अधिकारों

74. (B) जब सौंपा गया कार्य स्वाभाविक रूप से खतरनाक हो या उसमें कठोर दायित्व सम्मिलित हो।
एक नियोक्ता सामान्यतः स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। यदि सौंपा गया कार्य अपनी प्रकृति में ही स्वाभाविक रूप से खतरनाक है, तो नियोक्ता अपना दायित्व ठेकेदार पर नहीं डाल सकता। ऐसे मामलों में, कानून नियोक्ता पर एक गैर-प्रत्यायोज्य कर्तव्य अधिरोपित करता है। यदि ठेकेदार की लापरवाही से कोई क्षति होती है, तो नियोक्ता को भी प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

75. (C) वे कृत्य जो उस कार्य को करने के दोषपूर्ण तरीके हैं जिसके लिए सेवक नियुक्त किया गया है।
प्रतिनिधिक दायित्व के लिए "नियोजन के दौरान" शब्द की व्याख्या काफी व्यापक है। इसमें वे कृत्य भी शामिल हैं जो प्राधिकृत कार्य को करने के दोषपूर्ण या अनधिकृत तरीके हैं। यदि सेवक अपने स्वामी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है और उस दौरान कोई अपकृत्य करता है, तो स्वामी उत्तरदायी होगा। केवल तभी दायित्व समाप्त होता है जब सेवक निजी उद्देश्यों के लिए कार्य करता है।

76. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर दायित्व के पुराने नियम को भारतीय परिस्थितियों के लिए अपर्याप्त पाया। न्यायालय ने माना कि खतरनाक गतिविधियों में संलग्न उद्योगों के लिए 'पूर्ण दायित्व' का सिद्धांत लागू होगा, जिसमें कठोर दायित्व के तहत मिलने वाले अपवादों की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि औद्योगिक इकाइयों को अधिक जवाबदेह बनाया जा सके।

77. (B) आवासीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में औद्योगिक रसायनों का भंडारण करना।
रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम के तहत 'भूमि का अप्राकृतिक उपयोग' एक अनिवार्य तत्व है। इसका अर्थ भूमि का ऐसा उपयोग है जो सामान्य घरेलू उपयोग से हटकर हो और जिसमें दूसरों के लिए जोखिम अधिक हो। आवासीय क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रसायनों का भंडारण करना एक अप्राकृतिक उपयोग है। पाइप से पानी की आपूर्ति जैसे घरेलू कार्यों को प्राकृतिक उपयोग माना जाता है।

78. (D) कठोर दायित्व।
बाघ जैसे स्वाभाविक रूप से खतरनाक पशु को रखने वाला व्यक्ति 'कठोर दायित्व' के सिद्धांत के तहत उत्तरदायी होता है। यदि ऐसा पशु भाग जाता है और किसी को चोट पहुँचाता है, तो मालिक यह तर्क नहीं दे सकता कि उसने उसे सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश की थी। कानून यह मानता है कि जो व्यक्ति जानते हुए जोखिम पैदा करता है, उसे उस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

79. (C) राज्य के वाणिज्यिक या गैर-संप्रभु कार्यों के लिए।
भारत में संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत अब काफी सीमित हो गया है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि राज्य केवल रक्षा और न्याय प्रशासन जैसे शुद्ध संप्रभु कार्यों के लिए सुरक्षित है। राज्य की अन्य वाणिज्यिक और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए, सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी है जैसे कोई निजी नियोक्ता होता है। यह विकास नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

80. (B) केवल 1 और 2
अपकृत्य कानून में वैध बचाव के लिए वादी की सहमति और निजी प्रतिरक्षा दो महत्वपूर्ण आधार हैं। यदि वादी ने स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार किया है या प्रतिवादी ने अपनी रक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग किया है, तो दायित्व से बचा जा सकता है। इसके विपरीत, कानून की भूल सामान्यतः बचाव नहीं मानी जाती है। कानून अपेक्षा करता है कि प्रत्येक नागरिक नियमों से अवगत रहे और दूसरों का सम्मान करे।

81. (A) आवश्यकता
एक अचेत रोगी की जान बचाने के लिए किया गया आपातकालीन ऑपरेशन 'आवश्यकता' के बचाव के अंतर्गत आता है। यहाँ चिकित्सक के पास रोगी की सहमति लेने का समय नहीं होता और कृत्य का उद्देश्य किसी बड़ी क्षति को रोकना होता है। कानून ऐसे समय में व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन को क्षम्य मानता है क्योंकि जीवन की रक्षा का मूल्य किसी अन्य अधिकार से ऊपर माना जाता है।

82. (B) दैवीय कृत्य के लिए घटना का असाधारण होना आवश्यक है, न कि केवल उचित सावधानी से टाले न जाने योग्य।
अपरिहार्य दुर्घटना और दैवीय कृत्य के बीच सूक्ष्म विधिक अंतर है। अपरिहार्य दुर्घटना वह है जिसे सामान्य सावधानी से नहीं रोका जा सका, जबकि दैवीय कृत्य के लिए घटना का पूरी तरह प्राकृतिक और 'असाधारण' होना अनिवार्य है। दैवीय कृत्य में मानवीय हस्तक्षेप का पूर्ण अभाव होता है। एक अभूतपूर्व बाढ़ जिसका कोई रिकॉर्ड न हो, दैवीय कृत्य की श्रेणी में आएगी।

83. (C) सहमति लिखित में दी जानी चाहिए।
'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' के बचाव के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सहमति सदैव लिखित रूप में हो। सहमति विवक्षित या आचरण के माध्यम से भी दी जा सकती है, जैसे किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेना। हालांकि, सहमति पूरी तरह स्वतंत्र और जोखिम के पूर्ण ज्ञान के साथ दी जानी चाहिए। यदि सहमति छल या दबाव में ली गई है, तो वह प्रभावी नहीं होगी।

84. (A) बचावकर्ता स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि नैतिक या कानूनी बाध्यता के तहत कार्य कर रहा था।
'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' का बचाव उन लोगों के विरुद्ध लागू नहीं होता जो दूसरों को बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं। बचावकर्ता स्वेच्छा से खतरे में नहीं कूदता, बल्कि वह एक नैतिक या विधिक जिम्मेदारी के तहत कार्य करता है। चूंकि

106. (A) प्रतिवादी की संपत्ति से उसके नियंत्रण से बाहर के स्थान पर।
रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के नियम के तहत 'पलायन' एक अनिवार्य शर्त है। इसका अर्थ है कि खतरनाक वस्तु को प्रतिवादी की भूमि की सीमाओं को पार करके उस स्थान पर जाना चाहिए जो प्रतिवादी के नियंत्रण में नहीं है। यदि वस्तु प्रतिवादी की अपनी भूमि के भीतर ही रहती है, तो यह नियम लागू नहीं होता। पलायन ही वह घटना है जो पड़ोसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

107. (B) गैर-प्रत्यायोज्य कर्तव्यों के मामलों में।
प्रतिनिधिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण अपवाद 'गैर-प्रत्यायोज्य कर्तव्य' हैं। कुछ विधिक कर्तव्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि एक नियोक्ता उन्हें स्वतंत्र ठेकेदार को सौंपकर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक सड़कों की सुरक्षा या खतरनाक गतिविधियों का संचालन। ऐसी स्थितियों में, यदि स्वतंत्र ठेकेदार लापरवाही करता है, तो नियोक्ता को भी उत्तरदायी माना जाता है। यह कानून सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।

108. (C) भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 और न्यायिक निर्णय
भारत में राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 300 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों द्वारा शासित होता है। अनुच्छेद 300 यह प्रावधान करता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों पर वाद चलाया जा सकता है। न्यायालयों ने धीरे-धीरे संप्रभु उन्मुक्ति को सीमित करते हुए राज्य को उसके कर्मचारियों के दोषपूर्ण कार्यों के लिए अधिक उत्तरदायी बनाया है। यह संवैधानिक ढांचा सरकारी जवाबदेही का आधार है।

109. (A) 2, 3, 1
अपकृत्य कानून में दायित्व के सिद्धांतों का विकास ऐतिहासिक रूप से क्रमिक रहा है। प्रारंभिक काल में 'दोष-आधारित दायित्व' मुख्य था, जहाँ लापरवाही सिद्ध करना आवश्यक था। औद्योगिक क्रांति के साथ, खतरनाक गतिविधियों के लिए 'कठोर दायित्व' का नियम रीलैंड्स बनाम फ्लेचर (1868) में आया। अंत में, आधुनिक काल में भारत ने 'पूर्ण दायित्व' के सिद्धांत को अपनाया, जहाँ औद्योगिक आपदाओं के लिए कोई अपवाद नहीं छोड़ा गया। यह विकास न्याय को प्राथमिकता देता है।

110. (A) इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सकुसैट (कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है)।
अपकृत्य कानून में 'कानून की भूल' को बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि विधिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून से अवगत रहे। यदि अज्ञानता को बचाव मान लिया जाए, तो कोई भी नियम प्रभावी नहीं रह जाएगा। हालांकि, 'तथ्य की भूल' कुछ स्थितियों में दायित्व को कम कर सकती है, परंतु कानून की अनभिज्ञता कभी भी वैध आधार नहीं बनती है।

111. (C) आसन्न खतरे के अनुपात में।
'निजी प्रतिरक्षा' का बचाव केवल तभी मान्य होता है जब उपयोग किया गया बल आसन्न खतरे के उचित अनुपात में हो। व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, परंतु वह रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक या प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए। यदि हमलावर को रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया जाता है, तो वह स्वयं एक अपकृत्य बन जाता है। न्यायालय विश्लेषण करते हैं कि अन्य विकल्प थे या नहीं।

112. (B) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
स्मिथ बनाम बेकर का मामला 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' के बचाव की सीमाओं को स्पष्ट करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने स्थापित किया कि जोखिम की केवल 'जानकारी' होना उस जोखिम के लिए 'सहमति' देने के बराबर नहीं है। एक कर्मचारी जो अपनी नौकरी खोने के डर से खतरनाक परिस्थितियों में काम करता है, उसे स्वेच्छा से सहमति देने वाला नहीं माना जा सकता। यह मामला श्रमिकों के विधिक अधिकारों की रक्षा करता है।

113. (C) वैधानिक प्राधिकार
यदि किसी कंपनी को संसद के अधिनियम द्वारा रेल चलाने का अधिकार दिया गया है, तो वह 'वैधानिक प्राधिकार' के बचाव का सहारा ले सकती है। जब तक कंपनी ने बिना लापरवाही के और कानून की सीमाओं के भीतर कार्य किया है, वह उन अपरिहार्य नुकसानों के लिए उत्तरदायी नहीं होगी जो उस अधिकृत गतिविधि का सामान्य हिस्सा हैं। कानून मानता है कि सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में कुछ जोखिम अंतर्निहित होते हैं।

114. (B) डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन
उपेक्षा के मामलों में नुकसानी की दूरस्थता को निर्धारित करने के लिए उचित दूरदर्शिता का सिद्धांत डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन के बाद और अधिक सशक्त हुआ। इसमें स्थापित किया गया कि प्रतिवादी केवल उसी क्षति के लिए जिम्मेदार है जिसका पूर्वानुमान एक उचित व्यक्ति द्वारा लगाया जा सकता था। यदि क्षति इतनी असाधारण है कि उसका लापरवाही से कोई संबंध नहीं बैठता, तो प्रतिवादी को मुक्त कर दिया जाता है। यह सिद्धांत दायित्व को तर्कसंगत बनाता है।

115. (C) उस व्यवसाय के यथोचित सक्षम व्यवसायी द्वारा।
एक पेशेवर व्यक्ति, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर, की सावधानी के मानक का मूल्यांकन उसी के व्यवसाय के एक 'यथोचित सक्षम' पेशेवर के व्यवहार से किया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि उसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि यह देखा जाता है कि क्या उसने वह न्यूनतम कौशल अपनाया जो उस क्षेत्र के अन्य पेशेवर अपनाते। यदि उसका आचरण स्थापित व्यावसायिक मानदंडों के अनुरूप है, तो उसे लापरवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

95. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संसदीय चर्चा के दौरान सांसदों द्वारा दिए गए वक्तव्य 'पूर्ण विशेषाधिकार' के अंतर्गत सुरक्षित होते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि जनप्रतिनिधि संसद के भीतर बिना किसी कानूनी डर के जनता के मुद्दों पर चर्चा कर सकें। भले ही उनके द्वारा कहा गया कथन किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला हो, उसके लिए उन पर न्यायालय में मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

96. (B) द्वेष
'सप्रतिबंध विशेषाधिकार' मानहानि के विरुद्ध एक ऐसा बचाव है जिसे वादी द्वारा 'द्वेष' सिद्ध करके विफल किया जा सकता है। यदि प्रतिवादी का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि वादी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुँचाना था, तो उसे इस विशेषाधिकार का लाभ नहीं मिलेगा। द्वेष का अर्थ है बुरी नीयत के साथ कार्य करना। सप्रतिबंध विशेषाधिकार तभी तक बना रहता है जब तक प्रतिवादी सद्भावना से कार्य करे।

97. (B) पुनर्विक्रय के उद्देश्य से वस्तुएं खरीदने वाला व्यक्ति।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, वह व्यक्ति जो व्यावसायिक लाभ या पुनर्विक्रय के लिए वस्तुएं खरीदता है, उसे 'उपभोक्ता' नहीं माना जाता है। यह कानून विशेष रुप से अंतिम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। यदि कोई व्यापारी अपना व्यवसाय चलाने के लिए सामान खरीदता है, तो वह एक वाणिज्यिक विवाद माना जाएगा। हालांकि, स्व-रोजगार हेतु उपयोग करने पर उसे उपभोक्ता माना जा सकता है।

98. (C) भारत के सर्वोच्च न्यायालय में।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भारत में उपभोक्ता अदालतों का सर्वोच्च स्तर है। इसके द्वारा दिए गए किसी भी अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील करने का एकमात्र विधिक मंच भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता विवादों में अंतिम निर्णय देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था द्वारा लिया जाए। अपील के लिए निर्धारित समय सीमा और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है।

99. (B) क्षतिपूरक और उपचारात्मक
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की प्रकृति दंडात्मक होने के बजाय मुख्य रूप से क्षतिपूरक और उपचारात्मक है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई करना और उन्हें उचित राहत प्रदान करना है। यह कानून उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और बाजार में उनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यद्यपि इसमें कुछ दंडात्मक प्रावधान भी हैं, परंतु प्राथमिक ध्यान पीड़ित की सहायता पर होता है।

100. (D) उपरोक्त सभी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के आधार अत्यंत व्यापक हैं। इसमें अनुचित व्यापार व्यवहार, प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियाँ, दोषपूर्ण वस्तुएं और सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी उत्पाद के लिए अधिक मूल्य वसूला गया हो या असुरक्षित उत्पाद बेचे गए हों, तो भी उपभोक्ता विधिक उपचार प्राप्त कर सकता है। यह कानून उपभोक्ताओं को सुदृढ़ सुरक्षा चक्र प्रदान करता है।

101. (B) उबी जस इबी रेमेडियम
'उबी जस इबी रेमेडियम' का सिद्धांत यह मानता है कि जहाँ कानून ने किसी व्यक्ति को अधिकार दिया है, वहाँ उस अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार भी अवश्य विद्यमान होना चाहिए। यह अपकृत्य कानून की आधारशिला है क्योंकि यह विधिक अधिकारों को अर्थ और प्रभाव प्रदान करता है। बिना उपचार के अधिकार का कोई विधिक मूल्य नहीं होता। यह सिद्धांत न्यायालयों को पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की शक्ति देता है।

102. (A) डेमनम साइन इंजुरिया
ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल का मामला 'डेमनम साइन इंजुरिया' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ वादी को छात्रों की कमी के कारण वित्तीय हानि हुई, परंतु प्रतिवादी ने केवल अपना प्रतिस्पर्धी विद्यालय चलाने के कानूनी अधिकार का प्रयोग किया था। कानून आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले नुकसान को तब तक वाद योग्य नहीं मानता जब तक कि विधिक अधिकार का उल्लंघन न हो। यह सिद्धांत विधिक न्याय को स्पष्ट करता है।

103. (A) न्यास भंग साम्यिक कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है, जबकि अपकृत्य कॉमन लॉ कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न होता है।
अपकृत्य और न्यास भंग के बीच मुख्य अंतर उनके विधिक स्रोत में है। अपकृत्य सामान्य कानून (कॉमन लॉ) द्वारा निर्धारित उन कर्तव्यों के उल्लंघन से उत्पन्न होता है जो समाज के सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। न्यास भंग विशेष रूप से साम्यिक सिद्धांतों से संबंधित है और यह केवल उन पक्षों के बीच होता है जहाँ विशेष विश्वास का संबंध हो। अपकृत्य में नुकसानी अपरिनिर्धारित होती है।

104. (D) 'नियंत्रण' परीक्षण।
स्वामी और सेवक के बीच विधिक संबंध निर्धारित करने के लिए 'नियंत्रण' परीक्षण सबसे पारंपरिक और महत्वपूर्ण आधार रहा है। इसके तहत यह देखा जाता है कि क्या नियोक्ता को न केवल यह बताने का अधिकार है कि क्या करना है, बल्कि यह भी कि उस कार्य को किस प्रकार किया जाना है। यदि नियोक्ता का कार्य के तरीके पर पूर्ण नियंत्रण है, तो वह व्यक्ति सेवक माना जाता है।

105. (B) स्वामी और सेवक
एक चिकित्सालय का उसके डॉक्टरों और नर्सों की लापरवाही के लिए दायित्व 'स्वामी और सेवक' के संबंध पर आधारित है। चूंकि चिकित्सालय प्रशासन उनकी नियुक्ति करता है और उनके कार्य वातावरण को नियंत्रित करता है, इसलिए उन्हें सेवक माना जाता है। प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अनुसार, चिकित्सालय अपने कर्मचारियों द्वारा व्यावसायिक कर्तव्यों के दौरान किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यह चिकित्सा सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाता है।

प्रतिवादी की लापरवाही ने ही उस संकट को जन्म दिया था, इसलिए वह यह नहीं कह सकता कि बचावकर्ता ने अपनी मर्जी से जोखिम उठाया।

85. (B) यह कार्य-कारण का एक सिद्धांत है जो प्रतिवादी को वादी की चोटों की पूरी सीमा के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, भले ही वे पूर्व से मौजूद स्थिति के कारण अकल्पनीय रूप से गंभीर हों।
'एगशेल स्कल' नियम यह निर्धारित करता है कि एक अपकृत्यकर्ता अपने पीड़ित की किसी भी अंतर्निहित कमजोरी के लिए उत्तरदायी है। यदि प्रतिवादी की लापरवाही से वादी को चोट लगती है, तो वह उस चोट के सभी परिणामों के लिए जवाबदेह है, चाहे वे वादी की पूर्व दुर्बलता के कारण असामान्य रूप से गंभीर हों। कानून मानता है कि आपको पीड़ित को उसकी वास्तविक स्थिति में स्वीकार करना चाहिए।

86. (B) एक नया हस्तक्षेपकारी कार्य जो कार्य-कारण की श्रृंखला को भंग कर देता है।
'नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स' का तात्पर्य एक ऐसी नई और स्वतंत्र घटना से है जो प्रतिवादी के कृत्य और वादी को हुई अंतिम क्षति के बीच घटित होती है। यह हस्तक्षेप कार्य-कारण की विधिक श्रृंखला को तोड़ देता है, जिससे प्रतिवादी को बाद में होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यदि क्षति का वास्तविक कारण वह नया कृत्य है, तो प्रतिवादी का दायित्व समाप्त हो जाता है।

87. (B) वे व्यक्ति जो मेरे कृत्य से इतने निकट और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं कि मुझे उचित रूप से उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।
लॉर्ड एटकिन के 'पड़ोसी सिद्धांत' के अनुसार, पड़ोसी का अर्थ केवल बगल में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। विधिक दृष्टि से पड़ोसी वे सभी लोग हैं जो किसी व्यक्ति के कार्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। कानून यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करते समय उन सभी के हितों का ध्यान रखे जिनका प्रभावित होना स्वाभाविक रूप से पूर्वानुमेय हो।

88. (A) विशेष कौशल का दावा करने वाला व्यक्ति, जैसे चिकित्सक या वास्तुकार।
कानून उन व्यक्तियों से सावधानी के उच्च स्तर की अपेक्षा करता है जो किसी विशेष कौशल का दावा करते हैं। जब कोई चिकित्सक अपनी सेवाएँ प्रदान करता है, तो उसे उस क्षेत्र के एक यथोचित सक्षम पेशेवर के मानक के अनुसार कार्य करना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति की तुलना में पेशेवर के पास अधिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनकी लापरवाही को अधिक गंभीरता से लिया जाता है।

89. (C) रेस इप्सा लोक्विटुर
जब शल्य चिकित्सा के दौरान रोगी के शरीर में कोई उपकरण रह जाता है, तो यह 'रेस इप्सा लोक्विटुर' का एक आदर्श उदाहरण है। यहाँ घटना की प्रकृति स्वयं यह सिद्ध करती है कि बिना गंभीर लापरवाही के ऐसा नहीं हो सकता था। वादी को विशिष्ट गलती सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियाँ स्वयं दोष की ओर संकेत करती हैं। इसमें प्रमाण का भार प्रतिवादी पर चला जाता है।

90. (B) हस्तक्षेप अयुक्तियुक्त होना चाहिए।
निजी उपताप में दायित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि प्रतिवादी का हस्तक्षेप अयुक्तियुक्त होना चाहिए। प्रत्येक छोटी असुविधा को उपताप नहीं माना जा सकता; कानून केवल उन्हीं गतिविधियों को रोकता है जो सामान्य सहनशीलता की सीमा को पार कर जाती हैं। अयुक्तियुक्तता का निर्धारण कार्य की प्रकृति, स्थान और प्रभाव की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। यह अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है।

91. (D) कोई कृत्य उपताप नहीं है यदि वह केवल असामान्य संवेदनशीलता वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है।
उपताप के कानून में 'संवेदनशील वादी' का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक नाजुक है, तो उसे विशेष सुरक्षा नहीं मिलती। दायित्व एक सामान्य व्यक्ति के मानक पर आधारित होता है। यदि कोई शोर एक औसत व्यक्ति को परेशान नहीं करता, परंतु एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो वह उपताप नहीं माना जाएगा। यह विधिक जिम्मेदारी को तार्किक रखता है।

92. (B) पीड़ित द्वारा स्वयं उपताप को दूर करने के लिए उचित कदम उठाना।
उपताप में 'उपशमन' एक अतिरिक्त-न्यायिक उपचार है जहाँ पीड़ित व्यक्ति न्यायालय जाए बिना स्वयं उपताप के स्रोत को समाप्त करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, पड़ोसी के वृक्ष की उन शाखाओं को काटना जो उसकी संपत्ति में बाधा बन रही हैं। हालांकि, इस अधिकार का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। सामान्यतः इसके लिए पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। यह त्वरित निवारण है।

93. (C) शब्दों में एक निहित या गूढ़ अर्थ जो उन्हें मानहानिकारक बनाता है।
'इन्यूएंडो' मानहानि का वह रूप है जहाँ शब्द अपने सामान्य अर्थ में निर्दोष प्रतीत होते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों या संदर्भ के कारण वे मानहानिकारक बन जाते हैं। इसे 'निहित मानहानि' भी कहा जाता है। वादी को यह सिद्ध करना होता है कि जो लोग संबंधित तथ्यों को जानते थे, उन्होंने उन शब्दों का अर्थ मानहानिकारक के रूप में लिया। यह अप्रत्यक्ष अपमान के विरुद्ध सुरक्षा है।

94. (B) प्रकाशन नहीं माना जाता है क्योंकि इस उद्देश्य के लिए कानून में पति-पत्नी को एक इकाई माना जाता है।
मानहानि कानून में पति और पत्नी के बीच होने वाले संवाद को 'प्रकाशन' नहीं माना जाता है। विधिक दृष्टि से, वैवाहिक एकता के सिद्धांत के कारण उन्हें एक ही इकाई माना जाता है। यदि एक पति अपनी पत्नी को किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में मानहानिकारक बात बताता है, तो यह माना जाता है कि बात अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि, तीसरे पक्ष का संवाद प्रकाशन माना जाएगा।

116. (D) 1, 2 और 3
उपेक्षा में सफल विधिक कार्रवाई के लिए वादी को तीन अनिवार्य चरणों को सिद्ध करना होता है। सर्वप्रथम, प्रतिवादी का वादी के प्रति विधिक सावधानी का कर्तव्य स्थापित होना चाहिए। दूसरा, यह दिखाना आवश्यक है कि प्रतिवादी ने उस कर्तव्य का उल्लंघन किया। अंत में, यह सिद्ध करना होगा कि इसी उल्लंघन के कारण वादी को वास्तविक और कानूनन मान्य क्षति हुई है। ये तीनों तत्व उपेक्षा के दावे का आधार तैयार करते हैं।

117. (A) प्रतिवादी की लापरवाही के कारण होने वाली एक पहचान योग्य मनोरोग बीमारी।
अपकृत्य कानून में 'नर्वस शॉक' केवल क्षणिक भय या मानसिक तनाव नहीं है, बल्कि यह एक चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित और पहचान योग्य मनोरोग बीमारी है। यदि प्रतिवादी की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को ऐसा गहरा मानसिक आघात पहुँचता है जिससे उसकी मानसिक सेहत गंभीर रूप से प्रभावित होती है, तो वह नुकसानी का दावा कर सकता है। न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि आघात और लापरवाही के बीच विधिक संबंध अनिवार्य हो।

118. (B) वादी की नुकसानी की राशि को कम कर देता है।
आधुनिक विधिक प्रणालियों में योगदायी उपेक्षा अब प्रतिवादी के लिए पूर्ण बचाव नहीं है। इसके बजाय, यह नुकसानी के 'विभाजन' का आधार बनती है। यदि वादी स्वयं भी दुर्घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार पाया जाता है, तो न्यायालय उसकी कुल मुआवजा राशि में उसी अनुपात में कटौती कर देते हैं जिस अनुपात में वह दोषी था। यह नियम सुनिश्चित करता है कि प्रतिवादी को पूरी तरह से दंडित न किया जाए।

119. (C) एक पड़ोसी जो रात्रि में निरंतर तीव्र संगीत बजाता है, जिससे किसी की निद्रा में बाधा पड़ती है।
निजी उपताप एक ऐसा नागरिक दोष है जो किसी व्यक्ति के अपनी भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग और आनंद में अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप को दर्शाता है। रात्रि में निरंतर तेज संगीत बजाना इसका एक विशिष्ट उदाहरण है क्योंकि यह पड़ोसी के विश्राम के अधिकार में बाधा डालता है। यह हस्तक्षेप निरंतर और पर्याप्त रूप से कष्टकारी होना चाहिए। कानून अपेक्षित करता है कि पड़ोसी एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें और विधिक सीमा न लांघें।

120. (B) जो शांत आवासीय क्षेत्र में उपताप हो सकता है, वह औद्योगिक क्षेत्र में वैसा नहीं हो सकता।
उपताप के कानून में 'इलाका' सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि हस्तक्षेप अयुक्तियुक्त है या नहीं। इसके अनुसार, क्षेत्र की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक शांत आवासीय क्षेत्र में होने वाला शोर उपताप माना जा सकता है, जबकि वही गतिविधि किसी औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य मानी जाएगी। वादी को यह स्वीकार करना होगा कि वह जिस स्थान पर रहता है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। यह संतुलन बनाने का कार्य करता है।

121. (B) समूह मानहानि, जो सामान्यतः एक व्यक्तिगत सदस्य द्वारा वाद योग्य नहीं है।
"अधिवक्ता चोर होते हैं" जैसे व्यापक और सामान्यीकृत कथन समूह मानहानि के अंतर्गत आते हैं। कानून सामान्यतः ऐसी स्थितियों में किसी व्यक्तिगत सदस्य को मानहानि का वाद लाने की अनुमति नहीं देता क्योंकि कथन किसी विशेष व्यक्ति को लक्षित नहीं करता है। जब तक कि समूह इतना छोटा न हो कि प्रभाव प्रत्येक सदस्य पर स्पष्ट पड़ता हो, इसे मानहानि नहीं माना जाता। ऐसे कथन केवल सामान्य राय माने जाते हैं।

122. (D) कथन से वित्तीय हानि होनी चाहिए।
मानहानि के अपकृत्य में विधिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि वादी को प्रत्यक्ष वित्तीय हानि हुई हो। मुख्य तत्व यह है कि कथन मानहानिकारक होना चाहिए, वह वादी को संदर्भित करना चाहिए और उसे किसी तीसरे पक्ष को प्रकाशित किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठा को हुई सामाजिक हानि ही नुकसानी का दावा करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है। यद्यपि वित्तीय हानि नुकसानी बढ़ा सकती है, परंतु इसके अभाव में भी वाद चलाया जा सकता है।

123. (C) जनहित के मामले पर उचित टिप्पणी
समाचार पत्र में किसी जलपान गृह की समीक्षा 'उचित टिप्पणी' के बचाव के अंतर्गत आती है। चूंकि जलपान गृह जनता को सेवा प्रदान करता है, इसलिए उसकी गुणवत्ता जनहित का विषय है। यदि समीक्षक ने बिना किसी व्यक्तिगत द्वेष के और तथ्यों के आधार पर अपनी ईमानदार राय व्यक्त की है, तो इसे मानहानि नहीं माना जाएगा। यह बचाव आलोचना को प्रोत्साहित करता है, जिससे समाज में गुणवत्ता के मानकों में सुधार होता है।

124. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
यह मिलान अपकृत्य कानून के चार प्रमुख स्तंभों और उनके विशिष्ट विधिक तत्वों को स्पष्ट करता है। उपेक्षा का मुख्य आधार सावधानी के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है। उपताप किसी व्यक्ति की भूमि के उपयोग के साथ होने वाले अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप को दर्शाता है। मानहानि सीधे तौर पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान को हुई क्षति से संबंधित है। कठोर दायित्व का नियम किसी खतरनाक वस्तु के पलायन और उसके परिणामी नुकसान पर आधारित है।

125. (B) निःशुल्क प्रदान की जाने वाली सेवाएँ या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अधीन सेवाएँ।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सेवा' की परिभाषा व्यापक है, परंतु इसमें दो प्रमुख अपवाद हैं। पहला, जो सेवाएँ पूरी तरह निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, और दूसरा, जो सेवाएँ 'व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध' (जैसे घरेलू सहायक) के तहत आती हैं। इन स्थितियों में प्राप्तकर्ता को 'उपभोक्ता' नहीं माना जाता है। यह कानून केवल व्यावसायिक और सशुल्क लेनदेन में ही विधिक सुरक्षा प्रदान करता है। निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं के लिए यहाँ शिकायत नहीं हो सकती।

126. (B) दो वर्ष
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता शिकायत को दर्ज करने के लिए परिसीमा अवधि सामान्यतः दो वर्ष निर्धारित की गई है। यह अवधि उस तारीख से गिनी जाती है जब समस्या पहली बार उत्पन्न हुई थी। यदि उपभोक्ता इस अवधि के भीतर शिकायत दर्ज नहीं करता, तो उसका दावा विधिक रूप से बाधित हो सकता है, जब तक कि वह देरी के लिए पर्याप्त कारण न बता सके। यह नियम विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक है।

127. (B) उपभोक्ताओं के हितों का बेहतर संरक्षण प्रदान करना।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को बाजार में विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से विधिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह कानून उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सूचना, चयन और निवारण के अधिकार देता है। इसका मुख्य लक्ष्य एक ऐसा सरल और सस्ता न्यायिक तंत्र विकसित करना है जहाँ उपभोक्ता अपनी शिकायतों का समाधान पा सकें। यह अधिनियम व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ावा देता है और उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण करता है।

128. (B) गलत तरीके से यह दर्शाना कि वस्तुएं एक विशेष मानक या गुणवत्ता की हैं।
'अनुचित व्यापार व्यवहार' में कोई भी ऐसा कृत्य सम्मिलित है जो उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी देकर धोखा देता है। वस्तुओं के मानक या गुणवत्ता के बारे में गलत दावे करना इसका एक गंभीर उदाहरण है। इसमें विज्ञापनों में झूठे वादे करना या उत्पादों के लाभों के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताना भी शामिल है। कानून ऐसे व्यवहारों को रोकता है क्योंकि वे उपभोक्ता के चयन के अधिकार को प्रभावित करते हैं। इसका उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना है।

129. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सशुल्क चिकित्सा सेवाएँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आती हैं। जब कोई रोगी उपचार के लिए अस्पताल को शुल्क देता है, तो वह एक 'उपभोक्ता' बन जाता है और प्राप्त उपचार एक 'सेवा' मानी जाती है। यदि उपचार में कोई लापरवाही या कमी पाई जाती है, तो रोगी उपभोक्ता फोरम में मुआवजे के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है। यह व्यवस्था चिकित्सा क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

130. (C) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
'साइंटि नॉन फिट इंजुरिया' का अर्थ है कि केवल जोखिम की जानकारी होना ही उस जोखिम के लिए विधिक सहमति नहीं है। यह 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' के बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। प्रतिवादी को यह सिद्ध करना होता है कि वादी न केवल खतरे को जानता था, बल्कि उसने स्वेच्छा से उसे स्वीकार भी किया था। यह सिद्धांत कार्यस्थल और खतरनाक खेलों के मामलों में महत्वपूर्ण है, जहाँ कर्मचारी को जोखिम का पता तो होता है, परंतु सहमति स्वैच्छिक नहीं होती।

131. (B) दायित्व स्थापित करने में अप्रासंगिक, यद्यपि यह नुकसानी को प्रभावित कर सकता है।
अपकृत्य कानून में 'प्रयोजन' सामान्यतः दायित्व के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक होता है। यदि कोई कार्य कानूनी रूप से दोषपूर्ण है, तो वह अपकृत्य माना जाएगा, चाहे उसे अच्छे उद्देश्य से किया गया हो। इसी प्रकार, कानूनी कार्य केवल बुरे उद्देश्य के कारण अपकृत्य नहीं बन जाता। हालांकि, नुकसानी की राशि तय करते समय न्यायालय प्रतिवादी के उद्देश्य पर विचार कर सकते हैं। दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किए गए कार्यों में अक्सर 'अनुकरणीय नुकसानी' दी जाती है।

132. (C) कानून
अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होने के लिए, किया गया कृत्य ऐसा होना चाहिए जिसे 'कानून' द्वारा दोषपूर्ण या अवैध माना गया हो। नैतिकता या सामाजिक रीति-रिवाजों के खिलाफ होने वाले कार्य जब तक विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, तब तक वे अपकृत्य नहीं माने जाते। कानून द्वारा निर्धारित विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन ही नागरिक दायित्व का मुख्य आधार बनता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विधिक न्याय केवल स्थापित कानूनों और नियमों पर आधारित हो।

133. (B) केवल सेवक।
यदि कोई सेवक 'नियोजन के दौरान' के बाहर अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कोई अपकृत्य करता है, तो उसके लिए केवल सेवक ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। प्रतिनिधिक दायित्व का नियम केवल तभी लागू होता है जब कार्य स्वामी के व्यवसाय या प्राधिकृत कर्तव्यों से संबंधित हो। जब सेवक अपने स्वामी के कार्य से अलग होकर निजी उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, तो स्वामी का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ित को अपराधी के विरुद्ध ही उपचार मिलता है।

134. (D) भू-स्वामी और किराएदार
प्रतिनिधिक दायित्व सामान्यतः उन्हीं संबंधों में उत्पन्न होता है जहाँ एक पक्ष का दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण जुड़ा हो, जैसे स्वामी-सेवक या प्रधान-एजेंट। भू-स्वामी और किराएदार का संबंध इस श्रेणी में नहीं आता है। किराएदार अपनी गतिविधियों के लिए स्वतंत्र होता है और भू-स्वामी उसके द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह इसलिए है क्योंकि किराएदारी में भूमि का कब्जा हस्तांतरित हो जाता है और भू-स्वामी का किराएदार पर विधिक नियंत्रण नहीं रहता।

135. (C) कठोर दायित्व
रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व के नियम में 'तीसरे पक्ष का कृत्य' एक मान्यता प्राप्त बचाव है। यदि कोई अजनबी खतरनाक वस्तु के पलायन का कारण बनता है, तो प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। कानून यह मानता है कि प्रतिवादी को उन अप्रत्याशित और बाहरी हस्तक्षेपों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए जिन्हें वह पूरी सावधानी बरतने के बावजूद नहीं रोक सकता था। यह बचाव दायित्व के सिद्धांत को एक तर्कसंगत सीमा प्रदान करने का कार्य करता है।

136. (B) अनुकरणीय और निवारक
ओलियम गैस रिसाव मामले में स्थापित पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के तहत नुकसानी की राशि 'अनुकरणीय और निवारक' होनी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खतरनाक गतिविधियों से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजा इतना अधिक होना चाहिए कि वह अन्य उद्योगों के लिए एक सबक बने। नुकसानी का पैमाना उद्योग की वित्तीय क्षमता और किए गए नुकसान की गंभीरता के समानुपाती होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य केवल क्षतिपूर्ति करना नहीं, बल्कि भविष्य की औद्योगिक आपदाओं को रोकना भी है।

137. (C) देश की रक्षा से संबंधित कार्य।
संप्रभु उन्मुक्ति के उद्देश्य से 'देश की रक्षा' को एक शुद्ध संप्रभु कार्य माना जाता है। ऐसे कार्य केवल राज्य द्वारा ही किए जा सकते हैं और इनका कोई निजी विकल्प नहीं होता है। यदि सैन्य प्रशिक्षण या रक्षा संबंधी गतिविधियों के दौरान कोई अपकृत्य होता है, तो पारंपरिक विधिक सिद्धांतों के अनुसार राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके विपरीत, डाक सेवा या परिवहन जैसे कार्य गैर-संप्रभु माने जाते हैं। यह अंतर राज्य की विधिक जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण होता है।

138. (A) सैलस पपुली सुप्रीमा लेक्स
'आवश्यकता' का बचाव विधिक सूक्ति 'सैलस पपुली सुप्रीमा लेक्स' पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि जनता का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। यह सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में सार्वजनिक सुरक्षा और व्यापक हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि किसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, तो उसे न्यायसंगत माना जाता है। कानून व्यक्तिगत क्षति स्वीकार करता है यदि वह समाज को बचाने के लिए अनिवार्य हो।

139. (D) चोट की पूरी सीमा के लिए उत्तरदायी है।
"एग-शेल स्कल" नियम के अनुसार, यदि प्रतिवादी का कृत्य दोषपूर्ण है, तो वह वादी को हुई पूरी शारीरिक क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि सामान्य व्यक्ति को उतनी चोट नहीं लगती या परिणाम अप्रत्याशित था। कानून की दृष्टि में, आपको अपने पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना चाहिए जिसमें वह है। भले ही वादी पहले से ही किसी शारीरिक दुर्बलता से ग्रस्त हो, प्रतिवादी उसकी संवेदनशीलता के कारण उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों के लिए जवाबदेह रहता है।

140. (C) विद्वेषपूर्ण अभियोजन
'विद्वेषपूर्ण अभियोजन' के अपकृत्य में 'द्वेष' या बुरी नीयत एक अनिवार्य तत्व है। वादी को यह सिद्ध करना होता है कि प्रतिवादी ने बिना किसी न्यायसंगत कारण के और केवल वादी को नुकसान पहुँचाने के इरादे से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरु की थी। अन्य अधिकांश अपकृत्यों में केवल कृत्य और परिणाम पर्याप्त होते हैं, परंतु यहाँ प्रतिवादी की मानसिक स्थिति ही मामले का मुख्य आधार बनती है। यदि अभियोजन ईमानदारी से किया गया हो, तो यहाँ कोई दायित्व नहीं बनता है।

141. (A) वादी पर
उपेक्षा के किसी भी मामले में प्रमाण का प्रारंभिक भार सदैव वादी पर होता है। वादी को न्यायालय में यह सिद्ध करना होता है कि प्रतिवादी का उसके प्रति सावधानी का कर्तव्य था, उस कर्तव्य का उल्लंघन हुआ और परिणामस्वरुप उसे क्षति पहुँची। यदि वादी इन तथ्यों को प्राथमिक रुप से स्थापित करने में विफल रहता है, तो उसका दावा निरस्त हो सकता है। यह विधिक सिद्धांत निष्पक्षता सुनिश्चित करता है ताकि किसी व्यक्ति को बिना ठोस सबूत के केवल आरोपों पर उत्तरदायी न ठहराया जाए।

142. (B) प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है कि वह सिद्ध करे कि वह लापरवाह नहीं था।
जब 'रेस इप्सा लोक्विटुर' का सिद्धांत लागू होता, तो प्रमाण का भार वादी के बजाय प्रतिवादी पर स्थानांतरित हो जाता है। ऐसी स्थितियों में घटना की प्रकृति ही उपेक्षा का स्पष्ट प्रमाण मानी जाती है। अब प्रतिवादी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसने अपनी ओर से पूरी सावधानी बरती थी और दुर्घटना किसी ऐसे कारण से हुई जो उसके नियंत्रण में नहीं था। यह नियम उन मामलों में पीड़ित को राहत प्रदान करता है जहाँ प्रतिवादी के पास विशेष जानकारी होती है।

143. (C) तथ्यात्मक कार्य-कारण।
"बट फॉर" परीक्षण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या प्रतिवादी का कृत्य ही वादी की क्षति का वास्तविक कारण था। यह पूछता है: "क्या प्रतिवादी के कृत्य के बिना भी यह क्षति होती?" यदि उत्तर 'नहीं' है, तो तथ्यात्मक कार्य-कारण स्थापित हो जाता है। यह परीक्षण कानूनी दायित्व की श्रृंखला में पहली महत्वपूर्ण कड़ी है। यद्यपि यह जटिल मामलों में पर्याप्त नहीं होता, फिर भी यह कार्य और परिणाम के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का सबसे सरल माध्यम है।

144. (D) 1, 2 and 3
उपताप के कानून में कई महत्वपूर्ण विधिक तत्व सम्मिलित हैं। यद्यपि उपताप सामान्यतः एक निरंतर चलने वाला दोष है, परंतु कभी-कभी एक अकेला गंभीर कृत्य भी उपताप की श्रेणी में आ सकता है। इसके लिए वादी का प्रभावित भूमि में कोई विधिक हित या कब्जा होना अनिवार्य है। साथ ही, प्रतिवादी के आचरण की अयुक्तियुक्तता सबसे प्रमुख कारक होती है। कानून यह देखता है कि क्या प्रतिवादी का व्यवहार सामान्य सामाजिक सीमाओं को पार कर रहा है। ये सभी तत्व दावे को विधिक आधार प्रदान करते हैं।

145. (A) एक वैध बचाव नहीं है।
उपताप के मामले में "उपताप की ओर आना" कोई वैध विधिक बचाव नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि वह गतिविधि वहाँ वादी के आने से पहले से चल रही

198. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
यह मिलान अपकृत्य कानून की विभिन्न विशिष्ट विधिक सूक्तियों और उनके संबंधित दोषों के बीच संबंध स्थापित करता है। 'इन्यूएंडो' का उपयोग मानहानि में निहित अर्थों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। 'रेस इप्सा लोक्विटुर' उपेक्षा के मामलों में साक्ष्य के नियम के रूप में कार्य करता है। 'अपप्राकृतिक उपयोग' कठोर दायित्व के सिद्धांत की एक अनिवार्य आवश्यकता है। 'अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप' उपताप के अपकृत्य का मुख्य आधार है। इन अवधारणाओं को समझकर ही अपकृत्य कानून के विभिन्न पहलुओं और उनके विधिक प्रभावों का सही विश्लेषण करना संभव है।

199. (C) उपभोक्ता
जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत यात्रा के लिए सशुल्क कैब या टैक्सी किराए पर लेता है, तो वह विधिक रूप से एक 'उपभोक्ता' की श्रेणी में आता है। यहाँ टैक्सी चालक या कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली परिवहन सुविधा एक 'सेवा' है। यदि सेवा में किसी प्रकार की कमी होती है, जैसे वाहन का खराब होना या चालक का अनुचित व्यवहार, तो उपभोक्ता के पास विधिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि उपभोक्ता संरक्षण केवल वस्तुओं की खरीद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं के विशाल क्षेत्र को भी कवर करता है।

200. (C) संयुक्त और पृथक।
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपकृत्य करते हैं या उनके स्वतंत्र कृत्य मिलकर एक ही क्षति पहुँचाते हैं, तो उनका दायित्व 'संयुक्त और पृथक' होता है। इसका अर्थ यह है कि पीड़ित अपनी पूरी नुकसानी के लिए उन सभी के विरुद्ध एक साथ मुकदमा कर सकता है या उनमें से किसी एक को चुन सकता है। जिसे चुना गया है, उसे पूरी राशि का भुगतान करना होगा, यद्यपि बाद में वह अन्य साथियों से उनके हिस्से का दावा कर सकता है। यह व्यवस्था पीड़ित को शीघ्र और पूर्ण क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

201. (B) पत्रिका में एक मानहानिकारक व्यंग्यचित्र।
पत्रिका में प्रकाशित एक मानहानिकारक व्यंग्यचित्र 'अपमानलेख' का एक सटीक उदाहरण है क्योंकि यह एक दृश्य और स्थायी माध्यम में प्रस्तुत किया गया है। अपमानलेख के लिए केवल लिखित शब्द ही नहीं, बल्कि चित्र, पुतले या सिनेमाई दृश्यों का उपयोग भी किया जा सकता है जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कम करते हों। चूंकि यह स्थायी रूप में होता है, इसलिए इसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक हो सकता है। कानून इसे मौखिक मानहानि की तुलना में अधिक गंभीर मानता है क्योंकि इसके साक्ष्य सुरक्षित रहते हैं और प्रसार की सीमा अधिक होती है।

202. (D) 1, 2 और 3
'आवश्यकता' के बचाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ अनिवार्य विधिक शर्तों का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम, प्रतिवादी का कार्य किसी बड़े नुकसान या जीवन के खतरे को रोकने के उद्देश्य से होना चाहिए। दूसरा, वह आपातकालीन स्थिति प्रतिवादी की अपनी लापरवाही के कारण उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अंत में, जिस समय कृत्य किया गया, उस समय एक वास्तविक और आसन्न खतरा विद्यमान होना अनिवार्य है, न कि केवल एक काल्पनिक डर। ये शर्तें सुनिश्चित करती हैं कि आवश्यकता के बचाव का प्रयोग केवल वास्तविक और गंभीर संकटों में ही हो।

203. (B) सार्वजनिक पद पर रहते हुए मिसफीजेंस।
जब कोई लोक सेवक जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के साथ अपनी आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग करता है जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचती है, तो वह 'सार्वजनिक पद पर रहते हुए मिसफीजेंस' का दोषी माना जाता है। यह एक अत्यंत गंभीर अपकृत्य है क्योंकि यह नागरिक के विधिक अधिकारों और सार्वजनिक विश्वास का हनन करता है। यहाँ प्रतिवादी का 'द्वेष' सिद्ध करना अनिवार्य है। न्यायालय ऐसे मामलों में लोक सेवक को हतोत्साहित करने के लिए दंडात्मक या अनुकरणीय नुकसानी भी प्रदान कर सकते हैं ताकि प्रशासन में शुचिता बनी रहे।

204. (B) नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स।
'नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स' का बचाव तब लागू होता है जब वादी का अपना कृत्य ही उसे हुई चोट का प्राथमिक और एकमात्र विधिक कारण बन जाता है। यदि प्रतिवादी ने लापरवाही की थी, परंतु वादी के बाद में किए गए किसी स्वतंत्र और अत्यधिक लापरवाह कार्य ने कार्य-कारण की कड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया, तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। विधिक दृष्टि से, यह नया हस्तक्षेप ही अंतिम परिणाम के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति केवल उन्हीं परिणामों के लिए जवाबदेह हो जो प्रत्यक्ष उसके कृत्यों से जुड़े हों।

205. (A) पेशेवर उपेक्षा।
'बोलम परीक्षण' पेशेवर उपेक्षा के मामलों में सावधानी के मानक को निर्धारित करने के लिए एक वैश्विक विधिक बेंचमार्क है। इसके अनुसार, यदि किसी पेशेवर का कार्य उस समय के उसके व्यवसाय के अन्य यथोचित सक्षम पेशेवरों के एक जिम्मेदार निकाय द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुरूप है, तो वह लापरवाह नहीं माना जाएगा। यह स्वीकार करता है कि पेशेवरों के बीच राय में अंतर हो सकता है। जब तक प्रतिवादी ने स्थापित और स्वीकृत विधिक मानदंडों का पालन किया है, उसे केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि परिणाम सफल नहीं रहा।

206. (A) उपताप बिना किसी व्यवधान के बीस वर्षों की अवधि से शांतिपूर्वक चल रहा है।
उपताप के कानून में 'सुखाधिकार' एक ऐसा बचाव है जहाँ प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि वह गतिविधि बिना किसी रोक-टोक के पिछले बीस वर्षों से निरंतर और शांतिपूर्वक चल रही है। यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी को उस कार्य को जारी रखने का एक विधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वादी उसे उपताप मानकर चुनौती नहीं दे सकता। यह सिद्धांत इस विधिक धारणा पर आधारित है कि यदि किसी स्थिति को इतने

154. (C) कार्य के तरीके पर नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण की सीमा।
सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार के बीच विधिक अंतर का मुख्य आधार 'नियंत्रण' है। एक सेवक वह है जो नियोक्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है, जहाँ नियोक्ता यह तय करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। इसके विपरीत, एक स्वतंत्र ठेकेदार को केवल परिणाम देने के लिए नियुक्त किया जाता है और वह कार्य करने की विधि स्वयं तय करता है। प्रतिनिधिक दायित्व सामान्यतः सेवक के मामलों में लागू होता है, ठेकेदार के नहीं। यह अंतर दायित्व की सीमा और नियोक्ता की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

155. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के ऐतिहासिक मामले में यह स्थापित किया गया था कि अपनी भूमि पर बड़ी मात्रा में पानी का संचय करना भूमि का एक 'अप्राकृतिक उपयोग' है। यदि यह पानी पलायन कर पड़ोसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, तो भूमि का स्वामी कठोर दायित्व के सिद्धांत के तहत उत्तरदायी होगा। यह सिद्धांत आज भी उन सभी स्थितियों पर लागू होता है जहाँ कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी खतरनाक वस्तु का संग्रह करता है। अभिकथन और तर्क दोनों इस विधिक सिद्धांत की ऐतिहासिक प्रासंगिकता को सही ढंग से स्पष्ट करते हैं।

156. (D) दैवीय कृत्य
यदि बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक और अकल्पनीय घटना के कारण किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचता है, तो प्रतिवादी 'दैवीय कृत्य' का सफलतापूर्वक बचाव ले सकता है। बिजली गिरना एक ऐसी असाधारण प्राकृतिक घटना है जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता और न ही इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। चूंकि इसमें प्रतिवादी की कोई लापरवाही या सक्रिय भूमिका नहीं थी, इसलिए कानून उसे उत्तरदायी नहीं ठहराता। यह बचाव केवल तभी मिलता है जब घटना पूरी तरह प्राकृतिक शक्तियों का परिणाम हो और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त हो।

157. (B) राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती
राजस्थान राज्य बनाम विद्यावती का मामला भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रभु उन्मुक्ति के कठोर अंग्रेजी सिद्धांत से दूरी बनाई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्य का कोई कर्मचारी गैर-संप्रभु कार्यों (जैसे जीप चलाना) के दौरान लापरवाही करता है, तो राज्य को उसी प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाएगा जैसे किसी निजी स्वामी को। इस निर्णय ने नागरिकों को सरकारी लापरवाही के विरुद्ध प्रभावी कानूनी उपचार प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे राज्य की जवाबदेही सुदृढ़ हुई।

158. (C) प्रतिवादी की निर्धनता
अपकृत्य कानून में प्रतिवादी की निर्धनता या आर्थिक स्थिति को विधिक बचाव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। दायित्व का निर्धारण पूरी तरह से कार्य की प्रकृति, विधिक अधिकार के उल्लंघन और क्षति पर आधारित होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपकृत्य किया है, तो वह नुकसानी का भुगतान करने के लिए विधिक रूप से बाध्य है, चाहे उसके पास धन हो या न हो। सहमति, वैधानिक प्राधिकार और वादी का स्वयं का दोष जैसे अन्य बचाव विधिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, परंतु वित्तीय स्थिति न्याय के मार्ग में कोई छूट नहीं बन सकती है।

159. (C) उस नुकसान से कम जिसे टालने का प्रयास किया गया था।
'आवश्यकता' के बचाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह अनिवार्य है कि प्रतिवादी द्वारा पहुंचाया गया नुकसान उस संभावित नुकसान से काफी कम होना चाहिए जिसे टालने का प्रयास किया गया था। कानून यहाँ 'कम बुराई' के सिद्धांत पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए, एक बड़े जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ वृक्षों को काटना न्यायसंगत है। यदि निवारक कृत्य से होने वाली क्षति संभावित खतरे से अधिक है, तो यह बचाव मान्य नहीं होगा। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

160. (B) पीड़ित पक्ष को उस स्थिति में वापस लाना जिसमें वह अपकृत्य होने से पूर्व था।
अपकृत्य कानून में नुकसानी का प्राथमिक और मौलिक उद्देश्य 'पुनर्स्थापना' है। इसका लक्ष्य पीड़ित व्यक्ति को यथासंभव उसी स्थिति में पहुँचाना है जिसमें वह यदि वह अपकृत्य न हुआ होता तो रहता। इसे 'रेस्टिट्यूटियो इन इंटीग्रम' कहा जाता है। यद्यपि शारीरिक क्षति को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता, परंतु मौद्रिक क्षतिपूर्ति के माध्यम से उस हानि की भरपाई करने का प्रयास किया जाता है। यह आपराधिक कानून के दंडात्मक उद्देश्य से भिन्न है क्योंकि यहाँ मुख्य ध्यान पीड़ित की सहायता करने और उसे न्याय दिलाने पर होता है।

161. (B) वस्तुनिष्ठ, सामान्य विवेक वाले एक काल्पनिक व्यक्ति पर आधारित।
उपेक्षा में 'उचित व्यक्ति' का मानक पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। इसका अर्थ है कि न्यायालय प्रतिवादी की व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता के बजाय एक काल्पनिक 'औसत व्यक्ति' के व्यवहार से उसके कार्यों की तुलना करता है। यह उचित व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सावधानी बरतता है और सामान्य विवेक का प्रयोग करता है। यह मानक व्यक्तिपरक नहीं हो सकता क्योंकि तब प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमियों को बचाव बना लेगा। यह वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करती है कि समाज में सुरक्षा के मानक सभी के लिए समान और पूर्वानुमेय बने रहें।

162. (C) वादी द्वारा झेली गई क्षति।
उपेक्षा के मामले में कार्य-कारण सिद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। वादी को यह दिखाना होगा कि प्रतिवादी के कर्तव्य के उल्लंघन और उसे हुई क्षति के बीच एक सीधा विधिक संबंध है। यदि उल्लंघन के बिना भी क्षति होती, या यदि क्षति का कोई अन्य स्वतंत्र कारण था, तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। विधिक भाषा में इसे 'कार्य-कारण की श्रृंखला' कहा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति केवल उन्हीं परिणामों के लिए जवाबदेह हो जो वास्तव में उसकी लापरवाही के कारण उत्पन्न हुए हैं, जिससे न्याय की सटीकता बनी रहती है।

थी। यदि कोई कार्य अयुक्तियुक्त है और पड़ोसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह अवैध ही रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी भूमि का आनंद ले सके, चाहे वह वहाँ कभी भी आया हो। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि पुरानी अयुक्तियुक्त गतिविधियाँ नए निवासियों के विधिक अधिकारों का हनन न करें।

146. (B) यह कहना कि किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग है।
अपमानवचन के कुछ प्रकार बिना किसी विशेष क्षति के प्रमाण के भी 'स्वतः वाद योग्य' होते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में यह मिथ्या दावा करना कि उसे कोई संक्रामक रोग है, इसी श्रेणी में आता है। ऐसे बयानों को समाज में अत्यंत हानिकारक माना जाता है क्योंकि वे व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार का कारण बन सकते हैं। कानून यहाँ यह मान लेता है कि ऐसे शब्दों से प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुँची है, इसलिए वादी को अपनी वास्तविक आर्थिक हानि सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है।

147. (A) निर्दोष प्रसार
एक पुस्तक विक्रेता जो अनजाने में मानहानिकारक सामग्री वाली पुस्तक का वितरण करता है, 'निर्दोष प्रसार' के बचाव का लाभ उठा सकता है। इसके लिए उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसे सामग्री के मानहानिकारक होने की जानकारी नहीं थी और न ही सामान्य सावधानी बरतने पर उसे इसका पता चल सकता था। यह बचाव उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो व्यावसायिक रूप से सूचनाओं के प्रसार में लगे हैं परंतु सामग्री के सृजन में उनकी भूमिका नहीं है। यह सूचना के निर्बाध प्रवाह और विधिक जिम्मेदारी में संतुलन बनाता है।

148. (B) उत्पाद दायित्व
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 'उत्पाद दायित्व' की एक नई और क्रांतिकारी अवधारणा पेश की है। यह प्रावधान उत्पाद निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं को दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं की कमी के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाता है। 1986 के पुराने अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट और विस्तृत अध्याय नहीं था। अब उपभोक्ता केवल उत्पाद बदलने के बजाय, उससे हुई शारीरिक या संपत्ति की क्षति के लिए भी मुआवजे का दावा कर सकते हैं। यह उपभोक्ता सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाता है।

149. (D) राज्य आयोग में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक त्रि-स्तरीय अपीलीय संरचना बनाई गई है। यदि कोई पक्ष जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह उस आदेश के विरुद्ध संबंधित राज्य आयोग में अपील कर सकता है। अपील के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है और कुछ मामलों में विवादित राशि का एक हिस्सा जमा करना अनिवार्य हो सकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि स्थानीय स्तर पर लिए गए निर्णयों की समीक्षा उच्च स्तर पर हो सके, जिससे न्याय की निष्पक्षता बनी रहे।

150. (B) उचित फोरम के समक्ष प्रस्तुति के लिए शिकायतकर्ता को वापस कर दी जाएगी।
यदि कोई उपभोक्ता शिकायत ऐसे फोरम में दर्ज की जाती है जिसके पास उस मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक आर्थिक क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसे सीधे निरस्त नहीं किया जाता है। विधिक प्रक्रिया के अनुसार, उस शिकायत को शिकायतकर्ता को इस निर्देश के साथ वापस कर दिया जाता है कि वह इसे उचित अधिकार क्षेत्र वाले फोरम के समक्ष प्रस्तुत करे। यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी कारणों से उपभोक्ता का न्याय पाने का अधिकार समाप्त न हो। सही क्षेत्राधिकार में मामला ले जाना न्यायिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

151. (A) कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है।
विधिक सूक्ति 'एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना' का अर्थ है कि व्यक्तिगत कार्यों से उत्पन्न विधिक अधिकार संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। यह नियम पारंपरिक रूप से मानहानि और व्यक्तिगत चोट जैसे मामलों में लागू होता था जहाँ मृत्यु के बाद कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। हालांकि, आधुनिक कानून में कई वैधानिक सुधार किए गए हैं जिससे उत्तराधिकारी कुछ स्थितियों में मुआवजे का दावा जारी रख सकते हैं। फिर भी, यह सूक्ति अपकृत्य कानून के ऐतिहासिक स्वरूप को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

152. (B) किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने के तात्कालिक उद्देश्य या इच्छा से।
अपकृत्य कानून में 'आशय' और 'प्रयोजन' के बीच सूक्ष्म अंतर है। आशय का संबंध किसी विशेष कार्य को करने के तात्कालिक उद्देश्य या उस परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा से है जिसे प्रतिवादी जानता है कि वह घटित होगा। 'प्रयोजन' वह अंतिम भावना है जिसके कारण व्यक्ति ने कार्य किया, जैसे क्रोध या परोपकार। दायित्व निर्धारण में आशय महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह दर्शाता है कि कार्य स्वैच्छिक था। यद्यपि प्रयोजन सामान्यतः अप्रासंगिक है, परंतु यह नुकसानी की राशि तय करने में न्यायालय के लिए सहायक हो सकता है।

153. (B) नहीं, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति को लिफ्ट देना नियोजन के दायरे से बाहर है।
प्रतिनिधिक दायित्व के मामलों में नियोक्ता केवल उन्हीं कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है जो नियोजन के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों। यदि कोई चालक अपने स्वामी के स्पष्ट निर्देशों के विरुद्ध किसी अनधिकृत व्यक्ति को लिफ्ट देता है, तो वह कार्य नियोजन के दायरे से बाहर माना जाता है। चूंकि चालक ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कार्य किया और स्वामी का उस कृत्य से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं था, इसलिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यह सिद्धांत नियोक्ता को कर्मचारियों के निजी कार्यों के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है।

172. (A) स्वयं की त्रुटि या असामान्य संवेदनशीलता
कठोर दायित्व का नियम उस स्थिति में लागू नहीं होता जहाँ क्षति स्वयं वादी की अपनी गलती या उसकी किसी असामान्य शारीरिक संवेदनशीलता के कारण हुई हो। यदि वादी ने स्वयं खतरनाक वस्तु के साथ छेड़छाड़ की या उसके पलायन का कारण बना, तो वह प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। कानून यह मानता है कि जो व्यक्ति स्वयं जोखिम पैदा करता है या जिसकी अपनी स्थिति ही नुकसान का मुख्य कारण है, उसे दूसरे से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह विधिक अपवाद न्याय में संतुलन सुनिश्चित करता है।

173. (C) संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच पुरातन अंतर को बनाए रखने के लिए।
कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय की अक्सर इसलिए आलोचना की जाती है क्योंकि इसने संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच के उस अंतर को बनाए रखा जो आधुनिक लोकतांत्रिक युग में काफी पुराना और अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है। इस निर्णय के कारण, कई मामलों में नागरिकों को सरकारी कर्मचारियों की स्पष्ट लापरवाही के बावजूद केवल इसलिए मुआवजा नहीं मिल पाता क्योंकि कार्य को 'संप्रभु' घोषित कर दिया जाता है। विधिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य में सरकार को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।

174. (A) आवश्यकता
यदि कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर आग फैलने से रोकने और अन्य घरों को बचाने के लिए किसी की भूमि पर प्रवेश करता है, तो वह 'आवश्यकता' के बचाव का हकदार होगा। कानून यह मानता है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कई लोगों के जीवन की रक्षा करना व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में किया गया अतिचार विधिक रूप से क्षम्य है क्योंकि प्रतिवादी का उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण नहीं, बल्कि एक बड़ी आपदा को टालना था। यह सिद्धांत सामाजिक सुरक्षा को व्यक्तिगत विधिक मर्यादाओं की तुलना में प्राथमिकता देता है।

175. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
यह मिलान अपकृत्य कानून के कार्य-कारण और दायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को परिभाषित करता है। 'दूरस्थता' यह निर्धारित करने का विधिक परीक्षण है कि क्या कोई उल्लंघन वास्तव में क्षति से जुड़ा है। 'कार्य-कारण' उल्लंघन और क्षति के बीच की प्रत्यक्ष भौतिक कड़ी को दर्शाता है। 'एगशेल स्कल नियम' यह स्थापित करता है कि पीड़ित को उसकी वर्तमान स्थिति में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। 'नोवस एक्टस इंटरवेनिएन्स' उस नई घटना को कहते हैं जो कार्य-कारण की कड़ी को तोड़ देती है। ये सभी अवधारणाएं न्याय प्रक्रिया के आधार हैं।

176. (A) एक चालक का सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रति।
उपेक्षा के कानून में, कुछ संबंध स्वतः ही सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य उत्पन्न करते हैं। एक वाहन चालक का सड़क पर चल रहे अन्य चालकों और पैदल यात्रियों के प्रति एक स्पष्ट कर्तव्य है कि वह अपना वाहन सावधानीपूर्वक चलाए ताकि किसी को चोट न पहुँचे। इसके विपरीत, एक अजनबी का दूसरे अजनबी के प्रति सहायता करने का कोई अनिवार्य विधिक कर्तव्य नहीं होता। विधिक कर्तव्य का होना ही उपेक्षा के दावे का प्राथमिक और सबसे अनिवार्य आधार माना जाता है। यह नागरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

177. (B) वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन
जब कोई विशेष कानून किसी व्यक्ति या संस्था पर एक विशिष्ट कार्य करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है और उस कर्तव्य का पालन न करने से किसी को क्षति पहुँचती है, तो इसे 'वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन' कहा जाता है। यह सामान्य उपेक्षा से भिन्न है क्योंकि यहाँ कर्तव्य का स्रोत स्वयं संसद द्वारा पारित कानून है। ऐसे मामलों में, वादी को केवल यह सिद्ध करना होता है कि कानून का उल्लंघन हुआ और उसे नुकसान पहुँचा। यह सिद्धांत अक्सर कार्यस्थल सुरक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रखरखाव से जुड़े विवादों में लागू होता है।

178. (D) 1, 2 और 3
'उचित टिप्पणी' के बचाव को सफल बनाने के लिए तीन प्रमुख शर्तें अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए। सर्वप्रथम, वह विषय जिस पर टिप्पणी की गई है, वह स्पष्ट रूप से जनहित का होना चाहिए। दूसरा, टिप्पणी को एक राय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, न कि एक निश्चित तथ्य के दावे के रूप में। अंत में, टिप्पणी पूरी तरह से ईमानदार, उचित और किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत द्वेष या बुरी नीयत से रहित होनी चाहिए। ये शर्तें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।

179. (B) हितग्राही
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'हितग्राही' वह व्यक्ति होता है जिसने स्वयं वस्तु नहीं खरीदी है, परंतु वह क्रेता की अनुमति के साथ उस वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहा है। कानून ऐसे उपयोगकर्ताओं को भी उपभोक्ता की श्रेणी में रखता है और उन्हें वही विधिक अधिकार प्रदान करता है जो मूल क्रेता को प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पिता अपने पुत्र के लिए मोबाइल खरीदता है, तो पुत्र एक हितग्राही के रूप में दोषपूर्ण उत्पाद के लिए शिकायत दर्ज कर सकता है। यह व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण के दायरे को व्यापक बनाती है।

180. (B) एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को विनियमित, संरक्षित और प्रवर्तित करना।
2019 के अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना एक नियामक संस्था के रूप में की गई है। इसका मुख्य कार्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सामूहिक रूप से रक्षा करना और बाजार में होने वाले अनुचित व्यापार व्यवहारों या भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है। यह प्राधिकरण स्वतः संज्ञान लेकर जाँच शुरू कर सकता है और भ्रामक विज्ञापन देने वालों पर भारी जुर्माना लगा सकता है। यह व्यक्तिगत शिकायतों से ऊपर उठकर उपभोक्ता हितों के व्यापक विधिक संरक्षण और प्रवर्तन के लिए एक शक्तिशाली प्रशासनिक तंत्र है।

163. (B) नुकसानी के वितरण की अवधारणा।
1945 का लॉ रिफॉर्म एक्ट अपकृत्य कानून के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था जिसने 'योगदायी उपेक्षा' के कठोर नियम को बदल दिया। इससे पूर्व, यदि वादी थोड़ा भी लापरवाह पाया जाता था, तो उसे कोई नुकसानी नहीं मिलती थी। इस कानून ने 'नुकसानी के वितरण' का सिद्धांत पेश किया, जिससे न्यायालयों को यह अधिकार मिला कि वे दोनों पक्षों के दोष के अनुपात में मुआवजे की राशि कम कर सकें। इसने विधिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय और न्यायसंगत बनाया, जिससे आंशिक रूप से दोषी पीड़ितों को भी उचित विधिक राहत मिलना संभव हुआ।

164. (B) अतिचार एक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है, जबकि उपताप सामान्यतः एक अप्रत्यक्ष या परिणामी हस्तक्षेप है।
अतिचार और उपताप के बीच मुख्य अंतर हस्तक्षेप की प्रकृति में है। अतिचार किसी अन्य की भूमि पर एक प्रत्यक्ष और भौतिक प्रवेश है, जैसे बिना अनुमति के किसी की जमीन पर चलना। इसके विपरीत, उपताप सामान्यतः एक अप्रत्यक्ष या परिणामी हस्तक्षेप होता है जो प्रतिवादी की अपनी भूमि पर किए गए किसी कार्य के कारण वादी की भूमि को प्रभावित करता है, जैसे शोर, धुआँ या कंपन। अतिचार अपने आप में वाद योग्य है, जबकि उपताप के लिए अक्सर वास्तविक नुकसान या अयुक्तियुक्त असुविधा का प्रमाण देना आवश्यक होता है।

165. (C) सामान्यतः उतना ही वाद योग्य है जितना कि अफवाह को जन्म देना।
मानहानि कानून में अफवाह को दोहराना या उसे आगे फैलाना उतना ही गंभीर अपराध माना जाता है जितना कि उसे पहली बार कहना। विधिक सिद्धांत यह है कि "प्रत्येक प्रकाशन एक नई मानहानि है"। कोई व्यक्ति यह कहकर दायित्व से नहीं बच सकता कि वह केवल वही कह रहा है जो उसने दूसरों से सुना है। अफवाहों का पुनरुत्पादन प्रतिष्ठा को और अधिक हानि पहुँचाता है, इसलिए कानून इसे रोकने के लिए कठोर रुख अपनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि लोग सूचनाओं के प्रसार में जिम्मेदारी और उचित विधिक सावधानी बरतें।

166. (D) कानूनी व्यावसायिक विशेषाधिकार
कानूनी व्यावसायिक विशेषाधिकार अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच होने वाले सभी संवादों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति बिना किसी झिझक या विधिक परिणाम के डर के अपने वकील को सभी सच बता सके ताकि उसे सही विधिक परामर्श मिल सके। यह विशेषाधिकार न्याय प्रशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अंतर्गत दी गई जानकारी को किसी भी स्थिति में मानहानि या अन्य विधिक कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह मुवक्किल के गोपनीयता के अधिकार की गारंटी देता है।

167. (D) उपरोक्त सभी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने क्षेत्राधिकार के नियमों को काफी सरल और उपभोक्ता-अनुकूल बना दिया है। अब उपभोक्ता अपनी शिकायत उस स्थान पर भी दर्ज करा सकता है जहाँ वह स्वयं निवास करता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ विपक्षी दल रहता है या जहाँ वाद हेतु उत्पन्न हुआ, वे पारंपरिक स्थान भी अभी मान्य हैं। यह परिवर्तन उपभोक्ताओं को उनके घर के पास ही कानूनी उपचार प्राप्त करने की सुविधा देता है, जिससे समय और धन की बचत होती है और न्याय सुलभ हो जाता है।

168. (C) उत्पाद निर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता को।
'उत्पाद दायित्व' का नया प्रावधान दोषपूर्ण उत्पाद के कारण होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेही की श्रृंखला को व्यापक बनाता है। अब केवल निर्माता ही नहीं, बल्कि सेवा प्रदाता और यहाँ तक कि कुछ स्थितियों में विक्रेता को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि किसी उत्पाद की त्रुटिपूर्ण डिजाइन, निर्माण दोष या अपर्याप्त चेतावनी के कारण उपभोक्ता को चोट पहुँचती है, तो इनमें से कोई भी या सभी पक्ष मुआवजे के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह नियम उपभोक्ताओं को बाजार में मौजूद विभिन्न बिचौलियों के विरुद्ध विधिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

169. (A) छल
'छल' के अपकृत्य में 'मानसिक तत्व' या प्रतिवादी का आशय सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। इसमें वादी को यह सिद्ध करना होता है कि प्रतिवादी ने जानते हुए एक मिथ्या कथन किया जिसका उद्देश्य वादी को धोखा देना था और वादी ने उस पर भरोसा करके नुकसान उठाया। कठोर दायित्व या अतिचार जैसे अपकृत्यों में मानसिक स्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, परंतु छल के मामले में प्रतिवादी की बेईमानी और जानबूझकर किया गया कृत्य ही दायित्व का मुख्य आधार बनता है। यह सिद्धांत व्यापारिक लेनदेन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए है।

170. (A) विनफील्ड का "अपकृत्य का कानून" सिद्धांत
विनफील्ड का सिद्धांत यह मानता है कि अपकृत्य कानून का आधार अत्यंत व्यापक है। उनके अनुसार, समाज में किसी को भी पहुँचाई गई प्रत्येक अनुचित क्षति एक अपकृत्य है, बशर्ते कि प्रतिवादी के पास उसे न्यायसंगत ठहराने का कोई विधिक कारण न हो। यह सिद्धांत "अपकृत्यों के कानून" के बजाय "अपकृत्य का कानून" पर बल देता है। यह दृष्टिकोण न्यायालयों को विकसित होते समाज में नए प्रकार के नागरिक दोषों को पहचानने और उनके लिए उपचार प्रदान करने की व्यापक विधिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है।

171. (B) एक प्राधिकृत कार्य जो दोषपूर्ण और अनधिकृत तरीके से किया गया।
पेट्रोल टैंकर के चालक द्वारा सिगरेट जलाने से हुआ विस्फोट प्रतिनिधिक दायित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ चालक का मुख्य कार्य प्राधिकृत था, परंतु उसने उस कार्य को करने के लिए एक अत्यंत दोषपूर्ण और खतरनाक तरीका अपनाया। चूंकि यह घटना नियोजन के दौरान और स्वामी के व्यवसाय को करते समय हुई, इसलिए नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया गया। यह सिद्धांत नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के कार्यों और उनकी सुरक्षा आदतों पर उचित निगरानी रखने के लिए विधिक रूप से प्रेरित और बाध्य करता है।

190. (B) सेवक द्वारा अपने नियोजन अनुबंध के उल्लंघन से।
यद्यपि एक स्वामी अपने सेवक के अपकृत्य के लिए बाहरी दुनिया के प्रति प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होता है, परंतु वह सेवक से उस नुकसान की भरपाई माँग सकता है। यह अधिकार स्वामी और सेवक के बीच के नियोजन अनुबंध से उत्पन्न होता है। अनुबंध में यह निहित होता है कि सेवक अपने कार्यों को उचित सावधानी और ईमानदारी के साथ करेगा। जब सेवक लापरवाही करता है, तो वह वास्तव में अपने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है। इसलिए, स्वामी को यह विधिक अधिकार है कि वह अपने द्वारा भुगतान की गई नुकसानी की राशि सेवक से वसूल सके।

191. (C) जो कोई अपने लाभ के लिए अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाता है, उसे उसके पलायन के जोखिम को वहन करना चाहिए।
कठोर दायित्व के नियम का मुख्य आधार सार्वजनिक सुरक्षा और जोखिम का न्यायसंगत वितरण है। यह सिद्धांत मानता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए अपनी भूमि पर ऐसी वस्तुएं जमा करता है जो स्वभाव से ही खतरनाक हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाले सभी जोखिमों की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। यहाँ वादी को प्रतिवादी की लापरवाही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। यह नियम औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले संभावित नुकसान के विरुद्ध समाज के अन्य सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है।

192. (C) यह एक ऐसी दुर्घटना है जिसे सामान्य सावधानी, सतर्कता और कौशल के प्रयोग से रोका नहीं जा सकता था।
'अपरिहार्य दुर्घटना' एक ऐसा विधिक बचाव है जहाँ प्रतिवादी यह सिद्ध करता है कि उसने दी गई परिस्थितियों में वह सभी सावधानी और कुशलता बरती थी जो एक उचित व्यक्ति से अपेक्षित थी। इसके बावजूद, घटना ऐसी थी जिसे मानवीय प्रयासों से टाला नहीं जा सका। इसमें प्रतिवादी का कोई दोष या विधिक लापरवाही नहीं होती। यह बचाव केवल तभी सफल होता है जब प्रतिवादी यह दिखाने में सक्षम हो कि दुर्घटना पूरी तरह से अप्रत्याशित थी और उसके नियंत्रण से बाहर थी। यह विधिक जिम्मेदारी को तार्किक सीमाओं में रखता है।

193. (B) योगदायी उपेक्षा में नुकसानी का वितरण।
'अंतिम अवसर का नियम' अब आधुनिक विधिक प्रणालियों में लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि न्यायालयों ने 'नुकसानी के वितरण' का अधिक न्यायसंगत सिद्धांत अपना लिया है। पहले यह नियम तय करता था कि जिसके पास बचने का आखिरी मौका था, वही पूरी तरह उत्तरदायी होगा। अब कानून दोनों पक्षों की लापरवाही के प्रतिशत का मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर मुआवजे की राशि तय करता है। यह नया दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक है क्योंकि यह स्वीकार करता है कि अक्सर दुर्घटनाएं दोनों पक्षों की अलग-अलग गलतियों का संचयी परिणाम होती हैं।

194. (B) एक हस्तक्षेप जो समय की अवधि में बार-बार होता है या निरंतर बना रहता है।
उपताप के कानून में 'निरंतर दोष' एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ हस्तक्षेप केवल एक बार होकर समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि वह समय के साथ बार-बार होता है या लगातार बना रहता है। जैसे किसी कारखाने से निरंतर निकलने वाला धुआँ या शोर। ऐसे मामलों में, वादी जितनी बार बाधा उत्पन्न होती है, उतनी बार विधिक कार्रवाई का नया आधार प्राप्त करता है। निरंतरता ही उस कृत्य को अधिक गंभीर और अयुक्तियुक्त बनाती है। यह तत्व नुकसानी के निर्धारण और व्यादेश जारी करने के निर्णय में न्यायालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

195. (B) उपभोक्ताओं पर अनुचित लागत आरोपित करने के लिए मूल्य या वितरण की शर्तों में हेरफेर करने की प्रवृत्ति रखता है।
'प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार' एक ऐसी व्यावसायिक रणनीति है जिसका उद्देश्य बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति को नियंत्रित करना या मूल्यों में हेरफेर करना होता है। यह अक्सर उपभोक्ताओं को अनुचित उच्च मूल्य देने या कृत्रिम कमी का सामना करने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद को बेचने के लिए दूसरे उत्पाद को खरीदने की शर्त रखना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ऐसे व्यवहारों को गैर-कानूनी मानता है क्योंकि वे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बाधित करते हैं और उपभोक्ता के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे पारदर्शिता प्रभावित होती है।

196. (A) संभावनाओं की प्रबलता पर।
अपकृत्य जैसे दीवानी मामलों में प्रमाण का मानक 'संभावनाओं की प्रबलता' होता है। यह आपराधिक कानून के 'उचित संदेह से परे' वाले मानक से काफी सरल है। इसका अर्थ है कि न्यायालय को केवल यह संतुष्ट होना चाहिए कि वादी का पक्ष प्रतिवादी के पक्ष की तुलना में अधिक संभावित और विश्वसनीय प्रतीत होता है। यदि साक्ष्य का पलड़ा वादी की ओर थोड़ा भी झुकता है, तो वह मामला जीत सकता है। यह मानक नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिक अनुकूल और व्यावहारिक माना जाता है, जिससे न्याय की प्रक्रिया सुगम होती है।

197. (A) लॉर्ड एटकिन
उपेक्षा के आधुनिक कानून में 'सावधानी के कर्तव्य' की क्रांतिकारी अवधारणा को स्पष्ट करने का श्रेय लॉर्ड एटकिन को जाता है। 1932 के डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन मामले में उन्होंने न केवल पड़ोसी सिद्धांत दिया, बल्कि यह भी स्थापित किया कि सावधानी बरतने की जिम्मेदारी केवल अनुबंध तक सीमित नहीं है। उन्होंने विधिक कर्तव्यों को नैतिकता के साथ जोड़ते हुए एक सार्वभौमिक नियम बनाया जो आज भी दुनिया भर की विधिक प्रणालियों का आधार है। उनके इस योगदान ने उपभोक्ताओं और नागरिकों को निर्माताओं की लापरवाही के विरुद्ध सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान की।

215. (B) उपभोक्ता के हितों पर उचित मंचों पर विचार किया जाएगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'सुनवाई का अधिकार' यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों और उनके हितों को उपयुक्त विधिक मंचों पर उचित महत्व और अवसर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक शिकायत सफल होगी, बल्कि यह कि उपभोक्ता को अपना पक्ष रखने और न्याय पाने का पूरा विधिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार नीति-निर्माण के स्तर पर भी उपभोक्ताओं के प्रतिनिधित्व की वकालत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बाजार की शक्तियों के बीच उपभोक्ता की आवाज दब न जाए और उसे उचित सुनवाई मिले।

216. (A) दीवानी दोष
अपकृत्य को मुख्य रूप से एक 'दीवानी दोष' माना जाता है क्योंकि यह निजी अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। इसमें कानूनी कार्रवाई पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वयं प्रतिवादी के विरुद्ध की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को हुई क्षति के लिए मौद्रिक मुआवजा प्रदान करना है। यह सार्वजनिक दोष या अपराध से भिन्न है जहाँ राज्य अभियोजन चलाता है। अपकृत्य कानून नागरिक समाज में व्यक्तियों के बीच के कर्तव्यों को परिभाषित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि दोषपूर्ण कार्यों के लिए उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हो।

217. (B) दोनों को संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के रूप में उत्तरदायी बनाएगा।
यदि कोई स्वामी अपने सेवक को जानबूझकर कोई अपकृत्य या गलत कार्य करने का आदेश देता है, तो वे दोनों विधिक रूप से 'संयुक्त अपकृत्यकर्ता' बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में, पीड़ित पक्ष स्वामी और सेवक दोनों के विरुद्ध या उनमें से किसी एक के विरुद्ध पूरी नुकसानी के लिए मुकदमा कर सकता है। स्वामी आदेश देने के कारण प्रत्यक्ष रूप से दोषी है, जबकि सेवक उस गलत कार्य को करने के कारण उत्तरदायी है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति गलत कार्य की योजना बनाते हैं, वे अपने मातहतों के पीछे छिप न सकें।

218. (A) कठोर दायित्व
रीलैंड्स बनाम फ्लेचर में स्थापित 'कठोर दायित्व' के नियम का "वादी की सहमति" एक प्रमुख और मान्यता प्राप्त अपवाद है। यदि वादी ने स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु के संचय के लिए सहमति दी है, तो वह बाद में उसके पलायन से होने वाले नुकसान के लिए दावा नहीं कर सकता। यह अक्सर तब होता है जब कोई सुविधा दोनों पक्षों के संयुक्त लाभ के लिए बनाई गई हो। ऐसी स्थिति में, चूंकि वादी ने स्वयं उस जोखिम को स्वीकार किया है, इसलिए प्रतिवादी को बिना लापरवाही के उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

219. (B) उससे अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण हो और कभी कोई त्रुटि न करे।
अपकृत्य कानून में 'उचित व्यक्ति' एक काल्पनिक विधिक मानक है, जो सामान्य बुद्धि और विवेक का प्रतीक है, परंतु वह 'पूर्ण' या दोषरहित नहीं है। उचित व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह कभी कोई गलती नहीं करेगा या उसके पास असाधारण दूरदर्शिता होगी। वह केवल वही सावधानी बरतता है जो एक औसत व्यक्ति दी गई परिस्थितियों में बरतेगा। वह सामान्य ज्ञान रखता है और उसका व्यवहार तर्कसंगत होता है। यह मानक मानवीय सीमाओं को स्वीकार करता है और केवल अनुचित लापरवाही को ही उपेक्षा की श्रेणी में रखता है।

220. (B) प्रत्येक पक्ष की संबंधित दोषसिद्धि या त्रुटि की डिग्री पर।
योगदायी उपेक्षा के मामलों में नुकसानी का वितरण पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि दुर्घटना में वादी और प्रतिवादी की 'दोष की डिग्री' कितनी थी। न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर यह तय करता है कि किस पक्ष की लापरवाही कितनी अधिक थी। यदि वादी चालीस प्रतिशत जिम्मेदार पाया जाता है, तो उसे कुल नुकसानी का केवल साठ प्रतिशत ही प्राप्त होगा। यह विभाजन पक्षों की वित्तीय स्थिति से प्रभावित नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य जिम्मेदारी का उचित बँटवारा करना है, जिससे विधिक न्याय की निष्पक्षता बनी रहे।

221. (B) प्रतिवादी को एक निश्चित कार्य करने या करने से रोकने का आदेश देता है।
'व्यादेश' अपकृत्य कानून में नुकसानी के अतिरिक्त एक अत्यंत प्रभावी साम्यिक उपचार है। यह न्यायालय का एक विशिष्ट आदेश है जो प्रतिवादी को या तो किसी हानिकारक कार्य को करने से रोकता है या उसे किसी विधिक कर्तव्य को पूरा करने का निर्देश देता है। यह अक्सर उपताप या अतिचार के मामलों में तब दिया जाता है जब केवल मौद्रिक मुआवजा पर्याप्त नहीं होता। व्यादेश का उद्देश्य भविष्य में होने वाली निरंतर या अपूरणीय क्षति को रोकना और वादी के विधिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से सुरक्षित करना होता है, जिससे न्याय सुदृढ़ हो।

222. (A) पूर्ण विशेषाधिकार
न्यायिक कार्यवाही के दौरान किसी गवाह या न्यायाधीश द्वारा बोले गए शब्द 'पूर्ण विशेषाधिकार' के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन शब्दों के आधार पर मानहानि का कोई वाद नहीं चलाया जा सकता, भले ही वे शब्द झूठे क्यों न हों। यह विशेषाधिकार इसलिए दिया जाता है ताकि न्याय प्रशासन बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से चल सके और गवाह बिना किसी डर के सच बोल सकें। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की तुलना में न्याय की निष्पक्ष और निर्भीक प्रक्रिया के सार्वजनिक हित को यहाँ अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह लोकतंत्र का आधार है।

223. (A) कानूनी अधिकार या स्थिति।
उपभोक्ता कानून के संदर्भ में 'लोकस स्टैंडाई' का तात्पर्य किसी व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने की विधिक पात्रता या अधिकार से है। केवल वही व्यक्ति शिकायत कर सकता है जो कानून की परिभाषा के अनुसार एक 'उपभोक्ता' है या जिसका उस मामले में प्रत्यक्ष विधिक हित है। उदाहरण के लिए, एक पंजीकृत उपभोक्ता संगठन या केंद्र सरकार के पास भी लोकस स्टैंडाई होता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक पीड़ित या अधिकृत संस्थाएं ही विधिक तंत्र का उपयोग करें, जिससे

लंबे समय तक बिना किसी विरोध के स्वीकार किया गया है, तो उसे कानूनी रूप से वैध मान लिया जाना चाहिए। यह शांति सुनिश्चित करता है।

207. (A) मानहानि के लिए प्रकाशन।
यदि कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को मानहानिकारक पत्र भेजता है, तो वह प्रकाशन माना जाता है। हालांकि, यदि पत्र बंद लिफाफे में वादी के जीवनसाथी को भेजा जाता है और केवल वही उसे पढ़ता है, तो कानून की कुछ व्याख्याओं में इसे प्रकाशन माना जा सकता है क्योंकि प्रतिष्ठा तीसरे पक्ष की नजर में गिरती है। सामान्य नियम यह है कि प्रकाशन तब होता है जब वादी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति कथन से अवगत हो। यद्यपि पति-पत्नी के बीच आपसी संचार सुरक्षित है, परंतु बाहरी व्यक्ति द्वारा भेजा गया पत्र विधिक प्रकाशन की श्रेणी में आ सकता है।

208. (B) जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों से।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ता विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना का अनिवार्य प्रावधान किया है। यह प्रकोष्ठ संबंधित उपभोक्ता आयोगों से जुड़े होते हैं और विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने में सहायता करते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट नियम बनाए गए हैं। यह व्यवस्था न्याय को और अधिक सुलभ और कम खर्चीला बनाती है, क्योंकि यह पक्षकारों को लंबी कानूनी लड़ाई से बचकर एक व्यावहारिक समझौता करने का अवसर देती है।

209. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अपकृत्य कानून की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह काफी हद तक असंयिताबद्ध है, अर्थात इसका कोई लिखित कोड या संविधि नहीं है। यह कानून मुख्य रूप से सदियों से चले आ रहे न्यायिक निर्णयों और सामान्य कानून के सिद्धांतों के माध्यम से विकसित हुआ है। प्रत्येक नया मामला और उस पर न्यायालय का निर्णय इस कानून के दायरे को नया विस्तार और स्पष्टता प्रदान करता है। यही कारण है कि यह कानून अत्यंत लचीला है और बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में पूर्णतः सक्षम बना हुआ है। यह न्याय का आधार है।

210. (A) साइन्टर कार्रवाई
सिंह जैसे हिंसक और खतरनाक पशुओं को रखने के कारण होने वाले नुकसान के लिए 'साइन्टर कार्रवाई' के तहत दायित्व बनता है। कानून पशुओं को दो श्रेणियों में बांटता है: वे जो स्वभाव से खतरनाक हैं और वे जो सामान्यतः पालतू हैं। खतरनाक पशुओं के मामले में, मालिक को उनके हिंसक स्वभाव की जानकारी होने का विधिक अनुमान लगाया जाता है। इसलिए, यदि ऐसा पशु भागकर किसी को नुकसान पहुँचाता है, तो मालिक बिना किसी लापरवाही के प्रमाण के भी पूर्णतः उत्तरदायी माना जाता है। यह सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक विधिक साधन है।

211. (C) राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति।
भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य का मामला सार्वजनिक कानून के तहत क्षतिपूर्ति प्रदान करने के संबंध में एक युगांतकारी निर्णय है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि राज्य के अंगों द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो न्यायालय केवल उसे मुक्त करने का आदेश ही नहीं देगा, बल्कि उसे हुई क्षति के लिए मौद्रिक मुआवजा भी प्रदान करेगा। इस निर्णय ने संप्रभु उन्मुक्ति के सिद्धांत को पीछे धकेलते हुए संवैधानिक उपचारों को अधिक प्रभावी बनाया और राज्य की विधिक जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ किया है।

212. (A) क्या कृत्य प्राधिकृत कार्य से उचित रूप से संबद्ध है या सेवक के अपने उद्देश्यों के लिए पूर्ण विचलन है।
प्रतिनिधिक दायित्व के लिए नियोजन के दौरान किए गए कृत्य और 'स्वयं के आमोद-प्रमोद' के बीच अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक परीक्षण यह है कि क्या सेवक का कार्य उसके मुख्य कर्तव्यों का एक दोषपूर्ण विस्तार था या वह पूरी तरह से अपने निजी काम के लिए किया गया एक स्वतंत्र कृत्य था। यदि सेवक अपने स्वामी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दायित्व बनता है। परंतु यदि वह पूरी तरह से अपने मार्ग पर निकल जाता है और स्वामी के हित से उसका कोई संबंध नहीं रहता, तो स्वामी को उत्तरदायी नहीं माना जाता है।

213. (A) क्षति के प्रकार या श्रेणी पर।
नुकसानी की दूरस्थता के संदर्भ में 'उचित दूरदर्शिता का परीक्षण' विशेष रूप से क्षति के 'प्रकार' या 'श्रेणी' पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रतिवादी केवल तभी उत्तरदायी होता है जब उस प्रकार की क्षति का पूर्वानुमान एक उचित व्यक्ति द्वारा लगाया जा सकता था। यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी उन घटनाओं के सटीक क्रम या क्षति की वास्तविक सीमा का पूर्वानुमान लगा सके। उदाहरण के लिए, यदि आग लगना पूर्वानुमेय था, तो वह आग से होने वाले सभी प्रत्यक्ष नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। यह सिद्धांत विधिक दायित्व को तार्किक और न्यायसंगत बनाता है।

214. (C) उपताप
उपताप एक ऐसा अपकृत्य है जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति के उसकी भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग, उपभोग और आनंद के अधिकार की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसमें प्रतिवादी की भूमि से निकलने वाले शोर, धुएं या दुर्गंध जैसे हस्तक्षेपों को रोका जाता है जो वादी के आराम को प्रभावित करते हैं। यह भूमि पर अतिचार से भिन्न है क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष भौतिक प्रवेश की आवश्यकता नहीं होती। उपताप कानून पड़ोसियों के बीच के संबंधों को विनियमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि एक का संपत्ति उपयोग दूसरे के विधिक अधिकारों का हनन न करे।

181. (C) अपरिनिर्धारित नुकसानी प्रदान करना
अपकृत्य के मामलों में सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपचार 'अपरिनिर्धारित नुकसानी' है। चूंकि अपकृत्य एक दीवानी दोष है, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को हुई क्षति की मौद्रिक भरपाई करना है। नुकसानी की राशि पूर्व-निर्धारित नहीं होती और न्यायालय मामले के तथ्यों के आधार पर इसे तय करता है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में व्यादेश भी दिया जा सकता है। यह उपचार व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों के उल्लंघन के बदले न्यायोचित मुआवजा सुनिश्चित कराता है।

182. (C) ऐसी स्थिति जहाँ मौलिक अधिकारों के संबंध में संप्रभु उन्मुक्ति अब कठोरता से लागू नहीं होती है।
आधुनिक भारतीय न्यायशास्त्र में, यदि कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो राज्य संप्रभु उन्मुक्ति का बचाव नहीं ले सकता। भीम सिंह और रुदल साह जैसे मामलों में न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च है। ऐसी स्थितियों में राज्य को अपने कर्मचारियों की अवैध हिरासत या प्रताड़ना के लिए क्षतिपूर्ति देने हेतु उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह विकास कानून के शासन और मानवाधिकारों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है।

183. (B) वादी स्वयं दोषकर्ता
विधिक सूक्ति 'एक्स टर्पी कॉसा नॉन ओरिटुर एक्टियो' का अर्थ है कि एक अनैतिक या अवैध आधार से कोई कानूनी कार्रवाई उत्पन्न नहीं हो सकती। यह 'वादी स्वयं दोषकर्ता' के बचाव का मूल आधार है। यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध कार्य में लगा हुआ है और उस दौरान उसे चोट लगती है, तो कानून उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से रोक सकता है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि न्यायालयों को उन लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए जो स्वयं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यह विधिक व्यवस्था की अखंडता बनाए रखता है।

184. (B) चोट के कई संचयी कारण होने पर।
"बट फॉर" परीक्षण उन जटिल स्थितियों में विफल हो सकता है जहाँ किसी क्षति के पीछे कई स्वतंत्र या संचयी कारण जिम्मेदार होते हैं। यदि दो या दो से अधिक अलग-अलग घटनाएं एक ही समय पर एक ही नुकसान पहुँचाती हैं, तो यह कहना मुश्किल होता है कि किसी एक के बिना नुकसान नहीं होता। ऐसे मामलों में न्यायालय 'भौतिक योगदान' का सिद्धांत अपनाते हैं। यह देखा जाता है कि क्या प्रतिवादी की लापरवाही ने क्षति के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा दिया था। यह विधिक लचीलापन सुनिश्चित करता है कि उत्तरदायित्व सही ढंग से तय हो।

185. (C) निजी उपताप
यदि कोई कारखाना निरंतर धुआँ, शोर या दुर्गंध छोड़ता है जिससे पड़ोसी के अपनी संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग में गंभीर बाधा उत्पन्न होती है, तो यह 'निजी उपताप' का मामला बनता है। यहाँ प्रतिवादी का हस्तक्षेप अयुक्तियुक्त माना जाता है क्योंकि यह पड़ोसी के जीवन की गुणवत्ता और संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है। इसके लिए भौतिक अतिचार आवश्यक नहीं है; केवल शांति और आराम में बाधा ही वाद का आधार बन सकती है। न्यायालय ऐसे मामलों में नुकसानी के साथ-साथ उस गतिविधि को रोकने के लिए व्यादेश भी जारी कर सकते हैं।

186. (A) 2, 1, 3, 4
अपकृत्य कानून के ये ऐतिहासिक मामले विधिक विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। रीलैंड्स बनाम फ्लेचर (1868) ने कठोर दायित्व का नियम दिया। इसके बाद डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन (1932) ने सावधानी के कर्तव्य और पड़ोसी सिद्धांत को स्थापित किया। 1961 में 'द वेगन माउंट' ने नुकसानी की दूरस्थता के लिए उचित दूरदर्शिता का परीक्षण पेश किया। अंत में, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987) में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'पूर्ण दायित्व' के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह क्रम दर्शाता है कि विधिक सिद्धांत कैसे परिष्कृत हुए हैं।

187. (D) वास्तविक या विशेष क्षति
अपमानलेख मानहानि का वह रूप है जो स्थायी और दृश्य माध्यम में होता है। चूंकि इसे अत्यंत गंभीर माना जाता है, इसलिए यह 'स्वतः वाद योग्य' है। इसका अर्थ यह है कि वादी को अपनी प्रतिष्ठा को हुई किसी 'वास्तविक या विशेष' वित्तीय हानि का प्रमाण देने की विधिक आवश्यकता नहीं होती। केवल यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि कथन मानहानिकारक था, वादी को संदर्भित था और प्रकाशित किया गया था। कानून मान लेता है कि ऐसे स्थायी प्रकाशन से प्रतिष्ठा को क्षति पहुँची ही है, जिससे पीड़ित को न्याय पाना सरल हो जाता है।

188. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए 'मध्यस्थता' को एक प्रभावी वैकल्पिक तंत्र के रूप में मान्यता दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं से बचते हुए विवादों का त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। यदि दोनों पक्ष सहमत हों, तो मामला मध्यस्थता प्रकोष्ठ को भेजा जा सकता है जहाँ एक निष्पक्ष मध्यस्थ की सहायता से आपसी समझौते का प्रयास किया जाता है। यह व्यवस्था न केवल न्यायालयों का बोझ कम करती है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी जल्दी राहत प्रदान करने में सहायक है।

189. (B) सर्वबंधी अधिकार
अपकृत्य को 'सर्वबंधी अधिकार' के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि यह उन अधिकारों का हनन है जो किसी व्यक्ति को पूरी दुनिया या समाज के विरुद्ध प्राप्त हैं, जैसे अपनी प्रतिष्ठा, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति का अधिकार। यह संविदात्मक अधिकारों से भिन्न है जो केवल विशिष्ट पक्षों के बीच होते हैं। चूंकि अपकृत्यात्मक कर्तव्य कानून द्वारा समाज के प्रत्येक सदस्य पर अधिरोपित किए जाते हैं, इसलिए इनका उल्लंघन होने पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति कानून के तहत नुकसानी का दावा करने का विधिक अधिकार रखता है।

न्यायालयों में अनावश्यक मुकदमों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके।

224. (C) द्वेष
उपेक्षा का अपकृत्य सिद्ध करने के लिए 'द्वेष' या प्रतिवादी की बुरी नीयत की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसके तीन अनिवार्य तत्व सावधानी का कर्तव्य, उस कर्तव्य का उल्लंघन और परिणामस्वरूप होने वाली क्षति हैं। यदि प्रतिवादी ने लापरवाही बरती है जिससे किसी को नुकसान हुआ है, तो वह उत्तरदायी होगा, चाहे उसका इरादा कितना भी नेक रहा हो। द्वेष केवल 'विद्वेषपूर्ण अभियोजन' जैसे कुछ विशिष्ट अपकृत्यों में ही अनिवार्य होता है। उपेक्षा मुख्य रूप से आचरण की कमी और उचित सावधानी बरतने में विफलता पर केंद्रित होती है।

225. (B) केवल 1 और 2
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' बनने के लिए यह आवश्यक है कि वस्तुएं व्यक्तिगत उपयोग के लिए और प्रतिफल के भुगतान के बदले प्राप्त की गई हों। जो व्यक्ति व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए या पुनर्विक्रय हेतु लेनदेन करता है, उसे सामान्यतः इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं माना जाता है। यह कानून विशेष रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को बाजार के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है। सशुल्क लेनदेन ही विधिक सुरक्षा का मुख्य आधार बनता है, जो इसे व्यावसायिक व्यापारिक विवादों से अलग करता है और आम जन को न्याय दिलाता है।

226. (B) संप्रभु उन्मुक्ति
ऐतिहासिक रूप से, सरकार के अपकृत्यात्मक दायित्व को 'संप्रभु उन्मुक्ति' के सिद्धांत द्वारा काफी हद तक सीमित किया गया था। यह प्राचीन अंग्रेजी अवधारणा 'राजा कोई गलती नहीं कर सकता' पर आधारित थी। इसके अनुसार, राज्य को उसके कर्मचारियों द्वारा संप्रभु कार्यों के दौरान किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता था। हालांकि, आधुनिक समय में भारतीय न्यायालयों ने इस उन्मुक्ति को बहुत संकुचित कर दिया है, जिससे अब राज्य को अपनी अधिकांश गतिविधियों के लिए जवाबदेह माना जाता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है।

227. (B) अपमानलेख स्थायी रूप में होता है, अपमानवचन अस्थायी रूप में होता है।
अपमानलेख और अपमानवचन के बीच मुख्य विधिक अंतर माध्यम के स्थायित्व में निहित है। अपमानलेख मानहानि का वह रूप है जो किसी स्थायी और दृश्य रूप में दर्ज किया जाता है, जैसे समाचार पत्रों में लेख या इंटरनेट पोस्ट। इसके विपरीत, अपमानवचन केवल बोले गए शब्दों या क्षणिक संकेतों के माध्यम से की जाने वाली मानहानि है जो अस्थायी होती है। अपमानलेख को सामान्यतः अधिक गंभीर माना जाता है क्योंकि इसके प्रसार की संभावना और प्रतिष्ठा को होने वाली क्षति की अवधि कहीं अधिक व्यापक और दीर्घकालिक होती है। यह साक्ष्य के लिए सुलभ है।

228. (A) 2, 3, 4, 1
अपकृत्य के वाद की विधिक प्रक्रिया एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में चलती है। सर्वप्रथम, वादी द्वारा न्यायालय में 'वाद पत्र' दाखिल किया जाता है। इसके पश्चात, दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर न्यायालय 'विवाद्यकों' का निर्धारण करता है जिन पर निर्णय लिया जाना है। फिर साक्ष्यों का परीक्षण और दोनों पक्षों की अंतिम बहस होती है। प्रक्रिया के अंत में, न्यायाधीश सभी तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद अपना 'निर्णय' सुनाते हैं। यह क्रम निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, जिससे न्याय के उच्चतम मानक बने रहते हैं।

229. (B) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया।
जब कोई व्यक्ति किसी कार्य से जुड़े संभावित जोखिमों की प्रकृति को समझते हुए स्वेच्छा से उसे स्वीकार करता है, तो 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' का बचाव लागू होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है "इच्छुक व्यक्ति को क्षति नहीं पहुँचाई जा सकती"। ऐसी स्थिति में, यदि वादी को चोट लगती है, तो वह प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने स्वयं उस खतरे को आमंत्रित किया था। यह बचाव साहसिक खेलों और ऐसी गतिविधियों में उपयोग किया जाता है जहाँ कुछ जोखिम अंतर्निहित होते हैं और जिन्हें वादी ने सचेत रूप से स्वीकार किया हो।

230. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
यह मिलान अपकृत्य कानून की चार अत्यंत महत्वपूर्ण लैटिन सूक्तियों और उनके विधिक अर्थों को स्पष्ट करता है। 'रेस इप्सा लोक्विटुर' का अर्थ है कि घटना स्वयं बोलती है, जो उपेक्षा के साक्ष्य में सहायक है। 'रेस्पोंडेंट सुपीरियर' वरिष्ठ या स्वामी को जवाबदेह बनाने का आधार है। 'एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना' व्यक्तिगत विधिक कार्रवाई के व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त होने को दर्शाता है। 'उबी जस इबी रेमेडियम' यह सुनिश्चित करता है कि जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार भी अवश्य हो। ये आधुनिक न्यायशास्त्र के मूलभूत स्तंभ हैं।

231. (A) बिना दोष वाला दायित्व
रीलैंड्स बनाम फ्लेचर का नियम 'बिना दोष वाले दायित्व' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे कठोर दायित्व के रूप में भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाता है और वह पलायन कर जाती है, तो वह व्यक्ति नुकसान के लिए उत्तरदायी है, भले ही उसने कोई लापरवाही न की हो। यहाँ वादी को प्रतिवादी का दोष सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। दायित्व केवल कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम पर आधारित होता है। यह सिद्धांत समाज को खतरनाक गतिविधियों से बचाने के लिए बनाया गया है।

232. (C) राष्ट्रीय आयोग में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक त्रि-स्तरीय न्यायिक व्यवस्था कार्य करती है। यदि कोई पक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश से असंतुष्ट है, तो उसे उस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। अपील

के लिए निर्धारित समय सीमा और प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को न्याय के कई स्तर प्राप्त हों, जिससे किसी भी न्यायिक त्रुटि को सुधारा जा सके और निष्पक्षता बनी रहे।

233. (B) सावधानी बरतने के कर्तव्य का अस्तित्व।
लॉर्ड एटकिन द्वारा प्रतिपादित 'पड़ोसी सिद्धांत' का मुख्य उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या प्रतिवादी का वादी के प्रति 'सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य' था। यह सिद्धांत यह पूछता है कि क्या वादी ऐसा व्यक्ति था जो प्रतिवादी के कृत्य से सीधे प्रभावित होने की संभावना रखता था। यदि उनके बीच ऐसी विधिक निकटता स्थापित हो जाती है, तो प्रतिवादी पर सावधानी बरतने की जिम्मेदारी आती है। यह सिद्धांत उपेक्षा के प्रत्येक मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दायित्व की विधिक सीमा को तार्किक रूप से परिभाषित करता है।

234. (A) अन्यथा उचित कृत्य को अयुक्तियुक्त बना सकता है और उपताप की श्रेणी में ला सकता है।
यद्यपि अपकृत्य कानून में 'द्वेष' सामान्यतः अप्रासंगिक है, परंतु उपताप के मामलों में यह एक निर्णायक कारक बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पड़ोसी को परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से अपनी भूमि पर कोई कार्य करता है, तो वह कृत्य उपताप माना जा सकता है। यहाँ द्वेष एक अन्यथा कानूनी कार्य को अयुक्तियुक्त और विधिक रूप से दोषपूर्ण बना देता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के अधिकारों का उपयोग दूसरों को जानबूझकर पीड़ा पहुँचाने के लिए न किया जाए। यह सामाजिक न्याय का आधार है।

235. (B) स्वतः वाद योग्य अपमानवचन।
किसी व्यक्ति के व्यापार या पेशे के बारे में किया गया मिथ्या और अपमानजनक कथन 'स्वतः वाद योग्य अपमानवचन' की श्रेणी में आता है। चूंकि ऐसे कथन व्यक्ति की जीविका और व्यावसायिक साख पर सीधा प्रहार करते हैं, इसलिए कानून वादी को वास्तविक वित्तीय हानि सिद्ध करने की विधिक अनिवार्यता से छूट देता है। यह मान लिया जाता है कि ऐसे शब्दों से उसे गंभीर नुकसान पहुँचा है। यह विधिक प्रावधान पेशेवरों को उन निराधार और हानिकारक मौखिक आरोपों से बचाता है जो उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकते हैं। यह संरक्षण आवश्यक है।

236. (C) पुनर्विक्रय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, वह व्यक्ति जो वस्तुओं की खरीद पुनर्विक्रय के लिए या किसी बड़े व्यावसायिक उद्देश्य के लिए करता है, उसे 'उपभोक्ता' की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। यह कानून विशेष रूप से उन अंतिम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है जो अपने निजी उपभोग के लिए वस्तुएं खरीदते हैं। व्यावसायिक विवादों को सामान्य नागरिक न्यायालयों द्वारा सुलझाया जाता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने के लिए स्व-रोजगार हेतु किसी उत्पाद का उपयोग करता है, तो उसे उपभोक्ता माना जा सकता है।

237. (B) एग-शेल स्कल नियम।
'एग-शेल स्कल' नियम यह स्थापित करता है कि एक अपकृत्यकर्ता को अपने पीड़ित को उसी स्थिति में स्वीकार करना चाहिए जिसमें वह वास्तव में है। यदि प्रतिवादी की लापरवाही से किसी ऐसे व्यक्ति को चोट लगती है जो पहले से ही किसी शारीरिक दुर्बलता में है, तो प्रतिवादी उस चोट के सभी गंभीर परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। वह यह बचाव नहीं ले सकता कि एक सामान्य व्यक्ति को उतनी गहरी चोट नहीं लगती। यह नियम सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील व्यक्तियों को कानून के तहत पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो और उन्हें उचित क्षतिपूर्ति मिल सके।

238. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत में राज्य के दायित्व के संदर्भ में संप्रभु और गैर-संप्रभु कार्यों के बीच का पारंपरिक अंतर अब तेजी से धुंधला होता जा रहा है। आधुनिक न्यायिक सक्रियता के कारण, न्यायालय अब इस बात पर अधिक ध्यान देते हैं कि क्या राज्य के अंगों द्वारा किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यदि ऐसा होता है, तो कार्य की प्रकृति की परवाह किए बिना राज्य को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह विधिक विकास सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक राज्य में सरकार अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए जवाबदेह रहे।

239. (B) क्षतिपूरक; दंडात्मक
अपकृत्य कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्यों में मौलिक अंतर है। अपकृत्य में 'नुकसानी' का प्राथमिक उद्देश्य 'क्षतिपूरक' होता है, अर्थात पीड़ित को हुई हानि की मौद्रिक भरपाई करना और उसे पूर्व स्थिति में लाना। इसके विपरीत, आपराधिक कानून में 'अर्थदंड' का उद्देश्य 'दंडात्मक' होता है, जिसका लक्ष्य अपराधी को सजा देना और समाज में एक निवारक उदाहरण प्रस्तुत करना है। अपकृत्य पीड़ित की सहायता पर केंद्रित है, जबकि अपराध समाज की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर। यह अंतर दोनों न्यायिक प्रणालियों के सार को स्पष्ट करता है।

240. (C) संयुक्त और पृथक।
साझेदारी फर्म में, यदि कोई एक भागीदार फर्म के सामान्य व्यवसाय के दौरान कोई अपकृत्य करता है, तो सभी भागीदारों का दायित्व 'संयुक्त और पृथक' होता है। इसका विधिक अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति नुकसानी के लिए या तो पूरी फर्म के विरुद्ध या किसी भी एक भागीदार के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से वाद ला सकता है। प्रतिनिधिक दायित्व का यह सिद्धांत भागीदारों के बीच के एजेंसी के संबंध पर आधारित है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाले नुकसान के लिए पीड़ित को प्रभावी क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके और न्याय सुलभ रहे।

241. (B) वैधानिक प्राधिकार
'वैधानिक प्राधिकार' अपकृत्य के विरुद्ध एक पूर्ण विधिक बचाव है। यदि कोई कार्य संसद द्वारा पारित किसी कानून

के सीधे निर्देशों के अधीन किया गया है, तो उस कार्य से होने वाले नुकसान के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, बशर्ते कि कार्य बिना किसी लापरवाही के किया गया हो। कानून यह मानता है कि सार्वजनिक हित में विधायिका द्वारा अधिकृत कार्य व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन से ऊपर हैं। यह बचाव सरकारी निकायों को उनके अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करने के दौरान होने वाले अपरिहार्य नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करता है।

242. (C) नुकसानी का 50%।
योगदायी उपेक्षा के आधुनिक विधिक सिद्धांत के अनुसार, यदि वादी और प्रतिवादी दोनों को दुर्घटना के लिए समान रूप से जिम्मेदार पाया जाता है, तो नुकसानी की राशि को उनके दोष के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि दोनों पक्षों की गलती पचास प्रतिशत है, तो वादी को उसकी कुल नुकसानी का केवल आधा हिस्सा ही प्राप्त होगा। वर्तमान 'नुकसानी के वितरण' का नियम अधिक न्यायसंगत है क्योंकि यह प्रत्येक पक्ष की वास्तविक विधिक जिम्मेदारी और दोष की डिग्री को निष्पक्ष रूप से मान्यता देता है, जिससे संतुलित न्याय संभव होता है।

243. (C) व्यक्ति की अपनी भूमि के उपभोग का अधिकार।
उपताप का अपकृत्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के अपनी भूमि या संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग और आनंद के विधिक अधिकार की रक्षा करता है। इसमें शोर, दुर्गंध या कंपन जैसे अयुक्तियुक्त हस्तक्षेपों के विरुद्ध उपचार प्रदान किया जाता है जो किसी व्यक्ति के घर में रहने के आराम को कम करते हैं। यह मानहानि या शारीरिक चोट से भिन्न है क्योंकि इसका केंद्र बिंदु संपत्ति का अधिकार है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति की गतिविधियाँ दूसरे के संपत्ति अधिकारों और उसके निजी जीवन की शांति में अकारण बाधा उत्पन्न न करें।

244. (B) सप्रतिबंध विशेषाधिकार।
समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट प्रकाशित करना 'सप्रतिबंध विशेषाधिकार' के अंतर्गत सुरक्षित है। इसका विधिक अर्थ यह है कि ऐसी रिपोर्टों के लिए मानहानि का वाद तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वादी यह सिद्ध न कर दे कि रिपोर्ट पूरी तरह द्वेषपूर्ण भावना के साथ प्रकाशित की गई थी। यह विशेषाधिकार समाज में सूचना के मुक्त प्रवाह और सार्वजनिक न्याय प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह समाचार पत्रों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते समय विधिक सुरक्षा प्रदान करता है।

245. (D) उपरोक्त सभी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने का अधिकार केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं है। इसमें व्यापक विधिक प्रावधान हैं जिसके अनुसार कोई भी पंजीकृत उपभोक्ता संघ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कई उपभोक्ताओं की ओर से कोई एक प्रतिनिधि भी शिकायत दर्ज कर सकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि यदि कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता संसाधन के अभाव में शिकायत नहीं कर पा रहा है, तो कोई संस्था उसके हितों के लिए कदम उठा सके। यह उपभोक्ता अधिकारों के सामूहिक संरक्षण के लिए एक सुदृढ़ विधिक तंत्र प्रदान करता है।

246. (A) कानूनी क्षति के बिना हानि।
विधिक सूक्ति 'डेमनम साइन इंजुरिया' का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को वास्तविक वित्तीय हानि तो हुई है, परंतु किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में कोई विधिक उपचार उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कानून केवल उन्हीं स्थितियों में हस्तक्षेप करता है जहाँ किसी के कानूनी अधिकारों का हनन हुआ हो। उदाहरण के लिए, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ में कमी आना विधिक क्षति नहीं है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रत्येक नुकसान के लिए विधिक कार्रवाई संभव नहीं है, जब तक कि वह अवैध न हो और अधिकार का हनन करे।

247. (B) कार्य सेवक के नियोजन के दौरान किया गया था।
प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत के अनुसार, एक स्वामी अपने सेवक द्वारा किए गए कपटपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है यदि वह कार्य 'नियोजन के सामान्य अनुक्रम' के दौरान किया गया हो। भले ही स्वामी ने स्वयं कपट न किया हो, यदि सेवक अपने प्राधिकृत कार्यों को करने के दौरान धोखाधड़ी करता है, तो स्वामी को जवाबदेह माना जाएगा। यह इसलिए है क्योंकि स्वामी ने ही सेवक को उस पद पर रखा है। यह नियम पीड़ित पक्षों को विधिक सुरक्षा प्रदान करने और नियोक्ताओं को बेहतर निगरानी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

248. (C) कृत्रिम रूप से निर्मित जलाशय से बड़ी मात्रा में जल।
रीलैंड्स बनाम फ्लेचर के कठोर दायित्व के नियम को सक्रिय करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवादी की भूमि से किसी ऐसी वस्तु का पलायन हो जो 'अस्वाभाविक' रूप से वहाँ संचित की गई हो। एक बड़े कृत्रिम जलाशय से जल का पलायन इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। प्राकृतिक रूप से गिरने वाली पत्तियाँ सामान्यतः इस श्रेणी में नहीं आतीं। दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए भूमि का असामान्य उपयोग करता है जो पलायन होने पर दूसरों के लिए खतरा पैदा कर सके। यह सिद्धांत सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

249. (A) सावधानी बरतने का कर्तव्य।
उपेक्षा के किसी भी विधिक दावे को सफल बनाने के लिए वादी को सबसे पहले यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि प्रतिवादी का उसके प्रति 'सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य' था। यदि कोई विधिक कर्तव्य विद्यमान नहीं है, तो लापरवाही के बावजूद कोई दायित्व नहीं बनता। यह कर्तव्य अक्सर पक्षकारों के बीच की विधिक निकटता और क्षति की दूरदर्शिता पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर का अपने रोगी के प्रति स्पष्ट कर्तव्य होता है। कर्तव्य का अस्तित्व ही उपेक्षा के दावे की प्राथमिक और सबसे अनिवार्य विधिक नींव मानी जाती है।

250. (D) कथन उपेक्षापूर्वक दिया गया था।
मानहानि की कार्रवाई में यह तर्क देना कि "कथन केवल उपेक्षापूर्वक दिया गया था" कोई विधिक बचाव नहीं है। मानहानि के लिए उत्तरदायित्व 'कठोर' होता है; यदि प्रकाशित

सशुल्क सेवा संबंध विद्यमान हो, जो न्याय को लक्षित बनाता है।

285. (A) कानून द्वारा प्राधिकृत नहीं है
अपकृत्य कानून में 'दोषपूर्ण कृत्य' वह कार्य है जो विधिक रूप से अनुचित है और जिसे करने के लिए प्रतिवादी के पास कोई कानूनी प्राधिकार नहीं है। कोई कृत्य केवल इसलिए दोषपूर्ण नहीं हो जाता क्योंकि वह अनैतिक या सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध है। दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब वह कार्य किसी अन्य व्यक्ति के 'विधिक अधिकार' का उल्लंघन करता है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक केवल उन्हीं सीमाओं के भीतर कार्य करें जो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न करें। विधिक अनधिकृतता ही नागरिक दायित्व और नुकसानी के दावों का प्राथमिक और अनिवार्य विधिक आधार मानी जाती है।

286. (D) 1, 2 और 3
उपेक्षा, उपताप और मानहानि तीनों ही अपकृत्य कानून की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ये तीनों नागरिक दोषों को दर्शाते हैं जहाँ किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है और नुकसानी का विधिक उपचार प्रदान किया जाता है। उपेक्षा सावधानी बरतने में विफलता से संबंधित है, उपताप संपत्ति के शांतिपूर्ण आनंद में बाधा है, और मानहानि व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने से जुड़ी है। ये तीनों अवधारणाएं मिलकर नागरिक समाज में व्यक्तिगत अधिकारों और विधिक कर्तव्यों के एक व्यापक ढांचे का निर्माण करती हैं, जिससे नागरिक संबंधों में न्याय, सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

287. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
प्रतिनिधिक दायित्व का नियम अत्यंत कठोर है। एक नियोक्ता अपने सेवक के उन दोषपूर्ण कार्यों के लिए भी उत्तरदायी होता है जिन्हें स्वामी ने स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया था, बशर्ते कि कार्य नियोजन के दौरान किया गया हो। विधिक तर्क यह है कि निषेध केवल कार्य करने की 'रीति' से संबंधित है, न कि कार्य के 'दायरे' से। यदि सेवक स्वामी का कार्य कर रहा है, तो स्वामी उसके गलत तरीके के लिए जवाबदेह है। यह सिद्धांत नियोक्ताओं को न केवल निर्देश देने, बल्कि अपने कर्मचारियों के वास्तविक आचरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए विधिक रूप से बाध्य और प्रेरित करता है।

288. (A) वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया
एक मोटर दौड़ देखने वाला दर्शक स्वेच्छा से उस खतरनाक वातावरण में प्रवेश करता है जहाँ दुर्घटना का जोखिम अंतर्निहित होता है। यदि वह किसी अप्रत्याशित चोट का शिकार होता है, तो 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' का बचाव उसके दावे को विफल कर सकता है। कानून यह मानता है कि खेल का हिस्सा बनकर, दर्शक ने उस खेल से जुड़े सामान्य और स्वाभाविक जोखिमों को विधिक रूप से स्वीकार कर लिया है। जब तक प्रतिवादी ने सुरक्षा के मानकों का गंभीर उल्लंघन न किया हो, वह इस बचाव का लाभ उठाकर दायित्व से बच सकता है क्योंकि वादी ने स्वयं सचेत रूप से जोखिम उठाया था।

289. (A) प्रकाशन की रीति में।
अपमानवचन और अपमानलेख के बीच का प्राथमिक विधिक अंतर उनके 'प्रकाशन की रीति' या माध्यम में निहित है। अपमानलेख मानहानि का वह रूप है जो स्थायी और दृश्य रूप में होता है, जैसे समाचार पत्रों में लेख या इंटरनेट पोस्ट। इसके विपरीत, अपमानवचन अस्थायी माध्यमों से किया जाता है, जैसे बोले गए शब्द या शारीरिक संकेत। यह अंतर नुकसानी के निर्धारण और प्रमाण की विधि को प्रभावित करता है। अपमानलेख को सामान्यतः अधिक गंभीर माना जाता है क्योंकि स्थायी रूप में होने के कारण इसके प्रसार की संभावना और प्रतिष्ठा को होने वाली क्षति की अवधि कहीं अधिक व्यापक होती है।

290. (A) मिथ्या या भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध निर्देश और शास्ति।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की विधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह प्राधिकरण विज्ञापनों को रोकने, उनमें सुधार करने का निर्देश देने और निर्माताओं पर भारी जुर्माना लगाने का अधिकार रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को झूठे दावों से बचाना और बाजार में विज्ञापन की सत्यता सुनिश्चित करना है। यह प्राधिकरण न केवल दंड देता है, बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक नियामक प्रहरी के रूप में भी कार्य करता है, जिससे बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों में सुधार होता है।

291. (A) सामान्यतः जनसाधारण के प्रति।
अपकृत्य कानून के तहत विधिक कर्तव्य उन दायित्वों से उत्पन्न होते हैं जो कानून ने 'सामान्यतः जनसाधारण' के प्रति अधिरोपित किए हैं। यह संविदात्मक कर्तव्यों से मौलिक रूप से भिन्न है जो केवल अनुबंध के विशिष्ट पक्षों के बीच होते हैं। अपकृत्य में, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह किसी अन्य के अधिकारों का हनन न करे, चाहे वे एक-दूसरे को जानते हों या नहीं। विधिक कर्तव्य का यह सार्वभौमिक स्वरूप ही अपकृत्य को एक नागरिक दोष बनाता है जो पूरे समाज में व्यक्तिगत सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान विधिक मानदंड और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जिससे न्याय बना रहता है।

292. (C) संगठन या एकीकरण परीक्षण।
आधुनिक प्रतिनिधिक दायित्व कानून में 'नियंत्रण परीक्षण' के अलावा अब 'संगठन या एकीकरण परीक्षण' का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यह परीक्षण यह देखता है कि क्या कर्मचारी का कार्य उस व्यावसायिक संगठन का एक 'अभिन्न अंग' है। यदि व्यक्ति का कार्य नियोक्ता के मुख्य व्यवसाय का हिस्सा है, तो वह सेवक माना जाता है, भले ही उस पर सूक्ष्म नियंत्रण न हो। यह परीक्षण विशेष रूप से उन पेशेवरों के मामलों में उपयोगी है जहाँ नियोक्ता उनके कार्य के तकनीकी तरीकों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। यह विधिक विकास आधुनिक व्यावसायिक ढांचों में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को अधिक स्पष्ट और सुलभ बनाता है।

259. (A) पर्याप्त और अयुक्तियुक्त।
निजी उपताप के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करने के लिए यह अनिवार्य है कि वादी की भूमि के उपयोग में होने वाला हस्तक्षेप 'पर्याप्त' और 'अयुक्तियुक्त' हो। कानून प्रत्येक छोटी असुविधा को उपताप नहीं मानता, क्योंकि समाज में रहने के लिए कुछ आपसी सहनशीलता आवश्यक है। हस्तक्षेप की अयुक्तियुक्तता का निर्धारण कार्य की प्रकृति, समय और उसकी निरंतरता के आधार पर किया जाता है। यदि कोई गतिविधि एक औसत व्यक्ति की सामान्य शांति में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है, तभी उसे विधिक रूप से उपताप माना जाता है और क्षतिपूर्ति दी जाती है।

260. (B) कुछ स्थितियों में, स्वतंत्र अभिव्यक्ति में जनहित किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के हित से अधिक होता है।
मानहानि कानून में 'विशेषाधिकार' का बचाव इस विधिक सिद्धांत पर आधारित है कि कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखना किसी व्यक्ति की निजी प्रतिष्ठा की तुलना में समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, संसदीय चर्चाओं या न्यायिक कार्यवाहियों में पूर्ण सत्य और निर्भीकता की आवश्यकता होती है। यदि इन स्थितियों में विधिक सुरक्षा न दी जाए, तो सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करना कठिन हो जाएगा। यह बचाव सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रवाह विधिक मुकदमों के डर के बिना बना रहे।

261. (A) पचास लाख से अधिक और दो करोड़ तक।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार को व्यापक बनाया गया है। अब राज्य आयोग उन शिकायतों की सीधी सुनवाई कर सकता है जहाँ वस्तुओं के लिए भुगतान किया गया प्रतिफल पचास लाख रुपये से अधिक और दो करोड़ रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, यह जिला आयोगों के आदेशों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार भी रखता है। यह आर्थिक सीमा सुनिश्चित करती है कि बड़े मूल्य के विवादों का निपटारा उच्च विधिक अनुभव वाले सदस्यों द्वारा किया जाए, जिससे उपभोक्ताओं को न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त हो।

262. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अपकृत्य को एक 'दीवानी दोष' माना जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से निजी विधिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। इस प्रकार के दोषों का विधिक उपचार नुकसानी प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य पीड़ित को हुई हानि की मौद्रिक भरपाई करना होता है। यह आपराधिक कानून से भिन्न है जहाँ प्राथमिक उद्देश्य अपराधी को दंडित करना होता है। अपकृत्य कानून पीड़ित की पुनर्स्थापना पर केंद्रित है, न कि अपराधी को शारीरिक सजा देने पर। अभिकथन और तर्क दोनों मिलकर अपकृत्य की विधिक प्रकृति और उसके उपचारात्मक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं।

263. (B) सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड
सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी के मामले में प्रतिनिधिक दायित्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया गया था। इस मामले में एक पेट्रोल टैंकर के चालक ने पेट्रोल स्थानांतरित करते समय लापरवाही से सिगरेट जलाई, जिससे विस्फोट हो गया। न्यायालय ने माना कि यद्यपि सिगरेट जलाना एक अनधिकृत कृत्य था, परंतु यह उसके 'प्राधिकृत कार्य' को करने का एक दोषपूर्ण और लापरवाह तरीका था। चूंकि यह नियोजन के दौरान हुआ, इसलिए नियोक्ता को उत्तरदायी ठहराया गया। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कार्य करने के ढंग के लिए जवाबदेह होता है।

264. (C) किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त और अकल्पनीय हो।
'दैवीय कृत्य' एक ऐसा विधिक बचाव है जिसके लिए यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि क्षति केवल प्राकृतिक शक्तियों के कारण हुई थी और उसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं था। इसके अतिरिक्त, वह प्राकृतिक घटना इतनी असाधारण होनी चाहिए कि उसे सामान्य सावधानी से न तो पहले से देखा जा सकता था और न ही रोका जा सकता था। उदाहरण के लिए, एक अभूतपूर्व बाढ़। यदि घटना सामान्य है जिसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, तो यह बचाव मान्य नहीं होगा। यह बचाव प्रतिवादी को पूरी तरह से विधिक दायित्व से मुक्त कर देता है।

265. (B) एक पहचान योग्य मनोरोग बीमारी।
उपेक्षा के कानून में 'नर्वस शॉक' का दावा केवल तभी सफल होता है जब वादी यह सिद्ध कर सके कि प्रतिवादी की लापरवाही के कारण उसे एक 'पहचान योग्य मनोरोग बीमारी' हुई है। सामान्य दुख या तात्कालिक भय विधिक नुकसानी के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। चिकित्सा साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि मानसिक आघात ने व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाला है। न्यायालय ऐसे दावों में बहुत सतर्क रहते हैं ताकि मुकदमों की अनुचित बाढ़ न आए और केवल वास्तविक गंभीर मामलों में ही न्याय सुनिश्चित हो सके, जिससे सत्यता बनी रहे।

266. (A) द्वेष
उपताप के मामलों में प्रतिवादी का 'द्वेष' कभी-कभी एक महत्वपूर्ण विधिक कारक बन जाता है। यद्यपि सामान्यतः अपकृत्य में उद्देश्य अप्रासंगिक होता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति केवल अपने पड़ोसी को नुकसान पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपनी भूमि पर कोई कार्य करता है, तो वह कृत्य अयुक्तियुक्त मान लिया जाता है। मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड बनाम पिकल्स के मामले में इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। द्वेष यह सिद्ध करने में सहायक होता है कि प्रतिवादी का आचरण सामान्य सामाजिक सीमाओं के बाहर था, जो उसे विधिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त आधार है।

267. (B) दी जाने वाली नुकसानी को कम कर सकता है।
मानहानि के मामले में 'क्षमा' मांगना एक ऐसा कारक है जो प्रतिवादी के विधिक दायित्व को पूरी तरह समाप्त नहीं करता, परंतु यह नुकसानी की राशि को काफी हद तक कम कर सकता है। यदि प्रतिवादी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और उचित माध्यम से क्षमा मांगी है, तो न्यायालय इसे प्रतिवादी की सद्भावना और वादी की प्रतिष्ठा को कम हुई क्षति के रूप में

सामग्री मानहानिकारक है, तो प्रतिवादी का यह कहना पर्याप्त नहीं है कि उसने सावधानी बरती थी या इरादा नुकसान पहुँचाने का नहीं था। सत्य, उचित टिप्पणी और विशेषाधिकार ही मान्यता प्राप्त विधिक बचाव हैं। कानून प्रतिष्ठा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, इसलिए बिना किसी मान्य बचाव के, केवल लापरवाही का तर्क देकर कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है।

251. (D) उपरोक्त सभी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'शिकायत' एक अत्यंत व्यापक शब्द है। इसमें किसी भी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार, वस्तुओं में मौजूद दोषों, सेवाओं में होने वाली किसी भी कमी या प्रदाता द्वारा ली गई अत्यधिक कीमतों के विरुद्ध लिखित आरोप सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, यदि असुरक्षित वस्तुएं जनता को बेची गई हैं, तो उसके विरुद्ध भी शिकायत की जा सकती है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को बाजार की लगभग सभी विसंगतियों के विरुद्ध एक एकीकृत और सुदृढ़ विधिक मंच प्रदान करता है ताकि उन्हें शीघ्र और प्रभावी न्याय मिल सके।

252. (A) उचित दूरदर्शिता का परीक्षण।
आधुनिक अपकृत्य कानून में नुकसानी की दूरस्थता निर्धारित करने के लिए 'उचित दूरदर्शिता का परीक्षण' ही मानक माना जाता है। इसके अनुसार, प्रतिवादी केवल उसी क्षति के लिए उत्तरदायी है जिसका प्रकार एक उचित व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमेय हो। यदि परिणाम इतना अप्रत्याशित है कि कोई सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता था, तो उसे विधिक रूप से 'दूरस्थ' माना जाता है और प्रतिवादी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि दायित्व की सीमा तर्कसंगत रहे, जिससे न्याय में संतुलन और स्पष्टता बनी रहती है।

253. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
यह मिलान अपकृत्य कानून के सबसे प्रभावशाली ऐतिहासिक मामलों और उनके सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। डोनोघ बनाम स्टीवेन्सन ने 'पड़ोसी सिद्धांत' और सावधानी के कर्तव्य को जन्म दिया। रीलैंड्स बनाम फ्लेचर ने 'कठोर दायित्व' का नियम स्थापित किया। एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'पूर्ण दायित्व' के अधिक सख्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला राज्य के प्रतिनिधिक दायित्व और संप्रभु उन्मुक्ति की सीमाओं से संबंधित है। ये सभी मामले आधुनिक न्यायशास्त्र के आधार हैं।

254. (A) केवल 1
अपकृत्यात्मक दायित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विधिक कर्तव्यों का निर्धारण स्वयं कानून द्वारा किया जाता है। यह संविदात्मक दायित्व से भिन्न है जहाँ कर्तव्य पक्षों के बीच हुए समझौते से उत्पन्न होते हैं। अपकृत्य में कानून यह तय करता है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, जैसे किसी को शारीरिक चोट न पहुँचाना या किसी की प्रतिष्ठा को हानि न पहुँचाना। इन विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन ही नागरिक दोष को जन्म देता है और पीड़ित को नुकसानी का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।

255. (A) जहाँ नियोक्ता ने स्वाभाविक रूप से खतरनाक कार्य सौंपा है।
यद्यपि सामान्य नियम यह है कि एक नियोक्ता स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, परंतु इसके कुछ गंभीर अपवाद हैं। यदि नियोक्ता ने ठेकेदार को कोई ऐसा कार्य सौंपा है जो अपनी प्रकृति में ही स्वाभाविक रूप से खतरनाक है, तो नियोक्ता अपने विधिक दायित्व से बच नहीं सकता। कानून इसे एक 'गैर-प्रत्यायोज्य कर्तव्य' मानता है। ऐसी स्थितियों में, यदि स्वतंत्र ठेकेदार की लापरवाही से किसी तीसरे पक्ष को क्षति पहुँचती है, तो नियोक्ता को भी प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा क्योंकि उसने जोखिम भरा कार्य प्रारंभ किया था।

256. (C) इसका कोई अपवाद नहीं है।
पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कठोर दायित्व से इस अर्थ में भिन्न है कि यह किसी भी विधिक अपवाद की अनुमति नहीं देता है। कठोर दायित्व के नियम में दैवीय कृत्य या वैधानिक प्राधिकार जैसे बचाव उपलब्ध होते हैं। परंतु भारत में विकसित पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के तहत, यदि कोई खतरनाक उद्योग क्षति पहुँचाता है, तो वह बिना किसी तर्क के उत्तरदायी होगा। यह सिद्धांत विशेष रूप से उन बड़े उद्योगों के लिए बनाया गया है जो अपनी गतिविधियों से समाज के लिए अत्यधिक जोखिम पैदा करते हैं, जिससे जनहित और पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित होती है।

257. (B) अग्नि को फैलने से रोकने के लिए किसी भवन को गिरा देना।
'आवश्यकता' का बचाव उस स्थिति में मान्य होता है जहाँ किसी बड़ी तबाही या कई लोगों के जीवन को बचाने के उद्देश्य से जानबूझकर कम नुकसान पहुँचाया जाता है। अग्नि को फैलने से रोकने के लिए किसी एक घर को गिराना इसका एक प्रामाणिक विधिक उदाहरण है। कानून यहाँ 'अधिकतम सामाजिक लाभ' के सिद्धांत पर कार्य करता है। यद्यपि यह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन प्रतीत होता है, परंतु आसन्न और बड़े खतरे को टालने के लिए किया गया ऐसा कार्य विधिक रूप से न्यायसंगत माना जाता है। यह समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

258. (C) योगदायी उपेक्षा
'अंतिम अवसर का नियम' ऐतिहासिक रूप से योगदायी उपेक्षा की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। यह नियम यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता था कि दुर्घटना के लिए अंततः कौन उत्तरदायी है, विशेषकर जब दोनों पक्ष लापरवाह रहे हों। इसके अनुसार, यदि वादी लापरवाह था, परंतु उसके बाद प्रतिवादी के पास दुर्घटना को रोकने का अंतिम अवसर था और उसने लापरवाही से उसे गँवा दिया, तो प्रतिवादी ही पूरी तरह उत्तरदायी माना जाता था। आधुनिक कानून अब नुकसानी के विभाजन के सिद्धांत को प्राथमिकता देता है, जो अधिक संतुलित और न्यायसंगत है।

किया जाता है, जहाँ सेवा की गुणवत्ता या निष्पादन के मानक में कोई अपर्याप्तता पाई जाती है। इसके विपरीत, 'दोष' शब्द 'वस्तुओं' से संबंधित है, जिसका अर्थ उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा या शुद्धता में मौजूद किसी भी विधिक या तकनीकी त्रुटि से है। यह स्पष्ट वर्गीकरण उपभोक्ताओं को उनकी शिकायत को सही विधिक श्रेणी में दर्ज करने और उचित निवारण प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे प्रक्रिया प्रभावी बनती है।

277. (A) रॉन्ग
'टॉर्ट' शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा से हुई है, जो मूल रूप से लैटिन शब्द 'टॉर्टम' से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है "मरोड़ा हुआ"। अंग्रेजी विधिक शब्दावली में, यह शब्द 'रॉन्ग' के समकक्ष है, जिसका तात्पर्य किसी अनुचित या दोषपूर्ण कृत्य से है। अपकृत्य कानून उन नागरिक दोषों का समूह है जो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन करते हैं। यह शब्द यह दर्शाता है कि कानून का पालन करना एक सीधा मार्ग है, और उससे भटकना ही एक दोष है। यह अवधारणा नागरिक न्याय प्रणाली में कर्तव्यों के उल्लंघन को परिभाषित करने का मुख्य विधिक आधार है।

278. (A) क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से
एजेंट द्वारा किए गए अपकृत्यात्मक कार्यों के लिए प्रधान का दायित्व 'क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से' की विधिक सूक्ति पर आधारित है। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माध्यम से कार्य करवाता है, वह विधिक रूप से स्वयं उस कार्य को करने वाला माना जाता है। चूंकि एजेंट प्रधान के निर्देशों के तहत कार्य करता है, इसलिए एजेंट द्वारा की गई किसी भी लापरवाही के लिए प्रधान को उसी प्रकार उत्तरदायी ठहराया जाता है जैसे उसने वह कार्य स्वयं किया हो। यह प्रतिनिधिक दायित्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुदृढ़ विधिक स्तंभ है, जो जवाबदेही तय करता है।

279. (C) भारत का उच्चतम न्यायालय
पूर्ण दायित्व का क्रांतिकारी सिद्धांत भारत के उच्चतम न्यायालय की एक विशिष्ट विधिक देन है। 1987 में एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ के मामले में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यायालय ने महसूस किया कि रीलैंड्स बनाम फ्लेचर का पुराना कठोर दायित्व का नियम आधुनिक खतरनाक उद्योगों की आपदाओं से निपटने के लिए अपर्याप्त था। पूर्ण दायित्व का यह नया सिद्धांत बिना किसी विधिक अपवाद के औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भारतीय न्यायपालिका के रचनात्मक दृष्टिकोण और जनहित के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

280. (A) उत्तरदायी है।
अपकृत्य कानून के अनुसार, यदि क्षति का 'प्रकार' या 'श्रेणी' पूर्वानुमेय है, तो प्रतिवादी उत्तरदायी माना जाता है। यह विधिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है कि वह विशिष्ट घटना या जिस रीति से वह घटित हुई, वह अकल्पनीय थी। उदाहरण के लिए, यदि आग लगने का जोखिम था और आग लगी, तो प्रतिवादी यह कहकर नहीं बच सकता कि आग लगने का तरीका अप्रत्याशित था। 'ह्यूज बनाम लॉर्ड एडवोकेट' के मामले में इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। यह विधिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति को उसके कार्यों के पूर्वानुमेय परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

281. (B) कर्तव्य के उल्लंघन का निर्धारण करते समय।
उपेक्षा की विधिक जाँच में 'सावधानी के मानक' का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय यह तय कर रहा होता है कि क्या प्रतिवादी ने अपने सावधानी के कर्तव्य का उल्लंघन किया है। न्यायालय यह देखता है कि क्या प्रतिवादी का आचरण उस मानक के अनुरूप था जो एक 'उचित और विवेकपूर्ण व्यक्ति' उसी स्थिति में अपनाता। यदि प्रतिवादी उस अपेक्षित मानक से नीचे गिरता है, तो उसे कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी माना जाता है। यह चरण उपेक्षा को सिद्ध करने के लिए अत्यंत निर्णायक होता है क्योंकि यह प्रतिवादी के व्यवहार और विधिक अपेक्षा के बीच की तुलना को स्पष्ट करता है।

282. (D) भूमि पर अतिचार।
निजी उपताप और भूमि पर अतिचार दो अलग-अलग विधिक अवधारणाएं हैं। निजी उपताप के लिए अयुक्तियुक्त हस्तक्षेप, भूमि के उपयोग में बाधा और वास्तविक क्षति का होना आवश्यक है, परंतु प्रतिवादी का वादी की भूमि पर प्रत्यक्ष भौतिक प्रवेश करना अनिवार्य नहीं है। उपताप सामान्यतः अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे धुआँ या कंपन। इसके विपरीत, अतिचार में भूमि पर सीधा प्रवेश मुख्य तत्व होता है। इसलिए, किसी मामले को उपताप के रूप में चलाने के लिए अतिचार का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि निरंतर अयुक्तियुक्त बाधा ही वाद का पर्याप्त आधार होती है, जो न्याय सुनिश्चित करती है।

283. (C) औचित्य
मानहानि के विरुद्ध 'औचित्य' या सत्य का बचाव सबसे सुदृढ़ विधिक आधार है। इसमें प्रतिवादी को यह सिद्ध करना होता है कि उसके द्वारा लगाया गया आरोप पर्याप्त रूप से सत्य था। यदि सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो प्रतिवादी को पूरी तरह से दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसका उद्देश्य बुरा रहा हो। कानून यह मानता है कि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक सामाजिक साख से अधिक प्रतिष्ठा का दावा करने का हकदार नहीं है। यह बचाव सत्य के उद्घाटन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की तुलना में अधिक विधिक वरीयता प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

284. (C) निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के अधीन।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' की परिभाषा में वे व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं जो वस्तुएं पूरी तरह से निःशुल्क प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, 'व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध' के तहत प्राप्त सेवाएं भी इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखी गई हैं। उपभोक्ता होने के लिए लेनदेन में किसी प्रकार के 'प्रतिफल' का होना अनिवार्य है, चाहे उसका भुगतान वर्तमान में किया गया हो या भविष्य के लिए वादा किया गया हो। यह विधिक सीमा सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ता अदालतें केवल उन्हीं व्यावसायिक विवादों पर ध्यान केंद्रित करें जहाँ एक स्पष्ट

निर्णय ले सकें। यह शिक्षा ही उपभोक्ताओं को बाजार में होने वाले शोषण के विरुद्ध प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

293. (B) राज्य द्वारा आपराधिक अभियोजन।
सार्वजनिक उपताप को समाज के विरुद्ध एक अपराध माना जाता है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर जनता के अधिकारों या सुरक्षा को प्रभावित करता है। इसलिए, इसका प्राथमिक विधिक उपचार राज्य द्वारा किया जाने वाला 'अपराधिक अभियोजन' है। इसमें दोषी व्यक्ति को कारावास या जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। एक निजी नागरिक केवल तभी दीवानी दावा कर सकता है जब वह सिद्ध करे कि उसे सामान्य जनता से अधिक 'विशिष्ट क्षति' हुई है। अन्यथा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार और विधिक अंगों की होती है, जो सार्वजनिक उपताप को रोकने के लिए दंडात्मक विधिक उपायों का प्रभावी प्रयोग करते हैं।

294. (B) कार्यवाही के किसी भी चरण में यदि समझौते की संभावना हो।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार, उपभोक्ता विवाद को मध्यस्थता के लिए कार्यवाही के किसी भी विधिक चरण में भेजा जा सकता है। यदि उपभोक्ता आयोग को लगता है कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की गुंजाइश है, तो वह उनकी सहमति से मामले को मध्यस्थता प्रकोष्ठ को सौंप सकता है। यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि विवादों का समाधान केवल न्यायिक आदेशों से ही नहीं, बल्कि आपसी बातचीत और सहमति से भी हो सके। मध्यस्थता की यह प्रक्रिया त्वरित न्याय प्रदान करने और न्यायालयों के बोझ को कम करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी विधिक साधन के रूप में कार्य करती है।

295. (A) कानूनी अधिकार का उल्लंघन।
अपकृत्य कानून में 'कानूनी क्षति' का तात्पर्य किसी व्यक्ति को दी गई विधिक सुरक्षा या उसके 'कानूनी अधिकार' के उल्लंघन से है। यह भौतिक हानि से बिल्कुल भिन्न अवधारणा है। यदि किसी के अधिकार का हनन हुआ है, तो कानून उसे नुकसानी पाने का हकदार मानता है, चाहे उसे वास्तव में कोई आर्थिक नुकसान हुआ हो या नहीं। विधिक दृष्टि से 'इंजुरिया' ही वाद का मुख्य आधार है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून समाज में अधिकारों की मर्यादा बनाए रखे और किसी भी अवैध हस्तक्षेप को बिना विधिक उपचार के न छोड़े, जिससे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुदृढ़ होती है और न्याय सुनिश्चित होता है।

296. (D) प्रतिनिधिक दायित्व
प्रतिनिधिक दायित्व वह विधिक सिद्धांत है जो एक नियोक्ता को उसके कर्मचारियों द्वारा नियोजन के दौरान किए गए दोषपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराता है। यह इस विचार पर आधारित है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कार्यों से लाभ कमाता है और उन पर नियंत्रण रखता है, इसलिए उसे उन कार्यों से होने वाले जोखिमों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। यह सिद्धांत पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है क्योंकि नियोक्ता के पास भुगतान करने की अधिक क्षमता होती है। यह विधिक व्यवस्था व्यावसायिक जवाबदेही और सामाजिक न्याय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे नियोक्ताओं को सुरक्षा मानकों में सुधार की प्रेरणा मिलती है।

297. (B) P-2, Q-1, R-3, S-4
यह मिलान अपकृत्य कानून के विभिन्न बचावों को उनके व्यावहारिक विधिक उदाहरणों के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ता है। क्रिकेट मैच में दर्शक द्वारा जोखिम उठाना 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' का उदाहरण है। लापरवाही से लगी आग को बुझाना बचाव का मामला है जो आवश्यकता से जुड़ा है। अभूतपूर्व बाढ़ 'दैवीय कृत्य' की श्रेणी में आती है। तेल की परत पर फिसलने वाली कार जिसे सावधानी से चलाया जा रहा था, एक 'अपरिहार्य दुर्घटना' को दर्शाती है। इन उदाहरणों के माध्यम से अपकृत्य कानून की जटिल अवधारणाओं को समझना सरल हो जाता है, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में विधिक दायित्व की स्पष्टता और न्याय सुनिश्चित होता है।

298. (C) चोट
उपेक्षा के अपकृत्य को सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिए वादी को प्रतिवादी के कर्तव्य के उल्लंघन और स्वयं को हुई 'चोट' के बीच एक स्पष्ट और अटूट 'कारण संबंध' स्थापित करना होता है। केवल लापरवाही का होना पर्याप्त नहीं है; उस लापरवाही का सीधा परिणाम वादी को हुई विधिक रूप से मान्यता प्राप्त हानि के रूप में होना चाहिए। यदि चोट का कोई अन्य स्वतंत्र कारण है या वह प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, तो दायित्व नहीं बनता। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति केवल उन्हीं नुकसानों के लिए विधिक रूप से जवाबदेह हो जो वास्तव में उसके दोषपूर्ण व्यवहार के कारण उत्पन्न हुए हों।

299. (B) शब्द अपने सामान्य अर्थ में मानहानिकारक नहीं हैं परंतु उनका अर्थ प्रच्छन्न मानहानिकारक है।
मानहानि कानून में 'इन्यूएंडो' का उपयोग तब किया जाता है जब प्रयोग किए गए शब्द अपने प्रत्यक्ष अर्थ में निर्दोष प्रतीत होते हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों या संदर्भ के कारण उनमें एक प्रच्छन्न मानहानिकारक अर्थ छिपा होता है। वादी को यह सिद्ध करना होता है कि जो लोग संबंधित तथ्यों को जानते थे, उन्होंने उन शब्दों को वादी की प्रतिष्ठा पर प्रहार के रूप में लिया। यह विधिक अवधारणा उन सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष अपमानों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है जहाँ अपमानजनक अर्थ स्पष्ट रूप से शब्दों की सतह पर नहीं दिखता, परंतु सामाजिक साख को वास्तव में गहरी हानि पहुँचाता है, जिससे न्याय संभव होता है।

300. (B) उपभोक्ता एक सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करें।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं के पास वे सभी आवश्यक ज्ञान और कौशल हों जिससे वे बाजार में एक 'सूचित और जागरूक उपभोक्ता' के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके विधिक अधिकारों, बाजार की शोषणकारी प्रथाओं और निवारण तंत्रों के बारे में शिक्षित करना है। यह अधिकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है ताकि वे विज्ञापनों के भ्रामक दावों को पहचान सकें और वस्तुओं का चयन करते समय सही

देखता है। यह दर्शाता है कि प्रतिवादी का उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण नहीं था। नुकसानी के निर्धारण में क्षमा को एक महत्वपूर्ण शमनकारी कारक माना जाता है, जो न्याय के व्यावहारिक पक्ष को दर्शाता है।

268. (D) उपरोक्त सभी।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत 'उत्पाद दायित्व' एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। यह उपभोक्ताओं को उन सभी नुकसानों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है जो किसी उत्पाद में निर्माण संबंधी त्रुटि, दोषपूर्ण अभिकल्प, या उत्पाद के सुरक्षित उपयोग के लिए आवश्यक निर्देशों और चेतावनियों के अभाव के कारण होते हैं। इसके तहत निर्माता और विक्रेता दोनों की जवाबदेही तय की गई है। यदि इनमें से किसी भी कारण से उपभोक्ता को शारीरिक चोट पहुँचती है, तो वह विधिक रूप से मुआवजे का हकदार है। यह व्यवस्था उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

269. (B) इंजुरिया साइन डेमनो
ऐशबी बनाम व्हाइट के ऐतिहासिक मामले में न्यायालय का निर्णय 'इंजुरिया साइन डेमनो' की सूक्ति पर आधारित था। यहाँ वादी के मतदान करने के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ था, यद्यपि उसे कोई वास्तविक वित्तीय हानि नहीं हुई थी। न्यायाधीश होल्ट ने कहा था कि "जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है"। यदि किसी के विधिक अधिकार का हनन हुआ है, तो कानून उसे नुकसानी प्राप्त करने का अधिकार देता है, चाहे वास्तविक क्षति कितनी भी कम क्यों न हो। यह सिद्धांत नागरिक अधिकारों की विधिक सर्वोच्चता और उनके प्रभावी प्रवर्तन का एक सशक्त स्तंभ माना जाता है।

270. (B) दूसरे के दोष के लिए दायित्व।
प्रतिनिधिक दायित्व अपकृत्य कानून का एक विशिष्ट सिद्धांत है जो 'दूसरे के दोष के लिए दायित्व' को परिभाषित करता है। इसके अनुसार, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है, बशर्ते कि वह कार्य उनके विधिक संबंध के दौरान किया गया हो। यह सिद्धांत 'क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से' की सूक्ति पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित पक्ष को उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति मिल सके जिसके पास भुगतान करने की अधिक क्षमता है और जो अंततः उस कार्य को नियंत्रित कर रहा था।

271. (A) पूर्ण दायित्व का सिद्धांत।
'पूर्ण दायित्व' का सिद्धांत यह मानता है कि यदि कोई औद्योगिक इकाई खतरनाक गतिविधि में लगी हुई है, तो वह उससे होने वाले किसी भी नुकसान के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। यह सिद्धांत भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता मामले में प्रतिपादित किया गया था। इसमें कठोर दायित्व के विपरीत कोई भी विधिक अपवाद उपलब्ध नहीं होता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बड़े उद्योग अपनी गतिविधियों से समाज को होने वाले खतरों के प्रति उच्चतम स्तर की जवाबदेही रखें और पीड़ित नागरिकों को बिना किसी विधिक बाधा के पूर्ण न्याय प्राप्त हो सके।

272. (C) आवश्यकता
यदि कोई व्यक्ति किसी जलते हुए भवन से एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करता है, तो वह 'आवश्यकता' के बचाव के कारण अतिचारी नहीं माना जाएगा। कानून यह स्वीकार करता है कि मानव जीवन की रक्षा करना व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में किया गया कृत्य विधिक रूप से न्यायसंगत और क्षम्य माना जाता है क्योंकि प्रतिवादी का उद्देश्य एक बड़ी त्रासदी को रोकना था। यह सिद्धांत आपातकालीन स्थितियों में विधिक लचीलेपन को प्राथमिकता देता है, जिससे वास्तविक संकट के समय सहायता को प्रोत्साहन मिलता है।

273. (A) प्रतिवादी पर
उपेक्षा के मामले में, यदि प्रतिवादी यह दावा करता है कि वादी ने स्वयं अपनी लापरवाही से दुर्घटना में योगदान दिया है, तो 'योगदायी उपेक्षा' को सिद्ध करने का पूरा भार प्रतिवादी पर होता है। प्रतिवादी को न्यायालय में साक्ष्यों के माध्यम से यह स्थापित करना होगा कि वादी अपनी सुरक्षा के लिए उचित सावधानी बरतने में विफल रहा और इसी विफलता ने उसकी क्षति को बढ़ाने में भूमिका निभाई। यह प्रमाण का भार सुनिश्चित करता है कि प्रतिवादी केवल आरोपों के आधार पर दायित्व से नहीं बच सकता, बल्कि उसे वादी के दोष को विधिक रूप से प्रमाणित करना अनिवार्य होता है।

274. (A) अपराध
सार्वजनिक और निजी उपताप के बीच एक मौलिक विधिक अंतर यह है कि सार्वजनिक उपताप को एक 'अपराध' माना जाता है। चूंकि यह कृत्य पूरी जनता या समाज के सामान्य अधिकारों, स्वास्थ्य या सुरक्षा में बाधा डालता है, इसलिए राज्य इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है। निजी उपताप केवल एक दीवानी दोष है जो दो व्यक्तियों के बीच के संपत्ति अधिकारों तक सीमित रहता है। सार्वजनिक उपताप के मामले में, दोषी व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उसे कारावास की सजा भी हो सकती है, जो इसे दीवानी उपचारों से अधिक गंभीर बनाता है, जिससे व्यवस्था बनी रहती है।

275. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
यह मिलान अपकृत्य कानून के विभिन्न बचावों को उनके विधिक आधारों और लैटिन सूक्तियों के साथ सुव्यवस्थित करता है। 'सहमति' का आधार 'वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया' है। 'वादी स्वयं दोषकर्ता' का विधिक सिद्धांत 'एक्स टर्पी कॉसा' से प्रेरित है। 'दैवीय कृत्य' को 'विस मेजर' के रूप में जाना जाता है जो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। 'स्वामी का दायित्व' 'रेस्पोंडेंट सुपीरियर' की सूक्ति पर टिका है। इन विधिक अवधारणाओं का गहन ज्ञान दायित्व के सटीक निर्धारण के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो न्याय प्रक्रिया को एक सुदृढ़ ढांचा और स्पष्टता प्रदान करता है।

276. (B) सेवाओं; वस्तुओं
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दो महत्वपूर्ण विधिक शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है: 'कमी' और 'दोष'। 'कमी' शब्द का उपयोग विशेष रूप से 'सेवाओं' के संदर्भ में

अध्याय 06
अपराध विधि

1. वह कौन सा लैटिन विधिक सूत्र है जो किसी अपराध के आवश्यक तत्वों को समाहित करता है?
   (A) उबी जस इबी रेमेडियम, जिसका अर्थ है जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है।
   (B) एक्टस रियुस नॉन फैसिट रियुम निसी मेन्स सिट रिया।
   (C) इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसैट, जिसका अर्थ है कि विधि की अनभिज्ञता कोई क्षमा नहीं है।
   (D) रेस इप्सा लोक्विटूर, जो इंगित करता है कि वस्तु स्वयं बोलती है।

2. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
   कथन I: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत सामान्य आशय एक पूर्व-नियोजित योजना का संकेत देता है।
   कथन II: सामान्य आशय घटनास्थल पर, कार्य करने के ठीक पहले भी विकसित हो सकता है।
   (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
   (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
   (C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
   (D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

3. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दंड संहिता के तहत निर्दिष्ट दंड का प्रकार नहीं है?
   (A) मृत्युदंड
   (B) आजीवन कारावास
   (C) एकांत परिरोध
   (D) संपत्ति का समपहरण

4. एक शल्य चिकित्सक 'A', एक बच्चे को दुर्घटना से पीड़ित देखकर, माता-पिता की सहमति के बिना यह विश्वास करते हुए शल्य क्रिया करता है कि यह बच्चे के लाभ के लिए है। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। किस सामान्य अपवाद के तहत 'A' संभावित रूप से सुरक्षा का दावा कर सकता है?
   (A) ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जो विधि द्वारा बाध्य हो।
   (B) न्यायाधीश का कार्य जब वह आधिकारिक क्षमता में न्यायिक रूप से कार्य कर रहा हो।
   (C) विवशता या धमकी के प्रभाव में किया गया कार्य।
   (D) बिना सहमति के किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।

5. निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के तहत 'चोरी' के एक आवश्यक तत्व की सही पहचान करता है?
   (A) स्वामी को सदोष हानि पहुँचाने का आशय, लेकिन लेने वाले को सदोष लाभ होना आवश्यक नहीं है।
   (B) संपत्ति को किसी भवन, तंबू या जलयान से लिया जाना चाहिए जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता हो।
   (C) किसी भी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति का लिया जाना।
   (D) लेने के कार्य को करने के लिए बल का प्रयोग या तत्काल क्षति की धमकी देना।

6. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
   (A) निजी प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे कार्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है जो अपराध नहीं है।
   (B) संपत्ति की प्रतिरक्षा में स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने का अधिकार केवल लूट या डकैती के विरुद्ध ही विस्तारित है।
   (C) किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है।
   (D) आत्मरक्षा में पहुँचाई गई क्षति उतनी ही होनी चाहिए जितनी प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।

7. 'अपराधिक मानव वध' और 'हत्या' के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
   (A) हत्या में आशय की उपस्थिति और अपराधिक मानव वध में इसकी अनुपस्थिति।
   (B) कृत्य को अंजाम देने में प्रयुक्त आयुध का प्रकार।
   (C) वह स्थान जहाँ अपराध किया गया है।
   (D) मृत्यु कारित करने की संभावना या आशंका की मात्रा।

8. निम्नलिखित कार्य-कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
   कारण: एक व्यक्ति दूसरे को अपराध करने के लिए उकसाता है। उकसावे के परिणामस्वरूप अपराध किया जाता है।
   परिणाम: उकसाने वाला उस अपराध के दंड के लिए उत्तरदायी है।
   (A) कारण, परिणाम का प्रत्यक्ष परिणाम है।
   (B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष परिणाम है।
   (C) कारण और परिणाम असंबद्ध हैं।
   (D) परिणाम, कारण का एकमात्र कारण है।

9. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?

अभिकथन (A): निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है यदि सार्वजनिक प्राधिकारियों की सुरक्षा प्राप्त करने का समय हो।
कारण (R): जब सुरक्षा के लिए राज्य तंत्र उपलब्ध हो, तो विधि व्यक्तियों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने का समर्थन नहीं करती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

31. भारतीय दंड संहिता के तहत दृश्यरतिकता का अपराध विशेष रूप से किसके विरुद्ध अपराध है?
(A) एक महिला की गोपनीयता
(B) संपत्ति
(C) सार्वजनिक स्वास्थ्य
(D) राज्य

32. वह परिभाषित करने वाली विशेषता क्या है जो 'लूट' को 'डकैती' में परिवर्तित कर देती है?
(A) चोरी की गई संपत्ति का मूल्य।
(B) अपराधियों की संख्या पांच या अधिक होना।
(C) घातक आयुध का प्रयोग।
(D) दिन का वह समय जब अपराध किया जाता है।

33. सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) धारा 299 भारतीय दंड संहिता - हत्या
(B) धारा 378 भारतीय दंड संहिता - चोरी
(C) धारा 300 भारतीय दंड संहिता - अपराधिक मानव वध
(D) धारा 425 भारतीय दंड संहिता - लूट

34. A, Z की मृत्यु कारित करने के आशय से Z को एक विषाक्त सेब देता है। Z, विष से अनभिज्ञ होकर, सेब एक बालक को दे देता है, जो उसे खा लेता है और मर जाता है। A ने कौन सा अपराध किया है?
(A) हत्या
(B) आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण
(C) अपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता
(D) हत्या का प्रयास

35. अपराधों के आवश्यक तत्वों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (शब्द)
P. एक्टस रियुस
Q. मेन्स रीया
R. दुष्प्रेरण
S. षड्यंत्र
सूची II: (विवरण)
1. दोषी मन
2. अवैध कार्य करने का समझौता
3. दोषी कृत्य
4. अपराध करने के लिए उकसाना
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

36. 'शैशवावस्था' के सामान्य अपवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) 7 वर्ष से कम आयु के बालक को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है यदि उसकी परिपक्वता पर्याप्त है।
(B) 7 से 12 वर्ष के बीच का बालक आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त है।
(C) 7 से 12 वर्ष के बीच का बालक तब उत्तरदायी होता है जब अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करता है कि वह शारीरिक रूप से सक्षम है।
(D) 7 वर्ष से कम आयु का बालक आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त है।

37. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: 'चोरी' में, संपत्ति स्वामी की सहमति के बिना ली जाती है।
कथन II: 'जबरन वसूली' में, संपत्ति स्वामी द्वारा क्षति के भय के कारण दी जाती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

38. किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ करने के लिए अवैध रूप से विवश करना जिसे करने के लिए वह विधिक रूप से बाध्य नहीं है, किस अपराध का एक आवश्यक तत्व है?
(A) सदोष अवरोध
(B) सदोष परिरोध
(C) हमला
(D) व्यपहरण

39. किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना कि यदि वह संपत्ति नहीं देता है तो वह दैवीय अप्रसन्नता का पात्र बन जाएगा, कौन सा अपराध है?
(A) प्रवंचना
(B) रिष्टि
(C) लूट
(D) जबरन वसूली

40. किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, जो उसे करते समय, चित्तविकृति के कारण कृत्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत संरक्षित है?

अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा जो निम्न तक बढ़ सकती है:
(A) तीन वर्ष
(B) सात वर्ष
(C) आजीवन कारावास का आधा
(D) दस वर्ष

20. 'आपराधिक षड्यंत्र' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के तहत परिभाषित किया गया है।
2. समझौता स्वयं अपराध का सार है।
3. आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को गठित करने के लिए सदैव एक बाह्य कार्य आवश्यक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

21. 'एक्टस रियुस' का सबसे उपयुक्त विवरण क्या है?
(A) एक दोषी मन
(B) अपराध का प्रयोजन
(C) एक निषिद्ध कार्य या लोप
(D) अपराध का साक्ष्य

22. मानहानिकारक कथन का प्रकाशन मानहानि के अपराध का एक आवश्यक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति 'प्रकाशन' को सर्वोत्तम रूप से दर्शाती है?
(A) A, B को एक मानहानिकारक पत्र लिखता है और उसे अपनी बंद दराज में रखता है।
(B) A, B के बारे में एक मानहानिकारक पत्र लिखता है और उसे C को सुनाता है।
(C) A एक मानहानिकारक पत्र लिखता है और उसे एक सीलबंद लिफाफे में B को भेजता है, जिसे केवल B ही पढ़ता है।
(D) A, B के बारे में मानहानिकारक विचार सोचता है।

23. 'डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स' विधिक सूत्र में कौन सा सामान्य अपवाद सिद्धांत समाहित है?
(A) विधि द्वारा न्यायोचित ठहराए गए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
(B) विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य।
(C) सद्भावपूर्वक किया गया संसूचना।
(D) तुच्छ हानि पहुँचाने वाला कार्य।

24. सामान्य आशय (धारा 34) और सामान्य उद्देश्य (धारा 149) के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) आवश्यक व्यक्तियों की संख्या।
(B) पूर्व-नियोजित योजना की उपस्थिति।
(C) दायित्व की प्रकृति (प्रत्यक्ष बनाम रचनात्मक)।
(D) किए गए अपराध का प्रकार।

25. अपराध के निम्नलिखित चरणों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. आशय
2. तैयारी
3. प्रयास
4. पूर्णता

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

26. भारतीय दंड संहिता के तहत किसी सभा को 'विधिविरुद्ध सभा' के रूप में नामित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) सदस्यों का घातक आयुधों से लैस होना आवश्यक है।
(B) पांच या अधिक व्यक्ति होने चाहिए।
(C) उनका एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए।
(D) सामान्य उद्देश्य धारा में निर्दिष्ट पांच उद्देश्यों में से एक होना चाहिए।

27. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: हत्या के प्रत्येक मामले में अपराधिक मानव वध सम्मिलित होता है।
कथन II: अपराधिक मानव वध का प्रत्येक मामला हत्या का मामला भी होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

28. एक दुकानदार ग्राहक को सामान बेचने के लिए दोषपूर्ण बाटों का उपयोग करता है। यह कार्य मुख्य रूप से किसके विरुद्ध अपराध है?
(A) मानव शरीर
(B) संपत्ति
(C) सार्वजनिक शांति
(D) राज्य

29. एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर, विधि के आदेशों के अनुरूप भीड़ पर गोली चलाता है। वह किस सामान्य अपवाद का सहारा ले सकता है?
(A) न्यायिक कार्य
(B) तथ्य की भूल
(C) विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य
(D) दुर्घटना

30. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

P. सामान्य आशय
Q. सामान्य उद्देश्य
R. दुष्प्रेरण
S. षड्यंत्र

सूची II: (विशिष्ट विशेषता)
1. उकसाना या सहायता करना
2. समझौता
3. साझा योजना को अग्रसर करने में भागीदारी
4. विधिविरुद्ध सभा की सदस्यता

कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

96. भारतीय दंड संहिता में 'दहेज मृत्यु' के तहत दोषसिद्धि के लिए, यह दर्शाया जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व, महिला के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किसके संबंध में किया गया था?
(A) कोई भी घरेलू मुद्दा।
(B) दहेज की मांग।
(C) बालक को जन्म देने में उसकी असमर्थता।
(D) उसका चरित्र।

97. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत अपराध के लिए, अपराध के वास्तविक स्थल पर सभी अभियुक्तों की शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है।
कथन II: 'रचनात्मक उपस्थिति' की अवधारणा को मान्यता प्राप्त है, जहाँ एक व्यक्ति बाहर पहरा दे सकता है जबकि अपराध अंदर किया जा रहा हो।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

98. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से बालक के विरुद्ध अपराध है?
(A) अश्लील उद्देश्यों के लिए बालक का उपयोग करना।
(B) बालक को भिक्षावृत्ति के लिए विवश करना।
(C) बालक को विद्यालय न भेजना।
(D) न्यून अंकों के लिए बालक को डांटना।

99. 'सहमति' का बचाव उपलब्ध नहीं है यदि सहमति दी गई है:
(A) 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा।
(B) ऐसे कार्य के लिए जिससे मृत्यु होने की संभावना न हो।
(C) क्षति के भय या तथ्य की गलतफहमी के तहत।
(D) स्वस्थ चित्त के व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र रूप से और स्वेच्छा से।

100. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थल को नष्ट करना या क्षति पहुँचाना किसके विरुद्ध अपराध है?
(A) संपत्ति
(B) मानव शरीर
(C) राज्य
(D) सार्वजनिक शांति और धर्म

101. 'प्रयास' को अपराध बनाने के पीछे मूल सिद्धांत क्या है?
(A) दूषित विचारों को दंडित करना।
(B) जुर्माने के माध्यम से राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करना।
(C) हस्तक्षेप करना और हानिकारक कार्य के पूर्ण होने को रोकना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नियोजित अपराध को दंडित किया जाए।

102. 'रिष्टि' के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसमें सदैव अग्नि सम्मिलित होनी चाहिए।
(B) इसके लिए सदोष हानि या क्षति पहुँचाने का आशय, या यह ज्ञान कि इसकी संभावना है, आवश्यक है।
(C) क्षतिग्रस्त संपत्ति शासकीय होनी चाहिए।
(D) यह मानव शरीर के विरुद्ध एक अपराध है।

103. भारतीय दंड संहिता के तहत दंड के रूप में 'संपत्ति का समपहरण' का अर्थ है:
(A) संपत्ति की अस्थायी जब्ती।
(B) दोषी की सभी संपत्तियों पर आरोपित कर।
(C) दोषी की संपत्ति का विनाश।
(D) अपराध में प्रयुक्त या उससे अर्जित विशिष्ट संपत्ति की जब्ती।

104. वह व्यक्ति जो दूसरे को उस दिशा में बढ़ने से रोकता है जिसमें उसे बढ़ने का अधिकार है, किसका दोषी है?
(A) सदोष अवरोध
(B) सदोष परिरोध
(C) हमला
(D) व्यपहरण

105. एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किसी अपराधी को फांसी देता है, किस सिद्धांत के तहत आपराधिक दायित्व से सुरक्षित है?
(A) आवश्यकता
(B) तथ्य की भूल
(C) न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुपालन में किया गया कार्य।
(D) अपराधी की सहमति।

106. महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संदर्भ में, 'अम्ल हमला' विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय है?
(A) धारा 326A

(A) धारा 84
(B) धारा 82
(C) धारा 83
(D) धारा 85

41. निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं आता है?
(A) व्यपहरण
(B) सदोष परिरोध
(C) आपराधिक अतिचार
(D) घोर उपहति

42. आपराधिक विधि में 'प्रयास' और 'तैयारी' के बीच क्या अंतर है?
(A) 'सामीप्य नियम', जो यह निर्धारित करता है कि कृत्य अंतिम अपराध के कितना निकट है।
(B) अपराधी का आशय।
(C) इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या।
(D) इसमें सम्मिलित संपत्ति का मूल्य।

43. इस कथन पर विचार कीजिए: "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा उसी समुदाय के दूसरे सदस्य के विरुद्ध किया गया अपराध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दंडनीय है।"
(A) यह कथन सदैव सत्य है।
(B) यह कथन असत्य है, क्योंकि अधिनियम की आवश्यकता है कि पीड़ित और अपराधी भिन्न समुदायों से हों।
(C) यह कथन तभी सत्य है जब अपराध हत्या हो।
(D) यह कथन तभी सत्य है जब अपराध सार्वजनिक स्थान पर किया गया हो।

44. 'मानहानि' के अपराध के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसे शब्दों, संकेतों या दृश्य रूपकों द्वारा किया जा सकता है।
(B) यह केवल एक दीवानी दोष है और आपराधिक अपराध नहीं है।
(C) सत्य एक पूर्ण प्रतिरक्षा तभी है जब प्रकाशन सार्वजनिक भलाई के लिए हो।
(D) किसी मृत व्यक्ति के संबंध में लांछन मानहानि की श्रेणी में आ सकता है यदि यह उनके परिवार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है।

45. भारतीय दंड संहिता के तहत एक 'दुष्प्रेरक' वह व्यक्ति है जो:
(A) अपराध स्थल पर उपस्थित होता है।
(B) सीधे आपराधिक कृत्य करता है।
(C) किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, षड्यंत्र में सम्मिलित होता है या सहायता करता है।
(D) अपराध के पश्चात चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है।

46. भारतीय दंड संहिता में हत्या की परिभाषा का कौन सा अपवाद 'अचानक और गंभीर प्रकोपन' के कारण हुई मृत्यु से संबंधित है?
(A) अपवाद 2
(B) अपवाद 3
(C) अपवाद 4
(D) अपवाद 1

47. 'संयुक्त दायित्व' का सिद्धांत मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की किन दो धाराओं में समाहित है?
(A) धारा 34 और धारा 149
(B) धारा 120A और धारा 120B
(C) धारा 299 और धारा 300
(D) धारा 378 और धारा 383

48. A, B, C, D, और E बैंक डकैती करने के लिए सहमत होते हैं। निश्चित दिन पर, A बाहर पहरा देता है, B पलायन वाहन चलाता है, और C, D, और E बैंक में प्रवेश करते हैं और डकैती करते हैं। डकैती के लिए कौन उत्तरदायी है?
(A) केवल C, D, और E
(B) पांचों - A, B, C, D, और E
(C) केवल A और B
(D) केवल वह व्यक्ति जिसने सर्वाधिक बल प्रयोग किया।

49. दंड के रूप में 'मृत्युदंड' निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए दिया जा सकता है?
(A) चोरी
(B) हत्या सहित डकैती
(C) प्रवंचना
(D) व्यपहरण

50. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्येक लूट या तो चोरी है या जबरन वसूली।
2. लूट के अपराध के लिए मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध के तत्काल भय के तत्व की आवश्यकता होती है।
3. यदि लूट में अपराधियों की संख्या चार है, तो इसे डकैती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

51. आपराधिक विधि में 'डोली इन्कैपैक्स' की अवधारणा क्या है?
(A) निर्दोषता का अनुमान।
(B) मत्तता की स्थिति में बचाव।
(C) बालक की अपराध करने में अक्षमता।
(D) निजी प्रतिरक्षा का अधिकार।

52. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

कथन I: हमले के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब समाप्त हो जाता है जब हमला समाप्त हो जाता है।
कथन II: संकट समाप्त होने के पश्चात किसी व्यक्ति को हमलावर से प्रतिशोध लेने और उसे दंडित करने का अधिकार है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

53. भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा 'क्रूरता' में सम्मिलित है:
(A) केवल शारीरिक प्रताड़ना वाले कृत्य।
(B) केवल मानसिक प्रताड़ना वाले कृत्य।
(C) ऐसा आचरण जिससे महिला के आत्महत्या करने या उसे गंभीर क्षति पहुँचाने की संभावना हो।
(D) सामान्य घरेलू विवाद और असहमति वाला आचरण।

54. संपत्ति को नष्ट करके जनता या किसी व्यक्ति को जानबूझकर सदोष हानि या क्षति पहुँचाना क्या कहलाता है?
(A) चोरी
(B) रिष्टि
(C) अतिचार
(D) जबरन वसूली

55. निम्नलिखित में से किस स्थिति में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत हो सकता है?
(A) साइकिल की साधारण चोरी।
(B) खुले क्षेत्र में आपराधिक अतिचार।
(C) बाड़ को नष्ट करके की गई रिष्टि।
(D) रात्रि में गृह-भेदन।

56. भारतीय दंड संहिता के तहत 'पीछा करने' के अपराध में निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य सम्मिलित नहीं होगा?
(A) सार्वजनिक स्थान पर मार्ग पूछने के लिए एक बार महिला से संपर्क करना।
(B) महिला की स्पष्ट अरुचि के पश्चात भी उसका पीछा करना।
(C) व्यक्तिगत वार्तालाप को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से महिला से संपर्क करना।
(D) किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी अन्य रूप के उपयोग की निगरानी करना।

57. भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों का मुख्य उद्देश्य है:
(A) दंड की गंभीरता बढ़ाना।
(B) अपराधों की नई श्रेणियों को परिभाषित करना।
(C) ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करना जिनके तहत कोई कार्य, अन्यथा आपराधिक होने पर भी, अपराध नहीं है।
(D) आपराधिक अभियोजन की प्रक्रिया का विवरण देना।

58. 'विधिविरुद्ध सभा' बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है?
(A) पांच
(B) दो
(C) तीन
(D) चार

59. अपराध की पहचान कीजिए: 'A' अपनी मुट्ठी 'Z' की ओर हिलाता है, यह आशय रखते हुए या यह जानते हुए कि इससे 'Z' को यह विश्वास हो सकता है कि 'A' उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने वाला है।
(A) प्रहार
(B) दंगा
(C) बलवा
(D) हमला

60. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): डकैती करने की तैयारी भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।
कारण (R): सामान्यतः, अपराध करने की तैयारी दंडनीय नहीं है, लेकिन राज्य या संपत्ति के विरुद्ध कुछ गंभीर अपराधों में तैयारी को भी एक मूल अपराध बनाया गया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

61. चोरी के अपराध के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसे 'चल संपत्ति' माना जाता है?
(A) भूमि से संबद्ध गृह।
(B) भूमि से पृथक होने से पूर्व बढ़ता हुआ वृक्ष।
(C) चेक बुक से पृथक होने के पश्चात चेक का पन्ना।
(D) तार से प्रवाहित होती विद्युत।

62. भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 के बीच का अंतर, जो अपराधिक मानव वध और हत्या से संबंधित है, किस मामले में प्रसिद्ध रूप से प्रतिपादित किया गया था?
(A) के. एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य
(B) रेग बनाम गोविंदा
(C) महबूब शाह बनाम एम्परर
(D) बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर

63. विधिक अर्थों में किसी कार्य को 'अपराध' माने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक तत्व है?
(A) यह विधि द्वारा निषिद्ध होना चाहिए और राज्य द्वारा दंड के अधीन होना चाहिए।
(B) यह नैतिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना चाहिए।
(C) यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाना चाहिए।
(D) इसमें हिंसा सम्मिलित होनी चाहिए।

64. A, यह जानते हुए कि B ने डकैती की है, B को विधिक दंड से बचाने के लिए जानबूझकर उसे छिपाता है। यह कार्य किसके विरुद्ध अपराध है?
(A) सार्वजनिक न्याय
(B) मानव शरीर
(C) संपत्ति
(D) राज्य

65. भारतीय दंड संहिता की धाराओं और सिद्धांतों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (भारतीय दंड संहिता धारा)
P. धारा 34
Q. धारा 120A
R. धारा 149
S. धारा 511
सूची II: (अपराध/सिद्धांत)
1. विधिविरुद्ध सभा
2. प्रयास
3. सामान्य आशय
4. आपराधिक षड्यंत्र
कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

66. एक व्यक्ति को 'अपराधिक मानव वध' का दोषी माना जाता है यदि वह कृत्य जिससे मृत्यु कारित हुई है, किया गया हो:
(A) ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।
(B) साधारण क्षति पहुँचाने के आशय से।
(C) उतावलपन में लेकिन मृत्यु या शारीरिक क्षति पहुँचाने के किसी आशय के बिना।
(D) मृतक की सहमति से।

67. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: चोरी के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी संपत्ति के साथ पीछे हटता रहता है।
कथन II: एक बार जब चोर संपत्ति के साथ सफलतापूर्वक भाग जाता है, तो संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

68. वह कार्य जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो अनैच्छिक रूप से मत्त है, इस सीमा तक कि वह अपने कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है, किस सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है?
(A) तथ्य की भूल
(B) दुर्घटना
(C) चित्तविकृति
(D) मत्तता

69. भारत में विशिष्ट विधानों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विरुद्ध अपराध नहीं है?
(A) किसी बालक को संकटमय नियोजन में नियोजित करना।
(B) बालक पर यौन हमला।
(C) किसी बालक को सार्वजनिक उद्यान में प्रवेश से रोकना।
(D) किसी भी उद्देश्य के लिए बालक का विक्रय या क्रय करना।

70. एक पुलिस अधिकारी 'A', अपराध स्वीकार करवाने के लिए 'B' को प्रताड़ित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है?
(A) A को लोक सेवकों के लिए सामान्य अपवाद द्वारा संरक्षित किया गया है।
(B) A ने उपहति या घोर उपहति पहुँचाने का अपराध किया है।
(C) A ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वह कर्तव्य पालन के दौरान कार्य कर रहा था।
(D) A केवल विभागीय कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है, आपराधिक अभियोजन के लिए नहीं।

71. 'सामान्य आशय' के लिए पूर्व-शर्त है:
(A) पांच या अधिक व्यक्तियों के बीच एक सामान्य उद्देश्य।
(B) अपराध स्थल पर सभी प्रतिभागियों की उपस्थिति।
(C) सभी प्रतिभागियों द्वारा समान आयुधों का उपयोग।
(D) मस्तिष्क का पूर्व मिलन।

72. भारतीय दंड संहिता के तहत 'दहेज मृत्यु' के अपराध के लिए आवश्यक है कि महिला की मृत्यु उसके विवाह के कितने वर्षों के भीतर होनी चाहिए?
(A) सात वर्ष
(B) एक वर्ष
(C) तीन वर्ष
(D) पांच वर्ष

73. सामान्य अपवादों के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) धारा 82 - सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य
(B) धारा 84 - विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य
(C) धारा 79 - न्यायिक कार्य
(D) धारा 96 - निजी प्रतिरक्षा का अधिकार

74. 'लूट' एक बोलचाल का शब्द है। भारतीय दंड संहिता में, निम्नलिखित में से किस अपराध में बल या बल की धमकी द्वारा संपत्ति लेना सम्मिलित है?

(A) लूट
(B) प्रवंचना
(C) रिष्टि
(D) आपराधिक न्यासभंग

75. भारतीय दंड संहिता में निर्दिष्ट निम्नलिखित दंडों को सामान्य पदानुक्रम में सर्वाधिक गंभीर से कम गंभीर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. आजीवन कारावास
2. मृत्युदंड
3. सश्रम कारावास
4. संपत्ति का समपहरण

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

76. 'आपराधिक षड्यंत्र' का सार है:
(A) इच्छित अपराध का पूर्ण होना।
(B) अपराध करने का समझौता।
(C) अपराध की तैयारी का कार्य।
(D) अपराध के पीछे का प्रयोजन।

77. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: किसी व्यक्ति को बेईमानी से संपत्ति देने के लिए प्रेरित करने हेतु उसे क्षति का भय दिखाना जबरन वसूली है।
कथन II: जबरन वसूली में दी गई क्षति की धमकी तत्काल होनी चाहिए।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

78. वह व्यक्ति जो किसी अपराध को करने के आशय से दूसरे के कब्जे वाली संपत्ति में प्रवेश करता है, उसे क्या कहा जाता है?
(A) गृह-भेदन
(B) आपराधिक अतिचार
(C) रिष्टि
(D) प्रच्छन्न गृह-अतिचार

79. शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किसके लिए मृत्यु के अतिरिक्त कोई भी क्षति पहुँचाने तक विस्तारित है?
(A) साधारण उपहति के कार्य के विरुद्ध रक्षा करना।
(B) साधारण चोरी के कार्य के विरुद्ध रक्षा करना।
(C) आपराधिक अतिचार के कार्य के विरुद्ध रक्षा करना।
(D) रिष्टि के कार्य के विरुद्ध रक्षा करना।

80. दुष्प्रेरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वह व्यक्ति जो जानबूझकर किसी कार्य को करने में सहायता करता है, दुष्प्रेरक है।
2. दायित्व उत्पन्न होने के लिए दुष्प्रेरक का अपराध स्थल पर होना अनिवार्य है।
3. यदि दुष्प्रेरित कार्य नहीं किया जाता है, तो दुष्प्रेरक किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

81. भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन मानहानि के अपराध का अपवाद नहीं है?
(A) सत्य का लांछन जिसे सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया जाना आवश्यक हो।
(B) हानि पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रकाशित एक सत्य कथन।
(C) न्यायालयों की कार्यवाही की विवरणों का प्रकाशन।
(D) विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भावपूर्वक की गई निंदा।

82. 'अपराध' शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है:
(A) एक कार्य या लोप जिसे विधि राज्य की ओर से दंडित करती है।
(B) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया दोष जिसके लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है।
(C) समाज द्वारा स्वीकृत नैतिक संहिता का उल्लंघन।
(D) दो निजी पक्षों के बीच का विवाद जिसे न्यायालयों द्वारा सुलझाया जाता है।

83. निम्नलिखित कार्य-कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कारण: पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं।
परिणाम: ऐसा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डकैती करता है, ऐसा कहा जाता है।
(A) कारण, परिणाम का परिणाम है।
(B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष विधिक परिणाम है।
(C) कारण और परिणाम स्वतंत्र विधिक सिद्धांत हैं।
(D) कारण गलत है, लेकिन परिणाम सही है।

84. X, एक विधिविरुद्ध सभा का सदस्य है, जो लाठी से लैस है। Y, एक अन्य सदस्य, अचानक पिस्तौल निकालता है और Z की गोली मारकर हत्या कर देता है। सभा का सामान्य उद्देश्य केवल घोर उपहति पहुँचाना था। हत्या के लिए X के दायित्व के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक सटीक है?
(A) X धारा 149 के तहत हत्या के लिए स्वतः ही उत्तरदायी है।
(B) X हत्या के लिए उत्तरदायी है क्योंकि वह विधिविरुद्ध सभा का सदस्य था।
(C) X केवल विधिविरुद्ध सभा का सदस्य होने के लिए उत्तरदायी है।

(D) X हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि गोली चलाने का कार्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में नहीं था।

85. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य के विरुद्ध अपराध का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति और अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति के बीच व्यापारिक विवाद।
(B) किसी व्यक्ति को वस्तु बेचने से मना करना क्योंकि उसकी दुकान बंद है।
(C) सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति के सदस्य के शरीर से विवश कर वस्त्र उतारना।
(D) एक निजी गृह के अंदर किया गया साधारण हमला जो जातिगत पहचान से संबंधित नहीं है।

86. भारत में विधि के माध्यम से किस प्रकार के दंड को समाप्त कर दिया गया है?
(A) आजीवन कारावास
(B) आजीवन निर्वासन
(C) संपत्ति का समपहरण
(D) जुर्माना

87. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: आत्महत्या का प्रयास भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है।
कथन II: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 यह मानता है कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर तनाव में है और इस कृत्य को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं और कथन II, कथन I को नकारता है।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

88. वह सिद्धांत कि सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के लिए कई व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, किसमें दिया गया है:
(A) धारा 34, भारतीय दंड संहिता
(B) धारा 109, भारतीय दंड संहिता
(C) धारा 149, भारतीय दंड संहिता
(D) धारा 302, भारतीय दंड संहिता

89. एक लोक सेवक 'A', Z को बंदी बनाने के लिए अधिपत्र द्वारा प्राधिकृत है। A उचित जांच के पश्चात Y को Z मानकर बंदी बना लेता है। A किस बचाव का दावा कर सकता है?
(A) दुर्घटना
(B) आवश्यकता
(C) तथ्य की भूल
(D) न्यायिक कार्य

90. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): अपराधिक मानव वध एक वर्ग है और हत्या एक प्रजाति है।
कारण (R): हत्या के सभी कृत्य पहले अपराधिक मानव वध होते हैं, लेकिन अपराधिक मानव वध के सभी कृत्य हत्या नहीं होते।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

91. 'आवश्यकता' के बचाव का सबसे उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) मृत्यु की धमकी के तहत किया गया कार्य।
(B) विधि की भूल के कारण किया गया कार्य।
(C) व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया कार्य।
(D) किसी बड़ी हानि से बचने के लिए किया गया कार्य।

92. दुष्प्रेरण का अपराध कब पूर्ण होता है?
(A) जब मुख्य अपराध किया जाता है।
(B) जब दुष्प्रेरक सफलतापूर्वक मुख्य अपराधी को उकसाता है या उसकी सहायता करता है।
(C) जब पुलिस द्वारा दुष्प्रेरक को बंदी बनाया जाता है।
(D) जब मुख्य अपराध के लिए विचारण आरम्भ होता है।

93. A को मार्ग पर एक बहुमूल्य अंगूठी मिलती है और वह स्वामी को खोजने का प्रयास किए बिना उसे अपने पास रखने के आशय से तुरंत अपनी जेब में रख लेता है। A ने कौन सा अपराध किया है?
(A) चोरी
(B) लूट
(C) संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(D) कोई अपराध नहीं

94. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार किसके संरक्षण के लिए उपलब्ध है?
(A) केवल स्वयं के शरीर और संपत्ति के लिए।
(B) केवल स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के शरीर के लिए।
(C) केवल उस संपत्ति के लिए जो स्वयं के नाम पर पंजीकृत हो।
(D) स्वयं और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति के लिए।

95. अपराधों की विशिष्ट विशेषताओं के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (शब्द)

(A) धारा 304B, भारतीय दंड संहिता - दहेज मृत्यु
(B) धारा 498A, भारतीय दंड संहिता - पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता
(C) धारा 354D, भारतीय दंड संहिता - दृश्यरतिकता
(D) धारा 376, भारतीय दंड संहिता - बलात्कार

10. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): अवैध कार्य करने का केवल समझौता ही आपराधिक षड्यंत्र है।
कारण (R): किसी अपराध को करने के समझौते के अतिरिक्त, किसी समझौते को आपराधिक षड्यंत्र बनाने के लिए, उस समझौते के एक या अधिक पक्षों द्वारा कोई बाह्य कार्य किया जाना आवश्यक है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

11. अपराध के एक आवश्यक तत्व के रूप में 'मेन्स रीया' का तात्पर्य है:
(A) अपराध करने का शारीरिक कार्य।
(B) आपराधिक कृत्य के पीछे का प्रयोजन।
(C) आपराधिक कृत्य का परिणाम।
(D) दोषी मन या आपराधिक आशय।

12. भारतीय दंड संहिता के तहत, 'दुष्प्रेरण' निम्नलिखित में से किस माध्यम से गठित किया जा सकता है?
(A) केवल उकसावे द्वारा
(B) उकसावे, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता द्वारा
(C) केवल षड्यंत्र द्वारा
(D) केवल जानबूझकर सहायता द्वारा

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत 'सामान्य उद्देश्य' के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसके लिए सभा में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है।
(B) इसके लिए पूर्व-नियोजित योजना और मस्तिष्क के पूर्व मिलन की आवश्यकता होती है।
(C) यह विधिविरुद्ध सभा के प्रत्येक सदस्य को अपराध के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।
(D) यह अर्थ और विस्तार में 'सामान्य आशय' शब्द के समान है।

14. भारतीय दंड संहिता के तहत 'डकैती' के अपराध के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की संलिप्तता आवश्यक है?
(A) दो
(B) तीन
(C) चार
(D) पांच

15. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
सूची I: (अपराध)
P. चोरी
Q. जबरन वसूली
R. लूट
S. डकैती
सूची II: (आवश्यक तत्व)
1. पांच या अधिक व्यक्ति
2. चल संपत्ति का बेईमानी से लेना
3. संपत्ति प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना
4. तत्काल हानि या भय के साथ चोरी या जबरन वसूली
कूट:
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

16. निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के तहत सामान्य अपवाद नहीं है?
(A) सात वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य।
(B) धार्मिक भावना के प्रभाव में किया गया कार्य।
(C) सहमति से किया गया कार्य।
(D) कार्य जिससे हानि होने की संभावना हो, लेकिन बिना किसी आपराधिक आशय के और अन्य हानि को रोकने के लिए किया गया हो।

17. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है यदि हमले से युक्तियुक्त रूप से घोर उपहति की आशंका होती है।
कथन II: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जैसे ही शरीर के लिए खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है, आरम्भ हो जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

18. भारतीय दंड संहिता के तहत 'रिष्टि' का अपराध मुख्य रूप से किसके विरुद्ध अपराध है?
(A) संपत्ति
(B) मानव शरीर
(C) राज्य
(D) सार्वजनिक शांति

19. एक व्यक्ति जो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है और ऐसे प्रयास में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, उसे भारतीय दंड संहिता के तहत उस

(B) धारा 354
(C) धारा 376D
(D) धारा 498A

107. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: अपराधिक मानव वध मृत्यु कारित करने के आशय से मृत्यु कारित करना है।
कथन II: अपराधिक मानव वध इस ज्ञान के साथ मृत्यु कारित करना भी हो सकता है कि कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

108. लैटिन विधिक सूत्र 'इग्नोरेंटिया फैक्टि एक्सक्यूसैट, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसैट' का अर्थ है:
(A) विधि की अनभिज्ञता एक बचाव है, लेकिन तथ्य की अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है।
(B) तथ्य की अनभिज्ञता एक बचाव है, लेकिन विधि की अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है।
(C) तथ्य और विधि दोनों की अनभिज्ञता मान्य बचाव हैं।
(D) न तो तथ्य और न ही विधि की अनभिज्ञता मान्य बचाव है।

109. निम्नलिखित में से कौन डकैती के लिए आवश्यक घटक नहीं है?
(A) पांच या अधिक व्यक्ति
(B) संयुक्त रूप से लूट करना या लूट करने का प्रयास करना
(C) कम से कम एक व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग
(D) कृत्य लूट या लूट का प्रयास होना चाहिए

110. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह केवल अपने शरीर और संपत्ति पर हमले के विरुद्ध उपलब्ध है।
2. यह अधिकार पूर्ण है और इस पर कोई निर्बन्धन नहीं है।
3. यदि सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता लेने के लिए पर्याप्त समय हो, तो इसका दावा नहीं किया जा सकता।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

111. वह कौन सा मुख्य तत्व है जो 'चोरी' को 'आपराधिक दुर्विनियोग' से पृथक करता है?
(A) संपत्ति का आरम्भिक रूप से लिया जाना।
(B) संपत्ति की प्रकृति।
(C) बल का प्रयोग।
(D) इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या।

112. वह कार्य जिससे हानि होने की संभावना हो, लेकिन जो सद्भावपूर्वक और हानि पहुँचाने के किसी आपराधिक आशय के बिना, व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली अन्य हानि को रोकने या टालने के उद्देश्य से किया गया हो, किस बचाव के तहत न्यायोचित है?
(A) सहमति
(B) आवश्यकता
(C) दबाव
(D) दुर्घटना

113. A, चोरी करवाने के आशय से, B को चोरी करने के लिए उकसाता है। B ऐसा करने से मना कर देता है। क्या A किसी अपराध का दोषी है?
(A) नहीं, क्योंकि चोरी नहीं की गई थी।
(B) हाँ, A दुष्प्रेरण का दोषी है।
(C) हाँ, A चोरी करने के प्रयास का दोषी है।
(D) नहीं, क्योंकि B के इनकार ने कार्य-कारण की श्रृंखला को तोड़ दिया।

114. शब्द, हाव-भाव या कार्य द्वारा किसी महिला की शालीनता का अपमान करने का कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय है?
(A) धारा 509
(B) धारा 354
(C) धारा 498A
(D) धारा 376

115. सात व्यक्तियों का एक समूह एक कृषक को उसकी भूमि से जबरन बेदखल करने के सामान्य उद्देश्य के साथ एकत्रित होता है। वे हैं:
(A) एक दंगाई भीड़
(B) सामाजिक मिलन के लिए सभा
(C) विधिविरुद्ध सभा
(D) आपराधिक षड्यंत्र

116. आपराधिक विधि के संदर्भ में 'दंड' के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) इसका उद्देश्य संभावित अपराधियों को रोकना है।
(B) इसका सुधारात्मक उद्देश्य हो सकता है।
(C) यह जुर्माने या कारावास के रूप में हो सकता है।
(D) यह पीड़ित द्वारा आरोपित किया जाता है, न कि राज्य द्वारा।

117. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: मानहानि केवल एक दीवानी दोष हो सकती है।
कथन II: भारतीय दंड संहिता मानहानि को एक आपराधिक अपराध मानती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

139. भारतीय दंड संहिता के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति वह नहीं है जिसके तहत अपराधिक मानव वध हत्या बन जाता है?
(A) कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो।
(B) कार्य ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से किया गया हो जिसके बारे में अपराधी जानता हो कि उससे मृत्यु होने की संभावना है।
(C) कार्य करने वाला जानता है कि यह आसन्न खतरनाक है और बिना किसी उचित कारण के इसे करता है।
(D) कार्य साधारण क्षति पहुँचाने के आशय से किया गया हो।

140. भारतीय दंड संहिता में सामान्य अपवादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 7 से 12 वर्ष के बीच के बालक का कार्य अपराध है यदि उसने समझ की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर ली हो।
2. कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो विधि द्वारा उसे करने के लिए बाध्य है या तथ्य की भूल के कारण स्वयं को उसे करने के लिए बाध्य मानता है।
3. विधिक रीति से विधिक कार्य करने में हुई दुर्घटना अपराध नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

141. विधिक सूत्र 'एक्टस मी इन्विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेयस एक्टस' - अर्थात् मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है - किस सामान्य अपवाद का आधार है?
(A) चित्तविकृति
(B) शैशवावस्था
(C) विवशता
(D) तथ्य की भूल

142. यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और वह अपराध किया जाता है, तो दुष्प्रेरक को सामान्यतः दंडित किया जाता है:
(A) अपराध के लिए निर्धारित दंड के आधे से।
(B) अपराध के लिए निर्धारित दंड के दोगुने से।
(C) सात वर्ष के कारावास की निश्चित अवधि से।
(D) स्वयं अपराध के लिए उपबंधित दंड से।

143. कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
(A) अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अपराध - धारा 302
(B) महिलाओं के विरुद्ध अपराध - धारा 354D
(C) बालक के विरुद्ध अपराध - पॉक्सो अधिनियम
(D) संपत्ति के विरुद्ध अपराध - धारा 378

144. 'A', 'Z' के खेत में पशुओं को इस आशय से और यह जानते हुए प्रवेश कराता है कि इससे 'Z' की फसल को क्षति होने की संभावना है। 'A' ने किया है:
(A) आपराधिक अतिचार
(B) रिष्टि
(C) लूट
(D) चोरी

145. A, एक विधिविरुद्ध सभा का सदस्य है जिसका सामान्य उद्देश्य B पर हमला करना है, वह एक पुलिसकर्मी को आते देखता है और बल प्रयोग से पूर्व ही भाग जाता है। क्या A बलवा के लिए उत्तरदायी है?
(A) हाँ, क्योंकि वह सभा का भाग था।
(B) नहीं, क्योंकि वह बल प्रयोग से पूर्व ही चला गया था।
(C) हाँ, क्योंकि भागना एक दोषी मन को दर्शाता है।
(D) नहीं, क्योंकि वह आयुधों से लैस नहीं था।

146. वह व्यक्ति जो जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी क्षति के भय में डालता है, और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को बेईमानी से कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, वह करता है:
(A) जबरन वसूली
(B) चोरी
(C) लूट
(D) प्रवंचना

147. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब आरम्भ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका आरम्भ होती है।
कथन II: संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक संपत्ति का संकट बना रहता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

148. 'अपराध' की परिभाषा मुख्य रूप से किस स्रोत से ली गई है?
(A) सामाजिक रीति-रिवाज और परंपराएं
(B) धार्मिक ग्रंथ और सिद्धांत
(C) नैतिक दर्शन और नीतिशास्त्र
(D) देश की विधि (अधिनियम और दंड संहिता)

149. व्यपहरण और अपहरण के बीच का मुख्य अंतर किससे संबंधित है?
(A) व्यक्ति की आयु और सहमति का तत्व।
(B) बल का प्रयोग और ले जाने का उद्देश्य।
(C) वह दूरी जहाँ व्यक्ति को ले जाया गया है।
(D) इसमें सम्मिलित अपराधियों की संख्या।

(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

128. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना।
(B) बालकों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता के अपराधों से बचाना।
(C) बाल श्रम को विनियमित करना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि बालकों की पोषण संबंधी आवश्यकताएँ पूर्ण हों।

129. यदि पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग करती है, तो ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य किसका दोषी है?
(A) दंगा
(B) बलवा
(C) हमला
(D) डकैती

130. वह व्यक्ति जिसे खोया हुआ बटुआ मिलता है और वह उसे निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाता है, उसने:
(A) विधिक रूप से कार्य किया है और कोई अपराध नहीं किया है।
(B) चोरी की है।
(C) आपराधिक दुर्विनियोग किया है।
(D) आपराधिक न्यासभंग किया है।

131. 'तुच्छ कार्यों' या 'अल्प हानि' का अपवाद भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत प्रदान किया गया है?
(A) धारा 81
(B) धारा 88
(C) धारा 95
(D) धारा 106

132. निम्नलिखित कार्य-कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कारण: एक व्यक्ति इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि वह इतना आसन्न खतरनाक है कि पूरी संभावना है कि वह मृत्यु कारित करेगा।
परिणाम: यदि मृत्यु हो जाती है, तो यह कार्य भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या की श्रेणी में आता है।
(A) कारण, परिणाम का परिणाम है।
(B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष विधिक परिणाम है।
(C) कारण और परिणाम असंबद्ध सिद्धांत हैं।
(D) कारण, परिणाम का एक सामान्य अपवाद है।

133. निम्नलिखित में से कौन आपराधिक षड्यंत्र के लिए आवश्यक नहीं है?
(A) दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए।
(B) समझौता किसी अवैध कार्य को करने या करवाने के लिए होना चाहिए।
(C) समझौता सफलतापूर्वक निष्पादित होना चाहिए।
(D) कार्य विधिक हो सकता है लेकिन अवैध साधनों द्वारा किया गया हो।

134. A, शत्रुतावश, Z के भूसे के ढेर में अग्नि लगा देता है, यह जानते हुए कि इससे Z को हानि होगी। A ने कौन सा अपराध किया है?
(A) चोरी
(B) अग्नि द्वारा रिष्टि
(C) लूट
(D) रिष्टि

135. निम्नलिखित कृत्यों को संपत्ति के विरुद्ध कम गंभीर से अधिक गंभीर अपराध की विशिष्ट प्रगति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. चोरी
2. लूट
3. डकैती
(A) 1, 2, 3
(B) 2, 1, 3
(C) 1, 3, 2
(D) 3, 2, 1

136. तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत किए गए कार्य के लिए व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्राप्त है। इस बचाव को सामान्यतः क्या कहा जाता है?
(A) विवशता या दबाव
(B) आवश्यकता
(C) विधि की भूल
(D) निजी प्रतिरक्षा

137. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार विकृतचित्त व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी उपलब्ध है।
कथन II: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कार्य की प्रकृति पर आधारित है, न कि उसे करने वाले व्यक्ति के आपराधिक दायित्व पर।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

138. किसी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के समूह के संबंध में किसी भी प्रकार के लांछन को प्रकाशित करना क्या कहलाता है?
(A) मानहानि
(B) राजद्रोह
(C) सार्वजनिक उपद्रव
(D) रिष्टि

(A) सामान्य आशय
(B) सामान्य उद्देश्य
(C) आपराधिक षड्यंत्र
(D) सहायता द्वारा दुष्प्रेरण

206. भारतीय दंड संहिता के तहत 'आजीवन कारावास' का अर्थ है:
(A) 14 वर्ष का कारावास।
(B) 20 वर्ष का कारावास।
(C) कारागार अधीक्षक द्वारा निर्धारित अवधि का कारावास।
(D) व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।

207. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तभी उपलब्ध होता है जब व्यक्ति पर हमला किया जाता है।
कथन II: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जैसे ही खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है, आरम्भ हो जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

208. 'रिष्टि' का मुख्य घटक है:
(A) संपत्ति लेने का बेईमानीपूर्ण आशय।
(B) संपत्ति को सदोष हानि या क्षति पहुँचाने का आशय।
(C) प्रवंचना और प्रलोभन।
(D) बल या हिंसा का प्रयोग।

209. 'दहेज मृत्यु' के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि दहेज के लिए उत्पीड़न हुआ था:
(A) विवाह के समय।
(B) उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व।
(C) मृत्यु के एक वर्ष के भीतर।
(D) विवाह के पश्चात कभी भी।

210. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): सात वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है।
कारण (R): विधि द्वारा सात वर्ष से कम आयु के बालक को 'डोली इन्कैपैक्स' माना जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

211. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत 'सामान्य उद्देश्य' के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है?
(A) सभी सदस्यों को एक ही कार्य करना चाहिए।
(B) सभी सदस्य आयुधों से लैस होने चाहिए।
(C) पांच या अधिक व्यक्तियों की एक विधिविरुद्ध सभा होनी चाहिए।
(D) अपराध को विस्तार से पूर्व-नियोजित किया जाना चाहिए।

212. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत 'क्रूरता' की श्रेणी में नहीं आता है?
(A) ऐसा आचरण जिससे महिला के आत्महत्या करने की संभावना हो।
(B) संपत्ति की अवैध मांग को पूर्ण करने के लिए उसे विवश करने हेतु उत्पीड़न।
(C) महिला को गंभीर क्षति पहुँचाना।
(D) नगण्य विवाद और कभी-कभी रूखा व्यवहार।

213. 'तैयारी' से 'प्रयास' को पृथक करने का परीक्षण है:
(A) अनेकार्थकता परीक्षण
(B) सामीप्य परीक्षण
(C) उपरोक्त सभी
(D) लोकस पोएनिटेंटिए परीक्षण

214. यदि कोई व्यक्ति किसी भी मामले को यह जानते हुए मुद्रित या उत्कीर्ण करता है कि वह किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, तो वह किसके तहत अपराध करता है:
(A) धारा 499, भारतीय दंड संहिता
(B) धारा 501, भारतीय दंड संहिता
(C) धारा 500, भारतीय दंड संहिता
(D) धारा 502, भारतीय दंड संहिता

215. शरीर के विरुद्ध अपराधों और उनकी परिभाषित विशेषताओं के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (शरीर के विरुद्ध अपराध)
P. उपहति
Q. घोर उपहति
R. सदोष अवरोध
S. सदोष परिरोध
सूची II: (परिभाषित विशेषता)
1. किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से बाधा
2. किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमा के भीतर रखना
3. शारीरिक पीड़ा, रोग या दुर्बलता
4. चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

216. कोई व्यक्ति अपराध का दोषी नहीं है यदि कार्य 'दुर्घटना या दुर्भाग्य' से हुआ है। इसके लिए कार्य का होना आवश्यक है:
(A) विधिक साधनों द्वारा विधिक रीति से किया गया विधिक कार्य।

150. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): विधिविरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए किसी भी अपराध का दोषी होता है।
कारण (R): भारतीय दंड संहिता की धारा 149 रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जो सभी सदस्यों को एक के कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

151. भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या करने की तैयारी की विधिक स्थिति क्या है?
(A) यह हत्या के प्रयास के रूप में दंडनीय है।
(B) यह तैयारी के लिए एक विशिष्ट धारा के तहत दंडनीय है।
(C) यह अपराधिक मानव वध के रूप में दंडनीय है।
(D) यह सामान्यतः दंडनीय नहीं है।

152. डकैती के मामले में, यदि डकैतों में से एक हत्या करता है, तो हत्या के लिए कौन उत्तरदायी है?
(A) सभी डकैत हत्या के लिए उत्तरदायी हैं।
(B) केवल वह डकैत जिसने हत्या की।
(C) केवल टोली का नेता।
(D) कोई भी डकैत नहीं, जब तक कि हत्या की कोई विशिष्ट योजना न हो।

153. A, चोरी करने के लिए खिड़की के मार्ग से Z के गृह में प्रवेश करता है। इस कार्य को कहा जाता है:
(A) आपराधिक अतिचार
(B) प्रच्छन्न गृह-अतिचार
(C) गृह-भेदन
(D) रिष्टि

154. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अनिवार्य रूप से किसका अधिकार है?
(A) प्रतिरक्षा का, न कि हमले का
(B) प्रतिशोध का
(C) दंड का
(D) प्रतिहिंसा का

155. विधिक अवधारणाओं और उनकी प्रासंगिक भारतीय दंड संहिता धाराओं के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (अवधारणा)
P. अपराधिक मानव वध
Q. घोर उपहति
R. सदोष परिरोध
S. दंगा
सूची II: (प्रासंगिक भारतीय दंड संहिता धारा)
1. धारा 340
2. धारा 159
3. धारा 299
4. धारा 320
कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

156. निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित 'घोर उपहति' का रूप नहीं है?
(A) पुंसत्वहरण
(B) अंगुली का साधारण अस्थि-भंग
(C) किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी नुकसान
(D) शिर या चेहरे का विद्रूणीकरण

157. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: चोरी का आवश्यक घटक संपत्ति को बेईमानी से 'लेना' है।
कथन II: आपराधिक दुर्विनियोग का आवश्यक घटक पूर्व से ही अपने कब्जे में विद्यमान संपत्ति का बेईमानी से 'परिवर्तन' करना है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

158. बालक से संबद्ध यौन स्पष्ट कृत्य को प्रसारित करना किसके तहत एक दंडनीय अपराध है?
(A) केवल भारतीय दंड संहिता
(B) केवल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
(C) किशोर न्याय अधिनियम
(D) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम

159. 'सहमति' के सामान्य अपवाद को निम्नलिखित में से किसके लिए बचाव के रूप में नहीं लिया जा सकता है?
(A) मृत्यु या घोर उपहति पहुँचाने के लिए, शल्य चिकित्सा जैसे विशिष्ट मामलों को छोड़कर
(B) तुच्छ हानि
(C) साधारण उपहति
(D) क्रीड़ा आयोजन के दौरान होने वाली कोई भी हानि

160. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत 'सामान्य आशय' का तात्पर्य है:
(A) समान आशय
(B) पूर्व-नियोजित योजना
(C) एक जैसा आशय

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

118. A, धन चुराने के लिए B की जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब रिक्त है। A ने कौन सा अपराध किया है?
(A) कोई अपराध नहीं
(B) चोरी करने का प्रयास
(C) चोरी
(D) रिष्टि

119. किसी लोक सेवक पर हमला करके या आपराधिक बल का प्रयोग करके उसे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन से रोकना किसके विरुद्ध अपराध है?
(A) सार्वजनिक शांति
(B) मानव शरीर
(C) संपत्ति
(D) लोक सेवकों का विधिक प्राधिकार

120. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): कुछ परिस्थितियों में, शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है।
कारण (R): यह अधिकार तब उपलब्ध होता है जब हमला मृत्यु या घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

121. किसी कार्य को 'अपराध' माने जाने के लिए, सामान्यतः किन दो तत्वों की आवश्यकता होती है?
(A) आशय और तैयारी
(B) प्रयोजन और अवसर
(C) एक्टस रियुस और मेन्स रीया
(D) कार्य और परिणाम

122. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, यदि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य के साथ किया जाता है, तो अत्याचार माना जाता है?
(A) जाति के आधार पर सार्वजनिक भोजनालय में प्रवेश से वंचित करना।
(B) व्यापारिक विवाद होना।
(C) संपत्ति की सीमा को लेकर दीवानी वाद दायर करना।
(D) निजी वार्तालाप में सरकार की नीतियों की आलोचना करना।

123. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत 'सामान्य आशय' के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) इसके लिए मस्तिष्क के पूर्व मिलन की आवश्यकता होती है।
(B) आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाना चाहिए।
(C) यह रचनात्मक दायित्व का नियम बनाता है।
(D) यह अपने आप में एक मूल अपराध है।

124. 'रात्रि में प्रच्छन्न गृह-अतिचार' के अपराध में अतिचार को किससे छिपाने के लिए सावधानी बरतना सम्मिलित है:
(A) केवल पुलिस अधिकारियों से।
(B) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसे अतिचारी को बाहर निकालने का अधिकार है।
(C) संपत्ति के स्वामी के पड़ोसियों से।
(D) आम जनता से।

125. विधिक सूत्रों और उनके अर्थों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (विधिक सूत्र)
P. मेन्स रीया
Q. डोली इन्कैपैक्स
R. डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स
S. एक्टस रियुस
सूची II: (अर्थ)
1. कृत्य स्वयं किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसके आशय ऐसे न हों
2. आपराधिक आशय बनाने में अक्षम
3. विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती
4. निषिद्ध शारीरिक कार्य
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

126. एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सूचित करता है कि उसे एक प्राणघातक रोग है और उसकी मृत्यु होने की संभावना है। रोगी सदमे में तुरंत मर जाता है। चिकित्सक ने कौन सा अपराध किया है, यदि कोई हो?
(A) हत्या
(B) अपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता
(C) उपेक्षा से मृत्यु कारित करना
(D) कोई अपराध नहीं, क्योंकि संसूचना सद्भावपूर्वक की गई थी

127. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: 'साधारण कारावास' का अर्थ है कि दोषी को कोई कठिन श्रम करने की आवश्यकता नहीं है।
कथन II: 'सश्रम कारावास' का अर्थ है कि दोषी को कठिन श्रम करने की आवश्यकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

172. निम्नलिखित में से कौन 'संपत्ति के विरुद्ध अपराध' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है?
(A) डकैती
(B) व्यपहरण
(C) जबरन वसूली
(D) आपराधिक न्यासभंग

173. इस सामान्य नियम का अपवाद क्या है कि अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं है?
(A) चोरी करने की तैयारी।
(B) साधारण उपहति पहुँचाने की तैयारी।
(C) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी।
(D) मानहानि करने की तैयारी।

174. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार इस निर्बन्धन के अधीन है कि किया गया कार्य उस हानि से अधिक हानि न पहुँचाए जो:
(A) संकट में डाले गए हानि के समानुपाती हो।
(B) बिल्कुल न्यूनतम हो।
(C) हमलावर को मारने के लिए पर्याप्त हो।
(D) प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।

175. A को धन से भरा एक बटुआ मिलता है, लेकिन उस पर कोई नाम या पता नहीं है। वह स्वामी को खोजने का कोई प्रयास नहीं करता है और धन का उपयोग करता है। A किसका दोषी है:
(A) संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग
(B) चोरी
(C) लूट
(D) कोई अपराध नहीं, क्योंकि स्वामी अज्ञात था

176. 'चोरी' के अपराध का सार बेईमानी से किया गया है:
(A) संपत्ति का प्रतिधारण।
(B) संपत्ति का लिया जाना।
(C) संपत्ति का विनाश।
(D) संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रवंचना।

177. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: डकैती का अपराध चार व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।
कथन II: डकैती का अपराध लूट का एक गंभीर रूप है, जिसके लिए पांच या अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

178. अम्ल हमले की शिकार महिला विधि के किस प्रावधान के तहत क्षतिपूर्ति की हकदार है?
(A) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C।
(B) भारतीय दंड संहिता की धारा 326A।
(C) दहेज निषेध अधिनियम।
(D) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम।

179. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में "सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में" वाक्यांश किस मामले के निर्णय के परिणामस्वरुप जोड़ा गया था?
(A) रेग बनाम गोविंदा
(B) बरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर
(C) महबूब शाह बनाम एम्परर
(D) के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य

180. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध किया जा सकता है।
कारण (R): यदि A, तथ्य की भूल के तहत B को लुटेरा समझकर उस पर हमला करता है, तो B के पास A के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास तब होता जब A वास्तव में लुटेरा होता।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

181. "अपराधिक मानव वध" और "घोर उपहति" के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) प्रयुक्त आयुध का प्रकार।
(B) एक में मृत्यु कारित करने का आशय और दूसरे में आवश्यक रूप से नहीं।
(C) शरीर पर क्षति का स्थान।
(D) कार्य का परिणाम।

182. एक पुलिस अधिकारी जो विधिक गिरफ्तारी का विरोध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध बल प्रयोग करता है, वह कार्य कर रहा है:
(A) अपने प्राधिकार से अधिक।
(B) अपने कर्तव्यों के विस्तार में और विधि द्वारा संरक्षित।
(C) अपनी निजी क्षमता में।
(D) अवैध रूप से, क्योंकि बल प्रयोग कभी भी अनुमत नहीं है।

183. अपराध की पहचान कीजिए: A बेईमानी से एक जाली दस्तावेज़ का असली के रूप में उपयोग करता है।
(A) कूटकरण
(B) प्रवंचना
(C) रिष्टि
(D) जाली दस्तावेज़ का असली के रूप में उपयोग करना

184. 'चोरी' और 'जबरन वसूली' के बीच का अंतर किस तत्व में निहित है:

(A) सहमति।
(B) संपत्ति का प्रकार।
(C) दिन का समय।
(D) अपराधियों की संख्या।

185. विभिन्न अपराधों के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (अपराध)
P. विधिविरुद्ध सभा
Q. डकैती
R. बलवा
S. दंगा
सूची II: (आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या)
1. पांच
2. दो
3. पांच
4. पांच
कूट:
(A) P-1, Q-3, R-4, S-2
(B) P-1, Q-1, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-3, S-4
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

186. निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति 'सहमति' के सामान्य अपवाद के तहत सुरक्षित नहीं होगी?
(A) एक व्यक्ति दूसरे द्वारा मारे जाने के लिए अपनी सहमति देता है।
(B) एक रोगी योग्य शल्य चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए सहमति देता है।
(C) फुटबॉल के खेल में खिलाड़ी सामान्य रूप से होने वाली उपहति के लिए सहमति देते हैं।
(D) एक व्यक्ति नाटक के प्रदर्शन के दौरान मामूली थप्पड़ के लिए सहमति देता है।

187. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए आवश्यक है कि दुष्प्रेरक को अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ अपराध की योजना बनानी चाहिए।
कथन II: उकसावे द्वारा दुष्प्रेरण के लिए किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय सुझाव या प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

188. निम्नलिखित में से किस मामले में आपराधिक षड्यंत्र के अपराध को पूर्ण करने के लिए एक बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है?
(A) हत्या करने का षड्यंत्र।
(B) ऐसा कार्य करने का षड्यंत्र जो अपराध नहीं है, लेकिन अवैध है।
(C) सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र।
(D) किसी भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए सदैव एक बाह्य कार्य की आवश्यकता होती है।

189. भारतीय दंड संहिता के तहत चोरी के संदर्भ में 'संपत्ति' शब्द विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है:
(A) अचल संपत्ति
(B) चल और अचल दोनों संपत्ति
(C) चल संपत्ति
(D) साख जैसी अमूर्त संपत्ति

190. निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के तहत दंड का रूप नहीं है?
(A) मृत्युदंड
(B) आजीवन कारावास
(C) जुर्माना
(D) सार्वजनिक निंदा

191. A, एक दोषी आशय से, एक बालक या विकृतचित्त व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो विधि द्वारा सक्षम व्यक्ति द्वारा किए जाने पर अपराध होता। वह कार्य नहीं किया जाता है। A का दायित्व क्या है?
(A) A दुष्प्रेरण के लिए वैसे ही उत्तरदायी है जैसे कि कार्य किया गया हो।
(B) A उत्तरदायी नहीं है क्योंकि कार्य नहीं किया गया था।
(C) A मुख्य अपराध के आधे दंड के लिए उत्तरदायी है।
(D) A केवल जुर्माने के लिए उत्तरदायी है।

192. मानसिक तत्व, या 'मेन्स रीया', अपराधों की किस श्रेणी में एक आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) संपत्ति के विरुद्ध अपराध
(B) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध
(C) राज्य के विरुद्ध अपराध
(D) कठोर दायित्व के अपराध

193. 'दंगा' के अपराध के लिए आवश्यक है:
(A) सार्वजनिक स्थान पर लड़ने वाले पांच या अधिक व्यक्ति।
(B) सार्वजनिक स्थान पर लड़ने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो।
(C) निजी स्थान पर लड़ने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति।
(D) सार्वजनिक रूप से धमकी भरी भाषा का प्रयोग करने वाला एक अकेला व्यक्ति।

194. वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या दुर्बलता कारित करता है, उसे क्या कारित करना कहा जाता है:
(A) उपहति
(B) हमला
(C) प्रहार

(D) घोर उपहति

195. निम्नलिखित विधिक अवधारणाओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे सामान्यतः भारतीय दंड संहिता में दिखाई देती हैं।
1. साधारण स्पष्टीकरण
2. दंडों के विषय में
3. साधारण अपवाद
4. दुष्प्रेरण के विषय में

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

196. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के सदस्यों को आर्थिक लाभ प्रदान करना।
(B) अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को होने से रोकना।
(C) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाना।
(D) अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के भीतर विवाह प्रथाओं को विनियमित करना।

197. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 एक विशिष्ट अपराध बनाती है।
कथन II: भारतीय दंड संहिता की धारा 34 साक्ष्य का एक नियम है और यह कोई मूल अपराध नहीं बनाती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

198. न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से कार्य करते समय अपनी किसी भी शक्ति के प्रयोग में किया गया कार्य, जिसे वह सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उसे विधि द्वारा दिया गया है, वह है:
(A) जुर्माने से दंडनीय अपराध।
(B) कोई अपराध नहीं।
(C) एक विभागीय कदाचार।
(D) एक अपराध यदि इससे हानि होती है।

199. एक व्यक्ति को 'अपराधिक मानव वध' का दोषी माना जाता है यदि वह कार्य जिससे मृत्यु कारित हुई है, किया गया हो:
(A) ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।
(B) साधारण क्षति पहुँचाने के आशय से।
(C) उतावलपन में लेकिन मृत्यु या शारीरिक क्षति पहुँचाने के किसी आशय के बिना।
(D) मृतक की सहमति से।

200. हत्या के अपराध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह मानव वध का सर्वाधिक गंभीर रूप है।
2. मृत्यु कारित करने का आशय सदैव एक आवश्यक घटक है।
3. यदि कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि वह आसन्न खतरनाक है, तो यह हत्या की श्रेणी में आ सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2
(D) 1, 2 और 3

201. तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत कोई कार्य करने वाले व्यक्ति को कौन सा बचाव उपलब्ध है, जो अन्यथा एक अपराध होता?
(A) आवश्यकता
(B) निजी प्रतिरक्षा
(C) विवशता
(D) सहमति

202. 'A', 'B' को डूबते हुए देखता है लेकिन उसे बचाता नहीं है, जबकि वह बचा सकता था। 'B' डूब जाता है। 'A':
(A) किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि कार्य करने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं था।
(B) हत्या का दोषी है।
(C) अपराधिक मानव वध का दोषी है।
(D) उपेक्षा से मृत्यु कारित करने का दोषी है।

203. लूट होने के लिए, कृत्य का इनमें से कोई एक होना आवश्यक है:
(A) चोरी या रिष्टि।
(B) जबरन वसूली या प्रवंचना।
(C) रिष्टि या आपराधिक अतिचार।
(D) चोरी या जबरन वसूली।

204. अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को 'बेगार' या इसी प्रकार के अन्य प्रकार के बलात् श्रम करने के लिए विवश करना किसके तहत अपराध है?
(A) भारतीय दंड संहिता
(B) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
(C) बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम
(D) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

205. यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं, तो वे किसके पक्षकार हैं:

(D) स्वतःस्फूर्त कार्यवाही

161. एक पुलिस अधिकारी 'A', बिना अधिपत्र के 'Z' को पकड़ लेता है, जिसने हत्या की है। 'A' सामान्य अपवादों के किस सिद्धांत के तहत संरक्षित है?
(A) न्यायाधीश का कार्य जब वह न्यायिक रुप से कार्य कर रहा हो।
(B) विधि द्वारा न्यायोचित ठहराए गए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
(C) आवश्यकता के तहत किया गया कार्य।
(D) सहमति से किया गया कार्य।

162. वह कौन सा मुख्य तत्व है जो हत्या को अपराधिक मानव वध (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता) से पृथक करता है?
(A) मेन्स रीया या आशय/ज्ञान की उच्च मात्रा।
(B) आयुध की उपस्थिति।
(C) पहुँचाई गई चोटों की संख्या।
(D) अपराधी का प्रयोजन।

163. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम किसके द्वारा किए गए अपराधों पर लागू होता है?
(A) किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध।
(B) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य द्वारा किसी गैर-सदस्य के विरुद्ध।
(C) अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित न होने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध।
(D) अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्य के विरुद्ध।

164. 'A', 'Z' को धन न देने पर उसके बारे में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने की धमकी देता है। 'A' इस प्रकार 'Z' को धन देने के लिए प्रेरित करता है। 'A' ने किया है:
(A) चोरी
(B) लूट
(C) मानहानि
(D) जबरन वसूली

165. विधिक सूत्र 'एक्टस नॉन फैसिट रियुम निसी मेन्स सिट रिया' आपराधिक विधि के लिए मौलिक है। यह क्या दर्शाता है?
(A) प्रयोजन कृत्य से अधिक महत्वपूर्ण है।
(B) कार्य के परिणाम दोष निर्धारित करते हैं।
(C) केवल कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि कोई दोषी मन न हो।
(D) बिना किसी कार्य के दोषी मन दंडनीय है।

166. 10 वर्ष की आयु का एक बालक, जिसने अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को आंकने के लिए समझ की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त नहीं की है, एक लेखनी चुराता है। वह बालक:
(A) चोरी का दोषी है।
(B) शैशवावस्था के अपवाद के कारण किसी भी अपराध का दोषी नहीं है।
(C) चोरी के प्रयास का दोषी है।
(D) जुर्माने के लिए उत्तरदायी है लेकिन कारावास के लिए नहीं।

167. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: आपराधिक षड्यंत्र अपराध में एक भागीदारी है।
कथन II: षड्यंत्र के आरोप को स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष को अवैध कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता सिद्ध करना होगा।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

168. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 को लागू करने के लिए, विधिविरुद्ध सभा में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए:
(A) 5 व्यक्ति
(B) 2 व्यक्ति
(C) 3 व्यक्ति
(D) 7 व्यक्ति

169. किसी अपराध को 'लूट' मानने के लिए, बल या भय का तत्व होना चाहिए:
(A) चोरी के पश्चात किसी भी समय प्रयुक्त।
(B) चोरी करने के उद्देश्य से या संपत्ति को ले जाने में प्रयुक्त।
(C) भविष्य की तिथि में उपयोग करने की धमकी दी गई।
(D) एक मामूली या नगण्य संकट।

170. 'दुष्प्रेरण' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के लिए आवश्यक है कि उस षड्यंत्र के अग्रसरण में कोई कार्य या अवैध लोप हो।
2. वह व्यक्ति जो किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझकर किसी कार्य को करने में सहायता करता है, उसका दुष्प्रेरण करता है।
3. सहायता करने का केवल आशय ही दुष्प्रेरण के लिए पर्याप्त है, भले ही वास्तव में कोई सहायता न दी गई हो।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

171. "अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत" साक्ष्य का एक नियम है जो प्रायः किन मामलों में लागू होता है:
(A) चोरी और लूट
(B) कूटकरण और प्रवंचना
(C) मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव
(D) हत्या और अपराधिक मानव वध

(B) विधिक रीति से किया गया अवैध कार्य।
(C) आपराधिक ज्ञान के साथ किया गया विधिक कार्य।
(D) क्षति पहुँचाने के आशय के बिना किया गया कोई भी कार्य।

217. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: चोरी का अपराध अचल संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है।
कथन II: भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में परिभाषित चोरी के लिए 'चल संपत्ति' को बेईमानी से लेना आवश्यक है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

218. 'अपराध' शब्द को सार्वजनिक दोष के रूप में वर्णित किया जा सकता है क्योंकि:
(A) यह केवल व्यक्तिगत पीड़ित को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को क्षति पहुँचाता है।
(B) यह सदैव सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है।
(C) जनता सीधे अपराधी पर वाद चलाती है।
(D) इसे सदैव संचार माध्यमों में प्रसारित किया जाता है।

219. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बालकों के विरुद्ध विशिष्ट अपराधों के अंतर्गत आता है?
(A) बाल विवाह।
(B) गैर-संकटमय उद्योग में बाल श्रम।
(C) बालक को पर्याप्त पोषण प्रदान करने में विफलता।
(D) किसी बालक को अश्लील सामग्री देखने के लिए प्रेरित करना।

220. आपराधिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सामान्य नियम का एक अपवाद है। यह किसमें समाहित है:
(A) धारा 302 और धारा 304
(B) धारा 34 और धारा 149
(C) धारा 378 और धारा 425
(D) धारा 82 और धारा 84

221. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कार्य है:
(A) एक अपराध, लेकिन न्यून दंड के साथ।
(B) एक दीवानी दोष लेकिन अपराध नहीं।
(C) एक न्यायोचित कार्य और कोई अपराध नहीं।
(D) एक क्षम्य कार्य, लेकिन क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

222. 'A', 'B' को 'C' की हत्या करने के लिए उकसाता है। 'B' इसके स्थान पर 'C' को चाकू मार देता है, जिससे घोर उपहति होती है लेकिन मृत्यु नहीं होती। 'A' किसके लिए उत्तरदायी है?
(A) हत्या का दुष्प्रेरण।
(B) कोई अपराध नहीं, क्योंकि हत्या नहीं हुई थी।
(C) हत्या का प्रयास।
(D) घोर उपहति का दुष्प्रेरण।

223. वह आवश्यक तत्व क्या है जो चोरी को लूट में परिवर्तित कर देता है?
(A) तत्काल हिंसा या भय का प्रयोग, या प्रयोग करने की धमकी।
(B) संपत्ति का मूल्य।
(C) अपराध का समय।
(D) संपत्ति का किसी भवन से लिया जाना।

224. वह व्यक्ति जो बेईमानी से उस संपत्ति का दुर्विनियोग करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह मृत्यु के समय एक मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, वह किसका गंभीर रूप कारित करता है:
(A) चोरी
(B) आपराधिक दुर्विनियोग
(C) जबरन वसूली
(D) प्रवंचना

225. यदि दो व्यक्ति एक निजी गृह में लड़ रहे हैं और बाहर किसी को क्षुब्ध नहीं कर रहे हैं, तो वे:
(A) दंगे के दोषी हैं।
(B) दंगे के दोषी नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई सार्वजनिक स्थान पर नहीं है।
(C) बलवा के दोषी हैं।
(D) हमले के दोषी हैं।

226. मत्तता का बचाव केवल तभी उपलब्ध है जब मत्तता:
(A) व्यक्ति की जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो
(B) स्वैच्छिक हो
(C) अपराध करने का साहस जुटाने के लिए की गई हो
(D) औषधीय उद्देश्यों के लिए की गई हो लेकिन अधिक मात्रा में ले ली गई हो

227. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करके किसी भी प्रकार की हानि को न्यायोचित ठहराया जा सकता है।
कथन II: निजी प्रतिरक्षा में पहुँचाई गई क्षति आनुपातिक होनी चाहिए और आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

228. धारा 300 के तहत 'हत्या' की परिभाषा में कितनी विशिष्ट स्थितियाँ प्रदान की गई हैं जो अपराध को 'आपराधिक मानव वध' (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता) में न्यून कर देती हैं?
(A) तीन

(A) हत्या
(B) आत्महत्या का दुष्प्रेरण
(C) उपेक्षा से मृत्यु कारित करना
(D) कोई अपराध नहीं

275. कृत्यों और उनके संबंधित अपराधों के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (कार्य)
P. स्पष्ट अरुचि के पश्चात भी महिला का पीछा करना।
Q. किसी निजी कार्य में संलग्न महिला को देखना।
R. सदोष हानि पहुँचाने के लिए संपत्ति को नष्ट करना।
S. बेईमानी से चल संपत्ति लेना।
सूची II: (अपराध)
1. रिष्टि
2. दृश्यरतिकता
3. चोरी
4. पीछा करना
कूट:
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-2, Q-4, R-3, S-1
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

276. आपराधिक विधि में सामान्य नियम यह है कि किसी लोप के लिए कोई दायित्व नहीं होता है। इस नियम का अपवाद क्या है?
(A) जब लोप जानबूझकर किया गया हो।
(B) जब लोप को नैतिक विफलता माना जाता है।
(C) जब लोप से मामूली उपहति होती है।
(D) जब कार्य करने का विधिक कर्तव्य हो।

277. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: भारतीय दंड संहिता दंड के रूप में 'जुर्माना' निर्धारित करती है।
कथन II: जुर्माने की राशि सदैव धारा में उल्लिखित एक विशिष्ट राशि तक सीमित होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

278. एक आपराधिक षड्यंत्र में, दूसरे के कार्यों के लिए एक षड्यंत्रकारी का दायित्व किस सिद्धांत पर आधारित है:
(A) अभिकरण
(B) संयुक्त दायित्व
(C) प्रतिनिधिक दायित्व
(D) उपरोक्त सभी

279. शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है जब हमला किस आशय से किया गया हो:
(A) साधारण चोरी करना।
(B) साधारण उपहति पहुँचाना।
(C) आपराधिक अतिचार करना।
(D) अप्राकृतिक वासना को तृप्त करना।

280. A, Z को मारने के आशय से एक बंदूक और गोला-बारूद खरीदता है। A अपराध के किस चरण तक पहुँच गया है?
(A) तैयारी
(B) आशय
(C) प्रयास
(D) पूर्णता

281. भारतीय दंड संहिता के तहत 'बेईमानी से' शब्द का अर्थ है:
(A) किसी को प्रवंचित करने के आशय से।
(B) कपटपूर्वक कार्य करने के आशय से।
(C) सदोष लाभ या हानि पहुँचाने के आशय से।
(D) दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के आशय से।

282. भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत 'सामान्य आशय' का कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है?
(A) घातक आयुध की उपस्थिति।
(B) एक आपराधिक कृत्य।
(C) कई व्यक्तियों द्वारा भागीदारी।
(D) सभी द्वारा साझा किया गया एक सामान्य आशय।

283. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 किसे सुरक्षा प्रदान करता है:
(A) 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को।
(B) केवल 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को।
(C) 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को।
(D) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को।

284. न्यायालय की कार्यवाही में न्यायाधीश या गवाह द्वारा दिया गया मानहानिकारक कथन सामान्यतः किस बचाव के अंतर्गत आता है?
(A) सार्वजनिक भलाई के लिए सत्य।
(B) विशेषाधिकार।
(C) निष्पक्ष टिप्पणी।
(D) सहमति।

285. सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 34 के अनुप्रयोग के लिए किस मामले में दिशा-निर्देश दिए थे?
(A) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप
(B) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
(C) महबूब शाह बनाम एम्परर
(D) डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(D) बलवा

240. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): न्यायालय की कार्यवाही की पर्याप्त रूप से सही रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है।
कारण (R): यह भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अपवादों में से एक है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

241. यह निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि कोई कृत्य 'प्रयास' है या केवल 'तैयारी'?
(A) अपराध के पूर्ण होने से कृत्य का सामीप्य।
(B) अभियुक्त व्यक्ति का आशय।
(C) अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त आयुध।
(D) किए गए कार्य के पीछे का प्रयोजन।

242. एक शल्य चिकित्सक, सद्भावपूर्वक, एक रोगी को अपनी राय देता है कि वह जीवित नहीं रह सकता। सदमे के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। चिकित्सक किसके तहत संरक्षित है:
(A) धारा 93
(B) धारा 88
(C) धारा 92
(D) धारा 81

243. गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) सभी हत्याएं अपराधिक मानव वध हैं।
(B) सभी अपराधिक मानव वध हत्याएं नहीं हैं।
(C) सभी अपराधिक मानव वध हत्याएं हैं।
(D) अपराधिक मानव वध एक वर्ग है, हत्या एक प्रजाति है।

244. भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत दृश्यरतिकता के अपराध में सम्मिलित है:
(A) किसी महिला का निरंतर पीछा करना।
(B) किसी महिला की ओर अश्लील हाव-भाव करना।
(C) किसी महिला को अवांछित ईमेल भेजना।
(D) किसी निजी कार्य में संलग्न महिला को देखना या उसकी छवि कैद करना।

245. अपराधों और उनके स्पष्टीकरण के संबंध में सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (शब्द)
P. चोरी
Q. जबरन वसूली
R. लूट
S. डकैती
सूची II: (स्पष्टीकरण)
1. पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा लूट।
2. हिंसा या तत्काल हिंसा की धमकी के साथ चोरी।
3. क्षति के भय में डालकर संपत्ति लेना।
4. बिना सहमति के चल संपत्ति लेना।
कूट:
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

246. आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषसिद्धि हेतु, अभियोजन पक्ष को सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या सिद्ध करना होगा?
(A) प्रत्येक षड्यंत्रकारी का प्रयोजन।
(B) षड्यंत्रकारियों के बीच एक समझौता।
(C) नियोजित अपराध का निष्पादन।
(D) कि सभी षड्यंत्रकारी अपराध स्थल पर उपस्थित थे।

247. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार हमले या प्रतिशोध का अधिकार है।
कथन II: निजी प्रतिरक्षा का अधिकार एक रक्षात्मक अधिकार है जो केवल तभी उपलब्ध होता है जब हानि की युक्तियुक्त आशंका हो।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

248. वह अपराध जो कारावास से दंडनीय है जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, वह एक है:
(A) समन मामला
(B) जमानती अपराध
(C) गैर-जमानती अपराध
(D) शमनीय अपराध

249. शिर या चेहरे के स्थायी विद्रूपीकरण को भारतीय दंड संहिता के तहत किस रूप में वर्गीकृत किया गया है:
(A) साधारण उपहति
(B) हमला
(C) घोर उपहति
(D) हत्या का प्रयास

250. निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपवादों द्वारा सुरक्षित नहीं है?
(A) विधि की भूल के तहत कार्य करने वाला व्यक्ति।
(B) न्यायिक रूप से कार्य करने वाला न्यायाधीश।
(C) तथ्य की भूल के तहत कार्य करने वाला व्यक्ति।
(D) विकृतचित्त व्यक्ति।

(C) 10 वर्ष
(D) 14 वर्ष

299. यदि लांछन लोक सेवक के आचरण के संबंध में सद्भावपूर्वक व्यक्त की गई राय है, तो वह मानहानिकारक नहीं है। यह एक है:
(A) मानहानि की परिभाषा का भाग।
(B) मानहानि के अपराध की गंभीरता।
(C) मानहानि के मामले में अप्रासंगिक विचार।
(D) मानहानि की विधि का अपवाद।

300. निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्वों का सर्वोत्तम विवरण देता है?
(A) एक स्वैच्छिक मानवीय कार्य और परिणामस्वरूप होने वाली क्षति।
(B) एक निषिद्ध कार्य और एक दोषी मन।
(C) कार्य करने का एक प्रयोजन और एक अवसर।
(D) एक अवैध कार्य और उसके पश्चात का दंड।

सदस्य।
(D) एक लोक सेवक।

263. कार्य अपराध नहीं है यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो 'विकृतचित्त' है। भारत में विकृतचित्तता के लिए विधिक परीक्षण क्या है?
(A) व्यक्ति चिकित्सकीय रूप से विकृतचित्त घोषित किया गया है।
(B) व्यक्ति एक अदम्य आवेग पर कार्य करता है।
(C) व्यक्ति सनकी व्यवहार का अभ्यस्त है।
(D) व्यक्ति कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है।

264. A, B, C, D, और E संयुक्त रूप से F को लूटते हैं। B पुलिस पर दृष्टि रखने के लिए दूर खड़ा है। क्या B डकैती के लिए उत्तरदायी है?
(A) हाँ, क्योंकि वह उपस्थित था और अपराध को अंजाम देने में सहायता कर रहा था।
(B) नहीं, क्योंकि उसने सीधे तौर पर लूट में भाग नहीं लिया।
(C) नहीं, क्योंकि वह आयुधों से लैस नहीं था।
(D) हाँ, लेकिन केवल लूट के दुष्प्रेरण के लिए।

265. 'जानबूझकर सहायता' द्वारा दुष्प्रेरण की परिभाषित विशेषता क्या है?
(A) केवल अपराध स्थल पर उपस्थित होना।
(B) किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा अपराध को अंजाम देने में सुविधा प्रदान करना।
(C) आपराधिक योजना से सहमत होना।
(D) मुख्य अपराधी को शब्दों से प्रोत्साहित करना।

266. निम्नलिखित में से कौन अपराध का एक आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) प्रयोजन
(B) एक्टस रियुस
(C) मेन्स रीया
(D) किसी अन्य व्यक्ति या समाज को क्षति

267. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: अपराध करने की तैयारी सदैव दंडनीय होती है।
कथन II: अपराध करने का प्रयास सदैव दंडनीय होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

268. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार इस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है कि:
(A) अपराधियों को दंडित करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
(B) राज्य प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक स्थान पर रक्षा नहीं कर सकता।
(C) प्रतिशोध लेना एक प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति है।
(D) जैसे को तैसा एक विधिक सिद्धांत है।

269. वह व्यक्ति जो अधिकार के सद्भावपूर्वक दावे के तहत संपत्ति लेता है, उसमें किस अपराध के लिए 'मेन्स रीया' की कमी होती है?
(A) लूट
(B) रिष्टि
(C) चोरी
(D) प्रवंचना

270. निम्नलिखित अभिकथन और कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन (A): पांच व्यक्ति लाठियों के साथ एक सार्वजनिक उद्यान में एकत्रित होते हैं, जिनका आशय X को पीटना है। यह एक विधिविरुद्ध सभा है।
कारण (R): पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा एक विधिविरुद्ध सभा है यदि उनका सामान्य उद्देश्य कोई अपराध करना है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

271. अपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं होता?
(A) ऊपर दिए गए सभी सूचीबद्ध अपवाद हैं।
(B) जब यह पीड़ित की सहमति से किया जाता है।
(C) जब यह गंभीर और अचानक प्रकोपन के तहत किया जाता है।
(D) जब अपराधी सद्भावपूर्वक कार्य करने वाला लोक सेवक हो।

272. 'लूट' एक सामान्य शब्द है, लेकिन बलपूर्वक संपत्ति लेने के इसके तत्व किस भारतीय दंड संहिता अपराध में पाए जाते हैं?
(A) रिष्टि
(B) लूट
(C) आपराधिक न्यासभंग
(D) प्रवंचना

273. भारतीय दंड संहिता के तहत 'पीछा करने' का अपराध किसके द्वारा किया जा सकता है:
(A) किसी भी व्यक्ति, पुरुष या महिला द्वारा।
(B) केवल एक पुरुष द्वारा महिला के विरुद्ध।
(C) केवल एक महिला द्वारा पुरुष के विरुद्ध।
(D) केवल एक लोक सेवक द्वारा।

274. A, एक कारापाल, का एक कैदी Z को भोजन देने का विधिक कर्तव्य है। A जानबूझकर भोजन देने में अवैध रूप से लोप करता है, जिसका आशय Z की मृत्यु कारित करना है। Z मर जाता है। A किसका दोषी है:

(B) चार
(C) छह
(D) पांच

229. निम्नलिखित में से कौन 'अपराध' का एक आवश्यक तत्व नहीं है?
(A) विधिक दायित्व के अधीन एक मानव।
(B) एक हानिकारक कार्य या लोप।
(C) प्रतिशोध का व्यक्तिगत प्रयोजन।
(D) एक दोषी मन।

230. आपराधिक प्रयास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. तैयारी पूर्ण होने के पश्चात यह अपराध करने की दिशा में सीधा कदम है।
2. अपराध करने का प्रत्येक प्रयास भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय है।
3. प्रयास के लिए दंड सदैव पूर्ण अपराध के लिए निर्धारित दंड का आधा होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

231. भारतीय दंड संहिता के तहत 'मानहानि' की परिभाषा में कितने अपवाद हैं?
(A) पांच
(B) आठ
(C) बारह
(D) दस

232. निम्नलिखित कार्य-कारण पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कारण: एक व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता है।
परिणाम: यदि वह व्यक्ति प्रकोपित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तो यह हत्या नहीं बल्कि अपराधिक मानव वध हो सकता है।
(A) कारण, परिणाम का परिणाम है।
(B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष विधिक परिणाम है।
(C) कारण और परिणाम असंबद्ध हैं।
(D) कारण, हत्या के लिए एक औचित्य है।

233. 'डोली कैपैक्स' का तात्पर्य है:
(A) सात वर्ष से कम आयु का बालक, जिसे अपराध करने में अक्षम माना जाता है।
(B) स्वस्थ चित्त का वयस्क, जो आपराधिक आशय के लिए पूर्णतः सक्षम है।
(C) सात से बारह वर्ष के बीच का बालक, जिसकी अपराध करने की क्षमता सिद्ध करने की आवश्यकता है।
(D) विकृतचित्त व्यक्ति, जो आपराधिक आशय के लिए अक्षम है।

234. निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं होता है?
(A) साधारण आपराधिक अतिचार
(B) लूट
(C) रात्रि में गृह-भेदन
(D) निवास गृह पर अग्नि द्वारा रिष्टि

235. महिला के विरुद्ध वह अपराध जिसमें कोई अवांछित शारीरिक संपर्क और यौन प्रकृति वाली गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, क्या कहलाता है:
(A) पीछा करना
(B) दृश्यरतिकता
(C) महिला की शालीनता का अपमान करना
(D) यौन उत्पीड़न

236. हानि या क्षति पहुँचाने के आशय से जाली दस्तावेज़ बनाने का कार्य क्या कहलाता है:
(A) प्रवंचना
(B) कूटकरण
(C) रिष्टि
(D) जबरन वसूली

237. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: सामान्य आशय घटनास्थल पर विकसित हो सकता है।
कथन II: विधिविरुद्ध सभा के गठन के समय ही सामान्य उद्देश्य का होना आवश्यक है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

238. एक गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य को विवश कर जूतों की माला पहनाना किसका अपराध है:
(A) हमला
(B) मानहानि
(C) सार्वजनिक उपद्रव
(D) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अत्याचार

239. 'लूट', जिसे बोलचाल की भाषा में यदि पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो विधिक रूप से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:
(A) डकैती
(B) लूट
(C) चोरी

286. अम्ल के उपयोग से घोर उपहति पहुँचाना किसके तहत एक विशिष्ट अपराध है:
(A) धारा 320 भारतीय दंड संहिता
(B) धारा 325 भारतीय दंड संहिता
(C) धारा 354 भारतीय दंड संहिता
(D) धारा 326A भारतीय दंड संहिता

287. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले लोक सेवक के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है।
कथन II: यह निर्बन्धन तब भी लागू होता है जब कृत्य से मृत्यु की आशंका हो।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

288. किसी कार्य को 'चोरी' मानने के लिए, संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से बाहर ले जाना चाहिए:
(A) उनकी विवक्षित सहमति के साथ।
(B) उनकी सहमति के बिना।
(C) उनकी विवशतापूर्ण सहमति के साथ।
(D) उनकी प्रवंचनापूर्ण सहमति के साथ।

289. 'A', 'B' को धमकी देता है कि वह 'B' के बालक को सदोष परिरोध में रखेगा जब तक कि 'B' एक वचन-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करता। 'B' हस्ताक्षर कर देता है। 'A' ने किया है:
(A) लूट
(B) जबरन वसूली
(C) प्रवंचना
(D) आपराधिक धमकी

290. विधिविरुद्ध सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें कम से कम पांच व्यक्ति होने चाहिए।
2. सदस्यों को अवैध सामान्य उद्देश्यों में से एक को साझा करना चाहिए।
3. बल या हिंसा का प्रयोग एक आवश्यक घटक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

291. मैकनॉटन नियम आपराधिक विधि में किस सामान्य अपवाद से संबद्ध है?
(A) शैशवावस्था
(B) मत्तता
(C) चित्तविकृति
(D) तथ्य की भूल

292. 'A', 'Z' की ओर अपनी मुट्ठी हिलाता है, यह आशय रखते हुए कि वह 'Z' को यह विश्वास दिलाए कि 'A' उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। क्या 'A' ने हमला किया है?
(A) नहीं, क्योंकि Z भयभीत नहीं था।
(B) नहीं, क्योंकि वहां कोई शारीरिक संपर्क नहीं था।
(C) हाँ, लेकिन केवल तभी जब A शारीरिक रूप से Z को क्षति पहुँचाने में सक्षम था।
(D) हाँ, क्योंकि A का कार्य एक ऐसा संकेत था जिससे आशंका होने की संभावना थी।

293. 'चोरी' और 'आपराधिक न्यासभंग' के बीच प्राथमिक अंतर है:
(A) इसमें सम्मिलित संपत्ति की प्रकृति।
(B) बल का प्रयोग।
(C) जिस रीति से अभियुक्त को कब्जा प्राप्त होता है।
(D) संपत्ति का मूल्य।

294. एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना, जबकि पत्नी की आयु अठारह वर्ष से कम न हो, वह है:
(A) बलात्कार
(B) बलात्कार नहीं
(C) यौन उत्पीड़न
(D) जारकर्म

295. निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति के विरुद्ध अपराध है?
(A) दंगा
(B) उपहति
(C) व्यपहरण
(D) डकैती

296. A, B, C और D, चार व्यक्ति, लूट करते हैं। उन्होंने कौन सा अपराध किया है?
(A) लूट
(B) चोरी
(C) डकैती
(D) विधिविरुद्ध सभा

297. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: अपराधिक मानव वध में, सदैव मृत्यु कारित करने का आशय होता है।
कथन II: अपराधिक मानव वध में, ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने का आशय हो सकता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

298. आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयास के लिए दंड कारावास है जो बढ़ सकता है:
(A) आजीवन कारावास का आधा
(B) 7 वर्ष

परंतु केवल अवैध है तब कम से कम एक पक्ष द्वारा कोई बाह्य कार्य करना अनिवार्य होता है। केवल अपराध करने के समझौते के मामले में समझौता स्वयं ही षड्यंत्र का अपराध गठित कर देता है। अतः अभिकथन पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है।

11. (D) दोषी मन या आपराधिक आशय।
मेन्स रीया आपराधिक विधि का एक आधारभूत सिद्धांत है जो अभियुक्त की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इसका तात्पर्य उस दोषी मन या दुर्भावनापूर्ण आशय से है जिसके साथ कोई निषिद्ध कार्य किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने जानबूझकर या आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन किया है। यह तत्व अपराध को आकस्मिक या निर्दोष कार्यों से पृथक करता है।

12. (B) उकसावे, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता द्वारा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध तीन मुख्य विधियों से गठित किया जा सकता है। प्रथम विधि किसी व्यक्ति को अपराध करने हेतु उकसाना है। द्वितीय विधि अपराध करने हेतु रचे गए षड्यंत्र का सहभागी बनना है। तृतीय विधि किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा अपराध को अंजाम देने में जानबूझकर सहायता प्रदान करना है। इन तीनों में से किसी भी एक तत्व की उपस्थिति दुष्प्रेरण का अपराध पूर्ण करती है।

13. (C) यह विधिविरुद्ध सभा के प्रत्येक सदस्य को अपराध के लिए प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 149 रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। यदि विधिविरुद्ध सभा का कोई सदस्य सभा के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कोई अपराध करता है तो उस सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध हेतु उत्तरदायी माना जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष भागीदारी अनिवार्य नहीं है बल्कि सदस्यता और सामान्य उद्देश्य का ज्ञान पर्याप्त है। यह धारा व्यक्तिगत कार्यों के स्थान पर सामूहिक उत्तरदायित्व को विधिक मान्यता प्रदान करती है।

14. (D) पांच
भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार डकैती के अपराध हेतु अपराधियों की न्यूनतम संख्या पांच होनी चाहिए। जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो वह अपराध डकैती के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें वे व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं जो अपराध स्थल पर सहायता प्रदान कर रहे होते हैं। अपराधियों की यह संख्या ही लूट को डकैती जैसे गंभीर अपराध में परिवर्तित करती है।

15. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
चोरी का मुख्य तत्व किसी चल संपत्ति को बेईमानी से कब्जे से हटाना है। जबरन वसूली में किसी व्यक्ति को भय दिखाकर संपत्ति देने हेतु विवश किया जाता है। लूट एक गंभीर स्थिति है जहाँ चोरी या जबरन वसूली के समय तत्काल मृत्यु या चोट का भय उत्पन्न किया जाता है। जब यही कृत्य पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है तो वह डकैती बन जाता है। यह पदानुक्रम अपराध की गंभीरता को दर्शाता है।

16. (B) धार्मिक भावना के प्रभाव में किया गया कार्य।
भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में वर्णित सामान्य अपवाद उन परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं जहाँ कृत्य अपराध नहीं माना जाता है। इसमें शैशवावस्था और सहमति से किए गए कार्यों को संरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त बड़ी हानि को रोकने हेतु किया गया कार्य भी अपवाद में सम्मिलित है। हालांकि धार्मिक भावना या विश्वास के आधार पर किया गया कोई भी अवैध कार्य विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं करता है। कानून के समक्ष ऐसे कृत्य दंडनीय अपराध ही माने जाते हैं।

17. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत परिभाषित है। यह अधिकार तब मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है जब हमले से मृत्यु या गंभीर चोट की युक्तियुक्त आशंका हो। इसके अतिरिक्त विधिक रूप से यह अधिकार उस क्षण आरम्भ हो जाता है जैसे ही शरीर पर संकट का खतरा महसूस होता है। इसके लिए वास्तविक हमले की प्रतीक्षा करना अनिवार्य नहीं है बल्कि खतरे की आशंका ही पर्याप्त आधार है।

18. (A) संपत्ति
रिष्टि का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 425 में परिभाषित है जो मुख्य रूप से संपत्ति को क्षति पहुँचाने से संबंधित है। इसमें किसी व्यक्ति का आशय संपत्ति को नष्ट करके या उसके स्वरूप में परिवर्तन करके सदोष हानि पहुँचाना होता है। यह सार्वजनिक या निजी दोनों प्रकार की संपत्तियों के विरुद्ध हो सकता है। यद्यपि इसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है परंतु विधिक वर्गीकरण के अनुसार यह संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों की श्रेणी में आता है।

19. (C) आजीवन कारावास का आधा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 511 उन अपराधों के प्रयास को दंडित करती है जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि के आधे तक के दंड से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अपराध पूर्ण न होने की स्थिति में भी अपराधी को उसके कृत्यों हेतु उत्तरदायी ठहराया जाए।

20. (B) केवल 1 और 2
आपराधिक षड्यंत्र को धारा 120A में परिभाषित किया गया है जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अवैध कार्य करने का समझौता ही अपराध का सार है। यदि समझौता किसी अपराध को करने हेतु है तो किसी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य कार्य की अनिवार्यता केवल उन समझौतों के लिए है जो स्वयं अपराध नहीं हैं परंतु अवैध हैं। अतः तीसरा कथन पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि अपराध हेतु समझौता स्वयं में दंडनीय कृत्य है।

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) एक्टस रियुस नॉन फैसिट रियुम निसी मेन्स सिट रिया।
आपराधिक न्यायशास्त्र में यह विधिक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका मूल अर्थ यह है कि मात्र शारीरिक कृत्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता है, जब तक कि उसके पीछे कोई दोषी मन या आपराधिक आशय न हो। यह सिद्धांत अपराध के दो अनिवार्य घटकों को परिभाषित करता है जिनमें एक निषिद्ध कार्य और उस कार्य को करने का विशिष्ट इरादा सम्मिलित है। विधिक दृष्टि से उत्तरदायित्व हेतु दोनों अनिवार्य हैं।

2. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। सामान्य आशय हेतु सभी प्रतिभागियों के मध्य मस्तिष्क का पूर्व मिलन होना आवश्यक है जिसका अर्थ एक पूर्व-नियोजित योजना है। हालांकि यह योजना बहुत पहले से बनी होना अनिवार्य नहीं है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार अपराध स्थल पर कृत्य करने से ठीक पूर्व भी सामान्य आशय विकसित हो सकता है। अतः दोनों कथन विधिक रूप से सत्य हैं।

3. (C) एकांत परिरोध
भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत दंड के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है जिनमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास मुख्य हैं। संपत्ति का समपहरण भी दंड की एक विशिष्ट श्रेणी है। हालांकि एकांत परिरोध का प्रावधान संहिता में विद्यमान है परंतु इसे दंड के एक स्वतंत्र प्रकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह वास्तव में सश्रम कारावास को लागू करने की एक विशिष्ट रीति या प्रक्रिया मात्र मानी जाती है।

4. (D) बिना सहमति के किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य।
भारतीय दंड संहिता की धारा 92 उन परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करती है जहाँ किसी व्यक्ति के लाभ हेतु सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता है परंतु सहमति प्राप्त करना संभव नहीं होता है। एक चिकित्सक द्वारा आपातकालीन स्थिति में बालक का जीवन बचाने हेतु बिना माता-पिता की अनुमति के की गई शल्य चिकित्सा इसी अपवाद के अंतर्गत आती है। यदि कृत्य सद्भावपूर्वक और लाभ के उद्देश्य से किया गया है तो वह दंडनीय नहीं होगा।

5. (C) किसी भी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना चल संपत्ति का लिया जाना।
भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार चोरी के अपराध के पांच मुख्य तत्व होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के विधिक कब्जे से चल संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि संपत्ति स्वामी या कब्जेधारी की सहमति के बिना हटाई जानी चाहिए। जैसे ही संपत्ति को ले जाने के उद्देश्य से स्थान से हटाया जाता है, चोरी का अपराध पूर्ण माना जाता है और दंडनीय होता है।

6. (B) संपत्ति की प्रतिरक्षा में स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने का अधिकार केवल लूट या डकैती के विरुद्ध ही विस्तारित है।
संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल लूट तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह रात्रि में गृह-भेदन और अग्नि द्वारा क्षति जैसे गंभीर मामलों में भी मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 103 उन विशिष्ट परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जहाँ संपत्ति की रक्षा हेतु हमलावर की मृत्यु कारित करना न्यायोचित ठहराया जा सकता है। अन्य विकल्प निजी प्रतिरक्षा के सामान्य सिद्धांतों का सही निरूपण करते हैं।

7. (D) मृत्यु कारित करने की संभावना या आशंका की मात्रा।
आपराधिक मानव वध और हत्या के मध्य विधिक अंतर मुख्य रूप से आशय की तीव्रता और मृत्यु होने की संभावना की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि मृत्यु होने की संभावना अत्यधिक उच्च और निश्चित होती है तो वह हत्या की श्रेणी में आता है। इसके विपरीत यदि संभावना कम होती है या केवल ज्ञान तक सीमित होती है तो वह आपराधिक मानव वध माना जाता है। यह अंतर दंड की गंभीरता को भी निर्धारित करता है।

8. (B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष परिणाम है।
दुष्प्रेरण के सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को अपराध करने हेतु उकसाता है और उस उकसावे के फलस्वरूप अपराध घटित होता है तो उकसाने वाला व्यक्ति मुख्य अपराधी के समान ही दंड का भागी होता है। यहाँ उकसाना एक विधिक कारण है और उसके फलस्वरूप होने वाला दंड उस कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम माना जाता है। भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण को एक गंभीर अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।

9. (C) धारा 354D, भारतीय दंड संहिता - पीछा करना।
भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को परिभाषित करती हैं। धारा 304B दहेज मृत्यु से संबंधित है और धारा 498A वैवाहिक क्रूरता को दंडित करती है। बलात्कार हेतु धारा 376 का प्रावधान है। हालांकि धारा 354D दृश्यरतिकता नहीं बल्कि पीछा करने के अपराध को परिभाषित करती है। दृश्यरतिकता का अपराध धारा 354C के अंतर्गत आता है जिसमें किसी महिला के निजी क्षणों को देखने या कैद करने को दंडित किया जाता है।

10. (D) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।
आपराधिक षड्यंत्र हेतु केवल अवैध कार्य का समझौता पर्याप्त नहीं होता है यदि वह कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जब समझौता किसी ऐसे कार्य हेतु होता है जो अपराध नहीं है

251. A, B और C, D को विष देने के लिए सहमत होते हैं। A विष देता है, B उसे D के गृह पहुँचाता है, और C उसे D के भोजन में मिला देता है। दुष्प्रेरक कौन है?
(A) केवल A
(B) केवल C
(C) कोई नहीं, क्योंकि वे सभी सीधे तौर पर सम्मिलित थे।
(D) A, B और C सभी षड्यंत्र के पक्षकार हैं।

252. 'सामान्य आशय' और 'समान आशय' के बीच मूलभूत अंतर है:
(A) इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या।
(B) सामान्य आशय में पूर्व-सहमति या मस्तिष्क के पूर्व मिलन की उपस्थिति।
(C) प्रयुक्त आयुध का प्रकार।
(D) कार्य का परिणाम।

253. बालक के विरुद्ध अपराध का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) योग्यता के आधार पर विद्यालय में प्रवेश से मना करना।
(B) मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बालक का उपयोग करना।
(C) माता-पिता द्वारा अपने बालक को डांटना।
(D) खिलौने को लेकर दो बालकों के बीच विवाद।

254. वह व्यक्ति जो संपत्ति पर विधिक रूप से प्रवेश करता है लेकिन डराने, अपमान करने या क्षुब्ध करने के आशय से वहां अवैध रूप से बना रहता है, किसका दोषी है:
(A) गृह-भेदन
(B) आपराधिक अतिचार
(C) रिष्टि
(D) कोई अपराध नहीं

255. निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित चरणों को उनके तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है।
2. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आरम्भ होता है।
3. खतरा समाप्त हो जाता है।
4. निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है।

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 3, 4, 1, 2

256. 'एकांत परिरोध' किस प्रकार का दंड है?
(A) धारा 53 के तहत दंड का एक पृथक प्रकार।
(B) एक रीति जिससे सश्रम कारावास के दंड को निष्पादित किया जा सकता है।
(C) न्यायालय की अवमानना के लिए दंड।
(D) महिला दोषियों के लिए विशेष दंड।

257. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: जबरन वसूली का सार संपत्ति देने के लिए बेईमानी से प्रेरित करना है।
कथन II: जबरन वसूली में संपत्ति चल या अचल दोनों हो सकती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

258. आपराधिक विधि में 'एक्टस रियुस' का तात्पर्य है:
(A) दोषपूर्ण कार्य या निषिद्ध शारीरिक कृत्य।
(B) अपराध करने का कारण।
(C) अभियुक्त की मानसिक स्थिति।
(D) अपराध को परिभाषित करने वाला विधिक प्रावधान।

259. विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त दहन या शारीरिक क्षति से महिला की मृत्यु होने को क्या माना जाता है:
(A) हत्या
(B) आत्महत्या
(C) दहेज मृत्यु
(D) अपराधिक मानव वध

260. 'मानहानि' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक मिथ्या और दुर्भावनापूर्ण कथन होना चाहिए।
2. इसे प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है तीसरे व्यक्ति को सूचित करना।
3. सार्वजनिक भलाई के लिए सत्य का लांछन एक विधिक बचाव है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

261. 'सदोष अवरोध' और 'सदोष परिरोध' के बीच अंतर यह है कि:
(A) अवरोध में शारीरिक बल सम्मिलित है, जबकि परिरोध में नहीं।
(B) परिरोध आंशिक है, जबकि अवरोध पूर्ण है।
(C) अवरोध आंशिक है, जबकि परिरोध पूर्ण है।
(D) परिरोध संपत्ति पर लागू होता है, जबकि अवरोध व्यक्तियों पर।

262. किसी अपराध के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आने के लिए पीड़ित का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है, और अपराधी को होना चाहिए:
(A) उसी समुदाय का सदस्य।
(B) वह व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।
(C) वह भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का

21. (C) एक निषिद्ध कार्य या लोप।
एक्टस रियुस आपराधिक उत्तरदायित्व का वह भौतिक तत्व है जो किसी कानून द्वारा निषिद्ध कृत्य या कर्तव्य के लोप को दर्शाता है। केवल बुरे विचार या आशय दंडनीय नहीं होते हैं जब तक कि वे किसी बाह्य कार्य के रूप में परिणत न हों। यह तत्व यह सुनिश्चित करता है कि दंड केवल उन व्यक्तियों को दिया जाए जिन्होंने वास्तव में समाज को हानि पहुँचाने वाला कोई निषिद्ध कार्य किया है या अनिवार्य विधिक कर्तव्य का पालन नहीं किया है।

22. (B) A, B के बारे में एक मानहानिकारक पत्र लिखता है और उसे C को सुनाता है।
मानहानि के अपराध हेतु प्रकाशन एक अनिवार्य तत्व है जिसका अर्थ है कि अपमानजनक कथन को पीड़ित के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी में लाना। जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को मानहानिकारक बात सुनाता है या दिखाता है तो विधिक रूप से प्रकाशन पूर्ण हो जाता है। केवल स्वयं के पास पत्र रखना या सीलबंद लिफाफे में केवल पीड़ित को भेजना प्रकाशन नहीं माना जाता है क्योंकि इससे पीड़ित की सामाजिक प्रतिष्ठा को तत्काल सार्वजनिक क्षति नहीं पहुँचती है।

23. (D) तुच्छ हानि पहुँचाने वाला कार्य।
यह विधिक सूत्र इस सिद्धांत पर आधारित है कि कानून अत्यंत छोटी या नगण्य बातों पर ध्यान नहीं देता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 95 इसी अवधारणा को समाहित करती है जिसके अनुसार यदि किसी कार्य से इतनी कम हानि होती है कि सामान्य समझ का व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा तो वह अपराध नहीं माना जाता है। यह प्रावधान न्यायालयों को तुच्छ मामलों के बोझ से बचाने और विधिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

24. (A) आवश्यक व्यक्तियों की संख्या।
धारा 34 और धारा 149 के मध्य सबसे प्राथमिक अंतर व्यक्तियों की संख्या का है। धारा 34 के तहत सामान्य आशय हेतु कम से कम दो व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक है जबकि धारा 149 के तहत सामान्य उद्देश्य हेतु कम से कम पांच व्यक्तियों की विधिविरुद्ध सभा अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त धारा 34 साक्ष्य का नियम है और कोई विशिष्ट अपराध नहीं बनाती है जबकि धारा 149 एक विशिष्ट अपराध का सृजन करती है जिसमें प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी होता है।

25. (A) 1, 2, 3, 4
किसी भी अपराध के पूर्ण होने की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में चलती है। सर्वप्रथम अपराधी के मस्तिष्क में अपराध करने का आशय उत्पन्न होता है। इसके पश्चात वह उस अपराध को अंजाम देने हेतु आवश्यक संसाधनों की तैयारी करता है। तैयारी के बाद वह वास्तविक प्रयास की दिशा में कदम बढ़ाता है। यदि प्रयास सफल रहता है तो वह चरण अपराध की पूर्णता कहलाता है। विधिक दृष्टि से सामान्यतः प्रयास और पूर्णता के चरणों को दंडनीय माना जाता है।

26. (A) सदस्यों का घातक हथियारों से लैस होना आवश्यक है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार विधिविरुद्ध सभा हेतु पांच या अधिक व्यक्तियों का होना और उनका एक सामान्य उद्देश्य होना अनिवार्य है। यह उद्देश्य कानून द्वारा निर्दिष्ट पांच विशिष्ट श्रेणियों में से एक होना चाहिए। यद्यपि घातक हथियारों से लैस होना दंड की गंभीरता को बढ़ा सकता है परंतु सभा को विधिविरुद्ध घोषित करने हेतु यह अनिवार्य शर्त नहीं है। बिना हथियारों के भी यदि उद्देश्य अवैध है तो सभा विधिविरुद्ध मानी जाएगी।

27. (C) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
विधिक रूप से अपराधिक मानव वध एक विस्तृत श्रेणी है और हत्या उसकी एक विशिष्ट प्रजाति मानी जाती है। इसका अर्थ यह है कि हत्या के प्रत्येक मामले में मानव वध के तत्व अनिवार्य रूप से विद्यमान होते हैं। हालांकि प्रत्येक अपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता है क्योंकि इसमें हत्या की तुलना में आशय की तीव्रता या मृत्यु की संभावना कम हो सकती है। अतः सभी हत्याएं मानव वध हैं परंतु सभी मानव वध हत्या की श्रेणी में नहीं आते हैं।

28. (B) संपत्ति
दोषपूर्ण बाटों और मापों का उपयोग करना मुख्य रूप से संपत्ति और व्यापारिक लेनदेन से संबंधित अपराध है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 13 में बाटों और मापों से संबंधित अपराधों का विवरण दिया गया है। जब कोई दुकानदार ग्राहक को छलने के उद्देश्य से गलत माप का प्रयोग करता है तो वह ग्राहक की संपत्ति को सदोष हानि पहुँचाता है। विधिक वर्गीकरण के अनुसार यह कृत्य समाज के विरुद्ध होने के साथ-साथ व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है।

29. (C) विधि द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
भारतीय दंड संहिता की धारा 76 के अंतर्गत उन व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त है जो विधि के आदेशों का पालन करने हेतु बाध्य हैं। एक सैनिक जो अपने वरिष्ठ अधिकारी के विधिक आदेश पर कार्य करता है वह आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है बशर्ते उसका कार्य विधि के अनुरूप हो। यदि उसने तथ्य की भूल के कारण स्वयं को विधिक रूप से बाध्य माना है तो भी उसे इस अपवाद का लाभ मिलता है। यह अनुशासन और विधिक व्यवस्था हेतु आवश्यक है।

30. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार केवल आत्मरक्षा हेतु प्रदान किया गया है न कि प्रतिशोध हेतु। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 स्पष्ट करती है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सार्वजनिक अधिकारियों या पुलिस की सहायता प्राप्त करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध है तो वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। विधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की है और व्यक्ति कानून अपने हाथ में न लें।

विधिक संरक्षण प्रदान नहीं करता है। अतः अधिकारी पूर्णतः आपराधिक उत्तरदायित्व के अधीन माना जाएगा।

71. (D) मस्तिष्क का पूर्व मिलन।
सामान्य आशय के गठन हेतु सर्वाधिक अनिवार्य शर्त सभी प्रतिभागियों के मध्य एक साझा आपराधिक योजना का होना है। इसे विधिक शब्दावली में 'मस्तिष्क का पूर्व मिलन' कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कृत्य किए जाने से पहले सभी सदस्यों के पास उस कार्य को करने का एक समान उद्देश्य और सहमति होनी चाहिए। बिना इस मानसिक तालमेल के धारा 34 के तहत संयुक्त दायित्व आरोपित नहीं किया जा सकता है। यह तत्व व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व के मध्य मुख्य विभाजनकारी कारक है।

72. (A) सात वर्ष।
भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अनुसार दहेज मृत्यु का अपराध गठित करने हेतु महिला की मृत्यु उसके विवाह की तिथि से सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए। यह समय सीमा एक विधिक उपधारणा बनाती है कि यदि ऐसी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई है और मृत्यु से पूर्व दहेज हेतु उत्पीड़न सिद्ध होता है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाएगा। यह कानून विवाहित महिलाओं की सुरक्षा और दहेज जैसी सामाजिक बुराई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अत्यंत कठोर प्रावधान करता है।

73. (C) धारा 79 - न्यायिक कार्य।
भारतीय दंड संहिता की धारा 79 उन कार्यों से संबंधित है जो तथ्य की भूल के कारण न्यायोचित माने जाते हैं। न्यायिक कार्यों हेतु संरक्षण मुख्य रूप से धारा 77 और 78 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। धारा 77 न्यायाधीशों को उनके न्यायिक कृत्यों हेतु सुरक्षा देती है जबकि धारा 78 न्यायालय के आदेशों का पालन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षित करती है। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं क्योंकि धारा 82 बालकों और धारा 84 मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को विधिक सुरक्षा प्रदान करती है।

74. (A) लूट
लूट एक ऐसा अपराध है जिसमें चोरी या जबरन वसूली के साथ हिंसा का तत्व जुड़ जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अनुसार यदि चोरी या जबरन वसूली करते समय अपराधी स्वेच्छा से मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध कारित करता है या उसका तत्काल भय उत्पन्न करता है तो वह लूट कहलाती है। यह संपत्ति के विरुद्ध एक हिंसक अपराध है। अन्य विकल्प जैसे प्रवंचना या आपराधिक न्यासभंग में बल या शारीरिक भय का सीधा प्रयोग नहीं होता है।

75. (A) 2, 1, 3, 4
भारतीय दंड संहिता में दंडों का पदानुक्रम उनकी गंभीरता के आधार पर निर्धारित है। मृत्युदंड सर्वाधिक कठोर दंड है जिसे केवल दुर्लभतम अपराधों हेतु सुरक्षित रखा गया है। इसके पश्चात आजीवन कारावास का स्थान आता है जो अपराधी को समाज से पूर्णतः अलग कर देता है। सश्रम कारावास में व्यक्ति को जेल में कठिन परिश्रम करना होता है। संपत्ति का समपहरण इन सबमें कम गंभीर माना जाता है क्योंकि यह केवल आर्थिक क्षति तक ही सीमित होता है और शारीरिक स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता है।

76. (B) अपराध करने का समझौता।
आपराधिक षड्यंत्र का मुख्य आधार दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य हुआ वह समझौता है जिसका उद्देश्य कोई अवैध कार्य करना होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अनुसार जैसे ही पक्षकार अपराध करने हेतु सहमत होते हैं, षड्यंत्र का अपराध पूर्ण माना जाता है। यहाँ अपराध का वास्तविक निष्पादन अनिवार्य नहीं है बल्कि दुर्भावनापूर्ण योजना का निर्माण ही दंडनीय है। यह प्रावधान अपराधियों को प्रारंभिक चरण में ही रोकने और बड़ी घटनाओं को विफल करने हेतु बनाया गया है।

77. (C) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
जबरन वसूली में अपराधी पीड़ित को क्षति के भय में डालकर संपत्ति प्राप्त करता है जो पूर्णतः सही है। हालांकि जबरन वसूली में क्षति पहुँचाने की धमकी का तत्काल होना अनिवार्य नहीं है; वह भविष्य के लिए भी हो सकती है। यही वह मुख्य बिंदु है जो जबरन वसूली को लूट से पृथक करता है क्योंकि लूट में भय का तत्काल होना आवश्यक शर्त है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से सत्य है परंतु द्वितीय कथन में विधिक त्रुटि विद्यमान है।

78. (B) आपराधिक अतिचार।
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के कब्जे वाली संपत्ति में इस आशय से प्रवेश करता है कि वह वहां कोई अपराध करे या संपत्ति के स्वामी को डराए या अपमानित करे तो वह आपराधिक अतिचार कहलाता है। यह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन है। यदि यही प्रवेश रात में या छिपाकर किया जाता है तो इसे प्रच्छन्न गृह-अतिचार कहा जाता है। धारा 441 इस अपराध के मूल तत्वों को परिभाषित करती है जो संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान है।

79. (A) साधारण उपहति के कार्य के विरुद्ध रक्षा करना।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के मध्य विस्तृत है। साधारण उपहति के विरुद्ध रक्षा करते समय व्यक्ति को केवल उतनी ही क्षति पहुँचाने का अधिकार है जितनी उस हमले को रोकने हेतु आवश्यक हो। इसमें हमलावर की मृत्यु कारित करना न्यायोचित नहीं माना जाता है जब तक कि हमला धारा 100 में वर्णित गंभीर श्रेणियों में न आता हो। विधि यह सुनिश्चित करती है कि आत्मरक्षा का अधिकार प्रतिशोध का साधन न बने।

80. (A) केवल 1
दुष्प्रेरण हेतु जानबूझकर सहायता प्रदान करना एक अनिवार्य घटक है। हालांकि दुष्प्रेरक का अपराध स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वह दूर रहकर भी योजना या संसाधनों के माध्यम से सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि दुष्प्रेरित कार्य नहीं भी किया जाता है तो भी दुष्प्रेरक दंड का पात्र होता है क्योंकि उकसाना स्वयं में एक अपराध है। अतः

41. (C) आपराधिक अतिचार
व्यपहरण, सदोष परिरोध और गंभीर चोट तीनों सीधे तौर पर मानव शरीर की सुरक्षा और स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं अतः इन्हें शरीर के विरुद्ध अपराध माना जाता है। इसके विपरीत आपराधिक अतिचार किसी व्यक्ति के कब्जे वाली संपत्ति में अवैध प्रवेश से संबंधित है। यद्यपि इसमें संपत्ति के स्वामी को मानसिक कष्ट हो सकता है परंतु विधिक रूप से इसे संपत्ति के विरुद्ध किए गए अपराधों के अध्याय में वर्गीकृत किया गया है। यह व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान है।

42. (A) सामीप्य नियम, जो यह निर्धारित करता है कि कृत्य अंतिम अपराध के कितना निकट है।
तैयारी और प्रयास के मध्य अंतर करना आपराधिक विधि में एक जटिल कार्य है। सामीप्य नियम का उपयोग यह देखने हेतु किया जाता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य अपराध की पूर्णता के कितना निकट पहुँच चुका है। तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति अपना मन बदल सकता है। परंतु जब कोई कृत्य अपराध की दिशा में इतना आगे बढ़ जाता है कि वह अंतिम चरण के करीब हो तो उसे प्रयास माना जाता है जो दंडनीय है।

43. (B) यह कथन असत्य है, क्योंकि अधिनियम की आवश्यकता है कि पीड़ित और अपराधी भिन्न समुदायों से हों।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का प्राथमिक उद्देश्य इन समुदायों के सदस्यों को बाहरी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। विधिक रूप से इस अधिनियम के तहत अपराध केवल तभी माना जाता है जब अपराधी उस समुदाय से बाहर का व्यक्ति हो। यदि पीड़ित और अभियुक्त दोनों ही अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हैं तो यह विशेष अधिनियम लागू नहीं होता है और मामले की सुनवाई भारतीय दंड संहिता के सामान्य प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

44. (B) यह केवल एक दीवानी दोष है और आपराधिक अपराध नहीं है।
भारत में मानहानि एक दोहरी प्रकृति का दोष है। यह अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक दीवानी दोष है जिसके लिए हर्जाना माँगा जा सकता है और साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत एक दंडनीय आपराधिक अपराध भी है। मानहानि हेतु कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान है। अतः यह कहना कि यह केवल दीवानी दोष है, विधिक रूप से गलत है। सत्य का प्रकाशन तभी बचाव है जब वह सार्वजनिक हित में और सद्भावपूर्वक किया गया हो।

45. (C) किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, षड्यंत्र में सम्मिलित होता है या सहायता करता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 108 दुष्प्रेरक को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। इसमें उकसाना, षड्यंत्र का हिस्सा बनना या जानबूझकर अपराध की सुविधा प्रदान करना सम्मिलित है। एक दुष्प्रेरक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कृत्य नहीं करता है परंतु उसकी भूमिका अपराध के घटित होने में महत्वपूर्ण होती है। विधिक रूप से दुष्प्रेरक को प्रायः मुख्य अपराधी के समान ही गंभीर दंड से दंडित किया जाता है।

46. (D) अपवाद 1
भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में हत्या की परिभाषा के साथ पांच महत्वपूर्ण अपवाद दिए गए हैं। प्रथम अपवाद अचानक और गंभीर प्रकोपन से संबंधित है। यदि कोई व्यक्ति उत्तेजना के कारण अपनी आत्म-नियंत्रण की शक्ति खो देता है और उस स्थिति में मृत्यु कारित करता है तो उसका कृत्य हत्या के स्थान पर आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है। इसका उद्देश्य मानवीय भावनाओं और तात्कालिक मानसिक स्थिति को विधिक लाभ प्रदान करना है जिससे दंड की गंभीरता कम हो जाती है।

47. (A) धारा 34 और धारा 149
संयुक्त और रचनात्मक उत्तरदायित्व के सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और 149 में प्रमुखता से पाए जाते हैं। धारा 34 कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में किए गए कार्यों हेतु सामूहिक दायित्व निर्धारित करती है। धारा 149 विधिविरुद्ध सभा के सदस्यों को सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए किसी भी अपराध हेतु उत्तरदायी बनाती है। ये दोनों धाराएं यह सुनिश्चित करती हैं कि समूह में किए गए अपराधों के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को उचित विधिक दंड प्राप्त हो।

48. (B) पांचों - A, B, C, D, और E
यह मामला संयुक्त दायित्व के सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 और डकैती के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार जब कई व्यक्ति एक साझा योजना के तहत कार्य करते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पूरे अपराध हेतु उत्तरदायी होता है। चाहे कोई व्यक्ति केवल पहरा दे रहा हो या वाहन चला रहा हो उसकी भूमिका अपराध को पूर्ण करने में सहायक मानी जाती है। डकैती जैसे गंभीर अपराध में सामूहिक उत्तरदायित्व का कड़ाई से पालन किया जाता है।

49. (B) हत्या सहित डकैती।
मृत्युदंड भारत में दंड की सर्वाधिक गंभीर श्रेणी है जो केवल दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के अनुसार यदि डकैती के दौरान अपराधियों में से कोई एक व्यक्ति भी हत्या करता है तो उस टोली के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान सामूहिक अपराध की गंभीरता और मानव जीवन के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। चोरी या साधारण व्यपहरण जैसे अपराधों हेतु सामान्यतः मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है।

50. (A) केवल 1 और 2
विधिक रूप से प्रत्येक लूट का आधार या तो चोरी होता है या जबरन वसूली। लूट तब गठित होती है जब इन कृत्यों को करते समय तत्काल मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध का भय दिखाया जाता है। हालांकि तीसरा कथन गलत है क्योंकि डकैती कहलाने हेतु अपराधियों की संख्या चार नहीं बल्कि कम से कम पांच होनी अनिवार्य है। अपराधियों की यह संख्या

ही लूट और डकैती के मध्य मुख्य विधिक विभाजन रेखा है जो दंड की गंभीरता को भी निर्धारित करती है।

51. (C) बालक की अपराध करने में अक्षमता।
डोली इन्कैपैक्स एक लैटिन विधिक अवधारणा है जिसका अर्थ है 'अपराध करने में अक्षम'। यह सिद्धांत बालक की मानसिक परिपक्वता और आपराधिक आशय बनाने की क्षमता पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 सात वर्ष से कम आयु के बालकों को पूर्ण विधिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह माना जाता है कि इतनी कम उम्र में बालक कृत्य के परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं। 7 से 12 वर्ष की आयु के बालकों हेतु यह क्षमता सिद्ध करनी होती है।

52. (C) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार पूर्णतः रक्षात्मक प्रकृति का होता है। यह अधिकार तभी तक बना रहता है जब तक शरीर पर हमले या संकट की युक्तियुक्त आशंका बनी रहती है। जैसे ही हमलावर भाग जाता है या खतरा समाप्त हो जाता है, यह अधिकार भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। विधि किसी भी व्यक्ति को प्रतिशोध लेने या स्वयं दंड देने की अनुमति नहीं देती है। संकट टलने के पश्चात हमलावर को मारना या चोट पहुँचाना विधिक रूप से अपराध माना जाएगा।

53. (C) ऐसा आचरण जिससे महिला के आत्महत्या करने या उसे गंभीर क्षति पहुँचाने की संभावना हो।
भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत क्रूरता को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें न केवल शारीरिक हिंसा सम्मिलित है बल्कि ऐसा मानसिक उत्पीड़न भी सम्मिलित है जो किसी महिला को आत्महत्या हेतु प्रेरित कर सके या उसके जीवन को खतरे में डाल सके। दहेज की अवैध मांग हेतु किया गया उत्पीड़न भी इसी श्रेणी में आता है। सामान्य घरेलू मतभेद या छोटे विवाद इस गंभीर धारा के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं।

54. (B) रिष्टि
रिष्टि का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अंतर्गत आता है। यह तब घटित होता है जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को जानबूझकर नष्ट करता है या उसके मूल्य या उपयोगिता को कम करता है। इसके पीछे का मुख्य आशय जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाना होता है। यह संपत्ति के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है जो दूसरों के अधिकारों के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है। रिष्टि में संपत्ति का पूर्ण विनाश या आंशिक क्षति दोनों ही दंडनीय माने जाते हैं।

55. (D) रात्रि में गृह-भेदन।
संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार सामान्यतः मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं होता है परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 103 कुछ असाधारण स्थितियाँ प्रदान करती है। रात्रि में गृह-भेदन एक ऐसी गंभीर परिस्थिति है जहाँ घर की सुरक्षा और निवासियों के जीवन पर बड़ा संकट हो सकता है। ऐसे मामलों में संपत्ति की रक्षा हेतु हमलावर की मृत्यु कारित करना विधिक रूप से उचित माना गया है। साधारण चोरी या अतिचार में इस सीमा तक बल प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है।

56. (A) सार्वजनिक स्थान पर मार्ग पूछने के लिए एक बार महिला से संपर्क करना।
पीछा करने या स्टॉकिंग के अपराध हेतु धारा 354D के तहत निरंतरता और महिला की स्पष्ट अरुचि के बावजूद संपर्क करने का प्रयास आवश्यक है। मार्ग पूछने हेतु एक बार किया गया सामान्य संपर्क आपराधिक आशय को नहीं दर्शाता है और न ही यह उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति महिला की मनाही के बाद भी उसका पीछा करता है या उसके इंटरनेट उपयोग की निगरानी करता है तो वह विधिक रूप से इस गंभीर अपराध का दोषी माना जाता है।

57. (C) ऐसी परिस्थितियाँ प्रदान करना जिनके तहत कोई कार्य, अन्यथा आपराधिक होने पर भी, अपराध नहीं है।
सामान्य अपवाद भारतीय दंड संहिता के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो मानवीय सीमाओं और विशेष परिस्थितियों को विधिक मान्यता देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्होंने बिना किसी आपराधिक आशय के या विवशता में कोई कृत्य किया है। इसमें दुर्घटना, तथ्य की भूल, शैशवावस्था और आत्मरक्षा जैसे आधार सम्मिलित हैं। ये अपवाद न्याय को अधिक मानवीय बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल वास्तव में दोषी व्यक्तियों को ही दंडित किया जाए।

58. (A) पांच
विधिविरुद्ध सभा के गठन हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार कम से कम पांच व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि व्यक्तियों की संख्या पांच से कम है तो उसे विधिविरुद्ध सभा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इन व्यक्तियों का एक साझा सामान्य उद्देश्य होना चाहिए जो कानून द्वारा निर्दिष्ट पांच अवैध श्रेणियों में से एक हो। यह प्रावधान समाज में व्यवस्था बनाए रखने और गैर-कानूनी समूहों की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

59. (D) हमला
भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अनुसार हमला तब घटित होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे संकेत या हाव-भाव करता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह युक्तियुक्त आशंका हो जाए कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है। मुट्ठी हिलाना या लाठी उठाना हमले का स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ शारीरिक संपर्क होना आवश्यक नहीं है बल्कि केवल भय उत्पन्न करने वाला आचरण ही पर्याप्त है। यह कृत्य व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना को आहत करता है और विधिक रूप से दंडनीय है।

60. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
आपराधिक विधि में सामान्यतः केवल अपराध का प्रयास और पूर्णता ही दंडनीय होते हैं परंतु राज्य की सुरक्षा और डकैती जैसे गंभीर मामलों में तैयारी को भी अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 399 डकैती की तैयारी को विशिष्ट रूप

से दंडित करती है क्योंकि डकैती एक सामूहिक और संगठित अपराध है जो समाज में भारी आतंक उत्पन्न करता है। अतः इसे रोकने हेतु विधिक हस्तक्षेप प्रारंभिक चरण में ही आवश्यक समझा गया है ताकि बड़ी घटना को टाला जा सके।

61. (C) चेक बुक से पृथक होने के पश्चात चेक का पन्ना।
चोरी के उद्देश्य हेतु चल संपत्ति वह है जिसे उसके स्थान से हटाया जा सके। भूमि से जुड़े वृक्ष या गृह तब तक अचल संपत्ति हैं जब तक वे भूमि से संलग्न हैं। हालांकि जैसे ही कोई वस्तु भूमि से पृथक की जाती है वह चल संपत्ति बन जाती है। चेक बुक से फाड़ा गया पन्ना एक स्वतंत्र भौतिक वस्तु है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है अतः यह विधिक रुप से चोरी का विषय हो सकता है।

62. (B) रेग बनाम गोविंदा।
अपराधिक मानव वध और हत्या के मध्य अत्यंत सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट करने हेतु 'रेग बनाम गोविंदा' का मामला एक ऐतिहासिक मिसाल माना जाता है। न्यायमूर्ति मेलविल ने इस मामले में धारा 299 और धारा 300 के विभिन्न खंडों का तुलनात्मक विश्लेषण किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य अंतर अपराधी के आशय की मात्रा और मृत्यु कारित करने की संभावना की तीव्रता में निहित है। यह निर्णय आज भी भारतीय न्यायालयों में इन दो अपराधों के मध्य विधिक सीमा निर्धारित करने का आधार है।

63. (A) यह विधि द्वारा निषिद्ध होना चाहिए और सरकार द्वारा दंड के अधीन होना चाहिए।
विधिक दृष्टिकोण से प्रत्येक अनैतिक कार्य अपराध नहीं होता है। किसी कृत्य को अपराध तभी माना जाता है जब वह देश की प्रचलित विधि द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध हो और उसके उल्लंघन हेतु सरकार द्वारा दंड का प्रावधान किया गया हो। अपराध मुख्य रूप से समाज और राज्य के विरुद्ध एक दोष माना जाता है जिसके लिए अभियोजन की शक्ति सरकार के पास होती है। केवल हिंसा या निजी क्षति ही अपराध के निर्धारण का एकमात्र पैमाना नहीं होती है।

64. (A) सार्वजनिक न्याय।
किसी अपराधी को दंड से बचाने हेतु उसे आश्रय देना या छिपाना सार्वजनिक न्याय के प्रशासन के विरुद्ध एक गंभीर अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के अंतर्गत अपराधियों को संश्रय देना दंडनीय है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी कानून की गिरफ्त से भाग न सकें और न्याय की प्रक्रिया बाधित न हो। यहाँ अपराध का मुख्य केंद्र बिंदु न्याय व्यवस्था में बाधा पहुँचाना है न कि किसी व्यक्ति या संपत्ति को प्रत्यक्ष क्षति पहुँचाना।

65. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
धारा 34 सामान्य आशय के सिद्धांत को परिभाषित करती है जबकि धारा 120A आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। धारा 149 विधिविरुद्ध सभा के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है। धारा 511 अपराधों के प्रयास हेतु दंड का सामान्य प्रावधान करती है। ये सभी धाराएं भारतीय दंड संहिता की आधारभूत संरचना का हिस्सा हैं जो विभिन्न आपराधिक स्थितियों में व्यक्तियों के विधिक दायित्व और दंड की मात्रा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

66. (A) ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।
भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अनुसार आपराधिक मानव वध तब घटित होता है जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी क्षति पहुँचाने के आशय से कार्य करता है जिससे मृत्यु की संभावना हो। इसमें कृत्य के संभावित परिणामों का ज्ञान भी सम्मिलित है। यह अपराध हत्या से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें मृत्यु की निश्चितता की तुलना में संभावना का तत्व प्रधान होता है। यह मानव जीवन के विरुद्ध एक गंभीर विधिक श्रेणी का अपराध है।

67. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
चोरी के विरुद्ध संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अत्यंत गतिशील होता है। यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी संपत्ति के साथ दृश्य होता है या जब तक संपत्ति वापस प्राप्त नहीं हो जाती है। यदि अपराधी सफलतापूर्वक संपत्ति लेकर भाग जाता है और स्थिति शांत हो जाती है तो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति केवल विधिक अधिकारियों की सहायता ले सकता है और स्वयं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है।

68. (D) मत्तता।
भारतीय दंड संहिता की धारा 85 और 86 मत्तता के आधार पर बचाव प्रदान करती हैं। यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या जानकारी के बिना नशीला पदार्थ दिया गया है और उस कारण वह अपने कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्वैच्छिक मत्तता सामान्यतः कोई बचाव नहीं है क्योंकि व्यक्ति ने जानबूझकर स्वयं को उस स्थिति में डाला होता है। विधिक सुरक्षा केवल अनैच्छिक मत्तता के मामलों तक ही सीमित है।

69. (C) किसी बालक को सार्वजनिक उद्यान में प्रवेश से रोकना।
संकटमय नियोजन में बालकों को लगाना और यौन हमले जैसे कृत्य पॉक्सो और बाल श्रम निषेध अधिनियम जैसे विशिष्ट कानूनों के तहत गंभीर अपराध हैं। बालकों का विक्रय या क्रय करना भी मानवाधिकारों का उल्लंघन और दंडनीय कृत्य है। इसके विपरीत किसी सार्वजनिक उद्यान में प्रवेश से रोकना एक नागरिक अधिकार का मामला हो सकता है परंतु इसे बालकों के विरुद्ध किए जाने वाले विशिष्ट विधिक अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

70. (B) A ने उपहति या गंभीर चोट पहुँचाने का अपराध किया है।
विधिक व्यवस्था में किसी भी पुलिस अधिकारी को अपराध स्वीकार करवाने हेतु बल प्रयोग या प्रताड़ना का अधिकार नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 330 और 331 विशेष रूप से उन लोक सेवकों को दंडित करती है जो जबरन संस्वीकृति प्राप्त करने हेतु उपहति या गंभीर चोट कारित करते हैं। कर्तव्य पालन का आधार ऐसे अवैध और अमानवीय कृत्यों हेतु कोई

शर्त नहीं है। बिना हथियारों के भी यदि पांच व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती ही मानी जाएगी।

110. (B) केवल 3
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार असीमित या पूर्ण नहीं है बल्कि यह विधिक निर्बन्धनों के अधीन है। धारा 99 स्पष्ट करती है कि यदि पीड़ित के पास पुलिस या अन्य लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध है तो वह निजी प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकता है। विधि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नागरिक केवल अत्यंत आपातकालीन और तत्काल संकट की स्थिति में ही स्वयं बल प्रयोग करें। अन्य विकल्प भ्रामक हैं क्योंकि यह अधिकार स्वयं और दूसरों दोनों हेतु उपलब्ध है।

111. (A) संपत्ति का आरम्भिक रूप से लिया जाना।
चोरी में अपराधी का आशय प्रारंभ से ही बेईमानीपूर्ण होता है और वह संपत्ति को स्वामी के कब्जे से अवैध रूप से हटाता है। इसके विपरीत आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति का आरम्भिक कब्जा निर्दोष या आकस्मिक हो सकता है (जैसे रास्ते में गिरा हुआ बटुआ मिलना)। अपराध तब घटित होता है जब वह व्यक्ति बाद में उस संपत्ति को बेईमानी से अपने उपयोग हेतु परिवर्तित कर लेता है। अतः कब्जे के आरम्भ की प्रकृति ही इन दोनों अपराधों के मध्य विधिक विभाजन रेखा निर्धारित करती है।

112. (B) आवश्यकता।
आवश्यकता का सिद्धांत 'दो बुराइयों में से छोटी बुराई' को चुनने की विधिक मान्यता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अनुसार यदि कोई कार्य किसी आसन्न बड़ी हानि को रोकने हेतु सद्भावपूर्वक किया जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। यहाँ कर्ता का कोई आपराधिक आशय नहीं होता है बल्कि उसका उद्देश्य अधिक लोगों या बड़ी संपत्ति की रक्षा करना होता है। यह बचाव केवल तभी मिलता है जब हानि को टालने का कोई अन्य उपाय उपलब्ध न हो।

113. (B) हाँ, A दुष्प्रेरण का दोषी है।
दुष्प्रेरण का अपराध स्वयं में एक स्वतंत्र और पूर्ण अपराध है जो मुख्य अपराध के निष्पादन पर निर्भर नहीं करता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे को अपराध हेतु उकसाता है तो उसने दुष्प्रेरण का अपराध कर दिया है चाहे दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने से स्पष्ट इनकार कर दे। उकसाने वाले व्यक्ति का आपराधिक आशय और उसका कृत्य ही उसे विधिक उत्तरदायित्व के अधीन लाने हेतु पर्याप्त आधार माना जाता है।

114. (A) धारा 509
भारतीय दंड संहिता की धारा 509 विशेष रूप से उन कृत्यों को दंडित करती है जो किसी महिला की लज्जा या शालीनता का अपमान करने हेतु किए जाते हैं। इसमें अपमानजनक शब्द कहना, आवाज़ें निकालना, अश्लील हाव-भाव करना या किसी वस्तु का प्रदर्शन करना सम्मिलित है। यह धारा महिलाओं की गरिमा और सम्मान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बनाई गई है। धारा 354 जहाँ शारीरिक बल के प्रयोग से संबंधित है वहीं धारा 509 मुख्य रूप से मौखिक और सांकेतिक अपमान को संबोधित करती है।

115. (C) विधिविरुद्ध सभा।
जब पांच या अधिक व्यक्ति किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करने या उसे उसकी संपत्ति से बलपूर्वक हटाने के सामान्य उद्देश्य के साथ एकत्रित होते हैं तो वे विधिविरुद्ध सभा का गठन करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अंतर्गत ऐसे समूह की सदस्यता स्वयं में एक अपराध है। यहाँ व्यक्तियों की संख्या और उनका अवैध साझा उद्देश्य विधिक उत्तरदायित्व का आधार है। यह प्रावधान शांति भंग होने की संभावना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है।

116. (D) यह पीड़ित द्वारा आरोपित किया जाता है, न कि सरकार द्वारा।
आपराधिक न्याय प्रणाली में दंड आरोपित करने का अनन्य अधिकार केवल सरकार और न्यायपालिका के पास होता है। पीड़ित व्यक्ति केवल सूचना प्रदाता या शिकायतकर्ता की भूमिका निभाता है परंतु वह स्वयं अपराधी को दंडित नहीं कर सकता है। दंड का मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना, समाज की सुरक्षा और अपराधी का सुधार करना है। कारावास या जुर्माना जैसे दंड सरकार की शक्ति के माध्यम से विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ही दिए जा सकते हैं जो निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

117. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
मानहानि के संबंध में यह समझना आवश्यक है कि यह केवल नागरिक क्षति तक ही सीमित नहीं है। भारतीय कानून में इसे दंडनीय अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 मानहानि की परिभाषा और उसके लिए दंड का स्पष्ट प्रावधान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने के आशय से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो उसे कारावास भी हो सकता है। अतः इसे केवल दीवानी दोष मानना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

118. (B) चोरी करने के प्रयास।
विधिक रूप से जब कोई व्यक्ति अपराध करने के आशय से उसकी दिशा में कोई प्रत्यक्ष कार्य करता है तो वह प्रयास की श्रेणी में आता है। भले ही जेब खाली होने के कारण चोरी का कार्य पूर्ण न हो सका हो परंतु अपराधी ने चोरी करने का स्पष्ट प्रयास किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के अंतर्गत वह इस कृत्य हेतु दंडनीय होगा। प्रयास के मामलों में कृत्य की विफलता अपराधी के दायित्व को समाप्त नहीं करती है क्योंकि उसका आपराधिक मन और कृत्य सिद्ध हो चुके हैं।

119. (D) लोक सेवकों का विधिक प्राधिकार।
लोक सेवकों को उनके विधिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सुरक्षा प्रदान करना सरकार का अनिवार्य उत्तरदायित्व है। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 10 में लोक सेवकों के विधिक प्राधिकार की अवमानना से संबंधित अपराधों का उल्लेख है। यदि कोई व्यक्ति बल प्रयोग कर किसी अधिकारी को अपना कार्य करने से रोकता है तो वह न केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध

केवल प्रथम कथन विधिक रूप से पूर्णतः सत्य है जबकि अन्य दो कथन विधिक त्रुटियों से युक्त हैं।

81. (B) हानि पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रकाशित एक सत्य कथन।
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार सत्य का प्रकाशन मानहानि के विरुद्ध एक पूर्ण बचाव तभी होता है जब वह सार्वजनिक हित के लिए और सद्भावपूर्वक किया गया हो। यदि किसी सत्य कथन को प्रकाशित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना या उसे हानि पहुँचाना है तो वह मानहानि माना जा सकता है। विधिक अपवादों में सद्भाव और सार्वजनिक भलाई का तत्व होना अत्यंत अनिवार्य है ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न हो।

82. (A) एक कार्य या लोप जिसे विधि सरकार की ओर से दंडित करती है।
अपराध केवल एक व्यक्तिगत चोट नहीं है बल्कि यह संपूर्ण समाज और राज्य के विरुद्ध एक गंभीर दोष माना जाता है। इसकी मुख्य पहचान यह है कि यह प्रचलित कानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध होता है और इसके उल्लंघन पर सरकार द्वारा दंड आरोपित किया जाता है। अपराधों का अभियोजन सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में किया जाता है। यह अनैतिकता से भिन्न है क्योंकि समाज में कई अनैतिक कार्य हो सकते हैं परंतु वे तब तक अपराध नहीं हैं जब तक विधि उन्हें दंडनीय न बनाए।

83. (B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष विधिक परिणाम है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 391 डकैती की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करती है। जब पांच या अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से लूट करते हैं तो विधिक दृष्टि से उस कृत्य का नाम स्वतः ही डकैती हो जाता है। यहाँ अपराधियों की संख्या ही वह कारण है जो अपराध के विधिक स्वरूप को बदल देती है। अतः परिणाम सीधे तौर पर कानून में दी गई परिभाषा और संख्यात्मक शर्त का विधिक परिणाम है। यह वर्गीकरण सामूहिक अपराधों को अधिक गंभीरता से दंडित करने हेतु आवश्यक है।

84. (D) X हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि गोली चलाने का कार्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में नहीं था।
धारा 149 के तहत दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब किया गया अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक हो या सदस्यों को उसकी संभावना का ज्ञान हो। यदि सभा का उद्देश्य केवल चोट पहुँचाना था और किसी सदस्य ने अचानक अपनी व्यक्तिगत इच्छा से गोली चला दी तो अन्य सदस्य हत्या हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। सामूहिक दायित्व की सीमा सामान्य उद्देश्य की सीमाओं से बंधी होती है और उसके बाहर के व्यक्तिगत कृत्यों हेतु सभी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

85. (C) सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति के सदस्य के शरीर से विवश कर वस्त्र उतारना।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत मानहानिकारक और अपमानजनक कृत्य अत्याचार की श्रेणी में आते हैं। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करना या उसके आत्मसम्मान को गंभीर ठेस पहुँचाना इस विशेष कानून के तहत दंडनीय है। सामान्य व्यापारिक विवाद या निजी हमले जो जातिगत घृणा से प्रेरित नहीं हैं वे इस अधिनियम के बजाय सामान्य दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं। यह कानून इन समुदायों की मानवीय गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करता है।

86. (B) आजीवन निर्वासन।
ऐतिहासिक रूप से आजीवन निर्वासन या काला पानी का दंड ब्रिटिश शासन काल में प्रचलित था जहाँ अपराधियों को मुख्य भूमि से दूर द्वीपों पर भेज दिया जाता था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात विधिक सुधारों के माध्यम से इस अमानवीय दंड को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुख्य रूप से मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (सश्रम या साधारण), संपत्ति का समपहरण और जुर्माने जैसे दंडों को ही मान्यता प्राप्त है जो आधुनिक न्याय प्रणाली के अनुरूप हैं।

87. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2, कथन 1 को नकारता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 309 आज भी आत्महत्या के प्रयास को एक दंडनीय अपराध मानती है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 115 एक महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। यह मानती है कि ऐसा प्रयास करने वाला व्यक्ति अत्यधिक मानसिक तनाव में होता है और उसे दंड के बजाय उपचार की आवश्यकता है। यह आधुनिक विधिक दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है जिससे धारा 309 का प्रभाव व्यावहारिक रूप से काफी कम हो गया है।

88. (A) धारा 34, भारतीय दंड संहिता।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सामान्य आशय के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार यदि कई व्यक्तियों द्वारा साझा योजना या सामान्य आशय को पूरा करने हेतु कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार उत्तरदायी होता है जैसे कि उसने वह कार्य अकेले किया हो। यह धारा संयुक्त दायित्व का एक महत्वपूर्ण विधिक उपकरण है जो अपराधियों को समूह में छिपने से रोकती है। यह साक्ष्य का नियम है जो सामूहिक कृत्यों में व्यक्तिगत भूमिका के निर्धारण में सहायक है।

89. (C) तथ्य की भूल।
भारतीय दंड संहिता की धारा 76 और 79 तथ्य की भूल के आधार पर बचाव प्रदान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक जांच करने के पश्चात तथ्य की गलती के कारण किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी समझकर बंदी बनाता है तो उसे विधिक संरक्षण प्राप्त होता है। यह आवश्यक है कि भूल तथ्य की हो न कि कानून की क्योंकि कानून की अनभिज्ञता कोई क्षमा नहीं है। यहाँ अधिकारी का आशय विधि सम्मत कार्य करना था अतः उसे अपराधी नहीं माना जाएगा।

31. (A) एक महिला की गोपनीयता।
दृश्यरतिकता भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। यह विशेष रूप से किसी महिला की गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला को देखता है या उसकी छवि कैद करता है जो निजी परिस्थितियों में संलग्न है और यह मानती है कि उसे कोई देख नहीं रहा है तो वह इस अपराध का दोषी होता है। यह महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा और निजता की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है।

32. (B) अपराधियों की संख्या पांच या अधिक होना।
विधिक परिभाषा के अनुसार लूट और डकैती के मध्य मुख्य अंतर केवल अपराधियों की संख्या का है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के तहत जब पांच या अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो वह डकैती कहलाती है। लूट के सभी अनिवार्य तत्व डकैती में विद्यमान होते हैं परंतु अपराधियों की यह विशिष्ट संख्या ही कृत्य को अधिक गंभीर और सामूहिक अपराध की श्रेणी में लाती है जिससे दंड की मात्रा बढ़ जाती है।

33. (B) धारा 378 भारतीय दंड संहिता - चोरी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी के अपराध को सटीकता से परिभाषित करती है। अन्य विकल्पों में दी गई धाराएं गलत सुमेलित हैं क्योंकि धारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती है जबकि धारा 300 हत्या से संबंधित है। इसी प्रकार धारा 425 रिष्टि के अपराध का विवरण देती है न कि लूट का। विधिक अध्ययन में धाराओं और उनके द्वारा परिभाषित अपराधों का सही मिलान अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह दंड की विधिक प्रक्रिया और प्रावधानों का आधार बनता है।

34. (A) हत्या
इस परिस्थिति में अंतरित आशय का सिद्धांत लागू होता है। यद्यपि अभियुक्त का उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करना था परंतु उसके कार्य के परिणामस्वरूप किसी अन्य निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई। विधिक रूप से अपराधी का आपराधिक आशय मृत्यु कारित करने का ही था अतः वह हत्या के अपराध हेतु पूर्णतः उत्तरदायी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 301 ऐसे मामलों में अभियुक्त को उसी प्रकार दंडित करने का प्रावधान करती है जैसे मूल शिकार की मृत्यु पर होता।

35. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
एक्टस रियुस अपराध के भौतिक पक्ष को दर्शाता है जिसे दोषी कृत्य कहा जाता है। मेन्स रीया अभियुक्त की मानसिक स्थिति या दोषी मन को इंगित करता है। दुष्प्रेरण का अर्थ किसी व्यक्ति को अपराध करने हेतु उकसाना या सहायता देना है। षड्यंत्र दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अवैध कार्य करने के समझौते को परिभाषित करता है। ये चारों तत्व आपराधिक विधि के आधारभूत स्तंभ हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति के विधिक उत्तरदायित्व का निर्धारण न्यायालयों द्वारा निष्पक्षता से किया जाता है।

36. (D) 7 वर्ष से कम आयु का बालक आपराधिक दायित्व से पूर्णतः मुक्त है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 82 पूर्णतः अक्षमता के सिद्धांत को अपनाती है। इसके अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता है। विधि यह मानती है कि इस आयु के बालक में सही और गलत के मध्य अंतर करने हेतु आवश्यक मानसिक परिपक्वता का पूर्ण अभाव होता है। अतः उन्हें अपराध करने में अक्षम माना जाता है। यह सुरक्षा बिना किसी शर्त के प्रदान की जाती है।

37. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
चोरी और जबरन वसूली संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले दो पृथक अपराध हैं। चोरी में संपत्ति स्वामी की जानकारी या सहमति के बिना बेईमानी से हटाई जाती है। इसके विपरीत जबरन वसूली में अपराधी पीड़ित को जानबूझकर क्षति के भय में डालता है जिससे पीड़ित स्वयं अपनी संपत्ति सौंपने हेतु विवश हो जाता है। दोनों ही मामलों में अपराधी का उद्देश्य अवैध लाभ प्राप्त करना होता है परंतु कृत्य को अंजाम देने की विधिक पद्धति और तत्व भिन्न होते हैं।

38. (B) सदोष परिरोध
सदोष परिरोध का अर्थ किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर इस प्रकार रोकना है कि वह उन सीमाओं के बाहर न जा सके। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण उल्लंघन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को अवैध रूप से ऐसी सीमाओं में कैद करता है जहाँ उसे जाने का विधिक अधिकार है तो वह इस अपराध का दोषी होता है। यह सदोष अवरोध से अधिक गंभीर है क्योंकि इसमें गति की स्वतंत्रता पूर्णतः बाधित होती है।

39. (D) जबरन वसूली
जबरन वसूली में केवल शारीरिक क्षति का भय ही सम्मिलित नहीं है बल्कि इसमें किसी भी प्रकार की हानि या दैवीय अप्रसन्नता का भय दिखाना भी सम्मिलित है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को इस विश्वास के साथ डराता है कि संपत्ति न देने पर वह ईश्वरीय दंड का पात्र बनेगा तो यह विधिक रूप से जबरन वसूली की श्रेणी में आता है। यहाँ पीड़ित का इच्छा विरुद्ध संपत्ति देना भय का परिणाम होता है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 383 दंडनीय बनाती है।

40. (A) धारा 84
भारतीय दंड संहिता की धारा 84 मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बचाव प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता के कारण अपने कार्य की प्रकृति या उसके अवैध होने को समझने में असमर्थ है तो उसे अपराधी नहीं माना जाता है। इसे विधिक विकृतचित्तता कहा जाता है। न्यायालय यह देखता है कि क्या अपराध के समय अभियुक्त के पास अपनी क्रियाओं के परिणामों को आंकने की तार्किक क्षमता थी। यदि मानसिक अक्षमता सिद्ध हो जाती है तो दंड से मुक्ति मिलती है।

100. (D) सार्वजनिक शांति और धर्म।
किसी धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना स्थलों को क्षति पहुँचाना भारतीय दंड संहिता के अध्याय 15 के अंतर्गत एक विशिष्ट अपराध है। यद्यपि इसमें संपत्ति का विनाश होता है परंतु इसका मुख्य प्रभाव समाज की धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक सौहार्द पर पड़ता है। धारा 295 ऐसे कृत्यों को दंडित करती है जो विभिन्न समुदायों के मध्य घृणा उत्पन्न कर सकते हैं। अतः विधिक रूप से इसे संपत्ति के बजाय धर्म और सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

101. (C) हस्तक्षेप करना और हानिकारक कार्य के पूर्ण होने को रोकना।
प्रयास को दंडित करने का मुख्य विधिक उद्देश्य संभावित अपराधों को उनके अंतिम चरण में रोकना और समाज को होने वाली वास्तविक हानि से बचाना है। विधि केवल बुरे विचारों को दंडित नहीं करती है परंतु जब कोई व्यक्ति उन विचारों को कार्यरूप देने की दिशा में अग्रसर होता है तो सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। यह निवारक सिद्धांत पर आधारित है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अपराधी कृत्य को पूर्ण करने के जोखिम से पहले ही दंडित किया जा सके।

102. (B) इसके लिए सदोष हानि या क्षति पहुँचाने का आशय, या यह ज्ञान कि इसकी संभावना है, आवश्यक है।
रिष्टि का अपराध गठित करने हेतु संपत्ति के स्वामित्व की प्रकृति (सरकारी या निजी) अनिवार्य नहीं है बल्कि अपराधी का आशय महत्वपूर्ण है। इसमें अग्नि का प्रयोग एक गंभीर रूप हो सकता है परंतु यह प्रत्येक मामले में आवश्यक नहीं है। मुख्य तत्व यह है कि अपराधी जानबूझकर संपत्ति के मूल्य या उपयोगिता को नष्ट करने का प्रयास करता है जिससे किसी व्यक्ति को आर्थिक या भौतिक हानि होती है। यह कृत्य संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की श्रेणी में आता है।

103. (D) अपराध में प्रयुक्त या उससे अर्जित विशिष्ट संपत्ति की जब्ती।
संपत्ति का समपहरण एक ऐसा दंड है जिसके तहत सरकार अपराधी की वह संपत्ति जब्त कर लेती है जो अपराध करने हेतु प्रयुक्त की गई थी या जो अपराध के फलस्वरूप अवैध रूप से प्राप्त की गई थी। यह केवल आर्थिक दंड नहीं है बल्कि अपराधी के संसाधनों को समाप्त करने की एक विधिक प्रक्रिया है। यह दंड मुख्य रूप से उन अपराधों में दिया जाता है जहाँ संपत्ति का बड़ा आर्थिक मूल्य शामिल हो या जहाँ अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो।

104. (A) सदोष अवरोध
भारतीय दंड संहिता की धारा 339 के अनुसार सदोष अवरोध तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को स्वेच्छा से उस दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है जहाँ उसे जाने का विधिक अधिकार है। इसमें व्यक्ति की गति को केवल एक निश्चित दिशा में ही बाधित किया जाता है न कि उसे चारों ओर से घेरा जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक छोटा उल्लंघन माना जाता है। यदि मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो यह दंडनीय कृत्य होगा।

105. (C) न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुपालन में किया गया कार्य।
भारतीय दंड संहिता की धारा 78 उन व्यक्तियों को पूर्ण विधिक संरक्षण प्रदान करती है जो न्यायालय के वैध आदेश के निष्पादन में कोई कार्य करते हैं। एक जल्लाद का कार्य इसी श्रेणी में आता है क्योंकि वह न्यायपालिका द्वारा दिए गए दंड को क्रियान्वित कर रहा होता है। यद्यपि यह कृत्य सामान्य परिस्थितियों में हत्या माना जाता परंतु विधिक आदेश की उपस्थिति इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखती है। यह न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली हेतु अपरिहार्य है।

106. (A) धारा 326A
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से भारतीय दंड संहिता में धारा 326A और 326B जोड़ी गई थी। धारा 326A विशेष रूप से एसिड फेंकने या एसिड के उपयोग से किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुँचाने को दंडित करती है। यह एक गैर-जमानती और गंभीर अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह प्रावधान पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक कष्ट को देखते हुए और समाज में ऐसे जघन्य कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।

107. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
आपराधिक मानव वध भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत परिभाषित है। यह अपराध दो मुख्य मानसिक स्थितियों में घटित हो सकता है। प्रथम स्थिति मृत्यु कारित करने का प्रत्यक्ष आशय है। द्वितीय स्थिति वह है जहाँ व्यक्ति मृत्यु कारित करने का आशय तो नहीं रखता परंतु उसे इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि उसके कृत्य से मृत्यु होने की प्रबल संभावना है। ये दोनों स्थितियाँ कृत्य को विधिक रूप से अपराधिक मानव वध की श्रेणी में लाती हैं और दंडनीय बनाती हैं।

108. (B) तथ्य की अनभिज्ञता एक बचाव है, लेकिन विधि की अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है।
यह विधिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने देश की विधि से पूर्णतः अवगत हो। यदि कोई कानून तोड़ता है तो वह यह तर्क नहीं दे सकता कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी। हालांकि यदि अपराध तथ्य की किसी ऐसी भूल के कारण हुआ है जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं पहचान सकता था तो उसे बचाव मिल सकता है। यह नियम विधिक व्यवस्था में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक माना जाता है।

109. (C) कम से कम एक व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र का उपयोग।
डकैती के अपराध हेतु विधिक रूप से अपराधियों की संख्या और उनके सामूहिक कृत्य लूट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित होना डकैती हेतु अनिवार्य घटक है। आग्नेयास्त्र या किसी अन्य हथियार का उपयोग दंड की गंभीरता को बढ़ा सकता है परंतु यह अपराध के गठन हेतु कोई अनिवार्य

90. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
आपराधिक न्यायशास्त्र में अपराधिक मानव वध एक व्यापक वर्ग है जिसके भीतर हत्या एक विशिष्ट प्रजाति के रुप में आती है। प्रत्येक हत्या अनिवार्य रुप से मानव वध होती है क्योंकि इसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे की मृत्यु कारित की जाती है। हालांकि प्रत्येक मानव वध हत्या नहीं होता है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में आशय की कमी या विधिक अपवादों के कारण उसे कम गंभीर माना जाता है। यह संबंध हत्या और मानव वध के मध्य विधिक वर्गीकरण को स्पष्ट करता है।

91. (D) किसी बड़ी हानि से बचने के लिए किया गया कार्य।
आवश्यकता का बचाव भारतीय दंड संहिता की धारा 81 पर आधारित है। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि दो बुराइयों में से छोटी बुराई को चुनना न्यायोचित है। यदि कोई व्यक्ति किसी बड़ी और अपरिहार्य हानि को रोकने हेतु बिना किसी आपराधिक आशय के कोई छोटा अपराध करता है तो उसे विधिक सुरक्षा मिल सकती है। उदाहरण हेतु किसी घर की आग को अन्य घरों में फैलने से रोकने हेतु बीच के घर को नष्ट करना इसी श्रेणी में आता है।

92. (B) जब दुष्प्रेरक सफलतापूर्वक मुख्य अपराधी को उकसाता है या उसकी सहायता करता है।
दुष्प्रेरण का अपराध मुख्य अपराध के घटित होने पर निर्भर नहीं करता है। विधिक दृष्टि से यह अपराध उसी क्षण पूर्ण हो जाता है जैसे ही दुष्प्रेरक द्वारा उकसाने, षड्यंत्र रचने या सहायता प्रदान करने का कार्य सफलतापूर्वक कर दिया जाता है। चाहे मुख्य अपराधी उस कार्य को करने से मना कर दे या कार्य सफल न हो, दुष्प्रेरक अपने कृत्यों हेतु विधिक रुप से उत्तरदायी बना रहता है। यह प्रावधान अपराधों को बढ़ावा देने वाली प्रारंभिक गतिविधियों को रोकने हेतु प्रभावी है।

93. (C) संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग।
आपराधिक दुर्विनियोग तब घटित होता है जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति निर्दोष रुप से प्राप्त होती है परंतु वह बाद में उसे बेईमानी से अपने उपयोग हेतु रख लेता है। चोरी में संपत्ति को शुरु से ही बेईमानी से हटाया जाता है जबकि यहाँ आरम्भिक कब्जा वैध या आकस्मिक हो सकता है। यदि अंगूठी पाने वाला व्यक्ति उसके वास्तविक स्वामी को खोजने का उचित प्रयास किए बिना उसे अपनी मान लेता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के तहत दोषी माना जाता है।

94. (D) स्वयं और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति के लिए।
भारतीय दंड संहिता की धारा 97 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को व्यापक विस्तार प्रदान करती है। यह अधिकार न केवल अपनी रक्षा हेतु है बल्कि यह समाज के किसी भी अन्य व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा हेतु भी उपलब्ध है। विधि प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा करती है कि वह संकट के समय दूसरों की सहायता करे। अतः किसी अजनबी पर हो रहे हमले को रोकना या उसकी संपत्ति को लूटने से बचाना विधिक रुप से न्यायोचित और सराहनीय कार्य माना जाता है।

95. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
सामान्य आशय में साझा योजना के अनुसार कृत्य में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। सामान्य उद्देश्य हेतु केवल विधिविरुद्ध सभा का सदस्य होना ही दायित्व हेतु पर्याप्त है। दुष्प्रेरण में किसी अन्य व्यक्ति को अपराध हेतु उकसाना या सहायता करना प्रमुख तत्व है। षड्यंत्र दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य अवैध कार्य हेतु हुए समझौते को दर्शाता है। ये विधिक अवधारणाएं सामूहिक अपराधों के विभिन्न रुपों को परिभाषित करती हैं जिनसे अपराधियों के दायित्व और दंड की सीमा तय की जाती है।

96. (B) दहेज की मांग।
दहेज मृत्यु के अपराध हेतु धारा 304B के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व महिला को दहेज की मांग के संबंध में शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी गई हो। केवल सामान्य घरेलू कलह या चरित्र पर आरोप इस विशिष्ट श्रेणी में नहीं आते हैं। कानून यह मानता है कि यदि दहेज हेतु उत्पीड़न के साक्ष्य मिलते हैं तो मृत्यु को संदिग्ध माना जाएगा। यह प्रावधान महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर सामाजिक अपराधों को रोकने हेतु अत्यंत कठोर साक्ष्य नियम प्रस्तुत करता है।

97. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
धारा 34 के तहत दायित्व हेतु सभी अभियुक्तों का अपराध स्थल पर शारीरिक रुप से उपस्थित होना सदैव अनिवार्य नहीं है। विधिक रुप से रचनात्मक उपस्थिति के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूर रहकर भी अपराध की प्रक्रिया में सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है (जैसे पहरा देना) तो उसे सामूहिक उत्तरदायित्व के अधीन माना जाएगा। अतः प्रथम कथन विधिक रुप से अपूर्ण है जबकि द्वितीय कथन न्यायपालिका द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप सत्य है।

98. (A) अश्लील उद्देश्यों के लिए बालक का उपयोग करना।
यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) विशेष रुप से बालकों के विरुद्ध होने वाले यौन शोषण को रोकने हेतु निर्मित किया गया है। अश्लील सामग्री के निर्माण या प्रसार हेतु बालकों का उपयोग करना इस अधिनियम के तहत एक अत्यंत गंभीर और दंडनीय अपराध है। भिक्षावृत्ति या शिक्षा का अभाव अन्य बाल कल्याण कानूनों के अंतर्गत आ सकते हैं परंतु पॉक्सो का मुख्य केंद्र बिंदु बालकों को यौन हिंसा और अश्लीलता से बचाना है जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास सुरक्षित रहे।

99. (C) क्षति के भय या तथ्य की गलतफहमी के तहत।
विधिक रुप से मान्य सहमति स्वतंत्र और स्वैच्छिक होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अनुसार यदि सहमति क्षति के भय से या किसी भ्रम के कारण दी गई है तो उसे विधिक सहमति नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त अल्पायु बालकों या मानसिक रुप से अस्वस्थ व्यक्तियों द्वारा दी गई सहमति भी अमान्य होती है। सहमति का बचाव तभी प्राप्त होता है जब वह पूर्णतः सूचित और दबावमुक्त हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि निर्बल व्यक्तियों का विधिक शोषण न हो सके।

बल्कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध करता है। यह प्रावधान सुचारु शासन संचालन और विधिक व्यवस्था की गरिमा हेतु आवश्यक है।

120. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
आत्मरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत कुछ गंभीर स्थितियों में मृत्यु कारित करने की अनुमति देता है। यदि किसी व्यक्ति पर ऐसा हमला होता है जिससे उसे अपनी मृत्यु या गंभीर चोट होने की उचित आशंका हो तो वह हमलावर की जान ले सकता है। विधिक तर्क यह है कि व्यक्ति को स्वयं की रक्षा का पूर्ण अधिकार है जब सरकार की तत्काल सहायता उपलब्ध न हो। अभिकथन और कारण दोनों इस विधिक सिद्धांत को सटीकता से स्पष्ट करते हैं।

121. (C) एक्टस रियुस और मेन्स रीया।
आपराधिक विधि का मूल मंत्र यह है कि दंड हेतु एक भौतिक कृत्य और एक मानसिक आशय दोनों का मिलन आवश्यक है। एक्टस रियुस वह कृत्य है जिसे कानून ने मना किया है जबकि मेन्स रीया उस कार्य को करने के पीछे का दोषी मन है। इन दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में व्यक्ति को सामान्यतः अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि निर्दोष भूल या अनैच्छिक कृत्यों हेतु किसी को अनुचित दंड न मिले और केवल वास्तविक अपराधियों को ही सजा दी जाए।

122. (A) जाति के आधार पर सार्वजनिक भोजनालय में प्रवेश से वंचित करना।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता के विरुद्ध एक सशक्त विधिक साधन है। सार्वजनिक स्थानों जैसे भोजनालयों, जल स्रोतों या मंदिरों में जातिगत आधार पर प्रवेश रोकना इस अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अत्याचार माना जाता है। सामान्य व्यापारिक या दीवानी वाद इस कानून के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। यह प्रावधान सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और प्रत्येक नागरिक को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है।

123. (D) यह अपने आप में एक मूल अपराध है।
धारा 34 भारतीय दंड संहिता का एक साक्ष्य संबंधी प्रावधान है जो संयुक्त उत्तरदायित्व के नियम को प्रतिपादित करता है। यह स्वयं में कोई विशिष्ट अपराध नहीं बनाती है बल्कि इसे अन्य मूल अपराधों (जैसे हत्या या डकैती) के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि यदि अपराध सामूहिक रूप से किया गया है तो प्रत्येक प्रतिभागी को उसके साझा आशय हेतु उत्तरदायी ठहराया जा सके। यह धारा अभियोजन पक्ष को सामूहिक अपराधों को सिद्ध करने में विधिक सहायता प्रदान करती है।

124. (B) किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसे अतिचारी को बाहर निकालने का अधिकार है।
प्रच्छन्न गृह-अतिचार का अर्थ है किसी घर में चोरी-छिपे प्रवेश करना। विधिक रूप से यह अपराध तब बनता है जब अपराधी अपने प्रवेश या उपस्थिति को उन व्यक्तियों से छिपाने का प्रयास करता है जो उसे वहां से बाहर निकालने या उसे रोकने का विधिक अधिकार रखते हैं। इसमें घर का स्वामी, सुरक्षाकर्मी या कोई भी विधिक कब्जेदार सम्मिलित हो सकता है। यदि यही कृत्य रात के समय किया जाता है तो इसे अधिक गंभीर माना जाता है और दंड की मात्रा बढ़ जाती है।

125. (A) P-1, Q-2, R-3, S-4
मेन्स रीया का मूल सिद्धांत यह है कि केवल कृत्य ही किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि आशय दोषी न हो। डोली इन्कैपैक्स उन बालकों को संदर्भित करता है जो अपनी कम आयु के कारण आपराधिक आशय बनाने में अक्षम होते हैं। डी मिनिमिस का सिद्धांत तुच्छ या नगण्य हानियों को दंड से मुक्त रखता है। एक्टस रियुस अपराध के भौतिक पक्ष या निषिद्ध कार्य को परिभाषित करता है। ये लैटिन सूत्र वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली के आधार स्तंभ माने जाते हैं जो विधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं।

126. (D) कोई अपराध नहीं, क्योंकि संसूचना सद्भावपूर्वक की गई थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के अनुसार किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना या जानकारी अपराध नहीं है यदि वह उस व्यक्ति के लाभ हेतु दी गई हो। एक चिकित्सक का विधिक और नैतिक कर्तव्य है कि वह रोगी को उसकी स्थिति से अवगत कराए। यदि संसूचना पूर्णतः व्यावसायिक ईमानदारी और सद्भाव के साथ दी गई है और उससे होने वाले सदमे से मृत्यु हो जाती है तो चिकित्सक को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यहाँ किसी आपराधिक आशय का पूर्ण अभाव है।

127. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कारावास के दो मुख्य रूप हैं। साधारण कारावास में दोषी को जेल में रखा जाता है परंतु उससे कोई कठिन शारीरिक श्रम नहीं कराया जाता है। इसके विपरीत सश्रम कारावास में दोषी को कारावास के दौरान निर्धारित कठिन परिश्रम या कार्य करने होते हैं। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए न्यायालय यह निर्धारित करता है कि दोषी को किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। दोनों कथन इन श्रेणियों की विधिक परिभाषा को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

128. (B) बालकों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता के अपराधों से बचाना।
पॉक्सो अधिनियम 2012 बालकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक विशेष विधान है। इसका मुख्य लक्ष्य बालकों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के मामलों में त्वरित और संवेदनशील न्याय सुनिश्चित करना है। यह कानून बालक की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के रूप में करता है और लिंग

मानव वध माना जाता है। सहमति केवल तुच्छ क्षतियों या चिकित्सा उपचारों हेतु प्रभावी होती है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे समाप्त करने हेतु दी गई सहमति विधिक रूप से शून्य मानी जाती है।

187. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
दुष्प्रेरण के दो मुख्य प्रकार षड्यंत्र और उकसावा हैं। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हेतु साझा योजना और उस दिशा में कोई प्रत्यक्ष कृत्य होना अनिवार्य है। उकसावे में अपराधी का सक्रिय व्यवहार जैसे परामर्श देना या प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण होता है जिससे प्रेरित होकर दूसरा व्यक्ति अपराध करता है। दोनों ही स्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि दुष्प्रेरक ने मुख्य अपराध के घटित होने में मानसिक या भौतिक भूमिका निभाई है। अतः दोनों कथन दुष्प्रेरण के इन विधिक रूपों को सटीकता के साथ परिभाषित करते हैं।

188. (B) ऐसा कार्य करने का षड्यंत्र जो अपराध नहीं है, लेकिन अवैध है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के परंतुक के अनुसार यदि षड्यंत्र किसी ऐसे कार्य को करने हेतु है जो स्वयं में कोई अपराध नहीं है (परंतु अवैध है) तो केवल समझौता पर्याप्त नहीं है। ऐसे मामलों में उत्तरदायित्व हेतु कम से कम एक षड्यंत्रकारी द्वारा उस समझौते के अग्रसरण में कोई बाह्य कार्य करना अनिवार्य है। इसके विपरीत यदि षड्यंत्र किसी अपराध को अंजाम देने हेतु है तो केवल मानसिक सहमति ही दंड हेतु पर्याप्त मानी जाती है। यह सूक्ष्म अंतर विधिक उत्तरदायित्व की सीमा तय करता है।

189. (C) चल संपत्ति।
चोरी का अपराध विधिक रूप से केवल चल संपत्ति के विरुद्ध ही किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार संपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे उसके स्थान से विस्थापित किया जा सके। अचल संपत्ति जैसे भूमि या भवन की चोरी नहीं हो सकती यद्यपि उनके विरुद्ध अतिचार या रिष्टि जैसे अपराध हो सकते हैं। हालांकि यदि अचल संपत्ति का कोई भाग भूमि से पृथक कर दिया जाता है तो वह तुरंत चल संपत्ति बन जाता है और चोरी का विषय हो सकता है।

190. (D) सार्वजनिक निंदा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 53 उन दंडों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें न्यायालय अपराधियों पर आरोपित कर सकते हैं। इसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (सश्रम और साधारण), संपत्ति का समपहरण और जुर्माना सम्मिलित हैं। सार्वजनिक निंदा यद्यपि एक सामाजिक प्रभाव डाल सकती है परंतु इसे भारतीय कानून के अंतर्गत एक विधिक दंड के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। दंड केवल वही हो सकते हैं जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंधित हों ताकि न्याय की प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहे।

191. (A) A दुष्प्रेरण के लिए वैसे ही उत्तरदायी है जैसे कि कार्य किया गया हो।
दुष्प्रेरण का विधिक उत्तरदायित्व दुष्प्रेरित व्यक्ति की अपराध करने की क्षमता या उसके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर नहीं करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी बालक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को उकसाता है तो वह दुष्प्रेरण के दंड का भागी होता है चाहे वह कृत्य वास्तव में घटित हुआ हो या नहीं। दुष्प्रेरक का अपना आपराधिक आशय ही उसके दंड का मुख्य आधार है। यह प्रावधान निर्बल व्यक्तियों के आपराधिक दुरुपयोग को रोकने हेतु बनाया गया है।

192. (D) कठोर दायित्व के अपराध।
सामान्यतः अपराध हेतु मेन्स रीया या दोषी मन अनिवार्य है परंतु कठोर दायित्व के मामलों में यह नियम शिथिल हो जाता है। ऐसे अपराधों में केवल निषिद्ध कृत्य का होना ही दंड हेतु पर्याप्त है चाहे अभियुक्त का आशय कुछ भी रहा हो। यह विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और खाद्य अपमिश्रण जैसे विधिक क्षेत्रों में लागू होता है जहाँ समाज का हित व्यक्तिगत आशय से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ अभियुक्त का अज्ञान या भूल उसे विधिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करती है।

193. (B) सार्वजनिक स्थान पर लड़ने वाले दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होती हो।
भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अनुसार दंगा तब घटित होता है जब दो या अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर आपस में लड़कर शांति भंग करते हैं। इसके लिए तीन अनिवार्य तत्व हैं: कम से कम दो व्यक्तियों की भागीदारी, लड़ाई का स्थान सार्वजनिक होना और उसके परिणामस्वरूप जनता में शांति भंग होना। निजी स्थान पर होने वाली लड़ाई को दंगा नहीं माना जाता है। यह अपराध मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था और सामुदायिक शांति की रक्षा के उद्देश्य से परिभाषित किया गया है।

194. (A) उपहति
भारतीय दंड संहिता की धारा 319 उपहति को परिभाषित करती है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को शारीरिक पीड़ा, कोई रोग या कोई शारीरिक दुर्बलता कारित करता है तो उसे उपहति पहुँचाना कहा जाता है। यह हमला या प्रहार से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें वास्तविक शारीरिक क्षति या पीड़ा का होना अनिवार्य है। उपहति मानव शरीर के विरुद्ध किया जाने वाला एक प्राथमिक अपराध है जो गंभीर चोट की तुलना में कम गंभीर प्रकृति का होता है परंतु दंडनीय है।

195. (A) 1, 2, 3, 4
भारतीय दंड संहिता की संरचना एक तार्किक क्रम का अनुसरण करती है। संहिता के आरम्भ में साधारण स्पष्टीकरण (अध्याय 2) दिए गए हैं जो विभिन्न विधिक शब्दों को परिभाषित करते हैं। इसके पश्चात दंड के सामान्य प्रावधान (अध्याय 3) आते हैं। फिर साधारण अपवादों (अध्याय 4) का विवरण है जो विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद दुष्प्रेरण (अध्याय 5) और अन्य विशिष्ट अपराधों का वर्णन आरम्भ होता है। यह व्यवस्थित

138. (A) मानहानि
मानहानि केवल जीवित व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह किसी कंपनी, संघ या व्यक्तियों के समूह की प्रतिष्ठा के विरुद्ध भी की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का स्पष्टीकरण 2 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई लांछन किसी समूह या निगम की छवि को धूमिल करता है तो वह मानहानि की श्रेणी में आएगा। विधिक रूप से एक संस्था की साख उसकी व्यावसायिक और सामाजिक सफलता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होती है अतः कानून इसकी सुरक्षा हेतु दंड का प्रावधान करता है।

139. (D) कार्य साधारण क्षति पहुँचाने के आशय से किया गया हो।
हत्या के अपराध हेतु आशय की तीव्रता अत्यंत उच्च होनी चाहिए। साधारण क्षति पहुँचाने का आशय कृत्य को हत्या की श्रेणी में नहीं ला सकता है क्योंकि इसमें मृत्यु कारित करने का न तो इरादा होता है और न ही वैसी संभावना। हत्या हेतु या तो मृत्यु का प्रत्यक्ष आशय होना चाहिए या ऐसी क्षति का आशय जिससे मृत्यु होने की प्रबल संभावना हो। साधारण क्षति पहुँचाना केवल 'उपहति' माना जाता है जो मानव जीवन की समाप्ति के उद्देश्य से किया गया कृत्य नहीं है।

140. (D) 1, 2 और 3
ये तीनों कथन भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण सामान्य अपवादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 7 से 12 वर्ष के बालकों हेतु विधिक उत्तरदायित्व उनकी मानसिक समझ पर निर्भर करता है। विधि द्वारा बाध्यता और तथ्य की भूल के तहत किए गए कार्यों को सद्भाव के आधार पर छूट प्राप्त है। इसी प्रकार यदि कोई विधिक कार्य करते समय अप्रत्याशित दुर्घटना हो जाती है जिसमें कोई आपराधिक लापरवाही न हो तो वह दंडनीय नहीं है। ये प्रावधान न्याय को संतुलित और व्यवहारिक बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

141. (C) विवशता।
यह लैटिन सूत्र विवशता या दबाव के विधिक सिद्धांत का आधार है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को शारीरिक शक्ति या मृत्यु के भय के माध्यम से कोई कार्य करने हेतु विवश किया जाता है तो वह कार्य वास्तव में उसकी अपनी इच्छा का परिणाम नहीं होता है। आपराधिक कानून में उत्तरदायित्व हेतु स्वैच्छिक कृत्य अनिवार्य है। अतः यदि कृत्य पूर्णतः अनैच्छिक और बाहरी दबाव के अधीन है तो व्यक्ति को उस कृत्य हेतु विधिक रूप से अपराधी नहीं माना जा सकता है।

142. (D) स्वयं अपराध के लिए उपबंधित दंड से।
भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अनुसार यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप अपराध घटित होता है और उस दुष्प्रेरण के दंड हेतु कोई पृथक प्रावधान नहीं दिया गया है तो दुष्प्रेरक को वही दंड दिया जाएगा जो उस मुख्य अपराध हेतु निर्धारित है। विधि यह मानती है कि अपराध को उकसाने वाला व्यक्ति मुख्य अपराधी के समान ही समाज हेतु घातक है। यह कठोर प्रावधान उन व्यक्तियों को हतोत्साहित करने हेतु है जो स्वयं सामने आए बिना दूसरों के माध्यम से अपराध करवाते हैं।

143. (A) अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अपराध - धारा 302
धारा 302 भारतीय दंड संहिता में हत्या के दंड हेतु प्रावधान करती है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध विशिष्ट अत्याचारों को रोकने हेतु एक पृथक विशेष अधिनियम 1989 बना हुआ है। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं क्योंकि धारा 354D पीछा करने को संबोधित करती है और पॉक्सो बाल संरक्षण हेतु है। चोरी हेतु धारा 378 का प्रयोग होता है। विधिक रूप से विशेष कानूनों का अपना पृथक कार्यक्षेत्र और महत्व होता है।

144. (B) रिष्टि
जब कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि वह किसी अन्य की संपत्ति को क्षति पहुँचाए या उसके मूल्य को कम करे तो वह रिष्टि का अपराध होता है। खेत में पशुओं को जानबूझकर घुसाना फसल को नष्ट करने का एक तरीका है जिससे स्वामी को आर्थिक हानि होती है। यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अंतर्गत दंडनीय है। यहाँ मुख्य तत्व सदोष हानि पहुँचाने का आशय और संपत्ति की उपयोगिता को आघात पहुँचाना है जो इसे संपत्ति के विरुद्ध एक अपराध बनाता है।

145. (B) नहीं, क्योंकि वह बल प्रयोग से पूर्व ही चला गया था।
बलवा का अपराध तभी गठित होता है जब विधिविरुद्ध सभा का कोई सदस्य वास्तविक रूप से बल या हिंसा का प्रयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति हिंसा आरम्भ होने से पूर्व ही सभा को छोड़ देता है तो उसे बलवा हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता यद्यपि वह विधिविरुद्ध सभा की सदस्यता हेतु दोषी हो सकता है। बलवा के उत्तरदायित्व हेतु अपराध के समय सभा का सदस्य बने रहना और हिंसात्मक कृत्य का होना अनिवार्य है। अतः यहाँ A का भागना उसे हिंसा के दायित्व से मुक्त करता है।

146. (A) जबरन वसूली
जबरन वसूली का मूल तत्व किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालकर बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अनुसार यदि भय के कारण पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपनी संपत्ति अपराधी को सौंप देता है तो वह जबरन वसूली कहलाती है। यह चोरी से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें पीड़ित की सहमति (यद्यपि भयपूर्ण) प्राप्त की जाती है। प्रवंचना में छल का प्रयोग होता है जबकि यहाँ भय ही संपत्ति प्राप्त करने का मुख्य विधिक और भौतिक साधन है।

147. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उस क्षण आरम्भ हो जाता है जब संपत्ति पर संकट की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है। इसके लिए वास्तविक हानि होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। यह अधिकार तब तक प्रभावी रहता है जब तक अपराधी या तो संपत्ति के साथ भाग रहा होता है या जब तक सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं हो जाती है। ये दोनों कथन भारतीय दंड संहिता की धारा 105 में दिए गए सिद्धांतों का सही और विधिक वर्णन करते हैं जो व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

उत्तरदायित्व का आधार बनती है। धारा 120A के अंतर्गत अवैध कार्य करने का केवल समझौता ही षड्यंत्र को पूर्ण कर देता है यदि वह किसी अपराध को करने हेतु है। अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि पक्षों के मध्य मानसिक सहमति थी और उनका उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना था। अतः दोनों कथन षड्यंत्र की विधिक प्रकृति और साक्ष्य की आवश्यकताओं को सही ढंग से स्पष्ट करते हैं।

168. (A) 5 व्यक्ति।
भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत प्रतिनिधिक दायित्व लागू करने हेतु प्रथम अनिवार्य शर्त एक विधिविरुद्ध सभा की उपस्थिति है। धारा 141 के अनुसार किसी भी सभा को विधिविरुद्ध घोषित करने हेतु उसमें कम से कम पांच व्यक्तियों का होना विधिक रूप से आवश्यक है। यदि यह संख्या पांच से कम है तो सामूहिक उत्तरदायित्व का यह विशिष्ट सिद्धांत लागू नहीं होगा। अपराधियों की यह न्यूनतम संख्या ही कृत्य को व्यक्तिगत अपराध से सामूहिक अपराध की श्रेणी में परिवर्तित करती है।

169. (C) चोरी करने के उद्देश्य से या संपत्ति को ले जाने में प्रयुक्त।
विधिक रूप से लूट तब गठित होती है जब चोरी या जबरन वसूली के साथ हिंसा का तत्काल संबंध होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अनुसार हिंसा या भय का प्रयोग या तो चोरी को अंजाम देने हेतु, या उसे करते समय, अथवा चोरी की गई संपत्ति को लेकर भागने के दौरान किया जाना चाहिए। यदि हिंसा का कृत्य चोरी की प्रक्रिया से पूरी तरह असंबद्ध है या बहुत समय बाद होता है तो उसे लूट नहीं माना जाएगा। कृत्य और हिंसा के मध्य सामीप्य अनिवार्य है।

170. (A) केवल 1 और 2
दुष्प्रेरण के विधिक सिद्धांतों के अनुसार षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हेतु केवल समझौता पर्याप्त नहीं है बल्कि उस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कोई बाह्य कार्य होना अनिवार्य है। इसी प्रकार जानबूझकर सहायता देना भी दुष्प्रेरण का एक मान्य रूप है। हालांकि तीसरा कथन गलत है क्योंकि केवल सहायता करने का मानसिक आशय पर्याप्त नहीं है जब तक कि वह वास्तव में किसी कार्य या लोप के माध्यम से मुख्य अपराध में सहायक न हो। विधिक रूप से सहायक कृत्य दंडनीय है।

171. (D) हत्या और अपराधिक मानव वध।
अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत हत्या के मामलों में एक महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य साक्ष्य माना जाता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि मृतक और अभियुक्त को मृत्यु से ठीक पहले एक साथ देखा गया था और उनके मध्य समय का अंतराल इतना कम है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तक्षेप संभव नहीं था तो न्यायालय अभियुक्त से स्पष्टीकरण की अपेक्षा करता है। यह सिद्धांत प्रत्यक्ष साक्ष्यों के अभाव में न्याय करने हेतु अत्यंत उपयोगी है जो मुख्य रूप से मानव वध और हत्या के गंभीर मुकदमों में लागू होता है।

172. (B) व्यपहरण
डकैती, जबरन वसूली और आपराधिक न्यासभंग तीनों का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की संपत्ति या आर्थिक हितों को अवैध रूप से क्षति पहुँचाना या प्राप्त करना है अतः ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं। व्यपहरण का सीधा संबंध व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा से है जहाँ उसे उसकी इच्छा के बिना या विधिक संरक्षक के बिना कहीं ले जाया जाता है। विधिक वर्गीकरण के अनुसार व्यपहरण को मानव शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के अध्याय में रखा गया है।

173. (C) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की तैयारी।
आपराधिक विधि में सामान्यतः तैयारी दंडनीय नहीं होती है परंतु राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित अत्यंत गंभीर मामलों में इसे अपवाद स्वरूप दंडनीय बनाया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने हेतु हथियार या पुरुष एकत्रित करना स्वयं में एक जघन्य अपराध है। इसी प्रकार डकैती की तैयारी (धारा 399) भी दंडनीय है। ये अपवाद यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था पर होने वाले बड़े खतरों को उनके आरम्भ में ही रोका जा सके।

174. (D) प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के तहत कड़े निर्बन्धनों के अधीन है। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को केवल उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना उस विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अनिवार्य हो। यदि हमलावर को बिना चोट पहुँचाए भगाया जा सकता है तो उसे मारना या गंभीर चोट पहुँचाना विधिक रूप से उचित नहीं होगा। बल का प्रयोग सदैव आनुपातिक होना चाहिए और रक्षा की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।

175. (A) संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग।
भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति बिना किसी आपराधिक कृत्य के प्राप्त होती है परंतु वह बाद में उसे बेईमानी से अपने उपयोग हेतु रख लेता है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग है। भले ही स्वामी अज्ञात हो, व्यक्ति का विधिक दायित्व है कि वह उसे सार्वजनिक अधिकारियों को सौंपे या स्वामी को खोजने का उचित प्रयास करे। तुरंत अपने निजी स्वार्थ हेतु संपत्ति का उपयोग कर लेना अपराधी के बेईमानीपूर्ण आशय को सिद्ध करता है।

176. (B) संपत्ति का लिया जाना।
चोरी का मुख्य विधिक तत्व संपत्ति को उसके स्थान से हटाना या लेना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी चल संपत्ति को स्वामी के कब्जे से बाहर ले जाने हेतु उसे स्थान से हटाता है, चोरी का अपराध घटित हो जाता है। यहाँ संपत्ति का पूर्ण विनाश या लंबे समय तक रखना अनिवार्य नहीं है। केवल स्थान से विस्थापित करना और उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास ही चोरी की विधिक परिभाषा को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त है।

158. (D) यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।
पॉक्सो अधिनियम 2012 बाल पोर्नोग्राफी और बालकों के विरुद्ध होने वाले यौन कृत्यों के प्रसार को रोकने हेतु कड़े प्रावधान करता है। धारा 14 और 15 विशेष रूप से अश्लील सामग्री के निर्माण और संग्रहण हेतु दंड का उल्लेख करती हैं। यह कानून बालकों की गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करता है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से होने वाले उनके शोषण को रोकने हेतु व्यापक विधिक तंत्र प्रदान करता है। अन्य कानून भी प्रासंगिक हो सकते हैं परंतु यह पॉक्सो का मुख्य और विशिष्ट कार्यक्षेत्र है।

159. (A) मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने के लिए, शल्य चिकित्सा जैसे विशिष्ट मामलों को छोड़कर।
सहमति का बचाव असीमित नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 से 89 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी मृत्यु कारित करने या उसे गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचाने की विधिक सहमति नहीं दे सकता है। अपवाद केवल सद्भावपूर्वक की गई शल्य चिकित्सा या चिकित्सा उपचार हैं जहाँ रोगी का जीवन बचाना मुख्य उद्देश्य होता है। खेलों या सामान्य कृत्यों में होने वाली मामूली चोट हेतु सहमति मान्य है परंतु मानव जीवन को समाप्त करने हेतु यह कोई विधिक आधार नहीं है।

160. (B) पूर्व-नियोजित योजना।
धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का अर्थ केवल एक जैसा विचार होना नहीं है बल्कि इसमें मस्तिष्क का पूर्व मिलन सम्मिलित है। इसका तात्पर्य यह है कि अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों ने कृत्य से पूर्व एक साझा योजना बनाई थी और वे सभी उस योजना को सफल बनाने हेतु सहमत थे। यह योजना अपराध स्थल पर कृत्य के तुरंत पहले भी बन सकती है परंतु इसमें समन्वय और सहमति का तत्व होना अनिवार्य है। यही तत्व व्यक्तियों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाता है।

161. (B) विधि द्वारा न्यायोचित ठहराए गए व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
भारतीय दंड संहिता की धारा 76 और 79 उन कार्यों को संरक्षण प्रदान करती हैं जिन्हें कोई व्यक्ति विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन करता है। एक पुलिस अधिकारी को संगीन अपराध के मामले में बिना वारंट के गिरफ्तार करने की विधिक शक्ति प्राप्त है। यदि वह उचित विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी अपराधी को पकड़ता है तो उसका कृत्य पूर्णतः न्यायोचित है। यहाँ अधिकारी का कृत्य किसी आपराधिक आशय से प्रेरित नहीं बल्कि कानून के क्रियान्वयन हेतु किया गया एक कर्तव्य है।

162. (A) मेन्स रीया या आशय/ज्ञान की उच्च मात्रा।
हत्या और आपराधिक मानव वध के मध्य प्राथमिक विधिक अंतर अभियुक्त की मानसिक स्थिति और कृत्य के संभावित परिणाम की निश्चितता पर आधारित है। हत्या में अपराधी का आशय मृत्यु कारित करने का अत्यंत प्रबल होता है या उसे इस बात का निश्चित ज्ञान होता है कि उसका कार्य अनिवार्य रूप से मृत्यु का कारण बनेगा। आपराधिक मानव वध में यह आशय या ज्ञान कम तीव्र होता है और मृत्यु केवल एक संभावना मानी जाती है। यह सूक्ष्म अंतर ही दंड की अवधि और स्वरुप को निर्धारित करता है।

163. (C) अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित न होने वाले व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध।
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का प्रयोग केवल तभी संभव है जब पीड़ित पक्ष अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य हो और अभियुक्त पक्ष इन समुदायों से बाहर का हो। यह विशेष कानून ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने और शक्ति के असंतुलन को रोकने हेतु बनाया गया है। यदि दोनों पक्ष एक ही समुदाय से हैं तो कृत्य को अत्याचार नहीं माना जाएगा और उस पर सामान्य भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू होंगे। यह अधिनियम समुदायों के मध्य विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

164. (D) जबरन वसूली
जबरन वसूली का अपराध तब घटित होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को भविष्य में होने वाली क्षति या मानहानि के भय में डालकर उसे धन या संपत्ति देने हेतु विवश करता है। यहाँ पीड़ित का कृत्य भय का प्रत्यक्ष परिणाम है। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अंतर्गत मानहानिकारक लेख प्रकाशित करने की धमकी देकर लाभ प्राप्त करना स्पष्ट रूप से जबरन वसूली है। यद्यपि इसमें मानहानि का तत्व है परंतु मुख्य आपराधिक उद्देश्य भय के माध्यम से संपत्ति का अवैध हस्तांतरण प्राप्त करना है।

165. (C) केवल कार्य किसी को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि कोई दोषी मन न हो।
यह विधिक सूत्र आपराधिक कानून की आत्मा माना जाता है जो एक्टस रियुस और मेन्स रीया के संतुलन पर जोर देता है। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका को केवल बाह्य कृत्य के आधार पर दंड नहीं देना चाहिए बल्कि अपराधी के आंतरिक आशय की भी गहन जांच करनी चाहिए। यदि कोई कार्य अनजाने में, बिना किसी बुरे इरादे के या आकस्मिक रूप से हुआ है तो वह व्यक्ति दंड का पात्र नहीं है। यह सिद्धांत निर्दोष व्यक्तियों को विधिक कठोरता से बचाने हेतु अनिवार्य है।

166. (B) शैशवावस्था के अपवाद के कारण किसी भी अपराध का दोषी नहीं है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अनुसार 7 से 12 वर्ष की आयु के बालकों हेतु विधिक उत्तरदायित्व उनकी समझ की परिपक्वता पर निर्भर करता है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बालक इतना परिपक्व नहीं था कि वह अपने कृत्य की प्रकृति और परिणामों को समझ सके तो उसे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। चूंकि यहाँ बालक में पर्याप्त परिपक्वता का अभाव बताया गया है अतः वह किसी भी आपराधिक दंड हेतु उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। यह कानून बालकों के प्रति सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाता है।

167. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
आपराधिक षड्यंत्र एक ऐसा अपराध है जहाँ दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य साझा आपराधिक योजना ही विधिक

148. (D) देश की विधि (अधिनियम और दंड संहिता)
आधुनिक न्याय प्रणाली में अपराध पूर्णतः विधि द्वारा निर्मित अवधारणा है। कोई भी कार्य कितना ही अनैतिक या सामाजिक रूप से निंदनीय क्यों न हो उसे तब तक अपराध नहीं माना जा सकता जब तक कि वह देश की संसद द्वारा पारित किसी कानून या दंड संहिता में स्पष्ट रूप से परिभाषित न हो। बिना कानून के कोई अपराध नहीं हो सकता, यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि विधिक संहिताएं ही अपराध की पहचान और दंड का एकमात्र विधिक स्रोत हैं।

149. (A) व्यक्ति की आयु और सहमति का तत्व।
व्यपहरण और अपहरण के मध्य मुख्य विधिक अंतर आयु और सहमति पर आधारित है। व्यपहरण में सामान्यतः नाबालिगों (पुरुष 16 और महिला 18 से कम) या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को उनके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना शामिल है जहाँ पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक है। अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है जिसमें बल, छल या प्रलोभन का प्रयोग अनिवार्य है। व्यपहरण एक निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है जबकि अपहरण में निरंतरता होती है।

150. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
धारा 149 सामूहिक उत्तरदायित्व का एक कठोर प्रावधान है जो विधिविरुद्ध सभा के सदस्यों के मध्य विधिक एकता स्थापित करता है। यदि सभा का कोई भी सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई अपराध करता है तो सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध हेतु दोषी माना जाता है। यहाँ रचनात्मक दायित्व का अर्थ यह है कि व्यक्ति ने स्वयं अपराध न किया हो तब भी उसे कृत्य हेतु उत्तरदायी माना जाएगा क्योंकि वह उस समूह का हिस्सा था जिसका उद्देश्य अवैध था।

151. (D) यह सामान्यतः दंडनीय नहीं है।
आपराधिक विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार केवल अपराध की तैयारी दंडनीय नहीं होती है क्योंकि इस चरण पर व्यक्ति के पास अपना इरादा बदलने और अपराध न करने का अवसर होता है। दंड केवल तब शुरू होता है जब व्यक्ति तैयारी के बाद वास्तविक प्रयास की दिशा में कदम उठाता है। हत्या की तैयारी को भारतीय दंड संहिता में विशिष्ट रूप से दंडनीय नहीं बनाया गया है बशर्ते वह डकैती या राज्य के विरुद्ध युद्ध जैसी कुछ विशेष श्रेणियों में न आती हो।

152. (A) सभी डकैत हत्या के लिए उत्तरदायी हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 396 एक अत्यंत कठोर प्रतिनिधिक दायित्व का प्रावधान करती है। यदि पांच या अधिक व्यक्तियों द्वारा की जा रही डकैती के दौरान उनमें से कोई भी एक सदस्य हत्या करता है तो उस समूह का प्रत्येक सदस्य हत्या के अपराध हेतु समान रूप से उत्तरदायी माना जाएगा। यहाँ व्यक्तिगत भूमिका गौण हो जाती है और सामूहिक भागीदारी ही दंड का मुख्य आधार बनती है। यह डकैती जैसे हिंसक सामूहिक अपराधों के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

153. (C) गृह-भेदन।
भारतीय दंड संहिता की धारा 345 गृह-भेदन को परिभाषित करती है। जब कोई व्यक्ति किसी घर में प्रवेश करने हेतु ऐसे रास्तों का उपयोग करता है जो सामान्यतः प्रवेश हेतु नहीं बने हैं (जैसे खिड़की, दीवार फाँदना या सुरंग बनाना) तो वह गृह-भेदन का दोषी होता है। यह साधारण आपराधिक अतिचार का एक गंभीर और हिंसक रूप है। खिड़की के मार्ग से प्रवेश करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यक्ति का आशय अवैध है और वह सुरक्षा घेरे को तोड़कर अंदर आया है।

154. (A) प्रतिरक्षा का, न कि हमले का।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कानून द्वारा आत्म-संरक्षण हेतु प्रदान किया गया एक रक्षात्मक साधन है। यह किसी भी स्थिति में प्रतिशोध लेने या अपराधी को दंडित करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति केवल उतने ही बल का प्रयोग कर सकता है जितना उस समय स्वयं की या दूसरे की रक्षा हेतु अपरिहार्य हो। जैसे ही हमलावर रुक जाता है या भाग जाता है, प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात किया गया कोई भी हमला विधिक रूप से अपराध माना जाएगा।

155. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
अपराधिक मानव वध को धारा 299 में परिभाषित किया गया है जो मानव जीवन के विरुद्ध प्राथमिक अपराध है। गंभीर चोट धारा 320 के अंतर्गत आती है जिसमें शरीर को होने वाली गंभीर क्षतियों का विवरण है। सदोष परिरोध धारा 340 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। दंगा धारा 159 में परिभाषित है जो सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित है। ये सभी धाराएं भारतीय दंड संहिता के विभिन्न अध्यायों में अपराधों के विधिक वर्गीकरण और उनके विशिष्ट तत्वों को स्पष्ट रूप से निरूपित करती हैं।

156. (B) अंगुली का साधारण हड्डी टूटना।
भारतीय दंड संहिता की धारा 320 गंभीर चोट की आठ विशिष्ट श्रेणियों को सूचीबद्ध करती है। इसमें पुंसत्वहरण, दृष्टि या श्रवण की स्थायी हानि और चेहरे का विद्रूणीकरण सम्मिलित है। हड्डी का टूटना भी गंभीर चोट है परंतु विधिक रूप से यह केवल तभी गंभीर मानी जाती है जब वह वास्तव में हड्डी का टूटना या विस्थापन हो। साधारण मोच या खरोंच को अंगुली की चोट माना जा सकता है परंतु गंभीर चोट हेतु क्षति का गंभीर और स्थायी प्रकृति का होना विधिक रूप से अनिवार्य है।

157. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
चोरी में अपराधी का उद्देश्य शुरू से ही बेईमानीपूर्ण होता है और वह संपत्ति को स्वामी की सहमति के बिना उसके कब्जे से हटाता है। इसके विपरीत आपराधिक दुर्विनियोग में अपराधी के पास संपत्ति का कब्जा पहले से ही किसी माध्यम से वैध रूप से हो सकता है। अपराध तब बनता है जब वह उस संपत्ति को बाद में बेईमानी से अपने निजी हित हेतु परिवर्तित कर लेता है। अतः लेना और परिवर्तित करना इन दो अपराधों के मध्य मुख्य विधिक अंतर हैं।

177. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
विधिक परिभाषा के अनुसार चार व्यक्तियों द्वारा किया गया लूट का कार्य केवल लूट ही कहलाएगा, डकैती नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अंतर्गत डकैती हेतु अपराधियों की न्यूनतम संख्या पांच होनी अनिवार्य है। डकैती वास्तव में लूट का ही एक अधिक गंभीर और संगठित रूप है जो सार्वजनिक भय को बढ़ाता है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से गलत है क्योंकि यह न्यूनतम संख्या की शर्त को पूरा नहीं करता जबकि द्वितीय कथन डकैती की विधिक प्रकृति को स्पष्ट करता है।

178. (A) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C।
एसिड हमले के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान करना सरकार का अनिवार्य कर्तव्य है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C यह सुनिश्चित करती है कि सभी सार्वजनिक और निजी अस्पताल पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार और चिकित्सा सहायता प्रदान करें। इसके अतिरिक्त पीड़ित मुआवजा योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यह प्रावधान पीड़ितों के पुनर्वास और न्याय की प्रक्रिया में मानवीय संवेदनशीलता को समाहित करने हेतु निर्मित किया गया है।

179. (C) महबूब शाह बनाम एम्परर।
महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय और समान आशय के मध्य विधिक अंतर को स्पष्ट करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रिवी काउंसिल ने इस मामले में निर्णय दिया था कि सामूहिक उत्तरदायित्व हेतु प्रतिभागियों के मध्य केवल एक जैसे विचार होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके बीच एक साझा योजना या मस्तिष्क का पूर्व मिलन होना अनिवार्य है। यह निर्णय आज भी भारतीय दंड संहिता में धारा 34 के सही अनुप्रयोग हेतु विधिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

180. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त के वास्तविक विधिक उत्तरदायित्व पर नहीं बल्कि पीड़ित पर होने वाले संभावित संकट की आशंका पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मानसिक भ्रम या तथ्य की भूल के कारण किसी निर्दोष पर हमला करता है तो पीड़ित को उस हमले से स्वयं को बचाने का पूर्ण अधिकार है। विधिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि हमला करने वाला दंडनीय अपराधी ही हो; केवल हमले का तथ्य ही आत्मरक्षा के अधिकार को सक्रिय करने हेतु पर्याप्त विधिक आधार माना जाता है।

181. (D) कार्य का परिणाम।
आपराधिक मानव वध और गंभीर चोट के मध्य प्राथमिक भौतिक अंतर कृत्य के अंतिम परिणाम में निहित है। मानव वध के मामले में पीड़ित की मृत्यु होना अनिवार्य है जबकि गंभीर चोट में गंभीर शारीरिक क्षति तो होती है परंतु मृत्यु नहीं होती है। यद्यपि दोनों में प्रयुक्त बल और आशय गंभीर हो सकते हैं परंतु विधिक रूप से अपराध का वर्गीकरण और दंड की मात्रा इस बात से निर्धारित होती है कि पीड़ित जीवित बचा है या नहीं। परिणाम ही इन दोनों अपराधों की विधिक पहचान तय करता है।

182. (B) अपने कर्तव्यों के विस्तार में और विधि द्वारा संरक्षित।
भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक बल प्रयोग करने की विधिक अनुमति प्रदान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने हेतु हिंसा का प्रयोग करता है या भागने का प्रयास करता है तो पुलिस अधिकारी उसे नियंत्रित करने हेतु आनुपातिक बल का प्रयोग कर सकता है। ऐसा कार्य धारा 76 या 79 के अंतर्गत संरक्षित माना जाता है बशर्ते वह सद्भावपूर्वक और विधि की सीमाओं के भीतर किया गया हो।

183. (D) जाली दस्तावेज़ का असली के रूप में उपयोग करना।
भारतीय दंड संहिता की धारा 471 उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी दस्तावेज़ के जाली होने का ज्ञान रखते हुए भी उसे बेईमानी से असली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ अपराध केवल जालसाजी करना ही नहीं है बल्कि उस जाली दस्तावेज़ का लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग करना एक स्वतंत्र अपराध माना जाता है। यह प्रावधान दस्तावेज़ों की विधिक प्रमाणिकता बनाए रखने और धोखाधड़ी के माध्यम से होने वाले आर्थिक या विधिक लाभ को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है।

184. (A) सहमति।
चोरी और जबरन वसूली के मध्य मुख्य विधिक अंतर पीड़ित की सहमति के तत्व में निहित है। चोरी में संपत्ति को स्वामी की जानकारी या सहमति के बिना चुपके से उसके कब्जे से हटाया जाता है। इसके विपरीत जबरन वसूली में अपराधी पीड़ित को क्षति के भय में डालता है जिससे पीड़ित स्वयं अपनी संपत्ति अपराधी को सौंपने हेतु सहमत हो जाता है। अतः यहाँ सहमति स्वेच्छा से नहीं बल्कि भय के कारण दी जाती है परंतु विधिक रूप से यह हस्तांतरण की श्रेणी में आता है।

185. (B) P-1, Q-1, R-1, S-2
विधिविरुद्ध सभा, डकैती और बलवा इन तीनों ही अपराधों को गठित करने हेतु अपराधियों की न्यूनतम संख्या विधिक रूप से पांच निर्धारित की गई है। पांच से कम व्यक्ति होने पर ये अपराध इन विशिष्ट श्रेणियों में नहीं आते हैं। इसके विपरीत दंगा हेतु न्यूनतम दो व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थान पर लड़ना आवश्यक है जिससे शांति भंग होती हो। यह संख्यात्मक वर्गीकरण अपराधों की सामूहिक गंभीरता और सार्वजनिक व्यवस्था पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखकर दंड संहिता में परिभाषित किया गया है।

186. (A) एक व्यक्ति दूसरे द्वारा मारे जाने के लिए अपनी सहमति देता है।
भारतीय विधिक प्रणाली के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की मृत्यु कारित करने हेतु किसी अन्य को विधिक रूप से मान्य सहमति नहीं दे सकता है। आत्महत्या हेतु सहायता देना या किसी की सहमति से भी उसकी हत्या करना भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 5 के अधीन आपराधिक

निरपेक्ष सुरक्षा प्रदान करता है। यह न केवल अपराधियों को कठोर दंड देने का प्रावधान करता है बल्कि जांच और विचारण के दौरान बालक के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है।

129. (B) बलवा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब कोई विधिविरुद्ध सभा या उसका कोई सदस्य अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग करता है तो वह बलवा का अपराध कहलाता है। यह विधिविरुद्ध सभा का एक अधिक आक्रामक और हिंसक रूप है। बलवा में सभा के प्रत्येक सदस्य को हिंसक कृत्य हेतु उत्तरदायी माना जाता है चाहे उसने स्वयं हिंसा न की हो। यह प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था को सामूहिक हिंसा से बचाने और सामुदायिक शांति बनाए रखने हेतु निर्मित है।

130. (A) विधिक रूप से कार्य किया है और कोई अपराध नहीं किया है।
जब किसी व्यक्ति को कोई खोई हुई वस्तु मिलती है तो उसका विधिक दायित्व है कि वह उसके वास्तविक स्वामी को खोजने का प्रयास करे। बटुए को पुलिस स्टेशन ले जाना ईमानदारी और नागरिक जिम्मेदारी का परिचायक है जो किसी भी आपराधिक आशय को नकारता है। अपराध तब होता जब वह व्यक्ति उसे बेईमानी से अपने उपयोग हेतु रख लेता। अतः यहाँ व्यक्ति का कृत्य पूर्णतः वैध और प्रशंसनीय है क्योंकि उसने विधि द्वारा अपेक्षित आचरण का पालन किया है जो समाज में विश्वास को बढ़ाता है।

131. (C) धारा 95
भारतीय दंड संहिता की धारा 95 तुच्छ बातों पर कानून का ध्यान न देने के सिद्धांत को वैधानिक रूप प्रदान करती है। इसके अनुसार यदि किसी कार्य से होने वाली हानि इतनी सूक्ष्म है कि सामान्य विवेक वाला व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। उदाहरण हेतु भीड़ में किसी को मामूली धक्का लग जाना या किसी की पेंसिल उठा लेना ऐसे कृत्य हैं जो विधिक प्रक्रिया के योग्य नहीं माने जाते हैं। यह धारा न्यायपालिका को अनावश्यक और निरर्थक मुकदमों से सुरक्षित रखती है।

132. (B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष विधिक परिणाम है।
हत्या की परिभाषा (धारा 300) का चौथा खंड उन कृत्यों को संबोधित करता है जो इतने खतरनाक होते हैं कि वे अनिवार्य रूप से मृत्यु कारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के ऐसा आत्मघाती जोखिम उठाता है जिससे दूसरों की जान जाने की पूरी संभावना हो तो वह हत्या का दोषी माना जाता है। यहाँ ज्ञान की मात्रा आशय के समान ही प्रभावी होती है। अतः ऐसी परिस्थिति में होने वाली मृत्यु का विधिक परिणाम हत्या ही होता है जो अपराधी के गंभीर उत्तरदायित्व को दर्शाता है।

133. (C) समझौता सफलतापूर्वक निष्पादित होना चाहिए।
आपराधिक षड्यंत्र का अपराध समझौता करने मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। विधिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि जिस अवैध कार्य की योजना बनाई गई थी उसे वास्तव में अंजाम दिया जाए या वह सफल हो। यदि दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को करने की सहमति बनाते हैं तो वे षड्यंत्र के दोषी हो जाते हैं। यह कानून अपराधियों को उनके हानिकारक इरादों को क्रियान्वित करने से पूर्व ही रोकने का एक सशक्त माध्यम है जिससे संभावित खतरों को टाला जा सके।

134. (B) अग्नि द्वारा रिष्टि।
रिष्टि के अपराध में जब अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ का प्रयोग संपत्ति को नष्ट करने हेतु किया जाता है तो इसे अधिक गंभीर माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 435 और 436 ऐसे कृत्यों हेतु कठोर दंड का प्रावधान करती हैं। चूंकि अग्नि से व्यापक क्षति और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होने की संभावना अधिक होती है अतः इसे साधारण रिष्टि से उच्च श्रेणी में रखा गया है। अभियुक्त का शत्रुतापूर्ण आशय और संपत्ति को हानि पहुँचाने का ज्ञान यहाँ अपराध के मुख्य घटक हैं।

135. (A) 1, 2, 3
संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का यह क्रम उनकी हिंसात्मकता और सामूहिक भागीदारी के आधार पर बढ़ता है। चोरी एक अहिंसक अपराध है जिसमें संपत्ति को चुपके से लिया जाता है। लूट में हिंसा या तत्काल भय का तत्व जुड़ जाता है जो इसे अधिक गंभीर बनाता है। डकैती इस श्रेणी का सर्वोच्च स्तर है क्योंकि इसमें पांच या अधिक व्यक्ति संगठित होकर हिंसात्मक लूट करते हैं। यह पदानुक्रम न्यायपालिका को अपराध की प्रकृति के अनुसार उचित दंड निर्धारित करने में विधिक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

136. (A) विवशता या दबाव।
भारतीय दंड संहिता की धारा 94 विवशता के बचाव को परिभाषित करती है। यदि कोई व्यक्ति तत्काल मृत्यु की धमकी के तहत कोई अपराध करता है तो उसे विधिक संरक्षण मिल सकता है। हालांकि यह बचाव हत्या और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसे अत्यंत गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होता है। विधि यह मानती है कि मृत्यु के भय में व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा खो देता है। इस बचाव हेतु यह आवश्यक है कि धमकी वास्तविक हो और व्यक्ति ने स्वयं को उस स्थिति में स्वेच्छा से न डाला हो।

137. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त के उत्तरदायित्व पर नहीं बल्कि पीड़ित पर होने वाले वास्तविक संकट पर आधारित है। यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या बालक किसी पर हमला करता है तो पीड़ित को अपनी रक्षा हेतु बल प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है यद्यपि हमलावर स्वयं अपनी मानसिक स्थिति के कारण दंड से मुक्त हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 98 स्पष्ट करती है कि आत्मरक्षा का अधिकार हमले की अवैधता से स्वतंत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

क्रम विधिक अध्ययन और संहिता के सही अनुप्रयोग को सुगम और स्पष्ट बनाता है।

196. (B) अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को होने से रोकना।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एक विशेष विधान है जिसका मुख्य लक्ष्य इन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को जातिगत भेदभाव और हिंसा से मुक्त वातावरण प्रदान करना है। यह कानून न केवल अपराध होने के पश्चात दंड का प्रावधान करता है बल्कि अत्याचार की रोकथाम हेतु निवारक उपाय भी सुझाता है। यह अधिनियम सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने हेतु निर्मित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी विधिक साधन है।

197. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
धारा 34 भारतीय दंड संहिता में स्वयं कोई विशिष्ट या स्वतंत्र अपराध का सृजन नहीं करती है। विधिक रूप से यह केवल एक साक्ष्य संबंधी नियम है जो सामूहिक कृत्यों के मामलों में संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सहायता करता है। इसे सदैव किसी मूल अपराध जैसे हत्या या चोरी के साथ मिलाकर लागू किया जाता है ताकि यह दर्शाया जा सके कि एक साझा आशय के कारण प्रत्येक व्यक्ति पूरे कृत्य हेतु उत्तरदायी है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है जबकि द्वितीय कथन सत्य है।

198. (B) कोई अपराध नहीं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 77 न्यायिक स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार यदि कोई न्यायाधीश सद्भावपूर्वक अपनी विधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय देता है या कार्य करता है तो वह किसी भी आपराधिक उत्तरदायित्व के अधीन नहीं होगा। भले ही बाद में वह निर्णय त्रुटिपूर्ण पाया जाए, न्यायाधीश को तब तक संरक्षण प्राप्त है जब तक उसने अपने अधिकार क्षेत्र में और बिना किसी दुर्भावना के कार्य किया हो। यह न्यायपालिका को निष्पक्ष कार्य करने हेतु विधिक कवच प्रदान करता है।

199. (A) ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।
आपराधिक मानव वध भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अंतर्गत परिभाषित एक गंभीर अपराध है। यह तब घटित होता है जब कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी गंभीर शारीरिक क्षति पहुँचाने के आशय से कार्य करता है जो मृत्यु का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त यदि उसे यह पूर्ण ज्ञान है कि उसका कृत्य मृत्यु का कारण बनने की प्रबल संभावना रखता है तो वह भी इसी श्रेणी में आता है। यह मानव जीवन की सुरक्षा और विधिक उत्तरदायित्व का आधारभूत प्रावधान है।

200. (A) केवल 1 और 3
हत्या मानव वध का सर्वाधिक जघन्य और गंभीर रूप है जहाँ मृत्यु की निश्चितता अत्यधिक होती है। यद्यपि अधिकांश मामलों में मृत्यु कारित करने का प्रत्यक्ष आशय विद्यमान होता है परंतु यह सदैव अनिवार्य नहीं है। धारा 300 के चौथे खंड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अत्यंत खतरनाक कार्य इस ज्ञान के साथ करता है कि वह अनिवार्यतः मृत्यु कारित करेगा तो वह भी हत्या ही मानी जाती है। अतः दूसरा कथन पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि ज्ञान भी आशय के समान ही विधिक महत्व रखता है।

201. (C) विवशता।
विवशता का बचाव भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु की तत्काल धमकी देकर कोई अपराध करने हेतु मजबूर किया जाता है तो वह आपराधिक उत्तरदायित्व से बच सकता है। यह कानून इस मानवीय सत्य को स्वीकार करता है कि प्राण संकट में होने पर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा खो बैठता है। हालांकि यह सुरक्षा हत्या और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने जैसे जघन्य अपराधों के मामले में विधिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई है क्योंकि जीवन का मूल्य सर्वोच्च है।

202. (A) किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि कार्य करने का कोई विधिक कर्तव्य नहीं था।
आपराधिक विधि में केवल लोप तभी अपराध होता है जब उसे करने का कोई विधिक कर्तव्य विद्यमान हो। यद्यपि डूबते हुए व्यक्ति को न बचाना नैतिक रूप से अत्यंत निंदनीय हो सकता है परंतु एक सामान्य नागरिक का उसे बचाने का कोई विधिक दायित्व नहीं है जब तक कि वह जीवन रक्षक या किसी अनुबंध से बंधा न हो। दंड संहिता केवल विधिक उल्लंघनों को दंडित करती है, नैतिकता के उल्लंघन को नहीं। अतः यहाँ A किसी भी आपराधिक दंड का पात्र नहीं माना जाएगा।

203. (D) चोरी या जबरन वसूली।
भारतीय दंड संहिता की धारा 390 स्पष्ट करती है कि लूट कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है बल्कि यह चोरी या जबरन वसूली का ही एक अधिक गंभीर और हिंसक रूप है। लूट तब होती है जब चोरी करते समय या जबरन वसूली करते समय अपराधी तत्काल मृत्यु, चोट या सदोष अवरोध कारित करता है या इसका भय उत्पन्न करता है। हिंसा का यह तत्व ही साधारण संपत्ति अपराध को लूट जैसे गंभीर अपराध में परिवर्तित कर देता है जिससे दंड की कठोरता और मात्रा विधिक रूप से बढ़ जाती है।

204. (B) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) विशेष रूप से अनुसूचित जाति के सदस्यों को बंधुआ मजदूरी या किसी भी प्रकार के बलात् श्रम से सुरक्षा प्रदान करती है। विधिक रूप से किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना वेतन या अत्यंत कम मजदूरी पर कार्य करने हेतु विवश करना एक गंभीर अत्याचार है। यह कानून ऐतिहासिक शोषण को समाप्त करने और प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत गरिमा और श्रम के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है जो सामाजिक न्याय का आधार है।

205. (C) आपराधिक षड्यंत्र।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अवैध कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने हेतु सहमत होते हैं तो वे आपराधिक षड्यंत्र के दोषी माने जाते हैं। यहाँ अपराध का मुख्य सार समझौता है। जैसे ही दुर्भावनापूर्ण सहमति बन जाती है, षड्यंत्र का अपराध पूर्ण हो जाता है। यह प्रावधान अपराधियों को उनके अवैध मंसूबों को वास्तविक कृत्य में बदलने से पहले ही विधिक रूप से रोकने और दंडित करने हेतु अत्यंत प्रभावी माना जाता है।

206. (D) व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास।
विधिक और न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार आजीवन कारावास का अर्थ अपराधी के जीवित रहने तक के पूर्ण समय हेतु कारावास है। यद्यपि सरकार के पास दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपयुक्त मामलों में 14 वर्ष के पश्चात सजा को कम करने की शक्ति होती है परंतु इसका स्वतः अर्थ यह नहीं है कि सजा केवल 14 या 20 वर्ष की है। जब तक सरकार द्वारा कोई विशिष्ट आदेश जारी न किया जाए, अपराधी को मृत्यु पर्यंत जेल में ही रहना होता है। यह दंड की सर्वोच्चता को दर्शाता है।

207. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त करने हेतु वास्तविक शारीरिक हमला होना अनिवार्य नहीं है। विधिक रूप से यह अधिकार उस क्षण उत्पन्न हो जाता है जैसे ही व्यक्ति को अपने शरीर पर संकट या खतरे की युक्तियुक्त आशंका महसूस होती है। एक व्यक्ति को अपने बचाव हेतु पहला वार होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परिस्थिति ऐसी है कि हमला होने की पूरी संभावना है तो वह आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकता है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से संकीर्ण है जबकि द्वितीय कथन सत्य है।

208. (B) संपत्ति को सदोष हानि या क्षति पहुँचाने का आशय।
रिष्टि का मुख्य विधिक तत्व अपराधी का वह दुर्भावनापूर्ण आशय है जिसके तहत वह किसी संपत्ति को नष्ट या क्षतिग्रस्त करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 425 के अनुसार यदि किसी कृत्य से संपत्ति की उपयोगिता कम होती है या उसका मूल्य नष्ट होता है और कर्ता का उद्देश्य किसी को आर्थिक हानि पहुँचाना है तो वह रिष्टि कहलाती है। यहाँ संपत्ति प्राप्त करने का कोई आशय नहीं होता है बल्कि केवल दूसरों को नुकसान पहुँचाना ही अपराध का मुख्य विधिक और मानसिक आधार माना जाता है।

209. (B) उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व।
दहेज मृत्यु (धारा 304B) के मामले में 'मृत्यु से ठीक पूर्व' वाक्यांश अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका विधिक अर्थ यह है कि मृत्यु और दहेज हेतु किए गए उत्पीड़न के मध्य एक स्पष्ट और निकट संबंध होना चाहिए। अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि मृत्यु होने से कुछ समय पहले तक महिला को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। यह निकटता ही कानून में उस उपधारणा को जन्म देती है जिसके आधार पर अभियुक्त को उत्तरदायी ठहराया जाता है।

210. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु का बालक विधिक रूप से किसी भी अपराध हेतु उत्तरदायी नहीं हो सकता है। इसे डोली इन्कैपैक्स का सिद्धांत कहा जाता है जिसका अर्थ है कि विधि मानती है कि इस आयु के बालक में आपराधिक आशय बनाने की मानसिक क्षमता पूर्णतः लुप्त होती है। चूंकि वह सही और गलत के परिणाम को समझने में असमर्थ है अतः उसके किसी भी कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह विधिक संरक्षण पूर्ण और निरपेक्ष है।

211. (C) पांच या अधिक व्यक्तियों की एक विधिविरुद्ध सभा होनी चाहिए।
धारा 149 के अंतर्गत सामूहिक दायित्व आरोपित करने हेतु प्राथमिक विधिक आवश्यकता एक विधिविरुद्ध सभा की उपस्थिति है जिसमें कम से कम पांच सदस्य हों। इन सभी सदस्यों का एक साझा सामान्य उद्देश्य होना अनिवार्य है। यदि सभा का कोई भी सदस्य उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कोई अपराध करता है तो प्रत्येक सदस्य विधिक रूप से दोषी माना जाता है। यहाँ साझा आशय के विपरीत पूर्व-नियोजित योजना अनिवार्य नहीं है बल्कि सभा की सदस्यता और सामान्य उद्देश्य का ज्ञान ही दंड हेतु पर्याप्त आधार है।

212. (D) नगण्य विवाद और कभी-कभी रूखा व्यवहार।
धारा 498A के अंतर्गत क्रूरता को गंभीर श्रेणी के आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें महिला के जीवन या स्वास्थ्य को वास्तविक खतरा हो। सामान्य वैवाहिक जीवन में होने वाले छोटे-मोटे झगड़े, आपसी मतभेद या रूखा व्यवहार इस धारा की विधिक सीमाओं में नहीं आते हैं। कानून का मुख्य उद्देश्य गंभीर प्रताड़ना और दहेज हेतु किए जाने वाले संगठित उत्पीड़न को रोकना है। तुच्छ मामलों में इस कठोर धारा का प्रयोग विधिक व्यवस्था का दुरुपयोग माना जा सकता है।

213. (C) उपरोक्त सभी।
तैयारी और प्रयास के मध्य विधिक सीमा निर्धारित करने हेतु भारतीय अदालतों द्वारा विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। सामीप्य परीक्षण यह देखता है कि कार्य पूर्णता के कितने निकट है। अनेकार्थकता परीक्षण कृत्य के पीछे छिपे स्पष्ट आशय की जांच करता है। लोकस पोएनिटेंटिए यह देखता है कि क्या व्यक्ति के पास अभी भी पीछे हटने का अवसर शेष है। ये सभी सिद्धांत सामूहिक रूप से यह निर्धारित करने में सहायता करते हैं कि अभियुक्त का कृत्य केवल तैयारी था या वह दंडनीय प्रयास बन चुका है।

214. (B) धारा 501, भारतीय दंड संहिता।
मानहानि करना धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय है परंतु मानहानिकारक सामग्री को मुद्रित या उत्कीर्ण करना धारा 501 के अंतर्गत एक विशिष्ट अपराध माना जाता है। यह धारा उन व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाती है जो जानते हैं या उनके पास

यह विश्वास करने का कारण है कि वे जो मुद्रित कर रहे हैं वह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाएगा। यह प्रावधान मानहानिकारक सूचनाओं के प्रसार को रोकने और प्रकाशकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्तिगत मर्यादा बनी रहे।

215. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
उपहति का अर्थ है शारीरिक पीड़ा या रोग पहुँचाना जबकि गंभीर चोट में चेहरे का विद्रूणीकरण जैसी गंभीर क्षतियाँ आती हैं। सदोष अवरोध तब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाए। सदोष परिरोध अधिक गंभीर है क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक निश्चित घेरे या सीमाओं के भीतर कैद कर दिया जाता है जहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं होता। ये सभी अपराध व्यक्तिगत शारीरिक स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध किए जाने वाले गंभीर विधिक उल्लंघन माने जाते हैं।

216. (A) विधिक साधनों द्वारा विधिक रीति से किया गया विधिक कार्य।
भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना का बचाव केवल तभी प्राप्त होता है जब कार्य पूर्णतः वैध हो और उसे करने की प्रक्रिया में कोई विधिक त्रुटि न हो। यदि कोई व्यक्ति उचित सावधानी और सतर्कता बरतते हुए अपना कानूनी कार्य कर रहा है और बिना किसी आपराधिक आशय के कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाता है। लापरवाही या अवैध कार्य करते समय हुई घटना को दुर्घटना के रूप में विधिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता है।

217. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
विधिक परिभाषा के अनुसार चोरी केवल चल संपत्ति के संबंध में ही की जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार अचल संपत्ति (जैसे भूमि या भवन) चोरी का विषय नहीं हो सकती क्योंकि उसे उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता है। चोरी हेतु संपत्ति का विस्थापन अनिवार्य शर्त है। यदि अचल संपत्ति का कोई भाग तोड़कर हटाया जाता है तो वह उसी क्षण चल संपत्ति बन जाता है और तभी चोरी घटित होती है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से असत्य है जबकि द्वितीय पूर्णतः सत्य है।

218. (A) यह केवल व्यक्तिगत पीड़ित को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को क्षति पहुँचाता है।
अपराध को सार्वजनिक दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज की शांति और सुरक्षा की नींव को हिला देता है। जब कोई अपराध होता है तो सरकार यह मानती है कि हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संपूर्ण विधिक व्यवस्था पर है। यही कारण है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन सरकार द्वारा चलाया जाता है और दंड का उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना और भविष्य के अपराधियों को रोकना होता है। यह व्यक्तिगत विवादों से भिन्न है जहाँ केवल निजी अधिकारों की पुनर्स्थापना मुख्य लक्ष्य होती है।

219. (D) किसी बालक को अश्लील सामग्री देखने के लिए प्रेरित करना।
पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालकों को अश्लीलता या यौन सामग्री के संपर्क में लाना एक विशिष्ट और गंभीर अपराध माना गया है। यह कानून बालकों की मानसिक कोमलता और उनके विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अश्लील सामग्री दिखाना या उसका प्रदर्शन करना बालक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकता है। यद्यपि अन्य विकल्प भी बाल कल्याण से संबंधित हो सकते हैं परंतु पॉक्सो का मुख्य उद्देश्य यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है।

220. (B) धारा 34 और धारा 149
प्रतिनिधिक दायित्व का अर्थ है एक व्यक्ति को दूसरे के कृत्यों हेतु उत्तरदायी ठहराना जो आपराधिक विधि में अपवाद स्वरूप ही पाया जाता है। धारा 34 सामान्य आशय के माध्यम से साझा दायित्व निर्धारित करती है जहाँ प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे के कृत्य हेतु जिम्मेदार होता है। धारा 149 रचनात्मक दायित्व का सिद्धांत अपनाती है जहाँ विधिविरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए गए कृत्य हेतु दोषी माना जाता है। ये दोनों प्रावधान सामूहिक अपराधों के विरुद्ध न्याय सुनिश्चित करने हेतु विधिक उपकरण हैं।

221. (C) एक न्यायोचित कार्य और कोई अपराध नहीं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 96 स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। यह अधिकार समाज के प्रत्येक सदस्य को स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा हेतु विधिक शक्ति प्रदान करता है। यदि बल प्रयोग विधिक सीमाओं और आनुपातिकता के सिद्धांतों के भीतर किया गया है तो उसे पूर्णतः न्यायोचित माना जाता है। न्यायालय ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सभी आपराधिक आरोपों से मुक्त कर देता है क्योंकि आत्म-संरक्षण एक प्राथमिक विधिक और प्राकृतिक अधिकार है।

222. (D) गंभीर चोट का दुष्प्रेरण।
विधिक रूप से एक दुष्प्रेरक केवल उसी परिणाम हेतु उत्तरदायी होता है जिसका उसने उकसावा दिया था या जिसके घटित होने की संभावना का उसे ज्ञान था। यद्यपि यहाँ हत्या का उकसावा दिया गया था परंतु यदि परिणाम केवल गंभीर चोट के रूप में निकलता है तो दुष्प्रेरक उस वास्तविक क्षति हेतु उत्तरदायी होगा। धारा 115 और 116 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के दंड का निर्धारण अपराध के पूर्ण होने या न होने के आधार पर किया जाता है। यहाँ कर्ता ने जो कृत्य किया, दुष्प्रेरक उसी के विधिक परिणामों हेतु जिम्मेदार माना जाएगा।

223. (A) तत्काल हिंसा या भय का प्रयोग, या प्रयोग करने की धमकी।
चोरी और लूट के मध्य मुख्य विधिक विभाजक रेखा हिंसा की उपस्थिति और उसकी तत्काल प्रकृति है। साधारण चोरी में संपत्ति को चुपके से हटाया जाता है परंतु जैसे ही अपराधी चोरी करने हेतु या संपत्ति लेकर भागने हेतु स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाता है या मृत्यु का तत्काल भय उत्पन्न करता है, तो वह

को अवरोध की तुलना में अधिक गंभीर और पूर्ण प्रतिबंध माना जाता है।

262. (B) वह व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का प्रयोग विशिष्ट रूप से बाहरी समुदायों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को रोकने हेतु किया जाता है। विधिक रूप से इस अधिनियम के तहत अपराध तभी गठित होता है जब अभियुक्त पक्ष इन समुदायों से संबंधित न हो। यदि पीड़ित और अपराधी दोनों एक ही आरक्षित वर्ग से हैं तो यह विशेष कानून लागू नहीं होता है और मामले की सुनवाई सामान्य दंड विधि के अनुसार की जाती है। यह प्रावधान हाशिए पर रहने वाले वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्मित है।

263. (D) व्यक्ति कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 84 विधिक विकृतचित्तता के सिद्धांत को अपनाती है। इसके अनुसार केवल चिकित्सकीय पागलपन ही दंड से मुक्ति हेतु पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त को यह सिद्ध करना होता है कि अपराध के समय उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह अपने कार्य की विधिक या नैतिक प्रकृति को समझने में पूर्णतः अक्षम था। यदि वह जानता था कि वह जो कर रहा है वह गलत या कानून के विरुद्ध है तो उसे दंडित किया जाएगा। यह परीक्षण कृत्य की समझ और तार्किकता पर आधारित है।

264. (A) हाँ, क्योंकि वह उपस्थित था और अपराध को अंजाम देने में सहायता कर रहा था।
डकैती के अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 391 प्रतिनिधिक दायित्व का प्रावधान करती है। जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति डकैती का दोषी होता है चाहे उसकी भूमिका केवल पहरा देने या निगरानी करने की ही क्यों न हो। चूंकि B टोली का हिस्सा था और उसकी उपस्थिति ने अपराध को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सहायता की अतः वह विधिक रूप से मुख्य अपराधियों के समान ही दंडनीय माना जाएगा। सामूहिक उत्तरदायित्व यहाँ सर्वोच्च विधिक सिद्धांत है।

265. (B) किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा अपराध को अंजाम देने में सुविधा प्रदान करना।
जानबूझकर सहायता देना दुष्प्रेरण का एक महत्वपूर्ण विधिक रूप है जो धारा 107 के तीसरे खंड के अंतर्गत आता है। इसमें अपराधी सक्रिय रूप से कोई ऐसा कार्य करता है या आवश्यक कार्य का लोप करता है जिससे मुख्य अपराधी को अपराध करने में सुगमता होती है। इसमें केवल मानसिक सहमति पर्याप्त नहीं है बल्कि एक भौतिक योगदान अनिवार्य है। यह सहायता अपराध के होने से पूर्व या होने के दौरान दी जा सकती है जो अभियुक्त को दुष्प्रेरक के रूप में विधिक उत्तरदायित्व के अधीन लाती है।

266. (A) प्रयोजन।
आपराधिक विधि में प्रयोजन वह आंतरिक कारण है जो व्यक्ति को अपराध करने हेतु प्रेरित करता है। यद्यपि प्रयोजन साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है परंतु यह अपराध के गठन हेतु अनिवार्य विधिक तत्व नहीं है। इसके विपरीत एक मानव अपराधी, दोषी मन (मेन्स रीया), निषिद्ध कृत्य (एक्टस रियुस) और परिणामी क्षति का होना दंड हेतु आवश्यक है। कई बार बिना किसी स्पष्ट प्रयोजन के भी यदि निषिद्ध कार्य किया गया है तो वह दंडनीय होता है। अतः विधिक रूप से प्रयोजन के बिना भी अपराध सिद्ध किया जा सकता है।

267. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
आपराधिक विधि का सामान्य नियम यह है कि केवल तैयारी दंडनीय नहीं होती है क्योंकि व्यक्ति अपना इरादा बदल सकता है। इसके विपरीत अपराध का प्रयास विधिक रूप से सदैव दंडनीय माना जाता है क्योंकि यहाँ अपराधी ने तैयारी के चरण को पार कर लिया है और अपराध की पूर्णता की दिशा में ठोस कदम बढ़ा दिया है। प्रयास समाज हेतु एक वास्तविक संकट उत्पन्न करता है अतः विधि इसे रोकने हेतु कठोर दंड का प्रावधान करती है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से असत्य है जबकि द्वितीय पूर्णतः सत्य है।

268. (B) सरकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक स्थान पर रक्षा नहीं कर सकती।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार इस यथार्थवादी विधिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार और उसकी पुलिस मशीनरी हर समय और हर स्थान पर प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु उपस्थित नहीं रह सकती है। अतः विधि नागरिकों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे तत्काल संकट की स्थिति में अपनी और दूसरों की रक्षा हेतु स्वयं बल प्रयोग कर सकें। यह अधिकार आत्म-संरक्षण की मानवीय प्रवृत्ति को विधिक मान्यता देता है ताकि न्याय की अनुपस्थिति में व्यक्ति असहाय न रहे परंतु इसका प्रयोग सदैव विधिक सीमाओं में होना चाहिए।

269. (C) चोरी
चोरी के अपराध हेतु बेईमानीपूर्ण आशय एक अनिवार्य विधिक घटक है। यदि कोई व्यक्ति इस वास्तविक और सद्भावपूर्ण विश्वास के साथ किसी संपत्ति को लेता है कि उस पर उसका विधिक अधिकार है तो उसमें चोरी हेतु आवश्यक आपराधिक मन का अभाव माना जाता है। भले ही उसका विधिक दावा बाद में गलत पाया जाए परंतु कृत्य के समय दुर्भावनापूर्ण इरादे की अनुपस्थिति उसे चोरी के दंड से बचा सकती है। विधि यहाँ केवल बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करने को ही चोरी की श्रेणी में रखती है।

270. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधिविरुद्ध सभा को परिभाषित करती है। इसके अनुसार यदि पांच या अधिक व्यक्ति किसी साझा अवैध उद्देश्य जैसे कोई अपराध करने हेतु एकत्रित होते हैं तो वह सभा विधिविरुद्ध मानी जाती है। यहाँ केवल व्यक्तियों की संख्या और उनका सामूहिक आपराधिक इरादा

233. (C) 7 से 12 वर्ष के बीच का बालक, जिसकी अपराध करने की क्षमता सिद्ध करने की आवश्यकता है।
डोली कैपैक्स का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो विधिक रूप से अपराध करने में सक्षम माना जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 83 के अंतर्गत 7 से 12 वर्ष के बालकों को प्रतिवाद योग्य अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय यह मानकर चलता है कि वे अक्षम हैं परंतु यदि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध कर दे कि बालक ने समझ की पर्याप्त परिपक्वता प्राप्त कर ली थी तो उसे अपराधी ठहराया जा सकता है। यह 7 वर्ष से कम के बालकों की पूर्ण अक्षमता से भिन्न है।

234. (A) साधारण आपराधिक अतिचार।
संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार अत्यंत सीमित है और केवल धारा 103 में वर्णित गंभीर परिस्थितियों में ही उपलब्ध है। साधारण आपराधिक अतिचार में जीवन को कोई तत्काल खतरा नहीं होता है अतः इसमें हमलावर की जान लेना विधिक रूप से उचित नहीं माना गया है। इसके विपरीत लूट, रात्रि में गृह-भेदन और अग्नि द्वारा रिष्टि ऐसी स्थितियाँ हैं जहाँ बल प्रयोग की यह सीमा न्यायोचित है। विधि सदैव संपत्ति की रक्षा और मानव जीवन के मूल्य के मध्य संतुलन बनाए रखती है।

235. (D) यौन उत्पीड़न।
यौन उत्पीड़न एक गंभीर आपराधिक कृत्य है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354A के अंतर्गत दंडित किया जाता है। इसमें किसी महिला के साथ अवांछित शारीरिक संपर्क करना, यौन प्रकृति की मांग करना या अश्लील टिप्पणियां करना सम्मिलित है। यह कृत्य महिला की शारीरिक अखंडता और सम्मान के विरुद्ध है। पीछा करना या दृश्यरतिकता इसके अन्य रूप हो सकते हैं परंतु शारीरिक संपर्क और यौन गतिविधियों का सीधा संबंध यौन उत्पीड़न की विधिक परिभाषा से है।

236. (B) कूटकरण।
कूटकरण का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 463 के अंतर्गत परिभाषित है। यह तब घटित होता है जब कोई व्यक्ति किसी को क्षति पहुँचाने या धोखाधड़ी करने के आशय से कोई मिथ्या दस्तावेज़ या उसका भाग बनाता है। इसमें हस्ताक्षर की जालसाजी या किसी दस्तावेज़ में अवैध परिवर्तन सम्मिलित हो सकता है। कूटकरण का मुख्य विधिक उद्देश्य किसी व्यक्ति या जनता को विश्वास दिलाना है कि वह दस्तावेज़ असली है जिससे आर्थिक या विधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

237. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
विधिक रूप से सामान्य आशय (धारा 34) हेतु यह आवश्यक नहीं है कि वह बहुत पहले से नियोजित हो; यह घटना के समय भी परिस्थितियों के अनुसार अचानक विकसित हो सकता है। इसके विपरीत सामान्य उद्देश्य (धारा 149) विधिविरुद्ध सभा का आधार होता है अतः सभा के गठन के समय ही सदस्यों के मध्य एक साझा अवैध उद्देश्य का होना अनिवार्य है। ये दोनों कथन इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के मध्य सूक्ष्म विधिक भिन्नताओं और उनके लागू होने की परिस्थितियों को सटीकता से स्पष्ट करते हैं।

238. (D) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अत्याचार।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 विशेष रूप से उन कृत्यों को दंडित करती है जो इन समुदायों के सदस्यों को अपमानित करने हेतु किए जाते हैं। जूतों की माला पहनाना, चेहरे पर कालिख पोतना या सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करना मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन और अत्याचार माना जाता है। यह कानून केवल शारीरिक चोट तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध भी सशक्त सुरक्षा प्रदान करता है।

239. (A) डकैती
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधियों की संख्या ही वह मुख्य तत्व है जो लूट को डकैती में परिवर्तित कर देती है। धारा 391 के अनुसार जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं तो वह कृत्य विधिक रूप से डकैती कहलाता है। डकैती को लूट की तुलना में अधिक गंभीर माना जाता है क्योंकि इसमें सामूहिक शक्ति का प्रयोग जनता में व्यापक भय और असुरक्षा उत्पन्न करता है। अतः डकैती हेतु दंड का प्रावधान भी लूट की तुलना में अधिक कठोर होता है।

240. (A) अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का चतुर्थ अपवाद सार्वजनिक न्याय के प्रशासन को पारदर्शी बनाने हेतु बनाया गया है। इसके अनुसार न्यायालयों की कार्यवाहियों की निष्पक्ष और सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं माना जाता है। जनता को न्यायपालिका के कार्यों को जानने का विधिक अधिकार है और ऐसी रिपोर्टिंग सार्वजनिक भलाई के अंतर्गत आती है। अभिकथन और कारण दोनों इस विधिक अपवाद को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं जो प्रतिष्ठा की सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाता है।

241. (B) अभियुक्त व्यक्ति का आशय।
तैयारी और प्रयास के मध्य विधिक विभाजक रेखा अभियुक्त के मानसिक आशय की दृढ़ता और कृत्य की दिशा पर निर्भर करती है। तैयारी में व्यक्ति केवल साधन जुटाता है परंतु प्रयास में वह अपराध को अंजाम देने हेतु अंतिम और निर्णायक कदम उठाता है। यद्यपि सामीप्य एक महत्वपूर्ण भौतिक कारक है परंतु न्यायालय यह देखता है कि क्या अभियुक्त का कार्य स्पष्ट रूप से उसके आपराधिक इरादे को प्रकट करता है जिससे पीछे हटना अब संभव नहीं था। आशय ही कृत्य को प्रयास की श्रेणी में लाता है।

242. (A) धारा 93
भारतीय दंड संहिता की धारा 93 उन संसूचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है जो सद्भावपूर्वक और पीड़ित के लाभ हेतु दी गई हों। एक चिकित्सक का विधिक और नैतिक दायित्व है कि वह रोगी को उसके स्वास्थ्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराए। यदि ऐसी सूचना देने में कोई आपराधिक आशय नहीं है और केवल व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के कारण रोगी को सदमा पहुँचता है तो चिकित्सक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा

कृत्य लूट बन जाता है। यहाँ हिंसा का उद्देश्य संपत्ति की प्राप्ति को सुगम बनाना या प्रतिरोध को समाप्त करना होता है जो इसे अधिक जघन्य अपराध बनाता है।

224. (B) आपराधिक दुर्विनियोग।
भारतीय दंड संहिता की धारा 404 विशेष रूप से उस संपत्ति के दुर्विनियोग को दंडित करती है जो किसी मृत व्यक्ति के कब्जे में थी। यह सामान्य आपराधिक दुर्विनियोग का एक गंभीर रूप है क्योंकि यहाँ पीड़ित स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ है। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि संपत्ति मृतक की है और उसका कोई विधिक वारिस उसे प्राप्त करने वाला है, उसे बेईमानी से अपने उपयोग हेतु रख लेता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत कठोर दंड का पात्र होता है। यह प्रावधान मानवीय गरिमा की रक्षा करता है।

225. (B) दंगे के दोषी नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई सार्वजनिक स्थान पर नहीं है।
दंगे का अपराध गठित करने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अंतर्गत तीन अनिवार्य शर्तें हैं। प्रथम, कम से कम दो व्यक्तियों का लड़ना; द्वितीय, लड़ाई का स्थान सार्वजनिक होना; और तृतीय, इसके कारण सार्वजनिक शांति में विघ्न पड़ना। चूंकि यहाँ लड़ाई एक निजी घर के भीतर हो रही है जहाँ जनता की पहुंच नहीं है और न ही बाहर शांति भंग हो रही है, अतः इसे विधिक रूप से दंगा नहीं माना जा सकता है। यह कृत्य साधारण चोट या हमले की श्रेणी में आ सकता है।

226. (A) व्यक्ति की जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई हो।
मत्तता का विधिक बचाव अत्यंत सीमित है और यह केवल अनैच्छिक मत्तता के मामलों में ही प्राप्त होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को नशीला पदार्थ उसकी सहमति के बिना या धोखे से दिया गया है जिससे वह अपने कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षम हो गया है तो वह दंड से मुक्त हो सकता है। स्वैच्छिक मत्तता में व्यक्ति जानबूझकर अपनी मानसिक क्षमता खोता है अतः उसे अपराध के परिणामों से कोई विधिक सुरक्षा नहीं दी जाती है।

227. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कोई असीमित शक्ति नहीं है जिसका प्रयोग प्रतिशोध या अत्यधिक हिंसा हेतु किया जा सके। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 स्पष्ट रूप से यह निर्बन्धन लगाती है कि आत्मरक्षा में पहुँचाई गई क्षति रक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि संकट कम है तो बल प्रयोग भी न्यूनतम होना चाहिए। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से अमान्य है क्योंकि यह अधिकार को निरंकुश मानता है जबकि द्वितीय कथन विधि के आनुपातिकता के सिद्धांत को सटीकता से व्यक्त करता है।

228. (D) पांच
भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या की परिभाषा के साथ पांच विशिष्ट अपवाद प्रदान करती है। इनमें गंभीर और अचानक प्रकोपन, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, लोक सेवक द्वारा विधिक शक्ति का सीमा से बाहर प्रयोग, अचानक झगड़ा और पीड़ित की अपनी सहमति सम्मिलित हैं। यदि कोई मामला इन पांचों में से किसी एक श्रेणी में आता है तो उसे हत्या नहीं माना जाता है बल्कि वह आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता के रूप में दंडित किया जाता है।

229. (C) प्रतिशोध का व्यक्तिगत प्रयोजन।
आपराधिक विधि में किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने हेतु एक मानव अपराधी, दोषी मन (मेन्स रीया), अवैध कृत्य (एक्टस रियुस) और समाज या व्यक्ति को पहुँची क्षति अनिवार्य तत्व हैं। व्यक्तिगत प्रतिशोध या बदला लेना केवल अपराध के पीछे का एक मानसिक प्रयोजन हो सकता है परंतु यह अपराध के विधिक गठन हेतु आवश्यक नहीं है। कई बार अच्छे प्रयोजन से किया गया अवैध कार्य भी अपराध होता है और बिना किसी स्पष्ट प्रयोजन के किया गया निषिद्ध कृत्य भी दंडनीय माना जाता है।

230. (B) केवल 1 और 2
आपराधिक प्रयास का अर्थ है अपराध की तैयारी के पश्चात उसे पूर्ण करने की दिशा में उठाया गया वह ठोस कदम जो केवल बाहरी हस्तक्षेप के कारण विफल हुआ हो। भारतीय दंड संहिता में अपराध का प्रत्येक प्रयास दंडनीय है चाहे उसके लिए विशिष्ट धारा हो या धारा 511 का सामान्य प्रावधान लागू हो। हालांकि तीसरा कथन गलत है क्योंकि दंड सदैव आधा नहीं होता है; कुछ अपराधों के प्रयास हेतु विशिष्ट सजाएं निर्धारित हैं। अतः प्रयास का विधिक दायित्व कृत्य की सामीप्य और आशय पर निर्भर करता है।

231. (D) दस
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 मानहानि के अपराध को परिभाषित करने के साथ-साथ दस महत्वपूर्ण अपवाद भी प्रदान करती है। ये अपवाद उन परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं जहाँ किसी के विरुद्ध किया गया अपमानजनक लांछन अपराध नहीं माना जाएगा। इनमें सार्वजनिक हित हेतु सत्य का लांछन, लोक सेवकों के आचरण पर टिप्पणी, अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट और सद्भावपूर्वक दी गई राय सम्मिलित हैं। ये अपवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के मध्य एक आवश्यक विधिक संतुलन बनाए रखने हेतु अनिवार्य हैं।

232. (B) परिणाम, कारण का प्रत्यक्ष विधिक परिणाम है।
प्रकोपन का सिद्धांत मानवीय दुर्बलता को विधिक मान्यता देता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का प्रथम अपवाद यह स्पष्ट करता है कि यदि हत्या का कृत्य गंभीर और अचानक उत्तेजना के कारण आत्म-नियंत्रण खोने पर किया गया है तो वह हत्या के बजाय आपराधिक मानव वध माना जाएगा। यहाँ प्रकोपन वह विधिक कारण है जो अपराध की श्रेणी को कम कर देता है। अतः परिणाम सीधे तौर पर उस मानसिक स्थिति का विधिक परिणाम है जो प्रकोपन के कारण उत्पन्न हुई थी।

और सहमति का होना अनिवार्य है जिसे मस्तिष्क का पूर्व मिलन कहा जाता है। इसके विपरीत समान आशय में कई व्यक्तियों के मन में एक जैसा विचार तो हो सकता है परंतु उनके बीच कोई आपसी तालमेल या साझा योजना नहीं होती है। केवल सामान्य आशय ही संयुक्त विधिक दायित्व का आधार बनता है।

253. (B) मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बालक का उपयोग करना।
बालकों को आपराधिक गतिविधियों या तस्करी जैसे कार्यों में संलिप्त करना किशोर न्याय अधिनियम और अन्य विशेष कानूनों के अंतर्गत एक जघन्य अपराध माना जाता है। यह कृत्य बालक के भविष्य और उसके नैतिक विकास को पूर्णतः नष्ट कर देता है। विधिक रूप से बालकों के विरुद्ध अपराधों में वे कार्य सम्मिलित हैं जो उनकी शारीरिक सुरक्षा, शिक्षा और गरिमा का उल्लंघन करते हैं। सामान्य पारिवारिक अनुशासन या आपसी बाल विवाद इस श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि उनमें किसी संगठित आपराधिक आशय का अभाव होता है।

254. (B) आपराधिक अतिचार।
भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के अनुसार आपराधिक अतिचार न केवल अवैध प्रवेश से होता है बल्कि विधिक रूप से प्रवेश करने के पश्चात वहां अवैध रूप से बने रहने से भी घटित होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर अधिकार पूर्वक प्रवेश करता है परंतु बाद में उसका आशय बदल जाता है और वह वहां स्वामी को अपमानित करने या डराने हेतु रुका रहता है तो वह अपराधी बन जाता है। यह प्रावधान संपत्ति के शांतिपूर्ण उपभोग और स्वामी के विधिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है।

255. (A) 1, 2, 3, 4
निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का विधिक चक्र खतरे की आशंका से आरम्भ होकर उसकी समाप्ति पर खत्म होता है। सर्वप्रथम जब व्यक्ति को संकट की युक्तियुक्त आशंका होती है तब उसका विधिक अधिकार सक्रिय हो जाता है। अधिकार के सक्रिय होते ही वह अपनी रक्षा हेतु आवश्यक बल प्रयोग कर सकता है। जैसे ही हमलावर रुक जाता है या भाग जाता है और खतरा पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो यह विधिक अधिकार भी स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात किया गया कोई भी हमला अवैध माना जाएगा।

256. (B) एक रीति जिससे सश्रम कारावास के दंड को निष्पादित किया जा सकता है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 73 और 74 एकांत परिरोध के संबंध में प्रावधान करती हैं। विधिक रूप से यह स्वयं में कोई स्वतंत्र दंड नहीं है बल्कि इसे केवल तभी आरोपित किया जा सकता है जब न्यायालय ने अपराधी को सश्रम कारावास का दंड दिया हो। इसकी अवधि और प्रक्रिया पर कड़े विधिक निर्बन्धन हैं ताकि यह अमानवीय न हो जाए। यह दंड की एक विशेष पद्धति है जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधियों को एकांत में रखकर उनके आचरण पर गहरा प्रभाव डालना है जो विधिक सीमाओं में होता है।

257. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
जबरन वसूली का मुख्य विधिक आधार बेईमानी से किसी को संपत्ति देने हेतु विवश करना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अनुसार इसमें केवल चल संपत्ति ही नहीं बल्कि अचल संपत्ति या कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज़ भी सम्मिलित हो सकता है जो मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके। यह चोरी से व्यापक है क्योंकि चोरी केवल चल संपत्ति तक सीमित है। दोनों कथन जबरन वसूली के इन महत्वपूर्ण विधिक तत्वों को सटीकता से स्पष्ट करते हैं जो इसे संपत्ति के विरुद्ध एक विशिष्ट और गंभीर अपराध बनाते हैं।

258. (A) दोषपूर्ण कार्य या निषिद्ध शारीरिक कृत्य।
एक्टस रियुस आपराधिक विधि का वह भौतिक घटक है जो किसी कानून द्वारा निषिद्ध कृत्य के वास्तविक संपादन को दर्शाता है। केवल बुरे विचार या योजना दंडनीय नहीं होते जब तक कि वे किसी बाह्य कार्य या लोप के रूप में व्यक्त न हों। इसमें कृत्य की प्रकृति और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति सम्मिलित होती है। यह तत्व यह सुनिश्चित करता है कि विधिक दंड केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिले जिन्होंने वास्तव में कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भौतिक कार्य किया है जो समाज हेतु हानिकारक हो।

259. (C) दहेज मृत्यु।
भारतीय दंड संहिता की धारा 304B विवाहित महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष विधिक उपधारणा प्रदान करती है। यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर जलने या शारीरिक क्षति के कारण असामान्य परिस्थितियों में होती है तो उसे दहेज मृत्यु माना जाता है बशर्ते यह सिद्ध हो कि मृत्यु से पूर्व उसे दहेज हेतु प्रताड़ित किया गया था। यह कठोर प्रावधान साक्ष्य के भार को अभियुक्त पर डालता है ताकि समाज में व्याप्त इस गंभीर बुराई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके और न्याय सुनिश्चित हो।

260. (B) केवल 2 और 3
मानहानि हेतु कथन का केवल मिथ्या होना अनिवार्य नहीं है क्योंकि सत्य कथन भी यदि दुर्भावनापूर्ण आशय से और सार्वजनिक हित के बिना प्रकाशित किया गया हो तो वह अपराध हो सकता है। प्रकाशन मानहानि का मुख्य विधिक तत्व है जिसका अर्थ है सूचना को किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुँचाना। धारा 499 के अपवाद स्पष्ट करते हैं कि सार्वजनिक भलाई हेतु और सद्भावपूर्वक किया गया सत्य का प्रकाशन दंड से मुक्त है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से पूर्णतः सही नहीं है जबकि अन्य दो कथन मान्य विधिक सिद्धांत हैं।

261. (C) अवरोध आंशिक है, जबकि परिरोध पूर्ण है।
सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के मध्य मुख्य विधिक अंतर व्यक्ति की गति की स्वतंत्रता की सीमा में निहित है। सदोष अवरोध में व्यक्ति को केवल एक विशिष्ट दिशा में आगे बढ़ने से रोका जाता है जबकि वह अन्य दिशाओं में जाने हेतु स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत सदोष परिरोध में व्यक्ति को चारों ओर से ऐसी सीमाओं के भीतर घेर दिया जाता है जहाँ से बाहर निकलना उसके लिए संभव नहीं होता है। अतः परिरोध

सकता है। यह प्रावधान चिकित्सा पेशेवरों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में विधिक भय से मुक्त रखता है।

243. (C) सभी अपराधिक मानव वध हत्याएं हैं।
विधिक रूप से अपराधिक मानव वध एक व्यापक श्रेणी है जबकि हत्या उसकी एक प्रजाति है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक हत्या मानव वध का एक रूप है परंतु प्रत्येक मानव वध अनिवार्य रूप से हत्या नहीं होता है। कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ मृत्यु तो कारित की गई है परंतु आशय की कमी या विधिक अपवादों के कारण उन्हें हत्या के बजाय कम गंभीर मानव वध की श्रेणी में रखा जाता है। अतः तीसरा कथन विधिक रूप से पूर्णतः गलत है क्योंकि यह संबंधों को विपरीत रूप में प्रस्तुत करता है।

244. (D) किसी निजी कार्य में संलग्न महिला को देखना या उसकी छवि कैद करना।
दृश्यरतिकता एक ऐसा अपराध है जो महिला की निजता के अधिकार पर प्रहार करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला को देखता है या उसकी फोटो लेता है जो अपनी निजी गतिविधियों में व्यस्त है और यह मानती है कि वहां कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो वह दंड का पात्र होता है। यह कानून विशेष रूप से तकनीक के दुरुपयोग के माध्यम से होने वाले महिला उत्पीड़न को रोकने और उनकी व्यक्तिगत गरिमा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है।

245. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
चोरी में बिना सहमति के संपत्ति लेना मुख्य तत्व है जबकि जबरन वसूली में भय का प्रयोग कर संपत्ति प्राप्त की जाती है। लूट एक अधिक हिंसक स्थिति है जहाँ चोरी या जबरन वसूली के समय तत्काल हिंसा की धमकी दी जाती है। डकैती इन अपराधों का सामूहिक रूप है जिसमें पांच या अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। यह वर्गीकरण संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की बढ़ती गंभीरता और उनमें प्रयुक्त बल की मात्रा को विधिक रूप से स्पष्ट करता है जिससे न्यायपालिका को दंड निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है।

246. (B) षड्यंत्रकारियों के बीच एक समझौता।
आपराधिक षड्यंत्र का मूल तत्व दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य हुआ समझौता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120A के अंतर्गत उत्तरदायित्व हेतु यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्तों ने वास्तव में अपराध किया हो या वे अपराध स्थल पर उपस्थित हों। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि उनके बीच अवैध कार्य करने की साझा मानसिक सहमति थी तो षड्यंत्र का अपराध पूर्ण माना जाता है। समझौता ही वह आधार है जो विभिन्न व्यक्तियों को एक साझा विधिक उत्तरदायित्व के सूत्र में बांधता है।

247. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार पूर्णतः रक्षात्मक और निवारक होता है न कि दंडात्मक। विधिक रूप से किसी व्यक्ति को हमलावर को दंडित करने या उससे बदला लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल तभी सक्रिय होता है जब स्वयं के शरीर या संपत्ति पर हानि की वास्तविक और युक्तियुक्त आशंका हो। जैसे ही खतरा टल जाता है, बल प्रयोग करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से अमान्य है जबकि द्वितीय कथन इस अधिकार के मूल उद्देश्य और सीमाओं का सही वर्णन करता है।

248. (A) समन मामला।
दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार वे सभी मामले जिनमें अधिकतम दंड दो वर्ष तक का कारावास होता है, समन मामलों की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत दो वर्ष से अधिक दंड वाले अपराधों को वारंट मामले कहा जाता है। समन मामलों की विचारण प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल और संक्षिप्त होती है जिसका उद्देश्य छोटे अपराधों का शीघ्र निपटान करना है। जमानती या गैर-जमानती होना अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है परंतु दंड की अवधि ही मुख्य रूप से समन और वारंट मामलों के मध्य विधिक विभाजन निर्धारित करती है।

249. (C) गंभीर चोट।
भारतीय दंड संहिता की धारा 320 गंभीर चोट की परिभाषा में आठ प्रकार की गंभीर शारीरिक क्षतियों को सूचीबद्ध करती है। इनमें से एक मुख्य श्रेणी चेहरे या सिर का स्थायी विद्रूणीकरण है। चूंकि चेहरे की विकृति व्यक्ति के सामाजिक जीवन और व्यक्तित्व पर गहरा स्थायी प्रभाव डालती है अतः इसे साधारण चोट से उच्च श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है जो अपराधी के हिंसक कृत्य और पीड़ित को पहुँची अपूरणीय क्षति के प्रति विधिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।

250. (A) विधि की भूल के तहत कार्य करने वाला व्यक्ति।
आपराधिक विधि का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है कि विधि की अनभिज्ञता कोई क्षमा नहीं है। भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपवाद तथ्य की भूल (धारा 76 और 79) को तो संरक्षण प्रदान करते हैं परंतु कानून की जानकारी न होने के आधार पर किसी को अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक से यह विधिक अपेक्षा की जाती है कि वह देश के कानूनों का पालन करे। इसके विपरीत न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधीश और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण सुरक्षित श्रेणी में आते हैं।

251. (D) A, B और C सभी षड्यंत्र के पक्षकार हैं।
आपराधिक षड्यंत्र के विधिक सिद्धांतों के अनुसार जब कई व्यक्ति एक साझा अवैध उद्देश्य को पूरा करने हेतु सहमत होते हैं और उस दिशा में कार्य करते हैं तो वे सभी षड्यंत्र के पक्षकार माने जाते हैं। यहाँ व्यक्तिगत भूमिका चाहे विष देना हो या उसे पहुँचाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वे सभी एक ही योजना का हिस्सा हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत प्रत्येक प्रतिभागी सामूहिक उत्तरदायित्व के अधीन होता है। अतः ये सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से विधिक दंड के पात्र माने जाएंगे।

252. (B) सामान्य आशय में पूर्व-सहमति या मस्तिष्क के पूर्व मिलन की उपस्थिति।
सामान्य आशय (धारा 34) और समान आशय के मध्य विधिक अंतर साझा योजना के तत्व में निहित है। सामान्य आशय हेतु सभी अभियुक्तों के मध्य कृत्य से पूर्व एक मानसिक समन्वय

ही विधिक उत्तरदायित्व के गठन हेतु पर्याप्त है। अभिकथन में वर्णित स्थिति इस परिभाषा की सभी शर्तों को पूर्ण करती है और कारण उस विधिक प्रावधान की सटीकता से व्याख्या करता है जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

271. (A) ऊपर दिए गए सभी सूचीबद्ध अपवाद हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या की परिभाषा के साथ पांच विशिष्ट अपवाद प्रदान करती है। इन अपवादों में गंभीर और अचानक प्रकोपन, आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग, लोक सेवक द्वारा विधिक शक्ति का सद्भावपूर्वक प्रयोग, अचानक झगड़ा और पीड़ित की स्वेच्छा से दी गई सहमति सम्मिलित हैं। यदि अपराध इनमें से किसी भी परिस्थिति के अधीन आता है तो उसे हत्या नहीं माना जाता है बल्कि वह आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता कहलाता है। ये अपवाद दंड की कठोरता को कम करते हैं।

272. (B) लूट
लूट वह विधिक शब्द है जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में परिभाषित किया गया है। यह वास्तव में चोरी या जबरन वसूली का ही एक विकसित और हिंसक रूप है। इसमें संपत्ति प्राप्त करने हेतु बल प्रयोग, हिंसा या मृत्यु का तत्काल भय दिखाना अनिवार्य घटक है। साधारण संपत्ति अपराधों की तुलना में लूट अधिक जघन्य है क्योंकि इसमें व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा पर सीधा हमला होता है। विधिक रूप से यह संपत्ति के विरुद्ध किए जाने वाले सबसे गंभीर हिंसक अपराधों में से एक माना जाता है।

273. (B) केवल एक पुरुष द्वारा महिला के विरुद्ध।
पीछा करने का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 354D के अंतर्गत विशेष रूप से लिंग-आधारित अपराध के रूप में परिभाषित है। विधिक प्रावधानों के अनुसार इस अपराध का मुख्य अभियुक्त केवल पुरुष ही हो सकता है जो किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करता है या उसके इंटरनेट उपयोग की निगरानी करता है। यह कानून महिलाओं को निरंतर होने वाले मानसिक उत्पीड़न और असुरक्षा से बचाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। अन्य लिंगों के मामले में अन्य सामान्य विधिक प्रावधान लागू हो सकते हैं।

274. (A) हत्या
आपराधिक विधि में केवल कृत्य ही नहीं बल्कि अवैध लोप भी अपराध का आधार हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन की रक्षा करे और वह जानबूझकर उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है जिससे दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या का दोषी होता है। यहाँ कारापाल का विधिक दायित्व कैदी को भोजन देना था और भोजन न देना एक अवैध लोप है जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया था। अतः यह विधिक रूप से हत्या की श्रेणी में आता है।

275. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
पीछा करने में महिला की अरुचि के बावजूद संपर्क करना शामिल है जबकि दृश्यरतिकता महिला के निजी क्षणों को देखने से संबंधित है। रिष्टि का अर्थ संपत्ति को हानि पहुँचाने के आशय से नष्ट करना है। चोरी का मुख्य तत्व बिना सहमति के चल संपत्ति को बेईमानी से लेना है। ये सभी अपराध भारतीय दंड संहिता के विभिन्न अध्यायों में व्यक्तिगत गरिमा और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा हेतु स्पष्ट रूप से वर्गीकृत और परिभाषित किए गए हैं जो समाज में विधिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने हेतु अनिवार्य हैं।

276. (D) जब कार्य करने का विधिक कर्तव्य हो।
सामान्यतः किसी कार्य को न करना अपराध नहीं है परंतु यदि कानून ने किसी व्यक्ति पर विशिष्ट कार्य करने की जिम्मेदारी डाली है तो उसका उल्लंघन दंडनीय है। उदाहरण हेतु माता-पिता का अपने बालक को भोजन देना या पुलिस अधिकारी का कैदी की सुरक्षा करना विधिक कर्तव्य है। यदि इन कर्तव्यों का जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है और उससे किसी को क्षति पहुँचती है तो इसे अवैध लोप माना जाता है। विधिक उत्तरदायित्व हेतु विधिक कर्तव्य की उपस्थिति ही लोप को अपराध की श्रेणी में लाती है।

277. (C) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जुर्माना दंड का एक मान्य रूप है जिसे न्यायालय अपराधी की आर्थिक स्थिति और अपराध की गंभीरता के अनुसार आरोपित करता है। हालांकि प्रत्येक मामले में जुर्माने की राशि की कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती है। धारा 63 के अनुसार यदि जुर्माने की राशि निश्चित नहीं की गई है तो वह असीमित हो सकती है परंतु वह अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से सत्य है परंतु द्वितीय कथन में विधिक त्रुटि विद्यमान है क्योंकि यह सीमा को अनिवार्य मानता है।

278. (B) संयुक्त दायित्व।
आपराधिक षड्यंत्र में उत्तरदायित्व का आधार संयुक्त दायित्व का सिद्धांत है। विधिक रूप से जब दो या अधिक व्यक्ति एक साझा अवैध उद्देश्य हेतु सहमत होते हैं तो वे एक काल्पनिक विधिक इकाई बन जाते हैं। इस समझौते के अग्रसरण में किसी भी षड्यंत्रकारी द्वारा किया गया कार्य उन सभी का कार्य माना जाता है। इसके लिए प्रत्यक्ष भागीदारी आवश्यक नहीं है क्योंकि साझा मानसिक सहमति ही प्रत्येक सदस्य को दूसरे के कृत्यों हेतु विधिक रूप से उत्तरदायी बना देती है। यह सिद्धांत संगठित अपराधों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक है।

279. (D) अप्राकृतिक वासना को तृप्त करना।
शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अत्यंत गंभीर हमलों के विरुद्ध मृत्यु कारित करने तक विस्तृत होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 उन विशिष्ट परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है जहाँ हमलावर की जान लेना न्यायोचित है। इनमें मृत्यु या गंभीर चोट की आशंका के साथ-साथ बलात्कार, अप्राकृतिक वासना की तृप्ति हेतु किया गया हमला, व्यपहरण या एसिड हमले का प्रयास सम्मिलित हैं। साधारण चोरी या अतिचार में इस सीमा तक बल प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि विधि जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

299. (D) मानहानि की विधि का अपवाद।
भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत लोक सेवकों के सार्वजनिक कार्यों पर टिप्पणी करना मानहानि का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। विधिक रूप से यह माना जाता है कि जनता को सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सद्भावपूर्वक चर्चा करने और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। यदि आलोचना सार्वजनिक भलाई हेतु है और उसमें कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यह अपवाद लोकतांत्रिक मूल्यों और सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से निर्मित किया गया है जो स्वस्थ आलोचना को प्रोत्साहित करता है।

300. (B) एक निषिद्ध कार्य और एक दोषी मन।
विधिक दृष्टिकोण से किसी भी अपराध के अस्तित्व हेतु दो आधारभूत स्तंभ अनिवार्य हैं: एक्टस रियुस और मेन्स रीया। एक्टस रियुस वह भौतिक व्यवहार है जिसे कानून ने स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया है जबकि मेन्स रीया उस व्यवहार के पीछे छिपा आपराधिक इरादा या दोषी मन है। इन दोनों का सम्मिश्रण ही किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। बिना कृत्य के केवल बुरा विचार दंडनीय नहीं है और बिना आपराधिक आशय के किया गया आकस्मिक कार्य सामान्यतः अपराध नहीं माना जाता है।

पर हस्ताक्षर करने हेतु मजबूर किया। चूंकि यहाँ संपत्ति का हस्तांतरण भय के कारण हुआ है अतः यह भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के अंतर्गत जबरन वसूली का स्पष्ट और विधिक उदाहरण माना जाता है।

290. (A) केवल 1 और 2
विधिविरुद्ध सभा हेतु पांच या अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति और उनका एक साझा सामान्य उद्देश्य होना अनिवार्य विधिक शर्तें हैं। धारा 141 के अनुसार केवल एकत्रित होना ही सदस्यता हेतु पर्याप्त अपराध हो सकता है यदि उद्देश्य अवैध है। बल या हिंसा का प्रयोग विधिक रूप से बलवा का गठन करता है न कि केवल विधिविरुद्ध सभा का। अतः विधिविरुद्ध सभा अहिंसक भी हो सकती है यदि उसका उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना हो। इसलिए तीसरा कथन विधिविरुद्ध सभा की परिभाषा हेतु अनिवार्य नहीं है।

291. (C) मानसिक अस्वस्थता।
मैकनॉटन नियम आपराधिक विधि में पागलपन या मानसिक अस्वस्थता के आधार पर बचाव का मुख्य विधिक आधार है। यह नियम यह निर्धारित करता है कि अभियुक्त को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक वह अपराध के समय अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण कृत्य की प्रकृति या उसके अवैध होने को समझने में पूर्णतः असमर्थ न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 इसी अंतरराष्ट्रीय विधिक सिद्धांत पर आधारित है जो विधिक और चिकित्सकीय मानसिक अस्वस्थता के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा निर्धारित करती है ताकि न्याय हो सके।

292. (D) हाँ, क्योंकि A का कार्य एक ऐसा संकेत था जिससे आशंका होने की संभावना थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 351 के अनुसार हमला घटित होने हेतु वास्तविक शारीरिक संपर्क आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे संकेत या हाव-भाव करता है जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह उचित डर हो जाए कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है तो वह हमले का दोषी है। मुट्ठी हिलाना एक ऐसा आक्रामक कृत्य है जो सामने वाले के मन में शारीरिक चोट की आशंका उत्पन्न करता है। अतः यह विधिक रूप से हमले की श्रेणी में आता है और दंडनीय अपराध माना जाता है।

293. (C) जिस रीति से अभियुक्त को कब्जा प्राप्त होता है।
चोरी और आपराधिक न्यासभंग के मध्य मुख्य विधिक अंतर संपत्ति के कब्जे के आरम्भ में निहित है। चोरी में अपराधी संपत्ति को शुरू से ही अवैध रूप से और बिना सहमति के स्वामी के कब्जे से हटाता है। इसके विपरीत आपराधिक न्यासभंग में संपत्ति अभियुक्त को स्वामी द्वारा विश्वास या अनुबंध के आधार पर वैध रूप से सौंपी जाती है। अपराध तब होता है जब वह व्यक्ति बाद में उस विश्वास को तोड़कर संपत्ति का बेईमानी से अपने निजी हित हेतु दुरुपयोग करता है।

294. (B) बलात्कार नहीं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार के संबंध में एक विशिष्ट अपवाद दिया गया है। इसके अनुसार यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो पति द्वारा उसके साथ बनाया गया यौन संबंध विधिक रूप से बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। यद्यपि यह प्रावधान अत्यधिक विवादित है और विभिन्न सामाजिक एवं विधिक मंचों पर इस पर चर्चा जारी है परंतु वर्तमान विधिक स्थिति के अनुसार यह कृत्य दंडनीय अपराध नहीं माना गया है। यह वैवाहिक संबंधों की विशिष्ट विधिक स्थिति को दर्शाता है।

295. (D) डकैती
विधिक वर्गीकरण के अनुसार डकैती संपत्ति के विरुद्ध किया जाने वाला एक अत्यंत गंभीर और हिंसक अपराध है जिसे भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में रखा गया है। इसके विपरीत दंगा सार्वजनिक शांति के विरुद्ध है जबकि उपहति और व्यपहरण मानव शरीर के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के अध्याय में सम्मिलित हैं। डकैती में मुख्य आपराधिक उद्देश्य दूसरों की संपत्ति को सामूहिक बल और हिंसा के माध्यम से प्राप्त करना होता है अतः इसका मुख्य केंद्र बिंदु संपत्ति अधिकारों का हिंसक उल्लंघन करना ही है।

296. (A) लूट
डकैती का अपराध गठित करने हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 391 के अंतर्गत अपराधियों की न्यूनतम संख्या विधिक रूप से पांच निर्धारित की गई है। चूंकि यहाँ केवल चार व्यक्तियों ने मिलकर कृत्य किया है अतः यह डकैती की विधिक परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है। हालांकि हिंसा या भय के साथ संपत्ति प्राप्त करने का यह कृत्य धारा 390 के अंतर्गत लूट की श्रेणी में अवश्य आएगा। अपराधियों की संख्या ही वह मुख्य कारक है जो विधिक रूप से लूट और डकैती के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचती है।

297. (D) कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है।
अपराधिक मानव वध की विधिक परिभाषा हत्या की तुलना में अधिक विस्तृत है। इसमें सदैव मृत्यु कारित करने का प्रत्यक्ष आशय होना अनिवार्य नहीं है; यह इस ज्ञान के साथ भी घटित हो सकता है कि कृत्य से मृत्यु होने की प्रबल संभावना है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी शारीरिक क्षति पहुँचाने का आशय रखता है जिससे मृत्यु हो सकती है तो वह भी इसी श्रेणी में आता है। अतः प्रथम कथन विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह आशय को एकमात्र शर्त मानता है जबकि द्वितीय कथन विधिक यथार्थ को सटीकता से व्यक्त करता है।

298. (A) आजीवन कारावास का आधा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 511 अपराधों के प्रयास हेतु दंड का सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करती है। यदि किसी अपराध हेतु दंड आजीवन कारावास है और उसके प्रयास हेतु कोई विशिष्ट सजा उपबंधित नहीं है तो अभियुक्त को उस अपराध हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि के आधे समय हेतु कारावास से दंडित किया जा सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अपराध पूर्ण न होने की स्थिति में भी अपराधी का उत्तरदायित्व बना रहे और उसे उसके हानिकारक इरादों और प्रयासों हेतु समाज के समक्ष विधिक दंड भुगतना पड़े।

280. (A) तैयारी
अपराध के चरणों में आयुध या संसाधनों का संग्रह करना केवल तैयारी की श्रेणी में आता है। विधिक रूप से केवल तैयारी दंडनीय नहीं होती है क्योंकि अभी तक अपराध की दिशा में कोई वास्तविक और सीधा कदम नहीं उठाया गया है। प्रयास तब माना जाता जब अभियुक्त बंदूक लेकर शिकार के पास पहुँचता और उस पर प्रहार करने की कोशिश करता। चूंकि यहाँ केवल संसाधनों को एकत्रित किया गया है अतः यह कृत्य अभी तक विधिक रूप से प्रयास या पूर्णता के चरण तक नहीं पहुँचा है।

281. (C) सदोष लाभ या हानि पहुँचाने के आशय से।
भारतीय दंड संहिता की धारा 24 'बेईमानी से' शब्द को परिभाषित करती है। इसके अनुसार कोई भी कार्य बेईमानीपूर्ण तब माना जाता है जब वह किसी व्यक्ति को सदोष लाभ पहुँचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाने के विशिष्ट आशय से किया गया हो। यहाँ कृत्य का भौतिक परिणाम और कर्ता का मानसिक उद्देश्य दोनों ही विधिक उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। यह शब्द चोरी, जबरन वसूली और प्रवंचना जैसे कई संपत्ति अपराधों का एक अनिवार्य आधारभूत घटक है।

282. (A) घातक हथियारों की उपस्थिति।
धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त उत्तरदायित्व आरोपित करने हेतु तीन अनिवार्य विधिक तत्व हैं: कई व्यक्तियों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य, उन सभी के मध्य एक साझा सामान्य आशय और कृत्य के समय उनकी सक्रिय भागीदारी। यद्यपि घातक हथियारों का प्रयोग दंड की गंभीरता को बढ़ा सकता है परंतु यह इस धारा को लागू करने हेतु कोई प्राथमिक या अनिवार्य शर्त नहीं है। निहत्थे व्यक्तियों का समूह भी यदि साझा योजना के तहत कृत्य करता है तो वे सामूहिक रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे।

283. (D) 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को।
पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार बालक शब्द की परिभाषा में 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है चाहे वह बालक हो या बालिका। यह कानून पूर्णतः लिंग-निरपेक्ष है और सभी बालकों को यौन अपराधों से समान विधिक सुरक्षा प्रदान करता है। आयु का यह पैमाना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों और बाल अधिकारों के अनुरूप निर्धारित किया गया है ताकि किशोरावस्था के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के यौन शोषण या अश्लीलता के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

284. (B) विशेषाधिकार।
न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान न्यायाधीशों, गवाहों और वकीलों द्वारा दिए गए बयानों को पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त होता है। विधिक रूप से यह माना जाता है कि न्याय के प्रशासन में सत्य तक पहुँचने हेतु पक्षों को बिना किसी भय के बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि अदालत के भीतर दी गई गवाही को मानहानि का आधार बनाया जाएगा तो न्याय की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। हालांकि यह विशेषाधिकार केवल अदालती कार्यवाही की सीमाओं के भीतर और सद्भावपूर्वक किए गए बयानों तक ही विधिक रूप से सीमित रहता है।

285. (C) महबूब शाह बनाम एम्परर।
महबूब शाह बनाम एम्परर (सिंधु नदी हत्या मामला) धारा 34 के सही अनुप्रयोग को समझने हेतु आधारभूत विधिक मिसाल है। प्रिवी काउंसिल ने इस ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया था कि सामूहिक दायित्व हेतु सामान्य आशय का होना अनिवार्य है जो समान आशय से पूर्णतः भिन्न है। साझा योजना या मस्तिष्क का पूर्व मिलन ही वह तत्व है जो समूह के प्रत्येक सदस्य को मुख्य अपराधी के समान दंड का भागी बनाता है। यह निर्णय आज भी सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्धारण में सर्वोच्च विधिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।

286. (D) धारा 326A भारतीय दंड संहिता।
भारतीय दंड संहिता की धारा 326A एसिड हमले के जघन्य अपराध को संबोधित करने हेतु विशेष रूप से निर्मित की गई है। यह धारा न केवल एसिड फेंकने को बल्कि इसके प्रयोग से होने वाली किसी भी प्रकार की गंभीर चोट या विद्रूपीकरण को कठोरता से दंडित करती है। इसमें न्यूनतम दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड का प्रावधान है। यह विशेष प्रावधान पीड़ितों के शारीरिक विनाश और सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा को देखते हुए विधिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और निवारक बनाने हेतु जोड़ा गया है।

287. (C) कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 99 लोक सेवकों को एक विशेष विधिक संरक्षण प्रदान करती है। इसके अनुसार यदि कोई लोक सेवक सद्भावपूर्वक और अपने विधिक अधिकार के तहत कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। हालांकि इस निर्बन्धन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि यदि लोक सेवक के कृत्य से पीड़ित को अपनी मृत्यु या गंभीर चोट होने की युक्तियुक्त आशंका हो तो उसे आत्मरक्षा का अधिकार पुनः प्राप्त हो जाता है। अतः द्वितीय कथन विधिक रूप से असत्य है।

288. (B) उनकी सहमति के बिना।
चोरी के अपराध का सार यह है कि संपत्ति को स्वामी या कब्जेधारी की विधिक सहमति के बिना हटाया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अनुसार यदि संपत्ति लेने के पीछे कोई सहमति विद्यमान है तो वह चोरी नहीं कहलाती है। सहमति का अभाव ही वह मुख्य तत्व है जो इस कृत्य को अवैध और दंडनीय बनाता है। इसके अतिरिक्त अपराधी का आशय बेईमानीपूर्ण होना चाहिए और संपत्ति चल प्रकृति की होनी चाहिए ताकि उसे विस्थापित किया जा सके।

289. (B) जबरन वसूली
जबरन वसूली तब घटित होती है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को या उसके किसी प्रियजन को क्षति के भय में डालकर उसे कोई मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित दस्तावेज़ देने हेतु विवश करता है। यहाँ बालक को सदोष परिरोध में रखने की धमकी देना वह विधिक कारण है जिसने पीड़ित को वचन-पत्र

अध्याय 07
श्रम विधि

1. न्यूनतम वेतन के संबंध में वेतन संहिता, 2019 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन-सा है?
   (A) पूरे भारत में सभी क्षेत्रों के लिए एक सार्वभौमिक वेतन दर निर्धारित करना।
   (B) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वैधानिक राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) की शुरुआत करना।
   (C) गणना के लिए कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच के अंतर को समाप्त करना।
   (D) न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की शक्ति पूरी तरह से व्यक्तिगत नियोक्ताओं को हस्तांतरित करना।

2. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
   कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का उद्देश्य विवाद समाधान के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित करके त्वरित न्याय के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।
   कथन II: यह संहिता प्रत्येक व्यक्तिगत शिकायत के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण के तत्काल गठन को अनिवार्य बनाकर इसे प्राप्त करती है।
   (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
   (B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
   (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
   (D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत, निम्नलिखित में से कौन 'असंगठित श्रमिक' का सबसे सटीक वर्णन करता है?
   (A) 100 से अधिक कर्मचारियों वाले पंजीकृत कारखाने में कार्यरत श्रमिक।
   (B) कोई भी श्रमिक जो वर्तमान में किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है।
   (C) असंगठित क्षेत्र में घर पर आधारित, स्व-नियोजित या मजदूरी पर कार्य करने वाला श्रमिक।
   (D) अनुबंध के आधार पर कार्य करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी का कर्मचारी।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
   (A) महिलाएं सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की पात्र हैं।
   (B) महिलाओं की सहमति प्राप्त होने पर रात्रि पाली में उनके नियोजन की अनुमति है।
   (C) विशिष्ट कर्मचारी संख्या वाली इकाइयों के लिए शिशुगृह (क्रेच) सुविधाओं के प्रावधान अनिवार्य हैं।
   (D) नियोक्ता रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए परिवहन प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

5. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' प्रावधान मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित करता है?
   (A) कि कंपनी की लाभप्रदता की परवाह किए बिना सभी श्रमिकों को बोनस मिलेगा।
   (B) कि सभी प्रकार के कार्यों के लिए श्रमिकों को दैनिक आधार पर वेतन का भुगतान किया जाता है।
   (C) अनधिकृत कटौती के बिना कर्मचारियों को वेतन का समय पर भुगतान।
   (D) कि प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए नियोजन की गारंटी दी जाती है।

6. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कौन-सा प्रावधान विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभों को संबोधित करता है?
   (A) क्षेत्र की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि योगदान।
   (B) विकलांगता, स्वास्थ्य और मातृत्व के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का निर्माण।
   (C) केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक असंगठित श्रमिक को ग्रेच्युटी का भुगतान।
   (D) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बराबर सरकार द्वारा वित्त पोषित पेंशन योजना।

7. त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की एक प्रमुख विशेषता है:
   (A) सभी प्रारंभिक सुलह कार्यवाहियों को पूरी तरह समाप्त करना।
   (B) श्रमिकों को किसी भी शिकायत के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाने की अनुमति देना।
   (C) नियोक्ताओं के लिए 24 घंटे के भीतर सभी विवादों को आंतरिक रूप से हल करने की आवश्यकता।
   (D) विवादों के अधिनिर्णय के लिए दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना।

8. वेतन संहिता, 2019 के तहत न्यूनतम वेतन लागू करने के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
   (A) न्यूनतम वेतन कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय किया जा सकता है।

(A) कुशल तकनीकी कर्मचारी
(B) प्रशिक्षु (ट्रेनी) या इंटर्न
(C) अकुशल शारीरिक श्रमिक
(D) अर्ध-कुशल ऑपरेटर

79. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के अनुसार, सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का महिलाओं का अधिकार किसकी ओर एक महत्वपूर्ण चरण है?
(A) औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यों के लिंग आधारित अलगाव को बढ़ाना।
(B) कार्यबल में आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
(C) कुछ प्रकार की विशिष्ट नौकरियों में नियोजन चाहने वाले पुरुषों को हतोत्साहित करना।
(D) आधुनिक कारखानों में समग्र सुरक्षा मानकों को कम करना।

80. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में चोटों के लिए कर्मचारियों को मुआवजा देने के प्रावधान सम्मिलित हैं।
कारण (R): यह प्रावधान विशेष रूप से केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है, क्योंकि संगठित क्षेत्र के कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

81. वेतन संहिता, 2019 'वेतन' की परिभाषा को सरल बनाती है। सामाजिक सुरक्षा के लिए यह सरलीकरण क्यों महत्वपूर्ण है?
(A) यह एक कर्मचारी को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा की राशि को कम करता है।
(B) यह सुनिश्चित करता है कि पारिश्रमिक का एक सुसंगत हिस्सा PF और ESI के लिए उपयोग किया जाए।
(C) यह नियोक्ताओं को कोई भी सामाजिक सुरक्षा योगदान देने से छूट देता है।
(D) यह सामाजिक सुरक्षा की उत्तरदायित्व कर्मचारी को हस्तांतरित करता है।

82. श्रम संहिताओं के पारित होने से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके अधिनियमन वर्ष के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. वेतन संहिता अधिनियम पारित किया गया।
2. औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और OSH संहिता पारित की गईं।
3. राष्ट्रपति ने वेतन संहिता को अनुमति दी।
4. राष्ट्रपति ने तीन अन्य संहिताओं को अनुमति दी।

(A) 1, 3, 2, 4
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 2, 1, 4, 3

83. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत परिकल्पित औद्योगिक न्यायाधिकरण, जो त्वरित न्याय के लिए है, उसमें कौन सम्मिलित होंगे:
(A) एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य।
(B) स्थानीय ट्रेड यूनियन द्वारा नियुक्त एक एकल सदस्य।
(C) नियोक्ता द्वारा चयनित पाँच सदस्यों का एक पैनल।
(D) विशिष्ट राज्य के श्रम मंत्री।

84. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 महिलाओं को खानों में कार्य करने की अनुमति देती है, जो पहले प्रतिबंधित था।
कथन II: यह सशक्तिकरण का एक उपाय है, बशर्ते नियोक्ता सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट सुरक्षा और कल्याण उपायों को सुनिश्चित करे।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

85. निम्नलिखित में से कौन-सा श्रमिक प्रकार और संहिता का सही युग्म है जो विशेष रूप से उन्हें परिभाषित और उनके लिए प्रावधान करता है?
(A) प्रशिक्षु (Apprentice) - औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
(B) अनुबंध श्रमिक (Contract Labour) - वेतन संहिता, 2019
(C) प्लेटफॉर्म श्रमिक - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
(D) बाल श्रमिक - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

86. वेतन संहिता, 2019 कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का प्रावधान करती है। अधिकांश नियोजनों के लिए इन न्यूनतम वेतन को अधिसूचित करने की प्राथमिक उत्तरदायित्व किसके पास है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) मुख्यालय।
(B) उपयुक्त सरकार (केंद्र या राज्य)।
(C) संबंधित औद्योगिक ट्रेड यूनियन।
(D) प्रतिष्ठान का व्यक्तिगत नियोक्ता।

87. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'त्वरित न्याय' की भावना के विपरीत कौन-सी कार्रवाई मानी जाएगी?
(A) निर्धारित समय सीमा के भीतर सुलह की कार्यवाही पूर्ण करना।
(B) नियमों के अनुसार शिकायत निवारण समिति का गठन करना।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

17. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' का प्रावधान श्रमिकों को किससे बचाने के लिए है?
(A) शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जो कंपनी के मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं।
(B) नियोक्ता द्वारा अर्जित वेतन के भुगतान में देरी और गैर-भुगतान से।
(C) सामान्य मुद्रास्फीति और शहरी क्षेत्रों में रहने की बढ़ती लागत से।
(D) ट्रेड यूनियन में सम्मिलित होने या बने रहने की प्रशासनिक आवश्यकता से।

18. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कई पिछले कानूनों को समाहित करती है। समाहित किए गए कानूनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?
(A) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम - कर्मचारियों को मुआवजे का प्रावधान
(B) कारखाना अधिनियम - औद्योगिक विवादों में त्वरित न्याय का प्रावधान
(C) औद्योगिक विवाद अधिनियम - कारखानों में महिला सशक्तिकरण का प्रावधान
(D) न्यूनतम वेतन अधिनियम - असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा

19. वेतन संहिता, 2019 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत नियोजनों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने और संशोधित करने के लिए किस निकाय को अधिकार दिया गया है?
(A) भारत का उच्चतम न्यायालय
(B) भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
(C) उपयुक्त सरकार (केंद्र या राज्य)
(D) प्रतिष्ठान के श्रमिकों द्वारा गठित एक समिति

20. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 जाँच और अधिनिर्णय कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करती है।
कारण (R): इन समय-सीमाओं का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक विवादों के लंबित मामलों को कम करना और श्रमिकों को त्वरित राहत प्रदान करना है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

21. एक कारखाने में 60 महिलाएं कार्यरत हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, health और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत उनके कल्याण के संबंध में किस प्रावधान को अनिवार्य किया गया है?
(A) नियोक्ता को सभी महिला कर्मचारियों को निःशुल्क आवास प्रदान करना होगा।
(B) प्रत्येक महिला कर्मचारी को बोर्ड में एक प्रतिनिधि सीट दी जानी चाहिए।
(C) नियोक्ता को प्रति श्रमिक एक बच्चे की उच्च शिक्षा का व्यय वहन करना होगा।
(D) नियोक्ता को शिशुगृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करनी होगी।

22. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत एक व्यक्तिगत श्रमिक के लिए विवाद समाधान के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. औद्योगिक न्यायाधिकरण को आवेदन।
2. शिकायत निवारण समिति को शिकायत प्रस्तुत करना।
3. सुलह की कार्यवाही।
4. शिकायत निवारण समिति द्वारा कार्यवाही पूरा करना।
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 4, 3, 1
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 2, 3, 1, 4

23. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत किसे 'प्लेटफॉर्म श्रमिक' माना जाता है?
(A) एक पारंपरिक टैक्सी चालक जो अपने व्यक्तिगत वाहन का स्वामी है और उसे चलाता है।
(B) एक विनिर्माण संयंत्र की प्राथमिक असेंबली लाइन में पूर्णकालिक कर्मचारी।
(C) पारंपरिक रोजगार के बाहर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाई करने वाला व्यक्ति।
(D) विशेष रूप से विभागीय आईटी अनुभाग के भीतर कार्य करने वाला सरकारी कर्मचारी।

24. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वेतन संहिता, 2019 यह अनिवार्य करती है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) तय करेगी।
कथन II: राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज' से कम न्यूनतम वेतन निर्धारित नहीं कर सकती हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

25. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारियों को मुआवजे का प्रावधान करने के मुख्य उद्देश्यों में से एक है:
(A) कार्यकाल की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पेंशन प्रदान करना।

(B) न्यूनतम वेतन विशेष रुप से केवल अकुशल श्रमिकों की श्रेणी के लिए निर्धारित किया जाता है।
(C) केंद्र सरकार भारत में सभी नियोजनों के लिए न्यूनतम वेतन तय करती है।
(D) एक बार निर्धारित होने के बाद, न्यूनतम वेतन को कम से कम दस वर्षों तक संशोधित नहीं किया जा सकता है।

9. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देकर उन्हें सशक्त बनाती है।
कारण (R): यह प्रावधान बिना शर्त है और नियोक्ता सभी महिला कर्मचारियों के लिए रात्रि पाली अनिवार्य कर सकते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

10. निम्नलिखित में से कौन-सी श्रमिकों की वह श्रेणी नहीं है जिसके लिए आमतौर पर वेतन संहिता, 2019 के तहत न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है?
(A) प्रबंधन स्तर के कार्यकारी
(B) अकुशल शारीरिक श्रमिक
(C) अर्ध-कुशल ऑपरेटर
(D) कुशल तकनीकी कर्मचारी

11. श्रम संहिताओं के प्रावधानों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I (संहिता):
P. वेतन संहिता, 2019
Q. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
R. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
S. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (OSH) संहिता, 2020।
सूची II (प्रमुख प्रावधान):
1. शिकायत निवारण समिति
2. राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज'
3. गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
4. सुरक्षा समिति।
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

12. एक कारखाने में एक श्रमिक अपने नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के कारण घायल हो जाता है। उसके मुआवजे का प्रावधान मुख्य रुप से किस संहिता के तहत समेकित किया गया है?
(A) वेतन संहिता, 2019
(B) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
(C) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
(D) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

13. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वेतन संहिता, 2019 अपवर्जन (exclusions) की संख्या को कम करके 'वेतन' की परिभाषा को सरल बनाती है।
कथन II: इस सरलीकरण का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और वेतन गणना में पारदर्शिता बढ़ाना है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

14. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कार्य करने का प्रावधान करती है। इसके स्वीकार्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन-सी है?
(A) महिला श्रमिक को रात्रि पाली के लिए दोगुने वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।
(B) महिला श्रमिक के पास उद्योग में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
(C) प्रतिष्ठान किसी महानगर के केंद्र में स्थित होना चाहिए।
(D) नियोक्ता को महिला श्रमिक की विशिष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी।

15. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत व्यक्तिगत शिकायतों के मामले में श्रमिकों को त्वरित न्याय प्रदान करने का प्राथमिक तंत्र क्या है?
(A) शिकायत निवारण समिति और सुलह से जुड़ी एक समयबद्ध प्रक्रिया।
(B) श्रम कानूनों में विशेषज्ञता वाली बाहरी निजी संस्था द्वारा अनिवार्य मध्यस्थता।
(C) औपचारिक शिकायत प्राप्त होने पर श्रम मंत्री के कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप।
(D) सामान्य प्रक्रियात्मक कानून के तहत जिला न्यायालय में दीवानी वाद दायर करना।

16. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है।
2. यह सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए 'गिग श्रमिक' और 'प्लेटफॉर्म श्रमिक' की अवधारणा पेश करता है।
3. यह सभी असंगठित श्रमिकों के लिए अपनी आय का 50% सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना अनिवार्य बनाता है।

कार्यस्थल पर आने-जाने के दौरान कर्मचारी को लगी चोटों के लिए मुआवजा देने हेतु उत्तरदायी है।
कथन II: संहिता कुछ यात्रा दुर्घटनाओं को सम्मिलित करने के लिए 'नियोजन के दौरान' की परिभाषा का विस्तार करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

35. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' का प्रावधान किस क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है?
(A) केवल संगठित क्षेत्र।
(B) केवल असंगठित क्षेत्र।
(C) संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र।
(D) केवल सरकारी कर्मचारी।

36. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए एक 'री-स्किलिंग फंड' (पुनः कौशल कोष) बनाने का प्रस्ताव करती है।
2. यह अनिवार्य करती है कि 20 या अधिक श्रमिकों वाले प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति हो।
3. यह नए ट्रेड यूनियनों के गठन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

37. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रावधान सम्मिलित करने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है?
(A) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सबसे अधिक करदाता हैं।
(B) विदेशी निवेशकों ने इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग की थी।
(C) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहले से ही अत्यधिक लाभ मिल रहे थे।
(D) भारतीय कार्यबल के एक बड़े हिस्से के पास सामाजिक सुरक्षा कवच का अभाव है।

38. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 किससे संबंधित कानूनों को समेकित करती है?
(A) प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थिति।
(B) वेतन, बोनस और पारिश्रमिक मानक।
(C) ट्रेड यूनियन, औद्योगिक विवाद और स्थायी आदेश।
(D) सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे भविष्य निधि और बीमा।

39. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय का प्रावधान किसे लाभ पहुँचाता है?
(A) केवल मुद्दों को हल करने की इच्छा रखने वाले नियोक्ताओं को।
(B) केवल मुआवजा या राहत चाहने वाले श्रमिकों को।
(C) शीघ्र समाधान सुनिश्चित करके श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को।
(D) केवल सरकार और न्यायपालिका के प्रशासनिक कर्मचारियों को।

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): वेतन संहिता, 2019, कुशल और अकुशल जैसी श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन के निर्धारण का प्रावधान करती है।
कारण (R): संहिता यह मानती है कि श्रम का मूल्य और आवश्यक विशेषज्ञता विभिन्न कार्य भूमिकाओं में भिन्न होती है, जिससे विभिन्न वेतन स्तरों की आवश्यकता होती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

41. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियोजन के दौरान लगी चोट के कारण कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा किसे देय है?
(A) नियोक्ता को।
(B) राज्य सरकार को।
(C) मृतक कर्मचारी के आश्रितों को।
(D) उस ट्रेड यूनियन को जिसका कर्मचारी सदस्य था।

42. चार नई श्रम संहिताओं को उनके अधिनियमन वर्ष के आधार पर ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित करें:
1. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता
2. वेतन संहिता
3. औद्योगिक संबंध संहिता
4. सामाजिक सुरक्षा संहिता

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 2, 3, 4, 1

43. कौन-सा कथन व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण के प्रावधान की सही पहचान करता है?
(A) शाम 7 बजे के बाद महिलाओं को किसी भी कारखाने में कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है।
(B) नियोक्ताओं को प्रत्येक महिला के लिए मुख्य निरीक्षक से अनुमति लेनी होगी।
(C) संहिता सरकार को रात्रि पाली सुरक्षा के संबंध में नियम

बनाने का अधिकार देती है।
(D) महिलाओं को सभी सुरक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

44. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का एक प्राथमिक लक्ष्य औद्योगिक विवादों से संबंधित श्रम कानूनों के जटिल जाल को सरल बनाना है।
कथन II: संहिता तीन प्रमुख केंद्रीय श्रम कानूनों को निरस्त और एक एकल संहिता में समेकित करके इसे प्राप्त करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

45. वेतन संहिता, 2019 में परिकल्पित "सामाजिक सुरक्षा" की अवधारणा किससे संबंधित है?
(A) खतरनाक स्थलों पर श्रमिकों के लिए सशस्त्र रक्षक प्रदान करना।
(B) वेतन की परिभाषा कटौती और योगदान को कैसे प्रभावित करती है।
(C) सभी श्रमिकों के लिए उनके पूरे जीवन के लिए नियोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
(D) कार्यस्थल पर निःशुल्क इंटरनेट और सोशल मीडिया पहुँच प्रदान करना।

46. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'त्वरित न्याय' प्रदान करने का निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है?
(A) हड़ताल और तालाबंदी की अवधि को कम करना।
(B) शिकायत दर्ज करने वाले प्रत्येक श्रमिक के लिए पदोन्नति की गारंटी देना।
(C) उत्पादन और व्यावसायिक संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करना।
(D) त्वरित प्रक्रियाओं के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच विश्वास बनाना।

47. वेतन संहिता, 2019 का उद्देश्य 'वेतन की गारंटी' सुनिश्चित करना है। नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी कार्रवाई इस सिद्धांत का उल्लंघन करेगी?
(A) महीने के अंतिम दिन से पहले वेतन का भुगतान करना।
(B) वेतन से भविष्य निधि (PF) योगदान जैसी वैधानिक कटौती करना।
(C) किसी सामान्य, अप्रमाणित उल्लंघन के लिए पूरा वेतन रोक लेना।
(D) श्रमिक को विस्तृत वेतन पर्ची (पे-स्लिप) प्रदान करना।

48. भारतीय कानून में पहली बार 'गिग श्रमिक' को किस संहिता के तहत परिभाषित किया गया है?
(A) वेतन संहिता, 2019
(B) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
(C) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
(D) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में आवास से कार्यस्थल और इसके विपरीत यात्रा के दौरान कर्मचारी के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के मुआवजे का प्रावधान है।
कारण (R): संहिता ने ऐसी यात्रा दुर्घटनाओं को कवर करने के लिए 'नियोजन के काल्पनिक विस्तार' की अवधारणा पेश की, जिसे पहले समान रूप से मान्यता नहीं दी गई थी।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

50. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण यह सुनिश्चित करके आगे बढ़ाया जाता है कि रात्रि पाली में उनका नियोजन किसके अधीन है:
(A) उच्च शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी प्रमाणपत्र।
(B) सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित शर्तें।
(C) उनके तत्काल परिवार के पुरुष सदस्यों से अनुमोदन।
(D) वर्तमान नियोक्ता के साथ अनिवार्य पाँच वर्ष का अनुबंध।

51. सूची I की शब्दावली को सूची II में श्रम संहिताओं के तहत उनके विवरण के साथ सुमेलित करें।
सूची I (शब्दावली):
P. 'फ्लोर वेज'
Q. शिकायत निवारण समिति
R. गिग श्रमिक
S. सुरक्षा समिति।
सूची II (विवरण):
1. पारंपरिक संबंधों के बाहर कार्य से कमाई करने वाला व्यक्ति
2. व्यक्तिगत विवादों के लिए द्विपक्षीय निकाय
3. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधारभूत न्यूनतम वेतन
4. कुछ प्रतिष्ठानों में श्रमिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला निकाय।
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

52. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का उद्देश्य श्रमिकों को किस प्रकार का न्याय त्वरित रूप से प्रदान करना है?
(A) कार्यस्थल पर होने वाले अपराधों के लिए आपराधिक न्याय।
(B) संपत्ति विवादों से संबंधित नागरिक न्याय।
(C) औद्योगिक विवादों और व्यक्तिगत शिकायतों का

अधिनिर्णय।
(D) वैश्विक संदर्भों में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय।

53. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण का प्रावधान करती है।
कथन II: हालांकि, पंजीकरण एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और इसका योजनाओं के लिए श्रमिक की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

54. वेतन संहिता, 2019 क्या निर्दिष्ट करके वेतन की गारंटी सुनिश्चित करती है?
(A) सभी कर्मचारियों को देय न्यूनतम बोनस।
(B) वह मुद्रा जिसमें वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।
(C) वेतन के भुगतान के लिए समय-सीमा।
(D) नियोजन के लिए घंटों की अनिवार्य संख्या।

55. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संहिता किसी महिला के रात्रि पाली में कार्य करने के लिए उसकी सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बनाती है।
2. संहिता किसी भी उद्योग या प्रक्रिया में महिलाओं के कार्य करने पर सभी कानूनी प्रतिबंधों को हटा देती है।
3. संहिता 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए शिशुगृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना आवश्यक बनाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

56. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत आमतौर पर निम्नलिखित में से किस आकस्मिकता के लिए मुआवजा नहीं दिया जाता है?
(A) नियोजन के दौरान लगी चोट के कारण स्थायी पूर्ण विकलांगता।
(B) कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण श्रमिक की मृत्यु।
(C) व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक त्यागपत्र।
(D) व्यावसायिक बीमारी के परिणामस्वरूप अस्थायी विकलांगता।

57. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 किस प्राथमिक तंत्र के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है?
(A) उन्हें पूर्ण लाभों के साथ स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाकर।
(B) बहुराष्ट्रीय निगमों से असंगठित श्रमिकों को गोद लेने की आवश्यकता द्वारा।
(C) एक समर्पित कोष के माध्यम से वित्त पोषित सरकारी योजनाओं के माध्यम से।
(D) उनके लिए संगठित क्षेत्र में पलायन करना अनिवार्य बनाकर।

58. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) यह ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक विवादों से संबंधित कानूनों को समेकित करती है।
(B) इसका उद्देश्य विवादों का त्वरित समाधान प्रदान करना है।
(C) यह प्रत्येक श्रमिक के लिए ट्रेड यूनियन में सम्मिलित होना अनिवार्य बनाती है।
(D) यह शिकायत निवारण समितियों के गठन का प्रावधान करती है।

59. वेतन संहिता, 2019 के तहत श्रमिकों को 'कुशल', 'अकुशल' और 'अर्ध-कुशल' श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) वेतन की अलग-अलग न्यूनतम दरें निर्धारित करना।
(B) वार्षिक करियर पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करना।
(C) उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों को आवंटित करना।
(D) उनकी वार्षिक अवकाश पात्रता और संबंधित लाभों का निर्णय करना।

60. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में महिला श्रमिकों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रावधान सम्मिलित हैं।
कारण (R): महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और रात्रि पाली में (सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ) कार्य करने की अनुमति देकर, संहिता लैंगिक समानता और आर्थिक अवसर को बढ़ावा देती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

61. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान करने के पीछे मूल सिद्धांत क्या है?
(A) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को सहायता का सिद्धांत।

(B) नियोजन से संबंधित चोटों के लिए नियोक्ता के उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
(C) यह सिद्धांत कि सरकार सभी चोटों के लिए उत्तरदायी है।
(D) सभी जोखिमों के लिए कर्मचारी द्वारा स्वयं के बीमा का सिद्धांत।

62. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी मुआवजे के दावे के निम्नलिखित संभावित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. चिकित्सा परीक्षण और विकलांगता का मूल्यांकन।
2. नियोजन के दौरान चोट लगना।
3. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा दायर करना।
4. नियोक्ता/बीमाकर्ता द्वारा मुआवजे की राशि का भुगतान।

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 3, 2, 1, 4
(D) 2, 3, 4, 1

63. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 'असंगठित क्षेत्र' एक ऐसे उद्यम को संदर्भित करता है जिसकी विशेषता है:
(A) 1,000 से अधिक कर्मचारी होना और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना।
(B) एक नियोक्ता के स्वामित्व में होना और एक निर्दिष्ट संख्या से कम लोगों को नियोजित करना।
(C) विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र में होना।
(D) सरकार द्वारा प्रबंधित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होना।

64. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 किसी प्रतिष्ठान में स्थायी आदेश (स्टैंडिंग ऑर्डर) की आवश्यकता के लिए सीमा (threshold) को बढ़ाती है।
कथन II: यह परिवर्तन नियोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए है, जो 'त्वरित न्याय' और व्यापार सुगमता के ढांचे का हिस्सा है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

65. वेतन संहिता, 2019 के तहत एक प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ है?
(A) प्रत्येक स्थानीय कारखाने में चिकित्सालयों की स्थापना।
(B) वेतन की गणना जो भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का आधार बनती है।
(C) सभी पात्र श्रमिकों को आजीवन नियोजन की गारंटी।
(D) कर्मचारी के सभी दीवानी मामलों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान।

66. वेतन संहिता, 2019 में दी गई "वेतन की गारंटी" का सबसे सटीक वर्णन क्या है?
(A) वेतन के पूर्ण भुगतान के लिए नियोक्ता पर कानूनी बाध्यता।
(B) यदि नियोक्ता विफल रहता है तो वेतन का भुगतान करने का सरकार का वचन।
(C) राष्ट्रीय मुद्रास्फीति से जुड़ी वार्षिक वेतन वृद्धि की गारंटी।
(D) यह सुनिश्चित करना कि कार्य करने की आयु के प्रत्येक नागरिक को नौकरी प्रदान की जाएगी।

67. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए इनमें से कौन-सा एक प्रमुख सक्षमकारी प्रावधान है?
(A) सभी प्रबंधन पदों में महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण।
(B) बिना किसी अर्थदंड के असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करने से मना करने का अधिकार।
(C) कारखाने में महिलाओं द्वारा किसी भी मशीनरी के संचालन पर प्रतिबंध।
(D) उनके नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के लिए कम वेतन दर।

68. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को लाभ प्रदान करना है। इन लाभों तक पहुँचने के लिए किसी श्रमिक के लिए सबसे संभावित प्रथम चरण निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) अपने वर्तमान औद्योगिक नियोक्ता के विरुद्ध न्यायालय में वाद जीतना।
(B) स्थानीय सांसद से अनुशंसा प्राप्त करना।
(C) सरकारी पोर्टल पर या किसी नामित प्राधिकारी के पास पंजीकरण करना।
(D) किसी निजी कल्याण संस्था को एक बड़ी एकमुश्त राशि देना।

69. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कई मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक में समेकित करती है।
कारण (R): इस समेकन का उद्देश्य एक एकल, व्यापक कानूनी ढांचा बनाना है, जिससे जटिलता कम हो और नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों के लिए अनुपालन में सुधार हो।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

70. वेतन संहिता, 2019 विभिन्न राज्यों में एक ही कार्य के लिए वेतन की असमानताओं को कैसे संबोधित करती है?
(A) पूरे देश के लिए एक एकल, समान न्यूनतम वेतन तय करके।
(B) 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) की शुरुआत करके जिससे नीचे कोई भी राज्य अपना वेतन तय नहीं

कर सकता।
(C) व्यक्तिगत न्यूनतम वेतन तय करने की राज्यों की शक्ति को समाप्त करके।
(D) नियोक्ताओं को कर्मचारी के गृह राज्य के आधार पर वेतन का भुगतान करने की अनुमति देकर।

71. सूची I के प्रावधानों को सूची II के लक्षित लाभार्थियों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (प्रावधान)
P. समय पर वेतन की गारंटी
Q. विवादों का त्वरित अधिनिर्णय
R. गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
S. सभी प्रतिष्ठानों में कार्य करने की पात्रता।
सूची II (लाभार्थी):
1. गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक
2. महिला श्रमिक
3. संहिता के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी
4. श्रमिक और नियोक्ता।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

72. एक सॉफ्टवेयर कंपनी का नियोक्ता शाम 7 बजे के बाद कार्य की आवश्यकता वाले प्रोजेक्ट के लिए महिला इंजीनियरों को नियुक्त करना चाहता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत प्राथमिक आवश्यकता क्या है?
(A) उसे उन्हें सामान्य प्रति घंटा वेतन का तीन गुना भुगतान करना होगा।
(B) उसे केंद्र सरकार के कार्यालय से विशेष लाइसेंस लेना होगा।
(C) उसे श्रमिक की सहमति प्राप्त करनी होगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
(D) उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुरुष कर्मचारी पहले परिसर छोड़ दें।

73. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारियों के मुआवजे का प्रावधान 'नो-फॉल्ट' (दोष-रहित) उत्तरदायित्व सिद्धांत पर आधारित है। इसका क्या अर्थ है?
(A) कर्मचारी को यह सिद्ध करना होगा कि दुर्घटना के लिए नियोक्ता लापरवाह था।
(B) नियोक्ता उत्तरदायी है भले ही दुर्घटना के लिए उसकी त्रुटि न हो।
(C) कर्मचारी की त्रुटि है और उसे चिकित्सा का सारा व्यय वहन करना होगा।
(D) मुआवजे का भुगतान तभी किया जाता है जब किसी का दोष न पाया जाए।

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 यह अनुमति देती है कि शिकायत निवारण समिति का गठन नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से समान रूप से हो।
कथन II: यह द्विपक्षीय संरचना विवाद समाधान के प्रारंभिक चरणों में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

75. वेतन संहिता, 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों पर लागू होती है।
2. यह वेतन और बोनस से संबंधित चार पिछले कानूनों को समेकित करती है।
3. यह कर्मचारी के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती को पूरी तरह प्रतिबंधित करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

76. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के संदर्भ में 'त्वरित न्याय' शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ है:
(A) औपचारिक प्रशासनिक सुनवाई के बिना श्रमिकों को दंडित करना।
(B) व्यक्तिगत कंपनी को शीघ्र वित्तीय लाभ पहुँचाना।
(C) विवादों के अधिनिर्णय और समाधान में लगने वाले समय को कम करना।
(D) वह गति जिस पर राज्य में एक नया कारखाना स्थापित किया जा सकता है।

77. कौन-सा कथन सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान को सही ढंग से दर्शाता है?
(A) सरकार प्रत्येक असंगठित श्रमिक को एक विलासिता वाहन प्रदान करेगी।
(B) उनके लिए योजनाओं की निगरानी हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा।
(C) असंगठित श्रमिक सरकारी वेतनमान के अनुसार वेतन के पात्र हैं।
(D) सभी असंगठित श्रमिकों को निःशुल्क अंतर्राष्ट्रीय यात्रा वाउचर मिलेंगे।

78. निम्नलिखित में से कौन-सी श्रमिकों की वह श्रेणी नहीं है जिसके लिए वेतन संहिता, 2019 के तहत न्यूनतम वेतन तय किया गया है?

(B) चोट लगने या मृत्यु होने पर कर्मचारियों या आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
(C) नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कौशल विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना।
(D) प्रबंधन के साथ विवादों में कर्मचारियों के कानूनी व्यय को वहन करना।

26. निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक सुरक्षा लाभ का उदाहरण नहीं है जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए प्रावधानित है?
(A) जीवन और विकलांगता बीमा कवच
(B) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ
(C) गारंटीकृत वार्षिक बोनस
(D) वृद्धावस्था संरक्षण

27. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का उद्देश्य त्वरित न्याय को बढ़ावा देना है। शिकायत निवारण समिति इस उद्देश्य में कैसे योगदान देती है?
(A) सभी औद्योगिक विवादों के लिए अपील के अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करके।
(B) स्रोत पर ही व्यक्तिगत शिकायतों को हल करने के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रदान करके।
(C) उन नियोक्ताओं को कारावास देने की शक्ति के माध्यम से जो इसके निर्णयों का अनुपालन नहीं करते हैं।
(D) किसी भी विवाद में विशेष रूप से नियोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करके।

28. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 यह अनिवार्य करती है कि महिलाओं को किसी भी कार्य के लिए किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित किया जा सकता है। यह प्रावधान मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देना चाहता है?
(A) औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यों का लिंग आधारित अलगाव।
(B) समान अवसर और महिलाओं के नियोजन की कानूनी बाधाओं को दूर करना।
(C) कुछ प्रकार की विशिष्ट सेवा नौकरियों से पुरुषों का निष्कासन।
(D) विनिर्माण उद्योग में कुल औसत वेतन में कमी।

29. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करना है।
कारण (R): 2020 की संहिता से पहले गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक पहले से ही सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों के तहत कवर किए गए थे।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

30. वेतन संहिता, 2019 के तहत श्रमिकों को 'कुशल', 'अकुशल' और 'अर्ध-कुशल' श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) वार्षिक कॉर्पोरेट पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करना।
(B) वेतन की अलग-अलग न्यूनतम दरें निर्धारित करना।
(C) उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों को आवंटित करना।
(D) उनकी वार्षिक अवकाश पात्रता और लाभों का निर्णय करना।

31. सूची I की अवधारणाओं को सूची II की संबंधित संहिताओं के साथ सुमेलित करें।
सूची I (अवधारणा)
P. असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
Q. दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण
R. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड
S. 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) का निर्धारण।
सूची II (संबंधित संहिता):
1. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
3. वेतन संहिता, 2019
4. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

32. निर्माण क्षेत्र की एक महिला श्रमिक को एक विशेष कार्य में नियोजन देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि नियोक्ता का मानना है कि यह एक महिला के लिए अत्यंत कठिन है। यह कार्रवाई व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के किस प्रावधान का उल्लंघन कर सकती है?
(A) वार्षिक स्वास्थ्य जाँच का प्रावधान।
(B) शिशुगृह (क्रेच) सुविधा की उपलब्धता का प्रावधान।
(C) सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नियोजन का पात्र बनाने वाला प्रावधान।
(D) रात्रि पाली में कार्य के लिए विशिष्ट सहमति के संबंध में प्रावधान।

33. श्रम संहिताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा गलत युग्म है?
(A) वेतन संहिता - वेतन का समय पर भुगतान
(B) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता - भूमिगत खानों में कार्य करने का महिलाओं का अधिकार
(C) औद्योगिक संबंध संहिता - सामूहिक सौदेबाजी
(D) सामाजिक सुरक्षा संहिता - मातृत्व लाभ

34. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत, नियोक्ता

(C) सुलह विफल होने पर विवाद को न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के पास भेजना।
(D) बिना किसी कारण के अनिश्चित काल के लिए न्यायाधिकरण की सुनवाई स्थगित करना।

88. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारियों के लिए मुआवजे का प्रावधान निम्नलिखित में से किसे कवर करता है?
(A) नियोजन की प्रकृति के कारण हुई कोई व्यावसायिक बीमारी।
(B) नियोजन के बाहर किसी व्यक्तिगत व्यवसाय में लाभ की हानि।
(C) कार्य से संबंधित न होने वाले घरेलू मुद्दों के कारण मानसिक तनाव।
(D) व्यक्तिगत विदेश यात्रा के दौरान लगी चोट।

89. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास करती है।
कारण (R): यह उनके लिए समर्पित योजनाओं को बनाकर प्राप्त किया जाता है, जो कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकार के योगदान के माध्यम से वित्तपोषित होती हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

90. एक नियोक्ता संपत्ति को क्षति पहुँचाने के लिए अर्थदंड के रूप में एक कर्मचारी के वेतन से धन काटता है, लेकिन यह कटौती वेतन संहिता, 2019 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है। यह कार्य किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है?
(A) वेतन की गारंटी और स्वीकार्य कटौती।
(B) न्यूनतम वेतन निर्धारण मानक।
(C) बोनस भुगतान नियम।
(D) समान पारिश्रमिक सिद्धांत।

91. सूची I की श्रम संहिताओं को सूची II में उनके प्राथमिक विषय वस्तु के साथ सुमेलित करें।
सूची I (संहिता):
P. वेतन संहिता, 2019;
Q. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020;
R. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020;
S. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020।
सूची II (विषय):
1. सामाजिक बीमा कानून;
2. वेतन और बोनस;
3. कार्य स्थिति और सुरक्षा;
4. ट्रेड यूनियन और विवाद।
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

92. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण निम्नलिखित में से किस काल्पनिक प्रावधान द्वारा पूर्ण नहीं होता है?
(A) यह सुनिश्चित करना कि शिशुगृह (क्रेच) की सुविधाएं सुरक्षित हों और सभी के लिए सुलभ हों।
(B) रात्रि पाली के लिए महिलाओं को कम वेतन स्वीकार करने की आवश्यकता।
(C) रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन प्रदान करना।
(D) महिलाओं को सभी प्रकार की मशीनरी को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करना।

93. एक खाद्य वितरण कर्मी (फूड डिलीवरी राइडर) जिसे मोबाइल ऐप के माध्यम से कार्य मिलता है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा?
(A) असंगठित श्रमिक
(B) संगठित श्रमिक
(C) प्लेटफॉर्म श्रमिक
(D) सरकारी कर्मचारी

94. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में त्वरित न्याय के प्रावधान में एक 'री-स्किलिंग फंड' (पुनः कौशल कोष) की स्थापना सम्मिलित है।
कथन II: 'री-स्किलिंग फंड' को छंटनी किए गए श्रमिकों को नए कौशल प्राप्त करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक न्याय और पुनः नियोजन का एक तीव्र मार्ग मिलता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

95. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी मुआवजे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मुआवजा किसी भी चोट के लिए देय है, चाहे वह कार्य पर हुई हो या घर पर।
2. मुआवजे की राशि कर्मचारी की आयु, वेतन और विकलांगता की सीमा जैसे कारकों पर निर्भर करती है।
3. यदि चोट कर्मचारी के मदिरा के प्रभाव में होने के कारण लगी थी, तो नियोक्ता उत्तरदायी नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3

(B) पदोन्नति के अवसर की हानि।
(C) नियोजन के दौरान लगी चोट से विकलांगता या मृत्यु।
(D) व्यक्तिगत निवेश में वित्तीय हानि।

173. त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख परिवर्तन क्या है?
(A) सुलह-सह-मध्यस्थता कार्यवाहियों की स्थापना।
(B) ट्रेड यूनियनों का पूर्ण उन्मूलन।
(C) अदालती कार्यवाही में अनिश्चितकालीन विलंब की अनुमति देना।
(D) विवादों के समाधान के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना।

174. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 महिलाओं को कुछ खनन कार्यों जैसे पहले प्रतिबंधित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति देती है।
कथन II: यह अनुमति पूर्ण है और इसके लिए नियोक्ता से किसी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय की आवश्यकता नहीं है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

175. वेतन संहिता, 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना है।
2. यह कई कानूनों में वेतन की परिभाषा को मानकीकृत करती है।
3. यह गारंटी देती है कि वेतन का भुगतान समय पर किया जाएगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

176. वेतन संहिता, 2019 के तहत केंद्र सरकार को 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) निर्धारित करने का अधिकार है। इस 'फ्लोर वेज' का क्या महत्व है?
(A) यह किसी भी श्रमिक को दी जाने वाली अधिकतम मजदूरी है।
(B) यह एक आधार रेखा है जिससे नीचे राज्य सरकारें वेतन तय नहीं कर सकती हैं।
(C) यह वेतन दर केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है।
(D) यह किसी भवन के भूतल पर कार्य करने के लिए दी जाने वाली मजदूरी है।

177. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में परिकल्पित असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का तत्व निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं है?
(A) जीवन और विकलांगता बीमा।
(B) वृद्धावस्था संरक्षण।
(C) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ।
(D) नियोक्ता की कंपनी में लाभ-साझाकरण (Profit-sharing)।

178. ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर का एक चालक ड्यूटी के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाता है। किस नए कानूनी ढांचे के तहत वह सामाजिक सुरक्षा लाभों का दावा कर सकता है?
(A) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
(B) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
(C) मोटर वाहन अधिनियम, 1988
(D) भारतीय न्याय संहिता

179. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए क्या अनिवार्य बनाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ाती है?
(A) शिशुगृह (क्रेच) सुविधा।
(B) स्पा और प्रसाधन केंद्र।
(C) नामित खरीदारी क्षेत्र।
(D) केवल महिलाओं के लिए लिफ्ट।

180. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में प्रतिष्ठानों में शिकायत निवारण समितियों की स्थापना के प्रावधान सम्मिलित हैं।
कारण (R): इसका उद्देश्य व्यक्तिगत विवादों को शीघ्र हल करने के लिए प्रथम-स्तरीय, आंतरिक तंत्र बनाना है, जिससे त्वरित न्याय को बढ़ावा मिलता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

181. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व कब उत्पन्न होता है:
(A) जैसे ही कर्मचारी न्यायालय में वाद दायर करता है।
(B) जैसे ही कंपनी का वार्षिक लेखा-परीक्षण पूर्ण होता है।
(C) जैसे ही कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होता है।
(D) जैसे ही नियोजन के दौरान किसी दुर्घटना में व्यक्तिगत चोट लगती है।

182. वेतन संहिता, 2019 श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा में कैसे योगदान देती है?
(A) सीधे पेंशन प्रदान करके।
(B) यह सुनिश्चित करके कि PF और ESI के लिए 'वेतन'

कार्यकारी अधिकारी (CEO) द्वारा किया जाए।
(D) विवादों को सुलझाने के लिए द्वंद्व द्वारा परीक्षण का अनिवार्य उपयोग।

106. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का असंगठित श्रमिकों के लिए प्रावधान पिछली श्रम कानून व्यवस्था के किस बड़े अंतराल की प्रतिक्रिया है?
(A) शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों का अति-नियमन।
(B) बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी।
(C) वर्तमान में असंगठित श्रमिकों को दिया जाने वाला उच्च वेतन।
(D) भारत में किसी भी प्रकार के श्रम कानूनों की पूर्ण अनुपस्थिति।

107. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी मुआवजे का प्रावधान किसके द्वारा सक्रिय होता है?
(A) कर्मचारी द्वारा वेतन अग्रिम के लिए अनुरोध।
(B) कार्य के दौरान और उससे उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत चोट।
(C) कर्मचारी द्वारा कुल सेवा का एक वर्ष पूर्ण करना।
(D) कंपनी द्वारा अपने वार्षिक लाभ लक्ष्य को प्राप्त करना।

108. वेतन संहिता, 2019 का उद्देश्य किसके द्वारा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है?
(A) सभी नागरिकों को सीधे स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना।
(B) सामाजिक सुरक्षा गणना के लिए वेतन की परिभाषा का मानकीकरण करना।
(C) नियोजन के सभी रूपों को स्थायी और पेंशनभोगी बनाना।
(D) सभी नागरिकों को बेरोजगारी लाभ प्रदान करना।

109. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय नहीं है?
(A) 50+ कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशुगृह (क्रेच) सुविधाओं का प्रावधान।
(B) महिलाओं को सभी प्रकार के कार्यों में नियोजित होने का अधिकार देना।
(C) महिलाओं के नियोजन को केवल दिन की पाली (डे शिफ्ट) तक सीमित करना।
(D) सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देना।

110. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 शिकायत निवारण समितियों और न्यायाधिकरणों जैसे तंत्रों के माध्यम से विवाद समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करती है।
कारण (R): संहिता का प्राथमिक उद्देश्य कानूनी पेशेवरों को लाभ पहुँचाने के लिए विवादों को लंबा खींचना है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

111. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रावधान करना राज्य का किसकी ओर बढ़ने का एक उदाहरण है:
(A) सभी श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
(B) बिना किसी श्रमिक सुरक्षा वाली एक अहस्तक्षेपकारी (laissez-faire) अर्थव्यवस्था।
(C) एक ऐसी प्रणाली जहाँ केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिक सुरक्षित हैं।
(D) असंगठित नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध।

112. सूची I की विशेषताओं को सूची II में उनके संबंधित उद्देश्यों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (विशेषता):
P. राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज'
Q. दो सदस्यीय न्यायाधिकरण
R. शिशुगृह (क्रेच) सुविधा
S. गिग श्रमिक पंजीकरण।
सूची II (उद्देश्य):
1. महिला सशक्तिकरण
2. गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
3. त्वरित न्याय
4. वेतन सुरक्षा और समानता।
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

113. एक ही फर्नीचर कार्यशाला में एक कुशल बढ़ई और एक अकुशल सहायक कार्य करते हैं। वेतन संहिता, 2019 के अनुसार, उनकी न्यूनतम मजदूरी के संबंध में सबसे संभावित परिदृश्य क्या है?
(A) उन दोनों को बिल्कुल समान न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।
(B) कुशल बढ़ई का वेतन सहायक की तुलना में अधिक होगा।
(C) अकुशल सहायक का वेतन बढ़ई की तुलना में अधिक होगा।
(D) न्यूनतम वेतन की अवधारणा उन पर लागू नहीं होती है।

114. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय का प्रावधान पूर्णतः नियोक्ताओं के लाभ के लिए है ताकि वे श्रमिकों की शीघ्र छंटनी कर सकें।
कथन II: संहिता विवादों को हल करने के लिए एक समयबद्ध

(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

96. वेतन संहिता, 2019 के संदर्भ में श्रमिकों को 'कुशल' या 'अकुशल' के रूप में वर्गीकृत करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) औद्योगिक कार्यबल के भीतर सामाजिक विभाजन उत्पन्न करना।
(B) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य सुरक्षा के विभिन्न मानकों को लागू करना।
(C) उचित और विभेदित न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करना।
(D) ट्रेड यूनियन चुनावों में भाग लेने के लिए पात्रता तय करना।

97. वेतन संहिता, 2019 द्वारा संबोधित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पक्ष है:
(A) प्रत्येक स्थानीय कारखाने में श्रमिकों के लिए निःशुल्क आवास प्रदान करना।
(B) PF योगदान के लिए वेतन के घटकों में स्पष्टता सुनिश्चित करना।
(C) कार्य के प्रथम दिन से आजीवन पेंशन की गारंटी देना।
(D) यह अनिवार्य करना कि नियोक्ता श्रमिकों के निजी बीमा के लिए भुगतान करें।

98. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय का प्रावधान पिछली प्रणाली में सुधार के लिए है, जिसकी अक्सर किस लिए आलोचना की जाती थी:
(A) श्रम न्यायालयों में लंबी देरी और दीर्घकालिक मुकदमेबाजी।
(B) अत्यंत तीव्र होना और उचित साक्ष्य की अनुमति न देना।
(C) विवादों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप।
(D) प्रत्येक मामले में श्रमिकों के लिए अत्यंत अनुकूल होना।

99. निम्नलिखित में से कौन-सा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण के प्रावधान का सबसे सटीक उदाहरण है?
(A) महिलाओं को ट्रेड यूनियनों में सम्मिलित होने से रोकना।
(B) महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का अधिकार देना।
(C) समान वेतन के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक घंटे कार्य करने की आवश्यकता।
(D) मातृत्व लाभ प्रदान करने से नियोक्ताओं को छूट देना।

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): वेतन संहिता, 2019 ने राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) की अवधारणा पेश की।
कारण (R): 'फ्लोर वेज' वास्तविक न्यूनतम वेतन है जो देश के प्रत्येक नियोक्ता को भुगतान करनी होगी, चाहे राज्य-स्तरीय अधिसूचनाएं कुछ भी हों।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

101. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कर्मचारियों को मुआवजे के कानूनी ढांचे को समेकित करती है। यह किसमें सहायक है:
(A) कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ाने में।
(B) मुआवजे का दावा करने के लिए एक समान और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाने में।
(C) कर्मचारियों के लिए मुआवजे का दावा करना अधिक कठिन बनाने में।
(D) सभी क्षेत्रों में मुआवजे की अवधारणा को पूरी तरह समाप्त करने में।

102. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में विशेष रुप से असंगठित क्षेत्र के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रावधान निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) नियोक्ता कंपनी में अनिवार्य स्टॉक विकल्प (Stock Options)।
(B) वृद्धावस्था और विकलांगता से संबंधित योजनाओं के लिए एक ढांचा।
(C) कंपनी के कॉर्पोरेट अतिथि गृह तक पहुँच।
(D) प्रतिवर्ष एक गारंटीकृत पदोन्नति।

103. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' शब्द का अर्थ क्या नहीं है?
(A) कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान।
(B) चालू सिक्कों या मुद्रा नोटों में वेतन का भुगतान।
(C) श्रमिक के लिए आजीवन नियोजन की गारंटी।
(D) वेतन से कोई अनधिकृत कटौती नहीं।

104. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 यह प्रावधान करती है कि किसी भी महिला को उसकी स्पष्ट सहमति के बिना रात्रि पाली में कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी।
कथन II: यह प्रावधान समान अवसर प्रदान करने और महिला श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के बीच एक संतुलनकारी कार्य है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

105. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में त्वरित न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक परिवर्तन है:
(A) वेब-आधारित अधिकार क्षेत्र और ई-कार्यवाही का प्रावधान।
(B) भारत में सभी श्रम न्यायालयों को पूरी तरह समाप्त करना।
(C) यह आवश्यकता कि सभी विवादों का निपटारा मुख्य

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने और प्रशासित करने के लिए एक ढांचा स्थापित करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

125. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में 'महिला सशक्तिकरण' प्रावधानों को सम्मिलित करना किस विधायी मंशा को दर्शाता है?
(A) गरिमा और सुरक्षा के साथ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
(B) कार्यबल में लैंगिक असमानता को बढ़ाना।
(C) महिलाओं के विविध करियर विकल्पों को प्रतिबंधित करना।
(D) कार्यस्थलों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए और अधिक जटिल बनाना।

126. कार्यस्थल पर चोट लगने के कारण एक श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। उसका परिवार मुआवजे का दावा करता है। किस संहिता में इस दावे को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक प्रावधान सम्मिलित हैं?
(A) वेतन संहिता, 2019
(B) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
(C) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
(D) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

127. वेतन संहिता, 2019 में 'वेतन की गारंटी' किस संवैधानिक सिद्धांत से सबसे निकटता से संबंधित है?
(A) भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार।
(B) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
(C) संघ बनाने का अधिकार।
(D) शोषण और जबरन श्रम के विरुद्ध अधिकार।

128. एक आईटी कंपनी में 45 कर्मचारी हैं। क्या इसे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत शिशुगृह (क्रेच) सुविधा रखने की आवश्यकता है?
(A) नहीं, इसकी सीमा 50 या अधिक कर्मचारी है।
(B) हाँ, सभी कंपनियों में शिशुगृह होना चाहिए।
(C) नहीं, आईटी कंपनियों को विशेष रूप से छूट दी गई है।
(D) हाँ, लेकिन केवल तभी जब वह 25 से अधिक महिलाओं को नियोजित करती हो।

129. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 कुछ प्रतिष्ठानों में 'एकमात्र वार्ताकार संघ' (sole negotiating union) का प्रावधान करती है।
कारण (R): इस प्रावधान का उद्देश्य वार्ता की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित करना है, जो तीव्र और अधिक स्थिर विवाद समाधान में योगदान देता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

130. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सम्मिलित करके क्या स्वीकार करती है?
(A) कि ये श्रमिक किसी भी लाभ के पात्र नहीं हैं।
(B) कि पारंपरिक नियोजन ही कार्य का एकमात्र वैध रूप है।
(C) कार्य की बदलती प्रकृति और सुरक्षा की आवश्यकता।
(D) कि गिग श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम भुगतान किया जाना चाहिए।

131. सूची I के प्रावधानों को सूची II की संबंधित श्रम संहिताओं के साथ सुमेलित करें।
सूची I (प्रावधान):
P. न्यूनतम वेतन का निर्धारण
Q. शिकायत निवारण समिति
R. चोट के लिए मुआवजा
S. रात्रि पाली में महिलाओं के लिए सहमति।
सूची II (संहिता):
1. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
2. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
3. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
4. वेतन संहिता, 2019।
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

132. वेतन संहिता, 2019 के तहत वेतन भुगतान की गारंटी का अर्थ है कि:
(A) नियोक्ता खाद्यान्न जैसी वस्तुओं के रूप में वेतन का भुगतान कर सकते हैं।
(B) वेतन का भुगतान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
(C) सभी कर्मचारियों को बिना कार्य किए वेतन की गारंटी दी जाती है।
(D) यदि नियोक्ता विफल रहता है तो सरकार वेतन की गारंटी देती है।

133. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत "त्वरित न्याय" का एक प्रमुख पक्ष किसके लिए समय सीमा तय करना है:
(A) श्रमिक के मध्याह्न भोजन (लंच ब्रेक) की अवधि।
(B) एक श्रमिक द्वारा यूनियन कार्यालय में व्यतीत किया जाने वाला समय।
(C) न्यायाधीशों के लिए वार्षिक अवकाश अवधि।
(D) सुलह और न्यायाधिकरण कार्यवाहियों को पूर्ण करना।

और संरचित तंत्र प्रदान करती है, जिससे राहत चाहने वाले श्रमिकों और समाधान चाहने वाले नियोक्ताओं दोनों को लाभ होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

115. एक महिला कर्मचारी रात्रि पाली में कार्य करने के लिए अपनी सहमति देती है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत नियोक्ता की अतिरिक्त उत्तरदायित्व क्या है?
(A) रात्रि पाली के लिए उसके परिवार को मासिक भत्ता देना।
(B) उसकी सुरक्षा और परिवहन के प्रावधान सुनिश्चित करना।
(C) उसे तत्काल प्रबंधकीय पद पर पदोन्नत करना।
(D) दिन की पाली की तुलना में उसके कार्यभार को आधा करना।

116. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष के निर्माण का आदेश देती है।
2. यह कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों को समाहित करती है।
3. यह सरकार की किसी भी भूमिका को हटाते हुए सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूर्ण रूप से निजीकरण करती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

117. वेतन संहिता, 2019 में 'वेतन की गारंटी' प्रावधान द्वारा संरक्षित श्रमिक का मूल अधिकार क्या है?
(A) किए गए श्रम के लिए समय पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार।
(B) स्थायी सरकारी नौकरी का अधिकार।
(C) राजनीतिक दल बनाने का अधिकार।
(D) बिना दंड के कार्य करने से मना करने का अधिकार।

118. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मुआवजे का प्रावधान एक ________ मॉडल से अधिकार-आधारित मॉडल की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
(A) कल्याण-आधारित
(B) समाजवाद-प्रेरित
(C) पूंजीवादी-बाजार
(D) सामंती-संरचित

119. गलत युग्म की पहचान करें।
(A) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता - सुरक्षा समिति
(B) वेतन संहिता - 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन)
(C) औद्योगिक संबंध संहिता - त्वरित न्याय
(D) सामाजिक सुरक्षा संहिता - न्यूनतम वेतन का उन्मूलन

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में ऐसे प्रावधान सम्मिलित हैं जो महिला श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को सशक्त करते हैं।
कारण (R): संहिता पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनिवार्य करती है, जो महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख पक्ष है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

121. वेतन संहिता, 2019 यह सुनिश्चित करती है कि कुशल और अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए। निम्नलिखित में से कौन 'अकुशल' श्रमिक का उदाहरण होगा?
(A) 10 वर्षों के अनुभव वाला एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट।
(B) गोदाम (वेयरहाउस) में कार्य करने वाला एक शारीरिक भार ढोने वाला (लोडर)।
(C) एक निजी चिकित्सालय में न्यूरोसर्जन।
(D) एक प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट।

122. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुसार मुआवजे के दावे के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. प्राधिकारी द्वारा मुआवजे का निर्णय।
2. नियोक्ता को दुर्घटना की सूचना देना।
3. मुआवजे की राशि का वितरण।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे की सुनवाई।

(A) 2, 4, 1, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 4, 1, 2, 3

123. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत शिकायत निवारण समिति का तंत्र किसे प्रोत्साहित करके त्वरित न्याय को बढ़ावा देने का एक उदाहरण है:
(A) उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष मुकदमेबाजी।
(B) अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों द्वारा हस्तक्षेप।
(C) उद्यम स्तर पर द्विपक्षीय समाधान।
(D) सरकार और यूनियनों के बीच राजनीतिक वार्ता।

124. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई लाभ प्रदान नहीं करती है।
कथन II: संहिता विशेष रूप से असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म

144. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत, यदि श्रमिक की शिकायत का समाधान निर्दिष्ट समय के भीतर शिकायत निवारण समिति द्वारा नहीं किया जाता है, तो वह सीधे औद्योगिक न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है।
कथन II: यह प्रावधान अनावश्यक, लंबे मध्यवर्ती चरणों को छोड़कर त्वरित न्याय प्रदान करने का एक प्रमुख घटक है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

145. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 में महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष किस पर से प्रतिबंध हटाना है:
(A) सभी प्रकार के प्रतिष्ठान और खतरनाक कार्य।
(B) एक महिला द्वारा प्रतिदिन कार्य किए जाने वाले घंटों की संख्या।
(C) सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में कार्य करना।
(D) उन उद्योगों के प्रकार जिनमें महिलाओं को नियोजित किया जा सकता है।

146. एक स्व-नियोजित विद्युत मिस्त्री (इलेक्ट्रीशियन) जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्य पाता है, वह किस प्रकार के श्रमिक का उदाहरण है, जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है?
(A) गिग श्रमिक/प्लेटफॉर्म श्रमिक
(B) संगठित क्षेत्र का श्रमिक
(C) सरकारी सेवक
(D) बेरोजगार व्यक्ति

147. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में कर्मचारी मुआवजे के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?
(A) यह नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं को कवर करता है।
(B) यह कुछ व्यावसायिक बीमारियों को कवर करता है।
(C) मृत्यु के मामले में, आश्रितों को मुआवजा दिया जाता है।
(D) मुआवजे की राशि निश्चित है और प्रत्येक श्रमिक के लिए समान है।

148. वेतन संहिता, 2019 का एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पक्ष इसके किस प्रभाव में निहित है:
(A) सटीक योगदान गणना के लिए वेतन संरचनाओं का मानकीकरण।
(B) यह सुनिश्चित करना कि न्यूनतम वेतन निजी बीमा के लिए पर्याप्त उच्च हो।
(C) सभी श्रमिकों को सीधे पेंशन प्रदान करना।
(D) स्वास्थ्य जाँच को वेतन संरचना का हिस्सा बनाना।

149. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 किसके द्वारा त्वरित न्याय प्रदान करने का प्रयास करती है:
(A) श्रमिकों के लिए शिकायत दर्ज करना कठिन बनाकर।
(B) निर्णय लेने को मंद करने के लिए न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर।
(C) नियोक्ताओं को श्रमिकों को पृथक करके विवादों को सुलझाने की अनुमति देकर।
(D) समाधान के विभिन्न चरणों के लिए सख्त समय सीमा प्रारंभ करके।

150. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण यह सुनिश्चित करके आगे बढ़ाया जाता है कि रात्रि पाली में उनका नियोजन किसके अधीन है:
कारण (R): इन प्रावधानों में किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य करने का अधिकार और सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली के लिए सहमति की आवश्यकता सम्मिलित है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

151. सूची I की श्रम संहिताओं को सूची II में उनके विशिष्ट प्रावधानों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (संहिता):
P. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
Q. वेतन संहिता, 2019
R. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
S. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020।
सूची II (प्रावधान):
1. 'री-स्किलिंग फंड' (पुनः कौशल कोष)
2. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड
3. 'वेतन' की परिभाषा
4. सुरक्षा समिति।
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

152. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिनकी सामान्य विशेषता होती है:
(A) पूर्ण लाभों के साथ उच्च वेतन वाली स्थायी नौकरियां।
(B) विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में नियोजन।
(C) बड़े औद्योगिक उद्यमों का स्वामित्व और संचालन।
(D) अनियमित कार्य, कम वेतन और औपचारिक लाभों का अभाव।

134. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित श्रमिकों के लिए एक पृथक सामाजिक सुरक्षा कोष बनाती है।
कथन II: इस कोष का उपयोग बीमारी और मातृत्व कवच जैसे लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो पहले अधिकांश असंगठित श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं थे।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

135. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना है।
2. यह भेदभावपूर्ण नियोजन प्रथाओं को हटाकर महिलाओं को सशक्त बनाती है।
3. यह कार्यस्थल पर होने वाली सभी दुर्घटनाओं के लिए कर्मचारी को पूर्णतः उत्तरदायी बनाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

136. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किस प्रकार की सुरक्षा का उदाहरण है?
(A) खाद्य सुरक्षा
(B) राष्ट्रीय सुरक्षा
(C) सामाजिक सुरक्षा
(D) साइबर सुरक्षा

137. वेतन संहिता, 2019 द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा ढांचे का एक प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) श्रमिकों के लिए निःशुल्क आवास का प्रावधान।
(B) PF/ESI योगदान के लिए वेतन की एक समान परिभाषा।
(C) सभी के लिए आजीवन नियोजन की गारंटी।
(D) सरकार द्वारा संचालित कार्यस्थल जलपान गृह (कैंटीन) की स्थापना।

138. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, दो सदस्यीय न्यायाधिकरण (एक न्यायिक, एक प्रशासनिक) स्थापित करके, एक ऐसी न्यायिक प्रक्रिया का लक्ष्य रखती है जो हो:
(A) सम्मिलित सभी लोगों के लिए मंद और अधिक विचारशील।
(B) व्यक्तिगत श्रमिक के लिए अधिक व्ययपूर्ण।
(C) कानूनी और उद्योग-विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ संतुलित।
(D) विशेष रूप से प्रशासनिक बारीकियों पर केंद्रित।

139. पटाखे बनाने वाली एक कंपनी अपनी असेंबली लाइन में महिलाओं को नियुक्त करना चाहती है। उनकी सुरक्षा और कार्य करने के अधिकार के संबंध में किस संहिता के प्रावधान सर्वाधिक प्रासंगिक होंगे?
(A) वेतन संहिता, 2019
(B) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
(C) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
(D) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

140. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक सुरक्षा का विस्तार करने के लिए बनाई गई है।
कारण (R): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पारंपरिक रूप से पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसे औपचारिक सामाजिक सुरक्षा लाभों तक बहुत कम या कोई पहुँच नहीं रही है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

141. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियोजन के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे का भुगतान किसे किया जाता है?
(A) नियोक्ता को, धन वापसी के रूप में।
(B) मृतक श्रमिक के पंजीकृत आश्रितों को।
(C) सरकार की संचित निधि में।
(D) मृतक के ट्रेड यूनियन को।

142. वेतन संहिता, 2019 के तहत वेतन निर्धारण के तार्किक क्रम को व्यवस्थित करें:
1. राज्य सरकार किसी विशिष्ट नियोजन के लिए न्यूनतम वेतन अधिसूचित करती है।
2. केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) अधिसूचित करती है।
3. अधिसूचित राज्य न्यूनतम वेतन 'फ्लोर वेज' के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
4. नियोक्ता श्रमिक को अधिसूचित न्यूनतम वेतन का भुगतान करता है।

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 3, 1, 2, 4

143. वेतन संहिता, 2019 के तहत "वेतन की गारंटी" में वेतन प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है:
(A) बिना किसी वैधानिक कटौती के।
(B) 25% की अनिवार्य वार्षिक वृद्धि के साथ।
(C) केवल नकद में और बैंक हस्तांतरण के माध्यम से नहीं।
(D) संहिता द्वारा निर्धारित समयबद्ध रीति से।

(A) महिलाओं को पुरुष श्रमिकों पर पूर्ण अधिकार देना।
(B) सभी प्रबंधकीय पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित करना।
(C) महिलाओं को कार्य की सभी उत्तरदायित्वों से छूट देना।
(D) महिलाओं के सुरक्षित और समान रूप से भाग लेने के लिए अनुकूल स्थितियां बनाना।

163. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का त्वरित न्याय का प्रावधान मुख्य रूप से किस समस्या का समाधान करता है?
(A) उच्च बेरोजगारी दर।
(B) कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
(C) कार्यस्थल का अपर्याप्त बुनियादी ढांचा।
(D) औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में न्याय में विलंब।

164. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को समाहित करती है।
कथन II: यह समेकन एक एकल, व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढांचा बनाने के संहिता के उद्देश्य का हिस्सा है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

165. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों तक लाभ पहुँचाना है, जो भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं। संहिता के तहत किस लाभ का प्रावधान है?
(A) मातृत्व लाभ।
(B) गारंटीकृत वार्षिक विदेश यात्राएं।
(C) आवागमन के लिए एक निजी चालक।
(D) किराना वस्तुओं की निःशुल्क आजीवन आपूर्ति।

166. एक श्रमिक अपने नियोक्ता द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से व्यथित है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत, प्रतिष्ठान के भीतर त्वरित न्याय के लिए उसका सबसे तात्कालिक और आंतरिक उपाय क्या है?
(A) उच्च न्यायालय जाना।
(B) शिकायत निवारण समिति के पास शिकायत दर्ज करना।
(C) देशव्यापी हड़ताल प्रारंभ करना।
(D) प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप माँगना।

167. एक महिला को रसायन कारखाने में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 उसे यह सुनिश्चित करके सशक्त बनाती है कि:
(A) वह किसी भी अन्य श्रमिक के समान अधिकारों और प्रोटोकॉल की पात्र है।
(B) उसे उसके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है।
(C) वह किसी भी सुरक्षा समिति की सदस्य नहीं हो सकती।
(D) उसे किसी भी रसायन को स्पर्श करने से प्रतिबंधित किया गया है।

168. वेतन संहिता, 2019 में "वेतन की गारंटी" किसके विरुद्ध एक कानूनी आश्वासन है?
(A) मूल्य मुद्रास्फीति।
(B) बाजार प्रतिस्पर्धा।
(C) नियोक्ता द्वारा मनमानी कटौती और विलंबित भुगतान।
(D) कंपनी द्वारा किया गया व्यावसायिक नुकसान।

169. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): वेतन संहिता, 2019 में "वेतन" की परिभाषा सामाजिक सुरक्षा गणना के लिए महत्वपूर्ण है।
कारण (R): भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा योगदान की गणना कर्मचारी को भुगतान किए गए 'वेतन' के प्रतिशत के रूप में की जाती है। स्पष्ट परिभाषा विवादों को रोकती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

170. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का एक प्रमुख तर्क असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करना है। ऐसे श्रमिक का उदाहरण कौन है?
(A) एक बड़े निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।
(B) विश्वविद्यालय में एक स्थायी आचार्य (प्रोफेसर)।
(C) एक पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर)।
(D) बैंक का स्थायी कर्मचारी।

171. श्रम संहिताओं के अनुसार सूची I के श्रमिक प्रकारों को सूची II में उनकी विशेषताओं के साथ सुमेलित करें।
सूची I (श्रमिक)
P. कुशल
Q. अकुशल
R. गिग
S. प्लेटफॉर्म।
सूची II (विशेषता):
1. कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं;
2. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपार्जन;
3. विशिष्ट विशेषज्ञता रखता है;
4. पारंपरिक संबंधों के बाहर।
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

172. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत देय मुआवजा किसके लिए है:
(A) प्रबंधक की टिप्पणी के कारण आहत भावनाएं।

153. एक मशीन ऑपरेटर कार्यस्थल पर दुर्घटना में अपना हाथ खो देता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत, उसे मिलने वाले मुआवजे की गणना उसके वेतन, आयु और किसके आधार पर की जाएगी:
(A) एक अनुसूची में निर्दिष्ट उपार्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत।
(B) नियोक्ता कंपनी का लाभ मार्जिन।
(C) वर्तमान में उसके पास मौजूद आश्रितों की संख्या।
(D) वह जिस मशीनरी का संचालन कर रहा था उसका बाजार मूल्य।

154. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वेतन संहिता, 2019 कुशल और अकुशल भूमिकाओं में श्रमिकों को वेतन की गारंटी सुनिश्चित करती है।
कथन II: इस गारंटी का अर्थ है कि वेतन का भुगतान समय पर और बिना किसी अवैध कटौती के किया जाना चाहिए।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

155. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक विवादों से संबंधित कानूनों को समेकित करना है।
2. यह स्थायी श्रमिकों के समान लाभों के साथ निश्चित अवधि के नियोजन (fixed-term employment) की शुरुआत करती है।
3. यह न्यायाधिकरण के लिए कार्यवाही समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देना अनिवार्य बनाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

156. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण का प्रावधान, जैसे कि सहमति के साथ रात्रि पाली में कार्य की अनुमति, का उद्देश्य है:
(A) महिलाओं को असुविधाजनक समय पर कार्य करने के लिए बाध्य करना।
(B) कार्यबल में महिलाओं की कुल संख्या कम करना।
(C) यह सुनिश्चित करना कि महिलाओं को केवल कम कौशल वाली नौकरियां दी जाएं।
(D) उन सुरक्षात्मक प्रावधानों को हटाना जो बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं।

157. वेतन संहिता, 2019 के सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण में कौन-सी अवधारणा केंद्रीय है?
(A) सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वभौमिक बुनियादी आय।
(B) प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य निजी स्वास्थ्य बीमा।
(C) पेंशन कोष का पूर्ण निजीकरण।
(D) वैधानिक योगदान के आधार के रूप में 'वेतन' की परिभाषा।

158. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत "त्वरित न्याय" प्रदान करने का सर्वाधिक प्रत्यक्ष उपाय निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अवकाश की संख्या बढ़ाना।
(B) सभी श्रमिकों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना।
(C) सभी शिकायतों को केवल अंग्रेजी में दर्ज करने की आवश्यकता।
(D) अधिनिर्णय कार्यवाहियों के लिए वैधानिक समय सीमा निर्धारित करना।

159. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 किसके माध्यम से असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है:
(A) सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा।
(B) सार्वभौमिक मताधिकार और मतदान अधिकार।
(C) अंशदान और सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं।
(D) राजनीतिक दलों को अनिवार्य कॉर्पोरेट दान।

160. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मुआवजे के प्रावधान तब भी लागू होते हैं जब दुर्घटना सह-कर्मी की लापरवाही के कारण हुई हो।
कारण (R): 'नियोजन से उत्पन्न और उसके दौरान' का सिद्धांत यह मानता है कि नियोक्ता नियोजन में निहित जोखिमों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें अन्य कर्मचारियों के कृत्य भी सम्मिलित हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

161. वेतन संहिता, 2019 कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का प्रावधान करती है, यह स्वीकार करते हुए कि:
(A) सभी श्रम का आर्थिक मूल्य समान है।
(B) कौशल और जटिलता वेतन निर्धारण में कारक होने चाहिए।
(C) अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलना चाहिए।
(D) केवल कुशल श्रमिक ही सामाजिक सुरक्षा के पात्र हैं।

162. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत "महिला सशक्तिकरण" शब्द का तात्पर्य है:

स्पष्ट रुप से परिभाषित है।
(C) सभी श्रमिकों को सरकारी कर्मचारी बनाकर।
(D) सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समाप्त करके।

183. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय प्रदान करने के लक्ष्यों में से एक है:
(A) अधिवक्ताओं के लाभ में वृद्धि करना।
(B) औद्योगिक संघर्ष को कम करना और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।
(C) श्रमिकों को अनावश्यक शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना।
(D) ट्रेड यूनियनों की स्थिति को कमजोर करना।

184. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 विशेष रुप से केवल पुरुष श्रमिकों की सुरक्षा पर केंद्रित है।
कथन II: संहिता में महिला श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के उद्देश्य से विशिष्ट प्रावधान हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

185. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पहली बार किस समूह को सामाजिक सुरक्षा के विधायी ढांचे में लाती है?
(A) गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक।
(B) स्थायी केंद्र सरकार के कर्मचारी।
(C) सशस्त्र बलों के सदस्य।
(D) कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।

186. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' की अवधारणा किस मुद्दे को संबोधित करती है?
(A) श्रमिकों के बीच कौशल का अभाव।
(B) वेतन की चोरी और विलंबित भुगतान।
(C) उच्च पद-त्याग दर (एट्रिशन रेट)।
(D) विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव।

187. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का प्रावधान किसका एक रूप है:
(A) कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई।
(B) नियोक्ता का उत्तरदायित्व बीमा।
(C) चिकित्सालयों के लिए सरकारी सहायता।
(D) सेवानिवृत्ति लाभ।

188. नियोक्ता द्वारा कौन-सा कार्य व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के महिला सशक्तिकरण प्रावधानों द्वारा समर्थित होगा?
(A) रात्रि पाली वाले कार्य के लिए महिलाओं को नियुक्त करने से मना करना।
(B) सहमति प्राप्त करने के बाद रात्रि पाली की भूमिका के लिए एक महिला को नियुक्त करना।
(C) एक ही कार्य के लिए महिला को कम भुगतान करना।
(D) गर्भवती होने वाली महिला को सेवा से मुक्त करना।

189. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रावधान हैं।
कारण (R): संहिता यह अनिवार्य करती है कि प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को सांसद के समान वेतन और लाभ प्राप्त होंगे।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

190. वेतन संहिता, 2019 के तहत न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) भेदभाव को बढ़ावा देना।
(B) विशेषज्ञता और प्रयास के विभिन्न स्तरों को पहचानना।
(C) सभी को समान भुगतान करके वेतन गणना को सरल बनाना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों का अनुपालन करना।

191. सूची I की प्रमुख अवधारणाओं को सूची II के उनके उद्देश्यों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (अवधारणा):
P. वेतन की गारंटी;
Q. महिला सशक्तिकरण;
R. त्वरित न्याय;
S. असंगठित श्रमिक सुरक्षा।
सूची II (उद्देश्य):
1. मुकदमेबाजी का समय कम करना;
2. समय पर भुगतान सुनिश्चित करना;
3. सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करना;
4. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

192. एक औद्योगिक विवाद पाँच वर्षों से न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ऐसी स्थितियों को किसके द्वारा रोकना चाहती है:
(A) न्यायाधिकरणों को पूर्णतः समाप्त करना।
(B) मामलों के निपटान के लिए विशिष्ट समय सीमा अनिवार्य करना।
(C) श्रमिकों और नियोक्ताओं को द्वंद्व के माध्यम से मामला सुलझाने का सुझाव देना।

3. वृद्धावस्था संरक्षण।

उपरोक्त में से किन को संहिता के तहत योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है?

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

276. OSH संहिता, 2020 का प्रावधान, जो महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में कार्य करने की अनुमति देता है, किसे बढ़ावा देना चाहता है:

(A) आर्थिक निर्भरता।
(B) आर्थिक अवसरों में लैंगिक समानता।
(C) सुरक्षात्मक भेदभाव।
(D) पुरुष कार्यबल में कमी।

277. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' मूल रूप से किसके विरुद्ध एक गारंटी है:

(A) व्यवसाय की विफलता।
(B) गैर-भुगतान के माध्यम से शोषण।
(C) मुद्रास्फीति।
(D) पदोन्नति की कमी।

278. वेतन संहिता, 2019 का "सामाजिक सुरक्षा" पक्ष सर्वाधिक सटीक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है:

(A) न्यूनतम वेतन पर इसके प्रावधान।
(B) PF और ESI पर इसकी वेतन परिभाषा का प्रभाव।
(C) समय पर भुगतान पर इसके प्रावधान।
(D) बोनस भुगतान पर इसके प्रावधान।

279. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत "त्वरित न्याय" में "न्याय" शब्द किसके निष्पक्ष और विधिक समाधान को संदर्भित करता है:

(A) आपराधिक मामले।
(B) अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद।
(C) औद्योगिक विवाद और शिकायतें।
(D) पारिवारिक संपत्ति के मामले।

280. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:

अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मुआवजे का प्रावधान कार्य पर जाने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को कवर करता है।

कारण (R): यह 'नियोजन के काल्पनिक विस्तार' के सिद्धांत पर आधारित है, जो यात्रा को कार्य से संबंधित जोखिम का हिस्सा मानता है।

(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

281. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को किसके द्वारा वित्तपोषित किया जाना है:

(A) विशेष रूप से विश्व बैंक द्वारा।
(B) केवल निजी दान द्वारा।
(C) श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के अंशदान से।
(D) कृषि आय पर विशेष कर द्वारा।

282. OSH संहिता, 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण का प्रावधान केवल अधिकारों के बारे में नहीं है अपितु किसके बारे में भी है:

(A) अधिक भार डालना।
(B) एक सुरक्षित और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना।
(C) प्रतिगामी भेदभाव (reverse discrimination) निर्मित करना।
(D) उत्पादकता मानकों को कम करना।

283. वेतन संहिता, 2019, कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन के अपने प्रावधान में किसके हितों को संतुलित करने का प्रयास करती है:

(A) श्रमिक और नियोक्ता।
(B) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति।
(C) कृषि और उद्योग।
(D) केंद्र और राज्य सरकारें।

284. नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 किसी भी चोट के लिए कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान करती है, भले ही वह स्वयं के द्वारा की गई हो।

कथन II: संहिता नियोक्ता के लिए बचाव प्रदान करती है, जैसे कि यदि चोट श्रमिक के नशीले पदार्थों या मदिरा के प्रभाव में होने के कारण हुई हो।

(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

285. एक कारखाना श्रमिक अपने पर्यवेक्षक के साथ विवाद के बाद शिकायत दर्ज करना चाहता है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'त्वरित न्याय' का सिद्धांत सुझाव देता है कि उसे सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए:

(A) भारत का उच्चतम न्यायालय।
(B) प्रतिष्ठान की शिकायत निवारण समिति।
(C) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
(D) मीडिया।

286. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का मौलिक उद्देश्य क्या है?

(A) जीवन के जोखिमों के विरुद्ध बुनियादी सुरक्षा प्रदान

की भावना के अनुसार "त्वरित न्याय" सुनिश्चित करने के लिए प्रथम चरण होना चाहिए:
(A) नियोक्ता द्वारा तत्काल तालाबंदी।
(B) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक याचिका।
(C) आंतरिक शिकायत निवारण समिति के माध्यम से समाधान।
(D) श्रमिकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल।

204. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: महिला सशक्तिकरण OSH संहिता, 2020 का एक प्रमुख विषय है।
कथन II: संहिता पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक अनिवार्य करके इसे प्राप्त करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

205. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कर्मचारियों को मुआवजे का प्रावधान करती है। यह मुआवजा सामान्यतः किसके लिए एकमुश्त भुगतान या आवधिक भुगतान होता है:
(A) बिक्री लक्ष्य प्राप्त करना।
(B) नियोजन के दौरान लगी चोट के कारण उपार्जन क्षमता की हानि।
(C) अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना।
(D) लागत बचत सुझाव प्रस्तुत करना।

206. वेतन संहिता, 2019 के तहत "वेतन की गारंटी" किस श्रेणी के श्रमिक के लिए एक मौलिक सुरक्षा है?
(A) केवल सरकारी कर्मचारी।
(B) केवल बहुराष्ट्रीय निगमों के श्रमिक।
(C) सभी श्रमिक, जिनमें कुशल, अकुशल और संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सम्मिलित हैं।
(D) केवल स्व-नियोजित व्यक्ति।

207. वेतन संहिता, 2019 का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पक्ष किसका नियमितीकरण है:
(A) कार्य के घंटे।
(B) अवकाश नीति।
(C) जलपान गृह (कैंटीन) सुविधाएं।
(D) बोनस भुगतान।

208. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 क्या प्रदान करके त्वरित न्याय की सुविधा प्रदान करती है:
(A) सुलह और मध्यस्थता को संयोजित करने का विकल्प।
(B) विदेशी न्यायाधीशों की अनिवार्य नियुक्ति।
(C) विवाद के दौरान सभी श्रमिक अधिकारों का निलंबन।
(D) नियोक्ता के पक्ष में स्वचालित निर्णय।

209. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): OSH संहिता, 2020 महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देती है।
कारण (R): यह सुनिश्चित करने के लिए है कि महिलाओं को 24/7 चलने वाले उद्योगों में नियोजन के अवसरों से वंचित न किया जाए, बशर्ते उनकी सुरक्षा और सहमति सुनिश्चित की जाए।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

210. सहकारी संस्था के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने वाली एक घरेलू बुनकर को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत 'असंगठित श्रमिक' माना जाता है। उसे मिलने वाला प्राथमिक लाभ क्या है?
(A) विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर होने की पात्रता।
(B) एक गारंटीकृत सरकारी नौकरी।
(C) सरकार की ओर से निःशुल्क आवास।
(D) एक राजनयिक पासपोर्ट।

211. सूची I के प्रावधानों को सूची II के उनके मूल विचारों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (प्रावधान):
P. कर्मचारी मुआवजा;
Q. न्यूनतम वेतन;
R. शिकायत निवारण समिति;
S. शिशुगृह (क्रेच) सुविधा।
सूची II (विचार):
1. आंतरिक विवाद समाधान;
2. महिला सशक्तिकरण;
3. बुनियादी निर्वाह;
4. दुर्घटनाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

212. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत चोट के लिए मुआवजा एक सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा उस सूत्र में एक चर (variable) नहीं है?
(A) कर्मचारी का मासिक वेतन।
(B) कर्मचारी की आयु।
(C) विकलांगता का प्रतिशत।
(D) कर्मचारी का धर्म।

कथन II: इस सरलीकरण का भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

235. नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें:
1. उसकी सहमति और उचित सुरक्षा उपायों के साथ, देर रात तक कार्य की आवश्यकता वाली शोध भूमिका के लिए एक महिला को नियुक्त करना।
2. प्रबंधकीय भूमिका के लिए महिला को नियुक्त करने से मना करना क्योंकि "महिलाएं अच्छी नेतृत्वकर्ता नहीं होती हैं"।
3. कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक स्वच्छ और स्वास्थ्यकर शिशुगृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना।

उपरोक्त में से कौन-सा कार्य OSH संहिता, 2020 के सशक्तिकरण प्रावधानों के अनुरुप है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

236. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी की मृत्यु के लिए देय मुआवजे की गणना किसके प्रतिशत के रूप में की जाती है:
(A) कंपनी का वार्षिक लाभ।
(B) आयु कारक को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी का मासिक वेतन।
(C) नियोक्ता की कुल संपत्ति।
(D) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP)।

237. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' किसके द्वारा श्रमिक की स्थिति को सशक्त करती है:
(A) वेतन भुगतान को एक वैधानिक दायित्व बनाकर।
(B) प्रत्येक छह महीने में पदोन्नति की गारंटी देकर।
(C) यह सुनिश्चित करके कि श्रमिक को कभी सेवामुक्त नहीं किया जाएगा।
(D) व्यक्तिगत मामलों के लिए नि:शुल्क कानूनी सलाह प्रदान करके।

238. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'कुशल कर्मचारी' वह है जो:
(A) अपने हाथों से कार्य करता है।
(B) स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है।
(C) स्नातकोत्तर की उपाधि रखता है।
(D) कई भाषाएं बोल सकता है।

239. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय का प्रावधान अंततः किसका वातावरण निर्मित करने का लक्ष्य रखता है:
(A) संघर्ष और अविश्वास।
(B) औद्योगिक सद्भाव और आर्थिक विकास।
(C) निरंतर मुकदमेबाजी।
(D) सभी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण।

240. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए प्रावधान सम्मिलित हैं।
कारण (R): यह देश के सभी प्रकार के श्रमिकों को कवर करने वाली एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने की सरकार की मंशा को दर्शाता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

241. OSH संहिता, 2020 की एक प्रमुख 'महिला सशक्तिकरण' विशेषता है:
(A) समान पारिश्रमिक का अधिकार।
(B) सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का अधिकार।
(C) बोर्डों में महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण।
(D) समान वेतन के लिए महिलाओं के लिए कार्य के कम घंटे।

242. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में मुआवजे के प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित हैं:
(A) नियोक्ता का दोष।
(B) कर्मचारी का दोष।
(C) नियोजन से उत्पन्न दोष-रहित उत्तरदायित्व (नो-फॉल्ट लायबिलिटी)।
(D) सरकार का दोष।

243. वेतन संहिता, 2019 के तहत वेतन की गारंटी एक प्रावधान है जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है:
(A) वेतन की राशि।
(B) नियोजन की सुरक्षा।
(C) वेतन के भुगतान की रीति और समय।
(D) श्रमिक का कौशल स्तर।

244. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 को विवाद समाधान की प्रक्रिया को मंद करने के लिए बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी तथ्यों पर विचार किया गया है।
कथन II: संहिता त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुलह और न्यायाधिकरण कार्यवाहियों के लिए सख्त समय सीमा प्रारंभ करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

ये नए रूप 'कर्मचारी' की पारंपरिक कानूनी परिभाषाओं में सटीक रूप से समाहित नहीं होते थे।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
(B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन II, कथन I की सही व्याख्या नहीं है।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

225. OSH संहिता, 2020 के अनुसार एक कारखाने में शिशुगृह (क्रेच) है। यह प्रावधान मुख्य रूप से किसे सहायता प्रदान करता है:
(A) छोटे बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं का सशक्तिकरण।
(B) नियोक्ता की सार्वजनिक छवि।
(C) बच्चों का कौशल विकास।
(D) कारखाने की कर देनदारी में कमी।

226. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारियों को मुआवजा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) श्रमिकों और उनके परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान करना।
(B) व्यवसाय चलाने के लिए नियोक्ताओं को दंडित करना।
(C) अर्थदंड के माध्यम से सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना।
(D) लोगों को कारखानों में नियोजन खोजने से हतोत्साहित करना।

227. वेतन संहिता, 2019 के तहत "वेतन की गारंटी" का उल्लंघन तब होता है यदि:
(A) एक नियोक्ता अगले महीने के 7वें दिन वेतन का भुगतान करता है।
(B) एक नियोक्ता अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करता है।
(C) एक नियोक्ता अग्रिम के लिए कटौती करता है।
(D) एक नियोक्ता कटौतियों को स्पष्ट करने वाली वेतन पर्ची (पे-स्लिप) प्रदान करता है।

228. वेतन संहिता, 2019 के भीतर सामाजिक सुरक्षा प्रावधान अधिकतर हैं:
(A) प्रत्यक्ष, जैसे बीमा प्रदान करना।
(B) अस्तित्वहीन।
(C) नियोक्ता के लिए अनुपालन स्वैच्छिक।
(D) अप्रत्यक्ष, वेतन की परिभाषा के प्रभावों से संबंधित।

229. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 एक शिकायत निवारण समिति का प्रावधान करती है।
कारण (R): इस समिति का उद्देश्य न्याय में विलंब करना और इसे श्रमिक के लिए अधिक व्ययपूर्ण बनाना है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

230. OSH संहिता, 2020 में एक प्रावधान है कि महिलाएं सभी प्रतिष्ठानों में नियोजन की पात्र होंगी। यह सशक्तिकरण का एक उपाय है क्योंकि यह:
(A) महिलाओं को ऐसी नौकरियां लेने के लिए बाध्य करता है जो वे नहीं चाहतीं।
(B) लिंग आधारित रूढ़ियों और प्रतिबंधों से संघर्ष करता है।
(C) पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए उच्च वेतन की गारंटी देता है।
(D) कार्यस्थल पर खतरे के स्तर को बढ़ाता है।

231. सूची I की श्रम संहिताओं को सूची II में उनके प्रमुख ध्यान क्षेत्रों (फोकस एरिया) के साथ सुमेलित करें।
सूची I (संहिता)
P. वेतन संहिता, 2019
Q. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
R. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
S. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020।
सूची II (फोकस):
1. श्रमिक सुरक्षा और कल्याण
2. पारिश्रमिक और बोनस
3. विवाद समाधान
4. बीमा और पेंशन।
(A) P-2, Q-1, R-3, S-4
(B) P-1, Q-2, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

232. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित श्रमिकों को किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है:
(A) उन्हें सरकार में स्थायी नौकरियां देकर।
(B) असंगठित कार्य के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाकर।
(C) उन्हें दूसरे देशों में पलायन करने के लिए बाध्य करके।
(D) विशिष्ट योजनाओं के लिए एक ढांचा तैयार करके।

233. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में 'त्वरित न्याय' का प्रावधान श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि:
(A) यह गारंटी देता है कि वे प्रत्येक वाद जीतेंगे।
(B) लंबे विवादों से वेतन की हानि और असुरक्षा होती है।
(C) यह उन्हें अधिक अवकाश लेने की अनुमति देता है।
(D) यह नियोक्ता की स्थिति को दुर्बल बनाता है।

234. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वेतन संहिता, 2019 एक एकल, समान परिभाषा बनाकर वेतन की जटिल संरचना को सरल बनाती है।

(D) सरकार को विवादित कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए कहना।

193. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियोजन से संबंधित चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किसका वैधानिक उत्तरदायित्व है:
(A) कर्मचारी का।
(B) सरकार का।
(C) नियोक्ता का।
(D) ट्रेड यूनियन का।

194. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वेतन संहिता, 2019 वेतन की सटीक परिभाषा सुनिश्चित करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
कथन II: OSH संहिता, 2020 एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे चोट और आय की हानि को रोका जा सके।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

195. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. वे सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की पात्र हैं।
2. उन्हें केवल उनकी सहमति से ही रात्रि पाली में नियोजित किया जा सकता है।
3. यदि वे रात्रि में कार्य करती हैं तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और परिवहन प्रदान किया जाना चाहिए।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

196. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर उस श्रमिक का उदाहरण है जिसके लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 क्या प्रदान करने का लक्ष्य रखती है:
(A) एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड।
(B) आकस्मिकताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष तक पहुँच।
(C) कंपनी के निदेशक मंडल में एक पद।
(D) एक विलासिता आवास।

197. वेतन संहिता, 2019 में "वेतन की गारंटी" शब्द में क्या सम्मिलित नहीं है?
(A) वेतन का समय पर भुगतान।
(B) जीवन भर के लिए नियोजन की गारंटी।
(C) कम से कम न्यूनतम वेतन का भुगतान।
(D) अनधिकृत कटौती से सुरक्षा।

198. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय का प्रावधान किसके लिए अधिक अनुमानित और कुशल वातावरण बनाने के लिए बनाया गया है:
(A) केवल श्रमिक।
(B) केवल नियोक्ता।
(C) औद्योगिक निवेश और श्रमिक कल्याण दोनों।
(D) केवल न्यायपालिका।

199. महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में कार्य करने की अनुमति देकर, OSH संहिता, 2020 एक ऐतिहासिक बाधा को हटाती है जिसे अक्सर किस रूप में देखा जाता था:
(A) सुरक्षात्मक लेकिन भेदभावपूर्ण।
(B) राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक।
(C) महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी।
(D) ट्रेड यूनियनों की एक प्रमुख मांग।

200. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कर्मचारी मुआवजा अधिनियम सहित कई पिछले कानूनों को समेकित करती है।
कारण (R): इस समेकन का उद्देश्य मुआवजे का दावा करने के लिए एक खंडित और भ्रमित करने वाली प्रणाली बनाना है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

201. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'कुशल' श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन तय करते समय किस कारक पर विचार किया जाता है?
(A) कार्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का स्तर।
(B) श्रमिक की राजनीतिक संबद्धता।
(C) श्रमिक के परिवार का आकार।
(D) नियोक्ता की व्यक्तिगत पसंद।

202. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक प्रावधानों का विस्तार करना, भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूर्ण करने की दिशा में एक चरण है?
(A) कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
(B) समान नागरिक संहिता।
(C) ग्राम पंचायतों का संगठन।
(D) स्मारकों का संरक्षण।

203. अतिरिक्त समय (ओवरटाइम) वेतन के संबंध में एक कारखाने में विवाद उत्पन्न होता है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

245. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा किसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है:
(A) रातों-रात संपूर्ण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना।
(B) जनसंख्या की वित्तीय सुभेद्यता को कम करना।
(C) मध्यम वर्ग पर कर बढ़ाना।
(D) विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना।

246. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' मुख्य रूप से एक श्रमिक के लिए क्या सुरक्षित करती है?
(A) अर्जित वेतन का समय पर भुगतान।
(B) जीवन भर के लिए नियोजन।
(C) एक निश्चित वार्षिक बोनस।
(D) कंपनी के लाभ में हिस्सा।

247. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान निम्नलिखित में से किस परिदृश्य को कवर करता है?
(A) भोजन बनाते समय घर पर लगी चोट।
(B) निर्माण स्थल पर मचान से गिरना।
(C) परिवार के किसी सदस्य से संक्रमित बीमारी।
(D) क्रीड़ा करते समय लगी चोट।

248. वेतन संहिता, 2019 के तहत "अकुशल" शब्द उस श्रमिक पर लागू होता है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें आवश्यकता होती है:
(A) उच्च तकनीकी विशेषज्ञता।
(B) अत्यंत कम पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण।
(C) विश्वविद्यालय की उपाधि।
(D) महत्वपूर्ण स्वतंत्र निर्णय।

249. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): OSH संहिता, 2020 में ऐसे प्रावधान सम्मिलित हैं जिन्हें महिला श्रमिकों के लिए सशक्तिकरण के रूप में देखा जा सकता है।
कारण (R): शिशुगृह (क्रेच) की सुविधा अनिवार्य करके और सहमति के साथ रात्रि पाली में कार्य की अनुमति देकर, संहिता महिलाओं को कार्य और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने तथा अधिक नियोजन अवसरों तक पहुँचने में सहायता करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

250. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) सद्भाव के लिए विवादों का तीव्र समाधान सुनिश्चित करना।
(B) न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बढ़ाना।
(C) अधिवक्ताओं को अधिक व्यवसाय प्रदान करना।
(D) नियोक्ताओं को अपनी इच्छा से श्रमिकों को निकालने की अनुमति देना।

251. सूची I की श्रम संहिताओं को सूची II में मुख्य रूप से लाभान्वित समूहों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (संहिता):
P. सामाजिक सुरक्षा संहिता;
Q. OSH संहिता;
R. औद्योगिक संबंध संहिता;
S. वेतन संहिता।
सूची II (लाभार्थी):
1. महिला श्रमिक;
2. विवादों में श्रमिक और नियोक्ता;
3. कम वेतन पाने वाले;
4. गिग और अनौपचारिक श्रमिक।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

252. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित श्रमिकों को अपने दायरे में लाकर किसे संबोधित करने का प्रयास है:
(A) अति-नियोजन की समस्या।
(B) अनौपचारिकता और सुरक्षा जाल का अभाव।
(C) संगठित कर्मचारियों के लिए उच्च वेतन।
(D) तकनीकी अपनाने की कमी।

253. वेतन संहिता, 2019 के तहत 'वेतन की गारंटी' का प्रत्यक्ष परिणाम निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(A) वेतन के भुगतान में विलंब के लिए नियोक्ता को दंडित किया जा सकता है।
(B) कौशल की परवाह किए बिना सभी श्रमिकों को समान वेतन मिलता है।
(C) श्रमिकों को उनकी नौकरियों से सेवामुक्त नहीं किया जा सकता।
(D) यदि नियोक्ता सक्षम नहीं है तो सरकार वेतन का भुगतान करती है।

254. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारियों को मुआवजे का प्रावधान भारतीय श्रम कानून में एक नवीन अवधारणा है।
कथन II: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 बड़े पैमाने पर पूर्व-विद्यमान कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों को समेकित और संशोधित करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

255. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. शिकायत निवारण समितियों की स्थापना।
2. न्यायाधिकरणों द्वारा विवादों का समयबद्ध समाधान।
3. छंटनी किए गए श्रमिकों के लिए 'री-स्किलिंग फंड' (पुनः कौशल कोष) का प्रावधान।

उपरोक्त में से कौन-से कथन श्रमिक के लिए 'न्याय' की अवधारणा में योगदान करते हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

256. OSH संहिता, 2020 रात्रि पाली में महिलाओं के नियोजन पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटाकर उन्हें सशक्त बनाती है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है:
(A) पितृवाद (Paternalism)।
(B) सुरक्षा उपायों के साथ समान अवसर।
(C) पृथक्करण।
(D) शोषण।

257. वेतन संहिता, 2019 के संदर्भ में उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा मुख्य रूप से किसके प्रभाव को संदर्भित करती है:
(A) वैधानिक कटौतियों हेतु वेतन की एक मानकीकृत परिभाषा।
(B) सभी श्रमिकों को निःशुल्क भोजन और आवास का प्रावधान।
(C) सरकार द्वारा संचालित बेरोजगारी बीमा योजना।
(D) अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु।

258. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत "त्वरित न्याय" प्रावधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है?
(A) यह लंबी कानूनी लड़ाइयों को प्रोत्साहित करता है।
(B) यह समाधान के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करता है।
(C) यह श्रमिक के अपील करने के अधिकार को हटा देता है।
(D) यह नियोक्ताओं को सभी विवादों में अंतिम निर्णय प्रदान करता है।

259. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा ढांचे की एक प्रमुख विशेषता है:
(A) सभी असंगठित श्रमिकों के लिए सेना में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
(B) यह पंजीकरण और डेटाबेस के निर्माण पर आधारित है।
(C) यह प्रत्येक श्रमिक को एक निःशुल्क वाहन प्रदान करती है।
(D) यह विशेष रूप से विदेशी सहायता द्वारा वित्तपोषित है।

260. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 को समाहित करती है।
कारण (R): इस समाहित करने का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के लिए एक एकल, व्यापक संहिता बनाना है, जिसमें नियोजन के दौरान लगने वाली चोटों का मुआवजा सम्मिलित है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

261. वेतन संहिता, 2019 कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का प्रावधान करती है ताकि:
(A) जीवन का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित किया जा सके और शोषण को रोका जा सके।
(B) श्रमिकों की उपार्जन को सीमित किया जा सके।
(C) कार्यस्थल में एक कठोर पदानुक्रम निर्मित किया जा सके।
(D) लोगों को नवीन कौशल प्राप्त करने से हतोत्साहित किया जा सके।

262. OSH संहिता, 2020 के तहत महिलाओं का सशक्तिकरण उस प्रावधान में परिलक्षित होता है जो उन्हें अधिकार देता है:
(A) सुरक्षा नियमों के अधीन किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य करना।
(B) समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में अधिक वेतन।
(C) बिना किसी कारण के कार्य करने से मना करना।
(D) अपना पृथक प्रबंधन बनाना।

263. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय का प्रावधान किसे लाभ पहुँचाने के लिए है:
(A) केवल नियोक्ता, शीघ्र समाधान की अनुमति देकर।
(B) केवल श्रमिक, त्वरित राहत सुनिश्चित करके।
(C) नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों को।
(D) केवल अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को।

264. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारत में 'गिग श्रमिक' और 'प्लेटफॉर्म श्रमिक' को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला प्रथम कानूनी साधन है।
कथन II: यह मान्यता उन तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रथम चरण है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

265. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मुआवजे का प्रावधान नियोक्ता पर किसके लिए राहत प्रदान करने का कानूनी दायित्व बनाता है:
(A) कर्मचारी द्वारा झेली गई कोई भी बीमारी।
(B) कोई भी दुर्घटना, चाहे वह कहीं भी हो।
(C) नियोजन से उत्पन्न होने वाली चोटें और बीमारियाँ।
(D) कर्मचारी का व्यक्तिगत वित्तीय हानि।

266. वेतन संहिता, 2019 में "वेतन की गारंटी" श्रमिक के लिए एक कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो जाती है:
(A) कम से कम न्यूनतम अधिसूचित वेतन प्राप्त करना।
(B) प्रतिवर्ष पदोन्नति।
(C) आजीवन नियोजन।
(D) कंपनी के स्वामित्व में हिस्सेदारी।

267. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, असंगठित श्रमिकों के लिए अपने प्रावधानों के माध्यम से अनौपचारिक सहायता की प्रणाली से किस ओर संक्रमण करना चाहती है:
(A) सहायता का पूर्ण अभाव।
(B) एक औपचारिक, अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
(C) सहायता पर पूर्णतः निर्भर प्रणाली।
(D) एक ऐसी प्रणाली जहाँ केवल धनिकों की रक्षा की जाती है।

268. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का उद्देश्य शिकायत निवारण समिति से लेकर कहाँ तक विवाद समाधान के लिए एक स्पष्ट, समयबद्ध मार्ग प्रदान करके त्वरित न्याय प्रदान करना है:
(A) उच्चतम न्यायालय।
(B) औद्योगिक न्यायाधिकरण।
(C) कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)।
(D) स्थानीय पुलिस स्टेशन।

269. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): वेतन संहिता, 2019 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं है।
कारण (R): संहिता की 'वेतन' की नवीन परिभाषा सीधे भविष्य निधि और ESI जैसे सामाजिक सुरक्षा अंशदान के गणना आधार को प्रभावित करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

270. OSH संहिता, 2020 महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीकों में से एक नियोक्ताओं को उन महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहती है जो कार्य करती हैं:
(A) दिन के समय।
(B) रात्रि पाली में।
(C) घर से।
(D) केवल प्रशासनिक भूमिकाओं में।

271. सूची I की कानूनी शब्दावली को सूची II में श्रम संहिताओं के तहत उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (शब्दावली):
P. असंगठित श्रमिक;
Q. त्वरित न्याय;
R. न्यूनतम वेतन;
S. नियोजन के दौरान चोट।
सूची II (अर्थ):
1. वेतन स्तर की आधार रेखा;
2. कार्य से संबंधित दुर्घटना;
3. अनौपचारिक क्षेत्र का श्रमिक;
4. प्रभावी समाधान।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

272. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के मुआवजे के प्रावधान किस पर लागू होते हैं:
(A) केवल खतरनाक उद्योगों के श्रमिक।
(B) कवर किए गए कर्मचारी जिन्हें नियोजन के दौरान चोट लगती है।
(C) केवल सरकारी कर्मचारी।
(D) केवल एक निश्चित सीमा से अधिक उपार्जन करने वाले श्रमिक।

273. वेतन संहिता, 2019 में कुशल/अकुशल के रूप में श्रमिकों का वर्गीकरण किस सिद्धांत की मान्यता है:
(A) कार्य की परवाह किए बिना सभी के लिए समान वेतन।
(B) कार्य की जटिलता के आधार पर उचित विभेद।
(C) सामाजिक पदानुक्रम।
(D) नियोक्ता का विवेक।

274. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में शिकायत निवारण समितियों के प्रावधान हैं।
कथन II: ये समितियाँ भारत में सभी औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए अंतिम और सर्वोच्च प्राधिकारी हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

275. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए निम्नलिखित लाभों पर विचार करें:
1. जीवन और विकलांगता कवच।
2. स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ।

213. वेतन संहिता, 2019 वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करके श्रमिक के किस अधिकार को बनाए रखती है?
(A) राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार।
(B) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
(C) अपने श्रम का फल प्राप्त करने का अधिकार।
(D) धार्मिक स्वतंत्रता।

214. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की एक प्रमुख विशेषता "एकमात्र वार्ताकार संघ" का प्रावधान है, जिसके पास किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों के लिए सौदेबाजी करने का विशेष अधिकार होता है।
कथन II: यह एक अराजक और अस्थिर औद्योगिक संबंध वातावरण बनाने के लिए है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

215. निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा कानूनों पर विचार करें:
1. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
2. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
3. कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
उपरोक्त में से किन अधिनियमों के प्रावधानों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समेकित किया गया है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

216. OSH संहिता, 2020 में महिलाओं को (सहमति के साथ) रात्रि पाली में कारखानों सहित सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की अनुमति देने वाला प्रावधान किस सिद्धांत की ओर एक चरण है?
(A) लिंग पृथक्करण।
(B) सभी श्रमिकों के लिए वेतन कम करना।
(C) नियोजन में लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव।
(D) महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को सीमित करना।

217. वेतन संहिता, 2019 "वेतन" को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। यह सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में कैसे सहायक है:
(A) PF/ESI गणना के लिए राशि पर विवादों को रोककर।
(B) प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी की गारंटी देकर।
(C) श्रमिकों को निःशुल्क भोजन प्रदान करके।
(D) सभी नागरिकों के लिए एक निश्चित पेंशन सुनिश्चित करके।

218. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है:
(A) उच्च न्यायालय में।
(B) सुलह अधिकारी के पास।
(C) शिकायत निवारण समिति के पास।
(D) श्रम मंत्री के पास।

219. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 किस समूह के श्रमिकों के लिए डेटाबेस बनाने का आदेश देती है?
(A) केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिक।
(B) भारत में केवल विदेशी श्रमिक।
(C) केवल सेवानिवृत्त श्रमिक।
(D) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।

220. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): वेतन संहिता, 2019 का उद्देश्य कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए गारंटीकृत वेतन सुनिश्चित करना है।
कारण (R): यह गारंटी मुख्य रूप से समय पर भुगतान समय-सारणी और मनमानी कटौती के विरुद्ध नियमों के माध्यम से लागू की जाती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

221. अस्थायी विकलांगता के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत मुआवजा सामान्यतः किस रूप में होता है:
(A) आजीवन वेतन के बराबर एकमुश्त भुगतान।
(B) विकलांगता की अवधि के दौरान अर्ध-मासिक भुगतान।
(C) पद में पदोन्नति।
(D) एक विदेशी अवकाश पैकेज।

222. वेतन संहिता, 2019 के संदर्भ में "अकुशल श्रमिक" का तात्पर्य उस श्रमिक से है जो:
(A) पूर्णतः निरक्षर है।
(B) सरल कर्तव्यों वाले कार्यों को करता है।
(C) कार्य करने के लिए अनुच्छुक है।
(D) ट्रेड यूनियन में सम्मिलित नहीं हुआ है।

223. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में "त्वरित न्याय" के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है?
(A) सार्वजनिक अवकाश की संख्या में वृद्धि।
(B) संपूर्ण समाधान प्रक्रिया की अनिवार्य समय-सीमा तय करना।
(C) नियोक्ताओं के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान।
(D) सभी कार्यवाहियों के लैटिन भाषा में होने की आवश्यकता।

224. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए प्रावधान करती है।
कथन II: ये प्रावधान इसलिए आवश्यक थे क्योंकि कार्य के

करना।
(B) उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बनाना।
(C) सरकार के कर राजस्व में वृद्धि करना।
(D) उनकी गतिविधियों की निगरानी करना।

287. वेतन संहिता, 2019 के तहत "वेतन की गारंटी" किसके विरुद्ध एक कानूनी सुरक्षा है:
(A) मुद्रा का अवमूल्यन।
(B) श्रमिक की त्रुटिपूर्ण वित्तीय योजना।
(C) जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि।
(D) गैर-भुगतान और अवैध कटौती।

288. OSH संहिता, 2020 में महिलाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण प्रावधान संभवतः है:
(A) निःशुल्क प्रसाधन सामग्री का प्रावधान।
(B) केवल महिलाओं के लिए जलपान गृह का आदेश।
(C) कार्य के प्रकार और पाली (शिफ्ट) की बाधाओं को हटाना।
(D) मध्याह्न भोजन अवकाश के अधिक समय का अधिकार।

289. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:
अभिकथन (A): औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 त्वरित न्याय के लिए एक तंत्र स्थापित करती है।
कारण (R): यह अधिक लालफीताशाही निर्मित करके और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को अनिश्चित काल तक बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

290. वेतन संहिता, 2019 कुशल और अकुशल जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का प्रावधान करती है। यह इस सिद्धांत का अनुप्रयोग है:
(A) एक राष्ट्र, एक वेतन।
(B) निष्पक्ष कार्य के लिए निष्पक्ष वेतन।
(C) प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार।
(D) सभी श्रमिक समान हैं।

291. सूची I के प्रावधानों को सूची II के उनके उद्देश्यों के साथ सुमेलित करें।
सूची I (प्रावधान):
P. न्यूनतम वेतन
Q. शिकायत निवारण
R. सामाजिक सुरक्षा (गिग)
S. मुआवजा।
सूची II (उद्देश्य):
1. नवीन कार्यों के लिए सुरक्षा जाल
2. दुर्घटनाओं के लिए आय सुरक्षा
3. शोषण रोकना
4. त्वरित आंतरिक समाधान।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

292. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में मुआवजे के प्रावधान कर्मचारी को किसके लिए वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं:
(A) व्यक्तिगत संपत्ति की हानि।
(B) कार्य से इतर घटनाओं से भावनात्मक कष्ट।
(C) व्यक्तिगत अवकाश का व्यय।
(D) कार्य के दौरान चोट के कारण उपार्जन क्षमता की हानि।

293. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एक अंशदायी तंत्र के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इसका अर्थ है:
(A) केवल सरकार इसका भुगतान करती है।
(B) लागत श्रमिक, नियोक्ता और सरकार के बीच साझा की जाती है।
(C) केवल श्रमिक इसका भुगतान करता है।
(D) यह पूर्णतः विदेशी दान द्वारा वित्तपोषित है।

294. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: वेतन संहिता, 2019 वेतन की गारंटी सुनिश्चित करती है, जिसमें समय पर भुगतान सम्मिलित है।
कथन II: औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 त्वरित न्याय सुनिश्चित करती है, जिसमें विवादों का समयबद्ध समाधान सम्मिलित है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

295. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करें:
1. यह महिलाओं को उनकी सहमति से रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देती है।
2. यह कुछ खतरनाक प्रक्रियाओं में कार्य करने वाली महिलाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटाती है।
3. यह बड़े प्रतिष्ठानों में शिशुगृह (क्रेच) की सुविधा अनिवार्य करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

कदम है। यह प्रावधान उन पुरानी कानूनी बाधाओं को समाप्त करता है जो महिलाओं को कुछ विशिष्ट उद्योगों या भूमिकाओं में कार्य करने से रोकती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने के समान अवसर प्रदान करना है। यह लैंगिक समानता के संवैधानिक आदर्शों को कार्यस्थल पर व्यावहारिक रूप से लागू करने का सार्थक प्रयास है।

29. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का एक क्रांतिकारी पक्ष गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाना है। इससे पूर्व के श्रम कानूनों में इन श्रेणियों के श्रमिकों हेतु कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान उपलब्ध नहीं था। वे अक्सर नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की अस्पष्टता के कारण लाभों से वंचित रह जाते थे। नवीन संहिता ने पहली बार इन्हें परिभाषित किया है और उनके कल्याण हेतु विशिष्ट योजनाओं और कोष के निर्माण का वैधानिक आधार तैयार किया है।

30. (B) वेतन की अलग-अलग न्यूनतम दरें निर्धारित करना।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत श्रमिकों का वर्गीकरण उनके कौशल, अनुभव और कार्य की जटिलता के आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम वेतन की दरें तर्कसंगत और न्यायसंगत हों। एक कुशल तकनीकी कर्मचारी को उसकी विशेषज्ञता के कारण अकुशल श्रमिक की तुलना में उच्च वेतन दर प्राप्त होनी चाहिए। यह व्यवस्था न केवल श्रमिकों के परिश्रम का उचित सम्मान करती है, बल्कि उन्हें अपने कौशल में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित भी करती है।

31. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
विभिन्न श्रम संहिताएँ विशिष्ट संस्थागत ढांचे और अवधारणाएँ प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता असंगठित श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त करती है। औद्योगिक संबंध संहिता में विवादों के कुशल समाधान हेतु दो सदस्यीय न्यायाधिकरण का प्रावधान है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सुरक्षा मानकों हेतु सलाहकार बोर्ड बनाती है। अंत में, वेतन संहिता राष्ट्रीय आधारभूत वेतन की अवधारणा लागू करती है। ये सभी तंत्र मिलकर एक व्यापक श्रमिक कल्याण ढांचा निर्मित करते हैं।

32. (C) सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नियोजन का पात्र बनाने वाला प्रावधान।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 स्पष्ट रूप से महिलाओं को सभी प्रकार के व्यवसायों और प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का अधिकार देती है। नियोक्ता किसी भी महिला को केवल उसकी लिंग आधारित धारणाओं के कारण कठिन कार्य हेतु अयोग्य नहीं ठहरा सकता। यदि कोई नियोक्ता ऐसा करता है, तो यह इस संहिता के समानता और सशक्तिकरण के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। संहिता का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करना और उन्हें योग्यता के आधार पर समान अवसर प्रदान करना है।

33. (B) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता - भूमिगत खानों में कार्य करने का महिलाओं का अधिकार
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं के नियोजन के अवसरों का विस्तार तो करती है, लेकिन कुछ खतरनाक क्षेत्रों, जैसे भूमिगत खानों में महिलाओं के नियोजन को लेकर विशिष्ट सुरक्षा मानकों और सरकारी नियमों का पालन अनिवार्य है। यह अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है और सुरक्षा चिंताओं के कारण विनियमित है। अन्य विकल्प सही हैं क्योंकि वेतन संहिता समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है, औद्योगिक संबंध संहिता सामूहिक सौदेबाजी का समर्थन करती है और सामाजिक सुरक्षा संहिता मातृत्व लाभ प्रदान करती है।

34. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नियोजन के दौरान की अवधारणा का विस्तार करती है ताकि श्रमिकों को अधिक सुरक्षा मिले। इसके अंतर्गत, यदि कोई कर्मचारी अपने निवास स्थान से कार्यस्थल तक जाने या वापस आने के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे कार्य से संबंधित चोट माना जाता है। नियोक्ता ऐसी चोटों हेतु मुआवजा देने हेतु उत्तरदायी है। यह प्रावधान इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि कार्य हेतु यात्रा करना भी रोजगार का एक अनिवार्य और जोखिम भरा हिस्सा है।

35. (C) संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र।
वेतन संहिता 2019 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष इसकी व्यापकता है। यह संहिता पारंपरिक रूप से सुरक्षित संगठित क्षेत्र के साथ-साथ सुभेद्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर भी समान रूप से लागू होती है। इसके तहत वेतन की गारंटी, समय पर भुगतान और न्यूनतम वेतन के लाभ सभी श्रेणियों के श्रमिकों को प्राप्त हैं। यह समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि देश का कोई भी श्रमिक, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, आर्थिक शोषण का शिकार न हो और उसे कानूनी सुरक्षा मिले।

36. (A) केवल 1 और 2
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा और त्वरित न्याय पर केंद्रित है। यह छंटनी किए गए श्रमिकों हेतु कौशल नवीनीकरण निधि का प्रावधान करती है ताकि वे नए कौशल सीखकर पुनः रोजगार प्राप्त कर सकें। साथ ही, 20 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य है। हालाँकि, यह संहिता नए श्रम संघों के गठन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती, क्योंकि संघ बनाने का अधिकार एक मौलिक लोकतांत्रिक और श्रमिक अधिकार बना हुआ है।

37. (D) भारतीय कार्यबल के एक बड़े हिस्से के पास सामाजिक सुरक्षा कवच का अभाव है।
भारत का अधिकांश कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जहाँ रोजगार की अनिश्चितता और सामाजिक लाभों का अभाव एक बड़ी समस्या है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मुख्य उद्देश्य इसी विशाल जनसंख्या को स्वास्थ्य, पेंशन और बीमा जैसी बुनियादी सुरक्षा प्रदान करना है। इन श्रमिकों के पास

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक वैधानिक राष्ट्रीय आधारभूत न्यूनतम वेतन की शुरुआत करना।
वेतन संहिता 2019 का प्रमुख लक्ष्य पूरे भारत में श्रमिकों हेतु न्यूनतम निर्वाह स्तर सुनिश्चित करना है। इसके लिए केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय आधारभूत न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है। यह एक ऐसी वैधानिक सीमा है जिससे नीचे कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम वेतन दरें तय नहीं कर सकती। यह पहल विभिन्न राज्यों के मध्य वेतन विसंगतियों को दूर करने और श्रमिकों को शोषण से बचाने में सहायक सिद्ध होगी।

2. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विवादों के समाधान हेतु एक स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करती है ताकि श्रमिकों को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। हालाँकि, यह संहिता प्रत्येक व्यक्तिगत शिकायत हेतु तत्काल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान नहीं करती है। इसके स्थान पर, विवादों को सुलझाने हेतु पहले शिकायत निवारण समिति और सुलह प्रक्रिया जैसे आंतरिक तंत्रों का उपयोग किया जाता है। न्यायाधिकरण का सहारा केवल सुलह के प्रयास विफल होने पर लिया जाता है।

3. (C) असंगठित क्षेत्र में घर पर आधारित, स्व-नियोजित या मजदूरी पर कार्य करने वाला श्रमिक।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं या घर आधारित और स्व-नियोजित श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। इनमें वे दिहाड़ी मजदूर भी सम्मिलित हैं जिन्हें भविष्य निधि या आनुपातिक पारितोषिक जैसे औपचारिक लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। संहिता का उद्देश्य इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है ताकि उन्हें बीमारी और वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

4. (D) नियोक्ता रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए परिवहन प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करती है। यह महिलाओं को सुरक्षा उपायों के साथ सभी क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति देती है। इसके तहत रात्रि पाली में कार्य हेतु महिला की स्पष्ट सहमति अनिवार्य है। साथ ही, नियोक्ता का यह वैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और घर तक सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

5. (C) अनधिकृत कटौती के बिना कर्मचारियों को वेतन का समय पर भुगतान।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी का प्रावधान श्रमिकों को उनके आर्थिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता द्वारा अर्जित वेतन का भुगतान एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह किसी भी प्रकार की मनमानी या अनधिकृत कटौती पर कड़ा प्रतिबंध लगाता है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों का आर्थिक शोषण रोकना और उन्हें परिश्रम का उचित तथा नियमित प्रतिफल दिलाना है।

6. (B) विकलांगता, स्वास्थ्य और मातृत्व के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का निर्माण।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष के निर्माण का प्रावधान करती है। इस कोष का उपयोग इन श्रमिकों को मृत्यु, विकलांगता, स्वास्थ्य समस्याओं और मातृत्व लाभ जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र प्रदान करने हेतु किया जाएगा। यह पहल उन श्रमिकों को सशक्त बनाने हेतु है जो पहले औपचारिक लाभों से वंचित थे, जिससे भारतीय कार्यबल को सुरक्षा मिलेगी।

7. (D) विवादों के अधिनिर्णय के लिए दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 औद्योगिक विवादों के समाधान में तीव्रता लाने हेतु दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान करती है। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिससे कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोणों का संतुलन सुनिश्चित होता है। यह व्यवस्था विवादों के निपटारे में लगने वाले समय को कम करने और निर्णय प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने हेतु की गई है, जिससे श्रमिकों को समय पर न्याय मिलेगा।

8. (A) न्यूनतम वेतन कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय किया जा सकता है।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण करते समय कार्य की प्रकृति और श्रमिक के कौशल स्तर को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार श्रमिकों को विशेषज्ञता के आधार पर कुशल, अकुशल और अर्ध-कुशल श्रेणियों में विभाजित करती है। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग क्षेत्रों में निर्वाह लागत भिन्न होने के कारण भौगोलिक क्षेत्र को भी आधार बनाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके कार्य और स्थानीय आर्थिक स्थितियों के अनुसार न्यायसंगत पारिश्रमिक मिले।

9. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य की अनुमति देकर रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करती है। हालाँकि, यह प्रावधान बिना शर्त नहीं है। नियोक्ता महिला श्रमिकों हेतु रात्रि पाली अनिवार्य नहीं कर सकते; इसके लिए संबंधित महिला कर्मचारी की स्पष्ट लिखित सहमति प्राप्त

उलझे बिना सुचारु रूप से कार्य कर सकें। यह व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के व्यापक ढांचे का हिस्सा है। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रमिकों के मूल अधिकारों और शिकायतों के समाधान हेतु त्वरित न्याय का तंत्र सदैव प्रभावी बना रहे।

65. (B) वेतन की गणना जो भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) का आधार बनती है।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की स्पष्ट और मानकीकृत परिभाषा प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों की गणना वेतन के एक विशिष्ट हिस्से के आधार पर की जाती है। यदि वेतन की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, तो श्रमिक का अंशदान कम हो सकता है, जिससे उनके भविष्य की सुरक्षा प्रभावित होती है। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता उचित गणना करें, जिससे श्रमिकों को सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य संबंधी लाभों का पूर्ण लाभ प्राप्त हो।

66. (A) वेतन के पूर्ण भुगतान के लिए नियोक्ता पर कानूनी बाध्यता।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी का अर्थ है कि नियोक्ता को श्रमिक द्वारा किए गए कार्य का पूर्ण पारिश्रमिक देने हेतु कानूनन बाध्य किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि वेतन का भुगतान कानूनी मुद्रा में हो और किसी भी अवैध या मनमानी कटौती की अनुमति न दी जाए। यह प्रावधान श्रमिक के परिश्रम के फल को सुरक्षित करता है। यदि नियोक्ता भुगतान में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिससे श्रमिक को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है।

67. (B) बिना किसी अर्थदंड के असुरक्षित परिस्थितियों में कार्य करने से मना करने का अधिकार।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला श्रमिकों को न केवल कार्य का अधिकार देती है, बल्कि उन्हें कार्यस्थल पर अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक भी बनाती है। यदि किसी प्रतिष्ठान में सुरक्षा मानकों का अभाव है या परिस्थितियाँ असुरक्षित हैं, तो श्रमिकों को कार्य करने से मना करने का अधिकार है। यह प्रावधान महिलाओं को सशक्त बनाता है क्योंकि वे बिना किसी आर्थिक दंड या नौकरी जाने के डर के अपनी सुरक्षा हेतु आवाज उठा सकती हैं। यह कार्यस्थल पर एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देता है।

68. (C) सरकारी पोर्टल पर या किसी नामित प्राधिकारी के पास पंजीकरण करना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों को लाभ पहुँचाने हेतु उनकी पहचान और पंजीकरण अनिवार्य है। किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना, जैसे स्वास्थ्य बीमा या पेंशन का लाभ उठाने हेतु श्रमिक को आधिकारिक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज करना होता है। यह पंजीकरण प्रक्रिया श्रमिक को एक डिजिटल पहचान प्रदान करती है, जिससे लाभ सीधे उन तक पहुँचते हैं और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। यह असंगठित कार्यबल को औपचारिक प्रणाली से जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है।

69. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नौ अलग-अलग केंद्रीय श्रम कानूनों को एक व्यापक संहिता में समाहित करती है। इस एकीकरण का मुख्य उद्देश्य कानून के जटिल जाल को समाप्त करना और अनुपालन की प्रक्रिया को सरल बनाना है। एकल विधायी ढांचा होने से नियोक्ताओं हेतु पंजीकरण और विवरणी दाखिल करना आसान हो जाता है, जबकि कर्मचारियों हेतु अपने लाभों को समझना और दावा करना सरल हो जाता है। यह समेकन प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक था।

70. (B) 'फ्लोर वेज' (आधारभूत न्यूनतम वेतन) की शुरुआत करके जिससे नीचे कोई भी राज्य अपना वेतन तय नहीं कर सकता।
वेतन संहिता 2019 ने राष्ट्रीय आधारभूत वेतन की अवधारणा के माध्यम से वेतन असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया है। केंद्र सरकार पूरे देश हेतु एक आधारभूत न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है। यद्यपि राज्य सरकारों को अपने भौगोलिक और आर्थिक कारकों के आधार पर अलग न्यूनतम वेतन तय करने की शक्ति है, परंतु वे इसे आधारभूत वेतन से कम नहीं रख सकतीं। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी राज्य में श्रमिकों को सम्मानजनक वेतन मिले और राज्यों के मध्य वेतन की प्रतिस्पर्धी कमी न हो।

71. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य विशिष्ट समूहों को लाभ पहुँचाना है। समय पर वेतन की गारंटी सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। त्वरित न्याय तंत्र विवादों के शीघ्र समाधान द्वारा श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को राहत प्रदान करता है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार विशेष रूप से आधुनिक युग के गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों हेतु है। वहीं, सभी प्रतिष्ठानों में कार्य की पात्रता महिला श्रमिकों हेतु समान अवसर सुनिश्चित करती है। ये प्रावधान सामूहिक रूप से एक न्यायसंगत कार्य संस्कृति का निर्माण करते हैं।

72. (C) उसे श्रमिक की सहमति प्राप्त करनी होगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत नियोक्ता महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद कार्य पर रख सकता है, लेकिन इसके लिए वैधानिक शर्तों का पालन अनिवार्य है। सबसे पहले, महिला कर्मचारी की लिखित और स्पष्ट सहमति आवश्यक है। दूसरा, नियोक्ता को उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, कार्यस्थल पर उचित प्रकाश और घर लौटने हेतु सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करनी होगी। यह प्रावधान कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जबकि उनकी सुरक्षा और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

73. (B) नियोक्ता उत्तरदायी है भले ही दुर्घटना के लिए उसकी त्रुटि न हो।
सामाजिक सुरक्षा संहिता में दोष-रहित उत्तरदायित्व का अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी को नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न होने वाली किसी दुर्घटना में चोट लगती है, तो नियोक्ता मुआवजा देने हेतु बाध्य है। यहाँ यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं

वैधानिक अधिकार उपयुक्त सरकार के पास है। इसका अर्थ है कि केंद्रीय क्षेत्र के नियोजनों हेतु केंद्र सरकार और अन्य नियोजनों हेतु संबंधित राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। यह निकाय विभिन्न आर्थिक कारकों, जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जीवन निर्वाह लागत का विश्लेषण करने के बाद वेतन दरें तय करते हैं। इससे वेतन वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बना रहता है।

20. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का प्राथमिक उद्देश्य औद्योगिक विवादों के समाधान की प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। इसके लिए जाँच और न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों को पूर्ण करने हेतु विशिष्ट वैधानिक समय-सीमा निर्धारित की गई है। यह समयबद्ध ढांचा अनावश्यक कानूनी देरी को रोकता है, जिससे श्रमिकों को अपनी शिकायतों पर शीघ्र राहत मिलती है। यह न केवल श्रमिकों हेतु न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि उद्योगों में उत्पादकता और शांति बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होता है।

21. (D) नियोक्ता को शिशुगृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करनी होगी।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। संहिता के अनुसार, जिन प्रतिष्ठानों में महिला श्रमिकों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक है, वहाँ नियोक्ता हेतु शिशुगृह की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। यह प्रावधान कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल के प्रति आश्वस्त करता है और उन्हें कार्यबल में सक्रिय भाग लेने में सहायता देता है। यह समावेशी कार्य वातावरण निर्मित करने और लैंगिक सशक्तिकरण का प्रमुख प्रयास है।

22. (B) 2, 4, 3, 1
औद्योगिक संबंध संहिता के तहत विवाद समाधान एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। सबसे पहले, श्रमिक अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत निवारण समिति को प्रस्तुत करता है। इसके बाद, समिति निश्चित अवधि में अपनी कार्यवाही पूर्ण करती है। यदि समाधान नहीं निकलता, तो मामला सुलह अधिकारी के पास भेजा जाता है। अंत में, यदि सुलह प्रक्रिया भी विफल हो जाती है, तो श्रमिक न्याय प्राप्त करने हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है। यह क्रम त्वरित न्याय सुनिश्चित करता है।

23. (C) पारंपरिक रोजगार के बाहर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कमाई करने वाला व्यक्ति।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में प्लेटफॉर्म श्रमिक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो ऑनलाइन मंच का उपयोग करके सेवाएँ प्रदान करता है। इनमें भोजन वितरण करने वाले व्यक्ति और संदेशवाहक जैसे श्रमिक सम्मिलित हैं। ये श्रमिक पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के दायरे में नहीं आते हैं। संहिता पहली बार इन आधुनिक श्रेणियों को कानूनी मान्यता प्रदान करती है और उनके लिए विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

24. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
वेतन संहिता 2019 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आधारभूत न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का वैधानिक अधिकार देती है। यह एक ऐसा आधारभूत वेतन है जो पूरे देश में श्रमिकों हेतु जीवन स्तर का न्यूनतम मापदंड तय करता है। संहिता स्पष्ट रूप से अनिवार्य करती है कि कोई भी राज्य सरकार अपने क्षेत्र हेतु न्यूनतम वेतन की दर इस राष्ट्रीय आधारभूत वेतन से कम निर्धारित नहीं कर सकती। यह प्रावधान क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और देशव्यापी वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी है।

25. (B) चोट लगने या मृत्यु होने पर कर्मचारियों या आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी मुआवजे का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर होने वाले जोखिमों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यदि कोई कर्मचारी नियोजन के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, जिससे उसे विकलांगता होती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संहिता उसे या उसके आश्रितों को मुआवजा दिलाने की गारंटी देती है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी आकस्मिक आपदाओं के समय श्रमिक का परिवार अत्यधिक आर्थिक संकट में न पड़े और उन्हें उचित सहायता प्राप्त हो।

26. (C) गारंटीकृत वार्षिक बोनस
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मुख्य रूप से जीवन के अनिश्चित जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें असंगठित श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व सहायता, जीवन बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी अनिवार्य योजनाओं का प्रावधान है। हालाँकि, गारंटीकृत वार्षिक बोनस आमतौर पर नियोक्ता के लाभ और व्यावसायिक प्रदर्शन से जुड़ा होता है, इसे सामाजिक सुरक्षा लाभ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। संहिता का प्राथमिक लक्ष्य श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आपदाओं के समय सहारा देना है।

27. (B) स्रोत पर ही व्यक्तिगत शिकायतों को हल करने के लिए एक आंतरिक तंत्र प्रदान करके।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति का गठन प्रतिष्ठान के भीतर विवादों को सुलझाने हेतु किया जाता है। यह तंत्र श्रमिकों और नियोक्ताओं को बाहरी न्यायालयों में जाए बिना सीधे संवाद और समाधान का अवसर देता है। यह द्विपक्षीय समिति व्यक्तिगत शिकायतों पर त्वरित निर्णय लेती है, जिससे छोटी समस्याएँ बड़े औद्योगिक विवादों में नहीं बदलतीं। यह आंतरिक प्रक्रिया न केवल न्याय की गति बढ़ाती है, बल्कि औद्योगिक संबंधों में आपसी विश्वास और सहयोग को सुदृढ़ करती है।

28. (B) समान अवसर और महिलाओं के नियोजन की कानूनी बाधाओं को दूर करना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में कार्य की अनुमति देना एक प्रगतिशील

है। पदोन्नति आमतौर पर कर्मचारी के प्रदर्शन और कंपनी की नीति पर निर्भर करती है, यह न्याय प्रणाली का अनिवार्य उद्देश्य नहीं है। संहिता का ध्यान प्रक्रियात्मक न्याय और विवादों के समयबद्ध अधिनिर्णय के माध्यम से व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने पर रहता है।

47. (C) किसी सामान्य, अप्रमाणित उल्लंघन के लिए पूरा वेतन रोक लेना।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी का अर्थ है कि श्रमिक को उसके कार्य का पारिश्रमिक बिना किसी बाधा के प्राप्त होना चाहिए। नियोक्ता केवल उन्हीं कटौतियों को करने हेतु अधिकृत है जो कानून द्वारा निर्धारित हैं, जैसे भविष्य निधि या कर। यदि कोई नियोक्ता किसी अप्रमाणित आरोप या सामान्य उल्लंघन हेतु पूरा वेतन रोक लेता है, तो यह इस संहिता का गंभीर उल्लंघन है। यह प्रावधान श्रमिकों को नियोक्ता की मनमानी से बचाने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है।

48. (D) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारतीय कानून के इतिहास में पहली बार गिग श्रमिक को परिभाषित करती है। ये वे श्रमिक हैं जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। संहिता यह पहचानती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के उदय के साथ कार्य की प्रकृति बदल गई है। उन्हें कानूनी परिभाषा के दायरे में लाकर सरकार उनके लिए विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है। यह आधुनिक श्रम बाजार की चुनौतियों को संबोधित करने की दिशा में ऐतिहासिक विधायी कदम है।

49. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में कर्मचारी मुआवजे के दायरे को विस्तारित किया गया है। इसके अंतर्गत नियोजन के काल्पनिक विस्तार का सिद्धांत लागू होता है, जो कर्मचारी के घर से कार्यस्थल तक की यात्रा को नियोजन का हिस्सा मानता है। यदि इस यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो उसे कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के समान माना जाता है और कर्मचारी मुआवजे का पात्र होता है। यह प्रावधान श्रमिकों को यात्रा के दौरान होने वाले जोखिमों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

50. (B) सुरक्षा, अवकाश और कार्य के घंटों से संबंधित शर्तें।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य की अनुमति देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। हालाँकि, यह सशक्तिकरण सुरक्षा और कल्याणकारी शर्तों के साथ आता है। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिलाओं हेतु पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षा और घर तक सुरक्षित परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो। साथ ही, उनके कार्य के घंटे और साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ये शर्तें आर्थिक अवसर और सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाती हैं।

51. (B) P-3, Q-2, R-1, S-4
विभिन्न श्रम शब्दावलियाँ विशिष्ट सुधारों को दर्शाती हैं। आधारभूत वेतन केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन है। शिकायत निवारण समिति प्रतिष्ठानों के भीतर व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने का द्विपक्षीय मंच है। गिग श्रमिक वह व्यक्ति है जो पारंपरिक रोजगार ढाँचे से बाहर ऑनलाइन या स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। सुरक्षा समिति का उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों को लागू करना और श्रमिकों की रक्षा करना है। ये सभी अवधारणाएँ मिलकर श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक दक्षता को सुदृढ़ करती हैं।

52. (C) औद्योगिक विवादों और व्यक्तिगत शिकायतों का अधिनिर्णय।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का प्राथमिक लक्ष्य औद्योगिक न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ और तीव्र बनाना है। यह आपराधिक या सामान्य दीवानी मामलों के बजाय विशेष रूप से औद्योगिक विवादों और व्यक्तिगत श्रमिक शिकायतों के अधिनिर्णय पर केंद्रित है। संहिता में न्यायाधिकरणों और आंतरिक समितियों के माध्यम से विवादों के निपटारे हेतु समयबद्ध प्रक्रियाएँ दी गई हैं। इससे श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य होने वाले विवादों का शीघ्र अंत होता है, जिससे उद्योगों में उत्पादन प्रभावित नहीं होता और न्याय समय पर सुनिश्चित होता है।

53. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण पर विशेष बल देती है क्योंकि यह उनके लिए लाभों के वितरण का आधार है। यद्यपि पंजीकरण की प्रक्रिया को सुलभ बनाया गया है, परंतु यह केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीकरण एक अनिवार्य शर्त है। पंजीकरण के माध्यम से ही सरकार श्रमिकों की पहचान कर सकती है और उनके लिए स्वास्थ्य, बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी कल्याणकारी सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुँचा सकती है।

54. (C) वेतन के भुगतान के लिए समय-सीमा।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी सुनिश्चित करने हेतु भुगतान की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर देय वेतन का भुगतान एक निश्चित अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने की 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। यह वैधानिक समय-सीमा नियोक्ताओं को भुगतान में देरी करने से रोकती है और श्रमिकों को अपनी वित्तीय योजना बनाने हेतु एक निश्चित और सुरक्षित आधार प्रदान करती है।

55. (D) 1, 2 और 3
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक प्रावधान करती है। यह महिलाओं को सभी उद्योगों में कार्य की अनुमति देती है और रात्रि पाली हेतु उनकी सहमति को अनिवार्य बनाती है। साथ ही, कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। 50 या अधिक

निजी सुरक्षा खरीदने के साधन नहीं होते, इसलिए राज्य का यह वैधानिक हस्तक्षेप उन्हें जीवन के जोखिमों से बचाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक माना गया है।

38. (A) प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य स्थिति।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित कानूनों को एकीकृत करती है। इसमें कार्यस्थल पर स्वच्छता, वायु संचार, सुरक्षात्मक उपकरण और श्रमिकों के स्वास्थ्य की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं। संहिता का उद्देश्य सभी प्रतिष्ठानों हेतु सुरक्षा मानकों का एक समान ढांचा प्रदान करना है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण में अपना कार्य पूर्ण कर सकें।

39. (C) शीघ्र समाधान सुनिश्चित करके श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत त्वरित न्याय की व्यवस्था संपूर्ण औद्योगिक पारितंत्र हेतु लाभदायक है। श्रमिकों हेतु इसका अर्थ है कि उनकी शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा, जिससे उन्हें मानसिक और वित्तीय राहत मिलेगी। नियोक्ताओं हेतु, यह अनिश्चितता को कम करता है और औद्योगिक अशांति के कारण होने वाले व्यावसायिक नुकसान को रोकता है। विवादों का शीघ्र समाधान कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करता है, जो अंततः देश की आर्थिक प्रगति और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

40. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वेतन संहिता 2019 में श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करना एक तर्कसंगत पहल है। संहिता यह स्वीकार करती है कि एक कुशल तकनीकी श्रमिक के कार्य की जटिलता और आवश्यक प्रशिक्षण एक अकुशल श्रमिक की तुलना में भिन्न होता है। इसलिए, उनके लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की जाती हैं। यह व्यवस्था श्रमिकों को अपनी क्षमता विकसित करने हेतु प्रेरित करती है और श्रम बाजार में विशेषज्ञता के मूल्य को वैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करती है।

41. (C) मृतक कर्मचारी के आश्रितों को।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना के कारण होती है, तो मुआवजे का भुगतान उसके आश्रितों को किया जाता है। आश्रितों में परिवार के वे सदस्य सम्मिलित होते हैं जो आर्थिक रूप से कर्मचारी पर निर्भर थे। मुआवजे का उद्देश्य परिवार के मुख्य आय अर्जन करने वाले व्यक्ति के खोने के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट को कम करना है। यह नियोक्ता की वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह इस सहायता राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करे।

42. (2, 1, 3, 4)
भारत में श्रम कानूनों के सुधार के दौरान चार नई संहिताएँ विभिन्न समय पर अधिनियमित की गईं। सबसे पहले वेतन संहिता को 2019 में पारित किया गया, जो वेतन और बोनस से संबंधित कानूनों को समेकित करती है। इसके पश्चात, वर्ष 2020 में अन्य तीन संहिताएँ—व्यावसायिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और सामाजिक सुरक्षा संहिता—एक साथ लाई गईं। यह कालक्रम श्रम सुधारों के प्रति सरकार के चरणबद्ध दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य आधुनिक और सरल श्रम कानूनों को लागू करना है।

43. (C) संहिता सरकार को रात्रि पाली सुरक्षा के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं के रात्रि पाली में कार्य करने के अधिकार को वैधानिक मान्यता देती है। यह सशक्तिकरण का एक प्रमुख पहलू है क्योंकि यह सरकार को कार्यस्थल पर सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और परिवहन जैसे विशिष्ट कल्याणकारी नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। नियोक्ता इन नियमों का पालन करने हेतु बाध्य हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करते समय उनकी सुरक्षा और गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।

44. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का मुख्य लक्ष्य पुराने और जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर एक सरल और एकीकृत ढांचा प्रदान करना है। यह संहिता तीन प्रमुख अधिनियमों—श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947—को एक साथ लाती है। इस एकीकरण से कानूनी अस्पष्टता कम होती है और औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन अधिक प्रभावी हो जाता है। यह सुधार व्यावसायिक सुगमता और श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करता है।

45. (B) वेतन की परिभाषा कटौती और योगदान को कैसे प्रभावित करती है।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की नवीन और व्यापक परिभाषा का सामाजिक सुरक्षा लाभों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चूंकि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे योगदान वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में काटे जाते हैं, इसलिए वेतन के घटकों में स्पष्टता यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष में सही राशि जमा हो। यह परिभाषा नियोक्ताओं को विभिन्न भत्तों के माध्यम से वैधानिक अंशदान कम करने से रोकती है, जिससे श्रमिकों के दीर्घकालिक लाभ सुरक्षित रहते हैं।

46. (B) शिकायत दर्ज करने वाले प्रत्येक श्रमिक के लिए पदोन्नति की गारंटी देना।
औद्योगिक संबंध संहिता में त्वरित न्याय का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक शांति और उत्पादकता बनाए रखना है। यह हड़ताल और तालाबंदी की अवधि को कम करने और विवादों के शीघ्र समाधान के माध्यम से विश्वास बहाली पर ध्यान केंद्रित करता

296. वेतन संहिता, 2019 के उद्देश्यों के लिए एक 'कुशल' श्रमिक को 'अकुशल' श्रमिक से किसके आधार पर पृथक किया जाता है:

(A) जटिलता, प्रशिक्षण और निर्णय।
(B) श्रमिक की वर्तमान आयु।
(C) श्रमिक का लिंग।
(D) निवास स्थान।

297. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत त्वरित न्याय का प्रावधान 'मुकदमेबाजी' की प्रणाली से किसकी प्रणाली की ओर एक चरण है:

(A) अनिश्चितकालीन संघर्ष।
(B) नियोक्ता का प्रभुत्व।
(C) समाधान और अधिनिर्णय।
(D) यूनियन का प्रभुत्व।

298. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में मुआवजे के प्रावधानों को सम्मिलित करना इस सिद्धांत की निरंतरता और आधुनिकीकरण है कि:

(A) सुरक्षा के लिए श्रमिक पूर्णतः उत्तरदायी हैं।
(B) उत्पादन में मानव की क्षति की लागत उद्योग द्वारा वहन की जानी चाहिए।
(C) सभी दुर्घटनाएँ दैवीय कृत्य (acts of God) हैं।
(D) सरकार को सभी चिकित्सा व्यय का भुगतान करना चाहिए।

299. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है:

अभिकथन (A): वेतन संहिता, 2019 श्रमिकों को वेतन की गारंटी प्रदान करती है।

कारण (R): इस गारंटी का अर्थ है कि भारत के प्रत्येक श्रमिक को एक निश्चित वेतन के साथ सरकारी नियोजन की गारंटी दी जाती है।

(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

300. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि:

(A) यह कार्यबल के एक सूक्ष्म भाग पर लागू होता है।
(B) यह एक विशाल और सुभेद्य हिस्से तक औपचारिक सुरक्षा जाल का विस्तार करता है।
(C) यह सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को नष्ट कर देता है।
(D) यह बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप वाली विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक योजना है।

कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशुगृह की सुविधा प्रदान करना कामकाजी माताओं हेतु बड़ा सहारा है। ये सभी उपाय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु हैं।

56. (C) व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक त्यागपत्र।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मुआवजे का प्रावधान मुख्य रूप से नियोजन के दौरान होने वाली चोटों, मृत्यु या व्यावसायिक बीमारियों के कारण होने वाली शारीरिक और आर्थिक क्षति की भरपाई हेतु है। यदि कोई कर्मचारी अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ता है, तो वह मुआवजे का हकदार नहीं होता, क्योंकि यह कार्यस्थल पर होने वाली किसी आकस्मिक दुर्घटना का परिणाम नहीं है। मुआवजा केवल उन्हीं स्थितियों में देय है जहाँ कर्मचारी की उपार्जन क्षमता नियोजन से संबंधित जोखिमों के कारण प्रभावित होती है।

57. (C) एक समर्पित कोष के माध्यम से वित्त पोषित सरकारी योजनाओं के माध्यम से।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु एक संस्थागत ढांचा तैयार करती है। इसके तहत एक सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और नियोक्ताओं द्वारा योगदान दिया जाता है। इस कोष का उपयोग स्वास्थ्य बीमा, मृत्यु और विकलांगता लाभ जैसी योजनाओं के वित्तपोषण हेतु किया जाता है। यह तंत्र उन करोड़ों श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करता है जिनके पास पहले कोई औपचारिक सामाजिक बीमा या कल्याणकारी कवच नहीं था।

58. (C) यह प्रत्येक श्रमिक के लिए ट्रेड यूनियन में सम्मिलित होना अनिवार्य बनाती है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 श्रम संघों और विवाद समाधान से संबंधित कानूनों को आधुनिक बनाती है। यह शिकायत निवारण समितियों के गठन का प्रावधान करती है ताकि विवादों का त्वरित समाधान हो सके। हालाँकि, यह संहिता किसी भी श्रमिक हेतु श्रम संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य नहीं बनाती है। संघ में शामिल होना श्रमिक की अपनी इच्छा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता का हिस्सा है। संहिता मुख्य रूप से औद्योगिक शांति और श्रमिकों तथा नियोक्ताओं के मध्य स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

59. (A) वेतन की अलग-अलग न्यूनतम दरें निर्धारित करना।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत श्रमिकों का अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रेणियों में वर्गीकरण आर्थिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यह वर्गीकरण सरकार को कार्य की जटिलता और आवश्यक प्रशिक्षण के अनुसार भिन्न-भिन्न न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक उच्च प्रशिक्षित कुशल श्रमिक का वेतन अकुशल श्रमिक से अधिक होना चाहिए। यह व्यवस्था श्रम बाजार में योग्यता को मान्यता प्रदान करती है और श्रमिकों को बेहतर कौशल प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

60. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं हेतु कार्य के अवसरों का विस्तार करके उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। यह प्रावधान कि महिलाएँ सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और रात्रि पाली में भी कार्य कर सकती हैं, लैंगिक भेदभाव की पुरानी बाधाओं को समाप्त करता है। सहमति और सुरक्षा उपायों की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता न हो। इस प्रकार, संहिता लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने और महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

61. (B) नियोजन से संबंधित चोटों के लिए नियोक्ता के उत्तरदायित्व का सिद्धांत।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी मुआवज़ा इस विचार पर आधारित है कि यदि किसी श्रमिक को उसके कार्य के दौरान चोट लगती है, तो नियोक्ता इसके लिए उत्तरदायी है। यह दोष-रहित उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि श्रमिक को नियोक्ता की लापरवाही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि चोट नियोजन से उत्पन्न हुई है, तो नियोक्ता को आर्थिक सहायता प्रदान करनी होगी। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि जोखिम भरे कार्यों में लगे श्रमिकों को तत्काल और निश्चित वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो।

62. (B) 2, 1, 3, 4
सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत मुआवजे की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में चलती है। सबसे पहले, नियोजन के दौरान श्रमिक को चोट लगती है। इसके बाद, चोट की गंभीरता और विकलांगता का आकलन करने हेतु चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर, श्रमिक या उसका प्रतिनिधि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मुआवजे का दावा दायर करते हैं। अंत में, प्राधिकारी के आदेशानुसार नियोक्ता या बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है। यह चरणबद्ध प्रक्रिया दावों के पारदर्शी निपटारे को सुनिश्चित करती है।

63. (B) एक नियोक्ता के स्वामित्व में होना और एक निर्दिष्ट संख्या से कम लोगों को नियोजित करना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुसार असंगठित क्षेत्र का अर्थ ऐसे उद्यमों से है जहाँ श्रमिकों की संख्या सीमित होती है और वे आमतौर पर स्वयं के स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय होते हैं। इनमें कार्यरत श्रमिकों के पास औपचारिक रोजगार अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी होती है। संहिता का उद्देश्य इन सूक्ष्म और लघु इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को पहचानना और उन्हें सरकारी योजनाओं के दायरे में लाना है। यह वर्गीकरण सबसे सुभेद्य श्रमिकों हेतु प्रभावी कल्याणकारी नीतियां बनाने में सहायक है।

64. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में स्थायी आदेशों हेतु कर्मचारियों की संख्या की सीमा को बढ़ाया गया है। यह परिवर्तन छोटे और मध्यम उद्यमों को अधिक लचीलापन प्रदान करने हेतु किया गया है ताकि वे जटिल प्रशासनिक नियमों में

करना आवश्यक है। साथ ही, नियोक्ता को रात्रि पाली के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर गरिमा बनाए रखने के सभी मानकों का पालन करना होगा।

10. (A) प्रबंधन स्तर के कार्यकारी
वेतन संहिता 2019 का मुख्य लक्ष्य शारीरिक या तकनीकी कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना है। इसमें अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है ताकि उनका आर्थिक शोषण न हो। प्रबंधन स्तर के कार्यकारी आमतौर पर उच्च वेतन प्राप्त करते हैं और उनकी सेवा शर्तें व्यक्तिगत अनुबंधों द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः वे न्यूनतम वेतन निर्धारण के दायरे में नहीं आते हैं। संहिता का प्राथमिक ध्यान सुभेद्य श्रेणियों की रक्षा करना है।

11. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
श्रम संहिताओं के प्रावधान विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हैं। वेतन संहिता राष्ट्रीय आधारभूत न्यूनतम वेतन की अवधारणा प्रस्तुत करती है, जबकि औद्योगिक संबंध संहिता शिकायत निवारण समितियों के गठन पर बल देती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण हेतु नियम बनाती है। अंत में, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा समितियों की स्थापना अनिवार्य बनाती है। ये सभी प्रावधान मिलकर श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने और औद्योगिक वातावरण सुधारने का कार्य करते हैं।

12. (B) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं हेतु मुआवजे के प्रावधानों को समेकित किया गया है। यदि कोई श्रमिक अपने नियोजन के दौरान या उससे उत्पन्न होने वाली किसी दुर्घटना में घायल होता है, तो वह इस संहिता के तहत क्षतिपूर्ति का पात्र है। यह कानून नियोक्ता पर यह बाध्यता डालता है कि वह प्रभावित श्रमिक या उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करे। यह प्रावधान श्रमिकों हेतु आवश्यक सामाजिक सुरक्षा कवच है।

13. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
वेतन संहिता 2019 ने वेतन की परिभाषा को अधिक स्पष्ट और सुसंगत बनाया है। पहले विभिन्न कानूनों में वेतन की भिन्न परिभाषाएँ होने के कारण गणना में भ्रम और कानूनी विवाद उत्पन्न होते थे। नवीन परिभाषा में भत्तों और कटौती के संबंध में विशिष्ट सीमाएँ तय की गई हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। यह सरलीकरण न केवल नियोक्ताओं हेतु अनुपालन को सरल बनाता है, बल्कि श्रमिकों को उनके देय लाभों की सटीक गणना करने में सहायता देता है।

14. (D) नियोक्ता को महिला श्रमिक की विशिष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कार्य की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है। इस प्रावधान को लागू करने हेतु सबसे अनिवार्य शर्त महिला कर्मचारी की स्पष्ट और स्वैच्छिक सहमति है। नियोक्ता किसी भी महिला को रात्रि पाली में कार्य हेतु विवश नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता को उनके लिए सुरक्षित वातावरण और परिवहन जैसी अनिवार्य सुविधाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व उठाना होगा।

15. (A) शिकायत निवारण समिति और सुलह से जुड़ी एक समयबद्ध प्रक्रिया।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत व्यक्तिगत शिकायतों के समाधान हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन अनिवार्य है। यह प्रतिष्ठान के भीतर ही विवादों को सुलझाने का त्वरित आंतरिक तंत्र है। यदि इस स्तर पर समाधान नहीं होता, तो मामला निश्चित समय-सीमा के भीतर सुलह अधिकारी के पास भेजा जाता है। यह प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि श्रमिकों को लंबी और महंगी अदालती कार्यवाहियों से बचाकर कम समय में उचित न्याय दिलाया जा सके।

16. (A) केवल 1 और 2
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों हेतु व्यापक डेटाबेस तैयार करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक प्रभावी ढंग से पहुँच सके। यह पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को परिभाषित करती है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाती है। हालाँकि, यह श्रमिकों हेतु अपनी आय का 50% अंशदान करना अनिवार्य नहीं बनाती है; अंशदान की दरें सरकार द्वारा व्यावहारिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं ताकि श्रमिकों पर बोझ न पड़े।

17. (B) नियोक्ता द्वारा अर्जित वेतन के भुगतान में देरी और गैर-भुगतान से।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का प्रावधान मुख्य रूप से श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक श्रमिक को उसके द्वारा किए गए कार्य का पारिश्रमिक समय पर और पूर्ण रूप से प्राप्त हो। नियोक्ता द्वारा वेतन भुगतान में जानबूझकर की गई देरी या गैर-भुगतान को इस कानून के तहत अपराध माना जाता है। यह सुरक्षा श्रमिकों को वित्तीय अनिश्चितता से बचाती है और उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है।

18. (A) कर्मचारी मुआवजा अधिनियम - कर्मचारियों को मुआवजे का प्रावधान
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कई महत्वपूर्ण पुराने कानूनों को अपने भीतर समाहित करती है। इसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के प्रावधान सम्मिलित हैं, जो कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हैं। यह एकीकरण विभिन्न कानूनों के मध्य विसंगतियों को दूर करने और सामाजिक सुरक्षा वितरण को सुव्यवस्थित करने हेतु किया गया है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि कारखाना अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम क्रमशः सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों की संहिताओं में हैं।

19. (C) उपयुक्त सरकार (केंद्र या राज्य)
वेतन संहिता 2019 के प्रावधानों के अनुसार, न्यूनतम वेतन का निर्धारण और समय-समय पर उसका संशोधन करने का

है कि नियोक्ता ने कोई लापरवाही की थी। यह सिद्धांत श्रमिक के हितों की रक्षा करता है क्योंकि औद्योगिक वातावरण में जोखिम अंतर्निहित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि घायल श्रमिक को बिना लंबी कानूनी लड़ाई के तत्काल आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके।

74. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 प्रतिष्ठानों में शिकायत निवारण समिति के गठन को प्रोत्साहित करती है जिसमें नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होते हैं। यह द्विपक्षीय संरचना सुनिश्चित करती है कि किसी भी विवाद पर दोनों पक्षों का दृष्टिकोण सुना जाए, जिससे निर्णय निष्पक्ष होता है। जब विवादों का समाधान आंतरिक रूप से और आपसी सहमति से किया जाता है, तो यह न केवल त्वरित न्याय प्रदान करता है, बल्कि कार्यस्थल पर विश्वास और औद्योगिक शांति को भी सुदृढ़ करता है।

75. (A) केवल 1 और 2
वेतन संहिता 2019 संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु समान रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। यह न्यूनतम मजदूरी, बोनस और भुगतान से संबंधित चार पुराने कानूनों को एक सरल ढांचे में समेकित करती है। हालाँकि, यह वेतन से सभी कटौतियों को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करती। कानून केवल अनधिकृत और मनमानी कटौतियों पर रोक लगाता है; भविष्य निधि अंशदान, आयकर और अदालत के आदेश जैसे वैधानिक कटौती की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था आर्थिक पारदर्शिता और सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाती है।

76. (C) विवादों के अधिनिर्णय और समाधान में लगने वाले समय को कम करना।
औद्योगिक संबंध संहिता में त्वरित न्याय का तात्पर्य औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु एक तीव्र और कुशल कानूनी ढांचा प्रदान करना है। पूर्व में श्रम न्यायालयों में मामले वर्षों तक लंबित रहते थे, जिससे श्रमिकों को भारी मानसिक और वित्तीय कष्ट होता था। नवीन संहिता सुलह अधिकारियों और न्यायाधिकरणों हेतु विवादों को निपटाने हेतु सख्त समय-सीमा निर्धारित करती है। इससे न केवल श्रमिकों को शीघ्र राहत मिलती है, बल्कि उद्योगों में स्थिरता और सुचारु संचालन भी सुनिश्चित होता है, जो आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य है।

77. (B) उनके लिए योजनाओं की निगरानी हेतु एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे का निर्माण करती है। इसके तहत एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान है, जो इन श्रमिकों हेतु बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेगा। यह बोर्ड सरकार को यह सुनिश्चित करने में सहायता करेगा कि योजनाएँ प्रभावी ढंग से लागू हों और सुभेद्य श्रमिकों तक पहुँचें। यह संस्थागत प्रयास असंगठित कार्यबल को एक औपचारिक और सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

78. (B) प्रशिक्षु (ट्रेनी) या इंटर्न
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन मुख्य रूप से उन श्रमिकों हेतु निर्धारित किया जाता है जो कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल श्रेणियों में नियमित नियोजन के तहत आते हैं। प्रशिक्षु या इंटर्न आमतौर पर सीखने की प्रक्रिया में होते हैं और उनकी पारिश्रमिक शर्तें विशिष्ट प्रशिक्षुता कानूनों या संस्थान की नीतियों द्वारा निर्धारित होती हैं। संहिता का प्राथमिक ध्यान उन मुख्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है जिनकी आजीविका पूरी तरह से उनके शारीरिक या तकनीकी श्रम पर निर्भर है और जिनका शोषण होने की संभावना अधिक होती है।

79. (B) कार्यबल में आर्थिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में कार्य का अधिकार देना लैंगिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन है। यह उन सभी पुराने प्रतिबंधों को समाप्त करता है जो महिलाओं के करियर विकल्पों को सीमित करते थे। जब महिलाओं को पुरुषों के समान सभी क्षेत्रों में कार्य का अवसर मिलता है, तो यह न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी उनके योगदान को बढ़ाता है। यह समावेशी विकास और सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।

80. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत कर्मचारी मुआवजे का प्रावधान व्यापक है और यह केवल असंगठित क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वास्तव में, यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को कवर करता है। यदि किसी श्रमिक को नियोजन के दौरान चोट लगती है, तो वह मुआवजे का हकदार है। यह कानून कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के पुराने सिद्धांतों को समाहित करता है, जो लंबे समय से संगठित कारखानों और उद्योगों हेतु लागू थे। अतः, यह संहिता सभी प्रकार के श्रमिकों हेतु सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

81. (B) सुनिश्चित करता है कि पारिश्रमिक का एक सुसंगत हिस्सा PF और ESI के लिए उपयोग किया जाए।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की मानकीकृत परिभाषा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना में एकरूपता लाना है। चूंकि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे अंशदान वेतन के प्रतिशत के रूप में होते हैं, इसलिए एक स्पष्ट परिभाषा सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता भत्तों के माध्यम से वेतन को कृत्रिम रूप से कम न दिखाएँ। यह पारदर्शिता श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष में पर्याप्त योगदान सुनिश्चित करती है, जिससे उनके सेवानिवृत्ति और स्वास्थ्य संबंधी लाभ सुरक्षित रहते हैं और विवादों की संभावना कम होती है।

82. (A) 1, 3, 2, 4
भारत में श्रम सुधारों की प्रक्रिया एक ऐतिहासिक क्रम में चली। सबसे पहले, वेतन संहिता विधेयक को 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति ने उसी वर्ष इसे अपनी सहमति दी। इसके बाद, वर्ष 2020 में शेष तीन संहिताएँ—औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा—पारित की

वेतन वह वास्तविक राशि नहीं है जिसका भुगतान नियोक्ता श्रमिकों को करते हैं। इसके बजाय, यह राज्य सरकारों हेतु एक अनिवार्य आधार रेखा है। राज्य सरकारें अपना न्यूनतम वेतन तय करते समय इस आधारभूत वेतन से ऊपर रहने हेतु बाध्य हैं। इस प्रकार, यह केंद्र द्वारा निर्धारित एक सुरक्षात्मक सीमा है, न कि प्रत्यक्ष भुगतान दर।

101. (B) मुआवजे का दावा करने के लिए एक समान और व्यवस्थित प्रक्रिया बनाने में।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पूर्व में बिखरे हुए विभिन्न मुआवजा कानूनों को एक एकीकृत ढांचे में लाती है। इस समेकन का मुख्य लाभ यह है कि अब पूरे देश के श्रमिकों हेतु मुआवजे के दावे की प्रक्रिया एक समान और सरल हो गई है। यह कानूनी अस्पष्टता को कम करता है और दावों के निपटारे में लगने वाले समय को घटाता है। एक सुव्यवस्थित प्रणाली होने से श्रमिक आसानी से अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और दुर्घटना की स्थिति में बिना किसी जटिलता के सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

102. (B) वृद्धावस्था और विकलांगता से संबंधित योजनाओं के लिए एक ढांचा।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 विशेष रूप से उन असंगठित श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करती है जो पारंपरिक पेंशन और बीमा योजनाओं से बाहर रहे हैं। संहिता सरकार को यह शक्ति देती है कि वह इन श्रमिकों हेतु जीवन बीमा, विकलांगता सहायता, स्वास्थ्य लाभ और वृद्धावस्था संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएँ बनाए। यह एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है जिसके माध्यम से असंगठित कार्यबल को भी वे लाभ मिल सकें जो पहले केवल संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु आरक्षित थे, जिससे समावेशी सुरक्षा जाल निर्मित होता है।

103. (C) श्रमिक के लिए आजीवन नियोजन की गारंटी।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का अर्थ आर्थिक अधिकारों का संरक्षण है, न कि नौकरी की सुरक्षा की गारंटी। यह संहिता सुनिश्चित करती है कि श्रमिक को उसके द्वारा किए गए कार्य का भुगतान समय पर, वैध मुद्रा में और बिना किसी अवैध कटौती के मिले। यह श्रमिक को उसके परिश्रम के मूल्य की वैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। हालाँकि, यह आजीवन नियोजन या नौकरी से न निकाले जाने की कोई गारंटी नहीं देती है। नियोजन की शर्तें अन्य संहिताओं और नियोक्ता के साथ हुए अनुबंध द्वारा नियंत्रित होती हैं।

104. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं के आर्थिक अवसरों और उनकी सुरक्षा के मध्य एक आदर्श संतुलन स्थापित करती है। जहाँ एक ओर यह महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य का समान अवसर देती है, वहीं दूसरी ओर यह उनकी स्वायत्तता का सम्मान करती है। बिना स्पष्ट सहमति के किसी भी महिला को रात्रि में कार्य हेतु विवश नहीं किया जा सकता। नियोक्ता पर यह वैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह उनके लिए सुरक्षित कार्य वातावरण और आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करे। यह प्रावधान सशक्तिकरण और सुरक्षा को एक साथ लाता है।

105. (A) वेब-आधारित अधिकार क्षेत्र और ई-कार्यवाही का प्रावधान।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से न्याय की गति बढ़ाने का प्रयास करती है। इसमें वेब-आधारित समाधान और विद्युतीय कार्यवाही का प्रावधान किया गया है, जो विवाद समाधान की प्रक्रिया को भौतिक बाधाओं से मुक्त करता है। श्रमिक और नियोक्ता अब डिजिटल माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और सुनवाई में भाग ले सकते हैं। यह न केवल समय और धन की बचत करता है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है, जो त्वरित न्याय के लक्ष्य हेतु आवश्यक है।

106. (B) बहुसंख्यक जनसंख्या के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल की कमी।
भारत का श्रम बाजार ऐतिहासिक रूप से दो भागों में विभाजित रहा है, जहाँ संगठित क्षेत्र को पूर्ण कानूनी संरक्षण मिलता था, जबकि असंगठित क्षेत्र उपेक्षित रहता था। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इस बड़े अंतराल को भरने का प्रयास करती है। चूंकि देश की बहुसंख्यक श्रमिक जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में है, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य, पेंशन और बीमा जैसे जोखिमों के विरुद्ध विधायी सुरक्षा प्रदान करना सामाजिक न्याय हेतु अनिवार्य था। संहिता का उद्देश्य इस विशाल जनसंख्या को औपचारिक और सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है।

107. (B) कार्य के दौरान और उससे उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत चोट।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का वैधानिक अधिकार तब सक्रिय होता है जब किसी कर्मचारी को नियोजन के दौरान और उसके कारण कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है। इसमें केवल वे दुर्घटनाएँ सम्मिलित हैं जिनका सीधा संबंध श्रमिक के कार्यों या कार्यस्थल के जोखिमों से है। जैसे ही ऐसी कोई घटना घटती है, नियोक्ता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह कानून के अनुसार श्रमिक या उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करे। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्य के जोखिमों का आर्थिक बोझ अकेले श्रमिक पर न पड़े।

108. (B) सामाजिक सुरक्षा गणना के लिए वेतन की परिभाषा का मानकीकरण करना।
वेतन संहिता 2019 का सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान वेतन की परिभाषा को सुसंगत बनाकर करना है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों का मूल्य सीधे वेतन की राशि से जुड़ा होता है। पूर्व में, विभिन्न परिभाषाओं के कारण गणना में जटिलता रहती थी, जिसका लाभ उठाकर नियोक्ता अक्सर अंशदान कम कर देते थे। मानकीकृत परिभाषा सुनिश्चित करती है कि सभी लाभों की गणना एक ही पारदर्शी आधार पर हो, जिससे श्रमिकों को उनके पूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभ बिना किसी विवाद के प्राप्त हो सकें।

109. (C) महिलाओं के नियोजन को केवल दिन की पाली (डे शिफ्ट) तक सीमित करना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से उनके कार्य के विकल्पों को विस्तारित करती है, न कि उन्हें सीमित करती है। महिलाओं को केवल दिन की पाली तक

बनाती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन जैसे विषयों को कवर करती है। अंत में, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों और श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी कार्य स्थितियों पर केंद्रित है। ये संहिताएँ मिलकर एक संपूर्ण श्रमिक कल्याण ढांचा प्रदान करती हैं।

92. (B) रात्रि पाली के लिए महिलाओं को कम वेतन स्वीकार करने की आवश्यकता।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य उन्हें पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। इसमें रात्रि पाली के दौरान उनकी सुरक्षा, परिवहन और सहमति सुनिश्चित करने जैसे सकारात्मक प्रावधान सम्मिलित हैं। संहिता किसी भी स्थिति में महिलाओं को रात्रि पाली हेतु कम वेतन देने का समर्थन नहीं करती। वास्तव में, समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धांत यहाँ भी पूरी तरह लागू होता है। कम वेतन की शर्त रखना सशक्तिकरण के बजाय भेदभाव को बढ़ावा देना होगा, जो संहिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

93. (C) प्लेटफॉर्म श्रमिक
मोबाइल अनुप्रयोग या डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपनी सेवाएँ प्रदान करने वाले खाद्य वितरण कर्मी प्लेटफॉर्म श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में इस आधुनिक कार्य बल को पहली बार औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। चूंकि ये श्रमिक किसी एक निश्चित कार्यस्थल से बंधे नहीं होते और न ही पारंपरिक कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके लिए लाभों का वितरण चुनौतीपूर्ण था। संहिता अब उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर उन्हें दुर्घटना बीमा और अन्य स्वास्थ्य लाभ दिलाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

94. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 केवल कानूनी विवादों को हल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों के पुनर्वास पर भी ध्यान देती है। कौशल नवीनीकरण निधि का प्रावधान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब किसी श्रमिक की छंटनी होती है, तो यह कोष उसे नए बाजार की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण लेने में मदद करता है। यह त्वरित न्याय का एक हिस्सा है क्योंकि यह श्रमिक को लंबे समय तक बेरोजगार रहने से बचाता है और उसे पुनः आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने हेतु एक तीव्र मार्ग प्रदान करता है।

95. (B) केवल 2 और 3
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मुआवजा केवल नियोजन से उत्पन्न चोटों हेतु देय है, न कि घर पर होने वाली निजी घटनाओं हेतु। मुआवजे की राशि की गणना वैज्ञानिक आधार पर की जाती है, जिसमें कर्मचारी की आयु, मासिक वेतन और विकलांगता के प्रतिशत को ध्यान में रखा जाता है। संहिता नियोक्ता को सुरक्षा भी प्रदान करती है; यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दुर्घटना श्रमिक के स्वयं के नशे में होने या नियमों के जानबूझकर उल्लंघन के कारण हुई थी, तो नियोक्ता मुआवजे हेतु उत्तरदायी नहीं होता है।

96. (C) उचित और विभेदित न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करना।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत श्रमिकों का कौशल के आधार पर वर्गीकरण एक न्यायसंगत आर्थिक प्रणाली बनाने हेतु किया गया है। कार्य की जटिलता, आवश्यक विशेषज्ञता और जोखिम के स्तर के आधार पर अलग-अलग वेतन दरें तय की जाती हैं। एक कुशल तकनीकी कर्मचारी को उसकी विशेषज्ञता हेतु अकुशल श्रमिक की तुलना में उच्च पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यह विभेद न केवल श्रम के मूल्य का सही आकलन करता है, बल्कि श्रमिकों को अपने कौशल को निखारने और आर्थिक रूप से प्रगति करने हेतु निरंतर प्रेरित भी करता है।

97. (B) PF योगदान के लिए वेतन के घटकों में स्पष्टता सुनिश्चित करना।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की नवीन परिभाषा का गहरा संबंध श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से है। भविष्य निधि जैसे दीर्घकालिक लाभों की गणना सीधे वेतन की राशि पर निर्भर करती है। पहले, नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न भत्तों का उपयोग करके मूल वेतन को कम दिखाने की प्रथा थी, जिससे श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अंशदान घट जाता था। नवीन संहिता में भत्तों की एक सीमा तय की गई है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अंशदान हेतु उपयोग हो, जिससे श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

98. (A) श्रम न्यायालयों में लंबी देरी और दीर्घकालिक मुकदमेबाजी।
पुरानी श्रम कानून व्यवस्था में औद्योगिक विवादों के समाधान की प्रक्रिया अत्यंत मंद थी, जहाँ मामले दशकों तक अदालतों में खिंचते रहते थे। इससे श्रमिकों का शोषण होता था और वे अक्सर न्याय की प्रतीक्षा में आर्थिक रूप से टूट जाते थे। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 इस समस्या का समाधान करने हेतु सुलह और न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों हेतु सख्त समय-सीमा निर्धारित करती है। यह सुधार न्याय प्रणाली को उत्तरदायी बनाता है ताकि विवादों का शीघ्र निपटारा हो सके और औद्योगिक शांति बनी रहे।

99. (B) महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का अधिकार देना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण का सबसे सशक्त उदाहरण सभी क्षेत्रों में उनके नियोजन पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाना है। पहले महिलाओं को कुछ खतरनाक माने जाने वाले उद्योगों या विशिष्ट कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता था। नवीन संहिता इन भेदभावपूर्ण बाधाओं को समाप्त करती है और महिलाओं को अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी करियर चुनने की स्वतंत्रता देती है। यह कानूनी परिवर्तन लैंगिक रुढ़ियों को तोड़ता है और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को वैधानिक रूप से प्रोत्साहित करता है।

100. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
वेतन संहिता 2019 ने राष्ट्रीय आधारभूत वेतन की नवीन अवधारणा पेश की है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में वेतन हेतु एक न्यूनतम मापदंड स्थापित करना है। हालाँकि, आधारभूत

118. (A) कल्याण-आधारित
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मुआवजे का प्रावधान भारतीय श्रम कानून के एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। पहले, श्रमिकों को सहायता मिलना अक्सर नियोक्ता की इच्छा या सामान्य कल्याण की भावना पर निर्भर माना जाता था। नवीन संहिता इसे एक स्पष्ट अधिकार-आधारित मॉडल में परिवर्तित करती है, जहाँ नियोजन के दौरान चोट लगने पर मुआवजा प्राप्त करना श्रमिक का वैधानिक अधिकार है। यह बदलाव सुनिश्चित करता है कि सहायता केवल दान नहीं है, बल्कि एक कानूनी प्रतिबद्धता है जो श्रमिक की सुरक्षा और गरिमा को सर्वोच्च मानती है।

119. (D) सामाजिक सुरक्षा संहिता - न्यूनतम वेतन का उन्मूलन
श्रम संहिताओं का उद्देश्य श्रमिक अधिकारों को सुदृढ़ करना है, न कि उन्हें समाप्त करना। सामाजिक सुरक्षा संहिता मुख्य रूप से बीमा, पेंशन और मुआवजे जैसे लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है; यह न्यूनतम वेतन को समाप्त नहीं करती। वास्तव में, न्यूनतम वेतन का मुद्दा वेतन संहिता के अंतर्गत आता है, जो सभी क्षेत्रों हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित करती है। अन्य सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता सुरक्षा समितियों पर बल देती है, वेतन संहिता आधारभूत वेतन लाती है और औद्योगिक संबंध संहिता त्वरित न्याय को बढ़ावा देती है।

120. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जैसे सभी क्षेत्रों में कार्य का अधिकार और रात्रि पाली की अनुमति। हालाँकि, समान कार्य हेतु समान वेतन का विशिष्ट वैधानिक नियम वेतन संहिता 2019 का हिस्सा है, न कि मुख्य रूप से व्यावसायिक सुरक्षा संहिता का। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता का ध्यान प्राथमिक रूप से कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों और अनुकूल कार्य स्थितियों पर रहता है। अतः, अभिकथन सही है क्योंकि यह सशक्तिकरण से संबंधित है, परंतु कारण भिन्न संहिता का है।

121. (B) गोदाम (वेयरहाउस) में कार्य करने वाला एक शारीरिक भार ढोने वाला (लोडर)।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत अकुशल श्रमिक वह होता है जिसके कार्य हेतु किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी प्रशिक्षण या पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, गोदाम में भार ढोने वाला व्यक्ति मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करता है। ऐसे श्रमिकों हेतु भी न्यूनतम वेतन निर्धारित करना अनिवार्य है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतों की रक्षा हो सके। सॉफ्टवेयर निर्माता या शल्य चिकित्सक जैसे पेशेवर उच्च कौशल की श्रेणी में आते हैं। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि कार्य के प्रत्येक स्तर पर श्रमिक को गरिमापूर्ण पारिश्रमिक प्राप्त हो।

122. (A) 2, 4, 1, 3
सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत मुआवजे की कानूनी प्रक्रिया एक तार्किक क्रम में बढ़ती है। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब श्रमिक नियोक्ता को किसी दुर्घटना की सूचना देता है। इसके पश्चात, सक्षम प्राधिकारी मामले की गंभीरता की जाँच हेतु दावों की सुनवाई करता है। सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर, प्राधिकारी मुआवजे की उचित राशि का वैधानिक निर्णय लेता है। अंत में, निर्धारित राशि का वितरण पीड़ित श्रमिक या उसके आश्रितों को किया जाता है। यह व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक दावे की निष्पक्ष जाँच के बाद ही न्याय मिले।

123. (C) उद्यम स्तर पर द्विपक्षीय समाधान।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में शिकायत निवारण समिति का प्रावधान त्वरित न्याय की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यह तंत्र इस विचार पर आधारित है कि छोटे विवादों को बाहरी अदालतों में ले जाने के बजाय उद्यम के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए। नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इसे एक द्विपक्षीय और संतुलित मंच बनाती है। जब शिकायतों का समाधान कार्यस्थल के करीब और शीघ्र होता है, तो यह कड़वाहट कम करता है और औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाता है, जिससे अदालतों का बोझ भी कम होता है।

124. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक मील का पत्थर है। यह कहना गलत है कि यह उनके लिए कोई लाभ प्रदान नहीं करती; वास्तव में, संहिता पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक पहचान और कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। यह सरकार को इन सुभेद्य समूहों हेतु विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाएँ बनाने का वैधानिक अधिकार देती है। यह समावेशी ढांचा भारतीय कार्यबल के एक विशाल और उपेक्षित हिस्से को सुरक्षा के दायरे में लाता है।

125. (A) गरिमा और सुरक्षा के साथ महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण के प्रावधानों को सम्मिलित करना सरकार की उस मंशा को दर्शाता है जहाँ आर्थिक प्रगति और लैंगिक समानता साथ-साथ चलते हैं। संहिता यह मानती है कि महिलाओं को कार्य करने से रोकना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और सहायक वातावरण प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। रात्रि पाली की अनुमति और शिशुगृह की अनिवार्यता जैसे नियम महिलाओं की व्यावसायिक बाधाओं को दूर करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएँ गरिमापूर्ण तरीके से कार्यबल का हिस्सा बनें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें।

126. (B) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 वह प्रमुख कानूनी ढांचा है जो कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं, चोटों और मृत्यु से संबंधित मुआवजे के दावों को नियंत्रित करता है। यह पूर्ववर्ती कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों को समाहित और अद्यतन करती है। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु नियोजन के दौरान होती है, तो उसके परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता और दावे की प्रक्रिया इसी संहिता के तहत निर्धारित

सीमित रखना एक पुरानी और भेदभावपूर्ण प्रथा थी जिसे इस संहिता ने समाप्त कर दिया है। अब महिलाएँ सहमति और उचित सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में भी कार्य कर सकती हैं। संहिता का मुख्य ध्यान महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और सभी समय पर कार्य के समान अवसर प्रदान करना है, बशर्ते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

110. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का वैधानिक ढांचा विवादों के शीघ्र समाधान हेतु बनाया गया है। यह शिकायत निवारण समितियों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों हेतु अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित करती है ताकि मामलों को वर्षों तक न खींचना पड़े। संहिता का उद्देश्य अनावश्यक लालफीताशाही और लंबी कानूनी लड़ाइयों को कम करना है, न कि उन्हें बढ़ावा देना। त्वरित समाधान से श्रमिकों को शीघ्र न्याय मिलता है और नियोक्ताओं को व्यावसायिक स्थिरता प्राप्त होती है, जो एक स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के निर्माण हेतु अत्यंत आवश्यक है।

111. (A) सभी श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को विधायी ढांचे के भीतर लाकर एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत करती है। यह कदम भारत में एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की ओर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण चरण है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार की प्रकृति चाहे जो भी हो—स्थायी, अनुबंध आधारित या स्वतंत्र—प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा, जैसे स्वास्थ्य और वृद्धावस्था पेंशन, प्राप्त हो। यह राज्य के कल्याणकारी दायित्वों का विस्तार है।

112. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
श्रम सुधारों की विभिन्न विशेषताएँ विशिष्ट लक्ष्यों को पूर्ण करती हैं। राष्ट्रीय आधारभूत वेतन का उद्देश्य वेतन सुरक्षा और क्षेत्रीय समानता लाना है। दो सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन विवादों के निपटारे में तेजी लाने यानी त्वरित न्याय हेतु किया गया है। शिशुगृह जैसी सुविधाएँ कार्यस्थल पर महिलाओं को सहायता प्रदान कर उनके सशक्तिकरण में मदद करती हैं। अंत में, गिग श्रमिकों का पंजीकरण उन्हें औपचारिक पहचान देकर उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुलभ बनाता है। ये सभी उपाय समग्र श्रमिक कल्याण के स्तंभ हैं।

113. (B) कुशल बढ़ई का वेतन सहायक की तुलना में अधिक होगा।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत कौशल-आधारित वेतन निर्धारण का सिद्धांत लागू होता है। एक कुशल बढ़ई के पास विशेष अनुभव, प्रशिक्षण और निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो कार्य की जटिलता को बढ़ाती है। इसके विपरीत, एक अकुशल सहायक केवल सामान्य शारीरिक कार्य करता है। संहिता यह मान्यता प्रदान करती है कि विशेषज्ञता और श्रम के मूल्य में अंतर होना चाहिए। इसलिए, कुशल श्रेणी हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन स्वाभाविक रूप से अकुशल श्रेणी की तुलना में अधिक होता है, जो व्यावसायिक दक्षता और न्याय का प्रतीक है।

114. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत त्वरित न्याय का उद्देश्य किसी एक पक्ष को अनुचित लाभ पहुँचाना नहीं, बल्कि विवादों का संतुलित और समयबद्ध समाधान करना है। यह संहिता सुलह और न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों हेतु सख्त मर्यादाएँ तय करती है, जिससे श्रमिकों को उनके दावों पर शीघ्र राहत मिलती है और नियोक्ताओं को अनिश्चितकालीन विवादों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह पारदर्शी प्रक्रिया औद्योगिक शांति बनाए रखने और दोनों पक्षों के मध्य विश्वास बहाली हेतु है, न कि केवल छंटनी को आसान बनाने हेतु।

115. (B) उसकी सुरक्षा और परिवहन के प्रावधान सुनिश्चित करना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत यदि कोई महिला कर्मचारी रात्रि पाली में कार्य हेतु सहमत होती है, तो नियोक्ता पर अतिरिक्त कल्याणकारी उत्तरदायित्व लागू होते हैं। नियोक्ता को कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, महिला सुरक्षा गार्ड और आपातकालीन सहायता जैसे सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नियोक्ता को महिला कर्मचारी हेतु घर से कार्यस्थल और वापस घर तक सुरक्षित परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी। ये प्रावधान आर्थिक भागीदारी और व्यक्तिगत सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं।

116. (A) केवल 1 and 2
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पुराने कानूनों, जैसे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, को समाहित कर एक एकीकृत सुरक्षा ढांचा प्रदान करती है। यह पहली बार असंगठित और गिग श्रमिकों हेतु एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष के निर्माण का आदेश देती है, जो एक प्रगतिशील कदम है। हालाँकि, यह संहिता योजनाओं का पूर्ण निजीकरण नहीं करती। सरकार इन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण, वित्तपोषण और प्रशासन में प्राथमिक भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य राज्य के संरक्षण में श्रमिकों को विश्वसनीय और व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

117. (A) किए गए श्रम के लिए समय पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकार।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी श्रमिक के सबसे मौलिक आर्थिक अधिकार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक द्वारा किए गए परिश्रम का फल उसे बिना किसी अनुचित देरी के प्राप्त हो। यह प्रावधान नियोक्ता को वेतन भुगतान हेतु एक निश्चित समय-सीमा का पालन करने हेतु बाध्य करता है। समय पर भुगतान मिलने से श्रमिक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है और वह नियोक्ता की मनमानी या आर्थिक शोषण से बचा रहता है, जो उसकी मानवीय गरिमा के लिए आवश्यक है।

गईं और अंततः उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। यह कालक्रम दर्शाता है कि वेतन सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई, जिसके बाद श्रम कानूनों के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को व्यापक रूप से एकीकृत किया गया।

83. (A) एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण एक संतुलित निकाय है जिसका उद्देश्य न्याय को अधिक व्यावहारिक बनाना है। इसमें एक न्यायिक सदस्य सम्मिलित होता है जो कानूनी प्रक्रियाओं का विशेषज्ञ होता है, और एक प्रशासनिक सदस्य होता है जिसके पास औद्योगिक प्रशासन का व्यापक अनुभव होता है। यह द्वि-सदस्यीय संरचना जटिल औद्योगिक विवादों को केवल तकनीकी आधार पर ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए भी हल करने में सहायक होती है, जिससे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित होता है।

84. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण को नई ऊँचाइयों पर ले जाती है। यह उन पुराने कानूनों को बदलती है जो महिलाओं को खनन जैसे कुछ चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने से रोकते थे। संहिता अब महिलाओं को उनकी इच्छा और योग्यता के अनुसार सभी प्रकार के उद्योगों में कार्य का अधिकार देती है। हालाँकि, यह सुरक्षा की कीमत पर नहीं है। नियोक्ता को इन चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सभी विशिष्ट उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा।

85. (C) प्लेटफॉर्म श्रमिक - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पहचानते हुए प्लेटफॉर्म श्रमिक की विशिष्ट अवधारणा पेश करती है। ये वे श्रमिक हैं जो ऑनलाइन मंच या मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे वितरण कर्मी या चालक। इस संहिता ने पहली बार इन्हें विधायी परिभाषा प्रदान की है ताकि उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा कोष और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह परिवर्तन कार्य के बदलते स्वरूप के अनुरूप श्रमिक सुरक्षा को अद्यतन करने की दिशा में महत्वपूर्ण विधायी उपलब्धि है।

86. (B) उपयुक्त सरकार (केंद्र या राज्य)।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन को निर्धारित और संशोधित करने का प्रमुख उत्तरदायित्व उपयुक्त सरकार पर होता है। केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्रों हेतु और राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर के नियोजनों हेतु उत्तरदायी होती हैं। यह निकाय सलाहकारों और विशेषज्ञों की सहायता से विभिन्न आर्थिक मापदंडों का अध्ययन करते हैं और उचित वेतन दरों को अधिसूचित करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि न्यूनतम वेतन स्थानीय जीवन निर्वाह लागत और महंगाई के अनुरूप हो, जिससे श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा हो सके।

87. (D) बिना किसी कारण के अनिश्चित काल के लिए न्यायाधिकरण की सुनवाई स्थगित करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय का मूल विचार विवादों को बिना किसी अनावश्यक देरी के हल करना है। संहिता सुलह और न्यायाधिकरण की प्रक्रियाओं हेतु विशिष्ट समय-सीमा तय करती है। यदि कोई न्यायाधिकरण बिना किसी ठोस कारण के सुनवाई को अनिश्चित काल हेतु स्थगित करता है, तो यह इस संहिता की भावना और उद्देश्यों के पूर्णतः विपरीत है। त्वरित न्याय का अर्थ है कि विवादों का निपटारा एक निश्चित अवधि में हो ताकि श्रमिकों और नियोक्ताओं को समय पर राहत प्राप्त हो सके।

88. (A) नियोजन की प्रकृति के कारण हुई कोई व्यावसायिक बीमारी।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का प्रावधान केवल प्रत्यक्ष चोटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यावसायिक बीमारियाँ भी सम्मिलित हैं। ये वे बीमारियाँ हैं जो कर्मचारी को उसके कार्य की प्रकृति या कार्यस्थल के वातावरण के कारण होती हैं, जैसे धूल भरे माहौल में काम करने से श्वसन रोग। संहिता यह मानती है कि ऐसी बीमारियाँ भी नियोजन का ही परिणाम हैं और इनके कारण होने वाली अक्षमता हेतु श्रमिक मुआवजे का हकदार है। यह प्रावधान श्रमिकों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य हितों की रक्षा करता है।

89. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का एक प्राथमिक उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इसके लिए एक बहुपक्षीय वित्तपोषण मॉडल का उपयोग किया जाता है। योजनाओं हेतु आवश्यक धन का एक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है, जबकि शेष हिस्सा नियोक्ताओं और स्वयं श्रमिकों के अंशदान से आता है। यह सामूहिक योगदान मॉडल सुनिश्चित करता है कि योजनाओं का संचालन वित्तीय रूप से टिकाऊ बना रहे और असंगठित श्रमिकों को स्वास्थ्य, मृत्यु और वृद्धावस्था से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो।

90. (A) वेतन की गारंटी और स्वीकार्य कटौती।
वेतन संहिता 2019 श्रमिकों को उनके अर्जित वेतन की सुरक्षा प्रदान करती है। यद्यपि कानून नियोक्ता को संपत्ति की क्षति जैसे कुछ मामलों में कटौती की अनुमति देता है, परंतु ऐसी कटौतियों पर एक सख्त वैधानिक सीमा निर्धारित की गई है। नियोक्ता किसी भी स्थिति में कर्मचारी के कुल वेतन के एक बड़े हिस्से (50%) से अधिक कटौती नहीं कर सकता। यदि कटौती इस सीमा से अधिक होती है, तो यह वेतन की गारंटी के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य श्रमिक की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखना है।

91. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
चारों श्रम संहिताएँ भारतीय श्रम कानूनों के विभिन्न पक्षों को आधुनिक बनाती हैं। वेतन संहिता का मुख्य ध्यान उचित पारिश्रमिक और बोनस के भुगतान पर है। औद्योगिक संबंध संहिता श्रम संघों और विवादों के प्रभावी समाधान हेतु नियम

की जाती है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आपदा की स्थिति में श्रमिक के आश्रितों को वैधानिक आर्थिक सुरक्षा और सहायता समय पर प्राप्त हो।

127. (D) शोषण और जबरन श्रम के विरुद्ध अधिकार।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के आदर्शों को सुदृढ़ करता है, जो शोषण और बेगार को प्रतिबंधित करता है। जब किसी श्रमिक को उसके कार्य का उचित और समय पर भुगतान नहीं मिलता, तो वह एक प्रकार का आर्थिक शोषण है। संहिता न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करके और मनमानी कटौती को रोककर यह सुनिश्चित करती है कि श्रम का मूल्य सुरक्षित रहे। यह प्रावधान श्रमिक की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली वैधानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

128. (A) नहीं, इसकी सीमा 50 या अधिक कर्मचारी है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार, शिशुगृह की सुविधा प्रदान करने की अनिवार्यता उन प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। चूंकि इस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में केवल 45 कर्मचारी हैं, इसलिए वह वर्तमान नियमों के तहत इसे अनिवार्य रूप से रखने हेतु कानूनी रुप से बाध्य नहीं है। हालाँकि, प्रगतिशील नियोक्ता स्वेच्छा से ऐसी सुविधा दे सकते हैं। संहिता का यह सीमा निर्धारण छोटे उद्यमों पर प्रशासनिक बोझ कम करने के साथ मध्यम और बड़े उद्योगों में श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने हेतु किया गया है।

129. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में एकमात्र वार्ताकार संघ का प्रावधान औद्योगिक संबंधों को सुव्यवस्थित करने हेतु किया गया है। अक्सर कई छोटे संगठनों की उपस्थिति के कारण नियोक्ताओं हेतु सामूहिक सौदेबाजी करना कठिन और समय लेने वाला होता था। एक मुख्य संघ की पहचान करने से बातचीत की प्रक्रिया अधिक केंद्रित और प्रभावी हो जाती है। यह त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है और विवादों के समाधान को गति देता है, जिससे अंततः श्रमिकों के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है और औद्योगिक शांति बनी रहती है।

130. (C) कार्य की बदलती प्रकृति और सुरक्षा की आवश्यकता।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 द्वारा गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देना आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं को स्वीकार करना है। पहले ये श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर थे क्योंकि उनका कार्य पारंपरिक नौ-से-पाँच की नौकरी के ढांचे में नहीं आता था। संहिता यह मानती है कि रोजगार के नए स्वरूपों में भी श्रमिकों को स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा की समान आवश्यकता है। उन्हें परिभाषित करके, सरकार ने भविष्य में उनके लिए विशिष्ट कल्याणकारी कोष और बीमा योजनाओं के निर्माण का आधार तैयार किया है।

131. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
चारों श्रम संहिताएँ श्रमिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं को कवर करती हैं। वेतन संहिता न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण हेतु आधार प्रदान करती है। औद्योगिक संबंध संहिता शिकायत निवारण समितियों के माध्यम से विवादों के समाधान को प्राथमिकता देती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता कार्यस्थल पर लगने वाली चोटों हेतु मुआवजे के नियमों को स्पष्ट करती है। अंत में, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता महिला सशक्तिकरण के तहत रात्रि पाली में कार्य हेतु उनकी सहमति को अनिवार्य बनाती है। ये सभी मिलकर एक संतुलित और सुरक्षित श्रम वातावरण निर्मित करते हैं।

132. (B) वेतन का भुगतान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन भुगतान की गारंटी का एक मुख्य पक्ष समयबद्धता है। संहिता स्पष्ट रुप से निर्दिष्ट करती है कि नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर एक निश्चित समय के भीतर करना होगा। उदाहरण के लिए, मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने की 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को अपनी मेहनत का फल नियमित रुप से मिले, जिससे वे बिना किसी वित्तीय अनिश्चितता के अपनी आजीविका और पारिवारिक खर्चों का प्रबंधन कर सकें।

133. (D) सुलह और न्यायाधिकरण कार्यवाहियों को पूर्ण करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय को साकार करने हेतु कानूनी प्रक्रियाओं में समय-सीमा का समावेश किया गया है। पूर्व में, औद्योगिक विवाद वर्षों तक सुलह अधिकारियों और अदालतों के पास लंबित रहते थे, जिससे श्रमिकों को भारी क्षति होती थी। नवीन संहिता सुलह की प्रक्रिया और न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय देने हेतु सख्त वैधानिक अवधि निर्धारित करती है। यह सुधार सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि एक निश्चित समय के भीतर प्रभावी रुप से श्रमिकों और नियोक्ताओं तक पहुँचे।

134. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक क्रांतिकारी कदम है। यह एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा कोष के निर्माण का आदेश देती है, जिसका उपयोग असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण हेतु किया जाएगा। इस कोष के माध्यम से उन्हें बीमारी, मृत्यु, विकलांगता और मातृत्व जैसी आकस्मिकताओं के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान भारतीय कार्यबल के एक ऐसे बड़े हिस्से को सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जो अब तक औपचारिक बीमा और स्वास्थ्य लाभों की पहुँच से पूरी तरह बाहर था।

135. (A) केवल 1 और 2
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 श्रमिकों हेतु एक सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए उन्हें सभी क्षेत्रों में कार्य का अधिकार देती है और उनकी सुरक्षा हेतु विशेष उपाय

करती है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि यह सभी दुर्घटनाओं हेतु श्रमिक को उत्तरदायी बनाती है। वास्तव में, नियोक्ता कार्यस्थल पर सुरक्षा मानक बनाए रखने हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है। संहिता का उद्देश्य जोखिमों को कम करना और दुर्घटना की स्थिति में श्रमिक की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना है।

136. (C) सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत चोट हेतु मुआवजा सामाजिक सुरक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका उद्देश्य श्रमिक को उन जोखिमों से बचाना है जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाएँ। मुआवजा प्रदान करके, कानून यह सुनिश्चित करता है कि शारीरिक अक्षमता के समय श्रमिक की आय पूरी तरह समाप्त न हो और वह गरीबी के दुष्चक्र में न फँसे। यह राज्य के उस उत्तरदायित्व को दर्शाता है जहाँ वह अपने नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक आर्थिक रक्षा कवच प्रदान करता है।

137. (B) PF/ESI योगदान के लिए वेतन की एक समान परिभाषा।
वेतन संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वेतन की परिभाषा को सुसंगत बनाकर योगदान देती है। चूंकि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों की गणना वेतन के एक हिस्से के रूप में की जाती है, इसलिए एक स्पष्ट और मानकीकृत परिभाषा सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों का उचित अंशदान जमा हो। यह नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न भत्तों का उपयोग कर वैधानिक देयताओं को कम करने की गुंजाइश को समाप्त करता है। इस प्रकार, वेतन संरचना में पारदर्शिता सीधे श्रमिकों के दीर्घकालिक सामाजिक लाभों को सुरक्षित और सुदृढ़ करती है।

138. (C) कानूनी और उद्योग-विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ संतुलित।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत दो सदस्यीय न्यायाधिकरण की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि विवादों का समाधान केवल कानूनी तकनीकीताओं के आधार पर ही नहीं, बल्कि जमीनी औद्योगिक वास्तविकताओं के आधार पर भी हो। न्यायिक सदस्य कानूनी सुसंगति सुनिश्चित करता है, जबकि प्रशासनिक सदस्य कार्यस्थल की गतिशीलता का ज्ञान लाता है। यह संतुलित दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक, निष्पक्ष और प्रभावी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है, जिससे त्वरित न्याय संभव होता है।

139. (C) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
पटाखा कारखाने जैसे जोखिम भरे उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा और उनके नियोजन की शर्तें व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के मुख्य अधिकार क्षेत्र में आती हैं। यह संहिता विशेष रूप से खतरनाक प्रक्रियाओं में सुरक्षा मानकों, स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्य के घंटों को नियंत्रित करती है। महिलाओं के लिए, यह संहिता उन प्रतिबंधों को हटाती है जो उन्हें पहले ऐसे उद्योगों में कार्य करने से रोकते थे, बशर्ते नियोक्ता सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करे। अतः, यह कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों और उनकी भौतिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है।

140. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मुख्य दर्शन समावेशिता है। भारत के श्रम बाजार का एक विशाल हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है, जहाँ श्रमिकों के पास औपचारिक रोजगार के समान पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या मृत्यु लाभ की कोई कानूनी गारंटी नहीं थी। संहिता यह पहचानती है कि यह सुभेद्य समूह सामाजिक सुरक्षा का सबसे अधिक हकदार है। इसलिए, यह उनके लिए समर्पित योजनाओं और पंजीकरण की व्यवस्था करती है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से बताते हैं कि संहिता इस ऐतिहासिक अभाव को दूर करने का एक विधायी प्रयास है।

141. (B) मृतक श्रमिक के पंजीकृत आश्रितों को।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुसार, यदि नियोजन के दौरान किसी दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो मुआवजे का भुगतान उसके आश्रितों को किया जाता है। आश्रितों में परिवार के वे सदस्य सम्मिलित होते हैं जो आर्थिक रूप से श्रमिक पर निर्भर थे, जैसे जीवनसाथी, बच्चे या माता-पिता। मुआवजे का उद्देश्य परिवार के मुख्य आय अर्जन करने वाले की कमी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट को दूर करना है। यह सुनिश्चित करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि यह राशि कानून के अनुसार मृतक के वास्तविक उत्तराधिकारियों तक समय पर पहुँचे।

142. (B) 2, 1, 3, 4
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन निर्धारण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। सबसे पहले, केंद्र सरकार पूरे देश हेतु एक आधारभूत राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिसूचित करती है। इसके पश्चात, राज्य सरकारें अपने विशिष्ट नियोजनों हेतु न्यूनतम वेतन की दरें अधिसूचित करती हैं। यह वैधानिक अनिवार्यता है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन केंद्र के आधारभूत वेतन से कम नहीं हो सकता। अंत में, नियोक्ता इसी अधिसूचित न्यूनतम दर के अनुसार श्रमिक को वेतन का भुगतान करता है। यह क्रम देशभर में वेतन की एक आधार रेखा सुनिश्चित करता है।

143. (D) संहिता द्वारा निर्धारित समयबद्ध रीति से।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का अर्थ यह है कि श्रमिक को उसके द्वारा अर्जित पारिश्रमिक प्राप्त करने का एक वैधानिक अधिकार है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि भुगतान संहिता द्वारा निर्धारित विशिष्ट समय-सीमा के भीतर किया जाए। इसमें यह भी अनिवार्य है कि वेतन का भुगतान चालू मुद्रा या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से हो। यद्यपि कुछ वैधानिक कटौतियों की अनुमति है, परंतु मनमानी और अवैध कटौतियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह प्रावधान श्रमिक की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उनके अधिकारों को सुरक्षित बनाता है।

144. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 त्वरित न्याय के सिद्धांत को प्राथमिकता देती है। यह आंतरिक शिकायत निवारण समिति

को विवादों के समाधान हेतु एक निश्चित समय-सीमा प्रदान करती है। यदि समिति निर्धारित समय में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती, तो श्रमिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनावश्यक विलंब के बिना सीधे औद्योगिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटा सके। यह प्रावधान मध्यवर्ती चरणों में होने वाली लंबी देरी को समाप्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक को अपनी जायज मांगों पर शीघ्र राहत प्राप्त हो।

145. (A) सभी प्रकार के प्रतिष्ठान और खतरनाक कार्य।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उन सभी पुराने कानूनी प्रतिबंधों को हटाना है जो महिलाओं को कुछ विशिष्ट उद्योगों या खतरनाक माने जाने वाले कार्यों में नियोजित होने से रोकते थे। संहिता अब यह अधिकार देती है कि योग्यता रखने वाली किसी भी महिला को किसी भी प्रतिष्ठान में नियुक्त किया जा सकता है। यह परिवर्तन लैंगिक आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त करता है। उचित सुरक्षा मानकों और सहमति की शर्तों के साथ, यह महिलाओं के लिए समान आर्थिक भागीदारी के नए अवसर खोलता है।

146. (A) गिग श्रमिक/प्लेटफॉर्म श्रमिक
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को गिग या प्लेटफॉर्म श्रमिक के रूप में मान्यता दी गई है। उदाहरण के लिए, एक स्वतंत्र विद्युत मिस्त्री जो किसी अनुप्रयोग के माध्यम से ग्राहक पाता है, वह इसी श्रेणी में आता है। ये श्रमिक पारंपरिक कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन संहिता उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखती है। यह उन्हें दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य योजनाओं जैसे लाभों तक पहुँच प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करती है, जो उनकी आर्थिक असुरक्षा को कम करने हेतु आवश्यक है।

147. (D) मुआवजे की राशि निश्चित है और प्रत्येक श्रमिक के लिए समान है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मुआवजे की गणना एक गतिशील सूत्र पर आधारित है, न कि एक निश्चित राशि पर। मुआवजे की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे श्रमिक की मासिक आय, उसकी आयु और हुई चोट या विकलांगता का प्रतिशत। उदाहरण के लिए, कम आयु के श्रमिक को अधिक मुआवजा मिल सकता है क्योंकि उसकी भविष्य की उपार्जन क्षमता अधिक समय हेतु प्रभावित हुई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मुआवजा प्रत्येक श्रमिक की व्यक्तिगत स्थिति और हुई वास्तविक आर्थिक हानि के प्रति न्यायसंगत और आनुपातिक हो।

148. (A) सटीक योगदान गणना के लिए वेतन संरचनाओं का मानकीकरण।
वेतन संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वेतन की परिभाषा को स्पष्ट और मानकीकृत करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों हेतु किए जाने वाले अंशदान सीधे वेतन के घटकों पर आधारित होते हैं। पूर्व में, भत्तों की अधिकता के कारण गणना में भ्रम रहता था। नवीन संहिता वेतन के घटकों को परिभाषित कर यह सुनिश्चित करती है कि एक निश्चित और पारदर्शी राशि पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना हो। इससे श्रमिकों के सेवानिवृत्ति लाभ सुरक्षित होते हैं और विवादों में कमी आती है।

149. (D) समाधान के विभिन्न चरणों के लिए सख्त समय सीमा प्रारंभ करके।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का मुख्य बल विवादों के समयबद्ध निपटारे पर है। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु, संहिता सुलह अधिकारियों, शिकायत निवारण समितियों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों हेतु अपनी कार्यवाहियाँ पूर्ण करने हेतु विशिष्ट वैधानिक समय-सीमा निर्धारित करती है। यह सुधार पुराने कानूनों की उस कमी को दूर करता है जहाँ विवाद दशकों तक लंबित रहते थे। समयबद्ध प्रक्रिया होने से श्रमिकों को अपनी शिकायतों पर शीघ्र निर्णय प्राप्त होता है, जिससे कार्यस्थल पर औद्योगिक शांति और उत्पादकता बनी रहती है और संसाधनों का अपव्यय रुकता है।

150. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं हेतु कार्य के अवसरों का विस्तार कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से बताते हैं कि संहिता महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में कार्य का वैधानिक अधिकार देती है। रात्रि पाली में कार्य की अनुमति देना इसी सशक्तिकरण का हिस्सा है, जो कि महिला की स्पष्ट सहमति और सुरक्षा उपायों की गारंटी पर निर्भर है। ये प्रावधान न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक अवसर एक साथ चलें।

151. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
चारों श्रम संहिताएँ विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार लाती हैं। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता कार्यस्थल पर सुरक्षा समितियों के गठन पर बल देती है। वेतन संहिता वेतन की एक व्यापक और स्पष्ट परिभाषा प्रदान करती है ताकि गणना में पारदर्शिता रहे। सामाजिक सुरक्षा संहिता असंगठित और गिग श्रमिकों हेतु राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करती है। औद्योगिक संबंध संहिता छंटनी किए गए श्रमिकों के पुनर्वास हेतु कौशल नवीनीकरण निधि का प्रावधान करती है। ये संस्थागत तंत्र सामूहिक रूप से श्रमिकों के अधिकारों और औद्योगिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित करते हैं।

152. (D) अनियमित कार्य, कम वेतन और औपचारिक लाभों का अभाव।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का प्राथमिक ध्यान असंगठित श्रमिकों पर है, जो भारतीय कार्यबल के सबसे सुभेद्य अंग हैं। इन श्रमिकों की पहचान अनियमित रोजगार, निम्न पारिश्रमिक और भविष्य निधि या बीमा जैसे वैधानिक सामाजिक लाभों की पूर्ण अनुपस्थिति से होती है। इनमें खेतिहर मजदूर, निर्माण श्रमिक और पथ विक्रेता सम्मिलित हैं। संहिता इन श्रमिकों को एक औपचारिक ढांचा प्रदान करती है और उन्हें पंजीकरण के माध्यम से स्वास्थ्य और पेंशन जैसी योजनाओं के दायरे में लाती

है, ताकि उन्हें जीवन के जोखिमों के विरुद्ध विधायी सुरक्षा मिल सके।

153. (A) एक अनुसूची में निर्दिष्ट उपार्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे की गणना अत्यंत वैज्ञानिक है। जब कोई श्रमिक दुर्घटना में शरीर का कोई अंग खो देता है, तो उसकी उपार्जन क्षमता में स्थायी कमी आती है। संहिता में एक अनुसूची दी गई है जो शरीर के विभिन्न अंगों की क्षति हेतु उपार्जन क्षमता की हानि का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करती है। मुआवजे की कुल राशि इसी प्रतिशत, श्रमिक की आयु और उसके मासिक वेतन के गुणांक द्वारा तय की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिक को उसके भविष्य के आर्थिक नुकसान की उचित भरपाई मिले।

154. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
वेतन संहिता 2019 श्रमिकों के आर्थिक हितों की रक्षा हेतु एक दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है। प्रथम, यह सभी श्रेणियों के श्रमिकों हेतु, चाहे वे कुशल हों या अकुशल, न्यूनतम वेतन की गारंटी सुनिश्चित करती है। द्वितीय, यह गारंटी केवल कागजों तक सीमित नहीं है; संहिता यह अनिवार्य करती है कि वेतन का भुगतान एक निश्चित समय-सीमा में हो और किसी भी अनधिकृत या मनमानी कटौती पर पूर्ण रोक हो। ये प्रावधान सामूहिक रूप से श्रमिक के परिश्रम के फल को सुरक्षित करते हैं और उन्हें नियोक्ता के संभावित शोषण से बचाते हैं।

155. (D) 1, 2 और 3
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 औद्योगिक संबंधों में आधुनिकता और पारदर्शिता लाती है। यह पुराने कानूनों को समेकित कर एक सरल ढांचा प्रदान करती है और निश्चित अवधि के नियोजन जैसी अवधारणाओं को सम्मिलित करती है, जिसमें श्रमिकों को स्थायी कर्मचारियों के समान ही लाभ मिलते हैं। साथ ही, विवादों के त्वरित निपटारे हेतु न्यायाधिकरणों हेतु निर्णय देने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। ये सभी प्रावधान मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जहाँ श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित हों और व्यावसायिक विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो सके।

156. (D) उन सुरक्षात्मक प्रावधानों को हटाना जो बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य उन सुरक्षात्मक कानूनों को हटाना है जो वास्तव में महिलाओं हेतु रोजगार की बाधा बन गए थे। पहले रात्रि पाली या कुछ उद्योगों में कार्य पर प्रतिबंध यह कहकर लगाया गया था कि यह उनकी सुरक्षा हेतु है, लेकिन इसने महिलाओं के अवसरों को सीमित कर दिया। नवीन संहिता इस दृष्टिकोण को बदलती है और कहती है कि सुरक्षा सुनिश्चित करना नियोक्ता का कार्य है, जबकि कार्य करना महिला का अधिकार है। यह लैंगिक आधार पर होने वाले नियोजन भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम है।

157. (D) वैधानिक योगदान के आधार के रूप में 'वेतन' की परिभाषा।
वेतन संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा हेतु एक मजबूत आधार तैयार करती है। इसका केंद्र बिंदु वेतन की मानकीकृत परिभाषा है। चूंकि भविष्य निधि, आनुपातिक पारितोषिक और बीमा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना वेतन के एक हिस्से के रूप में की जाती है, इसलिए एक स्पष्ट परिभाषा सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता भत्तों के माध्यम से वैधानिक देयताओं को कम न कर सकें। यह पारदर्शिता श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष में उचित और पर्याप्त अंशदान सुनिश्चित करती है, जो उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

158. (D) अधिनिर्णय कार्यवाहियों के लिए वैधानिक समय सीमा निर्धारित करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 त्वरित न्याय के अपने लक्ष्य को व्यावहारिक बनाने हेतु समयबद्धता पर बल देती है। यह सुलह प्रक्रिया से लेकर औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा अंतिम निर्णय देने तक के प्रत्येक चरण हेतु स्पष्ट वैधानिक समय-सीमा निर्धारित करती है। यह सुधार पुराने कानूनों की उस बड़ी समस्या को हल करता है जहाँ औद्योगिक विवाद वर्षों तक अदालतों में उलझे रहते थे। समय-सीमा की अनिवार्यता न्याय प्रणाली को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाती है, जिससे श्रमिकों को उनके दावों पर शीघ्र राहत मिलती है और औद्योगिक सौहार्द बना रहता है।

159. (C) अंशदान और सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाएं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सहायता प्रदान करने हेतु एक बहुपक्षीय वित्तपोषण मॉडल अपनाती है। चूंकि इन श्रमिकों के पास आय के स्थिर स्रोत नहीं होते, इसलिए सरकार उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण और वित्तपोषण करती है। इनमें से कुछ योजनाएँ पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित होती हैं, जबकि कुछ में श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं से छोटे अंशदान लिए जाते हैं। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य, बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी अनिवार्य सुरक्षाएँ समाज के सबसे सुभेद्य वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुँचें।

160. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मुआवजे का दायित्व नियोजन से उत्पन्न और उसके दौरान के व्यापक सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत मानता है कि कार्यस्थल पर मौजूद जोखिमों का उत्तरदायित्व नियोक्ता का है। यदि कोई कर्मचारी किसी सह-कर्मी की लापरवाही या गलती के कारण घायल होता है, तो भी नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने हेतु बाध्य है। यह इसलिए है क्योंकि दुर्घटना उस कार्य वातावरण का हिस्सा है जो नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया है। यह प्रावधान श्रमिकों को सह-कर्मियों की त्रुटियों के विरुद्ध भी वैधानिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

161. (B) कौशल और जटिलता वेतन निर्धारण में कारक होने चाहिए।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत श्रमिकों का वर्गीकरण इस आर्थिक सच्चाई को मान्यता देता है कि सभी कार्यों हेतु एक

ही वेतन दर उचित नहीं हो सकती। कार्य की प्रकृति, आवश्यक तकनीकी ज्ञान, अनुभव और कार्य की जटिलता के आधार पर कुशल और अकुशल श्रेणियों हेतु अलग-अलग न्यूनतम वेतन निर्धारित किए जाते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कुशल श्रमिकों को उनकी विशेषज्ञता का उचित प्रतिफल मिले और अकुशल श्रमिकों को एक बुनियादी सम्मानजनक आय प्राप्त हो। यह श्रम बाजार में कुशलता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने का न्यायसंगत तरीका है।

162. (D) महिलाओं के सुरक्षित और समान रूप से भाग लेने के लिए अनुकूल स्थितियां बनाना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल कागजी अधिकार देना नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसमें उन सभी भौतिक और कानूनी बाधाओं को हटाना सम्मिलित है जो महिलाओं को पूर्णकालिक रोजगार से रोकती थीं। रात्रि पाली की अनुमति, शिशुगृह की अनिवार्यता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन महिलाओं को यह विश्वास दिलाता है कि वे किसी भी क्षेत्र में सुरक्षित रूप से कार्य कर सकती हैं। यह दृष्टिकोण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और कार्यबल में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु है।

163. (D) औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में न्याय में विलंब।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत त्वरित न्याय का प्रावधान भारतीय श्रम न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी विफलता—देरी—को संबोधित करता है। पुराने कानूनों के तहत, एक साधारण विवाद को सुलझाने में भी वर्षों लग जाते थे, जिससे श्रमिकों का मनोबल गिरता था और औद्योगिक अशांति बढ़ती थी। नवीन संहिता सुलह और न्यायिक निर्णय हेतु अनिवार्य समय-सीमा लागू करके इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय समय पर मिले, जिससे विवादों का बोझ कम हो और श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों का समय और संसाधन बचे।

164. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का एक प्रमुख स्तंभ कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जैसे पुराने सामाजिक बीमा कानूनों का एकीकरण है। इस समेकन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा एकल खिड़की ढांचा तैयार करना है जो सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों को नियंत्रित करे। इससे न केवल प्रशासनिक जटिलताएं कम होती हैं, बल्कि विभिन्न कानूनों के मध्य मौजूद विरोधाभास भी समाप्त होते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण नियोक्ताओं हेतु अनुपालन को सरल बनाता है और श्रमिकों के लिए अपने भविष्य के लाभों को ट्रैक करना और प्राप्त करना सुगम बनाता है।

165. (A) मातृत्व लाभ।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को वे बुनियादी लाभ प्रदान करना है जो पहले केवल संगठित क्षेत्र हेतु उपलब्ध थे। इसमें मातृत्व लाभ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके माध्यम से सरकार असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को प्रसव के दौरान और उसके बाद वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह न केवल महिला श्रमिक के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें मातृत्व के दौरान अपने अधिकारों और गरिमा से समझौता न करना पड़े।

166. (B) शिकायत निवारण समिति के पास शिकायत दर्ज करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति का गठन प्रत्येक 20 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में अनिवार्य है। यह तंत्र त्वरित न्याय की दिशा में प्रथम और सबसे तात्कालिक कदम है। यदि किसी श्रमिक को अनुशासनात्मक कार्रवाई या किसी अन्य कार्यस्थल संबंधी मुद्दे से समस्या है, तो वह सीधे इस आंतरिक समिति से संपर्क कर सकता है। यह समिति श्रमिक और प्रबंधन के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है और विवादों का समाधान आपसी संवाद के माध्यम से, कम समय में और बिना किसी कानूनी खर्च के करने का प्रयास करती है।

167. (A) वह किसी भी अन्य श्रमिक के समान अधिकारों और प्रोटोकॉल की पात्र है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को वैधानिक रूप से स्थापित करती है। यदि किसी महिला को रासायनिक कारखाने जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में नियुक्त किया जाता है, तो संहिता उसे पुरुषों के समान ही सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण और अधिकारों का हकदार बनाती है। नियोक्ता उसे केवल महिला होने के आधार पर आवश्यक प्रशिक्षण या सुरक्षा उपकरणों से वंचित नहीं कर सकता। यह सशक्तिकरण उसे कार्यस्थल पर एक समान और सुरक्षित दर्जा प्रदान करता है, जिससे वह अपनी पूरी क्षमता के साथ और बिना किसी भेदभाव के अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम होती है।

168. (C) नियोक्ता द्वारा मनमानी कटौती और विलंबित भुगतान।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का प्रावधान श्रमिकों को नियोक्ता की आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग से बचाने के लिए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता बिना किसी वैधानिक आधार के कर्मचारी के वेतन से धन नहीं काट सकता। साथ ही, यह वेतन भुगतान हेतु एक अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित करता है, जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है। यह कानूनी आश्वासन श्रमिक को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उसके परिश्रम का फल उसे पूर्ण और समय पर मिले, जो कि उसके बुनियादी मानवाधिकारों का हिस्सा है।

169. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की नवीन परिभाषा का सामाजिक सुरक्षा के साथ गहरा और सीधा संबंध है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से स्पष्ट करते हैं कि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों हेतु किए जाने वाले अंशदान की गणना कर्मचारी के वेतन के आधार पर होती है। परिभाषा में स्पष्टता होने से नियोक्ता भत्तों को वेतन से बाहर रखकर अंशदान कम करने का प्रयास नहीं कर सकते। यह पारदर्शिता श्रमिकों के

दीर्घकालिक कल्याण कोष में सही राशि जमा होना सुनिश्चित करती है, जिससे उनके सेवानिवृत्ति लाभ सुरक्षित रहते हैं।

170. (C) एक पथ विक्रेता (स्ट्रीट वेंडर)।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक वे होते हैं जिनका कोई औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता और जो दैनिक आधार पर अपनी आजीविका कमाते हैं। एक पथ विक्रेता इसका सटीक उदाहरण है। उनके पास न तो कोई निश्चित वेतन होता है और न ही भविष्य निधि या पेंशन जैसे लाभ। संहिता का उद्देश्य इन सुभेद्य वर्गों की पहचान करना और उन्हें एक डिजिटल डेटाबेस के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। यह उन्हें बीमारी या वृद्धावस्था के समय एक वैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान करने का ऐतिहासिक प्रयास है।

171. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
श्रम संहिताओं में श्रमिकों का वर्गीकरण उनकी कार्य प्रकृति और संबंधों को दर्शाता है। एक कुशल श्रमिक विशिष्ट विशेषज्ञता और प्रशिक्षण रखता है, जबकि अकुशल श्रमिक सरल कार्यों को बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के पूरा करता है। गिग श्रमिक वे हैं जो पारंपरिक रोजगार ढाँचे से बाहर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। प्लेटफॉर्म श्रमिक डिजिटल अनुप्रयोग के माध्यम से अपनी सेवाएँ प्रदान कर कमाई करते हैं। ये श्रेणियाँ सरकार को अलग-अलग प्रकार के श्रमिकों हेतु अधिक सटीक और प्रभावी कल्याणकारी नीतियां तथा सुरक्षा मानक बनाने में सहायता प्रदान करती हैं।

172. (C) नियोजन के दौरान लगी चोट से विकलांगता या मृत्यु।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के मुआवजे के प्रावधान पूरी तरह से नियोजन के जोखिमों पर केंद्रित हैं। यह मुआवजा केवल तभी देय होता है जब किसी श्रमिक को कार्य करते समय या कार्य के कारण कोई शारीरिक चोट लगती है, जिससे उसकी उपार्जन क्षमता कम हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यह नियोक्ता की वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह ऐसी आपदाओं के समय श्रमिक या उसके परिवार को वित्तीय राहत प्रदान करे। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल की दुर्घटनाओं का आर्थिक बोझ अकेले श्रमिक के परिवार को न उठाना पड़े।

173. (D) विवादों के समाधान के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी उपकरण समयबद्धता है। संहिता सुलह अधिकारियों, शिकायत निवारण समितियों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों हेतु विवादों को निपटाने हेतु स्पष्ट और अनिवार्य समय-मर्यादाएँ तय करती है। उदाहरण के लिए, न्यायाधिकरणों को एक निश्चित अवधि में अपना निर्णय देना होता है। यह सुधार पुराने कानूनों की अंतहीन कानूनी प्रक्रियाओं को समाप्त करता है, जिससे श्रमिकों को शीघ्र न्याय मिलता है और उद्योगों में होने वाली अनिश्चितता तथा अशांति कम होती है, जो आर्थिक विकास हेतु अनिवार्य है।

174. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं के अधिकारों का विस्तार तो करती है, लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती। यह सही है कि महिलाएँ अब खनन जैसे पहले प्रतिबंधित क्षेत्रों में कार्य कर सकती हैं, परंतु यह अनुमति पूर्ण या बिना शर्त नहीं है। संहिता स्पष्ट रूप से अनिवार्य करती है कि नियोक्ता को ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में महिला श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी विशिष्ट सुरक्षा मानकों, स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करना होगा। यह सशक्तिकरण और सुरक्षा के मध्य एक जिम्मेदार वैधानिक संतुलन का उदाहरण है।

175. (D) 1, 2 और 3
वेतन संहिता 2019 भारतीय श्रम बाजार में व्यापक सुधार लाती है। यह सभी क्षेत्रों के श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन की वैधानिक गारंटी सुनिश्चित करती है और वेतन की परिभाषा को मानकीकृत कर विसंगतियों को दूर करती है। इसके अतिरिक्त, यह वेतन के समय पर भुगतान को एक अनिवार्य कानूनी दायित्व बनाती है। ये तीनों पक्ष मिलकर श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, नियोक्ताओं हेतु अनुपालन को सरल बनाते हैं और एक पारदर्शी पारिश्रमिक प्रणाली का निर्माण करते हैं, जो श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

176. (B) यह एक आधार रेखा है जिससे नीचे राज्य सरकारें वेतन तय नहीं कर सकती हैं।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत आधारभूत वेतन की अवधारणा देशभर में वेतन की एक आधारभूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। केंद्र सरकार पूरे देश या विशिष्ट क्षेत्रों हेतु एक न्यूनतम आर्थिक सीमा अधिसूचित करती है। राज्य सरकारों को अपने क्षेत्रों हेतु अलग न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार है, परंतु वे इसे केंद्र द्वारा निर्धारित इस आधारभूत वेतन से कम नहीं रख सकतीं। यह प्रावधान क्षेत्रीय वेतन असमानताओं को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी राज्य में श्रमिकों को सम्मानजनक निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम राशि प्राप्त हो।

177. (D) नियोक्ता की कंपनी में लाभ-साझाकरण (Profit-sharing)।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित श्रमिकों हेतु एक बुनियादी सुरक्षा जाल बनाने पर केंद्रित है। इसमें जीवन और विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य लाभ, मातृत्व सहायता और वृद्धावस्था संरक्षण जैसी अनिवार्य योजनाएँ सम्मिलित हैं। ये लाभ श्रमिकों के जीवन के जोखिमों को कम करने हेतु हैं। लाभ-साझाकरण आमतौर पर संगठित व्यावसायिक क्षेत्र की एक नीति है और इसे वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ की श्रेणी में नहीं रखा जाता। संहिता का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आपदाओं के समय सुभेद्य श्रमिकों को वित्तीय और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना है।

178. (B) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारतीय कानून में एक क्रांतिकारी बदलाव है क्योंकि यह पहली बार अनुप्रयोग-

आधारित टैक्सी चालकों जैसे प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाती है। ये श्रमिक पहले किसी भी विधायी सुरक्षा से वंचित थे क्योंकि उन्हें पारंपरिक कर्मचारी नहीं माना जाता था। अब, संहिता उन्हें एक कानूनी पहचान प्रदान करती है और सरकार को उनके कल्याण हेतु विशेष कोष और बीमा योजनाएँ बनाने का अधिकार देती है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है।

179. (A) शिशुगृह (क्रेच) सुविधा।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यस्थल पर बुनियादी ढांचागत सुधारों पर बल दिया गया है। संहिता यह अनिवार्य करती है कि जिन प्रतिष्ठानों में 50 या अधिक कर्मचारी हैं, वहाँ नियोक्ता को बच्चों हेतु शिशुगृह की सुविधा प्रदान करनी होगी। यह प्रावधान कामकाजी माताओं हेतु बड़ा सहारा है, क्योंकि यह उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के प्रति निश्चिंत होकर कार्य करने की अनुमति देता है। यह न केवल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाता है, बल्कि कार्य और पारिवारिक जीवन के मध्य संतुलन बनाने में भी सहायता करता है।

180. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का एक प्रमुख दर्शन विवादों का स्रोत पर समाधान है। इसके लिए प्रत्येक 20 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति की स्थापना अनिवार्य की गई है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से बताते हैं कि यह तंत्र व्यक्तिगत विवादों को शीघ्र और आंतरिक रूप से हल करने हेतु बनाया गया है। जब समस्याओं का निपटारा उद्यम स्तर पर ही हो जाता है, तो श्रमिकों को लंबी अदालती प्रक्रियाओं से बचकर तुरंत राहत मिलती है, जो त्वरित न्याय के वैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

181. (D) जैसे ही नियोजन के दौरान किसी दुर्घटना में व्यक्तिगत चोट लगती है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मुआवजे का वैधानिक दायित्व घटना-आधारित है। जैसे ही किसी श्रमिक को उसके नियोजन के दौरान और उसके कारण कोई दुर्घटना होती है जिससे उसे चोट पहुँचती है, मुआवजा देने का दायित्व तुरंत उत्पन्न हो जाता है। यहाँ किसी अदालती आदेश या लंबी जाँच की प्रतीक्षा करना अनिवार्य नहीं है; चोट लगना ही मुआवजे के अधिकार को सक्रिय कर देता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने हेतु है कि घायल श्रमिक को चिकित्सा उपचार और आय की हानि की भरपाई हेतु बिना किसी अनावश्यक विलंब के वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

182. (B) यह सुनिश्चित करके कि PF और ESI के लिए 'वेतन' स्पष्ट रूप से परिभाषित है।
वेतन संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती है। संहिता वेतन के घटकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जो भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों की गणना का आधार होते हैं। परिभाषा में यह स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता भत्तों के माध्यम से वेतन को कम नहीं दिखा सकते, जिससे श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अंशदान सुरक्षित रहता है। इस प्रकार, पारदर्शी वेतन संरचना सीधे तौर पर श्रमिकों के सेवानिवृत्ति लाभों और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने का कार्य करती है।

183. (B) औद्योगिक संघर्ष को कम करना और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत त्वरित न्याय का व्यापक उद्देश्य केवल कानूनी प्रक्रिया को तेज करना नहीं, बल्कि औद्योगिक पारितंत्र में विश्वास और शांति स्थापित करना है। जब विवादों का समाधान समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से होता है, तो इससे श्रमिकों में असंतोष कम होता है और नियोक्ताओं हेतु व्यावसायिक स्थिरता बढ़ती है। यह सामंजस्यपूर्ण वातावरण संघर्षों, हड़तालों और तालाबंदी की संभावना को कम करता है। अंततः, यह औद्योगिक संबंधों को मजबूत बनाता है जो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और उत्पादकता के लिए अनिवार्य आधार है।

184. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 का दृष्टिकोण अत्यंत समावेशी है। यह कहना गलत है कि यह केवल पुरुषों पर केंद्रित है; वास्तव में, संहिता महिला श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण हेतु विशिष्ट और व्यापक प्रावधान प्रस्तुत करती है। इसमें महिलाओं को सभी क्षेत्रों में कार्य का अधिकार, रात्रि पाली हेतु उनकी सहमति की अनिवार्यता और उनके लिए कार्यस्थल पर विशेष कल्याणकारी सुविधाएँ सुनिश्चित करना सम्मिलित है। संहिता का उद्देश्य सभी लिंगों के श्रमिकों हेतु एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करना है।

185. (A) गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारतीय श्रम इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है क्योंकि यह पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को विधायी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करती है। पहले ये श्रमिक श्रम कानूनों के दायरे से बाहर थे क्योंकि वे पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में नहीं आते थे। संहिता उन्हें परिभाषित कर सरकार को उनके लिए विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य लाभ, के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। यह डिजिटल युग की बदलती कार्य संस्कृति में सुभेद्य श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का एक प्रगतिशील प्रयास है।

186. (B) वेतन की चोरी और विलंबित भुगतान।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी का प्रावधान श्रमिकों के सबसे बुनियादी आर्थिक अधिकार को सुरक्षित करने हेतु बनाया गया है। यह समस्या, जहाँ नियोक्ता वेतन देने में अनावश्यक देरी करते हैं या अनुचित कटौती करते हैं, इस कानून के माध्यम से संबोधित की गई है। संहिता भुगतान हेतु सख्त समय-सीमा निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक को उसका पूर्ण अर्जित पारिश्रमिक प्राप्त हो। यह सुरक्षा श्रमिकों को वित्तीय अस्थिरता से बचाती है और

204. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से कार्यस्थल की सुरक्षा और अनुकूल स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करती है। अभिकथन सही है क्योंकि यह सशक्तिकरण को अपना एक प्रमुख विषय मानती है। हालाँकि, कारण में उल्लेखित समान कार्य हेतु समान पारिश्रमिक का विशिष्ट वैधानिक प्रावधान मुख्य रूप से वेतन संहिता 2019 का हिस्सा है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता का ध्यान प्राथमिक रूप से महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नियोजन के समान अवसर देने और उनकी भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर रहता है। अतः दोनों संहिताएँ मिलकर महिला अधिकारों को पूर्ण करती हैं।

205. (B) नियोजन के दौरान लगी चोट के कारण उपार्जन क्षमता की हानि।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का भुगतान कर्मचारी की शारीरिक अक्षमता के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु किया जाता है। यदि कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना के कारण श्रमिक को चोट लगती है और वह पूर्णतः या आंशिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो संहिता उसे मुआवजा दिलाने की गारंटी देती है। यह मुआवजा उसकी उपार्जन क्षमता में हुई कमी के आधार पर तय किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चोट के कारण श्रमिक और उसका परिवार आर्थिक तबाही का शिकार न हो।

206. (C) सभी श्रमिक, जिनमें कुशल, अकुशल और संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सम्मिलित हैं।
वेतन संहिता 2019 का सबसे प्रगतिशील पक्ष इसकी सार्वभौमिकता है। वेतन की गारंटी का अधिकार किसी विशिष्ट वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के प्रत्येक श्रमिक पर लागू होता है। चाहे कोई बड़े कारखाने में कुशल अभियंता हो या किसी छोटे उद्यम में अकुशल मजदूर, या फिर असंगठित क्षेत्र का कोई दिहाड़ी श्रमिक, सभी को समय पर और पूर्ण वेतन पाने का वैधानिक अधिकार है। यह व्यापक दृष्टिकोण भारतीय श्रम बाजार के सबसे सुभेद्य वर्गों को भी कानूनी सुरक्षा और आर्थिक गरिमा प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

207. (D) बोनस भुगतान।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत बोनस का नियमितीकरण श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संहिता उन प्रतिष्ठानों हेतु बोनस के भुगतान को अनिवार्य और सुव्यवस्थित बनाती है जहाँ कर्मचारी कार्य करते हैं। यह लाभ केवल अतिरिक्त आय नहीं है, बल्कि यह श्रमिक के परिश्रम के प्रतिफल और कंपनी के लाभ में उसके हिस्से को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है। बोनस के नियमों को स्पष्ट करके, संहिता यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों को उनके देय लाभों से मनमाने ढंग से वंचित न किया जाए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है।

208. (A) सुलह और मध्यस्थता को संयोजित करने का विकल्प।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक और लचीले तंत्र प्रदान करती है ताकि न्याय शीघ्र मिल सके। यह सुलह और मध्यस्थता की प्रक्रियाओं को एकीकृत करने का विकल्प देती है, जिससे विवादों को लंबी अदालती कार्यवाहियों के बिना आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। यह दृष्टिकोण न केवल समय की बचत करता है, बल्कि श्रमिक और नियोक्ता के मध्य कड़वाहट को भी कम करता है। समाधान के लिए ऐसे विविध और कुशल विकल्पों की उपलब्धता ही संहिता के त्वरित न्याय के उद्देश्य को धरातल पर उतारने में सहायक होती है।

209. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 का महिलाओं को रात्रि पाली में कार्य की अनुमति देना एक ऐतिहासिक सुधार है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से स्पष्ट करते हैं कि इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक अवसरों को विस्तारित करना है ताकि वे उन उद्योगों में भी समान रूप से भाग ले सकें जो चौबीसों घंटे संचालित होते हैं। सुरक्षा उपायों और स्पष्ट सहमति की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती है कि यह सशक्तिकरण महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की कीमत पर न हो। यह समावेशी कार्य संस्कृति के प्रति एक प्रगतिशील कदम है।

210. (A) विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवर होने की पात्रता।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत एक घरेलू बुनकर जैसे असंगठित श्रमिक के लिए सबसे बड़ा लाभ उन्हें औपचारिक सुरक्षा ढांचे से जोड़ने का है। पंजीकरण के माध्यम से, वह सरकार द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र हेतु बनाई गई स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाओं की पात्र हो जाती है। यह वैधानिक मान्यता उसे केवल एक श्रमिक के रूप में पहचान ही नहीं देती, बल्कि जीवन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक आर्थिक रक्षा कवच भी प्रदान करती है, जो पहले उसके लिए अप्राप्य था।

211. (B) P-4, Q-3, R-1, S-2
श्रम संहिताओं के विभिन्न प्रावधानों के पीछे गहरे सामाजिक-आर्थिक विचार निहित हैं। कर्मचारी मुआवजा कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। न्यूनतम वेतन का प्रावधान श्रमिकों हेतु बुनियादी निर्वाह और शोषण से मुक्ति का आधार है। शिकायत निवारण समिति प्रतिष्ठान के भीतर ही विवादों के आंतरिक और त्वरित समाधान को प्रोत्साहित करती है। अंत में, शिशुगृह की सुविधा कार्यस्थल पर महिलाओं को सहायता प्रदान कर उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। ये सभी तत्व मिलकर एक न्यायपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करते हैं।

212. (D) कर्मचारी का धर्म।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत कर्मचारी मुआवजे की गणना पूर्णतः निष्पक्ष और वैज्ञानिक मापदंडों पर आधारित है। इसमें कर्मचारी का मासिक वेतन, उसकी आयु और हुई विकलांगता या चोट की सीमा जैसे वस्तुनिष्ठ कारकों का उपयोग किया जाता है। भारतीय कानून और विशेष रूप से श्रम संहिताएँ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करती हैं। अतः, मुआवजे के निर्धारण

रात्रि पाली में कार्य करने का समान अवसर प्रदान करती है और खतरनाक माने जाने वाले उद्योगों में उनके नियोजन पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाती है। साथ ही, यह उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नियोक्ता पर सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व डालती है। शिशुगृह जैसी अनिवार्य सुविधाएँ कामकाजी माताओं हेतु आर्थिक भागीदारी को सुगम बनाती हैं। ये सभी उपाय लैंगिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

196. (B) आकस्मिकताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष तक पहुँच।
निर्माण स्थल पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर असंगठित क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो पारंपरिक रूप से किसी भी वैधानिक सुरक्षा जाल से बाहर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 इन श्रमिकों हेतु एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष के माध्यम से लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखती है। इस कोष का उपयोग उन्हें बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु या वृद्धावस्था जैसी आकस्मिकताओं के समय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संकट के समय इन सुभेद्य श्रमिकों को भी राज्य द्वारा समर्थित एक औपचारिक सुरक्षा कवच प्राप्त हो सके।

197. (B) जीवन भर के लिए नियोजन की गारंटी।
वेतन संहिता 2019 का मुख्य केंद्र बिंदु श्रमिक के पारिश्रमिक के अधिकारों को सुरक्षित करना है। इसके अंतर्गत वेतन की गारंटी का अर्थ है कि श्रमिक को कम से कम अधिसूचित न्यूनतम वेतन मिले, उसका भुगतान समय पर हो और वेतन से कोई अनधिकृत कटौती न की जाए। यह प्रावधान आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा है। हालाँकि, यह संहिता आजीवन नियोजन या नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देती। नियोजन का कार्यकाल और सेवा की समाप्ति अन्य कानूनों और व्यक्तिगत सेवा अनुबंधों की शर्तों द्वारा निर्धारित की जाती है।

198. (C) औद्योगिक निवेश और श्रमिक कल्याण दोनों।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय का प्रावधान एक संतुलित औद्योगिक वातावरण निर्मित करने हेतु है। श्रमिकों हेतु, इसका अर्थ है कि उनकी शिकायतों का निवारण शीघ्र होगा, जिससे उनके कल्याण की रक्षा होगी। नियोक्ताओं हेतु, विवादों का तीव्र समाधान अनिश्चितता को कम करता है और एक स्थिर व्यावसायिक माहौल प्रदान करता है, जो निवेश को आकर्षित करने हेतु आवश्यक है। जब न्याय प्रणाली कुशल होती है, तो यह औद्योगिक संघर्षों को कम करती है और आर्थिक विकास तथा उत्पादकता को बढ़ावा देती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

199. (A) सुरक्षात्मक लेकिन भेदभावपूर्ण।
ऐतिहासिक रूप से, कई श्रम कानूनों ने महिलाओं को कुछ विशिष्ट उद्योगों या रात्रि पाली में कार्य से प्रतिबंधित किया था। यद्यपि इन्हें सुरक्षात्मक माना गया था, परंतु व्यवहार में इन्होंने महिलाओं के आर्थिक अवसरों को सीमित कर दिया और उनके नियोजन में बाधा उत्पन्न की, जो अंततः भेदभावपूर्ण सिद्ध हुआ। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 इन ऐतिहासिक बाधाओं को हटाती है और यह मानती है कि महिलाओं को सुरक्षा देने का अर्थ उन्हें अवसरों से वंचित करना नहीं है। संहिता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए समान अधिकार प्रदान कर लैंगिक न्याय को सुदृढ़ करती है।

200. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मुख्य उद्देश्य पूर्ववर्ती नौ बिखरे हुए श्रम कानूनों, जिसमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम भी सम्मिलित है, को एक सुसंगत और एकीकृत ढांचे में लाना है। अभिकथन सही है क्योंकि यह समेकन को दर्शाता है। हालाँकि, कारण पूर्णतः गलत है क्योंकि इस एकीकरण का लक्ष्य भ्रम पैदा करना नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं को सरल और स्पष्ट बनाना है। एक एकल संहिता होने से अनुपालन आसान हो जाता है और श्रमिकों हेतु अपने मुआवजे के दावों को समझना और प्राप्त करना अधिक सुलभ हो जाता है।

201. (A) कार्य के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का स्तर।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत कुशल श्रमिक हेतु न्यूनतम वेतन का निर्धारण योग्यता और विशेषज्ञता के आधार पर किया जाता है। इसमें कार्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान, पूर्व प्रशिक्षण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। चूंकि कुशल कार्य अधिक जटिल होता है और इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके लिए निर्धारित वेतन दर अकुशल कार्यों से उच्च होती है। यह व्यवस्था श्रम के मूल्य का उचित मूल्यांकन करती है और श्रमिकों को कौशल विकास हेतु प्रोत्साहित करती है।

202. (A) कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 द्वारा असंगठित श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह अनुच्छेद राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर कार्य के अधिकार और बीमारी, वृद्धावस्था या अंग-हीनता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। असंगठित कार्यबल को स्वास्थ्य, बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़कर, संहिता इस संवैधानिक वादे को निभाने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

203. (C) आंतरिक शिकायत निवारण समिति के माध्यम से समाधान।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत त्वरित न्याय का मूल दर्शन विवादों का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान करना है। अतिरिक्त समय जैसे विवादों हेतु, प्रथम और अनिवार्य कदम प्रतिष्ठान के भीतर शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना है। यह द्विपक्षीय समिति श्रमिक और प्रबंधन के मध्य संवाद का माध्यम बनती है ताकि समस्या को बिना बाहरी कानूनी हस्तक्षेप के जल्दी और प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सके। यह आंतरिक प्रक्रिया विवादों को बढ़ने से रोकती है और औद्योगिक शांति तथा कार्यकुशलता बनाए रखने में सहायक होती है।

उन्हें नियोक्ता के संभावित शोषण के विरुद्ध वैधानिक संरक्षण प्रदान करती है।

187. (B) नियोक्ता का उत्तरदायित्व बीमा।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मुआवजे का प्रावधान नियोक्ता पर एक वैधानिक उत्तरदायित्व डालता है। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि चूंकि कर्मचारी नियोक्ता हेतु कार्य करते समय जोखिम उठाता है, इसलिए किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है। कई नियोक्ता इस जोखिम को कवर करने हेतु बीमा लेते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित पक्ष को वैधानिक आर्थिक सहायता प्राप्त हो, जो उनके पुनर्वास और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है।

188. (B) सहमति प्राप्त करने के बाद रात्रि पाली की भूमिका के लिए एक महिला को नियुक्त करना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उनके कार्य के अवसरों का विस्तार करती है। पूर्व में, कई उद्योगों में महिलाओं के रात्रि कार्य पर प्रतिबंध था। नवीन संहिता इस बाधा को हटाती है और नियोक्ताओं को यह अधिकार देती है कि वे रात्रि पाली हेतु महिलाओं को नियुक्त कर सकें, बशर्ते संबंधित महिला इसके लिए अपनी स्पष्ट सहमति दे। इसके साथ ही, नियोक्ता को उनकी सुरक्षा और परिवहन हेतु वैधानिक मानकों का पालन करना होगा। यह कदम कार्यबल में लैंगिक समानता और समावेशिता को प्रोत्साहित करता है।

189. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विधायी संरक्षण प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अभिकथन सही है क्योंकि संहिता उनके लिए विशिष्ट प्रावधान करती है। हालाँकि, कारण पूर्णतः गलत है। संहिता असंगठित श्रमिकों हेतु सांसदों के समान वेतन का वादा नहीं करती; इसके बजाय, यह उन्हें जीवन के बुनियादी जोखिमों जैसे स्वास्थ्य, विकलांगता और वृद्धावस्था के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु कल्याणकारी योजनाएँ बनाने का ढांचा प्रदान करती है। इसका लक्ष्य वेतन समानता नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा कवच का विस्तार है।

190. (B) विशेषज्ञता और प्रयास के विभिन्न स्तरों को पहचानना।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत श्रमिकों का वर्गीकरण श्रम के मूल्य का सटीक आकलन करने हेतु किया गया है। कार्य की जटिलता, आवश्यक प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रेणियों हेतु अलग-अलग न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की जाती हैं। यह मान्यता प्रदान करता है कि एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ को उसके कौशल हेतु उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक न्याय सुनिश्चित करती है, बल्कि श्रमिकों को अपने कौशल को विकसित करने और उत्पादकता बढ़ाने हेतु निरंतर प्रोत्साहित भी करती है।

191. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
श्रम संहिताओं की विभिन्न अवधारणाएँ विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूर्ण करती हैं। वेतन की गारंटी का प्राथमिक लक्ष्य श्रमिकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। महिला सशक्तिकरण के प्रावधानों का उद्देश्य कार्यस्थल पर लैंगिक समानता और समान अवसरों को बढ़ावा देना है। त्वरित न्याय का तंत्र कानूनी विवादों में लगने वाले समय और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए है। अंत में, असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा का विस्तार उन्हें एक औपचारिक और सुरक्षित भविष्य प्रदान करता है। ये सभी तत्व मिलकर एक न्यायपूर्ण श्रम व्यवस्था का निर्माण करते हैं।

192. (B) मामलों के निपटान के लिए विशिष्ट समय सीमा अनिवार्य करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 औद्योगिक न्याय प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। यह संहिता सुलह की प्रक्रिया और औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय सुनाने हेतु सख्त और अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित करती है। पूर्व में, निश्चित समय-सीमा के अभाव में विवाद वर्षों तक लंबित रहते थे, जिससे न्याय की मूल भावना ही समाप्त हो जाती थी। नवीन प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक औद्योगिक विवाद का समाधान एक तार्किक और पूर्व-निर्धारित अवधि के भीतर हो, जिससे श्रमिकों को समय पर राहत मिले और उद्योगों में अनिश्चितता समाप्त हो सके।

193. (C) नियोक्ता का।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत, नियोजन से संबंधित किसी भी चोट या दुर्घटना हेतु मुआवजे का भुगतान करना नियोक्ता का एक वैधानिक उत्तरदायित्व है। यह कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि चूंकि श्रमिक नियोक्ता के व्यवसाय हेतु कार्य करते हुए जोखिम उठाता है, इसलिए उस जोखिम के परिणाम की जिम्मेदारी भी नियोक्ता की होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना नियोक्ता का कर्तव्य है कि घायल श्रमिक या मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को कानून द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि बिना किसी अनावश्यक विलंब के प्राप्त हो।

194. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
दोनों संहिताएँ श्रमिकों हेतु एक व्यापक सुरक्षा जाल बनाने में पूरक भूमिका निभाती हैं। वेतन संहिता वेतन की स्पष्ट परिभाषा के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना पारदर्शी और सटीक हो। वहीं, व्यावसायिक सुरक्षा संहिता कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कड़े सुरक्षा मानक और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करती है। इस प्रकार, जहाँ एक संहिता श्रमिक की आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करती है, वहीं दूसरी उसकी शारीरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देती है, जो समग्र कल्याण हेतु आवश्यक है।

195. (D) 1, 2 और 3
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण हेतु क्रांतिकारी बदलाव लाती है। यह उन्हें उनकी सहमति के साथ

में श्रमिक का धर्म कोई कारक नहीं होता है, जिससे सभी को समान न्याय सुनिश्चित होता है।

213. (C) अपने श्रम का फल प्राप्त करने का अधिकार।
वेतन संहिता 2019 वेतन के समय पर भुगतान की गारंटी देकर श्रमिक के परिश्रम के मूल्य की रक्षा करती है। प्रत्येक श्रमिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसने जो श्रम किया है, उसका पारिश्रमिक उसे बिना किसी अनुचित विलंब या अवैध कटौती के मिले। जब कानून नियोक्ता को भुगतान की समय-सीमा का पालन करने हेतु बाध्य करता है, तो वह वास्तव में श्रमिक के आर्थिक फल प्राप्त करने के अधिकार को बनाए रखता है। यह न केवल श्रमिक की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है, बल्कि कार्यस्थल पर उसकी गरिमा और न्याय को भी सुनिश्चित करता है।

214. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में एकमात्र वार्ताकार संघ का प्रावधान औद्योगिक संबंधों को अधिक संगठित और स्थिर बनाने के लिए किया गया है। अभिकथन सही है क्योंकि यह एक मुख्य प्रतिनिधि संघ को मान्यता देता है जो श्रमिकों की ओर से नियोक्ता के साथ सामूहिक सौदेबाजी करता है। हालाँकि, कारण पूर्णतः गलत है। इस प्रावधान का उद्देश्य अराजकता फैलाना नहीं, बल्कि कई छोटे और प्रतिस्पर्धी संघों के कारण होने वाले भ्रम और संघर्ष को समाप्त करना है। यह वार्ता की प्रक्रिया को सरल, तीव्र और अधिक विश्वसनीय बनाता है।

215. (D) 1, 2 और 3
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 एक व्यापक विधायी सुधार है जो कई पुराने और महत्वपूर्ण कानूनों को एक ही ढांचे में एकीकृत करती है। इसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम— इन तीनों के प्रावधानों को समेकित किया गया है। इस एकीकरण का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पक्षों, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, गर्भावस्था के दौरान सहायता और कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं हेतु वित्तीय राहत को एक सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना है, जिससे श्रमिकों हेतु लाभ प्राप्त करना सरल हो सके।

216. (C) नियोजन में लैंगिक समानता और गैर-भेदभाव।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 का महिलाओं को सभी क्षेत्रों और रात्रि पाली में कार्य का अधिकार देना नियोजन में समानता के सिद्धांत का प्रतिबिंब है। यह उन सभी पुरानी बाधाओं को हटाता है जो महिलाओं को उनकी योग्यता के आधार पर कुछ विशिष्ट उद्योगों में प्रवेश करने से रोकती थीं। संहिता यह मानती है कि सुरक्षा के नाम पर महिलाओं के अवसरों को सीमित करना एक प्रकार का भेदभाव है। सुरक्षा मानकों और सहमति की शर्तों के साथ, यह प्रावधान महिलाओं को पुरुषों के समान प्रतिस्पर्धी और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

217. (A) PF/ESI गणना के लिए राशि पर विवादों को रोककर।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की मानकीकृत और स्पष्ट परिभाषा का सीधा लाभ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मिलता है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों हेतु अंशदान की गणना कर्मचारी के वेतन के आधार पर की जाती है। पहले, वेतन के घटकों में स्पष्टता न होने के कारण नियोक्ताओं और कर्मचारियों के मध्य अक्सर विवाद होते थे, जिससे अंशदान में देरी आती थी। नवीन परिभाषा इन अस्पष्टताओं को समाप्त करती है, जिससे गणना सटीक होती है और श्रमिकों के दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा लाभ बिना किसी कानूनी बाधा के सुनिश्चित होते हैं।

218. (A) उच्च न्यायालय में।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश न्यायिक प्रकृति के होते हैं। यदि कोई पक्ष न्यायाधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो न्यायिक प्रणाली के अनुसार अपील करने का उचित मंच उच्च न्यायालय है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि औद्योगिक विवादों के समाधान में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाए और किसी भी त्रुटि को उच्च न्यायिक स्तर पर सुधारा जा सके। यह कानूनी ढांचा औद्योगिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

219. (D) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य भारत के विशाल और बिखरे हुए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक व्यवस्थित पहचान प्रदान करना है। संहिता सरकार को इन श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और उनके पंजीकरण का आदेश देती है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डेटाबेस के अभाव में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाता था। पंजीकरण के माध्यम से, असंगठित श्रमिकों को एक विशिष्ट पहचान प्राप्त होती है, जो उन्हें स्वास्थ्य, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने हेतु पात्र बनाती है।

220. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वेतन संहिता 2019 का उद्देश्य केवल न्यूनतम वेतन तय करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि वह श्रमिक के हाथ में समय पर और पूर्ण रूप से पहुँचे। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से स्पष्ट करते हैं कि कुशल और अकुशल श्रमिकों हेतु वेतन की गारंटी तभी प्रभावी होती है जब भुगतान की समय-सीमा अनिवार्य हो। साथ ही, मनमानी कटौती पर प्रतिबंध यह सुनिश्चित करता है कि अर्जित पारिश्रमिक सुरक्षित रहे। ये वैधानिक उपाय सामूहिक रूप से श्रमिकों की आर्थिक गरिमा और जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं।

221. (B) विकलांगता की अवधि के दौरान अर्ध-मासिक भुगतान।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत अस्थायी विकलांगता की स्थिति में मुआवजा श्रमिक को उसकी बीमारी या चोट से उबरने की अवधि के दौरान आर्थिक सहारा देने हेतु बनाया गया है। इसमें श्रमिक को आमतौर पर अर्ध-मासिक

तथा जटिल कार्यों को करने हेतु स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखता है। कौशल का अर्थ केवल उच्च शिक्षा नहीं, बल्कि कार्य की बारीकियों की समझ और उसमें दक्षता होना है। चूंकि कुशल कार्य अधिक जिम्मेदारी और विशेषज्ञता की मांग करते हैं, इसलिए संहिता उनके लिए उच्च न्यूनतम वेतन दर सुनिश्चित करती है। यह श्रम की गुणवत्ता को मान्यता देने और श्रमिकों को पेशेवर रूप से विकसित होने हेतु प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी तरीका है।

239. (B) औद्योगिक सद्भाव और आर्थिक विकास।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय का अंतिम लक्ष्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ विवाद औद्योगिक प्रगति में बाधा न बनें। जब श्रमिकों की शिकायतों का निवारण और नियोक्ताओं के विवादों का समाधान शीघ्र होता है, तो कार्यस्थल पर अविश्वास और संघर्ष कम होता है। यह औद्योगिक सद्भाव उत्पादन को बढ़ाता है और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता है, जो अंततः देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। अतः, त्वरित न्याय केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह राष्ट्र की उत्पादकता और सामाजिक शांति का एक महत्वपूर्ण आधार है।

240. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का दृष्टिकोण अत्यंत समावेशी और दूरदर्शी है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से स्पष्ट करते हैं कि पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को विधायी ढांचे में शामिल करना एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने का प्रयास है। पूर्व में, करोड़ों श्रमिक औपचारिक सुरक्षा जाल से बाहर थे। नवीन संहिता उन्हें परिभाषित और पंजीकृत कर उनके लिए स्वास्थ्य, बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है। यह राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि प्रत्येक श्रमिक सुरक्षा का पात्र है।

241. (B) सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का अधिकार।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार लाती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों और उद्योगों में नियोजित होने का वैधानिक अधिकार प्रदान करना है, जिसमें वे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जो पहले उनके लिए प्रतिबंधित थे। संहिता यह मानती है कि महिलाओं को कार्य से रोकना उनके अधिकारों का हनन है। उचित सुरक्षा मानकों और उनकी सहमति के साथ, यह प्रावधान महिलाओं को पुरुषों के समान करियर विकल्पों और आर्थिक अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करता है, जो लैंगिक समानता के लिए अनिवार्य है।

242. (C) नियोजन से उत्पन्न दोष-रहित उत्तरदायित्व (नो-फॉल्ट लायबिलिटी)।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का प्रावधान दोष-रहित उत्तरदायित्व के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी श्रमिक को उसके नियोजन के दौरान चोट लगती है, तो नियोक्ता मुआवजा देने हेतु बाध्य है, भले ही दुर्घटना में नियोक्ता की कोई प्रत्यक्ष लापरवाही न रही हो। यह सिद्धांत इस वास्तविकता को स्वीकार करता है कि औद्योगिक वातावरण में दुर्घटनाओं के जोखिम अंतर्निहित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित श्रमिक को लंबी कानूनी जाँच या दोष सिद्ध करने की जटिल प्रक्रिया के बिना तत्काल वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

243. (C) वेतन के भुगतान की रीति और समय।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का प्रावधान मुख्य रूप से भुगतान की प्रक्रियागत सुरक्षा से संबंधित है। यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता द्वारा वेतन का भुगतान एक निश्चित वैधानिक समय-सीमा के भीतर किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भुगतान की रीति को भी विनियमित करता है, जैसे कि भुगतान चालू सिक्कों, बैंक नोटों या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ही होना चाहिए। यह सुरक्षा श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा भुगतान में की जाने वाली अनावश्यक देरी और मनमानी शर्तों से बचाकर उनके आर्थिक हितों की रक्षा करती है।

244. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का उद्देश्य विवाद समाधान की प्रक्रिया को मंद करना नहीं, बल्कि उसे अधिक तीव्र और उत्तरदायी बनाना है। अभिकथन गलत है क्योंकि संहिता औद्योगिक शांति हेतु त्वरित न्याय पर बल देती है। कारण सही है क्योंकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संहिता सुलह अधिकारियों, शिकायत निवारण समितियों और न्यायाधिकरणों हेतु अनिवार्य और सख्त समय-सीमा निर्धारित करती है। यह सुधार सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों और नियोक्ताओं के मध्य के विवाद वर्षों तक न खींचें और एक निश्चित अवधि के भीतर उनका न्यायसंगत समाधान हो सके।

245. (B) जनसंख्या की वित्तीय सुभेद्यता को कम करना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कवर करके समाज के सबसे सुभेद्य वर्ग की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है। चूंकि इन श्रमिकों के पास आय के नियमित स्रोत या निजी बीमा खरीदने के साधन नहीं होते, इसलिए बीमारी या दुर्घटना जैसी आपदाएँ उन्हें गहरे आर्थिक संकट में धकेल देती हैं। संहिता द्वारा प्रदान किया जाने वाला सुरक्षा कवच—जैसे स्वास्थ्य बीमा और मृत्यु लाभ—इन आकस्मिक आर्थिक झटकों को सहन करने में मदद करता है। यह कदम सामाजिक असमानता को कम करने और निर्धन परिवारों को वित्तीय असुरक्षा के चक्र से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण है।

246. (A) अर्जित वेतन का समय पर भुगतान।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी श्रमिक के आर्थिक अधिकारों की रक्षा हेतु एक वैधानिक सुरक्षा है। यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक ने जो पारिश्रमिक अपनी मेहनत से अर्जित किया है, वह उसे बिना किसी बाधा के प्राप्त हो। यह गारंटी नियोक्ता पर यह कानूनी बाध्यता डालती है कि वह भुगतान हेतु निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करे। समय पर भुगतान मिलने से श्रमिक न केवल अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होता है, बल्कि वह नियोक्ता के संभावित आर्थिक शोषण और मनमानी से भी सुरक्षित रहता है, जो उसकी मानवीय गरिमा का आधार है।

230. (B) लिंग आधारित रुढ़ियों और प्रतिबंधों से संघर्ष करता है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में कार्य का अधिकार देना एक सशक्त विधायी हस्तक्षेप है। ऐतिहासिक रूप से, कई क्षेत्रों को महिलाओं हेतु असुरक्षित या अनुपयुक्त बताकर उनके नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नवीन संहिता इन रुढ़ियों को चुनौती देती है और यह मानती है कि महिलाओं के पास किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता है। सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य और नियोक्ता का कर्तव्य है, न कि महिलाओं के अवसरों को सीमित करने का आधार। यह प्रावधान कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और उनकी आर्थिक स्वायत्तता को वैधानिक रूप से प्रोत्साहित करता है।

231. (A) P-2, Q-1, R-3, S-4
चारों श्रम संहिताएँ भारतीय श्रम परिदृश्य के विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षों को संबोधित करती हैं। वेतन संहिता का प्राथमिक ध्यान पारिश्रमिक, बोनस और वेतन की समयबद्ध सुरक्षा पर है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता मुख्य रूप से कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों, स्वास्थ्य और श्रमिकों के कल्याण पर केंद्रित है। औद्योगिक संबंध संहिता श्रम संघों और विवादों के प्रभावी तथा त्वरित समाधान हेतु नियम बनाती है। अंत में, सामाजिक सुरक्षा संहिता बीमा, पेंशन और मुआवजे जैसे सामाजिक लाभों को विनियमित करती है। ये संहिताएँ मिलकर एक आधुनिक और सुरक्षित श्रम तंत्र प्रदान करती हैं।

232. (D) विशिष्ट योजनाओं के लिए एक ढांचा तैयार तैयार करके।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का उद्देश्य भारत के विशाल असंगठित कार्यबल को एक औपचारिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। संहिता सरकार को एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है जिसके माध्यम से असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों हेतु मृत्यु, विकलांगता, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसी विशिष्ट कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जा सकें। यह योजनाओं के कार्यान्वयन, वित्तपोषण और प्रशासन हेतु नियम निर्धारित करती है। इस प्रकार, संहिता केवल कागजी वादे नहीं करती, बल्कि एक क्रियाशील तंत्र स्थापित करती है जिससे सामाजिक सुरक्षा लाभ समाज के सबसे सुभेद्य वर्गों तक प्रभावी ढंग से पहुँच सकें।

233. (B) लंबे विवादों से वेतन की हानि और असुरक्षा होती है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय का प्रावधान श्रमिकों की आर्थिक स्थिरता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराने कानूनों के तहत, औद्योगिक विवाद वर्षों तक चलते थे, जिससे श्रमिक अक्सर कानूनी खर्चों और आय की अनिश्चितता के कारण आर्थिक रूप से टूट जाते थे। जब विवादों का समाधान समय-बद्ध और शीघ्र होता है, तो श्रमिक को उसके बकाया वेतन या अन्य दावों पर तुरंत राहत मिलती है। यह न केवल उसके अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि उसे वित्तीय असुरक्षा के दुष्चक्र से बचाकर उसकी जीवन की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है।

234. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
वेतन संहिता 2019 ने वेतन की परिभाषा को एकीकृत और सरल बनाकर एक महत्वपूर्ण सुधार किया है। अभिकथन सही है क्योंकि यह पारदर्शिता बढ़ाता है। हालाँकि, कारण गलत है। वेतन की इस नवीन परिभाषा का भविष्य निधि और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चूंकि ये अंशदान वेतन के प्रतिशत के रूप में निर्धारित होते हैं, इसलिए परिभाषा में स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों का उचित और पूर्ण अंशदान जमा हो। यह सरलीकरण सीधे तौर पर श्रमिकों के दीर्घकालिक सामाजिक लाभों को सुरक्षित करने के लिए किया गया है।

235. (C) केवल 1 और 3
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण हेतु सकारात्मक और समावेशी कार्य वातावरण बनाने पर केंद्रित है। शोध भूमिका जैसे उच्च-कौशल वाले कार्यों में महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में नियोजित करना आर्थिक अवसर प्रदान करने का उदाहरण है। साथ ही, बच्चों हेतु शिशुगृह की सुविधा देना कामकाजी महिलाओं हेतु एक अनिवार्य सहायता है। दूसरी ओर, लैंगिक आधार पर नियोजन से मना करना संहिता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। संहिता का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और महिलाओं की कार्यबल में सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करना है।

236. (B) आयु कारक को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी का मासिक वेतन।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत मृत्यु के मामले में मुआवजे की गणना एक विशिष्ट सूत्र द्वारा की जाती है। इसमें कर्मचारी के मासिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत लिया जाता है और उसे एक आयु कारक से गुणा किया जाता है। आयु कारक इस सिद्धांत पर आधारित है कि कम आयु में मृत्यु होने पर परिवार को अधिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्रमिक की भविष्य की कई वर्षों की उपार्जन क्षमता समाप्त हो गई है। यह वैज्ञानिक पद्धति सुनिश्चित करती है कि मुआवजा प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत परिस्थितियों और वास्तविक आर्थिक क्षति के प्रति न्यायसंगत हो।

237. (A) वेतन भुगतान को एक वैधानिक दायित्व बनाकर।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी श्रमिक को नियोक्ता की मनमानी से बचाकर सशक्त बनाती है। संहिता वेतन के भुगतान को केवल एक अनुबंधात्मक वादा नहीं, बल्कि एक अनिवार्य वैधानिक दायित्व बनाती है। इसका अर्थ है कि नियोक्ता को कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक देना ही होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो उसे कानूनी दंड का सामना करना पड़ता है। यह वैधानिक शक्ति श्रमिक की सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उसके परिश्रम का उचित मूल्य उसे सुरक्षित रूप से प्राप्त हो।

238. (B) स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है।
वेतन संहिता 2019 के अनुसार, एक कुशल कर्मचारी वह है जो अपने कार्य हेतु आवश्यक तकनीकी ज्ञान और अनुभव रखता है

आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, जब तक कि वह पुनः कार्य करने के योग्य न हो जाए। यह आवधिक भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि चोट के कारण कार्य से अनुपस्थित रहने के दौरान श्रमिक और उसके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं और चिकित्सा व्यय हेतु आय का एक निरंतर स्रोत बना रहे।

222. (B) सरल कर्तव्यों वाले कार्यों को करता है।
वेतन संहिता 2019 के संदर्भ में अकुशल श्रमिक वह व्यक्ति है जिसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में किसी विशेष तकनीकी ज्ञान, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता या पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कार्यों में आमतौर पर सरल और नियमित निर्देश सम्मिलित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शारीरिक श्रम की प्रधानता होती है। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे श्रमिकों को भी कम से कम एक निश्चित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, ताकि वे अपनी बुनियादी जीवन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आर्थिक शोषण से बच सकें।

223. (B) संपूर्ण समाधान प्रक्रिया की अनिवार्य समय-सीमा तय करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय को केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक वैधानिक अनिवार्यता बनाया गया है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विवाद समाधान के प्रत्येक चरण—जैसे सुलह की कार्यवाही और न्यायाधिकरण के निर्णय—के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित करना है। यह सुधार पुराने कानूनों की उस बड़ी कमी को दूर करता है जहाँ औद्योगिक विवाद वर्षों तक लंबित रहते थे। समय-बद्धता न्याय प्रणाली को जवाबदेह बनाती है, जिससे श्रमिकों को उनके दावों पर शीघ्र राहत मिलती है और औद्योगिक शांति सुनिश्चित होती है, जो उत्पादकता हेतु आवश्यक है।

224. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं, और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आधुनिक कार्य संस्कृति के अनुरूप एक क्रांतिकारी सुधार है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से बताते हैं कि डिजिटल युग में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, जिन्हें पुराने कानूनों में कर्मचारी नहीं माना जाता था। नवीन संहिता ने पहली बार इन श्रेणियों को औपचारिक कानूनी मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता अनिवार्य थी ताकि उन्हें भी दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाया जा सके, जिससे उनकी आर्थिक सुभेद्यता कम हो सके।

225. (A) छोटे बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं का सशक्तिकरण।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत शिशुगृह का प्रावधान कामकाजी माताओं हेतु एक महत्वपूर्ण सशक्तिकरण उपकरण है। जब कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल हेतु एक सुरक्षित और निकटतम सुविधा उपलब्ध होती है, तो महिला श्रमिक अपने कर्तव्यों का पालन अधिक एकाग्रता और मानसिक शांति के साथ कर सकती हैं। यह न केवल महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाता है, बल्कि कार्य और मातृत्व के मध्य संतुलन को भी सुगम बनाता है। यह प्रावधान एक समावेशी कार्य संस्कृति के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहाँ महिलाओं के व्यावसायिक विकास में पारिवारिक बाधाओं को कम किया गया है।

226. (A) श्रमिकों और उनके परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान करना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत कर्मचारी मुआवजे का मूल उद्देश्य कार्यस्थल पर होने वाले जोखिमों के विरुद्ध एक आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। यदि कोई श्रमिक नियोजन के दौरान दुर्घटना का शिकार होता है, जिससे उसकी उपार्जन क्षमता समाप्त हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मुआवजा यह सुनिश्चित करता है कि उसका परिवार आर्थिक रूप से पूरी तरह न टूट जाए। यह सहायता राशि आय की निरंतरता और चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यक है। अतः, यह प्रावधान केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को बनाए रखने का साधन है।

227. (B) एक नियोक्ता अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करता है।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी का सबसे बुनियादी उल्लंघन तब होता है जब कोई नियोक्ता सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दर का पालन नहीं करता है। न्यूनतम वेतन एक वैधानिक अधिकार है जिसे श्रमिक के निर्वाह हेतु अनिवार्य माना गया है। इससे कम भुगतान करना सीधे तौर पर आर्थिक शोषण और कानून का उल्लंघन है। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक श्रमिक को उसके कौशल और क्षेत्र हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि प्राप्त हो। इसके अलावा, भुगतान में अनावश्यक देरी और अनधिकृत कटौती भी इस गारंटी के दायरे में आती है।

228. (D) अप्रत्यक्ष, वेतन की परिभाषा के प्रभावों से संबंधित।
वेतन संहिता 2019 स्वयं में एक व्यापक सामाजिक बीमा कानून नहीं है, लेकिन यह वेतन की मानकीकृत परिभाषा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा में एक शक्तिशाली अप्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। भविष्य निधि, आनुपातिक पारितोषिक और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों हेतु अंशदान की गणना कर्मचारी के वेतन के आधार पर होती है। परिभाषा को स्पष्ट और पारदर्शी बनाकर, संहिता यह सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता भत्तों के माध्यम से वैधानिक देयताओं को कम न कर सकें। इस प्रकार, वेतन संरचना में सुधार सीधे तौर पर श्रमिकों के दीर्घकालिक सामाजिक लाभों को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाता है।

229. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत शिकायत निवारण समिति का गठन त्वरित न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अभिकथन सही है क्योंकि संहिता प्रतिष्ठान के भीतर विवादों को सुलझाने हेतु इस तंत्र को अनिवार्य बनाती है। हालाँकि, कारण पूर्णतः गलत है। इस समिति का वास्तविक उद्देश्य न्याय में देरी करना नहीं, बल्कि विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही हल करना है ताकि श्रमिक को लंबी और महंगी अदालती प्रक्रियाओं से बचाया जा सके। यह आंतरिक समाधान तंत्र कार्यस्थल पर विश्वास और औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने हेतु निर्मित किया गया है।

247. (B) निर्माण स्थल पर मचान से गिरना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का प्रावधान केवल उन दुर्घटनाओं को कवर करता है जो नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न होती हैं। निर्माण स्थल पर मचान से गिरना कार्यस्थल पर होने वाले जोखिम का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसलिए यह संहिता के तहत मुआवजे हेतु पात्र है। इसके विपरीत, घर पर होने वाली दुर्घटनाएँ या व्यक्तिगत बीमारियों का नियोजन से कोई सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए वे सामान्यतः इस विशिष्ट मुआवजे के दायरे में नहीं आतीं। संहिता सुनिश्चित करती है कि कार्य के जोखिमों का आर्थिक दंड श्रमिक को न भुगतना पड़े।

248. (B) अत्यंत कम पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत अकुशल शब्द उन श्रमिकों हेतु उपयोग किया जाता है जिनके कार्य की प्रकृति सरल होती है और जिसे पूर्ण करने हेतु किसी विशेष शैक्षणिक डिग्री, तकनीकी प्रशिक्षण या दीर्घकालिक अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कार्यों में प्रायः शारीरिक श्रम और बुनियादी निर्देशों का पालन सम्मिलित होता है। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम वेतन का एक वैधानिक स्तर निर्धारित हो ताकि समाज का यह सुभेद्य वर्ग आर्थिक शोषण का शिकार न हो और उन्हें उनके श्रम का न्यायसंगत प्रतिफल प्राप्त हो सके।

249. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण को कार्यस्थल की वास्तविकताओं के साथ जोड़ती है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से स्पष्ट करते हैं कि संहिता महिलाओं को केवल कागजी अधिकार नहीं देती, बल्कि उनकी भागीदारी को व्यावहारिक रूप से सुगम बनाती है। रात्रि पाली में कार्य की अनुमति और शिशुगृह की अनिवार्यता जैसे प्रावधान कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी बाधाओं—सुरक्षा और बाल देखभाल—को संबोधित करते हैं। ये वैधानिक उपाय कार्यबल में महिलाओं हेतु एक सुरक्षित, सहायक और समान अवसर वाला वातावरण निर्मित करने हेतु निर्मित हैं।

250. (A) सद्भाव के लिए विवादों का तीव्र समाधान सुनिश्चित करना।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संबंधों में स्थिरता और सौहार्द लाना है। जब व्यक्तिगत शिकायतों या सामूहिक विवादों का समाधान समय-बद्ध तरीके से होता है, तो इससे श्रमिकों में संतोष बढ़ता है और उत्पादकता प्रभावित नहीं होती। लंबी कानूनी लड़ाइयाँ न केवल संसाधनों का अपव्यय करती हैं, बल्कि औद्योगिक अशांति को भी जन्म देती हैं। संहिता का यह सुधार सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया प्रभावी हो, जिससे औद्योगिक पारितंत्र में विश्वास की बहाली हो और आर्थिक विकास की गति निर्बाध रूप से बनी रहे।

251. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
श्रम संहिताओं के प्रावधान विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता विशेष रूप से गिग, प्लेटफॉर्म और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सुरक्षा जाल का विस्तार करती है। व्यावसायिक सुरक्षा संहिता महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नियोजन के समान अवसर देकर उन्हें लाभान्वित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवादों के त्वरित समाधान के माध्यम से श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को राहत प्रदान करती है। अंत में, वेतन संहिता कम वेतन पाने वाले श्रमिकों हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। ये संहिताएँ सामूहिक रूप से संपूर्ण श्रमिक वर्ग की रक्षा करती हैं।

252. (B) अनौपचारिकता और सुरक्षा जाल का अभाव।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारत के श्रम बाजार की सबसे बड़ी संरचनात्मक समस्या—अनौपचारिकता—को संबोधित करने का प्रयास है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जो कार्यबल का 90% से अधिक हैं, हमेशा से स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना लाभ और पेंशन जैसी औपचारिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं। संहिता उन्हें वैधानिक पहचान प्रदान करती है और उनके लिए योजनाओं का एक ढांचा तैयार करती है। यह कदम उन्हें अनिश्चितता और आर्थिक सुभेद्यता से बाहर निकालकर एक औपचारिक सुरक्षा जाल के भीतर लाता है, जिससे सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित होती है।

253. (A) वेतन के भुगतान में विलंब के लिए नियोक्ता को दंडित किया जा सकता है।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत वेतन की गारंटी का प्रावधान केवल एक निर्देश नहीं, बल्कि एक दंडात्मक नियम है। संहिता यह अनिवार्य करती है कि नियोक्ता को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर श्रमिक के पारिश्रमिक का भुगतान करना होगा। यदि नियोक्ता बिना किसी उचित वैधानिक कारण के भुगतान में विलंब करता है या भुगतान नहीं करता, तो उसे भारी अर्थदंड या अन्य कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यह वैधानिक शक्ति श्रमिक की आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करती है और नियोक्ताओं को अपनी जिम्मेदारी के प्रति अधिक जवाबदेह बनाती है।

254. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में कर्मचारी मुआवजे का प्रावधान भारतीय श्रम कानून में कोई नवीन विषय नहीं है; वास्तव में, यह एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। अभिकथन गलत है क्योंकि यह अधिकार दशकों से उपलब्ध था। कारण सही है क्योंकि नवीन संहिता ने वर्ष 1923 के पुराने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम को आधुनिक और सुसंगत बनाने हेतु इसे अपने भीतर समाहित कर लिया है। इस एकीकरण का उद्देश्य मुआवजे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, एकीकृत और आधुनिक श्रमिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है, जिससे दावों का निपटारा तीव्र हो सके।

255. (D) 1, 2 और 3
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 श्रमिकों हेतु न्याय की अवधारणा को बहुआयामी बनाती है। शिकायत निवारण समितियों की स्थापना उद्यम स्तर पर ही त्वरित आंतरिक समाधान सुनिश्चित करती है। न्यायाधिकरणों हेतु समय-सीमा निर्धारित करना लंबी कानूनी देरी को समाप्त कर प्रक्रियात्मक

दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। मुआवजा प्राप्त करने की मूल शर्त यह है कि श्रमिक को चोट उसके नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न हुई हो। इसका अर्थ है कि दुर्घटना का सीधा संबंध उसके कार्य या कार्यस्थल के जोखिमों से होना चाहिए। यह सुरक्षा किसी विशिष्ट उद्योग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन सभी कवर किए गए श्रमिकों को वैधानिक राहत प्रदान करती है जिनकी आर्थिक उपार्जन क्षमता कार्य संबंधी दुर्घटनाओं के कारण प्रभावित होती है।

273. (B) कार्य की जटिलता के आधार पर उचित विभेद।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत श्रमिकों का वर्गीकरण आर्थिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यह व्यवस्था स्वीकार करती है कि एक कुशल श्रमिक, जिसने विशेष प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त किया है, उसके कार्य का मूल्य और जटिलता एक अकुशल श्रमिक से भिन्न होती है। इसलिए, उनके लिए अलग-अलग न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित करना एक उचित विभेद है। यह न केवल विशेषज्ञता का सम्मान करता है, बल्कि श्रमिकों को अपनी कुशलता बढ़ाने हेतु प्रेरित भी करता है। यह वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक श्रेणी के श्रमिक को उनके श्रम की प्रकृति के अनुसार न्यायसंगत पारिश्रमिक प्राप्त हो।

274. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 उद्यमों में विवादों के आंतरिक समाधान हेतु शिकायत निवारण समिति के गठन को अनिवार्य बनाती है। अभिकथन सही है क्योंकि यह त्वरित न्याय की दिशा में एक प्रमुख तंत्र है। हालाँकि, कथन II गलत है। यह समिति अंतिम या सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है; इसके निर्णयों से असंतुष्ट होने पर श्रमिक को सुलह अधिकारी या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास जाने का पूर्ण अधिकार है। यह समिति केवल समाधान का प्रथम स्तर है, जिसका उद्देश्य छोटी शिकायतों को अदालती कार्यवाही बनने से पहले ही आपसी सहमति से सुलझाना है।

275. (D) 1, 2 और 3
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों हेतु एक व्यापक सुरक्षा कवच तैयार करना है। संहिता के अंतर्गत सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह इन सुभेद्य श्रमिकों हेतु जीवन और विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ तथा वृद्धावस्था संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएँ बनाए और लागू करे। ये तीनों लाभ उन जोखिमों को संबोधित करते हैं जो असंगठित श्रमिकों को गरीबी के दुष्चक्र में धकेल सकते हैं। योजनाओं का यह एकीकृत ढांचा भारतीय कार्यबल के एक विशाल और उपेक्षित हिस्से को गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्मित है।

276. (B) आर्थिक अवसरों में लैंगिक समानता।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में कार्य की अनुमति देना लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह उन सभी पुरानी कानूनी बाधाओं को ढहा देता है जो महिलाओं को कुछ खतरनाक या कठिन माने जाने वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोकती थीं। संहिता का यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को अपनी योग्यता और पसंद के आधार पर पुरुषों के समान आर्थिक अवसर प्राप्त हों। यह न केवल महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाता है, बल्कि कार्यबल में उनकी समान भागीदारी के संवैधानिक आदर्श को भी साकार करता है।

277. (B) गैर-भुगतान के माध्यम से शोषण।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का मूल उद्देश्य श्रमिक के परिश्रम के मूल्य की रक्षा करना है। यह नियोक्ता पर यह वैधानिक उत्तरदायित्व डालता है कि वह अर्जित वेतन का भुगतान समय पर और बिना किसी अवैध कटौती के करे। गैर-भुगतान या वेतन में अनावश्यक देरी वास्तव में आर्थिक शोषण का एक रूप है जिसे यह संहिता प्रतिबंधित करती है। यह गारंटी सुनिश्चित करती है कि श्रमिक को नियोक्ता की मनमानी से सुरक्षा मिले और उसे उसकी मेहनत का फल वैधानिक रूप से प्राप्त हो। यह सुरक्षा श्रमिक की आर्थिक स्वतंत्रता और उसके बुनियादी मानवाधिकारों को सुदृढ़ करती है।

278. (B) PF और ESI पर इसकी वेतन परिभाषा का प्रभाव।
वेतन संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा में एक शक्तिशाली लेकिन सूक्ष्म भूमिका निभाती है। इसका सामाजिक सुरक्षा पक्ष मुख्य रूप से इसके द्वारा दी गई वेतन की नवीन और स्पष्ट परिभाषा में निहित है। भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे लाभों हेतु किए जाने वाले अंशदान की गणना कर्मचारी के वेतन के आधार पर होती है। परिभाषा में स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि नियोक्ता भत्तों के माध्यम से वेतन को कम नहीं दिखा सकते, जिससे श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अंशदान सुरक्षित रहता है। इस प्रकार, वेतन संरचना में पारदर्शिता सीधे श्रमिकों के दीर्घकालिक कल्याण को मजबूत बनाती है।

279. (C) औद्योगिक विवाद और शिकायतें।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत त्वरित न्याय का संदर्भ विशेष रूप से औद्योगिक पारितंत्र में उत्पन्न होने वाले विवादों और व्यक्तिगत श्रमिक शिकायतों के समाधान से है। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर वेतन, सेवा शर्तों, छंटनी या अन्य नियोक्ताओं-श्रमिक विवादों के अधिनिर्णय में होने वाली लंबी देरी को समाप्त करना है। संहिता में न्यायाधिकरणों और आंतरिक समितियों हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि इन औद्योगिक न्याय के मामलों का निपटारा शीघ्र हो सके। यह कुशल न्याय प्रणाली औद्योगिक शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों को समय पर सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है।

280. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ने कर्मचारी मुआवजे के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा को वैधानिक मान्यता दी है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई श्रमिक अपने घर से कार्यस्थल की ओर जा रहा है या कार्य के बाद वापस लौट रहा है, और इस दौरान उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो उसे नियोजन के काल्पनिक विस्तार के तहत कार्य संबंधी चोट माना जाएगा। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि कार्य हेतु यात्रा करना नियोजन का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। यह प्रावधान श्रमिकों को यात्रा के दौरान होने वाले जोखिमों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

कार्यस्थल पर कड़वाहट को समाप्त कर सौहार्दपूर्ण संबंध बनाती है, जो अंततः देश की आर्थिक प्रगति और व्यावसायिक सुगमता के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

264. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारतीय श्रम विधिशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था की नई श्रेणियों—गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों—को पहली बार विधायी मान्यता प्रदान करती है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से बताते हैं कि यह मान्यता उन तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने हेतु आधारभूत है। चूंकि ये श्रमिक पारंपरिक रोजगार ढांचे से बाहर थे, इसलिए वे पहले किसी भी सुरक्षा जाल का हिस्सा नहीं थे। अब संहिता उन्हें परिभाषित कर उनके लिए विशिष्ट कल्याणकारी कोष और बीमा योजनाओं का वैधानिक मार्ग प्रशस्त करती है।

265. (C) नियोजन से उत्पन्न होने वाली चोटें और बीमारियाँ।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का वैधानिक दायित्व पूरी तरह से कर्मचारी के कार्य और उसके कार्यस्थल के जोखिमों से जुड़ा हुआ है। नियोक्ता केवल उन चोटों या मृत्यु हेतु राहत प्रदान करने हेतु कानूनी रूप से बाध्य है जो नियोजन के दौरान और उससे उत्पन्न हुई हों। इसमें व्यावसायिक बीमारियाँ भी सम्मिलित हैं, जो कार्य की प्रकृति के कारण होती हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों हेतु सुरक्षित वातावरण बनाए रखें और कार्य संबंधी जोखिमों का आर्थिक बोझ श्रमिक पर न पड़े।

266. (A) कम से कम न्यूनतम अधिसूचित वेतन प्राप्त करना।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का अर्थ है कि प्रत्येक श्रमिक को उसके कार्य हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त करने का एक अविच्छेद्य वैधानिक अधिकार है। यह गारंटी श्रमिक को नियोक्ता की मनमानी सौदेबाजी या आर्थिक शोषण से सुरक्षा प्रदान करती है। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि चाहे श्रमिक संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित में, उसे जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम राशि अवश्य मिले। यह प्रावधान न केवल उसकी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है, बल्कि समाज में उसके परिश्रम के मूल्य और मानवीय गरिमा को भी सुरक्षित करता है।

267. (B) एक औपचारिक, अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का लक्ष्य भारत के विशाल असंगठित कार्यबल को अनिश्चितता के माहौल से बाहर निकालना है। पहले इन श्रमिकों को मिलने वाली कोई भी सहायता अक्सर नियोक्ता की मर्जी या छिटपुट सरकारी दान पर निर्भर करती थी, जो कि अनौपचारिक और अविश्वसनीय थी। नवीन संहिता इसे एक औपचारिक और अधिकार-आधारित प्रणाली में बदलती है, जहाँ पंजीकरण के माध्यम से श्रमिक वैधानिक रूप से लाभों का हकदार बन जाता है। यह संक्रमण सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य, बीमा और पेंशन जैसे लाभ केवल कृपा नहीं, बल्कि श्रमिक के वैधानिक अधिकार बन जाएँ।

268. (B) औद्योगिक न्यायाधिकरण।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 विवादों के समाधान हेतु एक स्पष्ट और पदानुक्रमित संरचना प्रदान करती है ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। प्रक्रिया की शुरुआत प्रतिष्ठान के भीतर शिकायत निवारण समिति से होती है, जहाँ आपसी संवाद के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यदि यह स्तर समाधान में विफल रहता है, तो मामला सुलह अधिकारी के पास जाता है। अंतिम विधिक समाधान हेतु, संहिता औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास पहुँचने का एक समयबद्ध मार्ग प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करता है कि विवाद अनावश्यक रूप से न लटके और श्रमिक को विधिक न्याय मिले।

269. (D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
वेतन संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा के मध्य एक गहरा और अपरिहार्य संबंध है, इसलिए अभिकथन गलत है। संहिता में वेतन की मानकीकृत परिभाषा को सम्मिलित करने का प्रमुख कारण सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करना है। कारण सही है क्योंकि भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा जैसे वैधानिक लाभों हेतु अंशदान की गणना सीधे वेतन की राशि पर आधारित होती है। परिभाषा में स्पष्टता होने से यह सुनिश्चित होता है कि नियोक्ता भत्तों के माध्यम से अंशदान कम न कर सकें, जिससे श्रमिकों के दीर्घकालिक कल्याण और सेवानिवृत्ति लाभ सुरक्षित होते हैं।

270. (B) रात्रि पाली।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए उन्हें रात्रि पाली में कार्य करने की अनुमति देती है। हालाँकि, यह अनुमति सुरक्षा और कल्याण की अनिवार्य शर्तों से जुड़ी है। संहिता यह सुनिश्चित करती है कि रात्रि पाली में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न हो। इसके लिए नियोक्ता पर यह वैधानिक जिम्मेदारी डाली गई है कि वह उनके लिए सुरक्षित कार्य वातावरण के साथ-साथ घर से कार्यस्थल और वापस घर तक सुरक्षित परिवहन की उचित व्यवस्था प्रदान करे।

271. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
श्रम संहिताओं की कानूनी शब्दावलियाँ विशिष्ट श्रमिक अधिकारों और प्रक्रियाओं को परिभाषित करती हैं। असंगठित श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र के उस विशाल कार्यबल को दर्शाते हैं जो पहले विधायी सुरक्षा से बाहर थे। त्वरित न्याय का अर्थ औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु प्रभावी और समयबद्ध तंत्र प्रदान करना है। न्यूनतम वेतन वह अनिवार्य आधार रेखा है जो प्रत्येक श्रमिक के आर्थिक निर्वाह हेतु आवश्यक है। नियोजन के दौरान चोट कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं को संदर्भित करती है जिनके लिए श्रमिक मुआवजे का वैधानिक हकदार होता है।

272. (B) कवर किए गए कर्मचारी जिन्हें नियोजन के दौरान चोट लगती है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे के प्रावधान उन सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो संहिता के

न्याय प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कौशल नवीनीकरण निधि छंटनी किए गए श्रमिकों को आर्थिक न्याय और पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये तीनों पक्ष मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि श्रमिक को न केवल विवादों में सुरक्षा मिले, बल्कि उसके व्यावसायिक भविष्य और मानवीय गरिमा की भी रक्षा हो सके।

256. (B) सुरक्षा उपायों के साथ समान अवसर।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिलाओं के रात्रि नियोजन पर लगे पुराने प्रतिबंधों को हटाकर एक आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाती है। यह परिवर्तन समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ यह माना जाता है कि लिंग के आधार पर किसी भी श्रमिक को आर्थिक अवसरों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, संहिता सुरक्षा के प्रति सचेत है और नियोक्ता पर सुरक्षा मानकों तथा सहमति सुनिश्चित करने का वैधानिक दायित्व डालती है। यह प्रावधान लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सशक्त कार्य वातावरण निर्मित करने का प्रयास करता है।

257. (A) वैधानिक कटौतियों हेतु वेतन की एक मानकीकृत परिभाषा।
वेतन संहिता 2019 में सामाजिक सुरक्षा का पक्ष इसके वेतन के मानकीकृत और स्पष्ट परिभाषा में निहित है। चूंकि भविष्य निधि, आनुपातिक पारितोषिक और बीमा जैसे महत्वपूर्ण लाभों की गणना सीधे वेतन की राशि पर आधारित होती है, इसलिए एक स्पष्ट परिभाषा विसंगतियों को दूर करती है। पहले, नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न भत्तों का उपयोग कर मूल वेतन को कम दिखाने की प्रवृत्ति थी, जिससे श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अंशदान घट जाता था। नवीन संहिता में भत्तों की सीमा तय कर यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रमिकों के दीर्घकालिक कल्याण कोष में उचित अंशदान जमा हो।

258. (B) यह समाधान के प्रत्येक चरण के लिए समय सीमा निर्धारित करता है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में त्वरित न्याय को साकार करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष इसकी समयबद्धता है। संहिता ने सुलह की प्रक्रिया से लेकर औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय सुनाने तक के प्रत्येक चरण हेतु सख्त वैधानिक समय-सीमा निर्धारित की है। यह सुधार पुराने कानूनों की उस अनिश्चितता को समाप्त करता है जहाँ विवाद दशकों तक लंबित रहते थे और श्रमिक को कभी राहत नहीं मिल पाती थी। समय-सीमा की अनिवार्यता न्याय प्रणाली को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाती है, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को शीघ्र और निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं।

259. (B) यह पंजीकरण और डेटाबेस के निर्माण पर आधारित है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ पहुँचाने के लिए एक डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाती है। इसकी मुख्य विशेषता असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उनका अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करना है। यह पंजीकरण श्रमिक को एक डिजिटल पहचान प्रदान करता है, जो उसे विभिन्न सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे स्वास्थ्य बीमा और पेंशन, हेतु पात्र बनाता है। बिना औपचारिक पहचान के इन सुभेद्य श्रमिकों तक सहायता पहुँचाना कठिन था; अतः, यह डेटाबेस वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने का आधार है।

260. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य बिखरे हुए श्रम कानूनों को एक सुसंगत ढांचे में एकीकृत करना है। अभिकथन और कारण दोनों सही ढंग से स्पष्ट करते हैं कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 को इस संहिता में समाहित करना इसी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है। इस एकीकरण से नियोजन के दौरान होने वाली चोटों और मृत्यु हेतु मुआवजे के नियम अब एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बन गए हैं। यह न केवल कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि मुआवजे के प्रावधान अन्य कल्याणकारी लाभों के साथ समन्वय में कार्य करें।

261. (A) जीवन का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित किया जा सके और शोषण को रोका जा सके।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत कुशल और अकुशल श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन का निर्धारण आर्थिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक श्रमिक को, उसके कौशल स्तर के अनुसार, कम से कम इतना पारिश्रमिक अवश्य मिले जिससे वह अपनी और अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को गरिमापूर्ण तरीके से पूरा कर सके। यह वैधानिक सुरक्षा नियोक्ताओं को श्रमिकों के आर्थिक विवशता का लाभ उठाने से रोकती है। न्यूनतम वेतन तय करके, संहिता समाज के सबसे सुभेद्य वर्गों को गरीबी और शोषण के दुष्चक्र से बचाने का प्रयास करती है।

262. (A) सुरक्षा नियमों के अधीन किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य करना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण का प्रतिबिंब उन प्रावधानों में मिलता है जो महिलाओं को सभी प्रकार के उद्योगों में नियोजन हेतु पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हैं। संहिता उन सभी पुरानी कानूनी बाधाओं को समाप्त करती है जो महिलाओं के करियर विकल्पों को खतरनाक या अनुपयुक्त होने के आधार पर सीमित करती थीं। अब महिलाएँ योग्यता के आधार पर किसी भी प्रतिष्ठान में कार्य कर सकती हैं, बशर्ते नियोक्ता सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी वैधानिक मानकों का पालन करें। यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता और कार्यबल में उनकी समान भागीदारी को सुदृढ़ करता है।

263. (C) नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों को।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत त्वरित न्याय का प्रावधान संपूर्ण औद्योगिक पारितंत्र के हित में है। श्रमिकों हेतु, इसका अर्थ है कि उनकी शिकायतों का निपटारा जल्दी होगा, जिससे उन्हें मानसिक और वित्तीय राहत प्राप्त होगी। नियोक्ताओं हेतु, विवादों का शीघ्र समाधान व्यावसायिक अनिश्चितता को कम करता है और औद्योगिक अशांति के कारण होने वाले उत्पादन के नुकसान को रोकता है। समाधान की तीव्र प्रक्रिया

281. (C) श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के अंशदान से।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक टिकाऊ और समावेशी वित्तपोषण मॉडल का प्रावधान करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु आवश्यक धन का प्रबंध एक अंशदायी तंत्र के माध्यम से किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का वित्तपोषण सम्मिलित होता है। इसके साथ ही, जहाँ संभव हो, नियोक्ताओं और स्वयं श्रमिकों से भी छोटे अंशदान लिए जाते हैं। यह सामूहिक मॉडल सुनिश्चित करता है कि योजनाओं का संचालन वित्तीय रूप से व्यवहार्य बना रहे और असंगठित श्रमिकों को स्वास्थ्य, बीमा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी अनिवार्य सुरक्षाएँ राज्य के संरक्षण में प्राप्त हो सकें।

282. (B) एक सुरक्षित और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण केवल उन्हें अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यस्थल पर एक अनुकूल सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इसका अर्थ है कि महिलाओं को कार्य की स्वतंत्रता देने के साथ-साथ नियोक्ता पर उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने का वैधानिक दायित्व डाला गया है। यह संहिता मानती है कि वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब कार्यस्थल का वातावरण समावेशी और सुरक्षित हो। यह समग्र दृष्टिकोण महिलाओं को बिना किसी डर के और अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्यबल में भाग लेने हेतु प्रेरित करता है।

283. (A) श्रमिक और नियोक्ता।
वेतन संहिता 2019 अपने प्रावधानों के माध्यम से औद्योगिक पारितंत्र के दो मुख्य स्तंभों—श्रमिकों और नियोक्ताओं—के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। कुशल और अकुशल श्रमिकों हेतु न्यूनतम वेतन तय करके, संहिता श्रमिकों को शोषण से बचाती है और उनके जीवन निर्वाह को सुनिश्चित करती है। साथ ही, वेतन की स्पष्ट परिभाषा और मानकीकृत नियम नियोक्ताओं हेतु अनुपालन को सरल बनाते हैं और अनिश्चित कानूनी विवादों को कम करते हैं। यह संतुलित दृष्टिकोण न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, बल्कि एक स्थिर और उत्पादक आर्थिक वातावरण का भी निर्माण करता है।

284. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है; यह वैधानिक सुरक्षा उपायों और सीमाओं के साथ आता है। अभिकथन गलत है क्योंकि संहिता सभी चोटों हेतु मुआवजा नहीं देती, विशेषकर यदि वे स्वयं के द्वारा की गई हों। कारण सही है क्योंकि संहिता नियोक्ता को कुछ स्थितियों में बचाव प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि दुर्घटना श्रमिक के नशे में होने, नियमों की जानबूझकर अवहेलना करने या सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करने के कारण हुई थी, तो नियोक्ता मुआवजे के दायित्व से मुक्त हो सकता है।

285. (B) प्रतिष्ठान की शिकायत निवारण समिति।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत त्वरित न्याय का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण विवादों का उद्यम स्तर पर समाधान है। यदि किसी श्रमिक का अपने प्रबंधन के साथ कोई विवाद होता है, तो संहिता उसे सबसे पहले प्रतिष्ठान के भीतर शिकायत निवारण समिति के पास अपनी शिकायत दर्ज करने का निर्देश देती है। यह आंतरिक तंत्र द्विपक्षीय होता है और इसमें श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य विवादों को बिना बाहरी कानूनी हस्तक्षेप के, कम समय में और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करना है, जिससे औद्योगिक शांति बनी रहे।

286. (A) जीवन के जोखिमों के विरुद्ध बुनियादी सुरक्षा प्रदान करना।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का मूल दर्शन भारत के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक विश्वसनीय सुरक्षा जाल प्रदान करना है। इन श्रमिकों के पास आय की नियमितता और स्वास्थ्य बीमा जैसे औपचारिक लाभों का अभाव होता है, जिससे वे बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था जैसी परिस्थितियों में सुभेद्य हो जाते हैं। संहिता का मौलिक उद्देश्य इन जीवन के जोखिमों के विरुद्ध उन्हें वैधानिक सहायता प्रदान करना है। स्वास्थ्य, पेंशन और बीमा योजनाओं के माध्यम से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुभेद्य आबादी आर्थिक आपदाओं के समय गरीबी के दुष्चक्र में न फँसे और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्राप्त हो।

287. (D) गैर-भुगतान और अवैध कटौती।
वेतन संहिता 2019 में वेतन की गारंटी का प्रावधान श्रमिक की आर्थिक स्वायत्तता और उसके परिश्रम के फल को सुरक्षित करने हेतु बनाया गया है। यह नियोक्ता पर यह वैधानिक दायित्व डालता है कि वह अर्जित पारिश्रमिक का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के भीतर करे। यह प्रावधान मुख्य रूप से दो समस्याओं को संबोधित करता है: वेतन के भुगतान में अनुचित देरी और वेतन से की जाने वाली मनमानी या अनधिकृत कटौती। यह कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि श्रमिक को उसका पूर्ण और न्यायसंगत पारिश्रमिक मिले, जो कि उसके आर्थिक सशक्तिकरण और मानवीय गरिमा हेतु अनिवार्य है।

288. (C) कार्य के प्रकार और पाली (शिफ्ट) की बाधाओं को हटाना।
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी और ऐतिहासिक पक्ष उन सभी भेदभावपूर्ण बाधाओं को समाप्त करना है जो महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य करने से रोकती थीं। पहले महिलाओं हेतु कुछ विशिष्ट उद्योगों और रात्रि पाली में नियोजन पर कानूनी प्रतिबंध थे। नवीन संहिता इन सीमाओं को हटाती है और महिलाओं को पुरुषों के समान ही सभी क्षेत्रों और सभी समय पर कार्य का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है। यह परिवर्तन लैंगिक रुढ़ियों को तोड़ता है और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को वैधानिक रूप से प्रोत्साहित करता है।

289. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का वैधानिक ढांचा विवाद समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तीव्र करने हेतु बनाया गया है। अभिकथन सही है क्योंकि यह त्वरित न्याय हेतु नए तंत्र स्थापित करती है। हालाँकि, कारण पूर्णतः गलत है। संहिता लालफीताशाही और मुकदमेबाजी को बढ़ाने के बजाय, सुलह अधिकारियों और न्यायाधिकरणों हेतु सख्त समय-सीमा निर्धारित करके उन्हें कम करने का प्रयास करती है। इसका वास्तविक उद्देश्य विवादों का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा करना है ताकि औद्योगिक शांति बनी रहे और श्रमिकों को बिना किसी अनावश्यक देरी के न्याय प्राप्त हो सके।

290. (B) निष्पक्ष कार्य के लिए निष्पक्ष वेतन।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत कुशल और अकुशल श्रेणियों हेतु अलग-अलग न्यूनतम वेतन का निर्धारण निष्पक्षता के आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। यह व्यवस्था मानती है कि कार्य की जटिलता, आवश्यक विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के स्तर के अनुसार पारिश्रमिक में अंतर होना चाहिए। एक प्रशिक्षित और अनुभवी श्रमिक को उसके कौशल हेतु अकुशल श्रमिक की तुलना में उच्च वेतन मिलना न्यायसंगत है। यह न केवल श्रम के मूल्य का सही मूल्यांकन करता है, बल्कि श्रमिकों को पेशेवर रूप से विकसित होने हेतु प्रोत्साहित भी करता है। यह समग्र रूप से एक संतुलित और न्यायपूर्ण पारिश्रमिक प्रणाली का आधार है।

291. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
श्रम संहिताओं के प्रावधान विभिन्न सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को संबोधित करते हैं। न्यूनतम वेतन का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के आर्थिक शोषण को रोकना और बुनियादी निर्वाह सुनिश्चित करना है। शिकायत निवारण तंत्र उद्यम के भीतर ही विवादों के त्वरित और आपसी समाधान हेतु बनाया गया है। गिग श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा आधुनिक अर्थव्यवस्था के नए स्वरूपों में लगे व्यक्तियों को सुरक्षा जाल प्रदान करती है। अंत में, मुआवजे का प्रावधान कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण उपार्जन क्षमता खोने वाले श्रमिकों को आय की सुरक्षा और वित्तीय राहत प्रदान करता है।

292. (D) कार्य के दौरान चोट के कारण उपार्जन क्षमता की हानि।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत मुआवजे का वैधानिक उद्देश्य श्रमिक की शारीरिक अक्षमता के कारण हुए वास्तविक आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है। यदि नियोजन के दौरान किसी दुर्घटना में श्रमिक घायल होता है, जिससे उसकी उपार्जन क्षमता कम या समाप्त हो जाती है, तो संहिता उसे वित्तीय राहत दिलाने की गारंटी देती है। यह मुआवजा उसे और उसके परिवार को उस आय की कमी से जूझने में मदद करता है जो चोट न लगने की स्थिति में वह अर्जित करता। अतः, यह प्रावधान केवल चिकित्सा व्यय हेतु नहीं, बल्कि श्रमिक के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने हेतु है।

293. (B) लागत श्रमिक, नियोक्ता और सरकार के बीच साझा की जाती है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों हेतु अंशदायी तंत्र का अर्थ है कि योजनाओं के वित्तीय बोझ को समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा सामूहिक रूप से वहन किया जाता है। चूंकि असंगठित श्रमिकों के पास आय की स्थिरता कम होती है, इसलिए सरकार योजनाओं के वित्तपोषण में बड़ी भूमिका निभाती है। इसके साथ ही, नियोक्ताओं और स्वयं श्रमिकों से भी एक व्यावहारिक अंशदान लिया जाता है। यह साझा उत्तरदायित्व मॉडल योजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि लाभ वितरण की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की भागीदारी और जवाबदेही बनी रहे।

294. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
दोनों संहिताएँ भारतीय श्रम कानूनों में सुधार के दो महत्वपूर्ण आयामों को संबोधित करती हैं। वेतन संहिता आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जहाँ वेतन की गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक को उसके परिश्रम का फल बिना किसी अनुचित देरी के प्राप्त हो। दूसरी ओर, औद्योगिक संबंध संहिता प्रक्रियात्मक न्याय पर ध्यान केंद्रित करती है, जहाँ त्वरित न्याय का प्रावधान विवादों के समयबद्ध समाधान द्वारा अनिश्चितता को कम करता है। साथ मिलकर, ये संहिताएँ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं और एक ऐसा वातावरण निर्मित करती हैं जहाँ न्याय और आर्थिक सुरक्षा एक साथ उपलब्ध हों।

295. (D) 1, 2 और 3
व्यावसायिक सुरक्षा संहिता 2020 महिला सशक्तिकरण हेतु क्रांतिकारी बदलाव लाती है। यह उन्हें उनकी सहमति के साथ रात्रि पाली में कार्य करने का समान अवसर प्रदान करती है, बशर्ते नियोक्ता उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह कुछ खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं के नियोजन पर लगे पुराने प्रतिबंधों को भी हटाती है। इसके अतिरिक्त, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशुगृह की सुविधा अनिवार्य करना महिलाओं की कार्यक्षमता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाता है। ये सभी उपाय कार्यबल में महिलाओं हेतु एक समावेशी, सुरक्षित और समान अवसर वाला वातावरण निर्मित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

296. (A) जटिलता, प्रशिक्षण और निर्णय।
वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत श्रमिकों का वर्गीकरण कार्य की वैज्ञानिक प्रकृति पर आधारित है। एक कुशल श्रमिक वह है जिसके कार्य में उच्च स्तर की तकनीकी जटिलता, विशिष्ट प्रशिक्षण और कार्य के दौरान स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, अकुशल कार्य सरल और दोहराव वाले होते हैं। चूंकि कुशल कार्य अधिक जिम्मेदारी और विशेषज्ञता की मांग करते हैं, इसलिए उनके लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दर अकुशल कार्यों से उच्च होती है। यह व्यवस्था श्रम बाजार में कौशल के मूल्य को मान्यता प्रदान करती है और श्रमिकों को अपनी योग्यता बढ़ाने हेतु आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करती।

297. (C) समाधान और अधिनिर्णय।
औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक न्याय प्रणाली को पुरानी मुकदमेबाजी के चंगुल से मुक्त करना है। त्वरित न्याय का प्रावधान एक ऐसी व्यवस्था की ओर संक्रमण है जहाँ विवादों को समाधान और समयबद्ध अधिनिर्णय के माध्यम से सुलझाया जाता है। संहिता सुलह अधिकारियों और न्यायाधिकरणों हेतु निर्णय देने हेतु अनिवार्य समय-सीमा निर्धारित करती है। यह सुधार सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक विवाद वर्षों तक अदालतों में न लटके रहें, जिससे श्रमिकों को शीघ्र राहत मिले और उद्योगों में सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहें, जो अंततः आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है।

298. (B) उत्पादन में मानव की क्षति की लागत उद्योग द्वारा वहन की जानी चाहिए।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में मुआवजे के प्रावधान इस मौलिक औद्योगिक सिद्धांत को सुदृढ़ करते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रमिक द्वारा उठाए गए जोखिमों की जिम्मेदारी उद्योग की होनी चाहिए। यह सिद्धांत मानता है कि यदि कार्य के दौरान किसी श्रमिक को चोट पहुँचती है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसे व्यवसाय की लागत का हिस्सा माना जाना चाहिए और उसकी भरपाई नियोक्ता द्वारा की जानी चाहिए। यह मानवीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि श्रमिक के शारीरिक और आर्थिक नुकसान का दंड उसके परिवार को न भुगतना पड़े। यह प्रावधान सामाजिक न्याय और नियोक्ता की वैधानिक जवाबदेही के मध्य संतुलन स्थापित करता है।

299. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
वेतन संहिता 2019 श्रमिकों को उनके अर्जित पारिश्रमिक की सुरक्षा के माध्यम से आर्थिक गारंटी प्रदान करती है। अभिकथन सही है क्योंकि यह न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान को वैधानिक अधिकार बनाती है। हालाँकि, कारण पूर्णतः गलत है। संहिता वेतन की गारंटी तो देती है, परंतु यह सरकारी नियोजन की कोई गारंटी नहीं देती है। संहिता निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के अधिकारों को विनियमित करती है, लेकिन रोजगार प्रदान करना इसके वैधानिक क्षेत्र में नहीं आता। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा नियोजन में श्रमिक के आर्थिक हितों की रक्षा करना है।

300. (B) यह एक विशाल और सुभेद्य हिस्से तक औपचारिक सुरक्षा जाल का विस्तार करता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भारत के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों हेतु एक ऐतिहासिक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। पहले ये श्रमिक अधिकांश वैधानिक लाभों से वंचित थे, जिससे वे आर्थिक रूप से सुभेद्य रहते थे। संहिता इन श्रमिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करती है और उन्हें भविष्य निधि तथा बीमा जैसी योजनाओं के दायरे में लाती है। यह पहल कार्यबल के सबसे निचले स्तर तक सामाजिक सुरक्षा पहुँचाने के राज्य के संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

अध्याय 08
प्रशासनिक विधि

1. निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक विधि के प्राथमिक सरोकार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
   (A) सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच संबंध।
   (B) सार्वजनिक प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ।
   (C) प्राथमिक विधानों का निर्माण और अधिनियमन।
   (D) न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या।

2. 'नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' के सिद्धांत के पीछे मूल विचार क्या है?
   (A) किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।
   (B) किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
   (C) विधि सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।
   (D) विधायी शक्ति का अत्यधिक प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है।

3. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए:
   कथन I: प्रशासनिक विवेक कार्यपालिका को प्रदत्त एक पूर्ण और अनियंत्रित शक्ति है।
   कथन II: न्यायपालिका किसी भी परिस्थिति में प्रशासनिक विवेक के प्रयोग की समीक्षा नहीं कर सकती है।
   (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
   (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
   (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
   (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

4. निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधायन का एक उदाहरण है?
   (A) विधायी प्रक्रिया के माध्यम से संसद द्वारा अधिनियमित विधि।
   (B) विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश।
   (C) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय।
   (D) किसी विशिष्ट मूल अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियम।

5. भारत में लोकपाल की संस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है?
   (A) फ्रांस में कॉन्सेल डी'एटैट।
   (B) रूस में प्रोक्यूरेटर जनरल।
   (C) स्कैंडिनेवियाई देशों में ओम्बुड्समैन।
   (D) यूनाइटेड किंगडम में प्रशासनिक न्यायाधिकरण।

6. प्रशासनिक विधि का विकास अनिवार्य रूप से राज्य की किस अवधारणा के उदय से जुड़ा हुआ है?
   (A) अहस्तक्षेपकारी राज्य।
   (B) कल्याणकारी राज्य।
   (C) पुलिस राज्य।
   (D) औपनिवेशिक राज्य।

7. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
   अभिकथन (A): प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत संहिताबद्ध नहीं हैं और उनके अनुप्रयोग में लचीलापन है।
   तर्क (R): प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताएँ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, जांच की प्रकृति और उन नियमों पर निर्भर करती हैं जिनके अंतर्गत प्राधिकारी कार्य कर रहा है।
   (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
   (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) A सही है लेकिन R गलत है।
   (D) A गलत है लेकिन R सही है।

8. एक सार्वजनिक अधिकारी अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग किए बिना, पूर्णतः एक वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों के आधार पर निर्णय लेता है। यह किसका उदाहरण है?
   (A) किसी अन्य के निर्देशानुसार कार्य करना।
   (B) शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग।
   (C) विवेक पर बंधन।
   (D) शक्ति का उप-प्रत्यायोजन।

9. प्रत्यायोजित विधायन के संदर्भ में 'प्रक्रियात्मक अधिकारातीत' शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ:
   (A) प्रत्यायोजित विधायन संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।
   (B) प्रत्यायोजित विधायन मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार सीमा से बाहर है।
   (C) नियम बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।
   (D) न्यायालयों द्वारा प्रत्यायोजित विधायन को तर्कहीन पाया गया है।

10. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?

(A) चयन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति।
(B) केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से कार्य करते हुए प्रधानमंत्री।
(C) वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(D) मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों वाला एक कॉलेजियम।

11. निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रशासनिक विधि का प्राथमिक स्रोत नहीं है?
(A) भारत का संविधान।
(B) अधिनियम और संविधियाँ।
(C) न्यायिक निर्णय।
(D) किसी विशेष समुदाय की प्रथागत परंपराएँ।

12. पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम को प्रायः आर्थिक पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और किस अन्य प्रकार में विभाजित किया जाता है?
(A) व्यक्तिगत या राजनीतिक पूर्वाग्रह।
(B) आधिकारिक या विषय-वस्तु संबंधी पूर्वाग्रह।
(C) न्यायिक या पेशेवर पूर्वाग्रह।
(D) प्रक्रियात्मक या तकनीकी पूर्वाग्रह।

13. प्रशासनिक विधि में "वेन्सबरी सिद्धांत" का क्या महत्व है?
(A) यह प्रतिकूल आदेश पारित करने से पूर्व निष्पक्ष सुनवाई का आदेश देता है।
(B) यह न्यायिक मामलों में वित्तीय हितों को प्रतिबंधित करता है।
(C) यह प्रशासनिक अतार्किकता की समीक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है।
(D) यह आवश्यक विधायी कार्यों के प्रत्यायोजन को नियंत्रित करता है।

14. "पटल पर रखना" की अवधारणा प्रत्यायोजित विधायन पर किस प्रकार के नियंत्रण का एक रूप है?
(A) न्यायिक नियंत्रण।
(B) कार्यकारी नियंत्रण।
(C) मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नियंत्रण।
(D) संसदीय नियंत्रण।

15. राज्य स्तर पर लोकपाल के समकक्ष संस्था कौन सी है?
(A) लोकायुक्त।
(B) लोक अदालत।
(C) राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण।
(D) राज्य सतर्कता आयोग।

16. निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि के बीच सही ढंग से अंतर करता है?
(A) प्रशासनिक विधि वंश है, जबकि संवैधानिक विधि प्रजाति है।
(B) संवैधानिक विधि संरचना से संबंधित है, जबकि प्रशासनिक विधि कार्यों से संबंधित है।
(C) संवैधानिक विधि नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है, जबकि प्रशासनिक विधि नहीं है।
(D) इनमें कोई अंतर नहीं है; वे पूर्णतः अतिव्यापी क्षेत्र हैं।

17. 'ऑडी अल्टरम पार्टम' के सिद्धांत का मुख्य अर्थ है:
(A) तर्कसंगत निर्णय का अधिकार।
(B) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
(C) निष्पक्ष न्यायाधीश का अधिकार।
(D) उच्च अधिकारी को अपील करने का अधिकार।

18. प्रशासनिक विवेक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विवेक का तात्पर्य कार्य के वैकल्पिक मार्गों के बीच चयन करने की शक्ति से है।
2. विवेक के अस्तित्व का अर्थ है कि कार्य करने का कर्तव्य है, परंतु कार्य करने की पद्धति प्राधिकारी पर छोड़ दी गई है।
3. सभी विवेकाधीन शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

19. जब प्रत्यायोजित विधायन को इसलिए निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह उस मूल अधिनियम के साथ संघर्ष करता है जिसने इसके निर्माण को अधिकृत किया था, तो यह किसका उदाहरण है?
(A) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत।
(B) अतार्किकता।
(C) मूल अधिकारातीत।
(D) प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन।

20. भारत की संसद द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
(A) 2011
(B) 2012
(C) 2014
(D) 2013

21. फ्रांसीसी विधिक प्रणाली में प्रशासनिक विधि की एक सुविकसित प्रणाली है जिसे किस रूप में जाना जाता है?
(A) जस कोजेंस।
(B) लेक्स लोकी।
(C) ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ।
(D) स्टेयर डेसिसिस।

22. 'निर्णय-पश्चात सुनवाई' एक अवधारणा है जिसे न्यायालयों द्वारा विकसित किया गया है ताकि:
(A) नियमित रूप से एक अतिरिक्त सुनवाई प्रदान की जा सके।
(B) निर्णय से पूर्व हुए प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को सुधारा

जा सके।
(C) सभी मामलों में निर्णय-पूर्व सुनवाई को प्रतिस्थापित किया जा सके।
(D) प्रशासनिक निर्णय के पीछे की नीति की समीक्षा की जा सके।

23. यदि कोई प्रशासनिक प्राधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग उस उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है जिसके लिए उसे शक्ति प्रदान की गई थी, तो उसे क्या कहा जाता है?
(A) विवेक का प्रयोग न करना।
(B) दुर्भावनापूर्ण प्रयोग।
(C) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(D) अनुचित उद्देश्य।

24. सूची I में दी गई अवधारणाओं को सूची II में दिए गए उनके विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I:
(P) मूल अधिकारातीत,
(Q) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत,
(R) मूल अधिनियम,
(S) पटल पर रखने की प्रक्रिया।
सूची II:
(1) वह विधि जो शक्ति प्रदान करती है,
(2) शक्ति के दायरे से बाहर,
(3) विधायी नियंत्रण की एक पद्धति,
(4) निर्धारित पद्धति का पालन करने में विफलता।
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

25. लोकपाल का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ तक विस्तृत है?
(A) राज्य सरकार के कर्मचारी।
(B) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।
(C) प्रधानमंत्री, कुछ अपवादों के साथ।
(D) राज्य विधानसभाओं के सदस्य।

26. डाइसी की 'विधि का शासन' की अवधारणा को, जैसा कि परंपरागत रूप से व्याख्यायित किया गया है, निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों को समाहित करने में कठिनाई हुई थी?
(A) प्रशासनिक विधि और न्यायाधिकरण।
(B) संसदीय संप्रभुता।
(C) शक्तियों का पृथक्करण।
(D) स्वतंत्र न्यायपालिका।

27. 'तर्कसंगत निर्णय' या 'बोलता हुआ आदेश' के सिद्धांत को किसका अभिन्न अंग माना जाता है?
(A) पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम का।
(B) शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का।
(C) विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांत का।
(D) निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का।

28. कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि एक प्रशासनिक प्राधिकारी स्वयं को पूर्व-निर्धारित नीति से नहीं बाँध सकता है और उसे प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए?
(A) आनुपातिकता का सिद्धांत।
(B) विवेक पर बंधन।
(C) वैध प्रत्याशा का सिद्धांत।
(D) अधिकारातीत का सिद्धांत।

29. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): संसद अपने आवश्यक विधायी कार्यों को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है।
तर्क (R): भारत का संविधान प्राथमिक विधि बनाने की शक्ति विधायिका में निहित करता है, और यह मुख्य कार्य गैर-प्रत्यायोज्य है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

30. निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल का कार्य नहीं है?
(A) लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।
(B) प्रारंभिक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को निर्देश देना।
(C) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सहित किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण करना।
(D) उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करना।

31. प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से 'सत्ता के विकृति विज्ञान' से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि यह किस पर ध्यान केंद्रित करती है?
(A) सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग का नियंत्रण और उपचार।
(B) सरकारी शक्तियों का विस्तार।
(C) सरकारी संरचनाओं का अध्ययन।
(D) प्रशासनिक एजेंसियों का ऐतिहासिक विकास।

32. यदि एक साक्षात्कार पैनल का कोई सदस्य किसी उम्मीदवार का संबंधी है, तो किस प्रकार के पूर्वाग्रह का आरोप लगाए जाने की सर्वाधिक संभावना है?
(A) आर्थिक पूर्वाग्रह।
(B) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह।
(C) आधिकारिक पूर्वाग्रह।
(D) विषय-वस्तु संबंधी पूर्वाग्रह।

33. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक विवेक को नियंत्रित करने का एकमात्र मार्ग है।
कथन II: संसदीय समितियों के माध्यम से विधायी नियंत्रण प्रशासनिक कार्यों की निगरानी के तंत्रों में से एक है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

34. एक प्रतिनिधि द्वारा किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को विधायी शक्ति के आगे प्रत्यायोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
(A) उप-प्रत्यायोजन।
(B) सशर्त विधायन।
(C) कार्यकारी विधायन।
(D) समवर्ती विधायन।

35. भारत में लोकायुक्त की अवधारणा की अनुशंसा सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी?
(A) संथानम समिति।
(B) सरकारिया आयोग।
(C) भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70)।
(D) बलवंत राय मेहता समिति।

36. निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि के विकास का कारण नहीं है?
(A) सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए पारंपरिक विधायी प्रक्रिया की अपर्याप्तता।
(B) विशेषज्ञ और विशिष्ट निर्णय लेने की आवश्यकता।
(C) अधिकारियों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता।
(D) न्यूनतम, अहस्तक्षेपकारी राज्य की ओर रुझान।

37. निम्नलिखित में से किन स्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को वर्जित किया जा सकता है?
(A) प्रशासनिक अपील के मामलों में।
(B) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई में।
(C) राष्ट्रीय आपातकाल या असाधारण परिस्थितियों के मामलों में।
(D) अर्द्ध-न्यायिक कार्यों से जुड़े सभी मामलों में।

38. प्रशासनिक विवेक की न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में 'दुर्भावना' का अर्थ है:
(A) निर्णय तर्कहीन था।
(B) प्राधिकारी ने बेईमान या भ्रष्ट इरादे से कार्य किया।
(C) प्राधिकारी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहा।
(D) प्राधिकारी ने विधिक अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया।

39. सूत्र 'डेलिगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर' का अर्थ है:
(A) विधि लघु विषयों पर विचार नहीं करती है।
(B) कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
(C) दूसरे पक्ष को भी सुना जाए।
(D) एक प्रतिनिधि अपनी शक्ति का आगे प्रत्यायोजन नहीं कर सकता।

40. अध्यक्ष के अतिरिक्त लोकपाल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?
(A) आठ
(B) छह
(C) दस
(D) बारह

41. प्रशासनिक विधि का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी शक्ति का प्रयोग इस रीति से किया जाए जो:
(A) कुशल, शक्तिशाली और तीव्र हो।
(B) राजनीतिक रूप से लाभप्रद और लोकप्रिय हो।
(C) वैध, निष्पक्ष और तर्कसंगत हो।
(D) न्यूनतम और हस्तक्षेप न करने वाला हो।

42. "पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना" का परीक्षण किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था?
(A) ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ।
(B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
(C) डी. के. यादव बनाम जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज।
(D) आर बनाम ससेक्स जस्टिस।

43. प्रशासनिक विवेक की न्यायिक समीक्षा के निम्नलिखित आधारों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. दुर्भावना
2. वेन्सबरी अतार्किकता
3. आनुपातिकता
4. अप्रासंगिक विचार
(A) 1, 4, 2, 3
(B) 4, 1, 3, 2
(C) 1, 2, 4, 3
(D) 2, 3, 1, 4

44. जब विधायिका कोई ऐसी विधि पारित करती है जो किसी निश्चित शर्त के पूर्ण होने पर ही लागू होगी, तो इसे किस रूप में जाना जाता है?
(A) प्रत्यायोजित विधायन।
(B) सशर्त विधायन।
(C) उप-प्रत्यायोजन।
(D) सहायक विधायन।

45. लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?
(A) भारत के राष्ट्रपति।

90. लोकपाल का अधिकार क्षेत्र समूह क, ख, ग और घ के अधिकारियों तक विस्तृत है। किस समूह के अधिकारियों के संबंध में शिकायतें सर्वप्रथम केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाती हैं?
(A) समूह क, ख और ग।
(B) केवल समूह क और ख।
(C) केवल समूह ग और घ।
(D) केवल समूह घ।

91. 'शक्तियों के पृथक्करण' की अवधारणा को प्रायः एक आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के साथ कौन प्रसिद्ध रूप से जुड़ा है?
(A) ए. वी. डाइसी
(B) जॉन लॉक
(C) आइवर जेनिंग्स
(D) मोंटेस्क्यू

92. 'असाध्यता' के आधार पर प्राकृतिक न्याय के अपवर्जन पर कौन सा मामला एक प्रमुख विधिक आधार है?
(A) आर बनाम बोर्ड ऑफ विजिटर्स।
(B) चरण लाल साहू बनाम भारत संघ।
(C) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
(D) हीरा नाथ मिश्रा बनाम प्राचार्य, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज।

93. निर्णय लेते समय एक प्रशासनिक प्राधिकारी की प्रासंगिक विचार को संज्ञान में लेने में विफलता न्यायिक समीक्षा का एक आधार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया गया है?
(A) तर्कहीनता।
(B) प्रक्रियात्मक अनुचितता।
(C) आनुपातिकता।
(D) अवैधता।

94. संसद की संवीक्षा समितियाँ मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधायन के संबंध में कौन सा कार्य करती हैं?
(A) वे मंत्रालयों के लिए नियम और विनियम तैयार करती हैं।
(B) वे न्यायिक समीक्षा करती हैं और अवैध नियमों को निरस्त करती हैं।
(C) वे धरातल पर प्रत्यायोजित विधायन को लागू करती हैं।
(D) वे मूल अधिनियम और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुपालन की जांच करती हैं।

95. भारत में लोकपाल से संबंधित निम्नलिखित विधायी चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. लोकपाल विधेयक का प्रथम बार प्रस्तुत किया जाना।
2. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल के लिए अनुशंसा।
3. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का पारित होना।
4. प्रथम लोकपाल समिति का गठन।
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

96. आधुनिक लोकतंत्र में प्रशासनिक विधि के महत्व का सार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है?
(A) यह अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है और नागरिकों को मनमानी कार्रवाई से सुरक्षित रखता है।
(B) यह न्यायपालिका के कार्यों को प्रतिस्थापित करता है।
(C) यह कुशल शासन के लिए कार्यपालिका को असीमित शक्ति प्रदान करता है।
(D) यह मुख्य रूप से सरकारी विभागों के आंतरिक संगठन से संबंधित है।

97. यह अवधारणा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, अपितु होता हुआ दिखना भी चाहिए, किस सिद्धांत का आधार है?
(A) निष्पक्ष सुनवाई का नियम।
(B) अधिकारातीत का सिद्धांत।
(C) तर्कसंगत निर्णय का सिद्धांत।
(D) पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम।

98. प्रशासनिक विवेक की न्यायिक समीक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. न्यायालय किसी निर्णय में केवल इसलिए हस्तक्षेप कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक भिन्न निर्णय लिया होता।
2. समीक्षा का संबंध वैधता और प्रक्रिया से है, न कि निर्णय के गुण-दोष से।
3. आनुपातिकता वेन्सबरी मानक की तुलना में अधिक गहन समीक्षा की अनुमति देती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

99. किसी विधि में 'अपवर्जन खंड' या 'अंतिम रूप खंड' का उद्देश्य क्या होता है?
(A) न्यायिक समीक्षा के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।
(B) प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता को अनिवार्य बनाना।
(C) प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा को अपवर्जित या सीमित करना।
(D) विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करना।

100. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है?
(A) तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्व हो।
(B) छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्व हो।
(C) पांच वर्ष या 75 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्व हो।
(D) पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्व हो।

101. निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक विधि के अंतर्गत उपलब्ध उपचार का एक रूप नहीं है?

(B) 33%
(C) 60%
(D) 50%

56. आइवर जेनिंग्स ने प्रशासनिक विधि को किस रूप में वर्णित किया?
(A) प्रशासन से संबंधित विधि, जो अधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है।
(B) राजा की परिषद और उसकी न्यायिक शक्तियों से संबंधित विधि।
(C) विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समानता।
(D) कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण।

57. 'ऑडी अल्टरम पार्टम' का एक अनिवार्य घटक 'सूचना' जारी करना है। सूचना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) व्यक्ति को अंतिम प्रशासनिक निर्णय के विषय में सूचित करना।
(B) व्यक्ति को एक अन्य मामले में साक्षी के रूप में आहूत करना।
(C) किसी व्यक्ति को आरोपों के विरुद्ध प्रतिरक्षा तैयार करने की अनुमति देना।
(D) सरकारी विभागीय नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा करना।

58. जब कोई प्राधिकारी उस विवेक का प्रयोग करने में विफल रहता है जिसे विधि द्वारा प्रयोग करना आवश्यक है, तो इसे क्या कहा जाता है?
(A) विवेक के प्रयोग में विफलता।
(B) विवेक का दुरुपयोग।
(C) विवेक का प्रयोग न करना।
(D) विवेक पर बंधन।

59. प्रत्यायोजित विधायन का प्रकाशन विधि के किस सिद्धांत के अंतर्गत एक आवश्यकता है?
(A) यह पूर्णतः कार्यकारी विवेक का विषय बना रहता है।
(B) यह बिना विधिक शक्ति वाली एक संसदीय परंपरा है।
(C) यह इस बात पर निर्भर करता है कि मूल अधिनियम स्पष्ट रूप से इसकी मांग करता है या नहीं।
(D) यह निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए एक न्यायिक आवश्यकता है।

60. निम्नलिखित में से कौन लोकपाल की चयन समिति का सदस्य नहीं है?
(A) प्रधानमंत्री।
(B) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
(C) लोकसभा अध्यक्ष।
(D) लोकसभा में विपक्ष के नेता।

61. प्रशासनिक विधि का महत्व 'पुलिस राज्य' से किस ओर संक्रमण के कारण बढ़ा है?
(A) ईश्वरीय राज्य।
(B) अधिनायकवादी राज्य।
(C) सामाजिक कल्याणकारी राज्य।
(D) कॉर्पोरेट राज्य।

62. 'वैध प्रत्याशा का सिद्धांत' किस व्यापक विधिक सिद्धांत का एक पक्ष है?
(A) शक्तियों का पृथक्करण।
(B) संसदीय संप्रभुता।
(C) प्रत्यायोजित विधायन।
(D) विधि का शासन और प्राकृतिक न्याय।

63. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: आनुपातिकता का सिद्धांत वेन्सबरी सिद्धांत की तुलना में न्यायिक समीक्षा का अधिक गहन रुप है।
कथन II: आनुपातिकता समीक्षा में प्रशासनिक निर्णय की विस्तृत "गुण-दोष समीक्षा" सम्मिलित होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

64. किसी विधि में "हेनरी VIII खंड" एक ऐसा खंड है जो कार्यपालिका को अधिकार देता है कि वह:
(A) अधिसूचना जारी करके नए कर लगा सके।
(B) मूल अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सके।
(C) नागरिकों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन कर सके।
(D) बिना किसी प्रतिबंध के अपनी शक्तियों का उप-प्रत्यायोजन कर सके।

65. 'लोकायुक्त' शब्द का शाब्दिक अर्थ है:
(A) जनता की ध्वनि।
(B) जनता द्वारा नियुक्त।
(C) जनता का रक्षक।
(D) जनता की विधि।

66. प्रशासनिक विधि को प्रायः किसकी एक शाखा के रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) लोक विधि।
(B) निजी विधि।
(C) आपराधिक विधि।
(D) अंतर्राष्ट्रीय विधि।

67. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) इनका उद्देश्य न्याय सुरक्षित करना और न्याय की विफलता को रोकना है।
(B) एक वैधानिक प्रावधान द्वारा उनके अनुप्रयोग को अपवर्जित किया जा सकता है।
(C) वे संहिताबद्ध नियम हैं और उनसे विचलित नहीं हुआ जा

सकता है।
(D) वे उन प्रशासनिक कार्यों पर लागू होते हैं जिनके नागरिक परिणाम होते हैं।

68. प्रभावित व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत नापसंदगी या शत्रुता पर आधारित प्रशासनिक आदेश किसका एक उदाहरण है?
(A) विधिक विद्वेष।
(B) विवेक का प्रयोग न करना।
(C) अप्रासंगिक विचार।
(D) तथ्यात्मक विद्वेष।

69. इस आधार पर कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, प्रत्यायोजित विधायन की न्यायिक समीक्षा किसके अधिकारातीत होने का उदाहरण है?
(A) मूल अधिनियम।
(B) विधि के सामान्य सिद्धांत।
(C) संविधान।
(D) प्राकृतिक न्याय के नियम।

70. लोकपाल की जांच शाखा के पास किसकी शक्तियां होती हैं?
(A) आपराधिक न्यायालय।
(B) सिविल न्यायालय।
(C) उच्च न्यायालय।
(D) विशेष न्यायाधिकरण।

71. फ्रांस की 'ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ' प्रणाली किसके द्वारा प्रशासित की जाती है?
(A) विधि के सामान्य न्यायालय।
(B) स्वयं विधायिका।
(C) प्रत्यक्ष कार्यपालिका शाखा।
(D) प्रशासनिक न्यायालयों का एक विशेष समूह जिसके शीर्ष पर कॉन्सेल डी'एटैट है।

72. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी प्राधिकारियों को प्राकृतिक न्याय का पालन करना चाहिए।
तर्क (R): न्यायालयों द्वारा विधियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को तब तक अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि उनका अपवर्जन स्पष्ट न हो।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

73. यह सिद्धांत कि वैधानिक शक्ति का प्रयोग 'तर्कसंगत' रीति से किया जाना चाहिए, शास्त्रीय रूप से किस अंग्रेजी मामले में प्रतिपादित किया गया था?
(A) रिज बनाम बाल्डविन।
(B) मार्बरी बनाम मैडिसन।
(C) एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड बनाम वेन्सबरी कॉर्पोरेशन।
(D) रायलैंड्स बनाम फ्लेचर।

74. प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसदीय नियंत्रण प्रत्यायोजित विधायन बनने से पूर्व और पश्चात किया जाता है।
2. न्यायिक नियंत्रण कार्योत्तर नियंत्रण का एक रूप है।
3. प्रभावित पक्षों के साथ परामर्श प्रक्रियात्मक नियंत्रण का एक रूप है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

75. लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था?
(A) उत्तर प्रदेश।
(B) ओडिशा।
(C) राजस्थान।
(D) महाराष्ट्र।

76. अपने आधुनिक अर्थ में 'विधि का शासन' की अवधारणा, जो प्रशासनिक विधि को समाहित करती है, किस पर बल देती है?
(A) संसद की पूर्ण सर्वोच्चता।
(B) प्रभावी न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई पर नियंत्रण।
(C) व्यापक, गैर-समीक्षा योग्य विवेकाधीन शक्तियों का अस्तित्व।
(D) सामान्य न्यायालयों से प्रशासनिक न्यायनिर्णयन का पृथक्करण।

77. 'ऑडी अल्टरम पार्टम' के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई का कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है?
(A) सूचना का अधिकार।
(B) पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार।
(C) सभी परिस्थितियों में विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार।
(D) जहाँ उचित हो, प्रतिकूल साक्षियों से जिरह करने का अधिकार।

78. एक लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदन के विशिष्ट गुणों पर विचार किए बिना, उसके द्वारा अपनाई गई एक सामान्य नीति के आधार पर लाइसेंस नवीनीकृत करने से इनकार कर देता है। इस कार्रवाई को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है?
(A) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(B) दुर्भावना।
(C) मूल अधिकारातीत।
(D) विवेक पर बंधन।

79. सूची I के मामलों को सूची II में उनके संबंधित सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I:
(P) ए. के. क्रैपक,
(Q) मेनका गांधी,
(R) वेन्सबरी,
(S) इन रे दिल्ली लॉज।
सूची II:
(1) प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय,
(2) प्रत्यायोजित विधायन के लिए परीक्षण,
(3) प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक के बीच की सूक्ष्म रेखा,
(4) अतार्किकता का परीक्षण।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

80. लोकपाल की चयन समिति में "प्रख्यात न्यायविद" को किसके द्वारा नामित किया जाता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति।
(B) चयन समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य।
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(D) केंद्रीय मंत्रिमंडल।

81. प्रशासनिक विधि के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) प्रशासन की शक्तियों को बढ़ाना।
(B) व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना।
(C) सभी विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करना।
(D) न्यायालयों को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से प्रतिस्थापित करना।

82. विवाद की विषय-वस्तु में कोई भी वित्तीय हित, चाहे वह कितना भी अल्प क्यों न हो, व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में कार्य करने से अयोग्य घोषित कर देता है। यह किससे संबंधित कठोर नियम है?
(A) आर्थिक पूर्वाग्रह।
(B) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह।
(C) नीतिगत पूर्वाग्रह।
(D) विभागीय पूर्वाग्रह।

83. प्रशासनिक विवेक के संदर्भ में 'विधिक विद्वेष' या 'विधि में विद्वेष' का तात्पर्य उस कार्रवाई से है जो:
(A) भ्रष्ट इरादे से की गई हो।
(B) व्यक्तिगत शत्रुता के कारण की गई हो।
(C) बिना किसी उचित या तर्कसंगत कारण के की गई हो।
(D) नेक नीयत से परंतु त्रुटिवश की गई हो।

84. 'पटल पर रखने की प्रक्रिया' जिसमें प्रत्यायोजित विधायन के प्रभावी होने से पूर्व विधायिका से एक सकारात्मक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, कहलाती है:
(A) साधारण प्रस्तुति।
(B) नकारात्मक प्रस्तुति।
(C) संशोधन सहित प्रस्तुति।
(D) पुष्टिकारक या सकारात्मक प्रस्तुति।

85. लोकायुक्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है।
(B) लोकायुक्त का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना है।
(C) लोकायुक्त की संरचना और शक्तियां भारत के सभी राज्यों में एक समान हैं।
(D) कुछ लोकायुक्तों के पास मुख्यमंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच करने की शक्ति है।

86. प्रशासनिक विधि का कौन सा सिद्धांत प्रशासन और शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विधि की सक्रिय भूमिका का पक्षधर है?
(A) लाल-बत्ती सिद्धांत।
(B) हरी-बत्ती सिद्धांत।
(C) पीली-बत्ती सिद्धांत।
(D) नीली-बत्ती सिद्धांत।

87. 'तर्कसंगत आदेश' या कारण सहित निर्णय का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि:
(A) निर्णय मौखिक रूप से दिया जाए।
(B) निर्णय दीर्घ और विस्तृत हो।
(C) निर्णय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हो।
(D) निर्णय में वे कारण सम्मिलित हों जिन पर वह आधारित है।

88. यदि किसी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग उस प्राधिकारी द्वारा किया जाता है जिसे वह नहीं सौंपी गई थी, तो यह किसका विषय है?
(A) अनुचित प्रत्यायोजन या उप-प्रत्यायोजन।
(B) विवेक पर बंधन।
(C) दुर्भावना।
(D) अतार्किकता।

89. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): सभी प्रत्यायोजित विधायन भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए।
तर्क (R): संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, और इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि शून्य है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

(A) प्रशासन से जुड़े विवादों का निर्णय उन्हीं न्यायालयों द्वारा किया जाता है जो निजी विवादों का करते हैं।
(B) प्रशासनिक मामलों से निपटने के लिए नियमों का एक पृथक समूह और पृथक न्यायालय हैं।
(C) प्रशासन किसी भी विधिक जांच से मुक्त है।
(D) विधि के समक्ष सभी अधिकारी समान हैं, और उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं।

137. निम्नलिखित में से कौन सा 'ऑडी अल्टरम पार्टम' के नियम का वैध अपवाद नहीं है?
(A) आपातकाल के विषय में अपवर्जन।
(B) जहाँ कार्रवाई प्रकृति में विशुद्ध रूप से विधायी हो।
(C) जहाँ प्रशासनिक अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हो।
(D) जहाँ सुनवाई करना असाध्य हो।

138. प्रशासनिक विधि से संबंधित निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. मेनका गांधी बनाम भारत संघ
2. ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ
3. इन रे दिल्ली लॉज एक्ट मामला
4. रिज बनाम बाल्डविन
(A) 3, 4, 2, 1
(B) 4, 3, 1, 2
(C) 3, 2, 4, 1
(D) 2, 1, 3, 4

139. प्रत्यायोजित विधायन को निम्नलिखित में से किस पद से भी जाना जाता है?
(A) प्राथमिक विधायन।
(B) न्यायिक मिसाल।
(C) अधीनस्थ विधायन।
(D) संवैधानिक संशोधन।

140. लोकपाल की संरचना में न्यायिक सदस्यों का कितना प्रतिशत अनिवार्य है?
(A) कम से कम 25%
(B) कम से कम 33%
(C) सटीक 75%
(D) कम से कम 50%

141. प्रशासनिक विधि के कार्यक्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है?
(A) प्रशासनिक निकायों की प्रक्रिया।
(B) प्रशासनिक निकायों का नियंत्रण।
(C) प्रशासनिक निकायों की शक्तियां।
(D) सत्ताधारी दल के आंतरिक राजनीतिक कार्य।

142. एक विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक समिति एक प्रतिवेदन के आधार पर कदाचार के लिए एक छात्र को निष्कासित कर देती है, बिना छात्र को प्रतिवेदन दिखाए। यह कार्रवाई किसका उल्लंघन करती है?
(A) पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम का।
(B) निष्पक्ष सुनवाई के नियम का।
(C) अधिकारातीत के सिद्धांत का।
(D) शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का।

143. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: प्रशासनिक विवेक का प्रयोग विधि, तर्क और न्याय के अनुसार किया जाना चाहिए।
कथन II: विवेक के किसी भी प्रयोग को निरस्त किया जा सकता है यदि वह मनमाना या अतार्किक है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

144. प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण का मुख्य औचित्य यह सुनिश्चित करना है कि:
(A) न्यायिक सर्वोच्चता बनी रहे।
(B) कार्यकारी सुविधा बनी रहे।
(C) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही हो।
(D) विधियों का तीव्र क्रियान्वयन हो।

145. अभियोजन निदेशक, जो लोकपाल की अभियोजन शाखा का प्रमुख होता है, की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर की जाती है?
(A) संघ लोक सेवा आयोग।
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(C) प्रधानमंत्री।
(D) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त।

146. भारतीय प्रशासनिक विधि का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि यह किसके द्वारा स्थापित ढांचे के भीतर कार्य करता है?
(A) ब्रिटिश संसद।
(B) भारत का संविधान।
(C) अंतर्राष्ट्रीय विधि।
(D) सत्ताधारी दल के निर्देश।

147. 'आधिकारिक पूर्वाग्रह' या 'विषय-वस्तु संबंधी पूर्वाग्रह' उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ निर्णायक:
(A) का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय हित होता है।
(B) किसी सम्मिलित पक्ष के प्रति व्यक्तिगत शत्रुता रखता है।
(C) विषय-वस्तु के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता रखता है।
(D) पक्षों से रक्त या विवाह द्वारा संबंधित होता है।

148. 'वैध प्रत्याशा' का सिद्धांत तब उत्पन्न हो सकता है जब किसी प्रशासनिक निकाय ने:
(A) कोई वचन दिया हो या निरंतर पूर्व अभ्यास का पालन किया हो।
(B) उसे व्यापक वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई हों।
(C) ऐसा निर्णय लिया हो जो बहुत लोकप्रिय हो।
(D) आपातकालीन स्थिति में कार्य किया हो।

(A) रिट।
(B) घोषणा।
(C) किसी मंत्री का महाभियोग।
(D) व्यादेश।

102. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में किए गए निर्णय का क्या प्रभाव होता है?
(A) यह प्रारंभ से ही शून्य होता है।
(B) यह स्वतः ही मान्य और प्रवर्तनीय होता है।
(C) यह शून्यकरणीय होता है और इसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
(D) यह केवल एक अनियमितता है जिसे अर्थदंड भरकर सुधारा जा सकता है।

103. यदि आवास के लिए उत्तरदायी कोई मंत्री नाममात्र मूल्य पर किसी संबंधी को सार्वजनिक संपत्ति आवंटित करता है, तो यह किस आधार पर समीक्षा का विषय होगा?
(A) विवेक पर बंधन।
(B) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत।
(C) दुर्भावना और अनुचित उद्देश्य।
(D) विवेक का प्रयोग न करना।

104. अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति किसकी समिति है?
(A) न्यायपालिका की।
(B) कार्यपालिका की।
(C) नीति आयोग की।
(D) संसद की।

105. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की कुर्की का प्रावधान करता है। यह शक्ति किसका उदाहरण है?
(A) संपत्तियों के क्षरण को रोकने के लिए उसकी निवारक शक्ति।
(B) उसकी परामर्शदात्री भूमिका।
(C) उसका न्यायिक कार्य।
(D) राज्य सरकारों पर उसका पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र।

106. प्रशासनिक विधि का शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ एक जटिल संबंध है क्योंकि:
(A) यह स्वीकार करता है कि अधिकारी प्रायः अर्द्ध-विधायी और अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
(B) यह पृथक प्रशासनिक निकाय बनाकर पृथक्करण को सुदृढ़ करता है।
(C) यह एक ऐसा सिद्धांत है जो केवल न्यायपालिका पर लागू होता है।
(D) यह विधायी शाखा की शक्ति को पूर्णतः नकार देता है।

107. जिस पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित है, उसे साक्ष्य प्रकट करना किसका एक प्रमुख घटक है?
(A) आर्थिक या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम का।
(B) प्रशासनिक विधि में आनुपातिकता के सिद्धांत का।
(C) न्यायपालिका द्वारा प्रत्यायोजित विधायन के नियंत्रण का।
(D) निष्पक्ष सुनवाई के नियम या ऑडी अल्टरम पार्टम का।

108. निम्नलिखित में से कौन सा 'वेन्सबरी अतार्किकता' का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन है?
(A) एक निर्णय जो नैतिक रूप से त्रुटिपूर्ण या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है।
(B) एक निर्णय इतना अतार्किक कि कोई भी समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता।
(C) एक निर्णय जो राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय या अत्यधिक विवादास्पद है।
(D) एक लघु प्रक्रियात्मक आवश्यकता के उल्लंघन में लिया गया निर्णय।

109. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): उप-प्रत्यायोजन सामान्यतः तब तक अनुमत नहीं है जब तक कि मूल विधि इसकी अनुमति न दे।
तर्क (R): सूत्र 'डेलिगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर' प्रत्यायोजित शक्ति पर लागू होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

110. निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक पदाधिकारी को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है?
(A) संसद में उनके आचरण के संबंध में संसद सदस्य।
(B) प्रधानमंत्री।
(C) कैबिनेट मंत्री।
(D) समूह 'क' के अधिकारी।

111. 'अर्द्ध-न्यायिक कार्य' शब्द उस कार्रवाई को संदर्भित करता है जो:
(A) अपनी प्रकृति में विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्रवाई है।
(B) अपनी प्रकृति में विशुद्ध रूप से न्यायिक कार्रवाई है।
(C) अपनी प्रकृति में विशुद्ध रूप से विधायी कार्रवाई है।
(D) न्यायिक विशेषताओं वाली एक प्रशासनिक कार्रवाई है।

112. यह सिद्धांत कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, किस लैटिन सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है?
(A) नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ।
(B) ऑडी अल्टरम पार्टम।
(C) स्टेयर डेसिसिस।
(D) रेस जुडिकाटा।

113. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए:

(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(C) प्रधानमंत्री।
(D) लोकसभा अध्यक्ष।

46. निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक विधि के कार्यक्षेत्र का एक प्रमुख घटक है?
(A) संविधान में संशोधन की प्रक्रिया।
(B) अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नियंत्रित करने वाले नियम।
(C) विधायी निकायों के लिए चुनावी प्रक्रिया।
(D) प्रशासनिक दुरुपयोग के विरुद्ध उपलब्ध उपचार।

47. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): एक तर्कसंगत निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाता है।
तर्क (R): कारण देने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने वाले ने प्रासंगिक तथ्यों और विधि पर अपना विचार किया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

48. यदि कोई प्राधिकारी उन कारकों पर विचार करता है जो उस विधि के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं जिसके अंतर्गत वह कार्य कर रहा है, तो उसके निर्णय को किस आधार पर चुनौती दी जा सकती है?
(A) प्रक्रियात्मक अनुचितता।
(B) अप्रासंगिक कारकों पर विचार।
(C) विवेक पर बंधन।
(D) वेन्सबरी अतार्किकता।

49. प्रत्यायोजित विधायन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह आधुनिक प्रशासनिक राज्य में एक आवश्यक बुराई है।
2. यह संसदीय और न्यायिक दोनों नियंत्रणों के अधीन है।
3. इसका उपयोग उस मूल अधिनियम को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है जिससे इसे शक्ति प्राप्त होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

50. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, इसके प्रारंभ की तिथि से कितनी अवधि के भीतर राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना का आदेश देता है?
(A) एक वर्ष।
(B) छह मास।
(C) दो वर्ष।
(D) पांच वर्ष।

51. प्रशासनिक विधि का "लाल-बत्ती सिद्धांत", "हरी-बत्ती सिद्धांत" के विपरीत, किस पर बल देता है?
(A) सरकारी कार्रवाई को सुगम बनाना।
(B) प्रशासन में दक्षता को प्रोत्साहित करना।
(C) सरकारी शक्ति को नियंत्रित और सीमित करना।
(D) प्रशासनिक विवेक को प्रोत्साहित करना।

52. 'ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ' में, उच्चतम न्यायालय ने किसके बीच के अंतर को समाप्त कर दिया?
(A) राज्य के विधायी और कार्यकारी कार्य।
(B) अधिकारियों के न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्य।
(C) वैधानिक विधि के मूल और प्रक्रियात्मक पहलू।
(D) प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्य।

53. न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में "आनुपातिकता के सिद्धांत" की आवश्यकता है कि:
(A) प्रशासनिक प्राधिकारी को अपने पद और गरिमा के अनुपात में कार्य करना चाहिए।
(B) दंड किए गए अपराधों की संख्या के अनुपात में होना चाहिए।
(C) प्रशासनिक कार्रवाई साध्य के संबंध में अत्यधिक कठोर नहीं होनी चाहिए।
(D) प्रशासनिक निकाय में सामाजिक समूहों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

54. सूची I के पदों को सूची II के अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I:
(P) उपविधि,
(Q) विनियमन,
(R) नियम,
(S) अध्यादेश।
सूची II:
(1) विधायिका के विश्रांति काल में राष्ट्रपति द्वारा विधि बनाना,
(2) विभाग द्वारा निर्मित,
(3) सार्वजनिक निगम द्वारा निर्मित,
(4) स्वायत्त निकाय द्वारा निर्मित।
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

55. लोकपाल के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होने चाहिए?
(A) 25%

प्रवर्तन को निर्धारित करता है।
(B) सशर्त विधायन की समीक्षा की जाती है; प्रत्यायोजित विधायन की नहीं।
(C) प्रत्यायोजित विधायन संसद द्वारा होता है; सशर्त राष्ट्रपति द्वारा।
(D) दोनों शब्द पर्यायवाची हैं और विधि में एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं।

125. लोकपाल द्वारा प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच बंद कमरे में होनी चाहिए और यदि शिकायत निरस्त कर दी जाती है तो:
(A) अभिलेख तुरंत प्रकाशित किए जाते हैं।
(B) अभिलेख प्रकाशित नहीं किए जाने हैं और न ही किसी को उपलब्ध कराए जाने हैं।
(C) अभिलेख समीक्षा के लिए राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं।
(D) अभिलेख संसद के पटल पर रखे जाते हैं।

126. प्रशासनिक विधि के महत्व का एक प्रमुख कारण किसकी शक्तियों को विनियमित करने की आवश्यकता है?
(A) न्यायपालिका।
(B) विधायिका।
(C) निजी निगम।
(D) प्रशासनिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों की एक विस्तृत श्रृंखला।

127. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): आपातकालीन स्थितियों में, कोई प्राधिकारी पूर्व सुनवाई के बिना कार्रवाई कर सकता है।
तर्क (R): ऐसे मामलों में, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 'निर्णय-पश्चात सुनवाई' के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

128. विवेकाधीन शक्ति से संपन्न प्राधिकारी को किसके साथ कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है?
(A) विवेकशीलता।
(B) तर्कसंगतता।
(C) बेलगाम और मनमानी इच्छा।
(D) सार्वजनिक हित का विचार।

129. प्रत्यायोजित विधायन की न्यायिक समीक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रत्यायोजित विधायन को निरस्त किया जा सकता है यदि वह मनमाना है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
2. न्यायालय प्रत्यायोजित विधायन की इस आधार पर समीक्षा कर सकते हैं कि वह नासमझी भरा है।
3. प्रक्रियात्मक अधिकारातीत का सिद्धांत प्रत्यायोजित विधि बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

130. भारत के लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
(A) न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर
(B) न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष
(C) न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू
(D) न्यायमूर्ति रंजन गोगोई

131. प्रशासनिक विधि की प्रकृति को मुख्य रुप से किस रूप में वर्णित किया गया है?
(A) संहिताबद्ध और स्थिर।
(B) असंहिताबद्ध, न्यायाधीश-निर्मित और गतिशील।
(C) धार्मिक ग्रंथों पर आधारित।
(D) अनुबंध विधि की एक उप-शाखा।

132. जब किसी निर्णय को पूर्वाग्रह के नियम के उल्लंघन से दूषित पाया जाता है, तो प्राथमिक उपचार क्या है?
(A) पूर्वाग्रही अधिकारी को कारावास भेज दिया जाता है।
(B) न्यायालय द्वारा निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है।
(C) पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति दी जाती है।
(D) प्रशासनिक विभाग को चेतावनी जारी की जाती है।

133. यदि किसी प्रशासनिक कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि वह विधि द्वारा परिकल्पित नहीं किए गए उद्देश्य के लिए की गई थी, तो वह आधार है:
(A) अवैधता।
(B) अतार्किकता।
(C) प्रक्रियात्मक अनुचितता।
(D) आनुपातिकता।

134. "मूल अधिकारातीत" का अर्थ है कि प्रत्यायोजित विधायन किससे परे जाता है:
(A) मूल अधिनियम की प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ।
(B) वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमाएँ।
(C) इसके निर्माण की समय सीमा।
(D) मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का क्षेत्र और सीमा।

135. अधिकांश राज्यों में लोकायुक्तों के अधिकार क्षेत्र में सामान्यतः क्या सम्मिलित है?
(A) मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के अधिकारी।
(B) राज्य में नियुक्त केंद्र सरकार के अधिकारी।
(C) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
(D) निजी कंपनियों के कर्मचारी।

136. फ्रांस में 'ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ' के सिद्धांत का तात्पर्य है कि:

कथन I: समीक्षा के अंतर्गत न्यायालय प्रशासक के गुण-दोष वाले दृष्टिकोण के स्थान पर अपना स्वयं का दृष्टिकोण रख सकता है।
कथन II: न्यायिक समीक्षा के आधार अवैधता, अतार्किकता और प्रक्रियात्मक अनुचितता तक सीमित हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

114. प्रत्यायोजित विधायन के प्रकाशन की आवश्यकता का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) जनता को सूचित करना ताकि वे विधि का अनुपालन कर सकें।
(B) विधि को अंतिम रूप देने से पूर्व जनमत मांगना।
(C) संसद को सूचित करना कि विधि बन गई है।
(D) केवल एक औपचारिकता पूर्ण करना।

115. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकपाल को दी गई शिकायत:
(A) प्राथमिकता पर ली जाती है।
(B) उसकी जांच नहीं की जानी है।
(C) उच्चतम न्यायालय की एक विशेष पीठ को भेजी जाती है।
(D) प्रधानमंत्री के पद छोड़ने के पश्चात ही उसकी जांच की जाती है।

116. प्रशासनिक विधि अनिवार्यतः है:
(A) मूल विधि।
(B) प्रक्रियात्मक विधि।
(C) मूल और प्रक्रियात्मक विधि का संयोजन।
(D) अनन्य रूप से न्यायाधीश-निर्मित विधि।

117. विवाद में सम्मिलित पक्षों में से किसी एक के साथ निर्णायक की गहरी व्यक्तिगत मित्रता किस प्रकार की उचित आशंका उत्पन्न कर सकती है?
(A) आर्थिक पूर्वाग्रह।
(B) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह।
(C) आधिकारिक पूर्वाग्रह।
(D) क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि।

118. जब किसी प्राधिकारी को मानदंडों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, परंतु वह उचित विचार किए बिना यंत्रवत रीति से कार्य करता है, तो यह किसका उदाहरण है?
(A) विचार न करना।
(B) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(C) दुर्भावना।
(D) अनुचित उद्देश्य।

119. सूची I में नियंत्रण तंत्रों को सूची II में उनके संबंधित नियंत्रण के प्रकारों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: नियंत्रण तंत्र
(P) उत्प्रेषण रिट,
(Q) पटल पर रखना,
(R) पूर्व परामर्श,
(S) वार्षिक प्रतिवेदन।
सूची II: प्रकार
(1) संसदीय नियंत्रण,
(2) प्रशासनिक नियंत्रण,
(3) न्यायिक नियंत्रण,
(4) प्रक्रियात्मक नियंत्रण।
(A) P-1, Q-3, R-4, S-2
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

120. लोकपाल संस्था किसके अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है?
(A) संविधान में एक संशोधन।
(B) केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव।
(C) संसद का एक अधिनियम।
(D) राष्ट्रपति का एक अध्यादेश।

121. प्रशासनिक विधि का "पीली-बत्ती सिद्धांत" एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव देता है जो:
(A) व्यक्तिगत अधिकारों पर राज्य की शक्ति को प्राथमिकता देता है।
(B) राज्य की शक्ति पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है।
(C) शासन को सुगम बनाते हुए राज्य की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता है।
(D) केवल यातायात नियमों के लिए प्रासंगिक है।

122. निम्नलिखित में से किस स्थिति में सामान्यतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी?
(A) किसी कर्मचारी को सेवा से पदच्युत करना।
(B) लाइसेंस निरस्त करना।
(C) सभी पर लागू होने वाला एक सामान्य विधायी नियम बनाना।
(D) करदाता पर अर्थदंड लगाना।

123. 'आनुपातिकता' का आधार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यायिक समीक्षा के आधार के रूप में अधिक स्थापित और प्रायः प्रयुक्त किया जाता है?
(A) व्यावसायिक अनुबंधों से जुड़े मामले।
(B) सेवा पदोन्नति से जुड़े मामले।
(C) विशुद्ध रूप से आर्थिक नीतिगत निर्णयों से जुड़े मामले।
(D) मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले।

124. प्रत्यायोजित विधायन और सशर्त विधायन के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) प्रत्यायोजित विधायन विधि बनाना है; सशर्त उसके

149. उप-प्रत्यायोजन की अनुमति देने वाले प्रावधान की संवैधानिक वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि:
(A) मूल अधिनियम स्पष्ट रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा इसकी अनुमति देता है या नहीं।
(B) उप-प्रतिनिधि एक उच्च पदस्थ अधिकारी है या नहीं।
(C) विषय सार्वजनिक महत्व का है या नहीं।
(D) संसद ने अग्रिम रूप से उप-प्रत्यायोजन को स्वीकृति दी है या नहीं।

150. लोकपाल के अधीन पदों पर नियुक्तियां करने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है?
(A) संघ लोक सेवा आयोग।
(B) स्वयं लोकपाल।
(C) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।
(D) प्रधानमंत्री कार्यालय।

151. प्रशासनिक विधि के तीव्र विकास का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) सभी विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की अक्षमता।
(B) जटिल मुद्दों से निपटने के लिए विधायिका के पास समय और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।
(C) सभी नियंत्रणों से मुक्त रहने की कार्यपालिका की इच्छा।
(D) कल्याणकारी राज्य का पतन।

152. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों में विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार पूर्ण अधिकार नहीं है।
तर्क (R): इसकी आवश्यकता जटिलता, सम्मिलित हितों और मामला प्रस्तुत करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

153. एक निर्णय के विषय में कहा जाता है कि वह 'इतना अतार्किक है कि कोई भी तर्कसंगत प्राधिकारी कभी भी उस तक नहीं पहुँच सकता था'। यह किसका सार है?
(A) दुर्भावना।
(B) वेन्सबरी अतार्किकता।
(C) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत।
(D) विवेक का प्रयोग न करना।

154. सूची I के निकायों को सूची II में उनके प्राथमिक कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: निकाय
(P) कॉन्सेल डी'एटैट,
(Q) अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति,
(R) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण,
(S) लोकपाल।
सूची II: प्राथमिक कार्य
(1) सेवा मामलों का न्यायनिर्णयन,
(2) भ्रष्टाचार की जांच,
(3) फ्रांस में शीर्ष न्यायालय,
(4) संसदीय संवीक्षा।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

155. 2013 के लोकपाल अधिनियम ने भारत के किस अन्य प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधक विधि में भी संशोधन किया?
(A) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002।
(B) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003।
(C) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946।
(D) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।

156. प्रशासनिक विधि का कार्य किसके बीच संतुलन सुनिश्चित करना है?
(A) केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां।
(B) विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां।
(C) प्रशासनिक विवेक की आवश्यकता और इसके दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता।
(D) नागरिकों के अधिकार और गैर-नागरिकों के अधिकार।

157. 'जो निर्णय लेता है उसे सुनना चाहिए' का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के किस नियम का भाग है?
(A) नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ।
(B) ऑडी अल्टरम पार्टम।
(C) उप-प्रत्यायोजन के विरुद्ध नियम।
(D) तर्कसंगत निर्णय का नियम।

158. यदि कोई विधि किसी प्राधिकारी को 'राय बनाने के पश्चात' कार्य करने की आवश्यकता देती है, तो न्यायिक समीक्षा में न्यायालय जांच कर सकता है:
(A) निर्मित राय की शुद्धता की।
(B) कि क्या राय वास्तव में निर्मित हुई थी और क्या वह सामग्री पर आधारित थी।
(C) राय बनाने वाले अधिकारी के व्यक्तिगत विश्वासों की।
(D) कि क्या कोई भिन्न राय श्रेष्ठ होती।

159. निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यायोजित विधायन की न्यायिक समीक्षा का वैध आधार नहीं है?
(A) यह मूल अधिनियम के विपरीत है।
(B) यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
(C) इसे बनाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
(D) यह राजनीतिक रूप से अनुपयुक्त है।

160. यदि लोकपाल के पास कोई मिथ्या या तुच्छ शिकायत की जाती है तो क्या होता है?
(A) शिकायतकर्ता को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है।

206. प्रशासनिक विधि किसके विधिक नियंत्रण से संबंधित है?
(A) जनता।
(B) सरकार की शक्ति।
(C) निजी विवाद।
(D) मीडिया।

207. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कोई कठोर सूत्र नहीं अपितु लचीले हैं।
तर्क (R): आवश्यकताओं, जैसे कि तात्कालिकता या कार्य की प्रकृति के अनुरूप उनके अनुप्रयोग को परिवर्तित किया जा सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

208. जब कोई प्राधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्ति का परित्याग करता है और किसी उच्चाधिकारी के निर्देशों पर कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है?
(A) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(B) विवेक पर बंधन।
(C) दुर्भावना।
(D) अतार्किकता।

209. यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का एक समूह संसद के दूसरे अधिनियम के साथ संघर्ष में पाया जाता है, तो उन नियमों को माना जाएगा:
(A) मान्य, क्योंकि वे वैधानिक अधिकार के अंतर्गत बनाए गए हैं।
(B) अमान्य, क्योंकि वे किसी अन्य विधि की अवहेलना नहीं कर सकते।
(C) मान्य, परंतु केवल तभी जब राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हों।
(D) जब तक संसद संघर्ष को हल नहीं कर लेती, तब तक अस्थायी रूप से निलंबित।

210. लोकपाल संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है:
(A) कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।
(B) राज्य सरकारों के कार्यों की निगरानी करना।
(C) विधिक विषयों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना।
(D) देश में निर्वाचन कराना।

211. किस देश की विधिक प्रणाली 'ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ' का शास्त्रीय उदाहरण प्रदान करती है?
(A) यूनाइटेड किंगडम।
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका।
(C) फ्रांस।
(D) भारत।

212. एक 'तर्कसंगत निर्णय' को प्राकृतिक न्याय का एक घटक माना जाता है क्योंकि यह:
(A) मनमानी को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाले ने विचार किया है।
(B) निर्णय को अधिक आधिकारिक बनाता है।
(C) सभी मामलों में एक संवैधानिक आवश्यकता है।
(D) मामलों के तीव्र निपटान में सहायता करता है।

213. एक स्थानीय परिषद केवल इसलिए एक चलचित्र को प्रतिबंधित कर देती है क्योंकि वे रविवार के मनोरंजन को नापसंद करते हैं। न्यायालय इस निर्णय की समीक्षा किस आधार पर कर सकता है?
(A) आनुपातिकता।
(B) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत।
(C) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(D) वेन्सबरी अतार्किकता।

214. प्रत्यायोजित विधायन का प्रकाशन अनिवार्य माना जाता है क्योंकि:
(A) यह सरकार के लिए राजस्व के एक आवश्यक स्रोत के रूप में कार्य करता है।
(B) संसद को अपने आंतरिक विधायी अभिलेख के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
(C) यह एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता है जिसका कोई विधिक महत्व नहीं है।
(D) यह सुनिश्चित करता है कि विधियों का पालन किए जाने की अपेक्षा से पूर्व उन्हें जाना जाए।

215. किसी राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) राज्यपाल।
(B) मुख्यमंत्री।
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(D) विधानसभा अध्यक्ष।

216. आधुनिक प्रशासनिक राज्य की विशेषता क्या है?
(A) सरकारी कार्यों में कमी।
(B) सरकार के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि।
(C) कार्यकारी शाखा का उन्मूलन।
(D) राज्य पर निजी निगमों की सर्वोच्चता।

217. किस स्थिति में आर्थिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम सर्वाधिक कठोरता से लागू किया जाता है?
(A) जब निर्णायक का दूरस्थ, गैर-व्यक्तिगत हित हो।
(B) जब परिणाम में निर्णायक का प्रत्यक्ष वित्तीय हित हो।
(C) जब निर्णायक उस क्लब का सदस्य हो जिसका एक पक्ष भी सदस्य है।
(D) जब निर्णायक ने किसी नीतिगत विषय पर सामान्य विचार व्यक्त किया हो।

171. प्रशासनिक विधि को कभी-कभी किसे नियंत्रित करने वाली विधि के रूप में संदर्भित किया जाता है?
(A) शासन का 'कैसे', न कि 'क्या'।
(B) शासन का 'क्या', न कि 'कैसे'।
(C) केवल सरकार की संरचना।
(D) केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

172. प्राकृतिक न्याय लागू करने के संदर्भ में 'नागरिक परिणाम' शब्द का तात्पर्य उस कार्रवाई से है जो किसी व्यक्ति के निम्नलिखित को प्रभावित करती है:
(A) संपत्ति, व्यक्ति या आजीविका से संबंधित अधिकार या प्रत्याशाएँ।
(B) केवल आपराधिक दायित्व।
(C) राजनीतिक राय।
(D) समुदाय में सामाजिक स्थिति।

173. आनुपातिकता के सिद्धांत को समीक्षा का एक गहन मानक माना जाता है क्योंकि इसमें संतुलन बनाना सम्मिलित है:
(A) वर्तमान में सत्ता में विभिन्न राजनीतिक दलों के हित।
(B) वांछित लक्ष्यों के विरुद्ध किसी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त साधन।
(C) किसी कार्रवाई की कुल लागत के विरुद्ध विभागीय बजट।
(D) न्यायपालिका के विचारों के विरुद्ध कार्यपालिका के विचार।

174. एक 'हेनरी VIII खंड' जो कार्यपालिका को मूल अधिनियम को संशोधित करने की अनुमति देता है, न्यायालयों द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि यह:
(A) प्रक्रियात्मक रूप से बहुत जटिल है।
(B) न्यायपालिका को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता है।
(C) शासन का एक कुशल उपकरण है।
(D) संसदीय संप्रभुता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

175. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, लोकपाल संस्था के भीतर किन दो विशिष्ट शाखाओं की स्थापना करता है?
(A) वित्त शाखा और प्रशासनिक शाखा।
(B) सतर्कता शाखा और न्यायनिर्णयन शाखा।
(C) केंद्रीय शाखा और राज्य शाखा।
(D) जांच शाखा और अभियोजन शाखा।

176. निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का प्रमुख कार्य नहीं है?
(A) सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करना।
(B) पीड़ित व्यक्तियों को उपचार प्रदान करना।
(C) राज्य की विदेश नीति निर्धारित करना।
(D) पारदर्शी, खुला और जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना।

177. यदि किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही में निर्णय लेने वाला प्राधिकारी वही व्यक्ति है जिसने प्रारंभिक जांच की थी, तो यह किस विषय को जन्म दे सकता है?
(A) आर्थिक पूर्वाग्रह।
(B) आधिकारिक पूर्वाग्रह, जिससे पूर्व-निर्णय की संभावना बनती है।
(C) अधिकार क्षेत्र का अभाव।
(D) प्रक्रियात्मक अधिकारातीत।

178. भारत में प्रशासनिक विधि नियंत्रण के विकास की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम का अधिनियमन।
2. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल की प्रथम अनुशंसा।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन।
4. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का अधिनियमन।
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 1, 2, 4

179. सूत्र 'एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसियो अल्ट्रियस' का उपयोग प्रायः न्यायालयों द्वारा किसके निर्माण के लिए प्रदत्त शक्ति के क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है?
(A) संवैधानिक संशोधन।
(B) न्यायिक मिसाल।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ।
(D) प्रत्यायोजित विधायन।

180. लोकपाल के अध्यक्ष का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें किसके समान होती हैं?
(A) भारत के प्रधानमंत्री।
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश।
(C) लोकसभा अध्यक्ष।
(D) कैबिनेट सचिव।

181. प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का विकास किसका प्रत्यक्ष परिणाम है?
(A) नागरिक और राज्य के बीच विवादों की बढ़ती जटिलता और मात्रा।
(B) पारंपरिक न्यायालय प्रणाली की शक्ति।
(C) विधायी प्रक्रिया में अविश्वास।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव।

182. 'निर्णय-पश्चात सुनवाई', एक अपवाद होने के उपरांत भी, प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करना चाहती है?
(A) पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई करके।
(B) तत्काल निर्णय लिए जाने के पश्चात अवसर प्रदान करके।
(C) उच्च प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की अनुमति

देकर।
(D) निर्णय-पूर्व सुनवाई के अभाव के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति देकर।

183. यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य को विनियमित करने के लिए प्रदत्त शक्ति का उपयोग किसी प्राधिकारी द्वारा राजनीतिक कारणों से किसी व्यवसाय को बंद करने के लिए किया जाता है, तो वह कार्रवाई किस कारण अमान्य है?
(A) अतार्किकता।
(B) प्रक्रियात्मक त्रुटि।
(C) विवेक का प्रयोग न करना।
(D) अनुचित उद्देश्य।

184. सूची I के विधिक सूत्रों को सूची II में उनके अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: विधिक सूत्र
(P) ऑडी अल्टरम पार्टम,
(Q) नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ,
(R) डेलिगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर,
(S) स्टेयर डेसिसिस।
सूची II: अर्थ
(1) पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम,
(2) प्रतिनिधि आगे प्रत्यायोजन नहीं कर सकता,
(3) निष्पक्ष सुनवाई का नियम,
(4) मिसाल का अनुपालन।
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

185. लोकायुक्त के कार्यालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करना है:
(A) प्रशासनिक अखंडता और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करना।
(B) राज्य की वित्तीय स्थिरता।
(C) निर्वाचनों का सुचारु संचालन।
(D) राज्य विधायिका की सर्वोच्चता।

186. ए. वी. डाइसी द्वारा प्रतिपादित 'विधि का शासन' की अवधारणा के तीन मुख्य स्तंभ थे। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था?
(A) विधि की सर्वोच्चता।
(B) विधि के समक्ष समानता।
(C) प्रशासन के लिए व्यापक विवेकाधीन शक्तियों का अस्तित्व।
(D) संविधान देश की सामान्य विधि का परिणाम है।

187. किसी व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य देने वाले साक्षियों से जिरह करने का अधिकार है:
(A) सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों में एक पूर्ण अधिकार।
(B) प्राकृतिक न्याय का भाग नहीं।
(C) निष्पक्ष सुनवाई का एक परिवर्तनशील घटक, जो वहाँ लागू होता है जहाँ तथ्य विवाद में हों।
(D) केवल आपराधिक अभियोगों में लागू, प्रशासनिक सुनवाई में नहीं।

188. जब किसी प्राधिकारी के पास विवेक होता है, तो 'विवेक' को किसके अनुसार कार्य करने की शक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए?
(A) व्यक्तिगत सनक या कल्पना।
(B) राजनीतिक लाभ।
(C) किसी उच्चाधिकारी के निर्देश।
(D) तर्क, विधि और न्याय, न कि मनमाने ढंग से।

189. प्रत्यायोजित विधायन का एक मुख्य औचित्य यह है कि यह प्रदान करता है:
(A) अल्प जवाबदेही।
(B) कठोरता और मंद गति।
(C) जटिल विषयों के लिए विधि निर्माण में लचीलापन और गति।
(D) संसद को पूर्णतः दरकिनार करने का एक मार्ग।

190. लोकपाल के लिए शिकायत के संबंध में जांच पूर्ण करने की समय सीमा क्या है?
(A) छह मास।
(B) तीन मास।
(C) एक वर्ष।
(D) दो वर्ष।

191. प्रशासनिक विधि अधिकांशतः असंहिताबद्ध है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है?
(A) एक एकल व्यापक 'प्रशासनिक कोड' में।
(B) न्यायालयों के निर्णयों और विभिन्न विधियों में।
(C) कैबिनेट बैठकों के कार्यवृत्त में।
(D) केवल शैक्षणिक पाठ्यपुस्तकों में।

192. निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए:
कथन I: पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम केवल न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक अधिकारियों पर लागू होता है।
कथन II: उच्चतम न्यायालय ने ए. के. क्रैपक मामले में पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक कार्यों तक विस्तारित किया।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

193. 'आनुपातिकता' की अवधारणा के लिए न्यायालय को यह विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या प्रशासनिक उपाय था:
(A) उपलब्ध सर्वाधिक राजनीतिक रूप से स्वीकार्य उपाय।

(B) सरकारी खजाने के लिए न्यूनतम खर्चीला उपाय।
(C) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेपकारी उपाय।
(D) वह उपाय जो कार्यालय के लिए लागू करने में तीव्रतम था।

194. यदि प्रत्यायोजित विधायन कर आरोपित करता है, तो इसे मूल रूप से अधिकारातीत के रूप में चुनौती दी जा सकती है जब तक कि:
(A) कर बहुत अल्प हो।
(B) कर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो।
(C) जनता कर देने के लिए सहमत हो।
(D) मूल अधिनियम स्पष्ट रूप से कर आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता हो।

195. भारत में लोकायुक्त संस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक है:
(A) राज्यों में एकरूपता, स्वतंत्रता और पर्याप्त शक्तियों का अभाव।
(B) केंद्र सरकार से अत्यधिक वित्त मिलना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अत्यधिक संख्या।
(D) उनके दैनिक कार्यों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप।

196. प्रशासनिक विधि के अध्ययन में किसे नियंत्रित करने वाले विधिक ढांचे को समझना सम्मिलित है?
(A) सार्वजनिक प्रशासन।
(B) निजी निगम।
(C) गैर-सरकारी संगठन।
(D) अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति।

197. पूर्वाग्रह का परीक्षण यह नहीं है कि निर्णायक वास्तव में पूर्वाग्रही था या नहीं, अपितु यह है कि क्या:
(A) निर्णायक ने पूर्वाग्रह स्वीकार किया था।
(B) उचित व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना थी।
(C) मीडिया में पूर्वाग्रह की अफवाह थी।
(D) विभाग द्वारा पूर्वाग्रही निर्णयों का इतिहास रहा है।

198. प्रशासनिक विवेक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आधुनिक शासन के लिए विवेक एक आवश्यक उपकरण है।
2. अनियंत्रित विवेक विधि के शासन का निषेध है।
3. यदि प्राधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया है तो न्यायालय विवेक के प्रयोग की समीक्षा नहीं करेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

199. जब प्रत्यायोजित विधायन को संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है और किसी भी सदन के प्रस्ताव द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है?
(A) साधारण प्रस्तुति।
(B) संशोधन सहित प्रस्तुति।
(C) नकारात्मक प्रक्रिया।
(D) सकारात्मक प्रक्रिया।

200. लोकपाल के सदस्यों का वेतन, भत्ता और सेवा शर्तें किसके समान होती हैं?
(A) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।
(B) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
(C) किसी राज्य के मुख्य सचिव।
(D) संसद सदस्य।

201. यह अवधारणा कि सरकार और उसके अधिकारी विधि से ऊपर नहीं हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, किसका केंद्रीय विषय है?
(A) राजाओं का दैवीय अधिकार।
(B) प्रशासनिक विधि।
(C) अहस्तक्षेपकारी अर्थशास्त्र।
(D) सामाजिक अनुबंध सिद्धांत।

202. निम्नलिखित में से कौन सा 'ऑडी अल्टरम पार्टम' नियम का घटक नहीं है?
(A) प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना।
(B) सुने जाने का अवसर।
(C) व्यक्ति के विरुद्ध प्रयुक्त सामग्री का प्रकटीकरण।
(D) एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय।

203. बेईमान इरादे या भ्रष्ट उद्देश्य के साथ विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग क्या कहलाता है?
(A) क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि।
(B) विधि में दुर्भावना।
(C) प्रक्रियात्मक अनुचितता।
(D) तथ्य में दुर्भावना।

204. किसी अधिनियम के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियम, विनियम और उप-नियम बनाने की शक्ति किसका उदाहरण है?
(A) मूल विधायी शक्ति।
(B) न्यायिक शक्ति।
(C) संवैधानिक शक्ति।
(D) प्रत्यायोजित विधायी शक्ति।

205. प्रथम लोकपाल विधेयक लोकसभा में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था?
(A) 1966
(B) 1971
(C) 1968
(D) 1977

(A) किसी विधि के लागू होने की तिथि निर्धारित करने की शक्ति।
(B) प्रक्रियात्मक विषयों के लिए नियम बनाने की शक्ति।
(C) किसी विधि के अनुप्रयोग को दूसरे क्षेत्र तक विस्तारित करने की शक्ति।
(D) एक विधायी नीति को बाध्यकारी नियम के रूप में घोषित करने की शक्ति।

230. 'ओम्बुड्समैन' शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई थी?
(A) फ्रांस।
(B) स्वीडन।
(C) जर्मनी।
(D) यूनाइटेड किंगडम।

231. किसी प्रशासनिक प्राधिकारी के विरुद्ध 'परमादेश' रिट किसके लिए जारी की जा सकती है?
(A) किसी अवैध आदेश को निरस्त करने के लिए।
(B) किसी मामले को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरित करने के लिए।
(C) उसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए।
(D) उसे उस सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने के लिए विवश करने के लिए जिसे वह निभाने में विफल रहा है।

232. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): सभी न्यायिक और प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।
तर्क (R): ये सिद्धांत निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं और सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोकते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

233. जब किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को कुछ करने की शक्ति प्रदान की जाती है, और वह उसे करने में पूर्णतः विफल रहता है, तो उसे किसके लिए चुनौती दी जा सकती है?
(A) विवेक का दुरुपयोग।
(B) विवेक का प्रयोग करने में विफलता।
(C) अतार्किकता।
(D) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

234. प्रत्यायोजित विधायन का भूतलक्षी प्रभाव है:
(A) सदैव अनुमत।
(B) किसी भी परिस्थिति में कभी अनुमत नहीं।
(C) केवल तभी अनुमत जब मूल अधिनियम इसे अधिकृत करता हो।
(D) केवल प्रक्रियात्मक नियमों के लिए अनुमत, मूल नियमों के लिए नहीं।

235. लोकपाल को अपने कार्यों पर वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करना होता है?
(A) प्रधानमंत्री को।
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश को।
(C) संसद को।
(D) भारत के राष्ट्रपति को।

236. आधुनिक राज्य के कार्यों को मुख्य रूप से किसमें विभाजित किया गया है?
(A) विधायी, कार्यकारी और न्यायिक।
(B) मंत्रिस्तरीय और विवेकाधीन।
(C) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
(D) आंतरिक और बाह्य।

237. पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. परीक्षण 'पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना' है।
2. आर्थिक हित, चाहे कितना भी अल्प क्यों न हो, निर्णायक को अयोग्य घोषित कर देता है।
3. एक पूर्व-परिकल्पित नीतिगत दृष्टिकोण सदैव अयोग्य घोषित करने वाले पूर्वाग्रह के समान होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

238. यदि किसी प्राधिकारी को शर्तों के विषय में 'संतुष्ट' होने पर अनुज्ञप्ति देने का अधिकार दिया गया है, तो वह संतुष्टि है:
(A) एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक संतुष्टि जिसकी न्यायालयों द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती।
(B) एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि जो सामग्री और कारणों पर आधारित होनी चाहिए।
(C) व्यक्तिगत चयन का विषय।
(D) एक राजनीतिक निर्णय।

239. 'हेनरी VIII खंड' किसका एक चरम रूप है?
(A) न्यायिक समीक्षा।
(B) प्रत्यायोजित विधायन।
(C) प्राकृतिक न्याय।
(D) शक्तियों का पृथक्करण।

240. लोकपाल किसी भी शिकायत की जांच नहीं कर सकता यदि वह किस अवधि की समाप्ति के पश्चात की गई हो?
(A) एक वर्ष।
(B) तीन वर्ष।
(C) पांच वर्ष।
(D) सात वर्ष।

241. 'उत्प्रेषण' रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा उस आदेश को निरस्त करने के लिए जारी की जाती है जो:

218. सूची I में समीक्षा के आधारों को सूची II में उनके संबंधित उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: समीक्षा
(P) दुर्भावना,
(Q) निर्देश के अधीन कार्य करना,
(R) विवेक पर बंधन,
(S) अप्रासंगिक विचार।
सूची II: संबंधित उदाहरण
(1) कठोर नीति,
(2) राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी,
(3) केश का रंग,
(4) गृह मंत्री के बाध्यकारी निर्देश।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

219. यह सिद्धांत कि एक आवश्यक विधायी कार्य को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है, किस ऐतिहासिक मामले में सुदृढ़ता से स्थापित किया गया था?
(A) मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
(B) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
(C) ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य।
(D) इन रे दिल्ली लॉज एक्ट, 1912।

220. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कब प्रभावी हुआ?
(A) 1 अप्रैल 2014।
(B) 16 जनवरी 2014।
(C) 26 जनवरी 2013।
(D) 15 अगस्त 2013।

221. संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि के बीच मुख्य अंतर यह है कि संवैधानिक विधि मूलभूत सिद्धांतों से संबंधित है, जबकि प्रशासनिक विधि किससे संबंधित है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय मामले।
(B) सरकार के विवरण और संचालन।
(C) विधि का इतिहास।
(D) निजी संपत्ति विवाद।

222. सूत्र 'नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' किसके विरुद्ध नियम है?
(A) पूर्वाग्रह।
(B) सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य।
(C) भूतलक्षी विधायन।
(D) आत्म-दोषारोपण।

223. 'वैध प्रत्याशा' का सिद्धांत किसी व्यक्ति को तब उपचार प्रदान करता है जब कोई निर्णय उन्हें कैसे प्रभावित करता है:
(A) किसी विशिष्ट वैधानिक अधिकार का उल्लंघन करके।
(B) अल्प असुविधा उत्पन्न करके।
(C) आम जनता के बीच अलोकप्रिय होकर।
(D) किसी निरूपण से उत्पन्न उनकी प्रत्याशा को विफल करके।

224. प्रत्यायोजित विधायन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विधायी समय की बचत करता है।
2. इसे संसदीय विधियों की तुलना में अधिक तीव्रता से बनाया जा सकता है।
3. यह तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञ निवेश की अनुमति देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन से प्रत्यायोजित विधायन के विकास के कारण हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

225. लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन पात्र नहीं है?
(A) संसद का एक वर्तमान सदस्य।
(B) भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश।
(C) उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
(D) निष्कलंक सत्यनिष्ठा वाला एक प्रख्यात व्यक्ति।

226. प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से किसके न्यायिक नियंत्रण से संबंधित है?
(A) विधायिका।
(B) कार्यपालिका या प्रशासनिक एजेंसियां।
(C) स्वयं न्यायपालिका।
(D) निजी नागरिक।

227. 'संस्थागत पूर्वाग्रह' की अवधारणा को प्रायः अयोग्यता का कारक क्यों नहीं माना जाता है?
(A) यह उस प्रक्रिया का भाग है जहाँ एक अधिकारी विभागीय नीति लागू करता है।
(B) यह व्यक्तिगत पूर्वाग्रह का एक रूप है।
(C) इसमें प्रत्यक्ष वित्तीय हित सम्मिलित है।
(D) न्यायालयों के पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

228. निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विवेक की न्यायिक समीक्षा का वैध आधार नहीं है?
(A) निर्णय अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है।
(B) निर्णय दुर्भावनापूर्ण है।
(C) निर्णय इतना अतार्किक है कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति इसे नहीं लेगा।
(D) निर्णय प्रक्रियात्मक रूप से सही है परंतु इसके ऐसे परिणाम निकलते हैं जिनसे न्यायालय असहमत है।

229. निम्नलिखित में से कौन सा एक 'आवश्यक विधायी कार्य' है जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है?

(D) अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करना।

254. प्रत्यायोजित विधायन के अंतर्गत निर्मित नियम किसके द्वारा प्रदत्त अधिकार को नहीं छीन सकता?
(A) सरकारी परिपत्र।
(B) विभागीय ज्ञापन।
(C) किसी मंत्री द्वारा किया गया वचन।
(D) मूल विधि या कोई अन्य विधि।

255. भारत में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी?
(A) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।
(B) सरकारिया आयोग।
(C) भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति।
(D) पुंछी आयोग।

256. फ्रांसीसी 'कॉन्सेल डी'एटैट' एक ऐसे निकाय का उदाहरण है जो:
(A) विशुद्ध रूप से एक न्यायिक न्यायालय है जिसकी कोई प्रशासनिक भूमिका नहीं है।
(B) प्रशासनिक विधि में परामर्शदात्री और निर्णायक कार्यों को संयोजित करता है।
(C) फ्रांसीसी संसद की एक समिति है।
(D) फ्रांस में प्राथमिक आपराधिक न्यायालय है।

257. निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक पूर्वाग्रह से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला है?
(A) ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ।
(B) मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
(C) रिज बनाम बाल्डविन।
(D) डाइम बनाम ग्रैंड जंक्शन कैनाल।

258. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): न्यायालय आनुपातिकता के आधार पर विवेक की समीक्षा करने में संकोच करते हैं।
तर्क (R): आनुपातिकता समीक्षा के लिए प्रायः न्यायालय को निर्णय के गुण-दोष में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

259. जब संसद विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन करती है, तो उसे क्या निर्धारित करना चाहिए?
(A) निर्मित किए जाने वाले नियमों के सटीक शब्द।
(B) उन अधिकारियों के नाम जो नियम बनाएंगे।
(C) प्रतिनिधि के पालन के लिए नीति, मानक या दिशा-निर्देश।
(D) सभी संभावित स्थितियों की एक पूर्ण और विस्तृत सूची।

260. लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत "लोक सेवक" की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन आता है?
(A) कोई भी व्यक्ति जो संघ का मंत्री है या रहा है।
(B) किसी निजी कंपनी का कर्मचारी।
(C) किसी राजनीतिक दल का पदाधिकारी।
(D) एक विदेशी राजनयिक।

261. प्रशासनिक विधि का अंतिम उद्देश्य किसे बनाए रखना है?
(A) नौकरशाही की शक्ति।
(B) विधि का शासन।
(C) प्रशासन की सुविधा।
(D) कार्यपालिका की सर्वोच्चता।

262. 'निरर्थक औपचारिकता' सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का एक अपवाद है जहाँ एक न्यायालय निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता यदि:
(A) प्राधिकारी सुनवाई देने के लिए अत्यधिक व्यस्त था।
(B) सुनवाई देने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता।
(C) प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं था।
(D) निर्णय आपातकाल में लिया गया था।

263. जब कोई प्राधिकारी प्रासंगिक विचारों की उपेक्षा करते हुए शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसकी कार्रवाई अमान्य होती है क्योंकि उसने अपने विवेक का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया है:
(A) दुर्भावनापूर्ण ढंग से।
(B) तीव्रता से।
(C) लोकतांत्रिक ढंग से।
(D) उचित और विधिक ढंग से।

264. अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों की जांच करती है कि वे:
(A) राजनीतिक रूप से लोकप्रिय हों।
(B) कार्यान्वित करने में सुगम हों।
(C) संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के दायरे में हों।
(D) आर्थिक रूप से लाभप्रद हों।

265. लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
(A) केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रधानमंत्री पर अधिकार क्षेत्र है, परंतु लोकपाल का नहीं।
(B) लोकपाल अपनी जांच शाखा वाला एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
(C) लोकपाल वित्तीय धोखाधड़ी से निपटता है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से।
(D) कोई कार्यात्मक अंतर नहीं है; वे समानांतर निकाय हैं।

266. निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः प्रशासनिक विधि के कार्यक्षेत्र का भाग नहीं माना जाता है?
(A) प्रशासनिक न्यायाधिकरण।
(B) प्रत्यायोजित विधायन।
(C) प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा।

(A) कर्तव्य निभाने के लिए विवश कर रहा हो।
(B) अवैध हो, बिना अधिकार क्षेत्र के हो, या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में हो।
(C) किसी व्यक्ति के निरुद्ध किए जाने की वैधता की जांच कर रहा हो।
(D) किसी निकाय को उसके अधिकार से बाहर कार्य करने से रोक रहा हो।

242. किस मामले में यह स्थापित किया गया था कि नागरिक के पारपत्र से जुड़े मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए?
(A) मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
(B) ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य।
(C) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य।
(D) इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण।

243. यह आवश्यकता कि विवेक 'बेलगाम' नहीं होना चाहिए, का अर्थ है कि इसे:
(A) मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए।
(B) पूर्ण और अंतिम होना चाहिए।
(C) बिना किसी उत्तरदायित्व के प्रयोग किया जाना चाहिए।
(D) विधि और तर्क द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

244. सूची I में दी गई अवधारणाओं को सूची II में उनके संबंधित सिद्धांतों/नियमों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I:
(P) न्यायिक समीक्षा,
(Q) प्राकृतिक न्याय,
(R) प्रत्यायोजित विधायन,
(S) न्यायनिर्णयन।
सूची II:
(1) मूल अधिकारातीत,
(2) ऑडी अल्टरम पार्टम,
(3) न्यायाधिकरण,
(4) वेन्सबरी।
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

245. यदि लोकपाल चयन समिति के लिए कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं है, तो उनका स्थान कौन लेता है?
(A) लोकसभा के उपाध्यक्ष।
(B) विशालतम विपक्षी दल का नेता।
(C) विपक्ष का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य।
(D) प्रधानमंत्री एक सदस्य को नामित करते हैं।

246. प्रशासनिक विधि का विकास किस प्रकार के समाज की विशेषता है?
(A) एक कृषि प्रधान और सरल समाज।
(B) एक अधिनायकवादी समाज जहाँ विधि का शासन नहीं है।
(C) एक जटिल, आधुनिक और औद्योगिक समाज।
(D) एक सामंती समाज।

247. 'नागरिक परिणाम' वाक्यांश की महत्वपूर्ण व्याख्या किस मामले में की गई थी?
(A) डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य।
(B) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य।
(C) एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ।
(D) मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त।

248. निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विवेक पर नियंत्रण नहीं है?
(A) न्यायिक नियंत्रण।
(B) विधायी नियंत्रण।
(C) निर्णय लेने वाले की पूर्ण उन्मुक्ति।
(D) जनमत और मीडिया की जांच।

249. प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण की प्राथमिक पद्धति क्या है?
(A) परमादेश रिट।
(B) अधिकारातीत का सिद्धांत।
(C) स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत।
(D) अवमानना की शक्ति।

250. 'लोकायुक्त' शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था?
(A) एल. एम. सिंघवी।
(B) जवाहरलाल नेहरू।
(C) सी. राजगोपालाचारी।
(D) मोरारजी देसाई।

251. प्रशासनिक विधि का प्राथमिक ध्यान किसके बीच के संबंध पर है?
(A) दो निजी व्यक्ति।
(B) दो संप्रभु राष्ट्र।
(C) व्यक्ति और उसकी प्रशासनिक क्षमता में राज्य।
(D) निजी कंपनी में नियोक्ता और कर्मचारी।

252. उच्चतम न्यायालय ने तर्कसंगत निर्णय के अधिकार को किसका भाग माना है?
(A) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।
(B) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत।
(C) प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति।
(D) संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत।

253. यदि कोई विधि 'प्राधिकारी X' को शक्ति प्रदान करती है, और निर्णय इसके स्थान पर 'प्राधिकारी Y' द्वारा लिया जाता है, तो निर्णय किस आधार पर अमान्य है?
(A) अतार्किकता।
(B) दुर्भावना।
(C) विवेक पर बंधन।

(B) लोकपाल अधिनियम शिकायतकर्ता के लिए कारावास और अर्थदंड का प्रावधान करता है।
(C) शिकायतकर्ता के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई के बिना शिकायत को निरस्त कर दिया जाता है।
(D) शिकायतकर्ता को भविष्य में पांच वर्ष तक कोई शिकायत दर्ज करने से रोक दिया जाता है।

161. प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से किसकी शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित विधि है?
(A) उच्चतम न्यायालय।
(B) संसद।
(C) प्रशासनिक एजेंसियां।
(D) निजी नागरिक।

162. निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति का उदाहरण है जहाँ निर्णय-पूर्व सुनवाई की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है?
(A) विभाग के भीतर किसी कर्मचारी की नियमित पदोन्नति।
(B) जीवन के लिए तत्काल संकट उत्पन्न करने वाले भवन को ढहाना।
(C) यात्रा के लिए नागरिक को नियमित पारपत्र जारी करना।
(D) सामान्य चालक अनुज्ञप्ति की मानक नवीनीकरण प्रक्रिया।

163. प्रशासनिक विवेक के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसदीय प्रश्न और चर्चा प्रशासनिक कार्यों को जांच के दायरे में ला सकते हैं।
2. ओम्बुड्समैन संस्था प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।
3. न्यायिक समीक्षा प्रशासनिक विवेक पर बाह्य नियंत्रण का एक रूप है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

164. कुछ प्रकार के प्रत्यायोजित विधायन के लिए 'जन्म-पूर्व' प्रचार की आवश्यकता किस उद्देश्य को पूर्ण करती है?
(A) नियम बनने के पश्चात जनता को सूचित करना।
(B) नियम को अंतिम रूप देने से पूर्व जनता से प्रतिक्रिया और आपत्तियां मांगना।
(C) नए नियम के विषय में न्यायपालिका को सूचित करना।
(D) राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करना।

165. लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है। इसकी संरचना क्या है?
(A) एक अध्यक्ष और चार सदस्यों तक।
(B) एक अध्यक्ष और छह सदस्यों तक।
(C) एक अध्यक्ष और आठ सदस्यों तक।
(D) एक अध्यक्ष और दस सदस्यों तक।

166. विशिष्ट मामलों पर न्यायनिर्णयन करने वाले प्रशासनिक न्यायाधिकरणों का अस्तित्व किसकी सीमा के भीतर एक प्रमुख विशेषता है?
(A) आपराधिक विधि।
(B) संवैधानिक विधि।
(C) प्रशासनिक विधि।
(D) पारिवारिक विधि।

167. 'मेनका गांधी बनाम भारत संघ' का ऐतिहासिक मामला प्रशासनिक विधि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें यह माना गया था कि:
(A) राष्ट्रपति के पास असीमित अध्यादेश बनाने की शक्ति है।
(B) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अभिन्न अंग हैं।
(C) संसद अपने आवश्यक विधायी कार्यों को प्रत्यायोजित कर सकती है।
(D) न्यायपालिका के पास प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं है।

168. अनुज्ञप्ति देने का विवेक रखने वाला प्रशासनिक प्राधिकारी एक कठोर सूत्र नहीं अपना सकता और किसी भी आवेदन पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता। यह किसके समान होगा?
(A) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(B) विवेक पर बंधन।
(C) शक्ति का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग।
(D) प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन।

169. निम्नलिखित प्रश्न में, एक अभिकथन (A) के पश्चात तर्क (R) दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए:
अभिकथन (A): प्रत्यायोजित विधायन जो मूल विधि के साथ संघर्ष करता है, वह शून्य है।
तर्क (R): प्रत्यायोजित विधायन अपनी वैधता और अधिकार पूर्णतः मूल विधि से प्राप्त करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

170. किस राज्य के लोकायुक्त को प्रायः विशेष रूप से शक्तिशाली बताया जाता है, जिसके पास अपनी स्वयं की जांच प्रणाली और अभियोजन की शक्तियां हैं?
(A) उत्तर प्रदेश।
(B) पश्चिम बंगाल।
(C) कर्नाटक।
(D) तमिलनाडु।

(D) निजी व्यक्तियों के बीच अनुबंध की विधि।

267. 'ऑडी अल्टरम पार्टम' के सिद्धांत को किस मामले में 'कार्य में निष्पक्षता' के रूप में वर्णित किया गया था?
(A) ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ।
(B) मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
(C) मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
(D) एस. एल. कपूर बनाम जगमोहन।

268. न्यायिक समीक्षा की बढ़ती तीव्रता के सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित अवधारणाओं को व्यवस्थित कीजिए:
1. आनुपातिकता
2. दुर्भावना
3. वेन्सबरी अतार्किकता
(A) 2, 3, 1
(B) 1, 2, 3
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

269. यदि कोई नियम बनाने वाला प्राधिकारी मूल अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार निकायों से परामर्श करने में विफल रहता है, तो परिणामी नियम हैं:
(A) मूल रूप से अधिकारातीत।
(B) अतार्किक।
(C) असंवैधानिक।
(D) प्रक्रियात्मक रूप से अधिकारातीत।

270. लोकायुक्त संस्था किस प्रकार के नियंत्रण का उदाहरण है?
(A) न्यायिक नियंत्रण।
(B) विधायी नियंत्रण।
(C) एक बाह्य संस्थागत तंत्र।
(D) आंतरिक प्रशासनिक नियंत्रण।

271. प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की एक शाखा है जो किससे संबंधित है?
(A) विधायिका की संरचना।
(B) राज्यों के बीच संबंध।
(C) सरकारी अंगों की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों।
(D) अपराध की विधि।

272. एक विश्वविद्यालय किसी संविदाकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसे काली सूची में डाल देता है। यह कार्रवाई अमान्य है क्योंकि यह:
(A) एक अतार्किक निर्णय है।
(B) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
(C) एक दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है।
(D) विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

273. स्वयं आरोपित नियमों या नीति के कारण किसी प्राधिकारी द्वारा विवेक का प्रयोग न करना क्या कहलाता है?
(A) विवेक का प्रयोग न करना।
(B) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(C) सत्ता का दुरुपयोग।
(D) विवेक पर बंधन।

274. इनमें से कौन सा प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण का एक रूप है?
(A) उत्प्रेषण रिट।
(B) अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति।
(C) अधिकारातीत का सिद्धांत।
(D) जनहित याचिका।

275. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, लोकपाल द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए निर्देशित किसी भी लोक सेवक को:
(A) सर्वप्रथम अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए।
(B) लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान करनी चाहिए।
(C) सूचना केवल तभी देनी चाहिए जब वह गोपनीय न हो।
(D) प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से सूचना भेजनी चाहिए।

276. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की कल्पना किस रूप में करती है?
(A) एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक।
(B) सेवाओं का नियामक और प्रदाता।
(C) केवल पुलिस और सैन्य शक्ति।
(D) एक अहस्तक्षेपकारी इकाई।

277. तर्कसंगत आदेश प्रदान करने की आवश्यकता निष्पक्षता और किसे प्रोत्साहित करती है?
(A) मीडिया को संतुष्ट करती है।
(B) उच्च निकाय द्वारा प्रभावी न्यायिक समीक्षा की अनुमति देती है।
(C) प्रशासन के कार्यभार को बढ़ाती है।
(D) निर्णय को अंतिम और अपरिवर्तनीय बनाती है।

278. यदि विधि में बिना किसी दिशा-निर्देश के विवेकाधीन शक्ति प्रदान की जाती है, तो इसे किस रूप में चुनौती दी जा सकती है?
(A) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन।
(B) प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन।
(C) एक प्रक्रियात्मक त्रुटि।
(D) उप-प्रत्यायोजन का मामला।

279. सूची I के पदों को सूची II में उनके विवरणों के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I: पद
(P) ओम्बुड्समैन,
(Q) प्रत्यायोजित विधायन,
(R) प्राकृतिक न्याय,
(S) समीक्षा।

सूची II: विवरण
(1) निष्पक्ष प्रक्रिया,
(2) वैधता की जांच करना,
(3) शिकायत अन्वेषक,
(4) कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

280. लोकपाल के अध्यक्ष या किसी सदस्य के कार्यालय में रिक्तियां कैसे भरी जाती हैं?
(A) सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य को पदोन्नत करके।
(B) मूल नियुक्ति के समान चयन प्रक्रिया द्वारा।
(C) राष्ट्रपति द्वारा नामांकन द्वारा।
(D) लोकपाल के शेष सदस्यों के निर्णय द्वारा।

281. भारत में प्रशासनिक विधि की प्रकृति किससे अत्यधिक प्रभावित है?
(A) फ्रांसीसी विधि।
(B) जर्मन विधि।
(C) अंग्रेजी कॉमन लॉ और भारत का संविधान।
(D) रोमन विधि।

282. 'निष्पक्ष सुनवाई के नियम' में सम्मिलित है:
(A) अनुकूल निर्णय का अधिकार।
(B) अपने विरुद्ध मामले को जानने और अपना पक्ष रखने का अधिकार।
(C) निर्णय लेने वाले का अपना मित्र होने का अधिकार।
(D) कार्यवाही में अनिश्चित काल तक विलंब करने का अधिकार।

283. निम्नलिखित में से कौन सा विवेक के दुरुपयोग का उदाहरण है?
(A) अनुचित उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग करना।
(B) विधि में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना।
(C) प्रासंगिक तथ्यों के आधार पर तर्कसंगत निर्णय लेना।
(D) मामले के तथ्यों पर लचीले ढंग से नीति लागू करना।

284. प्रत्यायोजित विधायन के संबंध में वाक्यांश "मानो इस अधिनियम में अधिनियमित हो" का अर्थ है कि यह:
(A) न्यायालयों द्वारा बिल्कुल भी समीक्षा नहीं किया जा सकता है।
(B) अधिकारातीत होने के लिए अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
(C) संविधान का भाग बन जाता है।
(D) केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

285. स्वीडिश शब्द 'ओम्बुड्समैन' का अर्थ है:
(A) न्यायाधीश या निर्णायक।
(B) जनता का प्रतिनिधि या एजेंट।
(C) मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(D) विधिक सलाहकार।

286. अपील और न्यायिक समीक्षा के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) अपील गुण-दोष की जांच करती है, जबकि समीक्षा वैधता और निष्पक्षता की जांच करती है।
(B) समीक्षा कार्यपालिका द्वारा की जाती है, जबकि अपील विधायिका द्वारा।
(C) कोई अंतर नहीं है; दोनों पद पर्यायवाची हैं।
(D) अपील तीव्र है, जबकि समीक्षा मंद है।

287. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे निष्पक्ष प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत हैं।
2. उन्हें किसी विधि में स्पष्ट प्रावधान द्वारा अपवर्जित किया जा सकता है।
3. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन निर्णय को शून्य बना देता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2।
(B) केवल 2 और 3।
(C) केवल 1 और 3।
(D) 1, 2 और 3।

288. एक प्राधिकारी के निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन पर विचार करने में विफल रहा। यह किसका उदाहरण है?
(A) दुर्भावना।
(B) प्रासंगिक विचारों का त्याग।
(C) निर्देश के अधीन कार्य करना।
(D) वेन्सबरी अतार्किकता।

289. प्रत्यायोजित विधायन पर किस प्रकार का नियंत्रण सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है?
(A) संसदीय नियंत्रण।
(B) न्यायिक नियंत्रण।
(C) कार्यकारी नियंत्रण।
(D) मीडिया नियंत्रण।

290. लोकपाल के पास किस एजेंसी पर अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ हैं?
(A) राज्य पुलिस।
(B) प्रवर्तन निदेशालय।
(C) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
(D) इंटेलिजेंस ब्यूरो।

291. प्रशासनिक विधि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रशासन किसके अनुसार कार्य करे?
(A) अपनी सुविधा।
(B) विधि और निष्पक्ष प्रक्रिया।

(C) मंत्री की सनक।
(D) जनमत सर्वेक्षण।

292. सूत्र 'ऑडी अल्टरम पार्टम' किसका एक मूलभूत स्तंभ है?
(A) प्रत्यायोजित विधायन।
(B) प्रशासनिक विवेक।
(C) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।
(D) ओम्बुड्समैन प्रणाली।

293. 'आनुपातिकता' की अवधारणा का उपयोग प्रायः उन प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के लिए किया जाता है जो:
(A) विशुद्ध रूप से आर्थिक प्रकृति के हैं।
(B) सरकारी अनुबंधों के आवंटन में सम्मिलित हैं।
(C) मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं।
(D) सशस्त्र बलों के आंतरिक अनुशासन से संबंधित हैं।

294. एक वैधानिक साधन जो संविधान के प्रावधान के साथ असंगत है, वह है:
(A) शून्य।
(B) शून्यकरणीय।
(C) चुनौती दिए जाने तक मान्य।
(D) मान्य यदि वह सार्वजनिक हित में हो।

295. कई भारतीय राज्यों में लोकायुक्त प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है?
(A) इसके पास राज्य सरकार पर बाध्यकारी शक्तियां हैं।
(B) इसकी अनुशंसाएँ प्रायः प्रकृति में परामर्शदात्री होती हैं।
(C) यह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है।
(D) यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्त पोषित है।

296. प्रशासनिक विधि का मूल किसका सिद्धांत है?
(A) संसदीय संप्रभुता।
(B) अधिकारातीत।
(C) स्टेयर डेसिसिस।
(D) अहस्तक्षेप।

297. 'निर्णय-पश्चात सुनवाई' को निर्णय-पूर्व सुनवाई के लिए एक वैध विकल्प कब माना जाता है?
(A) समय बचाने के लिए, सभी मामलों में।
(B) कभी नहीं, क्योंकि यह सदैव अन्यायपूर्ण है।
(C) तात्कालिकता के मामलों में जहाँ पूर्व सुनवाई संभव नहीं है।
(D) केवल मौद्रिक दंड वाले मामलों में।

298. "विवेक डोनट का छिद्र है।" यह उपमा बताती है कि विवेक किसके भीतर विद्यमान है?
(A) पूर्ण शक्ति।
(B) विधि और नियम।
(C) अराजकता।
(D) राजनीतिक प्रभाव।

299. प्रत्यायोजित विधायन के विरुद्ध मुख्य तर्क यह है कि यह:
(A) अत्यंत मंद और बोझिल है।
(B) संसदीय लोकतंत्र और शक्तियों के पृथक्करण को दुर्बल करता है।
(C) प्रशासकों के लिए समझना अत्यंत कठिन है।
(D) किसी भी नियंत्रण के अधीन नहीं है।

300. लोकपाल की प्राथमिक भूमिका किसकी है?
(A) जटिल नागरिक विवादों का निर्णायक।
(B) भ्रष्टाचार का अन्वेषक और अभियोजक।
(C) विधिक विषयों पर राष्ट्रपति का परामर्शदाता।
(D) विभिन्न सरकारी खातों का लेखा परीक्षक।

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) सार्वजनिक प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियाँ और प्रक्रियाएँ।
प्रशासनिक विधि का मुख्य केंद्र सार्वजनिक अधिकारियों के व्यवहार और कार्यों को विनियमित करना है। इसमें उनकी शक्तियों के स्रोत, प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाएँ और उन पर लागू होने वाले विधिक नियंत्रण सम्मिलित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निकाय अपनी अधिकार सीमा के भीतर कार्य करें और नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो। यह शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य सिद्धांतों का निर्माण करता है।

2. (A) किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए।
प्राकृतिक न्याय का यह मूलभूत सिद्धांत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूर्वाग्रह को प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मामले में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या वित्तीय हित न रखता हो। यदि किसी निर्णायक का मामले से सीधा संबंध होता है, तो निर्णय की वैधता समाप्त हो जाती है। यह विधिक प्रक्रिया में जनविश्वास बनाए रखने और न्याय की शुचिता की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

3. (B) कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं।
प्रशासनिक विवेक कभी भी पूर्ण या अनियंत्रित नहीं होता है क्योंकि इसे विधि और तर्कसंगतता की सीमाओं के भीतर प्रयोग करना अनिवार्य है। भारत में न्यायपालिका के पास प्रशासनिक विवेक के प्रयोग की समीक्षा करने की शक्ति है ताकि मनमानी कार्रवाई को रोका जा सके। यदि विवेक का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक आधारों पर किया जाता है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अतः यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि विवेक अनियंत्रित है या न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त है।

4. (D) किसी विशिष्ट मूल अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियम।
प्रत्यायोजित विधायन वह प्रक्रिया है जिसमें विधायिका अपनी कानून बनाने की शक्ति का कुछ भाग कार्यपालिका या अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप देती है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और उपविधियाँ आती हैं, जो मूल अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करती हैं। यह आधुनिक प्रशासन की जटिलताओं और समय की कमी को दूर करने के लिए अनिवार्य है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये नियम मूल अधिनियम की सीमाओं का उल्लंघन न करें।

5. (C) स्कैंडिनेवियाई देशों में ओम्बुड्समैन।
भारत में लोकपाल की अवधारणा मूल रूप से ओम्बुड्समैन संस्था से प्रेरित है, जिसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम स्वीडन में हुई थी। यह संस्था नागरिकों की शिकायतों को सुनने और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में कार्य करती है। स्कैंडिनेवियाई देशों में इस सफल मॉडल ने विश्व के कई लोकतांत्रिक देशों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए समान तंत्र विकसित करने हेतु प्रेरित किया। भारत में इसे प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता लाने हेतु अपनाया गया है।

6. (B) कल्याणकारी राज्य।
प्रशासनिक विधि का तीव्र विकास आधुनिक कल्याणकारी राज्य के उदय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। पहले राज्य का कार्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना था, परंतु अब राज्य नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए व्यापक कार्य करता है। इन बढ़ते कार्यों के कारण सरकारी अधिकारियों को अधिक शक्तियाँ और विवेक प्रदान किया गया है। इसी बढ़ी हुई शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों का विस्तार हुआ है।

7. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लिखित कानूनों की तरह कठोर नहीं हैं, बल्कि वे लचीले और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। उनकी मुख्य आवश्यकता यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में अन्याय न हो। किसी मामले में कितनी सुनवाई आवश्यक है या किन प्रक्रियाओं का पालन करना है, यह उस विशिष्ट मामले के तथ्यों और संबंधित प्राधिकारी की भूमिका पर निर्भर करता है। अतः तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह लचीलेपन का कारण स्पष्ट करता है।

8. (A) किसी अन्य के निर्देशानुसार कार्य करना।
जब कोई प्राधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्ति का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के बजाय केवल वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करता है, तो यह विवेक का परित्याग माना जाता है। विधि यह अपेक्षा करती है कि जिसे शक्ति प्रदान की गई है, वह अपने विवेक का उपयोग स्वयं करे। वरिष्ठों के अंधानुकरण से निर्णय प्रक्रिया दूषित हो जाती है क्योंकि प्राधिकारी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। ऐसी कार्रवाई को न्यायालयों द्वारा अधिकार क्षेत्र का अनुचित प्रयोग मानकर निरस्त किया जा सकता है।

9. (C) नियम बनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है।
प्रक्रियात्मक अधिकारातीत तब उत्पन्न होता है जब कोई प्रशासनिक निकाय प्रत्यायोजित विधायन बनाते समय उन अनिवार्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है जो मूल अधिनियम में निर्धारित की गई हैं। इसमें प्रभावित पक्षों से परामर्श न करना, नियमों का प्रकाशन न करना या आवश्यक समय सीमा का पालन न करना सम्मिलित हो सकता है। यदि ये प्रक्रियाएँ अनिवार्य प्रकृति की हैं, तो इनके उल्लंघन से बने नियम अमान्य हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करे।

10. (A) चयन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी और उच्च स्तरीय बनाई गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक विशेष चयन समिति योग्य उम्मीदवारों के नामों पर विचार करती है और अपनी अनुशंसा प्रस्तुत करती है। इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी सम्मिलित होते हैं। अंततः भारत के राष्ट्रपति औपचारिक रूप से इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार विरोधी इस संस्था की स्वायत्तता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।

11. (D) किसी विशेष समुदाय की प्रथागत परंपराएँ।
भारत में प्रशासनिक विधि का आधार संवैधानिक प्रावधान, संसद द्वारा निर्मित अधिनियम और न्यायालयों द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय हैं। प्रथागत परंपराएँ निजी या सामाजिक कानूनों में महत्वपूर्ण हो सकती हैं, परंतु प्रशासनिक कार्यों और शक्तियों के विनियमन के लिए इन्हें प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है। प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से लिखित विधियों और न्यायिक सिद्धांतों पर आधारित होती है जो सार्वजनिक निकायों की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। अतः परंपराएँ प्रशासन के विधिक ढांचे को परिभाषित करने में प्राथमिक भूमिका नहीं निभाती हैं।

12. (B) आधिकारिक या विषय-वस्तु संबंधी पूर्वाग्रह।
पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिनमें आर्थिक, व्यक्तिगत और आधिकारिक पूर्वाग्रह सम्मिलित हैं। आधिकारिक पूर्वाग्रह तब होता है जब निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का मामले के विषय में कोई पूर्व-निर्धारित नीतिगत दृष्टिकोण या आधिकारिक रुचि होती है। इसका अर्थ यह है कि निर्णायक पहले से ही किसी पक्ष या नीति के प्रति झुकाव रख सकता है। निष्पक्ष न्याय के लिए यह अनिवार्य है कि निर्णायक इन सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले।

13. (C) यह प्रशासनिक अतार्किकता की समीक्षा के लिए मानक निर्धारित करता है।
वेन्सबरी सिद्धांत प्रशासनिक विवेक की न्यायिक समीक्षा के लिए एक उच्च मानक स्थापित करता है। इसके अनुसार, यदि कोई प्रशासनिक निर्णय इतना अतार्किक या तर्कहीन है कि कोई भी समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सकता, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय सनक या मनमर्जी के बजाय तर्क और विवेक का सहारा लें। यह मनमाने निर्णयों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।

14. (D) संसदीय नियंत्रण।
पटल पर रखने की प्रक्रिया प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण रखने का एक सशक्त संसदीय तंत्र है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन कानूनों की संवीक्षा करने का अवसर मिलता है जो अधिकारियों द्वारा बनाए गए हैं। यदि संसद इन नियमों को अनुपयुक्त मानती है, तो वह उनमें संशोधन कर सकती है या उन्हें निरस्त कर सकती है। यह विधायिका की सर्वोच्चता को बनाए रखता है।

15. (A) लोकायुक्त।
जिस प्रकार केंद्र स्तर पर लोकपाल की स्थापना भ्रष्टाचार की जांच के लिए की गई है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर लोकायुक्त की संस्था कार्यरत है। लोकायुक्त का मुख्य कार्य राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करना और प्रशासन में शुचिता सुनिश्चित करना है। विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं, परंतु इनका मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। यह संस्था राज्य शासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

16. (B) संवैधानिक विधि संरचना से संबंधित है, जबकि प्रशासनिक विधि कार्यों से संबंधित है।
संवैधानिक विधि राज्य के विभिन्न अंगों की स्थापना, उनके संगठन और मूलभूत अधिकारों से संबंधित सर्वोच्च कानून है। इसके विपरीत, प्रशासनिक विधि उन अंगों, विशेषकर कार्यपालिका, द्वारा दैनिक आधार पर किए जाने वाले कार्यों और उनके विनियमन पर ध्यान केंद्रित करती है। जहाँ संविधान अंगों की सीमाओं को परिभाषित करता है, वहीं प्रशासनिक विधि उन सीमाओं के भीतर अधिकारियों के व्यवहार और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। दोनों विधियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं और विधि के शासन को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं।

17. (B) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
'ऑडी अल्टरम पार्टम' का अर्थ है कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। यह प्राकृतिक न्याय का एक अपरिहार्य सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसके पक्ष को सुने बिना कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। इसके अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति को उचित सूचना प्राप्त करने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। यह सिद्धांत प्रशासन में मनमानी को रोकता है और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को बढ़ावा देता है।

18. (A) केवल 1 और 2।
प्रशासनिक विवेक का तात्पर्य अधिकारी को उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करने की शक्ति प्रदान करना है। इसमें कार्य करने का विधिक कर्तव्य तो होता है, परंतु उसे पूरा करने का तरीका अधिकारी की समझ पर निर्भर करता है। हालांकि, यह कहना गलत है कि सभी विवेकाधीन शक्तियाँ न्यायिक समीक्षा से मुक्त हैं। भारत में न्यायालयों के पास विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की जांच करने का पूर्ण अधिकार है। अतः केवल प्रथम दो कथन ही विवेक की प्रकृति को सही ढंग से परिभाषित करते हैं।

19. (C) मूल अधिकारातीत।
मूल अधिकारातीत की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रत्यायोजित विधायन उस सीमा को लांघ जाता है जो मूल अधिनियम द्वारा निर्धारित की गई थी। यदि कोई नियम या विनियमन उस विषय-वस्तु पर बनाया जाता है जिसे बनाने का अधिकार मूल कानून ने नहीं दिया था, तो वह नियम अवैध माना जाता है। चूंकि अधीनस्थ विधायन अपनी शक्ति मूल अधिनियम से प्राप्त करता है, इसलिए वह उसके विरुद्ध या उससे स्वतंत्र नहीं हो सकता है। न्यायालय ऐसे किसी भी नियम को शक्ति-बाह्य मानकर शून्य घोषित कर देते हैं।

20. (D) 2013
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2013 में व्यापक सार्वजनिक आंदोलन और भ्रष्टाचार विरोधी मांगों के पश्चात पारित किया गया था। यह अधिनियम केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है ताकि लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जा सके। यह महत्वपूर्ण कानून वर्ष 2014 के प्रारंभ में लागू हुआ और भारत की विधिक व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध हुआ। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री तक को जांच के दायरे में लाया गया है।

21. (C) ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ।
फ्रांस की विधिक प्रणाली में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक विशिष्ट समूह है जिसे ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ कहा जाता है। यह प्रणाली सामान्य न्यायालयों के बजाय विशेष प्रशासनिक न्यायालयों के माध्यम से संचालित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन की दक्षता और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है। इसमें कॉन्सेल डी'एटैट शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करती है। यह मॉडल दुनिया भर में प्रशासनिक विधि के एक सुव्यवस्थित और स्वतंत्र उदाहरण के रूप में अध्ययन किया जाता है।

22. (B) निर्णय से पूर्व हुए प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन को सुधारा जा सके।
सामान्यतः प्राकृतिक न्याय यह अपेक्षा करता है कि निर्णय से पहले व्यक्ति को सुना जाए, परंतु आपातकालीन स्थितियों में कभी-कभी तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय-पश्चात सुनवाई का सिद्धांत लागू किया जाता है, जहाँ प्रभावित व्यक्ति को निर्णय के बाद अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है। यह प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में हुई सुनवाई की कमी को पूरा करती है और न्याय की विफलता को रोकने का प्रयास करती है। न्यायालयों ने इसे निष्पक्षता बनाए रखने के एक वैकल्पिक साधन के रूप में विकसित किया है।

23. (D) अनुचित उद्देश्य।
प्रशासनिक विधि में यह स्थापित सिद्धांत है कि शक्तियों का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वे प्रदान की गई हैं। यदि कोई अधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करता है जो कानून की मंशा से भिन्न है, तो इसे अनुचित उद्देश्य कहा जाता है। चाहे अधिकारी का इरादा कितना भी नेक क्यों न हो, यदि वह विधिक उद्देश्य से भटकता है, तो उसकी कार्रवाई अमान्य हो सकती है। यह सिद्धांत विवेक की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।

24. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
विधिक अवधारणाओं का यह मिलान प्रशासनिक विधि की बुनियादी संरचना को स्पष्ट करता है। मूल अधिकारातीत का अर्थ शक्ति के दायरे का उल्लंघन करना है, जबकि प्रक्रियात्मक अधिकारातीत निर्धारित पद्धति का पालन न करने से संबंधित है। मूल अधिनियम वह आधारभूत कानून है जो अधिकारियों को शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार, पटल पर रखने की प्रक्रिया संसद द्वारा अधीनस्थ विधायन पर नियंत्रण रखने की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका अपनी सीमा में रहकर नियमों का निर्माण करे।

25. (C) प्रधानमंत्री, कुछ अपवादों के साथ।
लोकपाल का अधिकार क्षेत्र व्यापक है और इसमें केंद्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों के लोक सेवक सम्मिलित हैं। भ्रष्टाचार निवारण के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री को भी कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपायों और अपवादों के साथ इसके दायरे में लाया गया है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे संवेदनशील विषयों से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्यों को जांच से बाहर रखा गया है। यह व्यवस्था उच्च पदों पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के साथ-साथ शासन की स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई है।

26. (A) प्रशासनिक विधि और न्यायाधिकरण।
ए. वी. डाइसी की विधि के शासन की अवधारणा मुख्य रूप से सामान्य न्यायालयों की सर्वोच्चता और सभी के लिए एक समान कानून पर बल देती थी। इस कारण उन्हें फ्रांसीसी प्रशासनिक विधि और न्यायाधिकरणों की प्रणाली को स्वीकार करने में कठिनाई हुई, क्योंकि वे इसे विशेषाधिकार मानते थे। डाइसी का मानना था कि अधिकारियों के लिए पृथक न्यायालय विधि की सर्वोच्चता के विरुद्ध हैं। हालांकि, आधुनिक समय में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की आवश्यकता और उनकी न्यायिक प्रकृति को पूरी दुनिया में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

27. (D) निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का।
एक 'बोलता हुआ आदेश' वह निर्णय होता है जिसमें उसके पीछे के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। इसे निष्पक्ष सुनवाई का अनिवार्य अंग माना जाता है क्योंकि कारण देने से पारदर्शिता आती है और यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय मनमाना नहीं है। इसके बिना, प्रभावित व्यक्ति को यह पता नहीं चल पाता कि उसका पक्ष क्यों खारिज किया गया, जिससे अपील करना कठिन हो जाता है। अतः तर्कसंगत निर्णय देना न्याय के प्रशासन में विश्वास पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

28. (B) विवेक पर बंधन।
जब कोई प्राधिकारी पहले से बनी किसी कठोर नीति या नियम को बिना सोचे-समझे सभी मामलों पर लागू कर देता है, तो इसे विवेक पर बंधन कहा जाता है। विधिक सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाए। यदि कोई अधिकारी अपनी निर्णय लेने की क्षमता को किसी नीति से पूरी तरह बाँध लेता है, तो वह वास्तव में अपने विवेक का प्रयोग करने में विफल रहता है। यह प्रशासनिक निष्पक्षता के विरुद्ध माना जाता है।

29. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, कानून बनाना विधायिका का प्राथमिक कार्य है जिसे वह पूरी तरह कार्यपालिका को नहीं सौंप सकती। केवल प्रक्रियात्मक या विवरण संबंधी कार्यों का ही प्रत्यायोजन किया जा सकता है। भारत का संविधान विधायी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में निहित करता है, इसलिए मुख्य विधिक नीति का निर्धारण करना एक गैर-प्रत्यायोज्य कार्य है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं क्योंकि वे विधायी नियंत्रण और संवैधानिक मर्यादाओं के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।

30. (D) उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करना।
लोकपाल मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अन्वेषण और अभियोजन निकाय है, न कि एक नियमित न्यायिक न्यायालय। इसकी शक्तियों में लोक सेवकों के विरुद्ध आरोपों की जांच करना और जांच एजेंसियों पर अधीक्षण करना सम्मिलित है। हालांकि, लोकपाल के पास न्यायिक निर्णयों, विशेषकर उच्च न्यायालयों के आदेशों को पलटने या उनके विरुद्ध अपील सुनने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह संस्था कार्यपालिका और सार्वजनिक सेवाओं में शुचिता लाने के लिए समर्पित है, जबकि न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है।

31. (A) सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग का नियंत्रण और उपचार।
प्रशासनिक विधि को 'सत्ता का विकृति विज्ञान' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से उन विसंगतियों और बीमारियों का अध्ययन करती है जो सार्वजनिक शक्ति के गलत प्रयोग से उत्पन्न होती हैं। इसका उद्देश्य केवल शासन को समझना नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपचार और नियंत्रण तंत्र विकसित करना है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रशासनिक कुशलता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। अतः इसका प्राथमिक ध्यान मनमानी और अवैध कार्रवाइयों को रोकने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने पर केंद्रित रहता है।

32. (B) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह।
व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होता है जब निर्णय प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का किसी पक्षकार के साथ रक्त, विवाह या गहरी मित्रता का संबंध हो। ऐसी स्थिति में, यह उचित आशंका होती है कि निर्णय निष्पक्ष नहीं होगा और पक्षपातपूर्ण हो सकता है। साक्षात्कार पैनल में संबंधी की उपस्थिति निष्पक्षता के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि इससे 'न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए' के नियम की अवहेलना होती है। ऐसे पूर्वाग्रह के कारण पूरी चयन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है।

33. (C) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।
प्रशासनिक विवेक को नियंत्रित करने के लिए केवल न्यायिक समीक्षा ही एकमात्र मार्ग नहीं है, बल्कि विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। संसद अपनी समितियों के माध्यम से अधिकारियों के कार्यों और बनाए गए नियमों की निरंतर निगरानी करती है। कथन 2 सही है क्योंकि संसदीय संवीक्षा प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। अतः यह कहना कि केवल न्यायालय ही विवेक को नियंत्रित कर सकते हैं, पूर्णतः गलत है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में नियंत्रण के बहुआयामी तंत्र उपलब्ध होते हैं।

34. (A) उप-प्रत्यायोजन।
उप-प्रत्यायोजन वह स्थिति है जहाँ विधायिका से शक्ति प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि (जैसे मंत्री या सचिव) उस शक्ति को आगे अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंप देता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः तब तक मान्य नहीं होती जब तक कि मूल अधिनियम स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न देता हो। विधिक सूत्र के अनुसार एक प्रतिनिधि अपनी शक्ति का आगे हस्तांतरण नहीं कर सकता। हालांकि, आधुनिक प्रशासन की आवश्यकताओं को देखते हुए विशिष्ट विधिक प्रावधानों के अंतर्गत इसकी अनुमति दी जाती है।

35. (C) भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70)।
भारत में लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की स्थापना की प्रथम गंभीर अनुशंसा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। आयोग ने सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन से निपटने के लिए ओम्बुड्समैन मॉडल की तर्ज पर इन निकायों के गठन का सुझाव दिया था। यद्यपि इस विचार को कानून बनने में कई दशक लग गए, लेकिन आयोग का प्रतिवेदन ही वह आधार बना जिसने भारत में सार्वजनिक जवाबदेही के एक नए ढांचे की नींव रखी।

36. (D) न्यूनतम, अहस्तक्षेपकारी राज्य की ओर रुझान।
प्रशासनिक विधि का विकास वास्तव में 'अहस्तक्षेपकारी राज्य' के अंत और 'कल्याणकारी राज्य' के उदय का परिणाम है। जब

राज्य ने नागरिकों के जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करना शुरु किया, तो उसे अधिक शक्तियों की आवश्यकता पड़ी। इसके विपरीत, एक न्यूनतम राज्य में प्रशासनिक शक्तियों की आवश्यकता कम होती है, जिससे प्रशासनिक विधि का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। अतः जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान और विशेषज्ञता की मांग ही इस विधि के विस्तार के वास्तविक कारक हैं, न कि राज्य का सीमित होना।

37. (C) राष्ट्रीय आपातकाल या असाधारण परिस्थितियों के मामलों में।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत सार्वभौमिक होने के बावजूद पूर्ण नहीं हैं और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इन्हें वर्जित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अत्यंत तात्कालिकता वाली स्थितियों में, जहाँ पूर्व सुनवाई संभव नहीं है, इन नियमों को अस्थायी रुप से दरकिनार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में सार्वजनिक हित को व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, ऐसी असाधारण परिस्थितियों में भी कार्रवाई तर्कसंगत होनी चाहिए और बाद में सुनवाई के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

38. (B) प्राधिकारी ने बेईमान या भ्रष्ट इरादे से कार्य किया।
प्रशासनिक विधि में 'दुर्भावना' का अर्थ है कि किसी शक्ति का प्रयोग जानबूझकर किसी गलत या अनैतिक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए किया गया है। इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध, भ्रष्टाचार या किसी विशिष्ट व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का इरादा सम्मिलित हो सकता है। यह केवल एक त्रुटि नहीं, बल्कि सत्ता का घोर दुरुपयोग है जो किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को पूरी तरह अवैध बना देता है। न्यायालय दुर्भावना के प्रमाण मिलने पर ऐसे निर्णयों को तुरंत निरस्त कर देते हैं ताकि सार्वजनिक विश्वास बना रहे।

39. (D) एक प्रतिनिधि अपनी शक्ति का आगे प्रत्यायोजन नहीं कर सकता।
'डेलिगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर' एक महत्वपूर्ण विधिक सूत्र है जो यह निर्धारित करता है कि जिस व्यक्ति को कोई शक्ति सौंपी गई है, उसे उस शक्ति को आगे किसी अन्य को सौंपने का अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि विधायिका ने किसी विशिष्ट प्राधिकारी की योग्यता और उत्तरदायित्व को देखते हुए उसे शक्ति दी है। अतः वह प्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी को स्थानांतरित नहीं कर सकता। हालांकि, मूल कानून में स्पष्ट अनुमति होने पर इस नियम का अपवाद संभव होता है।

40. (A) आठ
लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम आठ सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में किया गया है। इन सदस्यों में से 50% अनिवार्य रुप से न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, जो न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में विशेषज्ञता सुनिश्चित करते हैं। शेष सदस्यों का चयन समाज के विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यकों से किया जाता है। यह बहु-सदस्यीय संरचना भ्रष्टाचार से संबंधित जांच और अभियोजन की प्रक्रियाओं में व्यापक दृष्टिकोण और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई है।

41. (C) वैध, निष्पक्ष और तर्कसंगत हो।
प्रशासनिक विधि का मूल दर्शन यह सुनिश्चित करना है कि शासन की शक्ति का प्रयोग विधि के शासन के अनुरुप हो। इसका अर्थ है कि अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय कानूनी रुप से मान्य होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तर्कसंगतता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय के पीछे ठोस कारण और साक्ष्य उपलब्ध हों, न कि केवल व्यक्तिगत इच्छा। यह सिद्धांत नागरिकों को सरकारी मनमानी से सुरक्षा प्रदान करता है और एक न्यायपूर्ण समाज की नींव को सुदृढ़ करता है।

42. (A) ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ।
ए. के. क्रैपक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 'पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना' के परीक्षण को सुदृढ़ता से स्थापित किया था। इस ऐतिहासिक निर्णय में यह माना गया कि यदि चयन प्रक्रिया में शामिल कोई व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार है या उम्मीदवारों से जुड़ा है, तो पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाती है। इस मामले ने प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के बीच के भेद को समाप्त करते हुए यह अनिवार्य कर दिया कि सभी प्रकार के आधिकारिक कार्यों में प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए।

43. (A) 1, 4, 2, 3
प्रशासनिक विवेक की न्यायिक समीक्षा के आधारों का विकास समय के साथ अधिक सूक्ष्म और विस्तृत हुआ है। प्रारंभ में, न्यायालय केवल दुर्भावना और स्पष्ट रुप से अप्रासंगिक विचारों जैसे आधारों पर हस्तक्षेप करते थे। इसके पश्चात, वेन्सबरी अतार्किकता का मानक आया जिसने तर्कहीन निर्णयों को चुनौती देने का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे आधुनिक विकास आनुपातिकता का सिद्धांत है, जो कार्रवाई की तीव्रता और उद्देश्य के बीच संतुलन की जांच करता है। यह अनुक्रम न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण के क्रमिक विस्तार और मजबूती को दर्शाता है।

44. (B) सशर्त विधायन।
सशर्त विधायन तब होता है जब विधायिका एक पूर्ण कानून तो बना देती है, परंतु उसके लागू होने का समय या स्थान किसी भविष्य की घटना या शर्त पर छोड़ देती है। इसमें कार्यपालिका को कानून के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि वह केवल इसके प्रभावी होने की घोषणा करती है। यह प्रत्यायोजित विधायन से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें नियम बनाने की शक्ति के बजाय केवल कार्यान्वयन का निर्णय सौंपा जाता है। यह प्रशासनिक लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण विधिक उपकरण है।

45. (C) प्रधानमंत्री।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा

की जाती है। यह समिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता यह सुनिश्चित करती है कि चयन प्रक्रिया को उच्चतम राजनीतिक और प्रशासनिक प्राथमिकता मिले। समिति की अनुशंसा के पश्चात ही राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक नियुक्तियां की जाती हैं।

46. (D) प्रशासनिक दुरुपयोग के विरुद्ध उपलब्ध उपचार।
प्रशासनिक विधि का एक बड़ा हिस्सा पीड़ित नागरिकों को सरकारी तंत्र की मनमानी के विरुद्ध विधिक उपचार प्रदान करने से संबंधित है। इसमें रिट याचिकाएं, न्यायाधिकरणों में अपील और अन्य निवारण तंत्र सम्मिलित हैं जो अधिकारियों को जवाबदेह ठहराते हैं। जहाँ अन्य विकल्प संरचना या राजनीति पर ध्यान देते हैं, वहीं प्रशासनिक विधि का मुख्य सरोकार यह सुनिश्चित करना है कि यदि शक्ति का दुरुपयोग होता है, तो नागरिक के पास न्याय प्राप्त करने का स्पष्ट मार्ग उपलब्ध हो। यह विधि के शासन की वास्तविक सुरक्षा है।

47. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्रशासनिक निर्णयों में कारणों का उल्लेख करना पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य माध्यम है। जब कोई अधिकारी अपने निर्णय का आधार स्पष्ट करता है, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि उसने तथ्यों और कानूनों का तर्कपूर्ण विश्लेषण किया है। यह न केवल मनमानी को रोकता है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को यह समझने में भी सहायता करता है कि उसका पक्ष क्यों नहीं स्वीकारा गया। अतः तर्क अभिकथन की पुष्टि करता है क्योंकि कारण देना ही वास्तव में शासन में निष्पक्षता और उत्तरदायित्व का आधार बनता है।

48. (B) अप्रासंगिक कारकों पर विचार।
विधिक रूप से यह आवश्यक है कि कोई भी अधिकारी निर्णय लेते समय केवल उन्हीं तथ्यों पर विचार करे जो उस कानून के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि कोई प्राधिकारी व्यक्तिगत पसंद, राजनीतिक दबाव या ऐसे तथ्यों को आधार बनाता है जिनका मामले से कोई संबंध नहीं है, तो उसका निर्णय दूषित माना जाता है। इसे 'अप्रासंगिक कारकों पर विचार' के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग केवल विधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाए।

49. (A) केवल 1 और 2।
प्रत्यायोजित विधायन आधुनिक समय में कानून बनाने की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक आवश्यक साधन बन गया है, जिसे कभी-कभी 'आवश्यक बुराई' कहा जाता है। इस पर संसद और न्यायपालिका दोनों का नियंत्रण होता है ताकि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। हालांकि, यह कथन गलत है कि इसका उपयोग मूल अधिनियम को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अधीनस्थ विधायन कभी भी अपने जन्मदाता कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अतः केवल प्रथम दो कथन ही इसकी विधिक स्थिति को सही दर्शाते हैं।

50. (A) एक वर्ष।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी राज्यों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त की स्थापना करें। इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक त्रि-स्तरीय और एकीकृत ढांचा खड़ा करना था। यद्यपि कुछ राज्यों ने इसमें विलंब किया, परंतु यह विधिक आदेश राज्यों को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए विवश करता है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन की परिकल्पना करता है।

51. (C) सरकारी शक्ति को नियंत्रित और सीमित करना।
प्रशासनिक विधि का 'लाल-बत्ती सिद्धांत' उस विधिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो सरकारी शक्तियों पर अंकुश लगाने और उन्हें सीमाओं में रखने पर बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और प्रशासन की मनमानी को रोकना है। इसके विपरीत, 'हरी-बत्ती सिद्धांत' प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक कल्याण के कार्यों को सुगम बनाने की वकालत करता है। लाल-बत्ती दृष्टिकोण न्यायालयों को एक प्रहरी की भूमिका में देखता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन विधि द्वारा स्थापित मर्यादाओं का उल्लंघन न करे।

52. (D) प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्य।
ए. के. क्रैपक बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह क्रांतिकारी व्यवस्था दी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन केवल अर्द्ध-न्यायिक ही नहीं, बल्कि शुद्ध प्रशासनिक कार्यों में भी किया जाना चाहिए। इससे पूर्व यह माना जाता था कि केवल वे अधिकारी ही इन नियमों से बंधे हैं जो न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं। इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि निष्पक्षता का सिद्धांत हर उस सरकारी कार्य पर लागू होता है जिसका नागरिक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

53. (C) प्रशासनिक कार्रवाई साध्य के संबंध में अत्यधिक कठोर नहीं होनी चाहिए।
आनुपातिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन द्वारा अपनाया गया साधन उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के साथ संतुलित हो। इसका अर्थ है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यदि कोई अधिकारी किसी छोटे अपराध के लिए अत्यंत कठोर दंड देता है या अत्यधिक कठोर प्रक्रिया अपनाता है, तो उसे इस सिद्धांत के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। यह न्यायिक समीक्षा का एक आधुनिक और सूक्ष्म मानक है जो प्रशासनिक मनमानी को रोकता है।

54. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
विधिक शब्दावली में विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ कानूनों के निर्माणकर्ता भिन्न होते हैं। उपविधियाँ सामान्यतः नगरपालिकाओं या सार्वजनिक निगमों द्वारा अपने आंतरिक प्रबंधन के लिए बनाई जाती हैं। विनियमन स्वायत्त निकायों द्वारा विशिष्ट कार्यों को विनियमित करने हेतु निर्मित होते हैं, जबकि नियम सरकारी विभागों द्वारा अधिनियमों को लागू करने के लिए बनाए जाते हैं। अध्यादेश एक असाधारण विधायी शक्ति है जिसका प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा संसद के अवकाश के दौरान किया जाता है। यह मिलान शासन के विभिन्न स्तरों पर कानून बनाने की विविध प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है।

55. (D) 50%
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, लोकपाल के सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की श्रेणी से होने चाहिए। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार विरोधी इस सर्वोच्च निकाय में विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इससे समाज के सभी वर्गों का विश्वास संस्था में बढ़ता है और निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक अनुभवों का लाभ मिलता है।

56. (A) प्रशासन से संबंधित विधि, जो अधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है।
आइवर जेनिंग्स ने प्रशासनिक विधि की एक व्यापक और कार्य-आधारित परिभाषा प्रदान की है। उनके अनुसार, यह विधि का वह हिस्सा है जो प्रशासनिक अधिकारियों की संरचना, उनकी विधिक शक्तियों के दायरे और उनके द्वारा निभाए जाने वाले सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्धारण करता है। यह परिभाषा प्रशासन के आंतरिक संगठन और बाह्य विधिक उत्तरदायित्वों दोनों को समाहित करती है। यह इस बात पर बल देती है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुस्पष्ट विधिक ढांचे की आवश्यकता होती है जो अधिकारियों के आचरण को विनियमित करे।

57. (C) किसी व्यक्ति को आरोपों के विरुद्ध प्रतिरक्षा तैयार करने की अनुमति देना।
सूचना जारी करना निष्पक्ष सुनवाई का प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति को उन आरोपों और साक्ष्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना है जो उसके विरुद्ध विचारणीय हैं। उचित सूचना के बिना, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रभावी प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं कर सकता, जिससे न्याय की विफलता की संभावना बढ़ जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन द्वारा की जाने वाली कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई पारदर्शी हो और व्यक्ति को अपना पक्ष मजबूती से रखने का पूरा अवसर मिले।

58. (A) विवेक के प्रयोग में विफलता।
जब विधि किसी अधिकारी को किसी विशेष स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार और कर्तव्य सौंपती है, तो उस अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी बुद्धि का सक्रिय रूप से प्रयोग करे। यदि वह बिना विचार किए केवल आदेशों का पालन करता है या यंत्रवत रूप से कार्य करता है, तो इसे विवेक के प्रयोग में विफलता माना जाता है। प्रशासनिक विधि के अनुसार, शक्ति का होना उसे प्रयोग करने का उत्तरदायित्व भी लाता है। ऐसी विफलता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई को विधिक रूप से दोषपूर्ण और चुनौती योग्य बना देती है।

59. (D) यह निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए एक न्यायिक आवश्यकता है।
प्रत्यायोजित विधायन का प्रकाशन एक विधिक अनिवार्यता है क्योंकि जनता को उन नियमों की जानकारी होनी चाहिए जिनका उन्हें पालन करना है। विधिक सिद्धांत यह है कि 'अज्ञानता कानून का बचाव नहीं है', इसलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कानूनों को सार्वजनिक करे। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियम प्रकाशित नहीं किया जाता है, तो उसे नागरिकों पर लागू नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और अधिकारियों को गुप्त रूप से नियम बनाने से रोकती है।

60. (B) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
लोकपाल की चयन समिति में देश के शीर्ष संवैधानिक और विधायी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश सदस्य होते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अधिकारी हैं, परंतु वे इस विशिष्ट चयन समिति का हिस्सा नहीं हैं। यह संरचना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन को दर्शाती है जो भ्रष्टाचार निरोधक निकाय के लिए आवश्यक है।

61. (C) सामाजिक कल्याणकारी राज्य।
ऐतिहासिक रूप से राज्य का कार्य केवल बाहरी आक्रमण से रक्षा और आंतरिक शांति बनाए रखना था, जिसे 'पुलिस राज्य' कहा जाता था। आधुनिक समय में, राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा जैसे व्यापक दायित्व निभाता है, जिससे यह 'कल्याणकारी राज्य' बन गया है। इस परिवर्तन ने प्रशासनिक अधिकारियों को अपार शक्तियाँ प्रदान की हैं, जिससे उनके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक विधि का महत्व बढ़ गया है। अतः नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य का बढ़ता हस्तक्षेप ही इस विधि के विकास का प्रमुख आधार है।

62. (D) विधि का शासन और प्राकृतिक न्याय।
वैध प्रत्याशा का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि यदि प्रशासन ने कोई वचन दिया है या लंबे समय तक किसी पद्धति का पालन किया है, तो नागरिकों को उसके जारी रहने की उचित अपेक्षा करने का अधिकार है। यह सिद्धांत विधि के शासन के अंतर्गत सरकारी कार्यों में निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह प्राकृतिक न्याय का एक विस्तार है जो प्रशासन को बिना किसी ठोस कारण के अपनी नीतियों को अचानक

बदलने से रोकता है जिससे नागरिकों के हितों को हानि पहुँचती हो।

63. (C) कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है।
आनुपातिकता का सिद्धांत वास्तव में वेन्सबरी मानक की तुलना में न्यायिक समीक्षा को अधिक गहराई प्रदान करता है, क्योंकि यह केवल तर्कसंगतता ही नहीं, बल्कि साधन और साध्य के संतुलन की भी जांच करता है। हालांकि, कथन 2 गलत है क्योंकि समीक्षा का अर्थ अभी भी निर्णय की वैधता की जांच करना ही है, न कि स्वयं न्यायालय द्वारा प्रशासन के स्थान पर नया निर्णय लेना। न्यायालय प्रशासक की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि वह केवल यह देखता है कि अपनाई गई प्रक्रिया और दंड की मात्रा उचित है या नहीं।

64. (B) मूल अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सके।
हेनरी अष्टम खंड प्रत्यायोजित विधायन का एक असाधारण रूप है जो कार्यपालिका को विधायी शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके माध्यम से सरकार मुख्य अधिनियम के प्रावधानों को स्वयं ही संशोधित करने या हटाने में सक्षम हो जाती है। चूंकि यह विधायिका की मौलिक शक्ति का अतिक्रमण करता है, इसलिए न्यायपालिका इसे अक्सर अलोकतांत्रिक मानती है और इसकी कड़ी समीक्षा करती है। इसका प्रयोग केवल तब किया जाता है जब अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को तत्काल दूर करना अनिवार्य हो जाता है।

65. (B) जनता द्वारा नियुक्त।
'लोकायुक्त' शब्द का शाब्दिक अर्थ जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए नियुक्त अधिकारी से है। भारत में यह शब्द ओम्बुड्समैन के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसे भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के विरुद्ध जनता के प्रहरी के रूप में देखा जाता है। इसकी नियुक्ति का मूल उद्देश्य शासन प्रक्रिया में आम आदमी की भागीदारी और विश्वास को सुदृढ़ करना है। यह शब्द इस संस्था की लोक-केंद्रित प्रकृति को दर्शाता है, जहाँ इसका मुख्य सरोकार सार्वजनिक शुचिता और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है।

66. (A) लोक विधि।
लोक विधि वह शाखा है जो राज्य के अंगों और नागरिकों के बीच के संबंधों को विनियमित करती है। प्रशासनिक विधि इसी का एक अभिन्न अंग है क्योंकि यह सरकारी निकायों की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करती है। निजी विधि के विपरीत, जो व्यक्तियों के आपसी विवादों से निपटती है, प्रशासनिक विधि सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण और उत्तरदायित्वों पर केंद्रित होती है। यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग विधि सम्मत और जनहित में किया जाए।

67. (C) वे संहिताबद्ध नियम हैं और उनसे विचलित नहीं हुआ जा सकता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अलिखित और असंहिताबद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी एक कानून की पुस्तक में बंद नहीं हैं। ये लचीले सिद्धांत हैं जिन्हें न्यायालयों ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया है। यद्यपि इनका उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना है, परंतु विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों या असाधारण स्थितियों में इनके अनुप्रयोग को सीमित या परिवर्तित किया जा सकता है। यह कहना गलत है कि इनसे कभी विचलित नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इनका प्रयोग सदैव मामले के तथ्यों और तात्कालिकता पर निर्भर करता है।

68. (D) तथ्यात्मक विद्वेष।
तथ्यात्मक विद्वेष तब होता है जब कोई प्रशासनिक निर्णय किसी अधिकारी की व्यक्तिगत दुर्भावना, घृणा या शत्रुता के कारण लिया जाता है। यह विधिक त्रुटि से परे व्यक्ति के भ्रष्ट या द्वेषपूर्ण इरादे को दर्शाता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी आदेश के पीछे का कारण प्रभावित व्यक्ति के प्रति अधिकारी की व्यक्तिगत नापसंदगी थी, तो न्यायालय उसे तुरंत निरस्त कर देता है। यह शक्ति का अत्यंत अनैतिक प्रयोग है जो न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है और प्रशासनिक शुचिता को नष्ट करता है।

69. (C) संविधान।
भारत में संविधान सर्वोच्च कानून है और कोई भी प्रत्यायोजित विधायन इसके विरुद्ध नहीं हो सकता। यदि कोई नियम या विनियमन नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जैसे समानता या स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, तो उसे 'संवैधानिक रूप से अधिकारातीत' मानकर शून्य घोषित किया जा सकता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही रहे। यह संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा कवच है।

70. (B) सिविल न्यायालय।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, लोकपाल की जांच शाखा को साक्ष्य एकत्र करने और अन्वेषण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसमें गवाहों को समन जारी करना, शपथ पर उनका परीक्षण करना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करना सम्मिलित है। ये शक्तियाँ लोकपाल को एक सशक्त निकाय बनाती हैं जो भ्रष्टाचार के जटिल मामलों की गहराई से जांच कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि जांच प्रक्रिया विधिक रूप से सुदृढ़ और प्रभावी हो।

71. (D) प्रशासनिक न्यायालयों का एक विशेष समूह जिसके शीर्ष पर कॉन्सेल डी'एटैट है।
फ्रांस की ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ प्रणाली की विशेषता यह है कि वहाँ प्रशासन से जुड़े विवादों के लिए पृथक न्यायालय उपलब्ध हैं। कॉन्सेल डी'एटैट इस प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है जो प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच करती है और पीड़ित

नागरिकों को उपचार प्रदान करती है। यह सामान्य दीवानी न्यायालयों से स्वतंत्र होकर कार्य करती है और इसके पास प्रशासनिक विशेषज्ञता होती है। यह मॉडल इस विचार पर आधारित है कि प्रशासन के जटिल कार्यों को समझने के लिए विशेष न्यायिक दृष्टिकोण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

72. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विधिक व्यवस्था के अंतर्निहित अंग हैं और उन्हें लागू करने के लिए सदैव किसी स्पष्ट लिखित नियम की आवश्यकता नहीं होती। न्यायालयों का यह सुस्थापित दृष्टिकोण है कि जब तक कोई कानून स्पष्ट रूप से इन सिद्धांतों को वर्जित नहीं करता, तब तक प्रत्येक प्राधिकारी से निष्पक्षता से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका इन सिद्धांतों को न्यायपूर्ण शासन का एक अनिवार्य और स्वाभाविक हिस्सा मानती है।

73. (C) एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज लिमिटेड बनाम वेन्सबरी कॉर्पोरेशन।
वेन्सबरी का मामला प्रशासनिक विधि के इतिहास में एक मील का पत्थर है जिसने न्यायिक समीक्षा के लिए 'तर्कसंगतता' का मानक निर्धारित किया। इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि यद्यपि अधिकारियों के पास विवेक होता है, परंतु वे इसका प्रयोग इतना अतार्किक रूप से नहीं कर सकते कि कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति वैसा न करे। यह मामला आज भी पूरी दुनिया में प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच करने के लिए एक प्रमुख संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसने मनमानी के विरुद्ध एक सशक्त विधिक बाधा खड़ी की।

74. (D) 1, 2 और 3।
प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण के विभिन्न रूप हैं जो इसके दुरुपयोग को रोकते हैं। संसद नियम बनने से पहले और बाद में उन पर नियंत्रण रखती है। न्यायपालिका नियम बनने के बाद उनकी वैधता की जांच करती है, जो कार्योत्तर नियंत्रण का हिस्सा है। इसी प्रकार, नियम बनाने से पूर्व प्रभावित पक्षों से सलाह लेना एक प्रक्रियात्मक नियंत्रण है जो लोकतंत्र में जनभागीदारी सुनिश्चित करता है। अतः ये तीनों कथन मिलकर प्रशासनिक जवाबदेही के एक संपूर्ण ढांचे को स्पष्ट करते हैं।

75. (D) महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र भारत का प्रथम राज्य था जिसने लोकायुक्त की संस्था को स्थापित किया था। महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम को वर्ष 1971 में पारित किया गया था, जो देश में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इसके पश्चात अन्य राज्यों ने भी धीरे-धीरे इस मॉडल को अपनाया। लोकायुक्त की स्थापना का उद्देश्य राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की स्वतंत्र जांच करना था। महाराष्ट्र द्वारा की गई इस पहल ने राज्यों में भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

76. (B) प्रभावी न्यायिक समीक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई पर नियंत्रण।
आधुनिक समय में 'विधि का शासन' केवल कानून की अक्षरशः पालना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की विवेकाधीन शक्तियों पर सार्थक नियंत्रण की मांग करता है। इसका मुख्य बल इस बात पर है कि कोई भी प्रशासनिक कार्य विधिक जांच से ऊपर नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि अधिकारियों के निर्णय तर्कसंगत, निष्पक्ष और कानून के दायरे में हों। यह दृष्टिकोण नागरिकों को शक्तिशाली नौकरशाही की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करता है और लोकतंत्र में जवाबदेही को विधिक व्यवस्था का आधार बनाता है।

77. (C) सभी परिस्थितियों में विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार।
प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई के कई अनिवार्य तत्व हैं, जैसे आरोपों की जानकारी और अपना पक्ष रखने का अवसर। हालांकि, प्रशासनिक कार्यवाहियों में वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सदैव एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं माना जाता है। यह मामले की जटिलता और संबंधित कानून के प्रावधानों पर निर्भर करता है। कई अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में व्यक्तिगत सुनवाई को पर्याप्त माना जाता है। अतः इसे सूचना या साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार की तरह हर परिस्थिति में लागू होने वाला पूर्ण अधिकार नहीं कहा जा सकता।

78. (D) विवेक पर बंधन।
प्रशासनिक विधि के अनुसार, जब किसी प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति दी जाती है, तो उसे प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार करना चाहिए। यदि वह बिना सोचे-समझे केवल एक सामान्य नीति को आधार बनाकर किसी आवेदन को खारिज कर देता है, तो इसे विवेक पर बंधन माना जाता है। प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की शक्ति को पूरी तरह किसी पूर्व-निर्धारित नियम से नहीं बाँध सकता क्योंकि इससे व्यक्तिगत न्याय की संभावना समाप्त हो जाती है। ऐसी कार्रवाई को न्यायालयों द्वारा विवेक का अनुचित प्रयोग मानकर चुनौती दी जा सकती है।

79. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
विधिक इतिहास के इन महत्वपूर्ण मामलों का मिलान प्रशासनिक विधि के प्रमुख सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। ए. के. क्रैपक मामला प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के बीच के भेद को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। मेनका गांधी मामले ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग बनाया। वेन्सबरी मामला अतार्किकता के परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दिल्ली लॉज मामला प्रत्यायोजित विधायन की संवैधानिक सीमाओं और उसके परीक्षण से संबंधित है। यह प्रशासनिक विधि के न्यायिक विकास का सारांश प्रदान करता है।

80. (B) चयन समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य।
लोकपाल की चयन समिति में एक "प्रख्यात न्यायविद" का होना अनिवार्य है जो विधिक विशेषज्ञता प्रदान कर सके। इस न्यायविद को नामित करने का अधिकार स्वयं चयन समिति के

अन्य सदस्यों, जिनमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, को दिया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नामांकन में व्यापक सहमति हो और वह किसी एक व्यक्ति या दल के प्रभाव से मुक्त रहे। यह लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता और उच्च विधिक मानकों को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है।

81. (B) व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना।
प्रशासनिक विधि का मूल उद्देश्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जहाँ सरकार कुशलतापूर्वक कार्य कर सके और साथ ही नागरिकों के अधिकारों का भी संरक्षण हो। आधुनिक राज्य में प्रशासन को अपार शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग जनहित में होना चाहिए। यह विधि सुनिश्चित करती है कि लोक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनावश्यक हनन न हो। यह शासन की शक्ति और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है, जो किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।

82. (A) आर्थिक पूर्वाग्रह।
आर्थिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम अत्यंत कठोर है और यह मानता है कि यदि किसी निर्णायक का मामले में थोड़ा भी वित्तीय हित है, तो वह निष्पक्ष निर्णय नहीं ले सकता। इसमें यह विचार नहीं किया जाता कि क्या उस हित ने वास्तव में निर्णय को प्रभावित किया या नहीं; केवल हित का अस्तित्व ही अयोग्यता के लिए पर्याप्त है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि धन का लोभ न्याय की दृष्टि को धुंधला कर सकता है। अतः न्यायिक शुचिता बनाए रखने के लिए ऐसे किसी भी अधिकारी को हटा दिया जाता है।

83. (C) बिना किसी उचित या तर्कसंगत कारण के की गई हो।
विधिक विद्वेष का अर्थ व्यक्तिगत शत्रुता या बुरा इरादा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी विधिक त्रुटि है जहाँ शक्ति का प्रयोग बिना किसी विधिक आधार के किया गया हो। जब कोई अधिकारी बिना सोचे-समझे या बिना किसी ठोस तर्क के कोई आदेश पारित करता है, तो उसे विधि की दृष्टि में विद्वेषपूर्ण माना जाता है। यह प्रशासनिक विवेक के मनमाने प्रयोग का एक रूप है जो कानून की मंशा के विरुद्ध है। न्यायालय इसे शासन की शुचिता और तर्कसंगतता के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए अमान्य कर सकते हैं।

84. (D) पुष्टिकारक या सकारात्मक प्रस्तुति।
सकारात्मक प्रस्तुति की प्रक्रिया संसदीय नियंत्रण का सबसे कड़ा रूप है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाया गया नियम तब तक प्रभावी नहीं होता तक कि संसद का सदन उस पर स्पष्ट रूप से अपनी सहमति का प्रस्ताव पारित न कर दे। यह साधारण प्रस्तुति से भिन्न है जहाँ नियम केवल पटल पर रखने से प्रभावी हो जाते हैं। यह प्रक्रिया उन विषयों के लिए अपनाई जाती है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण या संवेदनशील होते हैं। यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका केवल वही नियम बनाए जो जनप्रतिनिधियों द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत हों।

85. (C) लोकायुक्त की संरचना और शक्तियां भारत के सभी राज्यों में एक समान हैं।
भारत में लोकायुक्त संस्था के संबंध में एकरूपता का अभाव है क्योंकि प्रत्येक राज्य ने अपने स्वयं के अधिनियमों के माध्यम से इसे स्थापित किया है। कुछ राज्यों में लोकायुक्त के पास मुख्यमंत्री की जांच करने की शक्ति है, जबकि अन्य में नहीं। इसी प्रकार, उनके पास उपलब्ध जांच अमले और अभियोजन की शक्तियों में भी काफी अंतर पाया जाता है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार रोकना है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर इनका ढांचा एक समान नहीं है, जो इसकी एक बड़ी चुनौती है।

86. (B) हरी-बत्ती सिद्धांत।
'हरी-बत्ती सिद्धांत' प्रशासनिक विधि के प्रति एक सकारात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह प्रशासन को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के एक आवश्यक उपकरण के रूप में देखता है। यह सिद्धांत अधिकारियों को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस पर बल देता है कि विधिक प्रक्रियाएं शासन की गति में बाधक नहीं, बल्कि सहायक होनी चाहिए। इसका उद्देश्य विधि के माध्यम से शासन की गुणवत्ता में सुधार करना और लोक कल्याण के लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है।

87. (D) निर्णय में वे कारण सम्मिलित हों जिन पर वह आधारित है।
एक तर्कसंगत या 'बोलता हुआ' आदेश वह है जो अपने अस्तित्व के पीछे के विधिक और तथ्यात्मक आधारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। यह प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का एक प्रमुख साधन है क्योंकि यह निर्णय लेने वाले को साक्ष्यों पर गंभीरता से विचार करने के लिए विवश करता है। कारणों के बिना, कोई भी निर्णय मनमाना प्रतीत हो सकता है और उसके विरुद्ध अपील करना लगभग असंभव हो जाता है। अतः कारणों का उल्लेख करना न्याय के प्रशासन में पारदर्शिता लाने और जनविश्वास बनाए रखने के लिए अनिवार्य माना जाता है।

88. (A) अनुचित प्रत्यायोजन या उप-प्रत्यायोजन।
जब कोई अधिकारी अपनी उस शक्ति का प्रयोग किसी अन्य को करने देता है जो उसे व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई थी, तो इसे अनुचित उप-प्रत्यायोजन कहा जाता है। विधिक मान्यता यह है कि जिसे विश्वास के साथ शक्ति दी गई है, वही उसका प्रयोग करे। यदि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति निर्णय लेता है, तो वह आदेश अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण अमान्य हो जाता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक निर्णय केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा लिए जाएं जो इसके लिए कानूनन जवाबदेह हैं और जिनके पास आवश्यक विधिक प्राधिकार है।

89. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है, जिसका अर्थ है कि देश का कोई भी कानून या प्रशासनिक आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। चूंकि प्रत्यायोजित

विधायन संसद द्वारा दी गई सीमित शक्ति का परिणाम है, इसलिए उसे संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक अधिकारों और अन्य सीमाओं के भीतर रहना अनिवार्य है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं क्योंकि वे इस विधिक वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं कि संविधान ही समस्त विधिक शक्तियों का अंतिम स्रोत है और इसकी अवहेलना करने वाला कोई भी नियम शून्य होता है।

90. (A) समूह क, ख और ग।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत, भ्रष्टाचार की शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। समूह 'क', 'ख' और 'ग' के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को प्राथमिक जांच के लिए लोकपाल द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजा जाता है। यह आयोग इन शिकायतों की जांच कर अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंपता है, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही तय की जाती है। यह व्यवस्था विभिन्न भ्रष्टाचार निरोधक निकायों के बीच समन्वय स्थापित करने और जांच की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से की गई है।

91. (D) मोंटेस्क्यू
शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को आधुनिक रूप में प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक 'द स्पिरिट ऑफ लॉज' में प्रतिपादित किया गया था। उनका मानना था कि निरंकुशता को रोकने के लिए सरकार की विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को अलग-अलग अंगों में निहित किया जाना चाहिए। यद्यपि किसी भी देश में यह पृथक्करण पूर्ण नहीं है, परंतु यह सिद्धांत प्रशासनिक विधि का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। यह अंगों के बीच 'नियंत्रण और संतुलन' सुनिश्चित करता है ताकि कोई भी शाखा अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके।

92. (B) चरण लाल साहू बनाम भारत संघ।
चरण लाल साहू बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'असाध्यता' के सिद्धांत पर चर्चा की, जो प्राकृतिक न्याय का एक महत्वपूर्ण अपवाद है। इस मामले में भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि जहाँ बड़ी संख्या में पीड़ित हों और व्यक्तिगत सुनवाई करना व्यावहारिक रूप से असंभव या असाध्य हो, वहाँ प्राकृतिक न्याय के सामान्य नियमों को व्यापक जनहित में सीमित किया जा सकता है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि न्याय की प्रक्रिया को व्यावहारिक वास्तविकताओं के साथ संतुलित होना चाहिए।

93. (D) अवैधता।
प्रशासनिक विधि के अंतर्गत, 'अवैधता' का अर्थ केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि इसमें प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने में विफलता भी सम्मिलित है। जब कोई अधिकारी निर्णय लेते समय उन महत्वपूर्ण सामग्रियों को नजरअंदाज कर देता है जिनका संज्ञान लेना विधिक रूप से आवश्यक था, तो उसका निर्णय क्षेत्राधिकार की त्रुटि के कारण अवैध माना जाता है। न्यायिक समीक्षा के दौरान न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन ने अपनी शक्ति का प्रयोग उन्हीं तथ्यों के आधार पर किया है जो कानून द्वारा अपेक्षित थे। यह निर्णय प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखता है।

94. (D) वे मूल अधिनियम और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुपालन की जांच करती हैं।
अधीनस्थ विधायन संबंधी संसदीय समितियाँ कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की सूक्ष्म जांच करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। उनका मुख्य कार्य यह देखना है कि क्या ये नियम संसद द्वारा प्रदान की गई शक्तियों की सीमा के भीतर हैं और कहीं वे संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। ये समितियाँ यह भी सुनिश्चित करती हैं कि नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग अनुचित रूप से तो नहीं किया गया है। उनकी रिपोर्ट संसद को यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि किसी नियम को जारी रखा जाए, संशोधित किया जाए या निरस्त किया जाए।

95. (A) 2, 1, 3, 4
भारत में लोकपाल संस्था का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। सर्वप्रथम 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी, जिसके पश्चात 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। कई दशकों के संघर्ष और संशोधनों के बाद, अंततः वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। इसके क्रियान्वयन के अंतिम चरण में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। यह कालक्रम भ्रष्टाचार विरोधी विधिक ढांचे को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है जो जनभावनाओं के अनुरूप थे।

96. (A) यह अधिकारियों को जवाबदेह बनाता है और नागरिकों को मनमानी कार्रवाई से सुरक्षित रखता है।
आधुनिक लोकतंत्र में प्रशासनिक विधि की अनिवार्य भूमिका नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में है। जैसे-जैसे सरकारी कार्यों का विस्तार हुआ है, वैसे-वैसे अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ी है। यह विधि ऐसे सिद्धांतों और उपचारों का निर्माण करती है जो शासन को पारदर्शी बनाते हैं और अधिकारियों को उनके निर्णयों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की शक्ति बेलगाम न हो और प्रत्येक प्रशासनिक कदम विधि और निष्पक्षता की कसौटी पर खरा उतरे, जो लोकतंत्र का आधार है।

97. (D) पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम।
पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम का आधार यह विचार है कि न्याय की निष्पक्षता पर जनता का अटूट विश्वास होना चाहिए। केवल निष्पक्ष होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि बाहर से देखने वाले को भी उसमें किसी पक्षपात की संभावना न दिखे। यदि किसी निर्णायक का मामले में हित जुड़ा है, तो भले ही उसने सही निर्णय लिया हो, उसे पूर्वाग्रह के कारण दूषित माना जाता है। यह सिद्धांत विधिक प्रक्रिया की शुचिता और गरिमा बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि न्याय के प्रति जन-आस्था सुरक्षित रहे।

98. (B) केवल 2 और 3।
न्यायिक समीक्षा का प्राथमिक ध्यान निर्णय की वैधता और उसे लेने की प्रक्रिया पर होता है, न कि इस पर कि निर्णय स्वयं में 'सही' है या 'गलत'। न्यायालय प्रशासन के स्थान पर अपना स्वयं का दृष्टिकोण तब तक नहीं रखते जब तक कि निर्णय अवैध या अतार्किक न हो। हालांकि, आनुपातिकता का आधुनिक सिद्धांत वेन्सबरी मानक की तुलना में अधिक गहराई से यह देखता है कि क्या अपनाए गए साधन लक्ष्य के अनुकूल हैं। अतः दूसरा और तीसरा कथन सही हैं, जबकि प्रथम कथन न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के विपरीत है।

99. (C) प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा को अपवर्जित या सीमित करना।
अपवर्जन खंड, जिसे अक्सर 'अंतिम रूप खंड' भी कहा जाता है, किसी अधिनियम में वह प्रावधान है जो यह घोषित करता है कि प्रशासनिक प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य प्रशासनिक निर्णयों को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाना और विवादों का शीघ्र निपटान करना होता है। हालांकि, भारत में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे खंड न्यायिक समीक्षा की संवैधानिक शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। यदि निर्णय अवैध या अधिकार क्षेत्र के बाहर है, तो समीक्षा सदैव संभव है।

100. (D) पांच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्व हो।
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के माध्यम से किया गया है। यह प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी इस सर्वोच्च संस्था की स्वतंत्रता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। सदस्य अधिकतम पांच वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, परंतु आयु की सीमा 70 वर्ष निर्धारित की गई है। इस आयु सीमा के पश्चात उन्हें पद त्यागना अनिवार्य होता है, चाहे उनका पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ हो या नहीं। यह नियम उच्च पदों पर अनुभव और कार्यक्षमता के बीच संतुलन बनाए रखता है।

101. (C) किसी मंत्री का महाभियोग।
प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से विधिक उपचारों जैसे रिट, घोषणात्मक आदेशों और व्यादेशों के माध्यम से कार्य करती है। महाभियोग एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक और विधायी प्रक्रिया है जिसका उपयोग उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को हटाने के लिए संसद द्वारा किया जाता है। यह प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आने वाला सामान्य विधिक उपचार नहीं है। प्रशासनिक उपचारों का उद्देश्य अधिकारियों के विशिष्ट अवैध कार्यों को सुधारना या रोकना होता है, जबकि महाभियोग का संबंध पद की गरिमा और संवैधानिक उत्तरदायित्वों के गंभीर उल्लंघन से है।

102. (A) यह प्रारंभ से ही शून्य होता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विधिक प्रक्रिया की आत्मा माना जाता है। यदि कोई प्रशासनिक निर्णय इन सिद्धांतों, जैसे 'दूसरे पक्ष को सुनना' या 'निष्पक्षता', का उल्लंघन करके लिया जाता है, तो उसे विधि की दृष्टि में अस्तित्वहीन माना जाता है। ऐसा निर्णय प्रारंभ से ही शून्य होता है, जिसका अर्थ है कि इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायालय ऐसे निर्णयों को केवल इसलिए निरस्त नहीं करते कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे न्याय की मौलिक प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे हैं।

103. (C) दुर्भावना और अनुचित उद्देश्य।
जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने सगे-संबंधियों को लाभ पहुँचाने या निजी हितों के लिए करता है, तो यह शक्ति का घोर दुरुपयोग माना जाता है। इसे विधिक शब्दावली में 'दुर्भावना' या 'अनुचित उद्देश्य' कहा जाता है क्योंकि अधिकारी ने उस शक्ति का उपयोग उस सार्वजनिक हित के लिए नहीं किया जिसके लिए वह उसे सौंपी गई थी। ऐसे मामलों में निर्णय की शुचिता समाप्त हो जाती है और न्यायालय इसे अवैध घोषित कर देते हैं। यह सिद्धांत सार्वजनिक पदों पर भ्रष्टाचार और पक्षपात को रोकने के लिए अनिवार्य है।

104. (D) संसद की।
अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति भारत की संसद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थाई समिति है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और उप-विधियाँ उन शक्तियों की सीमा के भीतर हों जो संसद ने मूल अधिनियम के माध्यम से प्रदान की हैं। यह समिति संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि यह निगरानी रखते हैं कि नौकरशाही कानून बनाने की अपनी प्रत्यायोजित शक्ति का दुरुपयोग न करे और विधायी मंशा का सम्मान बना रहे।

105. (A) संपत्तियों के क्षरण को रोकने के लिए उसकी निवारक शक्ति।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित संपत्ति की कुर्की का प्रावधान एक सशक्त निवारक उपाय है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच प्रक्रिया के दौरान आरोपी अवैध रूप से प्राप्त धन या संपत्ति को छिपा न सके या उसे नष्ट न कर सके। यह शक्ति लोकपाल को केवल एक जांच निकाय से ऊपर उठाकर एक प्रभावी प्रवर्तन निकाय के रूप में स्थापित करती है। यह भ्रष्ट अधिकारियों के मन में भय उत्पन्न करता है और सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

106. (A) यह स्वीकार करता है कि अधिकारी प्रायः अर्द्ध-विधायी और अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
प्रशासनिक विधि शक्तियों के पृथक्करण के पारंपरिक और कठोर सिद्धांत को आधुनिक शासन की आवश्यकताओं के साथ संतुलित करती है। यह वास्तविकता है कि आज के जटिल प्रशासन में अधिकारियों को नियम बनाने और विवाद सुलझाने जैसी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। प्रशासनिक विधि इन शक्तियों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के बजाय उन्हें विनियमित करने और उन पर नियंत्रण रखने पर बल देती है। यह मानता है कि कार्यों का पूर्ण पृथक्करण व्यावहारिक नहीं

या उनके सांगठनिक कार्य इस विधि के दायरे में नहीं आते, क्योंकि ये प्रशासनिक या कार्यकारी कार्य नहीं हैं। यह विधि मुख्य रूप से राज्य के अंगों के उन कार्यों से संबंधित है जो कानून द्वारा विनियमित होते हैं और नागरिकों के विधिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों के निजी या आंतरिक कार्यों का प्रशासन की विधिक प्रक्रियाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता।

142. (B) निष्पक्ष सुनवाई के नियम का।
निष्पक्ष सुनवाई का एक अनिवार्य हिस्सा यह है कि प्रभावित व्यक्ति को उन सभी साक्ष्यों की जानकारी दी जाए जो उसके विरुद्ध प्रयुक्त हो रहे हैं। किसी छात्र को बिना प्रतिवेदन दिखाए निष्कासित करना उसे अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के अवसर से वंचित करता है। यह प्राकृतिक न्याय का घोर उल्लंघन है क्योंकि व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि उसे किन आरोपों का उत्तर देना है। ऐसी गुप्त प्रक्रियाएं प्रशासन में मनमानी और अन्याय को जन्म देती हैं, जिन्हें न्यायालय अवैध मानकर निरस्त कर देते हैं।

143. (A) कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं।
प्रशासनिक विवेक कोई असीमित अधिकार नहीं है, बल्कि यह विधि और न्याय की सीमाओं के भीतर प्रयोग किया जाने वाला एक विधिक प्राधिकार है। प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक का प्रयोग तर्कसंगत रूप से और जनहित में करे। यदि विवेक का प्रयोग करते समय मनमानी की जाती है या कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो वह 'अतार्किकता' के आधार पर न्यायिक समीक्षा का विषय बन जाता है। न्यायालय ऐसे दोषपूर्ण निर्णयों को निरस्त करने की शक्ति रखते हैं ताकि विधि का शासन बना रहे।

144. (C) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही हो।
लोकतंत्र में संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण यह सुनिश्चित करने का माध्यम है कि अधिकारी कानून बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग जनभावनाओं और विधायी मंशा के अनुरूप ही करें। इसके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की संवीक्षा करते हैं और किसी भी मनमानी या शक्ति के अतिक्रमण को रोकते हैं। यह नियंत्रण कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों को लोकतांत्रिक सीमाओं के भीतर बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

145. (D) केंद्रीय सतर्कता आयुक्त।
लोकपाल की अभियोजन शाखा का नेतृत्व 'अभियोजन निदेशक' द्वारा किया जाता है, जो लोकपाल की ओर से अदालतों में भ्रष्टाचार के मामलों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने का अधिकार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को दिया गया है। यह व्यवस्था विभिन्न भ्रष्टाचार निरोधक निकायों के बीच कार्यात्मक तालमेल सुनिश्चित करती है। चूंकि इस आयुक्त के पास सतर्कता और अभियोजन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव होता है, इसलिए उनके द्वारा की गई अनुशंसा पद की गरिमा और कार्यक्षमता को सुदृढ़ करती है।

146. (B) भारत का संविधान।
भारतीय प्रशासनिक विधि का सर्वोच्च और अंतिम स्रोत भारत का संविधान है। प्रशासन की प्रत्येक शक्ति, चाहे वह विधायी हो या कार्यकारी, संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं से ही निकलती है। कोई भी प्रशासनिक कार्य या प्रत्यायोजित कानून जो संविधान के सिद्धांतों, विशेषकर मौलिक अधिकारों, का उल्लंघन करता है, उसे मान्य नहीं माना जा सकता। संविधान न केवल अधिकारियों को शक्ति प्रदान करता है, बल्कि नागरिकों को उन शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा भी प्रदान करता है। अतः संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर ही कार्य करने के लिए बाध्य है।

147. (C) विषय-वस्तु के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धता रखता है।
आधिकारिक पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होता है जब कोई निर्णायक किसी विशेष सरकारी नीति या विषय-वस्तु के प्रति इतना अधिक समर्पित या वचनबद्ध होता है कि वह मामले के दूसरे पक्ष को निष्पक्षता से सुनने में असमर्थ हो जाता है। इसमें निर्णायक का कोई व्यक्तिगत या आर्थिक हित नहीं होता, बल्कि उसका झुकाव केवल उस विभाग या नीति की सफलता सुनिश्चित करने की ओर होता है जिसे वह लागू कर रहा है। न्याय के लिए यह आवश्यक है कि निर्णायक केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय ले, न कि अपनी आधिकारिक पूर्व-धारणाओं के आधार पर।

148. (A) कोई वचन दिया हो या निरंतर पूर्व अभ्यास का पालन किया हो।
वैध प्रत्याशा का सिद्धांत तब लागू होता है जब प्रशासन ने अपने आचरण या किसी स्पष्ट आश्वासन के माध्यम से नागरिकों के मन में यह विश्वास पैदा किया हो कि एक निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यदि प्रशासन बिना किसी ठोस कारण के अचानक इस अभ्यास या वचन से पीछे हटता है, तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है। यह सिद्धांत सरकार को 'कार्य में निष्पक्षता' और 'निरंतरता' बनाए रखने के लिए बाध्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक कार्यों में न्यायसंगत व्यवहार बना रहे।

149. (A) मूल अधिनियम स्पष्ट रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा इसकी अनुमति देता है या नहीं।
उप-प्रत्यायोजन की विधिक वैधता का एकमात्र आधार मूल कानून की मंशा है। सामान्य नियम यह है कि प्रत्यायोजित शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, परंतु यदि विधायिका ने मूल अधिनियम में स्पष्ट रूप से या आवश्यक अर्थ द्वारा इसकी अनुमति दी है, तो यह मान्य होता है। आधुनिक प्रशासन की जटिलताओं में कार्यों का विभाजन आवश्यक है, परंतु यह सदैव विधिक ढांचे के भीतर ही होना चाहिए। विधिक प्राधिकार के बिना किया गया उप-प्रत्यायोजन शक्तियों का अवैध परित्याग माना जाता है।

लोकपाल को नहीं है। यह अपवर्जन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि देश के महत्वपूर्ण सामरिक और कूटनीतिक हित किसी भी अनावश्यक जांच प्रक्रिया के कारण प्रभावित न हों। यह शासन की स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है।

116. (C) मूल और प्रक्रियात्मक विधि का संयोजन।
प्रशासनिक विधि न केवल अधिकारियों की शक्तियों और अधिकारों को परिभाषित करती है, बल्कि उन शक्तियों के प्रयोग के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और नागरिकों को उपलब्ध उपचारों का भी निर्धारण करती है। यह प्रशासन की संरचना और उसके संचालन के नियमों का एक एकीकृत ढांचा है। जहाँ एक ओर यह बताती है कि अधिकारी क्या कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करती है कि वे इसे कैसे करें। यह द्विआयामी प्रकृति शासन में विधिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

117. (B) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह।
व्यक्तिगत पूर्वाग्रह तब उत्पन्न होता है जब किसी निर्णायक और मामले के पक्षकारों के बीच कोई ऐसा संबंध होता है जो निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। गहरी व्यक्तिगत मित्रता इसी श्रेणी में आती है, क्योंकि यह समाज में यह संदेश देती है कि निर्णय निष्पक्ष नहीं होगा। विधिक सिद्धांत यह है कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। यदि किसी भी पक्ष के मन में निर्णायक की तटस्थता को लेकर तर्कसंगत संदेह है, तो प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे निर्णायक को मामले से हट जाना चाहिए।

118. (A) विचार न करना।
प्रशासनिक विधि में यह आवश्यक है कि जब किसी अधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए, तो वह मामले के सभी तथ्यों पर सक्रिय रूप से विचार करे। यदि वह बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए केवल यंत्रवत तरीके से या बिना सामग्री का विश्लेषण किए कार्य करता है, तो इसे 'विचार न करना' या 'विवेक का प्रयोग न करना' माना जाता है। यह प्रशासनिक शक्तियों का एक नकारात्मक प्रयोग है जो निर्णय की वैधता को समाप्त कर देता है। न्यायालय ऐसे कार्यों को मनमाना मानकर निरस्त कर सकते हैं क्योंकि वे विधिक मंशा के विरुद्ध हैं।

119. (C) P-3, Q-1, R-4, S-2
प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण तंत्र कार्य करते हैं। उत्प्रेषण रिट एक न्यायिक नियंत्रण है जिसके द्वारा न्यायालय निचले निकायों के अवैध आदेशों को निरस्त करते हैं। पटल पर रखने की प्रक्रिया संसद द्वारा अधीनस्थ विधायन पर नियंत्रण रखने का माध्यम है। पूर्व परामर्श नियम बनाने की एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है जो जनभागीदारी सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार, वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रशासनिक तंत्र है जिसके माध्यम से विभाग अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह मिलान शासन में उपलब्ध बहु-स्तरीय नियंत्रण व्यवस्था को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

120. (C) संसद का एक अधिनियम।
भारत में लोकपाल संस्था की स्थापना 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के माध्यम से की गई है, जो संसद द्वारा पारित एक वैधानिक कानून है। यद्यपि इसे स्थापित करने की मांग लंबे समय से हो रही थी, परंतु इसे संविधान में संशोधन के बजाय एक स्वतंत्र अधिनियम के रूप में मूर्त रूप दिया गया। एक वैधानिक निकाय होने के नाते, इसकी शक्तियां और कार्यक्षेत्र इसी अधिनियम द्वारा परिभाषित होते हैं। यह संसद के प्रति जवाबदेह है और इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए व्यापक विधिक अधिकार और स्वायत्तता प्रदान की गई है।

121. (C) शासन को सुगम बनाते हुए राज्य की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता है।
'पीली-बत्ती सिद्धांत' प्रशासनिक विधि के प्रति एक संतुलित और मध्यम मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह लाल-बत्ती और हरी-बत्ती के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसका मानना है कि प्रशासन को प्रभावी कार्य करने के लिए पर्याप्त शक्तियों की आवश्यकता है, परंतु उन शक्तियों पर उचित विधिक नियंत्रण भी अनिवार्य है। यह सिद्धांत शासन की गतिशीलता को बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। यह आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जहाँ कुशलता और न्याय दोनों महत्वपूर्ण हैं।

122. (C) सभी पर लागू होने वाला एक सामान्य विधायी नियम बनाना।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसे सुनवाई का अधिकार, मुख्य रूप से उन कार्यों पर लागू होते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह को सीधे प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत, जब विधायिका या कार्यपालिका व्यापक स्तर पर कोई सामान्य नियम बनाती है जो पूरी जनता पर समान रूप से लागू होता है, तो व्यक्तिगत सुनवाई करना व्यावहारिक नहीं होता। ऐसे विधायी कार्यों में जन-प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक चर्चा को ही पर्याप्त माना जाता है। अतः सामान्य नियम बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय की व्यक्तिगत आवश्यकताओं से मुक्त रखा गया है।

123. (D) मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले।
आनुपातिकता का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक सशक्त उपकरण है, जिसका प्रयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब राज्य की कार्रवाई नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित करती है। इस स्थिति में न्यायालय यह जांच करता है कि क्या लगाया गया प्रतिबंध उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य था या वह अत्यधिक है। साधारण प्रशासनिक मामलों की तुलना में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में न्यायालय अधिक गहनता से हस्तक्षेप करते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता का न्यूनतम संभव हनन करे।

124. (A) प्रत्यायोजित विधायन विधि बनाना है; सशर्त उसके प्रवर्तन को निर्धारित करता है।
प्रत्यायोजित विधायन और सशर्त विधायन के बीच एक स्पष्ट विधिक अंतर है। प्रत्यायोजित विधायन में कार्यपालिका को मूल अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नए नियम और विनियम बनाने की शक्ति दी जाती है, जो कि कानून निर्माण का कार्य है। इसके विपरीत, सशर्त विधायन में कानून पूरी तरह से संसद द्वारा ही बनाया जाता है, परंतु उसके लागू होने का समय या स्थान सरकार के निर्णय पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ सरकार विधि नहीं बनाती, बल्कि केवल यह तय करती है कि उसे कब प्रभावी करना है।

125. (B) अभिलेख प्रकाशित नहीं किए जाने हैं और न ही किसी को उपलब्ध कराए जाने हैं।
लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के विरुद्ध की जाने वाली जांच के लिए गोपनीयता के अत्यधिक कठोर नियम बनाए गए हैं। यदि लोकपाल ऐसी किसी शिकायत की जांच करता है और अंततः उसे निराधार पाकर निरस्त कर देता है, तो उस जांच से संबंधित किसी भी अभिलेख को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराने पर भी प्रतिबंध है। यह प्रावधान प्रधानमंत्री के पद की प्रतिष्ठा की रक्षा करने और किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित मिथ्या प्रचार को रोकने के लिए किया गया है।

126. (D) प्रशासनिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों की एक विस्तृत श्रृंखला।
आधुनिक समय में शासन केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक निगम और अर्द्ध-सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं। इन सभी निकायों के पास नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली व्यापक शक्तियाँ और विवेक होता है। प्रशासनिक विधि का महत्व इन विविध संस्थानों की शक्तियों को विनियमित करने और उन्हें जवाबदेह बनाने में है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी निकाय, चाहे उसकी संरचना कैसी भी हो, विधि के शासन से ऊपर न रहे और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे।

127. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्रशासनिक विधि में यह स्वीकार किया जाता है कि आपातकालीन स्थितियों में जनसुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई अनिवार्य हो सकती है, जहाँ पूर्व सुनवाई करना संभव नहीं होता। ऐसे मामलों में प्राकृतिक न्याय की उपेक्षा नहीं की जाती, बल्कि उसे 'निर्णय-पश्चात सुनवाई' के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रभावित व्यक्ति को कार्रवाई के बाद अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है ताकि किसी भी त्रुटि को सुधारा जा सके। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह निष्पक्षता और तात्कालिकता के बीच विधिक संतुलन बनाने का मार्ग प्रदान करता है।

128. (C) बेलगाम और मनमानी इच्छा।
विवेकाधीन शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि कोई अधिकारी अपनी व्यक्तिगत पसंद या सनक के अनुसार कार्य करे। विधिक रूप से विवेक का अर्थ है तर्क और विधि के भीतर उपलब्ध विकल्पों में से उचित का चयन करना। विधिक सिद्धांतों के अनुसार, विवेक को मनमाना नहीं, बल्कि विधिक और नियमित होना चाहिए। यदि कोई प्राधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग बिना किसी विधिक आधार के या केवल अपनी मर्जी से करता है, तो उसे 'विवेक का दुरुपयोग' माना जाता है। यह सिद्धांत प्रशासनिक न्याय को व्यक्तिगत इच्छाओं से सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।

129. (C) केवल 1 और 3।
प्रत्यायोजित विधायन की न्यायिक समीक्षा मुख्य रूप से उसकी वैधता और प्रक्रियात्मक शुद्धता पर केंद्रित होती है। यदि कोई नियम मनमाना है या समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उसे निरस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार, यदि नियम बनाने की प्रक्रिया दोषपूर्ण है, तो उसे 'प्रक्रियात्मक अधिकारातीत' माना जाता है। हालांकि, न्यायालय सामान्यतः किसी नियम को केवल इसलिए अमान्य नहीं करते कि वे उसे 'नासमझी भरा' या नीतिगत रूप से गलत मानते हैं। अतः केवल प्रथम और तृतीय कथन ही न्यायिक समीक्षा के वास्तविक आधारों को सही दर्शाते हैं।

130. (B) न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष
न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनकी नियुक्ति मार्च 2019 में की गई, जो भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के रूप में उनका चयन उनकी निष्पक्षता और विधिक विशेषज्ञता के आधार पर किया गया था। उनकी नियुक्ति के साथ ही देश में लोकपाल की संस्था ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। यह भारत की विधिक व्यवस्था में सार्वजनिक जवाबदेही के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था।

131. (B) असंहिताबद्ध, न्यायाधीश-निर्मित और गतिशील।
प्रशासनिक विधि की प्रकृति अन्य संहिताबद्ध विधियों से भिन्न है क्योंकि इसका कोई एकल लिखित संग्रह नहीं है। यह मुख्य रूप से न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों और विभिन्न कानूनों में बिखरे हुए सिद्धांतों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक गतिशील विधि है जो शासन की बदलती आवश्यकताओं और नई चुनौतियों के अनुसार निरंतर परिवर्तित और विस्तृत होती रहती है। इसकी यह लचीली प्रकृति इसे विभिन्न प्रशासनिक स्थितियों में निष्पक्षता और विधि के शासन को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाती है।

132. (B) न्यायालय द्वारा निर्णय को निरस्त कर दिया जाता है।
प्रशासनिक विधि में पूर्वाग्रह का नियम अत्यंत मौलिक है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि कोई निर्णय लेने वाला प्राधिकारी पूर्वाग्रही था, चाहे वह आर्थिक हो या व्यक्तिगत, तो वह निर्णय पूरी तरह दूषित माना जाता है। न्यायालय ऐसे निर्णय को अवैध मानकर निरस्त कर देते हैं, क्योंकि पूर्वाग्रह न्याय की शुचिता को नष्ट कर देता है। यह उपचार यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं निष्पक्ष बनी रहें और जनता का न्याय

प्रणाली में विश्वास न डगमगाए। निर्णय को निरस्त करना ही प्राकृतिक न्याय की पुनर्स्थापना का प्राथमिक मार्ग है।

133. (A) अवैधता।
प्रशासनिक विधि में 'अवैधता' का एक प्रमुख आधार शक्ति का अनुचित प्रयोग है। यदि कोई प्राधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करता है जो संबंधित कानून की मंशा या दायरे में नहीं आता, तो उसे विधिक रूप से अवैध माना जाता है। शक्तियों का प्रयोग केवल उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें विधायिका ने निर्धारित किया है। किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया कार्य अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। न्यायालय ऐसे कार्यों को अमान्य कर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासन विधि की सीमाओं के भीतर ही रहे।

134. (D) मूल अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का क्षेत्र और सीमा।
'मूल अधिकारातीत' तब होता है जब कार्यपालिका द्वारा बनाया गया अधीनस्थ कानून उस विधिक सीमा को पार कर जाता है जो संसद ने मूल अधिनियम में निर्धारित की थी। चूंकि प्रत्यायोजित विधायन अपनी समस्त शक्ति मूल कानून से प्राप्त करता है, इसलिए वह उससे अधिक व्यापक या स्वतंत्र नहीं हो सकता। यदि कोई नियम ऐसी शक्ति का दावा करता है जो उसे मूल रूप से नहीं दी गई थी, तो वह अधिकार-बाह्य माना जाता है। न्यायालयों का यह कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका विधायिका की सीमाओं का अतिक्रमण न करे।

135. (A) मंत्री, विधायक और राज्य सरकार के अधिकारी।
लोकायुक्त संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। इसके अधिकार क्षेत्र में सामान्यतः राज्य के कैबिनेट मंत्री, विधानमंडल के सदस्य और राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवक सम्मिलित होते हैं। लोकायुक्त इन पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की स्वतंत्र जांच करता है और प्रशासन में शुचिता लाने का प्रयास करता है। यद्यपि विभिन्न राज्यों में इसके कार्यक्षेत्र में कुछ भिन्नता हो सकती है, परंतु इसका प्राथमिक केंद्र राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक और राजनैतिक तंत्र ही होता है।

136. (B) प्रशासनिक मामलों से निपटने के लिए नियमों का एक पृथक समूह और पृथक न्यायालय हैं।
फ्रांस की 'ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ' प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि राज्य के कार्यों और नागरिकों के बीच के विवाद सामान्य निजी कानूनों से भिन्न होते हैं। इसीलिए वहाँ प्रशासनिक कार्यों के लिए विशेष नियमों का एक ढांचा और विशेष प्रशासनिक न्यायालय उपलब्ध हैं। यह प्रणाली प्रशासन को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और नागरिकों को विशेषज्ञ न्याय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। यह सामान्य विधिक प्रणाली के साथ समानांतर रूप से कार्य करती है।

137. (C) जहाँ प्रशासनिक अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त हो।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुप्रयोग से केवल तभी बचा जा सकता है जब कोई ठोस विधिक कारण हो, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अत्यधिक तात्कालिकता या व्यावहारिक असाध्यता। एक प्रशासनिक अधिकारी की अन्य कार्यों में व्यस्तता या कार्यभार की अधिकता को सुनवाई का अवसर न देने का वैध आधार नहीं माना जा सकता। विधिक प्रक्रिया और निष्पक्षता का पालन करना अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य है, जिसे प्रशासनिक सुविधा के नाम पर त्यागा नहीं जा सकता। न्यायालय ऐसे बहाने स्वीकार नहीं करते और सुनवाई के अधिकार को प्राथमिकता प्रदान करते हैं।

138. (A) 3, 4, 2, 1
प्रशासनिक विधि के प्रमुख न्यायिक निर्णयों का यह कालक्रम इसके विकास की दिशा को दर्शाता है। दिल्ली लॉज एक्ट मामला (1951) प्रत्यायोजित विधायन की संवैधानिक सीमाओं से संबंधित था। इसके पश्चात रिज बनाम बाल्डविन (1964) ने इंग्लैंड में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। ए. के. क्रैपक मामला (1969) भारत में प्रशासनिक और अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण था। अंततः मेनका गांधी मामले (1978) ने प्राकृतिक न्याय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग बना दिया।

139. (C) अधीनस्थ विधायन।
प्रत्यायोजित विधायन को 'अधीनस्थ विधायन' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपनी शक्ति और अस्तित्व के लिए संसद द्वारा निर्मित 'प्राथमिक' या 'मूल' कानून पर निर्भर करता है। कार्यपालिका या अन्य प्रशासनिक निकाय जो भी नियम, विनियम या उपविधियाँ बनाते हैं, वे मूल अधिनियम के अधीन ही रहते हैं। वे न तो मूल कानून का उल्लंघन कर सकते हैं और न ही उसकी सीमाओं से बाहर जा सकते हैं। यह पदक्रम यह स्पष्ट करता है कि नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका की अपनी मौलिक शक्ति नहीं, बल्कि विधायिका द्वारा सौंपी गई एक सीमित शक्ति है।

140. (D) कम से कम 50%
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार, लोकपाल के बहु-सदस्यीय ढांचे में न्यायिक विशेषज्ञता को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। इसके कुल आठ सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य अनिवार्य रूप से न्यायिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। यह सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों की जांच और सुनवाई में उच्च स्तर की न्यायिक निष्पक्षता और विधिक समझ बनी रहे। शेष सदस्य अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जिससे संस्था में संतुलन बना रहता है।

141. (D) सत्ताधारी दल के आंतरिक राजनीतिक कार्य।
प्रशासनिक विधि का कार्यक्षेत्र सरकारी निकायों की विधिक शक्तियों, उनकी प्रक्रियाओं और उन पर नियंत्रण तक सीमित है। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक मामले, चुनाव रणनीतियाँ

है, इसलिए शक्तियों के इस अतिव्यापन को विधि के शासन के अधीन लाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है।

107. (D) निष्पक्ष सुनवाई के नियम या ऑडी अल्टरम पार्टम का।
निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ केवल मौखिक रूप से सुनना नहीं है, बल्कि इसमें वे सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो व्यक्ति को अपना प्रभावी बचाव करने में सक्षम बनाती हैं। साक्ष्यों को प्रकट करना इसका एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि यदि प्रभावित व्यक्ति को यह पता ही नहीं होगा कि उसके विरुद्ध क्या सामग्री प्रयुक्त की जा रही है, तो वह उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। यह सिद्धांत शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और प्रशासन को गुप्त या अज्ञात सूचनाओं के आधार पर मनमानी कार्रवाई करने से रोकता है। यह न्याय की मौलिक शुचिता का आधार है।

108. (B) एक निर्णय इतना अतार्किक कि कोई भी समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता।
वेन्सबरी अतार्किकता प्रशासनिक विवेक की समीक्षा का एक अत्यंत कड़ा मानक है। यह केवल किसी सामान्य गलती या भिन्न राय पर लागू नहीं होता, बल्कि उन स्थितियों के लिए है जहाँ निर्णय पूर्णतः तर्कहीन या विवेकशून्य हो। यदि कोई अधिकारी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कदम उठाता है जो पूरी तरह से नासमझी भरा है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करते हैं। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है और प्रत्येक सरकारी कदम के पीछे एक तर्कसंगत आधार होना अनिवार्य है।

109. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
उप-प्रत्यायोजन का अर्थ है कि जिस अधिकारी को विधायिका ने शक्ति सौंपी है, वह उसे आगे किसी और को सौंप दे। विधिक सूत्र स्पष्ट करता है कि एक प्रतिनिधि अपनी शक्तियों का पुनः प्रत्यायोजन नहीं कर सकता क्योंकि उसे वह शक्ति व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर दी गई है। अतः जब तक मूल कानून में इस प्रकार के हस्तांतरण की स्पष्ट अनुमति न हो, इसे अवैध माना जाता है। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं क्योंकि वे इस विधिक सिद्धांत को सुदृढ़ता से स्थापित करते हैं जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व बनाए रखता है।

110. (A) संसद में उनके आचरण के संबंध में संसद सदस्य।
भारत का संविधान संसद सदस्यों को सदन के भीतर उनके भाषण और मतदान के संबंध में विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है, ताकि वे बिना किसी भय के कार्य कर सकें। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम इसी संवैधानिक मर्यादा का सम्मान करते हुए सांसदों के सदन के भीतर के आचरण को लोकपाल की जांच से बाहर रखता है। हालांकि, संसद के बाहर भ्रष्टाचार या अन्य आपराधिक कार्यों के लिए वे अभी भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। यह व्यवस्था संसदीय स्वायत्तता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के बीच एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित करती है।

111. (D) न्यायिक विशेषताओं वाली एक प्रशासनिक कार्रवाई है।
अर्द्ध-न्यायिक कार्य वे प्रशासनिक कार्य हैं जिनमें अधिकारियों को न्यायाधीश की तरह तथ्यों की जांच करनी होती है और विभिन्न पक्षों के हितों का न्यायनिर्णयन करना होता है। इसमें साक्ष्य एकत्र करना, सुनवाई करना और निष्पक्ष निर्णय लेना सम्मिलित होता है, जो इसे साधारण प्रशासनिक कार्यों से भिन्न बनाता है। यद्यपि ये अधिकारी नियमित न्यायालय नहीं होते, परंतु उनकी कार्यपद्धति में न्याय की मौलिक विशेषताएं विद्यमान होती हैं। ऐसे कार्यों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

112. (B) ऑडी अल्टरम पार्टम।
'ऑडी अल्टरम पार्टम' एक प्राचीन और महत्वपूर्ण विधिक सूत्र है जिसका अर्थ है 'दूसरे पक्ष को भी सुनो'। यह प्राकृतिक न्याय का वह आधार स्तंभ है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर देने का अवसर दिए बिना दंडित न किया जाए। यह नियम प्रशासन की एकपक्षीय कार्रवाइयों को रोकता है और निर्णय प्रक्रिया में प्रभावित व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह लोकतांत्रिक शासन और विधि के शासन का एक अपरिहार्य हिस्सा है जो प्रत्येक नागरिक को सुनवाई का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।

113. (C) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।
न्यायिक समीक्षा की सीमा यह है कि न्यायालय स्वयं को प्रशासन के स्थान पर नहीं रख सकता और केवल अपनी पसंद के आधार पर निर्णय नहीं बदल सकता। उसका कार्य केवल यह देखना है कि क्या निर्णय प्रक्रिया अवैध, अतार्किक या प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित थी। कथन 2 सही है क्योंकि यही वे तीन प्रमुख आधार हैं जिन पर न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। अतः समीक्षा का केंद्र बिंदु 'वैधता' है, न कि 'गुण-दोष', जो इसे अपील से अलग और विशिष्ट बनाता है।

114. (A) जनता को सूचित करना ताकि वे विधि का अनुपालन कर सकें।
प्रत्यायोजित विधायन के प्रकाशन का प्राथमिक उद्देश्य 'विधि की जानकारी' को सुलभ बनाना है। चूंकि अज्ञानता कानून से बचने का कोई वैध आधार नहीं है, इसलिए यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नियमों को लागू करने से पहले उन्हें सार्वजनिक करे। प्रकाशन के बिना नागरिक यह नहीं जान सकते कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है या कौन सा आचरण अवैध है। यह न केवल अनुपालन में सहायक है, बल्कि प्रशासन को गुप्त और मनमाने ढंग से नियम बनाने से भी रोकता है, जो पारदर्शिता का आधार है।

115. (B) उसकी जांच नहीं की जानी है।
लोकपाल अधिनियम में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से संबंधित प्रधानमंत्री के कार्यों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने का अधिकार

150. (B) स्वयं लोकपाल।
लोकपाल संस्था की स्वायत्तता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने आंतरिक प्रशासनिक तंत्र और कर्मचारियों की नियुक्ति पर व्यापक नियंत्रण दिया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार, लोकपाल को अपने सुचारु संचालन के लिए आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का निर्माण करने और उन पर नियुक्तियां करने का अधिकार है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संस्था किसी भी अन्य सरकारी विभाग के दबाव से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया लोकपाल द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जाती है।

151. (B) जटिल मुद्दों से निपटने के लिए विधायिका के पास समय और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।
आधुनिक समय में शासन के विषय अत्यधिक तकनीकी और विस्तृत हो गए हैं। संसद के पास इतना समय और विशेषज्ञता नहीं होती कि वह प्रत्येक छोटे विवरण के लिए कानून बना सके। इसीलिए विधायिका केवल नीतिगत ढांचा तैयार करती है और विस्तृत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। यही कारण है कि प्रशासनिक विधि का तेजी से विकास हुआ है। यह लचीलापन प्रशासन को बदलती परिस्थितियों और तकनीकी चुनौतियों का शीघ्रता से सामना करने में सक्षम बनाता है, जो आधुनिक विकास के लिए अनिवार्य है।

152. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्रशासनिक कार्यवाहियों में वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त करना सदैव एक अनिवार्य संवैधानिक अधिकार नहीं होता है। प्राकृतिक न्याय की मांग यह है कि सुनवाई निष्पक्ष हो, परंतु यह निष्पक्षता मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि मामला अत्यंत जटिल है या पीड़ित व्यक्ति अपना पक्ष रखने में पूरी तरह असमर्थ है, तो विधिक सहायता आवश्यक हो जाती है। तर्क अभिकथन की पुष्टि करता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि सुनवाई का स्वरूप स्थिर नहीं है, बल्कि वह मामले के विधिक महत्व के अनुसार निर्धारित होता है।

153. (B) वेन्सबरी अतार्किकता।
वेन्सबरी अतार्किकता उस प्रशासनिक निर्णय को संदर्भित करती है जो तर्क और विवेक के सभी मानकों को पार कर गया हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय निर्णय से केवल असहमत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि निर्णय इतना अनर्गल है कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति वैसा करने की सोच भी नहीं सकता। यह सिद्धांत अधिकारियों को अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय 'उचित व्यवहार' करने की चेतावनी देता है। यह मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध एक अंतिम विधिक सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निर्णय सदैव एक तर्कसंगत आधार पर टिके हों।

154. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
यह मिलान प्रशासनिक विधि के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों को स्पष्ट करता है। कॉन्सेल डी'एटैट फ्रांस का सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है, जो शासन पर न्यायिक नियंत्रण रखता है। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति संसद का एक अंग है जो नियमों की संवीक्षा करती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों का निपटारा करता है। अंततः, लोकपाल एक स्वतंत्र निकाय है जिसका मुख्य कार्य लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। यह जवाबदेही सुनिश्चित करने के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करता है।

155. (C) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किए। इन संशोधनों का उद्देश्य ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और ब्यूरो पर लोकपाल के अधीक्षण को विधिक मान्यता देना था। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि लोकपाल द्वारा ब्यूरो को सौंपे गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में बाहरी हस्तक्षेप न्यूनतम हो। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले संस्थानों को अधिक सशक्त बनाने का प्रयास था।

156. (C) प्रशासनिक विवेक की आवश्यकता और इसके दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता।
प्रशासनिक विधि का मूल संघर्ष आधुनिक शासन की गतिशीलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच है। एक ओर, जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त 'विवेक' देना आवश्यक है। दूसरी ओर, अनियंत्रित शक्ति मनमानी और भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती है। यह विधि ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करती है जो अधिकारियों को कार्य करने की स्वतंत्रता तो देते हैं, परंतु उन्हें विधिक सीमाओं और उत्तरदायित्वों से भी बाँधते हैं। यही संतुलन एक सभ्य और न्यायपूर्ण समाज में विधि के शासन की वास्तविक पहचान है।

157. (B) 'ऑडी अल्टरम पार्टम' का।
'जो निर्णय लेता है उसे सुनना चाहिए' का सिद्धांत निष्पक्ष सुनवाई का एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि जिस अधिकारी के पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है, उसे साक्ष्यों और पक्षों के तर्कों का स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। यदि सुनवाई एक अधिकारी करता है और निर्णय कोई दूसरा, जो मामले के तथ्यों से परिचित नहीं है, तो न्याय की शुचिता भंग हो जाती है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि निर्णय प्रक्रिया में मानवीय और बौद्धिक निरंतरता बनी रहे, जिससे न्याय की विफलता की संभावना कम हो जाती है।

158. (B) कि क्या राय वास्तव में निर्मित हुई थी और क्या वह सामग्री पर आधारित थी।
जब कोई कानून किसी अधिकारी की 'व्यक्तिगत राय' या 'संतुष्टि' के आधार पर कार्य करने की अनुमति देता है, तो न्यायालय उस राय की सत्यता की जांच तो नहीं करते, परंतु वे यह अवश्य देखते हैं कि वह राय मनमानी तो नहीं थी। न्यायिक समीक्षा में यह परखा जाता है कि क्या निर्णय लेने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी और क्या उस सामग्री और राय के बीच कोई तार्किक संबंध है। यह 'व्यक्तिपरक संतुष्टि' को पूरी

210. (A) कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना।
लोकपाल एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार निरोधक निकाय है जिसकी स्थापना सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसके मुख्य कार्यों में प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों और विभिन्न श्रेणियों के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करना सम्मिलित है। इसका उद्देश्य केवल दंड देना ही नहीं, बल्कि शासन प्रणाली में शुचिता और ईमानदारी के मानकों को सुदृढ़ करना है। यह संस्था नागरिकों के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहाँ वे शक्तिशाली अधिकारियों के विरुद्ध बिना डरे शिकायत कर सकते हैं।

211. (C) फ्रांस।
फ्रांस की विधिक प्रणाली को 'ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिफ' के विकास का केंद्र माना जाता है। यहाँ प्रशासन और नागरिकों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए नियमों का एक पृथक समूह और एक स्वतंत्र प्रशासनिक न्यायालयों का ढांचा उपलब्ध है। इस प्रणाली के शीर्ष पर कॉन्सेल डी'एटैट है, जो सरकार को परामर्श भी देती है और न्यायिक समीक्षा भी करती है। यह मॉडल इस विचार पर आधारित है कि प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति निजी विवादों से भिन्न होती है, इसलिए उनके लिए एक विशेषज्ञ न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक है जो शासन और न्याय के बीच संतुलन बना सके।

212. (A) मनमानी को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाले ने विचार किया है।
एक 'तर्कसंगत निर्णय' वह है जिसमें अधिकारी उन आधारों का स्पष्ट उल्लेख करता है जिनके कारण वह उस निष्कर्ष पर पहुँचा है। इसे प्राकृतिक न्याय का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है क्योंकि यह प्रशासन में पारदर्शिता लाता है। जब किसी निर्णय के पीछे के कारण ज्ञात होते हैं, तो प्रभावित व्यक्ति यह समझ सकता है कि उसके साथ न्याय हुआ है या नहीं। इसके अतिरिक्त, यह न्यायालयों को निर्णय की वैधता की प्रभावी ढंग से समीक्षा करने में सहायता करता है। कारणों की आवश्यकता अधिकारी को मनमर्जी से निर्णय लेने के बजाय तथ्यों पर विचार करने के लिए विवश करती है।

213. (D) वेन्सबरी अतार्किकता।
वेन्सबरी सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई प्रशासनिक निकाय निर्णय लेते समय अपनी व्यक्तिगत पसंद-नापसंद को आधार बनाता है और उन विधिक तथ्यों की उपेक्षा करता है जो निर्णय के लिए आवश्यक थे, तो वह निर्णय 'अतार्किक' माना जाता है। केवल व्यक्तिगत नापसंदगी किसी प्रशासनिक कार्य को प्रतिबंधित करने का विधिक आधार नहीं हो सकता। ऐसे निर्णय को इतना तर्कहीन माना जाता है कि कोई भी समझदार प्राधिकारी ऐसा नहीं करेगा। न्यायालय ऐसे मनमाने निर्णयों को निरस्त कर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग केवल विधिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाए।

214. (D) यह सुनिश्चित करता है कि विधियों का पालन किए जाने की अपेक्षा से पूर्व उन्हें जाना जाए।
प्रत्यायोजित विधायन के प्रकाशन की आवश्यकता इस मूलभूत विधिक सिद्धांत पर आधारित है कि कानून को प्रभावी होने से पहले सार्वजनिक रूप से ज्ञात होना चाहिए। यदि जनता को उन नियमों की जानकारी ही नहीं होगी जिनका उन्हें पालन करना है, तो उन नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित करना अन्यायपूर्ण होगा। प्रकाशन पारदर्शिता का प्रतीक है और यह अधिकारियों को गुप्त रूप से नियम बनाने और उन्हें अचानक लागू करने से रोकता है। यह नागरिकों को स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालने और अपनी विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है।

215. (A) राज्यपाल।
राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि, यह नियुक्ति राज्यपाल की अपनी मर्जी से नहीं होती, बल्कि एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित होती है जिसमें सामान्यतः मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक प्रमुख की होती है जो लोकतांत्रिक चयन प्रक्रिया को विधिक औपचारिकता प्रदान करता है। यह नियुक्ति प्रक्रिया लोकायुक्त को राज्य कार्यपालिका से स्वतंत्र और एक निष्पक्ष प्रहरी के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है।

216. (B) सरकार के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि।
आधुनिक प्रशासनिक राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता 'कल्याणकारी राज्य' का उदय है, जहाँ सरकार केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और उद्योग जैसे लगभग हर क्षेत्र का विनियमन करती है। इस विस्तार के कारण सरकारी अधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन और विधायी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इन शक्तियों के बढ़ने से ही प्रशासनिक विधि का महत्व बढ़ा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विशाल शक्ति नागरिकों के अधिकारों का हनन न करे। अतः प्रशासनिक राज्य में प्रशासन का सर्वव्यापी होना ही इसकी पहचान है।

217. (B) जब परिणाम में निर्णायक का प्रत्यक्ष वित्तीय हित हो।
आर्थिक पूर्वाग्रह का नियम प्रशासनिक विधि में अत्यधिक कठोरता से लागू किया जाता है। यदि किसी निर्णय लेने वाले अधिकारी का उस मामले के परिणाम में थोड़ा भी प्रत्यक्ष वित्तीय हित है, तो विधिक दृष्टि में वह निर्णय लेने के लिए अयोग्य हो जाता है। यहाँ यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि अधिकारी वास्तव में लालची था या उसने बेईमानी की; केवल आर्थिक हित का अस्तित्व ही उसे अयोग्य बनाने के लिए पर्याप्त है। यह नियम न्याय की शुचिता और निष्पक्षता के प्रति जनता के अटूट विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है।

218. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
प्रशासनिक विवेक की समीक्षा के विभिन्न आधारों को इन उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। दुर्भावना का उदाहरण राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण लिया गया निर्णय

द्वारा स्थापित प्रक्रिया' केवल कोई भी लिखित प्रक्रिया नहीं हो सकती, बल्कि वह अनिवार्य रूप से उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, चाहे संबंधित कानून में इसका उल्लेख हो या न हो। इस निर्णय ने नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को प्रशासनिक मनमानी के विरुद्ध एक सशक्त सुरक्षा कवच प्रदान किया।

168. (B) विवेक पर बंधन।
जब कोई अधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत गुणों की अनदेखी करता है और केवल एक पूर्व-निर्धारित कठोर नीति का पालन करता है, तो उसे 'विवेक पर बंधन' माना जाता है। विधिक अपेक्षा यह है कि विवेक का प्रयोग करते समय अधिकारी अपना मस्तिष्क स्वतंत्र रूप से लगाए। नीति केवल एक दिशा-निर्देश हो सकती है, वह निर्णय लेने की शक्ति को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकती। यदि कोई अधिकारी अपनी शक्ति को किसी नीति से बाँध देता है, तो वह वास्तव में अपने विधिक उत्तरदायित्व का उल्लंघन करता है।

169. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्रत्यायोजित विधायन एक अधीनस्थ शक्ति है, जिसका अर्थ है कि कार्यपालिका केवल वही नियम बना सकती है जो संसद द्वारा पारित मूल अधिनियम की सीमाओं के भीतर हों। यदि कोई नियम मूल कानून के प्रावधानों के विपरीत है, तो उसे 'अधिकारातीत' माना जाता है और उसकी कोई विधिक वैधता नहीं रहती। तर्क अभिकथन की पुष्टि करता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि अधीनस्थ नियमों की शक्ति का एकमात्र स्रोत मूल कानून ही है। अतः स्रोत के विरुद्ध जाने वाला कोई भी नियम स्वतः ही अमान्य और शून्य हो जाता है।

170. (C) कर्नाटक।
कर्नाटक के लोकायुक्त को भारत में अपनी श्रेणी की सबसे शक्तिशाली और प्रभावी संस्थाओं में से एक माना जाता रहा है। कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम, 1984 के अंतर्गत इसे व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें स्वयं का स्वतंत्र जांच अमला और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियोजन चलाने का अधिकार सम्मिलित है। इस संस्था ने कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सफलता और सक्रियता ने अन्य राज्यों को भी अपने लोकायुक्त ढांचे को अधिक सशक्त और स्वतंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया है।

171. (A) शासन का 'कैसे', न कि 'क्या'।
प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से उन प्रक्रियाओं और पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनके माध्यम से सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। यह इस पर चर्चा नहीं करती कि सरकार को कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए, जो कि 'क्या' का विषय है। इसके बजाय, यह यह सुनिश्चित करती है कि जो भी नीति अपनाई जाए, उसे लागू करने का तरीका विधिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत हो। यह विधि अधिकारियों के व्यवहार की सीमाओं को परिभाषित करती है ताकि शासन प्रक्रिया में न्याय बना रहे।

172. (A) संपत्ति, व्यक्ति या आजीविका से संबंधित अधिकार या प्रत्याशाएँ।
प्रशासनिक विधि में 'नागरिक परिणाम' का अर्थ उन प्रतिकूल प्रभावों से है जो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों, उसकी संपत्ति या उसके आर्थिक हितों पर पड़ते हैं। यदि किसी प्रशासनिक निर्णय से किसी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द होता है, उसकी आजीविका छिनती है या उस पर कोई आर्थिक बोझ पड़ता है, तो कहा जाता है कि उसके नागरिक परिणाम निकले हैं। ऐसी स्थितियों में प्राकृतिक न्याय का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। यह शब्द प्रशासन के उन कार्यों की पहचान करने में सहायता करता है जहाँ सुनवाई का अवसर देना विधिक रूप से आवश्यक है।

173. (B) वांछित लक्ष्यों के विरुद्ध किसी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त साधन।
आनुपातिकता का सिद्धांत न्यायिक समीक्षा का एक सूक्ष्म मानक है जो यह जांचता है कि क्या प्रशासन द्वारा लिया गया कदम उद्देश्य की तुलना में अत्यधिक तो नहीं है। यह न्यायालय को यह देखने की अनुमति देता है कि क्या अधिकारी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कठोर साधन का चयन किया है। जहाँ वेन्सबरी सिद्धांत केवल तर्कहीनता देखता है, वहीं आनुपातिकता साधन और साध्य के बीच एक तार्किक और न्यायसंगत संतुलन की मांग करती है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब किसी कार्रवाई से मौलिक अधिकार प्रभावित होते हों।

174. (D) संसदीय संप्रभुता और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
हेनरी अष्टम खंड कार्यपालिका को वह शक्ति देता है जो सामान्यतः केवल विधायिका के पास होती है—अधिनियम को संशोधित करने की शक्ति। इसे अलोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि यह कार्यपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर रख देता है। न्यायालय इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि यह शक्तियों के पृथक्करण के बुनियादी ढांचे को कमजोर करता है, जहाँ कानून बनाना केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्य होना चाहिए। इस खंड का अत्यधिक या अनुचित प्रयोग विधायी सर्वोच्चता को नष्ट कर सकता है, इसलिए इसकी कड़ी संवीक्षा की जाती है।

175. (D) जांच शाखा और अभियोजन शाखा।
लोकपाल संस्था की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए इसे दो विशिष्ट और कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र शाखाओं में विभाजित किया गया है। जांच शाखा का मुख्य उत्तरदायित्व लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच और अन्वेषण करना है। दूसरी ओर, अभियोजन शाखा उन मामलों को अदालतों में ले जाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार है। यह संरचना भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्वेषण और कानूनी कार्रवाई के बीच एक

पेशेवर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है ताकि न्याय प्रभावी हो सके।

176. (C) राज्य की विदेश नीति निर्धारित करना।
प्रशासनिक विधि का मुख्य सरोकार शासन की शक्तियों का नियमन और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण है। इसमें प्रशासनिक निकायों की कार्यप्रणाली, उन पर नियंत्रण और पीड़ितों को उपचार प्रदान करना जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं। इसके विपरीत, विदेश नीति का निर्धारण करना एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक और रणनीतिक कार्य है जो कार्यपालिका के उच्च स्तर द्वारा तय किया जाता है। चूँकि यह विषय विधिक प्रक्रियाओं के बजाय कूटनीतिक और राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है, इसलिए इसे प्रशासनिक विधि के सामान्य कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है।

177. (B) आधिकारिक पूर्वाग्रह, जिससे पूर्व-निर्णय की संभावना बनती है।
जब एक ही व्यक्ति जांचकर्ता और निर्णायक दोनों की भूमिका निभाता है, तो निष्पक्ष निर्णय की संभावना कम हो जाती है। इसे 'आधिकारिक पूर्वाग्रह' माना जाता है क्योंकि जिसने आरोपों की जांच की है, उसके मन में उन आरोपों की सत्यता के प्रति पहले से ही एक राय बन सकती है। प्राकृतिक न्याय यह मांग करता है कि निर्णायक का मस्तिष्क पूर्णतः खुला और तटस्थ होना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया से न्याय की शुचिता भंग होती है, क्योंकि यह 'स्वयं के मामले में न्यायाधीश' होने के सिद्धांत के निकट पहुँच जाती है।

178. (A) 2, 1, 3, 4
भारत में प्रशासनिक जवाबदेही के विकास का यह कालक्रम महत्वपूर्ण विधिक सुधारों को दर्शाता है। सर्वप्रथम 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की अनुशंसा की थी। इसके पश्चात, 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम लागू हुआ जिसने सेवा विवादों के समाधान के लिए विशेष मंच प्रदान किए। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आया जिसने शासन में अभूतपूर्व पारदर्शिता सुनिश्चित की। अंततः, 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ जो भ्रष्टाचार विरोधी विधिक ढांचे की एक प्रमुख कड़ी बना। यह विकास निरंतर बढ़ते प्रशासनिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है।

179. (D) प्रत्यायोजित विधायन।
यह विधिक सूत्र निर्धारित करता है कि 'एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरी वस्तु का अपवर्जन है'। न्यायालय इसका प्रयोग प्रत्यायोजित विधायन की व्याख्या करते समय यह देखने के लिए करते हैं कि क्या अधिकारी ने अपनी शक्ति की सीमा लांघी है। यदि मूल अधिनियम ने अधिकारियों को केवल दो विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिया है, तो इस सूत्र के अनुसार वे किसी अन्य विषय पर नियम नहीं बना सकते। यह सिद्धांत अधिकारियों को उनकी विधिक सीमाओं के भीतर रखने और शक्तियों के अनावश्यक विस्तार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक उपकरण है।

180. (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश।
लोकपाल के अध्यक्ष का पद अत्यंत प्रतिष्ठित और उच्च संवैधानिक मर्यादा वाला है। इसकी स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए, अधिनियम यह प्रावधान करता है कि अध्यक्ष को वे सभी वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें प्राप्त होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलती हैं। यह उच्च विधिक दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि लोकपाल किसी भी दबाव से मुक्त रहकर कार्य कर सके और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जांच में पूर्ण स्वायत्तता बनाए रखे। यह व्यवस्था लोकपाल को भारतीय विधिक और प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष पर स्थापित करती है।

181. (A) नागरिक और राज्य के बीच विवादों की बढ़ती जटिलता और मात्रा।
आधुनिक शासन में राज्य की भूमिका केवल रक्षक की नहीं, बल्कि नियामक और प्रदाता की भी हो गई है। इसके कारण कर, पर्यावरण, श्रम और सेवा जैसे क्षेत्रों में विवादों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है। पारंपरिक न्यायालयों के पास इन तकनीकी विषयों के लिए न तो पर्याप्त समय है और न ही आवश्यक विशेषज्ञता। इसी आवश्यकता ने प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के विकास को जन्म दिया। ये निकाय त्वरित, कम खर्चीला और विशेषज्ञता आधारित न्याय प्रदान करते हैं, जिससे सामान्य न्यायिक प्रणाली का बोझ कम होता है और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रभावी न्याय सुनिश्चित होता है।

182. (B) तत्काल निर्णय लिए जाने के पश्चात अवसर प्रदान करके।
यद्यपि प्राकृतिक न्याय यह अपेक्षा करता है कि किसी को भी दंडित करने से पहले सुना जाए, परंतु कभी-कभी लोक हित या सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसी असाधारण स्थितियों में 'निर्णय-पश्चात सुनवाई' का सिद्धांत लागू किया जाता है। यहाँ प्राधिकारी पहले निर्णय लेता है और फिर प्रभावित व्यक्ति को अपनी बात रखने और निर्णय को चुनौती देने का अवसर देता है। यदि सुनवाई के बाद निर्णय गलत पाया जाता है, तो उसे सुधारा जा सकता है। यह निष्पक्षता और शासन की तत्परता के बीच एक विधिक समझौता है।

183. (D) अनुचित उद्देश्य।
प्रशासनिक विधि का यह मौलिक सिद्धांत है कि शक्ति का प्रयोग केवल उसी विधिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वह प्रदान की गई है। यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दी गई शक्ति का प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या किसी अन्य बाहरी कारण से किया जाता है, तो वह कार्रवाई अवैध मानी जाती है। चाहे अधिकारी का अधिकार क्षेत्र सही हो, परंतु उसका उद्देश्य कानून की मंशा के विपरीत होने के कारण दूषित हो जाता है। न्यायालय ऐसे निर्णयों को शक्ति का दुरुपयोग मानकर निरस्त कर देते हैं ताकि सार्वजनिक विश्वास बना रहे।

184. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
विधिक सूत्रों का यह मिलान प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभों को स्पष्ट करता है। 'ऑडी अल्टरम पार्टम'

निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है, जबकि 'नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' पूर्वाग्रह को रोकता है। 'डेलिगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर' यह सुनिश्चित करता है कि जिसे शक्ति सौंपी गई है, वही उसका प्रयोग करे और उसे आगे न सौंपे। 'स्टेयर डेसिसिस' न्यायिक स्थिरता के लिए मिसालों के पालन पर बल देता है। ये सभी सिद्धांत मिलकर एक ऐसी विधिक प्रणाली का निर्माण करते हैं जहाँ मनमानी के लिए कोई स्थान नहीं है और न्याय पारदर्शी है।

185. (A) प्रशासनिक अखंडता और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करना।
लोकायुक्त की संस्था राज्य प्रशासन में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। यह संस्था न केवल दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करती है, बल्कि कुप्रशासन और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक भय भी उत्पन्न करती है। लोकायुक्त यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासनिक ढांचा जनता के प्रति जवाबदेह रहे और सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग विधिक मर्यादा के भीतर ही हो।

186. (B) व्यापक विवेकाधीन शक्तियों का अस्तित्व।
ए. वी. डाइसी की 'विधि का शासन' की अवधारणा मुख्य रूप से मनमानी शक्ति के अभाव और विधि की सर्वोच्चता पर टिकी थी। उनका मानना था कि प्रशासन के पास व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी विवेक होता है, वहाँ मनमानी की गुंजाइश रहती है। उनके स्तंभों में विधि के समक्ष समानता और सामान्य न्यायालयों की सर्वोच्चता शामिल थी। अतः व्यापक विवेकाधीन शक्तियों का होना डाइसी के सिद्धांतों के विपरीत था। आधुनिक समय में यद्यपि विवेक को स्वीकार किया गया है, परंतु उसे विधि के कड़े नियंत्रण के अधीन रखा गया है।

187. (C) निष्पक्ष सुनवाई का एक परिवर्तनशील घटक, जो वहाँ लागू होता है जहाँ तथ्य विवाद में हों।
जिरह करने का अधिकार प्राकृतिक न्याय का एक महत्वपूर्ण परंतु लचीला हिस्सा है। यह प्रत्येक प्रशासनिक सुनवाई में अनिवार्य नहीं होता, परंतु उन मामलों में अत्यंत आवश्यक हो जाता है जहाँ निर्णय पूर्णतः गवाहों के बयानों और विवादास्पद तथ्यों पर आधारित हो। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए मौखिक साक्ष्य की सत्यता को परखा जाना आवश्यक है, तो उसे जिरह का अवसर दिया जाना चाहिए। न्यायालय यह तय करते हैं कि मामले की प्रकृति और निष्पक्षता की मांग के अनुसार जिरह का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं।

188. (D) तर्क, विधि और न्याय, न कि मनमाने ढंग से।
प्रशासनिक विधि में 'विवेक' का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह एक सीमित और विधिक अधिकार है। जब किसी अधिकारी को विकल्प चुनने की शक्ति दी जाती है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तिगत पसंद के बजाय विधिक सिद्धांतों और तर्कसंगतता का पालन करे। उसे उपलब्ध साक्ष्यों का निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए और ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो न्यायसंगत हो। यदि विवेक का प्रयोग बिना किसी तार्किक आधार के या मनमाने ढंग से किया जाता है, तो उसे 'विवेक का दुरुपयोग' माना जाता है और न्यायालय ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

189. (C) जटिल विषयों के लिए विधि निर्माण में लचीलापन और गति।
प्रत्यायोजित विधायन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आधुनिक प्रशासन को उन जटिल और तकनीकी परिवर्तनों के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है जो संसदीय प्रक्रिया में संभव नहीं हैं। चूँकि संसद के पास समय और विशेषज्ञता की सीमा होती है, इसलिए वह केवल व्यापक ढांचा तैयार करती है। कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम तकनीकी बारीकियों को विस्तार से संबोधित करते हैं। यह लचीलापन शासन को अधिक गतिशील बनाता है और बदलती सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नियमों को तीव्रता से संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास के लिए आवश्यक है।

190. (A) छह मास।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार, शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित की गई है। लोकपाल को भ्रष्टाचार की किसी भी शिकायत पर अपनी जांच की प्रक्रिया सामान्यतः छह माह की अवधि के भीतर पूर्ण करनी होती है। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों के आधार पर इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है, परंतु छह माह का मानक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जांच में अनावश्यक विलंब न हो। यह समयबद्धता भ्रष्टाचार विरोधी कार्यवाही की प्रभावशीलता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

191. (B) न्यायालयों के निर्णयों और विभिन्न विधियों में।
प्रशासनिक विधि की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह किसी एक केंद्रीय संहिता में संकलित नहीं है, बल्कि यह समय के साथ न्यायिक निर्णयों और विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुई है। इसके अधिकांश सिद्धांत, जैसे प्राकृतिक न्याय या अधिकारातीत का सिद्धांत, न्यायालयों द्वारा विशिष्ट मामलों को सुलझाते समय प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संसद द्वारा समय-समय पर पारित कानून भी इसके स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। यह असंहिताबद्ध स्वरूप इसे लचीला और बदलती प्रशासनिक चुनौतियों के अनुसार अनुकूलनीय बनाता है, जो इसकी निरंतरता को सुरक्षित रखता है।

192. (C) कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।
पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम का दायरा व्यापक है और यह केवल न्यायाधीशों तक सीमित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि निष्पक्षता का सिद्धांत हर उस अधिकारी पर लागू होता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है, चाहे वह कार्य प्रशासनिक हो या अर्द्ध-न्यायिक। कथन 1 गलत है क्योंकि प्रशासन के प्रत्येक अंग से तटस्थता की अपेक्षा की जाती है। अतः यह नियम अब समस्त सरकारी तंत्र पर लागू होता

है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आधिकारिक निर्णयों में व्यक्तिगत हितों का कोई स्थान न रहे।

193. (C) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेपकारी उपाय।
आनुपातिकता का सिद्धांत यह मांग करता है कि प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग करे जो नागरिकों के अधिकारों को कम से कम प्रभावित करते हों। यह न्यायालय को यह जांचने की शक्ति देता है कि क्या अपनाया गया प्रतिबंध अनिवार्य था या क्या वही परिणाम किसी कम कठोर उपाय से प्राप्त किया जा सकता था। यह 'हथौड़े से मक्खी मारने' वाली स्थिति को रोकने का प्रयास करता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच टकराव होता है, जहाँ संतुलन ही न्याय का आधार है।

194. (D) मूल अधिनियम स्पष्ट रूप से कर आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता हो।
कर लगाना संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण कार्य है और विधिक सिद्धांत यह कहता है कि केवल विधायिका ही कर लगा सकती है। कार्यपालिका या अधीनस्थ निकाय अपनी ओर से कोई नया कर तब तक नहीं थोप सकते जब तक कि संसद ने मूल अधिनियम में उन्हें ऐसा करने के लिए स्पष्ट और सुस्पष्ट विधिक अधिकार न दिया हो। प्रत्यायोजित विधायन के माध्यम से कर लगाने की कोई भी सामान्य शक्ति अवैध मानी जाती है। न्यायालय इस विषय में अत्यधिक सख्त हैं ताकि नागरिकों को मनमाने वित्तीय बोझ से बचाया जा सके।

195. (A) राज्यों में एकरूपता, स्वतंत्रता और पर्याप्त शक्तियों का अभाव।
भारत में लोकायुक्त संस्था को कई व्यावहारिक और विधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि विभिन्न राज्यों के कानूनों में इस संस्था की संरचना और शक्तियों को लेकर कोई समानता नहीं है। कई राज्यों में लोकायुक्त को पर्याप्त बजटीय स्वायत्तता और स्वतंत्र जांच अमला प्राप्त नहीं है, जिससे वे प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त, उनकी अनुशंसाएँ अक्सर सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं, जिससे उनकी भूमिका केवल प्रतीकात्मक रह जाती है। इन चुनौतियों को दूर किए बिना भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को राज्य स्तर पर सफल बनाना कठिन है।

196. (A) सार्वजनिक प्रशासन।
प्रशासनिक विधि का मूल सरोकार 'सार्वजनिक प्रशासन' के विधिक ढांचे को समझना और उसे नियंत्रित करना है। इसमें सरकारी अंगों के संगठन, उनकी विधिक शक्तियों के दायरे और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रियाओं का अध्ययन सम्मिलित है। यह निजी व्यक्तियों या कंपनियों के आंतरिक मामलों से नहीं निपटती, बल्कि राज्य और उसके अधिकारियों के उन सार्वजनिक दायित्वों पर केंद्रित रहती है जो कानून द्वारा निर्धारित हैं। यह विधि यह सुनिश्चित करती है कि संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र विधि के शासन के सिद्धांतों के अधीन कार्य करे और जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष निर्वहन करे।

197. (B) उचित व्यक्ति के मन में पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना थी।
पूर्वाग्रह का विधिक परीक्षण यह नहीं है कि अधिकारी ने वास्तव में पक्षपात किया है, बल्कि यह है कि क्या परिस्थितियों को देखते हुए एक समझदार व्यक्ति को निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है। 'वास्तविक संभावना' का अर्थ यह है कि पूर्वाग्रह का भय केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि उसकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि समाज में उसकी शुचिता के प्रति कोई भ्रम न रहे। यह सिद्धांत न्यायिक और प्रशासनिक निर्णयों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा मानक है।

198. (A) केवल 1 और 2।
आधुनिक जटिल शासन में अधिकारियों को त्वरित निर्णय लेने के लिए विवेक प्रदान करना अनिवार्य है, परंतु अनियंत्रित विवेक तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करता है, जो विधि के शासन के विरुद्ध है। यह कहना गलत है कि न्यायालय विवेक के प्रयोग की समीक्षा नहीं करेंगे; वास्तव में, यदि विवेक का प्रयोग मनमाने ढंग से या विधिक सीमाओं के बाहर किया गया है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। अतः प्रथम दो कथन विवेक की आवश्यकता और उसकी सीमाओं को सही ढंग से परिभाषित करते हैं। समीक्षा का अधिकार ही प्रशासनिक विवेक को जवाबदेह और तर्कसंगत बनाए रखता है।

199. (C) नकारात्मक प्रक्रिया।
नकारात्मक प्रक्रिया प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण की एक सामान्य पद्धति है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम पटल पर रखने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाते हैं, परंतु संसद को यह अधिकार होता है कि वह एक निश्चित अवधि के भीतर उन्हें निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दे। यदि कोई भी सदन ऐसा प्रस्ताव पारित कर देता है, तो वे नियम शून्य हो जाते हैं। इसे 'नकारात्मक' इसलिए कहा जाता है क्योंकि नियमों को प्रभावी रहने के लिए संसद की सक्रिय सहमति की आवश्यकता नहीं होती, केवल असहमति का अभाव ही पर्याप्त है।

200. (A) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।
लोकपाल के सदस्यों की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्हें उच्च स्तर की विधिक सुरक्षा और लाभ प्रदान किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार, लोकपाल के न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यों को वही वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें प्राप्त होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निर्धारित हैं। यह उच्च विधिक स्तर यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य बिना किसी वित्तीय या प्रशासनिक प्रलोभन के, पूर्ण निर्भीकता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह प्रावधान लोकपाल संस्था की स्वायत्तता और कार्यपालिका से इसकी पृथकता को सुदृढ़ करता है।

201. (B) प्रशासनिक विधि।
प्रशासनिक विधि का केंद्रीय दर्शन यह है कि 'कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ऊँचा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है'। यह विधि उन विधिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का निर्माण

करती है जिनके माध्यम से सरकारी अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यह मनमानी और तानाशाही को रोकने का एक सशक्त माध्यम है। अधिकारियों को दी गई शक्तियाँ सदैव लोक कल्याण के लिए होती हैं और उनका प्रयोग विधिक सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। यह उत्तरदायित्व ही प्रशासनिक विधि को एक सभ्य और न्यायपूर्ण शासन का आधार बनाता है।

202. (A) प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना।
विधिक दृष्टि से, सूचना वह आधार है जिस पर सुनवाई की पूरी इमारत टिकी है। इसके बिना व्यक्ति आरोपों का उत्तर नहीं दे सकता, जिससे पूरी प्रक्रिया अपूर्ण और अन्यायपूर्ण रह जाती है। यद्यपि सूचना, सुनवाई और साक्ष्य का प्रकटीकरण तीनों ही निष्पक्ष सुनवाई के घटक हैं, परंतु प्रशासनिक कार्यवाहियों में सूचना प्रथम अनिवार्य चरण है। यह नियम न्याय की शुचिता का रक्षक है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश बिना उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिए पारित न हो।

203. (D) तथ्य में दुर्भावना।
'तथ्य में दुर्भावना' तब होती है जब कोई अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग व्यक्तिगत प्रतिशोध, शत्रुता या किसी भ्रष्ट और बेईमान इरादे से करता है। इसमें अधिकारी की मानसिक स्थिति और उसके व्यक्तिगत उद्देश्यों का साक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। यह विधिक त्रुटि से भिन्न है, जहाँ अधिकारी केवल कानून को समझने में गलती करता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि निर्णय के पीछे का वास्तविक कारण सार्वजनिक हित के बजाय निजी शत्रुता या अनुचित लाभ था, तो न्यायालय ऐसी पूरी कार्रवाई को अमान्य और शून्य घोषित कर देते हैं।

204. (D) प्रत्यायोजित विधायी शक्ति।
जब विधायिका किसी कानून का केवल मुख्य ढांचा तैयार करती है और उसके विस्तार के लिए नियम-विनियम बनाने का अधिकार सरकार को देती है, तो इसे प्रत्यायोजित विधायी शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति कार्यपालिका की अपनी मौलिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह संसद द्वारा अस्थायी रूप से सौंपी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कानून के क्रियान्वयन में आने वाली तकनीकी बारीकियों को संबोधित करना और शासन को लचीला बनाना है। यह आधुनिक समय में कानून बनाने की बढ़ती मांग और समय की कमी को पूरा करने के लिए एक अनिवार्य प्रशासनिक उपकरण बन गया है।

205. (C) 1968
भारत में लोकपाल संस्था को स्थापित करने की विधिक यात्रा आधिकारिक रूप से वर्ष 1968 में प्रारंभ हुई थी, जब प्रथम लोकपाल विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यद्यपि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966 में इसकी अनुशंसा की थी, परंतु विधायी प्रक्रिया दो वर्ष बाद शुरु हो सकी। यह विधेयक लोकसभा से तो पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने के दौरान सदन के भंग होने के कारण समाप्त हो गया। इसके पश्चात कई दशकों तक विभिन्न सरकारों ने इसे पारित करने के प्रयास किए, जो अंततः 2013 के अधिनियम के रुप में सफल हुए।

206. (B) सरकार की शक्ति।
प्रशासनिक विधि का मूल कार्यक्षेत्र 'सरकारी शक्ति' के प्रयोग को सीमाओं और नियमों के भीतर रखना है। यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवकों को प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग विधि के शासन के सिद्धांतों के अनुरुप हो। यह उन विधिक उपकरणों का निर्माण करती है जिनका उपयोग नागरिक सरकारी मनमानी, कुप्रशासन या शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध कर सकते हैं। यह विधि किसी निजी विवाद को नहीं सुलझाती, बल्कि शासन प्रक्रिया में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता लाने पर केंद्रित रहती है। यह शक्ति और नागरिक अधिकारों के बीच एक आवश्यक विधिक संतुलन का कार्य करती है।

207. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कोई कठोर या गणितीय सूत्र नहीं हैं जिन्हें हर मामले में एक ही तरह से लागू किया जा सके। वे लचीले हैं और उनकी आवश्यकताएं मामले के महत्व, जांच की प्रकृति और तात्कालिकता के अनुसार बदल सकती हैं। किसी मामले में केवल लिखित जवाब पर्याप्त हो सकता है, जबकि दूसरे में विस्तृत मौखिक सुनवाई और जिरह अनिवार्य हो सकती है। तर्क अभिकथन की पुष्टि करता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि न्याय की गुणवत्ता बनाए रखते हुए शासन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए यह लचीलापन अनिवार्य है।

208. (A) निर्देश के अधीन कार्य करना।
विधिक रुप से यह माना जाता है कि जिस प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्ति सौंपी गई है, उसे अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई अधिकारी अपनी निर्णय लेने की क्षमता को त्याग देता है और केवल अपने वरिष्ठ या किसी मंत्री के निर्देशों के आधार पर कार्य करता है, तो इसे शक्ति का अनुचित प्रयोग माना जाता है। इसे 'निर्देश के अधीन कार्य करना' कहा जाता है। चूंकि अधिकारी ने स्वयं विचार नहीं किया, इसलिए वह निर्णय विधिक रुप से त्रुटिपूर्ण हो जाता है। न्यायालय ऐसे निर्णयों को विवेक के परित्याग के आधार पर निरस्त कर सकते हैं।

209. (B) अमान्य, क्योंकि वे किसी अन्य विधि की अवहेलना नहीं कर सकते।
प्रत्यायोजित विधायन सदैव संसद द्वारा पारित अधिनियमों के अधीनस्थ होते हैं। यदि कोई नियम किसी अन्य स्थापित कानून या अधिनियम के प्रावधानों के साथ संघर्ष करता है, तो वह नियम अवैध माना जाता है। कार्यपालिका अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए विधायिका द्वारा निर्मित प्राथमिक कानूनों का उल्लंघन या उन्हें दरकिनार नहीं कर सकती। विधिक पदानुक्रम में अधिनियम का स्थान नियमों से ऊपर होता है, इसलिए असंगति की स्थिति में अधिनियम ही प्रभावी रहता है और विपरीत नियम को शून्य घोषित कर दिया जाता है।

तरह अनियंत्रित होने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी के पास निर्णय लेने का वास्तविक आधार था।

159. (D) यह राजनीतिक रूप से अनुपयुक्त है।
न्यायालयों के पास प्रत्यायोजित विधायन की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति केवल विधिक और संवैधानिक आधारों पर होती है। यदि कोई नियम मूल अधिनियम का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों को छीनता है या उसे बनाने में अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, तो उसे निरस्त किया जा सकता है। हालांकि, न्यायालय किसी नियम की राजनीतिक उपयुक्तता, उसकी बुद्धिमत्ता या उसकी नीतिगत श्रेष्ठता की जांच नहीं कर सकते। नीति निर्माण करना कार्यपालिका का विशेषाधिकार है और जब तक वह कानून की सीमा में है, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करते।

160. (B) लोकपाल अधिनियम शिकायतकर्ता के लिए कारावास और अर्थदंड का प्रावधान करता है।
लोकपाल जैसी शक्तिशाली संस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिनियम में मिथ्या या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के विरुद्ध कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी लोक सेवक की छवि बिगाड़ने के लिए गलत या तुच्छ शिकायत की है, तो उस शिकायतकर्ता को कारावास और अर्थदंड की सजा दी जा सकती है। यह प्रावधान लोक सेवकों को अनुचित उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक और गंभीर भ्रष्टाचार के मामले ही लोकपाल के समक्ष लाए जाएं। यह व्यवस्था विधिक शुचिता बनाए रखती है।

161. (C) प्रशासनिक एजेंसियां।
प्रशासनिक विधि का मुख्य केंद्र बिंदु सरकारी विभागों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और अर्द्ध-सरकारी निकायों का विनियमन है। यह विधि इन एजेंसियों को प्रदान की गई शक्तियों के स्रोत, उनके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यपद्धतियों और उन पर लागू होने वाले न्यायिक नियंत्रणों का अध्ययन करती है। चूँकि आधुनिक राज्य में ये एजेंसियां नागरिकों के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं, इसलिए उनकी शक्तियों को विधि के शासन के अधीन रखना अनिवार्य है। यह विधि सुनिश्चित करती है कि ये एजेंसियां अपनी शक्तियों का प्रयोग विधिक सीमाओं के भीतर और नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होकर करें।

162. (B) जीवन के लिए तत्काल संकट उत्पन्न करने वाले भवन को ढहाना।
यद्यपि प्राकृतिक न्याय सुनवाई की मांग करता है, परंतु कुछ आपातकालीन स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ सार्वजनिक सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई अनिवार्य होती है। यदि कोई जर्जर भवन गिरने वाला है और उससे जान-माल का खतरा है, तो प्रशासन उसे बिना पूर्व सूचना के गिरा सकता है। ऐसे मामलों में 'लोक हित' को 'व्यक्तिगत सुनवाई' के अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है। विधिक सिद्धांत यह है कि 'अत्यंत तात्कालिकता' पूर्व सुनवाई की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, हालांकि बाद में प्रभावित पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर दिया जा सकता है।

163. (D) 1, 2 और 3।
प्रशासनिक विवेक को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक लोकतंत्र में एक बहुआयामी ढांचा उपलब्ध है। विधायी नियंत्रण निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासन से जवाब माँगने का अवसर देता है। प्रशासनिक नियंत्रण स्वतंत्र जांच के माध्यम से कुप्रशासन को रोकता है। न्यायिक समीक्षा न्यायालयों को यह अधिकार देती है कि वे विवेक के प्रयोग की विधिक और तर्कसंगत आधार पर जांच करें। ये तीनों तंत्र मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी अधिकारियों की शक्तियाँ बेलगाम न हों और विधि का शासन प्रभावी बना रहे।

164. (B) नियम को अंतिम रूप देने से पूर्व जनता से प्रतिक्रिया और आपत्तियां मांगना।
'जन्म-पूर्व' प्रचार प्रत्यायोजित विधायन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रस्तावित नियमों को लागू करने से पहले उन लोगों तक पहुँचाया जाए जो उनसे प्रभावित होने वाले हैं। इससे जनता को उन नियमों पर अपने सुझाव, आपत्तियां और प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलता है। यह प्रक्रिया प्रशासन को बेहतर और अधिक व्यवहार्य नियम बनाने में सहायता करती है। यह केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि शासन में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है जो मनमानी को रोकता है।

165. (C) एक अध्यक्ष और आठ सदस्यों तक।
लोकपाल एक उच्च स्तरीय बहु-सदस्यीय संस्था है जिसकी संरचना में विविधता और विशेषज्ञता को महत्व दिया गया है। इसमें एक अध्यक्ष के साथ अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 50% अनिवार्य रूप से न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। शेष सदस्य प्रशासन, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञ होते हैं। यह बहु-सदस्यीय ढांचा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों की जांच में कोई एक व्यक्ति निर्णय न ले, बल्कि सामूहिक और निष्पक्ष विचार-विमर्श के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया संपन्न हो।

166. (C) प्रशासनिक विधि।
प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना विशेष रूप से उन विवादों को सुलझाने के लिए की जाती है जिनमें सरकारी विभाग या एजेंसियां सम्मिलित होती हैं, जैसे सेवा संबंधी मामले या कर विवाद। ये न्यायाधिकरण पारंपरिक न्यायालयों से भिन्न होते हैं क्योंकि ये तीव्र न्याय और विशेषज्ञता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इनका अस्तित्व और कार्यप्रणाली प्रशासनिक विधि का एक प्रमुख हिस्सा है। ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़े जटिल मुद्दों का समाधान उन विशेषज्ञों द्वारा किया जाए जो संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं की गहरी समझ रखते हैं।

167. (B) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के अभिन्न अंग हैं।
मेनका गांधी मामले ने भारतीय संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि को एक नई दिशा प्रदान की। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विधि

है। निर्देश के अधीन कार्य करना तब होता है जब कोई अधिकारी उच्चाधिकारी के बाध्यकारी आदेशों पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना कार्य करता है। विवेक पर बंधन का उदाहरण एक ऐसी कठोर नीति है जो व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों को नजरअंदाज करती है। इसी प्रकार, कोई भी अप्रासंगिक विचार जिसका प्रशासनिक निर्णय से कोई संबंध नहीं है, निर्णय को अवैध बना देता है।

219. (D) इन रे दिल्ली लॉज एक्ट, 1912।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली लॉज एक्ट के ऐतिहासिक मामले में प्रत्यायोजित विधायन की संवैधानिक सीमाओं को स्पष्ट रुप से परिभाषित किया था। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद अपनी 'आवश्यक विधायी शक्ति' को कार्यपालिका को नहीं सौंप सकती। केवल नियमों के क्रियान्वयन और विस्तार जैसे अधीनस्थ कार्यों का ही प्रत्यायोजन किया जा सकता है। इस निर्णय ने कार्यपालिका को असीमित विधायी शक्ति प्राप्त करने से रोक दिया और संसद की विधिक सर्वोच्चता को बनाए रखने का आधार प्रदान किया।

220. (B) 16 जनवरी 2014।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से 16 जनवरी 2014 से प्रभावी बनाया गया था। यह तिथि भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एक नया विधिक युग प्रारंभ होने का प्रतीक है। इसके लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय के गठन की विधिक अनिवार्यता पूरी हुई। इसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यों को भी अपने यहाँ लोकायुक्त स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।

221. (B) सरकार के विवरण और संचालन।
संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि के बीच का संबंध बहुत गहरा है, परंतु उनके कार्यक्षेत्र में भिन्नता है। संवैधानिक विधि राज्य की मूलभूत संरचना, अंगों की स्थापना और मौलिक अधिकारों को परिभाषित करती है। इसके विपरीत, प्रशासनिक विधि उन अंगों के दैनिक संचालन, उनकी कार्यपद्धतियों और उनके द्वारा लिए गए विशिष्ट निर्णयों के विनियमन पर ध्यान केंद्रित करती है। संक्षेप में, जहाँ संविधान 'मशीनरी' का ढांचा तैयार करता है, वहीं प्रशासनिक विधि उस मशीनरी के सुचारू और विधिक संचालन को सुनिश्चित करने वाले बारीक नियमों और प्रक्रियाओं से संबंधित है।

222. (A) पूर्वाग्रह।
'नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ' का अर्थ है कि 'कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता'। यह प्राकृतिक न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत है जो पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम को प्रतिपादित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूरी तरह तटस्थ हो और उसका मामले के किसी भी पक्ष या परिणाम में कोई व्यक्तिगत या वित्तीय हित न हो। यदि निर्णायक का मामले से संबंध होता है, तो न्याय की निष्पक्षता समाप्त हो जाती है। यह नियम विधिक प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

223. (D) किसी निरुपण से उत्पन्न उनकी प्रत्याशा को विफल करके।
वैध प्रत्याशा का सिद्धांत तब लागू होता है जब प्रशासन ने अपने वादों, आचरण या स्थापित परिपाटी के माध्यम से किसी नागरिक को यह विश्वास दिलाया हो कि उसे कोई लाभ प्राप्त होगा या उसके साथ एक निश्चित व्यवहार किया जाएगा। यदि प्रशासन बिना किसी ठोस सार्वजनिक हित या विधिक कारण के अचानक अपनी स्थिति बदल देता है और उस प्रत्याशा को विफल करता है, तो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय का द्वार खटखटा सकता है। यह सिद्धांत सरकार को कार्य में निष्पक्षता और निरंतरता बनाए रखने के लिए बाध्य करता है, जिससे जनविश्वास सुदृढ़ होता है।

224. (D) 1, 2 और 3।
आधुनिक समय में प्रत्यायोजित विधायन के विकास के पीछे कई व्यावहारिक कारण हैं। जटिल विधिक विषयों के लिए विस्तृत तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः संसद के पास नहीं होती। इसके अतिरिक्त, संसद के पास दैनिक प्रशासनिक विवरणों के लिए नियम बनाने का पर्याप्त समय भी नहीं होता। प्रत्यायोजित विधायन शासन में लचीलापन और गति प्रदान करता है, जिससे आपातकालीन स्थितियों या बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार नियमों को तीव्रता से बदला जा सकता है। अतः ये तीनों कारक मिलकर इस विधायी प्रक्रिया की अनिवार्यता को सिद्ध करते हैं।

225. (A) संसद का एक वर्तमान सदस्य।
लोकपाल की स्वतंत्रता और राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में योग्यता और अयोग्यता की स्पष्ट शर्तें दी गई हैं। संसद का कोई भी वर्तमान सदस्य, या किसी विधानसभा का सदस्य, लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि संस्था पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव न पड़े और वह सत्ता पक्ष या विपक्ष के दबाव से मुक्त होकर भ्रष्टाचार की जांच कर सके। अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का राजनीति से ऊपर उठकर पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष होना विधिक रूप से अनिवार्य है।

226. (B) कार्यपालिका या प्रशासनिक एजेंसियां।
प्रशासनिक विधि का मुख्य केंद्र कार्यपालिका शाखा और उसकी विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का न्यायिक नियंत्रण है। न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि ये एजेंसियां अपनी विधिक सीमाओं का उल्लंघन न करें और नागरिकों के साथ न्यायसंगत व्यवहार करें। चूंकि आधुनिक प्रशासन के पास नियम बनाने और दंड देने जैसी व्यापक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। प्रशासनिक विधि इसी नियंत्रण तंत्र को सुव्यवस्थित करती है ताकि शासन की शक्ति बेलगाम न हो और विधि का शासन बना रहे।

227. (A) यह उस प्रक्रिया का भाग है जहाँ एक अधिकारी विभागीय नीति लागू करता है।
संस्थागत पूर्वाग्रह तब होता है जब कोई अधिकारी उस विभाग की नीतियों के प्रति स्वाभाविक झुकाव रखता है जिसमें वह कार्यरत है। न्यायालय इसे सामान्यतः अयोग्य घोषित करने वाला पूर्वाग्रह नहीं मानते क्योंकि एक प्रशासक से अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार की निर्धारित नीतियों को लागू करे। जब तक अधिकारी का मामले में कोई व्यक्तिगत द्वेष या हित नहीं होता, तब तक केवल विभागीय नीति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पक्षपात नहीं कहा जा सकता। प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करें।

228. (D) निर्णय प्रक्रियात्मक रूप से सही है परंतु इसके ऐसे परिणाम निकलते हैं जिनसे न्यायालय असहमत है।
न्यायिक समीक्षा की एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि न्यायालय स्वयं को प्रशासन के स्थान पर नहीं रख सकता। यदि किसी प्रशासनिक निर्णय की प्रक्रिया विधिक है, वह तर्कसंगत है और अधिकार क्षेत्र के भीतर ली गई है, तो न्यायालय केवल अपने भिन्न दृष्टिकोण या परिणामों से असहमति के आधार पर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायालय का कार्य 'वैधता' की जांच करना है, न कि 'उपयुक्तता' या 'नीति की गुणवत्ता' की। जब तक निर्णय की प्रक्रिया और विधिक आधार सही हैं, प्रशासन को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।

229. (D) एक विधायी नीति को बाध्यकारी नियम के रूप में घोषित करने की शक्ति।
प्रशासनिक विधि में 'आवश्यक विधायी कार्य' का अर्थ है कानून की मूल नीति, उसका उद्देश्य और मुख्य सिद्धांतों का निर्धारण करना। ये कार्य केवल संसद या विधानसभा द्वारा ही किए जाने चाहिए और इन्हें कार्यपालिका को नहीं सौंपा जा सकता। नियमों के प्रभावी होने की तिथि तय करना या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विवरणों में बदलाव करना जैसे कार्य प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। परंतु, क्या कानून होना चाहिए और उसका आधार क्या होगा, यह तय करना विधायिका का मौलिक कर्तव्य है जिसे वह त्याग नहीं सकती। यह संवैधानिक संतुलन का आधार है।

230. (B) स्वीडन।
ओम्बुड्समैन संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी, जहाँ 1809 में सर्वप्रथम इस पद का सृजन किया गया था। इसका मूल उद्देश्य राजा के अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों की जांच करना और कुप्रशासन को रोकना था। स्वीडन के इस मॉडल की सफलता ने विश्व भर के लोकतांत्रिक देशों को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक मनमानी के विरुद्ध एक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में इसी तरह के निकायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह शब्द आज शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का वैश्विक प्रतीक बन चुका है।

231. (D) उसे उस सार्वजनिक कर्तव्य को निभाने के लिए विवश करने के लिए जिसे वह निभाने में विफल रहा है।
'परमादेश' एक शक्तिशाली न्यायिक रिट है जिसका अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई प्रशासनिक प्राधिकारी अपने विधिक कर्तव्य या सार्वजनिक जिम्मेदारी को निभाने से इनकार कर देता है या उसमें विफल रहता है। यदि किसी नागरिक का अधिकार किसी अधिकारी की निष्क्रियता के कारण बाधित हो रहा है, तो वह न्यायालय से इस रिट की मांग कर सकता है। न्यायालय अधिकारी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए बाध्य करता है। यह रिट प्रशासन को सक्रिय बनाने और विधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपकरण है।

232. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष शासन की आधारशिला हैं और इनका पालन करना हर उस निकाय के लिए अनिवार्य है जो किसी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय लेता है। ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशासन की अपार शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से न हो। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि इन सिद्धांतों का वास्तविक उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और न्याय की शुचिता बनाए रखना है। यह विधि के शासन की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है।

233. (B) विवेक का प्रयोग करने में विफलता।
जब कानून किसी अधिकारी को विवेक प्रदान करता है, तो उसके पास न केवल वह शक्ति होती है, बल्कि उसे उचित स्थिति में प्रयोग करने का कर्तव्य भी होता है। यदि कोई प्राधिकारी विचार करने से पूर्णतः इनकार कर देता है या किसी मामले के तथ्यों की उपेक्षा करता है, तो इसे 'विवेक का प्रयोग करने में विफलता' माना जाता है। विधिक रूप से, शक्ति का त्याग करना उतना ही गलत है जितना उसका दुरुपयोग करना। न्यायालय ऐसी निष्क्रियता को अवैध मानकर अधिकारी को अपने विवेक का विधिक रूप से प्रयोग करने का निर्देश दे सकते हैं।

234. (C) केवल तभी अनुमत जब मूल अधिनियम इसे अधिकृत करता हो।
सामान्य विधिक नियम यह है कि प्रत्यायोजित विधायन भविष्यगामी होने चाहिए, न कि भूतलक्षी। भूतलक्षी कानून अक्सर नागरिकों के अधिकारों और अपेक्षाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि, यदि संसद ने मूल अधिनियम में कार्यपालिका को स्पष्ट रूप से यह शक्ति दी है कि वह पिछली तिथि से नियम बना सके, तो ऐसा करना विधिक रुप से मान्य हो सकता है। बिना किसी स्पष्ट विधायी अधिकार के, प्रशासन अपनी ओर से नियमों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकता, क्योंकि यह संसदीय संप्रभुता के विरुद्ध माना जाता है।

235. (D) भारत के राष्ट्रपति को।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार, लोकपाल को अपने कार्यों, जांचों और उपलब्धियों का एक विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना होता है। यह प्रतिवेदन भारत के

राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात, राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाते हैं। यह प्रक्रिया लोकपाल की जवाबदेही को सुनिश्चित करती है और राष्ट्र को भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों की जानकारी प्रदान करती है। यह संसदीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परंपरा है जिसके माध्यम से संस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

236. (A) विधायी, कार्यकारी और न्यायिक।
आधुनिक राज्य के कार्यों का वर्गीकरण शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और प्रशासन का संचालन करती है, जबकि न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का समाधान करती है। यद्यपि आधुनिक प्रशासन में ये कार्य अक्सर एक-दूसरे में मिल जाते हैं, परंतु यह त्रि-पक्षीय विभाजन अभी भी विधिक और संवैधानिक व्यवस्था का मूल आधार बना हुआ है। यह संरचना अंगों के बीच संतुलन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

237. (A) केवल 1 और 2।
पूर्वाग्रह का विधिक परीक्षण यह है कि क्या एक उचित व्यक्ति को पक्षपात की 'वास्तविक संभावना' नजर आती है। आर्थिक हित के मामले में न्यायालय अत्यधिक कठोर हैं; यहाँ हित की मात्रा मायने नहीं रखती, केवल उसका अस्तित्व ही निर्णायक को अयोग्य बना देता है। हालांकि, केवल एक सामान्य नीतिगत दृष्टिकोण रखना पूर्वाग्रह नहीं है; जब तक वह दृष्टिकोण मामले के तथ्यों को निष्पक्षता से सुनने में बाधा न बने, अधिकारी अयोग्य नहीं होता। अतः प्रथम दो कथन ही पूर्वाग्रह के नियमों को सही ढंग से स्पष्ट करते हैं।

238. (B) एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि जो सामग्री पर आधारित होनी चाहिए।
प्रशासनिक विधि में जब किसी अधिकारी की 'संतुष्टि' की बात की जाती है, तो इसका अर्थ उसकी निजी सनक या इच्छा नहीं है। यह संतुष्टि 'वस्तुनिष्ठ' होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसके पीछे ठोस साक्ष्य और प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। न्यायालय यह जांच सकते हैं कि क्या अधिकारी के पास राय बनाने के लिए पर्याप्त आधार थे। यदि 'संतुष्टि' बिना किसी तार्किक आधार के या अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित है, तो उसे अवैध माना जाता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जिम्मेदारी और तर्क के साथ करें।

239. (B) प्रत्यायोजित विधायन।
हेनरी अष्टम खंड प्रत्यायोजित विधायन का एक अत्यधिक विवादास्पद और चरम रूप है। यह कार्यपालिका को मूल अधिनियम में ही संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, जो सामान्यतः केवल संसद का अधिकार है। इस खंड का उपयोग अक्सर उन व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है जो किसी नए कानून के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। चूंकि यह विधायी शक्तियों के हस्तांतरण की सीमा को बढ़ा देता है, इसलिए इसे प्रत्यायोजित विधायन के एक विशेष वर्ग के रूप में देखा जाता है। इसकी संवैधानिक वैधता पर न्यायालय सदैव कड़ी निगरानी रखते हैं।

240. (D) सात वर्ष।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक 'सीमावधि' निर्धारित की गई है। लोकपाल किसी भी ऐसे अपराध की जांच नहीं कर सकता जो कथित तौर पर शिकायत दर्ज करने की तिथि से सात वर्ष से अधिक समय पहले किया गया हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि जांच के लिए आवश्यक साक्ष्य और गवाह उपलब्ध रहें और बहुत पुराने मामलों के कारण व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ न पड़े। यह समय सीमा न्याय की प्रक्रिया को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने में सहायता करती है।

241. (B) अवैध हो, बिना अधिकार क्षेत्र के हो, या प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन में हो।
'उत्प्रेषण' एक महत्वपूर्ण रिट है जिसका उपयोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निचले प्रशासनिक निकायों या न्यायाधिकरणों के आदेशों की समीक्षा करने के लिए करते हैं। यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है, विधिक प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि करता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करता है, तो न्यायालय उस आदेश को निरस्त कर देता है। यह रिट प्रशासन को उसकी विधिक सीमाओं के भीतर रखने का एक सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि निचली संस्थाओं के निर्णय न्यायसंगत हों।

242. (A) मेनका गांधी बनाम भारत संघ।
मेनका गांधी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि पासपोर्ट जब्त करने जैसी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि पारपत्र अधिनियम में सुनवाई का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' का हिस्सा माना जाना चाहिए। इस निर्णय ने प्रशासनिक कार्यों में निष्पक्षता की अनिवार्यता को सुदृढ़ किया और यह स्थापित किया कि कोई भी कानून जो नागरिक की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, उसे प्राकृतिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

243. (D) विधि और तर्क द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
अनियंत्रित विवेक तानाशाही का लक्षण है, जो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। प्रशासनिक विधि के अनुसार, जब किसी अधिकारी को विकल्प चुनने की शक्ति दी जाती है, तो उस पर यह विधिक दायित्व होता है कि वह अपने निर्णय का आधार विधि के सिद्धांतों और तर्क को बनाए। उसे व्यक्तिगत सनक, पूर्वाग्रह या राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। विवेक का प्रयोग सदैव लोक कल्याण और उस कानून के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए जिसके अंतर्गत वह शक्ति प्रदान की गई है। यही विधिक मार्गदर्शन विवेक को न्यायसंगत बनाता है।

वह शक्ति सौंपते समय उसके प्रयोग के लिए स्पष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत भी प्रदान करे। दिशा-निर्देशों के अभाव में ऐसी शक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानकर शून्य घोषित किया जा सकता है।

279. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
प्रशासनिक विधि के इन महत्वपूर्ण पदों का मिलान इसकी कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। ओम्बुड्समैन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों का अन्वेषक होता है। प्रत्यायोजित विधायन वह विधि है जिसका निर्माण कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक न्याय का सार निष्पक्ष प्रक्रिया और सुनवाई सुनिश्चित करना है। अंततः, न्यायिक समीक्षा वह तंत्र है जिसके माध्यम से न्यायालय प्रशासनिक कार्यों की विधिक वैधता और शुद्धता की जांच करते हैं। यह मिलान यह स्पष्ट करता है कि शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ये सभी अवधारणाएं एक-दूसरे की पूरक हैं।

280. (B) मूल नियुक्ति के समान चयन प्रक्रिया द्वारा।
लोकपाल संस्था की शुचिता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया को भी उतना ही पारदर्शी और गंभीर रखा गया है जितना कि प्रारंभिक नियुक्तियों को। यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद त्यागपत्र, मृत्यु या कार्यकाल पूर्ण होने के कारण रिक्त होता है, तो उसे भरने के लिए पुनः उसी उच्च स्तरीय चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा नामों की अनुशंसा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नई नियुक्ति भी योग्यता और निष्पक्षता के कठोर मानदंडों पर आधारित हो।

281. (C) अंग्रेजी कॉमन लॉ और भारत का संविधान।
भारतीय प्रशासनिक विधि का विकास दो प्रमुख स्रोतों के संगम से हुआ है। एक ओर, इसने अंग्रेजी कॉमन लॉ से प्राकृतिक न्याय, विधि का शासन और रिट जैसे मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया है। दूसरी ओर, भारत का संविधान इसकी सर्वोच्च विधिक सीमा निर्धारित करता है, जो इसे मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा के एक सशक्त ढांचे में बाँधता है। यद्यपि इसने अन्य देशों से भी कुछ प्रेरणाएँ ली हैं, परंतु इसका वास्तविक स्वरूप और कार्यप्रणाली इन्हीं दो आधारों पर टिकी है। यह समन्वय भारतीय प्रशासन को एक अद्वितीय विधिक पहचान प्रदान करता है।

282. (B) अपने विरुद्ध मामले को जानने और अपना पक्ष रखने का अधिकार।
निष्पक्ष सुनवाई का नियम, जिसे ऑडी अल्टरम पार्टम भी कहा जाता है, न्याय की आधारशिला है। इसका मूल अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कदम उठाने से पहले उसे उन आरोपों और साक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए जो उसके विरुद्ध विचाराधीन हैं। इसके पश्चात, उसे उन आरोपों का उत्तर देने, अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने और अपना स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि निर्णय प्रक्रिया एकपक्षीय न हो और प्रभावित व्यक्ति को स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का विधिक मौका मिले।

283. (A) अनुचित उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग करना।
प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग तब माना जाता है जब कोई अधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करता है जो संबंधित कानून की मंशा से बाहर हैं। उदाहरण के लिए, यदि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए दिए गए अधिकार का प्रयोग किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने के लिए किया जाता है, तो यह 'विवेक का दुरुपयोग' है। विधिक सिद्धांत यह है कि शक्ति केवल विधिक लक्ष्यों के लिए ही दी जाती है। जब शक्ति का लक्ष्य बदल जाता है, तो वह कार्रवाई अवैध हो जाती है। न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं ताकि प्रशासनिक निष्पक्षता बनी रहे।

284. (B) अधिकारातीत होने के लिए अभी भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
कभी-कभी विधायिका अधिनियम में यह खंड जोड़ देती है कि इसके अंतर्गत बनाए गए नियम 'मानो इस अधिनियम में ही लिखे हों' माने जाएंगे। इसका उद्देश्य नियमों को अधिक विधिक महत्व देना होता है। हालांकि, भारत में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा खंड नियमों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करता। यदि कोई नियम मूल अधिनियम की सीमाओं का उल्लंघन करता है या संविधान के विरुद्ध है, तो उसे अभी भी अधिकारातीत मानकर चुनौती दी जा सकती है। कोई भी अधीनस्थ नियम अपनी प्रकृति में अधिनियम के बराबर नहीं हो सकता।

285. (B) जनता का प्रतिनिधि या एजेंट।
'ओम्बुड्समैन' स्वीडिश मूल का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों की ओर से, विशेषकर जनता की ओर से, कार्य करता है। यह संस्था नागरिकों के एक आधिकारिक प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में कार्य करती है जो सरकारी तंत्र की गलतियों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी आवाज उठाता है। इसकी मुख्य भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि शासन में कुप्रशासन और मनमानी न हो। भारत में इसी अवधारणा को लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में अपनाया गया है। यह शब्द इस संस्था की लोक-केंद्रित प्रकृति और जनहित के प्रति जवाबदेही को स्पष्ट करता है।

286. (A) अपील गुण-दोष की जांच करती है, जबकि समीक्षा वैधता और निष्पक्षता की जांच करती है।
अपील और न्यायिक समीक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण विधिक अंतर है। अपील में उच्च प्राधिकारी मामले के तथ्यों और गुण-दोष की पुनः जांच कर सकता है और अपना स्वयं का निर्णय दे सकता है। इसके विपरीत, न्यायिक समीक्षा में न्यायालय केवल यह देखता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया 'वैध' थी या नहीं। समीक्षा का केंद्र बिंदु यह है कि क्या प्राधिकारी ने अपनी शक्ति की सीमा में कार्य किया और क्या उसने प्राकृतिक न्याय का पालन किया। न्यायालय सामान्यतः प्रशासन के स्थान पर अपना निर्णय नहीं रखता, बल्कि केवल अवैध निर्णय को निरस्त करता है।

समीक्षा की शक्ति भी अर्थहीन हो जाती है क्योंकि न्यायालय को निर्णय के आधार का पता नहीं चल पाता।

253. (D) अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करना।
प्रशासनिक विधि में यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि संसद ने किसी विशिष्ट शक्ति को केवल एक प्राधिकारी में निहित किया है, तो उस शक्ति का प्रयोग कोई अन्य प्राधिकारी नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है, तो वह निर्णय 'अधिकार क्षेत्र के अभाव' के कारण पूर्णतः अवैध माना जाता है। शक्ति का प्रयोग केवल वही कर सकता है जिसे विधिक रूप से अधिकृत किया गया हो। यह नियम सुनिश्चित करता है कि प्रशासन में पदानुक्रम और उत्तरदायित्व बना रहे और कोई भी अप्राधिकृत व्यक्ति सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके।

254. (D) मूल विधि या कोई अन्य विधि।
प्रत्यायोजित विधायन विधिक पदानुक्रम में सदैव अधिनियमों के नीचे होते हैं। कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम किसी ऐसे अधिकार को नहीं छीन सकता जो संसद द्वारा पारित मूल अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है। अधीनस्थ विधायन केवल अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने का माध्यम है, वह अधिनियम का विकल्प नहीं हो सकता। यदि नियमों और अधिनियम के बीच कोई असंगति होती है, तो अधिनियम ही प्रभावी रहता है और विपरीत नियम को अधिकारातीत मानकर निरस्त कर दिया जाता है।

255. (A) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।
भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं को स्थापित करने का विधिवत विचार सर्वप्रथम 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दिया गया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने सुझाव दिया कि नागरिकों की शिकायतों के निवारण और भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्कैंडिनेवियाई ओम्बुड्समैन की तर्ज पर इन निकायों का गठन किया जाना चाहिए। आयोग का यह प्रतिवेदन ही वह ऐतिहासिक दस्तावेज बना जिसने भारत में सार्वजनिक जवाबदेही के ढांचे को नया रूप देने की नींव रखी, यद्यपि इसे विधिक रूप मिलने में कई दशक लग गए।

256. (B) प्रशासनिक विधि में परामर्शदात्री और निर्णायक कार्यों को संयोजित करता है।
फ्रांस की कॉन्सेल डी'एटैट एक अद्वितीय संस्था है जो दोहरी भूमिका निभाती है। एक ओर, यह सरकार के लिए सर्वोच्च विधिक सलाहकार निकाय है जो प्रस्तावित कानूनों और विनियमों की समीक्षा करती है। दूसरी ओर, यह प्रशासनिक न्यायालयों की प्रणाली के शीर्ष पर स्थित सर्वोच्च न्यायिक अंग है जो प्रशासनिक कार्यों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायतों का निपटारा करती है। यह संरचना प्रशासन को विधिक विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ-साथ उसकी मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी सक्षम है। यह आधुनिक प्रशासनिक विधि का एक अत्यंत सफल मॉडल माना जाता है।

257. (D) डाइम बनाम ग्रैंड जंक्शन कैनाल।
डाइम बनाम ग्रैंड जंक्शन कैनाल का मामला आर्थिक पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम को प्रतिपादित करने वाला सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक मामला है। इसमें निर्णायक ने एक कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया था जिसमें वे स्वयं शेयरधारक थे। यद्यपि उनके निर्णय में कोई वास्तविक पक्षपात नहीं पाया गया था, फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उस निर्णय को केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया कि निर्णायक का मामले में वित्तीय हित था। इस मामले ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि उसकी प्रक्रिया निष्पक्षता के संदेह से परे होनी चाहिए।

258. (A) अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क, अभिकथन की सही व्याख्या करता है।
आनुपातिकता के सिद्धांत के तहत समीक्षा करते समय न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या प्रशासन द्वारा अपनाए गए साधन लक्ष्य के अनुकूल और संतुलित हैं। चूँकि इसमें यह जांचना शामिल है कि क्या कोई कम कठोर विकल्प उपलब्ध था, इसलिए यह न्यायालय को प्रशासनिक निर्णय के गुण-दोष की गहराई में ले जाता है। परंपरागत रूप से, न्यायालय प्रशासन की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाने से बचते हैं और केवल प्रक्रिया की जांच करते हैं। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है क्योंकि यही सूक्ष्म अंतर न्यायालयों को इस सिद्धांत के प्रयोग में सतर्क बनाता है।

259. (C) प्रतिनिधि के पालन के लिए नीति, मानक या दिशा-निर्देश।
प्रत्यायोजित विधायन की संवैधानिक वैधता के लिए यह अनिवार्य है कि संसद अपनी विधायी शक्तियों का पूर्ण त्याग न करे। जब वह कार्यपालिका को नियम बनाने की शक्ति सौंपती है, तो उसे उस अधिनियम में स्पष्ट नीति या दिशा-निर्देश अवश्य देने चाहिए जिनके भीतर रहकर नियम बनाए जाने हैं। इसे 'विवेक का ढांचा' कहा जाता है। यदि विधायिका बिना किसी दिशा-निर्देश के असीमित शक्ति सौंप देती है, तो उसे 'अत्यधिक प्रत्यायोजन' माना जाता है और न्यायालय ऐसे प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। यह विधायी जवाबदेही बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

260. (A) कोई भी व्यक्ति जो संघ का मंत्री है या रहा है।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत 'लोक सेवक' की परिभाषा को बहुत व्यापक रखा गया है ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई प्रभावी हो सके। इसमें केवल वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री ही नहीं, बल्कि संसद सदस्य, केंद्र सरकार के सभी समूहों के अधिकारी और केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। निजी कंपनियों के कर्मचारी या राजनीतिक दलों के आंतरिक पदाधिकारी सामान्यतः इस विधिक परिभाषा के दायरे में नहीं आते। मंत्रियों को शामिल करना यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता के उच्चतम स्तर पर भी पारदर्शिता बनी रहे।

261. (B) विधि का शासन।
प्रशासनिक विधि का सर्वोच्च लक्ष्य 'विधि का शासन' सुनिश्चित करना है, जिसका अर्थ है कि शासन की प्रत्येक शक्ति कानून के

244. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्तंभों का यह मिलान उनकी कार्यात्मक भूमिका को स्पष्ट करता है। न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख मानक वेन्सबरी सिद्धांत है जो अतार्किकता की जांच करता है। प्राकृतिक न्याय का आधारभूत नियम ऑडी अल्टरम पार्टम है। प्रत्यायोजित विधायन की वैधता अक्सर 'मूल अधिकारातीत' के परीक्षण द्वारा जांची जाती है, यह देखने के लिए कि क्या वह अपनी विधिक सीमा के भीतर है। इसी प्रकार, न्यायाधिकरण विशेष रूप से प्रशासनिक न्यायनिर्णयन के लिए बनाए गए मंच हैं। यह ढांचा प्रशासन और न्याय के बीच के जटिल संबंधों को सुव्यवस्थित करता है।

245. (B) विशालतम विपक्षी दल का नेता।
लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए विपक्ष की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है। अधिनियम के अनुसार, चयन समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता का होना आवश्यक है। हालांकि, यदि लोकसभा में किसी भी दल के पास आधिकारिक रूप से 'विपक्ष के नेता' का पद प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं, तो सदन में विशालतम विपक्षी दल के नेता को उस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि लोकपाल की नियुक्ति केवल सत्ताधारी दल की पसंद न होकर एक सर्वदलीय सहमति पर आधारित हो।

246. (C) एक जटिल, आधुनिक और औद्योगिक समाज।
प्रशासनिक विधि का उदय और तीव्र विस्तार आधुनिक औद्योगिक समाज की नई चुनौतियों का परिणाम है। एक सरल समाज में राज्य के कार्य सीमित थे, परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद शहरीकरण, प्रदूषण, श्रम कल्याण और आर्थिक विनियमन जैसे क्षेत्रों में राज्य के हस्तक्षेप की भारी मांग बढ़ी। इन जटिल मुद्दों को सुलझाने के लिए अधिकारियों को विशेष शक्तियां और तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ी। इसी बढ़ती प्रशासनिक शक्ति को विनियमित करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों का विकास अनिवार्य हो गया। यह आधुनिक शासन का अपरिहार्य विधिक अंग है।

247. (D) मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
मोहिंदर सिंह गिल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'नागरिक परिणाम' की व्यापक व्याख्या की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक न्याय और सुनवाई का अधिकार केवल तब लागू नहीं होता जब किसी के विधिक अधिकारों का हनन हो, बल्कि तब भी लागू होता है जब किसी प्रशासनिक निर्णय से व्यक्ति की स्थिति, संपत्ति या आजीविका पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी प्रशासन मनमाने ढंग से कार्य न करे और निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांतों का पालन प्रत्येक नागरिक के संदर्भ में किया जाए।

248. (C) निर्णय लेने वाले की पूर्ण उन्मुक्ति।
प्रशासनिक विवेक पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए होते हैं कि शक्ति का दुरुपयोग न हो। 'पूर्ण उन्मुक्ति' का अर्थ होगा कि अधिकारी अपने कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय या संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं है, जो विधि के शासन के पूर्णतः विपरीत है। लोकतंत्र में कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं होता। यद्यपि अधिकारियों को अपने नेकनीयती में किए गए कार्यों के लिए कुछ सुरक्षा प्राप्त होती है, परंतु उन्हें कभी भी मनमानी करने की पूर्ण छूट या विधिक जवाबदेही से पूर्ण उन्मुक्ति नहीं दी जा सकती।

249. (B) अधिकारातीत का सिद्धांत।
अधिकारातीत का सिद्धांत प्रत्यायोजित विधायन पर न्यायिक नियंत्रण का सबसे प्रभावी शस्त्र है। इसके माध्यम से न्यायालय यह जांचते हैं कि क्या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम उस अधिकार से बाहर तो नहीं हैं जो संसद ने मूल अधिनियम में प्रदान किया था। यदि कोई नियम मूल कानून का उल्लंघन करता है या उसकी निर्धारित सीमाओं को पार करता है, तो न्यायालय उसे अधिकार-बाह्य मानकर शून्य घोषित कर देते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी विधिक मर्यादा में रहे और विधायिका की शक्तियों का अतिक्रमण न करे।

250. (A) एल. एम. सिंघवी।
'लोकायुक्त' और 'लोकपाल' जैसे शब्दों को भारतीय विधिक शब्दावली में गढ़ने का श्रेय प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सांसद डॉ. एल. एम. सिंघवी को दिया जाता है। उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में संसद में बहस के दौरान ओम्बुड्समैन जैसी संस्था के लिए इन देशी नामों का सुझाव दिया था। उनका उद्देश्य इस विदेशी अवधारणा को भारतीय संदर्भ और भाषा में ढालना था ताकि आम जनता इससे जुड़ाव महसूस कर सके। यद्यपि इन संस्थाओं को विधिक रूप प्राप्त करने में लंबा समय लगा, परंतु उनके द्वारा दिए गए ये नाम आज शासन में शुचिता के प्रतीक बन चुके हैं।

251. (C) व्यक्ति और उसकी प्रशासनिक क्षमता में राज्य।
प्रशासनिक विधि का मूल केंद्र राज्य और नागरिक के बीच का वह विधिक संबंध है जहाँ राज्य एक प्रशासक की भूमिका निभाता है। यह विधि उन नियमों को परिभाषित करती है जिनके अधीन सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और नागरिकों के विधिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। निजी कानूनों के विपरीत, यहाँ एक पक्ष सदैव सार्वजनिक प्राधिकारी होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करते समय राज्य नागरिकों के साथ न्यायसंगत, निष्पक्ष और विधि सम्मत व्यवहार करे। यह आधुनिक लोकतंत्र में विधिक जवाबदेही का मुख्य आधार है।

252. (A) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।
उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि एक तर्कसंगत या कारण सहित आदेश देना प्राकृतिक न्याय का एक अनिवार्य हिस्सा है। कारण देने से यह प्रमाणित होता है कि निर्णय लेने वाले ने अपना दिमाग लगाया है और वह किसी बाहरी दबाव या मनमर्जी से प्रभावित नहीं था। यह पारदर्शिता लाता है और पीड़ित व्यक्ति को यह जानने का अधिकार देता है कि उसके विरुद्ध निर्णय क्यों लिया गया। इसके बिना, न्यायिक

270. (C) एक बाह्य संस्थागत तंत्र।
लोकायुक्त संस्था न तो सरकार का आंतरिक विभाग है और न ही यह नियमित न्यायपालिका का हिस्सा है। यह भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की जांच के लिए स्थापित एक स्वतंत्र और बाह्य 'प्रहरी' तंत्र है। इसकी स्वायत्तता इसे प्रशासन के दबाव से मुक्त होकर कार्य करने में सक्षम बनाती है। यह जनता और सरकार के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है, जहाँ नागरिक अधिकारियों की मनमानी के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। एक बाह्य संस्था होने के कारण, यह शासन प्रक्रिया पर एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण रखने में सक्षम है।

271. (C) सरकारी अंगों की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और दायित्वों।
प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो राज्य की कार्यपालिका शाखा के संपूर्ण ढांचे को विनियमित करती है। यह न केवल यह निर्धारित करती है कि प्रशासनिक निकाय कैसे संगठित होंगे, बल्कि उन्हें दी गई विधिक शक्तियों की सीमाओं और उनके द्वारा निभाए जाने वाले सार्वजनिक कर्तव्यों को भी स्पष्ट करती है। इसके अतिरिक्त, यह विधि यह भी तय करती है कि यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में त्रुटि करता है, तो राज्य और उस अधिकारी का विधिक दायित्व क्या होगा। यह शासन व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाए रखने का साधन है।

272. (B) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
किसी संविदाकार को काली सूची में डालना उसके व्यावसायिक हितों और सम्मान पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रशासनिक विधि के अनुसार, ऐसी कोई भी कार्रवाई जो नागरिक परिणाम उत्पन्न करती है, उसे करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। बिना सुनवाई के लिया गया यह निर्णय एकपक्षीय और अन्यायपूर्ण है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि काली सूची में डालने से पहले सुनवाई करना प्राकृतिक न्याय की एक अनिवार्य मांग है। अतः इस प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण उक्त कार्रवाई को अवैध मानकर निरस्त किया जा सकता है।

273. (D) विवेक पर बंधन।
'विवेक पर बंधन' तब होता है जब कोई अधिकारी अपनी निर्णय लेने की स्वतंत्रता को स्वयं द्वारा बनाई गई किसी कठोर नीति या नियमों के अधीन कर देता है। विधिक रूप से, विवेकाधीन शक्ति का अर्थ है कि प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विचार किया जाए। यदि कोई प्राधिकारी बिना सोचे-समझे केवल एक सामान्य नियम को सभी परिस्थितियों पर लागू करता है, तो वह वास्तव में अपनी विधिक शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहता है। वह अपनी बुद्धि को बंधक बना लेता है, जो प्रशासनिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। न्यायालय यह अपेक्षा करते हैं कि विवेक सदैव तथ्यों के प्रति संवेदनशील रहे।

274. (B) अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति।
अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति संसदीय नियंत्रण का सबसे प्रत्यक्ष और प्रभावी रूप है। यह संसद के सदस्यों की एक समर्पित समिति होती है जो कार्यपालिका द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम, विनियमन और उप-विधि की सूक्ष्मता से जांच करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि प्रशासन ने अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग केवल उन्हीं सीमाओं में किया है जो संसद ने अधिनियम के माध्यम से तय की थीं। यदि समिति को कोई नियम अनुचित या विधिक सीमा से बाहर लगता है, तो वह उसे संशोधित करने की अनुशंसा करती है।

275. (B) लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान करनी चाहिए।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोकपाल को भ्रष्टाचार की जांच के लिए व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यदि लोकपाल किसी लोक सेवक को कोई जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देता है, तो उस अधिकारी का यह विधिक कर्तव्य है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका पालन करे। इसके लिए उसे अपने वरिष्ठों से किसी अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोकपाल का आदेश विधिक रूप से बाध्यकारी है। यह प्रावधान जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है।

276. (B) सेवाओं का नियामक और प्रदाता।
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा न्यूनतम राज्य के विपरीत है, जहाँ राज्य का कार्य केवल रक्षा और कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं होता। इसमें राज्य नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। वह न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सेवाओं का प्रदाता बनता है, बल्कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को विनियमित भी करता है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। इस बढ़ती भूमिका के कारण ही प्रशासनिक शक्तियों का विस्तार हुआ है। कल्याणकारी राज्य में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण और संसाधनों का न्यायसंगत वितरण होता है।

277. (B) उच्च निकाय द्वारा प्रभावी न्यायिक समीक्षा की अनुमति देती है।
एक तर्कसंगत आदेश वह विधिक आधार प्रदान करता है जिस पर कोई भी उच्च न्यायालय या अपील प्राधिकरण निर्णय की वैधता की जांच कर सकता है। जब निर्णय के पीछे के कारण स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं, तो यह परखा जा सकता है कि क्या निर्णय लेने वाले ने सही तथ्यों और कानूनों का सहारा लिया है। कारणों के बिना, न्यायिक समीक्षा केवल एक अनुमान बनकर रह जाती है। अतः कारण देना न केवल पारदर्शिता बढ़ाता है, बल्कि यह न्याय की उस श्रृंखला को भी सुरक्षित करता है जहाँ ऊँचे न्यायालय निचली संस्थाओं की गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधार सकते हैं।

278. (A) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है और मनमानी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई अधिनियम किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को बिना किसी नीति, दिशा-निर्देश या सीमा के असीमित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, तो उसे असंवैधानिक माना जाता है। न्यायालयों का मानना है कि अनियंत्रित शक्ति भेदभाव और अन्याय को जन्म देती है। अतः विधायिका के लिए यह अनिवार्य है कि

अधीन होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की मनमर्जी के। यह विधि अधिकारियों के लिए सीमाओं का निर्धारण करती है और नागरिकों को मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध विधिक उपचार प्रदान करती है। चूँकि आधुनिक प्रशासन के पास अपार विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, इसलिए उन पर विधिक नियंत्रण रखना ही एक न्यायपूर्ण समाज का आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी निर्णय सदैव समानता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता की कसौटी पर कसे जाएँ।

262. (B) सुनवाई देने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता।
'निरर्थक औपचारिकता' का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का एक विवादास्पद अपवाद है। इसके अनुसार, यदि किसी मामले के तथ्य इतने स्पष्ट और निर्विवाद हैं कि सुनवाई का अवसर देने के बावजूद भी निर्णय में कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है, तो न्यायालय केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर उस निर्णय को निरस्त नहीं करते। हालांकि, न्यायालय इस सिद्धांत का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ स्थितियों में करते हैं, क्योंकि सुनवाई का अधिकार न्याय की एक मौलिक आवश्यकता है जिसे साधारण प्रशासनिक सुविधा के लिए नकारा नहीं जाना चाहिए।

263. (D) उचित और विधिक ढंग से।
प्रशासनिक विधि के अनुसार, जब किसी अधिकारी को विवेक दिया जाता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निर्णय के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को आधार बनाए जो उस कानून के उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि वह महत्वपूर्ण सूचनाओं को नजरअंदाज करता है या अप्रासंगिक बातों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो माना जाता है कि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग विधिक ढंग से नहीं किया है। तर्कसंगत निर्णय प्रक्रिया में प्रासंगिक विचारों का संज्ञान लेना अनिवार्य है। इसके अभाव में निर्णय मनमाना हो जाता है, जिसे न्यायालय अवैध मानकर निरस्त कर सकते हैं।

264. (C) संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के दायरे में हों।
अधीनस्थ विधायन संबंधी संसदीय समिति का मुख्य कार्य कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियमों की विधिक संवीक्षा करना है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि नौकरशाही ने नियम बनाते समय संसद द्वारा दी गई सीमाओं का अतिक्रमण न किया हो। वह यह देखती है कि नियम कहीं मूल अधिनियम के उद्देश्यों के विपरीत तो नहीं हैं या वे नागरिकों पर कोई ऐसा अनुचित बोझ तो नहीं डालते जो अधिनियम की मंशा में नहीं था। यह संसदीय नियंत्रण का एक सूक्ष्म उपकरण है जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका केवल सहायक भूमिका में रहे।

265. (B) लोकपाल अपनी जांच शाखा वाला एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है।
लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग दोनों भ्रष्टाचार निरोधक निकाय हैं, परंतु उनकी संरचना और शक्तियों में अंतर है। लोकपाल एक स्वतंत्र और व्यापक अधिकार क्षेत्र वाली संस्था है जिसके पास अपनी स्वयं की जांच और अभियोजन शाखाएं हैं। इसके पास प्रधानमंत्री और सांसदों की जांच करने की विशिष्ट शक्ति है। दूसरी ओर, सतर्कता आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकार और पर्यवेक्षी निकाय है जो केंद्र सरकार के सतर्कता कार्यों का समन्वय करता है। लोकपाल का दर्जा और उसकी विधिक शक्तियां आयोग की तुलना में अधिक विस्तृत और स्वायत्त हैं।

266. (D) निजी व्यक्तियों के बीच अनुबंध की विधि।
प्रशासनिक विधि 'लोक विधि' की एक शाखा है, जो मुख्य रूप से राज्य और नागरिकों के बीच के संबंधों से संबंधित है। इसमें सरकारी निकायों की शक्तियां, उनकी कार्यपद्धतियां और उन पर न्यायिक नियंत्रण जैसे विषय आते हैं। इसके विपरीत, दो निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के बीच होने वाले अनुबंध 'निजी विधि' के अंतर्गत आते हैं। चूँकि इसमें कोई सार्वजनिक प्राधिकारी अपनी प्रशासनिक क्षमता में शामिल नहीं होता, इसलिए इसे प्रशासनिक विधि के कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। यह विधि केवल सरकारी सत्ता के विधिक विनियमन पर केंद्रित है।

267. (B) मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
मोहिंदर सिंह गिल मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राकृतिक न्याय का अर्थ केवल औपचारिक सुनवाई नहीं, बल्कि 'कार्य में निष्पक्षता' है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय, जो किसी व्यक्ति के अधिकारों या हितों को प्रभावित करता है, अनिवार्य रूप से निष्पक्ष होना चाहिए। यह सिद्धांत प्रशासन की एकपक्षीय और गुप्त कार्यवाहियों को रोकता है। इस निर्णय ने प्राकृतिक न्याय के दायरे को और अधिक विस्तृत कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि शासन की प्रत्येक प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शी बनी रहे।

268. (A) 2, 3, 1
प्रशासनिक विवेक की न्यायिक समीक्षा के आधारों का विकास अधिक सूक्ष्म और गहन नियंत्रण की ओर बढ़ा है। ऐतिहासिक रूप से, न्यायालय पहले केवल 'दुर्भावना' जैसे स्पष्ट अनैतिक आधारों पर हस्तक्षेप करते थे। इसके पश्चात, वेन्सबरी अतार्किकता का मानक आया जिसने तर्कहीनता की विधिक जांच का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे आधुनिक और गहन विकास 'आनुपातिकता' का सिद्धांत है, जो कार्रवाई की तीव्रता और उद्देश्य के बीच विधिक संतुलन की जांच करता है। यह अनुक्रम यह दर्शाता है कि कैसे न्यायपालिका ने प्रशासन की जवाबदेही के मानकों को अधिक कड़ा बनाया है।

269. (D) प्रक्रियात्मक रूप से अधिकारातीत।
प्रक्रियात्मक अधिकारातीत तब होता है जब कोई नियम बनाने वाला प्राधिकारी उन विधिक प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहता है जो मूल अधिनियम में अनिवार्य रूप से निर्धारित की गई थीं। यदि अधिनियम यह कहता है कि नियम बनाने से पहले संबंधित निकायों या जनता से परामर्श करना अनिवार्य है, तो इस प्रक्रिया को छोड़ना उस नियम को अवैध बना देता है। नियम की विषय-वस्तु चाहे कितनी भी सही क्यों न हो, उसे बनाने का तरीका दोषपूर्ण होने के कारण वह विधिक रूप से शून्य हो जाता है। यह प्रशासन को विधि द्वारा स्थापित पद्धति का सम्मान करने के लिए बाध्य करता है।

287. (D) 1, 2 और 3।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष शासन के वे अनिवार्य नियम हैं जो अन्याय को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यद्यपि ये सिद्धांत विधिक व्यवस्था में अंतर्निहित हैं, परंतु विधायिका विशिष्ट और स्पष्ट शब्दों के माध्यम से किसी कानून में इनके अनुप्रयोग को सीमित या वर्जित कर सकती है। यदि इन सिद्धांतों का उल्लंघन करके कोई निर्णय लिया जाता है, तो वह विधिक रूप से शून्य माना जाता है। ये तीनों कथन प्राकृतिक न्याय की प्रकृति, उसकी विधिक सीमाओं और उसके उल्लंघन के परिणामों को सही ढंग से स्पष्ट करते हैं। यह विधि के शासन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

288. (B) प्रासंगिक विचारों का त्याग।
प्रशासनिक निर्णय लेते समय यह अनिवार्य है कि अधिकारी उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और रिपोर्टों पर विचार करे जिनका मामले के साथ सीधा संबंध है। यदि कोई प्राधिकारी किसी ऐसे प्रतिवेदन की उपेक्षा करता है जो निर्णय को प्रभावित कर सकता था, तो उसकी कार्रवाई 'प्रासंगिक विचारों का त्याग' के आधार पर दोषपूर्ण मानी जाती है। विधिक रूप से, शक्ति का प्रयोग केवल तभी तर्कसंगत होता है जब वह उपलब्ध साक्ष्यों के पूर्ण विश्लेषण पर आधारित हो। ऐसी विफलता निर्णय को मनमाना और अवैध बना देती है, जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

289. (B) न्यायिक नियंत्रण।
यद्यपि प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय और प्रशासनिक नियंत्रण भी होते हैं, परंतु 'न्यायिक नियंत्रण' को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। इसका कारण यह है कि न्यायालय स्वतंत्र होते हैं और उनके पास नियमों की वैधता को संविधान और मूल अधिनियम की कसौटी पर कसने की शक्ति होती है। न्यायालय किसी भी अवैध या अधिकार-बाह्य नियम को शून्य घोषित कर सकते हैं, जो प्रशासन के लिए बाध्यकारी होता है। यह नियंत्रण नागरिकों को सीधे विधिक उपचार प्रदान करता है और कार्यपालिका को उसकी विधिक सीमाओं के भीतर रहने के लिए विवश करता है।

290. (C) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के माध्यम से लोकपाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। लोकपाल उन सभी भ्रष्टाचार के मामलों में ब्यूरो का अधीक्षण और निर्देशन कर सकता है जिन्हें उसने स्वयं ब्यूरो को जांच के लिए सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि उन विशिष्ट मामलों में ब्यूरो लोकपाल के प्रति जवाबदेह होती है, न कि केंद्र सरकार के प्रति। यह व्यवस्था जांच प्रक्रिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने के लिए की गई है, जिससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई अधिक प्रभावी हो सके।

291. (B) विधि और निष्पक्ष प्रक्रिया।
प्रशासनिक विधि का मूल मंत्र यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन की अपार शक्तियों का प्रयोग किसी व्यक्तिगत इच्छा या राजनीतिक दबाव के बजाय विधि के अनुसार हो। इसमें निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन करना भी अनिवार्य है, जिसका अर्थ है कि निर्णय लेने का तरीका पारदर्शी, न्यायसंगत और पक्षपात रहित होना चाहिए। शासन की वैधता तभी बनी रहती है जब वह कानून द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का सम्मान करे। यह विधि नागरिकों को यह आश्वासन देती है कि उनके साथ होने वाला व्यवहार पूर्व-निर्धारित विधिक सिद्धांतों पर आधारित होगा, न कि किसी अधिकारी की सनक पर।

292. (C) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत।
'ऑडी अल्टरम पार्टम' प्राकृतिक न्याय के दो महान स्तंभों में से एक है। यह सिद्धांत इस मौलिक सत्य पर आधारित है कि सत्य तक पहुँचने के लिए दोनों पक्षों के तर्कों को जानना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी निर्णय अधूरा और अन्यायपूर्ण माना जाता है। यह प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण विधिक उपकरण है। यह अधिकारियों को यह सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल एकपक्षीय जानकारी के आधार पर नहीं, बल्कि प्रभावित व्यक्ति के पक्ष को समझने के बाद ही किया जाना चाहिए।

293. (C) मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करते हैं।
आनुपातिकता का सिद्धांत विशेष रूप से उन प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा के लिए उपयोग किया जाता है जहाँ राज्य की कार्रवाई नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर सीमाएँ लगाती है। न्यायालय यह जांचता है कि क्या लगाया गया प्रतिबंध उस लक्ष्य के लिए अनिवार्य था और क्या वह उस अधिकार के महत्व के अनुपात में है। यह सुनिश्चित करता है कि जनहित के नाम पर सरकार अनावश्यक रूप से नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन न करे। यह व्यक्तिगत आजादी और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक न्यायपूर्ण विधिक संतुलन स्थापित करने का आधुनिक माध्यम है।

294. (A) शून्य।
भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी वैधानिक साधन जो संविधान के किसी प्रावधान या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, वह अपनी उत्पत्ति के समय से ही शून्य माना जाता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और इसके विरुद्ध जाने वाला कोई भी अधीनस्थ कानून अपनी विधिक वैधता खो देता है। न्यायालयों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे ऐसे असंवैधानिक नियमों को निरस्त करें और संविधान की गरिमा की रक्षा करें। यह विधिक मर्यादा लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अनिवार्य है।

295. (B) इसकी अनुशंसाएँ प्रायः प्रकृति में परामर्शदात्री होती हैं।
भारतीय राज्यों में लोकायुक्त संस्था की एक प्रमुख विशेषता और सीमा यह है कि उनके द्वारा की गई अधिकांश अनुशंसाएँ सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं। लोकायुक्त अपनी जांच के बाद दोषी पाए गए लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई का सुझाव देता है, परंतु अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकार को ही लेना होता है। हालांकि, लोक-लाज और सदन में प्रतिवेदन रखे जाने के भय के कारण सरकारें अक्सर इन अनुशंसाओं पर विचार करती हैं। यह परामर्शदात्री भूमिका लोकायुक्त को एक सलाहकार के रूप में स्थापित करती है।

सूची I: (वैश्विक पर्यावरणीय समस्या)
P. ओजोन परत का क्षरण
Q. अम्लीय वर्षा
R. वैश्विक तापन
S. सुपोषण (यूट्रोफिकेशन)
सूची II: (प्राथमिक संबद्ध रसायन/पदार्थ)
1. कार्बन डाइऑक्साइड
2. नाइट्रेट और फास्फेट
3. क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)
4. सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

9. पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) वायु प्रदूषण में वातावरण में SO_2, NO_x और कणिकीय पदार्थ जैसे हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन सम्मिलित है।
(B) जल प्रदूषण बिंदु स्रोतों जैसे औद्योगिक अपशिष्ट पाइपों और गैर-बिंदु स्रोतों जैसे कृषि अपवाह के कारण हो सकता है।
(C) ध्वनि प्रदूषण को कैलोरी में मापा जाता है और यह मुख्य रूप से समुद्री जीवन को प्रभावित करता है।
(D) मृदा प्रदूषण जेनोबायोटिक्स (xenobiotics) की उपस्थिति या प्राकृतिक मृदा वातावरण में अन्य परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होता है।

10. पर्यावरण कानून के संदर्भ में 'प्रदूषक' का सर्वाधिक उपयुक्त विवरण क्या है?
(A) कोई भी पदार्थ जिसकी प्रकृति या सांद्रता पर्यावरण या जीवित जीवों को क्षति पहुँचा सकती है।
(B) मानवीय औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संश्लेषित और स्थानीय प्राकृतिक आवासों में छोड़ा गया कोई भी पदार्थ।
(C) जल निकायों या औद्योगिक जल निकासी के भीतर पाया जाने वाला कोई भी ठोस, द्रव या विलेय रासायनिक यौगिक।
(D) भारी मोटर वाहनों या वाणिज्यिक वायुयानों से निकलने वाला कोई भी गैसीय उप-उत्पाद या निकास उत्सर्जन।

11. भारतीय प्राचीन संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वृक्षों, नदियों और पशुओं की पूजा एक सामान्य प्रथा थी।
2. 'धर्म' की अवधारणा में प्रायः प्रकृति के प्रति कर्तव्य सम्मिलित होते थे।
3. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वृक्ष काटने और प्रदूषण फैलाने के लिए दंड निर्धारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

12. किसी नदी में अनुपचारित सीवेज का विसर्जन, जिससे घुली हुई ऑक्सीजन में कमी आती है और मछलियां मर जाती हैं, किस प्रकार के प्रदूषण में कार्य-कारण संबंध का उदाहरण है?
(A) वायु प्रदूषण
(B) जल प्रदूषण
(C) मृदा प्रदूषण
(D) ध्वनि प्रदूषण

13. भारत में पर्यावरण कानून के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) जल अधिनियम : 1974
(B) वायु अधिनियम : 1981
(C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम : 1986
(D) वन (संरक्षण) अधिनियम : 1980

14. भारत में निम्नलिखित कानूनी और नीतिगत मील के पत्थरों को उनके प्रारंभ के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम
2. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम
3. वन (संरक्षण) अधिनियम
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
सही अनुक्रम चुनिए:
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

15. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत, किस प्राधिकरण को किसी क्षेत्र को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार है?
(A) राज्य सरकार
(B) केंद्र सरकार
(C) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
(D) स्थानीय नगर निगम

16. 'सतत विकास' के सिद्धांत का प्राथमिक केंद्र क्या है?
(A) पारिस्थितिक प्रभाव की उपेक्षा करते हुए, किसी भी मूल्य पर राष्ट्रीय आर्थिक विकास और औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करना।
(B) भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं को संतुलित करना।
(C) औद्योगिक और शहरी विकास के सभी रुपों से ऊपर पूर्ण पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना।
(D) सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-औद्योगिक और विशुद्ध रूप से कृषि समाज में वापस लौटना।

अध्याय 09
पर्यावरण विधि

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन 'पर्यावरण प्रदूषण' को सर्वोत्तम रुप से परिभाषित करता है?
   (A) वातावरण में किसी भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ की ऐसी सांद्रता में उपस्थिति जो मनुष्यों के लिए हानिकारक हो सकती है या हानिकारक होने की प्रवृत्ति रखती है।
   (B) पर्यावरण में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति।
   (C) जल का संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन।
   (D) वायु, भूमि और जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में कोई भी अवांछित परिवर्तन।

2. 'पंचभूत' या पांच महाभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) की अवधारणा मुख्य रुप से किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ से उत्पन्न हुई है, जो पर्यावरण के प्रति सम्मान का आधार बनती है?
   (A) उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ
   (B) मनुस्मृति
   (C) कौटिल्य का अर्थशास्त्र
   (D) चरक संहिता

3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार की शक्तियों के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
   (A) केंद्र सरकार की शक्तियां पूर्णतः विभिन्न पारिस्थितिक विषयों पर राज्य सरकारों को केवल परामर्शदात्री सहायता प्रदान करने तक सीमित हैं।
   (B) केंद्र सरकार केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के औपचारिक और दस्तावेजी अनुरोध के पश्चात ही कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है।
   (C) केंद्र सरकार पर्यावरण की समग्र गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकती है।
   (D) ये शक्तियां विशेष रुप से केवल वायु प्रदूषण की रोकथाम तक सीमित हैं और जल या मृदा संदूषण तक विस्तारित नहीं हैं।

4. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
   कथन (A): वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अंधाधुंध परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
   कारण (R): यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि प्रत्येक राज्य सरकार को किसी आरक्षित वन को अनारक्षित करने या किसी गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पूर्व केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
   (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
   (B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
   (C) A सही है परंतु R गलत है।
   (D) A गलत है परंतु R सही है।

5. निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है?
   (A) अनुसूचियों में निर्दिष्ट जंगली जानवरों के शिकार को प्रतिबंधित करना।
   (B) जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण का प्रावधान करना।
   (C) वन लकड़ी के व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना।
   (D) संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना।

6. यदि कोई कारखाना नदी में ऐसा रासायनिक अपशिष्ट छोड़ता है जो पूर्व में उपस्थित नहीं था और जो जल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाता है, तो यह स्थिति किस अवधारणा का अनुप्रयोग होगी?
   (A) पर्यावरणीय प्रभाव
   (B) पर्यावरण प्रदूषण
   (C) पर्यावरणीय प्रदूषक
   (D) पारिस्थितिक असंतुलन

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
   कथन I: ब्रुंडलैंड आयोग की रिपोर्ट, "अवर कॉमन फ्यूचर" (हमारा साझा भविष्य), ने सतत विकास की सर्वाधिक व्यापक रुप से स्वीकृत परिभाषा प्रदान की।
   कथन II: यह रिपोर्ट 1992 में रियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) द्वारा प्रारंभ की गई थी।
   (A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
   (B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
   (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
   (D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

8. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।

296. (B) अधिकारातीत।
'अधिकारातीत' का सिद्धांत प्रशासनिक विधि की आत्मा है। इसका सरल अर्थ है 'शक्ति से बाहर'। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन का प्रत्येक अंग और अधिकारी केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करे जो उसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं। यदि कोई अधिकारी अपनी विधिक सीमा लांघता है, तो उसका कार्य अमान्य हो जाता है। यह सिद्धांत न केवल प्रत्यायोजित विधायन पर लागू होता है, बल्कि समस्त प्रशासनिक विवेक पर भी नियंत्रण रखता है। यह विधि के शासन का वह आधार है जो सत्ता के दुरुपयोग को विधिक रूप से असंभव बनाता है।

297. (C) तात्कालिकता के मामलों में जहाँ पूर्व सुनवाई संभव नहीं है।
यद्यपि पूर्व सुनवाई एक सामान्य नियम है, परंतु असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि महामारी रोकना या दंगा नियंत्रण, 'निर्णय-पश्चात सुनवाई' को एक वैध विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ जनहित में तत्काल कदम उठाना अनिवार्य हो और समय का अभाव हो, वहाँ प्रशासन पहले कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, न्याय की शुचिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कार्रवाई के तुरंत बाद प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और निर्णय की समीक्षा कराने का पूर्ण अवसर दिया जाए। यह तात्कालिकता और निष्पक्षता के बीच एक संतुलन है।

298. (B) विधि और नियम।
'विवेक डोनट का छिद्र है' की प्रसिद्ध उपमा यह स्पष्ट करती है कि प्रशासनिक विवेक कभी भी शून्य या असीमित नहीं होता। जिस प्रकार डोनट का छिद्र उसके चारों ओर के ठोस घेरे से घिरा होता है, उसी प्रकार विवेक भी विधिक सीमाओं, नियमों और सिद्धांतों के घेरे के भीतर ही विद्यमान रहता है। अधिकारी को चुनने की स्वतंत्रता केवल उन्हीं सीमाओं के भीतर होती है जो कानून ने तय की हैं। वह उस घेरे को तोड़कर अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। यह उपमा यह समझने में सहायता करती है कि विवेक सदैव विधिक मर्यादाओं के अधीन रहकर ही कार्य करता है।

299. (B) संसदीय लोकतंत्र और शक्तियों के पृथक्करण को दुर्बल करता है।
प्रत्यायोजित विधायन की मुख्य आलोचना यह है कि यह कानून बनाने का वह कार्य कार्यपालिका को सौंप देता है जो वास्तव में केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए। आलोचकों का मानना है कि इससे शक्तियों के पृथक्करण का संतुलन बिगड़ता है और नौकरशाही अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है, जो अक्सर जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं होती। यह डर रहता है कि कार्यपालिका अपनी इस शक्ति का प्रयोग संसद को दरकिनार करने और नागरिकों पर गुप्त रूप से नियम थोपने के लिए कर सकती है। यह लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक चुनौती है।

300. (B) भ्रष्टाचार का अन्वेषक और अभियोजक।
लोकपाल संस्था का निर्माण मुख्य रूप से उच्च स्तरीय सार्वजनिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त तंत्र के रूप में किया गया है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करना है। इसके पास स्वयं की जांच और अभियोजन शाखाएँ होती हैं, जो इसे अन्य साधारण प्रशासनिक निकायों से भिन्न और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। यह शासन व्यवस्था में ईमानदारी सुनिश्चित करने का कार्य करता है और विधिक जवाबदेही को सुदृढ़ करता है।

17. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को प्रायः "अम्ब्रेला" (छतरी) कानून कहा जाता है।
कारण (R): यह केंद्र सरकार को अन्य पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिकारियों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक रुपरेखा प्रदान करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है और R गलत है।
(D) A गलत है और R सही है।

18. कौन सा कथन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक प्रमुख विशेषता का सही वर्णन करता है?
(A) यह ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समझौता है।
(B) यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है।
(C) इसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण करना और इसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।
(D) इसने "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" (Polluter Pays Principle) को एक वैश्विक मानक के रूप में स्थापित किया।

19. एक सघन वन के समीप एक नई औद्योगिक परियोजना प्रस्तावित है। भारतीय कानून के अनुसार, परियोजना प्रारंभ होने से पूर्व, इसके संभावित पर्यावरणीय परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है:
(A) पर्यावरण लेखापरीक्षा (एनवायर्नमेंट ऑडिट)
(B) पर्यावरणीय सम्यक तत्परता
(C) पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
(D) पर्यावरणीय जोखिम विश्लेषण

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक संगठन है।
कथन II: CPCB को जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 दोनों के अंतर्गत शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

21. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (प्राचीन भारतीय अवधारणा/ग्रंथ)
P. अथर्ववेद
Q. अशोक के शिलालेख
R. पवित्र उपवन (Sacred Groves)
S. कौटिल्य का अर्थशास्त्र
सूची II: (पर्यावरण से प्रासंगिकता)
1. राज्य द्वारा प्रबंधित वन प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण
2. प्रकृति और उसके तत्वों की स्तुति में सूक्त
3. पशु कल्याण और वृक्षारोपण पर राजकीय आदेश
4. जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों का समुदाय-आधारित संरक्षण
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

22. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में यथा परिभाषित शब्द "पर्यावरण" में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी सम्मिलित हैं?
(A) जल, वायु और भूमि
(B) सरकार की आर्थिक नीतियां
(C) मनुष्य और अन्य जीवित प्राणी
(D) जल, वायु, भूमि और जीवित जीवों के बीच अंतःसंबंध

23. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत वनों के वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) अधिनियम उच्च स्तर की सुरक्षा के साथ 'आरक्षित वनों' के गठन का प्रावधान करता है।
(B) अधिनियम ग्राम समुदाय द्वारा उपयोग के लिए 'ग्राम वनों' के सृजन की अनुमति देता है।
(C) अधिनियम में 'संरक्षित वन' नामक एक श्रेणी सम्मिलित है जहाँ सरकार के पास स्वामित्व अधिकार है परंतु कुछ उपयोगों की अनुमति है।
(D) अधिनियम 'सामुदायिक वनों' को केवल गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित करने के रूप में परिभाषित करता है।

24. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह जीव-जंतुओं और वनस्पतियों को भिन्न-भिन्न स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए छह अनुसूचियों का प्रावधान करता है।
2. अनुसूची I में सूचीबद्ध पशुओं का शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है, सिवाय आत्मरक्षा जैसी विशिष्ट स्थितियों के।
3. अधिनियम ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्थापना की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1

85. निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सिद्धांतों पर विचार कीजिए:
1. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle)
2. पूर्व-सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle)
3. अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत

भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र में एकीकरण के संबंध में उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

86. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ने वन भूमि के संबंध में राज्य सरकारों की शक्तियों में अत्यधिक कटौती की।
कारण (R): वनों के किसी भी अनारक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य हो गया।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

87. निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का कार्य नहीं है?
(A) प्रदूषण के विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना।
(B) प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की योजना बनाना और निष्पादित करना।
(C) वायु और जल की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।
(D) वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करना।

88. प्राचीन भारतीय विचार में 'पंचभूत' (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) की अवधारणा क्या दर्शाती है?
(A) ब्रह्मांड और मानव शरीर के मूलभूत घटक, जो प्रकृति के साथ एक अभिन्न संबंध पर बल देते हैं।
(B) पांच भिन्न प्रकार के प्रदूषण।
(C) पर्यावरण संरक्षण के लिए पांच प्रमुख कानून।
(D) उत्तम फसल के लिए पूजे जाने वाले पांच देव।

89. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (सम्मेलन/प्रोटोकॉल)
P. स्टॉकहोम सम्मेलन
Q. रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन
R. क्योटो प्रोटोकॉल
S. पेरिस समझौता

सूची II: (अपनाने का वर्ष)
1. 1997
2. 2015
3. 1972
4. 1992

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

90. 'सतत विकास' का सर्वाधिक उपयुक्त विवरण क्या है?
(A) भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करना।
(B) विकास का ऐसा मार्ग जो अल्पतम समय में अधिकतम आर्थिक लाभ सुनिश्चित करता है।
(C) एक विकास रणनीति जो मानवीय आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए केवल पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।
(D) सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों को मानव निर्मित अवसंरचना से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया।

91. कौन सा अधिनियम नागरिक वाद (citizen's suit) का प्रावधान करता है, जिससे किसी व्यक्ति को 60 दिनों का नोटिस देने के पश्चात अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने की अनुमति मिलती है?
(A) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(B) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(C) सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
(D) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

92. प्रकाश-रासायनिक धूमकुहरा (फोटोकेमिकल स्मॉग) का निर्माण किससे संबद्ध एक घटना है?
(A) जल प्रदूषण
(B) वायु प्रदूषण
(C) मृदा प्रदूषण
(D) ध्वनि प्रदूषण

93. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 मुख्य रूप से निजी व्यक्तियों द्वारा वृक्षों की कटाई को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
कथन II: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों द्वारा गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को रोकना है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

उद्देश्य सतत विकास प्राप्त करने में राष्ट्रों का मार्गदर्शन करना है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

35. 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' (Air Pollution Control Area) की अवधारणा किस भारतीय कानून के अंतर्गत एक प्रमुख प्रावधान है?
(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(B) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(C) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(D) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

36. निकटवर्ती झील में घरेलू अपशिष्ट फेंकने वाला व्यक्ति किस प्रकार के प्रदूषण में योगदान दे रहा है?
(A) वायु प्रदूषण
(B) ध्वनि प्रदूषण
(C) मृदा प्रदूषण
(D) जल प्रदूषण

37. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक वैधानिक निकाय है।
2. इसके कार्य केवल जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तक सीमित हैं।
3. यदि उद्योग प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करते हैं, तो यह उन्हें बंद करने के सीधे आदेश जारी कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

38. 'पवित्र उपवन' (Sacred Groves) को बनाए रखने की प्राचीन भारतीय प्रथा किसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है?
(A) सरकार के नेतृत्व वाला वनीकरण कार्यक्रम।
(B) समुदाय-आधारित जैव विविधता संरक्षण का एक पारंपरिक रूप।
(C) व्यावसायिक लकड़ी निष्कर्षण के लिए एक प्रणाली।
(D) बिना किसी पारिस्थितिक लाभ के एक धार्मिक प्रथा।

39. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का सिद्धांत)
P. पूर्व-सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle)
Q. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
R. अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत
S. साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्वों का सिद्धांत

सूची II: (मूल विचार)
1. वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करे।
2. पर्यावरणीय गिरावट को दूर करने के लिए विकसित देशों का अधिक उत्तरदायित्व है।
3. प्रदूषण के लिए उत्तरदायी पक्ष को इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए।
4. पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीय गिरावट रोकने के उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

40. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध पशु, जैसे कि बाघ, को प्रदान किया गया है:
(A) शिकार और व्यापार के विरुद्ध विधिक सुरक्षा का उच्चतम स्तर।
(B) सुरक्षा का निम्नतम स्तर जिसमें मौसमी रूप से विनियमित शिकार की अनुमति है।
(C) विशेष रूप से एक निर्दिष्ट राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं के भीतर सुरक्षा।
(D) 'हानिकारक जीव' (वर्मिन) का स्तर जो भूस्वामियों द्वारा इसे स्वतंत्र रूप से शिकार करने की अनुमति देता है।

41. निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को उनके अपनाने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
2. क्योटो प्रोटोकॉल
3. पेरिस समझौता
4. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)

सही अनुक्रम चुनिए:
(A) 1, 4, 2, 3
(B) 4, 1, 2, 3
(C) 1, 2, 4, 3
(D) 2, 1, 4, 3

42. निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रकार नहीं है?
(A) भूकंप से होने वाला विवर्तनिक प्रदूषण
(B) विद्युत संयंत्रों से होने वाला तापीय प्रदूषण
(C) परमाणु अपशिष्ट से होने वाला रेडियोधर्मी प्रदूषण
(D) औद्योगिक रसायनों से होने वाला मृदा प्रदूषण

43. वायु अधिनियम, 1981 के संदर्भ में, वायु की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय उत्तरदायी है?

103. कृषि में उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से प्रायः किस प्रकार का प्रदूषण होता है?
(A) धूल कणों के माध्यम से वायु प्रदूषण।
(B) कृषि मशीनरी से ध्वनि प्रदूषण।
(C) मृदा का तापीय प्रदूषण।
(D) अपवाह के माध्यम से गैर-बिंदु स्रोत जल प्रदूषण।

104. कौन सा प्राचीन ग्रंथ राज्य-नियंत्रित वानिकी का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें वन अधीक्षक की नियुक्ति और उपज के आधार पर वनों का वर्गीकरण सम्मिलित है?
(A) कौटिल्य का अर्थशास्त्र
(B) वेद
(C) उपनिषद
(D) मनुस्मृति

105. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (वन्यजीव अधिनियम का पद)
P. अनुसूची I
Q. हानिकारक जीव (वर्मिन)
R. राष्ट्रीय उद्यान
S. अभयारण्य
सूची II: (अर्थ)
1. एक क्षेत्र जहाँ स्थानीय निवासियों के कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है।
2. ऐसे जानवर जिनका शिकार अनुसूची V में निर्दिष्ट अनुसार किया जा सकता है।
3. एक ऐसा क्षेत्र जहाँ किसी अधिकार की अनुमति नहीं है और उच्च सुरक्षा स्तर है।
4. पूर्ण सुरक्षा प्राप्त पशु।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

106. 2012 में आयोजित 'रियो+20' सम्मेलन मुख्य रूप से किन दो विषयों पर केंद्रित था?
(A) निर्धनता उन्मूलन के लिए हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचा।
(B) वैश्विक ओजोन परत का क्षरण और खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट का प्रबंधन।
(C) परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति को बढ़ावा देना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन को विनियमित करना और वैश्विक गहरे समुद्र के व्यापार को नियंत्रित करना।

107. निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण के 'बिंदु स्रोत' (point source) का एक उदाहरण है?
(A) कृषि क्षेत्रों से नदी में बहने वाला अपवाह।
(B) एक विस्तृत वन क्षेत्र पर होने वाली अम्लीय वर्षा।
(C) एक व्यापक क्षेत्र में लैंडफिल से रिसने वाला दूषित जल।
(D) एक विशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट पाइप जो झील में खाली हो रहा है।

108. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान करता है?
(A) राज्य सरकारों को
(B) केंद्र सरकार को
(C) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को
(D) भारत के उच्चतम न्यायालय को

109. गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) जल प्रदूषण : औद्योगिक अपशिष्टों के कारण होता है।
(B) वायु प्रदूषण : वाहनों के उत्सर्जन के कारण होता है।
(C) ध्वनि प्रदूषण : ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है।
(D) मृदा प्रदूषण : कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण होता है।

110. कौन सा कथन पर्यावरण के प्रति प्राचीन भारतीय संस्कृति के आदर्शों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है?
(A) प्रकृति को अधिकतम मानव लाभ के लिए शोषित की जाने वाली वस्तु के रूप में देखा जाता था।
(B) पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति उदासीनता और उपेक्षा की भावना व्याप्त थी।
(C) मनुष्य को प्रकृति से श्रेष्ठ और उस पर प्रभुत्व का अधिकारी माना जाता था।
(D) प्रकृति पूजनीय थी, जो मनुष्यों और प्राकृतिक विश्व के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर बल देती थी।

111. बांध के निर्माण जैसे गैर-वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है?
(A) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(B) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(C) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(D) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

112. 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय का सृजन हुआ?
(A) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
(B) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
(C) अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)
(D) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC)

113. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 संपूर्ण भारत पर लागू होता है।
कथन II: यह अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को

3. यह प्रदूषकों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा वाद (citizen's suits) दायर करने का प्रावधान नहीं करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

54. अथर्ववेद के सूक्त जो पृथ्वी को माता और उसके निवासियों को उसकी संतान के रूप में वर्णित करते हैं, प्राचीन भारतीय नैतिकता के किसको दर्शाते हैं?
(A) मानव-केंद्रितता (Anthropocentrism)
(B) पारिस्थितिकी-केंद्रितता (Ecocentrism)
(C) तकनीक-केंद्रितता (Technocentrism)
(D) आर्थिक उपयोगितावाद

55. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (पद)
P. पर्यावरणीय प्रदूषक
Q. वायु प्रदूषक
R. जलधारा (Stream)
S. निर्दिष्ट पादप
सूची II: (प्रासंगिक अधिनियम)
1. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
4. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

56. पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के साथ जल निकाय का संवर्धन, जिससे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, क्या कहलाता है?
(A) सुपोषण (यूट्रोफिकेशन)
(B) जैव-आवर्धन (Biomagnification)
(C) अम्लीकरण
(D) लवणीकरण

57. निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं हैं?
(A) जलवायु परिवर्तन
(B) वनों की कटाई
(C) सुनामी का उद्भव
(D) जैव विविधता की हानि

58. प्राचीन भारतीय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) कौटिल्य का अर्थशास्त्र : जल प्रदूषित करने के लिए अर्थदंड निर्धारित किया
(B) मनुस्मृति : मनोरंजन के लिए शिकार को प्रोत्साहित किया
(C) अशोक के शिलालेख : कारखानों के निर्माण को अनिवार्य किया
(D) वेद : कृषि के लिए वनों की कटाई को प्रोत्साहित किया

59. यदि कोई राज्य सरकार खनन के लिए 'आरक्षित वन' के एक भाग का मार्ग बदलना चाहती है, तो किस कानून की अनुमोदन प्रक्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
(A) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(B) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(C) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
(D) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

60. भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र में अपनाए गए "पूर्व-सावधानी सिद्धांत" (Precautionary Principle) का सुझाव है कि:
(A) पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्षति के निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण के पश्चात ही लिए जा सकते हैं।
(B) पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को गंभीर पर्यावरणीय क्षति रोकने के उपायों को स्थगित करने का आधार नहीं माना जाएगा।
(C) किसी भी संभावित पारिस्थितिक क्षति को रोकने के लिए सभी विकासात्मक गतिविधियों को तत्काल रोक दिया जाना चाहिए।
(D) प्रदूषण और उपचार की कुल लागत विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन की जानी चाहिए।

61. पर्यावरण में किसी ऐसे पदार्थ की उपस्थिति के लिए क्या शब्द है जो अपनी रासायनिक संरचना या मात्रा के कारण जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक है?
(A) पर्यावरणीय कारक
(B) पर्यावरणीय माध्यम
(C) पर्यावरणीय प्रदूषक
(D) पर्यावरणीय घटक

62. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में प्रारंभ में ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था।
कथन II: 1987 में एक संशोधन के माध्यम से 'वायु प्रदूषक' की परिभाषा में ध्वनि को सम्मिलित किया गया था।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

25. मानव पर्यावरण पर 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह मुख्य रूप से:
(A) क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
(B) पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिक चिंता के रूप में संबोधित करने वाले प्रथम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य किया।
(C) पर्यावरण को एक प्रमुख विषय बनाने वाला प्रथम बड़ा वैश्विक सम्मेलन था।
(D) जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का निर्माण किया।

26. किस प्रकार के प्रदूषण की विशेषता अत्यधिक ध्वनि की उपस्थिति है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है?
(A) ध्वनि प्रदूषण
(B) तापीय प्रदूषण
(C) प्रकाश प्रदूषण
(D) रेडियोधर्मी प्रदूषण

27. भारतीय संस्कृति में 'पीपल' के वृक्ष (Ficus religiosa) के प्रति सम्मान किसका एक प्रमुख उदाहरण है?
(A) बिना किसी पारिस्थितिक आधार के एक विशुद्ध अंधविश्वासी धारणा।
(B) सरकार द्वारा अनिवार्य संरक्षण प्रयास।
(C) पश्चिमी पर्यावरणवाद से आयातित एक प्रथा।
(D) एक कीस्टोन प्रजाति (keystone species) के संरक्षण को बढ़ावा देने वाला रिवाज।

28. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श देना।
(B) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करना।
(C) विशेष रूप से वायु में औद्योगिक उत्सर्जन को विनियमित करना।
(D) राज्य के भीतर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की घोषणा और प्रबंधन करना।

29. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का मुख्य उद्देश्य है:
(A) राज्य सरकारों के लिए लकड़ी के राजस्व में वृद्धि करना।
(B) वन क्षेत्रों में जंगली जानवरों के शिकार को विनियमित करना।
(C) अनारक्षण और गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करके वनों का संरक्षण करना।
(D) गैर-वन भूमि पर सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना।

30. "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत" (Polluter Pays Principle) का तात्पर्य है कि:
(A) प्रदूषक को क्षति की गंभीरता की चिंता किए बिना तत्काल कारावास दिया जाना चाहिए।
(B) अंतिम उत्पाद के उपभोक्ताओं को संभावित पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए एक विशिष्ट विलासिता कर का भुगतान करना चाहिए।
(C) सरकार को सामान्य सार्वजनिक कर प्रणाली के माध्यम से प्रदूषण स्वच्छता की सभी गतिविधियों का भुगतान करना चाहिए।
(D) प्रदूषण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को पर्यावरणीय क्षति को रोकने और सुधारने की लागत वहन करनी चाहिए।

31. निम्नलिखित में से किसे जल प्रदूषण का 'गैर-बिंदु स्रोत' (non-point source) माना जाता है?
(A) एक बड़े खेत से कृषि अपवाह।
(B) नगर निगम के सीवेज उपचार संयंत्र से निकलने वाला पाइप।
(C) गैस स्टेशन पर भूमिगत भंडारण टैंक का रिसाव।
(D) विद्युत संयंत्र से निकलने वाला धुआं।

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: प्राचीन भारत में, पर्यावरण की रक्षा को प्रायः एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य माना जाता था।
कथन II: मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जल निकायों के प्रदूषण के विरुद्ध विशिष्ट निषेध सम्मिलित हैं।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

33. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) राष्ट्रीय उद्यान स्तनधारी जीवों के लिए आरक्षित हैं जबकि अभयारण्य पक्षी प्रजातियों के लिए निर्दिष्ट हैं।
(B) राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधि निषिद्ध है, जबकि अभयारण्यों में कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है।
(C) राष्ट्रीय उद्यान में शिकार की स्पष्ट रूप से अनुमति है परंतु वन्यजीव अभयारण्य में श्रेणीबद्ध रूप से प्रतिबंधित है।
(D) राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं जबकि अभयारण्य स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

34. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा (1992) एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
कारण (R): रियो घोषणा में 27 सिद्धांत सम्मिलित हैं जिनका

(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

73. कौटिल्य द्वारा रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में किससे संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं:
(A) केवल सूर्य और चंद्रमा देवों की पूजा।
(B) सतत विकास का दार्शनिक आधार।
(C) वनों, वन्यजीवों का प्रशासन और पर्यावरणीय अपराधों के लिए दंड।
(D) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कूटनीति के तरीके।

74. 'सतत विकास' की अवधारणा किन तीन मुख्य स्तंभों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है?
(A) पर्यावरण, सामाजिक समानता और आर्थिक व्यवहार्यता
(B) पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी
(C) समाज, राजनीति और संस्कृति
(D) परंपरा, आधुनिकता और वैश्वीकरण

75. जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत, किसी भी ऐसे उद्योग को स्थापित करने से पूर्व जो सीवेज या व्यापार अपशिष्ट छोड़ने की संभावना रखता है, क्या अनिवार्य है?
(A) स्थानीय नगर निगम प्राधिकरण को सूचित करना।
(B) पर्यावरण लेखापरीक्षा आयोजित करना।
(C) केंद्र सरकार से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करना।
(D) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त करना।

76. खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तरों पर जीवों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है?
(A) सुपोषण (यूट्रोफिकेशन)
(B) जैव-आवर्धन (Biomagnification)
(C) जैव-उपचार (Bioremediation)
(D) जैव-संचय (Bioaccumulation)

77. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: भारतीय वन अधिनियम, 1927 मुख्य रूप से जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक कानून है।
कथन II: भारतीय वन अधिनियम, 1927 का मुख्य उद्देश्य वन उपज के पारगमन (transit) को विनियमित करना और उस पर शुल्क आरोपित करना था।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

78. सम्राट अशोक का पांचवां स्तंभ शिलालेख पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:
(A) भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की।
(B) प्रमुख नदियों पर बांधों के निर्माण को प्रतिबंधित किया।
(C) प्रत्येक नागरिक द्वारा दस वृक्ष लगाना अनिवार्य किया।
(D) पशुओं और पक्षियों की एक सूची प्रदान की जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए और पशु चिकित्सालय स्थापित किए।

79. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की किस धारा में 'पर्यावरण प्रदूषण' शब्द को परिभाषित किया गया है?
(A) धारा 2(c)
(B) धारा 2(a)
(C) धारा 2(b)
(D) धारा 2(d)

80. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की इसके संशोधन से पूर्व एक बड़ी सीमा यह थी कि:
(A) इसने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित नहीं किए।
(B) इसने ध्वनि को प्रदूषक के रूप में सम्मिलित नहीं किया।
(C) इसमें औद्योगिक प्रदूषण सम्मिलित नहीं था।
(D) यह केवल महानगरों पर लागू होता था।

81. निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक विषय मुख्य रूप से UNFCCC और उसके पश्चात के प्रोटोकॉल द्वारा संबोधित किया जाता है?
(A) खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पार संचलन
(B) मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन
(C) समतापमंडलीय ओजोन परत का क्षरण
(D) प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण

82. वन के एक भाग को पृथक रखने और उसे स्थानीय देवता को समर्पित करने का कार्य, जिससे वह दोहन से सुरक्षित रहे, किस प्रथा के रूप में जाना जाता है?
(A) पवित्र उपवन (Sacred Grove)
(B) राष्ट्रीय उद्यान
(C) जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र
(D) सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र

83. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है।
(B) इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
(C) राष्ट्रीय उद्यानों में या उसके निकट अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इसकी स्वीकृति अनावश्यक है।
(D) इसकी प्राथमिक भूमिका वन्यजीवों के संरक्षण और विकास के उपायों को बढ़ावा देना है।

84. मृदा में भारी धातुओं युक्त अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के विसर्जन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा?
(A) वायु प्रदूषण
(B) जल प्रदूषण
(C) ध्वनि प्रदूषण
(D) मृदा प्रदूषण

(A) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)
(B) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(C) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
(D) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

44. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) यह भारत में सभी प्रकार के वनों पर लागू होता है।
(B) यह राज्य सरकारों को वन भूमि को अनारक्षित करने का अंतिम अधिकार देता है।
(C) इसका उद्देश्य गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को रोकना है।
(D) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है।

45. भारत में 'चिपको आंदोलन', जहाँ ग्रामीणों ने वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाया था, किस प्राचीन भारतीय मूल्य का आधुनिक प्रकटीकरण है?
(A) आर्थिक संपदा की खोज (अर्थ)।
(B) कर्मकांडीय यज्ञ पर ध्यान।
(C) जीवन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा (अहिंसा)।
(D) सामाजिक पदानुक्रम की प्रणाली (वर्ण)।

46. 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED), जिसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, का प्राथमिक परिणाम क्या था?
(A) ओजोन परत क्षरण पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सार्वभौमिक रूप से अपनाना।
(B) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का सृजन।
(C) "प्रदूषक भुगतान" सिद्धांत को बाध्यकारी कानून के रूप में स्थापित करना।
(D) एजेंडा 21, रियो घोषणा और प्रमुख सम्मेलनों को अपनाना।

47. "अंतःसंबंध जो जल, वायु और भूमि, तथा मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के बीच विद्यमान है" की अवधारणा किसके लिए केंद्रीय है:
(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'पर्यावरण' की परिभाषा।
(B) वायु अधिनियम के अंतर्गत 'प्रदूषक' की परिभाषा।
(C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'वन्यजीव' की परिभाषा।
(D) ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में 'सतत विकास' की परिभाषा।

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात भारत में अधिनियमित प्रथम प्रमुख व्यापक पर्यावरण कानून था।
कथन II: इस अधिनियम ने इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

49. 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' में कार्यरत एक औद्योगिक इकाई अपने प्रचालन का विस्तार करना चाहती है। वायु अधिनियम, 1981 के अनुसार, उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए?
(A) स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करना।
(B) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करना।
(C) समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित करना।
(D) इसके समान संख्या में वृक्षारोपण करना।

50. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति क्या है?
(A) निर्देश जारी करने की शक्ति, जिसमें किसी उद्योग को बंद करना या विद्युत/जल की आपूर्ति रोकना सम्मिलित है।
(B) जल के नमूने एकत्र करने की शक्ति।
(C) प्रदूषण नियंत्रण पर राज्य सरकारों को परामर्श देने की शक्ति।
(D) विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की शक्ति।

51. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, निर्दिष्ट जंगली जानवरों के शिकार को प्रतिबंधित करता है।
कारण (R): अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य देश के वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

52. ओजोन परत के क्षरण की वैश्विक समस्या मुख्य रूप से किसके उत्सर्जन के कारण होती है?
(A) कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन।
(B) सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड।
(C) सीसा (लेड) और पारा (मरकरी) जैसी भारी धातुएं।
(D) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हैलोन।

53. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात अधिनियमित किया गया था।
2. यह केंद्र सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है।

94. राजस्थान का 'बिश्नोई' समुदाय अपनी किस ऐतिहासिक और निरंतर परंपरा के लिए प्रसिद्ध है?
(A) सिंचाई के लिए बड़े बांध बनाना।
(B) झूम कृषि करना।
(C) मरुस्थलीय क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना।
(D) एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में वृक्षों (विशेष रूप से 'खेजड़ी') और जंगली जानवरों (जैसे 'काला हिरण') की रक्षा करना।

95. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सभी पशुओं और पौधों को सुरक्षित किया गया है, उन्हें किसमें सम्मिलित करके:
(A) अधिनियम की छह अनुसूचियों में
(B) अधिनियम के चार अध्यायों में
(C) अठारह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में
(D) राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में

96. ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) CFCs को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करना।
(B) ओजोन परत से संबंधित अनुसंधान, निगरानी और सूचना विनिमय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रुपरेखा तैयार करना।
(C) हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना।
(D) ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना करना।

97. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा यथा परिभाषित "पर्यावरणीय प्रदूषक" है:
(A) केवल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ।
(B) ऐसी सांद्रता में कोई भी पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हानिकारक होने की प्रवृत्ति रखता है।
(C) केवल घरों से उत्पन्न अपशिष्ट।
(D) कोई भी पदार्थ जो पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है।

98. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संरचना और कार्यों का विवरण किस अधिनियम में दिया गया है?
(A) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(B) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(C) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(D) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

99. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत निम्नलिखित वन श्रेणियों को सुरक्षा और प्रतिबंध के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. संरक्षित वन
2. ग्राम वन
3. आरक्षित वन
सही अनुक्रम चुनिए:
(A) 3, 1, 2
(B) 1, 2, 3
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

100. पर्यावरण कानून में 'अंतर-पीढ़ीगत समानता' (inter-generational equity) की अवधारणा का अर्थ है:
(A) वर्तमान पीढ़ी के सभी व्यक्तियों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का समान अधिकार है।
(B) पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित और विकासशील देशों का समान उत्तरदायित्व है।
(C) सभी जीवित प्रजातियों को जीवित रहने का समान अधिकार है।
(D) भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को न्यास (ट्रस्ट) में रखना और उन्हें सुरक्षित अवस्था में हस्तांतरित करना।

101. वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वायुमंडलीय प्रतिक्रिया के कारण होती है।
2. वैश्विक तापन मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है।
3. आवास विनाश और विखंडन से जैव विविधता की हानि तीव्र हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

102. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत निर्धारित दंड को एक सुदृढ़ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए अपर्याप्त माना गया था।
कारण (R): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में पांच वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सहित अधिक कठोर दंड का प्रावधान है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

63. भारत में गंगा और यमुना जैसी कुछ नदियों को पवित्र मानने की परंपरा ने ऐतिहासिक रूप से किसके लिए एक सांस्कृतिक तंत्र के रूप में कार्य किया है?
(A) उनके प्रदूषण को रोकना
(B) नदी परिवहन को बढ़ावा देना
(C) बांध निर्माण को प्रोत्साहित करना
(D) मत्स्य पालन अधिकारों को विनियमित करना

64. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिनियमन से पूर्व वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्राथमिक विधिक ढांचा था:
(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(B) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(D) ब्रिटिश औपनिवेशिक वन नीतियां

65. क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है?
(A) जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD)
(B) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
(C) ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(D) स्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन

66. निकटवर्ती विद्युत संयंत्र से अचानक उष्ण जल छोड़े जाने के कारण तालाब में बड़े पैमाने पर मछलियों की मृत्यु किसका उदाहरण है?
(A) तापीय प्रदूषण
(B) ध्वनि प्रदूषण
(C) सुपोषण (यूट्रोफिकेशन)
(D) वायु प्रदूषण

67. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (UNCED)
2. ब्रुंडलैंड आयोग की रिपोर्ट "अवर कॉमन फ्यूचर"
3. मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन
4. पेरिस समझौते को अपनाना

सही अनुक्रम चुनिए:
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 3, 2, 4

68. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत 'आरक्षित वनों' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं।
2. चराई और कृषि जैसी अधिकांश गतिविधियां तब तक निषिद्ध हैं जब तक कि विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।
3. वे अधिनियम में परिभाषित वन प्रकारों के बीच उच्चतम स्तर की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

69. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): 'साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्वों' (Common but Differentiated Responsibilities) का सिद्धांत स्वीकार करता है कि सभी देश पर्यावरणीय समस्याओं के लिए समान उत्तरदायित्व साझा नहीं करते हैं।
कारण (R): ऐतिहासिक रूप से, विकसित देशों ने वैश्विक पर्यावरणीय गिरावट में अधिक योगदान दिया है और उनके पास इसे दूर करने के लिए अधिक वित्तीय और तकनीकी क्षमता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

70. किसी क्षेत्र को 'अभयारण्य' घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है:
(A) केंद्र सरकार
(B) राज्य सरकार
(C) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
(D) जिला मजिस्ट्रेट

71. निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है?
(A) मृदा अपरदन
(B) जैव विविधता की हानि
(C) जल चक्र में व्यवधान
(D) ओजोन परत का क्षरण

72. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (कानून)
P. जल अधिनियम, 1974
Q. वायु अधिनियम, 1981
R. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
S. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

सूची II: (मुख्य प्रावधान/अवधारणा)
1. अम्ब्रेला (छतरी) कानून
2. पशु संरक्षण के लिए अनुसूचियां
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र
4. स्थापना/प्रचालन के लिए सहमति (Consent)

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4

किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

114. मृदा में अवांछित और हानिकारक पदार्थों, जैसे गैर-जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक और विषाक्त रसायनों के मिलने को क्या कहा जाता है?
(A) मृदा प्रदूषण
(B) मृदा अपरदन
(C) मृदा संरक्षण
(D) मृदा लवणीकरण

115. एक विकासकर्ता को राष्ट्रीय उद्यान के क्रोड (कोर) क्षेत्र में होटल बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह निषेध मुख्य रूप से किसके प्रावधानों के अंतर्गत उचित है:
(A) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(B) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(D) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894

116. "सतत विकास" की अवधारणा को औपचारिक रूप से प्रथम बार किसमें परिभाषित किया गया था:
(A) स्टॉकहोम घोषणा (1972)
(B) रियो घोषणा (1992)
(C) क्योटो प्रोटोकॉल (1997)
(D) ब्रुंडलैंड रिपोर्ट, "अवर Common Future" (1987)

117. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ने भारत में विद्यमान पर्यावरण कानूनों में कई कमियों को दूर किया।
कारण (R): यह केवल वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने वाला एक विशिष्ट कानून था।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

118. किस प्राचीन भारतीय परंपरा में भूमि के विशिष्ट भागों में वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सम्मिलित थी, जो प्रायः धार्मिक आधार पर होती थी?
(A) यज्ञ की प्रथा
(B) पवित्र उपवन (देवराय) का रखरखाव
(C) जाति व्यवस्था
(D) स्तूपों का निर्माण

119. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अनुसूची I, II, III और IV में सूचीबद्ध जानवरों के शिकार को प्रतिबंधित करता है।
2. यह प्रत्येक राज्य के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
3. इसमें पौधों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

120. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (पर्यावरण सिद्धांत)
P. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
Q. पूर्व-सावधानी सिद्धांत
R. सार्वजनिक न्यास सिद्धांत
S. पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत (Absolute Liability Principle)

सूची II: (उच्चतम न्यायालय का वाद जहाँ इसे प्रमुखता से लागू किया गया था)
1. वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ
2. एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ
3. इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ
4. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव मामला)

(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

121. 'अम्लीय वर्षा' का मुख्य कारण किसकी वायुमंडलीय उपस्थिति है?
(A) कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड
(B) मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन
(C) सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड
(D) धूल और कणिकीय पदार्थ

122. 1974 के जल अधिनियम के अंतर्गत, 'जलधारा' (stream) शब्द में सम्मिलित है:
(A) उपर्युक्त सभी
(B) केवल नदी और जलमार्ग
(C) केवल अंतर्देशीय जल और भूगर्भिक जल
(D) उस सीमा तक समुद्र या ज्वारीय जल जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे

परियोजना के संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
(A) पर्यावरण लेखापरीक्षा
(B) पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट
(C) पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
(D) पर्यावरण प्रबंधन योजना

186. मृदा में बैटरी पुनर्चक्रण कार्यशालाओं से सीसा (लेड) के उच्च स्तर की उपस्थिति किसका एक उदाहरण है?
(A) औद्योगिक मृदा प्रदूषण
(B) प्राकृतिक मृदा संरचना
(C) कृषि प्रदूषण
(D) रेडियोधर्मी संदूषण

187. निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का उद्देश्य नहीं है?
(A) जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा।
(B) अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का प्रबंधन।
(C) जंगली जानवरों और उनके उत्पादों के व्यापार का विनियमन और नियंत्रण।
(D) वन उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देना।

188. ब्रूंडलैंड आयोग का आधिकारिक नाम क्या था?
(A) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
(B) पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (WCED)
(C) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
(D) सतत भविष्य के लिए आयोग

189. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, राज्य सरकार को उत्सर्जन मानकों के संबंध में वाहन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार देता है।
कारण (R): यह अधिनियम राज्य सरकार को, SPCB के परामर्श से, यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि मोटर वाहनों से उत्सर्जन के मानकों का अनुपालन किया जाए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

190. यह अवधारणा कि मनुष्य प्रकृति का भाग हैं और प्राकृतिक विश्व का अपना आंतरिक मूल्य है, जो मनुष्यों के लिए उसकी उपयोगिता से स्वतंत्र है, किसके लिए केंद्रीय है:
(A) मानव-केंद्रितता
(B) तकनीक-केंद्रितता
(C) प्रजातिवाद
(D) पारिस्थितिकी-केंद्रितता

191. निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए:
1. प्रशीतकों और वायु अनुकूलकों में CFCs का उपयोग करना।
2. कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना।
3. कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों का व्यापक उपयोग।
उपर्युक्त मानवीय गतिविधियों में से कौन सी वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में योगदान देती है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

192. भारतीय वन अधिनियम, 1927 ने मुख्य रूप से क्या कार्य किया:
(A) स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाया।
(B) वनों, वन-उपज के पारगमन और लकड़ी तथा अन्य वन-उपज पर देय शुल्क से संबंधित कानून को समेकित किया।
(C) अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता सम्मेलनों को लागू किया।
(D) वन-सीमावर्ती गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया।

193. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी भारत में किस व्यापक पर्यावरण कानून के अधिनियमन के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक थी?
(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(B) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(C) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(D) सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

194. 'सतत विकास' शब्द को किसके पश्चात प्रमुखता प्राप्त हुई:
(A) 1987 में ब्रूंडलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन
(B) 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन
(C) 1995 में WTO की स्थापना
(D) 2007 में अर्थ ऑवर पहल

195. निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय प्रथा का उदाहरण है जिसने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया?
(A) व्यापक स्तर पर विवृत खदानों की स्थापना।
(B) संपूर्ण वनों को जलाने का वार्षिक अनुष्ठान।
(C) जलाशयों और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की प्रथा।
(D) सभी अपशिष्ट को नदियों में फेंकने की परंपरा।

196. पर्यावरण से खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है?
(A) जैव-आवर्धन (Biomagnification)
(B) जैव-उपचार (Bioremediation)

(B) घरेलू सीवेज
(C) जलीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण
(D) कृषि अपवाह

134. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): एक संशोधन के माध्यम से वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत ध्वनि को वायु प्रदूषक के रूप में सम्मिलित किया गया था।
कारण (R): इसने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने और लागू करने की अनुमति दी।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

135. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह केवल आरक्षित वनों और संरक्षित वनों पर लागू होता है।
2. यह वन भूमि के किसी भी गैर-वन उपयोग के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य बनाता है।
3. इसका उद्देश्य वनीकरण को बढ़ावा देकर वन भूमि की क्षति की क्षतिपूर्ति करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

136. एक व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति (परमिट) के राष्ट्रीय उद्यान से एक दुर्लभ ऑर्किड (एक निर्दिष्ट पादप) एकत्र करता हुआ पाया जाता है। यह कार्य किसके अंतर्गत एक अपराध है:
(A) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(B) भारतीय दंड संहिता, 1860
(C) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(D) पादप संगरोध आदेश, 2003

137. 'चिपको आंदोलन' मुख्य रूप से किस प्रकार की पर्यावरणीय कार्यवाही से संबद्ध है?
(A) बांध विरोधी विरोध
(B) वन्यजीव संरक्षण आंदोलन
(C) वन संरक्षण आंदोलन
(D) नदी स्वच्छता अभियान

138. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन)
P. UNFCCC
Q. CBD
R. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
S. स्टॉकहोम सम्मेलन

सूची II: (विषय वस्तु)
1. स्थायी जैविक प्रदूषक
2. ओजोन क्षयकारी पदार्थ
3. जलवायु परिवर्तन
4. जैविक विविधता

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

139. पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि को क्या कहा जाता है?
(A) ओजोन क्षरण
(B) अम्लीय वर्षा
(C) सुपोषण
(D) वैश्विक तापन

140. किस अधिनियम ने केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की?
(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(B) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(C) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(D) राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

141. भारत के कई भागों में 'पवित्र उपवन' (sacred groves) की सुरक्षा किसमें निहित एक पारंपरिक प्रथा का उदाहरण है:
(A) राज्य विधान
(B) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियां
(C) सामुदायिक विश्वास और प्रकृति के प्रति श्रद्धा
(D) वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्रों की आवश्यकता

142. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत 'आरक्षित वन' और 'संरक्षित वन' के बीच विधिक स्थिति में मूलभूत अंतर क्या है?
(A) 'आरक्षित वन' समुदाय के स्वामित्व में हैं जबकि 'संरक्षित वन' राज्य के स्वामित्व में हैं।
(B) 'आरक्षित वन' वन्यजीवों के लिए हैं जबकि 'संरक्षित वन' लकड़ी निष्कर्षण के लिए हैं।
(C) दोनों के बीच कोई विधिक अंतर नहीं है।
(D) 'आरक्षित वनों' में, सब कुछ निषिद्ध है जब तक कि अनुमति न दी जाए; 'संरक्षित वनों' में, इसके विपरीत लागू होता है।

143. "अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान" (INDCs) किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का एक प्रमुख घटक है?
(A) पेरिस समझौता

एकमात्र कारण के रूप में कार्य करता है।
(D) यह पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता और आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की क्षति का कारण बन सकता है।

165. प्राचीन भारत में "स्मृतियों" और "धर्मशास्त्रों" में ऐसे निर्देश सम्मिलित थे जो:
(A) तीव्र औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करते थे।
(B) मनोरंजन के लिए सभी पशुओं के शिकार को बढ़ावा देते थे।
(C) हरे वृक्षों की कटाई को दंडनीय अपराध बनाते थे।
(D) सभी वनों को कृषि भूमि में परिवर्तित करने की वकालत करते थे।

166. एक रासायनिक कारखाना गुप्त रूप से अपने विषाक्त अपशिष्ट को भूमि के नीचे दबा देता है, जो कालांतर में भूजल में रिस जाता है और निकटवर्ती ग्राम के कुओं को दूषित कर देता है। यह किसका प्रकरण है:
(A) वायु और ध्वनि प्रदूषण
(B) मृदा और जल प्रदूषण
(C) तापीय और रेडियोधर्मी प्रदूषण
(D) प्रकाश और दृश्य प्रदूषण

167. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 केवल पांच धाराओं वाला एक बहुत संक्षिप्त अधिनियम है।
कारण (R): अपनी संक्षिप्तता के उपरांत भी, यह कानून का एक अत्यंत प्रभावी भाग है जिसने वन परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य करके वनों की कटाई की दर को अत्यधिक मंद कर दिया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

168. किस निकाय को जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विषय पर केंद्र सरकार को परामर्श देने का अधिकार है?
(A) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(B) राष्ट्रीय हरित अधिकरण
(C) नीति आयोग
(D) भारत का विधि आयोग

169. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना करता है।
(B) यह अनुसूचित पशुओं से निर्मित वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबंधित करता है।
(C) यह किसी भी पादप प्रजाति के संरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।
(D) यह राज्य सरकारों को एक निर्दिष्ट क्षेत्र और अवधि के लिए किसी भी जंगली जानवर को 'हानिकारक जीव' घोषित करने की अनुमति देता है।

170. "ग्रीनहाउस प्रभाव" एक प्राकृतिक घटना है, परंतु मानवीय गतिविधियों द्वारा इसका बढ़ना वैश्विक तापन का कारण बन रहा है। यह वृद्धि मुख्य रूप से किसकी बढ़ती सांद्रता के कारण है:
(A) कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड
(B) द्विपरमाणुक ऑक्सीजन और वायुमंडलीय नाइट्रोजन
(C) सल्फर डाइऑक्साइड और विभिन्न कणिकीय पदार्थ
(D) समतापमंडलीय ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन

171. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जल अधिनियम, 1974, दो या दो से अधिक सन्निहित राज्यों के लिए एक संयुक्त बोर्ड का प्रावधान करता है।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य सरकारों से पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
3. बोर्डों को विश्लेषण के लिए अपशिष्टों के नमूने लेने का अधिकार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

172. प्रकृति को माता मानने की प्राचीन भारतीय अवधारणा ("माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" - भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं) कहाँ से उत्पन्न हुई है?
(A) कौटिल्य का अर्थशास्त्र
(B) अथर्ववेद
(C) मनुस्मृति
(D) न्याय दर्शन

173. वनों का 'आरक्षित', 'संरक्षित' और 'ग्राम' वनों में वर्गीकरण किसकी एक प्रमुख विशेषता है:
(A) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(B) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(C) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(D) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

174. "प्रदूषक भुगतान" (Polluter Pays) के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घोषणा में सम्मिलित किया गया था?
(A) स्टॉकहोम घोषणा (1972)
(B) जोहान्सबर्ग घोषणा (2002)
(C) हेलसिंकी नियम (1966)
(D) रियो घोषणा (1992)

154. वह सिद्धांत कि "वर्तमान पीढ़ी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण के स्वास्थ्य, विविधता और उत्पादकता को भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए बनाए रखा या बढ़ाया जाए" किस रूप में जाना जाता है:
(A) अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत
(B) प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
(C) पूर्व-सावधानी सिद्धांत
(D) सार्वजनिक न्यास सिद्धांत

155. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (प्राचीन परंपरा/अवधारणा)
P. गंगा नदी की पूजा
Q. बिश्नोई समुदाय के सिद्धांत
R. पंचभूत अवधारणा
S. अशोक के शिलालेख
सूची II: (पर्यावरणीय महत्व)
1. राज्य प्रायोजित संरक्षण और पशु कल्याण
2. मनुष्यों और प्रकृति के पांच तत्वों के बीच अभिन्न संबंध
3. श्रद्धा के माध्यम से जल निकाय की सुरक्षा
4. वृक्षों और पशुओं की रक्षा के लिए धार्मिक सिद्धांत
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

156. शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप भूमि का अवक्रमण क्या कहलाता है?
(A) वनों की कटाई
(B) मरुस्थलीकरण
(C) अम्लीकरण
(D) सुपोषण

157. वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत किसी चिमनी या डक्ट से वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने का अधिकार किसके पास है?
(A) कोई भी पुलिस अधिकारी
(B) केवल उद्योग का स्वामी
(C) इस संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति
(D) जिला मजिस्ट्रेट

158. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत 'संरक्षित वनों' (Protected Forests) के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) वे क्षेत्र जहाँ मानवीय गतिविधियां निषिद्ध हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति के समान हैं।
(B) सतत कटाई के लिए विशेष रूप से स्थानीय ग्राम समुदायों द्वारा प्रबंधित वन भूमि।
(C) वन श्रेणियां जो अधिनियम के अंतर्गत विधिक रूप से 'आरक्षित वनों' के समान हैं।
(D) राज्य के वे वन जहाँ सरकार वृक्षों को आरक्षित कर सकती है और कुछ कार्यों को निषिद्ध कर सकती है।

159. 'स्वच्छ विकास तंत्र' (Clean Development Mechanism - CDM) किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत स्थापित एक तंत्र था?
(A) क्योटो प्रोटोकॉल
(B) पेरिस समझौता
(C) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(D) रियो घोषणा

160. पीपल और बरगद जैसे कुछ वृक्षों को न काटने का भारतीय रिवाज पारंपरिक किसका एक रूप है:
(A) कृषि वानिकी
(B) प्रजाति संरक्षण
(C) सामाजिक वानिकी
(D) व्यावसायिक वानिकी

161. "पर्यावरण प्रदूषण" शब्द का अर्थ है पर्यावरण में किसकी उपस्थिति:
(A) प्राकृतिक पदार्थ
(B) पर्यावरणीय प्रदूषक
(C) जीवित जीव
(D) ऊर्जा का रूप

162. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के निर्माण का प्रावधान करता है।
कथन II: राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों दोनों में सुरक्षा का स्तर और मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध समान है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

163. स्टॉकहोम सम्मेलन घोषणा के उत्तर में भारत में प्राथमिक विधायी प्रतिक्रिया किसका अधिनियमन था:
(A) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(B) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(C) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(D) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

164. जैव विविधता की हानि एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि:
(A) यह परिदृश्य के सौंदर्य मूल्य और मनोरंजक क्षमता को अत्यधिक कम कर देता है।
(B) यह एक पारिस्थितिक विषय है जो मुख्य रूप से केवल विकासशील और कृषि प्रधान देशों को प्रभावित करता है।
(C) यह तीव्र मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष और

(B) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताएँ
(C) विकासात्मक और पर्यावरणीय चिंताएँ
(D) ग्रामीण और शहरी चिंताएँ

206. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह किसी भी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान नहीं करता है।
(B) यह केवल दिल्ली और मुंबई में लागू है।
(C) यह विशेष रुप से आंतरिक वायु गुणवत्ता से संबंधित है।
(D) यह ध्वनि को सम्मिलित करने के लिए 'वायु प्रदूषक' को परिभाषित करता है।

207. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'पर्यावरण' की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है?
(A) भूमि और अंतरिक्ष
(B) जल और वायु
(C) मनुष्य, अन्य जीवित प्राणी, पादप
(D) उपर्युक्त घटकों के बीच अंतःसंबंध

208. कई भारतीय घरों में 'तुलसी' के पौधे की पूजा और उसे आंगनों में लगाने का रिवाज किसका एक उदाहरण है?
(A) आवासीय उद्यानों में सजावटी उद्देश्यों के लिए एक विशुद्ध रूप से सौंदर्य अभ्यास।
(B) पौधे के औषधीय और वायु-शोधन मूल्य के साथ धार्मिक पवित्रता को जोड़ने वाली परंपरा।
(C) महानगरों में लघु स्तर पर शहरी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी योजना।
(D) मानसून और शीत ऋतु में विशिष्ट घरेलू कीटों को भगाने की विधि।

209. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय उद्यान' का गठन किसके संरक्षण, प्रसार या विकास के उद्देश्य से किया जाता है:
(A) कृषि फसलें
(B) वन्यजीव या उसका वातावरण
(C) औद्योगिक अवसंरचना
(D) मानव बस्तियां

210. 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह मानव पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था।
2. इसके कारण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का गठन हुआ।
3. भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निर्धनता और पर्यावरण को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भाषण दिया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

211. 'पर्यावरणीय प्रदूषक' शब्द को किसके अंतर्गत परिभाषित किया गया है:
(A) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(B) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(C) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(D) भारतीय दंड संहिता, 1860

212. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, 'गैर-वन उद्देश्य' का अर्थ पुनर्वनीकरण के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी वन भूमि को तोड़ना या साफ करना है।
कथन II: चाय, कॉफी या रबर की खेती को अधिनियम के अंतर्गत 'गैर-वन उद्देश्य' माना जाता है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

213. एक कार का परीक्षण किया जाता है और पाया जाता है कि वह निर्धारित मानकों से अधिक धुआं उत्सर्जित कर रही है। यह किस मुख्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है?
(A) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(B) सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
(C) मोटर वाहन अधिनियम, 1988, पर्यावरण और वायु अधिनियमों के साथ।
(D) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

214. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) किसके प्रमुख परिणामों में से एक था:
(A) स्टॉकहोम सम्मेलन (1972)
(B) रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992)
(C) वियना कन्वेंशन (1985)
(D) क्योटो प्रोटोकॉल (1997)

215. चिकित्सा की प्राचीन भारतीय पद्धति, आयुर्वेद, मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है:
(A) संश्लेषित रसायन
(B) आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव
(C) आयातित फार्मास्युटिकल औषधियां
(D) पादप और जड़ी-बूटियां, जो जैव विविधता के गहन ज्ञान को उजागर करती हैं

216. इनमें से कौन सी एक 'वैश्विक' पर्यावरणीय समस्या है, जिसका अर्थ है कि इसके कारण और प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं हैं?
(A) समतापमंडलीय ओजोन क्षरण
(B) एक ही कारखाने से स्थानीय नदी प्रदूषण

175. पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन को व्यापक रूप से क्या कहा जाता है?
(A) पर्यावरण प्रदूषण
(B) पर्यावरणीय अवनयन
(C) पारिस्थितिक अनुक्रमण
(D) जलवायु भिन्नता

176. वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्ति या कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना।
(B) राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और प्रबंधन करना।
(C) वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का निरीक्षण करना।
(D) औद्योगिक संयंत्रों से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानक स्थापित करना।

177. भारत में 'चिपको आंदोलन', 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' और 'साइलेंट वैली आंदोलन' किसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं?
(A) सरकार प्रायोजित संरक्षण परियोजनाएं।
(B) नागरिकों के नेतृत्व में जमीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलन।
(C) औद्योगिक प्रदूषण उपशमन पहल।
(D) वन्यजीव व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

178. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (प्राधिकरण/निकाय)
P. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Q. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
R. राष्ट्रीय हरित अधिकरण
S. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सूची II: (अध्यक्ष)
1. प्रधानमंत्री
2. एक पूर्णकालिक अध्यक्ष जिसे पर्यावरणीय विषयों का विशेष ज्ञान हो
3. राज्य सरकार द्वारा नामित एक पूर्णकालिक या अंशकालिक अध्यक्ष
4. उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

179. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसने:
(A) देश के सभी निजी वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।
(B) 'सामुदायिक वन' नामक वनों का एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया।
(C) वन परिवर्तन (diversion) के अधिकार को राज्य सरकारों से केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया।
(D) मुख्य रूप से दावानल की रोकथाम से संबंधित है।

180. क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(A) सभी जीवाश्म ईंधनों के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाना।
(B) विकासशील देशों में जैव विविधता संरक्षण परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
(C) ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।
(D) औद्योगिक देशों को उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने और कम करने के लिए प्रतिबद्ध करना।

181. वह घटना क्या है जहाँ मानवीय गतिविधि के कारण जल निकाय का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?
(A) लवणीकरण
(B) सुपोषण
(C) तापीय प्रदूषण
(D) अम्लीकरण

182. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वेदों और उपनिषदों में कई संदर्भ हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य पर बल देते हैं।
कथन II: कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित आर्थिक नीतियों ने पर्यावरणीय चिंताओं की पूर्णतः उपेक्षा की।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

183. अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को किसके अंतर्गत दी गई है:
(A) केवल भारतीय संविधान।
(B) केवल भारतीय दंड संहिता।
(C) केवल कारखाना अधिनियम, 1948।
(D) जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981।

184. किसी क्षेत्र को 'बाघ आरक्षित क्षेत्र' (Tiger Reserve) घोषित करने का उद्देश्य बाघों और उनके आवास का संरक्षण करना है। यह एक विशेष स्तर है जो प्रायः विद्यमान किसको दिया जाता है:
(A) राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य
(B) ग्राम की साझा भूमि
(C) निजी चाय बागान
(D) औद्योगिक क्षेत्र

185. एक कंपनी एक बड़ा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था पर इस

123. भारतीय रीति-रिवाजों में गाय, सर्प (नाग) और वानर जैसे पशुओं की पूजा को किसका एक पारंपरिक रुप माना जा सकता है?
(A) कीट नियंत्रण
(B) पालतू बनाने का अभ्यास
(C) बिना किसी संरक्षण मूल्य के अंधविश्वासी अनुष्ठान
(D) प्रजाति संरक्षण

124. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को 'राष्ट्रीय उद्यान' घोषित करने का मूलभूत उद्देश्य है:
(A) पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
(B) वन्यजीवों या उनके पर्यावरण की सुरक्षा, संवर्धन या विकास करना।
(C) वन उपज के सतत निष्कर्षण की अनुमति देना।
(D) सुदूर क्षेत्रों में औद्योगिक संपदा स्थापित करना।

125. जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के लिए केंद्रीय "साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व" सिद्धांत का अर्थ है:
(A) इतिहास की उपेक्षा करते हुए सभी देशों को समान प्रतिशत तक उत्सर्जन कम करना चाहिए।
(B) पर्यावरणीय कार्यवाही विकासशील और उभरते देशों का विशेष उत्तरदायित्व है।
(C) सभी देश उत्तरदायित्व साझा करते हैं, परंतु ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण विकसित देशों को नेतृत्व करना चाहिए।
(D) पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की चिंता हैं।

126. आक्रामक विदेशी प्रजातियों का आगमन किसके लिए एक बड़ा संकट है?
(A) सांस्कृतिक विरासत
(B) राष्ट्रीय सुरक्षा
(C) आर्थिक मुद्रास्फीति
(D) देशी जैव विविधता

127. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश देने की शक्ति में निम्नलिखित को निर्देशित करने की शक्ति सम्मिलित है:
(A) (A) और (B) दोनों।
(B) किसी भी उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया को बंद करना, प्रतिबंधित करना या विनियमित करना।
(C) विद्युत या जल या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना।
(D) न तो (A) और न ही (B)।

128. निम्नलिखित कानूनों को उनके अधिनियमन के वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए:
1. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम
2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम
3. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम
4. जैविक विविधता अधिनियम

सही अनुक्रम चुनिए:
(A) 3, 1, 4, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 4, 3, 2

129. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: भारतीय वन अधिनियम, 1927 एक औपनिवेशिक युग का कानून है जो मुख्य रूप से वनों पर राज्य के नियंत्रण और उनके व्यावसायिक दोहन पर केंद्रित है।
कथन II: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 वन भूमि के परिवर्तन को प्रतिबंधित करके संरक्षण की दिशा में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

130. अशोक के स्तंभ, उनके शिलालेखों के साथ जो धम्म और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को बढ़ावा देते हैं, किसके प्रमाण हैं:
(A) पर्यावरणीय कल्याण सहित नैतिक आचरण को बढ़ावा देने में राज्य की प्रारंभिक भूमिका।
(B) धातु विज्ञान में प्राचीन भारतीय उपलब्धियां।
(C) मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति।
(D) प्राचीन व्यापार मार्गों का विकास।

131. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 'वन्यजीव' (wildlife) शब्द में सम्मिलित है:
(A) विधिक रूप से नामित वन क्षेत्रों के भीतर पाई जाने वाली केवल विशिष्ट स्तनधारी और पक्षी प्रजातियां।
(B) केवल वे स्तनधारी प्रजातियां जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध हैं।
(C) कोई भी पशु, पादप आवास का सदस्य, या जलीय वनस्पति जिसमें मधुमक्खियां, तितलियां और क्रस्टेशिया सम्मिलित हैं।
(D) कृषि उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त पालतू पशुओं और व्यावसायिक पशुधन की सभी किस्में।

132. रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) में अपनाई गई सतत विकास के लिए मुख्य कार्य योजना को किस रूप में जाना जाता है?
(A) क्योटो प्रोटोकॉल
(B) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(C) पेरिस समझौता
(D) एजेंडा 21

133. निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत नहीं है?
(A) औद्योगिक अपशिष्ट

(C) जैव विविधता
(D) जैव-संचय (Bioaccumulation)

197. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए वित्तीय संसाधन सृजित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
कथन II: यह अधिनियम कुछ उद्योगों को चलाने वाले व्यक्तियों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपभोग किए जाने वाले जल पर उपकर (cess) आरोपित करता है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

198. 'आरक्षित वनों' (Reserved Forests) से संबंधित विधिक प्रावधान 'संरक्षित वनों' (Protected Forests) की तुलना में अधिक कठोर हैं क्योंकि:
(A) आरक्षित वनों में सदैव अधिक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान सागौन और चंदन की लकड़ी होती है।
(B) आरक्षित वनों में मानवीय गतिविधियाँ निषिद्ध हैं जब तक कि उनकी स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।
(C) आरक्षित वनों में विशिष्ट गतिविधियों की अनुमति है जबकि अन्य में कड़ाई से निषिद्ध है।
(D) आरक्षित वनों में गतिविधियाँ निषिद्ध हैं जबकि संरक्षित क्षेत्रों में विशेष रूप से अनुमत हैं।

199. जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में वैश्विक तापमान वृद्धि को किससे काफी नीचे रखना है:
(A) पूर्व-औद्योगिक काल के दौरान दर्ज किए गए स्तरों से ठीक 3.0°C ऊपर।
(B) पूर्व-औद्योगिक काल के दौरान दर्ज किए गए स्तरों से ठीक 1.0°C ऊपर।
(C) पूर्व-औद्योगिक काल के दौरान दर्ज किए गए स्तरों से ठीक 0.5°C ऊपर।
(D) पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C ऊपर, जबकि वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने का लक्ष्य रखना।

200. प्राचीन भारत में 'धर्म' की अवधारणा में सम्मिलित था:
(A) नैतिक आचरण जिसमें जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान सम्मिलित था।
(B) एक विशिष्ट स्थानीय समुदाय के भीतर ईश्वर और परिवार के सदस्यों के प्रति मानकीकृत कर्तव्य।
(C) बिना किसी सीमा के सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अंतर्निहित अधिकार।
(D) राज्य की सीमाओं के भीतर वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन के लिए एक कठोर संहिता।

201. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ने भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए विधिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।
कारण (R): 1972 से पूर्व, वन्यजीवों की सुरक्षा राज्य सरकारों का विषय था और कानून समान या प्रभावी नहीं थे।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

202. आवासीय क्षेत्र में संपूर्ण दिवस 85 dB से अधिक कारखाने की निरंतर ध्वनि किसका एक स्पष्ट उदाहरण है?
(A) ध्वनि प्रदूषण
(B) जल प्रदूषण
(C) वायु प्रदूषण
(D) भूमि प्रदूषण

203. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (कानून)
P. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
Q. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
R. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
S. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
सूची II: (प्राथमिक उद्देश्य)
1. जीव-जंतुओं और वनस्पतियों तथा उनके आवासों का संरक्षण
2. सामान्य और व्यापक पर्यावरण संरक्षण
3. वन भूमि के परिवर्तन की रोकथाम
4. जल संदूषण की रोकथाम और नियंत्रण
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

204. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना किससे संबंधित विषयों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी:
(A) सभी नागरिक विवाद
(B) पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
(C) सभी आपराधिक मामले
(D) कॉर्पोरेट और वाणिज्यिक कानून

205. सतत विकास के सिद्धांत को किन दो चिंताओं के एकीकरण की आवश्यकता है?
(A) राजनीतिक और सांस्कृतिक चिंताएँ

(B) क्योटो प्रोटोकॉल
(C) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(D) एजेंडा 21

144. डेसीबल (dB) किसकी तीव्रता को मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है?
(A) ऊष्मा
(B) ध्वनि
(C) प्रकाश
(D) रेडियोधर्मिता

145. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, एक विशिष्ट कानून है जो केवल खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है।
कथन II: यह अधिनियम एक अम्ब्रेला (छतरी) कानून है जो केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यापक उपाय करने का अधिकार देता है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

146. एक कारखाना जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के उपरांत भी नदी में प्रदूषक छोड़ना जारी रखता है, उस पर किसके अंतर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है:
(A) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(B) केवल भारतीय दंड संहिता
(C) कारखाना अधिनियम, 1948
(D) कंपनी अधिनियम, 2013

147. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है?
(A) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) भारत के प्रधानमंत्री
(D) उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश

148. ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए बनाई गई प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है:
(A) क्योटो प्रोटोकॉल
(B) पेरिस समझौता
(C) बेसल कन्वेंशन
(D) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

149. भारतीय दर्शन में 'अहिंसा' की अवधारणा, विशेष रूप से जैन और बौद्ध धर्म में, किसके प्रति करुणा और सुरक्षा का विस्तार करती है:
(A) केवल मनुष्य
(B) केवल पालतू पशु
(C) पशुओं और पौधों सहित सभी जीवित प्राणी
(D) केवल अपने समुदाय के सदस्य

150. निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है जो वैश्विक तापन में योगदान देती है?
(A) कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
(B) ऑक्सीजन (O_2)
(C) मीथेन (CH_4)
(D) नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)

151. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए
कथन (A): कोई भी व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपराध के संबंध में न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता है।
कारण (R): अधिनियम यह आवश्यक बनाता है कि व्यक्ति को शिकायत दर्ज करने से पूर्व केंद्र सरकार या सक्षम प्राधिकारी को न्यूनतम साठ दिनों का नोटिस देना होगा।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

152. किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार किसी क्षेत्र को 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' घोषित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकती है?
(A) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(B) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(C) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(D) भारतीय वन अधिनियम, 1927

153. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुसूची I और अनुसूची II का भाग II उच्चतम सुरक्षा वाले पशुओं को सूचीबद्ध करता है।
2. अनुसूची V उन पशुओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें 'हानिकारक जीव' (वर्मिन) माना जाता है और जिनका शिकार किया जा सकता है।
3. अनुसूची VI उन निर्दिष्ट पादपों को सूचीबद्ध करती है जिनकी खेती और व्यापार निषिद्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

(C) निर्माण स्थल से होने वाली ध्वनि
(D) नगर में अपशिष्ट का अनुचित निपटान

217. जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का मुख्य कार्य क्या है?
(A) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना।
(B) बांध और जलाशय निर्मित करना।
(C) राज्य के भीतर जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना।
(D) राज्य के वन संसाधनों का प्रबंधन करना।

218. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अनुसूची V में सूचीबद्ध पशुओं को क्या कहा जाता है?
(A) हानिकारक जीव (वर्मिन)
(B) संकटग्रस्त प्रजातियां
(C) विलुप्त प्रजातियां
(D) निर्दिष्ट पादप

219. 'सतत विकास' की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय नीति में केंद्रीय स्थान किसमें प्रदान किया गया था:
(A) द्वितीय विश्व युद्ध की शांति संधियां।
(B) ब्रेटन वुड्स सम्मेलन।
(C) वित्तीय स्थिरता पर G-20 बैठकें।
(D) 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन।

220. भारतीय संस्कृति में हिमालय जैसे पर्वतों के प्रति श्रद्धा क्या दर्शाती है?
(A) उन पर विजय और उनके दोहन की इच्छा।
(B) उन्हें सम्मान के योग्य पवित्र, सजीव सत्ताओं के रूप में देखना।
(C) केवल सामरिक सैन्य स्थानों के रूप में उनकी उपयोगिता।
(D) भूविज्ञान की वैज्ञानिक समझ का अभाव।

221. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास व्यापक शक्तियां हैं।
कारण (R): इन शक्तियों में पर्यावरणीय मानक निर्धारित करना, औद्योगिक स्थानों को प्रतिबंधित करना और प्रदूषकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करना सम्मिलित है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

222. एक आवासीय कॉलोनी के सीवेज तंत्र से निकटवर्ती नदी में होने वाले विसर्जन को किस प्रकार के प्रदूषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
(A) औद्योगिक प्रदूषण
(B) कृषि प्रदूषण
(C) प्राकृतिक प्रदूषण
(D) घरेलू या नगरपालिका प्रदूषण

223. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उद्देश्य क्या रोकना है?
(A) अधिकारियों द्वारा गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का अंधाधुंध परिवर्तन।
(B) वन उपज की तस्करी।
(C) व्यक्तियों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण।
(D) दावानल का प्रसार।

224. 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए बनाया गया एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है:
(A) विशेष रूप से अत्यधिक विकसित और औद्योगिक देशों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना।
(B) इसके वैश्विक क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना।
(C) संरक्षित क्षेत्रों के विश्वव्यापी नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करना।
(D) खतरनाक रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन और निपटान को रोकना।

225. निम्नलिखित में से कौन भारत में पारंपरिक जल संचयन प्रणाली नहीं है, जो जल संरक्षण में प्राचीन ज्ञान को दर्शाती है?
(A) राजस्थान में जोहड़
(B) रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) संयंत्र
(C) बिहार में अहार-पाइन
(D) लद्दाख में ज़िंग

226. भारत के पर्यावरण कानूनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जल अधिनियम और वायु अधिनियम मुख्य रूप से 'कमांड-एंड-कंट्रोल' कानून हैं।
2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम उत्पाद और प्रक्रिया मानक निर्धारित करने की अनुमति देता है।
3. वन्यजीव अधिनियम आवास सुरक्षा और प्रजाति संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

227. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियाँ हैं और वह कार्य करता है?
(A) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(B) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(C) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
(D) खान और खनिज अधिनियम, 1957

248. निम्नलिखित में से कौन सी 'ग्रीनहाउस गैस' नहीं है?
(A) आर्गन
(B) कार्बन डाइऑक्साइड
(C) मीथेन
(D) जल वाष्प

249. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करना राज्य सरकार द्वारा किसके माध्यम से किया जाता है:
(A) न्यायालय का आदेश
(B) केंद्र सरकार का निर्देश
(C) अधिसूचना
(D) सार्वजनिक जनमत संग्रह

250. भारतीय पर्यावरण कानून में लागू 'सार्वजनिक न्यास सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) का तात्पर्य है कि:
(A) राज्य को सामान्य जनता के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए।
(B) जनता को सरकार की सभी कार्यवाहियों के विषय में जानने का अधिकार है।
(C) निजी संपत्ति के अधिकार पूर्ण हैं और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियमित नहीं किया जा सकता।
(D) सभी न्यासों और धर्मार्थ संस्थाओं को पर्यावरण परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए।

251. निम्नलिखित में से कौन जल अधिनियम, 1974 की 'क्षमता-आधारित' समझ का सर्वोत्तम उदाहरण है?
(A) यह जानना कि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था।
(B) अधिनियम की धाराओं की संख्या को स्मरण करना।
(C) CPCB के सभी पूर्व अध्यक्षों के नाम सूचीबद्ध करना।
(D) यह पहचानना कि एक SPCB विश्लेषण के लिए कारखाने के अपशिष्ट के नमूने ले सकता है।

252. प्राचीन ग्रंथ 'चरक संहिता' पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सम्मिलित है:
(A) वन प्रशासन के नियम।
(B) विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों का विस्तृत विवरण।
(C) शिकार के लिए पशुओं का वर्गीकरण।
(D) प्रासाद निर्माण के लिए वास्तुशिल्प सिद्धांत।

253. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 सभी वनों पर लागू होता है, चाहे उनका स्वामित्व किसी का भी हो।
कथन II: यह अधिनियम वनों की कटाई की समस्या को रोकने के लिए पारित किया गया था जो चिंताजनक दर से हो रही थी।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

254. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह की सतह से तापीय विकिरण वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और पुनः विकीर्ण किया जाता है, क्या कहलाती है:
(A) ओजोन क्षरण प्रभाव
(B) अल्बेडो प्रभाव
(C) कोरिओलिस प्रभाव
(D) ग्रीनहाउस प्रभाव

255. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, किस औद्योगिक आपदा के तत्काल पश्चात लागू हुआ?
(A) भोपाल गैस त्रासदी
(B) चेरनोबिल परमाणु आपदा
(C) लव कैनाल घटना
(D) मिनामाता रोग का प्रकोप

256. निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है?
(A) लाउडस्पीकरों से अत्यधिक शोर।
(B) अनुमति के साथ अपने निजी उद्यान में एक वृक्ष काटना।
(C) नदी में विषैले कीचड़ का विसर्जन।
(D) डीजल जनित्र से सघन काला धुआं निकलना।

257. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत 'ग्राम वन' गठित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) राज्य सरकार के लिए एक व्यावसायिक लकड़ी का बागान बनाना।
(B) आरक्षित वन भूमि पर ग्राम समुदाय को अधिकार सौंपना।
(C) संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र बनाना।
(D) वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना करना।

258. 'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' (precautionary principle) और 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (polluter pays principle) किसकी आवश्यक विशेषताएं हैं:
(A) सतत विकास की अवधारणा
(B) पूर्ण उत्तरदायित्व की अवधारणा
(C) सार्वजनिक उपद्रव का सिद्धांत
(D) राज्य संप्रभुता का सिद्धांत

259. प्राचीन शास्त्रों में यह निर्देश, "जो किसी जीवित प्राणी को मारता है या क्षति पहुँचाता है, उसे प्रायश्चित करना चाहिए", किसकी संस्कृति को दर्शाता है:
(A) आर्थिक विकास
(B) औद्योगिक विकास
(C) जीवन के प्रति श्रद्धा और उत्तरदायित्व
(D) सैन्य विस्तार

(A) कोई अंतर नहीं है; दोनों शब्द पर्यायवाची हैं।
(B) मौसम दीर्घकालिक वायुमंडलीय पैटर्न को संदर्भित करता है, जबकि जलवायु अल्पकालिक है।
(C) जलवायु का अध्ययन भूवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, जबकि मौसम का अध्ययन जीवविज्ञानी करते हैं।
(D) जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक औसत मौसम पैटर्न को संदर्भित करती है, जबकि मौसम वायुमंडल की अल्पकालिक अवस्था है।

239. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किस अनुसूची के पशु का शिकार पूर्णतः निषिद्ध है?
(A) अनुसूची I
(B) अनुसूची IV
(C) अनुसूची V
(D) अनुसूची VI

240. यह दर्शन कि सभी जीवन रूपों को जीवित रहने का अंतर्निहित अधिकार है, क्या कहलाता है:
(A) मानव-केंद्रितता
(B) जैव-केंद्रितता
(C) तकनीक-केंद्रितता
(D) आर्थिक तर्कसंगतता

241. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां और कार्य वायु अधिनियम, 1981 तक भी विस्तारित हैं।
कारण (R): वायु अधिनियम, 1981 स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि जल अधिनियम के अंतर्गत गठित केंद्रीय बोर्ड वायु अधिनियम के अंतर्गत वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

242. भारतीय उच्चतम न्यायालय ने "स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार" की व्याख्या किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में की है?
(A) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
(B) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
(C) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19)
(D) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

243. राजमार्ग निर्माण के लिए वन को साफ करना वन भूमि का किसके लिए उपयोग करने का एक उदाहरण है:
(A) वन उद्देश्य
(B) वनीकरण उद्देश्य
(C) गैर-वन उद्देश्य
(D) वन-संवर्धन उद्देश्य

244. रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत जैविक विविधता पर सम्मेलन (CBD) के कौन से तीन मुख्य उद्देश्य हैं?
(A) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, CFCs को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना और अम्लीय वर्षा को रोकना।
(B) संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करना, आर्द्रभूमि का प्रबंधन करना और प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण करना।
(C) मरुस्थलीकरण को रोकना, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना और खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन करना।
(D) जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक लाभों का उचित साझाकरण।

245. मंदिरों में 'नवग्रह वन' (9 ग्रहों से संबद्ध 9 वृक्षों का उद्यान) लगाने और उसकी पूजा करने की परंपरा एक प्राचीन प्रथा है जो किसको बढ़ावा देती है:
(A) एक-फसली वृक्षारोपण (मोनोकल्चर)
(B) विदेशी प्रजातियों का आगमन
(C) जैव विविधता संरक्षण
(D) व्यावसायिक वानिकी

246. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 किसी क्षेत्र को आरक्षित या संरक्षित वन घोषित करने के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है।
2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 ऐसे घोषित वनों के अनारक्षण को प्रतिबंधित करता है।
3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 इन वनों के भीतर जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा इन कानूनों के अंतःसंबंध को दर्शाता है?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

247. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, किसी भी पदार्थ के संबंध में 'संचालन' (handling) शब्द का अर्थ है:
(A) केवल पदार्थ का विनिर्माण।
(B) केवल पदार्थ का परिवहन।
(C) केवल पदार्थ का अंतिम निपटान।
(D) ऐसे पदार्थ का निर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, विक्रय प्रस्ताव, हस्तांतरण या इसी प्रकार का कोई कार्य।

नियंत्रण के मानक इसी आधार पर निर्धारित किए जाते हैं ताकि हानिकारक प्रभाव न्यूनतम रहें।

11. (D) 1, 2 और 3
प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण जीवनशैली का अभिन्न अंग था। नदियों, वृक्षों और पशुओं की पूजा प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाती थी। धर्म के अंतर्गत प्रकृति के प्रति कर्तव्यों का पालन अनिवार्य माना जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पर्यावरणीय अपराधों, जैसे वृक्ष काटने, हेतु कठोर आर्थिक दंड का प्रावधान था। ये सभी तत्व दर्शाते हैं कि प्राचीन समाज में पारिस्थितिक संतुलन को महत्व दिया जाता था।

12. (B) जल प्रदूषण
नदी में अनुपचारित सीवेज का विसर्जन जल की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह क्रिया जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव श्वसन नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति जल प्रदूषण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रदूषण के इस रूप का मानव स्वास्थ्य और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

13. (C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम : 1986
भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था, न कि 1986 में। वर्ष 1986 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम पारित किया गया। जल अधिनियम 1974 में और वायु अधिनियम 1981 में लागू हुए। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में अस्तित्व में आया। इन कानूनों के सही वर्षों का ज्ञान भारत की पर्यावरणीय कानूनी संरचना को समझने हेतु अत्यंत आवश्यक है।

14. (A) 1, 2, 3, 4
भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार पारित किया गया। सर्वप्रथम 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम आया। इसके पश्चात 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम लागू हुआ। अंत में, 1986 में व्यापक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम अधिनियमित किया गया। यह अनुक्रम दर्शाता है कि भारत ने धीरे-धीरे पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं हेतु कानूनों का विकास किया।

15. (A) राज्य सरकार
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। यह घोषणा अधिसूचना के माध्यम से की जाती है यदि वह क्षेत्र पारिस्थितिक या प्राकृतिक महत्व का हो। यद्यपि कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सलाह सम्मिलित हो सकती है, परंतु प्राथमिक घोषणात्मक शक्ति राज्य सरकार के पास ही निहित होती है।

16. (B) भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पर्यावरणीय और आर्थिक आवश्यकताओं को संतुलित करना।
सतत विकास का मूल सिद्धांत वर्तमान विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आज के आर्थिक लाभ भविष्य की पीढ़ियों हेतु संसाधनों को नष्ट न करें। यह विकास का दूरदर्शी दृष्टिकोण है जो सामाजिक समानता, आर्थिक उन्नति और पारिस्थितिक स्थिरता को साथ लेकर चलता है। यह संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और दीर्घकालिक सुरक्षा पर केंद्रित है।

17. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को एक 'छतरी' कानून कहा जाता है क्योंकि यह अन्य विशिष्ट पर्यावरण कानूनों हेतु व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। यह केंद्र सरकार को जल, वायु और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न निकायों की गतिविधियों के बीच समन्वय करने की शक्ति देता है। यह कानून किसी विशिष्ट प्रदूषण तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र पर्यावरण की रक्षा हेतु एक एकीकृत आधार तैयार करता है।

18. (A) यह ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक वैश्विक समझौता है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सफल अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो समतापमंडलीय ओजोन परत की रक्षा हेतु समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के निर्माण और उपयोग को धीरे-धीरे बंद करना है। यह समझौता वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है और इसमें विकसित एवं विकासशील देशों हेतु अलग-अलग समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यह पर्यावरण सुरक्षा हेतु वैश्विक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है।

19. (C) पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
पर्यावरण प्रभाव आकलन एक महत्वपूर्ण विधिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत किसी भी बड़ी औद्योगिक या विकासात्मक परियोजना को स्वीकृति देने से पूर्व उसके संभावित पर्यावरणीय परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें जल, वायु, मृदा और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन सम्मिलित है। यदि परियोजना से अत्यधिक क्षति की संभावना हो, तो सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं या अनुमति नहीं दी जाती।

20. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यद्यपि इसका गठन जल अधिनियम के तहत हुआ, परंतु इसे बाद में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए। इस प्रकार, यह बोर्ड भारत में जल और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने वाली एकीकृत संस्था है।

260. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की कौन सी अनुसूची उन पादपों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें तोड़ने, उखाड़ने या व्यापार करने का निषेध है?
(A) अनुसूची I
(B) अनुसूची III
(C) अनुसूची V
(D) अनुसूची VI

261. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में "पर्यावरण" की परिभाषा अत्यंत व्यापक और समावेशी है।
कारण (R): इसमें न केवल वायु, जल और भूमि जैसे भौतिक घटक सम्मिलित हैं, बल्कि उनके और जीवित प्राणियों के बीच अंतःसंबंध भी सम्मिलित है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

262. वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच मुख्य अंतर किसमें निहित है:
(A) पाए जाने वाले पशुओं के प्रकार।
(B) निवासियों के अधिकारों का निहित होना।
(C) क्षेत्र का विस्तार।
(D) क्षेत्र की जलवायु।

263. 'कार्बन क्रेडिट' की अवधारणा किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तंत्र से संबद्ध है?
(A) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
(B) बेसल कन्वेंशन
(C) रामसर कन्वेंशन
(D) क्योटो प्रोटोकॉल

264. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (प्राधिकरण)
P. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
Q. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
R. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
S. राज्य वन विभाग
सूची II: (नियामक अधिनियम)
1. जैविक विविधता अधिनियम, 2002
2. भारतीय वन अधिनियम, 1927
3. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
4. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

265. प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पण करने का रिवाज, यह सुनिश्चित करते हुए कि जल पादप या मृदा पर गिरे, किस प्राचीन भारतीय आदर्श को दर्शाता है?
(A) एक दुर्लभ संसाधन का अपव्यय करना।
(B) बिना किसी तर्कसंगत आधार के एक अंधविश्वास।
(C) एक अनुष्ठान जो जल का संरक्षण भी करता है और जीवन का पोषण भी।
(D) जल को शुद्ध करने की एक विधि।

266. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. कीटनाशकों द्वारा मृदा प्रदूषण
2. सीवेज द्वारा जल प्रदूषण
3. औद्योगिक उत्सर्जन द्वारा वायु प्रदूषण
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से 'पर्यावरण प्रदूषण' के सही उदाहरण हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

267. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड है:
(A) 1 वर्ष तक का कारावास, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
(B) 7 वर्ष तक का कारावास, या 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
(C) केवल जुर्माना, कारावास का कोई प्रावधान नहीं।
(D) 5 वर्ष तक का कारावास, या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

268. भारतीय वन अधिनियम, 1927 का प्राथमिक केंद्र था:
(A) जैव विविधता का संरक्षण।
(B) वन उपज का विनियमन और राजस्व संग्रह।
(C) वन्यजीव आवासों की सुरक्षा।
(D) वन-निवासी समुदायों का सशक्तिकरण।

269. 2012 में रियो+20 सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम किसका एक सेट विकसित करने का समझौता था:
(A) विधिक रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य।
(B) जलवायु परिवर्तन के लिए नए वित्त पोषण तंत्र।
(C) सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।
(D) जैविक खेती के लिए वैश्विक मानक।

270. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: कौटिल्य के अर्थशास्त्र में काष्ठ, हाथियों और अन्य संसाधनों के लिए वनों के रखरखाव का उल्लेख है।
कथन II: यह ग्रंथ प्रदूषण फैलाने और वनों को क्षति पहुँचाने

228. भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) 1927 का अधिनियम संरक्षण के बारे में है, जबकि 1980 का अधिनियम दोहन के बारे में है।
(B) 1927 का अधिनियम वन्यजीवों पर लागू होता है, जबकि 1980 का अधिनियम वृक्षों पर लागू होता है।
(C) 1927 का अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, जबकि 1980 का अधिनियम एक राज्य कानून है।
(D) 1927 का अधिनियम राज्य नियंत्रण और राजस्व पर केंद्रित है, जबकि 1980 का अधिनियम वन भूमि के परिवर्तन को रोकने पर केंद्रित है।

229. रियो घोषणा का सिद्धांत 15, जो कहता है कि "पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए लागत प्रभावी उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा," किसका निरूपण है:
(A) प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
(B) राज्य संप्रभुता का सिद्धांत
(C) पूर्व-सावधानी सिद्धांत
(D) मानव जाति की साझा विरासत का सिद्धांत

230. वह नैतिक दृष्टिकोण कि मनुष्य अस्तित्व का केंद्रीय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्या कहलाता है:
(A) पारिस्थितिकी-केंद्रितता
(B) मानव-केंद्रितता
(C) जैव-केंद्रितता
(D) समग्रतावाद

231. वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत "वायु प्रदूषक" का अर्थ वातावरण में उपस्थित कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ है, जिसमें _______ सम्मिलित है, जिसकी ऐसी सांद्रता मनुष्यों या अन्य जीवित प्राणियों या पौधों या संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है।
(A) जल वाष्प
(B) ऑक्सीजन
(C) नाइट्रोजन
(D) ध्वनि

232. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: 1986 का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करता है।
कथन II: EPA के अंतर्गत दंड सामान्यतः जल अधिनियम और वायु अधिनियम के अंतर्गत दंड की तुलना में कम कठोर माने जाते हैं।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

233. 1973 में प्रारंभ किया गया 'प्रोजेक्ट टाइगर' किसके दायरे में एक प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम है:
(A) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(B) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(D) जैव विविधता अधिनियम, 2002

234. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (प्रदूषण का प्रकार)
P. सुपोषण
Q. अम्लीय वर्षा
R. प्रकाश-रासायनिक धूमकुहरा
S. ओजोन क्षरण
सूची II: (प्रमुख स्रोत/कारण)
1. सूर्य के प्रकाश में NO_x और VOCs की प्रतिक्रिया
2. CFCs और हैलोन का उत्सर्जन
3. कृषि अपवाह से पोषक तत्वों का संवर्धन
4. SO_2 और NO_x का औद्योगिक उत्सर्जन
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

235. प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का प्राचीन भारतीय आदर्श किस अवधारणा में परिलक्षित होता है?
(A) औद्योगिक क्रांति
(B) प्रकृति पर विजय
(C) शहरी विस्तार
(D) 'वसुधैव कुटुंबकम', संपूर्ण विश्व एक परिवार है जिसमें प्राकृतिक विश्व भी सम्मिलित है।

236. प्रमाद (लापरवाही) सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना, कोई व्यक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक पदार्थों के संचालन के दौरान दुर्घटना से होने वाली क्षति के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है?
(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(B) सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
(C) कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923
(D) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872

237. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
(A) जल अधिनियम, 1974 : CPCB की स्थापना
(B) वायु अधिनियम, 1981 : प्रदूषक के रूप में ध्वनि को सम्मिलित करना
(C) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 : राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना
(D) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 : 'अम्ब्रेला' कानून

238. 'जलवायु' (Climate) और 'मौसम' (Weather) के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?

2. 22 अप्रैल
3. 22 मई
4. 5 जून

(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

282. भारत के कई भागों में 'नागों' की पूजा, विशेष रूप से उपवनों और जल निकायों के समीप, एक पारंपरिक रिवाज है जिसने किसके संरक्षण में सहायता की:
(A) आर्द्रभूमि और उनके संबंधित जीव-जंतु
(B) केवल वन और वृक्ष
(C) पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र
(D) मरुस्थलीय परिदृश्य

283. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: सतत विकास एक मानव-केंद्रित अवधारणा है।
कथन II: यह प्राकृतिक प्रणालियों की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं (वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की) को पूर्ण करने को प्राथमिकता देता है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

284. भारत में संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) की स्थापना किसकी ओर नीतिगत परिवर्तन को दर्शाती है:
(A) सभी वनों पर कठोर सरकारी नियंत्रण।
(B) वनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना।
(C) सभी वन भूमि का निजीकरण करना।
(D) वनों को कृषि भूमि में परिवर्तित करना।

285. "कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज" (COP) किसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है:
(A) विश्व व्यापार संगठन (WTO)
(B) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(C) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
(D) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

286. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
(A) यह केवल जल प्रदूषण पर लागू होता है।
(B) इसे स्थानीय पुलिस द्वारा लागू किया जाता है।
(C) यह किसी भी दंड का प्रावधान नहीं करता है।
(D) यह एक 'अम्ब्रेला' अधिनियम है जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के समन्वय के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

287. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समकालीन अभ्यास का उदाहरण है?
(A) स्थानीय देवताओं को समर्पित पवित्र उपवनों की रक्षा करना।
(B) उद्योग स्थापित करने के लिए वनों को काटना।
(C) नदियों में प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान।
(D) उत्सवों के दौरान तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना।

288. निम्नलिखित में से कौन सा कानून गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन को रोकने से संबंधित है?
(A) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(B) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
(C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(D) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

289. पृथ्वी की ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह:
(A) वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनता है।
(B) पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण की मात्रा को बढ़ाता है।
(C) अम्लीय वर्षा के निर्माण की ओर ले जाता है।
(D) वातावरण में ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है।

290. भारत में पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्चतम न्यायालय ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना है।
2. न्यायपालिका ने 'प्रदूषक भुगतान' और 'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' जैसे सिद्धांतों को लागू किया है।
3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना न्यायिक आदेश द्वारा की गई थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

291. समुद्र में टैंकर से तेल का रिसाव एक विनाशकारी घटना है जो किसका कारण बनती है:
(A) वायु और ध्वनि प्रदूषण
(B) मृदा और भूमि प्रदूषण
(C) समुद्री और तटीय प्रदूषण
(D) तापीय और रेडियोधर्मी प्रदूषण

292. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों को राज्य में किसके द्वारा लागू किया जाता है:
(A) राज्य वन विभाग
(B) राज्य राजस्व विभाग
(C) राज्य उच्च न्यायालय
(D) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

के लिए दंड भी निर्धारित करता है, जो राज्य के नेतृत्व वाले संरक्षण आदर्शों को दर्शाता है।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

271. कृषि क्षेत्रों में फसल अवशेष जलाना किस प्रकार के प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है?
(A) वायु प्रदूषण
(B) जल प्रदूषण
(C) ध्वनि प्रदूषण
(D) रेडियोधर्मी प्रदूषण

272. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का एक मुख्य उद्देश्य है:
(A) भारत की सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण करना।
(B) जल की शुद्धता बनाए रखना या पुनर्जीवित करना।
(C) सभी उद्देश्यों के लिए भूजल के उपयोग को बढ़ावा देना।
(D) बोतलबंद जल की कीमत को विनियमित करना।

273. 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' भारत सरकार द्वारा हाथियों के उनके प्राकृतिक आवासों में दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह किस अधिनियम के व्यापक ढांचे के अंतर्गत आता है?
(A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(B) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(C) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(D) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

274. रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया 'एजेंडा 21' है:
(A) 21वीं शताब्दी में सतत विकास के लिए एक गैर-बाध्यकारी कार्य योजना।
(B) जलवायु परिवर्तन पर विधिक रूप से बाध्यकारी संधि।
(C) वन प्रबंधन पर सिद्धांतों की घोषणा।
(D) ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए एक प्रोटोकॉल।

275. ग्राम के तालाबों और जलाशयों को बनाने और बनाए रखने की प्राचीन भारतीय प्रथा मुख्य रूप से किसके लिए एक विधि थी:
(A) ग्राम के अपशिष्ट का निपटान।
(B) व्यावसायिक मत्स्य पालन।
(C) जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण।
(D) मनोरंजक नौकायन।

276. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) यह वन परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन का प्रावधान करता है।
(B) इसे वनों की कटाई को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।
(C) यह प्रतिपूरक वनीकरण का प्रावधान करता है।
(D) यह परिभाषित करता है कि 'वन' क्या है।

277. वे दो मुख्य गैसें जो पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 99% भाग बनाती हैं, परंतु ग्रीनहाउस गैसें नहीं हैं, वे हैं:
(A) ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
(B) मीथेन और नाइट्रोजन
(C) नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
(D) आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड

278. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन सम्मिलित हैं — कथन (A) और कारण (R)। उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए।
कथन (A): भारत में, कई न्यायिक घोषणाओं ने पर्यावरण कानून को सुदृढ़ किया है।
कारण (R): भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्याख्या स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को सम्मिलित करने के लिए की है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है परंतु R गलत है।
(D) A गलत है परंतु R सही है।

279. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, किसी कारखाने या परिसर के संबंध में 'अधिभोगी' का अर्थ है:
(A) सेवा के सबसे लंबे निरंतर रिकॉर्ड वाला विशिष्ट कर्मचारी।
(B) प्रवेश द्वार पर तैनात नामित सुरक्षा अधिकारी।
(C) सुविधा के कार्यबल का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थानीय श्रमिक संघ नेता।
(D) कारखाने या परिसर के विषयों पर अंतिम नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति।

280. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) किसके प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक वैधानिक निकाय है:
(A) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
(B) भारतीय वन अधिनियम, 1927
(C) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(D) जैविक विविधता अधिनियम, 2002

281. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
सूची I: (पर्यावरण दिवस)
P. विश्व पर्यावरण दिवस
Q. पृथ्वी दिवस
R. विश्व जल दिवस
S. अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
सूची II: (तिथि)
1. 22 मार्च

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) पर्यावरण में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(c) 'पर्यावरण प्रदूषण' को परिभाषित करती है। इसका अर्थ वातावरण में किसी भी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति से है। अधिनियम के अनुसार, प्रदूषक वह ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ है जो ऐसी सांद्रता में उपस्थित हो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। यह परिभाषा व्यापक है और इसमें प्रदूषण के विभिन्न रूपों को सम्मिलित किया गया है।

2. (A) उपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ
प्राचीन भारतीय दर्शन में प्रकृति के प्रति सम्मान का आधार 'पंचभूत' की अवधारणा है। यह अवधारणा मुख्य रूप से उपनिषदों और वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों से उद्धृत है। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को समस्त ब्रह्मांड के मूलभूत घटकों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह विचार मनुष्य और पर्यावरण के बीच एक अटूट और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देता है।

3. (C) केंद्र सरकार पर्यावरण की समग्र गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सकती है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। सरकार पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इसमें प्रदूषण के मानक निर्धारित करना, औद्योगिक क्षेत्रों को विनियमित करना और विभिन्न अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करना सम्मिलित है। यह कानून केंद्र को पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रभावी भूमिका निभाने का अधिकार देता है।

4. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों हेतु अंधाधुंध उपयोग को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि राज्य सरकारें किसी भी आरक्षित वन को अनारक्षित करने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करें। यह प्रावधान पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और वनों की कटाई को रोकने में प्रभावी है। इस प्रकार, केंद्र का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।

5. (C) वन लकड़ी के व्यावसायिक दोहन को बढ़ावा देना।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 मुख्य रूप से पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वन्य जीवों और पादपों के संरक्षण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य अवैध शिकार को रोकना और संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करना है। व्यावसायिक लाभ के लिए वन लकड़ी के दोहन को बढ़ावा देना इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह संरक्षण के विरुद्ध है। यह कानून जैव विविधता की रक्षा करता है।

6. (B) पर्यावरण प्रदूषण
जब किसी कारखाने से अनुपचारित रासायनिक अपशिष्ट को नदी में छोड़ा जाता है, तो यह जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। यह स्थिति पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा का स्पष्ट उदाहरण है। अधिनियम के अनुसार, पर्यावरण में किसी भी हानिकारक पदार्थ की उपस्थिति जो इसे जीवों हेतु अनुपयुक्त बनाती है, प्रदूषण कहलाती है। यह क्रिया पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ती है और विधिक दंड का आधार है।

7. (A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
ब्रुंडलैंड आयोग की 1987 की रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' ने सतत विकास की मानक परिभाषा दी। यह विकास को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के संतुलन के रूप में परिभाषित करती है। हालांकि, यह रिपोर्ट 1983 में स्थापित आयोग द्वारा तैयार की गई थी, न कि 1992 के रियो सम्मेलन द्वारा। रियो सम्मेलन ने इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर अपनाकर नीतिगत रूप प्रदान किया था।

8. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के विशिष्ट रासायनिक कारण होते हैं। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, जबकि अम्लीय वर्षा हेतु सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी हैं। वैश्विक तापन का मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है और जलाशयों में सुपोषण नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के कारण होता है। इन संबंधों को समझना पर्यावरण प्रबंधन और नीति निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

9. (C) ध्वनि प्रदूषण को कैलोरी में मापा जाता है और यह मुख्य रूप से समुद्री जीवन को प्रभावित करता है।
ध्वनि प्रदूषण को डेसीबल की इकाई में मापा जाता है, न कि कैलोरी में। यह मुख्य रूप से मानवीय स्वास्थ्य, निद्रा और श्रवण क्षमता को प्रभावित करता है। यद्यपि यह समुद्री जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, परंतु इसका मापन और प्रभाव शहरी क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण के अपने विशिष्ट कारण और प्रभाव होते हैं, जिनका अध्ययन विज्ञान में किया जाता है।

10. (A) कोई भी पदार्थ जिसकी प्रकृति या सांद्रता पर्यावरण या जीवित जीवों को क्षति पहुँचा सकती है।
पर्यावरण कानून के अंतर्गत प्रदूषक को एक ऐसे पदार्थ के रूप में देखा जाता है जो अपनी उपस्थिति से क्षति पहुँचाता है। यह ठोस, द्रव या गैसीय रूप में हो सकता है। यदि इसकी सांद्रता एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाए, तो यह मनुष्यों, पादपों और सूक्ष्मजीवों हेतु हानिकारक हो जाता है। प्रदूषण

293. 'जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र' की अवधारणा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य से भिन्न है क्योंकि इसका उद्देश्य है:
(A) सभी मानवीय गतिविधियों को रोकना।
(B) एक ही प्रमुख प्रजाति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना।
(C) निर्दिष्ट क्षेत्रों में सतत मानवीय उपयोग को समायोजित करते हुए जैव विविधता का संरक्षण करना।
(D) पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

294. क्योटो प्रोटोकॉल की मुख्य विशेषता यह थी कि इसने किसके लिए बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए थे:
(A) सभी देशों के लिए समान रूप से।
(B) एनेक्स I (विकसित) देशों के लिए।
(C) केवल विकासशील देशों के लिए।
(D) केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के लिए।

295. कई प्राचीन भारतीय पर्यावरणीय परंपराओं का दार्शनिक आधार यह है कि:
(A) मनुष्य प्रकृति का स्वामी है।
(B) प्रकृति मानव उपयोग की एक वस्तु है।
(C) पर्यावरण संरक्षण राजा या राज्य का एकमात्र उत्तरदायित्व है।
(D) मनुष्य और प्रकृति आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक ब्रह्मांडीय पूर्णता का भाग हैं।

296. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) शिकार को प्रतिबंधित करना और निर्दिष्ट जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना।
(B) लकड़ी के आयात को विनियमित करना।
(C) वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना।
(D) नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के निपटान का प्रबंधन करना।

297. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
कथन I: वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 में अधिनियमित किया गया था।
कथन II: जल अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड की शक्तियां और कार्य वायु अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उसे प्रदान नहीं किए गए थे।
(A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
(B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(D) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।

298. 2012 में रियो डी जनेरियो में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को किस रूप में भी जाना जाता है:
(A) रियो+20
(B) रियो+10
(C) सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन
(D) कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन

299. निम्नलिखित कानूनों को उनके अधिनियमन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम
2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम
3. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम
4. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम

सही अनुक्रम चुनिए:
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 4, 2, 3, 1
(C) 2, 3, 4, 1
(D) 1, 2, 3, 4

300. वह विधिक सिद्धांत जिसके लिए एक विकासकर्ता को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उसकी परियोजना पर्यावरणीय क्षति नहीं पहुँचाएगी, विशेष रूप से जब वैज्ञानिक अनिश्चितता हो, किसका एक अनुप्रयोग है:
(A) प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
(B) पूर्व-सावधानी सिद्धांत
(C) सार्वजनिक न्यास सिद्धांत
(D) प्रख्यात अधिकार का सिद्धांत

21. (B) P-2, Q-3, R-4, S-1
प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न रूप प्रचलित थे। अथर्ववेद में प्रकृति की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों में पशु चिकित्सा और वृक्षारोपण के आदेशों का वर्णन है। पवित्र उपवन जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण के पारंपरिक केंद्र रहे हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक व्यवस्थित वन प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण के दंडों का विवरण देता है। ये साक्ष्य भारत की गहरी पर्यावरणीय चेतना को प्रमाणित करते हैं।

22. (B) सरकार की आर्थिक नीतियां
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(a) के अनुसार, 'पर्यावरण' में जल, वायु और भूमि तथा इनके बीच विद्यमान अंतःसंबंध सम्मिलित हैं। इसके साथ ही मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्मजीवों का पर्यावरण के साथ संबंध भी इसकी परिभाषा का भाग है। सरकार की आर्थिक नीतियां यद्यपि पर्यावरण को प्रभावित कर सकती हैं, परंतु वे अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण की कानूनी परिभाषा का हिस्सा नहीं हैं।

23. (D) अधिनियम 'सामुदायिक वनों' को केवल गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित करने के रूप में परिभाषित करता है।
भारतीय वन अधिनियम, 1927 मुख्य रूप से वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में वर्गीकृत करता है। आरक्षित वनों में उच्चतम सुरक्षा होती है, जबकि ग्राम वनों का उपयोग स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं हेतु किया जा सकता है। यह अधिनियम 'सामुदायिक वनों' को विशेष रूप से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित नहीं करता। वनों का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन होता है।

24. (D) 1, 2 और 3
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में जीव-जंतुओं की सुरक्षा हेतु विस्तृत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसमें सुरक्षा के स्तर के आधार पर प्रजातियों को छह अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। अनुसूची 1 में सम्मिलित पशुओं के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006 में संशोधन के माध्यम से बाघों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, जो एक महत्वपूर्ण कदम है।

25. (C) पर्यावरण को एक प्रमुख विषय बनाने वाला प्रथम बड़ा वैश्विक सम्मेलन था।
1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण नीति के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। यह मानव पर्यावरण पर केंद्रित प्रथम वैश्विक सम्मेलन था, जिसने पर्यावरण संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य एजेंडे में स्थापित किया। इसने विकासशील देशों की चिंताओं और पर्यावरण के बीच संबंध को उजागर किया। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई और कई देशों ने राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित किए।

26. (A) ध्वनि प्रदूषण
जब वातावरण में अवांछनीय और अत्यधिक शोर की उपस्थिति होती है, तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। यह मुख्य रूप से वाहनों, कारखानों और लाउडस्पीकरों के कारण होता है। यह प्रदूषण मनुष्यों में तनाव, श्रवण दोष और उच्च रक्तचाप जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। यह जीवों के संचार और व्यवहार को भी बाधित करता है। वायु अधिनियम में संशोधन कर इसे वायु प्रदूषकों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

27. (D) एक कीस्टोन प्रजाति (keystone species) के संरक्षण को बढ़ावा देने वाला रिवाज।
भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष की पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि पारिस्थितिक महत्व की है। पीपल एक 'कीस्टोन' प्रजाति है जो बड़ी संख्या में कीटों, पक्षियों और अन्य जीवों को आश्रय तथा भोजन प्रदान करती है। यह वृक्ष रात्रि में भी ऑक्सीजन मुक्त करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार, इसकी पूजा और संरक्षण का रिवाज वास्तव में जैव विविधता को बनाए रखने और पर्यावरण शुद्ध करने का पारंपरिक तरीका है।

28. (B) जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या उपशमन के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसे निष्पादित करना।
जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है। इनका प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य की नदियों और अन्य जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखना है। इसके लिए वे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के मानक निर्धारित करते हैं और प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रमों को लागू करते हैं। वे जल प्रदूषित करने वाली इकाइयों का निरीक्षण करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार रखते हैं।

29. (C) अनारक्षण और गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करके वनों का संरक्षण करना।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का मुख्य लक्ष्य भारत में वनों की कटाई की तीव्र दर को कम करना है। यह अधिनियम अनिवार्य बनाता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी वन भूमि का उपयोग कृषि, खनन या अन्य गैर-वन उद्देश्यों हेतु नहीं कर सकती हैं। यह प्रावधान वनों की विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन पर प्रभावी रोक लगाता है।

30. (D) प्रदूषण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को पर्यावरणीय क्षति को रोकने और सुधारने की लागत वहन करनी चाहिए।
'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का एक मौलिक स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति या संस्था प्रदूषण फैलाती है, उसे ही उससे होने वाली क्षति की भरपाई करनी चाहिए। इसमें केवल स्वच्छता की लागत ही नहीं, बल्कि प्रभावित लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनरुद्धार का खर्च भी सम्मिलित है। यह सिद्धांत उद्योगों को प्रदूषण कम करने हेतु प्रेरित करता है और समाज पर पड़ने वाले बोझ को घटाता है।

31. (A) एक बड़े खेत से कृषि अपवाह।
जल प्रदूषण के 'गैर-बिंदु स्रोत' वे होते हैं जिनका उद्गम स्थान एक निश्चित बिंदु या पाइप नहीं होता। कृषि अपवाह इसका उत्तम उदाहरण है, क्योंकि वर्षा का जल विशाल खेतों से बहते हुए कीटनाशकों और उर्वरकों को नदियों में ले जाता है। इसके विपरीत, कारखाने के पाइप या सीवेज संयंत्र बिंदु स्रोत कहलाते हैं क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। गैर-बिंदु प्रदूषण को नियंत्रित करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है।

32. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण को केवल कानून नहीं, बल्कि नैतिक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। वेदों और उपनिषदों में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई है। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में जल निकायों को प्रदूषित करने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और जीवित वृक्षों को काटने के विरुद्ध स्पष्ट निषेध और दंड के प्रावधान मिलते हैं। यह दर्शाता है कि प्राचीन समाज में पर्यावरणीय स्वच्छता के प्रति उच्च स्तर की जागरुकता थी।

33. (B) राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधि निषिद्ध है, जबकि अभयारण्यों में कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है।
राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं, परंतु उनकी सुरक्षा का स्तर भिन्न होता है। राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा अधिक कठोर होती है और वहां पशुओं को चराने या अन्य मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। इसके विपरीत, वन्यजीव अभयारण्यों में मुख्य वन्यजीव वार्डन के नियंत्रण में स्थानीय लोगों को कुछ पारंपरिक अधिकारों, जैसे ईंधन लकड़ी एकत्र करना या चराई, की अनुमति दी जा सकती है।

34. (D) A गलत है परंतु R सही है।
1992 की रियो घोषणा एक विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि नहीं है, बल्कि यह सिद्धांतों का एक समूह है। इसमें 27 सिद्धांत सम्मिलित हैं जो सतत विकास की दिशा में राष्ट्रों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। यद्यपि यह बाध्यकारी नहीं है, फिर भी इसका वैश्विक महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसने 'साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व' और 'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' जैसे महत्वपूर्ण विचारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की थी।

35. (C) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करता है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से किसी भी क्षेत्र को प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकें। ऐसे क्षेत्रों में केवल अनुमोदित ईंधनों का उपयोग किया जा सकता है और औद्योगिक इकाइयों को कठोर उत्सर्जन मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह प्रदूषण नियंत्रण का प्रभावी साधन है।

36. (D) जल प्रदूषण
घरेलू अपशिष्ट, जिसमें जैविक और अजैविक कचरा सम्मिलित होता है, यदि सीधे जलाशयों में फेंका जाए तो वह जल प्रदूषण का कारण बनता है। यह अपशिष्ट जल की गुणवत्ता को खराब करता है, जिससे वह पीने और अन्य उपयोगों हेतु असुरक्षित हो जाता है। इससे जल में रोगजनक सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है और जलीय जीवों के जीवन को खतरा उत्पन्न होता है। यह स्थानीय स्तर पर जल स्रोतों के अवनयन का मुख्य कारण है।

37. (B) केवल 1 और 3
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसे जल अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यद्यपि इसके मुख्य कार्य जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हैं, परंतु यह केवल इन तक सीमित नहीं है। बोर्ड को उद्योगों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने या उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के निर्देश देना सम्मिलित है। यह एक महत्वपूर्ण नियामक संस्था है।

38. (B) समुदाय-आधारित जैव विविधता संरक्षण का एक पारंपरिक रूप।
पवित्र उपवन वन के वे क्षेत्र हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा देवी-देवताओं को समर्पित किया जाता है। इन क्षेत्रों में वृक्षों को काटना और वन्यजीवों को क्षति पहुँचाना धार्मिक रूप से वर्जित होता है। यह प्रथा भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है और जैव विविधता के संरक्षण का एक प्रभावी स्वदेशी माध्यम रही है। ये उपवन दुर्लभ पादपों और जंतुओं हेतु सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में कार्य करते हैं।

39. (C) P-4, Q-3, R-1, S-2
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के सिद्धांत वैश्विक सुरक्षा हेतु आवश्यक हैं। पूर्व-सावधानी सिद्धांत वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद सुरक्षा उपायों पर बल देता है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत क्षति की वित्तीय जिम्मेदारी प्रदूषक पर डालता है। अंतर-पीढ़ीगत समानता भविष्य हेतु संसाधनों के संरक्षण की वकालत करती है। साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व यह मानता है कि विकसित देशों का ऐतिहासिक योगदान अधिक रहा है, अतः उनकी जिम्मेदारी भी अधिक है।

40. (A) शिकार और व्यापार के विरुद्ध विधिक सुरक्षा का उच्चतम स्तर।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची 1 में उन प्रजातियों को रखा गया है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। बाघ इस अनुसूची का एक प्रमुख सदस्य है। इन पशुओं को कानून के अंतर्गत पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है और उनका शिकार या उनके अंगों का व्यापार करना अत्यंत गंभीर अपराध माना जाता है। इनके संरक्षण हेतु विशेष परियोजनाएं संचालित की जाती हैं ताकि उनकी जनसंख्या को विलुप्त होने से बचाया जा सके।

41. (A) 1, 4, 2, 3
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का एक निश्चित ऐतिहासिक क्रम है। सर्वप्रथम 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। इसके पश्चात 1992 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन अस्तित्व में आया। 1997 में ग्रीनहाउस गैसों को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल

लाया गया। अंत में, 2015 में पेरिस समझौता अपनाया गया, जो वर्तमान में जलवायु कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक आधार है।

42. (A) भूकंप से होने वाला विवर्तनिक प्रदूषण
पर्यावरणीय प्रदूषण सामान्यतः उन परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं। तापीय, रेडियोधर्मी और मृदा प्रदूषण इसके प्रमुख प्रकार हैं। भूकंप एक प्राकृतिक भूगर्भीय घटना है, इसे प्रदूषण की श्रेणी में नहीं रखा जाता। प्रदूषण में किसी हानिकारक तत्व का प्रवेश सम्मिलित होता है, जबकि भूकंप भूमि का कंपन है जो प्राकृतिक ऊर्जा के मुक्त होने के कारण होता है।

43. (D) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत, देश भर में वायु की गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। CPCB विभिन्न वायु प्रदूषकों हेतु मानक निर्धारित करता है जो उद्योगों और अन्य स्रोतों हेतु बाध्यकारी होते हैं। यह तकनीकी सहायता प्रदान करता है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है। इसके द्वारा निर्धारित मानक ही स्वच्छ वायु सुनिश्चित करने का विधिक आधार बनते हैं।

44. (B) यह राज्य सरकारों को वन भूमि को अनारक्षित करने का अंतिम अधिकार देता है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का मुख्य उद्देश्य वनों की कटाई को रोकना है। यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी आरक्षित वन को अनारक्षित नहीं कर सकती हैं और न ही वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग कर सकती हैं। यह प्रावधान वनों पर केंद्र का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करता है ताकि राज्यों द्वारा राजस्व हेतु वनों का अत्यधिक दोहन न किया जाए।

45. (C) जीवन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा (अहिंसा)।
चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय विरोध था। इसमें ग्रामीणों ने वनों को व्यावसायिक कटाई से बचाने हेतु वृक्षों को गले लगा लिया। यह आंदोलन भारतीय दर्शन के अहिंसा के सिद्धांत और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा का आधुनिक प्रकटीकरण है। यह दर्शाता है कि स्थानीय समुदाय अपने पर्यावरण और आजीविका हेतु अहिंसक संघर्ष के माध्यम से संरक्षण सुनिश्चित करने में सक्षम हैं।

46. (D) एजेंडा 21, रियो घोषणा और प्रमुख सम्मेलनों को अपनाना।
1992 का रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आधुनिक पर्यावरण कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके मुख्य परिणामों में 'एजेंडा 21' सम्मिलित था, जो सतत विकास हेतु एक विस्तृत कार्य योजना है। इसके अतिरिक्त, रियो घोषणा और जलवायु परिवर्तन तथा जैव विविधता पर प्रमुख सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस सम्मेलन ने वैश्विक संदेश दिया कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को अलग नहीं किया जा सकता।

47. (A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'पर्यावरण' की परिभाषा।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2(a) में 'पर्यावरण' को अत्यंत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें जल, वायु और भूमि को तो सम्मिलित किया ही गया है, साथ ही इन घटकों का मनुष्यों, पादपों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के साथ जो जीवंत संबंध है, उसे भी परिभाषा का अभिन्न अंग माना गया है। यह परिभाषा पारिस्थितिक तंत्र की समग्रता को स्वीकार करती है और केवल भौतिक तत्वों तक सीमित नहीं रहती।

48. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के वैश्विक प्रभावों के अंतर्गत भारत ने 1974 में जल अधिनियम पारित किया। यह भारत का प्रथम व्यापक कानून था जिसने पर्यावरण के एक विशिष्ट घटक के प्रदूषण को रोकने का लक्ष्य रखा। इस अधिनियम ने ही देश में प्रदूषण नियंत्रण की संस्थागत रूपरेखा तैयार की, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का गठन हुआ। ये बोर्ड आज भी मानकों को लागू करने वाले मुख्य नियामक हैं।

49. (B) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करना।
वायु अधिनियम, 1981 के अनुसार, यदि कोई औद्योगिक इकाई 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' में प्रचालन करना या विस्तार करना चाहती है, तो उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया 'सहमति' कहलाती है। बोर्ड परियोजना के उत्सर्जन स्तरों की समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे निर्धारित मानकों के भीतर हों। बिना इस विधिक अनुमति के उद्योग का विस्तार करना कानूनन अपराध है।

50. (A) निर्देश जारी करने की शक्ति, जिसमें किसी उद्योग को बंद करना या विद्युत/जल की आपूर्ति रोकना सम्मिलित है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को अत्यंत शक्तिशाली विधिक हथियार प्रदान करती है। इस शक्ति के माध्यम से सरकार किसी भी ऐसी इकाई को सीधे निर्देश जारी कर सकती है जो पर्यावरण को हानि पहुँचा रही है। इसमें न केवल उद्योग को तत्काल बंद करने का आदेश सम्मिलित है, बल्कि उसकी अनिवार्य सेवाओं जैसे बिजली और पानी को रोकने का अधिकार भी दिया गया है। यह प्रदूषण रोकने हेतु त्वरित निवारक उपाय है।

51. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना है। शिकार पर प्रतिबंध लगाना इसी व्यापक संरक्षण रणनीति का अनिवार्य हिस्सा है। चूंकि अवैध शिकार वन्यजीवों के अस्तित्व हेतु सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए अधिनियम ने इसे दंडनीय अपराध बनाया है। इस प्रकार, शिकार पर रोक और समग्र संरक्षण का लक्ष्य एक-दूसरे के पूरक और विधिक रूप से जुड़े हुए हैं।

जलन, श्वसन संबंधी बीमारियां और पादपों को क्षति होती है। यह दृश्यता को भी कम कर देता है। शहरी वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु इसे नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है।

93. (B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्राथमिक उद्देश्य निजी गतिविधियों को विनियमित करना नहीं, बल्कि राज्य सरकारों द्वारा वन भूमि के बड़े पैमाने पर मार्ग बदलने को रोकना है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाओं हेतु वन भूमि का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक होने पर और केंद्र सरकार की कड़ी निगरानी में ही किया जाए। यह कानून वनों के विधिक दर्जे की रक्षा करता है और उन्हें कृषि या औद्योगिक भूमि में परिवर्तित होने से बचाता है।

94. (D) एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में वृक्षों (विशेष रूप से 'खेजड़ी') और जंगली जानवरों (जैसे 'काला हिरण') की रक्षा करना।
राजस्थान का बिश्नोई समुदाय पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी अद्वितीय प्रतिबद्धता हेतु विश्व प्रसिद्ध है। उनके धर्म के 29 नियमों में से कई प्रकृति और जीवों की रक्षा से संबंधित हैं। 1730 का खेजड़ली बलिदान, जहाँ 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने हेतु अपने प्राण दे दिए, उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। आज भी वे काले हिरण और खेजड़ी वृक्षों को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, जो समुदाय-आधारित संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है।

95. (A) अधिनियम की छह अनुसूचियों में
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सुरक्षा के विभिन्न स्तरों के आधार पर वन्यजीवों और पादपों को छह अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूची 1 और 2 में सम्मिलित जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है, जबकि अनुसूची 5 में वे जीव हैं जिन्हें हानिकारक माना जा सकता है। अनुसूची 6 विशेष रूप से दुर्लभ पौधों के संरक्षण हेतु है। यह वर्गीकरण सरकार को विशिष्ट प्रजातियों की स्थिति के अनुसार उनके संरक्षण और व्यापार पर नियंत्रण रखने में सहायता प्रदान करता है।

96. (B) ओजोन परत से संबंधित अनुसंधान, निगरानी और सूचना विनिमय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना।
वियना कन्वेंशन ओजोन परत की रक्षा हेतु किया गया प्रथम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। यह एक 'ढांचा संधि' है, जिसका अर्थ है कि इसने ओजोन क्षरण की समस्या पहचानने और देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ावा देने हेतु आधार तैयार किया। यद्यपि इसमें उत्सर्जन कम करने के बाध्यकारी लक्ष्य नहीं थे, परंतु इसी कन्वेंशन के आधार पर बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसा प्रभावी समझौता संभव हो सका, जिसने ओजोन-क्षयकारी पदार्थों को वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित किया।

97. (B) ऐसी सांद्रता में कोई भी पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हानिकारक होने की प्रवृत्ति रखता है।
'पर्यावरणीय प्रदूषक' को अधिनियम में अत्यंत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। यह कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय तत्व हो सकता है जो मानवीय क्रियाओं के कारण पर्यावरण में प्रवेश करता है। परिभाषा की मुख्य विशेषता सांद्रता पर बल देना है; यदि किसी पदार्थ की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है और वह पर्यावरण को हानि पहुँचाने लगता है, तो उसे प्रदूषक माना जाता है। यह वैज्ञानिक समझ प्रदूषण को विधिक रूप से नियंत्रित करने में सहायक है।

98. (A) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना और सांगठनिक संरचना का मूल आधार जल अधिनियम, 1974 है। इसी अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को उसकी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं। यद्यपि बाद में वायु अधिनियम और अन्य कानूनों ने बोर्ड की भूमिका का विस्तार किया, परंतु इसकी वैधानिक उत्पत्ति जल अधिनियम से ही हुई है। यह अधिनियम बोर्ड को प्रदूषण के नमूने लेने, निरीक्षण करने और मानकों को लागू करने हेतु आवश्यक विधिक अधिकार प्रदान करता है।

99. (A) 3, 1, 2
भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत वनों की श्रेणियों में सुरक्षा का स्तर भिन्न होता है। आरक्षित वनों में उच्चतम सुरक्षा होती है जहाँ लगभग सभी गतिविधियां निषिद्ध होती हैं। इसके पश्चात संरक्षित वन आते हैं जहाँ सरकार कुछ अधिकारों को सुरक्षित रखती है परंतु अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकती है। ग्राम वन वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार स्थानीय समुदाय को उनके उपयोग हेतु सौंपती है। यह वर्गीकरण संरक्षण और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन का प्रयास है।

100. (D) भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को न्यास (ट्रस्ट) में रखना और उन्हें सुरक्षित अवस्था में हस्तांतरित करना।
'अंतर-पीढ़ीगत समानता' सतत विकास का नैतिक और विधिक आधार है। इसका मूल विचार यह है कि वर्तमान पीढ़ी पृथ्वी की स्वामी नहीं बल्कि केवल एक न्यासी है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वे आने वाली पीढ़ियों हेतु भी उपलब्ध और स्वस्थ रहें। यह सिद्धांत संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकता है और दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की वकालत करता है।

101. (B) केवल 1 और 3
अम्लीय वर्षा और जैव विविधता की हानि गंभीर वैश्विक समस्याएं हैं। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के वायुमंडलीय उत्सर्जन से होती है, जो वर्षा जल को अम्लीय बना देते हैं। जैव विविधता की हानि का मुख्य कारण वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का विखंडन है। हालांकि, वैश्विक तापन मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता

प्रदूषक माना गया था। जैसे-जैसे शोर के स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ी, वर्ष 1987 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से 'वायु प्रदूषक' की परिभाषा का विस्तार किया गया और इसमें ध्वनि को भी सम्मिलित किया गया। इसके पश्चात ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के विधिक नियम बनाए जा सके।

63. (A) उनके प्रदूषण को रोकना
भारतीय संस्कृति में नदियों को देवी के रूप में पूजने की परंपरा ने ऐतिहासिक रूप से एक संरक्षण तंत्र के रूप में कार्य किया है। लोगों का नदियों के प्रति जो भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव था, वह उन्हें कचरा फेंकने या जल को दूषित करने से रोकता था। यद्यपि आधुनिक समय में यह प्रथा कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, परंतु इसका मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखना ही था। यह सामुदायिक संरक्षण का सशक्त उदाहरण है।

64. (B) भारतीय वन अधिनियम, 1927
1980 के संरक्षण कानून से पहले, भारत में वनों का प्रबंधन मुख्य रूप से 1927 के भारतीय वन अधिनियम द्वारा किया जाता था। यह ब्रिटिश काल का कानून था जिसका प्राथमिक उद्देश्य वन उपज पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना और राजस्व प्राप्त करना था। इसमें वनों को आरक्षित और संरक्षित श्रेणियों में बाँटा गया था। यद्यपि इसका झुकाव व्यावसायिक अधिक था, फिर भी इसने वनों के विधिक वर्गीकरण और सीमांकन हेतु एक आधार प्रदान किया।

65. (B) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने हेतु बनाया गया था। यह UNFCCC के अंतर्गत कार्य करता है और औद्योगिक देशों हेतु ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के विधिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। यह 'साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व' के सिद्धांत पर आधारित है। इसने वैश्विक कार्बन बाजार के विकास और स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

66. (A) तापीय प्रदूषण
तापीय प्रदूषण तब होता है जब मानवीय गतिविधियों के कारण जल निकाय के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। विद्युत संयंत्रों द्वारा शीतलन हेतु उपयोग किए गए गर्म जल को सीधे नदियों में छोड़ने से जल में घुली ऑक्सीजन कम हो जाती है। यह तापीय झटका जलीय जीवों, विशेष रूप से मछलियों, हेतु घातक होता है। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है और जैव विविधता को भारी हानि पहुँचाता है।

67. (A) 3, 2, 1, 4
वैश्विक पर्यावरणीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं का एक निश्चित क्रम है। सर्वप्रथम 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके पश्चात 1987 में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसने सतत विकास को परिभाषित किया। 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जहाँ महत्वपूर्ण संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। सबसे अंत में 2015 में पेरिस समझौते को अपनाया गया। यह कालानुक्रम दर्शाता है कि समय के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां और वैश्विक प्रतिक्रियाएं अधिक परिष्कृत हुई हैं।

68. (D) 1, 2 और 3
भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत आरक्षित वन वे क्षेत्र हैं जिन्हें राज्य सरकारें उच्चतम विधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन वनों में किसी भी गतिविधि, जैसे लकड़ी काटना या चराई, की अनुमति तब तक नहीं होती जब तक कि वह विधिक रूप से अनुमत न हो। यह श्रेणी वनों को मानवीय हस्तक्षेप से पूर्णतः सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई है। यह वनों के संरक्षण का सबसे सशक्त और प्राचीन कानूनी तरीका है।

69. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
'साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व' का सिद्धांत वैश्विक पर्यावरण कूटनीति का न्यायसंगत स्तंभ है। यह स्वीकार करता है कि यद्यपि पृथ्वी की रक्षा सभी देशों का साझा कर्तव्य है, परंतु विकसित देशों का ऐतिहासिक योगदान अधिक रहा है। उनके पास आर्थिक और तकनीकी संसाधन भी अधिक हैं। इसलिए, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को सुलझाने में विकसित देशों को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करनी चाहिए।

70. (B) राज्य सरकार
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार, राज्य सरकार के पास किसी भी ऐसे क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की शक्ति होती है जो पारिस्थितिक या प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो। यह प्रक्रिया आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से पूर्ण की जाती है। अभयारण्य घोषित होने के बाद, उस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों और संसाधनों के उपयोग को वन्यजीवों के संरक्षण के हित में विधिक रूप से विनियमित और प्रतिबंधित किया जाता है।

71. (D) ओजोन परत का क्षरण
वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है, जैव विविधता नष्ट होती है और जल चक्र बाधित हो जाता है। ये सभी वनों के पारिस्थितिक कार्यों से जुड़े प्रत्यक्ष परिणाम हैं। हालांकि, ओजोन परत का क्षरण वनों की कटाई से सीधे संबद्ध नहीं है। ओजोन क्षरण मुख्य रूप से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव निर्मित रसायनों के उत्सर्जन के कारण होता है। वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन को तो बढ़ाती है, परंतु ओजोन क्षरण का प्राथमिक कारण नहीं है।

72. (B) P-4, Q-3, R-1, S-2
भारत के विभिन्न पर्यावरण कानून विशिष्ट प्रावधानों हेतु जाने जाते हैं। जल अधिनियम उद्योगों के संचालन हेतु बोर्ड की सहमति को अनिवार्य बनाता है। वायु अधिनियम के तहत प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों को 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' घोषित किया जा सकता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एक व्यापक 'छतरी' कानून के रूप में कार्य

52. (D) क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हैलोन।
ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से मानव निर्मित रसायनों के कारण होता है, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे घातक हैं। ये गैसें समतापमंडल में पहुँचकर ओजोन अणुओं को तोड़ देती हैं, जिससे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँचने लगती हैं। इनका उपयोग प्रशीतन और अग्निशमन उपकरणों में व्यापक रूप से किया जाता रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से इनके वैश्विक उत्पादन को चरणबद्ध रूप से कम करने का प्रयास किया गया है।

53. (A) केवल 1 और 2
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का निर्माण भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरणीय सुरक्षा में सुधार हेतु किया गया था। यह केंद्र सरकार को प्रदूषण के मानक तय करने और सख्त नियम बनाने का अधिकार देता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह 'नागरिक वाद' का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति 60 दिनों का नोटिस देकर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। यह जन सहभागिता को बढ़ाता है।

54. (B) पारिस्थितिकी-केंद्रितता (Ecocentrism)
अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में पृथ्वी को माता और मनुष्यों को उसकी संतान के रूप में वर्णित किया गया है। यह विचार 'पारिस्थितिकी-केंद्रितता' को दर्शाता है, जिसमें मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक अभिन्न अंग माना जाता है। यह दर्शन प्राकृतिक तत्वों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान पर आधारित है। यह आधुनिक पर्यावरण नैतिकता के उन सिद्धांतों के समान है जो समस्त पारिस्थितिकी तंत्र के आंतरिक मूल्य को स्वीकार करते हैं।

55. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
भारत के विभिन्न पर्यावरण कानूनों में विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। 'पर्यावरणीय प्रदूषक' को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित किया गया है। 'वायु प्रदूषक' शब्द वायु अधिनियम, 1981 का हिस्सा है। 'जलधारा' की परिभाषा जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत दी गई है। 'निर्दिष्ट पादप' वे पौधे हैं जिनका उल्लेख वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 6 में किया गया है। ये परिभाषाएं कानून प्रवर्तन में सहायक होती हैं।

56. (A) सुपोषण (यूट्रोफिकेशन)
सुपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलाशयों में पोषक तत्वों, विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस, की सांद्रता बढ़ जाती है। यह प्रायः खेतों से बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण होता है। इसके परिणामस्वरूप शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे 'एल्गल ब्लूम' कहते हैं। यह शैवाल जल में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। यह जल निकायों हेतु गंभीर खतरा है।

57. (C) सुनामी का उद्भव
सुनामी एक प्राकृतिक भूगर्भीय घटना है जो समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इसे मानवीय गतिविधियों से होने वाली पर्यावरणीय समस्या नहीं माना जाता। इसके विपरीत, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं को सुलझाने हेतु व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीतियों की आवश्यकता होती है।

58. (A) कौटिल्य का अर्थशास्त्र : जल प्रदूषित करने के लिए अर्थदंड निर्धारित किया
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अत्यंत आधुनिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण मिलता है। इस ग्रंथ में जल निकायों को प्रदूषित करने, सार्वजनिक जलाशयों को क्षति पहुँचाने और वृक्षों को बिना अनुमति काटने हेतु स्पष्ट आर्थिक दंड का उल्लेख है। यह प्रमाण है कि प्राचीन भारत में संसाधनों के प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक सुव्यवस्थित विधिक ढांचा अस्तित्व में था। अन्य विकल्प ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत हैं।

59. (D) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
यदि किसी आरक्षित वन भूमि का उपयोग खनन जैसी गैर-वन गतिविधियों हेतु किया जाना है, तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी भूमि का मार्ग बदलने से रोकता है। यह कानून वनों की विधिक सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कवच है, क्योंकि यह वन भूमि के किसी भी परिवर्तन को कड़ाई से विनियमित और प्रतिबंधित करता है।

60. (B) पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव को गंभीर पर्यावरणीय क्षति रोकने के उपायों को स्थगित का आधार नहीं माना जाएगा।
भारतीय उच्चतम न्यायालय ने 'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' को पर्यावरण कानून का अनिवार्य हिस्सा माना है। इसका अर्थ है कि यदि किसी गतिविधि से पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय क्षति का खतरा है, तो वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी को कार्यवाही रोकने का बहाना नहीं बनाया जा सकता। इसमें प्रमाण का भार उद्यमी पर होता है कि उसका कार्य सुरक्षित है। यह सिद्धांत पर्यावरण रक्षा को आर्थिक लाभ से ऊपर रखते हुए निर्णय लेने पर बल देता है।

61. (C) पर्यावरणीय प्रदूषक
'पर्यावरणीय प्रदूषक' वह पदार्थ है जिसकी उपस्थिति पर्यावरण हेतु हानिकारक होती है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अनुसार, यह कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ हो सकता है जो ऐसी सांद्रता में मौजूद हो जो जीवित प्राणियों, पादपों या संपत्ति को क्षति पहुँचा सके। प्रदूषक की प्रकृति और उसकी मात्रा ही प्रदूषण की गंभीरता निर्धारित करती है। प्रदूषण रोकने हेतु इन पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना ही मुख्य लक्ष्य होता है।

62. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वायु अधिनियम, 1981 को जब मूल रूप से लागू किया गया था, तब इसमें केवल गैसीय और कणिकीय पदार्थों को ही

दुर्लभ पादप प्रजातियों को मानवीय हस्तक्षेप से बचाकर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

83. (C) राष्ट्रीय उद्यानों में या उसके निकट अवसंरचना परियोजनाओं के लिए इसकी स्वीकृति अनावश्यक है।
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक उच्च स्तरीय वैधानिक निकाय है जो वन्यजीवों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नीतियों का मार्गदर्शन करता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो इसे अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। बोर्ड की अनुमति के बिना किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। साथ ही, इन संरक्षित क्षेत्रों के आसपास किसी भी बड़ी परियोजना हेतु बोर्ड की सिफारिश अनिवार्य है, ताकि वन्यजीव आवासों की रक्षा हो सके।

84. (D) मृदा प्रदूषण
जब कारखानों से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्ट, जिनमें भारी धातुएं जैसे सीसा या पारा होता है, सीधे भूमि पर फेंक दिए जाते हैं, तो यह मृदा प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये विषाक्त पदार्थ मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं और सूक्ष्मजीवों को मार देते हैं। मिट्टी में मौजूद ये रसायन पादपों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होता है। यह भूमि के दीर्घकालिक अवनयन का कारण है।

85. (D) 1, 2 और 3
भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सिद्धांतों को देश के कानून का हिस्सा बनाया है। 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' दोषियों से क्षतिपूर्ति वसूलने का आधार है। 'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' संभावित खतरों को रोकने हेतु प्रयुक्त होता है। 'अंतर-पीढ़ीगत समानता' यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधन भविष्य हेतु सुरक्षित रहें। ये सभी सिद्धांत अब भारत में पर्यावरणीय न्याय प्रदान करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के मुख्य स्तंभ हैं।

86. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम के आने से वनों के प्रबंधन में केंद्र सरकार की भूमिका अत्यंत प्रभावी हो गई। इससे पहले राज्य सरकारों के पास वन भूमि को अन्य कार्यों हेतु उपयोग करने की व्यापक शक्तियां थीं, जिसका परिणाम वनों की अंधाधुंध कटाई के रूप में निकला। इस अधिनियम ने अनिवार्य कर दिया कि किसी भी गैर-वन उपयोग हेतु केंद्र का अनुमोदन आवश्यक है। इस कठोर प्रावधान ने भारत में वन आच्छादन को संरक्षित करने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है।

87. (D) अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करना।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन है। यह वायु और जल की गुणवत्ता के मानक तय करता है और सरकार को तकनीकी परामर्श देता है। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा करना बोर्ड का कार्य नहीं है, बल्कि यह शक्ति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत सरकारों के पास होती है। CPCB का ध्यान मुख्य रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण की निगरानी और शमन पर रहता है।

88. (A) ब्रह्मांड और मानव शरीर के मूलभूत घटक, जो प्रकृति के साथ एक अभिन्न संबंध पर बल देते हैं।
प्राचीन भारतीय विचार में 'पंचभूत' का सिद्धांत पर्यावरण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह मानता है कि संपूर्ण सृष्टि और मानव शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच तत्वों से निर्मित हैं। चूंकि मनुष्य और प्रकृति एक ही तत्वों से बने हैं, इसलिए प्रकृति की रक्षा करना स्वयं की रक्षा करना है। यह दर्शन पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता और गहरे सम्मान की भावना जागृत करता है, जो संरक्षण का आधार है।

89. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
वैश्विक पर्यावरण संधियों का अपना एक ऐतिहासिक क्रम है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, जिसने आधुनिक पर्यावरणवाद की नींव रखी। 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, जिसने उत्सर्जन कटौती के विधिक लक्ष्य दिए। अंत में, 2015 के पेरिस समझौते ने जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु एक नया वैश्विक ढांचा तैयार किया। ये तिथियां पर्यावरणीय कूटनीति के मील के पत्थर हैं।

90. (A) भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ण करना।
सतत विकास की सबसे प्रमाणिक परिभाषा 1987 की ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में दी गई है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि वर्तमान विकास ऐसा होना चाहिए जो भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों को न छीने। इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ संतुलित किया जाता है। यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की वकालत करता है ताकि पृथ्वी की वहन क्षमता बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त हो सके।

91. (D) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की एक अनूठी विशेषता 'नागरिक वाद' का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कोई भी जागरूक नागरिक किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के विरुद्ध सीधे न्यायालय जा सकता है। इसके लिए उसे पहले संबंधित सरकारी प्राधिकारी को 60 दिनों का नोटिस देना होता है। यदि सरकार उस समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं करती, तो नागरिक स्वयं विधिक प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। यह प्रावधान पर्यावरणीय शासन में जनभागीदारी और पारदर्शिता बढ़ाता है।

92. (B) वायु प्रदूषण
प्रकाश-रासायनिक धूमकुहरा वायु प्रदूषण का एक जटिल रूप है जो मुख्य रूप से महानगरों में देखा जाता है। यह तब बनता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं। इसके कारण आंखों में

करता है। वन्यजीव अधिनियम प्रजातियों को उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अनुसूचियों में विभाजित करता है।

73. (C) वनों, वन्यजीवों का प्रशासन और पर्यावरणीय अपराधों के लिए दंड।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का ऐसा ग्रंथ है जो राज्य के शासन और प्रशासन के विस्तृत नियम देता है। इसमें वनों के प्रबंधन हेतु 'कुप्यध्यक्ष' नामक अधिकारी का उल्लेख है। ग्रंथ में वन्यजीवों के शिकार पर नियंत्रण, हाथी वनों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने हेतु अर्थदंड का प्रावधान है। यह साक्ष्य प्रमाणित करता है कि प्राचीन भारतीय राजनीति में पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधनों का कुशल प्रबंधन उच्च प्राथमिकता थी।

74. (A) पर्यावरण, सामाजिक समानता और आर्थिक व्यवहार्यता
सतत विकास एक त्रि-आयामी अवधारणा है जो समाज के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। इसका पहला स्तंभ पर्यावरण की सुरक्षा है, दूसरा स्तंभ आर्थिक विकास है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे, और तीसरा स्तंभ सामाजिक समानता है। इन तीनों के बीच सामंजस्य होने पर ही विकास वास्तविक और दीर्घकालिक हो सकता है। यह केवल लाभ कमाने के बजाय मनुष्यों और प्रकृति के सह-अस्तित्व को प्राथमिकता देने वाला समग्र दृष्टिकोण है।

75. (D) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति प्राप्त करना।
जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 के अंतर्गत, किसी भी नए उद्योग को स्थापित करने या मौजूदा जल निकासी व्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इसे 'स्थापना हेतु सहमति' और 'प्रचालन हेतु सहमति' कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उद्योग द्वारा छोड़ा जाने वाला अपशिष्ट निर्धारित मानकों के अनुरुप हो और जल स्रोतों को प्रदूषित न करे।

76. (B) जैव-आवर्धन (Biomagnification)
जैव-आवर्धन एक हानिकारक पारिस्थितिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ विषाक्त पदार्थ, जैसे पारा या डीडीटी, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। चूंकि ये पदार्थ जीवों के शरीर में नष्ट नहीं होते, इसलिए उच्च स्तर के शिकारियों (जैसे बड़े पक्षी या मनुष्य) में इनकी सांद्रता कई गुना बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया वन्यजीवों के प्रजनन और स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालती है और अंततः मनुष्यों हेतु गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न करती है।

77. (B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
1927 का भारतीय वन अधिनियम मुख्य रूप से वनों के व्यावसायिक दोहन और उन पर राज्य के नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु बनाया गया था। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण नहीं, बल्कि लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के परिवहन को विनियमित करना तथा उनसे राजस्व एकत्र करना था। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया प्रशासनिक कानून था। आधुनिक संरक्षण की अवधारणा बाद के कानूनों, जैसे 1980 के अधिनियम, में विकसित हुई।

78. (D) पशुओं और पक्षियों की एक सूची प्रदान की जिन्हें नहीं मारा जाना चाहिए और पशु चिकित्सालय स्थापित किए।
सम्राट अशोक के शिलालेख प्राचीन विश्व के सबसे प्रारंभिक पर्यावरण संरक्षण आदेशों में से एक हैं। पांचवें स्तंभ शिलालेख में अशोक ने कई पक्षियों और पशुओं के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने केवल संरक्षण ही नहीं किया, बल्कि बीमार पशुों के उपचार हेतु चिकित्सालयों की स्थापना भी की। यह मौर्य काल में राज्य द्वारा प्रकृति और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दिखाई गई करुणा और उत्तरदायित्व का उत्कृष्ट उदाहरण है।

79. (C) धारा 2(b)
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(b) में 'पर्यावरणीय प्रदूषक' को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 2(c) 'पर्यावरण प्रदूषण' की परिभाषा देती है। कानून के अंतर्गत इन शब्दों की सटीक परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर कानूनी कार्यवाही और दंड का निर्धारण किया जाता है। प्रदूषण का अर्थ पर्यावरण में किसी भी ऐसे प्रदूषक की उपस्थिति है जो हानिकारक हो। यह परिभाषा अधिनियम हेतु विधिक आधार तैयार करती है।

80. (B) इसने ध्वनि को प्रदूषक के रूप में सम्मिलित नहीं किया।
वायु अधिनियम, 1981 को जब प्रारंभ में लागू किया गया था, तब इसमें ध्वनि प्रदूषण का कोई उल्लेख नहीं था। उस समय केवल गैसीय और धूल कणों के उत्सर्जन पर ध्यान दिया गया था। ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरों को देखते हुए 1987 में अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से 'वायु प्रदूषक' की परिभाषा में ध्वनि को भी सम्मिलित किया गया, जिससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को शोर के मानकों को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त हुई।

81. (B) मानवजनित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो वैश्विक तापमान में वृद्धि रोकने हेतु समर्पित है। इसका प्राथमिक ध्यान वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में खतरनाक हस्तक्षेप न हो। इसके अंतर्गत होने वाली नियमित वार्ताएं और क्योटो तथा पेरिस जैसे समझौते इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देशों को प्रतिबद्ध करते हैं।

82. (A) पवित्र उपवन (Sacred Grove)
पवित्र उपवन भारत की प्राचीन और अद्वितीय परंपरा है। इसमें वन के किसी विशिष्ट भाग को धार्मिक मान्यताओं के कारण संरक्षित किया जाता है। स्थानीय लोग इन वनों को देवताओं का निवास मानते हैं और वहां से लकड़ी काटना या जानवरों का शिकार करना वर्जित होता है। यह समुदाय-आधारित संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने सदियों से जैव विविधता और

के कारण होता है, न कि ओजोन क्षरण के कारण। ये दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं जो मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम हैं।

102. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जल और वायु अधिनियमों के प्रारंभिक वर्षों में, उनमें दिए गए जुर्माने प्रदूषण रोकने हेतु बहुत प्रभावी नहीं थे। उद्योगों हेतु प्रायः दंड भरना प्रदूषण रोकने की तकनीक लगाने से सस्ता पड़ता था। इस कमी को दूर करने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अत्यंत कठोर दंड के प्रावधान किए गए। इसमें भारी जुर्माने के साथ कारावास की लंबी अवधि का प्रावधान है, जो उल्लंघनकर्ताओं हेतु एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है।

103. (D) अपवाह के माध्यम से गैर-बिंदु स्रोत जल प्रदूषण।
कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा और जल दोनों को प्रदूषित करता है। जब वर्षा होती है, तो खेतों में मौजूद ये रसायन जल के साथ बहकर निकटवर्ती नदियों में पहुँच जाते हैं। चूंकि इस प्रदूषण का कोई एक विशिष्ट निकास पाइप नहीं होता, इसलिए इसे 'गैर-बिंदु स्रोत प्रदूषण' कहा जाता है। यह जल निकायों में सुपोषण का मुख्य कारण है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होता है और पेयजल दूषित हो जाता है।

104. (A) कौटिल्य का अर्थशास्त्र
कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के राज्य प्रशासन का प्रामाणिक दस्तावेज है। इसमें वनों के प्रबंधन हेतु एक विस्तृत प्रणाली का वर्णन है। 'कुप्यध्यक्ष' या वन अधीक्षक के कर्तव्यों में वनों की सुरक्षा, उपज का संग्रह और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वालों को दंडित करना सम्मिलित था। इसमें वनों को उनकी उपयोगिता और उपज के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। यह दर्शाता है कि मौर्य काल में वनों को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन माना जाता था।

105. (C) P-4, Q-2, R-3, S-1
वन्यजीव अधिनियम की शब्दावली संरक्षण के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करती है। अनुसूची 1 पूर्ण सुरक्षा प्राप्त जीवों हेतु है। 'हानिकारक जीव' वे हैं जिनका कुछ परिस्थितियों में शिकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मानवीय गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध होता है और सुरक्षा का स्तर उच्चतम होता है। अभयारण्यों में स्थानीय समुदायों के कुछ सीमित अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है। यह श्रेणीबद्ध प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु विधिक ढांचा प्रदान करती है।

106. (A) निर्धनता उन्मूलन के लिए हरित अर्थव्यवस्था और सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचा।
2012 का 'रियो+20' शिखर सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करना और नई चुनौतियों का समाधान खोजना था। सम्मेलन ने 'हरित अर्थव्यवस्था' के विचार पर बल दिया, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ गरीबी मिटाने में भी सहायक हो। इसने सतत विकास लक्ष्यों के निर्माण हेतु आधार तैयार किया, जिन्हें बाद में 2015 में वैश्विक स्तर पर अपनाया गया।

107. (D) एक विशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट पाइप जो झील में खाली हो रहा है।
जल प्रदूषण का 'बिंदु स्रोत' वह होता है जिसे किसी एक निश्चित स्थान या पाइप द्वारा पहचाना जा सके। कारखाने का अपशिष्ट पाइप इसका सटीक उदाहरण है क्योंकि वहां से निकलने वाले प्रदूषकों के प्रवाह और सांद्रता को आसानी से मापा और नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत, कृषि अपवाह या अम्लीय वर्षा गैर-बिंदु स्रोत हैं क्योंकि वे एक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। बिंदु स्रोतों का विधिक नियमन और निगरानी करना तुलनात्मक रूप से अधिक सरल होता है।

108. (B) केंद्र सरकार को
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 25 केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम बनाने की व्यापक शक्तियां प्रदान करती है। इन नियमों के माध्यम से ही सरकार प्रदूषकों के उत्सर्जन के मानक, खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के तरीके और औद्योगिक प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध निर्धारित करती है। यद्यपि राज्य सरकारों की अपनी भूमिका होती है, परंतु इस व्यापक 'छतरी' कानून के अंतर्गत नियम बनाने का प्राथमिक अधिकार केंद्र के पास सुरक्षित है।

109. (C) ध्वनि प्रदूषण : ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है।
ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण शहरीकरण, परिवहन के साधन और औद्योगिक गतिविधियां हैं। इसका ओजोन परत के क्षरण से कोई संबंध नहीं है। ओजोन क्षरण रासायनिक गैसों, जैसे सीएफसी, के कारण होता है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण के अपने विशिष्ट कारण हैं, जैसे वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट और कीटनाशकों का उपयोग। प्रदूषण के प्रत्येक प्रकार के कारणों को सही ढंग से समझना उनके प्रभावी नियंत्रण और निवारण हेतु अत्यंत आवश्यक है।

110. (D) प्रकृति पूजनीय थी, जो मनुष्यों और प्राकृतिक विश्व के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों पर बल देती थी।
प्राचीन भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र 'प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व' रहा है। वेदों और उपनिषदों में प्रकृति को केवल संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवंत और पूजनीय सत्ता माना गया है। पंचभूतों का सिद्धांत और विभिन्न जीवों की पूजा इसी गहरे सम्मान का प्रतीक है। यह विचारधारा सिखाती है कि मनुष्य प्रकृति से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि उसके संतुलन का हिस्सा है। यह प्राचीन दर्शन ही आज के दौर में सतत विकास हेतु सबसे बड़ा नैतिक मार्गदर्शक है।

111. (A) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है जो वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी वन भूमि को बांध, सड़क या कृषि जैसे गैर-वन कार्यों हेतु उपयोग नहीं कर सकती। यह प्रावधान वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने में मजबूत अवरोध

के रूप में कार्य करता है और देश के वन क्षेत्र के संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

112. (B) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)
1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना था। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में बनाया गया। UNEP वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की स्थिति की निगरानी करने, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रोत्साहित करने और विकासशील देशों को पर्यावरण प्रबंधन में सहायता करने वाली प्रमुख संस्था है। यह सम्मेलन विश्व भर में पर्यावरण को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनाने में सफल रहा, जिससे अनेक अंतरराष्ट्रीय सुधार हुए।

113. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वायु अधिनियम, 1981 संपूर्ण भारत में लागू है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का मुख्य विधिक आधार है। यह अधिनियम राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान करता है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके राज्य के किसी भी हिस्से को 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' घोषित करें। ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषण पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है और उद्योगों को सख्त नियमों का पालन करना होता है। यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण स्थानीय प्रदूषण समस्याओं को हल करने में प्रभावी है।

114. (A) मृदा प्रदूषण
मृदा प्रदूषण मिट्टी की गुणवत्ता में होने वाला वह अवनयन है जो हानिकारक पदार्थों के मिलने से होता है। प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरक और औद्योगिक अपशिष्ट मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को नष्ट कर देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और सूक्ष्मजीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। प्रदूषित मिट्टी में उगने वाले पादप मनुष्यों और जानवरों हेतु जहरीले हो सकते हैं। मृदा प्रदूषण को रोकना कृषि और खाद्य सुरक्षा हेतु अनिवार्य है।

115. (C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय उद्यानों के 'कोर' क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर अत्यंत कठोर प्रतिबंध होता है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के व्यावसायिक निर्माण, जैसे होटल या रिसॉर्ट, की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और शांति में व्यवधान उत्पन्न होता है। यह निषेध जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। कानून का मुख्य उद्देश्य संरक्षण को सर्वोपरि रखना है।

116. (D) ब्रुंडलैंड रिपोर्ट, "अवर Common Future" (1987)
'सतत विकास' शब्द को वैश्विक स्तर पर मान्यता 1987 में ब्रुंडलैंड आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से मिली। इस रिपोर्ट ने पहली बार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के द्वंद्व को समाप्त करते हुए ऐसा मार्ग सुझाया जो दोनों को साथ लेकर चल सके। रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि विकास तभी स्थायी है जब वह पृथ्वी की वहन क्षमता के भीतर हो और भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का सम्मान करे। इसने आधुनिक वैश्विक पर्यावरण नीतियों का आधार तैयार किया।

117. (C) A सही है परंतु R गलत है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारत का एक अत्यंत व्यापक और शक्तिशाली कानून है। इसे 'छतरी' अधिनियम कहा जाता है क्योंकि यह केवल वायु या जल प्रदूषण तक सीमित नहीं है, बल्कि खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन और समग्र पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधार पर केंद्रित है। यह पिछले कानूनों की कमियों को दूर करने हेतु लाया गया था। यह कानून केंद्र सरकार को प्रदूषण के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा सुदृढ़ होती है।

118. (B) पवित्र उपवन (देवराय) का रखरखाव
प्राचीन भारत में 'पवित्र उपवन' जैव विविधता संरक्षण का अनूठा माध्यम थे। इन्हें 'देवराय' या 'पवित्र उपवन' कहा जाता है, जहाँ वन के किसी भाग को स्थानीय देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था। धार्मिक आस्था के कारण लोग वहां के वृक्षों को नहीं काटते थे और वन्यजीवों को क्षति नहीं पहुँचाते थे। यह प्रथा आज भी भारत के कई हिस्सों में जीवित है और इसने कई दुर्लभ पादपों और जीवों को विलुप्त होने से बचाने में मदद की है।

119. (A) केवल 1 और 2
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 केवल पशुओं हेतु ही नहीं, बल्कि पादपों हेतु भी प्रावधान करता है। अधिनियम की अनुसूची 6 में निर्दिष्ट पादपों, जैसे कुछ दुर्लभ औषधीय पौधों, के संरक्षण और व्यापार के नियम दिए गए हैं। यह अधिनियम राज्य स्तर पर मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति करता है जो कानूनों को लागू करने हेतु उत्तरदायी होता है। शिकार पर प्रतिबंध और आवास सुरक्षा इसके मुख्य स्तंभ हैं, जो देश की जैव विविधता की समग्र रक्षा करते हैं।

120. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
भारतीय उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण रक्षा हेतु अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। 'इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन' वाद में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मजबूती मिली। 'वेल्लोर सिटीजन्स' मामले में पूर्व-सावधानी सिद्धांत को परिभाषित किया गया। 'एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ' वाद में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया गया, जबकि 'ओलियम गैस रिसाव' मामले में खतरनाक उद्योगों हेतु 'पूर्ण उत्तरदायित्व' का सिद्धांत सामने आया। ये निर्णय भारतीय पर्यावरण कानून के मार्गदर्शक स्तंभ हैं।

121. (C) सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड
अम्लीय वर्षा तब होती है जब जीवाश्म ईंधन जलने और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में पहुँचते हैं। वहां ये गैसें जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। जब यह वर्षा के साथ जमीन पर गिरती है, तो यह जलाशयों, मिट्टी, जंगलों और ऐतिहासिक इमारतों को

गंभीर क्षति पहुँचाती है। इसे रोकना वायु प्रदूषण नियंत्रण का एक प्रमुख वैश्विक लक्ष्य है।

122. (A) उपर्युक्त सभी
जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत 'जलधारा' शब्द को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण का दायरा विस्तृत रहे। इसमें नदियां, नाले, जलमार्ग और भूगर्भिक जल तो सम्मिलित हैं ही, साथ ही अंतर्देशीय जल और समुद्र का वह हिस्सा भी सम्मिलित किया जा सकता है जिसे सरकार अधिसूचित करे। यह व्यापक परिभाषा बोर्ड को प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की निगरानी करने और जल की स्वच्छता बनाए रखने हेतु आवश्यक विधिक अधिकार प्रदान करती है।

123. (D) प्रजाति संरक्षण
भारतीय संस्कृति में कुछ विशिष्ट पशुओं को पवित्र मानकर उनकी पूजा करने का रिवाज वास्तव में प्रजाति संरक्षण का अनौपचारिक तरीका है। गाय, सर्प और हाथियों जैसे जीवों के प्रति यह धार्मिक श्रद्धा उन्हें समाज में विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। इससे इन जीवों के प्रति मनुष्यों में करुणा का भाव जागृत होता है, जिससे उनका अवैध शिकार या उन्हें क्षति पहुँचाना सामाजिक रूप से वर्जित हो जाता है। यह परंपरा जैव विविधता के सह-अस्तित्व को बढ़ावा देती है।

124. (B) वन्यजीवों या उनके पर्यावरण की सुरक्षा, संवर्धन या विकास करना।
राष्ट्रीय उद्यानों का गठन पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को विधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पनपने का अवसर देना है। यहाँ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक दोहन, शिकार या मानवीय बस्तियों की अनुमति नहीं होती। यह जैव विविधता के संरक्षण का उच्चतम स्तर है, जो आने वाली पीढ़ियों हेतु प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है।

125. (C) सभी देश उत्तरदायित्व साझा करते हैं, परंतु ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण विकसित देशों को नेतृत्व करना चाहिए।
'साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व' का सिद्धांत जलवायु परिवर्तन वार्ताओं का केंद्र है। यह मानता है कि यद्यपि पृथ्वी की जलवायु बचाना सभी देशों का साझा कर्तव्य है, परंतु विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के दौरान सर्वाधिक उत्सर्जन किया है। साथ ही, उनके पास आर्थिक और तकनीकी क्षमता भी अधिक है। इसलिए, उन्हें उत्सर्जन कम करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

126. (D) देशी जैव विविधता
आक्रामक विदेशी प्रजातियां वे पादप या जंतु होते हैं जो अपने मूल स्थान से बाहर किसी नए क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। वहां उनकी जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती है क्योंकि उनके प्राकृतिक शिकारी वहां मौजूद नहीं होते। वे स्थानीय प्रजातियों के साथ भोजन और आवास हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन्हें विस्थापित कर देते हैं। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और जैव विविधता को भारी क्षति पहुँचती है। यह प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है।

127. (A) (A) और (B) दोनों।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने हेतु असाधारण शक्तियां प्रदान करती है। इस धारा के अंतर्गत सरकार किसी भी ऐसी औद्योगिक गतिविधि को रोकने या विनियमित करने का निर्देश दे सकती है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हो। इसके अतिरिक्त, सरकार के पास यह शक्ति भी है कि वह दोषी उद्योग की बिजली, पानी या अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को बंद करने का आदेश दे सके। यह उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध एक प्रभावी प्रशासनिक कार्यवाही है।

128. (A) 1, 4, 2, 3
भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों का अधिनियमन वर्ष एक विकास प्रक्रिया को दर्शाता है। सर्वप्रथम 1974 में जल अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1981 में वायु अधिनियम आया। जैव विविधता के संरक्षण हेतु 2002 में जैविक विविधता अधिनियम अधिनियमित किया गया। अंत में, 2010 में पर्यावरणीय विवादों के त्वरित निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम लागू हुआ। यह अनुक्रम भारत की बदलती पर्यावरणीय प्राथमिकताओं और कानूनी सुधारों की निरंतरता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

129. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
1927 का भारतीय वन अधिनियम औपनिवेशिक काल की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था, जहाँ वनों को मुख्य रूप से राजस्व और लकड़ी के स्रोत के रूप में देखा जाता था। इसके विपरीत, 1980 का वन (संरक्षण) अधिनियम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वनों की तेजी से हो रही कटाई को रोकने की आवश्यकता का परिणाम था। यह नया कानून वनों के संरक्षण को प्राथमिकता देता है और वन भूमि के किसी भी गैर-वन उपयोग पर केंद्र का कठोर नियंत्रण स्थापित करता है।

130. (A) पर्यावरणीय कल्याण सहित नैतिक आचरण को बढ़ावा देने में राज्य की प्रारंभिक भूमिका।
सम्राट अशोक के शिलालेख न केवल शासन के नियम हैं, बल्कि वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा और करुणा के संदेश भी हैं। उन्होंने वनों की रक्षा, औषधीय पादपों के रोपण और पशुओं के वध पर प्रतिबंध के आदेश दिए। यह इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण और जीव कल्याण राज्य की नीति का हिस्सा था। अशोक ने धर्म के माध्यम से मनुष्यों को प्रकृति के प्रति उनके उत्तरदायित्वों का बोध कराया था।

131. (C) कोई भी पशु, पादप आवास का सदस्य, या जलीय वनस्पति जिसमें मधुमक्खियां, तितलियां और क्रस्टेशिया सम्मिलित हैं।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 'वन्यजीव' की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। इसमें न केवल स्तनधारी और पक्षी सम्मिलित हैं, बल्कि छोटे कीट जैसे मधुमक्खियां, तितलियां और जलीय वनस्पतियां भी सम्मिलित हैं। यह परिभाषा स्वीकार

में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जो वैश्विक तापन का प्रमुख कारक है। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग न केवल मृदा को प्रदूषित करता है, बल्कि यह सुपोषण जैसी समस्याओं के माध्यम से जल निकायों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से हानि पहुँचाता है।

192. (B) वनों, वन-उपज के पारगमन और लकड़ी तथा अन्य वन-उपज पर देय शुल्क से संबंधित कानून को समेकित किया।
भारतीय वन अधिनियम, 1927 एक औपनिवेशिक काल का कानून है जिसने वनों के प्रशासन हेतु नियमों का संकलन किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य वनों को आरक्षित और संरक्षित श्रेणियों में बाँटकर उन पर सरकारी नियंत्रण सुदृढ़ करना था। यह अधिनियम मुख्य रूप से वन संपदा के व्यावसायिक दोहन, लकड़ी के परिवहन और उस पर शुल्क वसूलने की प्रक्रियाओं को विनियमित करने पर केंद्रित था। यद्यपि इसमें संरक्षण के कुछ तत्व थे, परंतु इसका मुख्य झुकाव प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण की ओर था।

193. (A) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
1984 की भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा थी। इस घटना ने देश के पर्यावरणीय कानूनों की कमियों को उजागर कर दिया, जिससे निपटने हेतु एक व्यापक कानून की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणामस्वरूप 1986 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी संभावित प्रदूषणकारी गतिविधि के विरुद्ध त्वरित और सख्त कार्यवाही करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। यह आपदा भविष्य हेतु एक विधिक सबक बन गई।

194. (A) 1987 में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन
यद्यपि सतत विकास के विचार पर पहले भी चर्चा हुई थी, परंतु इसे एक औपचारिक वैश्विक नीतिगत अवधारणा के रूप में 1987 में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने स्थापित किया। इस रिपोर्ट ने पहली बार पर्यावरण और विकास को एक-दूसरे का विरोधी मानने के बजाय पूरक बताया। रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ही विश्व भर में सरकारों ने अपनी विकास योजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता को एक अनिवार्य घटक के रूप में सम्मिलित करना प्रारंभ किया, जो आज भी वैश्विक नीति का आधार है।

195. (C) जलाशयों और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की प्रथा।
प्राचीन भारत में जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों, कुओं और झीलों के निर्माण की समृद्ध परंपरा रही है। ये संरचनाएं न केवल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती थीं, बल्कि भूजल के पुनर्भरण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी सहायक होती थीं। यह प्राचीन ज्ञान दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने संसाधनों के पुनर्चक्रण और संरक्षण के महत्व को बहुत पहले ही समझ लिया था, जो आज भी प्रासंगिक है।

196. (D) जैव-संचय (Bioaccumulation)
जैव-संचय वह प्रक्रिया है जिसमें कोई प्रदूषक, जैसे भारी धातु या कीटनाशक, किसी जीव के शरीर में उसके वातावरण से सीधे प्रवेश करता है और जमा हो जाता है। यह तब होता है जब जीव द्वारा प्रदूषक के अवशोषण की दर उसे बाहर निकालने की दर से अधिक होती है। यह प्रदूषण का प्रथम चरण है, जो खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर प्रारंभ होता है। यदि ये प्रदूषक नष्ट नहीं होते, तो वे बाद में जैव-आवर्धन के माध्यम से उच्च स्तर के शिकारियों हेतु घातक बन जाते हैं।

197. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। इसके अंतर्गत उन उद्योगों और स्थानीय निकायों पर उपकर लगाया जाता है जो बड़ी मात्रा में जल का उपभोग करते हैं। यह उपकर जल के उपयोग के आधार पर वसूला जाता है और प्राप्त धनराशि का उपयोग बोर्डों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों और निगरानी हेतु किया जाता है। यह एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है जो जल संरक्षण को प्रोत्साहित करता है।

198. (B) आरक्षित वनों में मानवीय गतिविधियाँ निषिद्ध हैं जब तक कि उनकी स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।
भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वनों को उच्चतम स्तर की विधिक सुरक्षा प्राप्त है। इन वनों का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक स्थिरता और राष्ट्रीय संपदा की रक्षा करना है। यहाँ चराई, खेती या लकड़ी एकत्र करने जैसी कोई भी गतिविधि तब तक दंडनीय अपराध है जब तक कि वन विभाग द्वारा इसके लिए कोई विशेष लिखित अनुमति न दी गई हो। यह कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि ये वन क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से बचे रहें और जैव विविधता के सुरक्षित केंद्र बने रहें।

199. (D) पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C ऊपर, जबकि वृद्धि को 1.5°C तक सीमित करने का लक्ष्य रखना।
2015 का पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। इसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना है। साथ ही, यह समझौता देशों को इस बात हेतु प्रेरित करता है कि वे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखने का प्रयास करें। यह लक्ष्य पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों से बचाने हेतु वैज्ञानिक रूप से आवश्यक माना गया है।

200. (A) नैतिक आचरण जिसमें जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और प्रकृति के प्रति सम्मान सम्मिलित था।
प्राचीन भारतीय विचार में 'धर्म' का अर्थ केवल पूजा-पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने की नैतिक संहिता थी। इसमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्व सम्मिलित था, जिसका अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। धर्म सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और अहिंसा का पाठ पढ़ाता था, जिससे प्राकृतिक संसाधनों के प्रति शोषण के बजाय

142. (D) 'आरक्षित वनों' में, सब कुछ निषिद्ध है जब तक कि अनुमति न दी जाए; 'संरक्षित वनों' में, इसके विपरीत लागू होता है।
1927 के वन अधिनियम में वनों के वर्गीकरण का मुख्य आधार उन पर लागू प्रतिबंधों का स्तर है। आरक्षित वनों में राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है और वहां चराई या लकड़ी काटना तब तक वर्जित है जब तक कि वन विभाग अनुमति न दे। इसके विपरीत, संरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को कुछ गतिविधियों की सामान्य अनुमति होती है, जब तक कि सरकार उन्हें विशेष रूप से प्रतिबंधित न कर दे। यह अंतर सुरक्षा और स्थानीय उपयोग में संतुलन हेतु है।

143. (A) पेरिस समझौता
पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया एक ऐतिहासिक जलवायु समझौता है। इसकी मुख्य विशेषता 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' की प्रणाली है। इसके अंतर्गत प्रत्येक देश स्वयं अपने लक्ष्यों को निर्धारित करता है कि वह जलवायु परिवर्तन से निपटने और उत्सर्जन कम करने हेतु क्या कदम उठाएगा। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उन्हें वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक रूप से उत्तरदायी बनाता है।

144. (B) ध्वनि
ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए 'डेसीबल' एक मानक वैज्ञानिक इकाई है। मानव कान हेतु ध्वनि का निश्चित स्तर सुखद होता है, परंतु उससे अधिक स्तर शोर या ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। सामान्य वार्तालाप लगभग 60 डेसीबल होता है, जबकि 85 डेसीबल से अधिक की निरंतर ध्वनि श्रवण क्षमता को क्षति पहुँचा सकती है। वायु अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि के मानक निर्धारित करने हेतु इसी इकाई का उपयोग किया जाता है ताकि स्वास्थ्य की रक्षा हो सके।

145. (B) कथन I गलत है, परंतु कथन II सही है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारत का एक व्यापक और समावेशी कानून है। यह केवल खतरनाक अपशिष्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा अत्यंत विस्तृत है। इसे 'छतरी' कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केंद्र सरकार को संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा हेतु नियम बनाने, मानक तय करने और विभिन्न निकायों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। यह अन्य विशिष्ट कानूनों के बीच की विधिक कमियों को सफलतापूर्वक भरता है।

146. (A) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
जल अधिनियम, 1974 बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान करता है। यदि कोई कारखाना बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करता या निर्देशों के बावजूद नदी में प्रदूषक छोड़ना जारी रखता है, तो अधिनियम के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें जुर्माने के साथ कारावास का भी प्रावधान है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि औद्योगिक इकाइयां जल स्रोतों की स्वच्छता के प्रति उत्तरदायी रहें।

147. (C) भारत के प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सर्वोच्च वैधानिक संस्था है जो देश में वन्यजीव संरक्षण की दिशा और नीतियों का निर्धारण करती है। इस बोर्ड का महत्व इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह उच्च स्तरीय नेतृत्व सुनिश्चित करता है कि वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा हेतु लिए गए निर्णयों में राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रभावशीलता सम्मिलित हो। बोर्ड राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर निर्णय लेता है।

148. (D) मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व का सबसे सफल पर्यावरण समझौता माना जाता है। 1987 में हस्ताक्षरित यह संधि विशेष रूप से ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु बनाई गई थी। इसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पदार्थों के उपयोग को वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इस समझौते की सफलता का प्रमाण यह है कि आज ओजोन परत धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो रही है। यह वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय संकटों के समाधान का उत्कृष्ट उदाहरण है।

149. (C) पशुओं और पौधों सहित सभी जीवित प्राणी
भारतीय दर्शन में 'अहिंसा' का अर्थ केवल मनुष्यों को चोट न पहुँचाना नहीं है, बल्कि यह समस्त सृष्टि के प्रति करुणा का विस्तार है। जैन और बौद्ध धर्मों ने इस विचार को अत्यधिक महत्व दिया, जहाँ सूक्ष्म जीवों और पादपों के जीवन का भी सम्मान किया जाता है। यह नैतिकता सिखाती है कि प्रत्येक जीवन रूप का अपना आंतरिक मूल्य है। यह प्राचीन दृष्टिकोण आज के जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी-केंद्रित दर्शन के अत्यंत निकट है, जो संपूर्ण जीवन तंत्र की रक्षा करता है।

150. (B) ऑक्सीजन (O_2)
ऑक्सीजन पृथ्वी के वायुमंडल की एक प्रमुख गैस है जो जीवन हेतु अनिवार्य है, परंतु यह ग्रीनहाउस गैस नहीं है। ग्रीनहाउस गैसें वे होती हैं जो सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वातावरण का लगभग 99% भाग निर्मित करते हैं लेकिन वे ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। अतः, वैश्विक तापन में ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं है, जबकि ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है।

151. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 नागरिकों को पर्यावरणीय अपराधों के विरुद्ध सीधे न्यायालय जाने की शक्ति प्रदान करती है। हालांकि, विधिक प्रक्रिया को संतुलित रखने हेतु यह अनिवार्य है कि नागरिक पहले केंद्र सरकार या संबंधित प्राधिकारी को 60 दिनों का लिखित नोटिस दें। यह नोटिस सरकार को स्वयं कार्यवाही करने का अवसर देता है। यदि सरकार विफल रहती है, तभी नागरिक वाद दायर कर सकता है। यह प्रावधान पर्यावरणीय शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

152. (A) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह शक्ति दी गई है कि वे किसी भी क्षेत्र को 'वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र' घोषित करें। यह घोषणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श के बाद अधिसूचना के माध्यम से की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषण पर कड़ी नजर रखी जाती है और वहां प्रयुक्त होने वाले ईंधनों तथा औद्योगिक उत्सर्जन हेतु सख्त नियम लागू होते हैं। यह स्थानीय स्तर पर वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु एक प्रभावी प्रशासनिक उपकरण है।

153. (D) 1, 2 और 3
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूचियां संरक्षण हेतु एक विस्तृत ढांचा प्रदान करती हैं। अनुसूची 1 और 2 के पशुओं को उच्चतम विधिक सुरक्षा प्राप्त है और उनके विरुद्ध अपराध पर कठोर दंड मिलता है। अनुसूची 5 में वे जीव हैं जिन्हें विशेष परिस्थितियों में हानिकारक घोषित कर शिकार की अनुमति दी जा सकती है। अनुसूची 6 उन दुर्लभ पादपों की रक्षा करती है जिनके व्यावसायिक दोहन पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह वर्गीकरण प्रजातियों की संवेदनशीलता के आधार पर विधिक कार्यवाही को सुगम बनाता है।

154. (A) अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत
अंतर-पीढ़ीगत समानता सतत विकास की आत्मा है। यह सिद्धांत इस नैतिक विचार पर आधारित है कि पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन वर्तमान पीढ़ी की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी विरासत हैं जिन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों हेतु सुरक्षित रखना है। हमारा कर्तव्य है कि हम विकास इस प्रकार करें कि भविष्य के लोग भी स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और समृद्ध जैव विविधता का आनंद ले सकें। यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और दीर्घकालिक पारिस्थितिक सुरक्षा की वकालत करता है।

155. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
भारत की पर्यावरणीय परंपराएं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध हैं। गंगा की पूजा जल निकायों की पवित्रता बनाए रखने का सांस्कृतिक माध्यम है। बिश्नोई समुदाय के 29 नियम प्रकृति और जीवों की रक्षा हेतु समर्पित हैं। पंचभूत की अवधारणा मनुष्य और प्रकृति के तत्वों के बीच गहरे अंतःसंबंध को स्पष्ट करती है। सम्राट अशोक के शिलालेख वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण हेतु राज्य द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रयासों का अनूठा विधिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

156. (B) मरुस्थलीकरण
मरुस्थलीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शुष्क क्षेत्रों की भूमि अपनी जैविक उत्पादकता खो देती है और मरुस्थल जैसी स्थितियों में बदल जाती है। यह जलवायु परिवर्तन, वनों की अत्यधिक कटाई और अनुपयुक्त कृषि पद्धतियों का परिणाम है। इससे मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है और वहां वनस्पति उगना कठिन हो जाता है। मरुस्थलीकरण विश्व भर में खाद्य सुरक्षा और लाखों लोगों की आजीविका हेतु गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक खतरा बन गया है।

157. (C) इस संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति
वायु अधिनियम, 1981 बोर्ड को औद्योगिक उत्सर्जन की निगरानी करने की व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी निकास से वायु के नमूने लेने का विधिक अधिकार है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है कि उद्योग निर्धारित उत्सर्जन मानकों का पालन कर रहे हैं। नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग की जा सकती है।

158. (D) राज्य के वे वन जहाँ सरकार वृक्षों को आरक्षित कर सकती है और कुछ कार्यों को निषिद्ध कर सकती है।
भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत 'संरक्षित वन' वे क्षेत्र हैं जहाँ सरकार का स्वामित्व होता है परंतु आरक्षित वनों की तुलना में कुछ अधिक गतिविधियों की अनुमति होती है। इन वनों में राज्य सरकार विशिष्ट वृक्षों को आरक्षित घोषित कर सकती है या चराई और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध लगा सकती है। संरक्षित वनों का मुख्य उद्देश्य उन वन भूमियों को सुरक्षा प्रदान करना है जिन्हें अभी तक आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

159. (A) क्योटो प्रोटोकॉल
स्वच्छ विकास तंत्र क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित एक अभिनव बाजार-आधारित तंत्र था। इसका उद्देश्य विकसित देशों को उनके उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करना और साथ ही विकासशील देशों में सतत विकास को बढ़ावा देना था। इसके माध्यम से विकसित देश विकासशील देशों में हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश कर सकते थे और बदले में उत्सर्जन क्रेडिट प्राप्त कर सकते थे। इसने वैश्विक स्तर पर कार्बन वित्त और स्वच्छ तकनीक के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया।

160. (B) प्रजाति संरक्षण
पीपल और बरगद जैसे वृक्षों को न काटने का भारतीय रिवाज वास्तव में 'प्रजाति संरक्षण' का एक पारंपरिक रूप है। इन वृक्षों को पवित्र माना गया है क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र में 'कीस्टोन' प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं। वे बड़ी संख्या में पक्षियों और कीटों को आवास प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं। धार्मिक श्रद्धा के माध्यम से इन्हें सुरक्षा प्रदान करना एक सामाजिक तंत्र है जिसने विधिक कानूनों के अभाव में भी जैव विविधता को बचाए रखा है।

161. (B) पर्यावरणीय प्रदूषक
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ वातावरण में किसी भी 'पर्यावरणीय प्रदूषक' की उपस्थिति है। प्रदूषक वह पदार्थ है जो ठोस, द्रव या गैस के रूप में हो सकता है और जो ऐसी सांद्रता में मौजूद हो जो पर्यावरण को हानि पहुँचाने की क्षमता रखता हो। प्रदूषण की यह परिभाषा स्वीकार करती है कि समस्या पदार्थ की प्रकृति के साथ-साथ उसकी मात्रा और प्रभाव से जुड़ी है। प्रदूषण नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य इन प्रदूषकों के स्तर को कम करना है।

162. (A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं, परंतु उनकी विधिक स्थिति भिन्न है। राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा का स्तर अधिक कठोर होता है और वहां लगभग सभी मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। इसके विपरीत, वन्यजीव अभयारण्यों में स्थानीय निवासियों को कुछ पारंपरिक अधिकारों, जैसे चराई या लकड़ी एकत्र करना, की अनुमति मुख्य वन्यजीव वार्डन की देखरेख में दी जा सकती है। राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षा का उच्चतम स्तर होता है।

163. (C) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात, भारत ने अपनी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु विधिक ढांचा तैयार करना प्रारंभ किया। इसके परिणामस्वरूप पारित प्रथम प्रमुख कानून जल अधिनियम, 1974 था। इस अधिनियम ने ही देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की और जल की स्वच्छता बनाए रखने हेतु विधिक प्रक्रिया निर्धारित की। यह कानून भारत में आधुनिक पर्यावरणीय शासन की दिशा में उठाया गया पहला ठोस कदम था, जिसने भविष्य के कानूनों का मार्ग प्रशस्त किया।

164. (D) यह पारिस्थितिकी तंत्र की अस्थिरता और आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की क्षति का कारण बन सकता है।
जैव विविधता की हानि केवल प्रजातियों के विलुप्त होने का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व हेतु भी खतरा है। समृद्ध जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र हमें शुद्ध जल, भोजन, परागण और जलवायु नियंत्रण जैसी अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। जब प्रजातियां लुप्त होती हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो जाता है और उसकी झटकों को सहने की क्षमता कम हो जाती है। अतः जैव विविधता का संरक्षण पृथ्वी की जीवन रक्षक प्रणाली को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

165. (C) हरे वृक्षों की कटाई को दंडनीय अपराध बनाते थे।
प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र और स्मृतियाँ पर्यावरण के प्रति अत्यंत सजग थीं। इन ग्रंथों में वृक्षों को काटना एक पाप और दंडनीय अपराध माना जाता था। विशेष रूप से फल देने वाले और छायादार वृक्षों की रक्षा पर बल दिया गया था। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में वनस्पति को भी चेतना युक्त माना गया है और उन्हें क्षति पहुँचाने हेतु प्रायश्चित और जुर्माने का प्रावधान था। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में संसाधनों के सतत उपयोग और प्रकृति की रक्षा हेतु विधिक आधार मौजूद थे।

166. (B) मृदा और जल प्रदूषण
जब औद्योगिक अपशिष्ट को सीधे भूमि पर गाड़ा जाता है, तो वह सबसे पहले मिट्टी को दूषित करता है। समय के साथ ये विषैले रसायन रिसकर भूजल में मिल जाते हैं, जिससे निकटवर्ती क्षेत्रों के पेयजल स्रोत भी संदूषित हो जाते हैं। यह स्थिति एक ही स्रोत से होने वाले दो प्रकार के प्रदूषणों के अंतःसंबंध को दर्शाती है। भूजल का प्रदूषण विशेष रूप से घातक है क्योंकि इसकी सफाई करना और इसके हानिकारक प्रभावों को रोकना अत्यंत कठिन और खर्चीला कार्य होता है।

167. (B) A और R दोनों सही हैं परंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अपनी संक्षिप्तता के बावजूद भारत का सबसे शक्तिशाली पर्यावरण कानून माना जाता है। इसमें केवल पांच धाराएं हैं, परंतु इसका प्रभाव व्यापक है। इसने वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों हेतु उपयोग पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया है। यद्यपि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु अधिनियम की संक्षिप्तता उसकी प्रभावशीलता का एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार को दी गई सर्वोच्च स्वीकृति की शक्ति ही इसकी वास्तविक सफलता है।

168. (A) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एक प्रमुख तकनीकी और सलाहकार निकाय है। इसे जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित सभी विषयों पर केंद्र सरकार को परामर्श देने का विधिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। बोर्ड प्रदूषण के आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करता है, नई तकनीकों पर शोध करता है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार करता है। सरकार बोर्ड के विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर ही पर्यावरणीय मानकों का निर्धारण करती है।

169. (C) यह किसी भी पादप प्रजाति के संरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पादपों के संरक्षण हेतु भी विशिष्ट प्रावधान करता है। अधिनियम की अनुसूची 6 में दुर्लभ और संकटग्रस्त पादप प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनकी खेती और व्यापार पर कड़ा नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना करता है और संकटग्रस्त जानवरों के व्यापार को विनियमित करता है। पादपों को सम्मिलित करना यह सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को विधिक सुरक्षा मिले।

170. (A) कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड
ग्रीनहाउस प्रभाव प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण में कुछ विशिष्ट गैसों की सांद्रता बहुत बढ़ गई है। जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कृषि से मीथेन और उर्वरकों के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ये गैसें सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। इस अनियंत्रित वृद्धि को रोकना जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

171. (A) केवल 1 और 3
जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। अधिनियम में दो या दो से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त बोर्ड के गठन का प्रावधान है। बोर्डों को उद्योगों का निरीक्षण करने और विश्लेषण हेतु अपशिष्टों के नमूने लेने की महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। हालांकि, ये बोर्ड पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं; वे अपनी प्रशासनिक गतिविधियों हेतु संबंधित सरकारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं।

करती है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ संचालन हेतु हर जीव और पादप महत्वपूर्ण है। कानून का उद्देश्य संपूर्ण प्राकृतिक आवास और उसके भीतर के सभी जीवन रूपों को सुरक्षा प्रदान करना है, न कि केवल कुछ चुनिंदा प्रजातियों को।

132. (D) एजेंडा 21
'एजेंडा 21' 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह 21वीं शताब्दी में सतत विकास प्राप्त करने हेतु वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाहियों की व्यापक योजना है। यद्यपि यह विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, परंतु इसने विश्व भर की सरकारों को अपनी विकास नीतियों में पर्यावरणीय चिंताओं को सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया है। यह गरीबी उन्मूलन और संसाधन प्रबंधन के बीच गहरा संबंध स्थापित करता है।

133. (C) जलीय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण
जल प्रदूषण के मुख्य कारणों में औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज और उर्वरक सम्मिलित हैं, जो जल को संदूषित करते हैं। इसके विपरीत, जलीय पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण अत्यंत लाभकारी प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया जल में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है, जो मछलियों और अन्य जलीय जीवों के जीवन हेतु अनिवार्य है।

134. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वायु अधिनियम, 1981 में 1987 के संशोधन के माध्यम से ध्वनि को 'वायु प्रदूषक' के रूप में सम्मिलित करना क्रांतिकारी कदम था। इस बदलाव ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को शोर के स्तर को मापने और विनियमित करने का विधिक अधिकार दिया। इसके पश्चात ही औद्योगिक क्षेत्रों, वाहनों और आयोजनों हेतु ध्वनि मानक निर्धारित किए जा सके। यह संशोधन इस मान्यता पर आधारित था कि शोर का स्तर बढ़ने से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

135. (C) केवल 2 और 3
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का मुख्य बल वन भूमि के संरक्षण पर है। यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि किसी भी गैर-वन कार्य हेतु केंद्र की अनुमति ली जाए। साथ ही, यदि वन भूमि का मार्ग बदला जाता है, तो उसके बदले समान मात्रा में वृक्षारोपण करना होता है, जिसे 'प्रतिपूरक वनीकरण' कहा जाता है। यह कानून केवल सरकारी वनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वन के रूप में अधिसूचित या पहचाने गए सभी क्षेत्रों पर प्रभावी रूप से लागू होता है।

136. (A) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम केवल पशुओं की ही नहीं, बल्कि दुर्लभ पादपों की भी रक्षा करता है। अधिनियम की अनुसूची 6 में कुछ 'निर्दिष्ट पादप' सूचीबद्ध हैं, जिन्हें बिना अनुमति के तोड़ना या संग्रह करना अपराध है। राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों से किसी भी पादप को हटाना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। यह प्रावधान जैव विविधता की रक्षा करने और दुर्लभ प्रजातियों के अवैध व्यापार को रोकने हेतु बनाया गया है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे।

137. (C) वन संरक्षण आंदोलन
चिपको आंदोलन भारत का एक विश्व प्रसिद्ध वन संरक्षण आंदोलन है जो 1970 के दशक में हिमालयी क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने वृक्षों को कटने से बचाने हेतु उन्हें अपनी बाहों में घेर लिया। यह आंदोलन व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध स्थानीय समुदायों के अपने वनों पर अधिकारों और पर्यावरण रक्षा का सशक्त प्रतीक बन गया, जिसने विश्व भर में पर्यावरण आंदोलनों को प्रेरित किया।

138. (C) P-3, Q-4, R-2, S-1
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों का उद्देश्य विशिष्ट वैश्विक समस्याओं का समाधान करना है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु बनाया गया है, जबकि जैविक विविधता पर सम्मेलन प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विशेष रूप से ओजोन क्षयकारी पदार्थों को रोकने हेतु है। स्टॉकहोम सम्मेलन ने स्थायी जैविक प्रदूषकों के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले घातक प्रभावों को कम करने हेतु एक वैश्विक रूपरेखा तैयार की है।

139. (D) वैश्विक तापन
वैश्विक तापन पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में होने वाली निरंतर वृद्धि को कहते हैं। इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियों, जैसे जीवाश्म ईंधन जलने और वनों की कटाई, से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। ये गैसें सूर्य की ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती हैं, जिससे 'ग्रीनहाउस प्रभाव' उत्पन्न होता है। इसके परिणामस्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न में विनाशकारी बदलाव आ रहे हैं।

140. (B) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
भारत में प्रदूषण नियंत्रण की संस्थागत संरचना का जन्म जल अधिनियम, 1974 के साथ हुआ। इसी अधिनियम ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि बाद में इन बोर्डों को वायु अधिनियम और अन्य नियमों के तहत अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गईं, परंतु उनकी स्थापना और विधिक पहचान का मूल स्रोत जल अधिनियम ही है। ये बोर्ड आज भारत में पर्यावरणीय मानकों के प्रवर्तन हेतु जिम्मेदार हैं।

141. (C) सामुदायिक विश्वास और प्रकृति के प्रति श्रद्धा
'पवित्र उपवन' जैव विविधता के संरक्षण का अद्भुत पारंपरिक उदाहरण हैं, जो विधिक आदेशों के बजाय स्थानीय समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन वनों को देवताओं का निवास मानकर स्थानीय लोग सदियों से उनकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और प्रजातियां मानवीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रहती हैं। यह दर्शाता है कि सांस्कृतिक मूल्य और श्रद्धा पर्यावरण संरक्षण हेतु कानून जितने ही प्रभावी हो सकते हैं।

प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने वाला एक अदृश्य परंतु अत्यंत घातक प्रदूषण का रूप है।

182. (A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे वेद और उपनिषद प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और संरक्षण के दर्शन से ओत-प्रोत हैं। इसके विपरीत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह दर्शाता है कि उस काल में आर्थिक नीतियां पर्यावरण के प्रति उदासीन नहीं थीं। अर्थशास्त्र में वनों के प्रबंधन, वन्यजीवों की रक्षा और जल प्रदूषण रोकने हेतु कठोर दंड के विस्तृत प्रावधान थे। कौटिल्य ने संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की वकालत की थी, जो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन समय में आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताएं साथ-साथ थीं।

183. (D) जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु 'प्रवेश और निरीक्षण' की शक्ति दी गई है। यह शक्ति जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 दोनों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है। इन कानूनों के तहत बोर्ड के अधिकृत अधिकारी किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश कर सकते हैं, वहां के यंत्रों का निरीक्षण कर सकते हैं और विश्लेषण हेतु नमूने ले सकते हैं। यह शक्ति कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है।

184. (A) राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य
'बाघ आरक्षित क्षेत्र' कोई स्वतंत्र विधिक श्रेणी नहीं है, बल्कि यह सामान्यतः पूर्व में घोषित किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य का ही हिस्सा होता है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें एक 'कोर' क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती और एक 'बफर' क्षेत्र होता है जहाँ वन्यजीव और स्थानीय लोग साथ रह सकते हैं। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के साथ उनके संपूर्ण आवास को सुरक्षित रखना है।

185. (C) पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
पर्यावरण प्रभाव आकलन एक वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है जो किसी भी बड़ी परियोजना को प्रारंभ करने से पूर्व उसके संभावित पर्यावरणीय परिणामों का विश्लेषण करती है। इसमें परियोजना के कारण होने वाले वायु, जल और मृदा प्रदूषण के साथ-साथ स्थानीय जैव विविधता और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। EIA रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निर्णय लेती है कि परियोजना को मंजूरी दी जाए या नहीं और इसके हानिकारक प्रभावों को कम करने हेतु क्या उपाय किए जाएं।

186. (A) औद्योगिक मृदा प्रदूषण
बैटरी पुनर्चक्रण और अन्य औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाली भारी धातुएं, जैसे सीसा, मृदा प्रदूषण का एक गंभीर रूप हैं। जब ये विषैले पदार्थ सीधे मिट्टी में मिलते हैं, तो वे मिट्टी की संरचना और उसके भीतर मौजूद जैविक जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये रसायन मिट्टी में लंबे समय तक बने रहते हैं और पादपों के माध्यम से मानव शरीर में पहुँचकर घातक बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। यह औद्योगिक कचरे के अनुचित निपटान के कारण होने वाला गंभीर पारिस्थितिक संकट है।

187. (D) वन उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देना।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का मूल दर्शन प्राकृतिक आवासों और उनके भीतर के जीव-जंतुओं की रक्षा करना है। इसके मुख्य उद्देश्यों में जंगली जानवरों का संरक्षण, शिकार पर प्रतिबंध और अभयारण्यों का उचित प्रबंधन सम्मिलित है। रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा देना इस अधिनियम का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग वन्यजीवों और उनके आवास हेतु हानिकारक हो सकता है। यह कानून प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता बनाए रखने पर केंद्रित है।

188. (B) पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (WCED)
ब्रुंडलैंड आयोग का आधिकारिक नाम 'पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग' था। इसकी स्थापना 1983 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी और इसकी अध्यक्षता ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड ने की थी। आयोग का मुख्य कार्य वैश्विक पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और विकास की आवश्यकताओं के बीच एक नया मार्ग खोजना था। इसकी प्रसिद्ध रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' ने ही सतत विकास की अवधारणा को दुनिया के सामने स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया था।

189. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वायु अधिनियम, 1981 न केवल उद्योगों बल्कि मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु भी प्रावधान करता है। अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ परामर्श करके वाहनों से निकलने वाले धुएं के मानक निर्धारित करे। सरकार इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वाहन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकती है। यह प्रावधान वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने हेतु विधिक ढांचा प्रदान करता है।

190. (D) पारिस्थितिकी-केंद्रितता
पारिस्थितिकी-केंद्रितता एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि समस्त प्राकृतिक जगत का अपना स्वतंत्र मूल्य है। यह विचारधारा इस बात को खारिज करती है कि प्रकृति केवल मनुष्यों के उपभोग हेतु है। इसके अनुसार, मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा मात्र है और उसे अन्य जीवन रूपों की तरह ही प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। यह दृष्टिकोण जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने हेतु एक सुदृढ़ नैतिक आधार प्रदान करता है।

191. (D) 1, 2 और 3
मानवीय गतिविधियां विभिन्न वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का मुख्य कारण हैं। सीएफसी का उपयोग ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी है। जीवाश्म ईंधनों का दहन भारी मात्रा

रूप से विचरण कर सकें। यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु उठाए गए सबसे प्रभावी कदमों में से एक है।

210. (D) 1, 2 और 3
1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण इतिहास का ऐतिहासिक मोड़ था। यह मानव पर्यावरण पर पहला बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, जिसने प्रदूषण को अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित किया। सम्मेलन ने यूएनईपी के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इस सम्मेलन में भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जहाँ उन्होंने 'निर्धनता सबसे बड़ा प्रदूषक है' जैसा प्रसिद्ध विचार प्रस्तुत किया, जिसने पर्यावरण और विकास के बीच के वैश्विक संवाद को नई दिशा प्रदान की।

211. (C) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
'पर्यावरणीय प्रदूषक' शब्द को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2(b) में बहुत स्पष्टता के साथ परिभाषित किया गया है। यह कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ हो सकता है जो ऐसी सांद्रता में मौजूद हो जो पर्यावरण हेतु हानिकारक हो। यह परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदूषण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का आधार तैयार करती है। यह केवल पारंपरिक कचरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कोई भी ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ने की क्षमता रखता हो।

212. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 'गैर-वन उद्देश्य' की व्याख्या बहुत व्यापक है। इसका अर्थ केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, बल्कि चाय, कॉफी, रबर और औषधीय पादपों जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती हेतु वन भूमि को स्वच्छ करना भी है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि वनों का प्राकृतिक स्वरुप बना रहे। यदि वन भूमि का उपयोग ऐसे किसी भी उद्देश्य हेतु किया जाना है जो वनों के पुनर्जनन से संबंधित नहीं है, तो इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।

213. (C) मोटर वाहन अधिनियम, 1988, पर्यावरण और वायु अधिनियमों के साथ।
वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। इसे नियंत्रित करने हेतु मोटर वाहन अधिनियम के नियमों को वायु अधिनियम के मानकों के साथ एकीकृत किया गया है। वाहनों हेतु 'प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र' अनिवार्य बनाना इसी विधिक ढांचे का हिस्सा है। यदि कोई वाहन निर्धारित धुएं के मानकों का उल्लंघन करता है, तो यह कानूनन अपराध है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि परिवहन के साधन पर्यावरण की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु खतरा न बनें।

214. (B) रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992)
1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने हेतु वैश्विक समझौता तैयार किया, जिसे यूएनएफसीसीसी कहा जाता है। इस सम्मेलन ने विश्व को ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि मानवीय गतिविधियां वैश्विक जलवायु को बदल रही हैं। इसके अंतर्गत ही बाद में क्योटो और पेरिस जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए। इसने पर्यावरण कूटनीति में 'सतत विकास' और 'भविष्य की पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायित्व' के विचारों को स्थापित किया।

215. (D) पादप और जड़ी-बूटियां, जो जैव विविधता के गहन ज्ञान को उजागर करती हैं
आयुर्वेद की प्राचीन भारतीय पद्धति स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच के अटूट संबंध पर आधारित है। यह चिकित्सा प्रणाली पूर्णतः पादपों और प्राकृतिक जड़ी-बूटियों पर निर्भर करती है, जो भारत की समृद्ध जैव विविधता का परिणाम है। आयुर्वेद न केवल बीमारियों का उपचार करता है, बल्कि यह संसाधनों के सतत उपयोग और उनके संरक्षण की आवश्यकता को भी उजागर करता है। यह ज्ञान परंपरा सिद्ध करती है कि मानव कल्याण हेतु प्राकृतिक विविधता को बचाए रखना कितना अनिवार्य है।

216. (A) समतापमंडलीय ओजोन क्षरण
समतापमंडलीय ओजोन क्षरण एक वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इसका कारण और प्रभाव किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। विश्व के किसी भी हिस्से में उत्सर्जित सीएफसी वायुमंडल में फैलकर संपूर्ण ओजोन परत को हानि पहुँचाते हैं, जिसका प्रभाव पूरी पृथ्वी के जीवन पर पड़ता है। इसके विपरीत, स्थानीय नदी प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण सीमित क्षेत्र की समस्याएं हैं। ऐसी वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संधियों की आवश्यकता होती है।

217. (C) राज्य के भीतर जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जमीनी स्तर पर पर्यावरणीय मानकों को लागू करने वाली मुख्य नियामक संस्था है। इनके प्राथमिक कार्यों में उद्योगों से निकलने वाले कचरे और उत्सर्जन की निगरानी करना, प्रदूषण नियंत्रण हेतु सहमति प्रदान करना और मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करना सम्मिलित है। वे राज्य सरकार को प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विषयों पर तकनीकी परामर्श भी देते हैं। इन बोर्डों की सक्रियता ही राज्य में स्वच्छ जल और वायु की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

218. (A) हानिकारक जीव (वर्मिन)
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 5 में उन पशुओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें हानिकारक जीव माना जाता है। इस अनुसूची में सम्मिलित जानवरों का शिकार विधिक रूप से अनुमत हो सकता है, यदि वे मानव जीवन या फसलों हेतु गंभीर खतरा पैदा कर रहे हों। हालांकि, सरकार अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर यह निर्धारित करती है कि किस क्षेत्र में और किस अवधि हेतु किस जानवर को हानिकारक माना जाएगा। यह प्रावधान मानवीय हितों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है।

सम्मान की भावना विकसित होती थी। यह दर्शन सिखाता था कि मनुष्य की उन्नति तभी संभव है जब वह प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहे।

201. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से पहले, भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कोई एकीकृत केंद्रीय कानून नहीं था। यह मुख्य रूप से राज्यों का विषय था, जिससे नियमों में एकरूपता की कमी थी और अवैध शिकार नियंत्रित करना कठिन था। 1972 के कानून ने पहली बार पूरे देश हेतु सुदृढ़ विधिक ढांचा प्रदान किया। इसने शिकार पर प्रतिबंध लगाने और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु केंद्र को सशक्त बनाया, जो भारत में वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ।

202. (A) ध्वनि प्रदूषण
85 डेसीबल से अधिक का निरंतर शोर मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक माना जाता है। आवासीय क्षेत्रों में कारखाने या लाउडस्पीकर से होने वाली ऐसी अत्यधिक ध्वनि 'ध्वनि प्रदूषण' की श्रेणी में आती है। इसके कारण न केवल श्रवण क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि यह तनाव, अनिद्रा और अन्य मानसिक समस्याओं का भी कारण बनता है। वायु अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु स्पष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शांति को सुरक्षित रखा जा सके।

203. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
भारत के प्रमुख पर्यावरण कानून विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम का मुख्य बल वन भूमि के गैर-वन उपयोग को रोकने पर है। जल अधिनियम का लक्ष्य जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखना है। वन्यजीव अधिनियम पशुओं और उनके आवास की रक्षा हेतु विधिक ढांचा प्रदान करता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम व्यापक कानून है जो समग्र पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है। ये कानून मिलकर देश की पारिस्थितिक सुरक्षा का आधार तैयार करते हैं।

204. (B) पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े विवादों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करना है। चूंकि पर्यावरणीय मामले तकनीकी रूप से जटिल होते हैं, इसलिए NGT में न्यायिक सदस्यों के साथ विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। यह अधिकरण प्रदूषण, वनों के संरक्षण और जैव विविधता की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे नियमित न्यायालयों पर बोझ कम होता है।

205. (C) विकासात्मक और पर्यावरणीय चिंताएँ
सतत विकास का मूल मंत्र 'विकास' और 'पर्यावरण' के बीच के काल्पनिक संघर्ष को समाप्त करना है। यह मानता है कि आर्थिक प्रगति अनिवार्य है, परंतु वह पर्यावरण की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, पर्यावरण संरक्षण भी ऐसा होना चाहिए जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं और गरीबी उन्मूलन में बाधा न बने। इन दोनों चिंताओं को एकीकृत करके ही हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध और पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित हो। यह संतुलन ही वैश्विक नीतियों का मुख्य आधार है।

206. (D) यह ध्वनि को सम्मिलित करने के लिए 'वायु प्रदूषक' को परिभाषित करता है।
वायु अधिनियम, 1981 भारत में वायु प्रदूषण को विनियमित करने का मुख्य साधन है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विधिक विशेषता यह है कि 1987 के संशोधन के पश्चात इसमें 'वायु प्रदूषक' की परिभाषा में ध्वनि को भी सम्मिलित किया गया। इससे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को न केवल गैसीय उत्सर्जन, बल्कि शोर के स्तर को भी नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त हुई। यह कानून औद्योगिक संयंत्रों हेतु उत्सर्जन मानक निर्धारित करने और प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का अधिकार देता है।

207. (A) भूमि और अंतरिक्ष
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(a) में 'पर्यावरण' को परिभाषित करते समय जल, वायु और भूमि को मुख्य घटकों के रूप में सम्मिलित किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिभाषा केवल इन भौतिक तत्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके बीच और मनुष्यों, पादपों, सूक्ष्मजीवों तथा संपत्ति के बीच मौजूद अंतःसंबंधों को भी पर्यावरण का अनिवार्य हिस्सा मानती है। 'अंतरिक्ष' इस अधिनियम की तकनीकी परिभाषा का प्रत्यक्ष भाग नहीं है, क्योंकि कानून का ध्यान पृथ्वी के वायुमंडल पर है।

208. (B) पौधे के औषधीय और वायु-शोधन मूल्य के साथ धार्मिक पवित्रता को जोड़ने वाली परंपरा।
तुलसी के पौधे को पवित्र मानकर पूजने की भारतीय परंपरा प्राचीन पर्यावरणीय बुद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। वैज्ञानिक रूप से तुलसी वायु शुद्ध करने और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है। इसके औषधीय गुण अनेक बीमारियों के उपचार में प्रभावी हैं। धर्म के साथ इसे जोड़ना यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक घर में इस पादप का संरक्षण हो और इसके लाभों का उपयोग किया जा सके। यह दर्शाता है कि संस्कृति ने किस प्रकार वैज्ञानिक लाभों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया।

209. (B) वन्यजीव या उसका वातावरण
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का एकमात्र और सर्वोच्च उद्देश्य वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा तथा विकास करना है। इन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रबंधित किया जाता है कि वहाँ की पारिस्थितिक अखंडता बनी रहे। यहाँ किसी भी प्रकार की मानवीय बसावट या व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होती, ताकि जीव-जंतु अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र

172. (B) अथर्ववेद
अथर्ववेद का 'पृथ्वी सूक्त' पर्यावरण नैतिकता का एक कालजयी दस्तावेज है। इसमें ऋषि पृथ्वी को माता के रूप में संबोधित करते हैं और स्वयं को उसका पुत्र बताते हैं। यह मंत्र "माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः" प्रकृति के प्रति अगाध श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। यह विचार कि हम पृथ्वी के स्वामी नहीं बल्कि उसके ऋणी हैं, मनुष्यों को प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण हेतु प्रेरित करता है। यह प्राचीन ज्ञान ही आज के पारिस्थितिक संतुलन का मूल आधार है।

173. (C) भारतीय वन अधिनियम, 1927
वनों का आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में वर्गीकरण भारतीय वन अधिनियम, 1927 की मुख्य विशेषता है। इस कानून ने वनों के विधिक प्रबंधन हेतु एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया। आरक्षित वनों में राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, संरक्षित वनों में सीमित अधिकारों की अनुमति होती है, और ग्राम वनों का प्रबंधन स्थानीय समुदायों हेतु किया जाता है। यह वर्गीकरण वनों के व्यावसायिक दोहन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश काल में विकसित किया गया था।

174. (D) रियो घोषणा (1992)
'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' को 1992 की रियो घोषणा के सिद्धांत 16 में स्पष्ट रूप से वैश्विक मान्यता दी गई। यह सिद्धांत कहता है कि राष्ट्रीय अधिकारियों को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रदूषण की लागत को प्रदूषक द्वारा ही वहन किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण को होने वाली क्षति का आर्थिक बोझ समाज पर न पड़े, बल्कि वह संस्था उसे वहन करे जो इसके लिए उत्तरदायी है। यह सिद्धांत पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के एकीकरण की वकालत करता है।

175. (A) पर्यावरण प्रदूषण
पर्यावरण प्रदूषण को व्यापक रूप से जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले किसी भी अवांछनीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह परिवर्तन तब होता है जब हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा (जैसे शोर या ऊष्मा) ऐसी मात्रा में प्रवेश करते हैं जो मानव स्वास्थ्य और अन्य जीवन रूपों हेतु हानिकारक हो। प्रदूषण न केवल संसाधनों की गुणवत्ता नष्ट करता है, बल्कि यह पारिस्थितिक संतुलन को भी बिगाड़ देता है, जिससे जीवन की सुरक्षा को खतरा होता है।

176. (B) राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और प्रबंधन करना।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण तक सीमित है। वे जल और वायु गुणवत्ता के मानक तय करते हैं और उद्योगों का निरीक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की घोषणा तथा उनका प्रबंधन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का इन क्षेत्रों के प्रशासनिक प्रबंधन में कोई प्रत्यक्ष विधिक कार्य नहीं है, यद्यपि वे प्रदूषण निगरानी में सहयोग कर सकते हैं।

177. (B) नागरिकों के नेतृत्व में जमीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलन।
भारत में चिपको, नर्मदा बचाओ और साइलेंट वैली जैसे आंदोलन इस बात के प्रमाण हैं कि स्थानीय समुदाय अपने पर्यावरण की रक्षा हेतु कितने सक्रिय और जागरूक हैं। ये आंदोलन किसी सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के स्वैच्छिक संघर्ष से उत्पन्न हुए थे। इन्होंने न केवल विकासात्मक परियोजनाओं की पर्यावरणीय लागतों पर प्रश्न उठाए, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों के बीच गहरा संबंध भी स्थापित किया। ये आंदोलन वैश्विक स्तर पर प्रेरणा बने हैं।

178. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
भारत में पर्यावरणीय निकायों की अध्यक्षता का निर्धारण उनकी विधिक गंभीरता के आधार पर किया जाता है। CPCB का नेतृत्व पर्यावरण विशेषज्ञ करता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जो वन्यजीव संरक्षण को सर्वोच्च राजनीतिक महत्व देता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक न्यायिक निकाय है, इसलिए इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। राज्य बोर्डों के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, जो स्थानीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण का प्रबंधन देखते हैं।

179. (C) वन परिवर्तन (diversion) के अधिकार को राज्य सरकारों से केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का सबसे क्रांतिकारी प्रावधान वनों के अनारक्षण और परिवर्तन की शक्ति को केंद्रीकृत करना था। इससे पहले राज्य सरकारें राजस्व और विकास के नाम पर वन भूमि को अन्य उद्देश्यों हेतु आवंटित कर देती थीं। इस अधिनियम ने अनिवार्य बना दिया कि किसी भी ऐसे कार्य हेतु केंद्र की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इस विधिक बदलाव ने वनों की सुरक्षा को सुदृढ़ किया और पूरे देश में वन संरक्षण हेतु एक समान और कठोर नीति सुनिश्चित की।

180. (D) औद्योगिक देशों को उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने और कम करने के लिए प्रतिबद्ध करना।
क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु बनाया गया पहला विधिक रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसकी मुख्य विशेषता यह थी कि इसने औद्योगिक राष्ट्रों हेतु विशिष्ट और समयबद्ध उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए थे। यह 'साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व' के सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें स्वीकार किया गया कि विकसित देशों की ऐतिहासिक भूमिका के कारण उनका उत्तरदायित्व अधिक है। इसने वैश्विक स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग और स्वच्छ तकनीक निवेश हेतु विधिक ढांचा प्रदान किया।

181. (C) तापीय प्रदूषण
तापीय प्रदूषण तब होता है जब औद्योगिक इकाइयों या विद्युत संयंत्रों द्वारा उपयोग किया गया गर्म जल सीधे प्राकृतिक जलाशयों में छोड़ दिया जाता है। अचानक तापमान बढ़ने से जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जो जलीय जीवों हेतु श्वसन करना कठिन बना देता है। यह स्थिति जलीय प्रजातियों के प्रजनन चक्र को भी बाधित करती है। तापीय

219. (D) 1992 रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन।
यद्यपि सतत विकास की परिभाषा पहले ही दी जा चुकी थी, परंतु 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने इसे वैश्विक नीति का आधार बना दिया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने स्वीकार किया कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सम्मेलन में अपनाई गई 'रियो घोषणा' और 'एजेंडा 21' ने सतत विकास प्राप्त करने हेतु राष्ट्रों के बीच सहयोग की नई रूपरेखा तैयार की, जो आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है।

220. (B) उन्हें सम्मान के योग्य पवित्र, सजीव सत्ताओं के रूप में देखना।
भारतीय संस्कृति में हिमालय जैसे पर्वतों को केवल पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। यह श्रद्धा उन्हें एक 'सजीव सत्ता' का दर्जा देती है, जो नदियों को जन्म देते हैं और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। यह दृष्टिकोण प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देता है। जब हम किसी प्राकृतिक संरचना को पवित्र मानते हैं, तो हम स्वभावतः उसके अत्यधिक दोहन और विनाश से बचने का प्रयास करते हैं।

221. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 केंद्र सरकार को असाधारण और व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। सरकार को पर्यावरणीय गुणवत्ता के कठोर मानक निर्धारित करने, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के स्थानों को प्रतिबंधित करने और आपातकालीन स्थितियों में सीधे निर्देश जारी करने का अधिकार है। ये शक्तियां इसलिए दी गई हैं ताकि देश भर में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक समान नीति लागू की जा सके। केंद्र की यह सक्रिय भूमिका राज्यों के कार्यों के समन्वय और समाधान में अत्यंत सहायक है।

222. (D) घरेलू या नगरपालिका प्रदूषण
जब घरों और अस्पतालों से निकलने वाला सीवेज सीधे नदी में बहा दिया जाता है, तो इसे घरेलू या नगरपालिका प्रदूषण कहा जाता है। यह जल प्रदूषण का प्रमुख रूप है, जिसमें भारी मात्रा में जैविक कचरा और रोगाणु होते हैं। यह नदी के जल में ऑक्सीजन की कमी कर देता है और जलजनित बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा करता है। इस प्रदूषण को रोकने हेतु सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण और उचित अपशिष्ट प्रबंधन स्थानीय निकायों का अनिवार्य उत्तरदायित्व है।

223. (A) अधिकारियों द्वारा गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का अंधाधुंध परिवर्तन।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले, वनों की कटाई का बड़ा कारण यह था कि राज्य सरकारें विकास परियोजनाओं हेतु वन भूमि का मार्ग आसानी से बदल देती थीं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। यह अनिवार्य करता है कि किसी भी गैर-वन कार्य हेतु केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। यह कानून वनों को विधिक सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक लाभ हेतु वनों का अंधाधुंध विनाश न हो।

224. (B) इसके वैश्विक क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक मील का पत्थर है क्योंकि इसने ओजोन परत को बचाने हेतु विश्व के सभी देशों को एक साथ आने हेतु प्रेरित किया। इस संधि ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य रसायनों के उत्पादन को चरणबद्ध रूप से बंद करने का सफल लक्ष्य रखा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी था। आज यह प्रोटोकॉल वैश्विक पर्यावरणीय सहयोग की सफलता की सबसे बड़ी कहानी है।

225. (B) रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) संयंत्र
जोहड़ और अहार-पाइन जैसी प्रणालियाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही पारंपरिक जल संचयन विधियाँ हैं, जो स्थानीय भूगोल के अनुकूल हैं। ये प्रणालियाँ वर्षा जल को संचित करने और भूजल को पुनर्जीवित करने का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसके विपरीत, रिवर्स ऑस्मोसिस एक आधुनिक औद्योगिक तकनीक है जो जल को शुद्ध करने हेतु ऊर्जा का उपयोग करती है और बड़ी मात्रा में जल को अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालती है। यह पारंपरिक जल संचयन की श्रेणी में नहीं आता।

226. (D) 1, 2 और 3
भारत के पर्यावरण कानून व्यापक और परस्पर जुड़े हुए ढांचे का निर्माण करते हैं। जल और वायु अधिनियम मानक तय करते हैं और उल्लंघन पर दंड देते हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम केंद्र को प्रक्रियाओं और उत्पादों के मानक निर्धारित करने की व्यापक शक्ति देता है। वन्यजीव अधिनियम प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा पर केंद्रित है। ये सभी कानून मिलकर जैव विविधता के संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास के लक्ष्यों को विधिक रूप से सुरक्षित करते हैं।

227. (C) वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
यद्यपि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम के तहत हुआ था, परंतु वायु अधिनियम, 1981 की धारा 3 स्पष्ट करती है कि CPCB ही वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण हेतु केंद्रीय बोर्ड के रूप में कार्य करेगा। इस अधिनियम ने बोर्ड की शक्तियों और कार्यक्षेत्र का विस्तार किया, जिससे वह वायु की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों का समन्वय करने हेतु उत्तरदायी हो गया। यह बोर्ड को एक बहुआयामी नियामक संस्था बनाता है।

228. (D) 1927 का अधिनियम राज्य नियंत्रण और राजस्व पर केंद्रित है, जबकि 1980 का अधिनियम वन भूमि के परिवर्तन को रोकने पर केंद्रित है।
1927 और 1980 के वन कानूनों के बीच मूल अंतर उनके प्राथमिक उद्देश्यों में है। 1927 का औपनिवेशिक कानून मुख्य रूप से वनों के विधिक स्वामित्व और राजस्व संग्रह हेतु बनाया गया था। इसके विपरीत, 1980 का वन (संरक्षण) अधिनियम वनों की तेजी से हो रही कटाई को रोकने हेतु एक संरक्षण-आधारित प्रतिक्रिया थी। इसने वनों के अनारक्षण हेतु केंद्र की अनुमति अनिवार्य कर दी, जो वनों को केवल राजस्व का

अध्याय 10
मध्यप्रदेश की प्रमुख विधियाँ

1. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
(A) 1965
(B) 1973
(C) 1984
(D) 2000

2. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है?
(A) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
(B) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
(C) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री

3. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) विद्या परिषद
(B) अध्ययन बोर्ड
(C) कार्य परिषद
(D) वित्त समिति

4. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार कुलपति के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) कुलपति मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
(B) कुलपति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है।
(C) कुलपति सभा और परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
(D) कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।

5. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत, विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षाओं के मानकों को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा निकाय उत्तरदायी है?
(A) कार्य परिषद
(B) वित्त समिति
(C) विद्या परिषद
(D) छात्र कल्याण समिति

6. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस रूप में भी जाना जाता है:
(A) रेक्टर
(B) रजिस्ट्रार
(C) डीन
(D) प्रॉक्टर

7. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा परिभाषित विश्वविद्यालय में 'अध्ययन बोर्ड' का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) विश्वविद्यालय के जटिल वित्तीय और राजकोषीय बजट का प्रबंधन करना।
(B) विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और व्यवहार संबंधी कार्यवाही करना।
(C) विश्वविद्यालय के नए परिसरों के भवन और निर्माण की निगरानी करना।
(D) अध्ययन के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और विभिन्न परीक्षा पाठ्यक्रमों की सिफारिश करना।

8. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कार्य परिषद की शक्ति नहीं है?
(A) अपने अधिकार से परिनियमों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना
(B) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था का प्रबंधन और विनियमन करना
(C) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना
(D) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करना, उनमें परिवर्तन करना, निष्पादित करना और रद्द करना

9. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत किसी विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं?
(A) कुलपति
(B) विद्या परिषद
(C) राज्य सरकार
(D) कार्य परिषद

10. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत प्राधिकारियों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (प्राधिकारी)
P. कुलाधिपति
Q. कुलपति

238. (D) जलवायु किसी क्षेत्र में दीर्घकालिक औसत मौसम पैटर्न को संदर्भित करती है, जबकि मौसम वायुमंडल की अल्पकालिक अवस्था है।
मौसम और जलवायु के बीच का अंतर समय की अवधि पर आधारित है। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थितियां हैं, जैसे वर्षा या धूप, जो घंटों में बदल सकती हैं। इसके विपरीत, जलवायु किसी विशिष्ट क्षेत्र के मौसम के आंकड़ों का दीर्घकालिक औसत (आमतौर पर 30 वर्ष) है। जलवायु हमें यह बताती है कि किसी क्षेत्र में सामान्यतः कैसी स्थितियां रहती हैं। जलवायु परिवर्तन का अर्थ इसी दीर्घकालिक औसत पैटर्न में होने वाले स्थायी और व्यापक बदलाव से है।

239. (A) अनुसूची I
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची 1 उन प्रजातियों के लिए आरक्षित है जिन्हें संरक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है और जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। इस अनुसूची में सम्मिलित जानवरों, जैसे बाघ और एशियाई शेर, का शिकार करना या उनका व्यापार करना कानूनन पूर्णतः वर्जित है। इनके विरुद्ध किए गए अपराधों हेतु अधिनियम में सबसे कठोर दंड का प्रावधान है। यह विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि ये प्रजातियां विलुप्ति के कगार से वापस लौट सकें और सुरक्षित रहें।

240. (B) जैव-केंद्रितता
जैव-केंद्रितता एक ऐसा नैतिक दर्शन है जो मानता है कि सभी जीवित प्राणियों का एक आंतरिक मूल्य है, चाहे वे मनुष्यों हेतु उपयोगी हों या नहीं। यह विचार मानव-केंद्रितता के विपरीत है, जहाँ केवल मानवीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है। जैव-केंद्रित दृष्टिकोण में प्रत्येक जीव को जीने का समान अधिकार है और मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अन्य प्रजातियों के अस्तित्व का सम्मान करे। यह दर्शन जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हेतु प्रेरणा प्रदान करता है।

241. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वायु अधिनियम, 1981 की धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि जल अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही वायु अधिनियम के उद्देश्यों हेतु भी केंद्रीय बोर्ड के रूप में कार्य करेगा। यह प्रावधान इसलिए किया गया ताकि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकीकृत संस्थागत ढांचा बना रहे और संसाधनों का दोहराव न हो। इस प्रकार, सीपीसीबी को जल और वायु दोनों प्रकार के प्रदूषणों की निगरानी और मानकों के प्रवर्तन हेतु कानूनी रूप से सशक्त बनाया गया है।

242. (A) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए 'जीवन के अधिकार' का विस्तार किया है। न्यायालय के अनुसार, सम्मानजनक जीवन जीने हेतु स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण अनिवार्य है। इस व्याख्या ने नागरिकों को स्वस्थ वातावरण की मांग करने का एक शक्तिशाली विधिक उपकरण प्रदान किया है। अब राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। यह व्याख्या पर्यावरण न्यायशास्त्र की ऐतिहासिक उपलब्धि है।

243. (C) गैर-वन उद्देश्य
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 'गैर-वन उद्देश्य' का अर्थ वन भूमि को किसी भी ऐसे कार्य हेतु स्वच्छ करना या तोड़ना है जो वनों के पुनर्जनन या संरक्षण से संबंधित नहीं है। राजमार्ग निर्माण, बांध या व्यावसायिक खेती जैसे कार्य इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे कार्यों हेतु वन भूमि का उपयोग करने से पूर्व केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि वन क्षेत्र का उपयोग केवल अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाए।

244. (D) जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक लाभों का उचित साझाकरण।
1992 के रियो शिखर सम्मेलन में जैविक विविधता पर सम्मेलन को अपनाया गया। इसके तीन मुख्य लक्ष्य हैं: जैविक विविधता का संरक्षण करना, उसके घटकों का सतत उपयोग करना और आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त होने वाले लाभों का निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित करना। यह संधि जैव विविधता को मानव जाति की साझा चिंता मानती है और इसके संरक्षण हेतु देशों के बीच सहयोग की वैश्विक रूपरेखा प्रदान करती है। यह संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग पर बल देता है।

245. (C) जैव विविधता संरक्षण
प्राचीन भारत में 'नवग्रह वन' जैसी परंपराएं न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक थीं, बल्कि वे स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण और जैव विविधता बढ़ावा देने का तरीका भी थीं। इस प्रथा में नौ अलग-अलग प्रजातियों के वृक्षों को एक साथ लगाया जाता है, जो एक छोटे लेकिन समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यह परंपरा विभिन्न प्रकार के जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करती है। सांस्कृतिक मान्यताओं के माध्यम से वृक्षों का संरक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्राचीन पारिस्थितिक सूझबूझ को दर्शाता है।

246. (D) 1, 2 और 3
भारत के वन और वन्यजीव कानून एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 वनों को विधिक श्रेणियों में बांटकर सुरक्षा का आधार तैयार करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उन वनों की भूमि को अन्य कार्यों हेतु उपयोग किए जाने से रोकता है। वहीं, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 इन वनों के भीतर रहने वाली प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा सुनिश्चित करता है। ये तीनों कानून मिलकर प्राकृतिक संपदा के संरक्षण का सुदृढ़ विधिक कवच प्रदान करते हैं।

247. (D) ऐसे पदार्थ का निर्माण, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रह, विनाश, रूपांतरण, विक्रय प्रस्ताव, हस्तांतरण या इसी प्रकार का कोई कार्य।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 2(d) में 'संचालन' शब्द को अत्यंत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी खतरनाक

पदार्थ के जीवन चक्र के हर चरण पर नियंत्रण रखा जा सके। चाहे वह पदार्थ का निर्माण हो, उसका भंडारण हो या उसका अंतिम विनाश हो, हर गतिविधि को विधिक मानकों के दायरे में लाया गया है। यह विस्तृत परिभाषा अधिकारियों को खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाले प्रदूषण के विरुद्ध पूर्ण निगरानी रखने में सक्षम बनाती है।

248. (A) आर्गन
आर्गन वायुमंडल में पाई जाने वाली एक अक्रिय गैस है जिसकी मात्रा लगभग 0.93% है, परंतु यह ग्रीनहाउस गैस नहीं है क्योंकि यह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करती। इसके विपरीत, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें हैं जो सूर्य के विकिरण को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ने से ग्रीनहाउस प्रभाव अनियंत्रित हो गया है, जो वैश्विक तापन का मुख्य कारण है। गैसों का यह अंतर जलवायु विज्ञान हेतु अनिवार्य है।

249. (C) अधिसूचना
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के पास किसी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की विधिक शक्ति होती है। यह प्रक्रिया एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से संपन्न की जाती है। अधिसूचना में अभयारण्य की सीमाओं का स्पष्ट विवरण दिया जाता है। इस विधिक दस्तावेज के प्रकाशन के पश्चात ही उस क्षेत्र पर अधिनियम के सुरक्षात्मक नियम और प्रतिबंध लागू होते हैं। यह एक औपचारिक प्रशासनिक कार्यवाही है जो किसी क्षेत्र को वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विधिक संरक्षण प्रदान करती है।

250. (A) राज्य को सामान्य जनता के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए।
'सार्वजनिक न्यास सिद्धांत' भारतीय पर्यावरण कानून का गौरवपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार, वायु, जल और वन जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि वे पूरी जनता की साझा संपत्ति हैं। राज्य इन संसाधनों का स्वामी नहीं बल्कि केवल एक 'न्यासी' है। अतः, राज्य का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह इन संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण इस प्रकार करे कि आम जनता के हितों और पर्यावरण की रक्षा हो सके। यह संसाधनों के दुरुपयोग को रोकता है।

251. (D) यह पहचानना कि एक SPCB विश्लेषण के लिए कारखाने के अपशिष्ट के नमूने ले सकता है।
जल अधिनियम की क्षमता-आधारित समझ का अर्थ यह समझना है कि कानून वास्तविक जीवन में कैसे कार्य करता है। जब हम यह पहचानते हैं कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास कारखाने के कचरे के नमूने लेने का विधिक अधिकार है, तो हम अधिनियम की प्रवर्तन शक्ति को समझ रहे होते हैं। यह ज्ञान प्रदूषण नियंत्रण की प्रक्रियाओं और बोर्ड की शक्तियों के व्यावहारिक उपयोग को दर्शाता है, जो पर्यावरणीय शासन के वास्तविक क्रियान्वयन को समझने हेतु आवश्यक है।

252. (B) विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों का विस्तृत विवरण।
आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ 'चरक संहिता' स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। इसमें 'जनपदोद्ध्वंस' का उल्लेख है, जो ऐसी बीमारियों को संदर्भित करता है जो पूरे समुदाय को प्रभावित करती हैं। ग्रंथ के अनुसार, दूषित वायु, जल और मिट्टी स्वास्थ्य बिगड़ने और महामारियों के मुख्य कारण हैं। यह प्राचीन ज्ञान सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वज प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध से भली-भांति परिचित थे और पर्यावरणीय स्वच्छता को आरोग्य का आधार मानते थे।

253. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का दायरा अत्यंत व्यापक है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है कि यह अधिनियम उन सभी क्षेत्रों पर लागू होता है जो शब्दकोश के अर्थ में 'वन' हैं, चाहे उनका स्वामित्व किसी का भी हो। इस कानून को 1980 में इसलिए लाया गया था क्योंकि भारत में वनों की कटाई की दर बहुत अधिक थी और राज्य सरकारें राजस्व हेतु वन भूमि का मार्ग बदल रही थीं। यह कानून वनों को विधिक कवच प्रदान कर उन्हें संरक्षण देता है।

254. (D) ग्रीनहाउस प्रभाव
ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को जीवन के अनुकूल तापमान पर बनाए रखती है। इसमें वायुमंडल में मौजूद गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और उसे वापस पृथ्वी की ओर विकीर्ण करती हैं। हालांकि, मानवीय गतिविधियों के कारण इन गैसों की सांद्रता बहुत बढ़ गई है, जिससे यह प्रभाव अत्यधिक तीव्र हो गया है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक तापन कहते हैं। यह प्रक्रिया वर्तमान जलवायु संकट का मुख्य केंद्र है।

255. (A) भोपाल गैस त्रासदी
1984 की भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में एक काला अध्याय थी। इस भीषण औद्योगिक आपदा ने यह सिद्ध कर दिया कि तत्कालीन पर्यावरणीय कानून खतरनाक उद्योगों को विनियमित करने हेतु पर्याप्त नहीं थे। इसी त्रासदी के तत्काल पश्चात और इसके प्रभाव स्वरुप 1986 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम अधिनियमित किया गया। इस नए छतरी कानून का मुख्य उद्देश्य भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा को रोकना और पर्यावरण की रक्षा हेतु केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना था।

256. (B) अनुमति के साथ अपने निजी उद्यान में एक वृक्ष काटना।
पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ सामान्यतः उन मानवीय क्रियाओं से है जो पर्यावरण में हानिकारक तत्वों का प्रवेश कराती हैं, जैसे अत्यधिक शोर, विषैला कचरा या धुआं। ये सभी समाज और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति उचित विधिक अनुमति के साथ अपने निजी स्थान पर कोई कार्य करता है, तो वह स्वतः ही प्रदूषण की विधिक परिभाषा में नहीं आता, जब तक कि वह दूसरों को प्रत्यक्ष

हानि न पहुँचाए। प्रदूषण नियंत्रण का मुख्य ध्यान सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा पर है।

257. (B) आरक्षित वन भूमि पर ग्राम समुदाय को अधिकार सौंपना।
भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत 'ग्राम वन' गठित करने का प्रावधान राज्य सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी आरक्षित वन भूमि पर ग्राम समुदाय के अधिकारों को निर्धारित करे। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों को वनों के प्रबंधन और संरक्षण में भागीदार बनाना है। इससे ग्रामीणों की जलाऊ लकड़ी और चराई जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होती है और साथ ही वनों की सुरक्षा के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। यह सामुदायिक वानिकी का विधिक रूप है।

258. (A) सतत विकास की अवधारणा
सतत विकास की प्राप्ति हेतु 'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' और 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' अनिवार्य उपकरण हैं। पूर्व-सावधानी सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विकास परियोजनाओं से पर्यावरण को होने वाले संभावित खतरों को वैज्ञानिक अनिश्चितता के बावजूद रोका जाए। वहीं, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक गतिविधियों से होने वाली पर्यावरणीय क्षति की भरपाई स्वयं प्रदूषक करे। ये दोनों सिद्धांत मिलकर ऐसी विकास प्रणाली का निर्माण करते हैं जो भविष्य हेतु संसाधनों को सुरक्षित रखती है।

259. (C) जीवन के प्रति श्रद्धा और उत्तरदायित्व
प्राचीन भारतीय शास्त्रों में 'अहिंसा परमो धर्मः' का विचार केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सभी प्राणियों के प्रति करुणा समाहित थी। किसी भी जीव को चोट पहुँचाने पर प्रायश्चित का विधान यह दर्शाता है कि हमारा समाज प्रत्येक जीवन रूप के मूल्य को स्वीकार करता था। यह संस्कृति मनुष्यों को प्रकृति के स्वामी के बजाय उसके रक्षक के रूप में देखती थी। यह प्राचीन दर्शन आज के दौर में जैव विविधता के संरक्षण और नैतिक पर्यावरणवाद हेतु सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है।

260. (D) अनुसूची VI
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 6 को विशेष रूप से दुर्लभ और संकटग्रस्त पादप प्रजातियों के संरक्षण हेतु जोड़ा गया था। इस अनुसूची में सम्मिलित पादपों, जैसे कुथ या आर्किड, को बिना विधिक अनुमति के जंगल से उखाड़ना, तोड़ना या उनका व्यापार करना दंडनीय अपराध है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि व्यावसायिक लाभ हेतु हमारे प्राकृतिक वनों की दुर्लभ वनस्पति का अंधाधुंध दोहन न हो और हमारी जैविक विरासत सुरक्षित रहे।

261. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में 'पर्यावरण' की परिभाषा केवल जल, वायु और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों तक सीमित नहीं है। यह परिभाषा अत्यंत आधुनिक और समग्र है क्योंकि यह इन भौतिक घटकों का मनुष्यों, पादपों और अन्य सूक्ष्मजीवों के साथ मौजूद अंतःसंबंधों को भी पर्यावरण का भाग मानती है। यह स्वीकार करता है कि पर्यावरण एक गतिशील प्रणाली है जहाँ सभी तत्व एक-दूसरे पर निर्भर हैं। यह व्यापकता ही अधिनियम को समग्र पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में सक्षम बनाती है।

262. (B) निवासियों के अधिकारों का निहित होना।
वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच मुख्य विधिक अंतर वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों के स्तर में है। राष्ट्रीय उद्यान में लगभग सभी मानवीय गतिविधियां और अधिकार निषिद्ध होते हैं ताकि वन्यजीवों को पूर्ण एकांत मिल सके। इसके विपरीत, एक अभयारण्य में मुख्य वन्यजीव वार्डन कुछ विशिष्ट अधिकारों, जैसे चराई या वन उपज के संग्रह, को जारी रखने की अनुमति दे सकता है, यदि वह वन्यजीवों हेतु हानिकारक न हो। राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्रदान करता है।

263. (D) क्योटो प्रोटोकॉल
'कार्बन क्रेडिट' की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत विकसित एक अभिनव बाजार तंत्र है। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना है। एक कार्बन क्रेडिट एक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को कम करने की अनुमति देता है। जो देश या कंपनियां अपने लक्ष्यों से अधिक उत्सर्जन कम करती हैं, वे इन क्रेडिट्स को बेच सकती हैं। इसने विश्व भर में उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने हेतु आर्थिक रूप से प्रेरित किया है।

264. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
भारत में पर्यावरणीय प्रशासन विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से संचालित होता है। NTCA का गठन वन्यजीव अधिनियम के तहत बाघों के संरक्षण हेतु किया गया है। CPCB जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली मुख्य संस्था है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के लक्ष्यों को पूरा करता है। राज्य वन विभाग आज भी मुख्य रूप से 1927 के वन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वनों का प्रबंधन करते हैं। इन निकायों और कानूनों का समन्वय ही पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

265. (C) एक अनुष्ठान जो जल का संरक्षण भी करता है और जीवन का पोषण भी।
सूर्य को जल अर्पण करने की प्राचीन परंपरा के पीछे गहरा पारिस्थितिक अर्थ छिपा है। यह अनुष्ठान न केवल जल के महत्व को स्वीकार करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि जल का उपयोग व्यर्थ न हो और वह पादपों या मिट्टी में वापस जाकर प्रकृति का पोषण करे। यह मनुष्यों को दैनिक आधार पर प्रकृति के तत्वों के साथ जुड़ने की याद दिलाता है। यह दर्शाता है कि हमारी संस्कृति ने दैनिक जीवन के अनुष्ठानों में भी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण के मूल्यों को पिरोया है।

266. (D) 1, 2 और 3
पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है। खेतों

285. (C) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)
'पक्षकारों का सम्मेलन' (COP) जलवायु परिवर्तन पर यूएनएफसीसीसी का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें उन सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉप की वार्षिक बैठकों में वैश्विक जलवायु नीतियों की समीक्षा की जाती है, उत्सर्जन कम करने के नए लक्ष्य तय किए जाते हैं और जलवायु वित्त पर चर्चा होती है। पेरिस समझौता जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां इन्हीं वार्ताओं का परिणाम हैं। यह वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण मंच है।

286. (D) यह एक 'अम्ब्रेला' अधिनियम है जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के समन्वय के लिए रुपरेखा प्रदान करता है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की सबसे विशिष्ट पहचान इसकी व्यापकता है। इसे 'छतरी' कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जल, वायु और वन्यजीव संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले अलग-अलग निकायों के बीच तालमेल बिठाने हेतु केंद्र सरकार को सशक्त बनाता है। यह कानून किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहने के बजाय समग्र पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखता है। यह केंद्र सरकार को प्रदूषण के किसी भी रुप के विरुद्ध सीधी और सख्त कार्यवाही हेतु एक विस्तृत कानूनी मंच प्रदान करता है।

287. (A) स्थानीय देवताओं को समर्पित पवित्र उपवनों की रक्षा करना।
भारत में 'पवित्र उपवन' जैव विविधता के संरक्षण का जीवंत और समकालीन पारंपरिक अभ्यास है। आज भी कई समुदायों में ये वन क्षेत्र धार्मिक मान्यताओं के कारण मानवीय हस्तक्षेप से बचे हुए हैं। यह प्रथा सिद्ध करती है कि सांस्कृतिक मूल्य और सामुदायिक विश्वास पर्यावरण संरक्षण हेतु उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितने कि सरकारी कानून। ये उपवन दुर्लभ पादपों, पक्षियों और कीटों हेतु सुरक्षित द्वीपों की तरह कार्य करते हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

288. (B) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 विशेष रुप से वनों की कटाई को नियंत्रित करने और वन भूमि के दुरुपयोग को रोकने हेतु बनाया गया है। यह अधिनियम अनिवार्य करता है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी वन भूमि को गैर-वन कार्यों, जैसे औद्योगिक परियोजनाओं या कृषि हेतु उपयोग नहीं कर सकती हैं। यह प्रावधान वनों की विधिक सुरक्षा सुदृढ़ करता है और सुनिश्चित करता है कि आर्थिक विकास हेतु वनों का अंधाधुंध बलिदान न दिया जाए। यह वनों की रक्षा का सशक्त विधिक कवच है।

289. (B) पृथ्वी की सतह तक पहुँचने वाले हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण की मात्रा को बढ़ाता है।
समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण यह परत पतली हो जाती है, तो पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह तक पहुँचने लगती हैं। इसके परिणामस्वरुप मनुष्यों में त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और जलीय तथा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी भारी क्षति पहुँचती है। ओजोन परत की रक्षा करना समस्त जीवन की सुरक्षा हेतु अनिवार्य है, जैसा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा वैश्विक प्रयास किया जा रहा है।

290. (A) केवल 1 और 2
भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण की रक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद 21 की क्रांतिकारी व्याख्या की है, जिससे स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। न्यायालयों ने 'प्रदूषक भुगतान' और 'पूर्व-सावधानी' जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों को भारतीय कानून का हिस्सा बनाया है। हालांकि, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना न्यायिक आदेश द्वारा नहीं, बल्कि संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के माध्यम से की गई थी। न्यायपालिका की सक्रियता पर्यावरण न्याय सुनिश्चित करने में शक्तिशाली आधार रही है।

291. (C) समुद्री और तटीय प्रदूषण
तेल टैंकरों से होने वाला तेल का रिसाव समुद्री पर्यावरण हेतु बड़ी आपदा है। जब तेल समुद्र की सतह पर फैलता है, तो यह ऑक्सीजन के प्रवेश को रोक देता है और समुद्री पक्षियों तथा जीवों हेतु घातक बन जाता है। इससे न केवल समुद्री जैव विविधता नष्ट होती है, बल्कि तटीय क्षेत्रों के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे मैंग्रोव और मूंगा चट्टानें, भी गंभीर रुप से प्रभावित होते हैं। तेल रिसाव की स्वच्छता अत्यंत कठिन है और इसके प्रभाव दशकों तक समुद्री जीवन और तटीय अर्थव्यवस्था पर बने रहते हैं।

292. (D) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
जल अधिनियम, 1974 के प्रभावी प्रवर्तन हेतु राज्य स्तर पर 'राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' मुख्य संस्था है। यह बोर्ड उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले सीवेज और अपशिष्टों के मानक निर्धारित करता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी इकाई जल स्रोतों को प्रदूषित न करे। बोर्ड के पास औद्योगिक परिसरों का निरीक्षण करने, नमूनों का विश्लेषण करने और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की व्यापक शक्तियां हैं। राज्य की नदियों और जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखना इस बोर्ड का प्राथमिक विधिक उत्तरदायित्व है।

293. (C) निर्दिष्ट क्षेत्रों में सतत मानवीय उपयोग को समायोजित करते हुए जैव विविधता का संरक्षण करना।
जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र संरक्षण का आधुनिक और समग्र दृष्टिकोण है। यह केवल वन्यजीवों को बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इसमें एक कोर क्षेत्र होता है जो पूर्णतः संरक्षित होता है, परंतु उसके बाहर बफर क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को सतत तरीके से संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी सुनिश्चित करना है।

की यह सामुदायिक पद्धति आज के जल संकट के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सबक है।

276. (D) यह परिभाषित करता है कि 'वन' क्या है।
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अपनी संक्षिप्तता और प्रभावशीलता हेतु जाना जाता है, परंतु इस अधिनियम में 'वन' की कोई तकनीकी परिभाषा नहीं दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने टी.एन. गोडावर्मन वाद में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि 'वन' में वे सभी क्षेत्र सम्मिलित होंगे जो शब्दकोश के अर्थ में वन हैं या सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज हैं। अधिनियम मुख्य रूप से वन भूमि के अन्य उपयोगों हेतु केंद्र की अनुमति और प्रतिपूरक वनीकरण के विधिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

277. (C) Nitrogen and Oxygen
पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन और 21% भाग ऑक्सीजन से बना है। ये दोनों गैसें जीवन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परंतु ये ग्रीनहाउस गैसें नहीं हैं क्योंकि इनकी आणविक संरचना ऊष्मा को अवशोषित करने वाली नहीं होती। वायुमंडल का शेष 1% भाग अन्य गैसों का है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी सूक्ष्म मात्रा वाली गैसें सम्मिलित हैं। यही सूक्ष्म गैसें ग्रीनहाउस प्रभाव हेतु उत्तरदायी हैं। गैसों का यह असंतुलन ही वर्तमान जलवायु परिवर्तन की समस्या को समझने का आधार है।

278. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय न्यायपालिका ने देश के पर्यावरण कानून को विकसित करने में एक असाधारण भूमिका निभाई है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनव व्याख्या के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए 'जीवन के अधिकार' को केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें 'स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार' भी सम्मिलित किया है। इस न्यायिक सक्रियता ने आम नागरिकों को प्रदूषण फैलाने वालों के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान किया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च संवैधानिक प्राथमिकता प्राप्त हुई है।

279. (D) कारखाने या परिसर के विषयों पर अंतिम नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति।
पर्यावरण कानून में 'अधिभोगी' की परिभाषा विधिक जवाबदेही तय करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अनुसार, यह वह व्यक्ति होता है जिसके पास कारखाने या परिसर के संचालन और प्रबंधन का वास्तविक और अंतिम नियंत्रण होता है। प्रदूषण की स्थिति में, केवल कर्मचारी नहीं बल्कि अधिभोगी ही विधिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उच्च प्रबंधन पर्यावरण सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहे और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति लापरवाही न बरते।

280. (A) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वर्ष 2006 के संशोधन के माध्यम से किया गया था। यह एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय है जिसे देश में बाघ आरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और बाघों के संरक्षण हेतु विशेष रूप से बनाया गया है। एनटीसीए यह सुनिश्चित करता है कि बाघों के संरक्षण हेतु वैज्ञानिक और विधिक मानकों का पालन किया जाए। यह राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और वित्तीय अनुदान भी प्रदान करता है, जिससे 'प्रोजेक्ट टाइगर' को विधिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है।

281. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
विभिन्न पर्यावरण दिवसों को मनाना वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जताने का तरीका है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन की याद दिलाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये तिथियां हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंधों पर विचार करने और पृथ्वी की रक्षा हेतु सक्रिय कदम उठाने हेतु प्रेरित करती हैं।

282. (A) आर्द्रभूमि और उनके संबंधित जीव-जंतु
भारत के कई हिस्सों में नागों या सर्पों की पूजा की परंपरा का गहरा पारिस्थितिक महत्व है। सर्प अक्सर जल निकायों, कुओं और आर्द्रभूमि के समीप पाए जाते हैं। इन्हें पवित्र मानकर संरक्षित करने से उन जल स्रोतों और आसपास की वनस्पति को भी मानवीय हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलती थी। यह परंपरा अनजाने में ही उन सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्रों और जैव विविधता को बचाने का कार्य करती थी, जो कृषि और प्राकृतिक संतुलन हेतु अनिवार्य हैं। यह सांस्कृतिक मान्यताओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्राचीन माध्यम है।

283. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
सतत विकास यद्यपि मानवीय आवश्यकताओं और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण पर केंद्रित है, इसलिए इसे मानव-केंद्रित माना जा सकता है। परंतु, इसकी सफलता पूर्णतः प्राकृतिक प्रणालियों की स्थिरता और स्वास्थ्य पर निर्भर है। यह विकास का ऐसा मार्ग है जो स्वीकार करता है कि मानव प्रगति तभी संभव है जब हम पृथ्वी की वहन क्षमता और जैव विविधता का सम्मान करें। यह आवश्यकताओं की पूर्ति और संसाधनों के संरक्षण के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिससे विकास स्थायी और समावेशी बनता है।

284. (B) वनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करना।
संयुक्त वन प्रबंधन भारत की वन नीति में बड़े बदलाव का प्रतीक है, जहाँ सरकार ने स्वीकार किया कि वनों की रक्षा स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। इस प्रणाली के अंतर्गत, वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर वनों का प्रबंधन करते हैं। बदले में, समुदायों को वन उपज का हिस्सा और वनों से प्राप्त अन्य लाभों में हिस्सेदारी दी जाती है। यह दृष्टिकोण न केवल वनों के क्षरण को रोकता है, बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका को भी सुरक्षित करता है, जिससे संरक्षण एक जन आंदोलन बन जाता है।

साधन मानने के बजाय पारिस्थितिक संपदा मानने की दिशा में परिवर्तन था।

229. (C) पूर्व-सावधानी सिद्धांत
रियो घोषणा का सिद्धांत 15 'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि यदि पर्यावरण को गंभीर और अपूरणीय क्षति का खतरा है, तो वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी को कार्यवाही रोकने के बहाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि प्रकृति के संबंध में हमारी वैज्ञानिक जानकारी अधूरी हो सकती है, इसलिए सुरक्षा के पक्ष में निर्णय लेना अधिक बुद्धिमानी है। यह संभावित आपदाओं को रोकने हेतु सावधानी बरतने पर बल देता है।

230. (B) मानव-केंद्रितता
मानव-केंद्रितता एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि मनुष्य पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और अन्य सभी प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य केवल उनकी मानवीय उपयोगिता के आधार पर तय किया जाना चाहिए। यह विचारधारा प्रायः प्रकृति के अत्यधिक दोहन को उचित ठहराती है। आधुनिक पर्यावरण दर्शन इस दृष्टिकोण को चुनौती देता है और पारिस्थितिकी-केंद्रितता की वकालत करता है, जहाँ समस्त जीवन तंत्र के आंतरिक मूल्य को स्वीकार किया जाता है और मनुष्यों को प्रकृति के भाग के रूप में देखा जाता।

231. (D) ध्वनि
वायु अधिनियम, 1981 में वायु प्रदूषक की परिभाषा में 1987 के संशोधन के माध्यम से ध्वनि को भी सम्मिलित किया गया। इसका अर्थ है कि केवल अवांछित गैसें ही नहीं, बल्कि अत्यधिक शोर भी एक प्रदूषक है यदि वह सजीवों या संपत्ति हेतु हानिकारक हो। यह विधिक मान्यता इसलिए आवश्यक थी क्योंकि शहरीकरण के कारण शोर का स्तर मानव स्वास्थ्य हेतु बड़ा खतरा बन गया था। इसके पश्चात ही ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु विधिक नियम और मानक बनाए जा सके।

232. (A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित दंड जल और वायु अधिनियमों की तुलना में बहुत अधिक कठोर हैं। इसमें पांच वर्ष तक के कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसे उल्लंघन जारी रहने पर बढ़ाया जा सकता है। पूर्ववर्ती कानूनों में दंड कम होने के कारण वे प्रदूषण रोकने में कम प्रभावी थे। ईपीए ने कठोर दंड प्रणाली प्रस्तुत की ताकि उद्योगों में विधिक अनुपालन के प्रति अनुशासन उत्पन्न हो सके और पर्यावरण की बेहतर रक्षा हो सके।

233. (C) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
'प्रोजेक्ट टाइगर' भारत का ऐतिहासिक संरक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके आवासों को सुरक्षित करना है। यद्यपि यह 1973 में प्रारंभ हुआ था, परंतु इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के व्यापक विधिक ढांचे के अंतर्गत लागू किया गया है। बाद में इस अधिनियम में संशोधन कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। यह परियोजना न केवल बाघों को बचाती है, बल्कि संपूर्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

234. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के विशिष्ट रासायनिक कारण होते हैं। सुपोषण जल निकायों में कृषि अपवाह के माध्यम से आने वाले पोषक तत्वों के कारण होता है। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के औद्योगिक उत्सर्जन का परिणाम है। प्रकाश-रासायनिक धूमकुहरा तब बनता है जब सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील यौगिक प्रतिक्रिया करते हैं। ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से सीएफसी गैसों के उत्सर्जन से होता है। इन संबंधों को समझना प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनिवार्य है।

235. (D) 'वसुधैव कुटुंबकम', संपूर्ण विश्व एक परिवार है जिसमें प्राकृतिक विश्व भी सम्मिलित है।
प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का प्राचीन भारतीय आदर्श 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी और संपूर्ण प्राकृतिक जगत सम्मिलित हैं। यह विचार मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग मानता है। यह दृष्टिकोण आधुनिक सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक सुदृढ़ नैतिक आधार प्रदान करता है।

236. (B) सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 खतरनाक पदार्थों के संचालन से होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु बनाया गया था। इसकी मुख्य विशेषता 'बिना दोष' उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि क्षति का दावा करने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि दुर्घटना किसी की लापरवाही के कारण हुई थी। स्वामी को केवल दुर्घटना होने मात्र से ही निर्धारित सीमा के भीतर मुआवजा देना अनिवार्य है। यह प्रावधान औद्योगिक सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

237. (C) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 : राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना
राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है, न कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत। 1980 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों हेतु मार्ग बदलने को रोकना है। जल अधिनियम सीपीसीबी की स्थापना का आधार है, वायु अधिनियम में ध्वनि को प्रदूषक माना गया है, और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम एक छतरी कानून है। विधिक प्रावधानों का सही मिलान पर्यावरणीय शासन हेतु आवश्यक है।

294. (B) एनेक्स I (विकसित) देशों के लिए।
क्योटो प्रोटोकॉल का मूल आधार 'साझा परंतु भिन्न उत्तरदायित्व' का सिद्धांत था। इसके अंतर्गत केवल एनेक्स 1 देशों, जिनमें मुख्य रूप से विकसित राष्ट्र सम्मिलित थे, के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के विधिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। यह मान्यता थी कि ये देश ऐतिहासिक रूप से प्रदूषण हेतु अधिक जिम्मेदार हैं। विकासशील देशों, जैसे भारत और चीन, को इन बाध्यकारी लक्ष्यों से छूट दी गई थी ताकि उनके आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में बाधा न आए।

295. (D) मनुष्य और प्रकृति आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक ब्रह्मांडीय पूर्णता का भाग हैं।
प्राचीन भारतीय दर्शन का मूल आधार प्रकृति के साथ एकात्मकता है। पंचभूत और अहिंसा जैसी अवधारणाएं यह सिखाती हैं कि मनुष्य प्रकृति से अलग या उससे ऊपर नहीं है, बल्कि उसका अभिन्न हिस्सा है। संपूर्ण सृष्टि को एक ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था का भाग माना गया है, जहाँ प्रत्येक जीव और तत्व का अपना महत्व है। यह दृष्टिकोण प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के बजाय उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान की भावना पैदा करता है। यही दार्शनिक आधार आज के दौर में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का सबसे सशक्त मार्ग है।

296. (A) शिकार को प्रतिबंधित करना और निर्दिष्ट जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 भारत में जैव विविधता की रक्षा का मुख्य कानूनी कवच है। इस अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य अवैध शिकार को रोकना और देश के जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए प्रजातियों को विभिन्न अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है और संरक्षित क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया है। यह कानून वन्यजीवों के अंगों के व्यापार पर भी कड़ा नियंत्रण रखता है ताकि विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाया जा सके।

297. (A) कथन I सही है, परंतु कथन II गलत है।
वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम को 1981 में लागू किया गया था। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण सांगठनिक विशेषता यह है कि यह स्पष्ट रूप से जल अधिनियम, 1974 के तहत गठित केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को ही वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु भी उत्तरदायी बनाता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया था कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकीकृत और कुशल विधिक ढांचा बना रहे। अतः, जल अधिनियम के तहत गठित बोर्डों को वायु अधिनियम के तहत भी आवश्यक शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं।

298. (A) रियो+20
2012 में रियो डी जनेरियो में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रियो+20 के नाम से जाना जाता है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह ऐतिहासिक 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास की दिशा में नई वैश्विक चुनौतियों का सामना करना और हरित अर्थव्यवस्था के मार्ग को प्रशस्त करना था। इसी सम्मेलन ने सतत विकास लक्ष्यों को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की, जो आज वैश्विक विकास का मुख्य एजेंडा हैं।

299. (A) 2, 4, 3, 1
भारत के प्रमुख पर्यावरण कानूनों का अधिनियमन एक क्रमिक प्रक्रिया रही है। सबसे पहले 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम लाया गया। 1981 में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम लागू हुआ। अंत में, 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात समग्र पर्यावरण की रक्षा हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम अधिनियमित किया गया। यह कालानुक्रम भारत में पर्यावरणीय चेतना और विधिक ढांचे के विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाता है।

300. (B) पूर्व-सावधानी सिद्धांत
'पूर्व-सावधानी सिद्धांत' पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि यदि किसी गतिविधि से पर्यावरण को गंभीर क्षति होने का खतरा है, तो वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी को सुरक्षात्मक कदम उठाने से रोकने के बहाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसमें प्रमाण का भार उस व्यक्ति या संस्था पर होता है जो गतिविधि करना चाहता है, उसे यह सिद्ध करना होता है कि उसका कार्य पर्यावरण हेतु सुरक्षित है। यह सिद्धांत संभावित आपदाओं को रोकने में अत्यंत सहायक है।

में कीटनाशकों का उपयोग मृदा को विषाक्त बनाता है, जबकि अनुपचारित सीवेज का जल निकायों में विसर्जन जलीय जीवन को नष्ट करता है और जल को अनुपयुक्त बनाता है। औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु की गुणवत्ता को खराब करता है। ये तीनों स्थितियां प्रदूषण के स्पष्ट उदाहरण हैं जो मानवीय स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन हेतु गंभीर संकट पैदा करते हैं और विधिक नियंत्रण की मांग करते हैं।

267. (D) 5 वर्ष तक का कारावास, या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्धारित दंड अत्यंत कठोर हैं ताकि वे उल्लंघनकर्ताओं हेतु एक वास्तविक निवारक के रूप में कार्य कर सकें। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, नियमों का पालन न करने पर पांच वर्ष तक का कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रतिदिन के आधार पर अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जा सकता है। यह कठोरता प्रदूषण रोकने के प्रति सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता और कानून की शक्ति को दर्शाती है।

268. (B) वन उपज का विनियमन और राजस्व संग्रह।
भारतीय वन अधिनियम, 1927 का मूल ढांचा ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से प्रेरित था। उस समय वनों को मुख्य रूप से लकड़ी और अन्य संसाधनों के स्रोत के रूप में देखा जाता था जो रेलवे और निर्माण कार्यों हेतु आवश्यक थे। अतः, अधिनियम का प्राथमिक ध्यान वनों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करने, वन उपज के पारगमन को विनियमित करने और शुल्क के माध्यम से राजस्व एकत्र करने पर था। संरक्षण की आधुनिक अवधारणा, जिसमें जैव विविधता को प्राथमिकता दी जाती है, इस अधिनियम का मुख्य केंद्र नहीं थी।

269. (C) सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।
2012 के रियो+20 शिखर सम्मेलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम सतत विकास लक्ष्यों के निर्माण पर सहमति थी। इन लक्ष्यों का उद्देश्य 2015 में समाप्त हो रहे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लेना था। सतत विकास लक्ष्य एक ऐसा वैश्विक ढांचा है जो गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ संबोधित करता है। रियो+20 ने यह आधार तैयार किया कि आने वाले दशकों में मानवता को किन प्राथमिकताओं पर एक साथ काम करना चाहिए ताकि पृथ्वी सुरक्षित और समृद्ध बनी रहे।

270. (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत में संसाधनों का प्रबंधन अत्यंत वैज्ञानिक और अनुशासित था। ग्रंथ में वनों के वर्गीकरण और उनके प्रशासनिक नियंत्रण का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसमें हाथियों और कीमती लकड़ी हेतु आरक्षित वन सम्मिलित थे। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने और वनों को क्षति पहुँचाने वालों हेतु जुर्माने के प्रावधान यह दर्शाते हैं कि राज्य पर्यावरण की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानता था। यह प्राचीन प्रशासनिक सूझबूझ का अद्भुत उदाहरण है।

271. (A) वायु प्रदूषण
फसलों के अवशेष या 'पराली' जलाना वायु प्रदूषण का एक गंभीर स्रोत है, विशेष रूप से भारत के उत्तरी राज्यों में। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कणिकीय पदार्थ निकलते हैं। यह धुआं दूर-दूर तक फैलकर वायु की गुणवत्ता को खतरनाक स्तर तक गिरा देता है, जिससे जनता को श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं होती हैं। इसे रोकना न केवल मिट्टी के पोषक तत्वों को बचाने हेतु, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु भी अनिवार्य है।

272. (B) जल की शुद्धता बनाए रखना या पुनर्जीवित करना।
जल अधिनियम, 1974 का केंद्रीय उद्देश्य देश के जल निकायों की स्वच्छता सुनिश्चित करना है। अधिनियम यह सुनिश्चित करने हेतु विधिक शक्तियां प्रदान करता है कि नदियों, झीलों और भूजल में किसी भी प्रकार का हानिकारक अपशिष्ट न छोड़ा जाए। यह कानून न केवल प्रदूषण को रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि पहले से प्रदूषित हो चुके जल स्रोतों की गुणवत्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का भी समर्थन करता है। बोर्डों के माध्यम से निगरानी और मानकों का क्रियान्वयन इसी लक्ष्य हेतु साधन हैं।

273. (B) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
'प्रोजेक्ट एलिफेंट' हाथियों के संरक्षण हेतु 1992 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। हाथियों को भारत की विरासत का प्रतीक माना गया है और उन्हें वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची 1 में उच्चतम सुरक्षा प्राप्त है। यह परियोजना हाथियों के आवासों और उनके गलियारों को सुरक्षित करने के साथ-साथ मानव-हाथी संघर्ष को कम करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इस परियोजना का विधिक आधार वन्यजीव अधिनियम ही है, जो हाथियों के व्यापार और संरक्षण हेतु सख्त नियम प्रदान करता है।

274. (A) 21वीं शताब्दी में सतत विकास के लिए एक गैर-बाध्यकारी कार्य योजना।
'एजेंडा 21' 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में स्वीकार किया गया एक महत्वाकांक्षी वैश्विक दस्तावेज है। यद्यपि यह राष्ट्रों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, परंतु यह सतत विकास प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इसमें गरीबी कम करने, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करने और प्रदूषण रोकने हेतु स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग की वकालत की गई है। इस दस्तावेज ने स्थानीय एजेंडा 21 की अवधारणा को जन्म दिया, जिसने नगर पालिकाओं को संरक्षण में सक्रिय भूमिका हेतु प्रेरित किया।

275. (C) जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण।
भारत के गाँवों में तालाबों और जलाशयों के निर्माण की परंपरा प्राचीन पारिस्थितिक ज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये तालाब केवल सतही जल के स्रोत नहीं थे, बल्कि वे वर्षा जल को संचित कर उसे धीरे-धीरे जमीन के भीतर भेजने का माध्यम थे, जिससे भूजल का स्तर बना रहता था। यह प्रणाली स्थानीय जल सुरक्षा सुनिश्चित करती थी और सूखे के समय जीवनदायिनी सिद्ध होती थी। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने

R. कार्य परिषद
S. विद्या परिषद

सूची II: (भूमिका)
1. मुख्य शैक्षणिक निकाय
2. राज्य का प्रमुख
3. मुख्य कार्यकारी निकाय
4. मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी

कूट:
(A) P-2, Q-4, R-3, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

11. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय में रेक्टर की क्या भूमिका है?
(A) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के प्रमुख के रूप में कार्य करना
(B) विद्या परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना
(C) विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में कार्य करना
(D) कुलपति द्वारा सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करना

12. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं।
कारण (R): मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच संबंध बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के प्रमुख के रूप में नामित करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

13. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत किसी कॉलेज को संबद्धता प्रदान करने की शक्ति किस प्राधिकारी के पास है?
(A) विद्या परिषद
(B) कुलाधिपति
(C) कार्य परिषद
(D) सीधे राज्य सरकार

14. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, एक 'समन्वय समिति' की स्थापना का प्रावधान करता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
(A) वरिष्ठतम विश्वविद्यालय के कुलपति
(B) उच्च शिक्षा मंत्री
(C) राज्य के मुख्य सचिव
(D) कुलाधिपति

15. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): विद्या परिषद विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक मामलों के लिए उत्तरदायी है।
कारण (R): मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, विद्या परिषद को अध्ययन के पाठ्यक्रमों और परीक्षा के मानकों के संबंध में अध्यादेश बनाने का अधिकार देता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

16. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत 'परिनियम' बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) दैनिक शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विस्तृत नियम प्रदान करना
(B) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करना
(C) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना
(D) छात्रावासों में छात्रों के आचरण को विनियमित करना

17. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है?
(A) कुलपति – वाइस चांसलर
(B) विद्या परिषद – वित्त समिति
(C) कार्य परिषद – एग्जीक्यूटिव काउंसिल
(D) कुलसचिव – रजिस्ट्रार

18. यदि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत किसी विश्वविद्यालय प्राधिकारी के गठन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंतिम निर्णय के लिए मामला किसे भेजा जाएगा?
(A) कुलाधिपति
(B) मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय
(C) राज्य सरकार
(D) कार्य परिषद

19. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत कुलपति को उनके पद से हटाने की शक्ति किसके पास है?
(A) दो-तिहाई बहुमत से कार्य परिषद द्वारा
(B) विद्या परिषद द्वारा
(C) राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा
(D) राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा

20. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों से संबंधित

कानून को समेकित और संशोधित करना है।
2. यह मुख्यमंत्री को सभी राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति बनाता है।
3. यह कार्य परिषद को विश्वविद्यालय के मुख्य शैक्षणिक निकाय के रूप में स्थापित करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

21. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत 'अध्यादेश' किस निकाय द्वारा बनाए जाते हैं?
(A) राज्य विधायिका
(B) कुलाधिपति
(C) कार्य परिषद
(D) अध्ययन बोर्ड

22. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार, विश्वविद्यालय की वित्त समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?
(A) वित्त अधिकारी
(B) कुलपति
(C) कुलसचिव
(D) कुलाधिपति का एक मनोनीत व्यक्ति

23. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की कौन सी धारा कुलपति की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है?
(A) धारा 10
(B) धारा 23
(C) धारा 24
(D) धारा 15

24. एक विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरु करना चाहता है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत, कौन सा विश्वविद्यालय निकाय इस नई डिग्री के लिए पाठ्यक्रम और संरचना की सिफारिश सबसे पहले करेगा?
(A) संबंधित अध्ययन बोर्ड
(B) कार्य परिषद
(C) वित्त समिति
(D) कुलाधिपति सचिवालय

25. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित निम्नलिखित विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को उच्चतम से निम्नतम के सही पदानुक्रम में व्यवस्थित करें:
1. कुलपति
2. कुलाधिपति
3. कार्य परिषद
4. कुलसचिव

सही विकल्प चुनें:
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 4, 3, 1, 2

26. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देशन में तैयार की जाएगी और समीक्षा के लिए _________ को प्रस्तुत की जाएगी।
(A) सभा
(B) विद्या परिषद
(C) छात्र संघ
(D) स्टाफ काउंसिल

27. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत 'शिक्षक' शब्द में शामिल हैं:
(A) केवल प्रोफेसर और वरिष्ठ संकाय एसोसिएट प्रोफेसर।
(B) केवल वे संकाय सदस्य जो स्थायी पदों पर हैं।
(C) केवल वे व्यक्ति जिन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि पूरी की है।
(D) सभी नियुक्त प्रोफेसर, रीडर और शैक्षणिक व्याख्याता।

28. विश्वविद्यालय की किसी भी ऐसी कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति किसके पास है जो अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है?
(A) कुलपति
(B) कुलाधिपति
(C) कार्य परिषद
(D) उच्च न्यायालय

29. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नए पद सृजित करने की शक्ति किसके पास है?
(A) विद्या परिषद
(B) कुलपति
(C) बजट के प्रावधानों के अधीन, कार्य परिषद
(D) संबंधित विभाग का प्रमुख

30. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विश्वविद्यालय की 'सभा' के गठन का मुख्य उद्देश्य है:
(A) विश्वविद्यालय के उच्चतम और अंतिम कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
(B) विश्वविद्यालय की सभी निर्धारित परीक्षाओं और मूल्यांकन का संचालन करना।
(C) एक विशेष खोज समिति के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति करना।
(D) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और शैक्षणिक कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

31. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय का 'प्राधिकारी' निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) पूर्व छात्र संघ

(B) कार्य परिषद
(C) विद्या परिषद
(D) अध्ययन बोर्ड

32. विश्वविद्यालय का बजट, वित्त समिति द्वारा तैयार किए जाने के बाद, अंततः किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है?
(A) विद्या परिषद
(B) कार्य परिषद
(C) कुलाधिपति
(D) राज्य सरकार

33. एक प्रोफेसर कदाचार का दोषी पाया जाता है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत कौन सा प्राधिकारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए सशक्त है?
(A) कुलाधिपति
(B) कार्य परिषद
(C) विभागाध्यक्ष
(D) विद्या परिषद

34. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ने राज्य में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले कई मौजूदा अधिनियमों को प्रतिस्थापित किया। इस एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) विश्वविद्यालयों के शासन और प्रशासन में एकरूपता लाना
(B) राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना
(C) मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का निजीकरण करना
(D) कुलपति की शक्तियों को कम करना

35. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित खोज समिति नामों का पैनल किसे प्रस्तुत करती है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) उच्च शिक्षा मंत्री
(C) कुलाधिपति
(D) कार्य परिषद

36. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत 'परिनियम' और 'अध्यादेश' के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है?
(A) अध्यादेश परिनियमों से श्रेष्ठ होते हैं।
(B) दोनों के पास समान अधिकार हैं और वे एक-दूसरे को ओवरराइड कर सकते हैं।
(C) परिनियम शैक्षणिक मामलों से संबंधित हैं जबकि अध्यादेश प्रशासनिक मामलों से संबंधित हैं।
(D) परिनियम अध्यादेशों से श्रेष्ठ होते हैं।

37. मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय का छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है। इस स्थिति से निपटने के नियम और प्रक्रियाएं किसमें विस्तृत होंगी?
(A) स्वयं अधिनियम में
(B) परिनियमों में
(C) अध्यादेशों में
(D) विनियमों में

38. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है?
(A) कुलपति
(B) परिनियमों
(C) कार्य परिषद
(D) विद्या परिषद

39. निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय की विद्या परिषद का पदेन सदस्य नहीं है?
(A) कुलपति
(B) संकायों के अध्यक्ष
(C) विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के प्रमुख
(D) छात्र संघ का एक प्रतिनिधि

40. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार निकायों और उनके प्राथमिक कार्यों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (निकाय)
P. वित्त समिति
Q. अध्ययन बोर्ड
R. सभा
S. कार्य परिषद
सूची II: (प्राथमिक कार्य)
1. पाठ्यक्रम की सिफारिश करना
2. विश्वविद्यालय की नीतियों की सामान्य समीक्षा
3. बजट का अंतिम अनुमोदन
4. वार्षिक बजट तैयार करना
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

41. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 विश्वविद्यालय को किस रूप में दर्जा प्रदान करता है?
(A) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
(B) सरकारी विभाग
(C) निगमित निकाय
(D) गैर-सरकारी संगठन

42. पदेन सदस्यों के अलावा, कार्य परिषद के सदस्य के पद की अवधि सामान्यतः होती है:
(A) तीन वर्ष
(B) एक वर्ष

85. आचरण नियम, 1965 के उल्लंघन के बाद होने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के निम्नलिखित कार्यों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:

1. आरोप पत्र जारी करना
2. प्रारंभिक जांच
3. दंड अधिरोपित करना
4. व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर

सही विकल्प चुनें:

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 1, 4, 2, 3

86. 'सरकारी सेवक के कार्यों और चरित्र के समर्थन' से संबंधित नियम एक सेवक को मानहानिकारक बयानों के विरुद्ध अपना नाम साफ करने के लिए क्या कार्रवाई करने की अनुमति देता है?

(A) केवल सरकार की पूर्व अनुमति से अदालत में मामला दर्ज करना।
(B) प्रेस में जाना और सार्वजनिक बयान जारी करना।
(C) सहकर्मियों के साथ विरोध प्रदर्शन आयोजित करना।
(D) कुछ न करना, क्योंकि सरकारी सेवक किसी पर मुकदमा नहीं कर सकते।

87. मध्य प्रदेश में सरकारी सेवकों के आचरण के संबंध में नियम बनाने के लिए कौन सा प्राधिकारी सशक्त है?

(A) मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय
(B) मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
(C) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
(D) राज्य विधानसभा

88. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के बारे में सही कथन की पहचान करें।

(A) वे केवल सलाहकार हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
(B) वे केवल समूह 'A' के अधिकारियों पर लागू होते हैं।
(C) इन नियमों के उल्लंघन से अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।
(D) उन्हें 2015 में निरस्त कर प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

89. एक सरकारी सेवक को विरासत में एक बड़ी संपत्ति मिलती है। आचरण नियमों के तहत उनकी क्या बाध्यता है?

(A) संपत्ति को दान में दे देना।
(B) निर्धारित प्राधिकारी को विरासत की सूचना देना।
(C) छह महीने के भीतर संपत्ति बेच देना।
(D) कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि यह एक विरासत है।

90. नियम सरकारी सेवक को नकद या वस्तु के रूप में चंदा या संग्रह करने से प्रतिबंधित करते हैं। इस नियम का अपवाद क्या है?

(A) व्यक्तिगत लाभ के लिए संग्रह
(B) सरकारी अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए संग्रह
(C) वरिष्ठ अधिकारी की विदाई पार्टी के लिए संग्रह
(D) झंडा दिवस या मान्यता प्राप्त धर्मार्थ कार्यों के लिए स्वीकृत संग्रह।

91. नियम 3 के तहत 'सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय तरीके से कार्य करना' शब्द का क्या तात्पर्य है?

(A) नियमों में उल्लंघन के रूप में सूचीबद्ध कोई भी विशिष्ट कार्य।
(B) कोई भी ऐसा कार्य जो नैतिक या एथिकल रूप से संदिग्ध हो, भले ही वह स्पष्ट रूप से परिभाषित न हो।
(C) केवल भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय आपराधिक कृत्य।
(D) केवल कार्यालय समय के दौरान किए गए कृत्य।

92. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 किन केंद्रीय सरकारी नियमों पर आधारित हैं?

(A) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964
(B) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968
(C) भारत सरकार (आचरण) नियम, 1955
(D) वे पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार की एक मूल रचना हैं।

93. एक महिला सरकारी सेवक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत करती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह निम्नलिखित में से क्या है:

(A) एक मामूली उल्लंघन
(B) कदाचार
(C) एक नागरिक विवाद
(D) केवल पुलिस द्वारा संभाला जाने वाला मामला

94. सरकारी सेवकों को सट्टा लगाने से प्रतिबंधित करने का उद्देश्य क्या है?

(A) उन्हें अमीर बनने से रोकना।
(B) यह सुनिश्चित करना कि वे व्यक्तिगत लाभ के लिए अंदरुनी जानकारी का उपयोग न करें।
(C) उन्हें केवल बैंकों में पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित करना।
(D) उन्हें वित्तीय नुकसान से बचाना।

95. यदि कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहता है जो उसके कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो आचरण नियमों के तहत आवश्यक प्रक्रिया क्या है?

(A) वह बिना किसी सूचना के शामिल हो सकता है।
(B) उसे सेवा से इस्तीफा देना होगा।
(C) उसे अपने कार्यालय को सूचित करना होगा और पाठ्यक्रम के आधार पर औपचारिक अनुमति की आवश्यकता हो सकती है।
(D) वह केवल सरकार द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकता है।

54. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 किस प्रकार के विश्वविद्यालयों पर लागू होता है?
(A) मध्य प्रदेश के केवल निजी विश्वविद्यालयों पर
(B) अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों पर
(C) मध्य प्रदेश के सभी केंद्रीय, निजी और राज्य विश्वविद्यालयों पर
(D) मध्य प्रदेश के केवल तकनीकी विश्वविद्यालयों पर

55. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विश्वविद्यालय संरचना के भीतर 'संकायों' की अवधारणा कार्य करती है:
(A) विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का प्रबंधन करना
(B) एक स्वतंत्र वित्तीय इकाई के रूप में कार्य करना
(C) सभी छात्र अनुशासनात्मक मुद्दों को संभालना
(D) संबंधित विभागों और अध्ययन बोर्डों को एक साथ समूहित करना

56. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत कार्य परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेशों की रिपोर्ट किसे दी जानी चाहिए?
(A) अंतिम अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को
(B) राज्य सरकार को
(C) अनुसमर्थन के लिए विद्या परिषद को
(D) छात्र संघ को

57. मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय को नए परिसर के लिए भूमि अधिग्रहित करने की आवश्यकता है। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय की ओर से किस प्राधिकारी द्वारा की जाएगी?
(A) विद्या परिषद
(B) कुलसचिव
(C) कार्य परिषद
(D) कुलपति

58. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विश्वविद्यालय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत नहीं है?
(A) कुलपति द्वारा चलाए जा रहे निजी व्यवसायों से लाभ
(B) राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान
(C) छात्रों से लिया गया शुल्क
(D) बंदोबस्ती और दान से आय

59. ऐसे 'परिनियम' बनाने की शक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के गठन, शक्तियों या कर्तव्यों को बदल सकते हैं, के लिए किसकी सहमति आवश्यक है?
(A) कुलपति
(B) कार्य परिषद
(C) विद्या परिषद
(D) कुलाधिपति

60. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों को बनाना है:
(A) लाभदायक और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य
(B) लोकतांत्रिक, कुशल और जनता की जरूरतों के प्रति उन्मुख
(C) सत्ताधारी दल के साथ राजनीतिक रूप से संरेखित
(D) सरकारी निगरानी के सभी रूपों से स्वतंत्र

61. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होते हैं:
(A) मध्य प्रदेश राज्य के मामलों के संबंध में सिविल सेवा या पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पर
(B) मध्य प्रदेश में सेवा दे रहे अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर
(C) केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों पर
(D) विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों पर

62. मध्य प्रदेश Civil सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत एक सरकारी सेवक के लिए मौलिक आवश्यकता क्या है?
(A) पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना
(B) स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना
(C) आय बढ़ाने के लिए निजी व्यवसाय में संलग्न होना
(D) सार्वजनिक मंचों पर सरकारी नीतियों की आलोचना करना

63. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का कौन सा नियम सरकारी सेवक को राजनीति और चुनावों में भाग लेने से रोकता है?
(A) नियम 3
(B) नियम 9
(C) नियम 16
(D) नियम 5

64. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार, एक सरकारी सेवक को उन व्यक्तियों से उपहार स्वीकार करने से प्रतिबंधित किया गया है जिनके साथ उनका आधिकारिक व्यवहार है। इस नियम का अपवाद क्या है?
(A) निर्दिष्ट सामाजिक अवसरों पर करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों की सूचना देना।
(B) प्रमुख राज्य धार्मिक त्योहारों के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण मूल्य के उपहार।
(C) विभिन्न व्यक्तिगत मित्रों से प्राप्त कम मूल्य के तुच्छ उपहार।
(D) विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सेवक को दिए गए आधिकारिक उपहार।

65. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) एक सरकारी सेवक बिना पूर्व अनुमति के किसी भी व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकता।
(B) एक सरकारी सेवक अपने आधिकारिक कार्य से संबंधित

(C) दो वर्ष
(D) पाँच वर्ष

43. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत मानद उपाधि प्रदान करने की शक्ति किस प्राधिकारी के पास है?
(A) स्वयं विद्या परिषद के पास
(B) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर कुलपति के पास
(C) सीधे कुलाधिपति के पास
(D) विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद के पास

44. एक विश्वविद्यालय एक नया 'संकाय' स्थापित करना चाहता है। इस नए संकाय के निर्माण का प्रावधान किसमें होना चाहिए?
(A) अध्यादेशों में
(B) परिनियमों में
(C) विनियमों में
(D) वार्षिक रिपोर्ट में

45. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, विश्वविद्यालयों के स्वायत्त शासन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
कारण (R): अधिनियम कार्य परिषद और विद्या परिषद जैसे विशिष्ट प्राधिकारियों को परिभाषित शक्तियों के साथ स्थापित करता है, जिससे सरकार द्वारा सीधे दैनिक नियंत्रण कम हो जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

46. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार कार्य परिषद की बैठक के लिए कोरम क्या है?
(A) कुल सदस्यों का आधा
(B) कुल सदस्यों का दो-तिहाई
(C) दस सदस्य या एक-तिहाई, जो भी कम हो
(D) कुल सदस्यों का एक-तिहाई

47. कुलसचिव निम्नलिखित में से किसका अभिरक्षक होता है?
(A) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर और अभिलेखों का
(B) विश्वविद्यालय की निधियों का
(C) परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का
(D) विश्वविद्यालय की अचल संपत्तियों का

48. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विश्वविद्यालय के अधिकारियों के संबंध में सही जोड़े की पहचान करें।
(A) कुलाधिपति - सरकार का प्रमुख
(B) कुलपति - मुख्य शैक्षणिक अधिकारी
(C) कुलसचिव - मुख्य वित्त अधिकारी
(D) रेक्टर - परीक्षा प्रमुख

49. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत विद्या परिषद द्वारा किस उद्देश्य के लिए 'विनियम' बनाए जा सकते हैं?
(A) शुल्क और प्रभार निर्धारित करने के लिए
(B) फैलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए
(C) कुलपति की शक्तियों को परिभाषित करने के लिए
(D) अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए

50. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के तहत कुलाधिपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. कुलाधिपति विश्वविद्यालय की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकते हैं यदि वह अधिनियम के विरुद्ध है।
2. कुलाधिपति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हैं।
3. कुलाधिपति के पास सभी शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

51. संकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) प्रोफेसरों में से कुलाधिपति द्वारा
(B) वरिष्ठतम विभागाध्यक्षों में से कुलपति द्वारा
(C) संकाय के प्रोफेसरों में से कार्य परिषद द्वारा
(D) संकाय के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित

52. विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों का ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है?
(A) वित्त समिति द्वारा नियुक्त एक आंतरिक ऑडिट टीम द्वारा
(B) कार्य परिषद द्वारा चुनी गई एक निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म द्वारा
(C) कुलपति और कुलसचिव द्वारा संयुक्त रूप से
(D) महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा

53. यदि किसी संबद्ध कॉलेज में शिक्षक की नियुक्ति की जानी है, तो उनकी योग्यता किसके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए?
(A) कॉलेज की अपनी प्रबंधन समिति
(B) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग
(C) संबद्ध विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों
(D) कॉलेज के प्राचार्य

75. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है।
कारण (R): इस प्रावधान का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति पर नज़र रखकर भ्रष्टाचार को रोकना है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

76. एक सरकारी सेवक को विदेशी दूतावास से रात्रिभोज का निमंत्रण मिलता है। आचरण नियमों के अनुसार, सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या होनी चाहिए?
(A) बिना किसी सूचना के निमंत्रण स्वीकार करना।
(B) तुरंत निमंत्रण अस्वीकार कर देना।
(C) स्वीकार करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना।
(D) निमंत्रण स्वीकार करना और फिर सरकार को सूचित करना।

77. आचरण नियम, 1965 के तहत सरकारी सेवक के संबंध में 'परिवार के सदस्य' शब्द में शामिल हैं:
(A) केवल जीवनसाथी और बच्चे
(B) कोई भी रिश्तेदार, चाहे वह आश्रित हो या न हो
(C) एक ही घर में रहने वाले केवल रक्त संबंधी
(D) सेवक के पूर्णतः आश्रित जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता।

78. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है?
(A) नियम 9 - सरकार की आलोचना
(B) नियम 10 - साक्ष्य देना
(C) नियम 5 - निजी व्यापार
(D) नियम 16 - उपहार

79. एक सरकारी सेवक, जो डॉक्टर है, कार्यालय समय के बाहर निजी प्रैक्टिस करना चाहता है। क्या यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत अनुमेय है?
(A) हाँ, क्योंकि यह कार्यालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है।
(B) हाँ, यदि यह धर्मार्थ उद्देश्य के लिए है।
(C) नहीं, यह सभी सरकारी सेवकों के लिए पूर्णतः वर्जित है।
(D) नहीं, इसे निजी रोजगार माना जाता है और इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

80. एक सरकारी सेवक द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाइयों पर विचार करें:
1. पूर्व अनुमति के साथ अपने आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित न होने वाले विषय पर पुस्तक प्रकाशित करना।
2. चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार करना।
3. धार्मिक समारोह के दौरान मामूली मूल्य का प्रथागत उपहार स्वीकार करना।

उपरोक्त में से कौन सा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन होगा?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, और 3

81. सरकारी सेवक द्वारा सरकार की आलोचना पर रोक लगाने वाले नियम के पीछे क्या भावना है?
(A) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना
(B) यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवक अपनी व्यक्तिगत राय के बावजूद प्रतिबद्धता के साथ नीतियों को लागू करें
(C) सरकारी सेवकों को लोकप्रिय होने से रोकना
(D) राजनेताओं को आलोचना से बचाना

82. आचरण नियम, 1965 के तहत सरकारी सेवक के लिए द्वि-विवाह पर प्रतिबंध तब लागू होता है यदि:
(A) सरकारी सेवक का जीवनसाथी जीवित है, और विवाह व्यक्तिगत कानून के तहत शून्य है।
(B) सरकारी सेवक पहले जीवनसाथी की मृत्यु के बाद दूसरी बार विवाह करता है।
(C) सरकारी सेवक का व्यक्तिगत कानून बहुविवाह की अनुमति देता है।
(D) दूसरा विवाह किसी विदेशी नागरिक के साथ है।

83. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 किसका उदाहरण है?
(A) संवैधानिक कानून
(B) अधीनस्थ विधान
(C) आपराधिक कानून
(D) अंतर्राष्ट्रीय कानून

84. एक सरकारी सेवक के लिए सबसे उपयुक्त कार्रवाई क्या है जिसे नियमों या विनियमों के विपरीत तरीके से कार्य करने के लिए कहा जाता है?
(A) बिना प्रश्न किए आदेश का पालन करना।
(B) सेवा से तुरंत इस्तीफा दे देना।
(C) मौखिक निर्देशों का पालन करना लेकिन वरिष्ठ अधिकारी से लिखित पुष्टि मांगना।
(D) आदेश के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से विरोध करना।

अभिकथन (A): एक सरकारी सेवक बिना अनुमति के कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकता।
कारण (R): मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, उन व्यक्तिगत मित्रों से सामाजिक अवसरों पर आकस्मिक भोजन या लिफ्ट और तुच्छ उपहारों की स्वीकृति की अनुमति देता है जिनका कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

106. एक सरकारी सेवक का किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों में भाग लेना या उससे जुड़ना जिसे सरकार ने प्रतिबंधित किया हो, आचरण नियमों का उल्लंघन है क्योंकि यह किसके लिए प्रतिकूल हो सकता है:
(A) सरकारी सेवक की वित्तीय स्थिरता
(B) भारत की संप्रभुता और अखंडता
(C) सरकारी सेवक की पदोन्नति की संभावनाएं
(D) सरकारी सेवक के व्यक्तिगत संबंध

107. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में 'सरकार' शब्द का तात्पर्य है:
(A) भारत सरकार
(B) मध्य प्रदेश सरकार
(C) स्थानीय स्वशासन निकाय
(D) न्यायपालिका

108. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाए गए थे?
(A) अनुच्छेद 309
(B) अनुच्छेद 311
(C) अनुच्छेद 312
(D) अनुच्छेद 315

109. आचरण नियमों के तहत सरकारी सेवक के लिए निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य अभ्यास माना जाता है?
(A) पारिवारिक छुट्टी के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करना।
(B) घरेलू काम करने के लिए अधीनस्थ को कहना।
(C) साहित्यिक या वैज्ञानिक समाज में शामिल होना।
(D) पत्रकार मित्र को गोपनीय जानकारी का खुलासा करना।

110. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे किसी भी सरकारी सेवक को दूसरा विवाह करने से रोकते हैं यदि पहला जीवनसाथी जीवित है।
2. उन्हें चल संपत्ति में किसी भी लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए एक सरकारी सेवक की आवश्यकता होती है यदि उसका मूल्य 20,000 रुपये से अधिक हो।
3. वे सरकारी सेवकों को आधिकारिक मामलों के बारे में मीडिया के साथ स्वतंत्र रुप से संवाद करने की अनुमति देते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

111. एक सरकारी सेवक को भव्य और बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से रोकने के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत क्या है?
(A) सरल जीवन शैली को बढ़ावा देना
(B) सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार के एहसान के अधीन होने से रोकना
(C) सरकारी सेवक का समय बचाना
(D) सामाजिक मेलजोल को हतोत्साहित करना

112. आचरण नियमों के संदर्भ में 'निर्धारित प्राधिकारी' का तात्पर्य आमतौर पर होता है:
(A) राज्य के मुख्यमंत्री
(B) किसी विशिष्ट नियम के तहत कार्य करने के लिए सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी
(C) केवल विभागाध्यक्ष
(D) जिला कलेक्टर

113. क्या कोई सरकारी सेवक आचरण नियमों के तहत शेयर बाजार में निवेश कर सकता है?
(A) नहीं, सभी प्रकार के निवेश प्रतिबंधित हैं।
(B) हाँ, बशर्ते यह सट्टा न हो और किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन न करता हो।
(C) हाँ, लेकिन केवल सरकारी बॉन्ड में।
(D) हाँ, लेकिन केवल सरकार की पूर्व अनुमति के साथ।

114. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में दहेज लेने और देने से संबंधित नियम किस केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं?
(A) भारतीय दंड संहिता, 1860
(B) हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
(C) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
(D) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

115. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन किसके लिए आधार हो सकता है?
(A) विभागीय जांच के लिए
(B) तत्काल आपराधिक अभियोजन के लिए
(C) बिना जांच के वेतन में कटौती के लिए
(D) दूरस्थ स्थान पर अनिवार्य स्थानांतरण के लिए

116. एक सरकारी सेवक को उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है। यह किस नियम द्वारा शासित स्थिति का उदाहरण नहीं है?
(A) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वेतन) नियम

96. हड़ताल या इसी तरह की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध इस सिद्धांत पर आधारित है कि:
(A) सरकारी सेवकों के पास कोई अधिकार नहीं है।
(B) सरकारी सेवाओं में व्यवधान जनहित के विरुद्ध है।
(C) विवादों को सुलझाने के लिए हड़ताल एक अप्रभावी तरीका है।
(D) सरकारी सेवकों को इतना अच्छा वेतन दिया जाता है कि उनकी कोई शिकायत नहीं हो सकती।

97. एक अधिकारी को एक ठेकेदार द्वारा एक महंगा उपहार दिया जाता है जिसके बिल भुगतान के लिए लंबित हैं। इस उपहार को स्वीकार करना मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के किस पहलू का सीधा उल्लंघन होगा?
(A) कर्तव्य के प्रति निष्ठा पर नियम
(B) सत्यनिष्ठा पर नियम और उपहारों पर नियम
(C) राजनीति में भाग लेने पर नियम
(D) सरकार की आलोचना पर नियम

98. इनमें से कौन सा कार्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा?
(A) नगर पालिका चुनाव में किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाला सरकारी सेवक।
(B) एक सरकारी सेवक प्रेस को एक गुमनाम पत्र लिख रहा है जिसमें एक नई सरकारी नीति की आलोचना की गई है।
(C) एक पंजीकृत स्टॉकब्रोकर के माध्यम से पारदर्शी रूप से शेयर खरीदना।
(D) एक सरकारी सेवक जो अपनी उधारी चुकाने में आदतन विफल रहता है।

99. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का अंग्रेजी में अनुवाद किया जा सकता है:
(A) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (अपील) रुल्स, 1965
(B) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन) रुल्स, 1965
(C) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रुल्स, 1965
(D) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (पेंशन) रुल्स, 1965

100. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत कार्यों और उनके शासी नियमों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (कार्य)
P. चुनाव लड़ना
Q. दहेज स्वीकार करना
R. अतिरिक्त व्यवसाय शुरु करना
S. सरकारी नीति के बारे में आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करना
सूची II: (शासी नियम)
1. निजी व्यापार पर नियम
2. सरकार की आलोचना पर नियम
3. दहेज पर नियम
4. राजनीति में भाग लेने पर नियम
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

101. मध्य प्रदेश में एक तहसीलदार अक्सर अपने भाई के स्वामित्व वाली कंपनी के अनुबंधों को प्रभावित करने के लिए अपने आधिकारिक पद का उपयोग करता है। वह मुख्य रुप से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के किस नियम का उल्लंघन कर रहा है?
(A) मादक पेय पदार्थों के सेवन पर नियम
(B) परिवार के सदस्य के व्यवसाय को लाभ पहुँचाने के लिए आधिकारिक सत्यनिष्ठा का दुरुपयोग।
(C) द्वि-विवाह पर नियम
(D) रेडियो प्रसारण में भाग लेने पर नियम

102. सिविल सेवकों की राजनीतिक तटस्थता के नियम किसके लिए आवश्यक हैं?
(A) संसदीय लोकतंत्र के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए।
(B) सिविल सेवकों को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोकने के लिए।
(C) चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या सीमित करने के लिए।
(D) शिक्षित लोगों को राजनीति में आने से हतोत्साहित करने के लिए।

103. यदि किसी सरकारी सेवक को किसी भी कारण से गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे क्या करना आवश्यक है?
(A) सेवा से तुरंत इस्तीफा दे देना।
(B) अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचित करना।
(C) कोई भी कार्रवाई करने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करना।
(D) मामले को गोपनीय रखना।

104. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965, सरकार को सरकारी सेवकों के विभिन्न वर्गों के लिए उपहार स्वीकार करने की अलग-अलग सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार देता है। इसका तर्क क्या है?
(A) सरकारी सेवकों के बीच असमानता को बढ़ावा देना।
(B) जिम्मेदारी के विभिन्न स्तरों और प्रभाव की क्षमता को प्रतिबिंबित करना।
(C) कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए नियमों को सरल बनाना।
(D) भ्रम और अस्पष्टता पैदा करना।

105. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

पुस्तकों या लेखों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर सकता है।
(C) एक सरकारी सेवक तथ्य या राय का कोई ऐसा बयान नहीं देगा जो सरकार की प्रतिकूल आलोचना हो।
(D) सरकारी सेवक को दहेज देने या लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

66. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत एक सरकारी सेवक द्वारा एक निश्चित मूल्य से अधिक की चल संपत्ति का कोई लेनदेन करने पर क्या कार्रवाई आवश्यक है?
(A) किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।
(B) एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को लेनदेन की सूचना देनी चाहिए।
(C) सरकार से अनुमति लेनी चाहिए।
(D) एक वर्ष के भीतर संपत्ति बेचनी चाहिए।

67. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 सरकारी सेवकों को प्रतिबंधित करते हैं:
(A) एक पंजीकृत बुक क्लब में शामिल होने से
(B) खेल गतिविधियों में भाग लेने से
(C) व्यक्तिगत वाहन रखने से
(D) मादक पेय या दवाओं के सेवन से जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों को प्रभावित कर सकते हैं

68. एक सरकारी सेवक भारी कर्ज में डूबा हुआ पाया जाता है और उसने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। यह स्थिति मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के किस नियम द्वारा शासित होगी?
(A) ऋणग्रस्तता और दिवालियापन पर नियम
(B) उपहारों पर नियम
(C) निजी व्यापार या रोजगार पर नियम
(D) चल और अचल संपत्ति पर नियम

69. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत, क्या कोई सरकारी सेवक समाचार पत्र का स्वामित्व रख सकता है या उसके संपादन में भाग ले सकता है?
(A) हाँ, लेकिन केवल तभी जब समाचार पत्र अराजनीतिक हो।
(B) नहीं, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं।
(C) नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं।
(D) हाँ, बिना किसी प्रतिबंध के।

70. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (विषय)
P. नियम 3
Q. नियम 5
R. नियम 14
S. नियम 16
सूची II: (प्रावधान)
1. दहेज
2. निजी व्यापार या रोजगार
3. सामान्य सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा
4. राजनीति और चुनाव में भाग लेना
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

71. मध्य प्रदेश में एक सरकारी सेवक जांच समिति के समक्ष साक्ष्य देना चाहता है। आचरण नियमों के अनुसार क्या शर्त है?
(A) वह किसी भी परिस्थिति में साक्ष्य नहीं दे सकता।
(B) उसे सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
(C) वह साक्ष्य दे सकता है लेकिन सरकार की आलोचना नहीं कर सकता।
(D) वह बिना किसी शर्त के स्वतंत्र रूप से साक्ष्य दे सकता है।

72. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सरकारी सेवकों की वेतन संरचना को परिभाषित करना
(B) भर्ती की प्रक्रिया को रेखांकित करना
(C) प्रशासनिक औचित्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवकों के सामान्य व्यवहार और आचरण को विनियमित करना
(D) सिविल सेवकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभों को निर्दिष्ट करना

73. 1965 के आचरण नियमों के तहत सरकारी सेवक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं है?
(A) दहेज मांगना या स्वीकार करना
(B) हड़ताल में भाग लेना
(C) सहकारी समिति का सदस्य बनना
(D) किसी स्टॉक या शेयर में सट्टा लगाना

74. यदि किसी सरकारी सेवक का जीवनसाथी ऐसे व्यापार में लगा हुआ है जो संभावित रूप से सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के साथ हितों के टकराव का कारण बन सकता है, तो आचरण नियमों के तहत सेवक की क्या जिम्मेदारी है?
(A) मामले की सूचना सरकार को देना
(B) जीवनसाथी को व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर करना
(C) सरकारी सेवा से इस्तीफा देना
(D) स्थिति को अनदेखा करना क्योंकि इसमें जीवनसाथी शामिल है

(B) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
(C) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम
(D) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम

117. 'नियमों' और 'अधिनियमों' के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि अधिनियम विधायिका द्वारा पारित किए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 किसके द्वारा बनाए गए हैं:
(A) न्यायपालिका
(B) कार्यपालिका
(C) लोक सेवा आयोग
(D) सरकारी कर्मचारियों की एक समिति

118. आचरण नियमों के तहत कदाचार के रूप में यौन उत्पीड़न के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
(A) इसे केवल तभी कदाचार माना जाता है जब यह कार्यालय परिसर के भीतर हो।
(B) इसमें अवांछित शारीरिक संपर्क और अग्रगामी व्यवहार शामिल है।
(C) इसमें यौन संबंधों की मांग या अनुरोध शामिल है।
(D) इसमें किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील सामग्री दिखाना शामिल है।

119. एक सरकारी सेवक छात्रवृत्ति पर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। उसे:
(A) बस अपने कार्यालय को सूचित करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
(B) आवेदन करने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
(C) सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें बॉन्ड निष्पादित करना शामिल हो सकता है।
(D) किसी विदेशी संस्थान से कोई छात्रवृत्ति स्वीकार नहीं करनी चाहिए।

120. मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का समग्र उद्देश्य एक ऐसी सिविल सेवा बनाना है जो:
(A) ईमानदार, निष्पक्ष और कुशल हो
(B) शक्तिशाली और अनुत्तरदायी हो
(C) राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध और सक्रिय हो
(D) धनी और प्रभावशाली हो

121. 2015 में अधिनियमित मध्य प्रदेश खरीद नियमों का पूरा शीर्षक क्या है?
(A) मध्य प्रदेश सरकारी खरीद नियम, 2015
(B) मध्य प्रदेश निविदा और खरीद नियम, 2015
(C) मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015
(D) मध्य प्रदेश सार्वजनिक कार्य खरीद नियम, 2015

122. 2015 में मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम की शुरुआत के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
(A) केवल बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से खरीद को बढ़ावा देना
(B) सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पैसे का सही मूल्य सुनिश्चित करना
(C) सभी सरकारी खरीद ऑफलाइन और मैन्युअल निविदाओं के माध्यम से करना
(D) खरीद संस्थाओं की शक्तियों को प्रतिबंधित करना

123. 2015 के खरीद नियम किसकी खरीद पर लागू होते हैं?
(A) केवल माल
(B) केवल सेवाएं
(C) केवल कार्य अनुबंध
(D) माल और सेवाएं दोनों

124. मध्य प्रदेश खरीद नियम, 2015 में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सी खरीद विधि नहीं है?
(A) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीद
(B) सीमित निविदा पूछताछ
(C) खुली निविदा पूछताछ
(D) मौखिक समझौते के माध्यम से खरीद

125. 2015 के नियमों के अनुसार, किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पहली पसंदीदा विधि है?
(A) अमेजन
(B) राज्य-विशिष्ट ई-खरीद पोर्टल
(C) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
(D) स्थानीय दुकानों से सीधी खरीद

126. मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 के संदर्भ में 'खरीद इकाई' शब्द का क्या अर्थ है?
(A) सरकार के पास पंजीकृत एक निजी आपूर्तिकर्ता
(B) सरकारी विभाग या एजेंसी जो खरीद कर रही है
(C) खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं का अंतिम उपयोगकर्ता
(D) बैंक जो वित्तीय गारंटी प्रदान करता है

127. 2015 के मध्य प्रदेश खरीद नियमों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) नियमों का उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।
(B) नियम जटिल खरीद के लिए दो-बोली प्रणाली का प्रावधान करते हैं।
(C) सभी खरीद के लिए खुली निविदा प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता।
(D) पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों में ई-खरीद के प्रावधान हैं।

128. 2015 के नियमों के तहत निविदा प्रक्रिया में 'बयाना जमा राशि' का उद्देश्य क्या है?
(A) गैर-गंभीर बोलीदाताओं को भाग लेने से रोकना
(B) खरीद की पूरी लागत को कवर करना
(C) खरीद समिति के वेतन का भुगतान करना

(A) GeM - गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
(B) L1 - तकनीकी रुप से योग्य न्यूनतम बोलीदाता
(C) EMD - बयाना जमा राशि
(D) PAC - स्वामित्व वाली वस्तु प्रमाण पत्र

150. यदि कोई विभाग निविदा की आवश्यकता से बचने के लिए एक बड़ी खरीद को छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, तो यह प्रथा, जिसे 'मांग का विभाजन' कहा जाता है, होगी:
(A) खरीद में तेजी लाने का एक स्मार्ट तरीका।
(B) 2015 के खरीद नियमों के सिद्धांतों का उल्लंघन।
(C) दक्षता के लिए प्रोत्साहित किया जाने वाला कार्य।
(D) यदि वरिष्ठ अधिकारी की मौखिक अनुमति से किया जाए तो अनुमेय।

151. 'बोली दस्तावेज' या 'निविदा दस्तावेज' तैयार करना निविदा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। इस दस्तावेज में क्या होता है?
(A) केवल खरीदी जाने वाली वस्तु की कीमत।
(B) विस्तृत विनिर्देश, नियम और शर्तें, और मूल्यांकन मानदंड।
(C) पसंदीदा विक्रेताओं की सूची।
(D) मूल्यांकन समिति के सदस्यों के नाम।

152. 2015 के नियमों का उद्देश्य खरीद के किन तीन प्रमुख पहलुओं को संतुलित करना है?
(A) गोपनीयता, विवेक और नियंत्रण
(B) राजनीति, प्रभाव और शक्ति
(C) विदेशी, घरेलू और स्थानीय
(D) गति, लागत और गुणवत्ता

153. एक बोलीदाता निविदा सूचना में उल्लिखित समय सीमा के बाद बोली जमा करता है। 2015 के नियमों के तहत मानक खरीद अभ्यास के अनुसार, बोली को:
(A) स्वीकार किया जाना चाहिए यदि बोलीदाता वैध कारण बताता है।
(B) स्वीकार किया जाना चाहिए और अंत में खोला जाना चाहिए।
(C) बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए।
(D) मामूली जुर्माना लगाने के बाद स्वीकार किया जाना चाहिए।

154. 'प्री-बिड कॉन्फ्रेंस' की अवधारणा अक्सर बड़ी खरीद प्रक्रियाओं का हिस्सा होती है। इसका उद्देश्य क्या है?
(A) बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोलियां जमा करने से पहले उनके साथ मूल्य पर बातचीत करना।
(B) औपचारिक प्रक्रिया शुरु होने से पहले विजेता बोलीदाता का चयन करना।
(C) निविदा दस्तावेज के संबंध में संभावित बोलीदाताओं की शंकाओं को स्पष्ट करना।
(D) नए बोलीदाताओं को भाग लेने से हतोत्साहित करना।

155. 2015 के नियमों के तहत तकनीकी मूल्यांकन के दौरान बोली को अस्वीकार करने का संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) बोली ठीक से बंद लिफाफे में जमा की गई थी।
(B) उत्पाद निर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा।
(C) बोलीदाता ने बहुत कम कीमत उद्धृत की है।
(D) बोलीदाता एक नई कंपनी है।

156. 2015 के खरीद नियम किसका एक रुप हैं:
(A) सरकारी खर्च का मार्गदर्शन करने के लिए कार्यकारी निर्देश।
(B) भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून।
(C) एक संवैधानिक संशोधन।
(D) सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला।

157. 'स्वामित्व वाली वस्तु प्रमाण पत्र' का उपयोग तब किया जाता है जब:
(A) विभाग एक सामान्य वस्तु खरीदना चाहता है।
(B) आवश्यक वस्तु की अनूठी विशेषताएं होती हैं और वह केवल एक विशिष्ट फर्म द्वारा निर्मित की जाती है।
(C) आवश्यक वस्तु कई स्रोतों से उपलब्ध है।
(D) विभाग जीईएम पोर्टल से बचना चाहता है।

158. केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति ने संभवतः मध्य प्रदेश खरीद नियमों में संशोधनों को प्रभावित किया है, जिससे:
(A) घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने के प्रावधान।
(B) सभी आयातित वस्तुओं पर प्रतिबंध।
(C) सभी सरकारी आयातों के लिए सीमा शुल्क में वृद्धि।
(D) घरेलू सामानों के लिए गुणवत्ता मानकों में कमी।

159. 2015 के नियमों के तहत 'खरीद समिति' क्या भूमिका निभाती है?
(A) यह सीधे विक्रेताओं से संपर्क करती है और ऑर्डर देती है।
(B) यह बोलियों का मूल्यांकन करती है और खरीद के लिए सिफारिशें करती है।
(C) यह पूरे विभाग के बजट और वित्त को संभालती है।
(D) यह खरीदी गई वस्तुओं की बिक्री के बाद की सेवा के लिए जिम्मेदार है।

160. मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 के संदर्भ में शब्दों और अर्थों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (शब्द)
P. बोलीदाता
Q. अनुबंध
R. माल
S. निविदा दस्तावेज
सूची II: (अर्थ)

139. एक विभाग एक अत्यधिक विशिष्ट वैज्ञानिक उपकरण खरीदना चाहता है जो दुनिया में केवल एक ही कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है। 2015 के नियमों के तहत कौन सी खरीद विधि उचित होगी?
(A) खुली निविदा
(B) सीमित निविदा
(C) एकल निविदा पूछताछ
(D) रिवर्स ऑक्शन

140. मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केवल राज्य सरकार के विभागों पर लागू होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नहीं।
2. यह एक निश्चित मूल्य से ऊपर की खरीद के लिए खरीद समितियों के गठन को अनिवार्य बनाता है।
3. यह विदेशी कंपनियों से किसी भी खरीद को प्रतिबंधित करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

141. मध्य प्रदेश खरीद नियम, 2015 के संदर्भ में, आगामी संशोधन आमतौर पर क्या दर्शाते हैं?
(A) नियम त्रुटिपूर्ण हैं और लगातार बदल रहे हैं।
(B) नियम समय के साथ और अधिक प्रतिबंधात्मक होते जा रहे हैं।
(C) विशिष्ट विक्रेताओं के पक्ष में नियमों को उदार बनाया जा रहा है।
(D) नियमों को नई तकनीकों और राष्ट्रीय नीति परिवर्तनों के अनुरूप बनाना।

142. एक बोलीदाता जो खरीद प्रक्रिया से व्यथित है, वह सामान्यतः किसके पास जा सकता है?
(A) नियमों या विभाग की नीति में परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र।
(B) स्थानीय पुलिस स्टेशन।
(C) सार्वजनिक रूप से शिकायत करने के लिए मीडिया आउटलेट।
(D) कार्टेल बनाने के लिए प्रतिद्वंद्वी बोलीदाता।

143. 2015 के खरीद नियम विभिन्न अधिकारियों के लिए खरीदारी करने की विशिष्ट मौद्रिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। वित्तीय शक्तियों के इस प्रत्यायोजन का उद्देश्य क्या है?
(A) विभाग के प्रमुख के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित करना।
(B) कम मूल्य वाली वस्तुओं के लिए त्वरित खरीद की सुविधा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उच्च जांच सुनिश्चित करना।
(C) भ्रष्टाचार की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली बनाना।
(D) नियमों को समझना मुश्किल बनाना।

144. 2015 के नियमों के तहत निविदा मूल्यांकन में, अनुबंध सामान्यतः किसे दिया जाता है:
(A) उस बोलीदाता को जिसके खरीद इकाई के साथ सबसे अच्छे संबंध हैं।
(B) उस बोलीदाता को जो उच्चतम मूल्य उद्धृत करता है।
(C) उस बोलीदाता को जो तकनीकी रूप से योग्य है और न्यूनतम मूल्य उद्धृत करता है।
(D) मूल्य पर ध्यान दिए बिना सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित बोलीदाता को।

145. 2015 के नियमों के अनुसार खुली निविदा प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. तकनीकी बोलियां खोलना
2. अनुबंध प्रदान करना
3. निविदा सूचना का प्रकाशन
4. तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोलना

सही विकल्प चुनें:
(A) 3, 1, 4, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 3, 4, 1, 2
(D) 1, 2, 3, 4

146. 2015 के नियमों के तहत निम्नलिखित में से कौन 'सेवा उपार्जन' का उदाहरण होगा?
(A) सरकारी कार्यालय के लिए कंप्यूटर खरीदना
(B) स्कूल के लिए फर्नीचर खरीदना
(C) सरकारी भवन के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक फर्म को नियुक्त करना
(D) सरकारी अस्पताल के लिए दवाएं खरीदना

147. मध्य प्रदेश खरीद नियमों के हालिया संशोधन में किससे संबंधित प्रावधान शामिल हो सकते हैं?
(A) स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करना।
(B) खरीद में कंप्यूटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।
(C) सभी सरकारी अनुबंधों को गोपनीय बनाना।
(D) स्थानीय उद्योगों के लिए सभी प्राथमिकताओं को हटाना।

148. 2015 के खरीद नियम किस संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं?
(A) अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), सभी बोलीदाताओं को उचित अवसर सुनिश्चित करके।
(B) अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की खरीद सुनिश्चित करके।
(C) अनुच्छेद 19 (वाक् स्वतंत्रता का अधिकार), बोलीदाताओं को शिकायत करने की अनुमति देकर।
(D) अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)।

149. 2015 के खरीद नियमों से संबंधित गलत जोड़े की पहचान करें।

(B) अपील का प्रावधान
(C) चूक के लिए दंड
(D) प्रत्येक आवेदक के लिए सरकारी नौकरी की गारंटी

217. 2010 का अधिनियम नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को मौलिक रूप से बदल देता है, जिससे अधिकारी नागरिक के प्रति _________ बन जाता है।
(A) श्रेष्ठ
(B) जवाबदेह
(C) अप्रासंगिक
(D) अधीनस्थ

218. अधिनियम के तहत 'अधिसूचित सेवाओं' की सूची से सेवाओं को जोड़ने या हटाने की शक्ति किसके पास है?
(A) पदाभिहित अधिकारी के पास
(B) अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के पास
(C) उच्च न्यायालय के पास
(D) नागरिकों की एक समिति के पास

219. अधिनियम के शीर्षक में 'लोक सेवा' शब्द का तात्पर्य है:
(A) सार्वजनिक क्षेत्र
(B) जनहित
(C) सार्वजनिक चुनाव
(D) सार्वजनिक सेवा

220. 2010 के अधिनियम के तहत प्राधिकारियों और उनकी भूमिकाओं के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (प्राधिकारी)
P. आवेदक
Q. राज्य सरकार
R. पदाभिहित अधिकारी
S. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
सूची II: (भूमिका)
1. प्रारंभ में सेवा प्रदान करता है
2. अंतिम प्रशासनिक अपील सुनता है
3. सेवा चाहने वाला नागरिक
4. सेवाओं और समय सीमा को अधिसूचित करता है
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

221. दोषी अधिकारी से एकत्र की गई दंड की राशि किसे दी जाती है?
(A) राज्य सरकार के खजाने में
(B) मुआवजे के रूप में आवेदक को
(C) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को
(D) एक धर्मार्थ संगठन को

222. एक आवेदन उस तारीख को प्राप्त हुआ माना जाता है जब:
(A) नागरिक आवेदन करने का निर्णय लेता है।
(B) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को जमा किया जाता है।
(C) सेवा वास्तव में वितरित की जाती है।
(D) पहली अपील दायर की जाती है।

223. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की भावना क्या है?
(A) "सरकार आपके द्वार"
(B) अधिक से अधिक अधिकारियों को दंडित करना।
(C) सरकार के विरुद्ध मुकदमेबाजी बढ़ाना।
(D) नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्राप्त करने से हतोत्साहित करना।

224. 2010 के अधिनियम में 'स्वप्रेरणा' पुनरीक्षण का प्रावधान है। इस शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है?
(A) पदाभिहित अधिकारी
(B) आवेदक
(C) कोई भी नागरिक
(D) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित प्राधिकारी

225. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 को सुशासन में मील का पत्थर माना जाता है।
कारण (R): यह नागरिक को एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता से सार्वजनिक सेवाओं के एक सशक्त दावेदार के रूप में परिवर्तित करता है, जिसके पास निवारण के लिए एक कानूनी तंत्र है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

226. अधिनियम कार्य-निष्पादन का भार नागरिक से हटाकर किस पर डालता है:
(A) न्यायपालिका
(B) सरकारी अधिकारी
(C) निजी क्षेत्र
(D) विधायिका

227. 2010 के अधिनियम की प्रभावशीलता किसके द्वारा कम की जा सकती है?
(A) सेवाओं के लिए वास्तविक समय सीमा निर्धारित करना।
(B) बहुत सी आवश्यक सेवाओं को अधिसूचित करना।
(C) अधिनियम के लिए मजबूत राजनीतिक समर्थन।
(D) जनता में जागरूकता की कमी और खराब कार्यान्वयन।

1. कच्चा माल, उत्पाद, उपकरण और अन्य वस्तुएं
2. खरीद इकाई और सफल बोलीदाता के बीच एक औपचारिक समझौता
3. बोली लगाने वाली फर्म या व्यक्ति
4. प्रस्ताव आमंत्रित करने वाला और शर्तों को रेखांकित करने वाला दस्तावेज

कूट:
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

161. एक विभाग को खुली निविदा के उत्तर में केवल एक बोली प्राप्त होती है। 2015 के नियमों के अनुसार सबसे विवेकपूर्ण कार्रवाई क्या है?
(A) एकल बोलीदाता को स्वतः अनुबंध प्रदान करना।
(B) निविदा रद्द करें और खुले बाजार से वस्तु खरीदें।
(C) पुनः निविदा या स्वीकृति पर निर्णय लेने के लिए प्रतिक्रिया कारणों की जांच करना।
(D) बोली को अस्वीकार करना और बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी होने के कारण उसे ब्लैकलिस्ट करना।

162. 2015 के नियमों और उनके संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना है कि खर्च:
(A) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर किया जाए।
(B) अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जितना संभव हो उतना अधिक किया जाए।
(C) केवल बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर केंद्रित हो।
(D) जनता और लेखा परीक्षकों से गुप्त रखा जाए।

163. 2015 के नियमों में ई-खरीद पर जोर देने से 'ऑडिट ट्रेल' बनाने में मदद मिलती है। यह किसके लिए महत्वपूर्ण है:
(A) कार्योत्तर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए।
(B) खरीद प्रक्रिया को धीमा करने के लिए।
(C) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल बड़ी, तकनीक-प्रेमी कंपनियां ही भाग ले सकें।
(D) सरकारी अधिकारियों के लिए कागजी कार्रवाई बढ़ाने के लिए।

164. वित्तीय बोली में शब्दों और अंकों में लिखी गई राशियों के बीच विसंगति के मामले में, सामान्यतः किसे स्वीकार किया जाता है?
(A) अंकों वाली राशि को।
(B) शब्दों वाली राशि को।
(C) दोनों के औसत को।
(D) बोली स्वतः अस्वीकार कर दी जाती है।

165. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

अभिकथन (A): मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 में राज्य के एमएसएमई को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
कारण (R): इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश के भीतर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

166. 'रेट कॉन्ट्रैक्ट' एक खरीद विधि है जहां एक खरीद इकाई एक विशिष्ट अवधि के लिए कुछ वस्तुओं की दरें अंतिम रुप देती है। 2015 के नियमों के तहत यह कैसे फायदेमंद है?
(A) नई पूर्ण निविदा के बिना पूर्व-अनुमोदित दरों पर वस्तुएं खरीदना।
(B) यह आपूर्तिकर्ता को व्यवसाय की एक निश्चित मात्रा की गारंटी देता है।
(C) यह बाजार दर से अधिक दर पर वस्तुएं खरीदने की एक विधि है।
(D) यह केवल सेवाओं के लिए लागू है, माल के लिए नहीं।

167. 2015 के खरीद नियम निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम लागू होंगे?
(A) सरकारी स्कूलों के लिए 1000 कुर्सियों की खरीद।
(B) सरकारी कार्यालय में लिपिक की भर्ती।
(C) नई मेट्रो परियोजना के लिए सलाहकार की नियुक्ति।
(D) परिवहन विभाग के लिए एक नया सॉफ्टवेयर खरीदना।

168. 2015 के नियमों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया की आवश्यकता किसे रोकने में मदद करती है:
(A) पक्षपात और भ्रष्टाचार
(B) नवाचार
(C) परियोजनाओं को समय पर पूरा करना
(D) नई फर्मों की भागीदारी

169. उस सफल बोलीदाता के लिए सबसे संभावित परिणाम क्या होगा जो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या आवश्यक कार्य निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहता है?
(A) उन्हें चेतावनी के साथ एक और मौका दिया जाएगा।
(B) उनकी बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
(C) उन्हें उच्च कीमत पर अनुबंध की पेशकश की जाएगी।
(D) खरीद इकाई कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

170. खरीद प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें:
1. बयाना जमा राशि
2. कार्य निष्पादन सुरक्षा
3. परिनिर्धारित हर्जाना

उपरोक्त में से कौन आपूर्तिकर्ता द्वारा चूक के विरुद्ध खरीद इकाई के हितों की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं?
(A) केवल 1

(B) यह द्वि-स्तरीय अपीलीय तंत्र स्थापित करता है।
(C) अधिनियम में देरी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है।
(D) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होता है।

195. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है।
कारण (R): सेवाओं की डिलीवरी को समयबद्ध बनाकर और जवाबदेही बनाकर, अधिनियम अनुचित लाभ लेने के अवसरों को कम करता है और अधिकारियों को तुरंत कार्य करने के लिए मजबूर करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

196. अधिनियम का हिंदी में पूरा नाम 'मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम' है। 'प्रदान' का क्या अर्थ है?
(A) गारंटी
(B) वितरण या प्रावधान
(C) समय
(D) सेवा

197. एक नागरिक 2010 के अधिनियम के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करता है। पदाभिहित अधिकारी बिना कोई लिखित कारण बताए आवेदन को अस्वीकार कर देता है। यह कार्रवाई:
(A) उचित है यदि अधिकारी व्यस्त है।
(B) अधिनियम का उल्लंघन है, क्योंकि अस्वीकृति के कारण बताए जाने चाहिए।
(C) अधिनियम के तहत अनुमेय है।
(D) सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जानी चाहिए।

198. 2010 का अधिनियम 'अनुरोध और उपकार' की प्रणाली से किस प्रणाली की ओर एक व्यापक बदलाव है:
(A) 'मांग और अधिकार'
(B) 'कमांड और कंट्रोल'
(C) 'देरी और इनकार'
(D) 'रिश्वत और आपूर्ति'

199. इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार की क्या भूमिका है?
(A) सभी मामलों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
(B) सीधे नागरिक को सेवा प्रदान करना।
(C) सरकारी अधिकारियों की भर्ती करना।
(D) सेवाओं, समय सीमा और विभिन्न प्राधिकारियों को अधिसूचित करना।

200. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
1. आवेदक को अपना आवेदन जमा करने पर एक रसीद प्रदान की जानी चाहिए।
2. यह अधिनियम निजी कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होता है।
3. सेवा प्राप्त करने में देरी के लिए आवेदक को मुआवजा दिया जा सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

201. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है:
(A) अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की संख्या पर।
(B) लगाए गए दंड की गंभीरता पर।
(C) सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिकों में जागरूकता पर।
(D) ऑनलाइन आवेदन प्रणालियों की उपलब्धता पर।

202. 2010 के अधिनियम के तहत अपील का पदानुक्रम है:
(A) पदाभिहित अधिकारी -> प्रथम अपीलीय प्राधिकारी -> द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
(B) पदाभिहित अधिकारी -> द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी -> प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(C) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी -> पदाभिहित अधिकारी -> द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
(D) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी -> प्रथम अपीलीय प्राधिकारी -> पदाभिहित अधिकारी

203. अधिनियम के तहत लगाया गया दंड प्रतिदिन की देरी के अनुसार है, जो अधिकतम सीमा के अधीन है। इस 'प्रतिदिन' के दंड ढांचे का उद्देश्य क्या है?
(A) गणना को जटिल बनाना।
(B) सरकार के लिए अधिक राजस्व उत्पन्न करना।
(C) अधिकारी को यह विकल्प देना कि वह कितना दंड देना चाहता है।
(D) यह सुनिश्चित करना कि अधिकारी आवेदन का निपटान करने के लिए निरंतर दबाव महसूस करे।

204. यह 2010 का अधिनियम किसका साधन है:
(A) प्रशासनिक सुधार
(B) न्यायिक सुधार
(C) चुनावी सुधार
(D) पुलिस सुधार

देना।

183. 2010 के अधिनियम के तहत, आवेदक को अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है?
(A) अपीलीय प्राधिकारी
(B) जिला कलेक्टर
(C) मुख्य सचिव
(D) पदाभिहित अधिकारी

184. यदि कोई पदाभिहित अधिकारी 2010 के अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिसूचित सेवा प्रदान करने में विफल रहता है तो क्या होता है?
(A) आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है।
(B) आवेदन स्वतः अनुमोदित हो जाता है।
(C) पदाभिहित अधिकारी को तत्काल बर्खास्तगी का सामना करना पड़ता है।
(D) आवेदक को सेवा के लिए पुन: आवेदन करना पड़ता है।

185. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह था:
(A) भारत में अपनी तरह का पहला कानून।
(B) सभी राज्यों के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून।
(C) सूचना का अधिकार अधिनियम का एक संशोधन।
(D) केवल मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों पर लागू।

186. 2010 के अधिनियम के तहत 'अधिसूचित सेवा' क्या है?
(A) सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा।
(B) कवरेज के लिए सरकारी अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सूचीबद्ध सेवाएं।
(C) केवल पुलिस विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
(D) सेवाएं जो ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं।

187. यदि कोई आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील कर सकता है:
(A) उच्च न्यायालय में
(B) पदाभिहित अधिकारी के पास
(C) मुख्यमंत्री कार्यालय में
(D) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास

188. 2010 का अधिनियम चूक करने वाले अधिकारी पर दंड लगाने का प्रावधान करता है। यह दंड कौन लगा सकता है?
(A) प्रथम या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी।
(B) वह आवेदक जिसे देरी का सामना करना पड़ा।
(C) पदाभिहित अधिकारी अपने अधीनस्थ पर।
(D) पुलिस।

189. निम्नलिखित में से कौन सी सेवा का उदाहरण है जिसे मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत अधिसूचित किया जा सकता है?
(A) विधानसभा में नया कानून पारित करना
(B) नए राज्यपाल की नियुक्ति करना
(C) जन्म प्रमाण पत्र जारी करना
(D) सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले का फैसला करना

190. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत शब्दों और विवरणों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (शब्द)
P. पदाभिहित अधिकारी
Q. निर्धारित समय सीमा
R. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
S. शास्ति
सूची II: (विवरण)
1. दोषी अधिकारी पर लगाया गया मौद्रिक जुर्माना
2. वह अधिकारी जिसके पास पहली अपील की जाती है
3. सेवा प्रदान करने के लिए अनुमत अधिकतम समय
4. सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

191. 2010 के अधिनियम के तहत दोषी अधिकारी पर लगाया गया दंड काटा जाता है:
(A) विभाग के बजट से
(B) एक विशेष सरकारी कोष से
(C) अधिकारी के वेतन से
(D) राज्य की आकस्मिकता निधि से

192. 2010 का अधिनियम मध्य प्रदेश के नागरिकों को क्या अधिकार प्रदान करता है?
(A) रोजगार का अधिकार
(B) सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का अधिकार
(C) विरोध करने का अधिकार
(D) मुफ्त शिक्षा का अधिकार

193. यह अधिनियम न केवल चूक करने वाले अधिकारी पर दंड का प्रावधान करता है बल्कि व्यथित नागरिक के लिए ________ का भी प्रावधान करता है।
(A) एक औपचारिक माफी
(B) प्रतिकर लागत
(C) एक सरकारी नौकरी
(D) एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट केस

194. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के बारे में गलत कथन की पहचान करें।
(A) यह विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करता है।

(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, और 3

171. 2015 के नियम एक निश्चित अवधि के लिए खरीद के रिकॉर्ड बनाए रखने का निर्देश देते हैं। यह किसके लिए अनिवार्य है:
(A) ऑडिट और सतर्कता जांच के लिए।
(B) प्रक्रियात्मक कमियों को छिपाने के लिए।
(C) प्रशासनिक बोझ बढ़ाने के लिए।
(D) पुराने रिकॉर्ड को रद्दी के रूप में बेचने के लिए।

172. 2015 के नियमों के शीर्षक में 'भंडार क्रय' शब्द का तात्पर्य है:
(A) स्टोर खरीद
(B) सेवा खरीद
(C) निविदा नियम
(D) वित्तीय प्रबंधन

173. 2015 के नियमों के संशोधनों की एक प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल्स और नीतियों के साथ एकीकरण है। यह किसकी ओर एक कदम है:
(A) एक अधिक खंडित और राज्य-विशिष्ट खरीद पारिस्थितिकी तंत्र।
(B) सरकारी खरीद के लिए एक अधिक सुसंगत और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार।
(C) राज्य स्तरीय खरीद नियमों का पूर्ण उन्मूलन।
(D) एक ऐसी प्रणाली जहां केवल केंद्र सरकार की एजेंसियां ही खरीद कर सकती हैं।

174. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 का वांछित परिणाम नहीं है?
(A) पारदर्शिता
(B) पैसे का सही मूल्य
(C) एकाधिकार को बढ़ावा देना
(D) निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा

175. यदि कोई बोलीदाता अनुचित साधनों के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो 2015 के नियमों के तहत, इससे क्या हो सकता है:
(A) बोलीदाता को प्राथमिकता दी जाना।
(B) बेहतर कीमत के लिए बातचीत।
(C) उनकी बोली को तत्काल अस्वीकार करना और संभावित ब्लैकलिस्टिंग।
(D) एक साधारण चेतावनी।

176. 2015 के खरीद नियम शासन सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं, जो किसकी ओर अग्रसर है:
(A) अधिक नियम-आधारित और पारदर्शी प्रशासन।
(B) अधिक विवेकाधीन और व्यक्तित्व-आधारित प्रशासन।
(C) अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका कम करना।
(D) सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता बढ़ाना।

177. एक विभाग को दो दिनों के लिए वीआईपी यात्रा के लिए टैक्सी किराए पर लेने की आवश्यकता है। यह किसके अंतर्गत आएगा:
(A) 'भंडार क्रय'
(B) ' सेवा उपार्जन'
(C) पूंजीगत व्यय
(D) कार्य अनुबंध

178. मशीनरी या उपकरणों के लिए बोलियों का मूल्यांकन करने में कभी-कभी 'लाइफ साइकिल कॉस्ट' की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। इसका क्या अर्थ है?
(A) केवल प्रारंभिक खरीद मूल्य।
(B) उपकरण के स्वामित्व की कुल लागत, जिसमें खरीद मूल्य, रखरखाव और परिचालन लागत शामिल है।
(C) केवल निपटान की लागत।
(D) उपकरण चलाने वाले व्यक्ति का वेतन।

179. एक बोलीदाता जिसे मध्य प्रदेश में एक राज्य सरकार के विभाग द्वारा वर्जित या ब्लैकलिस्ट किया गया है, वह अक्सर:
(A) अन्य विभागों में बोली लगाने के लिए स्वतः पात्र होता है।
(B) राज्य के अन्य विभागों की निविदाओं में भाग लेने के लिए भी अपात्र होता है।
(C) उन्हें सुधारने में मदद करने के लिए एक विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
(D) यदि वे अपनी कंपनी का नाम बदलते हैं तो उन्हें भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

180. मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 का अंततः उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन को सबसे अधिक _________ तरीके से खर्च किया जाए।
(A) विवेकपूर्ण और जवाबदेह
(B) गुप्त
(C) तीव्र, लागत की परवाह किए बिना
(D) राजनीतिक रूप से फायदेमंद

181. मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?
(A) 2005
(B) 2012
(C) 2010
(D) 2015

182. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करना।
(B) अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर वितरित करना।
(C) कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना।
(D) सभी नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी

205. 2010 के अधिनियम के तहत प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील
2. पदाभिहित अधिकारी को आवेदन
3. द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील
4. सेवा वितरण के बिना निर्धारित समय सीमा की समाप्ति

सही विकल्प चुनें:
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 2, 1, 3

206. निम्नलिखित में से कौन 2010 के अधिनियम की कानूनी प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) यह राष्ट्रव्यापी लागू एक केंद्रीय कानून है।
(B) यह बिना किसी कानूनी आधार के प्रशासनिक दिशानिर्देशों का एक समूह है।
(C) यह एक संवैधानिक संशोधन है।
(D) यह एक राज्य कानून है जो नागरिकों के लिए एक वैधानिक अधिकार बनाता है।

207. एक किसान अपने भूमि रिकॉर्ड की प्रति के लिए आवेदन करता है जो कि 7 दिनों की समय सीमा वाली एक अधिसूचित सेवा है। उसे 15 दिनों के बाद भी यह नहीं मिलता है। 2010 के अधिनियम के तहत उसका तत्काल कानूनी उपाय क्या है?
(A) पुलिस शिकायत दर्ज करना।
(B) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करना।
(C) जनहित याचिका दायर करना।
(D) सेवा के लिए पुन: आवेदन करना।

208. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 द्वारा कवर किए गए मामलों में सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित किया गया है। क्यों?
(A) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम द्वारा बनाए गए विशिष्ट और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किया जाए।
(B) क्योंकि सिविल न्यायालय ऐसे मामलों को संभालने के लिए सक्षम नहीं हैं।
(C) सरकारी अधिकारियों को मुकदमों से बचाने के लिए।
(D) सिविल न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए।

209. 2010 के अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारियों की शक्तियां किसके समान हैं:
(A) आपराधिक न्यायालय
(B) पुलिस अधिकारी
(C) वाद की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय के
(D) मंत्री

210. शासन पर 2010 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है?
(A) इसने सरकारी कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ा दिया है।
(B) इसने सरकार को आम आदमी के लिए कम सुलभ बना दिया है।
(C) इसने प्रशासन में जवाबदेही और नागरिक-केंद्रितता की संस्कृति पेश की है।
(D) इसके कारण कई सरकारी कार्यालय बंद हो गए हैं।

211. 2010 का अधिनियम किस अन्य प्रमुख अधिकार-आधारित कानून का पूरक है?
(A) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
(B) खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
(C) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
(D) उपरोक्त सभी

212. क्या किसी पदाभिहित अधिकारी को दंडित किया जा सकता है यदि देरी उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई थी?
(A) हाँ, किसी भी देरी के लिए दंड स्वतः मिलता है।
(B) नहीं, अधिनियम दंड लगाने से पहले अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने का प्रावधान करता है।
(C) दंड लगाया जाता है लेकिन बाद में वापस कर दिया जाता है।
(D) आवेदक को यह सिद्ध करना होगा कि देरी जानबूझकर की गई थी।

213. लोक सेवा गारंटी के मध्य प्रदेश मॉडल को बाद में भारत के कई अन्य राज्यों द्वारा अपनाया गया। यह दर्शाता है:
(A) मध्य प्रदेश में मॉडल की विफलता।
(B) एक संयोग।
(C) केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को निर्देश।
(D) शासन नवाचार की कथित सफलता और हस्तांतरणीयता।

214. अधिसूचित सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों और समय सीमा के बारे में जानकारी होनी चाहिए:
(A) विभाग के भीतर गोपनीय रखी जानी चाहिए।
(B) केवल आरटीआई आवेदन पर साझा की जानी चाहिए।
(C) केवल सशुल्क सदस्यता के आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए।
(D) पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

215. 2010 के अधिनियम में पिछले कुछ वर्षों में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों का संभावित कारण क्या है?
(A) अधिक सेवाओं को शामिल करना, तकनीक का लाभ उठाना और प्रक्रिया को परिष्कृत करना।
(B) कवर की गई सेवाओं की संख्या कम करना।
(C) सेवा वितरण के लिए समय सीमा बढ़ाना।
(D) दंड उपबंध को समाप्त करना।

216. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 की विशेषता नहीं है?
(A) सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी

(D) खरीद इकाई द्वारा लाभ के रूप में रखा जाना

129. 2015 के मध्य प्रदेश खरीद नियम और इसके संशोधन अक्सर किस श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं?
(A) विदेशी कंपनियां
(B) राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
(C) बड़े औद्योगिक घराने
(D) केवल राजधानी शहर के आपूर्तिकर्ता

130. मध्य प्रदेश खरीद नियम, 2015 के अनुसार खरीद विधियों और उनके विवरण के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (खरीद विधि)
P. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस खरीद
Q. खुली निविदा
R. सीमित निविदा
S. एकल निविदा
सूची II: (विवरण)
1. सीमित संख्या में फर्मों को निमंत्रण
2. स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए या तत्काल आवश्यकता के मामले में खरीद
3. सामान्य उपयोग पोर्टल से ऑनलाइन खरीद
4. सभी पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित करने वाला सार्वजनिक विज्ञापन
कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

131. एक सरकारी विभाग को मानक कार्यालय स्टेशनरी खरीदने की आवश्यकता है। 2015 के नियमों के अनुसार, उनकी पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए?
(A) वैश्विक निविदा जारी करें।
(B) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर वस्तुओं की उपलब्धता की जांच करें।
(C) अपनी पसंद की स्थानीय दुकान से सीधे खरीदारी करें।
(D) कम से कम दस आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन मांगें।

132. 2015 के नियमों के शीर्षक में 'सेवा उपार्जन' शब्द का तात्पर्य है:
(A) माल की खरीद
(B) सेवाओं की खरीद
(C) स्टोर का निपटान
(D) माल का निर्माण

133. खरीद नियमों के अनुसार 'कार्य निष्पादन सुरक्षा' क्या है?
(A) बोलियां खोलने से पहले सभी बोलीदाताओं से ली गई सुरक्षा जमा राशि।
(B) अनुबंध के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा जमा राशि।
(C) पारगमन में माल के लिए एक बीमा पॉलिसी।
(D) निविदा मूल्यांकन समिति को दिया गया शुल्क।

134. एक उच्च मूल्य और जटिल परियोजना के लिए, 2015 के खरीद नियम सबसे अधिक किस बोली प्रणाली की सिफारिश करेंगे?
(A) एकल बोली प्रणाली
(B) केवल रिवर्स ऑक्शन
(C) एकल विक्रेता के साथ मौखिक बातचीत
(D) दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय)

135. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015 जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद को प्रोत्साहित करता है।
कारण (R): जीईएम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक पारदर्शी और कुशल मंच प्रदान करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

136. 2015 के नियमों ने पुराने नियमों को प्रतिस्थापित किया:
(A) मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2002
(B) मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 1995
(C) 2015 से पहले कोई औपचारिक नियम नहीं थे
(D) नियम पूरी तरह से नई अवधारणा हैं जिनका कोई पूर्ववर्ती नहीं है

137. निम्नलिखित में से कौन 2015 के खरीद नियमों का एक प्रमुख सिद्धांत है?
(A) व्यक्तिगत अधिकारियों के लिए विवेक का अधिकतम उपयोग
(B) सभी खरीद निर्णयों में गोपनीयता
(C) सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार
(D) उच्चतम बोलीदाता के लिए प्राथमिकता

138. 2015 के नियमों द्वारा प्रोत्साहित ई-खरीद पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से किसमें मदद करता है:
(A) खरीद की लागत बढ़ाने में
(B) पारदर्शिता बढ़ाने और मिलीभगत की गुंजाइश कम करने में
(C) प्रतिस्पर्धा कम करने में
(D) छोटे विक्रेताओं के लिए प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाने में

228. निम्नलिखित में से कौन 2010 के अधिनियम के तहत एक जोड़े की सही पहचान करता है?
(A) आवेदक - वह व्यक्ति जो सेवा प्रदान करता है
(B) पदाभिहित अधिकारी - अपील का पहला स्तर
(C) निर्धारित समय - सेवा वितरण के लिए अधिकतम समय
(D) दंड - आवेदक को दिया गया मुआवजा

229. यदि एक पदाभिहित अधिकारी जानता है कि वह वैध कार्यभार के कारण समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं कर सकता है, तो उसे आदर्श रूप से:
(A) आवेदन की तब तक अनदेखी करनी चाहिए जब तक वह उसे संसाधित न कर सके।
(B) कार्यभार के कारण के साथ आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए, जिसकी फिर अपील की जा सकती है।
(C) प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवेदक से रिश्वत मांगनी चाहिए।
(D) आवेदन की फाइल गायब कर देनी चाहिए।

230. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के निम्नलिखित परिणामों पर विचार करें:
1. इसने सरकारी अधिकारियों को अधिक संवेदनशील बना दिया है।
2. यह सेवा वितरण में देरी से लड़ने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
3. इसने राज्य में भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन वास्तविक रूप से इस अधिनियम के लिए जिम्मेदार है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

231. 2010 का अधिनियम किसमें निहित सिद्धांतों के व्यावहारिक कार्यान्वयन के रूप में कार्य करता है:
(A) सैन्य नियम पुस्तिका
(B) व्यापार अनुबंध
(C) धार्मिक ग्रंथ
(D) नागरिक अधिकार-पत्र

232. एक अधिकारी को कुछ सेवाओं के लिए 'पदाभिहित अधिकारी' और अन्य के लिए 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' के रूप में नामित किया जाता है। यह है:
(A) अधिनियम के तहत संभव नहीं है।
(B) संभव है, क्योंकि भूमिकाएं विशिष्ट हैं और विशेष सेवा और प्रशासनिक पदानुक्रम पर निर्भर करती हैं।
(C) हितों का टकराव।
(D) सरकारी अधिसूचना में छपाई की त्रुटि।

233. 2010 के अधिनियम का ध्यान सरकारी सेवाओं के _________ पर है।
(A) मात्रा
(B) लागत
(C) राजनीतिक निहितार्थ
(D) गुणवत्ता और समयबद्धता

234. क्या अधिनियम प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता को कवर करता है, या केवल समयबद्धता को?
(A) यह केवल वितरण की समयबद्धता को कवर करता है।
(B) यदि सेवा उचित रूप में या सही सामग्री के साथ प्रदान नहीं की जाती है तो अपील दायर की जा सकती है।
(C) गुणवत्ता एक व्यक्तिपरक मामला है और इसे कवर नहीं किया गया है।
(D) यह केवल उन सेवाओं को कवर करता है जिनमें गुणवत्ता का कोई आयाम नहीं है।

235. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010, किसकी स्थापना की दिशा में एक कदम है:
(A) एक निरंकुश राज्य
(B) बिना किसी नागरिक जिम्मेदारी वाला एक कल्याणकारी राज्य
(C) पूरी तरह से निजीकृत सेवा वितरण मॉडल
(D) एक नियम-आधारित, जवाबदेह शासन प्रणाली

236. किसी अधिकारी पर लगाया गया दंड एक _________ कार्रवाई है।
(A) आपराधिक
(B) सिविल
(C) नैतिक
(D) विभागीय/प्रशासनिक

237. 2010 के अधिनियम की सफलता के कारण भारत सरकार ने इसी तरह का एक केंद्रीय कानून पारित किया जिसे जाना जाता है:
(A) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
(B) नागरिकों का सामान और सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी और उनकी शिकायतों के निवारण का अधिकार विधेयक, 2011
(C) व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014
(D) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

238. नागरिक के लिए यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनके क्षेत्र में अधिनियम के तहत कौन सी सेवाएं कवर की गई हैं?
(A) प्रत्येक सेवा के लिए आरटीआई आवेदन दायर करके।
(B) मुख्य सचिव के कार्यालय में जाकर।
(C) आधिकारिक सरकारी पोर्टल या स्थानीय तहसील/कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड की जांच करके।
(D) मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अनुमान लगाकर।

239. 2010 का अधिनियम आम नागरिक को किसका उपकरण प्रदान करके सशक्त बनाता है:
(A) सरकारी नीतिगत निर्णयों को चुनौती देना।

(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

281. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 राज्य द्वारा किस विषय पर कानून बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का एक उदाहरण है?
(A) विदेश मामले
(B) रक्षा
(C) सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य
(D) बैंकिंग और मुद्रा

282. माता-पिता या भाई-बहन द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकने वाला प्रावधान अधिनियम के इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि गैर-कानूनी धर्मांतरण एक ऐसी शिकायत है जो प्रभावित करती है:
(A) केवल व्यक्ति को
(B) परिवार और समाज को
(C) केवल सरकार को
(D) केवल धार्मिक समुदाय को

283. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 की आधिकारिक स्थिति क्या है?
(A) यह मध्य प्रदेश में लागू एक अधिनियम है।
(B) यह विधानसभा में लंबित एक विधेयक है।
(C) इसे सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है।
(D) यह एक केंद्र सरकार का अधिनियम है।

284. वह व्यक्ति जो गैर-कानूनी धर्मांतरण में सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है, वह है:
(A) अधिनियम के तहत उत्तरदायी नहीं।
(B) धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के समान दंड के लिए उत्तरदायी।
(C) कम दंड के लिए उत्तरदायी।
(D) केवल तभी उत्तरदायी यदि वे धार्मिक पुजारी हों।

285. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 में विवाह और धर्मांतरण के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हैं।
कारण (R): अधिनियम यह अनुमान लगाता है कि कोई भी विवाह जहां एक पक्ष विवाह से कुछ समय पहले या बाद में धर्मांतरण करता है, वह केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से हो सकता है, और इसके विपरीत साबित करने के लिए सबूत का भार व्यक्तियों पर डालता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

286. 2021 के अधिनियम के अनुसार धर्म के 'प्रचार' और धर्मांतरण के लिए 'प्रलोभन' के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) प्रचार किसी धर्म के सिद्धांतों को साझा करना है, जबकि प्रलोभन में धर्मांतरण के लिए भौतिक प्रलोभन देना शामिल है।
(B) कोई अंतर नहीं है; दोनों प्रतिबंधित हैं।
(C) प्रचार पुजारियों द्वारा किया जाता है, जबकि प्रलोभन आम लोगों द्वारा किया जाता है।
(D) प्रचार केवल कुछ धर्मों के लिए कानूनी है।

287. जिला स्तर पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्राधिकारी जिम्मेदार है?
(A) पुलिस अधीक्षक
(B) जिला न्यायाधीश
(C) जिला मजिस्ट्रेट
(D) मुख्य चिकित्सा अधिकारी

288. 2021 का अधिनियम भारत के कई राज्यों में देखी गई एक विधायी प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल शासन कर रहा है जिसने यह कानून पेश किया?
(A) भारतीय जनता पार्टी
(B) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(C) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(D) आम आदमी पार्टी

289. पुजारी के लिए धर्मांतरण समारोह आयोजित करने के लिए 60 दिन की सूचना की आवश्यकता का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) यह सुनिश्चित करना कि पुजारी योग्य है।
(B) पुजारी को धर्मांतरण प्रक्रिया का आधिकारिक पक्ष बनाना और कानून के तहत जवाबदेह बनाना।
(C) पुजारी से कर वसूल करना।
(D) पुजारी के स्वयं के धर्म को सत्यापित करना।

290. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह राज्य में सभी धार्मिक धर्मांतरणों को अवैध बनाता है।
2. इसमें गैर-कानूनी धर्मांतरण के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
3. यह शिकायतकर्ता पर यह साबित करने के लिए सबूत का भार डालता है कि धर्मांतरण गैर-कानूनी था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

291. 2021 का अधिनियम किन दो प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने के राज्य के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है?
(A) अपना धर्म चुनने का व्यक्ति का अधिकार और जबरन

R. कपटपूर्ण साधन
S. प्रलोभन

सूची II: (अर्थ)
1. अपने मूल धर्म को त्यागना और दूसरा धर्म अपनाना
2. उपहार या भौतिक लाभ की पेशकश करना
3. प्रतिरूपण या मिथ्या निरुपण करना
4. किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करना

कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-3, S-2
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

251. 2021 के अधिनियम के तहत कथित गैर-कानूनी धर्मांतरण के मामले में सबूत का भार किस पर होता है?
(A) उस व्यक्ति पर जिसका धर्मांतरण हुआ, यह साबित करने के लिए कि यह वैध था।
(B) अभियोजन पक्ष पर, यह साबित करने के लिए कि धर्मांतरण गैर-कानूनी था।
(C) जिला मजिस्ट्रेट पर।
(D) अभियुक्त व्यक्ति पर, यह साबित करने के लिए कि धर्मांतरण गैर-कानूनी साधनों से नहीं हुआ था।

252. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 के तहत अपराध हैं:
(A) संज्ञेय और जमानती।
(B) असंज्ञेय और गैर-जमानती।
(C) असंज्ञेय और जमानती।
(D) संज्ञेय और गैर-जमानती।

253. 2021 के अधिनियम और पुराने 1968 के अधिनियम के बीच एक प्रमुख अंतर क्या है?
(A) 2021 का अधिनियम कम कड़ा है और इसमें कम दंड है।
(B) 2021 का अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करने की आवश्यकता को हटा देता है।
(C) 2021 का अधिनियम केवल कुछ धर्मों पर लागू होता है।
(D) 2021 के अधिनियम में विशेष रूप से विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को संबोधित करने वाले प्रावधान शामिल हैं और इसमें काफी अधिक दंड है।

254. कोई संगठन जो गैर-कानूनी सामूहिक धर्मांतरण का समर्थन करने या उसे अंजाम देने में शामिल है, उसका पंजीकरण 2021 के अधिनियम के तहत रद्द किया जा सकता है। इस संदर्भ में 'सामूहिक धर्मांतरण' का क्या अर्थ है?
(A) एक व्यक्ति का धर्मांतरण।
(B) दो या दो से अधिक व्यक्तियों का धर्मांतरण।
(C) सौ से अधिक लोगों का धर्मांतरण।
(D) धर्मांतरण जिसका टेलीविजन पर प्रसारण किया जाता है।

255. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021, किसी भी धार्मिक धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व घोषणा करना अनिवार्य बनाता है।
कारण (R): अधिनियम का उद्देश्य सभी धार्मिक धर्मांतरणों को विनियमित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बल, कपट या प्रलोभन के माध्यम से नहीं किए गए हैं, और यह घोषणा नियामक तंत्र का एक हिस्सा है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

256. किसी नाबालिग या महिला का गैर-कानूनी रूप से धर्मांतरण करने के दोषी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कारावास क्या है?
(A) एक वर्ष
(B) दो वर्ष
(C) पाँच वर्ष
(D) दस वर्ष

257. अधिनियम के शीर्षक में 'धर्म स्वातंत्र्य' का अनुवाद है:
(A) धार्मिक स्वतंत्रता
(B) धार्मिक कर
(C) धार्मिक धर्मांतरण
(D) धार्मिक कर्तव्य

258. 2021 के अधिनियम के आलोचकों का तर्क है कि यह किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है?
(A) निजता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)
(B) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300A)
(C) वाक् स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19) और जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23)

259. कोई व्यक्ति धर्मांतरण के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को जमा की गई घोषणा में गलत जानकारी प्रदान करता है। यह कृत्य स्वयं में है:
(A) अधिनियम के तहत अपराध नहीं।
(B) एक नागरिक दोष लेकिन आपराधिक अपराध नहीं।
(C) यदि धर्मांतरण वास्तविक है तो अनदेखा किया जाना चाहिए।
(D) अधिनियम के तहत एक अलग दंडनीय अपराध।

260. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 के तहत निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें:
1. गहन व्यक्तिगत अध्ययन और चिंतन के बाद स्वेच्छा से

विवादों का निपटान शीघ्रता से हो। इससे न्यायिक प्रक्रियाओं के भार में कमी आती है और विश्वविद्यालय की आंतरिक स्थिरता एवं सुशासन निरंतर बना रहता है।

19. (C) राज्य सरकार की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कुलपति को पद से विमुक्त करने की शक्ति कुलाधिपति के पास सुरक्षित है। यदि कुलपति के विरुद्ध गंभीर कदाचार या अक्षमता के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर कुलाधिपति उन्हें पदमुक्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कुलपति के पद की गरिमा बनी रहे। इस प्रावधान का उद्देश्य विश्वविद्यालय के शीर्ष नेतृत्व को जवाबदेह बनाना और किसी भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकना है।

20. (A) केवल 1
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियों को समेकित कर एक समान वैधानिक ढांचा प्रदान करना है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं, न कि मुख्यमंत्री। कार्य परिषद मुख्य कार्यकारी निकाय है, जबकि विद्या परिषद मुख्य शैक्षणिक निकाय होती है। यह अधिनियम प्रदेश में उच्च शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने हेतु पारित किया गया था, जिससे संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

21. (C) कार्य परिषद
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत 'अध्यादेश' बनाने की प्राथमिक शक्ति कार्य परिषद के पास होती है। ये अध्यादेश विश्वविद्यालय के दैनिक संचालन, छात्रों के प्रवेश, परीक्षाओं के संचालन और शुल्क संरचना जैसे विषयों को विनियमित करते हैं। कार्य परिषद द्वारा निर्मित अध्यादेशों के प्रभावी होने हेतु कुलाधिपति की अनुमति अनिवार्य होती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक निर्णय नियमों के अनुरूप हों। अध्यादेशों के माध्यम से विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों को अनुशासित तरीके से संचालित करता है।

22. (B) कुलपति
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, विश्वविद्यालय की वित्त समिति की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाती है। वित्त समिति विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट, आय और व्यय के लेखों को तैयार करने हेतु उत्तरदायी होती है। कुलपति के नेतृत्व में यह समिति सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो। समिति की अनुशंसाओं को अंतिम अनुमोदन हेतु कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता और जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

23. (D) धारा 15
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 कुलपति की शक्तियों और कर्तव्यों को विस्तृत रूप से परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार, कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होता है और वह समस्त कार्यों के सुचारु संचालन हेतु उत्तरदायी है। उसके पास अनुशासन बनाए रखने, नियुक्तियां करने और आपातकालीन स्थितियों में निर्णय लेने के वैधानिक अधिकार होते हैं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि कुलपति के पास अपने दायित्वों को निभाने हेतु आवश्यक कानूनी अधिकार उपलब्ध रहें।

24. (A) संबंधित अध्ययन बोर्ड
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत किसी भी नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रक्रिया संबंधित अध्ययन बोर्ड से प्रारंभ होती है। यह बोर्ड विषय विशेषज्ञों से निर्मित होता है जो पाठ्यक्रम की रूपरेखा और परीक्षा संरचना की अनुशंसा करते हैं। इनकी अनुशंसाएं विद्या परिषद को प्रेषित की जाती हैं और अंततः कार्य परिषद द्वारा स्वीकृत होती हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ हो। किसी भी नए ज्ञान क्षेत्र में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु यह अनिवार्य प्रक्रिया है।

25. (A) 2, 1, 3, 4
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, कुलाधिपति विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होता है। उसके पश्चात कुलपति का स्थान आता है, जो मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। कार्य परिषद मुख्य प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय के रूप में तृतीय स्तर पर आती है। अंत में कुलसचिव का स्थान है, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और अभिलेखों का अभिरक्षक होता है। यह पदानुक्रम विश्वविद्यालय के कुशल प्रबंधन और शक्तियों के व्यवस्थित वितरण हेतु निर्मित किया गया है।

26. (A) सभा
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद के निर्देशन में तैयार किया जाता है। इस प्रतिवेदन को समीक्षा हेतु विश्वविद्यालय की सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सभा विश्वविद्यालय की नीतियों की व्यापक समीक्षा करने वाला निकाय है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विश्वविद्यालय की गतिविधियों का विवरण पारदर्शी तरीके से हितधारकों के समक्ष रखा जाए। सभा द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्य परिषद विचार करती है, जिससे संस्थागत जवाबदेही और सुशासन को प्रोत्साहन मिलता है।

27. (D) सभी नियुक्त प्रोफेसर, रीडर और शैक्षणिक व्याख्याता।
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत 'शिक्षक' शब्द की व्याख्या व्यापक है। इसमें विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु नियुक्त सभी प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता और अन्य शैक्षणिक कर्मी सम्मिलित हैं। अधिनियम का उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों को इस श्रेणी में लाना है जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान गतिविधियों में सक्रिय हैं। यह परिभाषा शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारों और सेवा शर्तों को स्पष्ट करती है, जिससे शैक्षणिक मानकों का प्रभावी नियमन सुनिश्चित किया जा सके।

जो अधिनियम के कानूनी पाठ में नहीं मिलता है।

271. यदि जिला मजिस्ट्रेट को इच्छित धर्मांतरण के लिए सार्वजनिक सूचना के बाद कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो क्या होता है?
(A) जिला मजिस्ट्रेट धर्मांतरण के वास्तविक इरादे और उद्देश्य की जांच करता है।
(B) धर्मांतरण स्वतः प्रतिबंधित हो जाता है।
(C) आपत्ति को बिना जांच के खारिज कर दिया जाता है।
(D) मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है।

272. 2021 के अधिनियम का उद्देश्य धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना है, जिसमें धर्म को "मानने, आचरण करने और प्रचार करने" का अधिकार शामिल है। यह तर्क इस व्याख्या पर टिका है कि:
(A) प्रचार करना एक मौलिक अधिकार नहीं है।
(B) प्रचार करने के अधिकार में कपटपूर्ण साधनों द्वारा धर्मांतरण शामिल नहीं है।
(C) अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
(D) धर्म का अधिकार पूर्ण है और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता।

273. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 के तहत अधिकतम दंड कितना हो सकता है:
(A) 1 वर्ष का कारावास
(B) 3 वर्ष का कारावास
(C) 5 वर्ष का कारावास
(D) 10 वर्ष का कारावास

274. धर्मांतरण के लिए 60 दिन की अग्रिम सूचना की आवश्यकता का उद्देश्य है:
(A) सभी धर्मांतरणों को हतोत्साहित करना।
(B) विचार करने की अवधि प्रदान करना और राज्य की जांच की अनुमति देना।
(C) प्रशासनिक बाधाएं पैदा करना।
(D) आवेदन शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना।

275. यदि कोई संगठन गैर-कानूनी सामूहिक धर्मांतरण में शामिल पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण को रद्द करने के अलावा, उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध और क्या कार्रवाई की जा सकती है?
(A) उन्हें औपचारिक चेतावनी दी जाती है।
(B) वे एक व्यक्ति के समान ही दंडात्मक प्रावधानों के अधीन होते हैं।
(C) उन्हें सार्वजनिक माफी मांगने के लिए कहा जाता।
(D) व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, केवल संगठन के विरुद्ध।

276. 2021 का अधिनियम 'धर्म' को इस रूप में परिभाषित करता है:
(A) केवल हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म।
(B) विश्वास या पूजा की कोई भी प्रणाली।
(C) सामान्य समझ पर निर्भर शब्द, क्योंकि अधिनियम इसे सख्ती से परिभाषित नहीं करता है।
(D) केवल वे छह धर्म जिन्हें भारत में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है।

277. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 की कानूनी वैधता को न्यायालयों में चुनौती दी गई है। चुनौती का मुख्य आधार इसके साथ संभावित टकराव है:
(A) अंतर्राष्ट्रीय कानून
(B) भारतीय संविधान के तहत निजता, पसंद और धर्म के मौलिक अधिकार
(C) राज्य की वित्तीय क्षमताएं
(D) भारतीय दंड संहिता

278. निम्नलिखित में से किस परिदृश्य की 2021 के अधिनियम के तहत जांच किए जाने की संभावना सबसे कम है?
(A) एक व्यक्ति महिला से विवाह करने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छुपाता है और फिर उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर करता है।
(B) एक मिशनरी गरीब ग्रामीणों को चर्च आने और बपतिस्मा लेने के लिए मुफ्त भोजन और धन की पेशकश करता है।
(C) एक व्यक्ति, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद, अपना विश्वास बदलने का निर्णय लेता है और आवश्यकतानुसार जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करता है।
(D) एक पति अपनी पत्नी को तलाक देने की धमकी देता है जब तक कि वह उसका धर्म नहीं अपना लेती।

279. 2021 के अधिनियम में "अनुचित प्रभाव" का तात्पर्य है:
(A) धर्मांतरण के व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करने के लिए अधिकार की स्थिति या विशेष संबंध का उपयोग करना।
(B) धार्मिक दर्शन के बारे में स्वस्थ बहस में संलग्न होना।
(C) सभी लोगों को उनके विश्वास की परवाह किए बिना दान प्रदान करना।
(D) व्यक्ति के पालन-पोषण में परिवार के सदस्यों का प्रभाव।

280. 2021 के अधिनियम के तहत प्रावधानों और परिणामों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (प्रावधान)
P. बिना घोषणा के स्वैच्छिक धर्मांतरण
Q. नाबालिग का गैर-कानूनी धर्मांतरण
R. केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से विवाह
S. सामूहिक धर्मांतरण
सूची II: (परिणाम)
1. शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है
2. दंडनीय, बढ़ा हुआ दंड
3. दंडनीय, संगठन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है
4. दंडनीय, प्रक्रिया का उल्लंघन
कूट:
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) 1973
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में राज्य के विश्वविद्यालयों से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करने हेतु अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला एक आधारभूत वैधानिक ढांचा है। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रशासनिक एकरूपता लाना और शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है। यह राज्य सरकार को प्रभावी विनियमन के अधिकार प्रदान करता है।

2. (A) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति के रूप में उनके पास विश्वविद्यालयों के कामकाज की निगरानी करने और कुलपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति निहित है। वे विश्वविद्यालय के सर्वोच्च संरक्षक होते हैं और दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करते हैं। उनका पद प्रशासनिक समन्वय और शैक्षणिक स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

3. (C) कार्य परिषद
कार्य परिषद मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय है। यह परिषद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के प्रबंधन हेतु पूर्णतः उत्तरदायी होती है। इसमें संपत्तियों का नियंत्रण, राजस्व का उचित नियोजन और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्तियां सम्मिलित हैं। यह निकाय विश्वविद्यालय की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने और संस्थानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। इसकी शक्तियां अधिनियम द्वारा निर्धारित होती हैं।

4. (D) कुलपति का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है।
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होता है। उनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा एक विशेष चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है। कुलपति का कार्यकाल सामान्यतः चार वर्ष निर्धारित है और वे नियमों के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हो सकते हैं। वे विश्वविद्यालय की सभा और कार्य परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने हेतु उत्तरदायी हैं।

5. (C) विद्या परिषद
विद्या परिषद मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षण, अनुसंधान और परीक्षाओं के मानकों को बनाए रखने वाला मुख्य निकाय है। यह शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण करता है और अध्ययन के पाठ्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेता है। विद्या परिषद यह सुनिश्चित करती है कि विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे। यह निकाय कार्य परिषद को शैक्षणिक सुधारों और नवाचारों पर आवश्यक परामर्श प्रदान करता है।

6. (B) रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, कुलसचिव को रजिस्ट्रार के रूप में जाना जाता है। रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अधिकारी होता है जो प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुहर और अचल संपत्तियों का आधिकारिक अभिरक्षक होता है। रजिस्ट्रार विभिन्न समितियों और परिषदों के सचिव के रूप में कार्य करता है। उसकी नियुक्ति और सेवा शर्तें अधिनियम में वर्णित नियमों द्वारा विनियमित होती हैं।

7. (D) अध्ययन के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और विभिन्न परीक्षा पाठ्यक्रमों की सिफारिश करना।
अध्ययन बोर्ड मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत एक विशिष्ट शैक्षणिक इकाई है, जिसका प्राथमिक कार्य पाठ्यक्रम तैयार करना है। यह बोर्ड अपने संबंधित विषयों हेतु पाठ्यक्रम और परीक्षा योजनाओं की अनुशंसा विद्या परिषद को करता है। इसमें अनुभवी शिक्षक और विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं जो आधुनिक शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार विषयों को अद्यतन करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम छात्रों के कौशल विकास हेतु प्रासंगिक और मानक पूर्ण रहें।

8. (A) अपने अधिकार से परिनियमों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्य परिषद को वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और प्रशासनिक नियुक्तियों की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करने और संपत्तियों के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। हालांकि, परिनियम बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति मुख्य रूप से कुलाधिपति और राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। कार्य परिषद केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन करती है। यह संरचना शक्ति के पृथक्करण का पालन करती है।

9. (C) राज्य सरकार
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत किसी भी नए विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा

धर्मांतरण को रोकने में राज्य का हित।
(B) राजस्व के लिए राज्य की आवश्यकता और संपत्ति के लिए नागरिक का अधिकार।
(C) वाक् स्वतंत्रता का अधिकार और सूचना का अधिकार।
(D) स्थानीय व्यवसायों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित।

292. अलग-अलग धर्मों के दो वयस्कों के बीच विवाह संपन्न होता है। उनका धर्मांतरण का कोई इरादा नहीं है। क्या मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 ऐसे विवाह को प्रतिबंधित करता है?
(A) नहीं, अधिनियम केवल गैर-कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से संपन्न विवाहों को लक्षित करता है।
(B) हाँ, सभी अंतर-धार्मिक विवाह प्रतिबंधित हैं।
(C) हाँ, लेकिन केवल तभी जब विवाह माता-पिता द्वारा अनुमोदित न हो।
(D) अधिनियम इस मुद्दे पर मौन है।

293. गैर-कानूनी धर्मांतरण के साधन के रूप में "मिथ्या निरुपण" में शामिल होगा:
(A) नए धर्म के सिद्धांतों को सटीक रूप से समझाना।
(B) झूठा दावा करना कि किसी का धर्म श्रेष्ठ है और अन्य बुरे हैं।
(C) यह दावा करना कि धर्मांतरण से किसी बीमारी का दिव्य उपचार हो जाएगा।
(D) किसी धर्म के साथ अपने व्यक्तिगत सकारात्मक अनुभव साझा करना।

294. 2021 के अधिनियम के प्रावधान जो माता-पिता को अपने वयस्क बच्चों की ओर से शिकायत करने की अनुमति देते हैं, विवादास्पद हैं क्योंकि वे संभावित रूप से किसे कमजोर करते हैं:
(A) वयस्क व्यक्ति की स्वायत्तता और एजेंसी
(B) माता-पिता का अधिकार
(C) परिवार की पवित्रता
(D) व्यक्ति की वित्तीय स्थिरता

295. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 का सबसे सटीक विवरण है?
(A) मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए एक अधिनियम।
(B) धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित करने और गैर-कानूनी धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिनियम।
(C) धार्मिक अभ्यास के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम।
(D) राज्य में एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने के लिए एक अधिनियम।

296. 2021 का अधिनियम एक कानूनी दर्शन को दर्शाता है जहां राज्य अपने नागरिकों के धार्मिक जीवन में एक ________ भूमिका निभाता है।
(A) पितृसत्तात्मक और नियामक
(B) अहस्तक्षेपकारी या गैर-हस्तक्षेपकारी
(C) पूरी तरह से तटस्थ और अलग
(D) सहायक और प्रोत्साहक

297. इस अधिनियम के तहत अपराध की जांच उप-निरीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए है:
(A) कि कनिष्ठ अधिकारियों पर काम का बोझ न पड़े।
(B) ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने में वरिष्ठता और परिपक्वता का एक निश्चित स्तर।
(C) कि केवल उच्च पदस्थ अधिकारी ही गिरफ्तारियां कर सकें।
(D) कि जांच में देरी हो।

298. अपराधों को गैर-जमानती बनाने वाले प्रावधान का अर्थ है कि:
(A) जमानत कभी नहीं दी जा सकती।
(B) जमानत अधिकार का मामला नहीं है और यह अदालत के विवेक पर निर्भर है।
(C) गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।
(D) पुलिस थाने में ही जमानत दे सकती है।

299. यदि 2021 के अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है, तो कानूनी कार्यवाही होगी:
(A) धार्मिक न्यायालय में
(B) अधिनियम के तहत गठित विशेष न्यायाधिकरण में
(C) नियमित आपराधिक न्यायालय में
(D) पारिवारिक न्यायालय में

300. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021, और अन्य राज्यों में इसी तरह के कानून, तीव्र कानूनी और सार्वजनिक बहस के विषय हैं, जो मुख्य रूप से किसके बीच संतुलन से संबंधित हैं:
(A) राज्य के अधिकार और केंद्र सरकार का अधिकार
(B) व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामुदायिक हित
(C) आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण
(D) पारंपरिक मूल्य और आधुनिक तकनीक

दूसरे धर्म में परिवर्तन करना।
2. बिना किसी के धर्मांतरण के दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करना।
3. नौकरी समाप्त करने की धमकी देकर किसी कर्मचारी को धर्मांतरण के लिए मजबूर करना।

उपरोक्त में से कौन सा/से कार्य अधिनियम के तहत दंडनीय है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, और 3

261. 2021 का अधिनियम किसके लिए भरण-पोषण और उत्तराधिकार के अधिकारों का प्रावधान करता है?
(A) उस व्यक्ति के लिए जो गैर-कानूनी धर्मांतरण करता है।
(B) उस महिला और बच्चों के लिए जो इस अधिनियम के तहत शून्य घोषित किए गए विवाह से पैदा हुए हैं।
(C) धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के माता-पिता के लिए।
(D) उस धार्मिक संस्थान के लिए जिसने धर्मांतरण कराया।

262. इस अधिनियम के तहत अपराध की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है?
(A) कोई भी पुलिस अधिकारी।
(B) निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं।
(C) केवल जिला मजिस्ट्रेट।
(D) उप-निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं।

263. एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस शर्त पर उच्च वेतन वाली नौकरी और एक नई मोटरसाइकिल की पेशकश करता है कि वे अपना धर्म परिवर्तन कर लें। यह 2021 के अधिनियम में _________ की परिभाषा के अंतर्गत आता है।
(A) प्रलोभन
(B) जबरदस्ती
(C) अनुचित प्रभाव
(D) मिथ्या निरूपण

264. आरोपी पर 'सबूत का भार' डालने वाला प्रावधान इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। व्यवहार में इसका क्या अर्थ है?
(A) आरोपी को अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबूत देने होंगे।
(B) आरोपी को तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाए।
(C) पुलिस को कोई सबूत जुटाने की जरूरत नहीं है।
(D) यह सभी आपराधिक कानूनों में एक मानक प्रक्रिया है।

265. वैध धर्मांतरण के लिए 2021 के अधिनियम में परिकल्पित निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. धर्मांतरण समारोह संपन्न होता है।
2. धार्मिक पुजारी जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र जमा करता है।
3. धर्मांतरण करने का इरादा रखने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र जमा करता है।
4. जिला मजिस्ट्रेट किसी भी आपत्ति के लिए जांच करता है।

सही विकल्प चुनें:
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 3, 1, 2, 4

266. निम्नलिखित में से कौन 2021 के अधिनियम के संबंध में गलत जोड़े की पहचान करता है?
(A) गैर-कानूनी धर्मांतरण - दंडनीय अपराध
(B) स्वैच्छिक धर्मांतरण - पूर्व घोषणा की आवश्यकता
(C) सबूत का भार - शिकायतकर्ता पर होता है
(D) धर्मांतरण के लिए विवाह - शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है

267. 2021 का अधिनियम पहले एक अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया और फिर विधानसभा द्वारा पारित किया गया। अध्यादेश क्या है?
(A) विधायिका द्वारा पारित एक कानून।
(B) एक अदालती फैसला।
(C) एक सरकारी अधिसूचना।
(D) जब विधानसभा सत्र में न हो तो राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित एक अस्थायी कानून।

268. 2021 के अधिनियम के कड़े प्रावधान राज्य के किस इरादे को दर्शाते हैं:
(A) अंतर-धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित करना।
(B) उन धर्मांतरणों पर सख्ती से अंकुश लगाना जो स्वैच्छिक और वास्तविक नहीं हैं।
(C) धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना।
(D) सभी धार्मिक मामलों को नियंत्रण मुक्त करना।

269. यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म में वापस परिवर्तित होता है, तो क्या उन्हें 2021 के अधिनियम के तहत घोषणा प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है?
(A) नहीं, पुन: धर्मांतरण को सभी प्रक्रियाओं से छूट दी गई है।
(B) हाँ, धर्मांतरण और पुन: धर्मांतरण के लिए प्रक्रिया समान है।
(C) केवल तभी जब पैतृक धर्म हिंदू धर्म हो।
(D) पुन: धर्मांतरण के मुद्दे पर अधिनियम मौन है।

270. 2021 के अधिनियम को अक्सर मीडिया में "लव जिहाद विरोधी" कानून के रूप में जाना जाता है। यह शब्दावली है:
(A) अधिनियम का आधिकारिक शीर्षक।
(B) अधिनियम के भीतर परिभाषित एक कानूनी शब्द।
(C) मूल विधेयक का नाम पारित होने से पहले।
(D) एक राजनीतिक और मीडिया द्वारा गढ़ा गया वाक्यांश

निर्मित किए जाते हैं। ये परिनियम विश्वविद्यालय के प्रारंभिक गठन, प्रशासन और अधिकारियों के कर्तव्यों का आधार होते हैं। एक बार विश्वविद्यालय पूर्णतः क्रियाशील होने के पश्चात, परिनियमों में संशोधन की प्रक्रिया अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार संचालित होती है। यह प्रावधान नए संस्थानों को स्पष्ट वैधानिक दिशा प्रदान करता है और शैक्षणिक प्रबंधन में एकरूपता सुनिश्चित करता है।

10. (A) P-2, Q-4, R-3, S-1
कुलाधिपति राज्य का प्रमुख होता है जो विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां और निगरानी करता है। कुलपति मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में विश्वविद्यालय के दैनिक प्रशासन का संचालन करते हैं। कार्य परिषद मुख्य कार्यकारी निकाय के रूप में प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों हेतु उत्तरदायी होती है। विद्या परिषद मुख्य शैक्षणिक निकाय के रूप में शिक्षण और परीक्षा के मानकों का निर्धारण करती है। यह व्यवस्था विभिन्न प्राधिकारियों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करती है।

11. (D) कुलपति द्वारा सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करना
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत रेक्टर की नियुक्ति कुलपति की सहायता हेतु की जाती है। रेक्टर का मुख्य कार्य उन शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करना है जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। वह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में कुलपति के साथ सहयोग करता है। रेक्टर एक महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में सुचारु संचालन सुनिश्चित करता है। उसकी भूमिका कुलपति के कार्यभार को कम करने और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय हेतु आवश्यक है।

12. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। यह व्यवस्था मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित की गई है ताकि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के मध्य सुदृढ़ प्रशासनिक संबंध बना रहे। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल विश्वविद्यालय के प्रमुख होते हैं और उनके पास नियुक्तियों की महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निष्पक्ष रूप से हो।

13. (C) कार्य परिषद
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत किसी भी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से संबद्धता प्रदान करने की अंतिम शक्ति कार्य परिषद के पास होती है। विद्या परिषद से शैक्षणिक अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात, कार्य परिषद महाविद्यालय के आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की उपलब्धता की समीक्षा करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संबद्ध संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन करें। कार्य परिषद का निर्णय महाविद्यालय के संचालन हेतु अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता है।

14. (D) कुलाधिपति
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित समन्वय समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य आपसी सहयोग और एकरूपता सुनिश्चित करती है। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष राज्य के कुलाधिपति होते हैं। समिति शैक्षणिक मानकों, परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। कुलाधिपति के नेतृत्व में यह समिति प्रदेश में उच्च शिक्षा की दिशा को सुव्यवस्थित करती है। इसमें सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होते हैं।

15. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विद्या परिषद विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक मामलों हेतु केंद्रीय निकाय के रूप में उत्तरदायी है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, इसे अध्ययन के पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन हेतु अध्यादेश बनाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। यह निकाय सुनिश्चित करता है कि शिक्षा की गुणवत्ता उच्च बनी रहे और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिले। विद्या परिषद द्वारा निर्मित शैक्षणिक ढांचे को कार्य परिषद द्वारा प्रशासनिक रूप से लागू किया जाता है, जिससे शैक्षणिक स्वायत्तता सुरक्षित रहती है।

16. (B) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करना
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत 'परिनियम' बनाने का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगों के ढांचे को स्पष्ट करना है। ये परिनियम प्राधिकारियों के गठन, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को विस्तार से परिभाषित करते हैं। इसके अतिरिक्त, परिनियमों के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और वैधानिक कामकाज की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। यह एक मौलिक कानूनी प्रलेख है जो विश्वविद्यालय के सुशासन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक और प्रभावशाली माना जाता है।

17. (B) विद्या परिषद – वित्त समिति
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विभिन्न निकायों के विशिष्ट कार्य निर्धारित हैं। कुलपति को वाइस चांसलर और कुलसचिव को रजिस्ट्रार के रूप में जाना जाता है। कार्य परिषद मुख्य प्रशासनिक निकाय है। विद्या परिषद और वित्त समिति दो पृथक निकाय हैं। विद्या परिषद शैक्षणिक मानकों हेतु उत्तरदायी है, जबकि वित्त समिति विश्वविद्यालय के बजट और वित्तीय मामलों का प्रबंधन करती है। इन दोनों निकायों के कार्यों में स्पष्ट अंतर है, जो प्रशासनिक सुचारुता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है।

18. (A) कुलाधिपति
यदि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय प्राधिकारी के गठन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो निर्णय हेतु मामला कुलाधिपति को प्रेषित किया जाता है। इस विषय पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासनिक और वैधानिक

(B) सभी सरकारी परियोजनाओं का सामाजिक ऑडिट करना।
(C) मंत्रियों के खिलाफ सीधे मामले दर्ज करना।
(D) जमीनी स्तर पर कार्यपालिका से जवाबदेही की मांग करना।

240. मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के दर्शन को इस रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:
(A) "सरकार सबसे अच्छा जानती है।"
(B) "यदि सेवा समय पर प्रदान नहीं की जाती है, तो अधिकारी को इसकी कीमत चुकानी होगी।"
(C) "नागरिकों को सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए।"
(D) "सभी सरकारी सेवाओं का निजीकरण किया जाना चाहिए।"

241. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 ने किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया?
(A) भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
(B) मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968
(C) राज्य में इस विषय पर कोई पिछला कानून नहीं था।
(D) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2002

242. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 का प्राथमिक घोषित उद्देश्य क्या है?
(A) बल, कपट या प्रलोभन के माध्यम से गैर-कानूनी धर्मांतरण को रोकना।
(B) राज्य में एकल धर्म को बढ़ावा देना।
(C) धार्मिक धर्मांतरण को आसान और तेज बनाना।
(D) पूजा स्थलों के निर्माण को विनियमित करना।

243. 2021 के अधिनियम के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे धर्मांतरण का गैर-कानूनी साधन नहीं माना जाता है?
(A) मिथ्या निरूपण द्वारा धर्मांतरण
(B) प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से धर्मांतरण
(C) जबरदस्ती या बल द्वारा धर्मांतरण
(D) अपनी स्वतंत्र इच्छा से और बिना किसी प्रलोभन के धर्मांतरण

244. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 के अनुसार, जो व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे धर्म में परिवर्तित होना चाहता है, उसके लिए क्या आवश्यक है?
(A) उन्हें अपने परिवार से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
(B) उन्हें स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित करना होगा।
(C) वे किसी भी प्राधिकारी को सूचित किए बिना धर्मांतरण कर सकते हैं।
(D) उन्हें कम से कम साठ दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा।

245. 2021 का अधिनियम दंड में वृद्धि का प्रावधान करता है यदि गैर-कानूनी धर्मांतरण संबंधित है:
(A) ऐसे व्यक्ति से जो विदेशी नागरिक है।
(B) ऐसे व्यक्ति से जो सरकारी कर्मचारी है।
(C) ऐसे व्यक्ति से जो पहले से ही धनी है।
(D) किसी नाबालिग, महिला, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से।

246. 2021 के अधिनियम के अनुसार, उस विवाह की स्थिति क्या है जो केवल गैर-कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया है?
(A) इसे वैध माना जाता है लेकिन धर्मांतरण करने वाले जीवनसाथी को दंडित किया जाता है।
(B) इसे सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है।
(C) इसे स्वतः एक वैध विवाह के रूप में मान्यता प्राप्त है।
(D) निर्णय के लिए मामला एक धार्मिक निकाय को भेजा जाता है।

247. 2021 के अधिनियम के तहत, गैर-कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का अधिकार किसके पास है?
(A) केवल उस व्यक्ति के पास जिसका धर्मांतरण किया गया था।
(B) किसी भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, या सरकारी अधिकारी के पास।
(C) केवल मूल धर्म के धार्मिक नेता के पास।
(D) धर्मांतरित व्यक्ति, उनके माता-पिता या भाई-बहन के पास।

248. मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021 के तहत 'प्रलोभन' में क्या शामिल है:
(A) कोई भी उपहार, परितोषण, या भौतिक लाभ देना।
(B) आध्यात्मिक मार्गदर्शन या शिक्षण।
(C) मुख्यधारा के स्कूल में मुफ्त शिक्षा।
(D) सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा उपचार।

249. 2021 के अधिनियम के तहत धार्मिक पुजारी या व्यक्ति जो धर्मांतरण समारोह की अध्यक्षता करता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है?
(A) धर्मांतरण की सार्वजनिक घोषणा करना।
(B) सरकार को धर्मांतरण कर देना।
(C) कम से कम साठ दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का हो।

250. 2021 के अधिनियम के शब्दों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
सूची I: (शब्द)
P. जबरदस्ती
Q. धर्मांतरण

28. (B) कुलपति
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 कुलाधिपति को यह विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वे विश्वविद्यालय के किसी भी निकाय की ऐसी कार्यवाही को निरस्त कर सकते हैं जो अधिनियम या परिनियमों के अनुरूप नहीं है। कुलाधिपति यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी हैं कि विश्वविद्यालय का कामकाज पूर्णतः विधिक ढांचे के भीतर हो। यदि किसी निर्णय में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो वे उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। यह प्रावधान विश्वविद्यालय प्रशासन में मनमानेपन को रोकने हेतु एक सुरक्षा कवच है।

29. (C) बजट के प्रावधानों के अधीन, कार्य परिषद
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, विश्वविद्यालय में शिक्षकों के नवीन पद सृजित करने की शक्ति कार्य परिषद के पास होती है। हालांकि, यह शक्ति वार्षिक बजट में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों और राज्य सरकार की आवश्यक स्वीकृति के अधीन है। कार्य परिषद शैक्षणिक आवश्यकताओं का आकलन करती है और विद्या परिषद के परामर्श से पदों के सृजन का निर्णय लेती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि शैक्षणिक क्षमता और वित्तीय संसाधनों के मध्य उचित संतुलन बना रहे। यह विस्तार योजनाओं का महत्वपूर्ण अंग है।

30. (D) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और शैक्षणिक कार्यक्रमों की समीक्षा करना।
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत 'सभा' एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय की समग्र प्रगति और नीतियों की समीक्षा करना है। यह वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखों पर विचार करती है तथा भविष्य की योजनाओं हेतु सुझाव देती है। सभा में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, जो विश्वविद्यालय और समाज के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। यह एक लोकतांत्रिक मंच है जहाँ शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर व्यापक चर्चा के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

31. (A) पूर्व छात्र संघ
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालय के 'प्राधिकारियों' की सूची दी गई है जिसमें सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद, संकाय और अध्ययन बोर्ड सम्मिलित हैं। ये निकाय वैधानिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक संचालन हेतु उत्तरदायी हैं। पूर्व छात्र संघ विश्वविद्यालय की एक सहयोगी संस्था हो सकती है, परंतु इसे अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक 'प्राधिकारी' का दर्जा प्राप्त नहीं है। प्राधिकारी वे होते हैं जिनके पास अधिनियम द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट निर्णय लेने वाली शक्तियां और विधिक उत्तरदायित्व होते हैं।

32. (B) कार्य परिषद
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, वित्त समिति द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय के बजट को अंतिम अनुमोदन हेतु कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कार्य परिषद मुख्य कार्यकारी निकाय होने के नाते संसाधनों के आवंटन और वित्तीय प्राथमिकताओं पर अंतिम निर्णय लेती है। कार्य परिषद द्वारा बजट स्वीकृत होने के पश्चात ही विश्वविद्यालय का व्यय वैध माना जाता है। यह प्रक्रिया वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बजट अनुमोदन विकास परियोजनाओं के सुचारु संचालन हेतु एक अनिवार्य वैधानिक चरण है।

33. (B) कार्य परिषद
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्य परिषद को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई शिक्षक कदाचार या कर्तव्यों की उपेक्षा का दोषी पाया जाता है, तो कार्य परिषद जांच के पश्चात दंड अधिरोपित कर सकती है। इसमें सेवा से निलंबन या निष्कासन जैसे निर्णय भी सम्मिलित हो सकते हैं। यह शक्ति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय के भीतर अनुशासन और नैतिक मानकों को बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जो शैक्षणिक वातावरण हेतु आवश्यक है।

34. (A) विश्वविद्यालयों के शासन और प्रशासन में एकरूपता लाना
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को संचालित करने वाली विविध विधियों को एकीकृत करना था। पूर्व में प्रत्येक विश्वविद्यालय के पृथक नियम थे, जिससे प्रशासनिक विसंगतियां उत्पन्न होती थीं। इस अधिनियम ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों हेतु एक समान संगठनात्मक संरचना और प्रशासनिक प्रक्रियाएं स्थापित कीं। एकीकरण से शासन में स्पष्टता आई और राज्य सरकार हेतु विश्वविद्यालयों की निगरानी सुलभ हो गई। यह सुधार उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

35. (C) कुलाधिपति
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कुलपति की नियुक्ति हेतु एक खोज समिति का गठन किया जाता है। यह समिति योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार कर अंतिम निर्णय हेतु कुलाधिपति को प्रस्तुत करती है। कुलाधिपति इस पैनल में से किसी एक व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त करते हैं। यह प्रक्रिया कुलपति पद हेतु योग्यता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु निर्मित है। कुलाधिपति की यह शक्ति विश्वविद्यालय के नेतृत्व की गुणवत्ता और स्वायत्तता को बनाए रखने हेतु एक महत्वपूर्ण वैधानिक प्रावधान मानी जाती है।

36. (D) परिनियम अध्यादेशों से श्रेष्ठ होते हैं।
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत परिनियमों का स्थान अध्यादेशों से ऊपर होता है। परिनियमों में प्राधिकारियों के गठन और शक्तियों जैसे मौलिक नियम होते हैं, जबकि अध्यादेश इनके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं। यदि किसी अध्यादेश और परिनियम के मध्य विरोधाभास होता है, तो परिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जाते हैं। यह विधिक पदानुक्रम विश्वविद्यालय के ढांचे में स्पष्टता और स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक है। परिनियमों को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया भी अध्यादेशों की तुलना में अधिक औपचारिक होती है।

37. (C) अध्यादेशों में
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, परीक्षाओं के संचालन और उनमें अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने से संबंधित विस्तृत नियम 'अध्यादेशों' में वर्णित होते हैं। अध्यादेश छात्रों के प्रवेश, परीक्षा की शर्तों और अनुशासन हेतु कार्य परिषद द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये नियम स्पष्ट करते हैं कि परीक्षाओं में किस व्यवहार को कदाचार माना जाएगा और उसके लिए क्या दंड होगा। अध्यादेशों के माध्यम से विश्वविद्यालय परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करता है। यह छात्रों हेतु एक पारदर्शी और अनुशासित मूल्यांकन प्रणाली का आधार है।

38. (B) परिनियमों
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत किसी विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार परिनियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। परिनियम यह स्पष्ट करते हैं कि कौन से जिले या क्षेत्र किस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आएंगे और कौन से महाविद्यालय उससे संबद्ध होंगे। यह भौगोलिक सीमांकन प्रशासनिक प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार समय-समय पर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना या क्षेत्रों के पुनर्गठन के समय परिनियमों में संशोधन कर क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर सकती है। यह स्पष्टता शैक्षणिक संस्थानों हेतु आवश्यक और अनिवार्य है।

39. (D) छात्र संघ का एक प्रतिनिधि
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, विद्या परिषद मुख्य रूप से शैक्षणिक अधिकारियों और विशेषज्ञों से निर्मित होती है। इसमें कुलपति, संकायों के अध्यक्ष और शिक्षण विभागों के प्रमुख पदेन सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। छात्र संघ के प्रतिनिधि को विद्या परिषद का पदेन सदस्य नहीं बनाया गया है, क्योंकि यह निकाय उच्च स्तरीय शैक्षणिक नीतियों और अनुसंधान मानकों पर निर्णय लेता है। छात्रों की भागीदारी अन्य निकायों जैसे सभा में हो सकती है। विद्या परिषद की सदस्यता का मुख्य आधार शैक्षणिक अनुभव और वरिष्ठता है।

40. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
वित्त समिति का मुख्य कार्य विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट तैयार करना है ताकि संसाधनों का नियोजित उपयोग हो सके। अध्ययन बोर्ड पाठ्यक्रमों की रूपरेखा और शैक्षणिक सामग्री की अनुशंसा हेतु उत्तरदायी है। सभा विश्वविद्यालय की सामान्य नीतियों और वार्षिक प्रतिवेदन की व्यापक समीक्षा करती है। कार्य परिषद मुख्य कार्यकारी निकाय के रूप में बजट का अंतिम अनुमोदन और प्रशासनिक निर्णयों को लागू करती है। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कार्य हेतु एक विशिष्ट और जवाबदेह निकाय हो, जो संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति में परस्पर सहयोग करें।

41. (C) निगमित निकाय
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, इस अधिनियम के तहत स्थापित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होता है। इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालय की अपनी पृथक विधिक पहचान होती है और वह निरंतर उत्तराधिकार एवं एक सामान्य मुहर रखता है। निगमित निकाय के रूप में, विश्वविद्यालय अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकता है, अनुबंध कर सकता है और न्यायालयों में वाद प्रस्तुत कर सकता है। यह दर्जा विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रहते हुए एक विधिक इकाई के रूप में कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करता है।

42. (A) तीन वर्ष
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, कार्य परिषद के मनोनीत या निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल, जो पदेन सदस्य नहीं हैं, सामान्यतः तीन वर्ष का होता है। यह निश्चित अवधि सुनिश्चित करती है कि परिषद में निरंतरता बनी रहे और नवीन विचारों का समावेश हो। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात, सदस्यों को नियमों के अनुसार पुनः मनोनीत किया जा सकता है। यह समय सीमा प्रशासनिक स्थिरता और संस्थागत विकास हेतु उपयुक्त मानी गई है। पदेन सदस्य अपने पद पर बने रहने तक परिषद के सदस्य रहते हैं।

43. (D) विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद के पास
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत मानद उपाधि प्रदान करने की प्रक्रिया विद्या परिषद की अनुशंसा से प्रारंभ होती है। विद्या परिषद व्यक्ति के उत्कृष्ट योगदान का मूल्यांकन कर अपनी अनुशंसा कार्य परिषद को प्रेषित करती है। कार्य परिषद इस प्रस्ताव पर विचार करती है और अंतिम निर्णय हेतु इसे कुलाधिपति के पास भेजती है। मानद उपाधि प्रदान करना विश्वविद्यालय हेतु गौरव का विषय है और यह केवल असाधारण उपलब्धि वाले व्यक्तियों को दी जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि इस सम्मान का शैक्षणिक औचित्य बना रहे।

44. (B) परिनियमों में
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, विश्वविद्यालय के भीतर नवीन संकायों (जैसे विज्ञान या कला संकाय) की स्थापना और उनके गठन का प्रावधान परिनियमों में होना अनिवार्य है। परिनियम विश्वविद्यालय की संगठनात्मक संरचना का मूल ढांचा निर्धारित करते हैं। किसी भी नए संकाय के निर्माण से विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विस्तार और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन आता है, इसलिए इसे उच्च स्तरीय विधिक प्रलेख में सम्मिलित किया जाता है। परिनियमों में किए गए इन परिवर्तनों को प्रभावी होने हेतु कुलाधिपति की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक और अनिवार्य होती है।

45. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 विश्वविद्यालयों के स्वायत्त शासन हेतु एक सुदृढ़ वैधानिक रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम ने कार्य परिषद और विद्या परिषद जैसे विशिष्ट प्राधिकारियों को स्थापित किया है, जिन्हें प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त हैं। इससे विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यों में सरकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप न्यूनतम हो जाता है। यह स्वायत्तता शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत विकास हेतु आवश्यक है। शक्तियों का

यह विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को पेशेवर तरीके से प्राप्त कर सकें।

46. (D) कुल सदस्यों का एक-तिहाई
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत, कार्य परिषद की बैठक की वैधता हेतु आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति (कोरम) कुल सदस्यों का एक-तिहाई निर्धारित की गई है। यदि किसी बैठक में इस संख्या से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, तो आधिकारिक निर्णय नहीं लिए जा सकते और बैठक स्थगित कर दी जाती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय सामूहिक चर्चा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर लिए जाएं। कोरम की अनिवार्यता विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है।

47. (A) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर और अभिलेखों का
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, कुलसचिव (रजिस्ट्रार) विश्वविद्यालय के सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों और सामान्य मुहर का आधिकारिक अभिरक्षक होता है। वह विश्वविद्यालय की ओर से विधिक प्रलेखों और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत होता है। कुलसचिव यह सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्यालय के प्रलेख सुरक्षित रहें और प्रशासन नियमानुसार कार्य करे। मुहर की अभिरक्षा का अर्थ है कि उसके सत्यापन के बिना कोई भी प्रलेख आधिकारिक नहीं माना जाएगा। यह पद प्रशासनिक तंत्र में विश्वसनीयता और अखंडता बनाए रखने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

48. (B) कुलपति - मुख्य शैक्षणिक अधिकारी
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होता है। वह विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों के समन्वय हेतु उत्तरदायी है। कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रमुख होते हैं, परंतु वे सरकार के प्रमुख नहीं होते। कुलसचिव प्रशासनिक अधिकारी और अभिलेखों के अभिरक्षक होते हैं। रेक्टर कुलपति द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूर्ण करते हैं। अतः, कुलपति की भूमिका को मुख्य शैक्षणिक अधिकारी के रूप में पहचानना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सबसे सटीक और सही मिलान है।

49. (B) फैलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विद्या परिषद को शैक्षणिक मामलों के नियमन हेतु 'विनियम' बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इन विनियमों का उपयोग विशेष रूप से फैलोशिप, छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करने की विस्तृत शर्तें निर्धारित करने हेतु किया जाता है। परिनियमों और अध्यादेशों के दायरे में रहते हुए, विनियम शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं को पारदर्शी तरीके से संचालित करने में सहायता करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निष्पक्ष हो। इसके माध्यम से शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित किया जाता है।

50. (B) केवल 1 और 2
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के सर्वोच्च पद पर होते हैं और दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करते हैं। उनके पास ऐसी किसी भी कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति है जो अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल हो। शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और उन्हें पृथक करने का प्राथमिक अधिकार कार्य परिषद के पास होता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से कुलाधिपति के पास। कुलाधिपति केवल शीर्ष नियुक्तियों और विवादों में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यह संरचना प्रशासनिक जवाबदेही और शक्तियों के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है।

51. (C) संकाय के प्रोफेसरों में से कार्य परिषद द्वारा
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, संकाय के अध्यक्ष (डीन) की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा की जाती है। इस पद हेतु चयन संकाय के प्रोफेसरों के मध्य से योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है। संकाय अध्यक्ष उस विशेष संकाय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों के समन्वय हेतु उत्तरदायी होता है। वह संकाय की बैठकों की अध्यक्षता करता है और शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कुलपति की सहायता करता है। यह नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संकाय का नेतृत्व अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाए, जिससे विभागों का प्रबंधन प्रभावी रहे।

52. (D) महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय की वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु वार्षिक लेखों का लेखा-परीक्षण महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। यह एक स्वतंत्र और वैधानिक प्रक्रिया है जो यह जांचती है कि विश्वविद्यालय के धन का उपयोग नियमों और बजट के अनुसार किया गया है। लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन को कार्य परिषद और सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और इसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं। यह सार्वजनिक धन के सदुपयोग और प्रशासनिक निष्पक्षता को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

53. (C) संबद्ध विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत, किसी भी संबद्ध महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति और योग्यताएं उस विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करता है कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे और सभी संबद्ध संस्थानों में शिक्षकों का स्तर समान हो। यदि कोई महाविद्यालय इन मानकों का उल्लंघन करता है, तो विश्वविद्यालय उसकी संबद्धता निरस्त कर सकता है। यह प्रावधान प्रदेश भर के महाविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों में एकरूपता और उत्कृष्टता बनाए रखने हेतु अत्यंत आवश्यक है।

54. (B) अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों पर
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का विस्तार उन सभी राज्य विश्वविद्यालयों तक है जो इस अधिनियम की अनुसूची में

धूमिल होती है, बल्कि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्यवाही का आधार भी बन सकता है।

102. (A) संसदीय लोकतंत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए।
सिविल सेवकों की राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत हमारे संसदीय लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु अनिवार्य है। प्रशासन का कार्य किसी भी राजनीतिक दल की सरकार द्वारा निर्मित नीतियों को ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू करना है। यदि कर्मचारी किसी विशिष्ट विचारधारा या दल के प्रति झुकाव रखेंगे, तो वे जनता की सेवा समान रूप से नहीं कर पाएंगे। आचरण नियम इसीलिए उन्हें राजनीति से दूर रहने का निर्देश देते हैं। इससे यह विश्वास बना रहता है कि शासकीय मशीनरी सत्ता परिवर्तन के पश्चात भी स्थिर रहेगी और केवल संविधान एवं विधि के प्रति जवाबदेह होगी, जिससे राष्ट्र का सुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

103. (B) अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचित करना।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और सेवा नियमों के अनुसार, यदि किसी शासकीय सेवक को आपराधिक आरोपों या किसी अन्य कारण से 48 घंटे से अधिक समय हेतु गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, तो उसका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अपने विभाग को इसकी सूचना दे। सूचना न देना स्वयं में एक गंभीर अनुशासनहीनता मानी जाती है। गिरफ्तारी की स्थिति में कर्मचारी को पदेन रूप से 'निलंबित' माना जा सकता है जब तक कि जांच पूर्ण न हो जाए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के विधिक आचरण से अवगत रहे और आवश्यक प्रशासनिक चरण उठा सके ताकि सार्वजनिक पद की गरिमा बनी रहे।

104. (B) जिम्मेदारी के विभिन्न स्तरों और प्रभाव की क्षमता को प्रतिबिंबित करना।
आचरण नियमों के अंतर्गत उपहारों की स्वीकृति हेतु पृथक श्रेणियों के कर्मचारियों हेतु पृथक मौद्रिक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उच्च पदस्थ अधिकारियों हेतु ये सीमाएं प्रायः अधिक कठोर होती हैं क्योंकि उनके पास निर्णय लेने की अधिक शक्ति होती है और उनके प्रभावित होने का जोखिम अधिक रहता है। यह वर्गीकरण यह स्वीकार करता है कि विभिन्न पदों पर सामाजिक अपेक्षाएं और प्रोटोकॉल पृथक हो सकते हैं। हालांकि, मूल भावना एक ही है कि कोई भी उपहार रिश्वत या अनुचित प्रभाव का रूप न ले। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए सामाजिक और पारिवारिक संबंधों का निर्वहन कर सकें।

105. (D) A गलत है लेकिन R सही है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, उपहारों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि उनकी स्वीकृति विनियमित है। कर्मचारी अपने उन व्यक्तिगत मित्रों और संबंधियों से सामाजिक अवसरों पर मामूली और प्रथागत उपहार स्वीकार कर सकते हैं जिनका उनके साथ कोई आधिकारिक लेनदेन नहीं है। हालांकि, यदि उपहार का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट सीमा से अधिक है, तो उसकी सूचना देना अनिवार्य है। नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि नियमित आतिथ्य, जैसे आकस्मिक भोजन को उपहार नहीं माना जाता। अतः, 'बिना अनुमति के कोई उपहार नहीं' कहना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि नियमों में कुछ श्रेणियों हेतु स्पष्ट छूट और रिपोर्टिंग के प्रावधान हैं।

106. (B) भारत की संप्रभुता और अखंडता
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासकीय सेवकों को किसी भी ऐसे संगठन या संघ में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित करते हैं जिसकी गतिविधियां भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के प्रतिकूल हों। यदि सरकार किसी संगठन को गैर-कानूनी या राष्ट्रविरोधी घोषित करती है, तो उससे जुड़ना गंभीर कदाचार माना जाता है। एक शासकीय सेवक का प्राथमिक कर्तव्य देश और संविधान के प्रति निष्ठा रखना है। किसी प्रतिबंधित समूह का हिस्सा बनना न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भी संकट उत्पन्न करता है। ऐसे कृत्यों हेतु कर्मचारी को सेवा से तत्काल बर्खास्त किया जा सकता है।

107. (B) मध्य प्रदेश सरकार
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में, जहाँ भी 'सरकार' शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य की सरकार से है। चूंकि ये नियम राज्य द्वारा अपनी सिविल सेवाओं को विनियमित करने हेतु निर्मित किए गए हैं, इसलिए ये कर्मचारी और राज्य कार्यपालिका के मध्य के संबंधों को परिभाषित करते हैं। कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान इसी सरकार के प्रति निष्ठावान रहना होता है और इसके द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होता है। यह स्पष्टता प्रशासनिक पदानुक्रम और जवाबदेही को समझने हेतु आवश्यक है, जिससे राज्य प्रशासन अपनी स्वायत्तता और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखता है।

108. (A) अनुच्छेद 309
भारत के संविधान का अनुच्छेद 309 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को अपनी सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 इसी संवैधानिक अधिदेश के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा निर्मित किए गए हैं। यह अनुच्छेद विधायिका को भी इस विषय पर विधि बनाने का अधिकार देता है, परंतु जब तक कोई विधि नहीं बनती, राज्यपाल द्वारा निर्मित नियम प्रभावी होते हैं। यह संवैधानिक आधार इन नियमों को वैधानिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे प्रशासन में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने हेतु एक सुदृढ़ ढांचा प्राप्त होता है।

109. (C) साहित्यिक या वैज्ञानिक समाज में शामिल होना।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासकीय सेवकों के सर्वांगीण विकास और सामाजिक योगदान को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करते। एक कर्मचारी को साहित्यिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ या सांस्कृतिक संगठनों में सम्मिलित होने और उनकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है, बशर्ते यह उसके शासकीय कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न न करे और इसमें कोई निजी लाभ न हो। हालांकि, शासकीय वाहनों का निजी उपयोग

नियम सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सेवा में जनता का विश्वास बना रहे और प्रशासनिक तंत्र बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष रूप से कार्य करे। यह सुशासन और नैतिक प्रशासन की अनिवार्य शर्त है।

63. (D) नियम 5
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का नियम 5 स्पष्ट रूप से शासकीय सेवकों को राजनीति और निर्वाचनों में भाग लेने से प्रतिबंधित करता है। इस नियम के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता और न ही किसी राजनीतिक गतिविधि या निर्वाचन प्रचार में सहायता कर सकता है। इसका उद्देश्य सिविल सेवा की राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करना है ताकि सरकार परिवर्तित होने पर भी प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित न हो। शासकीय सेवक को केवल मतदाता के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति होती है, परंतु सक्रिय राजनीति वर्जित है।

64. (A) निर्दिष्ट सामाजिक अवसरों पर करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त उपहारों की सूचना देना।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, शासकीय सेवकों को उन व्यक्तियों से उपहार लेने की मनाही है जिनका उनके साथ आधिकारिक व्यवहार है। हालांकि, विवाह या धार्मिक समारोहों जैसे सामाजिक अवसरों पर करीबी रिश्तेदारों या व्यक्तिगत मित्रों से मामूली उपहार स्वीकार करने की अनुमति है। यदि इन उपहारों का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होता है, तो कर्मचारी को इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देना अनिवार्य है। यह नियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु निर्मित किया गया है, जिससे प्रशासन की शुचिता बनी रहे और हितों का टकराव न हो।

65. (B) एक सरकारी सेवक अपने आधिकारिक कार्य से संबंधित पुस्तकों या लेखों को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर सकता है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत, शासकीय सेवकों के प्रकाशन और अभिव्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं। कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के अपने आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी विषय पर लेख या पुस्तकें प्रकाशित नहीं कर सकता। हालांकि, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के कार्यों हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते वे सरकार की नीतियों की आलोचना न करें। इसके अतिरिक्त, शासकीय सेवकों को दहेज लेने-देने और निजी व्यापार से प्रतिबंधित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी का ध्यान केवल अपने कर्तव्यों पर केंद्रित रहे।

66. (B) एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को लेनदेन की सूचना देनी चाहिए।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, जब कोई शासकीय सेवक एक निश्चित मौद्रिक सीमा से अधिक मूल्य की चल संपत्ति का लेनदेन करता है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर सरकार को सूचित करना अनिवार्य है। अचल संपत्ति के मामले में अक्सर पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति की निगरानी करना और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्रवृत्ति को रोकना है। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में एक प्रभावी चरण है और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

67. (D) मादक पेय या दवाओं के सेवन से जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों को प्रभावित कर सकते हैं
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासकीय सेवकों के व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ अनुशासन अनिवार्य करते हैं। नियमों के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा या नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही कार्यालय में नशे की स्थिति में उपस्थित होना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी निजी आदतों का उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। यह प्रतिबंध शासकीय सेवा की गरिमा बनाए रखने हेतु आवश्यक है। नशे के कारण होने वाली लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाता है जिसके लिए दंड देय है।

68. (A) ऋणग्रस्तता और दिवालियापन पर नियम
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में शासकीय सेवकों के वित्तीय स्वास्थ्य के संबंध में विशिष्ट प्रावधान हैं। यदि कोई कर्मचारी अपनी वित्तीय सीमाओं से अधिक ऋण में डूब जाता है या दिवालियापन हेतु आवेदन करता है, तो उसे सरकार को सूचित करना होता है। अत्यधिक ऋण कर्मचारी को भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील बना सकता है और उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। सरकार ऐसी स्थिति में कर्मचारी की वित्तीय आदतों की जांच कर सकती है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि शासकीय सेवक एक मर्यादित जीवन जिएं ताकि वे अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कर सकें।

69. (B) नहीं, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत कोई भी शासकीय सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र या अन्य प्रकाशन का स्वामित्व नहीं रख सकता और न ही उसके संपादन या प्रबंधन में भाग ले सकता है। यह नियम प्रेस की स्वतंत्रता और शासकीय सेवा के मध्य हितों के टकराव को रोकने हेतु निर्मित किया गया है। शासकीय सेवक द्वारा मीडिया का नियंत्रण सरकार की सूचनाओं की गोपनीयता और निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, साहित्यिक पत्रिकाओं हेतु विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है, परंतु राजनीतिक प्रभाव वाले मीडिया से दूरी अनिवार्य है।

70. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
नियम 3 सामान्य सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा पर बल देता है, जो प्रत्येक कर्मचारी हेतु अनिवार्य है। नियम 5 शासकीय सेवकों को राजनीति और निर्वाचनों में सक्रिय भागीदारी से रोकता है ताकि प्रशासनिक तटस्थता बनी रहे। नियम 14 दहेज लेने, देने या मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जो एक सामाजिक बुराई को रोकने हेतु है। नियम 16 निजी व्यापार या नियोजन को बिना अनुमति के प्रतिबंधित करता है ताकि कर्मचारी अपने आधिकारिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर

सकें। यह मिलान आचरण नियमों के विभिन्न पहलुओं के मध्य स्पष्ट कार्यात्मक संबंध को पूरी तरह स्पष्ट करता है।

71. (B) उसे सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
मध्य प्रदेश Civil सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, यदि कोई शासकीय सेवक किसी जांच समिति या प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य देना चाहता है, तो उसे सरकार से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि, न्यायिक जांच या संसदीय समितियों के समक्ष साक्ष्य देने हेतु कुछ छूट मिल सकती है। साक्ष्य देते समय कर्मचारी को सरकार की नीतियों की प्रतिकूल आलोचना करने से बचना चाहिए। यह नियम आधिकारिक सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने हेतु है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी का वक्तव्य व्यक्तिगत न होकर आधिकारिक और तथ्यात्मक मर्यादा के भीतर बना रहे।

72. (C) प्रशासनिक औचित्य सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवकों के सामान्य व्यवहार और आचरण को विनियमित करना
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रशासनिक प्रणाली निर्मित करना है जो नैतिकता और अनुशासन पर आधारित हो। ये नियम शासकीय सेवकों हेतु व्यवहार के मानक निर्धारित करते हैं ताकि वे जनता के प्रति जवाबदेह रहें और उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों से सरकार की छवि धूमिल न हो। भ्रष्टाचार को रोकना, राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना और आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति समर्पण सुनिश्चित करना इन नियमों के मूल स्तंभ हैं। ये नियम सिविल सेवा की शुचिता, निष्पक्षता और व्यावसायिकता को बनाए रखने हेतु एक वैधानिक आचार संहिता के रूप में कार्य करते हैं।

73. (C) सहकारी समिति का सदस्य बनना
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत शासकीय सेवकों को दहेज लेने, हड़ताल पर जाने और सट्टा लगाने जैसी गतिविधियों से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ये कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में आते हैं। हालांकि, एक कर्मचारी को सहकारी समिति या किसी परोपकारी, साहित्यिक या सांस्कृतिक संगठन का सदस्य बनने की अनुमति है, बशर्ते ऐसी गतिविधियां उसके आधिकारिक कर्तव्यों में बाधा न डालें। सहकारी समितियों में भागीदारी को एक सकारात्मक सामाजिक गतिविधि माना जाता है। फिर भी, यदि ऐसी सदस्यता से हितों का टकराव होता है, तो कर्मचारी को पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

74. (A) मामले की सूचना सरकार को देना
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, यदि किसी शासकीय सेवक के परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसे व्यापार या व्यवसाय में संलग्न है जो कर्मचारी के आधिकारिक प्रभाव क्षेत्र में आता है, तो कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना सरकार को दे। यह नियम संभावित पक्षपात और भ्रष्टाचार को रोकने हेतु है। सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी की आधिकारिक शक्तियों का उपयोग उसके परिवार के व्यावसायिक हितों को लाभ पहुँचाने हेतु न किया जाए। पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने हेतु ऐसी घोषणाएं करना सिविल सेवा की नैतिकता का महत्वपूर्ण अंग है।

75. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय सेवक को सेवा में प्रवेश के समय और नियमित अंतराल पर अपनी चल और अचल संपत्तियों की घोषणा करना अनिवार्य है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाना और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना है। संपत्तियों और देनदारियों का विवरण रखने से सरकार को यह निगरानी करने में सहायता मिलती है कि क्या कोई कर्मचारी अपनी वैध आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहा है। यह प्रणाली शासकीय सेवा में ईमानदारी सुनिश्चित करने और प्रशासन में जनता का विश्वास बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

76. (C) स्वीकार करने से पहले सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, विदेशी मिशनों या संगठनों के साथ संपर्क के मामले में शासकीय सेवकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी को विदेशी दूतावास से भोजन या किसी कार्यक्रम का निमंत्रण प्राप्त होता है, तो उसे स्वीकार करने से पहले सरकार की औपचारिक अनुमति लेना अनिवार्य है। यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक शिष्टाचार और विदेशी प्रभाव से प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षित रखने हेतु निर्मित किया गया है। अनधिकृत संपर्क को संदिग्ध माना जा सकता है। सरकार प्रत्येक मामले की संवेदनशीलता के आधार पर निर्णय लेती है ताकि राष्ट्र के हितों की रक्षा हो सके।

77. (D) सेवक के पूर्णतः आश्रित जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के संदर्भ में 'परिवार' की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रतिबंध और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं परिवार के सदस्यों पर भी लागू होती हैं। इस नियम के अंतर्गत परिवार में मुख्य रूप से शासकीय सेवक का जीवनसाथी और बच्चे सम्मिलित हैं जो उस पर पूर्णतः आश्रित हैं। इसके अतिरिक्त, माता-पिता या अन्य संबंधी भी इस श्रेणी में आते हैं यदि वे कर्मचारी के साथ निवास करते हैं और आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हैं। यह स्पष्टता सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपने आश्रितों के माध्यम से नियमों का उल्लंघन न करें और पारदर्शिता बनी रहे।

78. (A) नियम 9 - सरकार की आलोचना
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का नियम 9 शासकीय सेवकों को प्रेस या सार्वजनिक मंचों पर सरकार की नीतियों की प्रतिकूल आलोचना करने से प्रतिबंधित करता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी सरकार के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें और सार्वजनिक रूप से भ्रम उत्पन्न न करें। अन्य विकल्पों में मिलान त्रुटिपूर्ण है क्योंकि साक्ष्य देना नियम 10 में, निजी व्यापार नियम 16 में और उपहार नियम 13 में वर्णित हैं। नियमों की यह सही समझ प्रशासनिक अनुशासन हेतु आवश्यक है। नियम 9 विशेष रूप से सिविल सेवा की गरिमापूर्ण छवि को जनता के मध्य बनाए रखने में सहायक है।

79. (D) नहीं, इसे निजी रोजगार माना जाता है और इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक अपनी आधिकारिक सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य लाभप्रद नियोजन या निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इसे निजी व्यापार माना जाता है जिसके लिए सरकार की विशिष्ट लिखित पूर्व अनुमति अनिवार्य है। सामान्यतः, पूर्णकालिक शासकीय सेवकों को निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं दी जाती ताकि उनका समय केवल सार्वजनिक सेवा हेतु समर्पित रहे। यह नियम हितों के टकराव को रोकने और शासकीय संस्थानों में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना अनुमति के ऐसा करना गंभीर अनुशासनात्मक अपराध माना जाता है।

80. (A) केवल 2
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत राजनीतिक तटस्थता एक अनिवार्य शर्त है। किसी निर्वाचन में राजनीतिक दल हेतु प्रचार करना इस नियम का गंभीर उल्लंघन है और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। हालांकि, पूर्व अनुमति के साथ साहित्यिक कार्य करना या सामाजिक अवसरों पर मामूली मूल्य के उपहार स्वीकार करना नियमों के दायरे में अनुमेय हो सकता है। नियम कर्मचारी को सक्रिय राजनीति से दूर रहने का निर्देश देते हैं ताकि शासकीय तंत्र का निष्पक्ष स्वरूप बना रहे। सिविल सेवक को अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से सदैव पृथक रखना चाहिए।

81. (B) यह सुनिश्चित करना कि सरकारी सेवक अपनी व्यक्तिगत राय के बावजूद प्रतिबद्धता के साथ नीतियों को लागू करें
शासकीय सेवक द्वारा सरकार की आलोचना पर रोक लगाने वाले नियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता और एकता बनाए रखना है। सिविल सेवा का कार्य चुनी हुई सरकार की नीतियों को बिना किसी पक्षपात के लागू करना है। यदि कर्मचारी सार्वजनिक रूप से नीतियों का विरोध करेंगे, तो इससे प्रशासन में अराजकता और जनता में अविश्वास उत्पन्न होगा। यह नियम कर्मचारी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णतः समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे एक पेशेवर मर्यादा के भीतर रखता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी एक साझा लक्ष्य की ओर संगठित होकर कार्य करे और नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी हो।

82. (A) सरकारी सेवक का जीवनसाथी जीवित है, और विवाह व्यक्तिगत कानून के तहत शून्य है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत द्वि-विवाह पर कठोर प्रतिबंध है। कोई भी शासकीय सेवक, जिसका जीवनसाथी जीवित है, दूसरा विवाह नहीं कर सकता, भले ही उसका व्यक्तिगत कानून इसकी अनुमति देता हो। ऐसा करने हेतु सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जो केवल विशेष आधारों पर ही दी जाती है। इस नियम का उद्देश्य सामाजिक नैतिकता बनाए रखना और शासकीय कर्मचारियों के पारिवारिक जीवन में स्थिरता सुनिश्चित करना है। बिना अनुमति के किया गया दूसरा विवाह गंभीर कदाचार माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है।

83. (B) अधीनस्थ विधान
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 'अधीनस्थ विधान' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये नियम कार्यपालिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्मित किए गए हैं। विधायिका मुख्य कानून बनाती है, जबकि कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करने हेतु विस्तृत नियम तैयार करती है। ये नियम विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं और इनका प्रभाव अधिनियम के समान ही होता है। अधीनस्थ विधान के रूप में, ये नियम सरकार को प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार सिविल सेवा के आचरण और अनुशासन को सूक्ष्मता से विनियमित करने की लचीली शक्ति प्रदान करते हैं।

84. (C) मौखिक निर्देशों का पालन करना लेकिन वरिष्ठ अधिकारी से लिखित पुष्टि मांगना।
प्रशासनिक कुशलता हेतु कभी-कभी मौखिक आदेश दिए जाते हैं, परंतु मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, यदि कोई निर्देश नियमों के विपरीत प्रतीत होता है, तो कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। उसे आदेश का पालन करते समय अपने वरिष्ठ से लिखित पुष्टि की मांग करनी चाहिए ताकि भविष्य में उसकी जवाबदेही स्पष्ट रहे। यह प्रक्रिया कर्मचारी को अनैतिक दबाव से सुरक्षित रखती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। लिखित अभिलेख होने से भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम होती है और यह प्रमाणित होता है कि कार्य आधिकारिक निर्देश के अंतर्गत किया गया था।

85. (B) 2, 1, 4, 3
अनुशासनात्मक कार्यवाही एक व्यवस्थित और न्यायसंगत प्रक्रिया है। सर्वप्रथम, कथित कदाचार की पुष्टि हेतु एक 'प्रारंभिक जांच' की जाती है। यदि तथ्य गंभीर पाए जाते हैं, तो कर्मचारी को 'आरोप पत्र' जारी किया जाता है जिसमें आरोपों का पूर्ण विवरण होता है। इसके पश्चात, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत कर्मचारी को 'व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर' प्रदान किया जाता है ताकि वह अपना पक्ष रख सके। अंत में, जांच प्रतिवेदन और साक्ष्यों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित 'दंड अधिरोपित' किया जाता है। यह क्रम सुनिश्चित करता है कि किसी भी कर्मचारी को बिना निष्पक्ष सुनवाई के दंडित न किया जाए।

86. (A) केवल सरकार की पूर्व अनुमति से अदालत में मामला दर्ज करना।
यदि किसी शासकीय सेवक पर उसके आधिकारिक कार्यों के संबंध में असत्य या मानहानिकारक आरोप लगाए जाते हैं, तो वह अपने चरित्र की रक्षा हेतु विधिक चरण उठा सकता है। हालांकि, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार, उसे न्यायालय में मानहानि का वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार की औपचारिक अनुमति लेनी होगी। यह नियम

सुनिश्चित करता है कि आधिकारिक मामलों से जुड़ी विधिक लड़ाइयां सरकार की संज्ञान में हों और कर्मचारी व्यक्तिगत रुप से प्रेस या सार्वजनिक विवादों में न उलझें। सरकार अनुमति देने से पूर्व मामले की प्रासंगिकता की जांच करती है ताकि सेवा की गरिमा बनी रहे।

87. (C) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य की सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने हेतु सशक्त हैं। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 इसी संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं। हालांकि राज्य विधानसभा विधि बना सकती है, परंतु प्रशासनिक नियमों को बनाने की प्राथमिक शक्ति कार्यपालिका के प्रमुख के पास होती है। यह राज्यपाल को राज्य प्रशासन की कार्यक्षमता और अनुशासन को बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश और आचार संहिता जारी करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

88. (C) इन नियमों के उल्लंघन से अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 केवल मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि विधिक रूप से बाध्यकारी वैधानिक नियम हैं। इन नियमों का कोई भी उल्लंघन 'कदाचार' माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। आरोपों की गंभीरता के आधार पर, दंड में वेतन वृद्धि रोकना, प्रोन्नति में विलंब, या सेवा से पृथक्करण जैसे कठोर चरण सम्मिलित हो सकते हैं। ये नियम सभी श्रेणियों के राज्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं और इनका उद्देश्य प्रशासन में उच्च स्तर का अनुशासन और ईमानदारी सुनिश्चित करना है, जो सुशासन हेतु अनिवार्य है।

89. (B) निर्धारित प्राधिकारी को विरासत की सूचना देना।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत, जब किसी शासकीय सेवक को विरासत या वसीयत के माध्यम से कोई बड़ी चल या अचल संपत्ति प्राप्त होती है, तो उसे इसकी सूचना अपने विभाग या निर्धारित प्राधिकारी को देनी अनिवार्य है। हालांकि विरासत में मिली संपत्ति को विक्रय करना आवश्यक नहीं है, परंतु इसकी घोषणा पारदर्शिता हेतु अनिवार्य है। इससे सरकार को यह अभिलेख रखने में सहायता मिलती है कि कर्मचारी की संपत्ति में वृद्धि वैध स्रोतों से हुई है। ऐसी सूचनाएं भ्रष्टाचार के आरोपों से कर्मचारी की रक्षा करती हैं और प्रशासनिक अभिलेखों को अद्यतन बनाए रखने में सहायक होती हैं।

90. (D) झंडा दिवस या मामूली मूल्य के प्रथागत उपहार स्वीकार करना।
सामान्य रुप से, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासकीय सेवकों को किसी भी उद्देश्य हेतु धन या चंदा एकत्रित करने से कठोरता से प्रतिबंधित करते हैं। हालांकि, कुछ विशेष और मान्यता प्राप्त कल्याणकारी कार्यों जैसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस या सरकार द्वारा अनुमोदित राहत कोषों हेतु संग्रह करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए भी अक्सर औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यह प्रतिबंध इसलिए आरोपित किया गया है ताकि कर्मचारी अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग चंदा लेने हेतु न करें। यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक सेवा की निष्पक्षता और गरिमा किसी भी प्रकार के वित्तीय संग्रह से प्रभावित न हो।

91. (B) कोई भी ऐसा कार्य जो नैतिक या एथिकल रुप से संदिग्ध हो, भले ही वह स्पष्ट रुप से परिभाषित न हो।
नियम 3 के अंतर्गत 'अशोभनीय तरीके से कार्य करना' एक व्यापक वाक्यांश है जो केवल विशिष्ट विधिक उल्लंघनों तक सीमित नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा व्यवहार सम्मिलित है जो एक लोक सेवक की गरिमा के प्रतिकूल हो, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार या अनैतिक व्यक्तिगत आचरण। भले ही कोई कृत्य किसी अन्य विशिष्ट नियम में लिखित न हो, यदि वह सिविल सेवा की छवि को क्षति पहुँचाता है, तो उसे कदाचार माना जा सकता है। यह नियम कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि वे हर समय उच्च नैतिक मानकों का पालन करें, जिससे समाज में प्रशासन के प्रति सम्मान और विश्वास बना रहे।

92. (A) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 काफी सीमा तक केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 के ढांचे और सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारत में प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखने हेतु राज्यों ने प्रायः केंद्र सरकार द्वारा निर्मित मॉडल नियमों को अंगीकार किया है। इन नियमों में सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और राजनीतिक तटस्थता जैसे मुख्य तत्व केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर समान हैं। हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक ढांचे के अनुसार इनमें कुछ विशिष्ट संशोधन किए हैं। यह आधार सुनिश्चित करता है कि राज्य की सिविल सेवा भी राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर मानकों का पालन करे।

93. (B) कदाचार
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न एक गंभीर 'कदाचार' के रूप में परिभाषित है। नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसा व्यवहार, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन अनुग्रह की मांग या अश्लील टिप्पणियां सम्मिलित हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आधार होगा। यह प्रावधान विशाखा दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों हेतु एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। इस तरह के कदाचार के दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी को सेवा से निष्कासन जैसे कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है, जो प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

94. (B) यह सुनिश्चित करना कि वे व्यक्तिगत लाभ के लिए अंदरुनी जानकारी का उपयोग न करें।
शासकीय सेवकों को शेयर बाजार में सट्टा लगाने या बार-बार शेयर क्रय-विक्रय करने से प्रतिबंधित करने का मुख्य उद्देश्य हितों के टकराव को रोकना है। अधिकारियों के पास प्रायः

ऐसी संवेदनशील सूचनाएं होती हैं जो बाजार की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं। यदि वे इस 'अंदरूनी सूचना' का उपयोग व्यक्तिगत लाभ हेतु करते हैं, तो यह अनैतिक और अवैध है। इसके अतिरिक्त, सट्टेबाजी कर्मचारी की वित्तीय स्थिरता को संकट में डाल सकती है, जिससे वह भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त हो सकता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी का ध्यान केवल सार्वजनिक कर्तव्यों पर रहे और वह अनुचित वित्तीय गतिविधियों में सम्मिलित न हो।

95. (C) उसे अपने कार्यालय को सूचित करना होगा और पाठ्यक्रम के आधार पर औपचारिक अनुमति की आवश्यकता हो सकती है।
यदि कोई शासकीय सेवक अपनी योग्यता बढ़ाने हेतु किसी शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अंशकालिक अध्ययन में सम्मिलित होना चाहता है, तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत उसे अपने विभाग को सूचित करना और आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। सरकार यह जांच करती है कि क्या यह अध्ययन उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा उत्पन्न करेगा। सामान्यतः, उन पाठ्यक्रमों हेतु अनुमति प्रदान की जाती है जो कर्मचारी की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करते हैं। बिना सूचना या अनुमति के किसी भी बाहरी शैक्षणिक गतिविधि में सम्मिलित होना अनुशासनहीनता माना जा सकता है, जो सेवा अभिलेख को प्रभावित करता है।

96. (B) सरकारी सेवाओं में व्यवधान जनहित के विरुद्ध है।
आचरण नियमों के अंतर्गत शासकीय सेवकों द्वारा हड़ताल पर जाने या कार्य रोकने पर प्रतिबंध इस सिद्धांत पर आधारित है कि राज्य का प्रशासन अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। हड़ताल से सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होती है, जो समाज हेतु हानिकारक है। कर्मचारी अपनी शिकायतों के निवारण हेतु स्थापित आधिकारिक तंत्र जैसे विभागीय अभ्यावेदन का उपयोग कर सकते हैं। यह नियम सुनिश्चित करता है कि शासकीय तंत्र निरंतर कार्य करता रहे और नागरिकों को प्राप्त होने वाली सेवाएं बाधित न हों। सार्वजनिक सेवा में अनुशासन और निरंतरता को व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शनों से सदैव ऊपर रखा गया है।

97. (B) सत्यनिष्ठा पर नियम और उपहारों पर नियम
एक शासकीय अधिकारी द्वारा किसी ऐसे ठेकेदार से उपहार लेना, जिसके भुगतान उसके पास लंबित हैं, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का गंभीर उल्लंघन है। यह नियम 3 (सत्यनिष्ठा) और नियम 13 (उपहार) दोनों के विरुद्ध है। ऐसी स्थिति में उपहार को एक 'अवैध परितोषण' या रिश्वत माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य आधिकारिक निर्णय को प्रभावित करना है। यह कर्मचारी की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है और भ्रष्टाचार के आरोपों को जन्म देता है। नियमों के अनुसार, अधिकारी को ऐसे प्रलोभनों से पूर्णतः बचना चाहिए और अपने आधिकारिक व्यवहार में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए ताकि हितों का टकराव न हो।

98. (C) एक पंजीकृत स्टॉकब्रोकर के माध्यम से पारदर्शी रूप से शेयर खरीदना।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासकीय सेवकों को निवेश करने से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करते। एक कर्मचारी पारदर्शी तरीके से और विधिक माध्यमों से दीर्घकालिक निवेश के रूप में शेयर या अन्य प्रतिभूतियां क्रय कर सकता है। हालांकि, उसे सट्टा लगाने या बार-बार व्यापार करने से बचना चाहिए जो उसके कार्य को प्रभावित करे। राजनीतिक प्रचार करना, गुमनाम रूप से सरकार की आलोचना करना या जानबूझकर ऋण न चुकाना आचरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। निवेश और सट्टेबाजी के मध्य का अंतर महत्वपूर्ण है; पारदर्शी निवेश को व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन माना जाता है, जबकि सट्टेबाजी को कदाचार की श्रेणी में रखा गया है।

99. (C) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1965
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का आधिकारिक अंग्रेजी शीर्षक "Madhya Pradesh Civil Services (Conduct) Rules, 1965" है। 'आचरण' शब्द का सीधा अनुवाद 'कंडक्ट' है, जो शासकीय सेवा में व्यवहार और नैतिकता के मानकों को संदर्भित करता है। ये नियम कर्मचारी के कर्तव्यों, अधिकारों और प्रतिबंधों का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। अन्य विकल्प जैसे पेंशन या प्रोन्नति नियम पृथक विषयों से संबंधित हैं। आचरण नियम प्रशासन का वह आधार हैं जो एक शासकीय सेवक के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के मध्य की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं और सार्वजनिक सेवा में अनुशासन बनाए रखने हेतु विधिक ढांचा प्रदान करते हैं।

100. (B) P-4, Q-3, R-1, S-2
निर्वाचन लड़ना या उसमें भाग लेना राजनीति से संबंधित नियम 5 के अंतर्गत आता है। दहेज स्वीकार करना या मांगना नियम 14 द्वारा कठोरता से निषिद्ध है, जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। अतिरिक्त व्यवसाय या नियोजन प्रारंभ करना नियम 16 के अंतर्गत सरकार की पूर्व अनुमति के अधीन है ताकि कर्तव्यों के साथ कोई टकराव न हो। शासकीय नीतियों की सार्वजनिक आलोचना करना नियम 9 का उल्लंघन है, जो प्रशासनिक निष्ठा बनाए रखने हेतु आवश्यक है। यह मिलान स्पष्ट करता है कि आचरण नियम किस प्रकार शासकीय सेवक के विभिन्न कार्यों को विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से विनियमित करते हैं ताकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बना रहे।

101. (B) परिवार के सदस्य के व्यवसाय को लाभ पहुँचाने के लिए आधिकारिक सत्यनिष्ठा का दुरुपयोग।
यदि कोई अधिकारी अपने पद का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों के व्यावसायिक हितों को प्रोत्साहित करने हेतु करता है, तो यह मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और नियम 4 का गंभीर उल्लंघन है। नियमों के अनुसार, एक कर्मचारी को आधिकारिक निर्णय लेते समय पूर्णतः निष्पक्ष रहना चाहिए और अपने प्रभाव का उपयोग व्यक्तिगत लाभ हेतु नहीं करना चाहिए। ऐसी गतिविधियां 'कदाचार' की श्रेणी में आती हैं क्योंकि वे सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग और पक्षपात को दर्शाती हैं। इससे न केवल प्रशासन की छवि

विशेष रूप से सूचीबद्ध हैं। यह अधिनियम राज्य द्वारा स्थापित पारंपरिक और क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन को नियंत्रित करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय अपने स्वयं के विशिष्ट अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित होते हैं। अनुसूची में सम्मिलित विश्वविद्यालय इस अधिनियम में दिए गए प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक ढांचे का पालन करने हेतु विधिक रूप से बाध्य हैं। यह सूची राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अद्यतन की जाती है।

55. (D) संबंधित विभागों और अध्ययन बोर्डों को एक साथ समूहित करना
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत 'संकाय' एक संगठनात्मक इकाई है जो समान विषयों से संबंधित विभिन्न विभागों और अध्ययन बोर्डों को एकीकृत करती है। उदाहरण के लिए, विज्ञान संकाय में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे विभाग सम्मिलित होते हैं। संकाय का मुख्य कार्य शैक्षणिक गतिविधियों में समन्वय करना, अंतर-विभागीय शोध को प्रोत्साहन देना और पाठ्यक्रमों के विकास की निगरानी करना है। यह संरचना शैक्षणिक प्रबंधन को सुगम बनाती है और विशेषज्ञों को एक साथ मिलकर कार्य करने का मंच प्रदान करती है, जिससे शैक्षणिक वातावरण समृद्ध होता है।

56. (A) अंतिम अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, कार्य परिषद द्वारा निर्मित या संशोधित किए गए समस्त अध्यादेशों को अनिवार्य रूप से कुलाधिपति को सूचित किया जाना चाहिए। कुलाधिपति के पास इन अध्यादेशों की समीक्षा करने और यदि वे अधिनियम के प्रतिकूल हों, तो उन्हें अस्वीकृत करने की शक्ति होती है। कुलाधिपति का अनुमोदन अध्यादेश को विधिक रूप से प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विश्वविद्यालय के नियम राज्य की विधियों और व्यापक शैक्षणिक नीतियों के अनुरुप हों, जिससे प्रशासन में उच्च स्तरीय निगरानी बनी रहती है।

57. (C) कार्य परिषद
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी शक्ति है, जिसके पास संपत्ति के अर्जन और प्रबंधन का अधिकार होता है। जब विश्वविद्यालय को नवीन परिसर या विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहित करने की आवश्यकता होती है, तो कार्य परिषद ही इस संबंध में आवश्यक विधिक और प्रशासनिक निर्णय लेती है। वह सरकार के साथ समन्वय करती है और वित्तीय संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करती है। चूंकि भूमि अर्जन एक महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए इसे मुख्य कार्यकारी निकाय द्वारा प्रबंधित किया जाता है ताकि विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

58. (A) कुलपति द्वारा चलाए जा रहे निजी व्यवसायों से लाभ
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालय की निधियां मुख्य रूप से राज्य सरकार और अनुदानों, छात्र शुल्कों और दान से प्राप्त आय से निर्मित होती हैं। कुलपति का पद एक सार्वजनिक और वैधानिक पद है, और उनके किसी भी निजी व्यवसाय का लाभ विश्वविद्यालय की आय का स्रोत नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय के पास एक सार्वजनिक कोष होता है जिसका उपयोग केवल शैक्षणिक और प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु किया जाता है। वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने हेतु निधियों के स्रोतों और उनके उपयोग का कठोर लेखा-परीक्षण किया जाता है, जो अनिवार्य है।

59. (D) कुलाधिपति
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार, परिनियमों में कोई भी बड़ा परिवर्तन करने या नए परिनियम बनाने हेतु कुलाधिपति की औपचारिक सहमति अनिवार्य है। चूंकि परिनियम विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के गठन और शक्तियों जैसे आधारभूत ढांचे को प्रभावित करते हैं, इसलिए कुलाधिपति की स्वीकृति यह सुनिश्चित करती है कि ये परिवर्तन अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप हों। कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल के रूप में एक स्वतंत्र संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, जिससे विधिक ढांचे में स्थिरता बनी रहती है। बिना उनकी सहमति के परिनियम विधिक रूप से प्रभावी नहीं हो सकते।

60. (B) लोकतांत्रिक, कुशल और जनता की जरूरतों के प्रति उन्मुख
मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का व्यापक विजन राज्य के विश्वविद्यालयों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाना है। अधिनियम विभिन्न परिषदों में प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करता है और शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाकर कुशलता को प्रोत्साहित करता है। इसका लक्ष्य एक ऐसा वातावरण निर्मित करना है जो छात्रों की आकांक्षाओं और जनता की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। यह कानून राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने और संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि वे ज्ञान के प्रसार में अपनी भूमिका निभा सकें।

61. (A) मध्य प्रदेश राज्य के मामलों के संबंध में सिविल सेवा या पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पर
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 राज्य के समस्त शासकीय कर्मचारियों के आचरण को विनियमित करने हेतु निर्मित किए गए हैं। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों हेतु पृथक केंद्रीय नियम होते हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य शासकीय सेवा में नैतिकता, ईमानदारी और पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित करना है। प्रत्येक कर्मचारी हेतु यह अनिवार्य है कि वह इन नियमों का अक्षरशः पालन करे, अन्यथा उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही और विभागीय दंड का सामना करना पड़ सकता है।

62. (A) पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का नियम 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक शासकीय सेवक हेतु आचरण का आधार निर्धारित करता है। इसके अनुसार, कर्मचारी को हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। उसे ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए जो एक शासकीय सेवक हेतु अशोभनीय हो। यह

करना, अधीनस्थों से व्यक्तिगत काम कराना या गोपनीय सूचना साझा करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। गैर-विवादास्पद सामाजिक और बौद्धिक संगठनों में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इससे कर्मचारी के ज्ञान में वृद्धि होती है।

110. (B) केवल 1 और 2
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अंतर्गत, कोई भी कर्मचारी अपने जीवित जीवनसाथी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकता, जो एक महत्वपूर्ण नैतिक और अनुशासनात्मक नियम है। साथ ही, भ्रष्टाचार को रोकने हेतु एक निश्चित सीमा से अधिक के चल संपत्ति के लेनदेन की सूचना देना अनिवार्य है। हालांकि, शासकीय सेवकों को मीडिया के साथ आधिकारिक मामलों पर स्वतंत्र रूप से संवाद करने की अनुमति नहीं है; इसके लिए उन्हें सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेनी होती है ताकि गोपनीय सूचना सुरक्षित रहे। यह व्यवस्था प्रशासन में गोपनीयता और अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक है, जिससे सरकार की छवि और कार्यप्रणाली नकारात्मक रूप से प्रभावित न हो।

111. (B) सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार के एहसान के अधीन होने से रोकना
शासकीय सेवकों को किसी भी व्यक्ति से बार-बार या अत्यधिक भव्य आतिथ्य स्वीकार करने से बचने का निर्देश दिया जाता है ताकि उनकी निष्पक्षता अक्षुण्ण बनी रहे। यदि कोई अधिकारी किसी व्यावसायिक फर्म या व्यक्ति का बार-बार अतिथि बनता है, तो वह अनजाने में ही उनके 'एहसान' के अधीन आ सकता है। इससे भविष्य में आधिकारिक निर्णय लेते समय उसके प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है। आचरण नियम यह सुनिश्चित करने हेतु हैं कि लोक सेवक पूर्णतः स्वतंत्र और निर्भीक होकर कार्य करें। यह नियम प्रशासन में नैतिकता और शुचिता बनाए रखने का एक निवारक उपाय है, जो सार्वजनिक हितों की प्रभावी रक्षा करता है।

112. (B) किसी विशिष्ट नियम के तहत कार्य करने के लिए सरकार द्वारा सशक्त प्राधिकारी
आचरण नियमों में 'निर्धारित प्राधिकारी' शब्द का अर्थ उस विशिष्ट अधिकारी या निकाय से है जिसे सरकार ने किसी विशेष नियम को लागू करने या अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत किया है। उदाहरण के लिए, संपत्ति की घोषणा हेतु निर्धारित प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो सकता है, जबकि किसी अन्य मामले में यह शासन का सचिव हो सकता है। यह प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी निर्णय एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि पदानुक्रम के अनुसार उपयुक्त स्तर पर लिए जाएं। इससे कार्यों का निष्पादन त्वरित होता है और जवाबदेही भी स्पष्ट बनी रहती है, जो सुशासन का आधार है।

113. (B) हाँ, बशर्ते यह सट्टा न हो और किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन न करता हो।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 शासकीय सेवकों को शेयर बाजार में पूर्णतः निवेश करने से प्रतिबंधित नहीं करते। एक कर्मचारी दीर्घकालिक निवेश के उद्देश्य से शेयर क्रय कर सकता है। हालांकि, नियम 'सट्टेबाजी' पर रोक लगाते हैं, जिसका अर्थ है शेयरों की बार-बार और त्वरित खरीद-बिक्री करना। साथ ही, कर्मचारी को ऐसी किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करना चाहिए जिसे वह अपने आधिकारिक प्रभाव से लाभ पहुँचा सकता हो। यदि निवेश का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसकी सूचना देना आवश्यक है। यह संतुलन कर्मचारी की वित्तीय स्वतंत्रता और आधिकारिक सत्यनिष्ठा के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।

114. (D) दहेज निषेध अधिनियम, 1961
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का नियम 14, जो दहेज पर प्रतिबंध लगाता है, केंद्रीय 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961' के प्रावधानों का पूरक है। शासकीय कर्मचारियों हेतु दहेज लेना, देना या मांगना न केवल एक सामाजिक अपराध है, बल्कि एक गंभीर विभागीय कदाचार भी है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि राज्य के लोक सेवक समाज हेतु एक आदर्श प्रस्तुत करें और इस कुप्रथा के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाएं। विभागीय स्तर पर इस नियम का उल्लंघन करने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जो कर्मचारी के भविष्य को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है, जिससे सामाजिक सुधार को प्रशासनिक बल प्राप्त होता है।

115. (A) विभागीय जांच के लिए
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का कोई भी उल्लंघन 'कदाचार' माना जाता है, जो कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त आधार प्रदान करता है। यह जांच निष्पक्ष तरीके से की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं। यदि आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दंड अधिरोपित किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस जांच भी हो सकती है, परंतु आचरण नियमों का मुख्य प्रवर्तन प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सिविल सेवा में अनुशासन बना रहे और कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सदैव सजग रहें।

116. (B) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
किसी शासकीय सेवक की प्रोन्नति मुख्य रूप से भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों और वेतन नियमों द्वारा संचालित होती है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का प्राथमिक कार्य कर्मचारी के व्यवहार, नैतिकता और अनुशासन को विनियमित करना है, न कि प्रोन्नति की शर्तों या वेतन संरचना को निर्धारित करना। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी आचरण नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसे प्राप्त होने वाला दंड उसकी प्रोन्नति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। परंतु प्रत्यक्ष रूप से, प्रोन्नति की प्रक्रिया अन्य विशिष्ट सेवा नियमों के अंतर्गत आती है। आचरण नियम केवल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रोन्नत अधिकारी नैतिक रुप से योग्य हो।

117. (B) कार्यपालिका
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 कार्यपालिका (राज्यपाल) द्वारा निर्मित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद

हुए, 2015 के नियमों में इनके लिए भी विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रियाएं सम्मिलित की गई हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सेवाओं का चयन भी योग्यता और प्रतिस्पर्धी मूल्य के आधार पर हो, जिससे सरकारी कार्यों की गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार हो सके।

133. (B) अनुबंध के उचित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा जमा राशि।
'कार्य निष्पादन सुरक्षा' सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय जमा की जाने वाली एक गारंटी राशि है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विक्रेता अनुबंध की समस्त शर्तों और गुणवत्ता मानकों का पूर्णतः पालन करेगा। यदि आपूर्तिकर्ता माल की आपूर्ति करने में विफल रहता है या उसकी गुणवत्ता निम्न होती है, तो खरीद इकाई इस सुरक्षा राशि का उपयोग हर्जाने की भरपाई हेतु कर सकती है। यह बयाना जमा राशि से पृथक है, जो केवल बोली के चरण तक होती है। अनुबंध अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात यह राशि विक्रेता को वापस कर दी जाती है, जिससे व्यावसायिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

134. (D) दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय)
उच्च मूल्य और जटिल तकनीकी परियोजनाओं हेतु 2015 के खरीद नियम 'दो-बोली प्रणाली' को अनिवार्य मानते हैं। इसमें बोलीदाता को दो पृथक लिफाफों में तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव जमा करने होते हैं। प्रथम चरण में केवल तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फर्म के पास आवश्यक विशेषज्ञता है। केवल उन्हीं फर्मों की वित्तीय बोलियां खोली जाती हैं जो तकनीकी रूप से योग्य पाई जाती हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना न्यूनतम कीमत का चयन किया जाए। यह जटिल खरीद में पक्षपात को रोकने और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का एक मानक माध्यम है।

135. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 स्पष्ट रूप से GeM पोर्टल के उपयोग पर बल देते हैं क्योंकि यह आधुनिक तकनीक के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को सरल बनाता है। GeM एक पारदर्शी मंच है जहाँ पूरे राष्ट्र के विक्रेता पंजीकृत होते हैं, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और सरकारी विभागों को उचित बाजार मूल्य प्राप्त होता है। यह भ्रष्टाचार को कम करने में भी सहायक है क्योंकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। चूंकि यह सरकारी धन के कुशल उपयोग और पारदर्शिता के लक्ष्यों को पूर्ण करता है, इसलिए GeM के माध्यम से खरीद को नियमों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जो डिजिटल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण है।

136. (A) मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम, 2002
2015 के नवीन खरीद नियमों ने वर्ष 2002 से प्रभावी 'मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम' को प्रतिस्थापित किया। पुराने नियम आधुनिक ई-खरीद प्रणालियों और सेवाओं की परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। 2015 के नियमों ने प्रक्रियाओं को अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाया, साथ ही सेवाओं की खरीद हेतु भी व्यापक दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए। यह परिवर्तन राज्य की खरीद प्रणाली को राष्ट्रीय मानकों और नवीन तकनीकों के साथ एकीकृत करने हेतु आवश्यक था। नवीन नियमों के आने से खरीद प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता, गति और जवाबदेही आई है, जिससे सरकारी खर्चों का प्रबंधन और अधिक प्रभावी तरीके से होना संभव हो सका है।

137. (C) सभी बोलीदाताओं के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार
2015 के खरीद नियमों का एक मौलिक सिद्धांत समस्त संभावित बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान करना है। नियमों के अनुसार, निविदा की शर्तें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी विशिष्ट विक्रेता का पक्ष लेती हों। पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है ताकि कोई भी बोलीदाता अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके। यह निष्पक्षता न केवल विधिक दृष्टि में आवश्यक है, बल्कि यह अधिक आपूर्तिकर्ताओं को भाग लेने हेतु प्रेरित करती है, जिससे बेहतर प्रतिस्पर्धा और मूल्य प्राप्त होता है। सरकारी खरीद में जनता का विश्वास इसी निष्पक्ष व्यवहार पर टिका होता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हेतु अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

138. (B) पारदर्शिता बढ़ाने और मिलीभगत की गुंजाइश कम करने में 2015 के नियमों के अंतर्गत ई-खरीद का अनिवार्य उपयोग भ्रष्टाचार और विक्रेताओं के मध्य होने वाली मिलीभगत को रोकने का एक प्रभावी साधन है। ऑनलाइन प्रणाली में बोलियां सुरक्षित रहती हैं और उन्हें खोलने के समय तक कोई भी नहीं देख सकता। यह भौतिक निविदाओं में होने वाली मानवीय छेड़छाड़ और पक्षपात की संभावना को समाप्त करता है। ई-प्रोक्योरमेंट से पूरी प्रक्रिया का एक डिजिटल अभिलेख निर्मित होता है, जिससे भविष्य में लेखा-परीक्षण करना सुलभ हो जाता है। यह प्रणाली दूरदराज के छोटे विक्रेताओं को भी समान अवसर प्रदान करती है, जिससे प्रतिस्पर्धा का दायरा बढ़ता है और सरकारी धन का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित होता है।

139. (C) एकल निविदा पूछताछ
जब कोई आवश्यक वस्तु या उपकरण इतना विशिष्ट हो कि उसका निर्माण केवल एक ही पेटेंट वाली कंपनी द्वारा किया जाता है, तो 2015 के नियम 'एकल निविदा पूछताछ' की अनुमति देते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा संभव नहीं होती। विभाग को इस आशय का एक 'स्वामित्व वाली वस्तु प्रमाण पत्र' जारी करना होता है। हालांकि, एकल निविदा का उपयोग अत्यंत सीमित और उचित आधारों पर ही किया जाना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि कीमत उचित है। यह प्रावधान विशिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान या आपातकालीन तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु नियमों में सम्मिलित किया गया है।

140. (A) केवल 2
2015 के खरीद नियमों के अनुसार, एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की समस्त खरीद हेतु विधिवत 'खरीद समितियों' का गठन अनिवार्य है। ये समितियां सामूहिक रूप से निर्णय लेती हैं, जिससे व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना न्यूनतम हो जाती है।

पूर्व-निर्धारित मानदंडों और विधिवत निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संपन्न होनी चाहिए ताकि उनका लेखा-परीक्षण किया जा सके।

125. (C) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
मध्य प्रदेश खरीद नियम 2015 और इसके पश्चात के संशोधनों के अनुसार, सरकारी विभागों हेतु 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (GeM) पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करना प्राथमिक वरीयता है। GeM एक ऑनलाइन मंच है जो पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करता है। यदि कोई वस्तु GeM पर उपलब्ध है, तो विभाग को उसे वहीं से क्रय करना चाहिए। अन्य निविदा प्रक्रियाओं को तभी अंगीकार किया जाना चाहिए जब वांछित उत्पाद GeM पर उपलब्ध न हो। यह नीति डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहित करती है और बिचौलियों को हटाकर सीधे निर्माताओं से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर खरीद की सुविधा प्रदान करती है, जो सुशासन का आधार है।

126. (B) सरकारी विभाग या एजेंसी जो खरीद कर रही है
2015 के खरीद नियमों में 'खरीद इकाई' का तात्पर्य मध्य प्रदेश सरकार के उन समस्त विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों से है जो सरकारी धन का उपयोग करके माल या सेवाएं क्रय करते हैं। यह इकाई खरीद प्रक्रिया के नियोजन, निविदा जारी करने, बोलियों के मूल्यांकन और अनुबंध के प्रबंधन हेतु विधिक रूप से उत्तरदायी होती है। खरीद इकाई को इन नियमों के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करना होता है ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। यह शब्द उस संस्था की भूमिका को स्पष्ट करता है जो राज्य के संसाधनों के रक्षक के रूप में कार्य करती है।

127. (C) सभी खरीद के लिए खुली निविदा प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता।
हालांकि 2015 के खरीद नियम प्रतिस्पर्धा हेतु खुली निविदा को प्राथमिकता देते हैं, परंतु वे यह नहीं कहते कि प्रत्येक खरीद हेतु यह अनिवार्य है। नियमों में कम मूल्य की वस्तुओं हेतु सीधी खरीद और विशिष्ट परिस्थितियों में सीमित निविदा के भी प्रावधान हैं। उदाहरण के लिए, मामूली कार्यालय सामग्री हेतु वैश्विक निविदा की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि, नियम सदैव आपूर्तिकर्ताओं के मध्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और जटिल परियोजनाओं हेतु दो-बोली प्रणाली का उपयोग करने पर बल देते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने हेतु ई-खरीद को अनिवार्य बनाया गया है, परंतु खरीद की विधि सदैव वस्तु के मूल्य और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है।

128. (A) गैर-गंभीर बोलीदाताओं को भाग लेने से रोकना
निविदा प्रक्रिया में 'बयाना जमा राशि' (EMD) एक सुरक्षा निधि के रूप में ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर और सक्षम बोलीदाता ही निविदा में सम्मिलित हों। यह राशि बोलीदाता की प्रतिबद्धता का प्रमाण होती है। यदि कोई सफल बोलीदाता पश्चात में बिना किसी ठोस कारण के अनुबंध से पीछे हट जाता है, तो उसकी EMD राशि जब्त की जा सकती है। यह प्रक्रिया खरीद इकाई को होने वाले समय और संसाधन के नुकसान से सुरक्षित रखती है। असफल बोलीदाताओं को उनकी जमा राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस कर दी जाती है, जिससे पारदर्शिता और अनुशासन बना रहता है।

129. (B) राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 और इसके संशोधनों में राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत स्थानीय इकाइयों को प्रायः निविदा शुल्क और बयाना जमा राशि में छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, समान गुणवत्ता और मूल्य होने पर राज्य के उद्योगों को वरीयता दी जाती है। इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश के भीतर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार सृजित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक संस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते समय राज्य के छोटे उद्यमियों के हितों की रक्षा हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

130. (B) P-1, Q-2, R-3, S-4
GeM पोर्टल सामान्य उपयोग की वस्तुओं की ऑनलाइन खरीद हेतु एक आधुनिक मंच है जो पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। खुली निविदा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से समस्त योग्य बोलीदाताओं को आमंत्रित करती है, जिससे अधिकतम प्रतिस्पर्धा होती है। सीमित निविदा केवल कुछ चुनिंदा फर्मों को आमंत्रित करती है और इसका उपयोग प्रायः कम मूल्य या विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु किया जाता है। एकल निविदा का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है जब केवल एक ही विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हो। यह मिलान स्पष्ट करता है कि खरीद की प्रत्येक विधि का उपयोग विशेष उद्देश्यों और नियमों के अनुसार सार्वजनिक धन के कुशल प्रबंधन हेतु किया जाता है।

131. (B) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पर वस्तुओं की उपलब्धता की जांच करें।
2015 के खरीद नियमों के अनुसार, जब किसी विभाग को कार्यालय सामग्री जैसी सामान्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो उसे सर्वप्रथम GeM पोर्टल की जांच करनी चाहिए। यदि वस्तु वहां उपलब्ध है, तो उसे वहीं से क्रय करना अनिवार्य है क्योंकि यह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी दरें प्रदान करता है। स्थानीय दुकानों से प्रत्यक्ष खरीद केवल तभी संभव है जब वस्तु का कुल मूल्य बहुत कम हो और नियमों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो। वैश्विक निविदा जारी करना ऐसी लघु खरीद हेतु अनुचित और खर्चीला होगा। GeM को वरीयता देने से खरीद प्रक्रिया में गति आती है और प्रशासनिक जटिलताएं कम होती हैं, जो सुशासन की पहचान है।

132. (B) सेवाओं की खरीद
2015 के खरीद नियमों के शीर्षक में 'सेवा उपार्जन' शब्द विशेष रूप से गैर-भौतिक आवश्यकताओं की खरीद को संदर्भित करता है। इसमें सुरक्षा सेवाएं, स्वच्छता प्रबंधन, आईटी सेवाएं और विशेषज्ञों की परामर्श सेवाएं सम्मिलित हैं। पुराने नियम मुख्य रूप से केवल वस्तुओं पर केंद्रित थे। आधुनिक प्रशासन में बाह्य एजेंसियों से सेवाएं प्राप्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते

केवल व्यय करने के स्थान पर उसे एक निवेश के रूप में देखते हैं जिसका अधिकतम लाभ समाज को प्राप्त होना चाहिए। यह दृष्टिकोण अधिकारियों को अधिक जवाबदेह और संसाधनों के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे सुशासन की नींव सुदृढ़ होती है और सार्वजनिक धन का सदुपयोग सुनिश्चित होता है।

163. (A) कार्योत्तर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए।
ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ एक डिजिटल अभिलेख निर्मित करना है, जहाँ प्रत्येक क्लिक और निर्णय का समय और अधिकारी का नाम अंकित होता है। 2015 के नियमों के अंतर्गत, यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि किसी भी समय प्रक्रिया की जांच की जा सके। यदि भविष्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो यह अभिलेख सत्यता का पता लगाने में सहायता करता है। यह अधिकारियों को अधिक सतर्क बनाता है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके कार्यों की समीक्षा संभव है। यह प्रणाली पारदर्शिता की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है और भ्रष्ट प्रथाओं हेतु गुंजाइश को न्यूनतम करती है, जो आधुनिक प्रशासन हेतु अनिवार्य और अत्यंत आवश्यक है।

164. (B) शब्दों वाली राशि को।
वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के दौरान, यदि अंकों में लिखित राशि और शब्दों में लिखित राशि के मध्य कोई अंतर पाया जाता है, तो 2015 के नियमों के अनुसार शब्दों में लिखित राशि को ही मान्य माना जाता है। यह एक मानक विधिक प्रथा है क्योंकि यह माना जाता है कि शब्दों में लिखते समय व्यक्ति अधिक सचेत रहता है और त्रुटि की संभावना न्यूनतम होती है। यह नियम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्पष्टता को तत्काल दूर करने में सहायता करता है। बोलीदाताओं को भी यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपना प्रस्ताव भरते समय इस विसंगति से बचें ताकि उनकी बोली को लेकर कोई विधिक विवाद उत्पन्न न हो सके।

165. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 में राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान एक रणनीतिक आर्थिक निर्णय है। स्थानीय उद्योगों को सरकारी खरीद में भाग देने से राज्य के भीतर धन का प्रवाह बना रहता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करता है। इससे छोटे कारखानों को कार्य प्राप्त होता है, जिससे रोजगार के नवीन अवसर सृजित होते हैं। यह नीति न केवल उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है, बल्कि राज्य को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक बड़ा चरण है। सरकारी बाजार तक सुलभ पहुँच स्थानीय व्यवसायों के विकास और नवाचार हेतु संजीवनी का कार्य करती है।

166. (A) नई पूर्ण निविदा के बिना पूर्व-अनुमोदित दरों पर वस्तुएं खरीदना।
'दर अनुबंध' एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ विभाग एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पूरे वर्ष हेतु कुछ मानक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर देता है। इसके पश्चात, विभाग को जब भी उन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह बार-बार निविदा आमंत्रित किए बिना प्रत्यक्ष उसी दर पर क्रय आदेश दे सकता है। 2015 के नियमों के अंतर्गत, यह विधि समय की महत्वपूर्ण बचत करती है और प्रशासनिक भार को न्यूनतम करती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपातकालीन आवश्यकताओं के समय वस्तुएं तत्काल उपलब्ध हों। दर अनुबंध विशेष रूप से उन वस्तुओं हेतु अत्यंत उपयोगी है जिनकी आवश्यकता बार-बार और अनिश्चित मात्रा में होती है, जो सुशासन हेतु आवश्यक है।

167. (B) सरकारी कार्यालय में लिपिक की भर्ती।
2015 के खरीद नियम माल और सेवाओं की खरीद पर लागू होते हैं, न कि सरकारी कर्मचारियों की प्रत्यक्ष भर्ती पर। लिपिकों की भर्ती हेतु पृथक सेवा नियम और कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रक्रियाएं होती हैं। हालांकि, यदि कोई विभाग आउटसोर्सिंग के माध्यम से डेटा प्रविष्टि सेवाएं प्राप्त करने हेतु किसी निजी एजेंसी को नियुक्त करता है, तो वह इन खरीद नियमों के अंतर्गत आएगा। यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि सार्वजनिक खरीद का ध्यान बाह्य बाजार से संसाधन प्राप्त करने पर होता है, जबकि भर्ती आंतरिक प्रशासनिक ढांचे का भाग है। अन्य समस्त विकल्प जैसे फर्नीचर या सॉफ्टवेयर क्रय करना प्रत्यक्ष रूप से इन खरीद नियमों के दायरे में आते हैं।

168. (A) पक्षपात और भ्रष्टाचार
2015 के खरीद नियमों का मुख्य प्रहार पक्षपात और भ्रष्टाचार पर है। एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि अनुबंध केवल योग्यता और आर्थिक लाभ के आधार पर प्रदान किया जाए, न कि व्यक्तिगत संबंधों या राजनीतिक प्रभाव के कारण। जब नियम स्पष्ट होते हैं और प्रक्रिया सार्वजनिक रूप से दृश्यमान होती है, तो अधिकारियों हेतु किसी विशेष विक्रेता को अनुचित लाभ पहुँचाना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह प्रणाली न केवल सरकारी खजाने की रक्षा करती है, बल्कि व्यावसायिक जगत में सरकार की छवि को भी परिष्कृत करती है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बाजार को जन्म देती है, जहाँ गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को उनके सही मूल्य के अनुसार स्थान मिलता है।

169. (B) उनकी बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
जब किसी बोलीदाता को 'अनुबंध का पुरस्कार' प्रदान किया जाता है, तो उससे एक निश्चित समय के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा करने की अपेक्षा की जाती है। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो 2015 के नियमों के अनुसार, विभाग उसकी बयाना जमा राशि (EMD) को जब्त कर लेता है। यह कठोर कार्यवाही इसलिए आवश्यक है क्योंकि बोलीदाता की विफलता से पूरी खरीद प्रक्रिया में विलंब होता है और सरकार को पुनः निविदा आमंत्रित करने की आर्थिक क्षति उठानी पड़ सकती है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि केवल वही फर्में बोली लगाएं जो वास्तव में कार्य करने हेतु गंभीर और आर्थिक रूप से पूर्णतः सक्षम हैं।

170. (D) 1, 2, और 3
खरीद प्रक्रिया में बयाना जमा राशि, कार्य निष्पादन सुरक्षा और परिनिर्धारित हर्जाना तीनों मिलकर सरकार के वित्तीय हितों की सुरक्षा करते हैं। EMD बोली चरण में गंभीरता सुनिश्चित करती है। कार्य निष्पादन सुरक्षा अनुबंध की अवधि के दौरान विक्रेता

ये नियम राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों पर भी लागू होते हैं। यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि ये केवल विभागों पर लागू हैं। नियम विदेशी कंपनियों से खरीद को प्रतिबंधित नहीं करते, बल्कि गुणवत्ता और मूल्य के आधार पर वैश्विक निविदा की अनुमति प्रदान करते हैं। अतः, केवल खरीद समिति वाला प्रावधान ही इनमें से सही और प्रासंगिक है।

141. (D) नियमों को नई तकनीकों और राष्ट्रीय नीति परिवर्तनों के अनुरूप बनाना।
मध्य प्रदेश खरीद नियम 2015 में होने वाले संशोधन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अद्यतन बनाए रखने हेतु किए जाते हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य ई-गवर्नेंस की नवीन तकनीकों को अंगीकार करना और केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' जैसी राष्ट्रीय नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। संशोधनों के माध्यम से प्रायः स्थानीय स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन, एमएसएमई को वरीयता और खरीद प्रक्रिया में अधिक सरलता एवं पारदर्शिता लाई जाती है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अपनी खरीद प्रणाली को गतिशील और उत्तरदायी बनाना चाहती है ताकि वह परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और सार्वजनिक धन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो।

142. (A) नियमों या विभाग की नीति में परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र।
2015 के खरीद नियमों के अंतर्गत एक व्यवस्थित 'शिकायत निवारण तंत्र' का प्रावधान है। यदि किसी बोलीदाता को प्रतीत होता है कि निविदा प्रक्रिया में उसके साथ अन्याय हुआ है या नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो वह निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकता है। यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि विवादों का समाधान विभाग के भीतर ही त्वरित और निष्पक्ष तरीके से हो सके। इससे अनावश्यक विधिक मुकदमों में कमी आती है और खरीद प्रक्रिया की अखंडता बनी रहती है। बोलीदाताओं को अपनी बात रखने का विधिक अधिकार देना सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है जो व्यावसायिक विश्वास बढ़ाता है।

143. (B) कम मूल्य वाली वस्तुओं के लिए त्वरित खरीद की सुविधा प्रदान करना और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उच्च जांच सुनिश्चित करना।
2015 के खरीद नियमों में वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन एक व्यावहारिक प्रशासनिक व्यवस्था है। लघु व्यय हेतु कनिष्ठ अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं ताकि दैनिक कार्यों में विलंब न हो। इसके विपरीत, उच्च मूल्य की बड़ी परियोजनाओं हेतु निर्णय लेने की शक्ति वरिष्ठ अधिकारियों या समितियों के पास होती है, जहाँ जांच और जवाबदेही के मानक बहुत ऊंचे होते हैं। यह प्रणाली प्रशासन में गति और नियंत्रण के मध्य उचित संतुलन बनाए रखती है। इससे शीर्ष स्तर पर कार्यभार न्यूनतम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक व्यय पर उसके मूल्य और महत्व के अनुसार उचित ध्यान और पर्यवेक्षण दिया जा रहा है।

144. (C) उस बोलीदाता को जो तकनीकी रूप से योग्यता रखता है और न्यूनतम मूल्य उद्धृत करता है।
सरकारी खरीद का मुख्य नियम यह है कि अनुबंध 'L1' बोलीदाता को प्रदान किया जाता है। इसका अर्थ है वह फर्म जो सर्वप्रथम तकनीकी मूल्यांकन के समस्त कड़े मानदंडों को पूर्ण करती है और उसके पश्चात सबसे कम वित्तीय कीमत उद्धृत करती है। 2015 के नियम स्पष्ट करते हैं कि केवल न्यूनतम कीमत ही पर्याप्त नहीं है; उत्पाद की गुणवत्ता और फर्म की क्षमता का मानक के अनुरूप होना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सबसे मितव्ययी तरीके से किया जाए, बिना किसी गुणवत्तापूर्ण सेवा से समझौता किए। यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का सबसे पारदर्शी और स्वीकृत माध्यम है।

145. (A) 3, 1, 4, 2
एक आदर्श खुली निविदा प्रक्रिया सर्वप्रथम समाचार पत्रों या पोर्टल पर 'निविदा सूचना के प्रकाशन' से प्रारंभ होती है ताकि समस्त को सूचना प्राप्त हो सके। बोलियां प्राप्त होने के पश्चात, सर्वप्रथम 'तकनीकी बोलियां खोली' और जांची जाती हैं ताकि फर्मों की योग्यता सुनिश्चित हो सके। जो फर्में तकनीकी रूप से योग्य पाई जाती हैं, केवल उन्हीं की 'वित्तीय बोलियां खोली' जाती हैं ताकि कीमतों की तुलना की जा सके। अंत में, सबसे कम कीमत उद्धृत करने वाली योग्य फर्म को 'अनुबंध प्रदान' किया जाता है। यह क्रमबद्ध प्रक्रिया खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उच्चतम प्रशासनिक मानकों को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

146. (C) सरकारी भवन के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक फर्म को नियुक्त करना
2015 के नियमों के अंतर्गत 'सेवा उपार्जन' का तात्पर्य किसी ऐसी गतिविधि हेतु भुगतान करना है जिसमें भौतिक वस्तु के स्थान पर विशेषज्ञता या श्रम प्राप्त किया जाता है। सुरक्षा सेवाओं हेतु किसी एजेंसी को नियुक्त करना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। कंप्यूटर, फर्नीचर या औषधियां क्रय करना 'भंडार क्रय' या माल की खरीद की श्रेणी में आता है क्योंकि इसमें भौतिक संपत्ति का अर्जन होता है। सेवा उपार्जन के अन्य उदाहरणों में आईटी परामर्श, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रबंधन सेवाएं सम्मिलित हैं। इन सेवाओं हेतु भी निविदा प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चयनित सेवा प्रदाता सक्षम और किफायती है।

147. (A) स्टार्टअप्स और नवोन्मेषकों को प्रोत्साहित करना।
मध्य प्रदेश खरीद नियमों में हाल के संशोधन राज्य की आर्थिक पारिस्थितिकी को आधुनिक बनाने पर केंद्रित हैं। सरकार ने अब स्टार्टअप्स को सरकारी निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुभव और टर्नओवर की शर्तों में छूट प्रदान करने के प्रावधान सम्मिलित किए हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित करना और नवीन उद्यमियों को सरकारी परियोजनाओं में अवसर प्रदान करना है। यह नीति केंद्र सरकार के स्टार्टअप इंडिया मिशन के अनुरूप है। ऐसे परिवर्तन पारंपरिक खरीद के तरीकों को उदार बनाते हैं और राज्य में एक गतिशील व्यापारिक वातावरण

309 के अंतर्गत, राज्यपाल को राज्य की सेवाओं हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक विधायिका इस पर कोई विधि नहीं बनाती। यह कार्यपालिका को प्रशासन को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक अनुशासन और व्यवहार के मानक निर्धारित करने का लचीलापन प्रदान करता है। चूंकि ये नियम विधायिका के स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अधीनस्थ विधान भी कहा जाता है। इनका पालन करना प्रत्येक कर्मचारी हेतु अनिवार्य है जैसे किसी विधि का।

118. (A) इसे केवल तभी कदाचार माना जाता है जब यह कार्यालय परिसर के भीतर हो।
आचरण नियमों के अंतर्गत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। यह केवल भौतिक कार्यालय परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कोई भी ऐसा स्थान सम्मिलित है जहाँ कर्मचारी अपने कार्य के दौरान जाता है, जैसे आधिकारिक दौरा या प्रशिक्षण। यदि कोई कर्मचारी किसी महिला सहयोगी के साथ अशोभनीय व्यवहार करता है या अश्लील सामग्री प्रदर्शित करता है, तो उसे कदाचार माना जाएगा और कठोर दंड दिया जाएगा। यह सुरक्षा उन सभी महिला कर्मचारियों को उपलब्ध है जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हैं। नियमों का उद्देश्य महिलाओं हेतु हर परिस्थिति में एक गरिमापूर्ण और भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।

119. (C) सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें बॉन्ड निष्पादित करना शामिल हो सकता है।
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और संबंधित अध्ययन अवकाश नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहता है, तो उसे सरकार की औपचारिक स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यह विशेष रूप से तब आवश्यक है जब वह विदेशी छात्रवृत्ति स्वीकार कर रहा हो। अनुमति प्रदान करते समय सरकार यह समीक्षा करती है कि अध्ययन का विषय जनहित में है या नहीं। प्रायः, कर्मचारी को एक बॉन्ड भरना होता है जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि वह अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात एक निश्चित अवधि तक सरकार की सेवा करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी द्वारा अर्जित कौशल का लाभ राज्य के विकास में उपयोग किया जा सके।

120. (A) ईमानदार, निष्पक्ष और कुशल हो
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का मुख्य और समग्र उद्देश्य एक ऐसी सिविल सेवा विकसित करना है जो जनता के प्रति पूर्णतः समर्पित हो। इन नियमों के माध्यम से सरकार कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा और पेशेवर नैतिकता का संचार करती है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर ईमानदारी, और राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित कर निष्पक्षता को प्रोत्साहित किया जाता है। जब कर्मचारी अनुशासित और तनावमुक्त वातावरण में कार्य करते हैं, तो उनकी कार्यकुशलता स्वतः बढ़ जाती है। अंततः, ये नियम सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम हैं जहाँ प्रशासन पारदर्शी हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहे।

121. (C) मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015 में अधिनियमित नियमों का आधिकारिक शीर्षक 'मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015' है। ये नियम राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद हेतु एक व्यापक विधिक ढांचा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य पूर्व के नियमों को आधुनिक बनाना और खरीद की प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकी नवाचारों को सम्मिलित करना था। यह शीर्षक स्पष्ट करता है कि नियम केवल भौतिक वस्तुओं की खरीद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद हेतु भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जो आधुनिक पारदर्शी प्रशासन के लिए अनिवार्य और अत्यंत आवश्यक हैं।

122. (B) सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पैसे का सही मूल्य सुनिश्चित करना
2015 के खरीद नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक धन के व्यय में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही लाना था। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि सभी पात्र आपूर्तिकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हों, जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सरकार को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं और सेवाएं सबसे कम कीमत पर प्राप्त होती हैं, जिसे 'पैसे का सही मूल्य' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, इन नियमों का उद्देश्य भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना और खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित बनाना है, जिससे सरकारी परियोजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित हो सके।

123. (D) माल और सेवाएं दोनों
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का विस्तार अत्यंत व्यापक है। ये नियम राज्य के समस्त सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा की जाने वाली माल (जैसे कार्यालय उपकरण, मशीनरी) और सेवाओं (जैसे सुरक्षा, सफाई, परामर्श सेवाएं) दोनों की खरीद पर समान रूप से लागू होते हैं। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि चाहे किसी भौतिक वस्तु का क्रय करना हो या किसी बाहरी संस्था से सेवाएं प्राप्त करनी हों, प्रक्रिया सदैव पारदर्शी और नियमों के अनुकूल होनी चाहिए। यह एकीकृत दृष्टिकोण प्रशासन को खरीद के प्रत्येक पहलू पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है और मानकों में एकरूपता बनाए रखने में सहायक होता है।

124. (D) मौखिक समझौते के माध्यम से खरीद
2015 के खरीद नियमों के अंतर्गत सार्वजनिक खरीद हेतु कई औपचारिक विधियां निर्धारित की गई हैं, जैसे खुली निविदा, सीमित निविदा और GeM के माध्यम से ऑनलाइन खरीद। मौखिक समझौते या बिना किसी प्रलेखीय प्रमाण के खरीद करना इन नियमों के अंतर्गत पूर्णतः निषिद्ध है। सार्वजनिक धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक लेनदेन का लिखित अभिलेख होना अनिवार्य है। मौखिक समझौते पारदर्शिता के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं और इनसे भ्रष्टाचार का संकट बढ़ता है। नियम स्पष्ट करते हैं कि समस्त खरीद प्रक्रियाएं

पर विचार नहीं किया जाता। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केवल वही कंपनियां वित्तीय दौड़ में सम्मिलित हों जो वास्तव में वांछित गुणवत्ता प्रदान करने में सक्षम हैं। तकनीकी मानदंडों में विफलता सबसे सामान्य कारण है जिसके कारण बोलियां अस्वीकृत की जाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार केवल मानक और सुरक्षित उत्पाद ही प्राप्त करे।

156. (A) सरकारी खर्च का मार्गदर्शन करने के लिए कार्यकारी निर्देश।
मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए निर्देशों का एक समूह है। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से विधायिका द्वारा पारित विधि नहीं हैं, परंतु इनका प्रभाव विधिक होता है क्योंकि ये सरकारी अधिकारियों हेतु बाध्यकारी हैं। ये नियम संविधान के अंतर्गत सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्मित किए गए हैं ताकि राज्य के संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन हो सके। ये अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और एक वैधानिक ढांचा तैयार करते हैं जिसका उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बन सकता है। कार्यकारी निर्देश होने के कारण, इनमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से सुधार करना सुगम होता है।

157. (B) आवश्यक वस्तु की अनूठी विशेषताएं होती हैं और वह केवल एक विशिष्ट फर्म द्वारा निर्मित की जाती है।
'स्वामित्व वाली वस्तु प्रमाण पत्र' (PAC) का उपयोग तब किया जाता है जब विभाग को ऐसी विशिष्ट वस्तु की आवश्यकता होती है जिसका कोई विकल्प बाजार में उपलब्ध न हो और वह केवल एक विशेष कंपनी का पेटेंट उत्पाद हो। उदाहरण के लिए, किसी विशिष्ट वैज्ञानिक मशीनरी का कलपुर्जा। PAC जारी करने का तात्पर्य है कि विभाग प्रतिस्पर्धी बोली के बिना प्रत्यक्ष उस फर्म से खरीद करेगा। इसके लिए विभाग के प्रमुख की लिखित संतुष्टि और सुदृढ़ तर्क की आवश्यकता होती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि विशेष तकनीकी आवश्यकताओं के कारण सरकारी कार्य न रुकें, परंतु इसका उपयोग केवल अनिवार्य और अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

158. (A) घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देने के प्रावधान।
भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों का मध्य प्रदेश के खरीद नियमों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नियमों में किए गए संशोधनों के अंतर्गत अब उन वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें स्थानीय मूल्य संवर्धन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। इससे उन कंपनियों को लाभ प्राप्त होता है जो भारत के भीतर उत्पादन करती हैं। कुछ श्रेणियों में तो विदेशी कंपनियों को भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह नीति स्वदेशी उद्योगों को सरकारी बाजार प्रदान करने, विदेशी मुद्रा सुरक्षित करने और देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु निर्मित की गई है। यह राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ राज्य की खरीद नीतियों के सफल एकीकरण का उदाहरण है।

159. (B) यह बोलियों का मूल्यांकन करती है और खरीद के लिए सिफारिशें करती है।
'खरीद समिति' 2015 के नियमों के अंतर्गत एक सामूहिक निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों, वित्तीय अधिकारियों और प्रशासनिक सदस्यों का समावेश होता है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी निविदाओं को खोलना, उनकी तकनीकी और वित्तीय रूप से जांच करना और सबसे उपयुक्त बोलीदाता का चयन करने हेतु अपनी अनुशंसाएं सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि चयन की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ हो और किसी एक व्यक्ति की पसंद से प्रभावित न हो। यह बहु-विषयक दृष्टिकोण खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, विशेषज्ञता और जवाबदेही लाने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भ्रष्टाचार के जोखिम को प्रभावी ढंग से न्यूनतम करता है।

160. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
बोलीदाता वह व्यावसायिक इकाई है जो सरकारी निविदा के प्रत्युत्तर में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। अनुबंध वह विधिक समझौता है जो सफल बोलीदाता और सरकार के मध्य शर्तों को लागू करता है। माल में वे समस्त भौतिक वस्तुएं और उपकरण सम्मिलित हैं जिनका क्रय विभाग अपनी आवश्यकताओं हेतु करता है। निविदा प्रलेख वह मार्गदर्शक पुस्तिका है जो समस्त नियमों और तकनीकी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। यह मिलान सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया के मूल स्तंभों को दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट विधिक अर्थ और महत्व होता है, जो पूरी प्रणाली को सुव्यवस्थित और उत्तरदायी बनाने में सहायता करता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

161. (C) पुन: निविदा या स्वीकृति पर निर्णय लेने के लिए प्रतिक्रिया कारणों की जांच करना।
यदि खुली निविदा के पश्चात केवल एक ही बोली प्राप्त होती है, तो विभाग उसे तत्काल स्वीकार नहीं कर सकता। 2015 के नियमों के अनुसार, विभाग को यह समीक्षा करनी चाहिए कि क्या निविदा की शर्तें अत्यंत कठोर थीं जिसके कारण अन्य फर्मों ने भाग नहीं लिया। यदि ऐसा है, तो पुन: निविदा करना श्रेष्ठ होता है ताकि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो। हालांकि, यदि प्रक्रिया पारदर्शी थी और कीमत उचित है, तो विशेष अनुमति के साथ उसे स्वीकार किया जा सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने हेतु है कि एकल बोली के नाम पर प्रतिस्पर्धा को दबाया न जाए और सरकारी खजाने को कोई आर्थिक क्षति न हो, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

162. (A) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता को ध्यान में रखकर किया जाए।
2015 के खरीद नियम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित हैं। मितव्ययिता का अर्थ है न्यूनतम व्यय में श्रेष्ठ गुणवत्ता प्राप्त करना। दक्षता का अर्थ है न्यूनतम समय और प्रयास के साथ खरीद प्रक्रिया को पूर्ण करना। प्रभावशीलता का अर्थ है कि क्रय की गई वस्तु वास्तव में उस उद्देश्य को पूर्ण करे जिसके लिए उसे लिया गया है। ये नियम सरकारी धन को

सार्वजनिक धन का उचित लेखा-जोखा बना रहे और सुशासन सुनिश्चित हो सके।

178. (B) उपकरण के स्वामित्व की कुल लागत, जिसमें खरीद मूल्य, रखरखाव और परिचालन लागत शामिल है।
'जीवन चक्र लागत' एक आधुनिक मूल्यांकन पद्धति है जिसका उल्लेख खरीद नियमों में किया गया है। यह केवल प्रारंभिक खरीद मूल्य को नहीं देखती, बल्कि उपकरण के पूरे जीवनकाल के दौरान होने वाले व्ययों का आकलन करती है। उदाहरण के लिए, एक मशीन सस्ती हो सकती है परंतु उसकी विद्युत खपत और मरम्मत का व्यय बहुत अधिक हो सकता है। दूसरी ओर, एक महंगी मशीन लंबे समय में मितव्ययी सिद्ध हो सकती है। यह दृष्टिकोण विभाग को अधिक स्मार्ट और टिकाऊ वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार केवल न्यूनतम मूल्य के पीछे न भागे, बल्कि सबसे किफायती और प्रभावी दीर्घकालिक समाधान का चयन करे।

179. (B) राज्य के अन्य विभागों की निविदाओं में भाग लेने के लिए भी अपात्र होता है।
जब किसी बोलीदाता को मध्य प्रदेश में एक सरकारी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो इसकी सूचना सामान्यतः समस्त विभागों को साझा की जाती है। नियमों के अनुसार, एक विभाग द्वारा प्रतिबंधित की गई फर्म राज्य के अन्य समस्त सरकारी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु भी अपात्र हो जाती है। यह नीति भ्रष्टाचार और गंभीर चूक करने वाली कंपनियों हेतु एक सुदृढ़ निवारक के रूप में कार्य करती है। इससे भ्रष्ट फर्मों को दंड प्राप्त होता है और पूरे राज्य की खरीद प्रणाली सुरक्षित रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि जिस फर्म ने एक स्थान पर विश्वासघात किया है, उसे अन्य सरकारी धन के उपयोग का अवसर प्राप्त न हो सके।

180. (A) विवेकपूर्ण और जवाबदेह
2015 के खरीद नियमों और उनके सेवा उपार्जन प्रावधानों का अंतिम लक्ष्य सार्वजनिक धन के उपयोग में पूर्ण अनुशासन लाना है। 'विवेकपूर्ण' का अर्थ है धन को उसी प्रकार सोच-समझकर व्यय करना जैसे कोई व्यक्ति अपना निजी पैसा व्यय करता है। 'जवाबदेह' का अर्थ है कि प्रत्येक व्यय हेतु एक लिखित तर्क और प्रक्रिया होनी चाहिए जिसकी जांच लेखा-परीक्षण द्वारा संभव हो। ये नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी व्यय का प्रत्येक रुपया समाज के कल्याण और आधारभूत ढांचे के विकास हेतु प्रभावी ढंग से उपयोग हो। इस प्रकार, यह कानून राज्य में वित्तीय सुशासन और नागरिक विश्वास को सुदृढ़ करने का एक शक्तिशाली माध्यम है।

181. (C) 2010
मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर बुनियादी सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान करना था। यह अधिनियम सुशासन की दिशा में एक क्रांतिकारी चरण माना जाता है क्योंकि इसने प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति जवाबदेह बनाया। मध्य प्रदेश इस प्रकार का कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बना, जिसकी सफलता को देखते हुए पश्चात में अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार के नागरिक अधिकार विधियों को अपनाया। यह कानून प्रदेश में भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने में सहायक रहा है।

182. (B) अधिसूचित सार्वजनिक सेवाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर वितरित करना।
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का मुख्य लक्ष्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के निरंतर चक्कर लगाने से मुक्ति प्रदान करना है। इस विधि के अंतर्गत, सरकार विभिन्न सेवाओं हेतु एक समय सीमा निर्धारित करती है। यदि कोई अधिकारी इस अवधि में सेवा प्रदान नहीं करता, तो उस पर दंड आरोपित किया जाता है। यह अधिनियम नागरिक को एक सक्रिय उपभोक्ता बनाता है जिसे अपनी सेवा प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। इसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना, विलंब को समाप्त करना और अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करना है, जिससे आम जनता को बिना किसी बाधा के समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्राप्त हो सकें।

183. (D) पदाभिहित अधिकारी
अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक अधिसूचित सेवा हेतु एक 'पदाभिहित अधिकारी' नियुक्त किया जाता है। यह अधिकारी आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित सेवा प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। यदि आवेदन अपूर्ण है, तो उसे सूचित करना और यदि पूर्ण है, तो प्रमाणपत्र या लाभ निर्गत करना इसी अधिकारी का विधिक कर्तव्य है। पदाभिहित अधिकारी ही वह मुख्य कड़ी है जिसके माध्यम से इस अधिनियम का लाभ जनता तक पहुँचता है। सेवा में किसी भी प्रकार के विलंब या बिना कारण अस्वीकृति हेतु इसी अधिकारी को सर्वप्रथम जवाबदेह ठहराया जाता है और उन पर नियमानुसार आर्थिक दंड आरोपित किया जा सकता है।

184. (A) आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की सबसे बड़ी शक्ति इसकी अपीलीय प्रक्रिया है। यदि पदाभिहित अधिकारी समय पर सेवा प्रदान नहीं करता या आवेदन को त्रुटिपूर्ण तरीके से निरस्त कर देता है, तो आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। यह प्राधिकारी संबंधित अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह तत्काल सेवा प्रदान करे या विलंब का उचित कारण स्पष्ट करे। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक केवल अधिकारी की इच्छा पर निर्भर न रहे। इस द्वि-स्तरीय प्रणाली के कारण अधिकारियों पर कार्य को समय पर पूर्ण करने का निरंतर विधिक दबाव बना रहता है।

185. (A) भारत में अपनी तरह का पहला कानून।
मध्य प्रदेश ने वर्ष 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू कर पूरे राष्ट्र में एक मिसाल प्रस्तुत की थी। यह भारत का प्रथम ऐसा कानून था जिसने सेवाओं के अधिकार को एक वैधानिक गारंटी में परिवर्तित कर दिया। इससे पूर्व, सरकारी सेवाएं प्रदान

के उत्तरदायित्व को बनाए रखती है। परिनिर्धारित हर्जाना तब लागू होता है जब विक्रेता माल की आपूर्ति में विलंब करता है, जिससे विभाग को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ये तीनों प्रावधान एक सुरक्षा जाल की तरह कार्य करते हैं जो विक्रेताओं को अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति सजग रखते हैं और सार्वजनिक परियोजनाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता करते हैं, जो सुशासन हेतु अनिवार्य है।

171. (A) ऑडिट और सतर्कता जांच के लिए।
2015 के नियमों के अनुसार, प्रत्येक खरीद प्रक्रिया के विस्तृत अभिलेखों और प्रलेखों को एक निश्चित अवधि तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यह विधिक आवश्यकता इसलिए है ताकि भविष्य में किसी भी समय लेखा-परीक्षकों या सतर्कता विभाग द्वारा इन फाइलों की जांच की जा सके। अभिलेख बनाए रखना यह सुनिश्चित करता है कि यदि प्रक्रिया में कोई अनियमितता हुई हो, तो उसे पश्चात में भी चिन्हित किया जा सके। यह अधिकारियों हेतु एक निवारक के रूप में कार्य करता है और प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करता है। पुराने अभिलेख न केवल पारदर्शिता का प्रमाण हैं, बल्कि वे भविष्य की खरीद प्रक्रियाओं हेतु संदर्भ और अनुभव के रूप में भी अत्यंत उपयोगी होते हैं।

172. (A) स्टोर खरीद
नियमों के शीर्षक में प्रयुक्त 'भंडार क्रय' शब्द का अर्थ 'स्टोर खरीद' (Purchase of Stores) है। पारंपरिक सरकारी भाषा में 'भंडार' का तात्पर्य उन समस्त भौतिक वस्तुओं, उपकरणों, कच्चे माल और उपभोज्य सामग्रियों से है जिन्हें विभाग अपने कार्य हेतु क्रय करता है और स्टॉक में रखता है। 2015 के नियमों ने इस पारंपरिक अवधारणा को आधुनिक बनाया है, परंतु मुख्य शब्द वही रखा गया है जो माल की खरीद की विधिक प्रक्रिया को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यालय की एक लघु लेखनी से लेकर विशाल भारी मशीनरी तक, समस्त कुछ एक ही पारदर्शी खरीद नीति के दायरे में रहे, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण प्रभावी हो सके और जवाबदेही बनी रहे।

173. (B) सरकारी खरीद के लिए एक अधिक सुसंगत और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार।
2015 के खरीद नियमों का राष्ट्रीय पोर्टल्स और केंद्रीय नीतियों के साथ एकीकरण भारत में 'एक राष्ट्र, एक बाजार' की अवधारणा को सार्वजनिक खरीद में लागू करने का प्रयास है। इससे राज्य की सीमाओं के पार से भी विक्रेताओं को भाग लेने में सुगमता होती है, जिससे प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। यह एकीकरण प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सहायता करता है। जब समस्त राज्य समान मानकों का पालन करते हैं, तो व्यापार करना सुगम हो जाता है और सरकार को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त होता है। यह अंततः अधिक पारदर्शी और कुशल सार्वजनिक व्यय प्रबंधन की ओर ले जाता है, जो आधुनिक प्रशासन की मांग है।

174. (C) एकाधिकार को बढ़ावा देना
2015 के खरीद नियमों का मुख्य लक्ष्य एकाधिकार को समाप्त करना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। नियम ऐसी प्रक्रियाओं को हतोत्साहित करते हैं जहाँ केवल एक या दो पसंदीदा कंपनियां ही लाभ प्राप्त कर सकें। इसके विपरीत, नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्षता और पैसे का सही मूल्य प्राप्त करना है ताकि सरकारी धन का कुशल उपयोग हो सके। एकाधिकार बाजार में कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है और नवाचार को बाधित करता है, जो सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है। इसलिए, नियम खुली निविदा और विस्तृत विज्ञापन पर बल देते हैं ताकि अधिक से अधिक योग्य आपूर्तिकर्ता भाग ले सकें और सरकार को सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध हों।

175. (C) उनकी बोली को तत्काल अस्वीकार करना और संभावित ब्लैकलिस्टिंग।
यदि कोई बोलीदाता रिश्वत देने, मिथ्या सूचना प्रदान करने या मूल्यांकन समिति को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो 2015 के नियमों के अंतर्गत यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे बोलीदाता की बोली को तत्काल निरस्त कर दिया जाता है और उसकी बयाना जमा राशि जब्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विभाग उसे भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से रोकने हेतु प्रतिबंधित या ब्लैकलिस्ट कर सकता है। यह कठोर नीति खरीद प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने हेतु आवश्यक है। भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता का संदेश देने से ही एक स्वच्छ और विश्वसनीय प्रशासनिक वातावरण का निर्माण संभव हो पाता है।

176. (A) अधिक नियम-आधारित और पारदर्शी प्रशासन।
2015 के खरीद नियम शासन में व्यक्तिगत विवेक के स्थान पर नियमों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने का एक ठोस प्रयास हैं। जब निर्णय पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर लिए जाते हैं, तो उनमें मानवीय पक्षपात और त्रुटि की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यह प्रणाली प्रशासन को अधिक पूर्वानुमानित और विश्वसनीय बनाती है। पारदर्शिता से जनता और व्यावसायिक संस्थाओं का सरकार में विश्वास बढ़ता है। यह सुधार दर्शाता है कि राज्य अपनी कार्यप्रणाली को अधिक पेशेवर और आधुनिक बना रहा है, जहाँ जवाबदेही केवल कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल रूप से भी दृश्यमान होती है। यह अंततः लोकतंत्र में सुशासन के स्तंभों को और अधिक सुदृढ़ करता है।

177. (B) ' सेवा उपार्जन'
विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा हेतु वाहन किराए पर लेना 'सेवा उपार्जन' का एक स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ विभाग किसी वाहन का मालिकाना हक क्रय नहीं कर रहा, बल्कि परिवहन की एक सेवा प्राप्त कर रहा है। इसके लिए विभाग को एक सेवा प्रदाता एजेंसी के साथ दरें निर्धारित करनी होती हैं। यह माल की खरीद से सर्वथा भिन्न है। सेवा उपार्जन के नियमों के अंतर्गत, विभाग को यह सुनिश्चित करना होता है कि एजेंसी विश्वसनीय हो और दरें बाजार के अनुकूल हों। इस प्रकार की लघु सेवाओं हेतु भी पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है ताकि

निर्मित करने में सहायता करते हैं, जिससे रोजगार सृजन और तकनीकी विकास को सीधी गति प्राप्त होती है।

148. (A) अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), सभी बोलीदाताओं को उचित अवसर सुनिश्चित करके।
2015 के खरीद नियम प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों को लागू करते हैं, जो विधि के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करता है। सरकारी खरीद में इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी योग्य नागरिक या फर्म को बिना किसी भेदभाव के निविदा में भाग लेने से नहीं रोक सकता। नियमों द्वारा स्थापित पारदर्शी और निष्पक्ष बोली प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि समस्त को समान अवसर प्राप्त हों। यदि सरकार पक्षपात करती है, तो उसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। यह वैधानिक ढांचा सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का वितरण केवल योग्यता और प्रतिस्पर्धा के आधार पर हो, जो लोकतांत्रिक सुशासन का आधार है।

149. (B) L1 - तकनीकी रूप से योग्य न्यूनतम बोलीदाता
खरीद शब्दावली में L1 का अर्थ है 'Lowest Bidder' अर्थात वह बोलीदाता जिसने न्यूनतम मूल्य उद्धृत किया है, बशर्ते वह तकनीकी रूप से भी योग्य हो। GeM सरकारी ऑनलाइन बाजार हेतु प्रयुक्त होता है और EMD निविदा में गंभीरता सुनिश्चित करने वाली जमा राशि है। PAC का उपयोग तब होता है जब वस्तु का केवल एक निर्माता उपलब्ध हो। प्रायः लोग भ्रमित हो जाते हैं, परंतु L1 पूर्णतः वित्तीय प्रस्ताव पर आधारित होता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि तकनीकी योग्यता एक प्राथमिक शर्त है और L1 की स्थिति केवल उन्हीं फर्मों के मध्य निर्धारित की जाती है जो इस प्रारंभिक बाधा को सफलतापूर्वक पार कर लेती हैं।

150. (B) 2015 के खरीद नियमों के सिद्धांतों का उल्लंघन।
2015 के खरीद नियम 'मांग के विभाजन' को कठोरता से वर्जित करते हैं। यदि कोई विभाग एक बड़ी खरीद को जानबूझकर लघु टुकड़ों में विभाजित करता है ताकि उसे खुली निविदा से बचाकर सीधे या सीमित निविदा से क्रय किया जा सके, तो यह नियमों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। इस प्रथा का उद्देश्य प्रायः उच्च अधिकारियों के पर्यवेक्षण या पारदर्शी प्रतिस्पर्धा से बचना होता है। नियमों के अनुसार, विभाग को अपनी वार्षिक आवश्यकता का आकलन कर एक साथ निविदा जारी करनी चाहिए। मांग को विभाजित करना पारदर्शिता को कम करता है और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ाता है, इसलिए लेखा-परीक्षण के दौरान इसे गंभीर अनियमितता माना जाता है।

151. (B) विस्तृत विनिर्देश, नियम और शर्तें, और मूल्यांकन मानदंड।
'बोली प्रलेख' निविदा प्रक्रिया की आधारशिला है। इसमें उस वस्तु या सेवा का विस्तृत विवरण होता है जिसे सरकार क्रय करना चाहती है। इसके साथ ही, इसमें बोलीदाताओं हेतु पात्रता मानदंड, भुगतान की शर्तें, प्रदाय का समय और चयन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से लिखित होती है। एक श्रेष्ठ बोली प्रलेख पारदर्शी होता है और इसमें अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह बोलीदाताओं को यह समझने में सहायता करता है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और मूल्यांकन कैसे होगा। यह प्रलेख अनुबंध का आधार बनता है और भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में एक विधिक प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो सुशासन हेतु आवश्यक है।

152. (D) गति, लागत और गुणवत्ता
2015 के खरीद नियमों का मुख्य दर्शन एक 'त्रिकोण' को संतुलित करना है: खरीद की गति, उसकी लागत और प्राप्त वस्तु या सेवा की गुणवत्ता। सरकार चाहती है कि परियोजनाओं में विलंब न हो, जनता के धन की बचत हो और जो भी क्रय किया जाए वह लंबे समय तक चले और मानकों के अनुरूप हो। प्रायः, अत्यंत कम लागत से गुणवत्ता निम्न हो सकती है या बहुत अधिक गुणवत्ता के कारण प्रक्रिया मंद हो सकती है। नियम ऐसी प्रक्रियाएं निर्धारित करते हैं जो इन तीनों के मध्य एक आदर्श संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे सरकारी कामकाज में अधिकतम दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके और सार्वजनिक धन का सदुपयोग हो।

153. (C) बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए।
सरकारी निविदाओं में समय की पाबंदी का अत्यंत महत्व है। 2015 के नियमों के अनुसार, यदि कोई बोलीदाता निविदा सूचना में निर्धारित अंतिम तिथि और समय के पश्चात अपनी बोली प्रस्तुत करता है, तो उसे 'विलंबित बोली' माना जाता है। ऐसी बोलियों को बिना खोले ही अस्वीकृत करना और बोलीदाता को वापस करना एक मानक और अनिवार्य प्रक्रिया है। यह नियम समस्त बोलीदाताओं के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु है। समय सीमा के पश्चात बोली स्वीकार करना अन्य उन बोलीदाताओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने समय पर अपनी बोलियां जमा की हैं, और इससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता पर गंभीर प्रश्न उठ सकते हैं।

154. (C) निविदा दस्तावेज के संबंध में संभावित बोलीदाताओं की शंकाओं को स्पष्ट करना।
'निविदा पूर्व सम्मेलन' बड़ी और जटिल खरीद प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य संभावित बोलीदाताओं को एक मंच प्रदान करना है जहाँ वे निविदा प्रलेख की तकनीकी या व्यावसायिक शर्तों के संबंध में प्रश्न पूछ सकें। विभाग इन शंकाओं का समाधान करता है और यदि आवश्यक हो, तो निविदा शर्तों में मामूली संशोधन भी जारी कर सकता है। यह बैठक सुनिश्चित करती है कि समस्त बोलीदाताओं को आवश्यकताओं की एक समान समझ हो, जिससे भविष्य में बोलियां निरस्त होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाती है और बेहतर गुणवत्ता वाली बोलियां प्राप्त करने में सहायता करती है, जो अंततः विभाग के हित में होती है।

155. (B) उत्पाद निर्दिष्ट न्यूनतम तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा।
तकनीकी मूल्यांकन चरण में, मुख्य ध्यान यह देखने पर होता है कि क्या प्रस्तावित वस्तु विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देशों को पूर्ण करती है। यदि कोई उत्पाद आवश्यक मानकों या गुणवत्ता आवश्यकताओं से थोड़ा भी निम्न पाया जाता है, तो उस बोली को तत्काल निरस्त कर दिया जाता है। इस चरण में कीमत

करना केवल एक प्रशासनिक कार्य माना जाता था, परंतु इस कानून ने इसे नागरिक का अधिकार बना दिया। इस 'मध्य प्रदेश मॉडल' की सफलता इतनी अधिक रही कि केंद्र सरकार और लगभग समस्त राज्यों ने इसी के आधार पर अपनी विधियां निर्मित कीं। यह अधिनियम भारतीय प्रशासनिक सुधारों के इतिहास में मील का पत्थर है जिसने 'सेवा का अधिकार' की अवधारणा को वास्तविक स्वरुप प्रदान किया।

186. (B) कवरेज के लिए सरकारी अधिसूचना द्वारा विशेष रुप से सूचीबद्ध सेवाएं।
2010 के अधिनियम के अंतर्गत 'अधिसूचित सेवा' का तात्पर्य उन विशिष्ट सरकारी सेवाओं से है जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित कर इस कानून के दायरे में लाती है। वर्तमान में इसमें सैकड़ों सेवाएं सम्मिलित हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विद्युत संयोजन और राशन कार्ड। प्रत्येक ऐसी सेवा हेतु एक समय सीमा और उत्तरदायी अधिकारी निर्धारित किया जाता है। समस्त सरकारी कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, केवल वे ही आते हैं जिन्हें सरकार ने स्पष्ट अधिसूचित किया है। यह सूची नागरिकों की आवश्यकताओं के आधार पर निरंतर विस्तारित की जाती है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

187. (D) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में न्याय सुनिश्चित करने हेतु दो स्तरों की अपील का प्रावधान है। यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है या उसे अभी भी सेवा प्राप्त नहीं हुई है, तो वह 'द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी' के समक्ष जा सकता है। यह प्राधिकारी मामले की सूक्ष्म जांच करता है और दोषी अधिकारी पर जुर्माना आरोपित करने की शक्ति भी रखता है। द्वितीय अपील का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि उच्च स्तर पर भी नागरिक की सुनवाई हो और अधिकारी अपनी लापरवाही को छिपा न सकें। यह अंतिम प्रशासनिक अपील होती है जो प्रायः वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों या कलेक्टर द्वारा सुनी जाती है।

188. (A) प्रथम या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी।
अधिनियम के अंतर्गत, दंड आरोपित करने का अधिकार अपीलीय प्राधिकारियों को प्रदत्त है। यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि पदाभिहित अधिकारी ने बिना किसी पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विलंब किया है या आवेदन अनुचित तरीके से निरस्त किया है, तो प्रथम या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी उस पर प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना आरोपित कर सकते हैं। यह दंड अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन से काटा जाता है। यह प्रावधान इस कानून की आत्मा है, क्योंकि आर्थिक दंड का भय ही अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु प्रेरित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून केवल कागजी न रहे बल्कि उसका वास्तविक क्रियान्वयन हो।

189. (C) जन्म प्रमाण पत्र जारी करना
जन्म प्रमाण पत्र उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है जिन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। यह एक ऐसी बुनियादी सेवा है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को होती है। इस कानून के अंतर्गत, स्थानीय निकायों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर यह प्रमाण पत्र निर्गत करना अनिवार्य है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों में मूल निवासी प्रमाण पत्र और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सम्मिलित हैं। ये सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं और इन्हें समयबद्ध बनाकर सरकार ने जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को न्यूनतम किया है और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई है।

190. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
पदाभिहित अधिकारी वह व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। निर्धारित समय सीमा वह अवधि है जिसके भीतर कार्य पूर्ण होना अनिवार्य है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी वह स्तर है जहाँ सेवा प्राप्त न होने पर प्रथम शिकायत की जाती है। शास्ति वह दंड या जुर्माना है जो दोषी अधिकारी पर आरोपित किया जाता है। यह मिलान अधिनियम के समस्त संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट करता है। इसमें प्रत्येक पक्ष की भूमिका और उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है ताकि नागरिक को ज्ञात हो कि उसे किसके पास जाना है और प्रक्रिया के विफल होने पर क्या परिणाम होंगे। यह स्पष्टता सुशासन का आधार है।

191. (C) अधिकारी के वेतन से
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की एक अत्यंत प्रभावशाली विशेषता यह है कि दोषी अधिकारी पर आरोपित किया गया जुर्माना सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता, बल्कि यह प्रत्यक्ष रूप से अधिकारी के व्यक्तिगत वेतन से काटा जाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को व्यक्तिगत रूप से गंभीरता से लें। सरकारी खजाने पर कोई भार नहीं पड़ता, बल्कि लापरवाही करने वाले को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। यह 'उत्तरदायित्व का सिद्धांत' अधिकारियों के मध्य कार्य संस्कृति को परिष्कृत करने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है। इससे यह संदेश प्राप्त होता है कि जनता के प्रति लापरवाही अब स्वीकार्य नहीं होगी।

192. (B) सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी का अधिकार
2010 का अधिनियम मध्य प्रदेश के नागरिकों को यह वैधानिक अधिकार प्रदान करता है कि वे सरकार से अधिसूचित सेवाओं की समयबद्ध प्रदाय की मांग कर सकें। यह मात्र एक प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि एक विधिक अधिकार है। यदि कोई नागरिक आवेदन करता है, तो सरकार उसे यह सूचित करने हेतु बाध्य है कि उसका कार्य कब तक पूर्ण होगा। यह कानून नागरिक को एक याचक से परिवर्तित कर दावेदार बना देता है। यह अधिकार लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है क्योंकि यह प्रशासन में पारदर्शिता लाता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है कि वे अपने अधिकार हेतु विधि का आश्रय ले सकें और अधिकारियों से जवाब मांग सकें।

193. (B) प्रतिकर लागत
यह अधिनियम न केवल दोषी अधिकारियों को दंडित करता है, बल्कि यह उस नागरिक के नुकसान की भरपाई भी करता है जिसे सेवा प्राप्त करने में मानसिक या आर्थिक क्लेश हुआ है। द्वितीय

अंकुश लगाया जा सके। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे विशेष विधिक श्रेणी में रखा गया है।

253. (D) 2021 के अधिनियम में विशेष रूप से विवाह के माध्यम से धर्मांतरण को संबोधित करने वाले प्रावधान शामिल हैं और इसमें काफी अधिक दंड है।
2021 का अधिनियम 1968 के पुराने कानून की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और कठोर है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन 'धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह' को लेकर है, जिसे अब विशेष रूप से विनियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नवीन कानून में कारावास की अवधि और जुर्माने की राशि में अत्यधिक वृद्धि की गई है। पुराने कानून में सजा न्यून थी और सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया भी इतनी विस्तृत नहीं थी। 2021 का कानून सामूहिक धर्मांतरण और समाज के निर्बल वर्गों के धर्मांतरण पर भी अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह विधायी परिवर्तन आधुनिक समय में धर्मांतरण से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

254. (B) दो या दो से अधिक व्यक्तियों का धर्मांतरण।
अधिनियम के अंतर्गत 'सामूहिक धर्मांतरण' की परिभाषा अत्यंत कठोर रखी गई है। यदि एक ही समय और स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का गैर-कानूनी तरीके से धर्मांतरण किया जाता है, तो उसे सामूहिक धर्मांतरण स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए सजा सामान्य धर्मांतरण की तुलना में बहुत अधिक निर्धारित है। सामूहिक धर्मांतरण को प्रायः एक संगठित प्रयास के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक शांति हेतु बड़ा संकट हो सकता है। यदि कोई संगठन ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के साथ पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। यह प्रावधान सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले समूहों पर अंकुश लगाता है।

255. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2021 का अधिनियम किसी भी धार्मिक धर्मांतरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य बनाता है। यह नियम केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह अधिनियम के 'नियामक ढांचे' का केंद्रीय भाग है। पूर्व घोषणा करने से सरकार को यह समीक्षा करने का अवसर प्राप्त होता है कि धर्मांतरण वास्तव में स्वैच्छिक है या नहीं। यदि कोई बिना सूचना के धर्मांतरण करता है, तो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और वह दंड का पात्र हो सकता है। यह प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बलपूर्वक धर्मांतरण की संभावनाओं को समाप्त करने हेतु निर्मित है। यह घोषणा राज्य हेतु निगरानी का प्रभावी विधिक माध्यम है।

256. (B) दो वर्ष
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग, महिला, या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति का गैर-कानूनी तरीके से धर्मांतरण करने का दोषी पाया जाता है, तो उसके लिए न्यूनतम कारावास की अवधि दो वर्ष निर्धारित है। हालांकि, मामले की गंभीरता के आधार पर यह सजा अधिकतम दस वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है। इसके साथ ही भारी आर्थिक जुर्माने का भी प्रावधान है। यह न्यूनतम सजा का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अपराधियों को समाज के इन वर्गों के प्रति संवेदनशील रहने और उनके साथ किसी भी प्रकार के धार्मिक शोषण से बचने हेतु विधि का स्पष्ट और प्रभावी भय बना रहे।

257. (A) धार्मिक स्वतंत्रता
अधिनियम के शीर्षक में प्रयुक्त 'धर्म स्वातंत्र्य' शब्द का सीधा अर्थ 'धार्मिक स्वतंत्रता' है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, यह अधिनियम इस तर्क पर आधारित है कि 'स्वतंत्रता' में बलपूर्वक या धोखे से धर्म परिवर्तित करने की अनुमति सम्मिलित नहीं है। अतः, 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम' का नाम यह संकेत प्रदान करता है कि यह कानून व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु निर्मित किया गया है, ताकि उसे किसी अनुचित प्रभाव में आकर अपना विश्वास परिवर्तित करने हेतु विवश न किया जा सके। यह शीर्षक कानून के दार्शनिक आधार को स्पष्ट करता है।

258. (A) निजता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25)
इस अधिनियम के आलोचक प्रायः यह तर्क देते हैं कि धर्मांतरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना व्यक्ति की 'निजता के अधिकार' का उल्लंघन है। वे यह भी कहते हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदत्त 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार' को बाधित करता है, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत निर्णय को राज्य की निगरानी के अधीन कर देता है। इसके अतिरिक्त, विवाह जैसे व्यक्तिगत मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल माना जा सकता है। यह विधिक बहस व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के दावों के मध्य चल रहे गहरे वैचारिक संघर्ष को पूरी तरह परिलक्षित करती है।

259. (D) अधिनियम के तहत एक अलग दंडनीय अपराध।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 केवल गैर-कानूनी धर्मांतरण को ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया के दौरान मिथ्या सूचना देने को भी गंभीरता से लेता है। यदि कोई व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई पूर्व घोषणा में अपनी पहचान या परिस्थितियों के संबंध में जानबूझकर कोई गलत जानकारी प्रदान करता है, तो यह कृत्य स्वयं में एक स्वतंत्र अपराध है। इसके लिए पृथक से सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह नियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी विधिक प्रक्रिया सत्यता पर आधारित है। गलत जानकारी देना प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास माना जाता है, इसलिए इसे कठोर सजा के माध्यम से हतोत्साहित किया गया है ताकि व्यवस्था बनी रहे।

260. (A) केवल 3
2021 के अधिनियम के अंतर्गत केवल वे कार्य दंडनीय हैं जहाँ बल, कपट या प्रलोभन का प्रयोग किया गया हो। किसी कर्मचारी को पद से पृथक करने की धमकी देकर धर्मांतरण हेतु विवश करना 'जबरदस्ती' की श्रेणी में आता है, जो स्पष्ट रूप से अवैध और दंडनीय है। इसके विपरीत, गहन अध्ययन के पश्चात

और मुआवजे के प्रावधान नागरिक की विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि राज्य अपने वचन को पूर्ण करने हेतु गंभीर है। यह सुशासन की दिशा में ठोस ढांचा है।

201. (C) सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति और नागरिकों में जागरूकता पर।
किसी भी कानून की सफलता उसके वास्तविक कार्यान्वयन से मापी जाती है। 2010 के इस अधिनियम की सफलता हेतु सरकार की सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है ताकि दोषी अधिकारियों पर बिना किसी पक्षपात के कार्यवाही हो सके। साथ ही, नागरिकों का जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है; यदि जनता को अपने अधिकारों और अपील की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा, तो अधिकारी निरंकुश बने रहेंगे। व्यापक प्रचार-प्रसार और प्रशासनिक सहयोग ही इस अधिनियम को एक जीवंत उपकरण बना सकते हैं। जब नागरिक अपने अधिकारों हेतु खड़े होते हैं, तभी शासन प्रणाली में वास्तविक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकती है, जो लोकतंत्र का आधार है।

202. (A) पदाभिहित अधिकारी -> प्रथम अपीलीय प्राधिकारी -> द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी
अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण का पदानुक्रम अत्यंत सरल और व्यवस्थित है। नागरिक सर्वप्रथम 'पदाभिहित अधिकारी' के समक्ष अपनी सेवा हेतु आवेदन करता है। यदि वहां से कार्य पूर्ण नहीं होता, तो वह अपने से वरिष्ठ स्तर के 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' के पास प्रथम अपील प्रस्तुत करता है। यदि वहां भी संतोषजनक समाधान प्राप्त नहीं होता, तो वह 'द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी' के समक्ष जा सकता है, जिसके पास जुर्माना आरोपित करने और मुआवजे का आदेश देने की अंतिम प्रशासनिक शक्ति निहित है। यह क्रमिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि शिकायतों का निपटान पदानुक्रम के अनुसार हो और उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थों पर दृष्टि रख सकें।

203. (D) यह सुनिश्चित करना कि अधिकारी आवेदन का निपटान करने के लिए निरंतर दबाव महसूस करे।
अधिनियम के अंतर्गत प्रतिदिन के दंड का प्रावधान एक मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी रणनीति है। जब अधिकारी को ज्ञात होता है कि प्रत्येक दिन का विलंब उसके वेतन से राशि कम कर रहा है, तो वह कार्य को टालने के स्थान पर उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास करता है। यह प्रणाली विलंब की लागत को अधिकारी हेतु व्यक्तिगत और वास्तविक बना देती है। यह केवल एक बार का जुर्माना नहीं है, बल्कि एक संचयी भार है जो कार्य पूर्ण होने तक निरंतर बढ़ता रहता है। यह निरंतर दबाव प्रशासनिक जड़ता को तोड़ने का श्रेष्ठ माध्यम सिद्ध हुआ है, जिससे फाइलों के निपटान की गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

204. (A) प्रशासनिक सुधार
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों में से एक स्वीकार किया जाता है। इसने सरकारी कार्यालयों के कार्य करने की पद्धति को आधारभूत रूप से परिवर्तित कर दिया है। यह सुधार नौकरशाही की मानसिकता को 'नियंत्रण' से परिवर्तित कर 'सेवा' की ओर ले जाता है। प्रक्रिया को सरल बनाकर और जवाबदेही सुनिश्चित कर इसने लालफीताशाही को न्यूनतम किया है। यह कानून तकनीक और ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होता है। संक्षेप में, यह अधिनियम एक ऐसी पारदर्शी और दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखता है जो जनता की सेवा हेतु समर्पित है।

205. (C) 2, 4, 1, 3
इस अधिनियम के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में संचालित होती है। सर्वप्रथम, नागरिक 'पदाभिहित अधिकारी को आवेदन' प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात, वह प्रतीक्षा करता है और यदि 'निर्धारित समय सीमा' समाप्त हो जाती है, तो उसके पास शिकायत का विधिक आधार निर्मित होता है। फिर वह 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील' करता है ताकि उसे सेवा प्राप्त हो सके। अंत में, यदि वहां भी कार्य पूर्ण नहीं होता, तो वह 'द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील' कर सकता है जहाँ दंड और अंतिम आदेश निर्गत किए जाते हैं। यह तार्किक क्रम नागरिक को न्याय प्राप्त करने हेतु एक स्पष्ट और व्यवस्थित मार्ग प्रदान करता है।

206. (D) यह एक राज्य कानून है जो नागरिकों के लिए एक वैधानिक अधिकार बनाता है।
यह अधिनियम मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित एक राज्य-विशिष्ट विधि है। इसकी प्रकृति वैधानिक है, जिसका अर्थ है कि यह नागरिकों को ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिन्हें अपीलीय निकायों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यह केवल सरकार का कोई आदेश नहीं है, बल्कि एक बाध्यकारी विधि है। यह नागरिकों को एक विधिक कवच प्रदान करता है जिसके उल्लंघन पर शासकीय अधिकारियों को विधिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वैधानिक अधिकार होने के कारण, यह सरकार परिवर्तित होने पर भी तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि इसे विधिवत संशोधित न किया जाए। यह निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करता है जो एक परिपक्व शासन की पहचान है।

207. (B) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करना।
यदि किसी किसान को निर्धारित समय के भीतर भूमि अभिलेख की प्रति प्राप्त नहीं होती, तो उसे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत उसका प्रथम और प्रभावी विधिक चरण 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' के समक्ष अपील करना है। यह प्राधिकारी उसी विभाग का वरिष्ठ अधिकारी होता है जो पदाभिहित अधिकारी को तत्काल अभिलेख निर्गत करने का आदेश दे सकता है। चूंकि समय सीमा व्यतीत हो चुकी है, इसलिए यह अपील तत्काल स्वीकार्य है। यह प्रक्रिया त्वरित और निशुल्क है, जिसे विशेष रूप से किसानों और आम नागरिकों की सुविधा हेतु निर्मित किया गया है ताकि उन्हें उनके विधिक प्रलेखों हेतु अनावश्यक विलंब न सहना पड़े।

238. (C) आधिकारिक सरकारी पोर्टल या स्थानीय तहसील/कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड की जांच करके।
नागरिक सूचना हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत 'लोक सेवा गारंटी' का समर्पित सरकारी पोर्टल और स्थानीय सरकारी कार्यालय हैं। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाइन डैशबोर्ड उपलब्ध कराया है जहाँ कोई भी व्यक्ति अधिसूचित सेवाओं की सूची और संबंधित अधिकारियों के विवरण देख सकता है। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर कार्यालय और तहसीलों में लगे सूचना पटल भी आम नागरिकों हेतु सुलभ जानकारी प्रदान करते हैं। आरटीआई की तुलना में यह जानकारी अधिक सुगमता से और निःशुल्क उपलब्ध है क्योंकि यह 'स्वतः प्रकटीकरण' की श्रेणी में आती है। जागरूक नागरिक इन माध्यमों का उपयोग कर अपने अधिकारों की रक्षा प्रभावी ढंग से कर सकते हैं।

239. (D) जमीनी स्तर पर कार्यपालिका से जवाबदेही की मांग करना।
2010 का अधिनियम आम नागरिक के हाथ में एक ऐसा विधिक उपकरण प्रदान करता है जिससे वह प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका को जवाबदेह ठहरा सकता है। यह बड़े नीतिगत निर्णयों के स्थान पर जमीनी स्तर की उन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो आम आदमी के जीवन को दैनिक प्रभावित करती हैं। एक साधारण किसान या श्रमिक भी इस कानून के माध्यम से एक बड़े अधिकारी से प्रश्न पूछ सकता है कि उसका कार्य समय पर क्यों पूर्ण नहीं हुआ। यह 'जमीनी लोकतंत्र' को सुदृढ़ करता है क्योंकि यह शक्ति के केंद्र को कार्यालयों से हटाकर जनता की ओर ले जाता है। यह नागरिक को प्रशासन का वास्तविक हिस्सेदार और सक्रिय निरीक्षक बनाता है।

240. (B) "यदि सेवा समय पर प्रदान नहीं की जाती है, तो अधिकारी को इसकी कीमत चुकानी होगी।"
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का दर्शन अत्यंत सरल और कठोर है: "समयबद्ध सेवा नागरिक का अधिकार है और उसमें विलंब हेतु अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही है।" यह कानून 'परिणामों के लिए उत्तरदायित्व' के विचार को स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकारी पद कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक गंभीर जिम्मेदारी है। अधिकारी की लापरवाही की कीमत अब केवल नागरिक को नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि उसका आर्थिक भार प्रत्यक्ष अधिकारी के वेतन पर पड़ता है। यह दर्शन ही राज्य के प्रशासन में पारदर्शिता, गति और ईमानदारी सुनिश्चित करने का सर्वाधिक प्रभावी और वास्तविक सूत्र सिद्ध हुआ है, जो सुशासन का आधार है।

241. (B) मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 ने राज्य के पुराने 'मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968' को प्रतिस्थापित किया है। पुराने कानून में धर्मांतरण के नियम इतने कठोर नहीं थे और दंड के प्रावधान भी अपेक्षाकृत न्यून थे। समय के साथ धर्मांतरण के पद्धतियों में आए परिवर्तनों और प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मांतरणों की चुनौतियों से निपटने हेतु सरकार ने एक अधिक सख्त कानून की आवश्यकता अनुभव की। 2021 का यह नवीन अधिनियम न केवल दंड में वृद्धि करता है, बल्कि इसमें विवाह के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण और घोषणा की प्रक्रियाओं को लेकर भी विस्तृत और कठोर प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं, जो सुदृढ़ता प्रदान करते हैं।

242. (A) बल, कपट या प्रलोभन के माध्यम से गैर-कानूनी धर्मांतरण को रोकना।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करना है। यह कानून विशेष रूप से उन धर्मांतरणों को रोकने हेतु निर्मित किया गया है जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के स्थान पर बल, मिथ्या निरूपण, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के माध्यम से किए जाते हैं। सरकार का तर्क है कि इस प्रकार के धर्मांतरण न केवल व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि वे सामाजिक समरसता और सार्वजनिक व्यवस्था हेतु भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं। अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक धार्मिक परिवर्तन पूर्णतः स्वैच्छिक, पारदर्शी और विधि के दायरे में ही संपन्न किया जाए।

243. (D) अपनी स्वतंत्र इच्छा से और बिना किसी प्रलोभन के धर्मांतरण
2021 के अधिनियम के अंतर्गत केवल उन्हीं धर्मांतरणों को अपराध माना जाता है जो अनुचित और गैर-कानूनी साधनों से किए गए हों। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा, गहन अध्ययन या व्यक्तिगत विश्वास के कारण धर्म परिवर्तन करता है और इसमें किसी प्रकार का दबाव या लालच सम्मिलित नहीं है, तो उसे अवैध नहीं माना जाता। हालांकि, अधिनियम ने इसके लिए भी एक निश्चित प्रशासनिक प्रक्रिया (जैसे जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना) अनिवार्य की है। 'गैर-कानूनी' शब्द में जबरदस्ती या झूठ बोलकर कराए गए धर्मांतरण सम्मिलित हैं। यह कानून स्वेच्छा से धर्म चुनने के अधिकार का सम्मान करता है, बशर्ते वह निर्धारित विधिक प्रक्रियाओं के भीतर हो।

244. (D) उन्हें कम से कम साठ दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र जमा करना होगा।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है, तो उसे कम से कम 60 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को एक औपचारिक घोषणा पत्र सौंपना अनिवार्य है। इस घोषणा में उसे यह स्पष्ट करना होता है कि वह बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा से धर्मांतरण कर रहा है। इसी प्रकार, धर्मांतरण कराने वाले धार्मिक पुजारी को भी 60 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। इस पूर्व सूचना का उद्देश्य प्रशासन को मामले की जांच करने का समय प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धर्मांतरण विधिक है। इस नियम का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

245. (D) किसी नाबालिग, महिला, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से।
2021 का अधिनियम समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से कठोर दंड का प्रावधान करता है। यदि गैर-

अनुकूल बनाना रहा है। सरकार ने इसमें नवीन उभरती सेवाओं को सम्मिलित किया है और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर भौतिक कार्यालयों के चक्कर न्यूनतम किए हैं। ऑनलाइन निगरानी प्रणालियों को और अधिक सुदृढ़ किया गया है ताकि अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित मामलों का वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध रहे। ये संशोधन इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार अपनी सेवा वितरण प्रणाली को लगातार आधुनिक बनाने और नागरिकों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

216. (D) प्रत्येक आवेदक के लिए सरकारी नौकरी की गारंटी
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी की गारंटी प्रदान करता है, न कि सरकारी नियोजन की। यह कानून प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सशक्तीकरण से संबंधित है। इसकी मुख्य विशेषताओं में सेवाओं की समय सीमा निर्धारित करना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और लापरवाही हेतु दंड का प्रावधान सम्मिलित है। यह जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या लाइसेंस जैसी सेवाएं प्राप्त करने को एक विधिक अधिकार बनाता है। रोजगार की गारंटी हेतु अन्य योजनाएं हो सकती हैं, परंतु इस विशिष्ट अधिनियम का विस्तार केवल शासन के नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण पक्ष को सुधारने और उसमें पारदर्शिता लाने तक ही सीमित है।

217. (B) जवाबदेह
2010 का अधिनियम नागरिक और सरकारी अधिकारी के मध्य के पारंपरिक संबंधों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। इससे पूर्व, अधिकारी स्वयं को एक शासक के रूप में देख सकता था, परंतु इस कानून के लागू होने के पश्चात वह नागरिक के प्रति पूर्णतः जवाबदेह हो गया है। अब उसकी सफलता इस आधार पर मापी जाती है कि उसने कितनी कुशलता से जनता की सेवा की है। यह कानून 'लोक सेवक' शब्द के वास्तविक अर्थ को चरितार्थ करता है। जब अधिकारी को ज्ञात होता है कि उसकी लापरवाही पर विधिक प्रश्न उठाए जा सकते हैं, तो उसका व्यवहार अधिक विनम्र और सहायक हो जाता है। यह परिवर्तन एक जीवंत लोकतंत्र हेतु अत्यंत आवश्यक है।

218. (B) अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के पास
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का विस्तार करने की अंतिम शक्ति राज्य सरकार के पास सुरक्षित है। सरकार राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नवीन सेवाओं को इस कानून के दायरे में ला सकती है या वर्तमान सेवाओं की समय सीमा में परिवर्तन कर सकती है। यह सरकार को लचीलापन प्रदान करता है कि वह प्रशासन की परिवर्तित क्षमताओं और तकनीकी प्रगति के अनुसार इस कानून को और अधिक प्रभावी बना सके। उदाहरण हेतु, नवीन डिजिटल सेवाओं के आने पर उन्हें तत्काल अधिसूचित किया जा सकता है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि अधिनियम सदैव प्रासंगिक बना रहे और समाज के विभिन्न वर्गों की नवीन आवश्यकताओं को समयबद्ध पूर्ण कर सके।

219. (D) सार्वजनिक सेवा
अधिनियम के शीर्षक में 'लोक सेवा' शब्द का तात्पर्य उन समस्त कार्यों और प्रलेखों से है जो सरकार अपने नागरिकों को प्रदान करती है। इसमें प्रशासनिक और कल्याणकारी सेवाएं सम्मिलित हैं जिनका प्रत्यक्ष संबंध आम जनता के दैनिक जीवन से है। यह शब्द इस बात पर बल देता है कि सरकारी तंत्र का अस्तित्व केवल शासन हेतु नहीं, बल्कि नागरिकों की 'सेवा' हेतु है। 'लोक सेवा के प्रदान की गारंटी' का अर्थ है कि सरकार इन सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को पूरी गंभीरता से लेती है। यह वाक्यांश सरकारी कार्यप्रणाली के सेवा-उन्मुख होने के संवैधानिक विजन को वैधानिक मजबूती प्रदान करता है, जिससे शासन अधिक नागरिक-केंद्रित बनता है।

220. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
आवेदक वह नागरिक है जो सेवा प्राप्त करना चाहता है, और वह इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। राज्य सरकार वह मुख्य निकाय है जो सेवाओं, उनकी समय सीमा और उत्तरदायी अधिकारियों को अधिसूचित कर कानून को क्रियान्वित करती है। पदाभिहित अधिकारी वह जमीनी स्तर का कर्मचारी है जो वास्तव में आवेदन प्राप्त कर सेवा प्रदान करता है। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी वह उच्च अधिकारी है जो अंतिम प्रशासनिक अपील सुनता है और दंड के संबंध में निर्णय लेता है। यह व्यवस्थित मिलान अधिनियम के कार्यान्वयन में सम्मिलित विभिन्न हितधारकों के मध्य के कार्यात्मक संबंधों को स्पष्ट परिभाषित करता है, जो पारदर्शी शासन हेतु अनिवार्य है।

221. (A) राज्य सरकार के खजाने में
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत दोषी अधिकारी पर आरोपित किया गया जुर्माना राज्य सरकार के खजाने में संचित किया जाता है। हालांकि आवेदक को मुआवजे का प्रावधान है, परंतु दंड की मूल राशि सरकारी राजस्व का भाग बनती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि अधिकारी की लापरवाही का आर्थिक परिणाम प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा वसूला जाए। यह अधिकारी हेतु एक सुदृढ़ निवारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके वेतन से काटा गया धन अब लोक कल्याण हेतु सरकार के पास चला गया है। यह प्रावधान प्रशासनिक अनुशासन को वित्तीय दंड से जोड़कर सुस्ती पर प्रभावी अंकुश लगाने में सहायक है।

222. (B) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को जमा किया जाता है।
समय सीमा की गणना उस तिथि से प्रारंभ होती है जब आवेदक एक पूर्ण आवेदन, समस्त आवश्यक प्रलेखों के साथ, अधिकृत केंद्र या अधिकारी को सौंपता है। आवेदन जमा करने पर प्राप्त होने वाली रसीद ही इस तथ्य का विधिक प्रमाण होती है। यदि आवेदन अपूर्ण है, तो अधिकारी को उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए या तत्काल त्रुटि बतानी चाहिए। एक बार आवेदन स्वीकार होने के पश्चात, समय की गणना प्रारंभ हो जाती है और अधिकारी को निर्धारित दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करना होता है। यह स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रक्रिया में

208. (A) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम द्वारा बनाए गए विशिष्ट और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किया जाए।

अधिनियम में सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को वर्जित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सेवा प्रदाय के मामलों को उलझाने के स्थान पर शीघ्रता से सुलझाया जाए। यदि ये मामले नियमित न्यायालयों में जाएंगे, तो वहां की लंबी प्रक्रिया के कारण समयबद्धता का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अधिनियम ने अपना स्वयं का एक स्वतंत्र और तीव्र अपीलीय तंत्र निर्मित किया है जो विशेषज्ञता के साथ केवल इन्हीं मामलों की समीक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक को वर्षों तक न्यायालय के चक्कर न काटने पड़ें। यह विशेष व्यवस्था प्रशासनिक न्याय को सुलभ, अल्पव्ययी और अत्यंत तीव्र बनाती है, जो इस पूरे कानून की मूल भावना है।

209. (C) वाद की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय के

मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारियों को महत्वपूर्ण विधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। जब वे किसी अपील की सुनवाई कर रहे होते हैं, तो उनके पास 'सिविल न्यायालय' के समान शक्तियां निहित होती हैं। इसका तात्पर्य है कि वे किसी व्यक्ति को सम्मन प्रेषित कर सकते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कह सकते हैं और प्रलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। यह उन्हें केवल एक प्रशासनिक अधिकारी से ऊपर उठाकर एक अर्ध-न्यायिक भूमिका प्रदान करता है। इन शक्तियों के कारण ही वे प्रभावी ढंग से जांच कर सकते हैं और दोषी अधिकारियों को दंडित कर सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अपीलीय प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए।

210. (C) इसने प्रशासन में जवाबदेही और नागरिक-केंद्रितता की संस्कृति पेश की है।

2010 के अधिनियम का सर्वाधिक गहरा प्रभाव मध्य प्रदेश की कार्य संस्कृति पर पड़ा है। इसने नौकरशाही के भीतर जनता के प्रति जवाबदेही का भाव उत्पन्न किया है। अब अधिकारी यह जानते हैं कि नागरिक के पास उनके कार्य पर प्रश्न उठाने का विधिक अधिकार है। इसने प्रशासन को 'प्रक्रिया-केंद्रित' के स्थान पर 'परिणाम-केंद्रित' बनाया है। अब मुख्य ध्यान इस तथ्य पर है कि सेवा नागरिक तक समय पर पहुँची या नहीं। यह परिवर्तन सुशासन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने नागरिकों को सशक्त बनाया है और प्रशासन को अधिक संवेदनशील और मानवीय स्वरूप प्रदान किया है। इससे लोकतंत्र जमीनी स्तर पर और अधिक सुदृढ़ हुआ है।

211. (D) उपरोक्त सभी

मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 वास्तव में 'अधिकार-आधारित शासन' के व्यापक ढांचे का एक अभिन्न अंग है। यह सूचना का अधिकार का पूरक है क्योंकि सूचना प्राप्ति के पश्चात सेवा प्राप्त करना अगला तार्किक चरण है। यह खाद्य सुरक्षा और शिक्षा के अधिकारों को भी मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि ये सेवाएं तभी प्रभावी होंगी जब इनका वितरण समय पर सुनिश्चित हो। ये समस्त विधियां मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करती हैं जहाँ नागरिक की आधारभूत आवश्यकताएं केवल शासकीय अनुकंपा पर नहीं, बल्कि उसके विधिक अधिकार पर टिकी होती हैं। यह समेकित दृष्टिकोण सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण को वास्तविकता प्रदान करता है।

212. (B) नहीं, अधिनियम दंड लगाने से पहले अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने का प्रावधान करता है।

यह अधिनियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करता है। यदि किसी सेवा में विलंब होता है, तो अधिकारी को दंडित करने से पूर्व अपीलीय प्राधिकारी उसे अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है। यदि अधिकारी यह प्रमाणित कर देता है कि विलंब उसके नियंत्रण से बाहर के अपरिहार्य कारणों से हुआ था, तो उस पर जुर्माना आरोपित नहीं किया जाता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कानून निष्पक्ष रहे और ईमानदार अधिकारियों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित न किया जाए। यह प्रशासन में उचित संतुलन बनाए रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक लापरवाही या जानबूझकर किए गए विलंब को ही दंडित किया जाए।

213. (D) शासन नवाचार की कथित सफलता और हस्तांतरणीयता।

मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ किए गए लोक सेवा गारंटी मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जाना यह प्रमाणित करता है कि यह एक सफल शासन नवाचार है। यह मॉडल सरल, प्रभावी और परिणामोन्मुखी है, जिससे यह किसी भी प्रशासनिक ढांचे में सुगमता से समाहित हो सकता है। इसकी सफलता ने यह सिद्ध किया कि विधि के माध्यम से सरकारी सेवा को जवाबदेह बनाना संभव है। अन्य राज्यों ने इसे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार परिष्कृत किया, परंतु मूल विचार वही रहा। यह भारतीय संघीय ढांचे के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ एक राज्य की श्रेष्ठ पहल पूरे राष्ट्र हेतु एक मानक बन गई है।

214. (D) पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

पारदर्शिता और जन जागरूकता इस अधिनियम की सफलता की कुंजी हैं। अतः, नियमों के अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक 'सूचना पटल' होना अनिवार्य है, जिस पर अधिसूचित सेवाओं की सूची, उनके लिए निर्धारित समय सीमा और उत्तरदायी अधिकारियों के नाम स्पष्ट लिखित हों। यह जानकारी नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति तत्काल सचेत करती है और उसे ज्ञात होता है कि उसे किसके पास आवेदन करना है। यदि यह जानकारी छिपाई जाती है, तो यह कानून की भावना के प्रतिकूल है। सार्वजनिक प्रदर्शन यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी भी अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहें क्योंकि उनकी जिम्मेदारी अब सार्वजनिक रूप से घोषित है।

215. (A) अधिक सेवाओं को शामिल करना, तकनीक का लाभ उठाना और प्रक्रिया को परिष्कृत करना।

मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम एक जीवंत विधि है जो समय के साथ निरंतर विकसित हुई है। पिछले वर्षों में किए गए संशोधनों का मुख्य उद्देश्य इसे और अधिक नागरिक-

भ्रष्टाचार एक जटिल समस्या है जो केवल एक विधि से समाप्त नहीं हो सकती। फिर भी, इस अधिनियम ने भ्रष्टाचार की गुंजाइश को अत्यंत कम कर दिया है और बिचौलियों के प्रभाव को सीमित किया है। यह शासन प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा और प्रभावी चरण है।

231. (D) नागरिक अधिकार-पत्र
'नागरिक अधिकार-पत्र' वह प्रलेख है जिसमें विभाग अपने कार्यों और समय सीमा की घोषणा करता है, परंतु पूर्व के चार्टर्स में कोई विधिक शक्ति नहीं थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 ने इन चार्टर्स के सिद्धांतों को एक 'विधिक मजबूती' प्रदान की है। अब समय सीमा केवल एक वचन नहीं, बल्कि एक वैधानिक बाध्यता है जिसके उल्लंघन पर दंड मिलता है। यह कानून नागरिक अधिकार-पत्र के आदर्शों को वास्तविक धरातल पर उतारता है। यह स्वैच्छिक घोषणा को एक अनिवार्य विधिक गारंटी में परिवर्तित कर देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विभाग केवल वादे न करें बल्कि उन्हें एक निश्चित समय में पूर्ण भी करें।

232. (B) संभव है, क्योंकि भूमिकाएं विशिष्ट हैं और विशेष सेवा और प्रशासनिक पदानुक्रम पर निर्भर करती हैं।
प्रशासनिक ढांचे में एक ही अधिकारी पृथक सेवाओं हेतु पृथक भूमिकाएं निभा सकता है। उदाहरण हेतु, एक तहसीलदार 'आय प्रमाण पत्र' हेतु पदाभिहित अधिकारी हो सकता है, परंतु किसी अन्य लघु सेवा हेतु वह 'प्रथम अपीलीय प्राधिकारी' के रूप में कार्य कर सकता है। यह पूर्णतः सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करता है। यह व्यवस्था प्रशासनिक संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु की गई है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक ही सेवा हेतु एक ही व्यक्ति जांचकर्ता और अपीलीय अधिकारी न हो, ताकि हितों का टकराव न हो। यह भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन अधिनियम के प्रभावी और सुव्यवस्थित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में सहायक है।

233. (D) गुणवत्ता और समयबद्धता
हालांकि अधिनियम मुख्य रूप से समयबद्धता पर केंद्रित है, परंतु इसकी पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करना है। जब सेवाएं समय पर और बिना किसी बाधा के प्राप्त होती हैं, तो प्रशासन की समग्र गुणवत्ता में परिष्कार होता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि नागरिक को जो प्रलेख या लाभ प्राप्त हो, वह मानक के अनुरूप हो। समय की पाबंदी अधिकारियों को अधिक पेशेवर बनने हेतु विवश करती है, जिससे उनके कार्यों की गुणवत्ता स्वतः बढ़ती है। समयबद्धता और गुणवत्ता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; एक कुशल प्रशासन हेतु इन दोनों का होना अनिवार्य है, जो अंततः सुशासन का मुख्य आधार बनते हैं।

234. (B) यदि सेवा उचित रूप में या सही सामग्री के साथ प्रदान नहीं की जाती है तो अपील दायर की जा सकती है।
अधिनियम न केवल यह सुनिश्चित करता है कि सेवा 'कब' प्राप्त हो, बल्कि यह भी कि वह 'कैसे' और 'किस स्वरूप' में प्राप्त हो। यदि किसी नागरिक को राशन कार्ड प्राप्त होता है परंतु उसमें जानकारी त्रुटिपूर्ण है, तो इसे पूर्ण सेवा नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जा सकता है। अपीलीय प्राधिकारी यह समीक्षा कर सकता है कि क्या सेवा वास्तव में पूर्ण और दोषरहित है। इस प्रकार, 'सेवा का प्रदान' शब्द में गुणवत्ता का आयाम अंतर्निहित है। गुणवत्ता सुनिश्चित करना अधिकारी का उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना कि समय सीमा का पालन करना, क्योंकि एक दोषपूर्ण सेवा नागरिक हेतु अनुपयोगी होती है।

235. (D) एक नियम-आधारित, जवाबदेह शासन प्रणाली
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का निर्माण एक 'नियम-आधारित' समाज की स्थापना हेतु किया गया है जहाँ सरकारी कार्य किसी व्यक्ति की इच्छा पर नहीं, बल्कि पूर्व-निर्धारित नियमों और समय सीमा के अनुसार होते हैं। यह अधिनियम प्रशासन को जवाबदेह बनाता है क्योंकि प्रत्येक विलंब हेतु किसी न किसी को जिम्मेदारी वहन करनी पड़ती है। यह 'विधि के शासन' को सुदृढ़ करता है क्योंकि यह समस्त नागरिकों हेतु समान व्यवहार और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। यह प्रणाली भ्रष्टाचार को हतोत्साहित करती है और एक ऐसी विश्वसनीय शासन प्रणाली निर्मित करती है जहाँ नागरिक को ज्ञात होता है कि उसके अधिकारों की रक्षा विधि द्वारा की जाएगी।

236. (D) विभागीय/प्रशासनिक
अधिनियम के अंतर्गत अधिकारी पर आरोपित किया गया जुर्माना एक 'विभागीय या प्रशासनिक' कार्यवाही है। इसका उद्देश्य अधिकारी को कारावास भेजना नहीं बल्कि उसके प्रशासनिक प्रदर्शन को परिष्कृत करना और उसे अनुशासित करना है। यह जुर्माना विभागीय जांच और सेवा नियमों के पूरक के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग होता है, परंतु इसका प्राथमिक प्रभाव अधिकारी के सेवा अभिलेख और वेतन पर पड़ता है। यह व्यवस्था त्वरित न्याय हेतु निर्मित की गई है ताकि लंबी न्यायिक मुकदमों के स्थान पर प्रशासनिक स्तर पर ही उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके। यह नौकरशाही के भीतर सुधार लाने का एक कुशल और प्रभावी गैर-न्यायिक तंत्र है।

237. (B) नागरिकों का सामान और सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी और उनकी शिकायतों के निवारण का अधिकार विधेयक, 2011
मध्य प्रदेश की इस क्रांतिकारी पहल का प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ा। केंद्र सरकार ने इसी मॉडल से प्रेरणा लेकर 2011 में एक केंद्रीय विधेयक तैयार किया था ताकि पूरे राष्ट्र में समान रूप से समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि वह विधेयक कानून नहीं बन सका, परंतु मध्य प्रदेश की सफलता ने कई अन्य राज्यों को प्रेरित किया। यह प्रमाणित करता है कि एक राज्य का श्रेष्ठ शासन मॉडल पूरे राष्ट्र की नीतियों को दिशा प्रदान कर सकता है। मध्य प्रदेश का यह कानून भारत में 'सहकारी संघवाद' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ राज्यों के नवाचार राष्ट्रीय विकास और नागरिक कल्याण के एजेंडे को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कोई भ्रम नहीं रहता और अधिकारी पश्चात में कोई अनुचित बहाना नहीं बना सकता।

223. (A) "सरकार आपके द्वार"
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की मूल भावना "सरकार आपके द्वार" के दर्शन पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि नागरिक को अपने अधिकारों हेतु सरकार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को स्वयं आगे बढ़कर समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कानून प्रशासन को जनता हेतु अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाता है। यह एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना करता है जहाँ सरकारी कार्यालय बाधा के स्थान पर सहायता का केंद्र बनें। यह "अंतिम मील तक वितरण" सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे सरकार और जनता के मध्य की दूरी कम होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है।

224. (D) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी या अन्य अधिसूचित प्राधिकारी
अधिनियम में 'स्वप्रेरणा' पुनरीक्षण का एक विशेष प्रावधान है। इसका अर्थ है कि यदि किसी उच्च अधिकारी या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि किसी मामले में पदाभिहित अधिकारी ने ठीक से कार्य नहीं किया है या विधि का उल्लंघन हुआ है, तो वह बिना किसी नागरिक की शिकायत के भी स्वयं संज्ञान लेकर उस मामले की जांच कर सकता है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि उच्चाधिकारी केवल अपीलों की प्रतीक्षा न करें, बल्कि सक्रिय रूप से पूरी प्रणाली की निगरानी करें। यह प्रावधान भ्रष्टाचार और लापरवाही को रोकने हेतु एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है, जो प्रशासनिक सतर्कता को लगातार बनाए रखता है।

225. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2010 का अधिनियम वास्तव में सुशासन के इतिहास में मील का पत्थर है क्योंकि इसने सरकार और जनता के मध्य के गतिशील संबंध को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। यह नागरिक को एक असहाय प्रार्थी की भूमिका से मुक्त कर एक सशक्त और जागरूक भागीदार के रूप में स्थापित करता है। अब नागरिक के पास यह शक्ति है कि वह अपने कार्य में होने वाले विलंब हेतु अधिकारियों को विधि के समक्ष उत्तरदायी ठहरा सके। निवारण हेतु यह सुदृढ़ वैधानिक तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति बनी रहे। यह अधिनियम लोकतंत्र को कागजों से निकालकर आम आदमी के दैनिक जीवन में वास्तविकता के रूप में उतारता है।

226. (B) सरकारी अधिकारी
इस अधिनियम से पूर्व, अपना कार्य करवाने का समस्त भार और उत्तरदायित्व नागरिक पर होता था; उसे बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था और अनुरोध करना पड़ता था। परंतु 2010 के इस कानून ने 'कार्य-निष्पादन का भार' पूर्णतः सरकारी अधिकारी के कंधों पर डाल दिया है। अब आवेदन जमा करने के पश्चात, यह अधिकारी की जिम्मेदारी और विधिक बाध्यता है कि वह समय सीमा का पालन करे। यदि वह विफल होता है, तो उसे कारण स्पष्ट करना होगा और दंड भुगतना होगा। यह नागरिक हेतु मानसिक शांति लाता है और उसे सरकारी मशीनरी के हाथों होने वाले उत्पीड़न से विधिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह शासन में उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करता है।

227. (D) जनता में जागरुकता की कमी और खराब कार्यान्वयन।
किसी भी शक्तिशाली कानून की सबसे बड़ी बाधा कार्यान्वयन की कमी और जन अज्ञानता होती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों और अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के विषय में नहीं जानते, तो वे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार, यदि अपीलीय प्राधिकारी दोषी अधिकारियों पर जुर्माना आरोपित करने में शिथिलता बरतते हैं, तो कानून का भय समाप्त हो जाएगा। अतः, अधिनियम की वास्तविक प्रभावशीलता बनाए रखने हेतु निरंतर जन-जागरुकता अभियान और प्रशासनिक कठोरता अनिवार्य है। केवल कानून की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है; उसे एक जीवंत साधन बनाने हेतु जनता की भागीदारी और सरकार की निष्पक्ष निगरानी आवश्यक है।

228. (C) निर्धारित समय - सेवा वितरण के लिए अधिकतम समय
अधिनियम के अंतर्गत 'निर्धारित समय' वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है जो इस कानून को "गारंटी" बनाता है। यह वह अधिकतम समय सीमा है जिसके भीतर सरकार ने वचन दिया है कि वह नागरिक को अधिसूचित सेवा प्रदान कर देगी। उदाहरण हेतु, यदि राशन कार्ड हेतु 15 दिन निर्धारित हैं, तो 16वें दिन सेवा में विलंब माना जाएगा और आवेदक को अपील का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं क्योंकि आवेदक सेवा प्राप्त करने वाला होता है, और पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदाता का प्रथम स्तर होता है। दंड अधिकारी को दिया जाता है। यह समय सीमा ही प्रशासन में अनुशासन और गति का मूल आधार है।

229. (B) कार्यभार के कारण के साथ आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए, जिसकी फिर अपील की जा सकती है।
यदि किसी पदाभिहित अधिकारी को प्रतीत होता है कि वह जायज प्रशासनिक कारणों से समय पर सेवा प्रदान नहीं कर सकता, तो उसे आवेदन को लंबित नहीं रखना चाहिए। उसे उचित कारणों के साथ अपना लिखित निर्णय प्रदान करना चाहिए। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है और आवेदक को ज्ञात होता है कि उसके पास अब अपील का मार्ग प्रशस्त है। फाइल छिपाना या आवेदन की उपेक्षा करना गंभीर अनुशासनहीनता है और इससे दंड आरोपित हो सकता है। लिखित आदेश के साथ अस्वीकृति देना एक विधिक प्रक्रिया है जो अपीलीय प्राधिकारी को मामले की समीक्षा करने और यदि आवश्यक हो तो विशेष निर्देश देने का अवसर प्रदान करती है।

230. (B) केवल 1 और 2
2010 के अधिनियम ने निश्चित रूप से सरकारी अधिकारियों को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाया है क्योंकि अब उनकी लापरवाही के वित्तीय परिणाम होते हैं। इसने विलंब के विरुद्ध एक सुदृढ़ विधिक ढांचा भी प्रदान किया है जो नागरिक को सशक्त बनाता है। हालांकि, यह कहना कि इसने भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त कर दिया है, एक अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि

कानूनी धर्मांतरण किसी नाबालिग, महिला, या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ किया जाता है, तो सजा और जुर्माने की मात्रा अत्यधिक होती है। इन समूहों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के पीछे तर्क यह है कि वे प्रलोभन या दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इस प्रावधान का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों और महिलाओं को किसी भी धार्मिक शोषण या जबरन धर्मांतरण से सुरक्षित रखना है। यह सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक गंभीर विधिक चरण है।

246. (B) इसे सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के अनुसार, यदि कोई विवाह केवल एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य से किया गया है, तो वह विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। ऐसे विवाह को सक्षम परिवार न्यायालय द्वारा शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है। अधिनियम का उद्देश्य विवाह को धर्मांतरण के साधन के रूप में प्रयुक्त करने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। हालांकि, विवाह को अवैध घोषित करने से पूर्व न्यायालय मामले की सूक्ष्म जांच करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विवाह की पवित्रता बनी रहे और उसे किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी धार्मिक परिवर्तन हेतु प्रयुक्त न किया जाए।

247. (D) धर्मांतरित व्यक्ति, उनके माता-पिता या भाई-बहन के पास।
2021 के अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने का अधिकार केवल पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है। धर्मांतरित व्यक्ति के माता-पिता, भाई-बहन या कोई भी अन्य रक्त संबंधी पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा, न्यायालय की अनुमति से कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित से संबंधित है, शिकायत कर सकता है। यह प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि कई मामलों में पीड़ित व्यक्ति दबाव या प्रलोभन के कारण स्वयं शिकायत करने की स्थिति में नहीं होता। परिवार को शिकायत का अधिकार देने से गैर-कानूनी धर्मांतरण के मामलों में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करना सुलभ हो जाता है, जो इस कानून के कठोर प्रवर्तन को बढ़ावा देता है।

248. (A) कोई भी उपहार, परितोषण, या भौतिक लाभ देना।
अधिनियम में 'प्रलोभन' की परिभाषा अत्यंत व्यापक है। इसमें किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन हेतु प्रेरित करने हेतु नकद धन, रोजगार, निशुल्क शिक्षा, बेहतर जीवन शैली का वचन, या किसी भी प्रकार का उपहार प्रदान करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की भौतिक सुख-सुविधा की पेशकश करना भी इसी श्रेणी में आता है। कानून का मानना है कि आस्था और धर्म एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विषय होना चाहिए, न कि किसी सांसारिक लाभ या भौतिक प्रलोभन का परिणाम। प्रलोभन के माध्यम से किया गया धर्मांतरण स्वेच्छा के सिद्धांत के प्रतिकूल है, इसलिए अधिनियम इसे गैर-कानूनी मानता है और इसके लिए भारी आर्थिक दंड का प्रावधान करता है।

249. (C) कम से कम साठ दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना।
2021 के अधिनियम के अंतर्गत धार्मिक पुजारियों या धर्मांतरण समारोह आयोजित करने वाले व्यक्तियों पर महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आरोपित किया गया है। पुजारी को प्रस्तावित धर्मांतरण से कम से कम 60 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को एक औपचारिक सूचना देनी होती है। इस सूचना में धर्मांतरण के स्थान, समय और संबंधित व्यक्तियों का पूर्ण विवरण होना चाहिए। इस नियम का अनुपालन न करना पुजारी हेतु दंडनीय अपराध है। इस प्रावधान का उद्देश्य धर्मांतरण की प्रक्रिया को आधिकारिक रूप से अभिलेखित करना और यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक गुरु भी इस तथ्य के प्रति जवाबदेह हों कि वे जिस समारोह का संचालन कर रहे हैं, वह विधिक है।

250. (B) P-4, Q-1, R-3, S-2
जबरदस्ती का अर्थ है किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध डराकर कार्य करने हेतु विवश करना। धर्मांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपना मूल धर्म त्याग देता है। कपटपूर्ण साधनों में असत्य बोलना या अपनी पहचान छिपाकर किसी को गुमराह करना सम्मिलित है। प्रलोभन का सीधा संबंध भौतिक लाभ या उपहार प्रदान कर किसी का विचार परिवर्तित करने से है। यह मिलान अधिनियम के उन चार स्तंभों को स्पष्ट करता है जिनके आधार पर किसी धर्मांतरण को 'गैर-कानूनी' घोषित किया जाता है। इन शब्दों की स्पष्ट विधिक परिभाषा यह सुनिश्चित करती है कि जांच के दौरान कोई अस्पष्टता न रहे और दोषियों को अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सजा दी जा सके।

251. (D) अभियुक्त व्यक्ति पर, यह साबित करने के लिए कि धर्मांतरण गैर-कानूनी साधनों से नहीं हुआ था।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 की एक विशिष्ट विशेषता इसका 'सबूत का भार' संबंधी प्रावधान है। सामान्य आपराधिक विधि में अभियोजन पक्ष को अपराध प्रमाणित करना होता है, परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति (अभियुक्त) पर होती है जिसने धर्मांतरण कराया। अभियुक्त को न्यायालय में यह प्रमाणित करना होता है कि धर्मांतरण बल, कपट या प्रलोभन के माध्यम से नहीं किया गया था। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि धर्मांतरण की परिस्थितियां प्रायः निजी होती हैं। यह कठोर नियम गैर-कानूनी धर्मांतरण को रोकने हेतु राज्य की गंभीरता और प्रशासनिक सतर्कता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।

252. (D) संज्ञेय और गैर-जमानती।
2021 के अधिनियम के अंतर्गत गैर-कानूनी धर्मांतरण के अपराधों को अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इन्हें 'संज्ञेय' बनाया गया है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही, ये अपराध 'गैर-जमानती' हैं, जिसका अर्थ है कि आरोपी को पुलिस थाने से जमानत प्राप्त नहीं हो सकती और उसे जमानत हेतु न्यायालय के समक्ष उचित कारण प्रस्तुत करने होंगे। यह कठोर प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए और गैर-कानूनी धर्मांतरण की गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से

अपीलीय प्राधिकारी आदेश दे सकता है कि अधिकारी पर आरोपित किए गए जुर्माने का एक भाग आवेदक को 'प्रतिकर' या मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाए। यह प्रावधान नागरिक हेतु न्याय को अधिक सार्थक बनाता है। इससे आवेदक को अपनी अपील पर व्यय हुए समय और प्रयास का कुछ प्रतिफल प्राप्त होता है। यह अधिकारी को और भी अधिक सतर्क बनाता है क्योंकि उसके द्वारा किया गया विलंब प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित नागरिक को वित्तीय लाभ पहुँचाता है।

194. (C) अधिनियम में देरी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है।
यह कथन पूर्णतः असत्य है क्योंकि दंड का प्रावधान ही इस अधिनियम की मुख्य शक्ति है। अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रतिदिन के विलंब हेतु 250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के जुर्माने का उल्लेख करता है। यह समय सीमा निर्दिष्ट करता है, द्वि-स्तरीय अपील की अनुमति प्रदान करता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम हो। बिना दंड के कोई भी विधि केवल एक परामर्श बनकर रह जाती, परंतु मध्य प्रदेश के इस कानून ने वास्तविक जवाबदेही निर्धारित की है। दंड का भय ही वह कारक है जिसने नौकरशाही की कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाया है और सेवा प्रदाय में गति प्रदान की है।

195. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का निर्माण प्रशासनिक तंत्र से भ्रष्टाचार और निष्क्रियता को समाप्त करने के विजन के साथ किया गया था। जब सेवाओं की प्रदाय हेतु समय निर्धारित कर दिया जाता है, तो बिचौलियों की भूमिका स्वतः समाप्त हो जाती है और अधिकारियों के पास कार्य रोकने या रिश्वत मांगने का अवसर नहीं रहता। चूंकि विलंब हेतु व्यक्तिगत रूप से दंडित होने का भय होता है, इसलिए अधिकारी फाइलों को अनावश्यक रूप से दबाकर नहीं रख सकते। यह कानून अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी निर्णय लेने हेतु विवश करता है, जिससे पूरी व्यवस्था अधिक कुशल बनती है और जनता का सरकारी संस्थानों में विश्वास सुदृढ़ होता है।

196. (B) वितरण या प्रावधान
अधिनियम के हिंदी शीर्षक में 'प्रदान' शब्द का अर्थ है किसी सेवा को नागरिक तक पहुँचाना या उसका वितरण सुनिश्चित करना। यह शब्द इस बात पर बल देता है कि केवल विधि बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक लाभ का नागरिक तक पहुँचना अनिवार्य है। यह अधिनियम की क्रियात्मक प्रकृति को दर्शाता है, जहाँ ध्यान परिणामों पर केंद्रित है। 'सेवा के प्रदान की गारंटी' का अर्थ है कि राज्य यह विधिक वचन दे रहा है कि वह अपनी अधिसूचित सेवाएं प्रत्येक पात्र नागरिक को बिना किसी भेदभाव के और समय पर उपलब्ध कराएगा। यह शब्द सरकारी तंत्र की वितरण क्षमता और नागरिक-केंद्रित शासन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

197. (B) अधिनियम का उल्लंघन है, क्योंकि अस्वीकृति के कारण बताए जाने चाहिए।
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह अनिवार्य है कि यदि कोई आवेदन निरस्त किया जाता है, तो पदाभिहित अधिकारी को उसके ठोस और लिखित कारण स्पष्ट करने होंगे। बिना कारण बताए अस्वीकृति को 'सेवा देने से इनकार' माना जाता है और यह अधिनियम का उल्लंघन है। आवेदक को यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसका आवेदन क्यों अस्वीकृत किया गया ताकि वह कमियों को परिष्कृत कर सके या अपील कर सके। यह प्रावधान अधिकारियों की मनमानी को रोकता है और उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाता है। लिखित आदेश के अभाव में आवेदक हेतु उच्च स्तर पर न्याय प्राप्त करना कठिन होता है।

198. (A) 'मांग और अधिकार'
2010 के अधिनियम से पूर्व, सरकारी सेवा प्राप्त करना प्रायः अधिकारी के उपकार या नागरिक के निरंतर अनुरोध पर निर्भर करता था। इस कानून ने इस पुरानी मानसिकता वाले ढांचे को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है। अब सेवा प्राप्त करना नागरिक का विधिक अधिकार है और वह इसे अधिकार के साथ मांग सकता है। यह शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जहाँ शासकीय सेवक अब वास्तव में जनता के प्रति जवाबदेह सेवक बन गए हैं। मांग और अधिकार की यह प्रणाली नागरिक को सशक्त बनाती है और उसे यह बोध कराती है कि वह लोकतंत्र का स्वामी है, न कि सरकारी कार्यालयों का असहाय प्रार्थी। यह सुशासन की पराकाष्ठा है।

199. (D) सेवाओं, समय सीमा और विभिन्न प्राधिकारियों को अधिसूचित करना।
अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार की मुख्य भूमिका एक नियामक की है। सरकार यह निर्धारित करती है कि कौन सी नवीन सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और उनके लिए कितने दिन की समय सीमा उपयुक्त होगी। सरकार ही वह प्राधिकारी है जो प्रत्येक सेवा हेतु पदाभिहित अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों के पदों को अधिसूचित करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियम निर्मित करती है। सरकार की यह शक्ति उसे प्रशासनिक सुधारों को लगातार अद्यतन करने और नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने में सक्षम बनाती है ताकि सुशासन सुनिश्चित हो सके।

200. (B) केवल 1 और 3
मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अनुसार, आवेदन जमा करने पर पावती रसीद देना अनिवार्य है क्योंकि यही समय सीमा की गणना का आधार होती है। साथ ही, विलंब होने पर आवेदक को मुआवजे का प्रावधान है। हालांकि, यह अधिनियम केवल सरकारी विभागों और सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होता है, निजी संस्थाओं पर नहीं। यह कानून सरकारी नौकरशाही की जवाबदेही निर्धारित करने हेतु निर्मित किया गया है। रसीद

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तित करना या बिना धर्मांतरण के अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करना कोई अपराध नहीं है। अधिनियम व्यक्ति की निजी आस्था का सम्मान करता है, बशर्ते वह विधि द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करे। कानून का मुख्य प्रहार केवल उन अनैतिक प्रथाओं पर है जो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का दमन करती हैं।

261. (B) उस महिला और बच्चों के लिए जो इस अधिनियम के तहत शून्य घोषित किए गए विवाह से पैदा हुए हैं।
यद्यपि 2021 का अधिनियम गैर-कानूनी धर्मांतरण हेतु किए गए विवाह को 'शून्य' घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु यह सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीड़ित महिला और बच्चों के हितों की रक्षा भी करता है। अधिनियम स्पष्ट प्रावधान करता है कि विवाह के शून्य घोषित होने के पश्चात भी, महिला अपने जीवन निर्वाह हेतु भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों को अपने माता-पिता की संपत्ति में वैध उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। यह सुनिश्चित करता है कि विधिक लड़ाई के मध्य निर्दोष महिलाओं और बच्चों को बेसहारा न छोड़ा जाए और उनके बुनियादी आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा बनी रहे।

262. (D) उप-निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं।
धार्मिक धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों की जांच की शुचिता बनाए रखने हेतु अधिनियम ने एक विशेष सुरक्षा कवच प्रदान किया है। इसके अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध की जांच केवल 'उप-निरीक्षक' या उससे उच्च पद के पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। कनिष्ठ पुलिस कर्मियों को स्वतंत्र रूप से जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि जांच में एक निश्चित स्तर की व्यावसायिकता और निष्पक्षता बनी रहे। चूंकि ऐसे मामलों के सामाजिक प्रभाव गहरे होते हैं, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में जांच होना प्रशासनिक जवाबदेही और न्याय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।

263. (A) प्रलोभन
किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के प्रतिफल में भौतिक सुख-सुविधाओं, जैसे रोजगार की पेशकश करना, 2021 के अधिनियम के अंतर्गत 'प्रलोभन' की स्पष्ट परिभाषा में सम्मिलित है। कानून यह मानता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के बदले अपना धर्म परिवर्तित करता है, तो वह उसकी आध्यात्मिक आस्था नहीं बल्कि एक सौदा होता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की मूल भावना के विरुद्ध है। प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराना एक गंभीर अपराध है क्योंकि यह निर्धन व्यक्तियों की आर्थिक विवशता का धार्मिक लाभ उठाने का प्रयास है। इस प्रकार के कृत्यों हेतु अधिनियम में कठोर सजा और भारी जुर्माने का स्पष्ट वैधानिक प्रावधान किया गया है।

264. (A) आरोपी को अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए सबूत देने होंगे।
'सबूत का भार' आरोपी पर आरोपित करने का अर्थ है कि यदि पुलिस प्रारंभिक साक्ष्य संकलित कर लेती है, तो न्यायालय यह मानकर चलेगा कि धर्मांतरण गैर-कानूनी था, जब तक कि आरोपी इसके विपरीत प्रमाणित न कर दे। उसे यह प्रदर्शित करना होगा कि धर्मांतरण पूर्णतः स्वैच्छिक था और उसने किसी बल या प्रलोभन का प्रयोग नहीं किया। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सामान्य सिद्धांतों का एक अपवाद है। इस कठोर प्रावधान का उद्देश्य उन जटिल परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित करना है जहाँ गवाहों को प्रभावित करना सुलभ होता है। यह आरोपी को प्रक्रिया का पालन करने और ईमानदारी बनाए रखने हेतु अत्यधिक सतर्क रहने को विवश करता है।

265. (B) 3, 4, 1, 2
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के अंतर्गत एक वैध धर्मांतरण प्रक्रिया का प्रारंभ व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को 'धर्मांतरण का इरादा' सूचित करने वाली घोषणा से होता है। इसके पश्चात, प्रशासन प्रस्तावित धर्मांतरण की 'जांच' करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवैधता तो नहीं है। जांच संतोषजनक होने पर 'धर्मांतरण समारोह' संपन्न किया जा सकता है। अंत में, समारोह संपन्न कराने वाला 'धार्मिक पुजारी' जिला मजिस्ट्रेट को सूचना प्रदान करता है कि प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। यह चरणबद्ध प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने हेतु है कि राज्य को धर्मांतरण के प्रत्येक चरण की आधिकारिक सूचना उपलब्ध रहे।

266. (C) सबूत का भार - शिकायतकर्ता पर होता है
2021 के अधिनियम के अंतर्गत 'सबूत का भार' का नियम सामान्य विधियों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ यह उत्तरदायित्व शिकायतकर्ता पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर होता है जिस पर धर्मांतरण कराने का आरोप है। उसे यह सिद्ध करना होता है कि धर्मांतरण विधिक था। अन्य समस्त युग्म सत्य हैं: गैर-कानूनी धर्मांतरण एक दंडनीय अपराध है, स्वैच्छिक परिवर्तन हेतु पूर्व सूचना अनिवार्य है, और केवल धर्मांतरण हेतु किए गए विवाह को न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। सबूत का भार परिवर्तित करने का यह प्रावधान ही इस अधिनियम को अत्यधिक कठोर बनाता है, जिससे आरोपी को अपनी बेगुनाही स्वयं प्रमाणित करनी पड़ती है।

267. (D) जब विधानसभा सत्र में न हो तो राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित एक अस्थायी कानून।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 को प्रारंभ में एक 'अध्यादेश' के रूप में क्रियान्वित किया गया था। अध्यादेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रदत्त एक विधायी शक्ति है। जब राज्य विधानसभा का सत्र संचालित नहीं हो रहा हो और किसी विधि की तत्काल आवश्यकता हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका विधिक प्रभाव विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के समान ही होता है। हालांकि, इसे पश्चात में विधानसभा द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि सरकार इस कानून को लागू करने हेतु कितनी गंभीर थी। पश्चात में इसे विधिवत विधि बना दिया गया।

स्थिरता को प्रभावित करता है। परिवार को शिकायतकर्ता के रूप में सम्मिलित करने से उन पीड़ितों को विधिक सुरक्षा प्राप्त होती है जो शायद भयभीत हों। यह प्रावधान धर्मांतरण को एक सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे के रूप में देखता है और यह सुनिश्चित करता है कि परिवार के हितों की रक्षा हेतु कानून प्रभावी कार्य कर सके।

283. (A) यह मध्य प्रदेश में लागू एक अधिनियम है।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 वर्तमान में राज्य में पूर्णतः प्रभावी और क्रियान्वित है। इसे विधानसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यपाल की सहमति प्राप्त होने के पश्चात आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। यद्यपि इसकी कुछ धाराओं को न्यायालयों में चुनौती प्रदान की गई है और कुछ मामलों में अंतरिम स्थगन भी प्राप्त हुआ है, परंतु एक विधि के रूप में यह राज्य के विधिक ढांचे का अभिन्न अंग बना हुआ है। पुलिस इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग दर्ज करती है और जांच करती है। यह राज्य सरकार द्वारा धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित करने हेतु निर्मित सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित कानून है, जिसका सामाजिक-विधिक परिदृश्य पर प्रभाव है।

284. (B) धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के समान दंड के लिए उत्तरदायी।
अधिनियम न केवल मुख्य अपराधी को, बल्कि उन समस्त व्यक्तियों को भी जवाबदेह ठहराता है जो गैर-कानूनी धर्मांतरण में किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो समारोह का आयोजन करते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, या किसी व्यक्ति को अनुचित प्रभाव डालने हेतु दुष्प्रेरित करते हैं। कानून के अनुसार, दुष्प्रेरक या सहायक को भी मुख्य आरोपी के समान ही कारावास और आर्थिक दंड की सजा दी जाएगी। यह प्रावधान धर्मांतरण के पीछे सक्रिय पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति परोक्ष रूप से भी अवैध गतिविधियों का भाग न बने, जिससे गैर-कानूनी नेटवर्क को तोड़ा जा सके।

285. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
2021 के अधिनियम के अंतर्गत विवाह और धर्मांतरण का गहरा अंतर्संबंध है। कानून यह उपधारणा लेकर चलता है कि यदि विवाह के समय के समीप धर्म परिवर्तन होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य विवाह हो सकता है। यह उपधारणा अभियुक्तों पर यह प्रमाणित करने का भारी भार डालती है कि उनका विवाह और धर्मांतरण दोनों पूर्णतः स्वैच्छिक और वास्तविक थे। यह प्रावधान विशेष रूप से उन मामलों को रोकने हेतु है जहाँ पहचान गुप्त रखकर या विवाह का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यह कठोर विधिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने हेतु है कि विवाह जैसे पवित्र संबंध का उपयोग किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी परिवर्तन हेतु न किया जा सके।

286. (A) प्रचार किसी धर्म के सिद्धांतों को साझा करना है, जबकि प्रलोभन में धर्मांतरण के लिए भौतिक प्रलोभन देना शामिल है।
अधिनियम 'प्रचार' और 'प्रलोभन' के मध्य एक महत्वपूर्ण विभाजन रेखा खींचता है। प्रचार करना एक संवैधानिक अधिकार है जहाँ एक व्यक्ति अपने धर्म की विशेषताओं के विषय में दूसरों को सूचित कर सकता है और उन्हें शिक्षित कर सकता है। यह केवल सूचनाओं का साझाकरण है। दूसरी ओर, प्रलोभन में व्यक्ति की निष्ठा क्रय करने का प्रयास किया जाता है, जहाँ धर्म परिवर्तन के प्रतिफल में उसे नकद या उपहार जैसे सांसारिक लाभ प्रदान किए जाते हैं। कानून प्रचार को प्रतिबंधित नहीं करता, परंतु प्रलोभन को अपराध मानता है। यह अंतर आध्यात्मिक शिक्षा और आर्थिक लालच के मध्य की सीमा निर्धारित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धर्म परिवर्तन स्वैच्छिक है।

287. (C) जिला मजिस्ट्रेट
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के कार्यान्वयन में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका केंद्रीय और नियामक है। DM ही वह प्राधिकारी है जो धर्मांतरण की पूर्व सूचनाएं प्राप्त करता है, आवेदनों पर आपत्तियों की सुनवाई करता है और पुलिस के माध्यम से जांच के आदेश निर्गत कर सकता है। DM का कार्यालय यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है कि जिले में होने वाला प्रत्येक धार्मिक परिवर्तन विधि की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। पुजारी और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति दोनों को इसी प्राधिकारी को अपनी घोषणाएं सौंपनी होती हैं। DM की यह सक्रिय निगरानी भूमिका अधिनियम के प्रशासनिक प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाती है और पारदर्शिता को पूर्णतः सुनिश्चित करती है।

288. (A) भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 राज्य की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक महत्वपूर्ण विधायी पहल है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे अपनी विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया। सरकार का दावा है कि यह कानून विशेष रूप से निर्धन और सरल जनता को संगठित धर्मांतरण से सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक है। यह कानून राज्य के राजनीतिक विमर्श में भी एक विशाल मुद्दा रहा है। भाजपा शासित कई अन्य राज्यों ने भी इसी प्रकार की विधियां अंगीकार की हैं, जो पार्टी के उस विजन को दर्शाता है जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु कठोर नियमन और पारदर्शिता को अनिवार्य माना गया है।

289. (B) पुजारी को धर्मांतरण प्रक्रिया का आधिकारिक पक्ष बनाना और कानून के तहत जवाबदेह बनाना।
पुजारी हेतु 60 दिन की अग्रिम सूचना की अनिवार्यता उसे केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि विधि की दृष्टि में एक 'जवाबदेह सहभागी' बनाती है। यदि कोई पुजारी बिना सूचना के धर्मांतरण संपन्न कराता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से कानून का उल्लंघन करता है और सजा का पात्र होता है। यह नियम इसलिए निर्मित किया गया है ताकि पुजारी भी इस तथ्य को सत्यापित करने हेतु विवश हों कि वे जिस व्यक्ति का धर्म

सीमित नहीं है। उस संगठन के पदाधिकारी, प्रबंधक या कोई भी व्यक्ति जो सामूहिक धर्मांतरण को आयोजित करने या सहायता करने हेतु उत्तरदायी है, प्रत्यक्ष रूप से दायी माना जाता है। उन्हें भी वही कठोर कारावास और जुर्माना भुगतना होगा जो एक व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, संगठन का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि लोग किसी संस्था के पीछे छिपकर अवैध धार्मिक गतिविधियों का संचालन न कर सकें और संस्थागत स्तर पर जवाबदेही एवं विधि का कठोर प्रवर्तन बना रहे।

276. (C) सामान्य समझ पर निर्भर शब्द, क्योंकि अधिनियम इसे सख्ती से परिभाषित नहीं करता है।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 में 'धर्म' शब्द की कोई संकुचित विधिक परिभाषा नहीं दी गई है। कानून में इसे सामान्य अर्थों में छोड़ दिया गया है, जो किसी भी स्थापित विश्वास प्रणाली या उपासना पद्धति को संदर्भित करता है। यह लचीलापन इसलिए रखा गया है ताकि कानून समस्त समुदायों और आस्थाओं पर समान रूप से लागू हो सके। चूंकि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है जहाँ धर्म की परिभाषा व्यापक है, इसलिए अधिनियम मुख्य रूप से 'धर्मांतरण की प्रक्रिया' और 'अनुचित साधनों' पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या पर। यह दृष्टिकोण कानून को साम्प्रदायिक रूप से तटस्थ बनाए रखने में सहायक है।

277. (B) भारतीय संविधान के तहत निजता, पसंद और धर्म के मौलिक अधिकार
2021 के अधिनियम के विरुद्ध न्यायालयों में प्रस्तुत मुख्य चुनौती संवैधानिक अधिकारों के संभावित उल्लंघन पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य को यह पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपना धर्म क्यों परिवर्तित कर रहा है, क्योंकि यह उसकी 'निजता' का अभिन्न भाग है। साथ ही, यह तर्क दिया गया है कि विवाह एक व्यक्तिगत पसंद है और उसे धर्मांतरण के परिप्रेक्ष्य से देखना व्यक्ति की गरिमा के प्रतिकूल है। उच्च न्यायालयों में यह मामला विचाराधीन है कि क्या राज्य द्वारा धर्मांतरण पर आरोपित ये कठोर प्रतिबंध 'उचित प्रतिबंध' की श्रेणी में आते हैं या वे संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 का सीधा उल्लंघन हैं।

278. (C) एक व्यक्ति, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के बाद, अपना विश्वास बदलने का निर्णय लेता है और आवश्यकतानुसार जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करता है।
2021 के अधिनियम का उद्देश्य केवल उन धर्मांतरणों को रोकना है जहाँ 'स्वतंत्र इच्छा' का अभाव हो। यदि कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से किसी अन्य धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर और समस्त विधिक प्रक्रियाओं (जैसे DM को पूर्व सूचना देना) का पालन करते हुए धर्मांतरण करता है, तो यह अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। यह एक पूर्णतः वैध और स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इसके विपरीत, विवाह हेतु पहचान छिपाना या लालच देना बल और कपट के उदाहरण हैं जो दंडनीय हैं। कानून केवल उन परिस्थितियों में हस्तक्षेप करता है जहाँ धोखाधड़ी या दबाव प्रमाणित हो। एक पारदर्शी और विधिक रूप से सही धर्मांतरण पूर्णतः सुरक्षित और विधिक माना जाता है।

279. (A) धर्मांतरण के व्यक्ति के निर्णय को प्रभावित करने के लिए अधिकार की स्थिति या विशेष संबंध का उपयोग करना।
अधिनियम में 'अनुचित प्रभाव' का तात्पर्य उस स्थिति से है जहाँ एक व्यक्ति अपनी शक्ति या उच्च पद का लाभ उठाकर अन्य व्यक्ति के स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करता है। इसमें गुरु-शिष्य, नियोक्ता-कर्मचारी या किसी भी ऐसे संबंध का दुरुपयोग सम्मिलित हो सकता है जहाँ एक पक्ष दूसरे पर मानसिक रूप से प्रभावी हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति का उपयोग किसी को धर्म परिवर्तित करने हेतु मानसिक रूप से विवश करने हेतु करता है, तो इसे धर्मांतरण का एक अवैध साधन माना जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि धार्मिक परिवर्तन किसी के मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं, बल्कि केवल स्वतंत्र चिंतन और व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हो।

280. (A) P-4, Q-2, R-1, S-2
बिना सूचना के किया गया स्वैच्छिक धर्मांतरण प्रक्रियात्मक उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए दंड देय हो सकता है। नाबालिग का धर्मांतरण एक गंभीर अपराध है जिसके लिए अधिनियम में विशेष रूप से अत्यधिक दंड का प्रावधान किया गया है। केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया विवाह विधिक रूप से शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है। सामूहिक धर्मांतरण न केवल भारी व्यक्तिगत सजा का कारण बनता है, बल्कि इसमें सम्मिलित संगठन का पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है। यह मिलान अधिनियम के विभिन्न दंडात्मक स्तरों को स्पष्ट करता है, जो अपराध की गंभीरता के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। यह संरचना कानून के कठोर और सुव्यवस्थित प्रवर्तन को सुनिश्चित करती है।

281. (C) सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य सूची का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 के धर्मांतरण विरोधी कानून को इसी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्मित किया है। सरकार का तर्क है कि कपटपूर्वक किए गए धर्मांतरण प्रायः समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था की स्थिति संकटपूर्ण हो सकती है। अतः, राज्य के पास सामाजिक शांति बनाए रखने हेतु धार्मिक गतिविधियों को विनियमित करने का विधिक अधिकार है। हालांकि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, परंतु जब इसका उपयोग गैर-कानूनी तरीके से किया जाता है, तो यह एक सार्वजनिक मुद्दा बन जाता है, जहाँ राज्य का हस्तक्षेप विधिक रूप से आवश्यक है।

282. (B) परिवार और समाज को
2021 के अधिनियम में परिवार के सदस्यों को शिकायत का अधिकार प्रदान करने वाला प्रावधान इस दर्शन पर आधारित है कि धर्म केवल एक व्यक्तिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह परिवार की संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने से गहराई से संबद्ध है। सरकार का विश्वास है कि गैर-कानूनी धर्मांतरण न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार और अंततः सामाजिक

निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करता है ताकि वह उसे संभावित शोषण से सुरक्षित रख सके। यह एक सक्रिय शासन शैली को दर्शाता है जहाँ राज्य की भूमिका केवल विधि-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज के नैतिक व्यवहार को भी दिशा प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे।

297. (B) ऐसे संवेदनशील मामलों को संभालने में वरिष्ठता और परिपक्वता का एक निश्चित स्तर।
धार्मिक धर्मांतरण के मामलों में प्रायः भावनाएं और सामाजिक तनाव संबद्ध होते हैं, इसलिए इनकी जांच हेतु एक निश्चित अनुभव का होना अपरिहार्य है। 'उप-निरीक्षक' या उससे उच्च पद के अधिकारी से जांच कराने का नियम यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस की कार्यवाही केवल अफवाहों पर आधारित न हो, बल्कि वह साक्ष्यों पर आधारित हो। कनिष्ठ पुलिसकर्मी स्थानीय दबाव में आ सकते हैं, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक निष्पक्षता और विधिक बारीकियों को समझते हुए जांच पूर्ण करेंगे। यह नियम आरोपी और शिकायतकर्ता दोनों हेतु न्यायपूर्ण प्रक्रिया की गारंटी प्रदान करता है। यह प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने हेतु अधिनियम में सम्मिलित सुरक्षा उपाय है।

298. (B) जमानत अधिकार का मामला नहीं है और यह अदालत के विवेक पर निर्भर है।
अपराध को 'गैर-जमानती' बनाने का तात्पर्य यह नहीं है कि आरोपी को कभी जमानत प्राप्त नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जमानत प्राप्त करना उसका अधिकार नहीं रह जाता। पुलिस स्टेशन से उसे मुक्त नहीं किया जा सकता; उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। जमानत प्रदान करना पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, जो अपराध की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। यह प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपियों को विधि का भय बना रहे और वे जांच को बाधित न कर सकें। यह इस अधिनियम की कठोरता को और बढ़ाता है और इसे अन्य सामान्य अपराधों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर श्रेणी में स्थापित करता है।

299. (C) नियमित आपराधिक न्यायालय में
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए मामलों की सुनवाई 'नियमित आपराधिक न्यायालयों' में की जाती है। चूंकि यह अधिनियम दंडात्मक है और इसमें कठोर कारावास का प्रावधान है, इसलिए इस पर 'भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता' के सामान्य नियम लागू होते हैं। अभियुक्त को अपना विधिक बचाव करने हेतु अधिवक्ता नियुक्त करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त होता है। कोई पृथक से धार्मिक ट्रिब्यूनल निर्मित नहीं किया गया है ताकि न्याय की सामान्य विधिक व्यवस्था अक्षुण्ण बनी रहे। यह सुनिश्चित करता है कि मामलों का निपटान न्यायिक मानकों के अनुसार हो और अभियुक्त के अधिकारों एवं राज्य की दलीलों के मध्य निष्पक्ष संतुलन बना रहे।

300. (B) व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामुदायिक हित
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 और अन्य राज्यों के समान कानूनों पर संचालित विमर्श मुख्य रुप से व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक हितों के मध्य के संतुलन पर केंद्रित है। इसमें व्यक्ति की अपनी पसंद और निजता की स्वतंत्रता का अधिकार तथा राज्य द्वारा बलपूर्वक धर्मांतरण रोकने का प्रयास सम्मिलित है। यह विधिक मुद्दा भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सीमा और राज्य की नियामक शक्तियों के मध्य जटिल अंतर्संबंधों को पूरी तरह उद्घाटित करता है। अंततः, यह प्रश्न उठता है कि समाज के व्यापक हित और व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु राज्य को एक नागरिक के निजी विश्वास और व्यक्तिगत निर्णयों में किस सीमा तक हस्तक्षेप करने की विधिक अनुमति दी जानी चाहिए।

परिवर्तित करा रहे हैं, वह किसी दबाव या प्रलोभन में नहीं है। इससे धर्मांतरण की पूरी प्रक्रिया को एक औपचारिक और आधिकारिक स्वरूप प्राप्त होता है। यह पुजारियों और संस्थाओं को अधिक सतर्क रहने हेतु विवश करता है, जिससे गैर-कानूनी धर्मांतरण न्यूनतम होते हैं।

290. (A) केवल 2
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 राज्य में समस्त धर्मांतरणों को अवैध नहीं बनाता; यह केवल 'गैर-कानूनी' साधनों (बल, कपट, प्रलोभन) से किए गए धर्मांतरणों को प्रतिबंधित करता है। स्वैच्छिक धर्मांतरण पूर्णतः विधिक हैं यदि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं। अधिनियम में दोषी पाए जाने पर कारावास और भारी आर्थिक जुर्माने के कठोर प्रावधान हैं। हालांकि, सबूत का भार शिकायतकर्ता पर नहीं, बल्कि अभियुक्त पर होता है कि वह धर्मांतरण की वैधता प्रमाणित करे। अतः, केवल सजा संबंधी दूसरा कथन ही सत्य है। यह कानून धर्मांतरण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के स्थान पर उसे कठोर नियामक दायरे में लाने और शोषण को रोकने का प्रयास है।

291. (A) अपना धर्म चुनने का व्यक्ति का अधिकार और जबरन धर्मांतरण को रोकने में राज्य का हित।
2021 का अधिनियम दो अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्यों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। एक पक्ष व्यक्ति का अपनी अंतरात्मा के अनुसार धर्म चुनने का मौलिक अधिकार है, तो दूसरा पक्ष राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को किसी भी प्रकार के धोखे या प्रलोभन से सुरक्षित रखे। राज्य का तर्क है कि स्वतंत्रता बिना पारदर्शिता के अक्षुण्ण नहीं रह सकती। अतः, राज्य द्वारा आरोपित प्रक्रियात्मक बाधाएं व्यक्ति के अधिकार को सीमित करने हेतु नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने हेतु हैं कि उस अधिकार का उपयोग वास्तव में स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है। यह पूरी बहस व्यक्ति की स्वायत्तता और सामाजिक सुरक्षा के मध्य के संतुलन को दर्शाती है।

292. (A) नहीं, अधिनियम केवल गैर-कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से संपन्न विवाहों को लक्षित करता है।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 का उद्देश्य अंतर-धार्मिक विवाहों को पूर्णतः प्रतिबंधित करना नहीं है। यदि दो पृथक धर्मों के वयस्क व्यक्ति अपनी-अपनी पहचान बनाए रखते हुए और बिना किसी धर्मांतरण के विवाह करते हैं, तो यह कानून उन पर लागू नहीं होता। अधिनियम केवल उन मामलों में हस्तक्षेप करता है जहाँ विवाह को धर्म परिवर्तन कराने के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, या जहाँ धर्म गुप्त रखकर विवाह किया जाता है। व्यक्तिगत पसंद का सम्मान तब तक किया जाता है जब तक कि इसमें कपट या जबरदस्ती का तत्व सम्मिलित न हो। अतः, एक वास्तविक अंतर-धार्मिक विवाह इस कानून के दंडात्मक दायरे से पूर्णतः बाहर और सुरक्षित माना जाता है।

293. (C) यह दावा करना कि धर्मांतरण से किसी बीमारी का दिव्य उपचार हो जाएगा।
'मिथ्या निरुपण' या असत्य बोलकर धर्मांतरण कराने में किसी व्यक्ति को त्रुटिपूर्ण दावे के माध्यम से गुमराह करना सम्मिलित है। यदि कोई यह असत्य प्रचार करता है कि किसी विशेष धर्म को अंगीकार करने से उसे चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त होंगी या उसकी असाध्य बीमारियां पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी, तो इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। यह किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं और उसकी शारीरिक पीड़ा का अनैतिक लाभ उठाने का प्रयास है। अधिनियम ऐसे अंधविश्वासपूर्ण दावों को धर्मांतरण के एक अवैध साधन के रूप में देखता है क्योंकि ये दावे वैज्ञानिक रूप से असत्य हैं। ऐसे कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कानून में कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

294. (A) वयस्क व्यक्ति की स्वायत्तता और एजेंसी
2021 के अधिनियम का वह प्रावधान जो माता-पिता और भाई-बहनों को शिकायत करने का विधिक अधिकार प्रदान करता है, काफी विवादास्पद रहा है। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तित करता है, तो परिवार को उसमें हस्तक्षेप करने या पुलिस को आहूत करने का अधिकार देना व्यक्ति की 'निजी स्वतंत्रता' को निर्बल करता है। यह स्वीकार किया जाता है कि एक वयस्क अपने जीवन के निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम है। परिवार को शिकायत का अधिकार देना कभी-कभी व्यक्ति की अपनी पसंद के विरुद्ध परिवार की इच्छा थोपने का माध्यम बन सकता है। यह प्रावधान व्यक्ति के अधिकारों और परिवार या समाज के हस्तक्षेप के मध्य की सूक्ष्म रेखा को प्रभावित करता है।

295. (B) धार्मिक धर्मांतरण को विनियमित करने और गैर-कानूनी धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिनियम।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 का सर्वाधिक सटीक वर्णन यह है कि यह धार्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर शासकीय नियंत्रण स्थापित करने और अवैध विधियों से होने वाले धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने वाला एक वैधानिक ढांचा है। यह किसी विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहित करने या समस्त धर्म परिवर्तनों को रोकने का दावा नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि जो भी परिवर्तन हो, वह पूर्णतः पारदर्शी और विधिक हो। यह कानून राज्य की उस शक्ति का उपयोग है जिसके अंतर्गत वह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को शोषण से सुरक्षित रखने हेतु सामाजिक गतिविधियों को विनियमित करता है। यह एक नियामक और दंडात्मक कानून है जो विधिक दायरे में कार्य करता है।

296. (A) केवल 1
2021 का अधिनियम एक ऐसे विधिक दर्शन को परिलक्षित करता है जहाँ राज्य अपने नागरिकों के व्यक्तिगत निर्णयों में एक 'अभिभावक' के रूप में कार्य करता है। राज्य का यह विश्वास है कि नागरिक धर्मांतरण जैसे विषयों में प्रलोभन या दबाव का शिकार हो सकते हैं, इसलिए उसे एक नियामक की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। यह दृष्टिकोण राज्य को नागरिक के

268. (B) उन धर्मांतरणों पर सख्ती से अंकुश लगाना जो स्वैच्छिक और वास्तविक नहीं हैं।
2021 के अधिनियम के कठोर प्रावधानों के पीछे राज्य का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि धार्मिक परिवर्तन के नाम पर होने वाले किसी भी शोषण या छल-कपट को पूर्णतः समाप्त किया जाए। सरकार का विश्वास है कि आस्था का परिवर्तन केवल अंतरात्मा का विषय होना चाहिए, न कि किसी बाह्य दबाव या भौतिक लाभ का। कठोर दंड और पूर्व सूचना की आवश्यकता उन लोगों हेतु एक सुदृढ़ निवारक का कार्य करते हैं जो अवैध माध्यमों का उपयोग करते हैं। यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता को उसके शुद्धतम रूप में संरक्षित करने का प्रयास करता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी अनुचित प्रभाव के अपने विश्वास का पालन करने की सुरक्षा प्राप्त हो सके।

269. (B) हाँ, धर्मांतरण और पुनः धर्मांतरण के लिए प्रक्रिया समान है।
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 किसी भी प्रकार के धार्मिक परिवर्तन को 'धर्मांतरण' की श्रेणी में रखता है। चाहे कोई व्यक्ति प्रथम बार अपना धर्म परिवर्तित करे या अपने पूर्व 'पैतृक धर्म' में प्रत्यावर्तन करे, उसे अधिनियम में निर्धारित समस्त विधिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन की पूर्व सूचना देना और घोषणा पत्र सौंपना सम्मिलित है। अधिनियम पुनः धर्मांतरण को कोई विशेष छूट प्रदान नहीं करता। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के पास समस्त धार्मिक परिवर्तनों का समान अभिलेख हो और प्रत्येक मामले में यह समीक्षा की जा सके कि वापसी वास्तव में स्वैच्छिक है और किसी दबाव के कारण नहीं की गई है।

270. (D) एक राजनीतिक और मीडिया द्वारा गढ़ा गया वाक्यांश जो अधिनियम के कानूनी पाठ में नहीं मिलता है।
"लव जिहाद" शब्द का प्रयोग मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में व्यापक रूप से किया जाता है, परंतु मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के आधिकारिक विधिक पाठ में इस शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह एक लोकप्रिय शब्दावली है जो कथित रूप से विवाह के माध्यम से किए जाने वाले छलपूर्ण धर्मांतरण को संदर्भित करती है। विधिक रूप से, अधिनियम केवल 'बल, प्रलोभन या कपट के माध्यम से धर्मांतरण' और 'विवाह के माध्यम से गैर-कानूनी धर्मांतरण' जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। यह स्पष्टता महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायालयों में केवल अधिनियम के वैधानिक शब्दों और प्रावधानों पर विचार किया जाता है, न कि अनौपचारिक और विवादित वाक्यांशों पर।

271. (A) जिला मजिस्ट्रेट धर्मांतरण के वास्तविक इरादे और उद्देश्य की जांच करता है।
2021 के अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित धर्मांतरण की सार्वजनिक सूचना के पश्चात यदि कोई व्यक्ति आपत्ति दर्ज करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के पास उस मामले की विस्तृत जांच करने का अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट यह समीक्षा करता है कि क्या धर्मांतरण वास्तव में स्वैच्छिक है या इसमें प्रलोभन का कोई तत्व सम्मिलित है। इस जांच के दौरान वह संबंधित पक्षों को आहूत कर साक्ष्य मांग सकता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने हेतु है कि विवादित या अवैध धर्मांतरण को संपन्न होने से पूर्व ही रोका जा सके। यह प्रशासन को एक सक्रिय प्रहरी के रूप में स्थापित करता है जो धार्मिक परिवर्तनों की शुचिता और विधि के अनुपालन की निगरानी करता है।

272. (B) प्रचार करने के अधिकार में कपटपूर्ण साधनों द्वारा धर्मांतरण शामिल नहीं है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार का अधिकार प्रदान करता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 'प्रचार' करने के अधिकार का अर्थ दूसरों का धर्मांतरण कराने का मौलिक अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश का यह अधिनियम इसी विधिक व्याख्या पर आधारित है। इसका तर्क है कि कपट या लालच के माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तित करना धार्मिक स्वतंत्रता का भाग नहीं हो सकता। इसके स्थान पर, यह अन्य व्यक्ति की 'अंतरात्मा की स्वतंत्रता' का उल्लंघन है। अतः, राज्य को सामाजिक शांति और व्यक्ति के वास्तविक अधिकारों की रक्षा हेतु ऐसे अवैध धर्मांतरणों को विनियमित करने और दंडित करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

273. (D) 10 वर्ष का कारावास
मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2021 के अंतर्गत गैर-कानूनी धर्मांतरण हेतु दंड की मात्रा अत्यंत गंभीर निर्धारित की गई है। सामूहिक धर्मांतरण या नाबालिगों और महिलाओं के साथ किए गए अपराधों के मामलों में दोषी व्यक्ति को अधिकतम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही एक लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। यह सजा भारत के कई अन्य आपराधिक विधियों की तुलना में अत्यधिक है। इतनी दीर्घ कैद का प्रावधान यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अवैध धार्मिक धर्मांतरण को एक विशाल सामाजिक और विधिक अपराध मानती है। यह कठोरता संभावित अपराधियों को हतोत्साहित करने हेतु निर्मित की गई है।

274. (B) विचार करने की अवधि प्रदान करना और राज्य की जांच की अनुमति देना।
धर्मांतरण हेतु 60 दिन पूर्व सूचना देने की अनिवार्यता के पीछे मुख्य तर्क 'विचार करने की अवधि' प्रदान करना है। यह व्यक्ति को अपने बड़े निर्णय पर पुनः चिंतन का समय प्रदान करता है कि क्या वह किसी के बहकावे में तो नहीं आ रहा। साथ ही, यह समय सीमा जिला प्रशासन को यह अवसर देती है कि वह प्रस्तावित धर्मांतरण की पृष्ठभूमि की जांच कर सके और आपत्तियां आमंत्रित कर सके। इससे यह सुनिश्चित होता है कि धर्मांतरण कोई गुप्त या शीघ्रता में लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी प्रक्रिया है। यह राज्य को यह गारंटी देने में सहायता करता है कि नागरिक का धर्मांतरण विधि के दायरे में और स्वैच्छिक है।

275. (B) वे एक व्यक्ति के समान ही दंडात्मक प्रावधानों के अधीन होते हैं।
2021 के अधिनियम के अनुसार, सामूहिक धर्मांतरण में सम्मिलित संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही केवल संस्था तक

Nodia Editions LLP

125, Sector 6, Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039

MRP ₹ 620.00